Maktab_e_Ashraf
पिछले चालीस सालों से उर्दू भाषा में लाखों
की तादाद में प्रकाशित होकर क़ुरआनी उलूम को
बेशुमार अफ़राद तक पहुँचाने वाली बेनज़ीर तफ़सीर
मआरिफ़ुल क़ुरआन
6
तफ़सीर
हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी देवबन्दी रह०
(मुफ़्ती-ए-आज़म पाकिस्तान व दारुल-उलूम देवबन्द)

पिछले चालीस सालों से उर्दू भाषा में लाखों की तादाद में प्रकाशित होकर क़ुरआनी उलूम को बेशुमार अफ़राद तक पहुँचाने वाली बेनज़ीर तफ़सीर

मआ़रिफ़ुल-क़ुरआन

जिल्द (6)

उर्दू तफ़सीर

हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी देवबन्दी रह.
(मुफ़्ती-ए-आज़म पाकिस्तान व दारुल-उलूम देवबन्द)

हिन्दी अनुवादक
मौलाना मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी (एम. ए. अलीग.)
रीडर अ़ल्लामा इक़बाल यूनानी मैडिकल कॉलेज मुज़फ़्फ़र नगर (उ.प्र.)

फ़रीद बुक डिपो (प्रा.) लि.
2158, एम. पी. स्ट्रीट, पटौदी हाउस, दरिया गंज
नई दिल्ली-110002

****

तफ़सीर मआ़रिफ़ुल-क़ुरआन

हज़रत मौलाना **मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी** साहिब रह.

(मुफ़्ती-ए-आज़म पाकिस्तान)

हिन्दी अनुवाद

मौलाना मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी एम. ए. (अ़लीग.)

मौहल्ला महमूद नगर, मुज़फ़्फ़र नगर (उ. प्र.) 09456095608

जिल्द (6) सूरः मरियम ------ सूरः रूम

(पारा 16 रुकूअ़ 4 से पारा 21 रुकूअ़ 9 तक)

25 अक्तूबर 2013

प्रकाशक

फ़रीद बुक डिपो (प्रा.) लि.

2158, एम. पी. स्ट्रीट, पटौदी हाऊस, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002

بسم الله الرحمن الرحيم

WA'A TASIMOO BIHAB LILLAHI JAMEE-'AN WA LAA TAFARRAQOO

समर्पित

⭘ अल्लाह सुब्हानहू व तआ़ला के कलाम क़ुरआन मजीद के प्रथम व्याख्यापक, हादी-ए-आ़लम, आख़िरी पैग़म्बर, तमाम नबियों में अफ़ज़ल **हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम** के नाम, जिनका एक-एक क़ौल व अ़मल कलामे रब्बानी और मन्शा-ए-इलाही की अ़मली तफ़सीर था।

⭘ **दारुल-उलूम देवबन्द** के नाम, जो क़ुरआन मजीद और उसकी तफ़सीर (हदीसे पाक) की अ़ज़ीमुश्शान ख़िदमत और दीनी रहनुमाई के सबब पूरी इस्लामी दुनिया में एक मिसाली संस्था है। जिसके इल्मी फ़ैज़ से मुस्तफ़ीद (लाभान्वित) होने के सबब इस नाचीज़ को इल्मी समझ और क़ुरआन मजीद की इस ख़िदमत की तौफ़ीक़ नसीब हुई।

⭘ **उन तमाम नेक रूहों और हक़ के तलाश करने वालों** के नाम, जो हर तरह के पक्षपात से दूर रहकर और हर प्रकार की कठिनाईयों का सामना करके अपने असल मालिक व ख़ालिक़ के पैग़ाम को क़ुबूल करने वाले और दूसरों को कामयाबी व निजात के रास्ते पर लाने के लिये प्रयासरत हैं

मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी

दिल की गहराईयों से शुक्रिया

◎ मोहतरम जनाब अल-हाज मुहम्मद नासिर ख़ाँ साहिब (मालिक फ़रीद बुक डिपो नई दिल्ली) का, जिनकी मुहब्बतों, इनायतों, क़द्रदानियों और मुझे अपने इदारे से जोड़े रखने के सबब क़ुरआन मजीद की यह अहम ख़िदमत अन्जाम पा सकी।

◎ मेरे उन बच्चों का जिन्होंने इस तफ़सीर की तैयारी में मेरा भरपूर साथ दिया, तथा मेरे सहयोगियों, सलाहकारों, शुभ-चिन्तकों और हौसला बढ़ाने वाले हज़रात का, अल्लाह तआ़ला इन सब हज़रात को अपनी तरफ़ से ख़ास जज़ा और बदला इनायत फ़रमाये। आमीन या रब्बल्-अ़लमीन।

मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी

❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋

प्रकाशक के क़लम से

अल्लाह तआला का लाख-लाख शुक्र व एहसान है कि उसने मुझे और मेरे इदारे (फ़रीद बुक डिपो नई दिल्ली) को इस्लामी, दीनी और तारीख़ी किताबों के प्रकाशन के ज़रिये दीनी व दुनियावी उलूम की ख़िदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई।

अल्हम्दु लिल्लाह हमारे इदारे से क़ुरआन पाक, हदीस मुबारक और दीनी विषयों पर बेशुमार किताबें शाया हो चुकी हैं। बल्कि अगर यह कहा जाये कि आज़ाद हिन्दुस्तान में हर इल्म व फ़न के अन्दर जिस क़द्र किताबें **फ़रीद बुक डिपो देहली** को प्रकाशित करने का सौभाग्य नसीब हुआ है उतना किसी और इदारे के हिस्से में नहीं आया तो यह बेजा न होगा। कोई इदारा फ़रीद बुक डिपो के मुक़ाबले में पेश नहीं किया जा सकता। यह सब कुछ अल्लाह के फ़ज़्ल व करम और उसकी इनायतों का फल है।

फ़रीद बुक डिपो देहली ने उर्दू, अ़रबी, फ़ारसी, गुजराती, हिन्दी और बंगाली अनेक भाषाओं में किताबें पेश करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। हिन्दी ज़बान में अनेक किताबें इदारे से शाया हो चुकी हैं। हिन्दी भाषा हमारी मुल्की ज़बान है। पढ़ने वालों की माँग और तलब देखते हुए तफ़सीरे क़ुरआन के उस अहम ज़ख़ीरे को हिन्दी ज़बान में लाने का फ़ैसला किया गया जो पिछले कई दशकों से इल्मी जगत में धूम मचाये हुए है। मेरी मुराद **तफ़सीर मआ़रिफ़ुल-क़ुरआन** से है। इस तफ़सीर के परिचय की आवश्यकता नहीं, दुनिया भर में यह एक मोतबर और विश्वसनीय तफ़सीर मानी जाती है।

मौलाना मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी ने फ़रीद बुक डिपो के लिये बहुत सी मुफ़ीद और कारामद किताबों का हिन्दी में तर्जुमा किया है। हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद तक़ी उस्मानी के इस्लाही ख़ुतबात की 15 जिल्दें और तफ़सीर तौज़ीहुल-क़ुरआन उन्होंने हिन्दी में मुन्तक़िल की हैं जो इदारे से छपकर मक़बूल हो चुकी हैं। उन्हीं से यह काम करने का आग्रह किया गया जिसे उन्होंने क़ुबूल कर लिया और अब अल्हम्दु लिल्लाह यह शानदार तफ़सीर आपके हाथों में पहुँच रही है। हिन्दी भाषा में क़ुरआनी ख़िदमत की यह अहम कड़ी आपके सामने है। उम्मीद है कि आपको पसन्द आयेगी और क़ुरआन पाक के पैग़ाम को समझने और उसको आ़म करने में एक अहम रोल अदा करेगी।

मैं अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ़ करता हूँ कि वह इस ख़िदमत को क़ुबूल फ़रमाये और हमारे लिये इसे ज़ख़ीरा-ए-आख़िरत और रहमत व बरकत का सबब बनाये आमीन।

ख़ादिम-ए-क़ुरआन

मुहम्मद नासिर ख़ान

मैनेजिंग डायरेक्टर, फ़रीद बुक डिपो, देहली

अनुवादक की ओर से

الحمد لله رب العالمين. والصلوة والسلام علىٰ رسوله الكريم. وعلىٰ آله وصحبه اجمعين.

برحمتك ياارحم الراحمين.

तमाम तारीफ़ों की असल हक़दार अल्लाह तआ़ला की पाक ज़ात है जो तमाम जहानों की पालनहार है। वह बेहद मेहरबान और बहुत ही ज़्यादा रहम करने वाला है। और बेशुमार दुरूद व सलाम हों उस ज़ाते पाक पर जो अल्लाह तआ़ला की तमाम मख़्लूक़ में सब से बेहतर है, यानी हमारे आक़ा व सरदार हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम। और आपकी आल पर और आपके सहाबा किराम पर और आपके तमाम पैरोकारों पर।

अल्लाह करीम का बेहद फ़ज़्ल व करम है कि उसने मुझ नाचीज़ को अपने पाक कलाम की एक और ख़िदमत की तौफ़ीक़ बख़्शी। उसकी ज़ात तमाम ख़ूबियों, कमालात, तारीफ़ों और बन्दगी की हक़दार है।

इससे पहले सन् 2003 ईसवी में नाचीज़ ने हकीमुल-उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ़ अ़ली थानवी रह. का तर्जुमा हिन्दी भाषा में पेश किया जिसको काफ़ी मक़बूलियत मिली, यह तर्जुमा इस्लामिक बुक सर्विस देहली ने प्रकाशित किया। उसके बाद तफ़सीर इब्ने कसीर मुकम्मल हिन्दी भाषा में पेश करने की सआ़दत नसीब हुई, जो रमज़ान (अगस्त 2011) में प्रकाशित होकर मन्ज़रे आ़म पर आ चुकी है। इसके अ़लावा फ़रीद बुक डिपो ही से मौजूदा ज़माने के मशहूर आ़लिम शैख़ुल-इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद तक़ी उस्मानी दामत बरकातुहुम की मुख़्तसर तफ़सीर तौज़ीहुल-क़ुरआन शाया होकर पाठकों तक पहुँच रही है।

उर्दू भाषा में जो मक़बूलियत क़ुरआनी तफ़सीरों में तफ़सीर मआ़रिफ़ुल-क़ुरआन के हिस्से में आयी शायद ही कोई तफ़सीर उस मक़ाम तक पहुँची हो। यह तफ़सीर हज़ारों की संख्या में हर साल छपती और पढ़ने वालों तक पहुँचती है, और यह सिलसिला तक़रीबन चालीस सालों से चल रहा है मगर आज तक कोई तफ़सीर इतनी मक़बूलियत हासिल नहीं कर सकी।

हिन्द महाद्वीप की जानी-मानी इल्मी शख़्सियत हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी साहिब देवबन्दी (मुफ़्ती-ए-आज़म पाकिस्तान) की यह तफ़सीर क़ुरआनी तफ़सीरों में एक बड़ा क़ीमती सरमाया है। दिल चाहता था कि हिन्दी जानने वाले हज़रात तक भी यह उलूम और क़ुरआनी मतालिब पहुँचें मगर काम इतना बड़ा और अहम था कि शुरू करने की हिम्मत न होती थी।

जो हज़रात इल्मी काम करते हैं उनको मालूम है कि एक ज़बान से दूसरी ज़बान में तर्जुमा करना कितना मुश्किल काम है, और सही बात तो यह है कि इस काम का पूरा हक़ अदा होना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी मैंने कोशिश की है कि इबारत का मफ़्हूम व मतलब तर्जुमे में उतर आये। कहीं-कहीं ब्रेकिट बढ़ाकर भी इबारत को आसान बनाने की कोशिश की है। तर्जुमे में जहाँ तक संभव हुआ कोई छेड़छाड़ नहीं की गयी क्योंकि उलेमा-ए-मुहक़्क़िक़ीन ने इस तर्जुमे को इल्हामी तर्जुमा क़रार

दिया है। जहाँ बहुत ही ज़रूरी महसूस हुआ वहाँ आसानी के लिये कोई लफ़्ज़ बदला गया या ब्रकिट के अन्दर मायनों को लिख दिया गया।

अ़रबी और फ़ारसी के शे'रों का मफ़्हूम अगर मुसन्निफ़ की इबारत में आ गया है और हिन्दी पाठकों के लिये ज़रूरी न समझा तो कुछ अश्आ़र को निकाल दिया गया है, और जहाँ ज़रूरत समझी वहाँ अ़रबी, फ़ारसी शे'रों का तर्जुमा लिख दिया है। ऐसे मौक़ों पर अहक़र ने उस तर्जुमे के अपनी तरफ़ से होने की वज़ाहत कर दी है ताकि अगर तर्जुमा करने में ग़लती हुई हो तो उसकी निस्बत साहिबे तफ़सीर की तरफ़ न हो बल्कि उसे मुझ नाचीज़ की इल्मी कोताही गरदाना जाये।

हल्ले लुग़ात और किराअतों का इख़्तिलाफ़ चूँकि इल्मे तफ़सीर पर निगाह न रखने वाले, किराअतों के फ़न से ना-आशना और अ़रबी ग्रामर से नावाक़िफ़ शख़्स एक हिन्दी जानने वाले के लिये कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं, बल्कि बहुत सी बार कम-इल्मी के सबब इससे उलझन पैदा हो जाती है लिहाज़ा तफ़सीर के इस हिस्से को हिन्दी अनुवाद में शामिल नहीं किया गया।

हिन्दी जानने वाले हज़रात के लिये यह हिन्दी तफ़सीर एक नायाब तोहफ़ा है। अगर ख़ुद अपने मुताले से वह इसे पूरी तरह न समझ सकें तब भी कम से कम इतना मौक़ा तो है कि किसी आ़लिम से सबक़न् सबक़न् इस तफ़सीर को पढ़कर लाभान्वित हो सकते हैं। जिस तरह उर्दू तफ़सीरें भी सिर्फ़ उर्दू पढ़ लेने से पूरी तरह समझ में नहीं आतीं बल्कि बहुत सी जगह किसी आ़लिम से रुजू करके पेश आने वाली मुश्किल को हल किया जाता है, इसी तरह अगर हिन्दी जानने वाले हज़रात पूरी तरह इस तफ़सीर से फ़ायदा न उठा पायें तो हिम्मत न हारें, हिन्दी की इस तफ़सीर के ज़रिये उन्हें क़ुरआन पाक के तालिब-इल्म बनने का मौक़ा तो हाथ आ ही जायेगा। जो बात समझ में न आये वह किसी मोतबर आ़लिम से मालूम कर लें और इस तफ़सीरी तोहफ़े से अपनी इल्मी प्यास बुझायें। अल्लाह का शुक्र भेजिये कि आप तफ़सीर के तालिब-इल्म बनने के अहल हो गये वरना उर्दू न जानने की हालत में तो आप इस मौक़े से भी मेहरूम थे।

फ़रीद बुक डिपो से मेरी वाबस्तगी पच्चीस सालों से है। इस दौरान बहुत सी किताबें लिखने, प्रूफ़ रीडिंग करने और हिन्दी में तर्जुमा करने का मुझ नाचीज़ को मौक़ा मिला है। इदारे के संस्थापक **जनाब मुहम्मद फ़रीद ख़ाँ मरहूम** से लेकर मौजूदा मालिक और मैनेजिंग डायरेक्टर **जनाब अल-हाज मुहम्मद नासिर ख़ाँ** तक सब ही की ख़ास इनायतें मुझ नाचीज़ पर रही हैं। मैंने इस इदारे के लिये बहुत सी किताबों का हिन्दी तर्जुमा किया है, हज़रत **मौलाना क़ारी मुहम्मद तैयब** साहिब मोहतमिम दारुल-उलूम देवबन्द की किताबों और मज़ामीन पर किया हुआ मेरा काम सात जिल्दों में इसी इदारे से प्रकाशित हुआ है, इसके अ़लावा **"मालूमात का समन्दर"** और **"तज़किरा अ़ल्लामा मुहम्मद इब्राहीम बलियावी"** वग़ैरह किताबें भी यहीं से शाया हुई हैं। जो किताबें मैंने उर्दू से हिन्दी में इस इदारे के लिये की हैं उनकी तायदाद भी पचास से अधिक है, इसी सिलसिले में एक और कड़ी यह जुड़ने जा रही है।

इस तफ़सीर को उर्दू से मिलती-जुलती हिन्दी भाषा (यानी हिन्दुस्तानी ज़बान) में पेश करने की कोशिश की गयी, हिन्दी के संस्कृत युक्त अलफ़ाज़ से परहेज़ किया गया है। कोशिश यह की है कि मजमूई तौर पर मज़मून का मफ़्हूम व मतलब समझ में आ जाये। फिर भी अगर कोई लफ़्ज़ या

किसी जगह का कोई मज़मून समझ में न आये तो उसको नोट करके किसी आ़लिम से मालूम कर लेना चाहिये।

तफ़सीर की यह छठी जिल्द आपके हाथों में है इन्शा-अल्लाह तआ़ला बाक़ी की जिल्दें भी बहुत जल्द आपकी ख़िदमत में पेश की जायेंगी। इस तफ़सीर की तैयारी में कितनी मेहनत से काम लिया गया है इसका कुछ अन्दाज़ा उसी वक़्त हो सकता है जबकि उर्दू तफ़सीर को सामने रखकर मुक़ाबला किया जाये। तब मालूम होगा कि पढ़ने वालों के लिये इसे कितना आसान करने की कोशिश की गयी है। अल्लाह तआ़ला हमारी इस मेहनत को क़ुबूल फ़रमाये और अपने बन्दों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाये आमीन।

इस तफ़सीर से फ़ायदा उठाने वालों से आ़जिज़ी और विनम्रता के साथ दरख़्वास्त है कि वे मुझ नाचीज़ के ईमान पर ख़ात्मे और दुनिया व आख़िरत में कामयाबी के लिये दुआ़ फ़रमायें। अल्लाह करीम इस ख़िदमत को मेरे माँ-बाप और उस्ताज़ों के लिये भी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाये, आमीन।

आख़िर में बहुत ही आ़जिज़ी के साथ अपनी कम-इल्मी और सलाहियत के अभाव का एतिराफ़ करते हुए यह अ़र्ज़ है कि बेऐब अल्लाह तआ़ला की ज़ात है। कोई भी इनसानी कोशिश ऐसी नहीं जिसके बारे में सौ फ़ीसद यक़ीन के साथ कहा जा सके कि उसके अन्दर कोई ख़ामी और कमी नहीं रह गयी है। मैंने भी यह एक मामूली कोशिश की है, अगर मुझे इसमें कोई कामयाबी मिली है तो यह महज़ अल्लाह तआ़ला का फ़ज़्ल व करम, उसके पाक नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़रिये लाये हुए पैग़ाम (क़ुरआन व हदीस) की रोशनी का फ़ैज़, अपनी मादरे इल्मी दारुल-उलूम देवबन्द की निस्बत और मेरे असातिज़ा हज़रात की मेहनत का फल है, मुझ नाचीज़ का इसमें कोई कमाल नहीं। हाँ इन इल्मी जवाहर-पारों को समेटने, तरतीब देने और पेश करने में जो ग़लती, ख़ामी और कोताही हुई हो वह यक़ीनन मेरी कम-इल्मी और नाक़िस सलाहियत के सबब है। अहले नज़र हज़रात से गुज़ारिश है कि अपनी राय, मश्विरों और नज़र में आने वाली ग़लतियों व कोताहियों से मुत्तला फ़रमायें ताकि आईन्दा किये जाने वाले इल्मी कामों में उनसे लाभ उठाया जा सके। वस्सलाम

(पहली और दूसरी जिल्द प्रकाशित होकर मुल्क में फैली तो अल्हम्दु लिल्लाह उसे क़द्र व पसन्दीदगी की निगाह से देखा गया। मुझ नाचीज़ का दिल बेहद ख़ुश हुआ कि मुल्क के कई शहरों से मुझे फ़ोन करके मेरी इस मेहनत को सराहा गया और मुबारकबाद दी गयी। मैं उन सभी हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ और अल्लाह करीम का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझ गुनाहगार को अपने कलाम की एक अदना ख़िदमत करने की तौफ़ीक़ बख़्शी, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, उसी करीम का एहसान व तौफ़ीक़ है।)

तालिबे दुआ़

मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी

79, महमूद नगर, गली नम्बर 6, मुज़फ़्फ़र नगर (उ. प्र.) 251001

15 नवम्बर 2013

फ़ोनः- 0131-2442408, 09456095608, 09012122788

E-mail: imranqasmialig@yahoo.com

एक अहम बात

क़ुरआन मजीद के मतन को अ़रबी के अ़लावा हिन्दी या किसी दूसरी भाषा के रस्मुलख़त (लिपि) में बदलने पर अक्सर उलेमा की राय इसके विरोध में है। कुछ उलेमा का ख़्याल है कि इस तरह करने से क़ुरआन मजीद के हर्फ़ों की अदायगी में तहरीफ़ (कमी-बेशी और रद्दोबदल) हो जाती है और उनको भय (डर) है कि जिस तरह इन्जील और तौरात तहरीफ़ का शिकार हो गईं वैसे ही ख़ुदा न करे इसका भी वही हाल हो। यह तो ख़ैर नामुम्किन है, इसकी हिफ़ाज़त का वायदा अल्लाह तआ़ला ने ख़ुद किया है और करोड़ों हाफ़िज़ों को क़ुरआन मजीद मुँह-ज़बानी याद है।

इस सिलसिले में नाचीज़ **मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी** (इस तफ़सीर का हिन्दी अनुवादक) अ़र्ज़ करता है कि हक़ीक़त यह है कि अ़रबी रस्मुलुख़त के अ़लावा दूसरी किसी भी भाषा में क़ुरआन मजीद को क़तई तौर पर सौ फ़ीसद सही नहीं पढ़ा जा सकता। इसलिए कि हर्फ़ों की बनावट के एतिबार से भी किसी दूसरी भाषा में यह गुंजाईश नहीं कि वह अ़रबी ज़बान के तमाम हुरूफ़ का मुतबादिल (विकल्प) पेश कर सके। फिर अगर किसी तरह कोई निशानी मुक़र्रर करके इस कमी को पूरा करने की कोशिश भी की जाए तो **'मख़ारिजे हुरूफ़'** यानी हुरूफ़ के निकालने का जो तरीक़ा, मक़ाम और इल्म है वह उस वैकल्पिक तरीक़े से हासिल नहीं किया जा सकता। जबकि यह सब को मालूम है कि सिर्फ़ अलफ़ाज़ के निकालने में फ़र्क़ होने से अ़रबी ज़बान में मायने बदल जाते हैं। इसलिये अ़रबी मतन की जो हिन्दी दी गयी है उसको सिर्फ़ यह समझें कि वह आपके अन्दर अ़रबी क़ुरआन पढ़ने का शौक़ पैदा करने के लिये है। तिलावत के लिये अ़रबी ही पढ़िये और उसी को सीखिये। वरना हो सकता है कि किसी जगह ग़लत उच्चारण के सबब पढ़ने में सवाब के बजाय अ़ज़ाब के हक़दार न बन जायें।

मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि जितना मुझसे हो सके इस तफ़सीर को आसान बनाऊँ मगर फिर भी बहुत से मक़ामात पर ऐसे इल्मी मज़ामीन आये हैं कि उनको पूरी तरह आसान नहीं किया जा सका, मगर ऐसी जगहें बहुत कम हैं, उनके सबब इस अहम और क़ीमती सरमाये से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। अगर कोई मक़ाम समझ में न आये तो उस पर निशान लगाकर बाद में किसी आ़लिम से मालूम कर लें। तफ़सीर पढ़ने के लिये यक्सूई और इत्मीनान का एक वक़्त मुक़र्रर करना चाहिये, चाहे वह थोड़ा सा ही हो। अगर इस लगन के साथ इसका मुताला जारी रखा जायेगा तो उम्मीद है कि आप इस क़ीमती

ख़ज़ाने से इल्म व मालूमात का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर सकेंगे। यह बात एक बार फिर अर्ज़ किये देता हूँ कि असल मतन को अ़रबी ही में पढ़िये तभी आप उसका किसी क़द्र हक़ अदा कर सकेंगे। यह ख़ालिक़े कायनात का कलाम है अगर इसको सीखने में थोड़ा वक़्त और पैसा भी ख़र्च हो जाये तो इस सौदे को सस्ता और लाभदायक समझिये। कल जब आख़िरत का आ़लम सामने होगा और क़ुरआन पाक पढ़ने वालों को इनामात व सम्मान से नवाज़ा जायेगा तो मालूम होगा कि अगर पूरी दुनिया की दौलत और तमाम उम्र ख़र्च करके भी इसको हासिल कर लिया जाता तो भी इसकी क़ीमत अदा न हो पाती।

हमने रुकूअ़, पाव, आधा, तीन पाव और सज्दे के निशानात मुक़र्रर किये हैं इनको ध्यान से देख लीजिये।

रुकूअ़	✿	पाव	❖
आधा	●	तीन पाव	▲
सज्दा	◎		

मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी (मुज़फ़्फ़र नगर उ. प्र.)

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

पेश-लफ़्ज़

वालिद माजिद हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी साहिब मद्द ज़िल्लुहुम की तफ़सीर **'मआरिफ़ुल्-क़ुरआन'** को अल्लाह तआला ने अवाम व ख़्वास में असाधारण मक़बूलियत अता फ़रमाई, और जिल्दे अव्वल का पहला संस्करण हाथों हाथ ख़त्म हो गया। दूसरे संस्करण की छपाई के वक़्त हज़रत मुसन्निफ़ मद्द ज़िल्लुहुम ने पहली जिल्द पर मुकम्मल तौर से दोबारा नज़र डाली और उसमें काफ़ी तरमीम व इज़ाफ़ा अ़मल में आया। इसी के साथ हज़रते वाला की इच्छा थी कि दूसरी बार छपने के वक़्त पहली जिल्द के शुरू में क़ुरआनी उलूम और उसूले तफ़सीर से मुताल्लिक़ एक मुख़्तसर मुक़द्दिमा भी तहरीर फ़रमायें, ताकि तफ़सीर के मुताले (अध्ययन) से पहले पढ़ने वाले हज़रात उन ज़रूरी मालूमात से लाभान्वित हो सकें, लेकिन लगातार बीमारी और कमज़ोरी की बिना पर हज़रत के लिये बज़ाते ख़ुद मुक़द्दिमे का लिखना और तैयार करना मुश्किल था, चुनाँचे हज़रते वाला ने यह ज़िम्मेदारी अहक़र के सुपुर्द फ़रमाई।

अहक़र ने हुक्म के पालन में और इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिये यह काम शुरू किया तो यह मुक़द्दिमा बहुत लम्बा हो गया, और क़ुरआनी उलूम के विषय पर ख़ास मुफ़स्सल किताब की सूरत बन गई। इस पूरी किताब को 'मआरिफ़ुल-क़ुरआन' के शुरू में बतौर मुक़द्दिमा शामिल करना मुश्किल था, इसलिये हज़रत वालिद साहिब के इशारे और राय से अहक़र ने इस मुफ़स्सल किताब का ख़ुलासा तैयार किया और सिर्फ़ वे चीज़ें बाक़ी रखीं जिनका मुताला तफ़सीर मआरिफ़ुल-क़ुरआन के मुताला करने वाले के लिये ज़रूरी था, और जो एक आ़म पाठक के लिये दिलचस्पी का सबब हो सकती थी। उस बड़े मज़मून का यह ख़ुलासा 'मआरिफ़ुल-क़ुरआन' पहली जिल्द के इस संस्करण में मुक़द्दिमे के तौर पर शामिल किया जा रहा है, अल्लाह तआला इसे मुसलमानों के लिये नाफ़े और मुफ़ीद (लाभदायक) बनाये और इस नाचीज़ के लिये आख़िरत का ज़ख़ीरा साबित हो।

इन विषयों पर तफ़सीली इल्मी मबाहिस (बहसें) अहक़र की उस विस्तृत और तफ़सीली किताब में मिल सकेंगे जो इन्शा-अल्लाह तआला जल्द ही एक मुस्तक़िल किताब की सूरत में प्रकाशित होगी (अब यह किताब 'उलूमुल-क़ुरआन' के नाम से प्रकाशित हो चुकी है)। लिहाज़ा जो हज़रात तहक़ीक़ और तफ़सील के तालिब हों वे उस किताब की तरफ़ रुजू फ़रमायें। व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, अ़लैहि तवक्कल्तु व इलैहि उनीब।

अहक़र

मुहम्मद तक़ी उस्मानी

दारुल-उलूम कोरंगी, कराची- 14

23 रबीउल-अव्वल 1394 हिजरी

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर के बारे में एक ज़रूरी तंबीह

"मआ़रिफ़ुल-क़ुरआन" में ख़ुलासा-ए-तफ़सीर सय्यिदी हकीमुल-उम्मत हज़रत थानवी क़ुद्दि-स सिर्रुहू की तफ़सीर "बयानुल-क़ुरआन" से जूँ-का-तूँ लिया गया है। लेकिन उसके कुछ मौक़ों में ख़ालिस इल्मी इस्तिलाहात आई हैं जिनका समझना अ़वाम के लिये मुश्किल है, नाचीज़ ने अ़वाम की रियायत करते हुए ऐसे अलफ़ाज़ को आसान करके लिख दिया है, और जो मज़मून ख़ालिस इल्मी था उसको "मआ़रिफ़ व मसाईल" के उनवान में लेकर आसान अन्दाज़ में लिख दिया है। वल्लाहुल्-मुस्तआ़न।

बन्दा मुहम्मद शफ़ी

मुख़्तसर विषय-सूची

मआ़रिफ़ुल-क़ुरआन जिल्द नम्बर (6)

मज़मून	पेज

मज़मून	पेज

मज़मून	पेज

	मज़मून	पेज
✪	ऐसी कारीगरी जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे मतलूब और अम्बिया का अ़मल है	261
✪	हज़रत सुलैमान अ़लैहि. के लिये हवा को ताबे करना और उससे संबन्धित मसाईल	262
✪	सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के लिये जिन्नात व शैतानों का ताबे होना	263
✪	एक लतीफ़ा	264
✪	आयत नम्बर 83-84 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	265
✪	मआ़रिफ़ व मसाईल	265
✪	हज़रत अय्यूब अ़लैहिस्सलाम का क़िस्सा	265
✪	हज़रत अय्यूब अ़लैहिस्सलाम की दुआ़ सब्र के ख़िलाफ़ नहीं	266
✪	आयत नम्बर 85-86 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	268
✪	मआ़रिफ़ व मसाईल	268
✪	हज़रत ज़ुल्किफ़्ल नबी थे या वली और उनका अ़जीब क़िस्सा	268
✪	आयत नम्बर 87-88 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	271
✪	मआ़रिफ़ व मसाईल	272
✪	हज़रत यूनुस अ़लैहिस्सलाम का क़िस्सा	272
✪	यूनुस अ़लैहि. की दुआ़ हर शख़्स के लिये हर ज़माने में हर मक़सद के लिये मक़बूल है	275
✪	आयत नम्बर 89-90 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	276
✪	मआ़रिफ़ व मसाईल	276
✪	आयत नम्बर 91 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	277
✪	इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध	279
✪	आयत नम्बर 92-105 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	279
✪	मआ़रिफ़ व मसाईल	281
✪	आयत नम्बर 106-112 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	286
✪	मआ़रिफ़ व मसाईल	287
	सूरः हज	**288**
✪	आयत नम्बर 1-2 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	288
✪	मआ़रिफ़ व मसाईल	289
✪	इस सूरत की विशेषतायें	289
✪	क़ियामत का ज़लज़ला कब होगा?	290
✪	आयत नम्बर 3-10 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	292
✪	मआ़रिफ़ व मसाईल	294

मज़मून	पेज

मज़मून	पेज
✪ मआरिफ़ व मसाईल	406
✪ मेहशर में मोमिनों और काफ़िरों के हालात में फ़र्क़	407
✪ आमाल के वज़न करने की कैफ़ियत	409
✪ आयत नम्बर 116-118 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	411
✪ मआरिफ़ व मसाईल	411
सूरः नूर	**413**
✪ सूरः नूर की कुछ विशेषतायें	413
✪ आयत नम्बर 1-2 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	414
✪ मआरिफ़ व मसाईल	414
✪ ज़िना एक बड़ा जुर्म और बहुत से अपराधों का मजमूआ है इसलिये इस्लाम में इसकी सज़ा भी सबसे बड़ी रखी गयी है	415
✪ सौ कोड़ों की उक्त सज़ा सिर्फ़ ग़ैर-शादीशुदा मर्द और औरत के लिये ख़ास है, शादीशुदा लोगों की सज़ा संगसारी है	417
✪ एक ज़रूरी तंबीह	421
✪ ज़िना की सज़ा में सिलसिलेवार तीन दर्जे	422
✪ इस्लामी क़ानून में जिस जुर्म की सज़ा सख़्त है उसके सुबूत के लिये शर्तें भी सख़्त रखी गयी हैं	422
✪ किसी मर्द या जानवर के साथ कुकर्म का मसला	423
✪ इस्लाम में बुराईयों की पर्दापोशी	423
✪ आयत नम्बर 3 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	424
✪ मआरिफ़ व मसाईल	424
✪ ज़िना के बारे में दूसरा हुक्म	424
✪ आयत नम्बर 4-5 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	427
✪ मआरिफ़ व मसाईल	428
✪ ज़िना के मुताल्लिक़ तीसरा हुक्म झूठी तोहमत का जुर्म होना और उसकी शरई सज़ा	428
✪ एक शुब्हा और उसका जवाब	428
✪ मुह्सनात कौन हैं?	428
✪ आयत नम्बर 6-10 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	431
✪ मआरिफ़ व मसाईल	432
✪ ज़िना से संबन्धित चीज़ों में चौथा हुक्म लिआ़न का है	432

मज़मून	पेज

मज़मून	पेज

मज़मून	पेज

मज़मून	पेज
पारा 19 (व क़ालल्लज़ी-न)	**557**

मज़मून	पेज
सूरः शु-अ़रा	**609**

मज़मून	पेज

मज़मून	पेज

मज़मून	पेज

मज़मून	पेज

मज़मून	पेज

मज़मून	पेज

✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪

* सूरः मरियम *

यह सूरत मक्की है। इसमें 98 आयतें
और 6 रुकूअ़ हैं।

सूरः मरियम

सूरः मरियम मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 98 आयतें और 6 रुकूअ़ हैं।

اٰیَاتُهَا ۹۸ (۱۹) سُوْرَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ (۴۴) رُكُوْعَاتُهَا ۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كٓهٰيٰعٓصٓ ۝ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ۝ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝ وَاِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَآءِيْ وَكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۝ يَّرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝ يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ اسْمُهٗ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝ قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝ قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۝ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝ فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ۝ يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۝ وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً وَكَانَ تَقِيًّا ۝ وَّبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝ وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۝ ع ۵

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

काफ़्-हा-या-ऐ़न्-सॉद् (1) ज़िक्रु रह्मति रब्बि-क अ़ब्दहू ज़-करिय्या (2) इज़् नादा रब्बहू निदाअन् ख़फ़िय्या (3) क़ा-ल रब्बि इन्नी व-हनल्-अ़ज़्मु मिन्नी वश्त-अ़लर्रअ्सु शैबंव्-व लम् अकुम्-बिदुआइ-क रब्बि शक़िय्या (4) व इन्नी ख़िफ़्तुल्-

काफ़-हा-या-ऐ़न-सॉद! (1) यह बयान है तेरे रब की रहमत का अपने बन्दे ज़करिया पर। (2) जब पुकारा उसने अपने रब को छुपी आवाज़ से। (3) बोला ऐ मेरे रब बूढ़ी हो गईं मेरी हड्डियाँ और शोला निकला सर से बुढ़ापे का और तुझसे माँगकर ऐ रब मैं कभी मेहरूम नहीं रहा। (4) और मैं डरता हूँ भाई-बन्दों से अपने

मवालि-य मिंव्वराई व कानतिम्र-अती आ़क़िरन् फ़-हब् ली मिल्लदुन्-क वलिय्या (5) यरिसुनी व यरिसु मिन् आलि यअ़्क़ू-ब, वज्अ़ल्हु रब्बि रज़िय्या (6) या ज़-करिय्या इन्ना नुबश्शिरु-क बिग़ुलामि-निस्मुहू यह्या लम् नज्अ़ल्-लहू मिन् क़ब्लु समिय्या (7) क़ा-ल रब्बि अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुंव्-व कानतिम्र-अती आ़क़िरंव्-व क़द् बलग़्तु मिनल्-कि-बरि अ़ितिय्या (8) क़ा-ल कज़ालि-क क़ा-ल रब्बु-क हु-व अ़लय्-य हय्यिनुंव्-व क़द् ख़लक़्तु-क मिन् क़ब्लु व लम् तकु शैआ (9) क़ा-ल रब्बिज्अ़ल्-ली आयतन्, क़ा-ल आ-यतु-क अल्ला तुकल्लिमन्ना-स सला-स लयालिन् सविय्या (10) फ़-ख़-र-ज अ़ला क़ौमिही मिनल्-मिह्राबि फ़औहा इलैहिम् अन् सब्बिहू बुक्रतंव्-व अ़शिय्या (11) या यह्या ख़ुज़िल्-किता-ब बिक़ुव्वतिन्, व आतैनाहुल्हुक्-म सबिय्या (12) व हनानम्-मिल्लदुन्ना व ज़कातन्, व का-न तक़िय्या (13) व बर्रम्-

पीछे और औ़रत मेरी बाँझ है, सो बख़्श तू मुझको अपने पास से एक काम उठाने वाला (5) जो मेरी जगह बैठे और याक़ूब की औलाद की, और कर उसको ऐ रब मन मानता। (6) ऐ ज़करिया! हम तुझको ख़ुशख़बरी सुनाते हैं एक लड़के की जिसका नाम है यहया, नहीं किया हमने पहले इस नाम का कोई। (7) बोला ऐ रब! कहाँ से होगा मुझको लड़का और मेरी औ़रत बाँझ है और मैं बूढ़ा हो गया यहाँ तक कि अकड़ गया। (8) कहा यूँही होगा फ़रमा दिया तेरे रब ने वह मुझ पर आसान है, और तुझको पैदा किया मैंने पहले से और न था तू कोई चीज़। (9) बोला ऐ रब! ठहरा दे मेरे लिये कोई निशानी, फ़रमाया तेरी निशानी यह है कि बात न करे तू लोगों से तीन रात तक सही तन्दुरुस्त। (10) फिर निकला अपने लोगों के पास हुजरे से तो इशारे से कहा उनको कि याद करो सुबह और शाम। (11) ऐ यहया! उठा ले किताब ज़ोर से और दिया हमने उसको हुक्म करना लड़कपन में। (12) और शौक़ दिया अपनी तरफ़ से और सुथराई और था परहेज़गार (13) और नेकी करने वाला

-बिवालिदैहि व लम् यकुन् जब्बारन् अ़सिय्या (14) व सलामुन् अ़लैहि यौ-म वुलि-द व यौ-म यमूतु व यौ-म युब्अ़सु हय्या (15) ✿	अपने माँ-बाप से और न था ज़बरदस्त ख़ुदसर। (14) और सलाम है उस पर जिस दिन पैदा हुआ और जिस दिन मरे और जिस दिन उठ खड़ा हो ज़िन्दा होकर। (15) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

काफ़-हा-या-ऐ़न-सॉद (इसके मायने तो अल्लाह ही को मालूम हैं)। यह (जो आगे क़िस्सा आता है) तज़किरा है आपके परवर्दिगार के मेहरबानी फ़रमाने का अपने (मक़बूल) बन्दे (हज़रत) ज़करिया (अ़लैहिस्सलाम के हाल) पर। जबकि उन्होंने अपने परवर्दिगार को पोशीदा तौर पर पुकारा (जिसमें यह) अ़र्ज़ किया कि ऐ मेरे परवर्दिगार! मेरी हड्डियाँ (बुढ़ापे की वजह से) कमज़ोर हो गईं और (मेरे) सर में बालों की सफ़ेदी फैल गई (यानी तमाम बाल सफ़ेद हो गये, और इस हालत का तक़ाज़ा यह है कि मैं इस हालत में औलाद की दरख़्वास्त न करूँ मगर चूँकि आपकी क़ुदरत व रहमत बड़ी कामिल है) और (मैं उस क़ुदरत व रहमत के ज़हूर का आ़दी हमेशा रहा हूँ चुनाँचे इससे पहले कभी) आपसे (कोई चीज़) माँगने में ऐ मेरे रब मैं नाकाम नहीं रहा हूँ (इस बिना पर दूर से दूर की चीज़ भी तलब करने में हर्ज नहीं) और (इस तलब का ख़ास सबब यह हो गया है कि) मैं अपने (मरने के) बाद (अपने) रिश्तेदारों (की तरफ़) से (यह) अन्देशा रखता हूँ (कि मेरी मर्ज़ी के मुवाफ़िक़ शरीअ़त और दीन की ख़िदमत न बजा लाएँगे। यह मुख्य सबब है औलाद के तलब करने का जिसमें ख़ास-ख़ास गुण और सिफ़तें पाई जायें जिनसे उम्मीद है उनके ज़रिये दीन की ख़िदमत हो) और (चूँकि मेरे बुढ़ापे के साथ-साथ) मेरी बीवी (भी) बाँझ है (जिसके सबब सही व तन्दुरुस्त होने के बावजूद कभी औलाद ही नहीं हुई इसलिए औलाद होने के ज़ाहिरी असबाब भी मौजूद नहीं) सो (इस सूरत में) आप मुझको ख़ास अपने पास से (यानी बिना ज़ाहिरी और आ़दी असबाब के) एक ऐसा वारिस (यानी बेटा) दे दीजिए कि वह (मेरे ख़ास उलूम में) मेरा वारिस बने, और (मेरे दादा) याक़ूब (अ़लैहिस्सलाम) के ख़ानदान (के विरासत में चले आ रहे उलूम में उन) का वारिस बने, (यानी पहले और बाद के उलूम उसको हासिल हों) और (बा-अ़मल होने के सबब) उसको ऐ मेरे रब! (अपना) पसन्दीदा (व मक़बूल) बनाईये (यानी आ़लिम भी हो और आ़मिल भी हो)।

(हक़ तआ़ला ने फ़रिश्तों के माध्यम से इरशाद फ़रमाया कि) ऐ ज़करिया! हम तुमको एक बेटे की ख़ुशख़बरी देते हैं जिसका नाम यहया होगा कि इससे पहले (ख़ास सिफ़तों और ख़ूबियों में) हमने किसी को उस जैसी सिफ़त वाला न बनाया होगा (यानी जिस इल्म व अ़मल की तुम दुआ़ करते हो वह तो उस बेटे को ज़रूर ही अ़ता करेंगे और इसके अ़लावा कुछ अतिरिक्त ख़ास सिफ़तें भी इनायत की जायेंगी, मसलन अल्लाह के ख़ौफ़ से ख़ास दर्जे की दिली नर्मी वग़ैरह। चूँकि दुआ़ की इस क़ुबूलियत में बेटा हासिल होने की कोई ख़ास कैफ़ियत न बतलाई गई थी इसलिये उसको मालूम करने

के लिये) ज़करिया (अ़लैहिस्सलाम) ने अ़र्ज़ किया कि ऐ मेरे रब! मेरे औलाद किस तरह पर होगी, हालाँकि मेरी बीवी बाँझ है और (इधर) मैं बुढ़ापे के आख़िरी दर्जे को पहुँच चुका हूँ (पस मालूम नहीं कि हम जवान होंगे या मुझको दूसरा निकाह करना होगा या मौजूदा हालत ही में औलाद होगी)। इरशाद हुआ कि (मौजूदा हालत) यूँ ही रहेगी (और फिर औलाद होगी। ऐ ज़करिया!) तुम्हारे रब का क़ौल है कि यह (बात) मुझको आसान है और (यह क्या इससे बड़ा काम कर चुका हूँ मसलन) मैंने तुमको (ही) पैदा किया हालाँकि (पैदाईश से पहले) तुम कुछ भी न थे। (इसी तरह ख़ुद आ़दी असबाब भी कोई चीज़ न थे, जब नापैद को पैदा और मौजूद करना आसान है तो एक मौजूद से दूसरा मौजूद कर देना क्या मुश्किल है। यह सब इरशाद उम्मीद को ताक़त व मज़बूती देने के लिये न कि शुब्हे को दूर करने के लिये, क्योंकि ज़करिया अ़लैहिस्सलाम को कोई शुब्हा न था। जब) ज़करिया (अ़लैहिस्सलाम को प्रबल उम्मीद हो गई तो उन्होंने) अ़र्ज़ किया कि ऐ मेरे रब! (वादे पर तो इत्मीनान हो गया अब इस वादे के ज़ाहिर होने यानी गर्भ की भी) कोई निशानी मेरे लिए मुक़र्रर फ़रमा दीजिये (ताकि ज़्यादा शुक्र करूँ और ख़ुद वाक़े होना तो ज़ाहिरी तौर पर महसूस होने वाली चीज़ों ही में से है)। इरशाद हुआ कि तुम्हारी (वह) निशानी यह है कि तुम तीन रात (और तीन दिन तक) आदमियों से बात (चीत) न कर सकोगे, हालाँकि तन्दुरुस्त होगे (कोई बीमारी वग़ैरह न होगी और इसी वजह से अल्लाह के ज़िक्र के साथ कलाम करने पर क़ुदरत रहेगी, चुनाँचे अल्लाह तआ़ला के हुक्म से ज़करिया अ़लैहिस्सलाम की बीवी गर्भवती हुई और अल्लाह के ख़बर देने के मुताबिक़ ज़करिया अ़लैहिस्सलाम की ज़बान बन्द हो गई) पस हुजरे में से अपनी क़ौम के पास निकले और उनको इशारे से फ़रमाया (क्योंकि ज़बान से तो बोल न सकते थे) कि तुम लोग सुबह और शाम अल्लाह की पाकी बयान किया करो (यह तस्बीह और तस्बीह का हुक्म या तो आ़दत के अनुसार था, याद दिलाने के लिये हमेशा ज़बान से कहते थे आज इशारे से कहा, या इस नई नेमत के शुक्र में ख़ुद भी तस्बीह की कसरत फ़रमाई और औरों को भी इसी तरह का हुक्म फ़रमाया)।

(ग़र्ज़ कि फिर यहया अ़लैहिस्सलाम पैदा हुए और समझ व शऊर की उम्र को पहुँचे तो उनको हुक्म हुआ कि) ऐ यहया! किताब को (यानी तौरात को कि उस वक़्त वही शरीअ़त की किताब थी और इंजील का नुज़ूल बाद में हुआ) मज़बूत होकर लो, (यानी ख़ास कोशिश के साथ अ़मल करो) और हमने उनको (उनके) लड़कपन ही में (दीन की) समझ और ख़ास अपने पास से दिल (की नर्मी) और (अख़्लाक़ की) पाकीज़गी अ़ता फ़रमाई थी (लफ़्ज़ हुक्म में इल्म की तरफ़ और हनान और ज़कात में अख़्लाक़ की तरफ़ इशारा हो गया) और (आगे ज़ाहिरी आमाल की तरफ़ इशारा फ़रमाया कि) वह बड़े परहेज़गार थे और अपने माँ-बाप के ख़िदमतगुज़ार थे, (इसमें अल्लाह और बन्दों दोनों के हुक़ूक़ की तरफ़ इशारा हो गया) और वह (मख़्लूक़ के साथ) सरकशी करने वाले (या हक़ तआ़ला की) नाफ़रमानी करने वाले न थे, और (अल्लाह के यहाँ ऐसे रुतबे व सम्मान वाले थे कि उनके बारे में अल्लाह की तरफ़ से यह इरशाद होता है कि) उनको (अल्लाह तआ़ला का) सलाम पहुँचे जिस दिन कि वह पैदा हुए, और जिस दिन कि वह इन्तिक़ाल करेंगे, और जिस दिन (क़ियामत में) ज़िन्दा होकर उठाये जाएँगे।

मआरिफ़ व मसाईल

सूरः कहफ़ के बाद सूरः मरियम शायद इस मुनासबत से रखी गयी कि जैसे सूरः कहफ़ बहुत से अजीब वाक़िआत पर मुश्तमिल थी इसी तरह सूरः मरियम भी ऐसे अनोखे वाक़िआत पर मुश्तमिल है। (तफ़सीर रूहुल-मआनी)

'काफ़ हा या ऐन सॉद' हुरूफ़े मुक़त्तआ और मुतशाबिहात में से है जिसका इल्म अल्लाह तआला ही को है, बन्दों के लिये इसकी तफ़तीश भी अच्छी नहीं।

نِدَآءً خَفِيًّا.

इससे मालूम हुआ कि दुआ का आहिस्ता और ख़ुफ़िया करना अफ़ज़ल है। हज़रत इब्ने अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

ان خير الذكر الخفى وخير الرزق مايكفى.

यानी बेहतरीन ज़िक्र ज़िक्रे-ख़फ़ी (आहिस्ता) है और बेहतरीन रिज़्क़ वह है जो काफ़ी हो जाये (ज़रूरत से न घटे न बढ़े)। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا.

कमज़ोरी हड्डियों की ज़िक्र फ़रमाई क्योंकि वही बदन का सुतून हैं, जब हड्डी ही कमज़ोर हो जाये तो सारे बदन की कमज़ोरी है। इश्तिआल के लफ़्ज़ी मायने भड़क उठने के हैं, इस जगह बालों की सफ़ेदी को आग की रोशनी से तश्बीह देकर उसका पूरे सर पर फैल जाना मक़सूद है।

दुआ में अपने ज़रूरत मन्द होने का इज़हार मुस्तहब है

इस जगह दुआ से पहले हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपनी कमज़ोरी का ज़िक्र किया, इसकी एक वजह तो वह है जिसकी तरफ़ ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में इशारा किया गया है कि इन हालात का तक़ाज़ा व चाहत यह थी कि औलाद की इच्छा न करूँ। एक दूसरी वजह इमाम क़ुर्तुबी ने तफ़सीर में यह भी बयान फ़रमाई कि दुआ माँगने के वक़्त अपनी कमज़ोरी व बदहाली और ज़रूरत मन्द होने का ज़िक्र करना दुआ के क़ुबूल करने में ज़्यादा मददगार है, इसी लिये उलेमा ने फ़रमाया कि इनसान को चाहिये कि दुआ करने से पहले अल्लाह तआला की नेमतों और अपनी हाजतमन्दी का ज़िक्र करे।

'मवालि-य' मौला की जमा (बहुवचन) है। अरबी भाषा में यह लफ़्ज़ बहुत से मायने के लिये इस्तेमाल होता है, उनमें से एक मायने चचाज़ाद भाई और अपने असबात (बाप की तरफ़ के रिश्तेदार) के भी आते हैं, इस जगह वही मुराद है।

अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के माल में विरासत नहीं चलती

يَّرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ.

उलेमा की अक्सरियत सर्वसम्मति से मानती है कि इस जगह विरासत से माल की विरासत मुराद

नहीं, क्योंकि अव्वल तो हज़रत ज़करिया के पास कोई बड़ी दौलत होना साबित नहीं जिसकी फ़िक्र हो कि इसका वारिस कौन होगा, और एक पैग़म्बर की शान से भी ऐसी फ़िक्र करना दूर की और मुहाल बात है, इसके अ़लावा सही हदीस जिस पर सहाबा-ए-किराम का एकमत होना साबित है उसमें है:

ان العلمآء ورثة الانبيا وانّ الانبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر.

(رواه احمد وابوداؤد وابن ماجه والترمذی)

"बेशक उलेमा वारिस हैं अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के, क्योंकि अम्बिया दीनार व दिरहम की विरासत नहीं छोड़ते बल्कि उनकी विरासत इल्म होता है, जिसने इल्म हासिल कर लिया उसने बड़ी दौलत हासिल कर ली।"

यह हदीस शियाओं की किताबों— काफ़ी, कलीनी वग़ैरह में भी मौजूद है, और सही बुख़ारी में हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

لا نورث وما ترکنا صدقة.

"हम अम्बिया की माली विरासत किसी को नहीं मिलती, हम जो माल छोड़ें वह सब सदक़ा है।"

और ख़ुद इस आयत में 'यरिसुनी' के बाद 'व यरिसु मिन् आलि यअ़क़ू-ब' का इज़ाफ़ा इसकी दलील है कि माली विरासत मुराद नहीं, क्योंकि जिस लड़के की पैदाईश की दुआ़ की जा रही है उसका याक़ूब की औलाद के लिये माली वारिस बनना बज़ाहिरे हाल मुम्किन नहीं, क्योंकि याक़ूब की आल के वारिस उनके क़रीबी अ़सबात होंगे और वही 'भाई-बन्धु' हैं जिनका ज़िक्र इस आयत में किया गया, वह बिला शुब्हा नज़दीक और अ़सबा होने में हज़रत यहया अ़लैहिस्सलाम से ज़्यादा क़रीब हैं, क़रीब वाले के होते हुए दूर के अ़सबा को विरासत मिलना विरासत के उसूल के ख़िलाफ़ है।

तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में शियाओं की किताबों से यह भी नक़ल किया है:

روی الکلینی فی الکافی عن ابی البختری عن ابی عبدالله قال ان سلیمان ورث داؤد وان محمدًا صلی الله علیه وسلم ورث سلیمان.

"सुलैमान अ़लैहिस्सलाम दाऊद अ़लैहिस्सलाम के वारिस हुए और मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के वारिस हुए।"

यह ज़ाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की माली विरासत मिलने का कोई शुब्हा व संभावना ही नहीं, इससे मुराद नुबुव्वत के उलूम की विरासत है। इससे पता लगा कि 'वरि-स सुलैमा-न दावू-द' में भी माली विरासत मुराद नहीं।

لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا○

लफ़्ज़ समी के मायने हमनाम के भी आते हैं और किसी के जैसा होने के भी। इस जगह अगर पहले मायने मुराद लिये जायें तो मतलब स्पष्ट है कि उनसे पहले 'यहया' नाम किसी शख़्स का नहीं हुआ था, यह नाम में अकेला और तन्हा होना और इम्तियाज़ भी कुछ ख़ास सिफ़ात में उनके तन्हा

और बेमिस्ल होने की तरफ़ इशारा कर रहा था, इसलिये इसको उनकी ख़ास सिफ़त में ज़िक्र किया गया। और अगर दूसरे मायने मुराद लिये जायें तो मतलब यह होगा कि कुछ ख़ास सिफ़ात और हालात उनके ऐसे हैं जो पिछले नबियों में से किसी में न थे, उन विशेष सिफ़ात में वह बेमिस्ल थे। मसलन उनका 'हसूर' होना वग़ैरह, इसलिये इससे यह लाज़िम नहीं आता कि यहया अलैहिस्सलाम पिछले सारे नबियों से मुतलक़ तौर पर अफ़ज़ल हों, क्योंकि उनमें हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह और हज़रत मूसा कलीमुल्लाह का उनसे अफ़ज़ल होना माना हुआ और परिचित है। (तफ़सीरे मज़हरी)

'इतिय्या' अ़तू से निकला है जिसके असली मायने असर क़ुबूल न करना है। मुराद इससे हड्डियों का ख़ुश्क हो जाना है। 'सविय्या' के मायने तन्दुरुस्त के हैं, यह लफ़्ज़ इसलिये बढ़ाया गया कि ज़करिया अ़लैहिस्सलाम पर इस हालत का तारी होना कि किसी इनसान से बात न कर सकें किसी बीमारी की वजह से नहीं था और इसी वजह से ज़िक्रुल्लाह और इबादत में उनकी ज़बान उन तीनों दिनों में बराबर खुली हुई थी, बल्कि यह हालत एक मोजिज़े के तौर पर और गर्भ ठहरने की निशानी मालूम होने के लिये उन पर तारी की गयी थी। 'हनानन्' इस लफ़्ज़ के लुग़वी मायने दिल के नर्म होने और रहमत व शफ़क़त के हैं जो हज़रत यहया अ़लैहिस्सलाम को विशेष तौर पर दी गयी थी।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ إِذِ انْتَبَذَتْ

مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۙ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۗ فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۔ قَالَتْ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝ قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ۝ قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا ۝ قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهٗٓ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝

वज़्कुर् फ़िल्किताबि मर्य-म। इज़िन्त-बज़त् मिन् अह्लिहा मकानन् शर्क़िय्या (16) फ़त्त-ख़ज़त् मिन् दूनिहिम् हिजाबन्, फ़-अर्सल्ना इलैहा रू-हना फ़-तमस्स-ल लहा ब-शरन् सविय्या (17) क़ालत् इन्नी अऊज़ु बिर्रह्मानि मिन्-क इन् कुन्-त तक़िय्या (18) क़ा-ल इन्नमा अ-न रसूलु रब्बिकि लि-अ-ह-ब लकि	और ज़िक्र बयान कर किताब में मरियम का जब जुदा हुई अपने लोगों से एक पूर्वी मकान में। (16) फिर पकड़ लिया उनसे वरे एक पर्दा, फिर भेजा हमने उसके पास अपना फ़रिश्ता, फिर बनकर आया उसके आगे पूरा आदमी। (17) बोली मुझको रहमान की पनाह तुझसे अगर है तू डर रखने वाला। (18) बोला मैं तो भेजा हुआ हूँ तेरे रब का कि दे जाऊँ तुझको

ग़ुलामन् ज़किय्या (19) कालत् अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुंव्-व लम् यम्सस्नी ब-शरुंव्-व लम् अकु बग़िय्या (20) ❖ का-ल कज़ालिकि का-ल रब्बुकि हु-व अ़लय्-य हय्यिनुन् व लिनज्अ़-लहू आयतल्-लिन्नासि व रह्मतम्-मिन्ना व का-न अम्रम्-मक़्ज़िय्या (21)	एक लड़का सुथरा। (19) बोली कहाँ से होगा मेरे लड़का और छुआ नहीं मुझको आदमी ने, और मैं बदकार कभी नहीं थी। (20) ❖ बोला यूँ ही है फ़रमा दिया तेरे रब ने वह मुझ पर आसान है, और उसको हम करना चाहते हैं लोगों के लिये निशानी और मेहरबानी अपनी तरफ़ से, और यह काम मुक़र्रर हो चुका है। (21)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम!) इस किताब (यानी क़ुरआन के इस ख़ास हिस्से यानी सूरत) में (हज़रत) मरियम (अ़लैहस्सलाम) का क़िस्सा भी ज़िक्र कीजिए (कि वह ज़करिया अ़लैहिस्सलाम के ऊपर बयान हुए क़िस्से से ख़ास मुनासबत रखता है और वह उस वक़्त ज़ाहिर हुआ) जबकि वह अपने घर वालों से अलग (होकर) एक ऐसे मकान में जो पूरब की तरफ़ था (नहाने के लिए) गईं। फिर उन (घर वाले) लोगों के सामने उन्होंने (बीच में) पर्दा डाल लिया (ताकि उसकी आड़ में ग़ुस्ल कर सकें) पस (इस हालत में) हमने उनके पास अपने फ़रिश्ते (जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम) को भेजा, और वह (फ़रिश्ता) उनके सामने (हाथ-पाँव और सूरत व शक्ल में) एक पूरा आदमी बनकर ज़ाहिर हुआ। (चूँकि हज़रत मरियम ने उसको इनसान समझा इसलिए घबराकर) कहने लगीं कि मैं तुझसे (अपने ख़ुदा-ए-) रहमान की पनाह माँगती हूँ अगर तू (कुछ) ख़ुदा से डरने वाला है (तो यहाँ से हट जायेगा)। फ़रिश्ते ने कहा कि (मैं बशर नहीं कि तुम मुझसे डरती हो बल्कि) मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ (फ़रिश्ता) हूँ (इसलिए आया हूँ) ताकि तुमको एक पाकीज़ा लड़का दूँ (यानी तुम्हारे मुँह में या गिरेबान में दम कर दूँ जिसके असर से अल्लाह के हुक्म से हमल रह जाये और लड़का पैदा हो) वह (ताज्जुब से) कहने लगीं (न कि इनकार से) कि (भला) मेरे लड़का किस तरह हो जाएगा हालाँकि (उसकी आ़दी शर्तों में से मर्द के साथ निकटता है और वह बिल्कुल है नहीं, क्योंकि) मुझको किसी इनसान ने हाथ तक नहीं लगाया (यानी न तो निकाह हुआ) और न मैं बदकार हूँ।

फ़रिश्ते ने कहा कि (बस बग़ैर किसी बशर के छूने के) यूँ ही (लड़का) हो जाएगा (और मैं अपनी तरफ़ से नहीं कहता बल्कि) तुम्हारे रब ने इरशाद फ़रमाया है कि यह बात (कि बग़ैर आ़दी असबाब के बच्चा पैदा कर दूँ) मुझको आसान है, और (यह भी फ़रमाया है कि हम बग़ैर आ़दी असबाब के) इस ख़ास तरीक़े पर इसलिये पैदा करेंगे ताकि हम उस (लड़के) को लोगों के लिये

(क़ुदरत की) एक निशानी बनाएँ और (साथ ही उसके ज़रिये लोगों को हिदायत पाने के लिये) उसको रहमत का सबब बनाएँ, और यह (बिना बाप के इस बच्चे का पैदा होना) एक तयशुदा बात है (जो ज़रूर होकर रहेगी)।

मआरिफ़ व मसाईल

'इन्त-बज़त्' 'न-ब-ज़' से निकला है जिसके असली मायने दूर डालने और फेंकने के हैं। 'इन्तिबाज़' के मायने मजमे से हटकर दूर चले जाने के हुए।

'मकानन् शरक़िय्या' यानी घर के अन्दर पूरब की तरफ़ के किसी कोने में चली गयीं। उनका एक तरफ़ जाना किस ग़र्ज़ के लिये था, इसमें अनेक संभावनायें और अक़वाल हैं, कुछ हज़रात ने कहा कि गुस्ल करने के लिये उस कोने में गयी थीं, कुछ ने कहा कि आदत के अनुसार अल्लाह की इबादत में मशग़ूल होने के लिये मेहराब की पूर्वी तरफ़ के किसी कोने को इख़्तियार किया था। इमाम क़ुर्तुबी ने इसी दूसरी राय और संभावना को ज़्यादा उम्दा और बेहतर क़रार दिया है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मन्क़ूल है कि ईसाईयों ने जो पूर्वी रुख़ को अपना क़िब्ला बनाया और इस दिशा व रुख़ का सम्मान करते हैं इसकी वजह यही है।

فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا.

'रूह' से मुराद अक्सर हज़रात और बड़ी जमाअ़त के नज़दीक हज़रत जिब्रील अ़लैहिस्सलाम हैं। और कुछ हज़रात ने कहा कि ख़ुद हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम मुराद हैं, अल्लाह तआ़ला ने उनके बतन (पेट) से पैदा होने वाले बशर की शबीह (शक्ल व सूरत) उनके सामने कर दी। मगर पहला क़ौल ज़्यादा सही है, बाद के कलिमात से इसकी ताईद होती है।

فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ٥

फ़रिश्ते को उसकी अपनी असली सूरत व हालत में देखना इनसान के लिये आसान नहीं, उसकी हैबत ग़ालिब आ जाती है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को ग़ार-ए-हिरा में और बाद में पेश आया। इस मस्लेहत से जिब्रीले अमीन हज़रत मरियम अ़लैहस्सलाम के सामने इनसानी शक्ल में ज़ाहिर हुए। जब हज़रत मरियम ने एक इनसान को अपने क़रीब देखा जो पर्दे के अन्दर आ गया तो ख़तरा हुआ कि इसका इरादा बुरा मालूम होता है इसलिये फ़रमायाः

اِنِّیْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ.

(मैं अल्लाह रहमान की पनाह माँगती हूँ तुझसे) कुछ रिवायतों में है कि जिब्रीले अमीन ने यह कलिमा सुना तो अल्लाह के नाम की ताज़ीम के लिये कुछ पीछे हट गये।

اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ٥

(अगर तू कुछ ख़ुदा से डरने वाला है) यह कलिमा ऐसा है जैसे कोई शख़्स किसी ज़ालिम से मजबूर होकर फ़रियाद करे कि अगर तू मोमिन है तो मुझ पर ज़ुल्म न कर, तेरा ईमान इस ज़ुल्म से

रोकने के लिये काफ़ी होना चाहिये। मतलब यह हुआ कि तुम्हारे लिये मुनासिब है कि अल्लाह से डरो, ग़लत क़दम उठाने से बचो। ख़ुलासा यह है कि 'इन् कुन्-त तक़िय्या' पनाह माँगने की शर्त नहीं बल्कि पनाह माँगने के प्रभावी होने की शर्त मुतवज्जह करने और तरग़ीब दिलाने के लिये है। और कुछ मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया कि यह कलिमा मुबालग़े के तौर पर लाया गया है कि अगर तुम मुत्तक़ी भी हो तब भी मैं तुमसे अल्लाह की पनाह माँगती हूँ और अगर मुत्तक़ी नहीं हो तब तो पनाह माँगना ज़ाहिर ही है। (तफ़सीरे मज़हरी)

'लि-अ-ह-ब लकि' (ताकि दे जाऊँ तुझको) इसमें बेटा अता करने को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ़ इसलिये मन्सूब किया कि उनको अल्लाह तआ़ला ने इस काम के लिये भेजा था कि उनके गिरेबान में फूँक मार दें, यह फूँक बेटा अता होने का ज़रिया बन जायेगी, अगरचे यह अता दर असल अल्लाह का फ़ेल (काम) है।

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ﴿٢٣﴾ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾

फ़-ह-मलत्हु फ़न्त-बज़त् बिही मकानन् क़सिय्या (22) फ़-अजा-अहल्-मख़ाज़ु इला जिज़्अिन्-नख़्लति क़ालत् यालैतनी मित्तु क़ब्-ल हाज़ा व कुन्तु नस्यम्-मन्सिय्या (23) फ़-नादाहा मिन् तह्तिहा अल्ला तह्ज़नी क़द् ज-अ-ल रब्बुकि तह्तकि सरिय्या (24) व हुज़्ज़ी इलैकि बिजिज़्अिन्-नख़्लति तुसाक़ित् अलैकि रु-तबन् जनिय्या (25) फ़कुली वश्रबी व क़र्री अैनन् फ़-इम्मा त-रयिन्-न मिनल् ब-शरि	फिर पेट में लिया उसको फिर एक तरफ़ हुई उसको लेकर एक दूर के मकान में। (22) फिर ले आया उसको बच्चा होने के दर्द एक खजूर की जड़ में, बोली किसी तरह मैं मर चुकती इससे पहले और हो जाती भूली-बिसरी। (23) पस आवाज़ दी उसको उसके नीचे से कि ग़मगीन मत हो कर दिया तेरे रब ने तेरे नीचे एक चश्मा। (24) और हिला अपनी तरफ़ खजूर की जड़ उससे गिरेंगी तुझ पर पक्की खजूरें। (25) अब खा और पी और आँख ठंडी रख, फिर अगर तू देखे कोई आदमी

अ-हदन् फ़कूली इन्नी नज़र्तु लिर्रह्मानि सौमन् फ़-लन् उकल्लिमल्-यौ-म इन्सिय्या (26)	तो कहियो कि मैंने माना है रहमान का रोज़ा, सो बात न करूँगी आज किसी आदमी से। (26)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

फिर (इस गुफ़्तगू के बाद जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम ने उनके गिरेबान में फूँक मार दी जिससे) उनके पेट में वह (लड़का) रह गया, फिर (जब अपने वक़्त पर हज़रत मरियम को बच्चे की पैदाईश के आसार महसूस हुए तो) उस हमल को लिये हुए (अपने घर से) किसी दूर जगह (जंगल पहाड़ में) में अलग चली गईं फिर (जब दर्द शुरू हुआ तो) पैदाईश के दर्द के मारे खजूर के पेड़ की तरफ़ आईं (कि उसके सहारे बैठें उठें, अब हालत यह थी कि न कोई साथी व ग़मख़्वार, दर्द से बेचैन, ऐसे वक़्त जो सामान राहत व ज़रूरत का होना चाहिए वह पास नहीं, उधर बच्चा होने पर बदनामी का ख़्याल, आख़िर घबराकर कहने लगीं काश! मैं इस (हालत) से पहले ही मर गई होती, और ऐसी नेस्त-नाबूद हो जाती कि किसी को याद भी न रहती। पस (उसी वक़्त ख़ुदा तआ़ला के हुक्म से हज़रत) जिब्राईल (अ़लैहिस्सलाम पहुँचे और उनके सम्मान की वजह से सामने नहीं गये बल्कि जिस मक़ाम पर हज़रत मरियम थीं उससे नीचे की जगह में आड़ में आये और उन्होंने) ने उनके (उस) नीचे (के स्थान) से उनको पुकारा (जिसको हज़रत मरियम ने पहचाना कि यह उसी फ़रिश्ते की आवाज़ है जो इससे पहले ज़ाहिर हुआ था) कि तुम (कुछ सामान न होने से या बदनामी के डर से) ग़मज़दा मत हो, (क्योंकि सरो-सामान न होने का तो यह इन्तिज़ाम हुआ है कि) तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे (के स्थान) में एक नहर पैदा कर दी है (जिसके देखने से और पानी पीने से तबई राहत व सुकून हो, तफ़सीर रूहुल-मआ़नी की रिवायत के अनुसार उनको उस वक़्त प्यास भी लगी थी, और तिब्बी एतिबार से गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बच्चा पैदा होने से पहले या बाद में बच्चे की पैदाईश में आसानी, बेकार माद्दे के निकालने और तबीयत को ताक़त देने में कारगर और असर रखने वाला है, और अगर पानी में गर्मी भी हो जैसा कि कुछ चश्मों में देखा गया है तो और ज़्यादा मिज़ाज के मुवाफ़िक़ होगा, और साथ ही खजूर में बहुत सी ग़िज़ाई ख़ूबियाँ व गुण मौजूद हैं जैसे ख़ून का पैदा करना, बदन को फ़रबा करना, गुर्दे व कमर और जोड़ों को ताक़त देना, इसलिये यह ज़च्चा के लिये सब ग़िज़ाओं और दवाओं से बेहतर है, और हरारत "गर्म होने") की वजह से जो उसके नुक़सानदेह होने का संदेह है सो अव्वल तो उसके तर होने में हरारत कम है, दूसरे पानी से उसकी इस्लाह हो सकती है, तीसरे नुक़सान देने का ज़हूर तब होता है जबकि अंग में कमज़ोरी हो वरना कोई चीज़ भी कुछ न कुछ नुक़सान से ख़ाली नहीं होती, और फिर करामत का ज़ाहिर होना अल्लाह के नज़दीक मक़बूलियत की निशानी होने की वजह से रूहानी ख़ुशी का सबब भी है)।

और इस खजूर के तने को (पकड़कर) अपनी तरफ़ को हिलाओ इससे तुम पर तरोताज़ा खजूरें

झड़ेंगी (इससे फल के खाने में बदनी लज़्ज़त और करामत के तौर पर फल के आने में रूहानी लज़्ज़त एकत्र है) फिर (उस फल को) खाओ और (वह पानी) पियो और आँखें ठन्डी करो (यानी बच्चे के देखने से और खाने पीने से और अल्लाह के यहाँ मक़बूल होने की निशानी पाये जाने से ख़ुश रहो) फिर (जब बदनामी के संदेह व गुमान का मौक़ा आए यानी कोई आदमी इस क़िस्से पर बाख़बर हो तो उसका यह इन्तिज़ाम हुआ है कि) अगर तुम आदमियों में से किसी को भी (आता और एतिराज़ करता) देखो तो (तुम कुछ मत बोलना बल्कि इशारे से उससे) कह देना कि मैंने तो अल्लाह के वास्ते (ऐसे) रोज़े की मन्नत माँग रखी है (जिसमें बोलने की बन्दिश है) सो (इस वजह से) आज मैं (दिन भर) किसी आदमी से नहीं बोलूँगी (और ख़ुदा के ज़िक्र और दुआ में मशग़ूल होना और बात है। बस तुम इतना जवाब देकर बेफ़िक्र हो जाना, अल्लाह तआ़ला इस मुबारक बच्चे को एक करामत के तौर पर बोलने वाला कर देगा जिससे मोजिज़े व करिश्मे का ज़ाहिर होना तुम्हारी पवित्रता और पाकदामन होने की दलील हो जाएगी, ग़र्ज़ कि हर ग़म का इलाज हो गया)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

मौत की तमन्ना का हुक्म

मौत की यह तमन्ना अगर दुनिया के ग़म से थी तब तो ग़लबा-ए-हाल को इसका उज़्र किया जायेगा जिसमें इनसान पूरी तरह मुकल्लफ़ (शरई अहकाम का पाबन्द) नहीं रहता, और अगर दीन के ग़म से थी कि लोग बदनाम करेंगे और शायद मुझे उस पर सब्र न हो सके तो बेसब्री की नाफ़रमानी में फंसना होगा, मौत के आने से उस नाफ़रमानी से हिफ़ाज़त रहेगी तो ऐसी तमन्ना मना और वर्जित नहीं है, और अगर शुब्हा हो कि हज़रत मरियम को जो कहा गया कि तुम कह देना कि मैंने नज़्र की (मन्नत मानी) है सो उन्होंने नज़्र तो न की थी, जवाब यह है कि इसी से यह हुक्म भी समझ में आ गया कि तुम नज़्र भी कर लेना और उसको ज़ाहिर कर देना।

चुप रहने का रोज़ा इस्लामी शरीअ़त में निरस्त हो गया

इस्लाम से पहले यह भी इबादत में दाख़िल था कि बोलने का रोज़ा रखे, सुबह से रात तक किसी से कलाम न करे, इस्लाम ने इसको मन्सूख़ (निरस्त और ख़त्म) करके यह लाज़िम कर दिया कि सिर्फ़ बुरे कलाम गाली-गलौज, झूठ, ग़ीबत वग़ैरह से परहेज़ किया जाये, आ़म गुफ़्तगू छोड़ देना इस्लाम में कोई इबादत नहीं रही, इसलिये उसकी नज़्र मानना भी जायज़ नहीं।

لما رواہ ابوداؤد مرفوعا لایتم بعد احتلام ولا صمات یوم الی اللیل وحسنہ السیوطی والعزیزی.

यानी बच्चा बालिग़ होने के बाद बाप के मरने से यतीम नहीं कहलाता, उस पर यतीम के अहकाम जारी नहीं होते, और सुबह से शाम तक ख़ामोश रहना तो (इस्लाम में) कोई इबादत नहीं। और बच्चे की पैदाईश के दर्द में पानी और खजूर का इस्तेमाल तिब्बी एतिबार से भी मुफ़ीद है और खाने-पीने का हुक्म बज़ाहिर जायज़ व दुरुस्त होने के लिये मालूम होता है। वल्लाहु आलम

बग़ैर मर्द के तन्हा औरत से बच्चा पैदा हो जाना ख़िलाफ़े अ़क़्ल नहीं

और बिना मर्द के गर्भ व पैदाईश आ़म आ़दत के ख़िलाफ़ और ऊपर की चीज़ (यानी मोजिज़ा) है, और मोजिज़ों में कितनी ही दूर की और मुहाल बात हो कोई हर्ज नहीं बल्कि मोजिज़े की सिफ़त का और ज़्यादा ज़ाहिर होना है, लेकिन इसमें इस वजह से ज़्यादा दूर की और मुहाल बात भी नहीं कि तिब्बी किताबों की स्पष्टताओं के अनुसार औरत की मनी में 'मुन्अ़क़िदा' क़ुव्वत के साथ 'आ़क़िदा' क़ुव्वत भी है, इसलिये 'रजा' की बीमारी में आज़ा (अंगों) की कुछ अधूरी सूरत भी बन जाती है तिब की मशहूर किताब 'अलक़ानून' में इसकी वज़ाहत है, पस अगर यही क़ुव्वत-ए-आ़क़िदा और बढ़ जाये तो ज़्यादा मुश्किल और नामुम्किन नहीं है। (बयानुल-क़ुरआन)

इस आयत में अल्लाह तआ़ला ने हज़रत मरियम अ़लैहस्सलाम को खजूर का दरख़्त हिलाने का हुक्म दिया, हालाँकि उसकी क़ुदरत में यह भी था कि बग़ैर उनके हिलाने के ख़ुद ही खजूरें उनकी गोद में गिर जातीं, मगर हिक्मत यह है कि इसमें रोज़ी कमाने और हासिल करने के लिये कोशिश करने का सबक़ मिलता है, और यह भी बतलाना है कि रिज़्क़ के हासिल करने में कोशिश और मेहनत करना तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

'सरिय्यन' लफ़्ज़ सरी के लुग़वी मायने छोटी नहर के हैं। इस मौक़े पर हक़ तआ़ला ने एक छोटी नहर अपनी क़ुदरत से बिना किसी माध्यम के जारी फ़रमा दी या जिब्रील के ज़रिये चश्मा जारी करा दिया, दोनों तरह की रिवायतें हैं। यहाँ यह बात ध्यान देने के क़ाबिल है कि हज़रत मरियम की तसल्ली के असबाब ज़िक्र करने के वक़्त तो पहले पानी का ज़िक्र फ़रमाया फिर खाने की चीज़ खजूर का, और जब इस्तेमाल का ज़िक्र आया तो तरतीब बदलकर पहले खाने का हुक्म फ़रमाया फिर पानी पीने का, जैसा कि फ़रमाया 'कुली वश्रबी'। वजह ग़ालिबन यह है कि इनसान की फ़ितरी आ़दत है कि पानी का एहतिमाम खाने से पहले करता है, ख़ुसूसन कोई ऐसी ग़िज़ा जिसके बाद प्यास लगना यक़ीनी हो उसके खाने से पहले पानी मुहैया करता है, मगर इस्तेमाल की तरतीब यह होती है कि पहले ग़िज़ा खाता है फिर पानी पीता है। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۝ يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ۝ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۝ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۝ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۝

फ़-अतत् बिही क़ौमहा तह्मिलुहू, क़ालू या मर्यमु ल-क़द् जिअ्ति शैअन् फ़रिय्या (27) या उख़्-त हारू-न मा का-न अबूकिम्र-अ सौइंव्-व मा कानत् उम्मुकि बग़िय्या (28) फ़-अशारत् इलैहि, क़ालू कै-फ़ नुकल्लिमु मन् का-न फ़िल्महिद सबिय्या (29) क़ा-ल इन्नी अ़ब्दुल्लाहि, आतानियल्-किता-ब व ज-अ़-लनी नबिय्या (30) व ज-अ़-लनी मुबा-रकन् ऐ-न मा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या (31) व बर्रम् बिवालि-दती व लम् यज्अ़ल्नी जब्बारन् शक़िय्या (32) वस्सलामु अ़लय्-य यौ-म वुलित्तु व यौ-म अमूतु व यौ-म उब्अ़सु हय्या (33)	फिर लाई उसको अपने लोगों के पास गोद में, वे उसको कहने लगे ऐ मरियम! तूने की यह चीज़ तूफ़ान की। (27) ऐ बहन हारून की! न था तेरा बाप बुरा आदमी और न थी तेरी माँ बदकार। (28) फिर हाथ से बतलाया उस लड़के को, बोले हम क्योंकर बात करें उस शख़्स से कि वह है गोद में लड़का। (29) वह बोला मैं बन्दा हूँ अल्लाह का, मुझको उसने किताब दी है और मुझको उसने नबी किया (30) और बनाया मुझको बरकत वाला जिस जगह मैं हूँ और ताकीद की मुझको नमाज़ की और ज़कात की जब तक मैं रहूँ ज़िन्दा। (31) और सुलूक करने वाला अपनी माँ से और नहीं बनाया मुझको ज़बरदस्त बदबख़्त। (32) और सलाम है मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूँ और जिस दिन उठ खड़ा हूँ ज़िन्दा होकर। (33)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(ग़र्ज़ कि मरियम अ़लैहस्सलाम की इस कलाम से तसल्ली हुई और ईसा अ़लैहिस्सलाम पैदा हुए) फिर वह उनको गोद में लिये हुए (वहाँ से बस्ती को चलीं और) अपनी क़ौम के पास लाईं। लोगों ने (जो देखा कि इनकी शादी तो हुई न थी यह बच्चा कैसा, बदगुमान होकर) कहा कि ऐ मरियम! तुमने बड़े ग़ज़ब का काम किया (यानी नऊज़ु बिल्लाह बदकारी की, और यूँ तो बदकारी कोई भी करे बुरा है लेकिन तुमसे ऐसा काम होना ज़्यादा ग़ज़ब की बात है, क्योंकि) ऐ हारून की बहन! (तुम्हारे ख़ानदान में कभी किसी ने ऐसा नहीं किया, चुनाँचे) तुम्हारे बाप कोई बुरे आदमी न थे (कि उनसे यह असर तुम में आया हो) और न तुम्हारी माँ बदकार थीं (कि उनसे यह असर तुम में आया हो। फिर हारून जो तुम्हारे रिश्ते के भाई हैं जिनका नाम उन हारून नबी के नाम पर रखा गया है वह कैसे कुछ नेक शख़्स हैं, ग़र्ज़ कि जिसका ख़ानदान का ख़ानदान पाक साफ़ हो उससे यह हरकत होना कितना

बड़ा ग़ज़ब है)।

पस मरियम (अलैहस्सलाम) ने (यह सारी तक़रीर सुनकर कुछ जवाब नहीं दिया बल्कि) उस (बच्चे) की तरफ़ इशारा कर दिया (कि इससे कहो जो कुछ कहना हो यह जवाब देगा) वे लोग (समझे कि यह हमारे साथ मज़ाक़ करती है) कहने लगे कि भला हम ऐसे शख़्स से क्योंकर बातें करें जो अभी गोद में बच्चा ही है (क्योंकि बात उस शख़्स से की जाती है जो कि वह भी बातचीत करता हो, सो जब यह बच्चा है और बात करने पर क़ादिर नहीं तो इससे क्या बात करें। इतने में) वह बच्चा (ख़ुद ही) बोल उठा कि मैं अल्लाह का (ख़ास) बन्दा हूँ (न तो अल्लाह हूँ जैसा कि जाहिल ईसाई समझेंगे और न ग़ैर-मक़बूल हूँ जैसा कि यहूदी समझेंगे, और बन्दा होने के और फिर ख़ास होने के ये आसार हैं कि) उसने मुझको किताब (यानी इन्जील) दी, (यानी अगरचे आगे चलकर देगा मगर यक़ीनी होने के सबब ऐसा ही है जैसा कि दे दी) और उसने मुझको नबी बनाया (यानी बना देगा), और मुझको बरकत वाला बनाया (यानी मुझसे मख़्लूक़ को दीन का नफ़ा पहुँचेगा) मैं जहाँ कहीं भी हूँ (गा मुझसे बरकत पहुँचेगी और वह नफ़ा दीन की तब्लीग़ है चाहे कोई क़ुबूल करे या न करे उन्होंने तो नफ़ा पहुँचा ही दिया) और उसने मुझको नमाज़ और ज़कात का हुक्म दिया जब तक मैं (दुनिया में) ज़िन्दा रहूँ (और ज़ाहिर है कि आसमान पर जाने के बाद मुकल्लफ़ नहीं रहे और यह दलील है बन्दा होने की जैसा कि और दलीलें हैं विशेषता की), और मुझको मेरी माँ का ख़िदमत करने वाला बनाया (और चूँकि बग़ैर बाप के पैदा हुए हैं इसलिए वालिदा को ख़ास किया गया) और उसने मुझको सरकश बदबख़्त नहीं बनाया (कि अल्लाह या वालिदा का हक़ अदा करने से नाफ़रमानी व बेतवज्जोही करूँ या हुक़ूक़ व आमाल को छोड़कर बदबख़्ती ख़रीद लूँ), और मुझ पर (अल्लाह की तरफ़ से) सलाम है जिस दिन मैं पैदा हुआ, और जिस दिन इन्तिक़ाल करूँगा (कि वह ज़माना क़ियामत के क़रीब का आसमान से नाज़िल होने के बाद होगा) और जिस दिन मैं (क़ियामत में) ज़िन्दा करके उठाया जाऊँगा (और अल्लाह का सलाम दलील है ख़ास बन्दा होने की)।

मआरिफ़ व मसाईल

فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ.

इन अलफ़ाज़ से ज़ाहिर यही है कि हज़रत मरियम को जब ग़ैबी ख़ुशख़बरियों के ज़रिये इसका इत्मीनान हो गया कि अल्लाह तआ़ला मुझे बदनामी और रुस्वाई से बचायेंगे तो ख़ुद ही अपने नवजात बच्चे को लेकर अपने घर वापस आ गयीं। फिर यह वापसी पैदाईश के कितने दिन बाद हुई, इब्ने असाकिर की रिवायत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से यह है कि पैदाईश से चालीस दिन बाद जब निफ़ास से फ़राग़त व पाकी हासिल हो चुकी उस वक़्त अपने घर वालों के पास आईं। (रूहुल-मआ़नी)

شَيْـئًا فَرِيًّا۝

लफ़्ज़ 'फ़री' अ़रबी भाषा में दर असल काटने और फाड़ने के मायने में आता है, जिस काम या जिस चीज़ के ज़ाहिर होने में ग़ैर-मामूली (असाधारण) काट-छाँट हो उसको फ़री कहते हैं। अबू हय्यान

ने फ़रमाया कि हर बड़े मामले को फ़री कहा जाता है चाहे वह अच्छाई के एतिबार से बड़ा हो या बुराई के एतिबार से। इस जगह बड़ी बुराई के मायने में इस्तेमाल हुआ है और इस लफ़्ज़ का अक्सर इस्तेमाल ऐसी ही चीज़ के लिये जाना-पहचाना है जो अपनी बुराई के एतिबार से ग़ैर-मामूली और बड़ी समझी जाती है।

يَاُخْتَ هٰرُوْنَ.

हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई और साथी थे, हज़रत मरियम के ज़माने से सैकड़ों बरस पहले गुज़र चुके थे, यहाँ हज़रत मरियम को हारून की बहन क़रार देना ज़ाहिर है कि अपने इस ज़ाहिरी मतलब के एतिबार से नहीं हो सकता, इसी लिये जब हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नजरान वालों के पास भेजा तो उन्होंने सवाल किया कि तुम्हारे क़ुरआन में हज़रत मरियम को हारून की बहन कहा गया है हालाँकि हारून अलैहिस्सलाम उनसे बहुत ज़मानों पहले गुज़र चुके हैं, हज़रत मुग़ीरा को इसका जवाब मालूम न था, जब वापस आये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इसका ज़िक्र किया। आपने फ़रमाया कि तुमने उनसे यह क्यों न कह दिया कि ईमान वालों की आदत यह है कि बरकत के तौर पर नबियों के नामों पर अपने नाम रखते हैं और उनकी तरफ़ निस्बत किया करते हैं।

(अहमद, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, नसाई)

इस हदीस के मतलब में दो संभावनायें हैं— एक यह कि हज़रत मरियम की निस्बत हज़रत हारून की तरफ़ इसलिये कर दी गयी कि वह उनकी नस्ल व औलाद में से हैं अगरचे ज़माना कितना ही बाद का हो गया हो, जैसे अरब वालों की आदत है कि क़बीला तमीम के आदमी को **अख़ा तमीम** और अरब के आदमी को **अख़ा अरब** बोलते हैं। दूसरे यह भी हो सकता है कि यहाँ हारून से मुराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी हज़रत हारून नबी नहीं बल्कि हज़रत मरियम के अपने भाई का नाम हारून था जो बरकत के तौर पर हज़रत हारून नबी के नाम पर रखा गया था, इस तरह मरियम को हारून की बहन कहना अपने असली मतलब के एतिबार से दुरुस्त हो गया।

مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ.

क़ुरआन के इन अलफ़ाज़ से इस तरफ़ इशारा है कि जो शख़्स अल्लाह वालों और नेक लोगों की औलाद में हो वह अगर कोई बुरा काम करता है तो वह आम लोगों के गुनाह से ज़्यादा बड़ा गुनाह होता है, क्योंकि उससे उसके बड़ों की रुस्वाई और बदनामी होती है, इसलिये नेक लोगों की औलाद को नेक आमाल और तक़वे की ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिये।

اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ.

एक रिवायत में है कि जिस वक़्त ख़ानदान के लोगों ने हज़रत मरियम अलैहस्सलाम को मलामत करनी शुरू की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दूध पी रहे थे। जब उन्होंने उन लोगों की मलामत को सुना तो दूध छोड़ दिया और अपनी बाईं करवट पर सहारा लेकर उनकी तरफ़ मुतवज्जह हुए और शहादत की उंगली से इशारा करते हुए ये अलफ़ाज़ फ़रमाये 'इन्नी अब्दुल्लाहि' यानी मैं अल्लाह का बन्दा हूँ।

इस पहले ही लफ़्ज़ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस ग़लत फ़हमी को दूर कर दिया कि अगरचे मेरी पैदाईश मोजिज़ाना (चमत्कारी) अन्दाज़ से हुई है मगर मैं ख़ुदा नहीं ख़ुदा का बन्दा हूँ ताकि लोग मेरी पूजा में मुब्तला न हो जायें।

اٰتٰنِیَ الْکِتٰبَ وَجَعَلَنِیْ نَبِیًّاO

इन अलफ़ाज़ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने दूध पीने के ज़माने में अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से नुबुव्वत और किताब मिलने की ख़बर दी हालाँकि किसी पैग़म्बर को चालीस साल की उम्र से पहले नुबुव्वत और किताब नहीं मिलती। इसलिये इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने यह तय फ़रमा दिया है कि मुझे अपने वक़्त पर नुबुव्वत और किताब देंगे, और यह बिल्कुल ऐसा है जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मुझे नुबुव्वत उस वक़्त अ़ता कर दी गयी थी जबकि आदम अ़लैहिस्सलाम अभी पैदा भी नहीं हुए थे, उनका ख़मीर ही तैयार हो रहा था। इसका मतलब ज़ाहिर है कि इसके सिवा नहीं कि नुबुव्वत अ़ता करने का वायदा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के लिये निश्चित और यक़ीनी था। यहाँ भी इसी यक़ीन को नुबुव्वत अ़ता करने के माज़ी (भूतकाल) के लफ़्ज़ से ताबीर कर दिया गया है। नुबुव्वत अ़ता करने का इज़हार करने से उन लोगों की बदगुमानी दूर कर दी गयी कि मेरी वालिदा पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाना सरासर ग़लत है, क्योंकि मेरा नबी होना और मुझे रिसालत का मिलना इसकी दलील है कि मेरी पैदाईश में किसी गुनाह का दख़ल नहीं हो सकता।

اَوْصٰنِیْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّکٰوةِ.

किसी चीज़ का हुक्म जब ज़्यादा ताकीद के साथ किया जाये तो उसको वसीयत के लफ़्ज़ से ताबीर करते हैं। हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम ने इस जगह फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने मुझे नमाज़ और ज़कात की वसीयत फ़रमाई, इसका मफ़्हूम यही है कि बड़ी ताकीद से इन दोनों चीज़ों का मुझे हुक्म दिया।

नमाज़ और ज़कात ऐसी इबादतें हैं कि आदम अ़लैहिस्सलाम से लेकर ख़ातिमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तक हर नबी व रसूल की शरीअ़त में फ़र्ज़ रही हैं, अलबत्ता मुख़्तलिफ़ शरीअ़तों में इनकी तफ़सीलात और कुछ अहकाम मुख़्तलिफ़ रहे हैं। हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम की शरीअ़त में भी नमाज़ और ज़कात फ़र्ज़ थे, रहा यह मामला कि ईसा अ़लैहिस्सलाम तो कभी मालदार ही नहीं हुए, न घर बनाया न कुछ जमा किया फिर ज़कात का उनको हुक्म देना किस बिना पर है, तो इसका स्पष्ट मक़सद यह है कि उनकी शरीअ़त में क़ानून यह बना दिया गया था कि जिस शख़्स के पास माल हो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, ईसा अ़लैहिस्सलाम भी इसके मुख़ातब हैं कि जब कभी माल ज़कात के निसाब के बराबर जमा हो जाये तो ज़कात अदा करें, फिर अगर उम्र भर में कभी माल जमा ही न हो तो यह इसके ख़िलाफ़ नहीं। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

مَادُمْتُ حَیًّاO

यानी नमाज़ और ज़कात का हुक्म मेरे लिये हमेशा के लिये है जब तक ज़िन्दा हूँ। ज़ाहिर है कि

इससे मुराद वह ज़िन्दगी है जो इस दुनिया में ज़मीन पर है, क्योंकि ये आमाल इसी ज़मीन पर हो सकते हैं और यहीं से संबन्धित हैं, आसमान पर उठाये जाने के बाद फिर उतारे जाने के ज़माने तक रुख़्सत (छूट व रियायत) का ज़माना है।

بَرًّا ۢ بِوَالِدَتِيْ

इस जगह सिर्फ़ वालिदा (माँ) का ज़िक्र किया वालिदैन (माँ-बाप) का नहीं। इसमें इशारा कर दिया कि मेरा वजूद मोजिज़े के तरीक़े पर बग़ैर वालिद के हुआ है और बचपन का मोजिज़े से भरा यह कलाम इसके लिये काफ़ी सुबूत और दलील है।

ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِيْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ۝ مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝ وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝ فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝ اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصِرْ ۙ يَوْمَ يَاْتُوْنَنَا لٰكِنِ الظّٰلِمُوْنَ الْيَوْمَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ ۘ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ۝

ज़ालि-क ओसब्नु मर्य-म क़ौलल्-हक़्क़िल्लज़ी फ़ीहि यम्तरून (34) मा का-न लिल्लाहि अंय्यत्तख़ि-ज़ मिंव्-लदिन् सुब्हानहू, इज़ा क़ज़ा अम्रन् फ़-इन्नमा यक़ूलु लहू कुन् फ़-यकून (35) व इन्नल्ला-ह रब्बी व रब्बुकुम् फ़अ्बुदूहु, हाज़ा सिरातुम्-मुस्तक़ीम (36) फ़ख़्त-लफ़ल्-अह्ज़ाबु मिम्-बैनिहिम् फ़-वैलुल्-लिल्लज़ी-न क-फ़रू मिम्-मश्हदि यौमिन् अज़ीम (37) अस्मिअ् बिहिम् व अब्सिर् यौ-म यअ्तूनना लाकिनिज़्-ज़ालिमूनल्-यौ-म फ़ी ज़लालिम्-

यह है ईसा मरियम का बेटा, सच्ची बात जिसमें लोग झगड़ते हैं। (34) अल्लाह ऐसा नहीं कि रखे औलाद वह पाक ज़ात है, जब ठहरा लेता है किसी काम का करना सो यही कहता है उसको कि हो वह हो जाता है। (35) और कहा बेशक अल्लाह है रब मेरा और रब तुम्हारा, सो उसकी बन्दगी करो, यह है राह सीधी। (36) फिर अलग-अलग राह इख़्तियार की फ़िर्क़ों ने उनमें से सो ख़राबी है मुन्किरों को जिस वक़्त देखेंगे एक दिन बड़ा। (37) क्या ख़ूब सुनते और देखते होंगे, जिस दिन आयेंगे हमारे पास, पर बेइन्साफ़ आज के दिन खुले बहक रहे हैं। (38)

मुबीन (38) व अन्ज़िर्हुम् यौमल्-हस्रति इज़् क़ुज़ियल्-अम्रु। व हुम् फ़ी ग़फ़्लतिंव्-व हुम् ला युअ्मिनून (39) इन्ना नह्नु नरिसुल्-अर्-ज़ व मन् अ़लैहा व इलैना युर्जअून (40) ✿

और डर सुना दे उनको उस पछतावे के दिन का, जब फ़ैसल हो चुकेगा काम। और वे भूल रहे हैं और वे यक़ीन नहीं लाते। (39) हम वारिस होंगे ज़मीन के और जो कोई है ज़मीन पर और वे हमारी तरफ़ फिर आयेंगे। (40) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

यह हैं ईसा बिन मरियम (जिनकी बातें और हालात ज़िक्र हुए जिससे उनका मक्बूल बन्दा होना मालूम होता है, न जैसे कि ईसाईयों ने उनको बन्दों की फ़ेहरिस्त से ख़ारिज करके ख़ुदा तक पहुँचा दिया है और न वैसे जैसा कि यहूदियों ने उनको मक्बूलियत से ख़ारिज करके तरह-तरह की तोहमतें लगाई हैं) मैं (बिल्कुल) सच्ची बात कह रहा हूँ जिसमें ये (कमी-बेशी करने वाले) लोग झगड़ रहे हैं। (चुनाँचे यहूदियों व ईसाईयों के अक्वाल ऊपर मालूम हुए और चूँकि यहूदियों का क़ौल ज़ाहिरन भी नबी की शान में अपमान का सबब था जिसका बातिल होना स्पष्ट रूप से ज़ाहिर है इसलिए उसके रद्द करने की तरफ़ इस मक़ाम पर तवज्जोह नहीं फ़रमाई, बख़िलाफ़ ईसाईयों के क़ौल के कि ज़ाहिर में वह कमाल की अधिकता को साबित करने वाला था कि नुबुव्वत के साथ ख़ुदा का बेटा होना साबित करते थे इसलिए आगे उसको रद्द फ़रमाते हैं, जिसका हासिल यह है कि तौहीद के इनकार की वजह से इसमें हक् तआ़ला की शानी में गुस्ताख़ी और कोताही लाज़िम आती है हालाँकि) अल्लाह तआ़ला की यह शान नहीं है कि वह (किसी को) औलाद बनाये, वह (बिल्कुल) पाक है (क्योंकि उसकी यह शान है कि) वह जब कोई काम करना चाहता है तो बस उसको इरशाद फ़रमा देता है कि हो जा, सो वह हो जाता है (और ऐसे कमाल के वास्ते औलाद का होना अ़क्लन नुक़्स है)।

और (आप तौहीद को साबित करने के लिये लोगों से फ़रमा दीजिए कि मुशरिक लोग भी सुन लें कि) बेशक अल्लाह मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, सो (सिर्फ़) उसी की इबादत करो (और) यही (ख़ालिस ख़ुदा की इबादत करना यानी तौहीद इख़्तियार करना दीन का) सीधा रास्ता है। सो (तौहीद पर बावजूद इन अ़क्ली और रिवायती दलीलों के क़ायम होने के फिर भी) मुख़्तलिफ़ गिरोहों ने (इस बारे में) आपस में इख़्तिलाफ़ डाल लिया (यानी तौहीद का इनकार करके तरह-तरह के धर्म और मज़हबी रास्ते निकाल लिये) सो उन काफ़िरों के लिये एक बड़े (भारी) दिन के आने से एक बड़ी ख़राबी (होने वाली) है (मुराद इससे क़ियामत का दिन है कि यह दिन एक हज़ार साल लम्बा और हौलनाक होने की वजह से बहुत अ़ज़ीम होगा)। जिस दिन ये लोग (हिसाब व बदले के लिये) हमारे पास आएँगे (उस दिन) कैसे कुछ सुनने और देखने वाले हो जाएँगे (क्योंकि क़ियामत में ये तथ्य नज़रों के सामने हो जायेंगे और सारी ग़लतियाँ दूर हो जायेंगी) लेकिन ये ज़ालिम आज (दुनिया में कैसी) खुली ग़लती में (मुब्तला हो रहे) हैं, और आप उन लोगों को हसरत के दिन से डराईये जबकि (जन्नत

व दोज़ख़ का आख़िरी) फ़ैसला कर दिया जायेगा (जिसका ज़िक्र हदीस में है कि जन्नत और दोज़ख़ वालों को मौत दिखलाकर उसको ज़िबह कर दिया जाएगा और दोनों को ख़ुलूद (यानी हमेशा-हमेशा उसी हाल में ज़िन्दा रहने का हुक्म सुना दिया जायेगा, जैसा कि बुख़ारी व मुस्लिम और तिर्मिज़ी में है, और उस वक़्त की हसरत का बहुत ज़्यादा होना ज़ाहिर है) और वे लोग (आज दुनिया में) ग़फ़लत में (पड़े) हैं, और वे लोग ईमान नहीं लाते। (लेकिन आख़िर एक दिन मरेंगे और) तमाम ज़मीन और ज़मीन के रहने वालों के हम ही वारिस (यानी आख़िर मालिक) रह जाएँगे, और ये सब हमारे पास ही लौटाये जाएँगे (फिर अपने कुफ़्र व शिर्क की सज़ा भुगतेंगे)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

ذٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ.

हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के बारे में यहूदियों व ईसाईयों के बेहूदा ख़्यालात में कमी-बेशी का यह आ़लम था कि ईसाईयों ने तो ताज़ीम व सम्मान में इतनी ज़्यादती की कि उनको ख़ुदा तआ़ला का बेटा बना दिया, और यहूदियों ने उनकी तौहीन व अपमान करने में यहाँ तक कह दिया कि वह यूसुफ़ नज्जार की नाजायज़ औलाद में हैं। अल्लाह की पनाह। हक़ तआ़ला ने इन दोनों ग़लती करने वालों की ग़लती बतलाकर उसकी सही हैसियत इन आयतों में स्पष्ट फ़रमा दी। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

قَوْلَ الْحَقِّ.

'क़ौलल्-हक़्क़ि' की नहवी तरकीब के एतिबार से असल है 'अक़ूलु क़ौलल्-हक़्क़ि' (मैं कहता हूँ सच्ची बात), और कुछ क़िराअतों में 'क़ौलुल-हक़्क़ि' भी आया है, उस सूरत में मुराद यह होगा कि हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम ख़ुद 'क़ौले हक़' हैं जैसा कि उनको 'कलिमतुल्लाह' का लक़ब भी दिया गया है क्योंकि उनकी पैदाईश बिना ज़ाहिरी असबाब के सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला के क़ौल से हुई है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

يَوْمَ الْحَسْرَةِ.

उस दिन को हसरत व अफ़सोस का दिन इसलिये कहा गया है कि जहन्नम वालों को तो यह हसरत होना ज़ाहिर है कि अगर वे नेक मोमिन होते तो उनको जन्नत मिलती अब जहन्नम के अ़ज़ाब में गिरफ़्तार हैं। एक ख़ास क़िस्म की हसरत जन्नत वालों को भी होगी जैसा कि तबरानी और अबू याली ने हज़रत मुआ़ज़ की रिवायत से यह हदीस नक़ल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जन्नत वालों को किसी चीज़ पर हसरत न होगी सिवाय वक़्त के उन लम्हों के जो बग़ैर ज़िक्रुल्लाह के गुज़र गये। और इमाम बग़वी रह. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से नक़ल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हर मरने वाले को हसरत व शर्मिन्दगी से साबक़ा पड़ेगा। सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने सवाल किया कि यह शर्मिन्दगी व हसरत किस बिना पर होगी तो आपने फ़रमाया कि नेक आमाल करने वाले को इस पर हसरत होगी कि और ज़्यादा नेक आमाल क्यों न कर लिये कि जन्नत के और ज़्यादा दर्जे मिलते,

और बदकार आदमी को इस पर हसरत (अफ़सोस व शर्मिन्दगी) होगी कि वह अपनी बदकारी से बाज़ क्यों न आ गया। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ۬ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ۝ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْـًٔا ۝ يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْۤ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۝ يٰۤاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ۭ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ۝ يٰۤاَبَتِ اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ۝ قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ يٰۤاِبْرٰهِيْمُ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا ۝ قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۚ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ ۭ اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا ۝ وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّيْ ڮ عَسٰۤى اَلَّاۤ اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّيْ شَقِيًّا ۝ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۙ وَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۭ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۝ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝

वज़्कुर् फ़िल्किताबि इब्राही-म, इन्नहू का-न सिद्दीक़न् नबिय्या (41) इज़् क़ा-ल लि-अबीहि या अ-बति लि-म तअ्बुदु मा ला यस्मअु व ला युब्सिरु व ला युग़्नी अ़न्-क शैआ (42) या अ-बति इन्नी क़द् जा-अनी मिनल्-अ़िल्मि मा लम् यअ्ति-क फ़त्तबिअ्नी अह्दि-क सिरातन् सविय्या (43) या अ-बति ला तअ्बुदिश्शैता-न, इन्नश्शैता-न का-न लिर्रह्मानि अ़सिय्या (44) या अ-बति इन्नी अख़ाफ़ु अंय्य-मस्स-क अ़ज़ाबुम्-मिनर्रह्मानि फ़-तकू-न लिश्शैतानि वलिय्या (45) क़ा-ल	और ज़िक्र कर किताब में इब्राहीम का बेशक था वह सच्चा नबी। (41) जब कहा अपने बाप को ऐ बाप मेरे! क्यों पूजता है जो न सुने और न देखे और न काम आये तेरे कुछ। (42) ऐ बाप मेरे! मुझको आई है ख़बर एक चीज़ की जो तुझको नहीं आई, सो मेरी राह चल दिखला दूँ तुझको राह सीधी। (43) ऐ बाप मेरे! मत पूज शैतान को बेशक शैतान है रहमान का नाफ़रमान। (44) ऐ बाप मेरे! मैं डरता हूँ कहीं आ लगे तुझ को एक आफ़त रहमान से फिर तू हो जाये शैतान का साथी। (45) वह बोला

अराग़िबुन् अन्-त अ़न् आलि-हती या इब्राहीमु ल-इल्लम् तन्तहि ल-अर्जुमन्न-क वह्जुरनी मलिय्या (46) क़ा-ल सलामुन् अ़लै-क स-अस्तग़्फ़िरु ल-क रब्बी, इन्नहू का-न बी हफ़िय्या (47) व अअ्तज़िलुकुम् व मा तद्अू-न मिन् दूनिल्लाहि व अद्अू रब्बी अ़सा अल्ला अकू-न बिदुआ़-इ रब्बी शक़िय्या (48) फ़लम्मअ्त-ज़-लहुम् व मा यअ्बुदू-न मिन् दूनिल्लाहि व-हब्ना लहू इस्हा-क़ व यअ्क़ू-ब, व कुल्लन् जअ़ल्ना नबिय्या (49) व व-हब्ना लहुम् मिर्रह्मतिना व जअ़ल्ना लहुम् लिसा-न सिद्क़िन् अ़लिय्या (50) ✿

क्या तू फिरा हुआ है मेरे ठाकुरों से ऐ इब्राहीम! अगर तू बाज़ न आयेगा तो तुझको संगसार करूँगा और दूर हो जा मेरे पास से एक मुद्दत। (46) कहा तेरी सलामती रहे, मैं गुनाह बख़्शवाऊँगा तेरा अपने रब से बेशक वह है मुझ पर मेहरबान। (47) और छोड़ता हूँ तुमको और जिनको तुम पूजते हो अल्लाह के सिवा और मैं बन्दगी करूँगा अपने रब की, उम्मीद है कि न रहूँगा अपने रब की बन्दगी कर कर मेहरूम। (48) फिर जब जुदा हुआ उनसे और जिनको वे पूजते थे अल्लाह के सिवा बख़्शा हमने उसको इस्हाक़ और याक़ूब और दोनों को नबी किया। (49) और दिया हमने उनको अपनी रहमत से और किया उनके वास्ते सच्चा बोल ऊँचा। (50) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) आप इस किताब (यानी क़ुरआन) में (लोगों के सामने हज़रत) इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) का (क़िस्सा) ज़िक्र कीजिये (ताकि उनको तौहीद व रिसालत का मसला ज़्यादा अच्छी तरह मालूम हो जाये) वह (हर क़ौल व फ़ेल में) बड़े रास्ती वाले (थे और) पैग़म्बर थे। (और वह क़िस्सा जिसका ज़िक्र करना इस जगह मक़सद है उस वक़्त हुआ था) जबकि उन्होंने अपने बाप से (जो कि मुश्रिक था) कहा कि ऐ मेरे बाप! तुम ऐसी चीज़ की क्यों इबादत करते हो जो न कुछ सुने और न कुछ देखे और न तुम्हारे कुछ काम आ सके (मुराद बुत हैं, हालाँकि अगर कोई देखता सुनता कुछ काम आता भी हो मगर वाजिबुल-वजूद न हो "यानी अपने वजूद में किसी का मोहताज हो" तब भी इबादत के लायक़ नहीं, कहाँ यह कि इन गुणों और सिफ़तों से भी ख़ाली हो तो वह और भी ज़्यादा लायक़े इबादत न होगा)।

ऐ मेरे बाप! मेरे पास ऐसा इल्म पहुँचा है जो तुम्हारे पास नहीं आया (इससे मुराद वही है जिसमें

ग़लती की संभावना हो ही नहीं सकती, पस मैं जो कुछ कह रहा हूँ निश्चित तौर पर हक़ है। जब यह बात है) तो तुम मेरे कहने पर चलो मैं तुमको सीधा रास्ता बताऊँगा (और वह तौहीद है)। ऐ मेरे बाप! तुम शैतान की पूजा मत करो (यानी शैतान को और उसकी इबादत को तो तुम भी बुरा समझते हो और बुत-परस्ती में शैतान की पूजा यक़ीनन लाज़िमी है कि वही यह हरकत कराता है, और किसी की ऐसी फ़रमाँबरदारी करना कि हक़ तआ़ला के मुक़ाबले में भी उसकी तालीम को हक़ समझे यही इबादत है, पस बुत-परस्ती में शैतान परस्ती हुई, और) बेशक शैतान (हक़ तआ़ला) रहमान का नाफ़रमानी करने वाला है (तो वह कब फ़रमाँबरदारी के लायक़ होगा)। ऐ मेरे बाप! मैं अन्देशा करता हूँ (और वह अन्देशा यक़ीनी है) कि तुम पर रहमान की तरफ़ से कोई अ़ज़ाब (न) आ पड़े, (चाहे दुनिया में या आख़िरत में) फिर तुम (अ़ज़ाब में) शैतान के साथी हो जाओ (यानी जब इताअ़त में उसका साथ दोगे तो सज़ा पाने में भी उसका साथ होगा, अगरचे शैतान को दुनिया में अ़ज़ाब न हुआ हो, और उस शैतान का साथी बनने और अ़ज़ाब में उसके साथ शरीक होने को कोई अपनी भलाई चाहने वाला पसन्द न करेगा)।

(हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की ये तमाम नसीहतें सुनकर) बाप ने जवाब दिया कि क्या तुम मेरे माबूदों से फिरे हुए हो ऐ इब्राहीम! (और इसलिये मुझको भी मना करते हो? याद रखो) अगर तुम (इन बुतों की बुराई और निंदा से और मुझको इनकी इबादत से मना करने से) बाज़ न आये तो मैं ज़रूर तुमको (पत्थरों से मारकर) संगसार कर दूँगा (पस तुम इससे बाज़ आ जाओ) और हमेशा-हमेशा के लिये मुझ (को कहने-सुनने) से अलग रहो। इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) ने कहा (बेहतर!) मेरा सलाम लो (अब तुमसे कहना-सुनना बेफ़ायदा है) अब मैं अपने रब से तुम्हारे लिये मग़फ़िरत की (इस तरह) दरख़्वास्त करूँगा (कि तुमको हिदायत करे जिस पर मग़फ़िरत मुरत्तब होती है) बेशक वह मुझ पर बहुत मेहरबान है (इसलिये उसी से अ़र्ज़ करूँगा जिसका क़ुबूल फ़रमाना या न फ़रमाना दोनों विभिन्न एतिबार से रहमत और मेहरबानी है)।

और (तुम और तुम्हारे मज़हब वाले जब मेरी हक़ बात को भी नहीं मानते तो तुम में रहना भी फ़ुज़ूल है, इसलिए) मैं तुम लोगों से और जिनकी तुम ख़ुदा को छोड़कर इबादत कर रहे हो उनसे (जिस्मानी एतिबार से भी) किनारा करता हूँ (जैसा कि दिल से तो पहले ही किनारा किये हुए हूँ, यानी यहाँ रहता भी नहीं) और (अलग होकर इत्मीनान से) अपने रब की इबादत करूँगा (क्योंकि यहाँ रहकर इसमें भी टकराव और रुकावट होगी) उम्मीद (यानी यक़ीन) है कि अपने रब की इबादत करके मेहरूम न रहूँगा (जैसा कि बुत-परस्त लोग अपने बातिल माबूदों की इबादत करके मेहरूम रहते हैं। ग़र्ज़ कि इस गुफ़्तगू के बाद उनसे इस तरह अलग हुए कि मुल्क शाम की तरफ़ हिजरत करके चले गये) पस जब उन लोगों से और जिनकी ये ख़ुदा को छोड़कर इबादत करते थे उनसे (इस तरह) अलग हो गये (तो) हमने उनको इस्हाक़ (बेटा) और याक़ूब (पोता) अ़ता फ़रमाया (जो कि साथ रहने के लिये उनकी बुत-परस्त बिरादरी से कहीं ज़्यादा बेहतर थे) और हमने (उन दोनों में) हर एक को नबी बनाया और उन सब को हमने (तरह-तरह के कमालात देकर) अपनी रहमत का हिस्सा दिया और (आगे की नस्लों में) हमने उनका नाम नेक और बुलन्द किया (कि सब सम्मान व तारीफ़ के साथ ज़िक्र करते हैं, और इस्हाक़ से पहले इस्माईल इन्हीं सिफ़ात के साथ अ़ता हो चुके थे)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

सिद्दीक़ की तारीफ़ (परिभाषा)

صِدِّيْقًا نَّبِيًّا.

लफ़्ज़ 'सिद्दीक़' क़ुरआन का एक इस्तिलाही लफ़्ज़ है इसके मायने और तारीफ़ में उलेमा के अक़वाल भिन्न हैं। कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि जिस शख़्स ने उम्र में कभी झूठ न बोला हो वह सिद्दीक़ है, कुछ ने फ़रमाया कि जो शख़्स एतिक़ाद और क़ौल व अ़मल हर चीज़ में सादिक़ हो यानी जो दिल में एतिक़ाद हो ठीक वही ज़बान पर हो और उसका हर काम और हर हरकत व सुकून उसी एतिक़ाद और क़ौल के ताबे हो। तफ़सीरे रूहुल-मआ़नी और तफ़सीरे मज़हरी वग़ैरह में इसी आख़िरी मायने को इख़्तियार किया है, और फिर सिद्दीक़ियत के दर्जे अलग-अलग हैं, असल सिद्दीक़ तो नबी व रसूल ही हो सकता है और हर नबी व रसूल के लिये सिद्दीक़ होना लाज़िमी वस्फ़ (अनिवार्य गुण) है मगर इसके विपरीत नहीं कि जो सिद्दीक़ हो उसका नबी होना ज़रूरी हो, बल्कि ग़ैर-नबी भी जो अपने नबी व रसूल की पैरवी में सिद्क़ का यह मक़ाम हासिल कर ले वह भी सिद्दीक़ कहलायेगा। हज़रत मरियम को ख़ुद क़ुरआने करीम ने 'उम्मुहू सिद्दीक़ा' ख़िताब दिया है हालाँकि उम्मत की अक्सरियत के नज़दीक वह नबी नहीं, और कोई औरत नबी नहीं हो सकती।

अपने बड़ों को नसीहत करने का तरीक़ा और उसके आदाब

"या अ-बति" अ़रबी लुग़त के एतिबार से यह लफ़्ज़ बाप के सम्मान व मुहब्बत का ख़िताब है। हज़रत ख़लीलुल्लाह अ़लैहिस्सलाम को हक़ तआ़ला ने जो मक़ाम तमाम कमालात व सिफ़तों के जामे होने का अ़ता फ़रमाया था उनकी यह तक़रीर जो अपने वालिद के सामने हो रही है मिज़ाज के एतिदाल और मुख़्तलिफ़ चीज़ों में रियायत की एक बेनज़ीर तक़रीर है, कि एक तरफ़ बाप को शिर्क व कुफ़्र और खुली गुमराही में न सिर्फ़ मुब्तला बल्कि उसका दावत देने वाला देख रहे हैं जिसके मिटाने ही के लिये ख़लीलुल्लाह पैदा किये गये हैं, दूसरी तरफ़ बाप का अदब और बड़ाई व मुहब्बत है। इन दोनों ज़िदों (एक दूसरे के उलट और विपरीत बातों) को हज़रत ख़लीलुल्लाह ने किस तरह जमा फ़रमाया, अव्वल तो 'या अ-बति' का लफ़्ज़ जो बाप की मेहरबानी और मुहब्बत का प्रतीक है हर जुमले के शुरू में इस लफ़्ज़ से ख़िताब किया, फिर किसी जुमले में बाप की तरफ़ कोई लफ़्ज़ ऐसा मन्सूब नहीं जिससे उसकी तौहीन या दिल दुखाना हो, कि उसको गुमराह या काफ़िर कहते बल्कि पैग़म्बराना हिक्मत के साथ सिर्फ़ उनके बुतों की बेबसी और बेहिसी का इज़हार फ़रमाया कि उनको ख़ुद अपनी ग़लत रविश (चाल और राह) की तरफ़ तवज्जोह हो जाये। दूसरे जुमले में अपनी उस नेमत का इज़हार फ़रमाया जो अल्लाह तआ़ला ने उनको नुबुव्वत के उलूम की अ़ता फ़रमाई थी। तीसरे और चौथे जुमले में उस बुरे अन्जाम से डराया जो इस शिर्क व कुफ़्र के नतीजे में आने वाला था। इस पर भी बाप ने बजाय किसी ग़ौर व फ़िक्र या यह कि उनकी फ़रज़न्दाना गुज़ारिश पर कुछ

नर्मी का पहलू इख़्तियार करते, पूरी सख़्ती के साथ ख़िताब किया, इन्होंने तो ख़िताब 'या अ-बति' के प्यारे लफ़्ज़ से किया था जिसका जवाब उर्फ़ में 'या बुनय्-य' के लफ़्ज़ से होना चाहिये था मगर आज़र ने इनका नाम लेकर 'या इब्राहीमु' से ख़िताब किया और इनको संगसार करके क़त्ल करने की धमकी और घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। इसका जवाब हज़रत ख़लीलुल्लाह की तरफ़ से क्या मिलता है वह सुनने और याद रखने के क़ाबिल है। फ़रमाया 'सलामुन् अ़लै-क'। यहाँ लफ़्ज़ सलाम दो मायने के लिये हो सकता है– अव्वल यह कि यह सलाम ताल्लुक़ ख़त्म करने का हो, यानी किसी से ताल्लुक़ तोड़ने का शरीफ़ाना और सभ्य तरीक़ा यह है कि बात का जवाब देने के बजाय लफ़्ज़ सलाम कहकर उससे अलग हो जाये, जैसा कि क़ुरआने करीम ने अपने मक़बूल व नेक बन्दों की सिफ़त में बयान फ़रमाया है:

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

यानी जब जाहिल लोग उनसे जाहिलाना ख़िताब करते हैं तो वे उनसे दू-ब-दू होने के बजाय लफ़्ज़ सलाम कहते हैं, जिसका मतलब यह है कि बावजूद मुख़ालफ़त के मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ और नुक़सान न पहुँचाऊँगा। और दूसरा मतलब यह है कि यहाँ सलाम परिचित सलाम ही के मायने में हो, इसमें फ़िक़्ही शुब्हा यह है कि किसी काफ़िर को सलाम की शुरूआत करना हदीस में मना है, सही बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام.

(यानी यहूदियों व ईसाईयों को सलाम में पहल न करो) मगर इसके विपरीत हदीस की कुछ रिवायतों में एक ऐसे मजमे को शुरू में सलाम करना ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से साबित है जिसमें काफ़िर व मुश्रिक और मुसलमान सब जमा थे जैसा कि सही बुख़ारी व मुस्लिम ही में हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से साबित है।

इसी लिये उम्मत के फ़ुक़हा (क़ुरआन व हदीस के माहिर उलेमा) का इसके जायज़ होने या न होने में मतभेद हुआ। कुछ सहाबा व ताबिईन और मुज्तहिद इमामों के क़ौल व अ़मल से इसका जायज़ होना साबित होता है, कुछ से जायज़ न होना, जिसकी तफ़सील इमाम क़ुर्तुबी ने 'अहकामुल-क़ुरआन' में इसी आयत के तहत बयान की है। और इमाम नख़ई ने यह फ़ैसला फ़रमाया कि अगर तुम्हें किसी काफ़िर यहूदी ईसाई से मिलने की कोई दीनी या दुनियावी ज़रूरत पेश आ जाये तो उसको शुरू में पहल करते हुए सलाम करने में हर्ज नहीं और बेज़रूरत सलाम की शुरूआत करने से बचना चाहिये। इसमें उक्त दोनों हदीसों में मुवाफ़क़त हो जाती है। वल्लाहु आलम। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي.

यहाँ भी यह इश्काल (शुब्हा व खटक) है कि किसी काफ़िर के लिये इस्तिग़फ़ार (अल्लाह तआ़ला से उसकी मग़फ़िरत व बख़्शिश की दुआ़ व दरख़्वास्त) करना शरअ़न वर्जित व नाजायज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से फ़रमाया था:

وَاللّٰہ لاستغفرنّ لک مالم انہ عنہ۔

(यानी अल्लाह की क़सम मैं आपके लिये उस वक़्त तक ज़रूर इस्तिग़फ़ार यानी दुआ-ए-मग़फ़िरत करता रहूँगा जब तक अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से मुझे मना न फ़रमा दिया जाये) इस पर यह आयत नाज़िल हुई:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ.

(यानी नबी और ईमान वालों के लिये जायज़ नहीं है कि मुश्रिकों के लिये इस्तिग़फ़ार करें) इस आयत के नाज़िल होने पर आपने चचा के लिये इस्तिग़फ़ार करना छोड़ दिया।

शुब्हे का जवाब यह है कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम का बाप से वायदा करना कि आपके लिये इस्तिग़फ़ार करूँगा यह मनाही आने से पहले का वाक़िआ़ है, उसके बाद मनाही कर दी गयी। सूरः मुम्तहिना में हक़ तआ़ला ने ख़ुद इस वाक़िए को अलग करके ज़िक्र फ़रमाया और इसकी इत्तिला दे दी है:

إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ.

और इससे ज़्यादा स्पष्ट सूरः तौबा में ज़िक्र हुई आयतः

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا.

के बाद दूसरी आयत में फ़रमाया है:

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ.

जिससे मालूम हुआ कि यह इस्तिग़फ़ार और इसका वायदा बाप के कुफ़्र पर जमे रहने और ख़ुदा का दुश्मन साबित होने से पहले का था, जब यह हक़ीक़त खुल गयी तो उन्होंने भी बराअत का ऐलान कर दिया।

وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي.

एक तरफ़ तो हज़रत ख़लीलुल्लाह अ़लैहिस्सलाम ने बाप के अदब व मुहब्बत की रियायत में यह इन्तिहा कर दी जिसका ज़िक्र ऊपर आ चुका है, दूसरी तरफ़ यह भी नहीं होने दिया कि हक़ के इज़हार और उस पर मज़बूती को कोई अदना सी ठेस लगे। बाप ने जो घर से निकल जाने का हुक्म दिया था उसको इस जुमले में ख़ुशी से मन्ज़ूर कर लिया और साथ ही यह भी बतला दिया कि मैं तुम्हारे बुतों से बेज़ार हूँ सिर्फ़ अपने रब को पुकारता हूँ।

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ.

इस जुमले से पहले जुमले में इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम का यह क़ौल आया है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने परवर्दिगार से दुआ़ करने में नाकाम व नामुराद नहीं हूँगा। ज़ाहिर यह है कि घर और ख़ानदान से जुदाई के बाद तन्हाई की घबराहट वग़ैरह के असरात से बचने की दुआ़ मुराद थी, उक्त जुमले में इस दुआ़ का क़ुबूल होना इस तरह बयान फ़रमाया गया है कि जब इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिये अपने घर ख़ानदान और उनके माबूदों को छोड़ दिया तो अल्लाह तआ़ला ने उसकी

भरपाई इस तरह फ़रमाई कि उनको बेटा इस्हाक़ अ़लैहिस्सलाम अ़ता फ़रमाया और साथ ही उसका लम्बी उम्र पाना और औलाद वाला होना भी लफ़्ज़ याक़ूब बढ़ाकर ज़िक्र फ़रमा दिया और बेटे का अ़ता होना इसकी दलील है कि इससे पहले निकाह हो चुका था, तो इसका हासिल यह हुआ कि बाप के ख़ानदान से बेहतर एक मुस्तक़िल ख़ानदान दे दिया जो नबियों और नेक लोगों पर मुश्तमिल था।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوسٰى ۚ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿٥١﴾ وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هٰرُونَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ إِسْمٰعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ۖ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ إِدْرِيسَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿٥٦﴾ وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾ أُولٰٓئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ ۗ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۖ وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرٰهِيمَ وَإِسْرَآءِيلَ ۖ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ﴿٥٨﴾

वज़्कुर् फ़िल्किताबि मूसा इन्नहू का-न मुख़्लसंव्-व का-न रसूलन् नबिय्या (51) व नादैनाहु मिन् जानिबित्तूरिल्-ऐ-मनि व क़र्रब्नाहु नजिय्या (52) व व-हब्ना लहू मिर्रह्मतिना अख़ाहु हारू-न नबिय्या (53) वज़्कुर् फ़िल्किताबि इस्माअ़ी-ल इन्नहू का-न सादिक़ल्-वअ़्दि व का-न रसूलन् नबिय्या (54) व का-न यअ्मुरु अह्लहू बिस्सलाति वज़्ज़काति व का-न अ़िन्-द रब्बिही मर्ज़िय्या (55) वज़्कुर् फ़िल्-किताबि इद्री-स इन्नहू का-न सिद्दीक़न् नबिय्या (56) व रफ़अ़्नाहु मकानन् अ़लिय्या (57)	और ज़िक्र कर किताब में मूसा का बेशक वह था चुना हुआ और था रसूल नबी। (51) और पुकारा हमने उसको दाहिनी तरफ़ से तूर पहाड़ की और नज़दीक बुलाया उसको भेद कहने को। (52) और बख़्शा हमने उसको अपनी मेहरबानी से उसका भाई हारून नबी। (53) और ज़िक्र कर किताब में इस्माईल का वह था वायदे का सच्चा और था रसूल नबी। (54) और हुक्म करता था अपने घर वालों को नमाज़ का और ज़कात का और था अपने रब के यहाँ पसन्दीदा। (55) और ज़िक्र कर किताब में इदरीस का, वह था सच्चा नबी। (56) और उठा लिया हमने उसको एक ऊँचे मकान पर। (57)

उलाइ-कल्लज़ी-न अन्अ़मल्लाहु अ़लैहिम् मिनन्-नबिय्यी-न मिन् ज़ुर्रिय्यति आद-म, व मिम्-मन् हमल्ना म-अ़ नूहिंव्-व मिन् ज़ुर्रिय्यति इब्राही-म व इस्राई-ल, व मिम्-मन् हदैना वज्तबैना, इज़ा तुत्ला अ़लैहिम् आयातुर्रह्मानि ख़र्रू सुज्जदंव्-व बुकिय्या। (58) ۞	ये वे लोग हैं जिन पर इनाम किया अल्लाह ने पैग़म्बरों में आदम की औलाद में, और उनमें जिनको सवार कर लिया हमने नूह के साथ और इब्राहीम की औलाद में और इस्राईल की, और उनमें जिनको हमने हिदायत की और पसन्द किया जब उनको सुनाये आयतें रहमान की गिरते हैं सज्दे में और रोते हुए। (58) ۞

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और इस किताब (यानी क़ुरआन) में मूसा (अ़लैहिस्सलाम) का भी ज़िक्र कीजिए (यानी लोगों को सुनाईए वरना किताब में ज़िक्र करने वाला तो हक़ीक़त में अल्लाह तआ़ला है) बेशक वह (अल्लाह तआ़ला के) ख़ास किये हुए (बन्दे) थे, और वह रसूल भी थे, नबी भी थे और हमने उनको तूर (पहाड़) की दाहिनी जानिब से आवाज़ दी, और हमने उनको राज़ की बातें करने के लिये निकटता वाला बनाया। और हमने उनको अपनी रहमत (और इनायत) से उनके भाई हारून को नबी बनाकर अ़ता किया (यानी उनकी दरख़्वास्त के मुवाफ़िक़ उनको नबी किया ताकि उनकी मदद करें) और इस किताब में इस्माईल (अ़लैहिस्सलाम) का भी ज़िक्र कीजिये, बेशक वह वायदे के (बड़े) सच्चे थे, और वह रसूल भी थे, नबी भी थे और अपने से जुड़े अफ़राद को (ख़ासकर) नमाज़ और ज़कात का (और दूसरे अहकाम का उमूमन) हुक्म करते रहते थे, और वह अपने रब के नज़दीक पसन्दीदा थे। और इस किताब में इदरीस (अ़लैहिस्सलाम) का भी ज़िक्र कीजिये, बेशक वह बड़े रास्ती वाले नबी थे। और हमने उनको (कमालात में) बुलन्द रुतबे तक पहुँचाया। ये (हज़रात जिनका सूरत के शुरू से यहाँ तक ज़िक्र हुआ ज़करिया अ़लैहिस्सलाम से इदरीस अ़लैहिस्सलाम तक) वे लोग हैं जिन पर अल्लाह तआ़ला ने (ख़ास) इनाम फ़रमाया है (चुनाँचे नुबुव्वत से बढ़कर कौनसी नेमत होगी। दूसरे अम्बिया की तरह) इन सब में (यह वस्फ़ उक्त तमाम हज़रात में साझा है, और यह सब) आदम (अ़लैहिस्सलाम) की नस्ल से (थे) और (बाज़े इनमें) उन लोगों (की नस्ल) से (थे) जिनको हमने नूह (अ़लैहिस्सलाम) के साथ (कश्ती में) सवार किया था (चुनाँचे सिवाय इदरीस अ़लैहिस्सलाम के कि वह नूह अ़लैहिस्सलाम के पूर्वजों में से हैं बाक़ी सब में यह वस्फ़ है) और (बाज़े उनमें) इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) और याक़ूब (अ़लैहिस्सलाम) की नस्ल से (थे चुनाँचे हज़रत ज़करिया व यहया व मूसा अ़लैहिमुस्सलाम दोनों की औलाद में थे और इस्हाक़ व इस्माईल व याक़ूब अ़लैहिमुस्सलाम सिर्फ़ हज़रत इब्राहीम की औलाद में थे) और (यह सब हज़रात) उन लोगों में से (थे) जिनको हमने हिदायत फ़रमाई और उनको मक़बूल

बनाया (और बावजूद उस मक़बूलियत और ख़ास करने के इन सब हज़रात की बन्दगी की यह कैफ़ियत थी कि) जब उनके सामने (अल्लाह) रहमान की आयतें पढ़ी जाती थीं तो (अपनी आजिज़ी व बेबसी और फ़रमाँबरदारी के अधिक इज़हार के लिये) सज्दा करते हुए और रोते हुए (ज़मीन पर) गिर जाते थे।

मआरिफ़ व मसाईल

كَانَ مُخْلَصًا.

'मुख़्लसन्' वह शख़्स जिसको अल्लाह तआ़ला ने अपने लिये ख़ालिस कर लिया हो, यानी जिसको ग़ैरुल्लाह की तरफ़ तवज्जोह न हो, उसने अपने नफ़्स और तमाम इच्छाओं को अल्लाह की मर्ज़ी के लिये मख़्सूस कर दिया हो। यह शान ख़ुसूसी तौर पर अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की होती है जैसा कि क़ुरआन में एक दूसरी जगह इरशाद है:

اِنَّآ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ○

यानी हमने उनको मख़्सूस कर दिया है एक ख़ास काम यानी आख़िरत के घर की याद के लिये। उम्मत में जो कामिल बुज़ुर्ग हज़रात अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के नक़्शे क़दम पर हों उनको भी इस मक़ाम का एक दर्जा मिलता है, उसकी निशानी यह होती है कि वे क़ुदरती तौर पर गुनाहों और बुराईयों से बचा दिये जाते हैं, अल्लाह तआ़ला की हिफ़ाज़त उनके साथ होती है।

مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ.

यह मशहूर पहाड़ मुल्क शाम में मिस्र और मद्‌यन के बीच स्थित है, आज भी इसी नाम से मशहूर है। हक़ तआ़ला ने इसको भी बहुत सी चीज़ों में एक विशेषता और शान इनायत की है।

'अल्-ऐमनि'। तूर पहाड़ की यह दाहिनी जानिब हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के एतिबार से बतलाई गयी है, क्योंकि वह 'मद्‌यन' से चले थे, जब तूर के बराबर में पहुँचे तो तूर उनकी दाहिनी तरफ़ था। 'नजिय्या' चुपके-चुपके बातें करने और ख़ुसूसी कलाम को मुनाजात और जिस शख़्स से ऐसा कलाम किया जाये उसको 'नजी' कहा जाता है।

وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَآ اَخَاهُ هٰرُوْنَ.

'हिबा' के लफ़्ज़ी मायने अ़तीये (यानी किसी चीज़ के देने) के हैं, हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने दुआ़ की थी कि उनकी इमदाद के लिये हज़रत हारून को भी नबी बना दिया जाये, यह दुआ़ क़ुबूल की गयी, इसी को लफ़्ज़ 'वहब्ना' से ताबीर किया गया है, यानी हमने अ़तीया दे दिया मूसा अ़लैहिस्सलाम को हारून का। इसी लिये हज़रत हारून को 'हिबतुल्लाह' भी कहा जाता है। (मज़हरी)

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ.

ज़ाहिर यही है कि इससे मुराद हज़रत इस्माईल बिन इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम हैं, मगर उनका ज़िक्र उनके वालिद और भाई इब्राहीम व इस्हाक़ के ज़िक्र के साथ नहीं फ़रमाया बल्कि हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम का ज़िक्र बीच में आने के बाद उनका ज़िक्र फ़रमाया। शायद इसमें मक़सूद उनके ज़िक्र

का ख़ास एहतिमाम हो कि किसी के तहत में लाने के बजाय मुस्तकिल तौर पर ज़िक्र किया गया और यहाँ जितने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र किया गया है उनमें उनके नबी बनाकर भेजे जाने के ज़माने की तरतीब नहीं रखी गयी क्योंकि इदरीस अलैहिस्सलाम जिनका ज़िक्र इन सब के बाद आ रहा है वह ज़माने के लिहाज़ से इन सबसे पहले हैं।

كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ.

वायदे का पूरा करना एक ऐसी अच्छी आदत और उम्दा अख़्लाक़ में से है, शरीफ़ आदमी इसको ज़रूरी समझता है और इसके ख़िलाफ़ करने को एक घटिया और कमीनी हरकत क़रार दिया जाता है। हदीस में वायदा-ख़िलाफ़ी को निफ़ाक़ की निशानी बतलाया है, इसी लिये अल्लाह का कोई नबी व रसूल ऐसा नहीं जो वायदे में सच्चा न हो, मगर यहाँ बयान के दौरान में ख़ास-ख़ास अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र के साथ कोई ख़ास वस्फ़ (ख़ूबी और गुण) भी ज़िक्र किया गया है, इसका यह मतलब नहीं कि यह वस्फ़ (ख़ूबी और कमाल) दूसरों में नहीं, बल्कि इशारा इस बात की तरफ़ है कि इनमें यह ख़ास सिफ़त एक विशेष हैसियत रखती है, जैसे अभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के साथ उनका 'मुख़्लस' होना ज़िक्र फ़रमाया है हालाँकि यह सिफ़त भी तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम में आम है, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इसमें एक ख़ास विशेषता हासिल थी इसलिये उनके ज़िक्र में इसको ज़िक्र फ़रमाया गया।

हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वायदे में सच्चा और उसको पूरा करने वाला होना विशेष इस बिना पर है कि उन्होंने जिस चीज़ का वायदा अल्लाह से या किसी बन्दे से किया उसको बड़ी मज़बूती और एहतिमाम से पूरा किया, उन्होंने अल्लाह से वायदा किया था कि अपने आपको ज़िबह करने के लिये पेश कर देंगे और उस पर सब्र करेंगे, इसमें पूरे उतरे। एक शख़्स से एक जगह मिलने का वायदा किया वह वक़्त पर न आया तो उसके इन्तिज़ार में तीन दिन और कुछ रिवायतों में है कि एक साल उसका इन्तिज़ार करते रहे। (तफ़सीरे मज़हरी) और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से भी तिर्मिज़ी में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अबिल-हमसा की रिवायत से ऐसा ही वाक़िआ वायदा करके तीन दिन तक उसी जगह इन्तिज़ार करने का नक़ल किया गया है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

वायदा पूरा करने की अहमियत और उसका दर्जा

वायदा पूरा करना नबियों और नेक लोगों का ख़ास वस्फ़ (ख़ूबी और गुण) और तमाम शरीफ़ इनसानों की आदत है, इसके ख़िलाफ़ करना फ़ासिक़ों, गुनाहगारों और कमीने लोगों की ख़स्लत है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है:

العدة دين.

(वायदा एक क़र्ज़ है) यानी जिस तरह क़र्ज़ की अदायेगी इनसान पर लाज़िम है इसी तरह वायदा पूरा करने का एहतिमाम भी लाज़िम है। दूसरी एक हदीस में ये अलफ़ाज़ हैं:

وای المؤمن واجب.

यानी वायदा मोमिन का वाजिब है।

फ़ुक़हा हज़रात ने एक राय होकर यह फ़रमाया है कि वायदे का क़र्ज़ होना और वायदे का पूरा करना वाजिब होना इस मायने में है कि बिना शरई उज़्र के उसको पूरा न करना गुनाह है, लेकिन वह ऐसा क़र्ज़ नहीं जिसके लिये अदालत में क़ानूनी कार्रवाई की जा सके और ज़बरदस्ती वसूल किया जा सके, जिसको फ़ुक़हा (मसाईल के माहिर उलेमा व इमामों) की परिभाषा में यूँ ताबीर किया जाता है कि दियानत के तौर पर वाजिब है अदालती फ़ैसले के तौर पर वाजिब नहीं। (क़ुर्तुबी वग़ैरह)

सुधारक का फ़र्ज़ है कि इस्लाह का काम अपने घर वालों से शुरू करे

كَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ.

हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के विशेष गुणों और सिफ़तों में से एक यह भी बयान फ़रमाया कि वह अपने अहल व अयाल (घर वालों और बाल-बच्चों) को नमाज़ और ज़कात का हुक्म देते थे। यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि यह काम तो हर मोमिन मुसलमान के ज़िम्मे वाजिब है कि अपने अहल व अयाल को नेक कामों की हिदायत करता रहे, क़ुरआने हकीम में आम मुसलमानों को ख़िताब है:

قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا.

यानी बचाव अपने आपको और अपने अहल व अयाल (घर वालों) को आग से। फिर इसमें हज़रत इस्माईल की ख़ुसूसियत क्या है? बात यह है कि हुक्म अगरचे आम है और सभी मुसलमान इसके मुकल्लफ़ (पाबन्द व ज़िम्मेदार) हैं लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम इसके एहतिमाम व इन्तिज़ाम में ख़ास कोशिश फ़रमाते थे जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भी यह ख़ुसूसी हिदायत मिली थी:

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ۝

यानी अपने ख़ानदान के क़रीबी रिश्तेदारों को अल्लाह के अज़ाब से डराईये। आपने इसकी तामील में अपने ख़ानदान को जमा करके ख़ुसूसी ख़िताब फ़रमाया।

दूसरी बात यहाँ क़ाबिले ग़ौर यह है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम सब के सब पूरी क़ौम की हिदायत के लिये भेजे जाते हैं और वे सभी को हक़ का पैग़ाम पहुँचाते और अल्लाह के हुक्म का पाबन्द करते हैं, अहले व अयाल की ख़ुसूसियत में क्या हिक्मत है? बात यह है कि पैग़म्बराना दावत के ख़ास उसूल हैं, उनमें यह अहम बात है कि जो हिदायत अल्लाह की आम मख़्लूक़ को दी जाये उसको पहले अपने घर से शुरू करे। अपने घर वालों को उसका मानना और मनवाना दूसरों के मुक़ाबले में आसान भी होता है, उसकी निगरानी भी हर वक़्त की जा सकती है और वे जब किसी ख़ास रंग को इख़्तियार कर लें और वे उसमें पुख़्ता हो जायें तो उससे एक दीनी माहौल पैदा होकर दावत को आम करने और दूसरों की इस्लाह (सुधार) करने में बड़ी क़ुव्वत पैदा हो जायेगी। मख़्लूक़

की इस्लाह के लिये सबसे ज़्यादा असरदार चीज़ एक सही दीनी माहौल का वजूद में लाना है। तजुर्बा गवाह है कि हर भलाई या बुराई, सीखने-सिखाने, समझने और समझाने से ज़्यादा माहौल के ज़रिये फैलती और बढ़ती है।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ.

हज़रत इदरीस अ़लैहिस्सलाम हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम से एक हज़ार साल पहले हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम के पूर्वजों में से हैं। (तफ़सीरे रूहुल-मआ़नी मुस्तद्रक हाकिम के हवाले से) और यह हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम के बाद पहले नबी व रसूल हैं जिन पर अल्लाह तआ़ला ने तीस सहीफ़े (छोटी-छोटी आसमानी किताबें) नाज़िल फ़रमाये। (जैसा कि हज़रत अबूज़र की हदीस में है। ज़मख़्शरी) और इदरीस अ़लैहिस्सलाम सबसे पहले इनसान हैं जिनको नुजूम (सितारों) और हिसाब का इल्म मोजिज़े के तौर पर अ़ता किया गया। (बहरे मुहीत) और सबसे पहले इनसान हैं जिन्होंने क़लम से लिखना और कपड़ा सीना ईजाद किया। इनसे पहले लोग उमूमन जानवरों की खाल लिबास की जगह इस्तेमाल करते थे, और सबसे पहले नाप-तौल के तरीक़े भी आपने ही ईजाद फ़रमाये और असलेहा की ईजाद भी आप से शुरू हुई। आपने असलेहा (हथियार) तैयार करके बनू क़ाबील (क़ाबील के औलाद) से जिहाद किया। (बहरे मुहीत, क़ुर्तुबी, मज़हरी, रूहुल-मआ़नी)

وَرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝

यानी हमने इदरीस अ़लैहिस्सलाम को बुलन्द मक़ाम में उठा लिया। मायने यह हैं कि उनको नुबुव्वत व रिसालत और अल्लाह की निकटता का ख़ास मक़ाम अ़ता फ़रमाया गया। और कुछ रिवायतों में जो इनका आसमान पर उठाना नक़ल किया गया है उनके बारे में अ़ल्लामा इब्ने कसीर रह. ने फ़रमायाः

هذا من اخبار كعب الاحبار الاسرائيليات وفي بعضه نكارة.

कि यह कअ़बे अहबार की इस्राईली रिवायतों में से है और उनमें से कुछ में ग़ैर-मोतबरियत पाई जाती है।

और क़ुरआने करीम के उक्त अलफ़ाज़ बहरहाल इस मामले में ज़्यादा स्पष्ट नहीं कि यहाँ दर्जों का बुलन्द करना मुराद है या ज़िन्दा आसमान में उठाना मुराद है, इसलिये इनका आसमान की तरफ़ उठाया जाना यक़ीनी नहीं और क़ुरआन की तफ़सीर इस पर मौक़ूफ़ नहीं। (बयानुल-क़ुरआन)

रसूल और नबी की परिभाषा में फ़र्क़ और इनमें आपसी निस्बत

फ़ायदा अज़ बयानुल-क़ुरआनः- रसूल और नबी की तारीफ़ (परिभाषा) में अनेक क़ौल हैं, विभिन्न आयतों में ग़ौर करने से जो बात मेरे नज़दीक ज़्यादा वाज़ेह है वह यह है कि इन दोनों के मफ़्हूम में दो अलग-अलग निस्बतें पाई जाती हैं। रसूल वह है जो अपने मुख़ातबों (यानी जिनकी

तरफ़ उसको भेजा गया है) को नई शरीअ़त (अल्लाह का क़ानून) पहुँचाये, चाहे वह शरीअ़त ख़ुद उस रसूल के एतिबार से भी नई हो जैसे तौरात वग़ैरह या सिर्फ़ उनकी उम्मत के एतिबार से नई हो जैसे इस्माईल अ़लैहिस्सलाम की शरीअ़त, वह दर असल हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की पुरानी शरीअ़त ही थी लेकिन जुर्हुम क़ौम जिनकी तरफ़ उनको नबी बनाकर भेजा गया था उनको शरीअ़त का इल्म पहले से न था, हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम ही के ज़रिये हुआ। इस मायने के एतिबार से रसूल के लिये नबी होना ज़रूरी नहीं जैसे फ़रिश्ते कि वे रसूल तो हैं मगर नबी नहीं हैं, या जैसे हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के भेजे हुए क़ासिद जिनको सूरः यासीन की आयत 'इज़् जाअहलु् मुर्सलून' में रसूल कहा गया है, हालाँकि वे नबी नहीं थे।

और नबी वह है जो वही वाला हो, चाहे नई शरीअ़त की तब्लीग़ करे या पुरानी शरीअ़त की, जैसे बनी इस्राईल के अक्सर अम्बिया मूसा अ़लैहिस्सलाम की शरीअ़त की तब्लीग़ करते थे। इससे मालूम हुआ कि एक एतिबार से लफ़्ज़ रसूल नबी से आ़म है और दूसरे एतिबार से लफ़्ज़ नबी रसूल की तुलना में आ़म है। जिस जगह ये दोनों लफ़्ज़ एक साथ इस्तेमाल किये गये जैसा कि उक्त आयतों में 'रसूलन् नबिय्यन्' आया है, वहाँ तो कोई शुब्हा नहीं कि ख़ास और आ़म दोनों जमा हो सकते हैं कोई टकराव नहीं, लेकिन जिस जगह ये दो लफ़्ज़ एक दूसरे के मुक़ाबिल आये हैं जैसे:

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ.

में तो इस जगह मौक़े मक़ाम के लिहाज़ से लफ़्ज़ नबी को ख़ास उस शख़्स के मायने में लिया जायेगा जो पहली शरीअ़त की तब्लीग़ करता है।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ.

इससे मुराद सिर्फ़ हज़रत इदरीस अ़लैहिस्सलाम हैं।

وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ.

इससे मुराद सिर्फ़ इस्माईल व इस्हाक़ व याक़ूब अ़लैहिमुस्सलाम हैं। 'व इसराई-ल' इससे मुराद हज़रत मूसा व हारून व हज़रत ज़करिया व यहया व ईसा अ़लैहिमुस्सलाम हैं।

اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا۝

पीछे की आयतों में चन्द बड़े अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम का ज़िक्र ख़ास तौर से किया गया है जिसमें उनकी बड़ी शान को बयान किया गया है, चूँकि अम्बिया की अ़ज़मत (बड़ाई व शान) में अ़वाम की तरफ़ से हद से गुज़र जाने का ख़तरा था जैसे यहूदियों ने हज़रत उज़ैर को और ईसाईयों ने हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम को ख़ुदा ही बना दिया, इसलिये इस मजमूए के बाद इन सब का अल्लाह तआ़ला के सामने सज्दा गुज़ार और ख़ौफ़ व डर से भरपूर होना इस आयत में ज़िक्र फ़रमा दिया गया ताकि (आम लोग उनके मर्तबे को पहचानने के बारे में) कमी-बेशी करने से बचें। (बयानुल-क़ुरआन)

क़ुरआन की तिलावत के दौरान आँखें भर आना नबियों की सुन्नत है

इससे मालूम हुआ कि क़ुरआनी आयतों की तिलावत के वक़्त बुका (रोने) की कैफ़ियत पैदा होना अच्छा, पसन्दीदा और अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की सिफ़त है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से और सहाबा व ताबिईन और औलिया-अल्लाह से बहुत ज़्यादा इसके वाक़िआ़त मन्क़ूल हैं।

अ़ल्लामा क़ुर्तुबी ने फ़रमाया कि उलेमा ने इस बात को अच्छा और पसन्दीदा क़रार दिया है कि क़ुरआने करीम में जो सज्दे की आयत तिलावत की जाये उसके सज्दे में उसके मुनासिब दुआ़ की जाये, मसलन सूरः सज्दा में यह दुआ़ करें:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ لِوَجْهِكَ الْمُسَبِّحِيْنَ بِحَمْدِكَ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ عَنْ اَمْرِكَ.

अल्लाहुम्मज्अ़ल्नी मिनस्साजिदी-न लिवज्हिकल् मुसब्बिही-न बिहम्दि-क व अऊज़ु बि-क अन् अकू-न मिनल् मुस्तक्बिरी-न अ़न् अम्रि-क।

और 'सुब्हानल्लज़ी' (पन्द्रहवें पारे) के सज्दे में यह दुआ़ करें:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ الْبَاكِيْنَ اِلَيْكَ الْخَاشِعِيْنَ لَكَ.

अल्लाहुम्मज्अ़ल्नी मिनल् बाकी-न इलैकल् ख़ाशिई़-न ल-क।

और उपर्युक्त आयत 'ख़र्रू सुज्जदन्' के सज्दे में यह दुआ़ करें:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنْ عِبَادِكَ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمِ الْمَهْدِيِّيْنَ السَّاجِدِيْنَ لَكَ الْبَاكِيْنَ عِنْدَ تِلَاوَةِ اٰيَاتِكَ.

अल्लाहुम्मज्अ़ल्नी मिन् अ़िबादिकल् मुन्अ़मि अ़लैहिमिल् महदिय्यीनस्साजिदी-न लकल् बाकी-न अ़िन्-द तिलावति आयाति-क। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿۵۹﴾ اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ﴿۶۰﴾ جَنّٰتِ عَدْنِ ِۨالَّتِىْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ ۗ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِيًّا ﴿۶۱﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ۗ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ﴿۶۲﴾ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿۶۳﴾

फ़-ख़-ल-फ़ मिम्-बअ़्दिहिम् ख़ल्फ़ुन् अज़ाअ़ुस्सला-त वत्त-बअ़ुश्श-हवाति फ़सौ-फ़ यल्क़ौ-न ग़य्या (59) इल्ला मन् ता-ब व आम-न व अ़मि-ल	फिर उनकी जगह आये ना-ख़लफ़ खो बैठे नमाज़ और पीछे पड़ गये मज़ों के, सो आगे देख लेंगे गुमराही को। (59) मगर जिसने तौबा की और यक़ीन लाया और

सालिहन् फ़-उलाइ-क यद्ख़ुलूनल्-जन्न-त व ला युज़्लमू-न शैआ (60) जन्नाति अ़द्नि-निल्लती व-अ़दर्रह्मानु अ़िबादहू बिल्ग़ैबि इन्नहू का-न वअ़्दुहू मअ्तिय्या (61) ला यस्मअ़ू-न फ़ीहा लग़्वन् इल्ला सलामन्, व लहुम् रिज़्क़ुहुम् फ़ीहा बुक्रतंव्-व अ़शिय्या (62) तिल्कल्-जन्नतुल्लती नूरिसु मिन् अ़िबादिना मन् का-न तक़िय्या (63)	की नेकी सो वे लोग जायेंगे जन्नत में और उनका हक़ ज़ाया न होगा कुछ। (60) बाग़ों में बसने के जिनका वायदा किया है रहमान ने अपने बन्दों से उनके बिन देखे, बेशक है उसके वायदे पर पहुँचना। (61) न सुनेंगे वहाँ बक-बक सिवाय सलाम, और उनके लिये है उनकी रोज़ी वहाँ सुबह और शाम। (62) यह वह जन्नत है जो मीरास देंगे हम अपने बन्दों में जो कोई होगा परहेज़गार। (63)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

फिर इन (ज़िक्र हुए हज़रात) के बाद (बाज़े) ऐसे ना-ख़लफ़ "यानी नालायक़ और नाफ़रमान" पैदा हुए जिन्होंने नमाज़ को बरबाद किया (चाहे एतिक़ाद के तौर पर कि इनकार किया या अ़मली तौर पर कि उसके अदा करने में या उसके हुक़ूक़ और ज़रूरी आदाब में कोताही की) और (नफ़्सानी नाजायज़) इच्छाओं की पैरवी की (जो ज़रूरी नेक कामों से ग़ाफ़िल करने वाली थीं), सो ये लोग जल्द ही (आख़िरत में) ख़राबी देखेंगे। (चाहे हमेशा के लिये हो या किसी ख़ास मुद्दत के लिये) हाँ मगर जिसने (कुफ़्र व नाफ़रमानी से) तौबा कर ली (और कुफ़्र से तौबा करने का मतलब यह है कि) ईमान ले आया और (नाफ़रमानी से तौबा करना यह है कि) नेक काम करने लगा, सो ये लोग (बिना ख़राबी देखे) जन्नत में जाएँगे और (बदला मिलने के वक़्त) इनका ज़रा नुक़सान न किया जायेगा (यानी हर नेक अ़मल की जज़ा मिलेगी, यानी) उन हमेशा रहने के बाग़ों में (जाएँगे) जिनका रहमान ने अपने बन्दों से ग़ायबाना वायदा फ़रमाया है, (और) उसकी वायदा की हुई चीज़ को ये लोग ज़रूर पहुँचेंगे। उस (जन्नत) में वे लोग कोई फ़ुज़ूल बात सुनने न पाएँगे (क्योंकि वहाँ फ़ुज़ूल बात ही न होगी) सिवाय (फ़रिश्तों और एक दूसरे के) सलाम (करने) के, और (ज़ाहिर है कि सलाम से बहुत ही ख़ुशी और राहत होती है तो वह फ़ुज़ूल नहीं), और उनको उनका खाना सुबह व शाम मिला करेगा (यानी यह तो मुतैयन तौर पर होगा और यूँ दूसरे वक़्त भी अगर चाहेंगे मिलेगा)। यह जन्नत (जिसका ज़िक्र हुआ) ऐसी है कि हम अपने बन्दों में से इसका मालिक ऐसों को बना देंगे जो कि ख़ुदा से डरने वाले हों (जो आधार है ईमान और नेक अ़मल का)।

मआरिफ़ व मसाईल

'ख़ल्फ़' का लफ़्ज़ बुरे क़ायम मक़ाम (जानशीन) और बुरी औलाद के लिये, और 'ख़लफ़' अच्छे क़ायम मक़ाम और अच्छी औलाद के लिये इस्तेमाल होता है। (तफ़सीरे मज़हरी) मुजाहिद रह. का क़ौल है कि यह वाक़िआ क़ियामत के क़रीब उम्मत के नेक लोगों के ख़त्म हो जाने के बाद होगा कि नमाज़ की तरफ़ तवज्जोह न रहेगी और बदकारी व बुरे काम खुल्लम-खुल्ला होने लगेंगे।

नमाज़ का बेवक़्त या बिना जमाअ़त के पढ़ना नमाज़ को ज़ाया करना और बड़ा गुनाह है

اَضَاعُوا الصَّلٰوۃَ.

नमाज़ के ज़ाया (बरबाद) करने से मुराद मुफ़स्सिरीन की अक्सरियत– अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद, इमाम नख़ई, क़ासिम, मुजाहिद, इब्राहीम, उमर बिन अ़ब्दुल-अ़ज़ीज़ वग़ैरह के नज़दीक नमाज़ को उसके वक़्त से लेट करके पढ़ना है, और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि नमाज़ के आदाब व शर्तों में से किसी में कोताही करना जिसमें वक़्त भी दाख़िल है, नमाज़ के ज़ाया करने में शामिल है, और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि नमाज़ के ज़ाया करने से मुराद बग़ैर जमाअ़त के घर में नमाज़ पढ़ लेना है।

(तफ़सीरे क़ुर्तुबी, बहरे मुहीत)

हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अपनी हुकूमत के तमाम गवर्नरों और हाकिमों को यह हिदायत नामा लिखकर भेजा थाः

ان اھم امرکم عندی الصّلٰوۃ. فمن ضیّعھا فھو لماسواھا اضیع.

"मेरे नज़दीक तुम्हारे सब कामों में सबसे ज़्यादा अहम नमाज़ है, तो जो शख़्स नमाज़ को ज़ाया करता है वह दीन के दूसरे तमाम अहकाम को भी और ज़्यादा ज़ाया करेगा। (मुवत्ता मालिक)

हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने एक शख़्स को देखा कि नमाज़ के आदाब और अरकान के सही अदा करने में कोताही करता है तो उससे मालूम किया कि तुम कब से यह नमाज़ पढ़ते हो? उसने कहा कि चालीस साल से, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि तुमने एक भी नमाज़ नहीं पढ़ी, और अगर तुम इसी तरह की नमाज़ें पढ़ते हुए मर गये तो याद रखो कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के तरीक़े के ख़िलाफ़ मरोगे।

तिर्मिज़ी में हज़रत अबू मसऊद अन्सारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि उस शख़्स की नमाज़ नहीं होती जो नमाज़ में इक़ामत न करे। मुराद यह है कि जो रुकूअ़ और सज्दे में और रुकूअ़ से खड़े होकर या दो सज्दों के बीच में सीधा खड़ा होने या सीधा बैठने का एहतिमाम न करे उसकी नमाज़ नहीं होती।

ख़ुलासा यह है कि जिस शख़्स ने वुज़ू और तहारत में कोताही की या नमाज़ के रुकूअ़ सज्दे में

या इन दोनों के बीच में सीधा खड़ा होने बैठने में जल्द बाज़ी की उसने नमाज़ को ज़ाया कर दिया।

हज़रत हसन रह. नमाज़ को ज़ाया करने और इच्छाओं की पैरवी करने के बारे में फ़रमाया कि मस्जिदों को बेकार कर दिया और उद्योग व व्यापार और लज़्ज़तों व इच्छाओं में मुब्तला हो गये।

इमाम क़ुर्तुबी रह. इन रिवायतों को नक़ल करके फ़रमाते हैं कि आज इल्म रखने वालों और परिचित नेक लोगों में ऐसे आदमी पाये जाते हैं जो नमाज़ के आदाब से ग़ाफ़िल, महज़ नक़ल व हरकत (यानी नमाज़ के ज़ाहिरी अरकान पूरे) करते हैं। यह छठी सदी हिजरी का हाल था जिसमें ऐसे लोग बहुत ही कम पाये जाते थे आज यह सूरतेहाल नमाज़ियों में आ़म हो गयी, इल्ला माशा-अल्लाह। अल्लाह तआ़ला हमें हमारे आमाल और नफ़्सों के फ़रेब से अपनी पनाह में रखे। आमीन

وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ.

शहवात से मुराद दुनिया की वो लज़्ज़तें हैं जो इनसान को अल्लाह की याद और नमाज़ से ग़ाफ़िल करें। हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहु वज्हहू ने फ़रमाया कि शानदार मकानों की तामीर और ऐसी शानदार सवारियों की सवारी जिस पर लोगों की नज़रें उठें, और ऐसा लिबास जिससे आ़म लोगों में उनसे अलग होने की शान नज़र आये यह उक्त शहवतों में दाख़िल हैं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ○

लफ़्ज़ ग़य्युन अ़रबी भाषा में रशाद के मुक़ाबले में है। हर भलाई और ख़ैर को रशाद और हर बुराई और शर को ग़य्युन कहा जाता है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मन्क़ूल है कि ग़य्युन जहन्नम के एक ग़ार (गड्ढे) का नाम है जिसमें सारे जहन्नम से ज़्यादा तरह-तरह के अ़ज़ाब जमा हैं।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि ग़य्युन जहन्नम के एक ग़ार का नाम है जिससे जहन्नम भी पनाह माँगती है। उसको अल्लाह तआ़ला ने उस ज़िनाकार के लिये तैयार किया है जो अपनी ज़िनाकारी पर जमा हुआ और उसका आ़दी है, और उस शराबी के लिये जो शराब का आ़दी है, और उस सूदख़ोर के लिये जो सूदख़ोरी से बाज़ नहीं आता, और उन लोगों के लिये जो माँ-बाप की नाफ़रमानी करें और झूठी गवाही देने वालों के लिये, और उस औ़रत के लिये जो किसी दूसरे के बच्चे को अपने शौहर का बच्चा बना दे। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا.

लग़्व से मुराद बातिल व फ़ुज़ूल कलाम, गाली और तकलीफ़ देने वाला कलाम है, कि जन्नत वाले इससे पाक-साफ़ रहेंगे, कोई कलिमा उनके कान में ऐसा न पड़ेगा जो उनको रंज व तकलीफ़ पहुँचाये।

اِلَّا سَلٰمًا.

यह कलाम सुनने से इसको अलग किया, मुराद यह है कि वहाँ जिसका जो कलाम सुनने में आयेगा वह सलामती और भलाई और ख़ुशी में इज़ाफ़ा करेगा। रिवाजी सलाम भी इसमें दाख़िल है जो जन्नत वाले आपस में एक दूसरे को करेंगे और अल्लाह के फ़रिश्ते उन सब को करेंगे। (क़ुर्तुबी)

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ○

जन्नत में सूरज का यह निज़ाम और उसका निकलना व छुपना और रात दिन का आना जाना तो न होगा, एक क़िस्म की रोशनी हर वक़्त रहेगी, मगर रात और दिन और सुबह और शाम का फ़र्क़ व भेद किसी ख़ास अन्दाज़े से होगा। उसी सुबह व शाम में जन्नत वालों का रिज़्क़ उनको पहुँचेगा। यह तो ज़ाहिर है कि जन्नत वालों को जिस वक़्त जिस चीज़ की इच्छा होगी वह उसी वक़्त बिना किसी देरी के पूरी की जायेगी, जैसा कि क़ुरआन का एक दूसरी जगह ऐलान है 'व लहुम मा यश्तहून'। फिर सुबह शाम की विशेषता की वजह इनसानी आ़दत व फ़ितरत की बिना पर है, कि वह सुबह शाम खाने पीने का आ़दी होता है। अ़रब के लोग कहते हैं कि जिस शख़्स को सुबह शाम की ग़िज़ा पूरी मिले वह आराम व ऐश वाला है।

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने यह आयत तिलावत फ़रमाकर कहा कि इससे मालूम होता है कि मोमिनों का खाना दिन में दो मर्तबा होता है– सुबह और शाम।

और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि यहाँ सुबह शाम का लफ़्ज़ बोलकर उमूम मुराद है, जैसे रात दिन का लफ़्ज़ भी या पूरब व पश्चिम का लफ़्ज़ उमूम के लिये बोला जाता है कोई ख़ास वक़्त या जगह मुराद नहीं होती, तो मतलब यह होगा कि उनका रिज़्क़ उनकी इच्छा के मुवाफ़िक़ हर वक़्त मौजूद रहेगा। वल्लाहु आलम (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿٦٥﴾ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿٦٧﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا ﴿٦٩﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾

ع ٥ ٣

व मा न-तनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बि-क लहू मा बै-न ऐदीना व मा ख़ल्फ़ना व मा बै-न ज़ालि-क व मा का-न रब्बु-क नसिय्या (64) रब्बुस्समावाति वल्अर्ज़ि व मा बैनहुमा फ़अ़्बुद्हु वस्तबिर्	और हम नहीं उतरते मगर हुक्म से तेरे रब के, उसी का है जो हमारे आगे है और जो हमारे पीछे और जो उसके बीच में है, और तेरा रब नहीं है भूलने वाला। (64) रब आसमानों का और ज़मीनों का और जो उनके बीच है सो उसी की बन्दगी कर, और क़ायम रह उसकी बन्दगी पर,

लिअ़िबा-दतिही, हल् तअ़्लमु लहू समिय्या (65) ✿ व यक़ूलुल्-इन्सानु अ-इज़ा मा मित्तु लसौ-फ़ उख़्रजु हय्या (66) अ-व ला यज़्कुरुल्-इन्सानु अन्ना ख़लक़्नाहु मिन् क़ब्लु व लम् यकु शैआ (67) फ़-व रब्बि-क लनह्शुरन्नहुम् वश्शयाती-न सुम्-म लनुह्ज़िरन्नहुम् हौ-ल जहन्न-म जिसिय्या (68) सुम्-म ल-नन्ज़िअ़न्-न मिन् कुल्लि शी-अ़तिन् अय्युहुम् अशद्दु अ़लर्रह्मानि अ़ितिय्या (69) सुम्-म ल-नह्नु अअ़्लमु बिल्लज़ी-न हुम् औला बिहा सिलिय्या (70) व इम्-मिन्कुम् इल्ला वारिदुहा का-न अ़ला रब्बि-क हत्मम्-मक़्ज़िय्या (71) सुम्-म नुनज्जिल्-लज़ीनत्तक़व्-व न-ज़रुज़्ज़ालिमी-न फ़ीहा जिसिय्या (72)	किसी को पहचानता है तू उसके नाम का? (65) ✿ और कहता है आदमी क्या जब मैं मर जाऊँगा फिर निकलूँगा ज़िन्दा होकर? (66) क्या याद नहीं रखता आदमी कि हमने उसको बनाया पहले से और वह कुछ चीज़ न था। (67) सो क़सम है तेरे रब की हम घेर बुलायेंगे उनको और शैतानों को फिर सामने लायेंगे गिर्द दोज़ख़ के घुटनों पर गिरे हुए। (68) फिर अलग कर लेंगे हम हर एक फ़िर्क़े में से जोनसा उन में से सख़्त रखता था रहमान से अकड़। (69) फिर हमको ख़ूब मालूम है जो बहुत क़ाबिल हैं उसमें दाख़िल होने के। (70) और कोई नहीं तुम में जो न पहुँचेगा उस पर, हो चुका यह वायदा तेरे रब पर लाज़िम मुक़र्रर। (71) फिर बचायेंगे हम उनको जो डरते रहे और छोड़ देंगे गुनाहगारों को उसमें औंधे गिरे हुए। (72)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

शाने नुज़ूल

सही बुख़ारी में हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम से यह आरज़ू ज़ाहिर फ़रमाई कि ज़रा ज़्यादा आया करो, इस पर यह आयत नाज़िल हुई।

और (हम आपकी दरख़्वास्त का जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम की तरफ़ से जवाब देते हैं, सुनिये— वह यह है कि) हम (यानी फ़रिश्ते) बिना आपके रब के हुक्म के वक़्त-वक़्त पर नहीं आ सकते, उसी की (मिल्क) हैं हमारे आगे की सब चीज़ें (मकान हो या समय, मकानी हो या ज़मानी) और (इसी तरह)

हमारे पीछे की सब चीज़ें, और जो चीज़ें उनके बीच में हैं, (आगे का मकान "स्थान" तो जो मुँह के सामने हो और पीछे का जो पुश्त की तरफ़ हो और उनके बीच का जिसमें यह शख़्स ख़ुद हो, और आगे का ज़माना जो भविष्य हो और पीछे का जो गुज़रा हुआ ज़माना हो और इनके बीच का जो मौजूदा ज़माना हो) और आपका रब भूलने वाला नहीं। (चुनाँचे ये सब बातें आपको पहले से मालूम हैं। मतलब यही है कि हम अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं अपनी राय से एक मकान से दूसरे मकान में या जब हम चाहें कहीं आ-जा नहीं सकते, लेकिन जब हमारा भेजना मस्लेहत होता है तो हक़ तआ़ला भेज देते हैं, यह शुब्हा व गुमान नहीं कि शायद किसी मस्लेहत के वक़्त भूल जाते हों)।

वह रब है आसमानों और ज़मीन का, और उन सब चीज़ों का जो इन दोनों के दरमियान में हैं, सो (जब ऐसा हाकिम व मालिक है तो ऐ मुख़ातब!) तू उसकी इबादत (और इताअ़त) किया कर और (एक-आध बार नहीं बल्कि) उसकी इबादत पर क़ायम रह (और अगर उसकी इबादत न करेगा तो क्या दूसरे की इबादत करेगा?) भला तू किसी को उसकी सिफ़तों जैसा जानता है? (यानी कोई उसका हम-सिफ़त नहीं तो लायक़े इबादत भी कोई नहीं, पस उसी की इबादत करना ज़रूरी हुआ)।

और (आख़िरत का इनकार करने वाला) इनसान यूँ कहता है कि मैं जब मर जाऊँगा तो क्या फिर ज़िन्दा करके क़ब्र से निकाला जाऊँगा? (अल्लाह तआ़ला जवाब देते हैं कि) क्या (यह) इनसान इस बात को नहीं समझता कि हम इसको इससे पहले (नापैदी की हालत से) वजूद में ला चुके हैं, और यह (उस वक़्त) कुछ भी न था। (जब ऐसी हालत से ज़िन्दगी की तरफ़ लाना आसान है तो दोबारा ज़िन्दगी देना तो कहीं ज़्यादा आसान है) सो क़सम है आपके रब की हम उनको (क़ियामत में ज़िन्दा करके हश्र के मक़ाम में) जमा करेंगे और (उनके साथ) शैतानों को भी (जो दुनिया में उनके साथ रहकर बहकाते सिखाते थे, जैसा कि एक दूसरी आयत में है 'क़ा-ल क़रीनुहू रब्बना मा अतग़ैतुहू') फिर उन (सब) को दोज़ख़ के गिरदा-गिर्द "चारों तरफ़" इस हालत से हाज़िर करेंगे कि (मारे हैबत के) घुटनों के बल गिरे होंगे।

फिर (उन काफ़िरों के) हर गिरोह में से (जैसे यहूदी व ईसाई और आग को पूजने वाले व बुतों के पुजारी) उन लोगों को अलग करेंगे जो उनमें से सबसे ज़्यादा अल्लाह से सरकशी किया करते थे (ताकि ऐसों को औरों से पहले दोज़ख़ में दाख़िल करें)। फिर (यह नहीं कि उस अलग करने में हमको किसी तहक़ीक़ात की ज़रूरत पड़े, क्योंकि) हम (ख़ुद) ऐसे लोगों को ख़ूब जानते हैं जो दोज़ख़ में जाने के ज़्यादा (यानी शुरू में) हक़दार हैं। (पस अपने इल्म से ऐसों को अलग करके पहले उनको फिर दूसरे काफ़िरों को दोज़ख़ में दाख़िल करेंगे, और यह तरतीब सिर्फ़ उनके पहले जाने में है बाद वाला न होने में तो सब बराबर हैं। और जहन्नम का वजूद ऐसा यक़ीनी है कि उसका मुआ़यना सब मोमिन व काफ़िर को कराया जायेगा अगरचे सूरत और ग़र्ज़ मुआ़यने की भिन्न और अलग होगी, काफ़िरों को उसमें दाख़िल होने के तौर पर और हमेशा का अ़ज़ाब देने के लिये और मोमिनों को पुलसिरात को पार करने और शुक्र की अधिकता और ख़ुशी हासिल होने के वास्ते, कि उसको देखकर जो जन्नत में पहुँचेंगे तो और ज़्यादा शुक्र करेंगे और ख़ुश होंगे) और (बाज़ गुनाहगारों को सीमित सज़ा के लिये जो कि दर हक़ीक़त उनको पाक करना है, इसी उमूमी मुआ़यने की ख़बर दी जाती है कि) तुम में से कोई भी नहीं जिसका उस पर गुज़र न हो, (किसी का दाख़िल होने के लिये और किसी का उस पर से

गुज़रने के लिये) यह (वायदे के मुवाफ़िक़) आपके रब के एतिबार से (ताकीद के साथ) लाज़िम है जो (ज़रूर) पूरा होकर रहेगा। फिर (उस जहन्नम पर गुज़रने से यह न समझा जाये कि इसमें मोमिन व काफ़िर बराबर हैं, बल्कि) हम उन लोगों को निजात दे देंगे जो ख़ुदा से डरते (यानी उससे डरकर ईमान लाते) थे, (चाहे शुरू ही में निजात हो जाये जैसे कामिल मोमिनों की और चाहे किसी क़द्र तकलीफ़ के बाद जैसे कि नाक़िस और गुनाहगार मोमिनों की) और ज़ालिमों को (यानी काफ़िरों को) उसमें (हमेशा के लिये) ऐसी हालत में रहने देंगे कि (रंज व ग़म के मारे) घुटनों के बल गिर पड़ेंगे।

मआरिफ़ व मसाईल

وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ

लफ़्ज़ 'इस्तिबार' के मायने मशक़्क़त व तकलीफ़ पर साबित-क़दम (मज़बूती के साथ जमे) रहना है। इसमें इशारा है कि इबादत पर हमेशगी व जमाव मशक़्क़त चाहता है, इबादत गुज़ार को इसके लिये तैयार रहना चाहिये।

هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا ○

लफ़्ज़ समी के मशहूर मायने हमनाम के हैं, और यह अ़जीब इत्तिफ़ाक़ है कि मुश्रिकों और बुत परस्तों ने अगरचे इबादत में अल्लाह तआ़ला के साथ बहुत से इनसानों, फ़रिश्तों, पत्थरों और बुतों को शरीक कर डाला था और उन सब को इलाह यानी माबूद कहते थे मगर किसी ने लफ़्ज़ अल्लाह झूठे माबूद का नाम कभी नहीं रखा। यह एक फ़ितरी और तक़दीरी मामला था कि दुनिया में अल्लाह के नाम से कोई बुत और कोई बातिल माबूद नामित नहीं हुआ, इसलिये इस मायने के एतिबार से भी आयत का मज़मून स्पष्ट है कि दुनिया में अल्लाह का कोई हमनाम नहीं।

और अक्सर मुफ़स्सिरीन-- मुजाहिद, इब्ने जुबैर, क़तादा, इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से इस जगह इस लफ़्ज़ के मायने मिस्ल और शबीह के मन्क़ूल हैं, इसका मतलब वाज़ेह है कि कमाल वाली सिफ़ात में अल्लाह तआ़ला का कोई बराबर का, उस जैसा या उसकी नज़ीर नहीं है।

لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ

इस जगह **वश्शयातीनि** का **वाव** साथ के मायने में है और मुराद यह है कि हर काफ़िर को उसके शैतान के साथ एक सिलसिले में बाँधकर उठाया जायेगा। इस सूरत में यह सिर्फ़ काफ़िरों के हश्र का बयान होगा, और अगर आ़म मुराद लिया जाये जिसमें मोमिन व काफ़िर सब दाख़िल हैं तो शैतानों के साथ इन सब के हश्र का मतलब यह होगा कि हर काफ़िर तो अपने शैतान के साथ बंधा हुआ हाज़िर होगा और मोमिन लोग भी हश्र के उस मक़ाम में अलग नहीं होंगे, इस लिहाज़ से सब के साथ शैतानों का इज्तिमा (इकट्ठा होना) हो जायेगा। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ○

हश्र में शुरूआती वक़्त में मोमिन व काफ़िर और नेकबख़्त व बदबख़्त सब जहन्नम के गिर्द जमा किये जायेंगे और सब पर हैबत (ख़ौफ़ व डर) तारी होगी, सब घुटनों के बल गिरे हुए होंगे। फिर

मोमिनों और नेकबख़्तों को जहन्नम से पार कराकर जन्नत में दाख़िल किया जायेगा ताकि जहन्नम के इस मन्ज़र को देखने के बाद उनको मुकम्मल और हमेशा की ख़ुशी और दीन के मुख़ालिफ़ों पर लान-तान करने और इस पर अल्लाह का और ज़्यादा शुक्र नसीब हो।

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ.

लफ़्ज़ 'शीआ' असल लुग़त में किसी ख़ास शख़्स या ख़ास अक़ीदे के पैरोकारों को कहा जाता है, इसलिये फ़िर्के के मायने में भी यह लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है। और आयत की मुराद यह है कि काफ़िरों के मुख़ालिफ़ फ़िर्क़ों में जो सबसे ज़्यादा सरकश (नाफ़रमान व बाग़ी) होगा उसको सब में नुमायाँ करके आगे किया जायेगा। कुछ मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया कि जहन्नम में इस तरतीब से दाख़िल किया जायेगा कि जिसका जुर्म सबसे ज़्यादा होगा वह सबसे पहले उसके बाद दूसरे और तीसरे दर्जे के मुजरिम लोग जहन्नम में दाख़िल किये जायेंगे। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا.

यानी कोई इनसान मोमिन या काफ़िर ऐसा न रहेगा जिसका वुरूद (पेश होना और आना) जहन्नम पर न हो। यहाँ इस पेश होने से मुराद दाख़िल होना नहीं बल्कि गुज़रना और पार करना है जैसा कि हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत में लफ़्ज़ मुरूर भी आया है। और अगर दाख़िल होना मुराद लिया जाये तो मुत्तक़ी मोमिनों का दाख़िल होना इस तरह होगा कि जहन्नम उनके लिये ठण्डी और सलामती वाली बन जायेगी उनको उसकी कोई तकलीफ़ महसूस न होगी जैसा कि हज़रत अबू सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह ने फ़रमाया कि कोई नेक आदमी या फ़ाजिर (बुरा) आदमी बाक़ी न रहेगा जो शुरू में जहन्नम में दाख़िल न हो, मगर उस वक़्त नेक और मुत्तक़ी मोमिनों के लिये जहन्नम ठण्डी और सलामती वाली बन जायेगी जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिये नमरूद की आग ठण्डी और सलामती वाली बना दी गयी थी। उसके बाद मोमिनों को यहाँ से निजात देकर जन्नत में लेजाया जायेगा, यही मायने आयत के इस अगले जुमले के हैं 'सुम्-म नुनज्जिलल्लज़ीनत्तक़ौ' (फिर हम मुत्तक़ी लोगों को निजात दे देंगे)।

यह मज़मून हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से भी नक़ल किया गया है और क़ुरआने करीम में जो वुरूद का लफ़्ज़ आया है अगर उसके मायने दाख़िल होने के भी लिये जायें तो दाख़िल होना पार करने के तौर पर मुराद होगा इसलिये दोनों बातों में कोई टकराव और विरोधाभास नहीं।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۝ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا ۝ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا ۚ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ۝ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ۝

व इज़ा तुत्ला अ़लैहिम् आयातुना बय्यिनातिन् क़ालल्लज़ी-न क-फ़रू लिल्लज़ी-न आमनू अय्युल्-फ़रीक़ैनि ख़ैरुम्-मक़ामंव्-व अह्सनु नदिय्या (73) व कम् अह्लक्ना क़ब्लहुम् मिन् क़र्निन् हुम् अह्सनु असासंव्-व रिअ्या (74) क़ुल् मन् का-न फ़िज़्ज़लालति फ़ल्यम्दुद् लहुर्रह्मानु मद्दन्, हत्ता इज़ा रऔ मा यू-अ़दू-न इम्मल्-अ़ज़ा-ब व इम्मस्सा-अ़-त, फ़-सयअ़्लमू-न मन् हु-व शर्रुम्-मकानंव्-व अज़्अ़फ़ु जुन्दा (75) व यज़ीदुल्लाहुल्लज़ीनह्तदौ हुदन्, वल्-बाक़ियातुस्सालिहातु ख़ैरुन् अ़िन्-द रब्बि-क सवाबंव्-व ख़ैरुम्-मरद्दा (76)	और जब सुनाये उनको हमारी आयतें खुली हुई, कहते हैं जो लोग कि मुन्किर हैं ईमान वालों को दोनों फ़िर्क़ों में, किस का मकान बेहतर है और किसकी अच्छी लगती है मज्लिस। (73) और कितनी हलाक कर चुके हम पहले उनसे जमाअ़तें वे उनसे बेहतर थे सामान में और नमूद में। (74) तू कह जो रहा भटकता सो चाहिये उसको खींच ले जाये रहमान लम्बा यहाँ तक कि जब देखेंगे जो वायदा हुआ था उनसे या आफ़त और या क़ियामत सो तब मालूम कर लेंगे किस का बड़ा है मकान और किसकी फ़ौज कमज़ोर है। (75) और बढ़ाता जाता है अल्लाह सूझने वालों को सूझ और बाक़ी रहने वाली नेकियाँ बेहतर रखती हैं तेरे रब के यहाँ बदला और बेहतर फिर जाने को जगह। (76)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और जब इन (इनकार करने वाले) लोगों के सामने हमारी (वह) खुली-खुली आयतें पढ़ी जाती हैं (जिनमें मोमिनों का हक़ पर होना और काफ़िरों का बातिल पर होना ज़िक्र होता है) तो ये काफ़िर लोग मुसलमानों से कहते हैं कि (यह बतलाओ हम) दोनों फ़रीक़ों में (यानी हम में और तुम में दुनिया में) से मकान "यानी ठिकाना" किसका ज़्यादा अच्छा है, और महफ़िल किसकी अच्छी है (यानी ज़ाहिर है कि घरेलू और मज्लिसी साज़ व सामान और घर वालों व मददगारों में हम बढ़े हुए हैं। यह बात तो ज़ाहिर में महसूस है और दूसरी बात उर्फ़ के एतिबार से समझ में आती है कि इनाम व एहसान और नेमत का दिया जाना उस शख़्स के लिये होता है जो देने वाले के नज़दीक महबूब और पसन्द हो, इन दोनों बातों से साबित हुआ कि हम अल्लाह के महबूब व मक़बूल हैं और तुम नापसन्दीदा और ग़ज़ब का शिकार। आगे अल्लाह तआ़ला एक जवाब इल्ज़ामी और एक तहक़ीक़ी देते हैं। पहला जवाब तो

यह है कि ये लोग ऐसी बात कहते हैं) और (यह नहीं देखते कि) हमने इनसे पहले बहुत से ऐसे-ऐसे गिरोह (डराबनी सज़ाओं से जो कि यक़ीनन अ़ज़ाब थीं) हलाक किये हैं जो सामान और देखने में इनसे भी (कहीं ज़्यादा) अच्छे थे। (इससे मालूम हुआ कि दूसरी बात ग़लत है, बल्कि किसी हिक्मत और मस्लेहत से दुनिया की नेमतें नापसन्दीदा व मरदूद को भी दी जा सकती हैं। आगे दूसरा जवाब है कि ऐ पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम!) आप फ़रमा दीजिये कि जो लोग गुमराही में हैं (यानी तुम) अल्लाह तआ़ला (रहमान) उनको ढील देता चला जा रहा है (यानी इस दुनिया की नेमतों में यह हिक्मत है कि मोहलत देकर हुज्जत पूरी कर दे, जैसा कि एक दूसरी आयत में है 'अ-व लम् नुअ़म्मिर्कुम मा य-तज़क्करु फ़ीहि मन् तज़क्क-र........ "यानी सूरः फ़ातिर आयत 37 में" और यह मोहलत चन्द दिन की है) यहाँ तक कि जिस चीज़ का इनसे वायदा किया गया है उसको देख लेंगे, चाहे अ़ज़ाब को (दुनिया में) चाहे क़ियामत को (दूसरे आ़लम में), सो (उस वक़्त) इनको मालूम हो जायेगा कि बुरा ठिकाना किसका है और कमज़ोर मददगार किसके हैं (यानी दुनिया में जो अपने मज्लिस वालों को अपना मददगार समझते हैं और फ़ख़्र करते हैं वहाँ मालूम होगा कि उनमें कितना ज़ोर है, क्योंकि वहाँ तो किसी का कोई ज़ोर होगा ही नहीं। इसी को अज़्अ़फ़ "ज़्यादा कमज़ोर" फ़रमाया था)।

और (मुसलमानों का यह हाल है कि) अल्लाह तआ़ला हिदायत वालों को (दुनिया में तो) हिदायत बढ़ाता है (यानी असल सरमाया यह है कि अगर इसके साथ माल व दौलत न हो तो कोई नुक़सान नहीं) और (आख़िरत में ज़ाहिर होगा कि) जो नेक काम हमेशा के लिये बाक़ी रहने वाले हैं वो तुम्हारे रब के नज़दीक सवाब में भी बेहतर हैं और अन्जाम में भी बेहतर हैं (पस उनको सवाब में बड़ी-बड़ी नेमतें मिलेंगी जिनमें मकान और बाग़ात सब कुछ होंगे, और अन्जाम उन आमाल का इन नेमतों का हमेशा के लिये और लाफ़ानी होना है, पस हर एतिबार से मुसलमानों ही की आख़िरी हालत बेहतर होगी और आख़िर ही का एतिबार भी है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

خَيْرٌ مَّقَامًا وَّاَحْسَنُ نَدِيًّا○

यहाँ काफ़िरों ने मुसलमानों को मुग़ालता (धोखा) देने के लिये दो चीज़ें पेश कीं-- अव्वल दुनिया का माल व दौलत और साज़ व सामान, दूसरे नौकर-चाकर और अपना जत्था व जमाअ़त कि यह बज़ाहिर काफ़िरों को मुसलमानों की तुलना में ज़्यादा हासिल थी, और यही दो चीज़ें हैं जो इनसान के लिये नशे का काम करती हैं और इनका फ़ख़्र व ग़ुरूर अच्छे-अच्छे अ़क़्लमन्द समझदार लोगों को ग़लत रास्तों पर डाल देता है, और पिछले दौर के बड़े-बड़े सरमायेदारों और हुकूमत व सल्तनत वालों के सबक़ लेने वाले इतिहास से ग़ाफ़िल करके अपने मौजूदा हाल को अपना ज़ाती कमाल और हमेशा की राहत का ज़रिया यक़ीन करा देता है, सिवाय उन लोगों के जो क़ुरआने करीम की तालीम के मुताबिक़ दुनिया के माल व दौलत और इज़्ज़त व रुतबे किसी को अपना ज़ाती कमाल या हमेशा का

साथी न समझें, इस पर अल्लाह तआ़ला का शुक्र ज़बान से भी अदा करें और उसकी दी हुई नेमत को ख़र्च करने में भी उसके अहकाम की पाबन्दी करें, और उसके फ़ना या कम हो जाने के ख़तरे से भी किसी वक़्त ग़ाफ़िल न हों तो वही इस शर (बुराई) से महफ़ूज़ रहते हैं। जैसे अम्बिया हज़रात में, हज़रत सुलैमान और दाऊद अ़लैहिमस्सलाम और सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम में बहुत से मालदार सहाबा और इसी तरह उम्मत में लाखों औलिया और नेक लोग जिनको हक़ तआ़ला ने दुनिया का माल व दौलत भी ख़ूब अ़ता फ़रमाया और दीन की दौलत और अपना ख़ौफ़ भी बेइन्तिहा।

काफ़िरों के इस मुग़ालते (धोखे में रहने) को क़ुरआन पाक ने इस तरह दूर फ़रमाया कि दुनिया की चन्द दिन की नेमत व दौलत न अल्लाह के नज़दीक मक़बूल होने की निशानी हो सकती है न दुनिया ही में वह किसी ज़ाती कमाल की निशानी समझी जाती है। क्योंकि बहुत से बेअ़क़्ल जाहिलों को दुनिया में ये चीज़ें अ़क़्लमन्दों और बुद्धिमानों से ज़्यादा मिल जाती हैं। पिछली तारीख़ उठाकर देखो तो यह हक़ीक़त खुल जायेगी कि ऐसी-ऐसी बल्कि इनसे भी ज़्यादा कितनी दौलतों और शान व शौकतों के ढेर ज़मीन पर होते देखे गये हैं।

रही नौकर-चाकर और दोस्त व अहबाब की अधिकता सो इसकी हक़ीक़त भी अव्वल तो दुनिया ही में ज़ाहिर हो जाती है कि आड़े वक़्त में कोई काम नहीं आता, फिर अगर दुनिया में वे बराबर ख़िदमत करते भी रहे तो वह कितने दिन की, उसके बाद मेहशर के मैदान में उनका कौन साथी होगा?

وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ۝

बाक़ियात-ए-सालिहात (बाक़ी रहने वाली नेकियों) की तफ़सीर में विभिन्न और अनेक क़ौल हैं जिसकी तफ़सील सूरः कहफ़ में गुज़र चुकी है, और पसन्दीदा क़ौल यही है कि इससे मुराद वो तमाम भलाईयाँ और नेक काम हैं जिनके फ़ायदे बाक़ी रहने वाले हैं। 'मरद्दन्' का लफ़्ज़ मरजा (लौटने की जगह) के मायने में है, मुराद अन्जाम व आख़िरत है। आयत की मुराद स्पष्ट है कि नेक आमाल ही असल दौलत हैं जिनका सवाब बड़ा और अन्जाम हमेशा की राहत है।

أَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَأُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا ۝ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ

أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۝ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ وَنَمُدُّ لَهٗ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۝ وَّنَرِثُهٗ مَا

يَقُوْلُ وَيَأْتِيْنَا فَرْدًا ۝ وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا ۝ كَلَّا سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ

وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۝

٥ ع ٨

अ-फ़-रऐतल्लज़ी क-फ़-र बिआयातिना व क़ा-ल लऊ-तयन्-न मालंव्-व व-लदा (77) अत्त-लअ़ल्-ग़ै-ब अमित्त-ख़-ज़ ञिन्दर्रह्मानि	भला तूने देखा उसको जो मुन्किर हुआ हमारी आयतों से और कहा मुझको मिलकर रहेगा माल और औलाद। (77) क्या झाँक आया है ग़ैब को, या ले रखा

अ़ह्दा (78) कल्ला, सनक्तुबु मा यक़ूलु व नमुद्दु लहू मिनल्-अ़ज़ाबि मद्दा (79) व नरिसुहू मा यक़ूलु व यअ्तीना फ़र्दा (80) वत्त-ख़ज़ू मिन् दूनिल्लाहि आलि-हतल्-लि-यकूनू लहुम् अ़िज़्ज़ा (81) कल्ला, स-यक्फ़ुरू-न बिअ़िबादतिहिम् व यकूनू-न अ़लैहिम् ज़िद्दा (82) ✿	है रहमान से अ़हद। (78) यह नहीं, हम लिख रखेंगे जो वह कहता है और बढ़ाते जायेंगे उसको अ़ज़ाब में लम्बा। (79) और हम ले लेंगे उसके मरने पर जो कुछ वह बतला रहा है और आयेगा हमारे पास अकेला। (80) और पकड़ रखा है लोगों ने अल्लाह के सिवा औरों को माबूद ताकि वे हों उनके लिये मददगार (81) हरगिज़ नहीं वे मुन्किर होंगे उनकी बन्दगी से और हो जायेंगे उनके मुख़ालिफ़। (82) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) भला आपने उस शख़्स (की हालत) को भी देखा जो हमारी आयतों के साथ (जिनका हक़ यह है कि उन पर ईमान लाया जाता जिनमें से मरने के बाद ज़िन्दा होकर उठने वाली आयतें भी हैं) कुफ़्र करता है और (मज़ाक़ उड़ाने के तौर पर) कहता है कि मुझको (आख़िरत में) माल और औलाद मिलेंगे (मतलब यह कि उसकी हालत भी क़ाबिले ताज्जुब है आगे उसका रद्द है कि) क्या यह शख़्स ग़ैब पर बा-ख़बर हो गया है, या क्या इसने अल्लाह तआ़ला से कोई अ़हद (इस बात का) ले लिया है। (यानी इस दावे का इल्म आया डायरेक्ट बिना असबाब के हुआ है कि इल्म-ए-ग़ैब है या असबाब के माध्यम से हुआ है। फिर चूँकि वह दावा अ़क़्ली हुक्म तो है नहीं बल्कि रिवायती मामला है इसलिए सिर्फ़ रिवायती और किताबी दलील जो कि अल्लाह तआ़ला का ख़बर देना है उसकी दलील हो सकती है, सो दोनों तरीक़े ग़ैर-मौजूद हैं, पहला तो अ़क़्लन भी नामुम्किन है और दूसरा सामने मौजूद नहीं है) हरगिज़ नहीं (बिल्कुल ग़लत कहता है, और) हम उसका कहा हुआ भी लिख लेते हैं (और वक़्त पर यह सज़ा देंगे कि) उसके लिये अ़ज़ाब बढ़ाते चले जाएँगे और उसकी कही हुई चीज़ों के हम मालिक रह जाएँगे (यानी वह तो दुनिया से मर जायेगा और माल व औलाद पर कोई उसका इख़्तियार न रहेगा हम ही सब के मालिक रहेंगे और क़ियामत में हम उसको न देंगे बल्कि) वह हमारे पास (माल व औलाद से) तन्हा होकर आयेगा और उन लोगों ने अल्लाह के अ़लावा और माबूद तजवीज़ कर रखे हैं ताकि उनके लिये वे (अल्लाह के यहाँ) इज़्ज़त का सबब हों (जैसा कि सूरः यूनुस की आयत 18 में उनका क़ौल नक़ल है), हरगिज़ नहीं होगा, बल्कि वे तो (क़ियामत में ख़ुद) उनकी इबादत का ही इनकार कर बैठेंगे (जैसा कि सूरः यूनुस की आयत 28 में गुज़र चुका) और (उल्टे) उनके मुख़ालिफ़ हो जाएँगे (क़ौल से भी जैसा कि गुज़रा और व्यवहार में भी

कि बजाय इज़्ज़त के ज़िल्लत का सबब हो जायेंगे। उन माबूदों में बुत भी होंगे सो उनका बोलने वाला होना जैसा कि 'यक्फ़ुरून' का लफ़्ज़ चाहता है कोई दूर की और मुहाल बात नहीं क्योंकि जब इनसान के अंग बोलते हैं तो ऐसे ही अगर कोई दूसरी चीज़ बोलने लगे तो इसमें मुहाल व नामुम्किन होने की कौनसी बात है)।

मआरिफ़ व मसाईल

لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًاo

बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि उनका कुछ क़र्ज़ आ़स बिन वाईल के ज़िम्मे था, यह उनके पास तक़ाज़े के लिये गये, उसने कहा मैं तो तुम्हारा क़र्ज़ उस वक़्त तक नहीं दूँगा जब तक तुम मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) के साथ कुफ़्र व इनकार का मामला न करो। इन्होंने जवाब दिया कि मैं यह काम नहीं कर सकता जब तक कि तुम मरो फिर ज़िन्दा हो। आ़स बिन वाईल ने कहा कि अच्छा क्या मैं मरकर फिर ज़िन्दा हूँगा? अगर ऐसा है तो बस तुम्हारा क़र्ज़ भी मैं उसी वक़्त चुकाऊँगा जब दोबारा ज़िन्दा हूँगा, क्योंकि उस वक़्त भी मेरे पास माल और औलाद होंगे। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

क़ुरआने करीम ने इस अहमक़ के जवाब में फ़रमाया कि उसे यह कैसे मालूम हुआ कि दोबारा ज़िन्दा होने के वक़्त भी उसके पास माल और औलाद होंगे? क्या उसने ग़ैब की बातों को झाँक कर मालूम कर लिया है? या अल्लाह रहमान से उसने माल व औलाद के लिये कोई अ़हद और वायदा ले लिया है? और यह ज़ाहिर है ऐसी कोई बात हुई नहीं फिर उसने यह ख़्याल कैसे पका लिया।

وَنَرِثُهٗ مَا يَقُوْلُ.

यानी जिस माल और औलाद का यह ज़िक्र कर रहा है आख़िरत में मिलने का मामला तो बहुत दूर है दुनिया में भी जो कुछ इसको मिला हुआ है उसको भी छोड़ना पड़ेगा और उसके वारिस आख़िरकार हम होंगे, यानी यह माल व औलाद इससे छिनकर आख़िरकार अल्लाह की तरफ़ लौट जायेगा।

وَيَاْتِيْنَا فَرْدًاo

और क़ियामत के दिन यह अकेला हमारे दरबार में हाज़िर होगा, न कोई औलाद साथ होगी न माल।

وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّاo

यानी यह अपने आप तैयार किये और बनाये हुए बुत और झूठे माबूद जिनकी इबादत इसलिये करते थे कि ये उनके मददगार होंगे मेहशर में इसके उलट ये उनके दुश्मन हो जायेंगे, अल्लाह तआ़ला इनको बोलने की ताक़त और ज़बान अ़ता फ़रमा देंगे और ये बोलेंगे कि या अल्लाह! इनको अ़ज़ाब व सज़ा दीजिए कि इन्होंने तुझको छोड़कर हमें माबूद बना लिया था। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

أَلَمْ تَرَ أَنَّآ أَرْسَلْنَا الشَّيٰطِينَ عَلَى الْكٰفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ﴿٨٣﴾ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٤﴾ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾ وَّنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٦﴾ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾

अलम् त-र अन्ना अर्सल्नश्शयाती-न अ़लल्-काफ़िरी-न त-उज़्ज़ुहुम् अज़्ज़ा (83) फ़ला तअ्जल् अ़लैहिम्, इन्नमा नअुद्दु लहुम् अ़द्दा (84) यौ-म नह्शुरुल्-मुत्तक़ी-न इलर्रह्मानि वफ़्दा (85) व नसूक़ुल्-मुज्रिमी-न इला जहन्न-म विर्दा। (86) ला यम्लिकूनश्-शफ़ाअ़-त इल्ला मनित्त-ख़-ज़ अ़िन्दर्रह्मानि अ़ह्दा। (87)	तूने नहीं देखा कि हमने छोड़ रखे हैं शैतान मुन्किरों पर, उछालते हैं उनको उभार कर। (83) सो तू जल्दी न कर उन पर, हम तो पूरी करते हैं उनकी गिनती। (84) जिस दिन हम इकट्ठा कर लायेंगे परहेज़गारों को रहमान के पास मेहमान बुलाये हुए (85) और हाँक ले जायेंगे गुनाहगारों को दोज़ख़ की तरफ़ प्यासे। (86) नहीं इख़्तियार रखते लोग सिफ़ारिश का मगर जिसने ले लिया है रहमान से वायदा। (87)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(आप जो इनकी गुमराही से ग़म करते हैं तो) क्या आपको मालूम नहीं कि हमने शैतानों को काफ़िरों पर (उनको आज़माईश में डालने के लिये) छोड़ रखा है, कि वे उनको (कुफ़्र व गुमराही पर) ख़ूब उभारते (और उकसाते) रहते हैं (फिर जो ख़ुद ही अपने इख़्तियार से अपने बुरा चाहने वाले के बहकाने में आ जाये उसका क्यों ग़म किया जाये), सो (जब शैतान आज़माईश में डालने के लिये मुसल्लत हुए हैं और अ़ज़ाब के हक़दार के लिये जल्दी करने में आज़माईश में डालना रहता नहीं, तो) आप उनके लिये जल्दी (अ़ज़ाब होने की दरख़्वास्त) न कीजिये, हम उनकी बातें (जिन पर सज़ा होगी) ख़ुद शुमार कर रहे हैं। (और वह सज़ा उस दिन सामने आयेगी) जिस दिन मुत्तक़ियों को रहमान (के नेमतों के घर) की तरफ़ मेहमान बनाकर जमा करेंगे, और मुजरिमों को दोज़ख़ की तरफ़ प्यासा हाँकेंगे (और कोई उनका सिफ़ारिशी भी न होगा, क्योंकि वहाँ) कोई सिफ़ारिश का इख़्तियार न रखेगा मगर हाँ जिसने रहमान के पास से इजाज़त ली है (वह नबी हज़रात और नेक लोग हैं, और इजाज़त ख़ास है मोमिनों के साथ, पस काफ़िर लोग शफ़ाअ़त के पात्र व अहल न हुए)।

मआरिफ़ व मसाईल

تَؤُزُّهُمْ أَزًّاO

अरबी लुग़त में लफ़्ज़ 'हज़्-ज़ के मायने हैं किसी काम के लिये उभारना और आमादा करना। लफ़्ज़ 'अज़्-ज़' के मायने पूरी क़ुव्वत और तदबीर व तहरीक के ज़रिये किसी शख़्स को किसी काम के लिये आमादा (तैयार) बल्कि मजबूर कर देने के हैं। मायने आयत के यह हैं कि ये शैतान उनको बुरे आमाल पर उभारते रहते हैं और उनका अच्छा होना उनके दिल पर मुसल्लत कर देते हैं, ख़राबियों पर नज़र नहीं होने देते।

اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّاO

मतलब यह है कि आप उनके अ़ज़ाब के बारे में जल्दी न करें वह तो बहुत जल्द होने ही वाला है, क्योंकि हमने उनको गिने-चुने दिन और जो मुद्दत दुनिया में रहने की दी है वह बहुत जल्द पूरी होने वाली है, उसके बाद अ़ज़ाब ही अ़ज़ाब है। 'नउद्दु लहुम' यानी हम उनके लिये शुमार करते हैं, इसका मतलब यह है कि उनकी कोई चीज़ आज़ाद नहीं, उनकी उम्र के दिन-रात गिने हुए हैं, उनके साँस, उनकी हर गतिविधि का एक-एक क़दम, उनकी लज़्ज़तें उनकी ज़िन्दगी का एक-एक पल हम गिन रहे हैं, यह गिनती पूरी होते ही उन पर अ़ज़ाब टूट पड़ेगा।

मामून रशीद ने एक मर्तबा सूरः मरियम पढ़ी। जब इस आयत पर पहुँचे तो मज्लिस में मौजूद उलेमा व फ़ुक़हा में से इब्ने समाक की तरफ़ इशारा किया कि इसके बारे में कुछ कहें, उन्होंने अ़र्ज़ किया कि जब हमारे साँस गिने हुए हैं उन पर ज़्यादती नहीं हो सकती तो ये किस क़द्र जल्द ख़त्म हो जायेंगे। इसी को एक शायर ने कहा है:

حياتك انفاس تعد فكلّما مضى نفس منك انتقصت به جزءًا

यानी तेरी ज़िन्दगी के साँस गिने हुए हैं, जब एक साँस गुज़रता है तो तेरी ज़िन्दगी का एक हिस्सा कम हो जाता है। कहा जाता है कि इनसान दिन-रात में चौबीस हज़ार साँस लेता है। (क़ुर्तुबी)

और एक शायर ने कहा है:

وكيف يفرح بالدّنيا ولذّتها فتى يُعَدّ عَلَيْه اللفظ وَالنّفس

यानी दुनिया और इसकी लज़्ज़त पर वह शख़्स कैसे मगन और बेफ़िक्र हो सकता है जिसके अलफ़ाज़ और साँस गिने जा रहे हों। (रूहुल-मआ़नी)

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًاO

लफ़्ज़ 'वफ़्द' ऐसे आने वालों के लिये बोला जाता है जो किसी बड़े बादशाह या अमीर के पास सम्मान व इज़्ज़त के साथ जायें। हदीस की कुछ रिवायतों में है कि ये लोग सवारियों पर सवार होकर पहुँचेंगे और सवारी हर शख़्स की वह होगी जिसको वह दुनिया में अपने लिये पसन्द करता था। ऊँट, घोड़ा या दूसरी सवारियाँ। कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि उनके नेक आमाल उनकी पसन्द की सवारियों की सूरत इख़्तियार कर लेंगे। हदीस की ये रिवायतें तफ़सीर रूहुल-मआ़नी और तफ़सीरे क़ुर्तुबी में

नक़ल की गयी हैं।

اِلٰی جَھَنَّمَ وِرْدًا○

'विर्द' के लफ़्ज़ी मायने पानी की तरफ़ जाने के हैं, और ज़ाहिर यह है कि प्यास ही के वक़्त कोई आदमी या जानवर पानी पर जाता है, इसलिये विर्दा का तर्जुमा प्यासा किया गया।

مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَھْدًا○

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि अ़हद से मुराद 'ला इला-ह इल्लल्लाहु' की गवाही है। कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि अ़हद से मुराद अल्लाह की किताब का हिफ़्ज़ करना है। ख़ुलासा यह है कि शफ़ाअ़त करने का हक़ हर एक को नहीं मिलेगा सिवाय उन लोगों के जो ईमान के अ़हद पर मज़बूत रहे। (रूहुल-मआ़नी)

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۞ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا ۞ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۞ اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ۞ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ۞ اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّآ اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ۞ لَقَدْ اَحْصٰىهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۞ وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ۞ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ۞ فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَ تُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا ۞ وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ ۭ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۞

व क़ालुत्त-ख़ज़र्रस्मानु व-लदा (88) ल-क़द् जिअ्तुम् शैअन् इद्दा (89) तकादुस्समावातु य-तफ़त्तर्-न मिन्हु व तन्शक़्क़ुल्-अर्ज़ु व तख़िर्रुल्-जिबालु हद्दा (90) अन् दऔ लिर्रह्मानि व-लदा (91) व मा यम्बग़ी लिर्रह्मानि अंय्यत्तख़ि-ज़ व-लदा (92) इन् कुल्लु मन् फ़िस्समावाति वल्अर्ज़ि इल्ला आतिर्रह्मानि अ़ब्दा (93) ल-क़द् अह्साहुम् व अ़द्दहुम् अ़द्दा (94) व कुल्लुहुम् आतीहि यौमल्-	और लोग कहते हैं रहमान रखता है औलाद। (88) बेशक तुम आ फंसे हो भारी चीज़ में। (89) अभी आसमान फट पड़ें इस बात से और टुकड़े हो ज़मीन और गिर पड़ें पहाड़ ढह कर (90) इस पर कि पुकारते हैं रहमान के नाम पर औलाद। (91) और नहीं फबता रहमान को कि रखे औलाद। (92) कोई नहीं आसमान और ज़मीन में जो न आये रहमान का बन्दा होकर। (93) उसके पास उनका शुमार है और गिन रखी है उनकी गिनती। (94) और हर एक उनमें आयेगा

क़ियामति फ़र्दा (95) इन्नल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति स-यज्अ़लु लहुमुर्रह्मानु वुद्दा (96) फ़-इन्नमा यस्सर्नाहु बिलिसानि-क लितुबश्शि-र बिहिल्-मुत्तक़ी-न व तुन्ज़ि-र बिही क़ौमल्-लुद्दा (97) व कम् अह्लक्ना क़ब्लहुम् मिन् क़र्निन्, हल् तुहिस्सु मिन्हुम् मिन् अ-हदिन् औ तस्मअ़ु लहुम् रिक्ज़ा (98) ✿ ●	उसके सामने क़ियामत के दिन अकेला। (95) अलबत्ता जो यक़ीन लाये हैं और की हैं उन्होंने नेकियाँ उनको देगा रहमान मुहब्बत। (96) सो हमने आसान कर दिया यह क़ुरआन तेरी ज़ुबान में इसी वास्ते कि ख़ुशख़बरी सुना दे तू डरते रहने वालों को, और डरा दे झगड़ालू लोगों को। (97) और बहुत हलाक कर चुके हम इनसे पहले जमाअ़तें, आहट पाता है तू उनमें किसी की या सुनता है उनकी भनक? (98) ✿ ●

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और ये (काफ़िर) लोग कहते हैं कि (नऊज़ु बिल्लाह) अल्लाह ने औलाद (भी) इख़्तियार कर रखी है (चुनाँचे ईसाई कसरत से और यहूदी व अ़रब के मुश्रिक लोग किसी हद तक इस बुरे अ़क़ीदे में मुब्तला थे। अल्लाह तआ़ला फ़रमाते हैं कि) तुमने (जो) यह (बात कही तो) ऐसी सख़्त हरकत की है कि इसके सबब कुछ दूर की बात नहीं कि आसमान फट पड़ें और ज़मीन के टुकड़े उड़ जाएँ और पहाड़ टूटकर गिर पड़ें। इस बात से कि ये लोग (ख़ुदा-ए-तआ़ला) रहमान की तरफ़ औलाद की निस्बत करते हैं हालाँकि (ख़ुदा-ए-तआ़ला) रहमान की शान नहीं कि वह औलाद इख़्तियार करे। (क्योंकि) जितने भी कुछ आसमानों और ज़मीन में हैं सब (ख़ुदा-ए-तआ़ला) रहमान के सामने गुलाम होकर हाज़िर होते हैं। (और) उसने सब को (अपनी क़ुदरत में) घेर रखा है, और (अपने इल्म से) सब को शुमार कर रखा है। (यह हालत तो उनकी फ़िलहाल है) और क़ियामत के दिन सब-के-सब उसके पास तन्हा-तन्हा हाज़िर होंगे (कि हर शख़्स ख़ुदा ही का मोहताज और हुक्म के ताबे होगा, पस अगर ख़ुदा के औलाद हो तो ख़ुदा ही की तरह उसका वजूद वाजिब और वाजिब वजूद से संबन्धित चीज़ें उसके अन्दर होनी चाहियें और ख़ुदा की ये सिफ़ात हैं जो ऊपर बयान हुई यानी कामिल क़ुदरत और कामिल इल्म वाला होना, और ग़ैरे-ख़ुदा की सिफ़तें ये हैं-- दूसरों की तरफ़ मोहताज होना और ताबेदारी व फ़रमाँबरदारी करना, और ये बातें ज़िद (उलट और विपरीत) हैं वाजिब होने के, फिर दो एक दूसरे के विपरीत और मुख़ालिफ़ चीज़ें एक जगह कैसे एकत्र हो सकती हैं)।

बेशक जो लोग ईमान लाये और उन्होंने अच्छे काम किये (अल्लाह तआ़ला) रहमान (उनको आख़िरत की उक्त नेमतों के अ़लावा दुनिया में यह नेमत देगा कि) उनके लिये (मख़्लूक़ात के दिल में) मुहब्बत पैदा कर देगा, सो (आप उनको यह ख़ुशख़बरी दे दीजिए क्योंकि) हमने इस (क़ुरआन) को

आपकी भाषा (यानी अ़रबी) में इसलिये आसान किया है कि आप इससे मुत्तक़ियों को ख़ुशख़बरी सुनाएँ और (साथ ही) इससे झगड़ालू आदमियों को ख़ौफ़ दिला दें और (उन ख़ौफ़ की चीज़ों में से दुनियावी सज़ा का एक यह भी मज़मून है कि) हमने उनसे पहले बहुत से गिरोहों को (अ़ज़ाब व क़हर से) हलाक कर दिया है (सो) क्या आप उनमें से किसी को देखते हैं, या उन (में से किसी) की कोई आहिस्ता आवाज़ सुनते हैं। (इससे मुराद उनका बेनाम व निशान होना है। सो काफ़िर लोग इस दुनियावी सज़ा के भी मुस्तहिक़ हैं अगरचे किसी मस्लेहत से किसी काफ़िर के लिये वह ज़ाहिर न हो मगर आशंका व संभावना तो इसकी ज़रूर है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ○

इन आयतों से मालूम हुआ कि ज़मीन और पहाड़ और उसकी तमाम चीज़ों में एक ख़ास क़िस्म का अ़क़्ल व शऊर मौजूद है अगरचे वह उस दर्जे का न हो जिस पर अल्लाह के अहकाम मुरत्तब होते हैं जैसे इनसान की अ़क़्ल व शऊर। यही अ़क़्ल व शऊर है जिसकी वजह से दुनिया की हर चीज़ अल्लाह के नाम की तस्बीह करती है जैसा कि क़ुरआने करीम का इरशाद है:

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ

यानी कोई चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं जो अल्लाह की तारीफ़ के साथ तस्बीह न करती हो। उन चीज़ों का यही शऊर व एहसास है जिसका ज़िक्र इन उक्त आयतों में आया है कि अल्लाह तआ़ला के साथ किसी को शरीक क़रार देने, ख़ासकर अल्लाह तआ़ला के लिये औलाद क़रार देने से ज़मीन और पहाड़ वग़ैरह सख़्त घबराते और डरते हैं। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि जिन्नात व इनसान के अ़लावा तमाम मख़्लूक़ात ख़ुदा तआ़ला के साथ शिर्क से बहुत डरती हैं और यह ख़तरा महसूस करती हैं कि वह रेज़ा-रेज़ा हो जायें। (रूहुल-मआ़नी)

وَعَدَّهُمْ عَدًّا ○

यानी हक़ तआ़ला शानुहू तमाम इनसानों की व्यक्तिगत चीज़ों और आमाल का पूरा इल्म रखते हैं, उनके साँस उनके क़दम उनके लुक़्मे और घूँट अल्लाह के नज़दीक शुमार किये हुए हैं, न कम हो सकते हैं न ज़्यादा।

سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ○

यानी ईमान और नेक अ़मल पर क़ायम रहने वालों के लिये अल्लाह तआ़ला कर देते हैं दोस्ती और मुहब्बत। यानी ईमान और नेक अ़मल जब मुकम्मल हों और बाहरी रुकावटों से ख़ाली हों तो उनकी विशेषता यह है कि नेक मोमिनों के दरमियान आपस में भी उलफ़त व मुहब्बत हो जाती है। एक नेक सालेह आदमी दूसरे नेक आदमी से मानूस होता है और दूसरे तमाम लोगों और मख़्लूक़ात के दिलों में भी अल्लाह तआ़ला उनकी मुहब्बत पैदा फ़रमा देते हैं।

बुख़ारी, मुस्लिम और तिर्मिज़ी वग़ैरह ने हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से यह रिवायत नक़ल

की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हक़ तआ़ला जिस किसी बन्दे को पसन्द फ़रमाते हैं तो जिब्रीले अमीन से कहते हैं कि मैं फ़ुलाँ आदमी से मुहब्बत करता हूँ तुम भी उससे मुहब्बत करो। जिब्रीले अमीन सारे आसमानों में इसकी मुनादी करते हैं और सब आसमान वाले उससे मुहब्बत करने लगते हैं। फिर यह मुहब्बत ज़मीन पर नाज़िल होती है (तो ज़मीन वाले भी सब उस महबूबे ख़ुदा से मुहब्बत करने लगते हैं)। और फ़रमाया कि क़ुरआने करीम की यह आयत इस पर गवाह और सुबूत है, यानीः

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ○

(यानी यही आयत नम्बर 96 जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है। रूहुल-मआ़नी)

और हरम बिन हय्यान रह. ने फ़रमाया कि जो शख़्स अपने पूरे दिल से अल्लाह तआ़ला की तरफ़ मुतवज्जह हो जाता है तो अल्लाह तआ़ला तमाम ईमान वालों के दिल उसकी तरफ़ मुतवज्जह फ़रमा देते हैं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने जब अपनी बीवी हज़रत हाजरा और दूध पीते बेटे इस्माईल अ़लैहिस्सलाम को मक्का के ख़ुश्क पहाड़ों के बीच रेगिस्तान में अल्लाह तआ़ला के हुक्म से छोड़कर मुल्क शाम वापस जाने का इरादा फ़रमाया तो उनके लिये भी दुआ़ माँगी थीः

فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيٓ إِلَيْهِمْ

यानी या अल्लाह! मेरे बेकस अहल व अ़याल के लिये आप कुछ लोगों के दिलों को माईल और मुतवज्जह फ़रमा दीजिए। इसी का नतीजा है कि हज़ारों साल गुज़र चुके हैं लेकिन मक्का और मक्का वालों की मुहब्बत सारी दुनिया के दिलों में भर दी गयी है, और दुनिया के हर कोने से बड़ी-बड़ी मेहनत व मुशक़्क़त उठाकर और उम्र भर की कमाई ख़र्च करके लोग पहुँचते रहते हैं और दुनिया के हर इलाक़े की चीज़ें मक्का मुअ़ज़्ज़मा के बाज़ार में उपलब्ध रहती हैं।

أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ○

रिक्ज़ वह छुपी आवाज़ है जो समझ में न आये, जैसे मरने वाले की ज़बान लड़खड़ाने के बाद जो आवाज़ होती है। आयत का मतलब यह है कि ये सब हुकूमत व सल्तनत वाले और शान व शौकत और ताक़त व क़ुव्वत वाले जब अल्लाह के अ़ज़ाब में पकड़े गये और फ़ना किये गये तो ऐसे हो गये कि इनकी कोई छुपी और आहिस्ता आवाज़ और हिस्स व हरकत भी सुनाई नहीं देती।

अल्लाह करीम का शुक्र व एहसान है कि सूरः मरियम की तफ़सीर मुकम्मल हुई।

सूरः तॉ-हा

सूरः तॉ-हा मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 135 आयतें और 8 रुकूअ़ हैं।

آياتها ١٣٥ (٢٠) سُوْرَةُ طٰهٰ مَكِّيَّةٌ (٤٥) رُكُوعَاتُهَا ٨

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

इस सूरत का दूसरा नाम सूरः कलीम भी है जैसा कि इमाम सख़ावी रह. ने नक़ल किया है। वजह यह है कि इसमें हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अ़लैहिस्सलाम का वाक़िआ़ तफ़सील के साथ बयान हुआ है।

मुस्नद दारमी में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हक़ तआ़ला ने आसमान व ज़मीन पैदा करने से भी दो हज़ार साल पहले 'सूरः तॉ-हा व सूरः यासीन' पढ़ी (यानी फ़रिश्तों को सुनाई) तो फ़रिश्तों ने कहा कि बड़ी ख़ुश नसीब और मुबारक है वह उम्मत जिस पर ये सूरतें नाज़िल होंगी, और मुबारक हैं वो सीने जो इनको हिफ़्ज़ रखेंगे और मुबारक हैं वो ज़ुबानें जो इनको पढ़ेंगी। यही वह मुबारक सूरत है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के क़त्ल का फ़ैसला करके निकलने वाले उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु को ईमान क़ुबूल करने और हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के क़दमों में गिरने पर मजबूर कर दिया, जिसका वाक़िआ़ सीरत की किताबों में परिचित व मशहूर है।

इब्ने इस्हाक़ की रिवायत इस तरह है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु एक रोज़ तलवार लेकर हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के क़त्ल के इरादे से घर से निकले। रास्ते में नुऐम बिन अ़ब्दुल्लाह मिल गये, पूछा कहाँ का इरादा है? उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैं उस गुमराह शख़्स का काम तमाम करने के लिये जा रहा हूँ जिसने क़ुरैश में फूट डाल दी, उनके दीन व मज़हब को बुरा कहा, उनको बेवक़ूफ़ बनाया और उनके बुतों को बुरा कहा। नुऐम ने कहा कि उमर तुम्हें तुम्हारे नफ़्स ने धोखे में मुब्तला कर रखा है, क्या तुम यह समझते हो कि तुम मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) को क़त्ल कर दोगे और उनका क़बीला बनू अ़ब्दे मुनाफ़ तुम्हें ज़िन्दा छोड़ेगा कि ज़मीन पर चलते फिरते रहो? अगर तुम में अ़क़्ल है तो अपनी बहन और बहनोई की ख़बर लो कि वह मुसलमान और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) के दीन के ताबे हो चुके हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब पर उनकी बात असर कर गयी और यहीं से अपनी बहन बहनोई के मकान की तरफ़ फिर गये। उनके मकान में हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत सहाबी उन दोनों को क़ुरआन

की सूरः 'तॉ-हा' पढ़ा रहे थे जो एक सहीफ़े (पुस्तक) में लिखी हुई थी।

इन लोगों ने जब महसूस किया कि उमर बिन ख़त्ताब आ रहे हैं तो हज़रत ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु घर के किसी कमरे या कोने में छुप गये और बहन ने यह सहीफ़ा अपनी रान के नीचे छुपा लिया मगर उमर बिन ख़त्ताब के कानों में ख़ब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु अन्हु की और उनके कुछ पढ़ने की आवाज़ पहुँच चुकी थी इसलिये पूछा कि यह पढ़ने-पढ़ाने की आवाज़ कैसी थी जो मैंने सुनी है? उन्होंने (पहले तो बात को टालने के लिये) कहा कि कुछ नहीं, मगर अब उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने बात खोल दी कि मुझे यह ख़बर मिली है कि तुम दोनों मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ताबे और मुसलमान हो गये हो और यह कहकर अपने बहनोई सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु पर टूट पड़े। इनकी बहन फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब यह देखा तो शौहर को बचाने के लिये खड़ी हो गयीं। उमर बिन ख़त्ताब ने इनको भी मारकर ज़ख़्मी कर दिया।

जब नौबत यहाँ तक पहुँच गयी तो बहन-बहनोई दोनों ने एक ज़बान में कहा कि सुन लो! हम बिला शुब्हा मुसलमान हो चुके हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आये हैं। अब जो तुम कर सकते हो कर लो। बहन के ज़ख़्म से ख़ून जारी था, इस हालत को देखकर उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को कुछ शर्मिन्दगी हुई और बहन से कहा कि वह सहीफ़ा (पुस्तक) मुझे दिखलाओ जो तुम पढ़ रही थीं ताकि मैं भी देखूँ कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) क्या तालीम लाये हैं। उमर बिन ख़त्ताब लिखे पढ़े आदमी थे, इसलिये सहीफ़ा देखने के लिये माँगा। बहन ने कहा कि हमें ख़तरा है कि हमने यह सहीफ़ा अगर तुम्हें दे दिया तो तुम इसको ज़ाया कर दो या बेअदबी करो। उमर बिन ख़त्ताब ने अपने बुतों की क़सम खाकर कहा कि तुम यह ख़ौफ़ न करो मैं उसको पढ़कर तुम्हें वापस कर दूँगा। बहन फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब यह रुख़ देखा तो उनको कुछ उम्मीद हो गयी कि शायद उमर भी मुसलमान हो जायें। उस वक़्त कहा कि भाई बात यह है कि तुम नजिस नापाक हो और इस सहीफ़े को पाक आदमी के सिवा कोई हाथ नहीं लगा सकता, अगर तुम देखना ही चाहते हो तो ग़ुस्ल कर लो। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ग़ुस्ल कर लिया फिर वह सहीफ़ा उनके हवाले किया गया तो उसमें सूरः 'तॉ-हा' लिखी हुई थी। उसका शुरू का हिस्सा ही पढ़कर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि यह कलाम तो बड़ा अच्छा और बहुत ही इज़्ज़त व सम्मान वाला है। हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु अन्हु जो मकान में छुपे हुए यह सब कुछ सुन रहे थे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ये अलफ़ाज़ सुनते ही सामने आ गये और कहा कि ऐ उमर बिन ख़त्ताब! मुझे अल्लाह की रहमत से यह उम्मीद है कि अल्लाह तआला ने तुम्हें अपने रसूल की दुआ के लिये चुन लिया है क्योंकि कल मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह दुआ करते हुए सुना है:

اَللّٰهُمَّ اَيِّدِ الْاِسْلَامَ بِاَبِي الْحَكَمِ بْنِ هِشَامٍ اَوْبِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

"या अल्लाह! इस्लाम की ताईद व मज़बूती फ़रमा अबुल-हिकम बिन हिशाम (यानी अबू जहल) के ज़रिये या फिर उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिये।"

मतलब यह था कि इन दोनों में से कोई मुसलमान हो जाये तो मुसलमानों की कमज़ोर जमाअत में जान पड़ जाये। फिर हज़रत ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ऐ उमर! अब तू इस मौक़े को

ग़नीमत समझ। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत ख़ब्बाब से कहा कि मुझे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास ले चलो। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) आगे उनका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होना और इस्लाम क़ुबूल करना मशहूर व मारूफ़ वाक़िआ है।

طٰهٰ ۝ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ۝ اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۝ تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ۝ اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ۝ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ۝ وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى ۝ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ لَهُ الْاَسْمَاۗءُ الْحُسْنٰى ۝

तॉ-हा (1) मा अन्ज़ल्ना अ़लैकल्-क़ुरआ-न लितश्क़ा (2) इल्ला तज़्कि-रतल्-लिमंय्यख़्शा (3) तन्ज़ीलम्-मिम्-मन् ख़-लक़ल्अर्-ज़ वस्समावातिल्-अुला (4) अर्रह्मानु अ़लल्-अ़र्शिस्तवा (5) लहू मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल्-अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तह्तस्सरा (6) व इन् तज्हर् बिल्क़ौलि फ़-इन्नहू यअ्लमुस्सिर्-र व अख़्फ़ा (7) अल्लाहु ला इला-ह इल्ला हु-व, लहुल्-अस्माउल्-हुस्ना (8)	तॉ-हा। (1) इस वास्ते नहीं उतारा हमने तुझ पर क़ुरआन कि तू मेहनत में पड़े (2) मगर नसीहत के वास्ते उसकी जो डरता है। (3) उतारा हुआ है उसका जिस ने बनाई ज़मीन और आसमान ऊँचे। (4) वह बड़ा मेहरबान अ़र्श पर क़ायम हुआ। (5) उसी का है जो कुछ है आसमान और ज़मीन में और इन दोनों के बीच और नीचे गीली ज़मीन के। (6) और अगर तू बात कहे पुकार कर तो उसको तो ख़बर है छुपी हुई बात की, और उससे भी छुपी हुई की। (7) अल्लाह है जिसके सिवा बन्दगी नहीं किसी की, उसी के हैं सब नाम ख़ासे। (8)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

तॉ-हा (के मायने तो अल्लाह को मालूम हैं)। हमने आप पर क़ुरआन (करीम) इसलिये नहीं उतारा कि आप तकलीफ़ उठायें, बल्कि ऐसे शख़्स की नसीहत के लिये (उतारा है) जो (अल्लाह तआ़ला से) डरता हो। यह उस (ज़ात) की तरफ़ से नाज़िल किया गया है जिसने ज़मीन को और बुलन्द आसमानों को पैदा किया है। (और) वह बड़ी रहमत वाला (है) अ़र्श पर (जो एक तरह से शाही तख़्त के जैसा उस पर उस तरह) क़ायम (और जलवा फ़रमा) है (जो कि उसकी शान के लायक़ है। और वह ऐसा है कि) उसी की मिल्क हैं जो चीज़ें आसमानों में हैं और जो चीज़ें ज़मीन में हैं, और जो चीज़ें इन दोनों के बीच में हैं (यानी आसमान से नीचे और ज़मीन से ऊपर), और जो चीज़ें

तहतुस्सरा में हैं (यानी ज़मीन के अन्दर जो तर मिट्टी है जिसको सरा कहते हैं जो चीज़ कि उसके नीचे है। मुराद यह कि ज़मीन की तह और पाताल में जो चीज़ें हैं। ये तो अल्लाह तआला की क़ुदरत व सल्तनत थी) और (उसके इल्म की यह शान है कि ऐ मुख़ातब!) अगर तुम पुकारकर बात कहो तो (उसके सुनने में तो क्या शुब्हा है) वह तो (ऐसा है कि) चुपके से कही हुई बात को और (बल्कि) उससे भी ज़्यादा छुपी बात को (यानी जो अभी दिल में है) जानता है। (वह) अल्लाह ऐसा है कि उसके सिवा कोई माबूद (होने का मुस्तहिक़) नहीं, उसके (बड़े) अच्छे-अच्छे नाम हैं (जो उसकी सिफ़तों और कमालात पर दलालत करते हैं। सो क़ुरआन ऐसी जामे और कामिल सिफ़ात वाली ज़ात का नाज़िल किया हुआ है और यक़ीनी हक़ है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

'तॉ-हा'। इस लफ़्ज़ की तफ़सीर में तफ़सीर के उलेमा के क़ौल बहुत हैं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से इसके मायने 'या रजुलु' (ऐ शख़्स) और इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से 'या हबीबी' (ऐ मेरे हबीब) नक़ल किये गये हैं। हदीस की कुछ रिवायतों से मालूम होता है कि 'तॉ-हा' और 'यासीन' हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सम्मानित नामों में से हैं। और स्पष्ट बात वह है जो हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु और उलेमा की अक्सरियत ने फ़रमाई कि जिस तरह क़ुरआन की बहुत सी सूरतों के शुरू में आये हुए हुरूफ़े मुक़त्तआ़ मसलन 'अलिफ़्-लाम-मीम' वग़ैरह मुतशाबिहात यानी भेदों में से हैं जिनको अल्लाह तआ़ला के सिवा कोई नहीं जानता, लफ़्ज़ 'तॉ-हा' भी उसी में दाख़िल है।

مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓىo

'लितश्क़ा' शक़ा से निकला है जिसके मायने मशक़्क़त, तकलीफ़ और थकने के हैं। क़ुरआन के उतरने की शुरूआ़त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और सहाबा-ए-किराम तमाम रात इबादत के लिये खड़े रहते और तहज्जुद की नमाज़ में क़ुरआन की तिलावत में मशग़ूल रहते थे, यहाँ तक कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मुबारक क़दमों पर वरम आ गया और दिन भर इसकी फ़िक्र में रहते थे कि किसी तरह काफ़िरों को हिदायत हो, वे क़ुरआन की दावत को क़ुबूल कर लें। इस आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को इन दोनों क़िस्म की मशक़्क़त से बचाने के लिये इरशाद फ़रमाया कि हमने आप पर क़ुरआन इसलिये नाज़िल नहीं किया कि आप मशक़्क़त और तकलीफ़ में पड़ जायें, तमाम रात जागने और क़ुरआन की तिलावत में मशग़ूल रहने की ज़रूरत नहीं। चुनाँचे इस आयत के उतरने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का मामूल यह बन गया कि शुरू रात में आराम फ़रमाते थे और आख़िर रात में जागकर तहज्जुद अदा फ़रमाते थे।

इसी तरह इस आयत में इसकी तरफ़ भी इशारा फ़रमा दिया कि आपका फ़र्ज़ सिर्फ़ तब्लीग़ व दावत का है, जब आपने यह काम कर लिया तो फिर इसकी फ़िक्र आपके ज़िम्मे नहीं कि कौन ईमान लाया और किसने दावत को क़ुबूल नहीं किया। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी, संक्षिप्त रूप से)

اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰىo

इमाम इब्ने कसीर रह. ने फ़रमाया कि क़ुरआन उतरने के शुरू के दौर में सारी रात तहज्जुद व तिलावत में मशग़ूल रहने से कुछ काफ़िरों ने मुसलमानों पर यह आवाज़े कसे कि इन लोगों पर क़ुरआन क्या नाज़िल हुआ एक मुसीबत नाज़िल हो गयी, न रात का आराम न दिन का चैन। इस आयत में हक़ तआ़ला ने इशारा फ़रमाया कि ये जाहिल बदनसीब हक़ीक़तों से बेख़बर क्या जानें कि क़ुरआन और इसके ज़रिये अल्लाह तआ़ला का दिया हुआ इल्म ख़ैर ही ख़ैर और सआ़दत ही सआ़दत है, इसको मुसीबत समझने वाले बेख़बर और अहमक़ हैं। बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में हज़रत मुआ़विया रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ.

यानी अल्लाह तआ़ला जिस शख़्स की भलाई का इरादा फ़रमाते हैं उसको दीन का इल्म और समझ-बूझ अ़ता फ़रमा देते हैं।

इस जगह इमाम इब्ने कसीर ने एक दूसरी सही हदीस भी नक़ल फ़रमाई है जो उलेमा के लिये बड़ी ख़ुशख़बरी है। यह हदीस तबरानी ने हज़रत सालबा बिन अल्-हिकम रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की है। इब्ने कसीर ने फ़रमाया कि इसकी सनद उम्दा है। हदीस यह हैः

قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم يقول اللّٰه تعالٰى للعلماء يوم القيامة اذا قعد علٰى كرسيّه لقضاء عبادهٖ انّى لم اجعل علمى وحكمتى فيكم الّا وانا اريد ان اغفرلكم علٰى مَا كان منكم ولا ابالى. (ابن کثیر ص ۱۳۱ ج ۳)

तर्जुमाः रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़ियामत के दिन जब अल्लाह तआ़ला बन्दों के आमाल का फ़ैसला करने के लिये अपनी कुर्सी पर तशरीफ़ फ़रमा होंगे तो उलेमा से फ़रमा देंगे कि मैंने अपना इल्म व हिक्मत तुम्हारे सीनों में सिर्फ़ इसी लिये रखा था कि मैं तुम्हारी मग़फ़िरत करना चाहता हूँ बावजूद उन ख़ताओं के जो तुमसे हुईं, और मुझे कोई परवाह नहीं।

मगर यह ज़ाहिर है कि यहाँ उलेमा से मुराद वही उलेमा हैं जिनमें इल्म की क़ुरआनी निशानी यानी अल्लाह का डर और ख़ौफ़ मौजूद हो। इस आयत में लफ़्ज़ 'लिमंय्-यख़्शा' इसी तरफ़ इशारा करता है। जिनमें यह निशानी न हो वे इसके मुस्तहिक़ नहीं। वल्लाहु आलम

عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰىo

इस्तिवा अ़लल्-अ़र्श के बारे में सही और साफ़ वही बात है जो पहले बुज़ुर्गों की अक्सरियत से नक़ल की गयी है कि इसकी हक़ीक़त व कैफ़ियत किसी को मालूम नहीं। यह मुतशाबिहात में से है। अ़क़ीदा इतना रखना है कि इस्तिवा अ़लल्-अ़र्श (अ़र्श पर क़ायम होना) हक़ है, उसकी कैफ़ियत (यानी वह किस तरह है यह) अल्लाह जल्ल शानुहू की शान के मुताबिक़ व मुनासिब होगी, जिसका समझना और इल्म दुनिया में किसी को नहीं हो सकता।

وَمَا تَحْتَ الثَّرٰىo

'सरा' नमी वाली गीली मिट्टी को कहते हैं जो ज़मीन खोदने के वक़्त निकलती है। मख़्लूक़ का

इल्म तो सिर्फ़ सरा तक ख़त्म हो जाता है, आगे इस सरा के नीचे क्या है इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। इस नई खोज व रिसर्च और नये-नये उपकरणों और विज्ञान की बहुत ज़्यादा तरक़्क़ी के बावजूद अब से चन्द साल पहले ज़मीन को बरमा कर एक तरफ़ से दूसरी तरफ़ निकल जाने की कोशिश मुद्दतों तक जारी रही। इन सब तहक़ीक़ात और अनथक कोशिशों का नतीजा अख़बारों में सब के सामने आ चुका है कि सिर्फ़ छह मील की गहराई तक यह नये आलात (उपकरण और यंत्र) काम कर सके, आगे एक ऐसी पत्थर की रोक सामने आई जहाँ खोदने के सारे आलात और आधुनिक विज्ञान के सब फ़ार्मूले और इल्म आ़जिज़ हो गये। यह सिर्फ़ छह मील तक का इल्म इनसान हासिल कर सका है जबकि ज़मीन का क़तर हज़ारों मील का है, इसलिये इस इक़रार के सिवा चारा नहीं कि सरा के नीचे का इल्म हक़ तआ़ला ही की मख़्सूस सिफ़त है।

يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰی○

'सिर्र' से मुराद वह चीज़ है जो इनसान ने अपने दिल में छुपाई हुई है, किसी पर ज़ाहिर नहीं। और 'अख़्फ़ा' से मुराद वह बात है जो अभी तक तुम्हारे दिल में भी नहीं आई, आगे किसी वक़्त दिल में आयेगी। हक़ तआ़ला उन सब चीज़ों से वाक़िफ़ व बाख़बर हैं कि इस वक़्त किस इनसान के दिल में क्या है और कल को क्या होगा। कल का मामला ऐसा है कि ख़ुद उस शख़्स को भी आज इसकी ख़बर नहीं कि कल को मेरे दिल में क्या बात आयेगी। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

وَهَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى○ اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى○ فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى○ اِنِّيْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى○ وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى○ اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ○ اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى○ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى○

व हल् अता-क हदीसु मूसा। (9) इज़् रआ नारन् फ़क़ा-ल लिअह्लिहिम्कुसू इन्नी आनस्तु नारल्-लअ़ल्ली आतीकुम् मिन्हा बि-क़-बसिन् औ अजिदु अ़लन्नारि हुदा (10) फ़-लम्मा अताहा नूदि-य या मूसा (11) इन्नी अ-न रब्बु-क	और पहुँची है तुझको बात मूसा की। (9) जब उसने देखी एक आग तो कहा अपने घर वालों को ठहरो मैंने देखी है एक आग शायद ले आऊँ तुम्हारे पास उसमें से सुलगाकर, या पाऊँ आग पर पहुँचकर रस्ते का पता। (10) फिर जब पहुँचा आवाज़ आई ऐ मूसा! (11) मैं हूँ तेरा रब,

फ़ख़्लअ् नअ्लै-क इन्न-क बिल्वादिल्-मुक़द्दसि तुवा (12) व अनख़्तर्तु-क फ़स्तमिअ् लिमा यूहा (13) इन्ननी अनल्लाहु ला इला-ह इल्ला अ-न फ़अ्बुद्नी व अक़िमिस्सला-त लिज़िक्री (14) इन्नस्सा-अ-त आति-यतुन् अकादु उख़्फ़ीहा लितुज्ज़ा कुल्लु नफ़्सिम्-बिमा तस्आ (15) फ़ला यसुद्दन्न-क अ़न्हा मल्ला युअ्मिनु बिहा वत्त-ब-अ हवाहु फ़-तर्दा (16)	सो उतार डाल अपनी जूतियाँ तू है पाक मैदान तुवा में। (12) और मैंने तुझको पसन्द किया है सो तू सुनता रह जो हुक्म हो। (13) मैं जो हूँ अल्लाह हूँ किसी की बन्दगी नहीं सिवाय मेरे, सो मेरी बन्दगी कर, और नमाज़ क़ायम रख मेरी यादगारी को। (14) क़ियामत बेशक आने वाली है, मैं छुपाकर रखना चाहता हूँ उसको ताकि बदला मिले हर शख़्स को जो उसने कमाया है। (15) सो कहीं तुझ को न रोक दे उससे वह शख़्स जो यक़ीन नहीं रखता उसका और पीछे पड़ रहा है अपने मज़ों के फिर तू पटका जाये। (16)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) क्या आपको मूसा (अ़लैहिस्सलाम के क़िस्से) की ख़बर पहुँची है (यानी वह सुनने के क़ाबिल है कि उसमें तौहीद व नुबुव्वत के मुताल्लिक़ उलूम हैं जिनकी तब्लीग़ लाभदायक होगी। वह क़िस्सा यह है कि) जबकि उन्होंने (मद्यन से आते हुए रात को जिसमें सर्दी भी थी और रास्ता भी भूल गये थे तूर पहाड़ पर) एक आग देखी (जबकि वास्तव में वह नूर था मगर शक्ल आग के जैसी थी) सो अपने घर वालों से (जो सिर्फ़ बीवी थी या ख़ादिम वग़ैरह भी) फ़रमाया कि तुम (यहीं) रुके रहो (यानी मेरे पीछे-पीछे मत आना, क्योंकि यह तो शुब्हा व गुमान ही न था कि बिना इनके आगे सफ़र करने लगेंगे), मैंने आग देखी है (मैं वहाँ जाता हूँ) शायद उसमें से तुम्हारे पास कोई शोला (किसी लकड़ी वग़ैरह में लगाकर) लाऊँ (ताकि सर्दी का इलाज हो) या (वहाँ) आग के पास रास्ते का पता (जानने वाला कोई आदमी भी) मुझको मिल जाये। सो वह जब उस (आग) के पास पहुँचे तो (उनको अल्लाह की तरफ़ से) आवाज़ दी गई कि ऐ मूसा! मैं ही तुम्हारा रब हूँ, पस तुम अपनी जूतियाँ उतार डालो (क्योंकि) तुम एक पाक मैदान यानी 'तुवा' में हो (यह उस मैदान का नाम है)। और मैंने तुमको (नबी बनाने के लिये दूसरी तमाम मख़्लूक़ात में से) चुन लिया है, सो (इस वक़्त) जो कुछ वही की जा रही है उसको (ग़ौर से) सुन लो (वह यह है कि) मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद (होने के लायक़) नहीं, तुम मेरी ही इबादत किया करो और मेरी ही याद की नमाज़ पढ़ा करो। (दूसरी बात यह सुनो कि) बेशक क़ियामत आने वाली है, मैं उसको (तमाम मख़्लूक़ से) छुपाकर रखना चाहता हूँ (और क़ियामत इसलिये आयेगी) ताकि हर शख़्स को उसके किये का

बदला मिल जाये। सो (जब क़ियामत का आना यक़ीनी है तो) तुमको क़ियामत (के लिये तैयार व मुस्तैद रहने) से ऐसा शख़्स बाज़ न रखने पाये जो उस पर ईमान नहीं रखता, और अपनी (नफ़्सानी) इच्छाओं पर चलता है (यानी तुम ऐसे शख़्स के असर से क़ियामत के लिये तैयारी करने से बेफ़िक्र न हो जाना) कहीं तुम (उस बेफ़िक्री की वजह से) तबाह न हो जाओ।

मआरिफ़ व मसाईल

هَلْ اَتٰـكَ حَدِيْثُ مُوْسٰىo

इनसे पहले की आयतों में क़ुरआने करीम की बड़ाई और उसके तहत में रसूले पाक की बड़ाई और शान का बयान हुआ था, उसके बाद हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम का क़िस्सा इस मुनासबत से ज़िक्र किया गया कि रिसालत व दावत के फ़राईज़ की अदायेगी में जो मुश्किलें और तकलीफ़ें पेश आया करती हैं और पहले वाले नबियों ने उनको बरदाश्त किया है वो हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के इल्म में आ जायें ताकि आप इसके लिये पहले से मुस्तैद और तैयार होकर साबित-क़दम रहें, जैसा कि एक आयत में इरशाद है:

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَانُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ.

यानी रसूलों के ये सब क़िस्से हम आप से इसलिये बयान करते हैं ताकि आपका दिल मज़बूत हो जाये और नुबुव्वत के पद का भार उठाने के लिये तैयार हो जाये।

और मूसा अ़लैहिस्सलाम का यह क़िस्सा जो यहाँ बयान हुआ है इसकी शुरूआत यूँ हुई कि जब वह 'मद्यन' पहुँचकर हज़रत शुऐब अ़लैहिस्सलाम के मकान पर इस समझौते के साथ मुक़ीम हो गये कि आठ या दस साल तक उनकी ख़िदमत करेंगे और तफ़सीर बहरे मुहीत वग़ैरह की रिवायत के मुताबिक़ उन्होंने बाद वाली मुद्दत यानी दस साल पूरे कर लिये तो शुऐब अ़लैहिस्सलाम से रुख़्सत चाही कि मैं अब अपनी वालिदा और बहन से मिलने के लिये मिस्र जाता हूँ और जिस ख़तरे की वजह से मिस्र छोड़ा था कि फ़िरऔ़न के सिपाही उनकी गिरफ़्तारी और क़त्ल के पीछे पड़े थे लम्बा समय गुज़र जाने के बाद अब वह ख़तरा भी बाक़ी न रहा था। शुऐब अ़लैहिस्सलाम ने उनको मय बीवी यानी अपनी बेटी के कुछ माल और सामान देकर रुख़्सत फ़रमा दिया। रास्ते में मुल्क शाम के बादशाहों से ख़तरा था इसलिये आ़म रास्ता छोड़कर ग़ैर-परिचित रास्ता इख़्तियार किया। मौसम सर्दी का था और बीवी साहिबा गर्भ से थीं और बच्चे की पैदाईश का ज़माना भी क़रीब था, कि सुबह शाम में बच्चे की पैदाईश का अन्दाज़ा व संभावना थी। ग़ैर-परिचित रास्ता और जंगल में रास्ते से हटकर तूर पहाड़ की पश्चिमी और दाहिनी दिशा में जा निकले, रात अंधेरी सर्दी बर्फ़ानी थी, इसी हाल में बीवी साहिबा को बच्चे की पैदाईश का दर्द शुरू हो गया। मूसा अ़लैहिस्सलाम ने सर्दी से हिफ़ाज़त के लिये आग जलानी चाही। उस ज़माने में दिया सलाई (माचिस) के बजाय चक़माक़ पत्थर इस्तेमाल किया जाता था जिसको मारने से आग पैदा हो जाती थी, उसको इस्तेमाल किया मगर उससे आग न निकली। इसी हैरानी व परेशानी के आ़लम में तूर पहाड़ पर आग नज़र आई जो दर हक़ीक़त नूर था

तो घर वालों से कहा कि मैंने आग देखी है मैं वहाँ जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिये आग लाऊँ और मुम्किन है कि आग के पास कोई रास्ता जानने वाला मिल जाये तो रास्ता भी मालूम कर लूँ। घर वालों में बीवी साहिबा का होना तो मुतैयन है, कुछ रिवायतों से मालूम होता है कि कोई ख़ादिम भी साथ था, वह भी इस ख़िताब में दाख़िल है। कुछ रिवायतों में है कि कुछ लोग सफ़र के साथी भी थे मगर रास्ता भूलने में यह उनसे अलग हो गये थे। (बहरे मुहीत)

فَلَمَّآ اَتٰهَا.

यानी जो आग दूर से देखी जब उसके पास पहुँचे। मुस्नद अहमद वग़ैरह में वहब बिन मुनब्बेह रह. की रिवायत है कि मूसा अ़लैहिस्सलाम उस आग की तरफ़ चले और उसके क़रीब पहुँचे तो एक अ़जीब हैरत-अंगेज़ मन्ज़र देखा कि एक बड़ी आग है जो एक हरे-भरे दरख़्त के ऊपर शोले मार रही है, मगर हैरत यह है कि उस दरख़्त की कोई टहनी या पत्ता जलता नहीं बल्कि आग ने दरख़्त के हुस्न, तरोताज़गी और रौनक़ में और ज़्यादती कर दी है। यह हैरत-अंगेज़ मन्ज़र कुछ देर तक इस इन्तिज़ार में देखते रहे कि शायद कोई चिंगारी आग की ज़मीन पर गिरे तो यह उठा लें। जब देर तक ऐसा न हुआ तो मूसा अ़लैहिस्सलाम ने घास वग़ैरह के कुछ तिनके जमा करके उस आग के क़रीब किया कि उनमें आग लग जायेगी तो उनका काम हो जायेगा, मगर जब यह घास फूँस आग के क़रीब किये तो आग पीछे हट गयी, और कुछ रिवायतों में है कि आग उनकी तरफ़ बढ़ी, यह घबराकर पीछे हट गये। बहरहाल आग हासिल करने का मतलब पूरा न हुआ। यह अ़जीब व ग़रीब आग से हैरत के आ़लम में थे कि एक ग़ैबी आवाज़ आई (रूहुल-मआ़नी)। यह वाक़िआ मूसा अ़लैहिस्सलाम को पहाड़ के दामन में पेश आया जो उनकी दाहिनी जानिब था और जिसका नाम तुवा था।

نُوْدِیَ یٰمُوْسٰٓی اِنِّیْٓ اَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ.

तफ़सीर बहरे मुहीत और तफ़सीर रूहुल-मआ़नी वग़ैरह में है कि हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने यह आवाज़ इस तरह सुनी कि हर जानिब से बराबर तौर पर आ रही थी, उसकी कोई दिशा मुतैयन नहीं थी और सुनना भी एक अ़जीब अन्दाज़ से हुआ कि सिर्फ़ कानों से नहीं बल्कि बदन के तमाम अंगों से सुना गया जो एक मोजिज़े की हैसियत रखता है। आवाज़ का हासिल यह था कि जिस चीज़ को आप आग समझ रहे हैं वह आग नहीं अल्लाह तआ़ला की एक तजल्ली है और उसमें फ़रमाया कि मैं ही आपका रब हूँ। हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को इस आवाज़ के मुताल्लिक़ यह यक़ीन किस तरह हुआ कि हक़ तआ़ला ही की आवाज़ है? इसका असल जवाब तो यह है कि हक़ तआ़ला ने उनके दिल को इस पर मुत्मईन कर दिया कि वह यक़ीन कर लें कि यह आवाज़ हक़ तआ़ला ही की है, दूसरे इस आग के हैरत-अंगेज़ हालात कि दरख़्त को जलाने के बजाय उसकी ताज़गी और हुस्न बढ़ा रही है और आवाज़ भी आ़म लोगों की आवाज़ की तरह नहीं कि एक दिशा से आये बल्कि हर तरफ़ से यह आवाज़ एक ही तरह की बराबर तौर पर सुनी गयी। दूसरे सिर्फ़ कानों ने नहीं बल्कि हाथ पाँव और दूसरे बदनी अंग जो सुनने के लिये नहीं बनाये गये वे सब उसके सुनने में शरीक थे, इससे भी समझा गया कि हक़ तआ़ला की तरफ़ से यह आवाज़ है।

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने हक़ तआ़ला का लफ़्ज़ी कलाम बिना किसी माध्यम के सुना

तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में मुस्नद अहमद के हवाले से हज़रत वहब की रिवायत है कि मूसा अ़लैहिस्सलाम को जब या मूसा के लफ़्ज़ से आवाज़ दी गयी तो उन्होंने लब्बैक कहकर जवाब दिया और अ़र्ज़ किया कि मैं आवाज़ सुन रहा हूँ मगर आवाज़ देने वाले की जगह मालूम नहीं, आप कहाँ हैं तो जवाब आया कि मैं तेरे ऊपर, सामने, पीछे और तेरे साथ हूँ। फिर अ़र्ज़ किया कि मैं यह कलाम ख़ुद आपका सुन रहा हूँ या आपके भेजे हुए किसी फ़रिश्ते का? तो जवाब आया कि मैं ख़ुद ही आप से कलाम कर रहा हूँ। इस पर रूहुल-माआ़नी के लेखक फ़रमाते हैं कि इससे मालूम हुआ कि मूसा अ़लैहिस्सलाम ने यह लफ़्ज़ी कलाम बिना किसी फ़रिश्ते के माध्यम के ख़ुद सुना है जैसा कि अहले सुन्नत वल्-जमाअ़त में से एक जमाअ़त का मस्लक यही है कि कलामे लफ़्ज़ी भी क़दीम (ग़ैर-फ़ानी और जिसकी शुरूआ़त व अंत न हो) होने के बावजूद सुना जा सकता है, इस पर जो शुब्हा इसके फ़ानी होने का किया जाता है उसका जवाब उनकी तरफ़ से यह है कि कलामे लफ़्ज़ी उस वक़्त हादिस (नया वजूद में आने वाला और फ़ानी) होता है जबकि वह माद्दी ज़बान से अदा किया जाये जिसके लिये जिस्म, दिशा, रुख़ शर्त है, साथ ही सुनने के लिये सिर्फ़ कान मख़्सूस हैं। हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने जिस तरह सुना कि न आवाज़ की कोई दिशा व रुख़ था और न सुनने के लिये सिर्फ़ कान मख़्सूस थे, बदन के सारे अंग सुन रहे थे, ज़ाहिर है यह सूरत हादिस (फ़ानी और ग़ैर-क़दीम) होने के शुब्हे व गुमान से पाक है। वल्लाहु आलम

अदब की जगह में जूते उतार देना अदब का तक़ाज़ा है

فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ

जूते उतारने का हुक्म या तो इसलिये दिया गया कि अदब का मक़ाम है और जूता उतारकर नंगे पाँव हो जाना अदब का तक़ाज़ा है, और या इसलिये कि जूते मुर्दार की खाल के बने हुए थे जैसा कि कुछ रिवायतों में है। हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु और हसन बसरी रह. और इब्ने जुरैज रह. से पहला कारण ही मन्क़ूल है और जूता उतारने की मस्लेहत यह बतलाई ताकि आपके क़दम उस मुबारक वादी की मिट्टी से लगकर उसकी बरकत हासिल करें। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि यह हुक्म तवाज़ो और आ़जिज़ी की सूरत बनाने के लिये हुआ जैसा कि पहले ज़माने के बुज़ुर्ग और नेक लोग बैतुल्लाह शरीफ़ के तवाफ़ के वक़्त ऐसा ही करते थे।

एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने बशीर बिन ख़सासिया को क़ब्रों के बीच में जूते पहनकर चलते देखा तो फ़रमायाः

اذا كُنْتَ فى مثل هٰذا المكان فاخلع نعليك.

यानी जब तुम इस जैसे मकान (स्थान) से गुज़रो (जिसका सम्मान मक़सद है) तो अपने जूते उतार लो।

जूते अगर पाक हों तो उनमें नमाज़ दुरुस्त हो जाने पर सब फ़ुक़हा (दीनी मसाईल के माहिर उलेमा) का इत्तिफ़ाक़ है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा-ए-किराम से पाक जूते पहनकर नमाज़ पढ़ना सही रिवायतों से साबित भी है, मगर आम आदत व सुन्नत यही मालूम होती है कि जूते उतारकर नमाज़ पढ़ी जाती थी क्योंकि वह तवाज़ो से ज़्यादा क़रीब है। (क़ुर्तुबी)

إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ٥

हक़ तआला ने ज़मीन के ख़ास-ख़ास हिस्सों को अपनी हिक्मत से ख़ास विशेषता और सम्मान बख़्शा है जैसे बैतुल्लाह, मस्जिदे अक़्सा, मस्जिदे नबवी। इसी तरह वादी-ए-तुवा भी उन्हीं पवित्र स्थानों में है जो तूर पहाड़ के दामन में है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

क़ुरआन सुनने का अदब

فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحٰى ٥

हज़रत वहब बिन मुनब्बेह से मन्क़ूल है कि क़ुरआन सुनने के आदाब में से यह है कि इनसान अपने तमाम बदनी अंगों को फ़ुज़ूल हरकत से रोके कि किसी दूसरे काम में कोई अंग भी न लगे, और नज़र नीची रखे और कलाम समझने की तरफ़ ध्यान लगाये, और जो शख़्स इस अदब के साथ कोई कलाम सुनता है तो अल्लाह तआला उसको उसके समझने की भी तौफ़ीक़ दे देते हैं। (क़ुर्तुबी)

إِنَّنِيٓ أَنَا اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِي ٥

इस कलाम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दीन के तमाम उसूल (बुनियादी बातों) की तालीम दे दी गयी यानी तौहीद, रिसालत, आख़िरत। 'फ़स्तमेअ् लिमा यूहा' में रिसालत की तरफ़ इशारा है और 'फ़अ्बुद्नी' के मायने यह हैं कि सिर्फ़ मेरी इबादत करें, मेरे सिवा किसी की इबादत न करें, यह मज़मून तौहीद का हो गया, आगे 'इन्नस्साअ-त आतियतुन्' में आख़िरत का बयान है।

'फ़अ्बुद्नी' (सिर्फ़ मेरी ही इबादत करें) के हुक्म में अगरचे नमाज़ का हुक्म भी दाख़िल है लेकिन इसको अलग से इसलिये बयान फ़रमा दिया कि नमाज़ तमाम इबादतों में अफ़ज़ल व आला भी है और हदीस की वज़ाहत के मुताबिक़ दीन का सुतून और ईमान का नूर है, और नमाज़ छोड़ना काफ़िरों की पहचान है।

أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِي ٥

(मेरी ही याद के लिये नमाज़ पढ़ा करो) का मतलब यह है कि नमाज़ की रूह अल्लाह का ज़िक्र है, और नमाज़ शुरू से आख़िर तक ज़िक्र ही है, ज़बान से भी दिल से भी और दूसरे बदनी अंगों से भी, इसलिये नमाज़ में अल्लाह के ज़िक्र से ग़फ़लत न होनी चाहिये, और इसके मफ़्हूम में यह भी दाख़िल है कि अगर कोई शख़्स नींद में मग़लूब हो गया या किसी काम में लगकर भूल गया और नमाज़ का वक़्त निकल गया तो जब नींद से जागे या भूल पर सचेत हो और नमाज़ याद आये उसी

वक़्त नमाज़ की क़ज़ा पढ़ ले, जैसा कि हदीस की कुछ रिवायतों में आया है।

اَكَادُ اُخْفِيْهَا.

यानी क़ियामत के मामले को मैं तमाम मख़्लूक़ात से पोशीदा और ख़ुफ़िया रखना चाहता हूँ यहाँ तक कि नबियों और फ़रिश्तों से भी, और 'अकादु' से इस तरफ़ इशारा है कि अगर लोगों को क़ियामत व आख़िरत की फ़िक्र दिलाकर ईमान और नेक अ़मल पर उभारना मक़सूद न होता तो इतनी बात भी ज़ाहिर न की जाती कि क़ियामत आने वाली है जैसा कि ऊपर आयत में आया है 'इन्नस्साअ़-त आतियतुन', इससे मक़सद क़ियामत के छुपाने में अधिकता का इज़हार है।

لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ ۢ بِمَا تَسْعٰىo

(ताकि बदला दिया जाये हर नफ़्स अपने अ़मल का) इस जुमले का ताल्लुक़ अगर लफ़्ज़ 'आतियतुन' से है तो मायने ज़ाहिर हैं कि क़ियामत के आने की हिक्मत व मस्लेहत यह है कि दुनिया तो दारुल-जज़ा (बदले की जगह) नहीं, यहाँ नेक व बद अ़मल की जज़ा किसी को नहीं मिलती, और अगर कभी दुनिया में कुछ जज़ा मिल भी जाती है तो वह अ़मल की पूरी जज़ा नहीं होती, एक नमूना सा होता है, इसलिये ज़रूरी है कि कोई ऐसा वक़्त आये जहाँ हर अच्छे बुरे अ़मल की जज़ा व सज़ा पूरी दी जाये। और अगर जुमले का ताल्लुक़ 'अकादु उख़्फ़ीहा' से क़रार दिया जाये तो यह भी मुम्किन है और मायने यह होंगे कि क़ियामत और मौत के वक़्त और तारीख़ को गुप्त रखने में हिक्मत यह है कि लोग अपने-अपने अ़मल और कोशिश में लगे रहें, अपनी व्यक्तिगत क़ियामत यानी मौत और पूरे आ़लम की क़ियामत यानी हश्र के दिन को दूर समझकर ग़ाफ़िल न हो बैठें। (रूहुल-मआ़नी)

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا.

इसमें हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को ख़िताब करके तंबीह की गयी है कि ऐसा न होना चाहिये कि आप काफ़िरों और बेईमानों के कहने से क़ियामत के मामले में ग़फ़लत बरतने लगें और वह आपकी हलाकत का सबब बन जाये। ज़ाहिर है कि किसी नबी व रसूल से जो मासूम (गुनाहों से महफ़ूज़) है यह ग़फ़लत नहीं हो सकती, इसके बावजूद ऐसा ख़िताब करना दर असल उनकी उम्मत और आ़म मख़्लूक़ को सुनाना है कि जब अल्लाह के पैग़म्बरों को भी ऐसी ताकीद की जाती है तो हमें उसका कितना एहतिमाम करना चाहिये।

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ۞ قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى ۞ قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ۞ فَاَلْقٰىهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ۞ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى ۞ وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ اٰيَةً اُخْرٰى ۞ لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ۞ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۞

व मा तिल्-क बि-यमीनि-क या	और यह क्या है तेरे दाहिने हाथ में ऐ

मूसा (17) क़ा-ल हि-य असा-य अ-तवक्क-उ अ़लैहा व अहुश्शु बिहा अ़ला ग़-नमी व लि-य फ़ीहा मआरिबु उख़्रा (18) क़ा-ल अल्क़िहा या मूसा (19) फ़-अल्क़ाहा फ़-इज़ा हि-य हय्यतुन् तस्आ़ (20) क़ा-ल ख़ुज़्हा व ला त-ख़फ़्, सनुओ़दुहा सी-र-तहल्-ऊला (21) वज़्मुम् य-द-क इला जनाहि-क तख़्रुज् बैज़ा-अ मिन् ग़ैरि सूइन् आ-यतन् उख़्रा (22) लिनुरि-य-क मिन् आयातिनल्-कुब्रा (23) इज़्हब् इला फ़िरऔ़-न इन्नहू तग़ा (24) ❁	मूसा। (17) बोला यह मेरी लाठी है इस पर टेक लगाता हूँ और पत्ते झाड़ता हूँ इससे अपनी बकरियों पर और मेरे इसमें चन्द काम हैं और भी। (18) फ़रमाया डाल दे इसको ऐ मूसा। (19) तो उसको डाल दिया, फिर उसी वक़्त वह साँप हो गया दौड़ता हुआ। (20) फ़रमाया पकड़ ले इसको और मत डर हम अभी फेर देंगे इसको पहली हालत पर। (21) और मिला ले अपना हाथ अपनी बग़ल से कि निकले सफ़ेद होकर बिना ऐब (के), यह निशानी दूसरी। (22) ताकि दिखाते जायें हम तुझ को अपनी निशानियाँ बड़ी। (23) जा फ़िरऔ़न की तरफ़ कि उसने बहुत सर उठाया। (24) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (हक़ तआ़ला ने मूसा अ़लैहिस्सलाम से यह भी फ़रमाया कि) यह तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या चीज़ है ऐ मूसा! उन्होंने कहा कि यह मेरी लाठी है, मैं (कभी) इस पर सहारा लगाता हूँ और (कभी) अपनी बकरियों पर (दरख़्तों के) पत्ते झाड़ता हूँ और इसमें मेरे और भी काम (निकलते) हैं (मसलन कंधे पर रखकर सामान वग़ैरह लटका लेना या इससे तकलीफ़ देने वाले जानवरों को दफ़ा करना वग़ैरह-वग़ैरह)। इरशाद हुआ कि इस (लाठी) को (ज़मीन पर) डाल दो ऐ मूसा! सो उन्होंने उसको (ज़मीन पर) डाल दिया तो एक दम वह (ख़ुदा की क़ुदरत से) एक दौड़ता हुआ साँप बन गया (जिससे मूसा अ़लैहिस्सलाम डर गये) इरशाद हुआ कि इसको पकड़ लो और डरो नहीं, हम अभी (पकड़ते ही) इसको इसकी पहली हालत पर कर देंगे (यानी यह फिर लाठी बन जाएगी और तुमको कोई नुक़सान न पहुँचेगा। एक मोजिज़ा तो यह हुआ) और (दूसरा मोजिज़ा और दिया जाता है कि) तुम अपना (दाहिना) हाथ अपनी (बाईं) बग़ल में दे लो, (फिर निकालो) वह बिना किसी ऐब (यानी बिना किसी सफ़ेद कोढ़ की बीमारी वग़ैरह) के (निहायत) रोशन होकर निकलेगा, कि यह दूसरी निशानी (हमारी क़ुदरत और तुम्हारी नुबुव्वत की) होगी। (और यह हुक्म लाठी के डाल देने और हाथ को गिरेबान में देने का इसलिये है) ताकि हम तुमको अपनी (क़ुदरत की) बड़ी निशानियों में से कुछ (निशानियाँ)

दिखलाएँ। (तो अब ये निशानियाँ लेकर) तुम फ़िरऔन के पास जाओ, वह बहुत हद से निकल गया है (कि ख़ुदाई का दावा करता है। तुम उसको तौहीद की तब्लीग़ करो और अगर वह तुम्हारी नुबुव्वत में शुब्हा करे तो यही मोजिज़े दिखला दो)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يٰمُوسٰى٥

अल्लाह रब्बुल-आ़लमीन की बारगाह की तरफ़ से हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम से यह सवाल करना कि आपके हाथ में क्या चीज़ है, मूसा अ़लैहिस्सलाम पर लुत्फ़ व करम और ख़ास मेहरबानी का आग़ाज़ है, ताकि हैरत-अंगेज़ मनाज़िर के देखने और अल्लाह के कलाम के सुनने से जो हैबत और दहशत उन पर तारी थी वह दूर हो जाये। यह एक दोस्ताना अन्दाज़ का ख़िताब है कि तुम्हारे हाथ में क्या चीज़ है। इसके अ़लावा इस सवाल में यह हिक्मत भी है कि आगे उस अ़सा (लाठी) को जो उनके हाथ में था एक साँप और अज़्दहा बनाना था। इसलिये पहले उनको सचेत कर दिया कि देख लो तुम्हारे हाथ में क्या चीज़ है, जब उन्होंने देख लिया कि वह लकड़ी का अ़सा (डंडा) है तब उसको साँप बनाने का मोजिज़ा ज़ाहिर किया गया, वरना मूसा अ़लैहिस्सलाम को यह शुब्हा व गुमान हो सकता था कि मैं रात के अंधेरे में शायद लाठी की जगह साँप ही पकड़ लाया हूँ।

قَالَ هِيَ عَصَايَ.

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम से सवाल सिर्फ़ इतना हुआ था कि हाथ में क्या चीज़ है। इसका इतना जवाब काफ़ी था कि लाठी है, मगर हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने इस जगह तीन बातें असल सवाल के जवाब से ज़्यादा अ़र्ज़ कीं— अव्वल यह कि यह अ़सा (लाठी) मेरा है, दूसरे यह कि मैं इससे बहुत से काम लेता हूँ एक यह कि इस पर टेक लगा लेता हूँ दूसरे यह कि इससे अपनी बकरियों के लिये दरख़्तों के पत्ते झाड़ता हूँ तीसरे यह कि इससे और भी मेरे बहुत से काम निकलते हैं। इस लम्बे और तफ़सीली जवाब में इश्क़ व मुहब्बत और उसके साथ अदब की रियायत को जमा करने का कमाल ज़ाहिर होता है। इश्क़ व मुहब्बत का तक़ाज़ा है कि जब महबूब मेहरबान होकर मुतवज्जह है तो बात लम्बी की जाये ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाये, मगर साथ ही साथ अदब का तक़ाज़ा यह भी है कि बहुत बेतकल्लुफ़ होकर कलाम ज़्यादा लम्बा भी न हो। इस दूसरे तक़ाज़े पर अ़मल करने के लिये आख़िर में संक्षिप्तता भी इख़्तियार कर ली कि:

وَلِيَ فِيهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى٥

यानी मैं इससे और भी बहुत से काम लिया करता हूँ। और उन कामों की तफ़सील बयान नहीं की। (रूहुल-मआ़नी व मज़हरी)

तफ़सीरे क़ुर्तुबी में इस आयत से यह मसला निकाला है कि ज़रूरत और मस्लेहत से ऐसा करना भी जायज़ है कि जो बात सवाल में न पूछी गयी हो उसको भी जवाब में बयान कर दिया जाये।

मसलाः इस आयत से मालूम हुआ कि हाथ में अ़सा (लाठी या डंडा) रखना नबियों की सुन्नत

है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की भी यही सुन्नत थी और इसमें बेशुमार दीनी व दुनियावी फ़ायदे हैं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ○

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के हाथ में जो लाठी थी अल्लाह के हुक्म से उसको डाल दिया तो वह साँप बन गया। इस साँप के बारे में क़ुरआने करीम की आयतों में एक जगह तो यह आया है:

كَاَنَّهَا جَآنٌّ.

'जान्न' अ़रबी लुग़त में छोटे और पतले साँप को कहते हैं। और दूसरी जगह आया है:

فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ.

सुअ़बान के मायने अज़्दहा और बड़े मोटे साँप के हैं। और इस आयत में जो लफ़्ज़ 'हय्यतुन' आया है यह आ़म है हर छोटे बड़े और पतले मोटे साँप को हय्यतुन कहा जाता है। इन आयतों के मज़मून में मुताबकत इस तरह हो सकती है कि यह साँप शुरू में पतला और छोटा हो फिर मोटा और बड़ा हो गया, या यह कि साँप तो बड़ा और अज़्दहा ही था मगर उसको 'जान्न' यानी हल्का छोटा साँप इस मुनासबत से कहा गया कि यह ज़बरदस्त अज़्दहा अपने चलने की तेज़ी के एतिबार से छोटे साँप की तरह था, यानी आ़म आ़दत के ख़िलाफ़ जैसा कि बड़े अज़्दहे तेज़ नहीं चल सकते यह बड़ी तेज़ी से चलता था, और आयत में लफ़्ज़ 'कअन्नहा' से जो मिसाल के मायने में है इस तरफ़ इशारा भी हो सकता है कि 'जान्न' से उसको मिसाल एक ख़ास गुण यानी तेज़ी से चलने में दी गयी है। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ.

'जनाह' दर असल जानवर के बाज़ू को कहा जाता है, इस जगह अपने बाज़ू के यानी बग़ल में हाथ लगा लेने का हुक्म हुआ है ताकि यह दूसरा मोजिज़ा हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को अ़ता किया जाये कि जब बग़ल के नीचे हाथ डालकर निकालें तो सूरज की तरह चमकने लगे। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से 'तख़्रुज् बैज़ा-अ' की यही तफ़सीर नक़ल की गयी है। (मज़हरी)

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ.

अपने रसूल को दो अज़ीमुश्शान मोजिज़ों से लैस करने के बाद उनको हुक्म दिया गया कि सरकश व नाफ़रमान फ़िरऔ़न को ईमान की दावत देने के लिये चले जायें।

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ۝ وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ۝ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ۝ وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ۝ هٰرُوْنَ اَخِي ۝ اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِيْ ۝ وَاَشْرِكْهُ فِيْٓ اَمْرِيْ ۝ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ۝ وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ۝ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ۝ قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى ۝

का-ल रब्बिश्रह् ली सद्री (25)	बोला ऐ रब! खोल दे मेरा सीना। (25)

व यस्सिर् ली अम्री (26) वह्लुल् अुक्-द-तम् मिल्-लिसानी (27) यफ़्क़हू क़ौली (28) वज्अल्-ली वज़ीरम्-मिन् अह्ली (29) हारू-न अख़ि-(30) -श्दुद् बिही अज़्री (31) व अश्रिक्हु फ़ी अम्री (32) कै नुसब्बि-ह-क कसीरंव्- (33) -व नज़्कु-र-क कसीरा (34) इन्न-क कुन्-त बिना बसीरा (35) क़ा-ल क़द् ऊती-त सुअ्-ल-क या मूसा (36)	और आसान कर मेरा काम। (26) और खोल दे गिरह मेरी ज़बान से (27) कि समझें मेरी बात। (28) और दे मुझको एक काम बटाने वाले मेरे घर का (29) हारून मेरा भाई। (30) उससे मज़बूत कर मेरी कमर। (31) और शरीक कर उसको मेरे काम में (32) कि तेरी पाक ज़ात का बयान करें हम बहुत सा। (33) और याद करें हम तुझको बहुत सा। (34) तू तो है हमको ख़ूब देखता। (35) फ़रमाया मिला तुझको तेरा सवाल ऐ मूसा। (36)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(जब मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि मुझको पैग़म्बर बनाकर फ़िरऔन को समझाने और तंबीह करने के लिये भेजा जा रहा है तो उस वक़्त इस बड़ी ज़िम्मेदारी की मुश्किलों की आसानी के लिये दरख़्वास्त की और) अर्ज़ किया कि ऐ मेरे रब! मेरा सीना (यानी हौसला) और ज़्यादा खोल दीजिये (कि तब्लीग़ में नागवारी पेश आने या झुठलाये जाने व मुख़ालफ़त होने पर तंगी व घुटन न हो) और मेरा (यह तब्लीग़ का) काम आसान फ़रमा दीजिये (कि तब्लीग़ के असबाब जमा और तब्लीग़ की रुकावटें दूर हो जायें) और मेरी ज़बान पर से बन्दिश (यानी रुक-रुककर बोलने की हालत) को हटा दीजिये ताकि लोग मेरी बात समझ सकें, और मेरे वास्ते मेरे कुंबे में से एक मददगार मुक़र्रर कर दीजिये। यानी हारून को जो कि मेरे भाई हैं। उनके ज़रिये से मेरी क़ुव्वत को मज़बूत कर दीजिए। और उनको मेरे (इस तब्लीग़ के) काम में शरीक कर दीजिए (यानी उनको भी नबी बनाकर तब्लीग़ का पाबन्द कीजिये कि हम दोनों तब्लीग़ करें और मेरे दिल को क़ुव्वत पहुँचे) ताकि हम दोनों (मिलकर तब्लीग़ व दावत के वक़्त शिर्क और कमियों से) आपकी ख़ूब कसरत से पाकी बयान करें और आप (के कमालात व उम्दा सिफ़ात) का ख़ूब कसरत से ज़िक्र करें। (क्योंकि अगर दो शख़्स मुबल्लिग़ (तब्लीग़ करने वाले) होंगे तो हर शख़्स का बयान दूसरे की ताईद से मुकम्मल व मज़बूत होगा) बेशक आप हमको (और हमारे हाल को) ख़ूब देख रहे हैं (इस हालत से हमारी ज़रूरत इस बात की कि एक दूसरे के सहयोगी हों आपको मालूम है)। इरशाद हुआ कि तुम्हारी (हर) दरख़्वास्त (जो कि इन आयतों में ज़िक्र हुई है) मन्ज़ूर की गई ऐ मूसा।

मआरिफ़ व मसाईल

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को जब अल्लाह के साथ कलाम करने का ख़ास शर्फ़ (सम्मान) हासिल हुआ और नुबुव्वत व रिसालत का पद अ़ता हुआ तो अपनी ज़ात और अपनी ताक़त पर भरोसा छोड़कर ख़ुद हक़ तआ़ला ही की तरफ़ मुतवज्जह हो गये कि इस बड़े पद की ज़िम्मेदारियाँ उसी की मदद से पूरी हो सकती हैं और उन पर जो मुसीबतें और सख़्तियाँ आना लाज़िमी हैं उनके बरदाश्त करने का हौसला भी हक़ तआ़ला ही की तरफ़ से अ़ता हो सकता है, इसलिये उस वक़्त पाँच दुआयें माँगीं। पहली दुआ़:

اِشْرَحْ لِیْ صَدْرِیْ٥

(यानी मेरा सीना खोल दे) इसमें ऐसी वुस्अ़त अ़ता फ़रमा दे जो नुबुव्वत के उलूम को बरदाश्त करने वाला हो सके और ईमान की दावत लोगों तक पहुँचाने में जो उनकी तरफ़ से सख़्त सुस्त सुनना पड़ता है उसको बरदाश्त करना भी इसमें शामिल है।

दूसरी दुआ़:

وَيَسِّرْلِیْۤ اَمْرِیْ٥

(यानी मेरा काम मेरे लिये आसान कर दे) यह समझ-बूझ भी नुबुव्वत ही का नतीजा था कि किसी काम का मुश्किल या आसान होना भी ज़ाहिरी तदबीरों के ताबे नहीं, यह भी हक़ तआ़ला ही की तरफ़ से अ़तीया (दी जाने वाली चीज़) होता है, वह अगर चाहते हैं तो किसी के लिये मुश्किल से मुश्किल भारी से भारी काम आसान कर देते हैं, और जब चाहते हैं तो आसान से आसान काम मुश्किल हो जाता है। इसी लिये हदीस शरीफ़ में मुसलमानों को इस दुआ़ की हिदायत की गयी है कि अपने कामों के लिये अल्लाह तआ़ला से इस तरह दुआ़ माँगा करें:

اَللّٰهُمَّ الْطُفْ بِنَا فِیْ تَيْسِيْرِ كُلِّ عَسِيْرٍ فَاِنَّ تَيْسِيْرَ كُلِّ عَسِيْرٍ عَلَيْكَ يَسِيْرٌ

अल्लाहुम्मल्तुफ़् बिना फ़ी तैसीरि कुल्लि अ़सीरिन् फ़-इन्-न तैसी-र कुल्लि अ़सीरिन् अ़लै-क यसीर।

यानी या अल्लाह! हम पर मेहरबानी फ़रमा हर मुश्किल काम को आसान करने के लिये, क्योंकि हर मुश्किल काम का आसान कर देना आपके क़ब्ज़े में है।

तीसरी दुआ़:

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِیْ٥ يَفْقَهُوْا قَوْلِیْ٥

"यानी खोल दे मेरी ज़बान की बन्दिश ताकि लोग मेरा कलाम समझने लगें।" इस बन्दिश का वाक़िआ़ यह है कि हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम दूध पीने के ज़माने में तो अपनी वालिदा ही के पास रहे और फ़िरऔ़न के दरबार से उनको दूध पिलाने का वज़ीफ़ा और सिला मिलता रहा। जब दूध छुड़ाया गया तो फ़िरऔ़न और उसकी बीवी आसिया ने इनको अपना बेटा बना लिया था, इसलिये वालिदा से वापस लेकर अपने यहाँ पालने लगे। इसी अ़रसे में एक दिन हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने

फ़िरऔन की दाढ़ी पकड़ ली और उसके मुँह पर एक तमाँचा रसीद किया, और कुछ रिवायतों में है कि एक छड़ी हाथ में थी जिससे खेल रहे थे वह फ़िरऔन के सर पर मारी। फ़िरऔन को गुस्सा आया और इनके कृत्ल करने का इरादा कर लिया। बीवी आसिया ने कहा कि ऐ बादशाह! आप बच्चे की बात पर ख़्याल करते हैं जिसको किसी चीज़ की अक़्ल नहीं, अगर आप चाहें तो तजुर्बा कर लें कि इसको किसी भले-बुरे का फ़र्क़ नहीं। फ़िरऔन को तजुर्बा कराने के लिये एक थाली में आग के अंगारे और दूसरे में जवाहिरात लाकर मूसा अ़लैहिस्सलाम के सामने रख दिये, ख़्याल यह था कि बच्चा है यह बच्चों की आ़दत के मुताबिक़ आग के अंगारे को चमकता और ख़ूबसूरत समझकर उसकी तरफ़ हाथ बढ़ायेगा, जवाहिरात की रौनक़ बच्चों की नज़र में ऐसी नहीं होती कि उस तरफ़ तवज्जोह दें, इससे फ़िरऔन को तजुर्बा हो जायेगा कि उसने जो कुछ किया वह बचपन की नादानी से किया। मगर यहाँ तो कोई आ़म बच्चा नहीं था, ख़ुदा तआ़ला का होने वाला रसूल था, जिनकी फ़ितरत पैदाईश के वक़्त ही से ही ग़ैर-मामूली (असाधारण) होती है। मूसा अ़लैहिस्सलाम ने आग के बजाय जवाहिरात पर हाथ डालना चाहा मगर जिब्रीले अमीन ने उनका हाथ आग वाली थाली में डाल दिया और इन्होंने आग का अंगारा उठाकर मुँह में रख लिया, जिससे ज़बान जल गयी और फ़िरऔन को यक़ीन आ गया कि मूसा अ़लैहिस्सलाम का यह अ़मल किसी शरारत से नहीं बचपन की बेख़बरी की सबब से था। इसी वाक़िए से मूसा अ़लैहिस्सलाम की ज़बान में एक क़िस्म की तकलीफ़ पैदा हो गयी, उसी को क़ुरआन में उक़्दा कहा गया है और उसी को खोलने की दुआ़ हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने माँगी। (मज़हरी व क़ुर्तुबी)

पहली दो दुआयें तो आ़म थीं सब कामों में अल्लाह तआ़ला से मदद हासिल करने के लिये, तीसरी दुआ़ में अपनी एक महसूस कमज़ोरी को दूर करने की दरख़्वास्त की गयी कि रिसालत व दावत के लिये ज़बान की रवानी और साफ़ होना भी एक ज़रूरी चीज़ है। आगे एक आयत में यह बतलाया गया है कि मूसा अ़लैहिस्सलाम की ये सब दुआयें क़ुबूल कर ली गयीं, जिसका ज़ाहिर यह है कि ज़बान की यह लुक्नत (लड़खड़ाहट) भी ख़त्म हो गयी होगी मगर ख़ुद मूसा अ़लैहिस्सलाम ने हज़रत हारून को अपने साथ रिसालत में शरीक करने की जो दुआ़ की है उसमें यह भी फ़रमाया हैः

هُوَ اَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا.

यानी हारून अ़लैहिस्सलाम ज़बान के एतिबार से मेरे मुक़ाबले ज़्यादा अच्छी तरह बात करने वाले हैं। इससे मालूम होता है कि लुक्नत का कुछ असर बाक़ी था। और फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम पर जो ऐब लगाये उनमें यह भी कहाः

وَلَا يَكَادُ يُبِيْنُ○

"यानी यह अपनी बात को साफ़ बयान नहीं कर सकते।" कुछ हज़रात ने इसका जवाब यह दिया है कि हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने ख़ुद अपनी दुआ़ में इतनी ही बात माँगी थी कि ज़बान की बन्दिश इतनी खुल जाये कि लोग मेरी बात समझ लिया करें, इतनी लुक्नत दूर कर दी गयी, कुछ मामूली असर फिर भी रहा हो तो वह इस दुआ़ के क़ुबूल होने के ख़िलाफ़ नहीं। चौथी दुआः

وَاجْعَلْ لِّىْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِىْ○

(यानी बना दे मेरा एक वज़ीर मेरे ही ख़ानदान में से) पिछली तीन दुआयें अपने नफ़्स और ज़ात से संबन्धित थीं, यह चौथी दुआ रिसालत के कामों को अन्जाम देने के लिये असबाब जमा करने से मुताल्लिक़ है, और उन असबाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले और अहम इसको क़रार दिया कि उनका कोई नायब और वज़ीर हो जो उनकी मदद कर सके। वज़ीर के मायने ही लुग़त में बोझ उठाने वाले के हैं, हुकूमत का वज़ीर चूँकि अपने अमीर व बादशाह का भार ज़िम्मेदारी से उठाता है इसलिये उसको वज़ीर कहते हैं। इससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कामिल अक़्ल वाला होना मालूम हुआ कि किसी काम या तहरीक के चलाने के लिये सबसे पहली चीज़ इनसान के मददगार व सहयोगी हैं, वे मन्शा के मुताबिक़ मिल जायें तो आगे सब काम आसान हो जाते हैं, और वे ग़लत हों तो सारे असबाब व सामान भी बेकार होकर रह जाते हैं। आजकल की सल्तनतों और हुकूमतों में जितनी ख़राबियाँ देखी जा रही हैं ग़ौर करें तो उन सब का असली सबब मुल्क के हाकिमों के मददगार व सहयोगियों और वज़ीरों व अमीरों की ख़राबी, बेअमली या बदअमली या अक्षमता है।

इसी लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि हक़ तआला जब किसी शख़्स को कोई हुकूमत व सरदारी सुपुर्द फ़रमाते हैं और यह चाहते हैं कि वह अच्छे काम करे, हुकूमत को अच्छी तरह चलाये तो उसको नेक वज़ीर दे देते हैं जो उसकी मदद करता है, अगर वह किसी ज़रूरी काम को भूल जाये तो वज़ीर याद दिला देता है, और जिस काम का वह इरादा करे वज़ीर उसमें उसकी मदद करता है। (नसाई, क़ासिम बिन मुहम्मद की रिवायत से)

इस दुआ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो वज़ीर तलब फ़रमाया उसके साथ एक क़ैद 'मिन् अहली' की भी लगा दी, कि यह वज़ीर मेरे ख़ानदान व क़रीबियों में से हो, क्योंकि अपने ख़ानदान के आदमी की आदतें व अख़्लाक़ देखे भाले और तबीयतों में आपसी मुनासबत और उल्फ़त होती है जिससे उस काम में मदद मिलती है बशर्ते कि उसको काम की सलाहियत में दूसरों से बढ़ा हुआ देखकर लिया गया हो, सिर्फ़ अपनों को फ़ायदा पहुँचाने और आगे बढ़ाने का जज़्बा न हो। इस ज़माने में चूँकि आम तौर पर ईमानदारी व इख़्लास ख़त्म होता जा रहा है और असल काम की फ़िक्र ग़ायब नज़र आती है इसलिये किसी अमीर के साथ उसके अपने और क़रीबी लोगों को वज़ीर या नायब बनाने को बुरा समझा जाता है और जहाँ दियानतदारी पर भरोसा पूरा हो तो किसी नेक व सलाहियत वाले अपने क़रीबी व रिश्तेदार को कोई ओहदा सुपुर्द कर देना कोई ऐब नहीं बल्कि अहम और कामों के पूरा करने के लिये ज़्यादा बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन उमूमन वही हज़रात हुए जो नुबुव्वत के घराने के साथ रिश्तेदारियों के ताल्लुक़ात भी रखते थे।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ में पहले तो आम बात फ़रमाई कि मेरे ख़ानदान व अहल में से हो, फिर मुतैयन करके फ़रमाया कि वह मेरा भाई हारून है जिसको मैं वज़ीर बनाना चाहता हूँ ताकि मैं उससे रिसालत के कामों में क़ुव्वत हासिल कर सकूँ।

हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तीन या चार साल बड़े थे; और तीन साल पहले ही वफ़ात पाई। जिस वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम ने यह दुआ माँगी वह मिस्र में थे, अल्लाह तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर उनको भी नबी बना दिया तो फ़रिश्ते के ज़रिये उनको भी

मिस्र ही में इसकी इत्तिला मिल गयी। जब मूसा अ़लैहिस्सलाम को मिस्र में फ़िरऔ़न की तब्लीग़ के लिये रवाना किया गया तो उनको यह हिदायत कर दी गयी कि वह मिस्र से बाहर उनका स्वागत करें और ऐसा ही सामने आया। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

नेक साथी ज़िक्र व इबादत में भी मददगार होते हैं

وَاَشْرِكْهُ فِىْٓ اَمْرِىْ ۝

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने हज़रत हारून अ़लैहिस्सलाम को अपना वज़ीर बनाना चाहा तो यह इख़्तियार ख़ुद उनको हासिल था, बरकत के तौर पर हक़ तआ़ला की तरफ़ से उनकी नियुक्ति की दुआ़ की, मगर साथ ही वह यह चाहते थे कि उनको नुबुव्वत व रिसालत में अपना शरीक क़रार दें यह इख़्तियार किसी रसूल व नबी को ख़ुद नहीं होता इसलिये इसकी अलग से दुआ़ की कि उनको मेरे रिसालत के काम में शरीक फ़रमा दे। आख़िर में फ़रमायाः

كَىْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ۝ وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ۝

यानी हज़रत हारून अ़लैहिस्सलाम को वज़ीर और नुबुव्वत में शरीक बनाने का फ़ायदा यह होगा कि हम कसरत से आपकी तस्बीह व ज़िक्र किया करेंगे। यहाँ यह सवाल हो सकता है कि तस्बीह व ज़िक्र तो ऐसी चीज़ है कि हर इनसान तन्हा भी जितना चाहे कर सकता है, उसके लिये किसी साथी के अ़मल का क्या दख़ल, लेकिन ग़ौर करने से मालूम होता है कि ज़िक्र व तस्बीह में भी साज़गार माहौल और अल्लाह वाले साथियों का बड़ा दख़ल होता है, जिसके साथी अल्लाह वाले न हों वह इतनी इबादत नहीं कर सकता जितनी वह कर सकता है जिसका माहौल अल्लाह वालों का और साथी ज़ाकिर शाग़िल हों। इससे मालूम हुआ कि जो शख़्स ज़िक्रुल्लाह में मशग़ूल रहना चाहे उसको साज़गार माहौल को भी तलाश करना चाहिये।

दुआ़यें यहाँ ख़त्म हो गयीं, आख़िर में हक़ तआ़ला की तरफ़ से इन सब दुआ़ओं के क़ुबूल हो जाने की ख़ुशख़बरी दे दी गयी "क़द् ऊती-त सुअ्-ल-क या मूसा" यानी आपकी माँगी हुई सब चीज़ें आपको दे दी गयीं।

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰىٓ ۝ اِذْ اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّكَ مَا يُوْحٰىٓ ۝ اَنِ اقْذِفِيْهِ فِى التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِى
الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّىْ وَعَدُوٌّ لَّهٗ ؕ وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى
عَيْنِىْ ۝ اِذْ تَمْشِىْٓ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَنْ يَّكْفُلُهٗ ؕ فَرَجَعْنٰكَ اِلٰٓى اُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا
تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنٰكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنّٰكَ فُتُوْنًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِىْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ ۙ ثُمَّ جِئْتَ
عَلٰى قَدَرٍ يّٰمُوْسٰى ۝ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِىْ ۝ اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيٰتِىْ وَلَا تَنِيَا فِىْ ذِكْرِىْ ۝ اِذْهَبَآ
اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۝ فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ۝

व ल-क़द् मनन्ना अ़लै-क मर्रतन् उख़्रा (37) इज़् औहैना इला उम्मि-क मा यूहा (38) अनिक़्ज़िफ़ीहि फ़ित्ताबूति फ़क़्ज़िफ़ीहि फ़िल्यम्मि फ़ल्युल्क़िहिल्-यम्मु बिस्साहिलि यअ्ख़ुज़्हु अ़दुव्वुल्ली व अ़दुव्वुल्लहू, व अल्क़ैतु अ़लै-क म-हब्बतम्-मिन्नी, व लितुस्न-अ़ अ़ला अ़ैनी। (39) इज़् तम्शी उख़्तु-क फ़-तक़ूलु हल् अदुल्लुकुम् अ़ला मंय्यक्फ़ुलुहू, फ़-रजअ्ना-क इला उम्मि-क कै तक़र्-र अ़ैनुहा व ला तह्ज़-न, व क़तल्-त नफ़्सन् फ़-नज्जैना-क मिनल्-ग़म्मि व फ़तन्ना-क फ़ुतूनन्, फ़-लबिस्-त सिनी-न फ़ी अह्लि मद्य-न सुम्-म जिअ्-त अ़ला क़-दरिंय्-या मूसा (40) वस्त-नअ्तु-क लिनफ़्सी (41) इज़्हब् अन्-त व अख़ू-क बिआयाती व ला तनिया फ़ी ज़िक्री (42) इज़्हबा इला फ़िरऔ़-न इन्नहू तग़ा (43) फ़क़ूला लहू क़ौलल्-लय्यिनल्-लअ़ल्लहू य-तज़क्करु औ यख़्शा (44)

और एहसान किया था हमने तुझ पर एक बार और भी (37) जब हुक्म भेजा हमने तेरी माँ को जो आगे सुनाते हैं (38) कि डाल उसको सन्दूक़ में फिर उसको डाल दे दरिया में फिर दरिया उसको ले डाले किनारे पर, उठा ले उसको एक दुश्मन मेरा और उसका, और डाल दी मैंने तुझ पर मुहब्बत अपनी तरफ़ से और ताकि परवरिश पाये तू मेरी आँख के सामने। (39) जब चलने लगी तेरी बहन और कहने लगी मैं बताऊँ तुमको ऐसा शख़्स जो इसको पाले, फिर पहुँचा दिया हमने तुझ को तेरी माँ के पास कि ठंडी रहे उसकी आँख और ग़म न खाये, और तूने मार डाला एक शख़्स को फिर बचा दिया हमने तुझको उस ग़म से और जाँचा हमने तुझ को एक ज़रा जाँचना, फिर ठहरा रहा तू कई बरस मद्यन वालों में, फिर आया तू तक़दीर से ऐ मूसा। (40) और बनाया मैंने तुझको ख़ास अपने वास्ते। (41) जा तू और तेरा भाई मेरी निशानियाँ लेकर और सुस्ती न करना मेरी याद में। (42) जाओ फ़िरऔन की तरफ़ उसने बहुत सर उठाया। (43) सो कहो उससे बात नर्म शायद वह सोचे या डरे। (44)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

हम तो और बार और भी (इससे पहले बिना दरख़्वास्त ही) तुम पर एहसान कर चुके हैं।

जबकि हमने तुम्हारी माँ को वह बात इल्हाम "यानी दिल में डालने" से बतलाई जो (अहम व शान वाली होने की वजह से) इल्हाम से बतलाने के (क़ाबिल) थी। (वह) यह कि मूसा को (जल्लादों के हाथ से बचाने के लिये) एक सन्दूक़ में रखो, फिर इनको (मय सन्दूक़ के) दरिया में (जिसकी एक शाख़ फ़िरऔन के महल तक भी गई थी) डाल दो, फिर दरिया इनको (मय सन्दूक़ के) दरिया किनारे (के पास) तक ले आयेगा, कि (आख़िरकार) इनको एक शख़्स पकड़ लेगा जो (काफ़िर होने की वजह से) मेरा भी दुश्मन है और इनका भी दुश्मन है। (चाहे फ़िलहाल इस वजह से कि वह सब बच्चों को क़त्ल करता था चाहे आईन्दा के लिहाज़ से कि वह इनका ख़ास तौर पर दुश्मन होगा)।

और (जब सन्दूक़ पकड़ा गया और तुम उसमें से निकाले गये तो) मैंने तुम्हारे (चेहरे के) ऊपर अपनी तरफ़ से एक मुहब्बत का असर डाल दिया (ताकि जो तुमको देखे प्यार करे) और ताकि तुम मेरी (ख़ास) निगरानी में परवरिश पाओ। (यह क़िस्सा उस वक़्त का है) जबकि तुम्हारी बहन (तुम्हारी तलाश में फ़िरऔन के घर) चलती हुई आई, फिर (तुमको देखकर अजनबी बनकर) कहने लगीं, (जबकि तुम किसी अन्ना का दूध न पीते थे) क्या तुम लोगों को ऐसे शख़्स का पता दूँ जो इसको (अच्छी तरह) पाले रखे (चुनाँचे उन लोगों ने चूँकि उनको तलाश थी मन्ज़ूर किया और तुम्हारी बहन तुम्हारी माँ को बुलाकर लाई) फिर (इस तदबीर से) हमने तुमको तुम्हारी माँ के पास फिर पहुँचा दिया, ताकि उनकी आँखें ठन्डी हों और उनको ग़म न रहे (कि थोड़े अरसे तक जुदाई से ग़मगीन रहीं)।

और (बड़ा होने के बाद एक और एहसान किया कि) तुमने (ग़लती से) एक शख़्स (क़िब्ती) को जान से मार डाला (जिसका क़िस्सा सूरः क़सस में है, और मारकर ग़म हुआ सज़ा के ख़ौफ़ से भी और बदले के ख़ौफ़ से भी) फिर हमने तुमको उस ग़म से निजात दी, (सज़ा के ख़ौफ़ से तो इस तरह कि इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक़ दी और उसको क़ुबूल किया, और बदले के ख़ौफ़ से इस तरह कि मिस्र से मद्यन पहुँचा दिया) और (मद्यन पहुँचने तक) हमने तुमको ख़ूब-ख़ूब मेहनतों में डाला, (और फिर उनसे छुटकारा दिया जिनका ज़िक्र सूरः क़सस में है कि छुटकारा और निजात देना भी एहसान है और ख़ुद आज़माईश में डालना भी इस वजह से कि वह उम्दा अख़्लाक़ और अच्छाईयों व ख़ूबियों को हासिल करने का ज़रिया है, एक मुस्तक़िल एहसान है)।

फिर (मद्यन पहुँचे और) मद्यन वालों में कई साल रहे। फिर एक ख़ास वक़्त पर (जो मेरे इल्म में तुम्हारी नुबुव्वत और मुझसे कलाम करने के लिये तयशुदा था) तुम (यहाँ) आये ऐ मूसा! और (यहाँ आने पर) मैंने तुमको अपने (नबी बनाने के) लिये चुन लिया। (सो अब) तुम और तुम्हारे भाई दोनों मेरी निशानियाँ (यानी मोजिज़े जो कि असल में दो मोजिज़े हैं लाठी और चमकता हाथ और हर एक में मोजिज़ा होने की अनेक वुजूहात हैं) लेकर (जिस मौक़े के लिये हुक्म होता है) जाओ और मेरी यादगारी में (चाहे तन्हाई में चाहे तब्लीग़ के वक़्त) सुस्ती मत करना। (अब जाने का मौक़ा बतलाया जाता है कि) दोनों फ़िरऔन के पास जाओ, वह बहुत हद से निकल चुका है। फिर (उसके पास जाकर) उससे नर्मी के साथ बात करना, शायद वह (दिलचस्पी से) नसीहत क़ुबूल कर ले, या (अल्लाह के अज़ाब से) डर जाये (और उससे मान जाये)।

मआरिफ़ व मसाईल

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ۝

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम पर अल्लाह के इनामात व इनायतें उस वक़्त हुईं कि अपने साथ कलाम और बातचीत के सम्मान से नवाज़ा गया, नुबुव्वत व रिसालत अ़ता हुई, ख़ास मोजिज़े अ़ता हुए, इसके साथ हक़ तआ़ला अपनी वो नेमतें भी उनको याद दिलाते हैं जो शुरू पैदाईश से इस वक़्त तक ज़िन्दगी के हर दौर में आप पर होती रहीं और लगातार आज़माईशों और जान के ख़तरों के बीच अल्लाह तआ़ला ने किन आश्चर्यजनक तरीक़ों से उनकी हिफ़ाज़त फ़रमाई। ये नेमतें जिनका ज़िक्र आगे आता है वाक़े व ज़ाहिर होने के एतिबार से पहली हैं यहाँ इनको 'उख़्रा' के लफ़्ज़ से ताबीर किया गया है, इसके ये मायने नहीं कि ये नेमतें उसके बाद की हैं, बल्कि 'उख़्रा' कभी मुतलक़ तौर पर दूसरे के मायने में भी आता है जिसमें पहले या बाद में होने का कोई मफ़्हूम नहीं होता। यहाँ भी यह लफ़्ज़ इसी मायने में है। (रूहुल-मआ़नी) हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम का पूरा क़िस्सा तफ़सील के साथ हदीस के हवाले से आगे आयेगा।

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ۝

यानी जबकि वही भेजी हमने आपकी वालिदा के पास एक ऐसे मामले की जो सिर्फ़ वही से ही मालूम हो सकता था, वह यह कि फ़िरऔ़न के सिपाही जो इस्राईली लड़कों को क़त्ल करने पर मामूर थे उनसे बचाने के लिये उनकी वालिदा को अल्लाह की वही के ज़रिये बतलाया गया कि उनको एक ताबूत में बन्द करके दरिया में डाल दें और उनके हलाक होने का अन्देशा न करें हम उनको हिफ़ाज़त से रखेंगे और फिर आपके पास ही वापस पहुँचा देंगे। ज़ाहिर है कि ये बातें अ़क़्ल व क़ियास की नहीं, अल्लाह तआ़ला का वायदा और उनकी हिफ़ाज़त का नाक़ाबिले-अन्दाज़ा इन्तिज़ार सिर्फ़ उसी की तरफ़ से बतलाने पर किसी को मालूम हो सकता है।

क्या किसी ग़ैर-नबी व रसूल की तरफ़ भी वही आ सकती है?

सही बात यह है कि लफ़्ज़ वही के लुग़वी मायने ऐसे ख़ुफ़िया (पोशीदा) कलाम के हैं जो सिर्फ़ मुख़ातब को मालूम हो, दूसरे उस पर बाख़बर न हों। इस लुग़वी मायने के एतिबार से वही किसी के लिये मख़्सूस नहीं। नबी व रसूल और आ़म मख़्लूक़ बल्कि जानवर तक इसमें शामिल हो सकते हैं। 'औहैना इला उम्मि-क' भी इस लुग़वी मायने के एतिबार से है, इससे उनका नबी या रसूल होना लाज़िम नहीं आता, जैसे मरियम अ़लैहस्सलाम को अल्लाह तआ़ला के इरशादात पहुँचे इसके बावजूद कि उम्मत के तमाम हज़रात के नज़दीक वह नबी या रसूल नहीं थीं, इस तरह की लुग़वी वही उमूमन बतौर इल्हाम के होती है कि हक़ तआ़ला किसी के दिल में एक मज़मून डाल दें और उसको उस पर मुत्मईन कर दें कि अल्लाह की तरफ़ से है, जैसे उमूमन औलिया-अल्लाह को इस क़िस्म के इल्हामात होते रहे हैं, बल्कि अबू हय्यान और कुछ दूसरे उलेमा ने कहा है कि इस तरह की वही कई बार किसी फ़रिश्ते के वास्ते से भी हो सकती है, जैसे हज़रत मरियम के वाक़िए में इसकी वज़ाहत है कि जिब्रीले

अमीन ने इनसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर उनको तालीम व हिदायत फ़रमाई, मगर उसका ताल्लुक़ सिर्फ़ उस शख़्स की ज़ात से होता है जिसको यह वही इल्हाम होती है। मख़्लूक़ की इस्लाह और तब्लीग़ व दावत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, बख़िलाफ़ नुबुव्वत वाली वही के कि उसका मन्शा ही मख़्लूक़ की इस्लाह (सुधार) के लिये किसी को खड़ा करना और तब्लीग़ व दावत के लिये मामूर करना (पाबन्द करना और लगाना) होता है, उसके ज़िम्मे लाज़िम होता है कि अपनी वही पर ख़ुद भी ईमान लाये और दूसरों को भी अपनी नुबुव्वत के मानने और अपनी वही के मानने का पाबन्द बनाये, जो उसको न माने उसे काफ़िर क़रार दे।

यही फ़र्क़ है उस इल्हाम वाली वही यानी लुग़वी वही में और नुबुव्वत वाली पारिभाषिक वही में। लुग़वी वही हमेशा से जारी है और हमेशा रहेगी, और नुबुव्वत और नुबुव्वत वाली हज़रत ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ख़त्म हो चुकी है। कुछ बुज़ुर्गों के कलाम में इसी को तशरीअ़ी व ग़ैर-तशरीअ़ी वही के उनवान से ताबीर कर दिया है जिसका नुबुव्वत के दावेदार क़ादियानी ने शैख़ मुहियुद्दीन इब्ने अ़रबी रह. की कुछ इबारतों के हवाले से अपने नुबुव्वत के दावे के जवाज़ (सही होने) की दलील बनाया है जो ख़ुद इब्ने अ़रबी रह. की वज़ाहतों से बातिल है। इस मसले की मुकम्मल बहस व वज़ाहत मेरी किताब 'ख़त्म-ए-नुबुव्वत' में विस्तार से मज़कूर है।

मूसा अ़लैहिस्सलाम की माँ का नाम

तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में है कि उनका मशहूर नाम 'यूहानिज़' है, और इतक़ान में उनका नाम 'लहयाना' पुत्री यसमद बिन लादी लिखा है, और कुछ लोगों ने उनका नाम 'बारख़ा' कुछ ने 'बाज़ख़्त' बतलाया है। कुछ तावीज़-गण्डे वाले उनके नाम की अजीब ख़ुसूसियात बयान किया करते हैं। रूहुल-मआ़नी के लेखक ने फ़रमाया कि हमें इसकी कोई बुनियाद नहीं मालूम हुई और ग़ालिब यह है कि यह ख़ुराफ़ात में से है।

فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ.

इस जगह लफ़्ज़ 'यम्म' दरिया के मायने से बज़ाहिर नील नहर मुराद है। आयत में एक हुक्म तो मूसा अ़लैहिस्सलाम की वालिदा साहिबा को दिया गया है कि इस बच्चे (मूसा अ़लैहिस्सलाम) को सन्दूक़ में बन्द करके दरिया में डाल दें। दूसरा हुक्म दरिया के नाम है कि वह इस ताबूत को किनारे पर डाल दे 'फ़ल्युल्क़िहिल् यम्मु बिस्साहिलि'। दरिया चूँकि बज़ाहिर बेहिस व बेशऊर है, उसको हुक्म देने का मफ़्हूम समझ में नहीं आता, इसी लिये कुछ हज़रात ने यह क़रार दिया कि अगरचे यहाँ हुक्म का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है मगर मुराद इससे हुक्म नहीं बल्कि ख़बर देना है कि दरिया ही उसका मुख़ातब है, क्योंकि उनके नज़दीक दुनिया की कोई मख़्लूक़ दरख़्त और पत्थर तक बेअ़क्ल व बेशऊर नहीं, बल्कि सब में अ़क्ल व समझ मौजूद है, और यही अ़क्ल व समझ है जिसके सबब ये सब चीज़ें क़ुरआन के बयान के मुताबिक़ अल्लाह की तस्बीह में मशग़ूल हैं। हाँ यह फ़र्क़ ज़रूर है कि इनसान और जिन्नात और फ़रिश्ते के अ़लावा किसी मख़्लूक़ में अ़क्ल व शऊर इतना मुकम्मल नहीं जिस पर हलाल व हराम के अहकाम आ़यद करके मुकल्लफ़ (पाबन्द व ज़िम्मेदार) बनाया जाये। मौलाना रूमी

ने ख़ूब फ़रमाया है:

ख़ाक व बाद व आब व आतिश बन्दा अन्द
बा-मन व तू मुर्दा बा-हक़ ज़िन्दा अन्द

"यानी मिट्टी, हवा, पानी और आग फ़रमाँबरदार हैं। अगरचे हमें तुम्हें ये बेजान और मुर्दा मालूम होते हैं मगर अल्लाह तआ़ला के साथ इनका जो मामला है वह ज़िन्दों की तरह है, कि ज़िन्दों की तरह उसके हुक्म की तामील करते हैं।" **मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी**

يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ.

यानी इस ताबूत और इसमें बन्द किये हुए बच्चे को दरिया के किनारे से ऐसा शख़्स उठायेगा जो मेरा भी दुश्मन है और मूसा अ़लैहिस्सलाम का भी। मुराद इससे फ़िरऔ़न है। फ़िरऔ़न का अल्लाह का दुश्मन होना तो उसके कुफ़्र की वजह से ज़ाहिर है, मगर मूसा अ़लैहिस्सलाम का दुश्मन कहना इसलिये विचारनीय है कि उस वक़्त तो फ़िरऔ़न हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम का दुश्मन नहीं था बल्कि उनकी परवरिश पर भारी माल ख़र्च कर रहा था, फिर उसको हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम का दुश्मन फ़रमाना या तो अन्जाम के एतिबार से है कि आख़िरकार फ़िरऔ़न का दुश्मन हो जाना अल्लाह तआ़ला के इल्म में था, और यह कहा जाये तो भी कुछ बईद नहीं कि जहाँ तक फ़िरऔ़न की ज़ात का ताल्लुक़ है वह अपने आप में उस वक़्त भी दुश्मन ही था। उसने हज़रत मूसा की तरबियत सिर्फ़ बीवी आसिया की ख़ातिर गवारा की थी, और इसमें भी जब उसको शुब्हा हुआ तो उसी वक़्त क़त्ल करने का हुक्म दे दिया था जो हज़रत आसिया की समझदारी से ख़त्म हुआ। (रूहुल-मआ़नी व मज़हरी)

وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي.

लफ़्ज़ 'सन्अ़त' से इस जगह मुराद उम्दा तरबियत है। जैसे अ़रब में 'सनअ़्तु फ़रसी' का मुहावरा इसी मायने में परिचित है कि मैंने अपने घोड़े की अच्छी तरबियत की, और 'अ़ला अ़ैनी' से मुराद 'अ़ला हिफ़्ज़ी' यानी अल्लाह तआ़ला ने इरादा फ़रमा लिया था कि मूसा अ़लैहिस्सलाम की बेहतरीन तरबियत डायरेक्ट हक़ तआ़ला की निगरानी में हो, इसलिये मिस्र की सबसे बड़ी हस्ती यानी फ़िरऔ़न के हाथों ही उसके घर में यह काम इस तरह लिया गया कि वह इससे बेख़बर था कि मैं अपने हाथों अपने दुश्मन को पाल रहा हूँ। (तफ़सीरे मज़हरी)

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ.

मूसा अ़लैहिस्सलाम की बहन का उस ताबूत का पीछा करते हुए जाना और उसके बाद का क़िस्सा जिसको मुख़्तसर तौर पर इस आयत में ज़िक्र किया है जिसके आख़िर में फ़रमाया है 'व फ़तन्ना-क फ़ुतूना' यानी हमने आपकी आज़माईश की बार-बार (जैसा कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास का क़ौल यही है) या आपको आज़माईश में मुब्तला किया बार-बार (जैसा कि इमाम ज़स्हाक का क़ौल है) इसकी पूरी तफ़सील हदीस की किताब नसाई शरीफ़ की एक लम्बी हदीस में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से आई है, वह यह है।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तफ़सीली क़िस्सा

'हदीसुल-फ़ुतून' के नाम से लम्बी हदीस नसाई शरीफ़ की किताबुत्तफ़सीर में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से नक़ल की है और इमाम इब्ने कसीर ने अपनी तफ़सीर में भी इसको पूरा नक़ल करने के बाद फ़रमाया है कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने इस रिवायत को मरफ़ूअ़ यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का बयान क़रार दिया है और इब्ने कसीर ने भी हदीस के मरफ़ूअ़ होने की ताईद के लिये फ़रमाया है:

وَصَدَّقَ ذٰلِكَ عِنْدِیْ.

यानी इस हदीस का मरफ़ूअ़ होना मेरे नज़दीक दुरुस्त है। फिर उसके लिये एक दलील भी बयान फ़रमाई। लेकिन उसके बाद यह भी नक़ल फ़रमाया है कि इब्ने जरीर और इब्ने अबी हातिम ने भी अपनी-अपनी तफ़सीरों में यह रिवायत नक़ल की है, मगर वह मौक़ूफ़ यानी इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु का अपना कलाम है, मरफ़ूअ़ हदीस के जुमले उसमें कहीं-कहीं आये हैं। ऐसा मालूम होता है कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने यह रिवायत हज़रत कअ़बे अहबार से ली है जैसा कि बहुत से मौक़ों में ऐसा हुआ है, मगर इब्ने कसीर जैसे हदीस के जाँचने परखने वाले और नसाई जैसे हदीस के इमाम इसको मरफ़ूअ़ मानते हैं और जिन्होंने मरफ़ूअ़ तस्लीम नहीं किया वे भी इसके मज़मून पर कोई नकीर नहीं करते और अक्सर हिस्सा इसका तो ख़ुद क़ुरआने करीम की आयतों में आया हुआ है इसलिये पूरी हदीस का तर्जुमा लिखा जाता है जिसमें हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के तफ़सीली क़िस्से के तहत में बहुत से इल्मी और अ़मली फ़ायदे भी हैं। 'हदीसुल-फ़ुतून' इमाम नसाई रह. की सनद से क़ासिम बिन अबू अय्यूब फ़रमाते हैं कि मुझे सईद बिन ज़ुबैर रह. ने ख़बर दी कि मैंने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से इस आयत की तफ़सीर मालूम की जो हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के बारे में आई है यानी 'व फ़तन्ना-क फ़ुतूना' (ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 40) मैंने मालूम किया कि इसमें फ़ुतून से क्या मुराद है? इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि इसका वाक़िआ़ बड़ा लम्बा है, सुबह को सवेरे आ जाओ तो बतला देंगे। जब अगले दिन सुबह हुई तो मैं सवेरे ही इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की ख़िदमत में हाज़िर हो गया ताकि कल जो वायदा फ़रमाया था उसको पूरा कराऊँ।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि सुनो (एक दिन) फ़िरऔ़न और उसके साथियों में इस बात का ज़िक्र आया कि अल्लाह तआ़ला ने हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम से वायदा फ़रमाया है कि उनकी नस्ल में अम्बिया और बादशाह पैदा फ़रमा देंगे। मज्लिस में शरीक कुछ लोगों ने कहा कि हाँ बनी इस्राईल तो इसके मुन्तज़िर हैं जिसमें उनको ज़रा शक नहीं कि उनके अन्दर कोई नबी व रसूल पैदा होगा, और पहले इन लोगों का ख़्याल था कि वह नबी यूसुफ़ बिन याक़ूब अ़लैहिस्सलाम हैं, जब उनकी वफ़ात हो गयी तो कहने लगे कि इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम से जो वायदा किया गया था यह उसके मिस्दाक़ नहीं (कोई और नबी व रसूल पैदा होगा जो उस वायदे को पूरा करेगा)। फ़िरऔ़न ने यह सुना तो (उसको फ़िक्र लग गयी कि अगर बनी इस्राईल में जिनको उसने

गुलाम बना रखा था कोई नबी व रसूल पैदा हो गया तो वह उनको मुझसे आज़ाद करायेगा) इसलिये मज्लिस में मौजूद लोगों से मालूम किया कि इस आफ़त से बचने का क्या रास्ता है? ये लोग आपस में मश्विरे करते रहे और अन्जामकार सब की राय इस पर मुत्तफ़िक़ हो गयी कि (बनी इस्राईल में जो लड़का पैदा हो उसको ज़िबह कर दिया जाये, इसके लिये) ऐसे सिपाही मुक़र्रर कर दिये गये जिनके हाथों में छुरियाँ थीं और वे बनी इस्राईल के एक-एक घर में जाकर देखते थे, जहाँ कोई लड़का नज़र आया उसको ज़िबह कर दिया।

कुछ अ़रसे तक यह सिलसिला जारी रहने के बाद उनको यह होश आया कि हमारी सब ख़िदमतें और मेहनत मशक़्क़त के काम तो बनी इस्राईल ही अन्जाम देते हैं, अगर क़त्ल का यह सिलसिला जारी रहा तो उनके बूढ़े तो अपनी मौत मर जायेंगे और बच्चे ज़िबह होते रहे तो आगे बनी इस्राईल में कोई मर्द न रहेगा जो हमारी ख़िदमतें अन्जाम दे, नतीजा यह होगा कि सारे मशक़्क़त के काम हमें ख़ुद ही करने पड़ेंगे इसलिये अब यह राय हुई कि एक साल में पैदा होने वाले लड़कों को छोड़ दिया जाये, दूसरे साल में पैदा होने वालों को ज़िबह कर दिया जाये। इस तरह बनी इस्राईल में कुछ जवान भी रहेंगे जो अपने बूढ़ों की जगह ले सकें और उनकी तादाद इतनी ज़्यादा भी नहीं होगी जिससे फ़िरऔनी हुकूमत को ख़तरा हो सके। यह बात सब को पसन्द आई और यही क़ानून लागू कर दिया गया (अब हक़ तआ़ला की क़ुदरत व हिक्मत का ज़हूर इस तरह हुआ कि) हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम की वालिदा को एक हमल (गर्भ) उस वक़्त हुआ जबकि बच्चों को ज़िन्दा छोड़ देने का साल था, अगले साल जो लड़कों के क़त्ल का साल था उसमें हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम हमल में आये तो उनकी वालिदा पर रंज व ग़म तारी था कि अब यह बच्चा पैदा होगा तो क़त्ल कर दिया जायेगा। इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने क़िस्से को यहाँ तक पहुँचाकर फ़रमाया कि ऐ इब्ने जुबैर! 'फ़ुतून' यानी आज़माईश का यह पहला मौक़ा है कि मूसा अ़लैहिस्सलाम अभी दुनिया में पैदा भी नहीं हुए थे कि उनके क़त्ल का मन्सूबा तैयार था। उस वक़्त हक़ तआ़ला ने उनकी वालिदा को इल्हाम की वही के ज़रिये यह तसल्ली दे दीः

لَا تَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِىْ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَo

यानी तुम कोई ख़ौफ़ व ग़म न करो (हम उसकी हिफ़ाज़त करेंगे और कुछ दिन जुदा रहने के बाद) हम उनको तुम्हारे पास वापस कर देंगे फिर उनको अपने रसूलों में दाख़िल कर लेंगे।

जब मूसा अ़लैहिस्सलाम पैदा हो गये तो उनकी वालिदा को हक़ तआ़ला ने हुक्म दिया कि इसको एक ताबूत में रखकर (नील) दरिया में डाल दो। मूसा अ़लैहिस्सलाम की वालिदा ने इस हुक्म की तामील कर दी। जब वह ताबूत को दरिया के हवाले कर चुकीं तो शैतान ने उनके दिल में यह वस्वसा डाला कि यह तूने क्या काम किया, अगर बच्चा तेरे पास रहकर ज़िबह भी कर दिया जाता तो अपने हाथों से कफ़न-दफ़न करके कुछ तो तसल्ली होती, अब तो उसको दरिया के जानवर खायेंगे। (मूसा अ़लैहिस्सलाम की वालिदा इसी रंज व ग़म में मुब्तला थीं कि) दरिया की लहरों ने ताबूत को एक ऐसी चट्टान पर डाल दिया जहाँ फ़िरऔन की बाँदियाँ लौंडियाँ नहाने धोने के लिये जाया करती थीं। उन्होंने यह ताबूत देखा तो उठा लिया और खोलने का इरादा किया तो उनमें से किसी ने कहा कि

अगर इसमें कुछ माल हुआ और हमने खोल लिया तो फ़िरऔन की बीवी को यह गुमान होगा कि हमने इसमें से कुछ अलग रख लिया है, हम कुछ भी कहें उसको यक़ीन नहीं आयेगा, इसलिये सब की राय यह हो गयी कि इस ताबूत को इसी तरह बन्द हालत में उठाकर फ़िरऔन की बीवी के सामने पेश कर दिया जाये।

फ़िरऔन की बीवी ने ताबूत खोला तो उसमें एक ऐसा लड़का देखा जिसको देखते ही उसके दिल में उससे इतनी मुहब्बत हो गयी जो इससे पहले किसी बच्चे से नहीं हुई थी (जो हक़ीक़त में हक़ तआ़ला के इस इरशाद का ज़हूर था 'व अल्क़ैतु अ़लै-क महब्बतम् मिन्नी')।

दूसरी तरफ़ हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम की वालिदा शैतानी वस्वसे के सबब अल्लाह तआ़ला के इस वायदे को भूल गयीं और हालत यह हो गयीः

وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا.

यानी हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम की वालिदा का दिल हर ख़ुशी और हर ख़्याल से ख़ाली हो गया (सिर्फ़ मूसा अ़लैहिस्सलाम की फ़िक्र ग़ालिब आ गयी) उधर जब लड़कों के क़त्ल पर लगाई गयी पुलिस वालों को फ़िरऔन के घर में एक लड़का आ जाने की ख़बर मिली तो वे छुरियाँ लेकर फ़िरऔन की बीवी के पास पहुँच गये कि यह लड़का हमें दो ताकि ज़िबह कर दें।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने यहाँ पहुँचकर फिर इब्ने जुबैर रह. को मुख़ातब किया कि ऐ इब्ने जुबैर! फ़ुतून यानी आज़माईश का (दूसरा) वाक़िआ़ यह है।

फ़िरऔन की बीवी ने उन लश्करी लोगों को जवाब दिया कि अभी ठहरो कि सिर्फ़ इस एक लड़के से तो बनी इस्राईल की क़ुव्वत नहीं बढ़ जायेगी, मैं फ़िरऔन के पास जाती हूँ और इस बच्चे की जान बख़्शी कराती हूँ। अगर फ़िरऔन ने इसको बख़्श दिया तो यह बेहतर होगा वरना तुम्हारे मामले में दख़ल न दूँगी, यह बच्चा तुम्हारे हवाले होगा। यह कहकर वह फ़िरऔन के पास गयी और कहा कि यह बच्चा मेरी और तुम्हारी आँखों की ठण्डक है, फ़िरऔन ने कहा कि हाँ तुम्हारी आँखों की ठण्डक होना तो मालूम है मगर मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं।

इसके बाद इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़सम है उस ज़ात की जिसकी क़सम खाई जा सकती है, अगर फ़िरऔन उस वक़्त बीवी की तरह अपने लिये भी मूसा अ़लैहिस्सलाम के आँखों की ठण्डक होने का इक़रार कर लेता तो अल्लाह तआ़ला उसको भी हिदायत कर देता जैसा कि उसकी बीवी को ईमान की हिदायत अ़ता फ़रमाई।

(बहरहाल बीवी के कहने से फ़िरऔन ने इस लड़के को क़त्ल से आज़ाद कर दिया) अब फ़िरऔन की बीवी ने इसको दूध पिलाने के लिये अपने आस-पास की औरतों को बुलाया। सब ने चाहा कि मूसा अ़लैहिस्सलाम को दूध पिलाने की ख़िदमत अन्जाम दें मगर हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को किसी की छाती न लगती। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि हमने उन पर दूसरी औरतों का दूध हराम फ़रमा दिया था।

अब फ़िरऔन की बीवी को यह फ़िक्र हो गयी कि जब किसी का दूध नहीं पीते तो यह ज़िन्दा

कैसे रहेंगे, इसलिये अपनी बाँदियों के सुपुर्द किया कि बाज़ार और लोगों के मजमे में ले जायें शायद यह किसी औरत का दूध क़ुबूल कर लें।

उधर मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने बेचैन होकर अपनी बेटी को कहा कि ज़रा बाहर जाकर तलाश करो और लोगों से मालूम करो कि उस ताबूत और बच्चे का क्या अन्जाम हुआ, वह ज़िन्दा है या दरियाई जानवरों की ख़ुराक बन चुका है। उस वक़्त तक उनको अल्लाह तआ़ला का वह वायदा याद नहीं आया था जो गर्भ की हालात में उनसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हिफ़ाज़त और चन्द रोज़ की जुदाई के बाद वापसी का किया गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन बाहर निकलीं तो (अल्लाह की क़ुदरत का यह करिश्मा देखा कि) फ़िरऔन की बाँदियाँ उस बच्चे को लिये हुए दूध पिलाने वाली औरत की तलाश में हैं। जब इन्होंने यह माजरा देखा कि यह बच्चा किसी औरत का दूध नहीं लेता और ये बाँदियाँ परेशान हैं तो उनसे कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसे घराने का पता देती हूँ जहाँ मुझे उम्मीद है कि यह उनका दूध भी लेंगे और वह इसको ख़ैरख़्वाही व मुहब्बत के साथ पालेंगे। यह सुनकर उन बाँदियों ने इनको इस शुब्हे में पकड़ लिया कि यह औरत शायद इस बच्चे की माँ या कोई ख़ास रिश्तेदार है जो यक़ीन के साथ यह कह रही है कि वह घर वाले इसके ख़ैरख़्वाह और हमदर्द हैं (उस वक़्त यह बहन भी परेशान हो गयी)।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने इस जगह पहुँचकर फिर इब्ने ज़ुबैर को ख़िताब किया कि यह 'फ़ुतून' यानी आज़माईश का तीसरा वाक़िआ है, उस वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने बात बनाई और कहा कि मेरी मुराद उस घर वालों के हमदर्द व ख़ैरख़्वाह होने से यही थी कि फ़िरऔनी दरबार तक उनकी पहुँच होगी, इससे उनको फ़ायदे पहुँचने की उम्मीद होगी, इसलिये वह इस बच्चे की मुहब्बत व हमदर्दी में कसर न करेंगे। यह सुनकर बाँदियों ने उनको छोड़ दिया। यह वापस अपने घर पहुँची और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को वाक़िए की ख़बर दी, वह इनके साथ उस जगह पहुँचीं जहाँ ये बाँदियाँ जमा थीं। बाँदियों के कहने से इन्होंने भी बच्चे को गोद में ले लिया, मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन इनकी छातियों से लगकर दूध पीने लगे यहाँ तक कि पेट भर गया। यह ख़ुशख़बरी फ़िरऔन की बीवी को पहुँची कि उस बच्चे के लिये दूध पिलाने वाली मिल गयी। फ़िरऔन की बीवी ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को बुलवाया, इन्होंने आकर हालात देखे और यह महसूस किया कि फ़िरऔन की बीवी मेरी हाजत व ज़रूरत महसूस कर रही है तो ज़रा ख़ुद्दारी से काम लिया। फ़िरऔन की बीवी ने कहा कि आप यहाँ रहकर इस बच्चे को दूध पिलायें, क्योंकि मुझे इस बच्चे से इतनी मुहब्बत है कि मैं इसको अपनी नज़रों से ग़ायब नहीं रख सकती। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने कहा कि मैं तो अपने घर को छोड़कर यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि मेरी गोद में ख़ुद एक बच्चा है जिसको दूध पिलाती हूँ, मैं उसको कैसे छोड़ूँ? हाँ अगर आप इस पर राज़ी हों कि बच्चा मेरे सुपुर्द करें मैं अपने घर रखकर इसको दूध पिलाऊँ और यह वायदा करती हूँ कि इस बच्चे की ख़बरगीरी और हिफ़ाज़त में ज़रा कोताही न करूँगी। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को उस वक़्त अल्लाह तआ़ला का वह वायदा भी याद आ गया जिसमें फ़रमाया था कि चन्द रोज़ की जुदाई के बाद हम इनको तुम्हारे पास वापस दे देंगे, इसलिये वह अपनी बात पर और जम गयीं। फ़िरऔन की बीवी

ने मजबूर होकर इनकी बात मान ली और यह उसी दिन हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को लेकर अपने घर आ गयीं और अल्लाह तआ़ला ने इनका पालन-पोषण ख़ास तरीक़े पर फ़रमाया।

जब मूसा अ़लैहिस्सलाम ज़रा ताक़तवर और होशियार हो गये तो फ़िरऔ़न की बीवी ने उनकी वालिदा से कहा कि यह बच्चा मुझे लाकर दिखला जाओ (कि मैं उसके देखने के लिये बेचैन हूँ) और फ़िरऔ़न की बीवी ने अपने सब दरबारियों को हुक्म दिया कि यह बच्चा आज हमारे घर में आ रहा है तुम में से कोई ऐसा न रहे जो उसका इकराम (सम्मान) न करे और कोई हदिया (तोहफ़ा) उसको पेश न करे, और मैं ख़ुद इसकी निगरानी करूँगी कि तुम लोग इस मामले में क्या करते हो। इसका असर यह हुआ कि जिस वक़्त मूसा अ़लैहिस्सलाम अपनी वालिदा के साथ घर से निकले उसी वक़्त से उन पर तोहफ़ों और हदियों (तोहफ़ों) की बारिश होने लगी यहाँ तक कि फ़िरऔ़न की बीवी के पास पहुँचे तो उसने अपने पास से ख़ास तोहफ़े और हदिये अलग पेश किये। फ़िरऔ़न की बीवी इनको देखकर बेहद ख़ुश हुई और ये सब तोहफ़े हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम की वालिदा को दे दिये। उसके बाद फ़िरऔ़न की बीवी ने कहा कि अब मैं इनको फ़िरऔ़न के पास लेजाती हूँ वह इनको इनामात और तोहफ़े देंगे, जब इनको लेकर फ़िरऔ़न के पास पहुँची तो फ़िरऔ़न ने इनको अपनी गोद में ले लिया। मूसा अ़लैहिस्सलाम ने फ़िरऔ़न की दाढ़ी पकड़कर ज़मीन की तरफ़ झुका दिया। उस वक़्त दरबार के लोगों ने फ़िरऔ़न से कहा कि आपने देख लिया कि अल्लाह तआ़ला ने अपने नबी इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम से जो वायदा किया था कि बनी इस्राईल में एक नबी पैदा होगा जो आपके मुल्क व माल का वारिस होगा, आप पर ग़ालिब आयेगा और आपको पछाड़ेगा (पराजित करेगा), यह वायदा किस तरह पूरा हो रहा है।

फ़िरऔ़न चौंका और उसी वक़्त लड़कों को क़त्ल करने वाले सिपाहियों को बुला लिया ताकि इसको ज़िबह कर दें। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने यहाँ पहुँचकर फिर इब्ने ज़ुबैर को ख़िताब किया कि यह 'फ़ुतून' यानी आज़माईश का (चौथा) वाक़िआ़ है कि फिर मौत सर पर मंडराने लगी।

फ़िरऔ़न की बीवी ने यह देखा तो कहा कि आप तो यह बच्चा मुझे दे चुके हैं फिर अब यह क्या मामला हो रहा है। फ़िरऔ़न ने कहा कि तुम यह नहीं देखतीं कि यह लड़का अपने अ़मल से गोया यह दावा कर रहा है कि यह मुझको ज़मीन पर गिराकर मुझ पर ग़ालिब आ जायेगा। फ़िरऔ़न की बीवी ने कहा कि आप एक बात को अपने और मेरे मामले के फ़ैसले के लिये मान लें जिससे हक़ बात ज़ाहिर हो जायेगी (कि बच्चे ने यह मामला बचपन की बेख़बरी में किया है या जान-बूझकर किसी शरारत से) आप दो अंगारे आग के और दो मोती मंगवा लीजिए और दोनों को इनके सामने कर दीजिए, अगर यह मोतियों की तरफ़ हाथ बढ़ायें और आग के अंगारों से बचें तो आप समझ लें कि इसके काम अ़क़्ल व शऊर से सोचे-समझे हैं और अगर इसने मोतियों के बजाय अंगारे हाथ में उठा लिये तो यह यक़ीन हो जायेगा कि यह काम किसी अ़क़्ल व शऊर से नहीं किया गया क्योंकि कोई अ़क़्ल वाला इनसान आग को हाथ में नहीं उठा सकता। (फ़िरऔ़न ने इस आज़माईश को मान लिया) दो अंगारे और दो मोती मूसा अ़लैहिस्सलाम के सामने पेश किये तो मूसा अ़लैहिस्सलाम ने

अंगारे उठा लिये (कुछ दूसरी रिवायतों में है कि मूसा अ़लैहिस्सलाम मोतियों की तरफ़ हाथ बढ़ाना चाहते थे कि जिब्रीले अमीन ने उनका हाथ अंगारों की तरफ़ फेर दिया) फ़िरऔन ने यह माजरा देखा तो फ़ौरन उनके हाथ से अंगारे छीन लिये कि उनका हाथ न जल जाये (अब तो फ़िरऔन की बीवी की बात बन गयी) उसने कहा कि आपने वाक़िए की हक़ीक़त को देख लिया, इस तरह अल्लाह तआ़ला ने फिर यह मौत मूसा अ़लैहिस्सलाम से टला दी क्योंकि अल्लाह की क़ुदरत को उनसे आगे काम लेना था (हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम इसी तरह फ़िरऔन के शाहाना सम्मान व इकराम और शाहाना ख़र्च पर अपनी वालिदा की निगरानी में परवरिश पाते रहे यहाँ तक कि जवान हो गये)।

उनके शाही इकराम व सम्मान को देखकर फ़िरऔन के लोगों को बनी इस्राईल पर वह ज़ुल्म व ज़्यादती और उनका अपमान व तौहीन करने की हिम्मत न रही जो इससे पहले फ़िरऔनी लोगों की तरफ़ से हमेशा बनी इस्राईल पर होता रहता था। एक दिन मूसा अ़लैहिस्सलाम शहर के किसी हिस्से में चल रहे थे तो देखा कि दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं जिनमें से एक फ़िरऔनी है और दूसरा इस्राईली। इस्राईली ने मूसा अ़लैहिस्सलाम को देखकर इमदाद के लिये पुकारा। मूसा अ़लैहिस्सलाम को फ़िरऔनी आदमी की इस बेजा जुर्रत पर बहुत गुस्सा आ गया कि उसने शाही दरबार में मूसा अ़लैहिस्सलाम के मान व इज़्ज़त को जानते हुए इस्राईली को उनके सामने पकड़ रखा है जबकि वह यह भी जानता है कि मूसा अ़लैहिस्सलाम इस्राईलियों की हिफ़ाज़त करते हैं, और लोगों को तो सिर्फ़ यही मालूम था कि इनका ताल्लुक़ इस्राईली लोगों से सिर्फ़ दूध पीने की वजह से है, हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को मुम्किन है कि अल्लाह तआ़ला ने उनकी वालिदा या किसी और ज़रिये से यह मालूम करा दिया हो कि यह अपनी दूध पिलाने वाली औरत ही के पेट से पैदा हुए और इस्राईली हैं।

ग़र्ज़ कि मूसा अ़लैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर उस फ़िरऔनी के एक मुक्का रसीद किया जिसको वह बरदाश्त न कर सका और वहीं मर गया, मगर इत्तिफ़ाक़ से वहाँ कोई और आदमी मूसा अ़लैहिस्सलाम और उन दोनों लड़ने वालों के सिवा मौजूद नहीं था, फ़िरऔनी तो क़त्ल हो गया इस्राईली अपना आदमी था उससे इसकी आशंका न थी कि यह मुख़बिरी कर देगा।

जब यह फ़िरऔनी मूसा अ़लैहिस्सलाम के हाथ से मारा गया तो मूसा अ़लैहिस्सलाम ने कहाः

هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ○

यानी यह काम शैतान की तरफ़ से हुआ है वह खुला दुश्मन गुमराह करने वाला है (फिर अल्लाह तआ़ला की बारगाह में अ़र्ज़ की):

رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَغَفَرَلَهٗ اِنَّهٗ هُوَالْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ○

यानी ऐ मेरे परवर्दिगार मैंने अपने नफ़्स पर ज़ुल्म किया (कि यह फ़िरऔनी आदमी को क़त्ल करने की ख़ता मुझसे हो गयी) मुझे माफ़ फ़रमा दीजिए। अल्लाह तआ़ला ने माफ़ फ़रमा दिया क्योंकि वही बहुत माफ़ करने वाला और बहुत रहमत करने वाला है।

मूसा अ़लैहिस्सलाम इस वाक़िए के बाद ख़ौफ़ व घबराहट के आ़लम में यह ख़बरें मालूम करते रहे (कि उसके क़त्ल पर फ़िरऔन वालों की प्रतिक्रिया क्या हुई और फ़िरऔन के दरबार तक यह

मामला पहुँचा या नहीं) मालूम हुआ कि मामला फ़िरऔन तक इस उनवान से पहुँचा कि किसी इस्राईली ने फ़िरऔन की आल के एक आदमी को कृत्ल कर दिया है इसलिये इस्राईलियों से इसका बदला लिया जाये। इस मामले में उनके साथ कोई ढील का मामला न किया जाये। फ़िरऔन ने जवाब दिया कि उसके क़ातिल को मुतैयन करके मय गवाही के पेश करो। क्योंकि बादशाह अगरचे तुम्हारा ही है मगर उसके लिये यह किसी तरह मुनासिब नहीं कि बग़ैर गवाही व सुबूत के किसी से क़िसास (ख़ून का बदला) ले ले। तुम उसके क़ातिल को तलाश करो और सुबूत इकट्ठे करो मैं ज़रूर तुम्हारा बदला क़िसास की सूरत में उससे लूँगा। फ़िरऔनी लोग यह सुनकर गली कूचों और बाज़ारों में घूमने लगे कि कहीं उसके क़त्ल करने वाले का सुराग़ मिल जाये मगर उनको कोई सुराग़ नहीं मिल रहा था।

अचानक यह वाक़िआ पेश आया कि अगले दिन मूसा अ़लैहिस्सलाम घर से निकले तो उसी इस्राईली को देखा कि किसी दूसरे फ़िरऔनी शख़्स से झगड़ा करने में लगा हुआ है और फिर उस इस्राईली ने मूसा अ़लैहिस्सलाम को मदद के लिये पुकारा, मगर मूसा अ़लैहिस्सलाम कल के वाक़िए पर ही शर्मिन्दा हो रहे थे और इस वक़्त उसी इस्राईली को फिर लड़ते हुए देखकर उस पर नाराज़ हुए (कि ख़ता इसी की मालूम होती है, यह झगड़ालू आदमी है और लड़ता ही रहता है) मगर इसके बावजूद मूसा अ़लैहिस्सलाम ने इरादा किया कि फ़िरऔनी शख़्स को उस पर हमला करने से रोकें लेकिन इस्राईली को भी डाँट के तौर पर कहने लगे तूने कल भी झगड़ा किया था आज फिर लड़ रहा है, तू ही ज़ालिम है। इस्राईली ने मूसा अ़लैहिस्सलाम को देखा कि वह आज भी उसी तरह गुस्से में हैं जैसे कल थे तो उसको मूसा अ़लैहिस्सलाम के इन अलफ़ाज़ से यह शुब्हा हो गया कि यह आज मुझे ही क़त्ल कर देंगे, तो फ़ौरन बोल उठा कि ऐ मूसा क्या तुम चाहते हो कि मुझे क़त्ल कर डालो जैसे कल तुमने एक शख़्स को क़त्ल कर दिया था।

ये बातें होने के बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गये मगर फ़िरऔनी शख़्स ने फ़िरऔन वालों के उन लोगों को जो कल के क़ातिल की तलाश में थे जाकर यह ख़बर पहुँचा दी कि ख़ुद इस्राईली ने मूसा अ़लैहिस्सलाम को कहा है कि तुमने कल एक आदमी क़त्ल कर दिया है। यह ख़बर फ़िरऔन के दरबार तक फ़ौरन पहुँचाई गयी। फ़िरऔन ने अपने सिपाही मूसा अ़लैहिस्सलाम को क़त्ल करने के लिये भेज दिये। ये सिपाही जानते थे कि वह हम से बचकर कहाँ जायेंगे। इत्मीनान के साथ शहर की बड़ी सड़क से मूसा अ़लैहिस्सलाम की तलाश में निकले। उधर एक शख़्स को मूसा अ़लैहिस्सलाम के मानने वालों में से जो शहर के किसी दूर-दराज़ के हिस्से में रहता था इसकी ख़बर लग गयी कि फ़िरऔनी सिपाही मूसा अ़लैहिस्सलाम की तलाश में उनको क़त्ल करने के लिये निकल चुके हैं, उसने किसी गली कूचे के छोटे रास्ते से आगे पहुँचकर हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को ख़बर कर दी।

यहाँ पहुँचकर फिर हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने इब्ने ज़ुबैर को ख़िताब किया कि ऐ इब्ने ज़ुबैर यह (पाँचवाँ) वाक़िआ फ़ुतून यानी आज़माईश का है कि मौत सर पर आ चुकी थी अल्लाह ने उससे निजात का सामान कर दिया।

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम यह ख़बर सुनकर फ़ौरन शहर से निकल गये और मद्यन की तरफ़ रुख़ फिर गया। यह आज तक शाही नाज़ व नेमत में पले थे कभी मेहनत व मशक़्क़त का नाम न

आया था, मिस्र से निकल खड़े हुए मगर रास्ता भी कहीं का न जानते थे लेकिन अपने रब पर भरोसा था कि:

عَسٰى رَبِّیْۤ اَنْ یَّهْدِیَنِیْ سَوَآءَ السَّبِیْلِ۝

यानी उम्मीद है कि मेरा रब मुझे रास्ता दिखा देगा। जब शहर 'मद्यन' के क़रीब पहुँचे तो शहर से बाहर एक कुएँ पर लोगों की भीड़ देखी जो उस पर अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे, और देखा कि दो औरतें अपनी बकरियों को समेटे हुए अलग खड़ी हैं। मूसा अ़लैहिस्सलाम ने उन औरतों से पूछा कि तुम अलग क्यों खड़ी हो? उन्होंने जवाब दिया कि हमसे यह तो हो नहीं सकता कि हम इन लोगों से टकरायें और मुक़ाबला करें इसलिये हम इस इन्तिज़ार में हैं कि जब ये सब लोग फ़ारिग़ हो जायें तो कुछ बचा हुआ पानी मिल जायेगा उससे हम अपना काम निकालेंगे।

मूसा अ़लैहिस्सलाम ने उनकी शराफ़त देखकर ख़ुद उनके लिये कुएँ से पानी निकालना शुरू कर दिया, अल्लाह तआ़ला ने क़ुव्वत व ताक़त बख़्शी थी बड़ी जल्दी उनकी बकरियों को सैराब कर दिया। ये औरतें अपनी बकरियाँ लेकर अपने घर गयीं और मूसा अ़लैहिस्सलाम एक पेड़ के साये में चले गये और अल्लाह तआ़ला से दुआ़ की:

رَبِّ اِنِّیْ لِمَاۤ اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیْرٌ۝

यानी ऐ मेरे परवर्दिगार मैं मोहताज हूँ उस नेमत का जो आप मेरी तरफ़ भेजें (मतलब यह था कि खाने का और ठिकाने का कोई इन्तिज़ाम हो जाये)। ये लड़कियाँ जब रोज़ाना के वक़्त से पहले बकरियों को सैराब (पानी पिला) करके घर पहुँचीं तो इनके वालिद को ताज्जुब हुआ और फ़रमाया आज तो कोई नई बात है। लड़कियों ने मूसा अ़लैहिस्सलाम के पानी खींचने और पिलाने का क़िस्सा वालिद को सुना दिया। वालिद ने उनमें से एक को हुक्म दिया कि जिस शख़्स ने यह एहसान किया है उसको यहाँ बुला लाओ, वह बुला लाई। वालिद ने मूसा अ़लैहिस्सलाम से उनके हालात मालूम किये और फ़रमाया:

لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ۝

यानी अब आप ख़ौफ़ व घबराहट अपने दिल से निकाल दीजिये आप ज़ालिमों के हाथ से निजात पा चुके हैं। हम न फ़िरऔ़न की सल्तनत में हैं न उसका हम पर कुछ हुक्म चल सकता है।

अब उन दो लड़कियों में से एक ने अपने वालिद से कहा:

یٰۤاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ اِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْاَمِیْنُ۝

यानी अब्बा जान! इनको आप मुलाज़िम रख लीजिए क्योंकि मुलाज़मत के लिये बेहतरीन आदमी वह है जो ताक़तवर भी हो और अमानतदार भी। वालिद को अपनी लड़की से यह बात सुनकर ग़ैरत सी आई कि मेरी लड़की को यह कैसे मालूम हुआ कि यह ताक़तवर भी हैं और अमीन भी। इसलिये उससे सवाल किया कि तुम्हें इनकी ताक़त का अन्दाज़ा कैसे हुआ और इनकी अमानतदारी किस बात से मालूम की? लड़की ने अ़र्ज़ किया कि इनकी ताक़त तो इनके कुएँ से पानी खींचने के वक़्त सामने आ गयी कि सब चरवाहों से पहले इन्होंने अपना काम कर लिया, दूसरा कोई इनके बराबर नहीं आ

सका, और अमानत का हाल इस तरह मालूम हुआ कि जब मैं इनको बुलाने के लिये गयी और पहली नज़र में जब इन्होंने देखा कि मैं एक औरत हूँ तो फ़ौरन अपना सर नीचा कर लिया और उस वक़्त तक सर नहीं उठाया जब तक मैंने इनको आपका पैग़ाम नहीं पहुँचा दिया। उसके बाद इन्होंने मुझसे फ़रमाया कि तुम मेरे पीछे-पीछे चलो मगर मुझे अपने घर का रास्ता पीछे से बतलाती रहो, और यह बात सिर्फ़ वही मर्द कर सकता है जो अमानतदार हो।

वालिद को लड़की की इस अक़्लमन्दी की बात से ख़ुशी हुई और उसकी तस्दीक़ फ़रमाई और ख़ुद भी उनके बारे में क़ुव्वत व अमानत का यक़ीन हो गया। उस वक़्त लड़कियों के वालिद ने (जो अल्लाह के रसूल हज़रत शुऐब अ़लैहिस्सलाम थे) मूसा अ़लैहिस्सलाम से कहा कि आपको यह मन्ज़ूर है कि मैं इन दोनों लड़कियों में से एक का निकाह आप से कर दूँ जिसकी शर्त यह होगी कि आप आठ साल तक हमारे यहाँ मज़दूरी करें, और अगर आप दस साल पूरे कर दें तो अपने इख़्तियार से कर दें बेहतर होगा, हम यह पाबन्दी आप पर आयद नहीं करते, ताकि आप पर ज़्यादा मशक़्क़त न हो। हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने इसको मन्ज़ूर फ़रमा लिया जिसके हिसाब से मूसा अ़लैहिस्सलाम पर सिर्फ़ आठ साल की ख़िदमत समझौते के तौर पर लाज़िम हो गयी, बाक़ी दो साल का वायदा इख़्तियारी रहा, अल्लाह तआ़ला ने अपने पैग़म्बर मूसा अ़लैहिस्सलाम से वह वायदा भी पूरा कराकर दस साल पूरे करा दिये।

हज़रत सईद बिन जुबैर रह. फ़रमाते हैं कि एक मर्तबा एक ईसाई आ़लिम मुझे मिला, उसने सवाल किया कि तुम जानते हो कि मूसा अ़लैहिस्सलाम ने दोनों मियादों में से कौनसी मियाद पूरी फ़रमाई? मैंने कहा कि मुझे मालूम नहीं क्योंकि उस वक़्त तक इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की यह हदीस मुझे मालूम न थी। उसके बाद मैं इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मिला उनसे सवाल किया। उन्होंने फ़रमाया कि आठ साल की मियाद पूरा करना तो मूसा अ़लैहिस्सलाम पर वाजिब था, उसमें कुछ कमी करने का तो शुब्हा व गुमान ही नहीं, और यह भी मालूम होना चाहिये कि अल्लाह तआ़ला को अपने रसूल का इख़्तियारी वायदा भी पूरा ही करना मन्ज़ूर था इसलिये दस साल की मियाद पूरी की। उसके बाद मैं उस ईसाई आ़लिम से मिला और उसको यह ख़बर दी तो उसने कहा कि तुमने जिस शख़्स से यह बात मालूम की है क्या वह तुमसे ज़्यादा इल्म वाले हैं? मैंने कहा कि बेशक वह बहुत बड़े आ़लिम और हम सबसे अफ़ज़ल हैं।

(दस साल की मियाद व ख़िदमत पूरी करने के बाद जब) हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम अपनी बीवी साहिबा को साथ लेकर शुऐब अ़लैहिस्सलाम के वतन मद्यन से रुख़्सत हुए, रास्ते में सख़्त सर्दी अंधेरी रात, रास्ता नामालूम, बेकसी और बेबसी के आ़लम में अचानक तूर पहाड़ पर आग देखने फिर वहाँ जाने और हैरत अंगेज़ मनाज़िर के बाद अ़सा (लाठी) और यदे बैज़ा (चमकते हाथ) का मोजिज़ा और उसके साथ नुबुव्वत व रिसालत का सम्मान व पद अ़ता होने के बाद (जिसका पूरा क़िस्सा क़ुरआन में ऊपर गुज़र चुका है) हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को यह फ़िक्र हुई कि मैं फ़िरऔ़नी दरबार का एक भागा हुआ मुल्ज़िम (आरोपी) क़रार दिया गया हूँ मुझसे क़िब्ती का क़िसास (ख़ूनी बदला) लेने का हुक्म वहाँ से हो चुका है, अब उसके पास ईमान की दावत लेकर जाने का हुक्म हुआ है, साथ ही

अपनी ज़बान में लुक्नत (लड़खड़ाहट) का उज़्र भी सामने आया तो अल्लाह तआ़ला की बारगाह में अ़र्ज़ मारूज़ पेश की। हक़ तआ़ला ने उनकी फ़रमाईश के मुताबिक़ उनके भाई हज़रत हारून को नुबुव्वत में शरीक बनाकर उनके पास वही भेज दी और यह हुक्म दिया कि वह हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम का शहर मिस्र से बाहर स्वागत करें। उसके मुताबिक़ मूसा अ़लैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे। हारून अ़लैहिस्सलाम से मुलाक़ात हुई, दोनों भाई (अल्लाह के हुक्म के मुताबिक़) फ़िरऔ़न को हक़ की दावत देने के लिये उसके दरबार में पहुँचे, कुछ वक़्त तक तो इनको दरबार में हाज़िरी का मौक़ा नहीं दिया गया। ये दोनों दरवाज़े पर ठहरे रहे, फिर बहुत से पर्दों में गुज़रकर हाज़िरी की इजाज़त मिली और दोनों ने फ़िरऔ़न से कहाः

إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ.

यानी हम दोनों तेरे रब की तरफ़ से क़ासिद और पैग़ाम्बर हैं। फ़िरऔ़न ने पूछाः

فَمَنْ رَّبُّكُمَا.

(तो बतलाओ तुम्हारा रब कौन है) मूसा व हारून अ़लैहिमस्सलाम ने वह बात कही जिसका क़ुरआन ने ख़ुद ज़िक्र कर दियाः

رَبُّنَا الَّذِيٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى○

इस पर फ़िरऔ़न ने पूछा कि फिर तुम दोनों क्या चाहते हो और साथ ही क़िब्ती मक़्तूल का वाक़िआ़ ज़िक्र करके हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को मुजरिम ठहराया (और अपने घर में उनके परवरिश पाने का एहसान जतलाया)। हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने दोनों बातों का वह जवाब दिया जो क़ुरआन में ज़िक्र हुआ है (यानी मक़्तूल के मामले में तो अपनी ख़ता और ग़लती को स्वीकार करके नावाक़फ़ियत का उज़्र ज़ाहिर किया, और घर में परवरिश पर एहसान जतलाने का जवाब यह दिया कि तुमने सारे बनी इस्राईल को अपना ग़ुलाम बनाकर रखा है उन पर तरह-तरह के ज़ुल्म कर रहे हो, उसी के नतीजे में तक़दीर के हाथों मैं तुम्हारे घर में पहुँचा दिया गया और जो कुछ अल्लाह को मन्ज़ूर था वह हो गया, इसमें तुम्हारा कोई एहसान नहीं)।

फिर मूसा अ़लैहिस्सलाम ने फ़िरऔ़न को ख़िताब करके पूछा कि क्या तुम इस पर राज़ी हो कि अल्लाह पर ईमान ले आओ और बनी इस्राईल को ग़ुलामी से आज़ाद कर दो? फ़िरऔ़न ने इससे इनकार किया और कहा कि अगर तुम्हारे पास अल्लाह का रसूल होने की कोई निशानी है तो दिखलाओ। मूसा अ़लैहिस्सलाम ने अपनी लाठी ज़मीन पर डाल दी तो वह बहुत ज़बरदस्त अज़्दहा की शक्ल में मुँह खोले हुए फ़िरऔ़न की तरफ़ लपकी। फ़िरऔ़न ख़ौफ़ज़दा होकर अपने तख़्त के नीचे छुप गया और मूसा अ़लैहिस्सलाम से पनाह माँगी कि इसको रोक लें। मूसा अ़लैहिस्सलाम ने उसको पकड़ लिया। फिर अपने गिरेबान में हाथ डालकर निकाला तो वह चमकने लगा यह दूसरा मोजिज़ा फ़िरऔ़न के सामने आया, फिर दोबारा गिरेबान में हाथ डाला तो वह अपनी असली हालत पर आ गया।

फ़िरऔ़न ने भयभीत होकर अपने दरबारियों से मश्विरा किया (कि तुम देख रहे हो यह क्या माजरा है और हमें क्या करना चाहिये) दरबारियों ने एक राय होकर कहा कि (कुछ फ़िक्र की बात

नहीं) ये दोनों जादूगर हैं, अपने जादू के ज़रिये तुमको तुम्हारे मुल्क से निकालना चाहते हैं और तुम्हारे बेहतरीन दीन व मज़हब को (जो उनकी नज़र में फ़िरऔन की पूजा करना था) ये मिटाना चाहते हैं। आप इनकी कोई बात न मानें (और कोई फ़िक्र न करें) क्योंकि आपके मुल्क में बड़े-बड़े जादूगर हैं, आप उनको बुला लीजिए वे अपने जादू से इनके जादू पर ग़ालिब आ जायेंगे।

फ़िरऔन ने अपनी हुकूमत के सब शहरों में हुक्म दे दिया कि जितने आदमी जादूगरी में माहिर हों वे सब दरबार में हाज़िर कर दिये जायें। मुल्क भर के जादूगर जमा हो गये तो उन्होंने फ़िरऔन से पूछा कि जिस जादूगर से आप हमारा मुक़ाबला कराना चाहते हैं वह क्या अ़मल करता है, उसने बतलाया कि वह अपनी लाठी को साँप बना देता है, जादूगरों ने बड़ी बेफ़िक्री से कहा कि यह तो कोई चीज़ नहीं, लाठियों और रस्सियों को साँप बना देने के जादू का तो जो कमाल हमें हासिल है उसका कोई मुक़ाबला नहीं कर सकता। मगर यह तय कर दीजिए कि अगर हम उस पर ग़ालिब आ गये तो हमें क्या मिलेगा।

फ़िरऔन ने कहा कि तुम ग़ालिब आ गये तो तुम मेरे ख़ानदान का हिस्सा और मेरे ख़ास लोगों में दाख़िल हो जाओगे और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहोगे।

अब जादूगरों ने मुक़ाबले का वक़्त और जगह मूसा अ़लैहिस्सलाम से तय करके अपनी ईद के दिन चाश्त (दिन चढ़े) का वक़्त मुक़र्रर कर दिया। इब्ने जुबैर रह. फ़रमाते हैं कि इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने मुझसे बयान फ़रमाया कि उनका 'यौमुज़्ज़ीनति' (यानी ईद का दिन) जिसमें अल्लाह तआ़ला ने मूसा अ़लैहिस्सलाम को फ़िरऔन और उसके जादूगरों पर फ़तह अ़ता फ़रमाई वह आ़शूरा यानी मुहर्रम की दसवीं तारीख़ थी। जब सब लोग एक खुले और बड़े मैदान में मुक़ाबला देखने के लिये जमा हो गये तो फ़िरऔन के लोग आपस में एक दूसरे को कहने लगे:

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ○

यानी हमें यहाँ ज़रूर रहना चाहिये ताकि ये जादूगर यानी मूसा व हारून अगर ग़ालिब आ जायें तो हम भी इन पर ईमान ले आयें। उनकी यह गुफ़्तगू इन हज़रात के साथ मज़ाक़ व खिल्लियाँ उड़ाने के तौर पर थी (उनका यक़ीन था कि ये हमारे जादूगरों पर ग़ालिब नहीं आ सकेंगे)।

मुक़ाबले का मैदान पूरी तरह तैयार हो गया तो जादूगरों ने मूसा अ़लैहिस्सलाम को ख़िताब किया कि पहले आप कुछ डालें (यानी अपना जादू दिखलायें) या हम पहले डालकर शुरूआ़त करें। हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम ही पहल करो, अपना जादू दिखलाओ। उन लोगों ने अपनी लाठियाँ और कुछ रस्सियाँ ज़मीन पर यह कहते हुए डाल दीं:

بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ○

यानी फ़िरऔन के तुफ़ैल हम ही ग़ालिब आयेंगे (ये लाठियाँ और रस्सियाँ देखने में साँप बनकर चलने लगीं) यह देखकर मूसा अ़लैहिस्सलाम पर एक ख़ौफ़ तारी हुआ:

فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى○

यह ख़ौफ़ तबई भी हो सकता है जो इनसानी फ़ितरत है, अम्बिया भी इससे अलग नहीं, और यह

भी हो सकता है कि ख़ौफ़ इस बात का हो कि अब इस्लाम की दावत जिसको मैं लेकर आया हूँ उसमें रुकावट पैदा हो जायेगी।

अल्लाह तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिये हुक्म दिया कि अपना असा (लाठी) डाल दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा डाला तो वह एक बड़ा अज़्दहा बन गया जिसका मुँह खुला हुआ था, उस अज़्दहे ने उन तमाम साँपों को निगल लिया जो जादूगरों ने लाठियों और रस्सियों के बनाये थे।

फ़िरऔनी जादूगर जादू के फ़न के माहिर थे, यह माजरा देखकर उनको यक़ीन हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम के असा का यह अज़्दहा जादू से नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ़ से है। इसलिये जादूगरों ने उसी वक़्त ऐलान कर दिया कि हम अल्लाह पर और मूसा अलैहिस्सलाम के लाये हुए दीन पर ईमान ले आये और हम अपने पिछले ख़्यालात व अक़ीदों से तौबा करते हैं। इस तरह अल्लाह तआला ने फ़िरऔन और उसके साथियों की कमर तोड़ दी और उन्होंने जो जाल फैलाया था वह सब बेकार व बेअसर हो गया:

فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ٥

फ़िरऔन और उसके साथी मग़लूब हो गये और ज़िल्लत व रुस्वाई के साथ उस मैदान से पस्पा (पराजित) हुए।

जिस वक़्त यह मुक़ाबला हो रहा था फ़िरऔन की बीवी आसिया फटे पुराने कपड़े पहनकर अल्लाह तआला से मूसा अलैहिस्सलाम की मदद के लिये दुआ माँग रही थी, और आले फ़िरऔन के लोग यह समझते रहे कि यह फ़िरऔन की वजह से परेशान हाल हैं, उसके लिये दुआ माँग रही हैं हालाँकि उनका ग़म व फ़िक्र सारा मूसा अलैहिस्सलाम के लिये था (और उन्हीं के ग़ालिब आने की दुआ माँग रही थीं)। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोई मोजिज़ा दिखाते और अल्लाह तआला की तरफ़ से उस पर हुज्जत तमाम हो जाती तो उसी वक़्त वायदा कर लेता था कि अब मैं बनी इस्राईल को आपके साथ भेज दूँगा, मगर जब मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से वह अज़ाब का ख़तरा टल जाता तो अपने वायदे से फिर जाता था। और कह देता था कि क्या आपका रब कोई और भी निशानी दिखा सकता है? यह सिलसिला चलता रहा आख़िरकार अल्लाह तआला ने फ़िरऔन की क़ौम पर तूफ़ान और टिड्डी दल और कपड़ों में जुएँ और बर्तनों और खाने में मेंढकों और ख़ून वग़ैरह के अज़ाब मुसल्लत कर दिये, जिनको क़ुरआन में 'आयाते मुफ़स्सलात' के उनवान से बयान किया गया है। और फ़िरऔन का हाल यह था कि जब उनमें से कोई अज़ाब आता और उससे आजिज़ होता तो मूसा अलैहिस्सलाम से फ़रियाद करता कि किसी तरह यह अज़ाब हटा दीजिए तो हम वायदा करते हैं कि बनी इस्राईल को आज़ाद कर देंगे, फिर जब अज़ाब टल जाता तो फिर बद-अहदी करता। यहाँ तक कि हक़ तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दे दिया कि अपनी क़ौम बनी इस्राईल को साथ लेकर मिस्र से निकल जायें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन सब को लेकर रात के वक़्त शहर से निकल गये। फ़िरऔन ने जब सुबह को देखा कि ये सब लोग चले गये तो चारों तरफ़ से अपनी तमाम फ़ौज जमा करके उनका पीछा करने के लिये छोड़ दी। उधर अल्लाह तआला ने उस दरिया को

जो मूसा अ़लैहिस्सलाम और बनी इस्राईल के रास्ते में था यह हुक्म दे दिया कि जब मूसा अ़लैहिस्सलाम तुझ पर लाठी मारें तो दरिया में बारह रास्ते बन जाने चाहियें, जिनसे बनी इस्राईल के बारह क़बीले अलग-अलग गुज़र सकें। और जब ये गुज़र जायें तो उनका पीछा करते हुए आने वालों पर दरिया के ये बारह हिस्से फिर मिल जायें।

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम जब दरिया के क़रीब पहुँचे तो यह याद न रहा कि लाठी मारने से दरिया में रास्ते पैदा होंगे और उनकी क़ौम ने उनसे फ़रियाद की:

اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَo

यानी हम तो पकड़ लिये गये (क्योंकि पीछे से फ़िरऔ़नी फ़ौजियों को आता देख रहे थे और आगे यह दरिया रुकावट था)। उस वक़्त मूसा अ़लैहिस्सलाम को अल्लाह तआ़ला का यह वायदा याद आया कि दरिया पर लाठी मारने से उसमें रास्ते पैदा हो जायेंगे और फ़ौरन दरिया पर अपनी लाठी मारी। यह वह वक़्त था कि बनी इस्राईल के पिछले हिस्सों से फ़िरऔ़नी फ़ौजों के अगले हिस्से तक़रीबन मिल चुके थे। हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के मोजिज़े से दरिया के अलग-अलग टुकड़े होकर अल्लाह के वायदे के मुताबिक़ बारह रास्ते बन गये और मूसा अ़लैहिस्सलाम और तमाम बनी इस्राईल उन रास्तों से गुज़र गये। फ़िरऔ़नी फ़ौजें जो इनका पीछा करने में थीं उन्होंने दरिया में रास्ते देखकर इनका पीछा करते हुए अपने घोड़े और प्यादे डाल दिये तो दरिया के ये मुख़्तलिफ़ टुकड़े अल्लाह के हुक्म से फिर आपस में मिल गये। जब मूसा अ़लैहिस्सलाम और बनी इस्राईल दूसरे किनारे पर पहुँच गये तो उनके साथियों ने कहा कि हमें यह ख़तरा है कि फ़िरऔ़न उनके साथ ग़र्क़ न हुआ हो और उसने अपने आपको बचा लिया हो, तो मूसा अ़लैहिस्सलाम ने दुआ़ फ़रमाई कि फ़िरऔ़न की हलाकत हम पर ज़ाहिर कर दीजिये। अल्लाह की क़ुदरत ने फ़िरऔ़न की मुर्दा लाश को दरिया से बाहर फेंक दिया और सब ने उसकी हलाकत को अपनी आँखों से देख लिया।

उसके बाद ये बनी इस्राईल मूसा अ़लैहिस्सलाम के साथ आगे चले तो रास्ते में उनका गुज़र एक क़ौम पर हुआ जो अपने बनाये हुए बुतों की इबादत और पूजा कर रहे थे, तो ये बनी इस्राईल मूसा अ़लैहिस्सलाम से कहने लगे:

يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰـهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَo اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّاهُمْ فِيْهِ

यानी ऐ मूसा हमारे लिये भी कोई ऐसा ही माबूद बना दीजिए जैसे इन्होंने बहुत से माबूद बना रखे हैं। मूसा अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि तुम अ़जीब क़ौम हो कि ऐसी जहालत की बातें करते हो, ये लोग जो बुतों की इबादत में मशग़ूल हैं इनकी इबादत बरबाद होने वाली है। (मूसा अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाया) कि तुम अपने परवर्दिगार के इतने मोजिज़े और अपने ऊपर इनामात देख चुके हो फिर भी तुम्हारे ये जाहिलाना ख़्यालात नहीं बदले। यह कहकर हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम मय अपने उन साथियों के यहाँ से आगे बढ़े और एक मक़ाम पर जाकर उनको ठहरा दिया, और फ़रमाया तुम सब यहाँ ठहरो, मैं अपने रब के पास जाता हूँ, तीस दिन के बाद वापस आ जाऊँगा और मेरे पीछे हारून अ़लैहिस्सलाम मेरे नायब व ख़लीफ़ा रहेंगे, हर काम में उनकी फ़रमाँबरदारी करना।

मूसा अलैहिस्सलाम इनसे रुख़्सत होकर तूर पहाड़ पर तशरीफ़ ले गये और (अल्लाह के इशारे से) तीस दिन रात का लगातार रोज़ा रखा ताकि उसके बाद अल्लाह के कलाम से मुस्तफ़ीद हो सकें (फ़ैज़ उठा सकें) मगर तीस दिन रात के लगातार रोज़े से जो एक क़िस्म की बू रोज़ेदार के मुँह में हो जाती है यह फ़िक्र हुई कि इस बू के साथ अल्लाह तआ़ला से हमकलामी का सम्मान नामुनासिब है, तो पहाड़ी घास के ज़रिये मिस्वाक करके मुँह साफ़ कर लिया। जब अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हुए तो अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से इरशाद हुआ कि तुमने इफ़्तार क्यों कर लिया (और अल्लाह तआ़ला को मालूम था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ खाया पिया नहीं बल्कि सिर्फ़ मुँह साफ़ कर लेने को पैग़म्बराना विशेषता की बिना पर इफ़्तार करने से ताबीर फ़रमाया) मूसा अलैहिस्सलाम ने इस हक़ीक़त को समझकर अ़र्ज़ किया कि ऐ मेरे परवर्दिगार मुझे यह ख़्याल हुआ कि आप से हमकलाम होने के लिये मुँह की बू दूर करके साफ़ कर लूँ। हुक्म हुआ कि मूसा! क्या तुम्हें ख़बर नहीं कि रोज़ेदार के मुँह की बू हमारे नज़दीक मुश्क की ख़ुशबू से भी ज़्यादा महबूब है, अब आप लौट जाईये और दस दिन और रोज़े रखिये फिर हमारे पास आईये। मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील की।

उधर जब मूसा अलैहिस्सलाम की क़ौम बनी इस्राईल ने देखा कि निर्धारित मुद्दत तीस दिन गुज़र गये और मूसा अलैहिस्सलाम वापस नहीं आये तो उनको यह बात नागवार हुई, इधर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम के रुख़्सत होने के बाद अपनी क़ौम में एक ख़ुतबा दिया कि क़ौमे फ़िरऔन के लोगों की बहुत सी चीज़ें जो तुमने माँगे के तौर पर ले रखी थीं या उन्होंने तुम्हारे पास अमानत के तौर पर रखवा रखी थीं वो सब तुम अपने साथ ले आये हो, अगरचे तुम्हारी भी बहुत सी चीज़ें क़ौमे फ़िरऔन के पास माँगे तौर पर या अमानत के तौर पर थीं और आप लोग ये समझ रहे हैं कि उनकी ये चीज़ें हमारी चीज़ों के मुआवज़े में हमने रख ली हैं, मगर मैं इसको हलाल नहीं समझता कि उनकी माँगे का या अमानत का सामान तुम अपने इस्तेमाल में लाओ और हम उसको वापस भी नहीं कर सकते, इसलिये एक गड्ढ़ा खुदवाकर सब को हुक्म दिया कि ये चीज़ें चाहे ज़ेवरात हों या दूसरी इस्तेमाली चीज़ें सब इस गड्ढ़े में डाल दो। (उन लोगों ने इसकी तामील की) हारून अलैहिस्सलाम ने इस सारे सामान के ऊपर आग जलवा दी जिससे यह सब सामान जल गया और फ़रमाया कि अब यह न हमारा रहा न उनका।

उनके साथ एक शख़्स सामरी एक ऐसी क़ौम का फ़र्द था जो गाय की पूजा किया करते थे। यह बनी इस्राईल में से न था मगर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इस्राईल मिस्र से निकले तो यह भी उनके साथ हो लिया, इसको यह अजीब इत्तिफ़ाक़ पेश आया कि इसने (जिब्रील अलैहिस्सलाम) का एक असर देखा (यानी जहाँ उनका क़दम पड़ता है उसमें ज़िन्दगी और ग्रोथ पैदा हो जाती है) उसने उस जगह से एक मुट्ठी मिट्टी को उठा लिया, उसको हाथ में लिये हुए आ रहा था कि हारून अलैहिस्सलाम से मुलाक़ात हुई, हारून अलैहिस्सलाम ने ख़्याल किया कि इसकी मुट्ठी में कोई फ़िरऔनी ज़ेवर वग़ैरह है, उससे कहा कि जिस तरह सबने इस गड्ढ़े में डाला है तुम भी डाल दो। उसने कहा यह तो उस रसूल (जिब्रील) के क़दम के निशान की मिट्टी है जिसने तुम्हें दरिया से पार कराया है और मैं इसको किसी तरह न डालूँगा सिवाय इसके कि आप यह दुआ़ करें कि मैं जिस

मक़सद के लिये डालूँ वह मक़सद पूरा हो जाये। हारून अ़लैहिस्सलाम ने दुआ़ का वायदा कर लिया उसने वह मुट्ठी मिट्टी की उस गड्ढे में डाल दी और वायदे के मुताबिक़ हारून अ़लैहिस्सलाम ने दुआ़ की कि या अल्लाह! जो कुछ सामरी चाहता है वह पूरा कर दीजिए। जब वह दुआ़ कर चुके तो सामरी ने कहा कि मैं तो यह चाहता हूँ कि यह सोना, चाँदी, लोहा, पीतल जो कुछ इस गड्ढे में डाला गया है एक गाय का बछड़ा बन जाये। हारून अ़लैहिस्सलाम दुआ़ कर चुके थे और वह क़ुबूल हो चुकी थी, जो कुछ ज़ेवरात और ताँबा पीतल लोहा उसमें डाला गया था सब का एक बछड़ा बन गया जिसमें कोई रूह तो न थी मगर गाय की तरह आवाज़ निकालता था। हज़रत इब्ने अ़ब्बास ने इस रिवायत को नक़ल करते हुए फ़रमाया कि वल्लाह वह कोई ज़िन्दा आवाज़ नहीं थी बल्कि हवा उसके पिछले हिस्से से दाख़िल होकर मुँह से निकलती थी उससे यह आवाज़ पैदा होती थी।

यह अजीब व ग़रीब क़िस्सा देखकर बनी इस्राईल कई फ़िर्क़ों में बंट गये-- एक फ़िर्क़े ने सामरी से पूछा कि यह क्या है? उसने कहा यही तुम्हारा ख़ुदा है, लेकिन मूसा अ़लैहिस्सलाम रास्ता भूलकर दूसरी तरफ़ चले गये। एक फ़िर्क़े ने यह कहा कि हम सामरी की इस बात को उस वक़्त तक नहीं झुठला सकते जब तक मूसा अ़लैहिस्सलाम असल हक़ीक़त बतलायें, अगर वास्तव में यही हमारा ख़ुदा है तो हम इसकी मुख़ालफ़त करके गुनाहगार नहीं होंगे, और यह ख़ुदा नहीं तो हम मूसा अ़लैहिस्सलाम के क़ौल की पैरवी करेंगे।

एक और फ़िर्क़े ने कहा कि यह सब शैतानी धोखा है, यह हमारा रब नहीं हो सकता, न हम इस पर ईमान ला सकते हैं न इसकी तस्दीक़ कर सकते हैं। एक और फ़िर्क़े के दिल में सामरी की बात उतर गयी और उसने सामरी की तस्दीक़ करके उसको अपना ख़ुदा मान लिया।

हज़रत हारून अ़लैहिस्सलाम ने यह ज़बरदस्त बिगाड़ व ख़राबी देखी तो फ़रमायाः

يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِيْ ۝

यानी ऐ मेरी क़ौम तुम फ़ितने में पड़ गये हो, बिला शुब्हा तुम्हारा रब और ख़ुदा तो रहमान है, तुम मेरा इत्तिबा करो और मेरा हुक्म मानो। उन्होंने कहा कि यह बतलाईये कि मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को क्या हुआ कि हमसे तीस दिन का वायदा करके गये थे और वायदा ख़िलाफ़ी की, यहाँ तक कि अब चालीस दिन पूरे हो रहे हैं। उनमें के कुछ बेवक़ूफ़ों ने कहा कि मूसा अ़लैहिस्सलाम अपने रब को भूल गये उसकी तलाश में फिरते होंगे।

उस तरफ़ जब चालीस रोज़े पूरे करने के बाद मूसा अ़लैहिस्सलाम को हमकलामी का सम्मान नसीब हुआ तो अल्लाह तआ़ला ने उनको उस फ़ितने की ख़बर दी जिसमें उनकी क़ौम मुब्तला हो गयी थीः

فَرَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا.

मूसा अ़लैहिस्सलाम वहाँ से बड़े ग़ुस्से और अफ़सोस की हालत में वापस आये और आकर वह बातें फ़रमायीं जो क़ुरआन में तुमने पढ़ी हैं:

وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗٓ اِلَيْهِ.

यानी मूसा अ़लैहिस्सलाम ने इस गुस्से में अपने भाई हारून के सर के बाल पकड़कर अपनी तरफ़ खींचे और 'तौरात की तख़्तियाँ' जो कि तूर पहाड़ से साथ लाये थे हाथ में से रख दीं, फिर गुस्सा उतरने के बाद भाई का उज़्र सही मालूम करके उसको क़ुबूल किया और उनके लिये अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया, फिर सामरी के पास गये और उससे कहा कि तूने यह हरकत क्यों की? उसने जवाब दियाः

قَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ.

यानी मैंने रसूल (जिब्रील) के क़दम के निशान की मिट्टी उठा ली थी और मैंने समझ लिया था (कि यह जिस चीज़ पर डाली जायेगी उसमें ज़िन्दगी के आसार पैदा हो जायेंगे) मगर मैंने तुम लोगों से इस बात को छुपाये रखाः

فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِيْ.

यानी मैंने उस मिट्टी को (ज़ेवरात वग़ैरह के ढेर पर डाल दिया) मेरे नफ़्स ने मेरे लिये यह काम पसन्दीदा शक्ल में दिखलायाः

قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ وَانْظُرْ اِلٰۤى اِلٰهِكَ الَّذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا○

यानी मूसा अ़लैहिस्सलाम ने सामरी को फ़रमाया कि जा, अब तेरी सज़ा यह है कि तू ज़िन्दगी भर यह कहता फिरे कि मुझे कोई न छुए (वरना वह भी अ़ज़ाब में गिरफ़्तार हो जायेगा)। और तेरे लिये एक निर्धारित मियाद है जिसके ख़िलाफ़ नहीं होगा, कि ज़िन्दगी में तू यह अ़ज़ाब चखता रहे। और देख अपने उस माबूद को जिसकी तूने पूजा की है हम उसको आग में जलायेंगे फिर उसकी राख को दरिया में बहा देंगे, अगर यह ख़ुदा होता तो हमको इस अ़मल पर क़ुदरत न होती।

उस वक़्त बनी इस्राईल को यक़ीन आ गया कि हम फ़ितने में मुब्तला हो गये थे और सब को उस जमाअ़त पर रश्क होने लगा (यानी उनको अच्छा समझने लगे) जिसकी राय हज़रत हारून के मुताबिक़ थी (यानी यह हमारा ख़ुदा नहीं हो सकता)। बनी इस्राईल को अपने इस ज़बरदस्त गुनाह पर आगाही हुई तो मूसा अ़लैहिस्सलाम से कहा कि अपने रब से दुआ़ कीजिए कि हमारे लिये तौबा का दरवाज़ा खोल दे, जिससे हमारे गुनाह का कफ़्फ़ारा हो जाये।

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने इस काम के लिये बनी इस्राईल में से सत्तर ऐसे नेक लोगों का चयन किया जो पूरी क़ौम में नेकी और अच्छाई में नुमायाँ थे और जो उनके इल्म में गौसाला परस्ती से भी दूर रहे थे। इस चयन में बड़ी छानबीन से काम लिया। बनी इस्राईल के उन सत्तर चुनिन्दा नेक लोगों को साथ लेकर तूर पहाड़ की तरफ़ चले ताकि अल्लाह तआ़ला से उनकी तौबा क़ुबूल करने के बारे में अ़र्ज़ करें। मूसा अ़लैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर पहुँचे तो ज़मीन में ज़लज़ला आया जिससे मूसा अ़लैहिस्सलाम को बड़ी शर्मिन्दगी इस वफ़्द के सामने हुई और क़ौम के सामने भी। इसलिये अ़र्ज़ कियाः

رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّا.

यानी ऐ मेरे परवर्दिगार! अगर आप इनको हलाक ही करना चाहते थे तो इस वफ़्द (जमाअ़त व मण्डल) में आने से पहले हलाक कर देते और मुझे भी इनके साथ हलाक कर देते, क्या आप हम सबको इसलिये हलाक करते हैं कि हम में कुछ बेवक़ूफ़ों ने गुनाह किया है। और दर असल वजह इस ज़लज़ले की यह थी कि उस वफ़्द में भी हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम की तहक़ीक़ व तफ़तीश के बावजूद कुछ लोग उनमें से शामिल हो गये थे जो पहले गौसाला परस्ती कर चुके थे और उनके दिलों में गौसाला की बड़ाई व इज़्ज़त बैठी हुई थी।

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम की इस दुआ़ व फ़रियाद के जवाब में इरशाद हुआः

وَرَحْمَتِیْ وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ فَسَاَکْتُبُهَا لِلَّذِیْنَ یَتَّقُوْنَ وَیُؤْتُوْنَ الزَّکٰوةَ وَالَّذِیْنَ هُمْ بِاٰیٰتِنَا یُؤْمِنُوْنَ ○ الَّذِیْنَ یَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِیَّ الْاُمِّیَّ الَّذِیْ یَجِدُوْنَهٗ مَکْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِی التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِیْلِ.

यानी अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि मेरी रहमत तो सब को शामिल है और मैं बहुत जल्दी लिखूँगा अपनी रहमत (का परवाना) उन लोगों के लिये जो तक़्वा इख़्तियार करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं और जो इत्तिबा करते हैं उस रसूले उम्मी का जिसका ज़िक्र लिखा हुआ पाते हैं अपने पास तौरात और इंजील में।

यह सुनकर मूसा अ़लैहिस्सलाम ने अ़र्ज़ किया— ऐ मेरे परवर्दिगार! मैंने आप से अपनी क़ौम की तौबा के बारे में अ़र्ज़ किया था, आपने जवाब में रहमत का अ़ता फ़रमाना मेरी क़ौम के अ़लावा दूसरी क़ौम के मुताल्लिक़ इरशाद फ़रमाया, तो फिर आपने मेरी पैदाईश को लेट क्यों न कर दिया कि मुझे भी उसी नबी-ए-उम्मी की रहमत की हक़दार उम्मत के अन्दर पैदा फ़रमा देते। इस पर अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से बनी इस्राईल की तौबा क़ुबूल होने का एक तरीक़ा इरशाद हुआ कि उनकी तौबा क़ुबूल होने की सूरत यह है कि उनमें से हर शख़्स अपने मुताल्लिक़ीन में से बाप या बेटे जिससे मिले उसको तलवार से क़त्ल कर दे, उसी जगह में जहाँ यह गौसाला परस्ती का गुनाह किया था।

उस वक़्त मूसा अ़लैहिस्सलाम के वे साथी जिनका हाल मूसा अ़लैहिस्सलाम को मालूम न था और उनको बेक़सूर नेक समझकर साथ लिया था मगर दर हक़ीक़त उनके दिल में गौसाला परस्ती का जज़्बा अब तक था, वे भी अपने दिल में शर्मिन्दा होकर तायब हो गये और उन्होंने इस सख़्त हुक्म पर अ़मल किया जो उनकी तौबा क़ुबूल करने के लिये बतौर कफ़्फ़ारा नाफ़िज़ किया था (यानी अपने क़रीबी और रिश्तेदारों का क़त्ल), और जब उन्होंने यह अ़मल कर लिया तो अल्लाह तआ़ला ने क़ातिल व मक़्तूल दोनों की ख़ता माफ़ फ़रमा दी, उसके बाद हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने तौरात की तख़्तियाँ जिनको गुस्से में हाथ से रख दिया था उठाकर अपनी क़ौम को लेकर पवित्र सरज़मीन (मुल्क शाम) की तरफ़ चल दिये, वहाँ एक ऐसे शहर पर पहुँचे जिस पर जब्बारीन का क़ब्ज़ा था, जिनकी शक्ल व सूरत और क़द व क़ामत भी हैबतनाक थी, उनके ज़ुल्म व ज़्यादती और क़ुव्वत व बहादुरी के अ़जीब व ग़रीब क़िस्से उनसे कहे गये (मूसा अ़लैहिस्सलाम उस शहर में दाख़िल होना चाहते थे मगर बनी इस्राईल पर उन जब्बारीन के हालात सुनकर रौब छा गया और) कहने लगे ऐ मूसा इस शहर में तो बड़े जब्बार ज़ालिम लोग हैं जिनके मुक़ाबले की हम में ताक़त नहीं, और हम तो इस शहर में उस

वक़्त तक दाख़िल नहीं होंगे जब तक ये जब्बारीन वहाँ मौजूद हैं, हाँ ये यहाँ से निकल जायें तो फिर हम उस शहर में दाख़िल हो सकते हैं।

قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ.

इस रिवायत के रावियों में जो यज़ीद बिन हारून है उससे पूछा गया कि क्या इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने इस आयत की क़िराअत इसी तरह की है? यज़ीद बिन हारून ने कहा कि हाँ इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की क़िराअत यूँ ही है। 'रजुलानि मिनल्लज़ी-न यख़ाफ़ू-न' से मुराद क़ौमे जब्बारीन के दो आदमी हैं जो उस शहर में आकर हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम पर ईमान ले आये थे, उन्होंने बनी इस्राईल पर अपनी क़ौम का रौब तारी देखकर कहा कि हम अपनी क़ौम के हालात से ख़ूब वाक़िफ़ हैं तुम उनके डीलडोल, उनकी जसामत और उनकी भारी संख्या से डर रहे हो, हक़ीक़त यह है कि उनमें दिल (की क़ुव्वत) बिल्कुल नहीं और न मुक़ाबला करने की हिम्मत है, तुम ज़रा शहर के दरवाज़े तक चले चलो तो देख लेना कि (वे हथियार डाल देंगे) और तुम ही उन पर ग़ालिब आओगे।

और बाज़ लोगों ने 'रजुलानि मिनल्लज़ी-न यख़ाफ़ू-न' की तफ़सीर यह की है कि ये दो शख़्स हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ही की क़ौम बनी इस्राईल के थे।

قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّادَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ○

यानी बनी इस्राईल ने उन दोनों आदमियों की नसीहत सुनने के बाद भी मूसा अ़लैहिस्सलाम को कोरा जवाब इस बेहूदगी के साथ दिया कि ऐ मूसा! हम तो उस शहर में उस वक़्त तक हरगिज़ न जायेंगे जब तक जब्बारीन वहाँ मौजूद हैं, अगर आप उनका मुक़ाबला ही करना चाहते हैं तो आप और आपका रब जाकर उनसे लड़भिड़ लीजिए हम तो यहीं बैठे हैं।

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम अपनी क़ौम बनी इस्राईल पर हक़ तआ़ला के बेशुमार इनामात के साथ हर क़दम पर उनकी सरकशी और बेहूदगी का तजुर्बा करते आ रहे थे मगर इस वक़्त तक सब्र व संयम से काम लेते रहे, कभी उनके लिये बद्दुआ़ नहीं की, इस वक़्त उनके इस बेहूदा जवाब से वह बहुत दिल-शिकस्ता और ग़मगीन हो गये और उनके लिये बद्दुआ की। उनके हक़ में **फ़ासिक़ीन** के अलफ़ाज़ इस्तेमाल फ़रमाये। हक़ तआ़ला ने मूसा अ़लैहिस्सलाम की दुआ़ क़ुबूल फ़रमा ली और उनको अल्लाह तआ़ला ने भी फ़ासिक़ीन का नाम दे दिया और इस पवित्र सरज़मीन से इन लोगों को चालीस साल के लिये मेहरूम कर दिया और उस खुले मैदान में उनको ऐसा क़ैद कर दिया कि सुबह से शाम तक चलते रहते थे कहीं क़रार न था। मगर चूँकि अल्लाह के रसूल मूसा अ़लैहिस्सलाम भी उनके साथ थे उनकी बरकत और तुफ़ैल से इस फ़ासिक़ क़ौम पर इस सज़ा के दौरान भी अल्लाह तआ़ला की बहुत सी नेमतें बरसती रहीं कि उस मैदाने तीह में ये जिस तरफ़ चलते थे बादल इनके सरों पर साया कर देता था, इनके खाने के लिये मन्न व सलवा नाज़िल होते थे, इनके कपड़े चमत्कारी अन्दाज़ से न मैले होते थे न फटते थे। और इनको एक चौकोर पत्थर अ़ता फ़रमा दिया था और मूसा अ़लैहिस्सलाम को हुक्म दे दिया था कि जब इनको पानी की ज़रूरत हो तो उस पत्थर पर अपनी

लाठी मारो तो उसमें से बारह चश्मे जारी हो जाते थे, पत्थर की हर जानिब से तीन चश्मे बहने लगते थे और बनी इस्राईल के बारह क़बीलों में ये चश्मे मुतैयन करके तक़सीम कर दिये गये थे ताकि आपस में झगड़ा न पैदा हो, और जब भी ये लोग किसी मक़ाम से सफ़र करते और फिर कहीं जाकर मन्ज़िल करते तो उस पत्थर को वहीं मौजूद पाते थे। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने इस हदीस को मरफ़ूअ़ करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इरशाद क़रार दिया है और मेरे नज़दीक यह दुरुस्त है क्योंकि हज़रत मुआ़विया रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु को यह हदीस रिवायत करते हुए सुना तो इस बात को मुन्कर और ग़लत क़रार दिया जो इस हदीस में आया है कि हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने जिस क़िब्ती को क़त्ल किया था और उसका सुराग़ क़ौमे फ़िरऔ़न को नहीं मिल रहा था तो उसकी मुख़बिरी उस दूसरे फ़िरऔ़नी शख़्स ने की जिससे दूसरे दिन यह इस्राईली लड़ रहा था। वजह यह थी कि उस फ़िरऔ़नी को तो कल के क़त्ल के वाक़िए का इल्म नहीं था, वह उसकी मुख़बिरी कैसे कर सकता था, इसकी ख़बर तो सिर्फ़ उसी लड़ने वाले इस्राईली को मालूम थी।

जब हज़रत मुआ़विया रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने उनकी हदीस के इस वाक़िए का इनकार किया तो इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु को गुस्सा आया और हज़रत मुआ़विया रज़ियल्लाहु अ़न्हु का हाथ पकड़कर सअ़द बिन मालिक ज़ोहरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु के पास ले गये और उनसे कहा कि ऐ अबू इस्हाक़! क्या तुम्हें याद है जब हम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मूसा अ़लैहिस्सलाम के हाथ से क़त्ल होने वाले के बारे में हदीस बयान फ़रमाई। उस राज़ को ज़ाहिर करने वाला और फ़िरऔ़न के पास मुख़बिरी करने वाला इस्राईली था या फ़िरऔ़नी? सअ़द बिन मालिक ने फ़रमाया कि फ़िरऔ़नी था, क्योंकि उसने इस्राईली से यह सुन लिया था कि कल का क़त्ल का वाक़िआ़ मूसा अ़लैहिस्सलाम के हाथ से हुआ था, उसने इसकी गवाही फ़िरऔ़न के पास दे दी। इमाम नसाई ने यह पूरी लम्बी हदीस अपनी किताब 'सुनने कुबरा' की किताबुत्तफ़सीर में नक़ल फ़रमाई है।

और इस पूरी हदीस को इब्ने जरीर तबरी ने अपनी तफ़सीर में इब्ने अबी हातिम ने अपनी तफ़सीर में इसी यज़ीद बिन हारून की सनद से नक़ल करके कहा है कि यह हदीस मरफ़ूअ़ नहीं बल्कि इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु का अपना कलाम है जिसको उन्होंने कअ़ब बिन अहबार की उन इस्राईली रिवायतों से लिया है जिनके नक़ल करने और बयान करने को जायज़ रखा गया है। हाँ कहीं कहीं इस कलाम में मरफ़ूअ़ हदीस के जुमले भी शामिल हैं। इमाम इब्ने कसीर अपनी तफ़सीर में इस पूरी हदीस और इस पर उपरोक्त तहक़ीक़ व तस्दीक़ लिखने के बाद लिखते हैं कि हमारे शैख़ अबुल हज्जाज मिज़्ज़ी भी इब्ने जरीर और इब्ने अबी हातिम की तरह इस रिवायत को मौक़ूफ़ इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु का कलाम क़रार देते थे। (तफ़सीर इब्ने कसीर पेज 148 से 153 जिल्द 3)

मूसा अ़लैहिस्सलाम के उपर्युक्त क़िस्से से हासिल होने वाले परिणाम, नसीहतें, और अहम फ़ायदे

क़ुरआने करीम ने हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के क़िस्से का इस क़द्र एहतिमाम फ़रमाया है कि

अक्सर सूरतों में इसका कुछ न कुछ ज़िक्र आ ही जाता है। वजह यह है कि यह क़िस्सा हज़ारों इब्रतों (सबक़ और नसीहतों), हिक्मतों और ख़ुदा तआ़ला की कामिल क़ुदरत के अ़जीब निशानात पर मुश्तमिल है, जिससे इनसान का ईमान पुख़्ता होता है और इसमें अ़मली और अख़्लाक़ी हिदायतें भी बेशुमार हैं। चूँकि इस जगह यह क़िस्सा पूरी तफ़सील के साथ आ गया है तो मुनासिब मालूम हुआ कि इसके अंतर्गत आई हुई इब्रतों, नसीहतों और हिदायतों का कुछ हिस्सा भी लिख दिया जाये।

फ़िरऔ़न की अहमक़ाना तदबीर और उस पर अल्लाह की क़ुदरत का हैरत-अंगेज़ मामला

फ़िरऔ़न को जब यह मालूम हुआ कि बनी इस्राईल में कोई लड़का पैदा होगा जो फ़िरऔ़न की सल्तनत के ज़वाल (पतन और ख़ात्मे) का सबब बनेगा तो इस्राईली लड़कों की पैदाईश बन्द करने के लिये क़त्ले आ़म का हुक्म दे दिया। फिर अपनी मुल्की और ज़ाती मस्लेहत से एक साल के लड़कों को बाक़ी रखने और दूसरे साल के लड़कों के क़त्ल करने का फ़ैसला नाफ़िज़ कर दिया, अल्लाह तआ़ला को क़ुदरत थी कि मूसा अ़लैहिस्सलाम को उस साल में पैदा कर देते जो साल बच्चों को बाक़ी छोड़ने का था मगर क़ुदरत को मन्ज़ूर यह हुआ कि उस अहमक़ की इस ज़ालिमाना तदबीर को पूरी तरह उस पर उलट दिया जाये और उसको ख़ूब बेवक़ूफ़ बनाया जाये। इसलिये मूसा अ़लैहिस्सलाम को उस साल में पैदा फ़रमाया जो लड़कों के क़त्ल का साल था और अपनी कामिल हिक्मत से सूरत ऐसी पैदा कर दी कि मूसा अ़लैहिस्सलाम ख़ुद उस ज़ालिम के घर में परवरिश पायें। फ़िरऔ़न और उसकी बीवी ने हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को शौक़ व दिलचस्पी से अपने घर में पाला, सारे शहर के इस्राईली लड़के मूसा के शुब्हे में क़त्ल हो रहे थे और मूसा अ़लैहिस्सलाम ख़ुद फ़िरऔ़न के घर में आराम व सुकून और इज़्ज़त व सम्मान के साथ उनके ख़र्च पर परवरिश पा रहे थे।

मूसा अ़लैहिस्सलाम की वालिदा पर मोजिज़ाना इनाम और फ़िरऔ़नी तदबीर का एक और इन्तिक़ाम

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम अगर आ़म बच्चों की तरह किसी अन्ना का दूध क़ुबूल कर लेते तो उनकी परवरिश अपने दुश्मन फ़िरऔ़न के घर फिर भी आराम के साथ होती, मगर मूसा अ़लैहिस्सलाम की वालिदा उनकी जुदाई से परेशान रहतीं और मूसा अ़लैहिस्सलाम को भी किसी काफ़िर औ़रत का दूध मिलता। अल्लाह तआ़ला ने अपने पैग़म्बर को काफ़िर औ़रत के दूध से भी बचा लिया और उनकी वालिदा को भी जुदाई की परेशानी से निजात दी, और निजात भी इस तरह कि फ़िरऔ़न के घर वाले उनका एहसान उठाने वाले हुए, उन पर हदियों और तोहफ़ों की बारिश हुई और अपने ही महबूब बच्चे को दूध पिलाने पर फ़िरऔ़नी दरबार से मुआ़वज़ा भी मिला और आ़म मुलाज़िमों की तरह फ़िरऔ़न के घर में भी रहना न पड़ा। सो कैसी है अ़ज़ीम व बरकत वाली शान अल्लाह पाक की

जो सब बनाने वालों और पैदा करने वालों से बेहतर है।

उद्योग पतियों और कारोबारियों वग़ैरह के लिये एक ख़ुशख़बरी

एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इरशाद है कि जो उद्योग पति अपने उद्योग व हुनर में नीयत नेक सवाब की रखे उसकी मिसाल मूसा अ़लैहिस्सलाम की वालिदा जैसी हो जाती है कि अपने ही बच्चे को दूध पिला जायें और उसका दूसरों से मुआवज़ा लें। (इब्ने कसीर) मतलब यह है कि कोई राज मिस्त्री मस्जिद, ख़ानकाह, मदरसा या कोई उमूमी फ़ायदे (जनकल्याण) का इदारा तामीर करता है अगर उसकी नीयत सिर्फ़ अपनी मज़दूरी करने और पैसे कमाने की है तो उसको सिर्फ़ वही मिलेगा, और अगर उसने नीयत यह भी कर ली कि यह तामीरात नेक कामों में आयेंगी, इनसे दीनदारों को नफ़ा पहुँचेगा इसलिये दूसरी क़िस्म की तामीरात पर उनको तरजीह दी तो उसको मूसा अ़लैहिस्सलाम की माँ की तरह मज़दूरी भी मिलेगी और अपना दीनी फ़ायदा भी।

अल्लाह तआ़ला के ख़ास बन्दों को एक महबूबियत की शान अ़ता होती है कि हर देखने वाला उनसे मुहब्बत करता है

وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّیْ

इस आयत में इस तरफ़ इशारा फ़रमाया है कि हक़ तआ़ला अपने मख़्सूस बन्दों को एक ख़ास शान महबूबियत की अ़ता फ़रमा देते हैं, जिनको देखकर अपना पराया, दोस्त दुश्मन सब मुहब्बत करने लगते हैं। अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम का तो बड़ा मक़ाम है बहुत से औलिया-अल्लाह में भी इस महबूबियत को देखा जाता रहा है।

फ़िरऔ़नी काफ़िर शख़्स का क़त्ल जो मूसा अ़लैहिस्सलाम के हाथ से हो गया उसको ख़ता किस बिना पर क़रार दिया गया

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने एक इस्राईली मुसलमान से एक फ़िरऔ़नी काफ़िर को लड़ता हुआ देखकर फ़िरऔ़नी को मुक्का मारा जिससे वह मर गया, इसको हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने ख़ुद भी शैतानी अ़मल फ़रमाया और अल्लाह तआ़ला से इस ख़ता की माफ़ी तलब की, वह माफ़ भी कर दी गयी। मगर यहाँ एक फ़िक़्ही सवाल यह पैदा होता है कि यह फ़िरऔ़नी शख़्स एक काफ़िर हरबी था जिससे मूसा अ़लैहिस्सलाम का सुलह का कोई समझौता भी न था, न उसको ज़िम्मी काफ़िरों की फ़ेहरिस्त में दाख़िल किया जा सकता है जिनकी जान व माल और आबरू की हिफ़ाज़त मुसलमानों पर वाजिब होती है, यह तो हरबी (ईमान वाले से लड़ने वाला) काफ़िर था जिसका हुक्म इस्लामी शरीअ़त में यह है कि उसका ख़ून बहाना जायज़ है, उसका क़त्ल कोई गुनाह नहीं, फिर यहाँ इसको शैतानी अ़मल और ख़ता किस बिना पर क़रार दिया गया।

तफ़सीर की आ़म किताबों में किसी ने इस सवाल को नहीं छेड़ा, अहक़र जब सय्यिदी हकीमुल्-

उम्मत हज़रत मौलाना थानवी रह. के हुक्म से अहकामुल-क़ुरआन के लिखने में मशग़ूल था और उसमें यह वाक़िआ लिखने का मौक़ा आया तो हज़रत ने इस सवाल का जवाब यह दिया था कि अगरचे उस फ़िरऔ़नी शख़्स से डायरेक्ट सुलह का या ज़िम्मा का कोई स्पष्ट समझौता नहीं था मगर चूँकि उस वक़्त न हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम की हुकूमत थी न उस फ़िरऔ़नी की, बल्कि दोनों फ़िरऔ़न की हुकूमत के नागरिक थे और एक दूसरे की तरफ़ से मुत्मईन थे, यह एक क़िस्म का अ़मली मुआ़हदा था, फ़िरऔ़नी के क़त्ल में इस अ़मली मुआ़हदे (समझौते) की ख़िलाफ़वर्ज़ी हुई इसलिये इसको ख़ता क़रार दिया गया और यह ख़ता चूँकि जान-बूझकर नहीं बल्कि इत्तिफ़ाक़न हो गयी इसलिये मूसा अ़लैहिस्सलाम की नुबुव्वती हिफ़ाज़त के विरुद्ध नहीं।

सय्यिदी हज़रत 'हकीमुल-उम्मत' रह. इसी बिना पर संयुक्त हिन्दुस्तान में जबकि मुसलमान और हिन्दू दोनों अंग्रेज़ की हुकूमत में रहते थे किसी मुसलमान के लिये यह जायज़ न रखते थे कि वह किसी हिन्दू की जान व माल पर ज़ुल्म करे।

ज़ईफ़ों की इमदाद और मख़्लूक़ की ख़िदमत दीन व दुनिया के लिये नाफ़े और मुफ़ीद है

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने शहर मद्यन से बाहर कुएँ पर दो औ़रतों को देखा जो अपनी कमज़ोरी की बिना पर अपनी बकरियों को पानी नहीं पिला सकती थीं। ये औ़रतें बिल्कुल अजनबी और मूसा अ़लैहिस्सलाम एक मुसाफ़िर थे मगर ज़ईफ़ों और कमज़ोरों की इमदाद व ख़िदमत शराफ़त का तक़ाज़ा और अल्लाह के नज़दीक महबूब अ़मल था इसलिये उनके वास्ते मेहनत उठाई और उनकी बकरियों को पानी पिला दिया, इसका अज्र व सवाब तो अल्लाह के पास बड़ा है दुनिया में भी अल्लाह तआ़ला ने उनके इसी अ़मल को मुसाफ़िराना बेकसी और बेसरो-सामानी का ऐसा इलाज बना दिया जो उनकी अगली ज़िन्दगी उनकी शान के मुताबिक़ संवारने का ज़रिया बन गया कि हज़रत शुऐब अ़लैहिस्सलाम की ख़िदमत और उनकी दामादी का सम्मान हासिल हुआ, जवान होने के बाद जो काम उनकी वालिदा को करना था अल्लाह तआ़ला ने ग़ुर्बत (परदेस में होने) के आ़लम में अपने एक नबी के हाथ से अन्जाम दिलवाया।

दो पैग़म्बरों में अजीर और आजिर का मामला, उसकी हिक्मतें और अ़जीब फ़ायदे

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम हज़रत शुऐब अ़लैहिस्सलाम के मकान पर मेहमान होकर फ़िरऔ़नी सिपाहियों के ख़ौफ़ से मुत्मईन हुए तो हज़रत शुऐब अ़लैहिस्सलाम ने बेटी के मश्विरे पर उनको अपने यहाँ 'अजीर' (उजरत पर काम करने वाला) रखने का ख़्याल ज़ाहिर फ़रमाया, इसमें अल्लाह तआ़ला की बड़ी हिक्मतें और अल्लाह की मख़्लूक़ के लिये अहम हिदायतें हैं।

अव्वल यह कि शुऐब अ़लैहिस्सलाम अल्लाह तआ़ला के नबी व रसूल थे, एक परदेसी मुसाफ़िर की इतनी इमदाद उनसे कुछ बड़ी बात न थी कि कुछ समय के लिये अपने यहाँ बिना किसी ख़िदमत को मुआ़वज़े के तौर पर कराने के मेहमान रख लेते मगर ग़ालिबन उन्होंने पैग़म्बराना सूझ-बूझ से मूसा अ़लैहिस्सलाम का बुलन्द हौसले वाला होना मालूम करके यह समझ लिया था कि वह ज़्यादा समय तक मेहमानी क़ुबूल न करेंगे और किसी दूसरी जगह चले गये तो उनको तकलीफ़ होगी, इसलिये बेतकल्लुफ़ मामले की सूरत इख़्तियार कर ली जिसमें दूसरों के लिये भी यह हिदायत है कि किसी के घर जाकर अपना बोझ उस पर डालना शराफ़त के ख़िलाफ़ है।

दूसरे इसमें यह हिक्मत भी थी कि अल्लाह तआ़ला हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को नुबुव्वत व रिसालत से सम्मानित करना चाहते थे जिसके लिये अगरचे कोई मुजाहदा व अ़मल न शर्त है और न वह किसी अ़मल व कोशिश के ज़रिये हासिल की जा सकती है, वह तो ख़ालिस अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से अ़तीया और इनाम होता है, मगर अल्लाह का दस्तूर यह है कि वह अपने पैग़म्बरों को भी मुजाहदों और मेहनत व मशक़्क़त के दौर से गुज़ारते हैं जो इनसानी अख़्लाक़ के पूरा करने का ज़रिया और दूसरों की इस्लाह (सुधार) का बड़ा सबब बनता है। मूसा अ़लैहिस्सलाम की ज़िन्दगी उस वक़्त तक शाहाना सम्मान व इकराम में गुज़री थी, आगे उनको अल्लाह की मख़्लूक़ के लिये हादी व रहबर और उनका सुधारक बनना था, हज़रत शुऐब अ़लैहिस्सलाम के साथ इस मज़दूरी व मेहनत के मुआ़हदे में उनकी अख़्लाक़ी तरबियत का राज़ भी छुपा था। इसी हज़रत शुऐब के पास चन्द साल रहने के बाद वापसी में अल्लाह तआ़ला ने वह रात इनायत फ़रमाई जो तूर पहाड़ के दामन में उनके लिये पैग़म्बरी के लिये आँखें बिछाये बैठी थी।

तीसरे जो ख़िदमत उनसे ली गयी वह बकरियाँ चराने की थी, यह अ़जीब बात है कि यह काम अक्सर अम्बिया-ए-किराम से लिया गया है। शायद इसमें यह राज़ भी हो कि बकरी ऐसा जानवर है जो गल्ले से आगे पीछे भागने का आ़दी होता है, जिस पर चराने वाले को बार-बार गुस्सा आता है, उस गुस्से के नतीजे में अगर वह उस भागने वाली बकरी से नज़र फेर ले तो बकरी हाथ से गई, वह किसी भेड़िये का लुक़्मा बनेगी और अपनी मर्ज़ी के ताबे चलाने के लिये उसको मार-पीट करे तो वह कमज़ोर इतनी है कि ज़रा चोट मारो तो टाँग टूट जाये, इसलिये चरवाहे को बड़े सब्र व बरदाश्त से काम लेना पड़ता है। अल्लाह की आ़म मख़्लूक़ का भी अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के साथ ऐसा ही हाल होता है जिसमें अम्बिया न उनसे नज़र हटा सकते हैं और न ज़्यादा सख़्ती करके उनको रास्ते पर ला सकते हैं, सब्र व बरदाश्त ही को अपनी आ़दत बनाना पड़ता है।

किसी को कोई ओ़हदा और नौकरी सुपुर्द करने के लिये बेहतरीन उसूल व क़ायदा

इस क़िस्से में शुऐब अ़लैहिस्सलाम की बेटी ने जो अपने वालिद को यह मश्विरा दिया कि इनको मुलाज़िम रख लिया जाये। इस मश्विरे की दलील यह बयान फ़रमाई कि बेहतरीन 'अजीर' (मुलाज़िम)

वह शख़्स हो सकता है जो ताक़तवर भी हो, अमानतदार भी। ताक़तवर से मुराद उस काम की क़ुव्वत व सलाहियत वाला होना है जो काम उसके सुपुर्द करना है, और अमानतदार से मुराद यह है कि उसकी पीछे की ज़िन्दगी के हालात उसकी ईमानदारी व सच्चाई पर गवाह हों। आजकल विभिन्न मुलाज़मतों और सरकारी व ग़ैर-सरकारी ओहदों के लिये चयन का जो उसूल रखा जाता है और दरख़्वास्त देने वाले में जिन गुणों और ख़ूबियों को देखा जाता है अगर ग़ौर करें तो सब के सब इन दो लफ़्ज़ों में जमा हैं बल्कि उनकी विस्तृत शर्तें में भी यह पूर्णता और जामे व मुकम्मल होना उमूमन नहीं होता, क्योंकि ईमानदारी व सच्चाई की तो कहीं तलाश व ध्यान ही नहीं आता, सिर्फ़ अ़मली क़ाबलियत (काम करने की योग्यता) की डिग्रियाँ मेयार होती हैं, और आजकल जहाँ कहीं सरकारी व ग़ैर-सरकारी इदारों (संस्थाओं और कम्पनियों वग़ैरह) के निज़ाम में ख़राबी और कमज़ोरी पाई जाती है वह ज़्यादातर इसी ईमानदारी के उसूल को नज़र-अन्दाज़ करने का नतीजा होता है। क़ाबिल और अ़क़्लमन्द आदमी जब अमानत व दियानत से कोरा होता है तो फिर वह कामचोरी और रिश्वत ख़ोरी के भी ऐसे-ऐसे रास्ते निकाल लेता है कि किसी क़ानून की पकड़ में न आ सके। इसी ने आज दुनिया के ज़्यादातर सरकारी व ग़ैर-सरकारी इदारों (विभागों) को बेकार बल्कि नुक़सानदेह बना रखा है। इस्लामी निज़ाम में इसी लिये इसको बड़ी अहमियत दी गयी है जिसकी बरकतें दुनिया ने सदियों तक देखी हैं।

जादूगरों और पैग़म्बरों के मामलात में खुला हुआ फ़र्क़

फ़िरऔन ने जिन जादूगरों को जमा किया था और पूरे मुल्क व क़ौम का ख़तरा उनके सामने रख कर काम करने को कहा था, उसका तक़ाज़ा यह था कि वे ख़ुद अपना काम समझकर इस ख़िदमत को दिल व जान से अन्जाम देते, मगर वहाँ हुआ यह कि ख़िदमत शुरू करने से पहले सौदेबाज़ी शुरू कर दी कि हमें क्या मिलेगा।

इसके मुक़ाबले में तमाम अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम का आ़म ऐलान यह होता है:

وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ.

यानी मैं तुमसे अपनी ख़िदमत का कोई मुआवज़ा नहीं माँगता। और अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की तब्लीग़ व दावत के प्रभावी और असरदार होने में उनके इस बेग़र्ज़ होने का बड़ा दख़ल है। जब से दीन के उलेमा, फ़तवा देने वाले हज़रात और दीनी बयान व वअ़ज़ करने वाले हज़रात की ख़िदमत का इन्तिज़ाम इस्लामी बैतुल-माल में नहीं रहा, उनको अपनी तालीम और वअ़ज़ व इमामत पर तन्ख़्वाह लेने की मजबूरी पेश आई, वह अगरचे बाद के उलेमा व फ़ुक़हा के नज़दीक मजबूरी के दर्जे में जायज़ क़रार दी गयी, मगर इसमें शुब्हा नहीं कि इस मुआवज़ा लेने का असर तब्लीग़ व दावत और मख़्लूक़ की इस्लाह पर बहुत ही बुरा हुआ, जिसने उनकी कोशिशों का फ़ायदा बहुत ही कम कर दिया।

फ़िरऔनी जादूगरों के जादू की हक़ीक़त

उन लोगों ने अपनी लाठियों और रस्सियों को बज़ाहिर साँप बनाकर दिखलाया था। क्या वो वाक़ई साँप बन गयी थीं? इसके बारे में क़ुरआन के अलफ़ाज़ 'युख़य्यलु इलैहि मिन् सिहरिहिम् अन्नहा

तस्आ' से यह मालूम होता है कि वो हक़ीक़त में साँप नहीं बनी थीं बल्कि यह एक किस्म का ख़्याली असर था जिसने वहाँ मौजूद लोगों के ख़्यालात पर असर डाल करके एक किस्म की नज़र-बन्दी कर दी कि हाज़िर लोगों को वो चलते फिरते साँप दिखाई देने लगे।

इससे यह लाज़िम नहीं आता कि किसी जादू से किसी चीज़ की हक़ीक़त तब्दील ही नहीं हो सकती, इतना मालूम होता है कि उन जादूगरों का जादू हक़ीक़त को बदल देने के दर्जे का नहीं था।

सामाजिक मामलात की हद तक क़बाईली तक़सीम कोई बुरा काम नहीं

इस्लाम ने वतनी, भाषायी, ख़ानदानी, क़बाईली तक़सीमों को क़ौमियत की बुनियाद बनाने पर सख़्त नकीर (रद्द) किया है और इन विभाजनों को मिटाने की हर क़दम हर काम में कोशिश की है बल्कि इस्लामी सियासत की बुनियाद ही इस्लामी दीनी क़ौमियत है, जिसमें अ़रबी, ग़ैर-अ़रबी, हब्शी, फ़ारसी, हिन्दी, सिन्धी सब एक क़ौम के अफ़राद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मदीना में इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखने के लिये सबसे पहला काम मुहाजिरीन व अन्सार सहाबा में एकता और भाईचारा क़ायम करने से शुरू फ़रमाया था, और हज्जतुल-विदा के ख़ुतबे में क़ियामत तक के लिये यह क़ानून व दस्तूर दे दिया था कि इलाक़ाई (क्षेत्रीय) और नसबी (ख़ानदानी) और लिसानी (भाषायी) पहचानें सब बुत हैं जिनको इस्लाम ने तोड़ डाला है, लेकिन सामाजिक मामलात में एक हद तक इन पहचानों, विशेषताओं और फ़र्क़ की रियायत को गवारा किया गया है, क्योंकि खाने-पीने रहने-सहने के तरीक़े विभिन्न क़बीलों और विभिन्न देशों व वतनों के अलग-अलग होते हैं, उसके ख़िलाफ़ करना सख़्त तकलीफ़ का सबब है।

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम जिन बनी इस्राईलियों को मिस्र से साथ लेकर निकले थे उनके बारह क़बीले थे, हक़ तआ़ला ने उन क़बीलों की विशेषताओं को सामाजिक और रहन-सहन के मामले में जायज़ रखा और दरिया में भी जो रास्ते बतौर मोजिज़े के पैदा फ़रमाये तो बारह रास्ते अलग-अलग हर क़बीले के लिये पैदा फ़रमाये। इसी तरह तीह की वादी में जिस पत्थर से बतौर मोजिज़े के पानी के चश्मे जारी होते थे वो भी बारह होते थे, ताकि क़बीलों में टकराव न हो, हर एक क़बीला अपना मुक़र्ररा पानी हासिल करे। वल्लाहु आलम

जमाअ़ती इन्तिज़ाम के लिये ख़लीफ़ा और नायब बनाना

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने जब एक महीने के लिये अपनी क़ौम से अलग होकर तूर पहाड़ पर इबादत में मशग़ूल होना चाहा तो हारून अ़लैहिस्सलाम को अपना ख़लीफ़ा और नायब बनाकर सब को हिदायत की कि मेरे पीछे सब इनकी इताअ़त करना ताकि आपस में झगड़ा और मतभेद न फूट पड़े। इससे मालूम हुआ कि किसी जमाअ़त या ख़ानदान का बड़ा अगर कहीं सफ़र पर जाये तो नबियों की सुन्नत यह है कि किसी को अपना क़ायम-मक़ाम ख़लीफ़ा बना जाये जो उनके निज़ाम व व्यवस्था को

क़ायम रखे।

मुसलमानों की जमाअ़त में फूट पड़ने से बचने के लिये बड़ी से बड़ी बुराई को वक़्ती तौर पर बरदाश्त किया जा सकता है

बनी इस्राईल में हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम की ग़ैर-हाज़िरी के वक़्त जो गौसाला परस्ती का फ़ितना फूटा और उनके तीन फ़िर्क़े हो गये, हज़रत हारून अ़लैहिस्सलाम ने सब को हक़ की दावत तो दी मगर उनमें से किसी फ़िर्क़े से पूरी तरह परहेज़ और बेज़ारी व अलग होने का मूसा अ़लैहिस्सलाम के आने तक ऐलान नहीं किया। इस पर जब हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम नाराज़ हुए तो उन्होंने यही उज़्र पेश किया कि मैं सख़्ती करता तो बनी इस्राईल के टुकड़े हो जाते, उनमें फूट पड़ जाती:

اِنِّیْ خَشِیْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَیْنَ بَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِیْ○

यानी मैंने इसलिये किसी भी फ़िर्क़े से अलग होने और बेज़ारी का सख़्ती से इज़हार नहीं किया कि कहीं आप वापस आकर मुझे यह इल्ज़ाम न दें कि तुमने बनी इस्राईल में फूट पैदा कर दी और मेरी हिदायत की पाबन्दी नहीं की।

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने भी उनके उज़्र को ग़लत नहीं क़रार दिया बल्कि सही तस्लीम करके उनके लिये दुआ व इस्तिग़फ़ार किया। इससे यह हिदायत निकलती है कि मुसलमानों में फूट पड़ने से बचने के लिये वक़्ती तौर पर अगर किसी बुराई के मामले में नर्मी बरती जाये तो दुरुस्त है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम।

पैग़म्बराना दावत का एक अहम उसूल

मूसा अ़लैहिस्सलाम के क़िस्से की जो आयतें ऊपर लिखी गयी हैं उनके आख़िर में हज़रत मूसा व हारून अ़लैहिमस्सलाम को फ़िरऔन की हिदायत के लिये भेजने का हुक्म एक ख़ास हिदायत के साथ दिया गया है यानी:

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى○

इसमें पैग़म्बराना दावत का एक अहम उसूल यह बयान हुआ है कि मुख़ालिफ़ फ़रीक़ कितना ही सरकश और ग़लत से ग़लत अ़क़ीदों व ख़्यालात वाला हो, इस्लाह व हिदायत का फ़रीज़ा अन्जाम देने वालों पर लाज़िम है कि उसके साथ भी हमदर्दाना और ख़ैरख़्वाही वाले अन्दाज़ से बात नर्म करें। इसी का यह नतीजा हो सकता है कि मुख़ातब कुछ ग़ौर व फ़िक्र पर मजबूर हो जाये और उसके दिल में ख़ुदा का ख़ौफ़ पैदा हो जाये।

फ़िरऔन जो ख़ुदाई का दावेदार ज़ालिम और ज़्यादती करने वाला है, जो अपनी ज़ात की हिफ़ाज़त के लिये हज़ारों बनी इस्राईल के बच्चों के क़त्ल का मुजरिम है, उसकी तरफ़ भी अल्लाह तआ़ला अपने ख़ास पैग़म्बरों को भेजते हैं तो यह हिदायत नामा देकर भेजते हैं कि उससे बात नर्म करें ताकि उसको ग़ौर व फ़िक्र का मौक़ा मिले। और यह इस पर है कि अल्लाह तआ़ला के इल्म में

था कि फ़िरऔन अपनी सरकशी और गुमराही से बाज़ आने वाला नहीं है मगर अपने पैग़म्बरों को उस उसूल का पाबन्द करना था जिसके ज़रिये अल्लाह की मख़्लूक़ सोचने समझने पर मजबूर होकर ख़ुदा तआ़ला के ख़ौफ़ की तरफ़ आ जाये। फ़िरऔन को हिदायत हो या न हो मगर उसूल वह होना चाहिये जो हिदायत व इस्लाह का ज़रिया बन सके।

आजकल जो बहुत से उलेमा अपने झगड़ों और इख़्तिलाफ़ात में एक दूसरे के ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी और इल्ज़ाम तराशी को इस्लाम की ख़िदमत समझ बैठे हैं उन्हें इस पर बहुत ग़ौर करना चाहिये।

قَالَا رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَنْ يَّطْغٰى ۝ قَالَ لَا تَخَافَآ إِنَّنِيْ مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرٰى ۝ فَأْتِيٰهُ فَقُوْلَآ إِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ ۥ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۭ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ ۭ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ۝ إِنَّا قَدْ أُوْحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۝ قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى ۝ قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْٓ أَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ۝

क़ाला रब्बना इन्नना नख़ाफ़ु अंय्यफ़्रु-त अ़लैना औ अंय्यत्ग़ा (45) क़ा-ल ला तख़ाफ़ा इन्ननी म-अ़कुमा अस्मअ़ु व अरा (46) फ़अ्तियाहु फ़क़ूला इन्ना रसूला रब्बि-क फ़-अर्सिल् म-अ़ना बनी इस्राई-ल व ला तुअ़ज़्ज़िब्हुम्, क़द् जिअ्ना-क बिआयतिम् मिर्रब्बि-क, वस्सलामु अ़ला मनित्त-बअ़ल्-हुदा (47) इन्ना क़द् ऊहि-य इलैना अन्नल्-अ़ज़ा-ब अ़ला मन् कज़्ज़-ब व तवल्ला (48) क़ा-ल फ़-मर्रब्बुकुमा या मूसा (49) क़ा-ल रब्बुनल्लज़ी अअ़्ता कुल्-ल शैइन् ख़ल्क़हू सुम्-म हदा (50)	बोले ऐ रब हमारे! हम डरते हैं कि भभक पड़े हम पर या जोश में आ जाये। (45) फ़रमाया न डरो मैं साथ हूँ तुम्हारे, सुनता हूँ और देखता हूँ। (46) सो जाओ उसके पास और कहो हम दोनों भेजे हुए हैं तेरे रब के, सो भेज दे हमारे साथ बनी इस्राईल को और मत सता उनको, हम आये हैं तेरे पास निशानी लेकर तेरे रब की, और सलामती हो उसकी जो मान ले राह की बात। (47) हमको हुक्म मिला है कि अ़ज़ाब उस पर है जो झुठलाये और मुँह फेर ले। (48) बोला फिर कौन है रब तुम दोनों का ऐ मूसा? (49) कहा रब हमारा वह है जिसने दी हर चीज़ को उसकी सूरत फिर राह सुझाई। (50)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(जब यह हुक्म दोनों साहिबों को पहुँच चुका तो) दोनों ने अ़र्ज़ किया कि ऐ हमारे रब! (हम तब्लीग़ के लिये हाज़िर हैं लेकिन) हमको यह अन्देशा है कि (कहीं) वह हम पर (तब्लीग़ से पहले ही) ज़्यादती (न) कर बैठे, (कि तब्लीग़ ही रह जाये) या यह कि (ऐन तब्लीग़ के वक़्त अपने कुफ़्र में) ज़्यादा शरारत न करने लगे (कि अपनी बक-बक में तब्लीग़ न सुने न सुनने दे जिससे वह तब्लीग़ न करने के बराबर हो जाये)। इरशाद हुआ कि (इस मामले के मुताल्लिक़) अन्देशा न करो (क्योंकि) मैं तुम दोनों के साथ हूँ सब सुनता और देखता हूँ (मैं तुम्हारी हिफ़ाज़त करूँगा और उसको मरऊब करूँगा जिससे पूरी तब्लीग़ कर सकोगे, जैसा कि सूरः क़सस की आयत 35 में है कि हम तुम दोनों को एक ख़ास रौब व शान अ़ता कर देंगे) सो तुम (निडर होकर) उसके पास जाओ और (उससे) कहो कि हम दोनों तेरे परवर्दिगार के भेजे हुए हैं (कि हमको नबी बनाकर भेजा है) सो (तू हमारी इताअ़त कर, अपने अ़क़ीदे के सही करने में भी कि तौहीद की तस्दीक़ कर, और अख़्लाक़ के संवारने में भी कि ज़ुल्म वग़ैरह से बाज़ आ, और) बनी इस्राईल को (जिन पर तू नाहक़ ज़ुल्म करता है अपने ज़ुल्म के पंजे से उनको रिहा करके) हमारे साथ जाने दे (कि जहाँ चाहें और जिस तरह चाहें रहें) और उनको तकलीफ़ मत पहुँचा (और) हम (जो नुबुव्वत का दावा करते हैं तो यह ख़ाली दावा नहीं बल्कि हम) तेरे पास तेरे रब की तरफ़ से (अपनी नुबुव्वत का) निशान (यानी मोजिज़ा भी) लाये हैं, और (तस्दीक़ और हक़ को क़ुबूल करने का फल इस कुल्ली क़ायदे से मालूम होगा कि) ऐसे शख़्स के लिये (अल्लाह के अ़ज़ाब से) सलामती है जो (सीधी) राह पर चले। (और झुठलाने और हक़ को रद्द करने के बारे में) हमारे पास यह हुक्म पहुँचा है कि (अल्लाह तआ़ला का क़हर का) अ़ज़ाब उस शख़्स पर होगा जो (हक़ को) झुठलाये और (उससे) मुँह मोड़े (ग़र्ज़ कि यह सारा मज़मून जाकर उससे कहो। चुनाँचे दोनों हज़रात तशरीफ़ ले गये और जाकर उससे सब कह दिया) वह कहने लगा कि फिर (यह बतलाओ कि) तुम दोनों का रब कौन है? (जिसके तुम अपने को भेजे हुए बतलाते हो) ऐ मूसा! (जवाब में) मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने कहा कि हमारा (दोनों का बल्कि सब का) रब वह है जिसने हर चीज़ को उसके मुनासिब बनावट अ़ता फ़रमाई, फिर (उनमें जो जानदार चीज़ें थीं उनको उनके फ़ायदों व मस्लेहतों की तरफ़) रहनुमाई फ़रमाई (चुनाँचे हर जानवर अपनी मुनासिब ग़िज़ा और जोड़ा और ठिकाना वग़ैरह ढूँढ लेता है, पस वही हमारा भी रब है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को ख़ौफ़ क्यों हुआ

'इन्ना नख़ाफ़ु'। हज़रत मूसा व हारून अ़लैहिमस्सलाम ने इस जगह अल्लाह तआ़ला के सामने दो तरह के ख़ौफ़ का इज़हार किया— एक 'अंय्यफ़्रु-त' के लफ़्ज़ से जिसके असली मायने हद से निकलने के हैं। तो मतलब यह हुआ कि शायद फ़िरऔन हमारी बात सुनने से पहले ही हम पर हमला

कर दे। दूसरा ख़ौफ़ 'अंय्यत्ग़ा' के लफ़्ज़ से बयान फ़रमाया, जिसका मतलब यह है कि मुम्किन है वह इससे भी ज़्यादा सरकशी पर उतर आये कि आपकी शान में नामुनासिब कलिमात बकने लगे।

यहाँ एक सवाल यह पैदा होता है कि कलाम के शुरू में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नुबुव्वत व रिसालत का पद अता फ़रमाया गया और उन्होंने हज़रत हारून को अपने साथ शरीक करने की दरख़्वास्त की और यह दरख़्वास्त क़ुबूल हुई तो उसी वक़्त हक़ तआला ने उनको यह बतला दिया था कि:

سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا.

(कि हम तुम्हारे भाई के ज़रिये तुम्हारी क़ुव्वते बाज़ू को मज़बूत करेंगे, तुमको ग़ालिब करेंगे और तुम दोनों को एक ख़ास रौब व दबदबा इनायत करेंगे जिससे बुरे इरादे से कोई तुम तक न पहुँच सकेगा। **मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी**)

साथ ही यह भी इत्मीनान दिला दिया गया था कि आपकी दरख़्वास्त में जो-जो चीज़ें तलब की गयी हैं वो सब हमने आपको दे दीं 'क़द् ऊती-त सुअ्-ल-क या मूसा'।

उन मतलूब चीज़ों में दिल का इत्मीनान भी था जिसका हासिल यही था कि मुख़ालिफ़ से कोई दिली तंगी और ख़ौफ़ व घबराहट पैदा न हो।

अल्लाह तआला के इन वायदों के बाद फिर यह ख़ौफ़ और इसका इज़हार कैसा है? इसका एक जवाब तो यह है कि पहला वायदा कि हम आपको ग़लबा अता करेंगे और वे लोग आप तक नहीं पहुँच सकेंगे, यह एक अस्पष्ट वायदा है कि मुराद ग़लबे से हुज्जत व दलील का ग़लबा भी हो सकता है और माद्दी ग़लबा भी। और यह ख़्याल भी हो सकता है कि उन पर ग़लबा तो जब होगा कि वे इनके दलाईल सुनें, मोजिज़े देखें, मगर ख़तरा यह है कि वे कलाम सुनने से पहले ही इन पर हमला कर बैठें, और दिल के इत्मीनान के लिये यह लाज़िम नहीं कि तबई ख़ौफ़ भी जाता रहे।

दूसरी बात यह है कि ख़ौफ़ की चीज़ों से तबई ख़ौफ़ तो तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है जो वायदों पर पूरा ईमान व यक़ीन होने के बावजूद भी होता है, ख़ुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी ही लाठी के साँप बन जाने के बाद उसके पकड़ने से डरने लगे तो हक़ तआला ने फ़रमाया 'ला तख़फ़्' डर नहीं, और दूसरे तमाम ख़ौफ़ के मौक़ों में ऐसा ही होता रहा कि तबई और बशरी ख़ौफ़ लाहिक़ हुआ, फिर अल्लाह तआला ने ख़ुशख़बरी के ज़रिये उसको दूर फ़रमाया। इसी वाक़िए की आयतों में मूसा अलैहिस्सलाम का क़िब्ती के क़त्ल के बाद ख़ौफ़ खाना, ख़ौफ़ खाते हुए मद्यन के लिये निकलना और जादूगरों की करतब बाज़ी के बाद अपने दिल में ख़ौफ़ महसूस करना बयान हुआ है (जो एक तरह का तबई ख़ौफ़ है) जो इस मज़मून पर सुबूत है।

हज़रत ख़ातमुल-अम्बिया और सय्यिदुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसी बशरी ख़ौफ़ की वजह से मदीना शरीफ़ की तरफ़ और कुछ सहाबा किराम ने पहले हब्शा की फिर मदीना की तरफ़ हिजरत फ़रमाई। ग़ज़वा-ए-अहज़ाब में इसी ख़ौफ़ से बचने के लिये ख़न्दक़ खोदी, हालाँकि अल्लाह तआला की तरफ़ से मदद व ग़लबे का वायदा बार-बार आ चुका था मगर हक़ीक़त यह है कि अल्लाह के वायदों से यक़ीन तो उन सब को पूरा हासिल था मगर तबई ख़ौफ़ जो इनसानी तक़ाज़े के सबब

अम्बिया में भी होता है वह इसके विरुद्ध नहीं।

إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ

अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि मैं तुम दोनों के साथ हूँ सब कुछ सुनता और देखता रहूँगा। साथ होने से मुराद नुसरत व इमदाद है जिसकी पूरी हक़ीक़त व कैफ़ियत का जानना इनसान को नहीं हो सकता।

मूसा अ़लैहिस्सलाम ने फ़िरऔ़न को दावते ईमान के साथ अपनी क़ौम को आर्थिक मुसीबत से भी छुड़ाने की दावत दी

इससे मालूम हुआ कि अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम जैसे अल्लाह की मख़्लूक़ को ईमान की हिदायत देने का पद रखते हैं इसी तरह अपनी उम्मत को दुनियावी और आर्थिक मुसीबतों से आज़ाद करना भी उनके मन्सब में शामिल होता है। इसलिये क़ुरआने करीम में हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम की दावते फ़िरऔ़न में दोनों चीज़ें शामिल हैं पहले अल्लाह पर ईमान, दूसरे बनी इस्राईल की आज़ादी। ख़ुसूसन इस ऊपर बयान हुई आयत में तो सिर्फ़ इसी दूसरे हिस्से के ज़िक्र पर इक्तिफ़ा फ़रमाया है।

हर चीज़ को उसके वजूद के मुनासिब हिदायत का मतलब

अल्लाह तआ़ला ने हर चीज़ को पैदा फ़रमाया और फिर हर एक के वजूद के मुनासिब उसको हिदायत फ़रमाई जिससे वह उस काम में लग गयी। तफ़सील इसकी यह है कि एक हिदायत जो अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम का वज़ीफ़ा और कर्तव्य है वह तो ख़ास हिदायत है जिसके मुख़ातब अ़क़्ल रखने वाले इनसान और जिन्नात ही होते हैं। एक दूसरी क़िस्म की क़ुदरती हिदायत भी है जो मख़्लूक़ात में हर चीज़ के लिये आ़म और शामिल है। आग, पानी, मिट्टी और हवा और इनसे मिलकर बनने वाली हर चीज़ को हक़ तआ़ला ने एक ख़ास क़िस्म का इल्म व शऊर दिया है जो अगरचे इनसान व जिन्नात के बराबर नहीं, इसी लिये हलाल व हराम के अहकाम इन चीज़ों पर लागू नहीं होते मगर समझ व शऊर से ख़ाली नहीं। उसी इल्म और समझ व शऊर के रास्ते हक़ तआ़ला ने हर चीज़ को इसकी हिदायत कर दी कि तू किस काम के लिये पैदा की गयी है, तुझे क्या करना है। इसी तक़दीरी और कायनाती हुक्म और हिदायत के ताबे ज़मीन व आसमान और उनकी तमाम मख़्लूक़ात अपने-अपने काम और अपनी-अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं। चाँद सूरज अपना काम कर रहे हैं और दूसरे चलते रहने और एक जगह ठहरने वाले सितारे (ग्रह) अपने-अपने काम में इस तरह लगे हुए हैं कि एक मिनट या सैकिंड का भी कभी फ़र्क़ नहीं होता। हवा, पानी, आग और मिट्टी अपनी अपनी पैदाईश के मक़सद में लगे हुए हैं अल्लाह के हुक्म के बग़ैर उससे बाल बराबर फ़र्क़ नहीं करते। हाँ जब उनको हुक्म होता है तो कभी आग गुलज़ार भी बन जाती है, जैसे हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के लिये, और कभी पानी आग का भी काम करने लगता है जैसे क़ौमे नूह के लिये।

बच्चे को पैदाईश की शुरूआत के वक्त जबकि उसको कोई बात सिखाना किसी के बस में नहीं यह किसने सिखाया कि माँ की छाती से अपनी ग़िज़ा हासिल करे, उसके लिये छाती को दबाकर चूसने का हुनर किसने बतलाया। भूख प्यास सर्दी गर्मी की तकलीफ़ हो तो रो पड़ना, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करने के लिये काफ़ी हो जाता है, मगर यह रोना किसने सिखाया? यह वही अल्लाह की हिदायत है जो हर मख़्लूक़ को उसकी हैसियत और ज़रूरत के मुताबिक़ ग़ैब से बग़ैर किसी की तालीम के अ़ता होती है।

ख़ुलासा यह है कि हक़ तआ़ला की तरफ़ से एक आ़म फ़ितरी और क़ुदरती हिदायत हर-हर मख़्लूक़ के लिये है जिसकी हर मख़्लूक़ अपने वजूद के सबब पाबन्द है, और उसके ख़िलाफ़ करना उसकी क़ुदरत से ख़ारिज है। दूसरी ख़ास हिदायत अ़क़्ल रखने वाले इनसानों व जिन्नात के लिये है, यह हिदायत तक्वीनी और जबरी नहीं बल्कि इख़्तियारी होती है, इसी इख़्तियार के नतीजे में उस पर सवाब या अ़ज़ाब का हुक्म लागू होता है। 'अअ़्ता कुल्-ल शैइन् ख़ल्क़हू सुम्-म हदा' में पहली ही किस्म की हिदायत बयान हुई है।

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने फ़िरऔ़न को सबसे पहले रब्बुल-आ़लमीन का वह काम बतलाया जो सारी मख़्लूक़ पर हावी है, और कोई नहीं कह सकता कि यह काम हमने या किसी दूसरे इनसान ने किया है। फ़िरऔ़न इसका तो कोई जवाब न दे सका अब इधर-उधर की बातों में टलाया और एक सवाल मूसा अ़लैहिस्सलाम से किया कि जिसका असल जवाब अ़वाम सुनें तो मूसा अ़लैहिस्सलाम से बदगुमान हो जायें, वह यह कि पिछले दौर की तमाम उम्मतें और दुनिया की क़ौमें जो बुतों की पूजा करते रहे आपके नज़दीक उनका क्या हुक्म है? वे कैसे हैं? उनका अन्जाम क्या हुआ? मक़सद यह था कि इसके जवाब में मूसा अ़लैहिस्सलाम फ़रमायेंगे कि ये सब गुमराह और जहन्नमी हैं तो मुझे यह कहने का मौक़ा मिलेगा कि लो यह सारी दुनिया ही को बेवक़ूफ़, गुमराह और जहन्नमी समझते हैं, और लोग यह सुनकर उनसे बदगुमान होंगे तो हमारा मक़सद पूरा हो जायेगा। मगर पैग़म्बरे ख़ुदा मूसा अ़लैहिस्सलाम ने इसका ऐसा अ़क़्लमन्दी भरा जवाब दिया जिससे उसका यह मन्सूबा ग़लत हो गया।

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ۝ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ ۖ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ۝
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا
مِنْ نَبَاتٍ شَتَّىٰ ۝ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ ۝ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ
فِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ۝ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ۝ قَالَ
أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ ۝ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ
مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ۝ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ
ضُحًى ۝

क़ा-ल फ़मा बालुल्-क़ुरूनिल्-ऊला (51) क़ा-ल अिल्मुहा अिन्-द रब्बी फ़ी किताबिन् ला यज़िल्लु रब्बी व ला यन्सा (52) अल्लज़ी ज-अ़-ल लकुमुल्-अर्-ज़ मह्दंव्-व स-ल-क लकुम् फ़ीहा सुबुलंव्-व अन्ज़-ल मिनस्समा-इ मा-अन्, फ़-अख़्रज्ना बिही अज़्वाजम् मिन् नबातिन् शत्ता (53) कुलू वर्अ़ौ अन्आ़-मकुम्, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिल् लि-उलिन्नुहा (54) ❁

बोला फिर क्या हक़ीक़त है उन पहली जमाअ़तों की? (51) कहा उनकी ख़बर मेरे रब के पास लिखी हुई है, न बहकता है मेरा रब और न भूलता है। (52) वह है जिसने बना दिया तुम्हारे वास्ते ज़मीन को बिछौना और चलाईं तुम्हारे लिये उस में राहें और उतारा आसमान से पानी, फिर निकाली हमने उससे तरह-तरह की सब्ज़ी। (53) खाओ और चराओ अपने चौपायों को, अलबत्ता इसमें निशानियाँ हैं अक़्ल रखने वालों को। (54) ❁

मिन्हा ख़लक़्नाकुम् व फ़ीहा नुअ़ीदुकुम् व मिन्हा नुख़्रिजुकुम् ता-रतन् उख़्रा (55) व ल-क़द् अरैनाहु आयातिना कुल्लहा फ़कज़्ज़-ब व अबा (56) क़ा-ल अजिअ्तना लितुख़्रि-जना मिन् अर्ज़िना बिसिह्रि-क या मूसा (57) फ़-लनअ्तियन्न-क बिसिह्रिम्-मिस्लिही फ़ज्अ़ल् बैनना व बैन-क मौअ़िदल् ला नुख़्लिफ़ुहू नह्नु व ला अन्-त मकानन् सुवा (58) क़ा-ल मौअ़िदुकुम यौमुज़्ज़ीनति व अंय्युह्श-रन्नासु ज़ुहा (59)

इसी ज़मीन से हमने तुमको बनाया और इसी में फिर पहुँचा देते हैं और इसी से निकालेंगे तुमको दूसरी बार। (55) और हमने फ़िरऔन को दिखला दीं अपनी सब निशानियाँ, फिर उसने झुठलाया और न माना। (56) बोला क्या तू आया है हम को निकालने हमारे मुल्क से अपने जादू के ज़ोर से ऐ मूसा। (57) सो हम भी लायेंगे तेरे मुक़ाबले में एक ऐसा ही जादू, सो ठहरा ले हमारे और अपने बीच में एक वादा, न हम ख़िलाफ़ करें उसके और न तू एक साफ़ मैदान में। (58) कहा वादा तुम्हारा है जश्न का दिन और यह कि जमा हों लोग दिन चढ़े। (59)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

फ़िरऔन ने (इस पर शुब्हा किया कि 'उस पर अ़ज़ाब है जो झुठलाये और मुँह फेर ले' और) कहा अच्छा तो पहले लोगों का क्या हाल हुआ (जो नबियों को झुठलाते थे उन पर कौनसा अ़ज़ाब नाज़िल हुआ)? मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने फ़रमाया (कि मैंने यह दावा नहीं किया कि वह वायदा किया गया अ़ज़ाब दुनिया ही में आना ज़रूरी है बल्कि कभी दुनिया में भी आ जाता है और आख़िरत में ज़रूर होगा, चुनाँचे) उन लोगों (के बुरे आमाल) का इल्म मेरे रब के पास (आमाल के दफ़्तर) में (महफ़ूज़) है (अगरचे उनको दफ़्तर की हाजत नहीं मगर बाज़ी हिक्मतों से ऐसा ही किया गया है। ग़र्ज़ कि यह कि अल्लाह तआ़ला को उनके आमाल मालूम हैं और) मेरा रब (ऐसा जानने वाला है कि) न ग़लती करता है और न भूलता है। (पस उनके आमाल का सही-सही इल्म उसको हासिल है मगर अ़ज़ाब के लिये वक़्त मुक़र्रर कर रखा है, जब वह वक़्त आयेगा वह अ़ज़ाब उन पर जारी कर दिया जायेगा। पस दुनिया में अ़ज़ाब न होने से यह लाज़िम नहीं आता कि कुफ़्र व झुठलाना अ़ज़ाब का सबब न हो। यहाँ तक मूसा अ़लैहिस्सलाम की तक़रीर हो चुकी आगे अल्लाह तआ़ला अपनी शाने रबूबियत की कुछ तफ़सील बयान फ़रमाते हैं जिसका ज़िक्र मुख़्तसर तौर पर मूसा अ़लैहिस्सलाम के इस कलाम में था 'जैसा कि आयत नम्बर 50 और 52 में'। चुनाँचे इरशाद है कि) वह (रब) ऐसा है जिसने तुम लोगों के लिये ज़मीन को फ़र्श (की तरह) बनाया (कि उस पर आराम करते हो) और इस (ज़मीन) में तुम्हारे (चलने के) वास्ते रास्ते बनाये और आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने उस (पानी) के ज़रिये से (विभिन्न) क़िस्मों के नबातात "यानी पेड़-पौधे, हरियाली और सब्ज़ियाँ" पैदा किये (और तुमको इजाज़त दी कि) ख़ुद (भी) खाओ और अपने मवेशियों को (भी) चराओ। इन सब (ज़िक्र हुई) चीज़ों में अ़क़्ल के (दलील हासिल करने के) वास्ते (अल्लाह की क़ुदरत की) निशानियाँ हैं। (और जिस तरह नबातात को ज़मीन से निकालते हैं इसी तरह) हमने तुमको इसी ज़मीन से (शुरू में) पैदा किया, (चुनाँचे आदम अ़लैहिस्सलाम मिट्टी से बनाये गये, सो उनके वास्ते से सब का दूर का माद्दा मिट्टी हुई) और इसी में हम तुमको (मौत के बाद) ले जाएँगे, (चुनाँचे कोई मुर्दा किसी हालत में हो लेकिन आख़िरकार चाहे मुद्दतों के बाद सही मगर मिट्टी में ज़रूर मिलेगा) और (क़ियामत के दिन) फिर दोबारा इसी से हम तुमको निकालेंगे (जैसा कि पहली बार इससे पैदा कर चुके हैं)।

और हमने उस (फ़िरऔन) को अपनी (वो) सब ही निशानियाँ दिखलाईं (जो कि मूसा अ़लैहिस्सलाम को अ़ता हुई थीं) सो वह (जब भी) झुठलाता ही रहा और इनकार ही करता रहा। (और) कहने लगा (ऐ मूसा!) तुम हमारे पास (यह दावा लेकर) इस वास्ते आये हो (-गे) कि हमको हमारे मुल्क से अपने जादू (के ज़ोर) से निकाल बाहर करो (और ख़ुद अ़वाम को फ़रेफ़्ता और ताबे बनाकर सरदार बन जाओ) सो अब हम भी तुम्हारे मुक़ाबले में ऐसा ही जादू लाते हैं, तुम हमारे और अपने बीच एक वायदा मुक़र्रर कर लो जिसको न हम ख़िलाफ़ करें और न तुम ख़िलाफ़ करो, किसी हमवार मैदान में (ताकि सब देख लें)। मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने फ़रमाया तुम्हारे (मुक़ाबले के) वायदे का वक़्त तो वह दिन है जिसमें (तुम्हारा) मेला होता है, और (जिसमें) दिन चढ़े लोग जमा हो जाते हैं

(और ज़ाहिर है कि मेले का मौक़ा अक्सर हमवार ही ज़मीन में होता है, इसी से हमवार मैदान की शर्त भी पूरी हो जाएगी)।

मआरिफ़ व मसाईल

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتٰبٍ. لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ٥

फ़िरऔन ने पिछली उम्मतों के अन्जाम का सवाल किया था अगर उसके जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम उनके गुमराह और जहन्नमी होने का साफ़ तौर से इज़हार करते तो फ़िरऔन को मौक़ा इस ताने का मिल जाता कि यह तो सिर्फ़ हमें ही नहीं सारी दुनिया को गुमराह जहन्नमी समझते हैं, और अ़वाम इससे शुब्हे में पड़ जाते। हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने ऐसा हकीमाना जवाब दिया कि बात भी पूरी आ गयी और फ़िरऔन को बहकाने का मौक़ा न मिला। फ़रमाया कि उनका इल्म मेरे रब के पास है कि उनका क्या अन्जाम होगा, मेरा रब न ग़लती करता है न भूलता है। ग़लती करने से मुराद यह है कि करना कुछ चाहे हो जाये कुछ और, भूलने का मतलब ज़ाहिर है।

أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ٥

अज़्वाज क़िस्मों और प्रजातियों के मायने में है और शत्ता शतीत की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने हैं अलग-अलग। मुराद यह है कि नबातात (पेड़-पौधों और घास वग़ैरह) की इतनी बेशुमार क़िस्में पैदा फ़रमायीं कि उनकी क़िस्मों का शुमार करना भी इनसान के बस में नहीं। फिर हर नबात जड़ी-बूटी, फूल-फल, पेड़ की छाल में अल्लाह तआ़ला ने ऐसी-ऐसी ख़ासियतें रखी हैं कि इल्मे तिब्ब और डॉक्टरी के माहिरीन हैरान हैं और हज़ारों साल से उसकी तहक़ीक़ात (खोज व शोध) का सिलसिला जारी होने के बावजूद यह कोई नहीं कह सकता कि इसके बारे में जो कुछ लिख दिया गया है वह आख़िरी बात है, और यह सारी नबातात की मुख़्तलिफ़ क़िस्में इनसान और उसके पालतू जानवरों और जंगली जानवरों की ग़िज़ा या दवा होती हैं, उनकी लकड़ी से इनसान मकानों की तामीर में काम लेता है और घरेलू सामान के इस्तेमाल की हज़ारों क़िस्में बनाता है। सो बड़ी बरकत वाली है अल्लाह की ज़ात जो सबसे बेहतर बनाने और पैदा करने वाली है।

इसी लिये इसके आख़िर में फ़रमायाः

إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي النُّهٰى ٥

यानी इसमें बहुत सी निशानियाँ हक़ तआ़ला की कामिल क़ुदरत की हैं अ़क़्ल वालों के लिये। नुहा 'नुहयतुन' की जमा (बहुवचन) है, नुहयतुन अ़क़्ल को इसलिये कहा जाता कि यह इनसान को बुरे और नुक़सान देने वाले कामों से रोकती है।

हर इनसान के ख़मीर में नुत्फ़े के साथ उस जगह की मिट्टी भी शामिल होती है जहाँ वह दफ़न होगा

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ

मिन्हा (उससे) में उस से मुराद ज़मीन है और मायने यह हैं कि हमने तुमको ज़मीन की मिट्टी से पैदा किया, यह ख़िताब तमाम इनसानों की तरफ़ है, हालाँकि आम इनसानों की पैदाईश मिट्टी से नहीं बल्कि नुत्फ़े (वीर्य के क़तरे) से हुई सिवाय आदम अ़लैहिस्सलाम के कि उनकी पैदाईश डायरेक्ट मिट्टी से हुई, तो यह ख़िताब या तो इस बिना पर हो सकता है कि इनसान की असल और सब के बाप हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम हैं, उनके वास्ते से सब की पैदाईश मिट्टी की तरफ़ मन्सूब कर देना कुछ बईद नहीं। कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि हर नुत्फ़ा मिट्टी ही की पैदावार होता है इसलिये नुत्फ़े से पैदाईश दर हकीकत मिट्टी ही से पैदाईश हो गयी। इमाम क़ुर्तुबी ने फ़रमाया कि क़ुरआन के अलफ़ाज़ का ज़ाहिर यही है कि हर इनसान की पैदाईश मिट्टी से है। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि हर इनसान की पैदाईश में हक़ तआ़ला अपनी कामिल क़ुदरत से मिट्टी शामिल फ़रमाते हैं इसलिये हर एक इनसान की पैदाईश को डायरेक्ट मिट्टी की तरफ़ मन्सूब किया गया है।

इमाम क़ुर्तुबी ने फ़रमाया कि क़ुरआन के अलफ़ाज़ का ज़ाहिर यही है कि हर इनसान की तख़्लीक़ (पैदाईश) मिट्टी से अ़मल में आई है, और हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की एक हदीस इस पर सुबूत है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का यह इरशाद मन्क़ूल है कि हर पैदा होने वाले इनसान पर माँ के गर्भ में उस जगह की मिट्टी का कुछ हिस्सा डाला जाता है जिस जगह उसका दफ़न होना अल्लाह के इल्म में तय है। यह हदीस अबू नुऐम ने इब्ने सीरीन के तज़किरे में रिवायत करके फ़रमायाः

هذا حديث غريب من حديث عون لم نكتبه الا من حديث عاصم بن نبيل وهو احد الثقات الاعلام من اهل البصرة.

यानी यह एक ग़रीब हदीस है औन की हदीस से, हमने इसे आसिम बिन नबील की हदीस से लिखा है जो बसरा वालों में विश्वसनीय और मोतबर हज़रात में से हैं। **(हिन्दी अनुवादक)**

और इसी मज़मून की रिवायत हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से भी मन्क़ूल है और अ़ता ख़ुरासानी ने फ़रमाया कि जब गर्भ में नुत्फ़ा क़रार पाता है तो जो फ़रिश्ता उसकी तख़्लीक़ (पैदाईश व बनाने) पर लगाया गया है वह जाकर उस जगह की मिट्टी लाकर जिस जगह उसका दफ़न होना मुक़र्रर है वह मिट्टी उस नुत्फ़े में शामिल कर देता है इसलिये नुत्फ़े और मिट्टी दोनों से पैदाईश होती है और इसी आयत से दलील पकड़ी है (यानी आयत नम्बर 55 से। तफ़सीरे क़ुर्तुबी)।

तफ़सीरे मज़हरी में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से यह रिवायत नकल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हर पैदा होने वाले बच्चे की नाफ़ में एक हिस्सा मिट्टी का डाला जाता है और जब मरता है तो उसी ज़मीन में दफ़न होता है जहाँ की मिट्टी उसके ख़मीर में शामिल की गयी थी। और फ़रमाया कि मैं और अबू बक्र व उमर एक ही मिट्टी से पैदा किये गये हैं और उसी में दफ़न होंगे। यह रिवायत ख़तीब ने नक़ल करके फ़रमाया है कि हदीस ग़रीब है और इब्ने जोज़ी ने इसको मौज़ूआ़त (जाली और गढ़ी हुई हदीसों) में शुमार किया है, मगर शैख़ मुहद्दिस मिर्ज़ा मुहम्मद हारिसी बदख़्शी रह. ने फ़रमाया कि इस हदीस के बहुत से सुबूत और

ताईद करने वाली रिवायतें हज़रत इब्ने उमर, इब्ने अ़ब्बास, अबू सईद, अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हुम से मन्क़ूल हैं। जिनसे इस रिवायत को मज़बूती पहुँचती है इसलिये यह हदीस हसन (लिग़ैरिही) से कम नहीं। (तफ़सीरे मज़हरी)

مَكَانًا سُوًى.

फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम और जादूगरों के मुक़ाबले के लिये यह ख़ुद तजवीज़ किया कि ऐसे मक़ाम पर होना चाहिये जो आले फ़िरऔन और हज़रत मूसा व बनी इस्राईल के लिये दूरी के एतिबार से बराबर हो, ताकि किसी फ़रीक़ पर ज़्यादा दूर जाने की मशक़्क़त न पड़े। हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने इसको क़ुबूल करके दिन और वक़्त का निर्धारण इस तरह फ़रमा दियाः

مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ۝

यानी यह मुक़ाबला ज़ीनत के दिन में होना चाहिये। मुराद ईद या किसी मेले वग़ैरह के लिये इकट्ठे होने का दिन है। इसमें मतभेद है कि वह कौनसा दिन था? कुछ ने कहा कि आले फ़िरऔन की कोई ईद मुक़र्रर थी जिसमें वह ज़ीनत के कपड़े पहनकर शहर से बाहर निकलने के आदी थे, कुछ ने कहा कि यह नीरोज़ का दिन था, किसी ने कहा कि शनिवार का दिन था जिसका ये लोग सम्मान करते थे, कुछ ने कहा कि वह आ़शूरा यानी मुहर्रम की दसवीं तारीख़ थी।

फ़ायदा

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने दिन और वक़्त के निर्धारण में बड़ी अ़क़्लमन्दी से काम लिया कि दिन उनकी ईद का तजवीज़ किया जिसमें सब छोटे-बड़े हर तब्क़े के लोगों का इज्तिमा पहले से मुतैयन था, जिसका लाज़िमी नतीजा यह था कि यह इज्तिमा बहुत बड़ा पूरे शहर के लोगों पर मुश्तमिल हो जाये, और वक़्त चाश्त का रखा जो सूरज के बुलन्द होने के बाद होता है, जिसमें एक मस्लेहत तो यह है कि सब लोगों को अपनी ज़रूरतों से फ़ारिग़ होकर उस मैदान में आना आसान हो। दूसरी मस्लेहत यह भी है कि यह वक़्त रोशनी और ज़हूर के एतिबार से सारे दिन में बेहतर है, ऐसे ही वक़्त में दिली तसल्ली और सुकून के साथ अहम काम किये जाते हैं, और ऐसे वक़्त के इज्तिमा से जब लोग इधर-उधर होते हैं तो बात दूर-दूर तक फैल जाती है। चुनाँचे उस दिन जब हक़ तआ़ला मूसा अ़लैहिस्सलाम को फ़िरऔनी जादूगरों पर ग़लबा अ़ता फ़रमाया तो एक ही दिन में पूरे शहर में बल्कि दूर-दूर तक इसकी शोहरत हो गयी।

जादू की हक़ीक़त, उसकी क़िस्में और शरई अहकाम

यह मज़मून पूरी तफ़सील के साथ सूरः ब-क़रह (आयत नम्बर 102) हारूत व मारूत के क़िस्से में मआ़रिफ़ुल-क़ुरआन की पहली जिल्द में बयान हो चुका है, वहाँ देख लिया जाये।

فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى ۞ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا
فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ۞ فَتَنَازَعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى ۞
قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ
الْمُثْلٰى ۞ فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ۚ وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى ۞ قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ
تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ۞ قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ
مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ۞ فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ۞ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ
الْاَعْلٰى ۞ وَاَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ۗ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ۗ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى ۞
فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى ۞ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۗ اِنَّهٗ
لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ
النَّخْلِ ۟ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَآ اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى ۞ قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِيْ
فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ ۗ اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۞ اِنَّآ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا
وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۗ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۞ اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ
جَهَنَّمَ ۗ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ۞ وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ
الْعُلٰى ۞ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى ۞

फ़-तवल्ला फ़िर्औनु फ़-ज-म-अ कैदहू सुम्-म अता (60) का-ल लहुम् मूसा वै-लकुम ला तफ़्तरू अलल्लाहि कज़िबन् फ़युस्हि-तकुम् बि-अ़ज़ाबिन् व कद् ख़ा-ब मनिफ़्तरा (61) फ़-तनाज़अू अम्रहुम् बैनहुम् व अ-सर्रुन्-नज्वा (62) कालू इन् हाज़ानि लसाहिरानि युरीदानि अंय्युख़्रिजाकुम् मिन् अर्ज़िकुम्

फिर उल्टा फिरा फ़िरऔन फिर जमा किये अपने सारे दाव, फिर आया। (60) कहा उनको मूसा ने कमबख़्ती तुम्हारी झूठ न बोलो अल्लाह पर, फिर ग़ारत कर दे तुमको किसी आफ़त से, और मुराद को नहीं पहुँचा जिसने झूठ बाँधा। (61) फिर झगड़े अपने काम पर आपस में और छुपकर किया मश्विरा। (62) बोले- मुक़र्रर "यानी यह तय है कि" ये दोनों जादूगर हैं चाहते हैं कि निकाल दें तुमको तुम्हारे मुल्क से अपने जादू के ज़ोर से,

बिसिहिरहिमा व यज़्हबा बि-तरी-क़तिकुमुल्-मुस्ला (63) फ़-अज्मिअू कैदकुम् सुम्मअ्तू सफ़्फ़न् व क़द् अफ़्ल-हल्यौ-म मनिस्तअ्ला (64) क़ालू या मूसा इम्मा अन् तुल्कि-य व इम्मा अन्-नकू-न अव्व-ल मन् अल्क़ा (65) क़ा-ल बल् अल्क़ू फ़-इज़ा हिबालुहुम् व ज़िसिय्युहुम् युख़य्यलु इलैहि मिन् सिह्रिहिम् अन्नहा तस्ज़ा (66) फ़-औज-स फ़ी नफ़्सिही ख़ी-फ़तम्-मूसा (67) क़ुल्ना ला तख़फ़् इन्न-क अन्तल्-अअ्ला (68) व अल्क़ि मा फ़ी यमीनि-क तल्क़फ़् मा स-नअू, इन्नमा स-नअू कैदु साहिरिन्, व ला युफ़्लिहुस्साहिरु हैसु अता (69) फ़उल्क़ियस्स-ह-रतु सुज्ज-दन् क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारू-न व मूसा (70) क़ा-ल आमन्तुम् लहू क़ब्-ल अन् आज़-न लकुम्, इन्नहू ल-कबीरुकुमुल्-लज़ी अ़ल्ल-मकुमुस्-सिह्-र फ़-ल-उक़त्तिअ़न्-न ऐदि-यकुम् व अर्जु-लकुम् मिन् ख़िलाफ़िंव्-व ल-उसल्लिबन्नकुम् फ़ी जुज़ूअ़िन्नख़्लि

और रोक दें तुम्हारे अच्छे ख़ासे चलन को। (63) सो मुक़र्रर कर लो अपनी तदबीर फिर आओ क़तार बाँधकर और जीत गया आज जो ग़ालिब रहा। (64) बोले ऐ मूसा! या तो तू डाल और या हम हों पहले डालने वाले। (65) कहा नहीं! तुम डालो, फिर तभी उनकी रस्सियाँ और लाठियाँ उसके ख़्याल में आईं उनके जादू से कि दौड़ रही हैं। (66) फिर पाने लगा अपने जी में डर मूसा। (67) हमने कहा तू मत डर। मुक़र्रर "यानी यक़ीनन" तू ही रहेगा ग़ालिब। (68) और डाल जो तेरे दाहिने हाथ में है कि निगल जाये जो कुछ उन्होंने बनाया, उनका बनाया हुआ तो फ़रेब है जादूगर का, और भला नहीं होता जादूगर का जहाँ हो। (69) फिर गिर पड़े जादूगर सज्दे में बोले— हम यक़ीन लाये रब पर हारून और मूसा के। (70) बोला फ़िरऔन तुमने इसको मान लिया मैंने अभी हुक्म न दिया था, वही तुम्हारा बड़ा है जिसने सिखलाया तुमको जादू सो अब मैं कटवाऊँगा तुम्हारे हाथ और दूसरी तरफ़ के पाँव और सूली दूँगा तुमको खजूर के तने पर,

व ल-तअ्लमुन्-न अय्युना अशद्दु अ़ज़ाबंव्-व अब्क़ा (71) क़ालू लन् नुअ्सि-र-क अ़ला मा जा-अना मिनल्-बय्यिनाति वल्लज़ी फ़-त-रना फ़क़्ज़ि मा अन्-त क़ाज़िन्, इन्नमा तक़्ज़ी हाज़िहिल्-हयातद्दुन्या (72) इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियग़्फ़ि-र लना ख़तायाना व मा अक्रह्तना अ़लैहि मिनस्सिह्रि, वल्लाहु ख़ैरुंव्-व अब्क़ा (73) ▲ इन्नहू मंय्यअ्ति रब्बहू मुज्रिमन् फ़-इन्-न लहू जहन्न-म, ला यमूतु फ़ीहा व ला यह्या (74) व मंय्यअ्तिही मुअ्मिनन् क़द् अ़मिलस्सालिहाति फ़-उलाइ-क लहुमुद्-द-रजातुल्-अ़ुला (75) जन्नातु अ़द्निन् तज्री मिन् तह्तिहल्-अन्हारु ख़ालिदी-न फ़ीहा, व ज़ालि-क जज़ा-उ मन् तज़क्का (76) ✿

और जान लोगे हम में किसका अ़ज़ाब सख़्त है और देर तक रहने वाला। (71) वे बोले हम तुझको ज़्यादा न समझेंगे उस चीज़ से जो पहुँची हमको साफ़ दलील और उससे जिसने हमको पैदा किया, सो तू कर गुज़र जो तुझको करना है, तू यही करेगा इस दुनिया की ज़िन्दगी में। (72) हम यक़ीन लाये हैं अपने रब पर ताकि बख़्शे हमको हमारे गुनाह और जो तूने ज़बरदस्ती करवाया हमसे यह जादू, और अल्लाह बेहतर है और सदा बाक़ी रहने वाला। (73) ▲ बात यही है कि जो कोई आया अपने रब के पास गुनाह लेकर सो उसके वास्ते दोज़ख़ है, न मरे उसमें न जिये। (74) और जो आया उसके पास ईमान लेकर नेकियाँ कर-कर सो उन लोगों के लिये हैं बुलन्द दर्जे। (75) बाग़ हैं बसने के, बहती हैं उनके नीचे से नहरें, हमेशा रहा करेंगे उनमें, और यह बदला है उसका जो पाक हुआ। (76) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ग़र्ज़ (कि यह सुनकर) फ़िरऔन (दरबार से अपनी जगह) लौट गया, फिर अपना मक्र का (यानी जादू का) सामान जमा करना शुरू किया, फिर (सब को लेकर उस मैदान में जहाँ वायदा ठहरा था) आया। (उस वक़्त) मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने उन (जादूगर) लोगों से फ़रमाया कि ऐ कमबख़्ती मारो! अल्लाह तआ़ला पर झूठ बोहतान मत बाँधो (कि उसके वजूद या तौहीद का इनकार करने लगो या उसके ज़ाहिर किये हुए मोजिज़ों को जादू बतलाने लगो) कभी ख़ुदा तआ़ला तुमको किसी क़िस्म की सज़ा से बिल्कुल नेस्तनाबूद ही कर दे, और जो झूठ बाँधता है वह (आख़िरकार) नाकाम रहता है। पस

जादूगर (यह बात सुनकर इन दोनों हज़रात के बारे में) आपस में अपनी राय में मतभेद करने लगे और ख़ुफ़िया गुफ़्तगू करते रहे। (आख़िरकार सब मुत्तफ़िक़ होकर) कहने लगे कि बेशक ये दोनों जादूगर हैं, इनका मतलब यह है कि अपने जादू (के ज़ोर) से तुमको तुम्हारी सरज़मीन से निकाल बाहर करें, और तुम्हारे उम्दा (मज़हबी) तरीक़े का दफ़्तर ही उठा दें। तो अब तुम मिलकर अपनी तदबीर का इन्तिज़ाम करो और सफ़ें बना करके (मुक़ाबले में) आओ, और आज वही कामयाब है जो ग़ालिब हो। (फिर) उन्होंने (मूसा अलैहिस्सलाम से) कहा कि ऐ मूसा (कहिये) आप (अपनी लाठी) पहले डालेंगे या हम पहले डालने वाले बनें। आपने (निहायत बेपरवाई से) फ़रमाया, नहीं! तुम ही पहले डालो, (चुनाँचे उन्होंने अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ डालीं और नज़रबन्दी कर दी) पस एक दम से उनकी रस्सियाँ और लाठियाँ उनकी नज़रबन्दी से मूसा (अलैहिस्सलाम) के ख़्याल में ऐसी मालूम होने लगीं जैसे (साँप की तरह) चलती दौड़ती हों। सो मूसा (अलैहिस्सलाम) के दिल में थोड़ा-सा ख़ौफ़ हुआ (कि जब देखने में ये रस्सियाँ और लाठियाँ भी साँप मालूम होती हैं और मेरी लाठी भी बहुत से बहुत साँप बन जायेगी तो देखने वाले तो दोनों चीज़ों को एक ही तरह का समझेंगे तो हक़ व बातिल में फ़र्क़ किस तरह करेंगे। और यह ख़ौफ़ तबीयत के तक़ाज़े की वजह से था वरना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यक़ीन था कि जब अल्लाह तआ़ला ने यह हुक्म दिया है तो इसकी तमाम ऊँच-नींच का भी इन्तिज़ाम करेगा और अपने पैग़म्बर की काफ़ी मदद करेगा, और ऐसा तबई ख़ौफ़ जो ख़्याल व वस्वसे के दर्जे में था, शाने कमाल के विरुद्ध नहीं। ग़र्ज़ कि जब यह ख़ौफ़ हुआ उस वक़्त) हमने कहा कि तुम डरो नहीं तुम ही ग़ालिब रहोगे। और (इसकी सूरत यह है कि) तुम्हारे दाहिने हाथ में जो (लाठी) है उसको डाल दो, इन लोगों ने जो कुछ (साँग) बनाया है यह (लाठी) सब को निगल जायेगी। यह जो कुछ इन्होंने बनाया है जादूगरों का साँग है, और जादूगर कहीं जाये (मोजिज़े के मुक़ाबले में कभी) कामयाब नहीं होता।

(मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली हो गई कि अब फ़र्क़ ख़ूब हो सकता है, चुनाँचे उन्होंने लाठी डाली और वाक़ई वह सब को निगल गयी) सो जादूगरों (ने जो यह जादू से ऊपर की चीज़ देखी तो समझ गये कि यह बेशक मोजिज़ा है और फ़ौरन ही सब) सज्दे में गिर गये (और बुलन्द आवाज़ से) कहा कि हम ईमान ले आये हारून और मूसा के परवर्दिगार पर। फ़िरऔन ने (यह वाक़िआ देखकर जादूगरों को धमकाया और) कहा कि इसके बिना ही कि मैं तुमको इजाज़त दूँ (यानी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़) तुम मूसा (अलैहिस्सलाम) पर ईमान ले आये, वाक़ई (मालूम होता है कि) वह (जादू में) तुम्हारे भी बड़े (और उस्ताद) हैं, कि उन्होंने तुमको जादू सिखलाया है, (और उस्ताद शागिर्दों ने साज़िश करके माल हासिल करने का मुक़ाबला किया है ताकि तुमको सरदारी हासिल हो) सो (अब हक़ीक़त मालूम हुई जाती है) मैं तुम सब के हाथ-पाँव कटवाता हूँ, एक तरफ़ का हाथ और एक तरफ़ का पाँव, और तुम सब को खजूरों के पेड़ पर टंगवाता हूँ (ताकि सब देखकर इब्रत हासिल करें) और यह भी तुमको मालूम हुआ जाता है कि हम दोनों में (यानी मुझमें और मूसा के रब में) किसका अ़ज़ाब ज़्यादा सख़्त और देरपा है। उन लोगों ने साफ़ जवाब दे दिया कि हम तुझको कभी तरजीह न देंगे उन दलीलों के मुक़ाबले में जो हमको मिली हैं, और उस ज़ात के मुक़ाबले में जिसने हमको पैदा

किया है, तुझको जो कुछ करना हो (दिल खोलकर) कर डाल। तू सिवाय इसके कि इस दुनियावी ज़िन्दगानी में कुछ कर ले और कर ही क्या सकता है। अब तो हम अपने रब पर ईमान ला चुके हैं ताकि हमारे (पिछले) गुनाह (कुफ़्र वग़ैरह) माफ़ कर दें, और तूने जो जादू (के पेश करने) में हम पर ज़ोर डाला उसको भी माफ़ कर दें और अल्लाह तआ़ला (अपनी ज़ात व सिफ़ात के एतिबार से भी तुझसे) लाख दर्जे अच्छे हैं, और (सवाब व सज़ा देने के एतिबार से भी) ज़्यादा बक़ा वाले हैं। (और तुझको न अच्छा होना नसीब है न बाक़ी रहना, तो तेरा क्या इनाम जिसका वादा हम से किया था और क्या अ़ज़ाब जिसकी अब धमकी सुनाता है, और अल्लाह तआ़ला के जिस सवाब और अ़ज़ाब को बक़ा है उसका क़ानून यह है कि) जो शख़्स (बग़ावत का) मुजरिम होकर (यानी काफ़िर होकर) अपने रब के पास हाज़िर होगा सो उसके लिये दोज़ख़ (मुक़र्रर) है, उसमें न मरेगा ही और न ज़िन्दा ही रहेगा। (न मरना तो ज़ाहिर है और न जीना यह कि जीने का आराम न होगा) और जो शख़्स रब के पास मोमिन होकर हाज़िर होगा, जिसने नेक काम भी किये हों, सो ऐसों के लिए बड़े ऊँचे दर्जे हैं। यानी हमेशा-हमेशा रहने के बाग़ात जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, वे उनमें हमेशा-हमेशा को रहेंगे, और जो शख़्स (कुफ़्र व गुनाहों से) पाक हो उसका यही इनाम है (पस इस क़ानून के मुवाफ़िक़ हमने कुफ़्र को छोड़कर ईमान इख़्तियार कर लिया)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

فَجَمَعَ كَيْدَهٗ.

फ़िरऔ़न ने अपने मक्र यानी मूसा अ़लैहिस्सलाम के मुक़ाबले की तदबीर में जादूगरों और उनके सामान को जमा कर लिया। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से उन जादूगरों की तायदाद बहत्तर मन्क़ूल है और दूसरे अक़वाल उनकी तायदाद में बहुत भिन्न हैं, चार सौ से लेकर नौ लाख तक उनकी तायदाद बतलाई गयी है, और यह सब अपने एक सरदार शमऊन के मातहत उसके हुक्म के मुताबिक़ काम करते थे, और कहा जाता है कि उनका सरदार एक अन्धा आदमी था। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) वल्लाहु आलम।

मूसा अ़लैहिस्सलाम का जादूगरों को पैग़म्बराना ख़िताब

जादू का मुक़ाबला मोजिज़ों से करने से पहले हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने जादूगरों को हमदर्दाना नसीहत भरे चन्द कलिमात कहकर अल्लाह के अ़ज़ाब से डराया, वो अलफ़ाज़ ये थेः

وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَّقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ٥

यानी तुम्हारी हलाकत (तबाही) सामने आ चुकी है, अल्लाह तआ़ला पर झूठ और बोहतान न लगाओ कि उसके साथ ख़ुदाई में फ़िरऔ़न या कोई और शरीक है, अगर तुम ऐसा करोगे तो वह तुमको अ़ज़ाब में पीस डालेगा और तुम्हारी जड़ बुनियाद उखाड़ देगा, और जो शख़्स अल्लाह तआ़ला पर बोहतान बाँधता है वह अन्जामकार नाकाम और मेहरूम होता है।

ज़ाहिर है कि फ़िरऔ़न की शैतानी ताक़त व क़ुव्वत और शान व शौकत के सहारे जो लोग

मुक़ाबला करने के लिये मैदान में आ चुके थे उन पर इन नसीहत भरे कलिमात का कोई असर होना बहुत ही दूर की बात थी, मगर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और उनके पैरोकारों के साथ हक़ की एक छुपी ताक़त व शान होती है, उनके सादे अलफ़ाज़ भी सख़्त से सख़्त दिलों पर तीर व नश्तर का काम करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ये जुमले सुनकर जादूगरों की सफ़ों में एक ज़लज़ला पड़ गया और आपस में मतभेद होने लगा कि ये कलिमात कोई जादूगर नहीं कह सकता, यह तो अल्लाह ही की तरफ़ से मालूम होते हैं। इसलिये कुछ ने कहा कि इनका मुक़ाबला करना मुनासिब नहीं, और कुछ अपनी बात पर जमे रहे 'फ़-तनाज़ऊ अम्रहुम् बैनहुम्' का यही मतलब है। फिर इस मतभेद को दूर करने के लिये आपस में सरगोशी और आहिस्ता मश्विरे होने लगे मगर आख़िरकार मजमूई राय मुक़ाबला करने की ही तय पाई और कहने लगे:

اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى○

यानी ये दोनों जादूगर हैं और यह चाहते हैं कि अपने जादू के ज़रिये तुमको यानी फ़िरऔन और आले फ़िरऔन को तुम्हारी ज़मीन मिस्र से निकाल दें। मतलब यह है कि जादू के ज़रिये तुम्हारे मुल्क पर अपना क़ब्ज़ा करना चाहते हैं और यह कि तुम्हारा तरीक़ा जो सबसे अफ़ज़ल व बेहतर है उसको मिटा दें। 'मुसला' अम्सल का स्त्री लिंग का कलिमा है जिसके मायने अफ़ज़ल व आला के हैं। मतलब यह था कि तुम्हारा मज़हब व तरीक़ा कि फ़िरऔन को अपना ख़ुदा और इख़्तियार व ताक़त का मालिक मानते हो यही सबसे अफ़ज़ल व बेहतर तरीक़ा है, ये लोग उसको मिटाकर अपना दीन व मज़हब फैलाना चाहते हैं। और लफ़्ज़ 'तरीक़ा' के एक मायने यह भी आते हैं कि क़ौम के सरदारों और नुमाईन्दा लोगों को उस क़ौम का तरीक़ा कहा जाता है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से इस जगह तरीक़ा की यही तफ़सीर मन्क़ूल है कि ये लोग चाहते हैं कि तुम्हारी क़ौम के सरदारों और इज़्ज़त वाले लोगों को ख़त्म कर दें, इसलिये तुम लोगों को चाहिये कि मुक़ाबले के लिये अपनी पूरी तदबीर व ताक़त ख़र्च करो और सब जादूगर क़तार बाँधकर एक साथ उनके मुक़ाबले पर अमल करो। जैसा कि क़ुरआन के अलफ़ाज़ हैं:

فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا.

क़तार बाँधकर मुक़ाबला करने से सामने वाले पर रौब डालने का एक ख़ास असर होता है इसलिये जादूगरों ने अपनी सफ़-बन्दी (क़तार बाँध) करके मुक़ाबला किया।

जादूगरों ने अपनी बेफ़िक्री और बेपरवाई का प्रदर्शन करने के लिये पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही से कहा कि पहल आप करते हैं या हम करें, यानी पहले आप अपना अमल करते हैं या हम करें? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में फ़रमाया कि पहले तुम्हीं डालो, और अपने जादू का करिश्मा दिखलाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस जवाब में बहुत सी हिक्मतें छुपी थीं। अव्वल तो मज्लिस का अदब कि जब जादूगरों ने अपना यह हौसला दिखलाया कि मुख़ालिफ़ को पहले हमला करने की इजाज़त दी तो इसका शरीफ़ाना जवाब यही था कि उनकी तरफ़ से इससे ज़्यादा हौसले के साथ उनको शुरूआत करने की इजाज़त दी जाये। दूसरे यह कि जादूगरों का यह कहना

अपने इत्मीनान और बेफ़िक्री का इज़हार था। हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने उन्हीं को शुरूआ़त करने का मौक़ा देकर अपनी बेफ़िक्री और इत्मीनान का सुबूत दे दिया। तीसरे यह कि हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के सामने उनके जादू के सब करिश्मे आ जायें, उसके बाद अपने मोजिज़ों का इज़हार करें तो एक ही वक़्त में हक़ के ग़लबे का ज़हूर स्पष्ट तौर पर हो जाये। जादूगरों ने हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के इस इरशाद पर अपना अ़मल शुरू कर दिया और अपनी लाठियाँ और रस्सियाँ जो बड़ी तायदाद में थीं एक ही वक़्त में ज़मीन पर डाल दीं और वो सब की सब बज़ाहिर साँप बनकर दौड़ती हुई नज़र आने लगीं। जैसा कि क़ुरआन ने फ़रमायाः

يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ○

इससे मालूम होता है कि फ़िरऔ़नी जादूगरों का जादू एक क़िस्म की नज़रबन्दी थी जो क़ुव्वते ख़्याली को प्रभावित करने के ज़रिये भी हो जाती है, कि देखने वालों को ये लाठियाँ और रस्सियाँ साँप बनकर दौड़ती हुई दिखाई देने लगीं, वह हक़ीक़त में साँप न बनी थीं, और अक्सर जादू इसी क़िस्म के होते हैं।

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ ○

यानी यह सूरतेहाल देखकर हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम पर ख़ौफ़ तारी हुआ जिसको उन्होंने अपने जी में छुपाये रखा, दूसरों पर ज़ाहिर नहीं होने दिया। यह ख़ौफ़ अगर मूसा अ़लैहिस्सलाम को अपनी जान के लिये हुआ तो इनसान होने की वजह से ऐसा होना नुबुव्वत के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन ज़ाहिर यह है कि ख़ौफ़ अपनी जान का नहीं था बल्कि इसका था कि इस मजमे के सामने जादूगरों का ग़लबा महसूस किया गया तो जो मक़सद नुबुव्वत की दावत का था वह पूरा न हो सकेगा, इसी लिये इसके जवाब में हक़ तआ़ला की तरफ़ से जो इरशाद हुआ उसमें यह इत्मीनान दिलाया गया कि जादूगर ग़ालिब न आ सकेंगे, आप ही को फ़तह और ग़लबा हासिल होगा। अगली आयत में:

لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ○

फ़रमाकर इस ख़तरे और डर को दूर किया गया है।

وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ.

मूसा अ़लैहिस्सलाम को वही के ज़रिये ख़िताब हुआ कि आपके हाथ में जो चीज़ है उसको डाल दो। मुराद इससे मूसा अ़लैहिस्सलाम की लाठी थी, मगर यहाँ लाठी का ज़िक्र नहीं फ़रमाया। इरशाद इस बात की तरफ़ था कि उनके जादू की कोई हक़ीक़त नहीं, इसकी परवाह न करो और जो कुछ भी तुम्हारे हाथ में है डाल दो, वह उनके सब साँपों को निगल जायेगा। चुनाँचे ऐसा ही हुआ, हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने अपनी लाठी डाल दी, वह एक बड़ा अज़्दहा बनकर उन सब जादू के साँपों को निगल गया।

फ़िरऔ़नी जादूगरों का मुसलमान होकर सज्दे में पड़ जाना

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम की लाठी ने अज़्दहा बनकर जब उनके ख़्याली सपनों को निगल लिया

तो चूँकि ये लोग जादू के माहिर थे, इनको यकीन हो गया कि यह काम जादू के ज़रिये नहीं हो सकता, बल्कि यह बिला शुब्हा मोजिज़ा है जो ख़ालिस अल्लाह तआ़ला की क़ुदरत से ज़ाहिर होता है, इसलिये सज्दे में गिर गये और ऐलान कर दिया कि हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आये। हदीस की कुछ रिवायतों में है कि उन जादूगरों ने सज्दे से उस वक़्त तक सर नहीं उठाया जब तक कि उनको अल्लाह की तरफ़ से जन्नत और दोज़ख़ नहीं दिखा दी गयी, जैसा कि हज़रत इक्रिमा की रिवायत से अ़ब्द इब्ने हुमैद, इब्ने अबी हातिम और इब्नुल-मुन्ज़िर ने नक़ल किया है। (रूहुल-मआ़नी)

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ.

फ़िरऔन की रुस्वाई अल्लाह तआ़ला ने इस अज़ीमुश्शान मजमे के सामने खोल कर रख दी तो बौखला कर अव्वल तो जादूगरों को यह कहने लगा कि बग़ैर मेरी इजाज़त के तुम कैसे इन पर ईमान लाये। गोया लोगों को यह बतलाना था कि मेरी इजाज़त के बग़ैर इन जादूगरों का कोई क़ौल फ़ेल मोतबर नहीं, मगर ज़ाहिर है कि इस खुले हुए मोजिज़े के बाद किसी की इजाज़त की ज़रूरत किसी अ़क़्लमन्द इनसान के नज़दीक कोई हैसियत नहीं रखती, इसलिये अब जादूगरों पर इस साज़िश का इल्ज़ाम लगाया कि अब मालूम हुआ कि तुम सब मूसा के शागिर्द हो, इसी जादूगर ने तुम्हें जादू सिखाया है और तुमने साज़िश करके इसके सामने अपनी हार मान ली है।

فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ.

अब जादूगरों को सख़्त सज़ा से डराया कि तुम्हारे हाथ-पाँव काटे जायेंगे, जिसकी सूरत यह होगी कि दाहिना हाथ कटेगा तो बायाँ पाँव काटा जायेगा। यह सूरत या तो इसलिये तजवीज़ की कि फ़िरऔनी क़ानून में सज़ा का यही तरीक़ा राइज होगा, या इसलिये कि इस सूरत में इनसान एक इब्रत का नमूना बन जाता है।

وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ.

यानी हाथ-पाँव काटकर फिर तुम्हें खजूर के पेड़ों पर सूली दी जायेगी कि तुम उन पर इसी तरह लटके रहोगे यहाँ तक कि भूख और प्यास से मर जाओ।

قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا.

जादूगरों ने फ़िरऔन की यह सख़्त धमकी और सज़ा देने का ऐलान सुनकर अपने ईमान पर बड़ी पुख़्तगी का सुबूत दिया। कहने लगे कि हम तुझे या तेरे किसी क़ौल को उन निशानियों और मोजिज़ों पर तरजीह नहीं दे सकते जो हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के ज़रिये हमारे सामने आ चुके हैं। हज़रत इक्रिमा ने फ़रमाया कि जादूगर जब सज्दे में गिरे तो अल्लाह तआ़ला ने उनको जन्नत के उन बुलन्द मक़ामात और नेमतों को दिखा दिया जो उनको मिलने वाले थे, इसको उन लोगों ने कहा कि इन खुली निशानियों के होते हुए हम तेरी बात नहीं मान सकते। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) तथा ख़ालिक़े कायनात आसमानों के रब को छोड़कर तुझे अपना रब नहीं मान सकते।

فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ.

अब जो तेरा जी चाहे हमारे बारे में फ़ैसला कर, और जो चाहे सज़ा तजवीज़ कर।

اِنَّمَا تَقْضِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا.

यानी अगर तूने हमें सज़ा दे भी दी तो वह सज़ा सिर्फ़ इसी दुनिया की चन्द दिन की ज़िन्दगी ही तक होगी, मरने के बाद तो तेरा हम पर क़ब्ज़ा नहीं रहेगा, बख़िलाफ़ हक़ तआ़ला के कि हम उसके क़ब्ज़े में मरने से पहले भी हैं और मरने के बाद भी, उसकी सज़ा की फ़िक्र सबसे पहले है।

وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ.

जादूगरों ने अब फ़िरऔ़न पर यह इल्ज़ाम लगाया कि हमें जादूगरी पर तूने ही मजबूर कर रखा था वरना हम इस बेहूदा काम के पास न जाते, अब हम ईमान लाकर अल्लाह से इस जादू के गुनाह की भी माफ़ी माँगते हैं। यहाँ यह सवाल हो सकता है कि ये जादूगर तो ख़ुद अपने इख़्तियार से मुक़ाबला करने के लिये आये थे और उस मुक़ाबले की सौदेबाज़ी भी फ़िरऔ़न से कर चुके थे कि हम ग़ालिब आयेंगे तो क्या मिलेगा, फिर उनका फ़िरऔ़न पर यह इल्ज़ाम लगाना कि तूने हमें जादू करने पर मजबूर कर रखा था यह कैसे सही होगा? इसकी एक वजह तो यह हो सकती है कि ये जादूगर शुरू में तो शाही इनाम व सम्मान के लालच में मुक़ाबले के लिये तैयार थे बाद में इनको कुछ एहसास हुआ कि हम मोजिज़े का मुक़ाबला नहीं कर सकते, उस वक़्त फ़िरऔ़न ने इनको मजबूर किया। दूसरी वजह यह भी बयान की गयी है कि फ़िरऔ़न ने अपने मुल्क में जादूगरी की तालीम को जबरी (लाज़िमी) बनाया हुआ था, इसलिये हर शख़्स जादू सीखने पर मजबूर था। (रूहुल-मआ़नी)

फ़िरऔ़न की बीवी आसिया का अच्छा अन्जाम

तफ़सीरे क़ुर्तुबी में है कि हक़ व बातिल के इस मुक़ाबले के वक़्त फ़िरऔ़न की बीवी बराबर ख़बर रखती रही कि अन्जाम क्या हुआ। जब उसको यह बतलाया गया कि मूसा व हारून ग़ालिब आ गये तो फ़ौरन उसने ऐलान कर दिया कि मैं भी मूसा व हारून के रब पर ईमान ले आई। फ़िरऔ़न को अपने घर की ख़बर लगी तो हुक्म दिया कि एक बड़े पत्थर की चट्टान उठाकर उसके ऊपर डाल दो। हज़रत आसिया ने जब यह देखा तो आसमान की तरफ़ नज़र उठाई और अल्लाह से फ़रियाद की। हक़ तआ़ला ने पत्थर उसके ऊपर गिरने से पहले उसकी रूह क़ब्ज़ कर ली, फिर पत्थर उस बेजान जिस्म पर गिरा।

फ़िरऔ़नी जादूगरों में अ़जीब बदलाव

اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا .... ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى۝

ये कलिमात और तथ्य (जो आयत नम्बर 74-76 बयान किये गये हैं) जिनका ताल्लुक़ ख़ालिस इस्लामी अ़क़ीदों और आख़िरत के जहान से है, उन जादूगरों की ज़ुबान से अदा हो रहे हैं जो अभी अभी मुसलमान हुए हैं और इस्लामी अ़क़ीदों व आमाल की कोई तालीम उनको मिली नहीं, यह सब हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम की सोहबत की बरकत और उनके इख़्लास का असर था कि हक़ तआ़ला

ने उन पर दीन के तमाम तथ्य (हक़ीक़तें) आन की आन में ऐसे खोल दिये कि उनके मुक़ाबले में न अपनी जान की परवाह रही न किसी बड़ी से बड़ी सज़ा और तकलीफ़ का ख़ौफ़ रहा, गोया ईमान के साथ-साथ ही उनको विलायत (अल्लाह की निकटता और बुज़ुर्गी) का भी वह मक़ाम हासिल हो गया जो दूसरों को उम्र भर की मेहनतों और रियाज़तों से भी हासिल होना मुश्किल है। वाक़ई अल्लाह की ज़ात बड़ी बरकत वाली और बेहतरीन पैदा करने वाली है।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु और उबैद बिन उमैर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि अल्लाह की क़ुदरत का यह करिश्मा देखो कि ये लोग दिन के शुरू हिस्से में काफ़िर जादूगर थे और दिन के आख़िर हिस्से में अल्लाह के वली और शहीद। (इब्ने कसीर)

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا ۙ لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى ۝ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۝ وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى ۝ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۝ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِىْ ۚ وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِىْ فَقَدْ هَوٰى ۝ وَاِنِّىْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ۝

व ल-क़द् औहैना इला मूसा अन् अस्रि बिअ़िबादी फ़ज़्रिब् लहुम् तरीक़न् फ़िल्बह़्रि य-बसल्-ला तख़ाफ़ु द-रकंव्-व ला तख़्शा (77) फ़-अत्ब-अ़हुम् फ़िर्औ़नु बिजुनूदिही फ़-ग़शि-यहुम् मिनल्-यम्मि मा ग़शि-यहुम् (78) व अज़ल्-ल फ़िर्औ़नु क़ौ-महू व मा हदा (79) या बनी इस्राई-ल क़द् अन्जैनाकुम् मिन् अ़दुव्विकुम् व वाअ़द्नाकुम् जानिबत्तूरिल्-ऐम-न व नज़्ज़ल्ना अ़लैकुमुल्मन्-न वस्सल्वा (80)	और हमने हुक्म भेजा मूसा को कि ले निकल मेरे बन्दों को रात से फिर डाल दे उनके लिये समन्दर में रस्ता सूखा, न ख़तरा आ पकड़ने का और न डर डूबने से। (77) फिर पीछा किया उन काफ़िरों ने अपने लश्करों को लेकर, फिर ढाँप लिया उनको पानी ने जैसा कि ढाँप लिया। (78) और बहकाया फ़िरऔन ने अपनी क़ौम को और न समझाया। (79) ऐ इस्राईल की औलाद! छुड़ा लिया हमने तुमको तुम्हारे दुश्मन से और वायदा ठहराया तुमसे दाहिनी तरफ़ पहाड़ की और उतारा तुम पर मन्न व सलवा। (80)

कुलू मिन् तय्यिबाति मा रज़क़्नाकुम् व ला तत्ग़ौ फ़ीहि फ़-यहिल्-ल अलैकुम् ग़-ज़बी व मंय्यह्लिल् अलैहि ग़-ज़बी फ़-क़द् हवा (81) व इन्नी ल-ग़फ़्फ़ारुल्-लिमन् ता-ब व आम-न व अमि-ल सालिहन् सुम्मह्-तदा (82)	खाओ सुथरी चीज़ें जो रोज़ी दी हमने तुमको और न करो उसमें ज़्यादती फिर तो उतरेगा तुम पर मेरा ग़ुस्सा, और जिस पर उतरा मेरा ग़ुस्सा वह पटका गया। (81) और मेरी बड़ी बख़्शिश है उस पर जो तौबा करे और यक़ीन लाये और करे भला काम फिर राह पर रहे। (82)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (जब फ़िरऔन इस पर भी ईमान न लाया और एक मुद्दत तक मुख़्तलिफ़ मामलात व वाक़िआत होते रहे उस वक़्त) हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) के पास वही भेजी कि हमारे (उन) बन्दों को (यानी बनी इस्राईल को मिस्र से) रातों-रात (बाहर) ले जाओ (और दूर चले जाओ ताकि फ़िरऔन के ज़ुल्म व सख़्तियों से उनको निजात हो) फिर (राह में जो दरिया मिलेगा तो) उनके लिये दरिया में (लाठी मारकर) सूखा रास्ता बना देना, (यानी लाठी मारना कि उससे सूखा रास्ता बन जायेगा) न तुमको किसी के पीछा करने का अन्देशा होगा (क्योंकि पीछा करने वाले कामयाब न होंगे चाहे पीछा करें) और न और किसी क़िस्म का (मसलन डूबने वग़ैरह का) ख़ौफ़ होगा (बल्कि अमन व इत्मीनान से पार हो जाओगे। चुनाँचे मूसा अलैहिस्सलाम हुक्म के मुवाफ़िक़ उनको रातों-रात निकाल ले गये और सुबह मिस्र में ख़बर मशहूर हुई) पस फ़िरऔन अपने लश्करों को लेकर उनके पीछे चला (और बनी इस्राईल अल्लाह के वायदे के मुवाफ़िक़ दरिया से पार हो गये और अभी तक वो दरियाई रास्ते उसी तरह अपनी हालत पर थे जैसा कि एक दूसरी आयत में है 'वत्रुकिल् बह्-र रहवन् इन्नहुम जुन्दुम् मुग़्रक़ून'। फ़िरऔनियों ने जल्दी में कुछ आगा पीछा सोचा नहीं, उन रास्तों पर हो लिये, जब सब अन्दर आ गये) तो (उस वक़्त चारों तरफ़ से) दरिया (का पानी सिमट कर) उन पर जैसा मिलने को था, आ मिला (और सब ग़र्क़ होकर रह गये), और फ़िरऔन ने अपनी क़ौम को बुरी राह पर डाला और नेक राह उनको न बतलाई (जिसका उसको दावा था कि मैं तुम्हें सही रास्ते की रहनुमाई करूँगा। और बुरी राह होना ज़ाहिर है कि दुनिया का भी नुक़सान हुआ कि सब हलाक हुए और आख़िरत का भी, क्योंकि जहन्नम में गये जैसा कि आयत में है 'उद्ख़िलू आ-ल फ़िरऔ-न अशद्दल् अज़ाब'। फिर बनी इस्राईल को फ़िरऔन के पीछा करने और दरिया में डूबने से निजात के बाद और नेमतें इनायत हुईं मसलन तौरात का अता होना और मन्न व सलवा, इन नेमतों को अता करके हमने बनी इस्राईल से फ़रमाया कि) ऐ बनी इस्राईल! (देखो) हमने (तुमको कैसी-कैसी नेमतें दीं कि) तुमको तुम्हारे (ऐसे बड़े) दुश्मन से निजात दी, और हमने तुमसे (यानी तुम्हारे पैग़म्बर से तुम्हारे नफ़े के

वास्ते) तूर पहाड़ की दाहिनी जानिब आने का (और वहाँ उनके बाद तौरात देने का) वायदा किया, और (तीह की वादी में) हमने तुम पर 'मन्न' व 'सलवा' नाज़िल फ़रमाया। (और इजाज़त दी कि) हमने जो अच्छी चीज़ें (शरई तौर पर भी कि हलाल हैं और तबई तौर पर भी कि मज़ेदार हैं) तुमको दी हैं, उनको खाओ और उस (खाने) में (शरई) हद से मत गुज़रो, (मसलन यह कि हराम से हासिल किया जाये, जैसा कि दुर्रे मन्सूर में है, या खाकर नाफ़रमानी की जाये) कहीं मेरा ग़ज़ब तुम पर न आ जाये। और जिस शख़्स पर मेरा ग़ज़ब पड़ता है वह बिल्कुल गया गुज़रा हुआ। और (इसके साथ ही यह भी कि) मैं ऐसे लोगों के लिए बड़ा बख़्शने वाला भी हूँ जो (कुफ़्र व नाफ़रमानी से) तौबा कर लें और ईमान ले आएँ और नेक अ़मल करें, फिर (इसी) राह पर क़ायम (भी) रहें (यानी ईमान व नेक अ़मल पर पाबन्दी करें। यह मज़मून हमने बनी इस्राईल से कहा था कि नेमत को याद करना और शुक्र का हुक्म और बुरे कामों से रोकना और वादा वईद यह ख़ुद भी दीनी नेमत है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى.

हक़ व बातिल मोजिज़े और जादू के निर्णायक मुक़ाबले ने फ़िरऔ़न और आले फ़िरऔ़न की कमर तोड़ दी और बनी इस्राईल हज़रत मूसा व हारून अ़लैहिमस्सलाम के नेतृत्व में जमा हो गये तो अब उनको यहाँ से हिजरत का हुक्म मिलता है। और चूँकि फ़िरऔ़न के पीछा करने और आगे दरिया के रास्ते में रुकावट होने का ख़तरा सामने था इसलिये दोनों चीज़ों से हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को मुत्मईन कर दिया गया कि दरिया पर अपनी लाठी मारेंगे तो उसके बीच से ख़ुश्क रास्ते निकल आयेंगे और पीछे से फ़िरऔ़न के पीछा करने का ख़तरा न रहेगा जिसका तफ़सीली वाक़िआ़ हदीसुल-फ़ुतून के तहत में इसी सूरत में गुज़र चुका है।

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने दरिया पर लाठी मारी तो उसमें सड़कें इस तरह बन गयीं कि पानी के तूदे जमे हुए दरिया की तरह दोनों तरफ़ पहाड़ के बराबर खड़े रहे और दरमियान से रास्ते ख़ुश्क निकल आये जैसा कि सूरः शूरा में है:

فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ۝

और दरमियान में जो ये पानी की दीवारें उन बारह सड़कों के बीच थीं उनको क़ुदरत ने ऐसा बना दिया कि एक सड़क से गुज़रने वाले दूसरी सड़कों से गुज़रने वालों को देखते भी जाते थे और आपस में बातें भी कर रहे थे, ताकि उनके दिलों में यह ख़ौफ़ व घबराहट भी न रहे कि हमारे दूसरे क़बीलों का क्या हाल हुआ। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

मिस्र से निकलने के वक़्त बनी इस्राईल के कुछ हालात, उनकी तायदाद और फ़िरऔ़न के लश्कर की संख्या

तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में यह रिवायत है कि हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम शुरू रात में बनी इस्राईल

को साथ लेकर मिस्र से दरियाये क़ुल्ज़ुम की तरफ़ निकले। बनी इस्राईल ने इससे पहले शहर के लोगों में यह शोहरत दे दी थी कि हमारी ईद है हम ईद मनाने के लिये बाहर जायेंगे, और इस बहाने से किब्ती लोगों से कुछ ज़ेवरात माँगे के तौर पर ले लिये कि ईद से आकर वापस कर देंगे। बनी इस्राईल की तायदाद उस वक़्त छह लाख तीन हज़ार और दूसरी रिवायत में छह लाख सत्तर हज़ार थी (ये इस्राईली रिवायतें हैं जिनमें हो सकता है कुछ बढ़ा-चढ़ाकर बयान किया गया हो लेकिन इतनी बात क़ुरआने करीम के इशारात और हदीस की रिवायतों से साबित है कि उनके बारह क़बीले थे और हर क़बीले की बहुत बड़ी तायदाद थी। यह भी हक़ तआ़ला की क़ुदरत का एक अ़ज़ीम नज़ारा था कि) जब ये हज़रात यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र आये तो बारह भाई थे, अब बारह भाईयों के बारह क़बीलों की इतनी ज़बरदस्त संख्या मिस्र से निकली जो छह लाख से ज़ायद बतलाई जाती है। फ़िरऔ़न को जब इनके निकल जाने की इत्तिला मिली तो अपनी फ़ौजें जमा कीं जिनमें सत्तर हज़ार सियाह घोड़े थे और लश्कर के अगले हिस्से में सात लाख सवार थे। जब पीछे से इस फ़ौजी सैलाब को और आगे दरिया-ए-क़ुल्ज़ुम को बनी इस्राईल ने देखा तो घबरा उठे और मूसा अ़लैहिस्सलाम से फ़रियाद की 'इन्ना लमुद्रकून' कि हम तो पकड़ लिये गये। मूसा अ़लैहिस्सलाम ने तसल्ली दी कि 'इन्-न मअ़ि-य रब्बी स-यह्दीन' कि मेरे साथ मेरा रब है वह मुझे रास्ता देगा। फिर अल्लाह के हुक्म से दरिया पर लाठी मारी और उसमें बारह सूखी सड़कें निकल आयीं। बनी इस्राईल के बारह क़बीले उनसे गुज़र गये। जिस वक़्त फ़िरऔ़न और उसका लश्कर यहाँ पहुँचा तो फ़िरऔ़न का लश्कर यह हैरत-अंगेज़ मन्ज़र देखकर सहम गया कि उनके लिये दरिया में किस तरह रास्ते बन गये, मगर फ़िरऔ़न ने उनको कहा कि यह सब करिश्मा मेरी हैबत का है जिससे दरिया की रवानगी रुककर रास्ते बन गये हैं। यह कहकर फ़ौरन आगे बढ़कर अपना घोड़ा दरिया के उस रास्ते में डाल दिया और सब लश्कर को पीछे आने का हुक्म दिया। जिस वक़्त फ़िरऔ़न मय अपने तमाम लश्कर के उन दरियाई रास्तों के अन्दर समा चुके उसी वक़्त हक़ तआ़ला ने दरिया को रवानी का हुक्म दे दिया और दरिया के सब हिस्से मिल गये 'फ़-ग़शि-यहुम मिनल्-यम्मि मा ग़शि-यहुम्' का यही हासिल है।

(तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ

फ़िरऔ़न से निजात पाने और दरिया से पार होने के बाद अल्लाह तआ़ला ने हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम से और उनके माध्यम से तमाम बनी इस्राईल से यह वायदा फ़रमाया कि वह तूर पहाड़ की दाहिनी जानिब चले आयें ताकि हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को तौरात अ़ता की जाये, और बनी इस्राईल ख़ुद भी अल्लाह तआ़ला के साथ उनके कलाम करने के सम्मान को देख लें।

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى٥

यह वाक़िआ़ उस वक़्त का है जब बनी इस्राईल दरिया पार करने के बाद आगे बढ़े और एक पवित्र शहर में दाख़िल होने का उनको हुक्म मिला। उन्होंने हुक्म की ख़िलाफ़वर्ज़ी की, उसकी यह सज़ा दी गयी कि उसी वादी में जिसको वादी-ए-तीह कहते हैं क़ैद कर दिये गये। यहाँ से चालीस साल

तक बाहर न निकल सके। इस सज़ा के बावजूद हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम की बरकत से उन पर इस क़ैद के ज़माने में भी तरह-तरह के इनामात होते रहे, उन्हीं में से मन्न व सलवा का इनाम था जो उनकी गिज़ा (ख़ुराक) के लिये दिया जाता था।

وَمَآ اَعۡجَلَكَ عَنۡ قَوۡمِكَ يٰمُوۡسٰى ۝ قَالَ هُمۡ اُولَآءِ عَلٰٓى اَثَرِىۡ وَعَجِلۡتُ اِلَيۡكَ رَبِّ لِتَرۡضٰى ۝ قَالَ فَاِنَّا قَدۡ فَتَنَّا قَوۡمَكَ مِنۡۢ بَعۡدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِىُّ ۝ فَرَجَعَ مُوۡسٰٓى اِلٰى قَوۡمِهٖ غَضۡبَانَ اَسِفًا ۚ قَالَ يٰقَوۡمِ اَلَمۡ يَعِدۡكُمۡ رَبُّكُمۡ وَعۡدًا حَسَنًا ؕ اَفَطَالَ عَلَيۡكُمُ الۡعَهۡدُ اَمۡ اَرَدۡتُّمۡ اَنۡ يَّحِلَّ عَلَيۡكُمۡ غَضَبٌ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ فَاَخۡلَفۡتُمۡ مَّوۡعِدِىۡ ۝ قَالُوۡا مَاۤ اَخۡلَفۡنَا مَوۡعِدَكَ بِمَلۡكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلۡنَاۤ اَوۡزَارًا مِّنۡ زِيۡنَةِ الۡقَوۡمِ فَقَذَفۡنٰهَا فَكَذٰلِكَ اَلۡقَى السَّامِرِىُّ ۝ فَاَخۡرَجَ لَهُمۡ عِجۡلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ فَقَالُوۡا هٰذَاۤ اِلٰهُكُمۡ وَاِلٰهُ مُوۡسٰى ۙ فَنَسِىَ ۝ اَفَلَا يَرَوۡنَ اَلَّا يَرۡجِعُ اِلَيۡهِمۡ قَوۡلًا ۙ وَّلَا يَمۡلِكُ لَهُمۡ ضَرًّا وَّلَا نَفۡعًا ۝

ع ١٣

व मा अअ़्ज-ल-क अ़न् क़ौमि-क या मूसा (83) क़ा-ल हुम् उला-इ अ़ला अ-सरी व अ़जिल्तु इलै-क रब्बि लितर्ज़ा (84) क़ा-ल फ़-इन्ना क़द् फ़तन्ना क़ौम-क मिम्-बअ़्दि-क व अज़ल्लहुमुस्-सामिरिय्यु (85) फ़-र-ज-अ़ मूसा इला क़ौमिही ग़ज़्बा-न असिफ़न्, क़ा-ल या क़ौमि अलम् यअ़िद्कुम् रब्बुकुम् वअ़्दन् ह-सनन्, अ-फ़ता-ल अ़लैकुमुल्-अ़ह्दु अम् अरत्तुम् अंय्यहिल्-ल अ़लैकुम् ग़-ज़बुम् मिर्रब्बिकुम् फ़-अख़्लफ़्तुम् मौअ़िदी (86) क़ालू मा अख़्लफ़्ना मौअ़ि-द-क बिमल्किना व लाकिन्ना	और क्यों जल्दी की तूने अपनी क़ौम से ऐ मूसा? (83) बोला वे यह आ रहे हैं मेरे पीछे और मैं जल्दी आया तेरी तरफ़ ऐ मेरे रब ताकि तू राज़ी हो। (84) फ़रमाया हमने तो बिचला दिया तेरी क़ौम को तेरे पीछे और बहकाया उनको सामरी ने। (85) फिर उल्टा फिरा मूसा अपनी क़ौम के पास ग़ुस्से में भरा पछताता हुआ कहा ऐ क़ौम! क्या तुमसे वायदा न किया था तुम्हारे रब ने अच्छा वायदा, क्या लम्बी हो गई तुम पर मुद्दत या चाहा तुम ने कि उतरे तुम पर ग़ज़ब तुम्हारे रब का इसलिये ख़िलाफ़ किया तुमने मेरा वायदा। (86) बोले हमने ख़िलाफ़ नहीं किया तेरा वायदा अपने इख़्तियार से व लेकिन

हुम्मिल्ना औज़ारम्-मिन् ज़ीनतिल्-क़ौमि फ़-क़ज़फ़्नाहा फ़-कज़ालि-क अल्क़स्-सामिरिय्यु (87) फ़-अख़्र-ज लहुम् अिज्लन् ज-सदल्-लहू ख़ुवारुन् फ़क़ालू हाज़ा इलाहुकुम् व इलाहु मूसा फ़-नसि-य (88) अ-फ़ला यरौ-न अल्ला यर्जिअ़ु इलैहिम् क़ौलंव्-व ला यम्लिकु लहुम् ज़र्रंव्-व ला नफ़्आ़ (89) ✿

उठवाया हमसे भारी बोझ क़ौमे फ़िरऔन के ज़ेवर का सो हमने उसको फेंक दिया फिर इस तरह डाला सामरी ने। (87) फिर बना निकाला उनके वास्ते एक बछड़ा एक धड़ जिसमें आवाज़ गाये की फिर कहने लगे यह माबूद है तुम्हारा और माबूद है मूसा का, सो वह भूल गया। (88) भला ये लोग नहीं देखते कि वह जवाब तक नहीं देता इनको किसी बात का और इख़्तियार नहीं रखता इनके बुरे का और न भले का। (89) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (जब अल्लाह तआ़ला को तौरात देना मन्ज़ूर हुआ तो मूसा अ़लैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर आने का हुक्म फ़रमाया और क़ौम को भी, यानी कुछ को साथ आने का हुक्म हुआ जैसा कि फ़त्हुल-मन्नान में बयान किया गया है) मूसा अ़लैहिस्सलाम शौक़ में सबसे आगे तन्हा जा पहुँचे और दूसरे लोग अपनी जगह रह गये, तूर का इरादा ही नहीं किया, अल्लाह तआ़ला ने मूसा अ़लैहिस्सलाम से पूछा कि) ऐ मूसा! आपको अपनी क़ौम से आगे जल्दी आने का क्या सबब हुआ? उन्होंने (अपने गुमान के मुवाफ़िक़) अ़र्ज़ किया कि वे लोग यही तो हैं मेरे पीछे-पीछे (आ रहे हैं) और मैं (सबसे पहले) आपके पास (यानी उस जगह जहाँ गुफ़्तगू और मुख़ातब होने का आपने वायदा फ़रमाया) जल्दी से इसलिये चला आया कि आप (ज़्यादा) ख़ुश होंगे (क्योंकि हुक्म के पालन में पेशक़दमी करना ज़्यादा ख़ुशनूदी का सबब है) इरशाद हुआ कि तुम्हारी क़ौम को तो हमने तुम्हारे (चले आने के) बाद (एक बला में) मुब्तला कर दिया और उनको सामरी ने गुमराह कर दिया (जिसका बयान आगे आता है आयत 88 में। और 'फ़तन्ना' में इस आज़माईश को अल्लाह तआ़ला ने अपनी तरफ़ मन्सूब इसलिए किया कि हर काम का ख़ालिक़ वही है वरना असल निस्बत इस काम की सामरी की तरफ़ है जिसको आयत 85 में ज़ाहिर फ़रमाया है)।

ग़र्ज़ कि मूसा (अ़लैहिस्सलाम मियाद पूरी करने के बाद) ग़ुस्से और रंज में भरे हुए अपनी क़ौम की तरफ़ वापस आए (और) फ़रमाने लगे कि ऐ मेरी क़ौम! क्या तुमसे तुम्हारे रब ने एक अच्छा (और सच्चा) वायदा नहीं किया था (कि हम तुमको अहकाम की एक किताब देंगे तो उस किताब का तो तुमको इन्तिज़ार वाजिब था) क्या तुम पर (मुक़र्ररा मियाद से बहुत ज़्यादा) ज़माना गुज़र गया था, (कि उसके मिलने से नाउम्मीदी हो गई इसलिये अपनी तरफ़ से एक इबादत गढ़ ली) या (बावजूद नाउम्मीदी न होने के) तुमको यह मन्ज़ूर हुआ कि तुम पर तुम्हारे रब का ग़ज़ब आ पड़े, इसलिए तुमने

मुझसे जो वायदा किया था (कि आपकी वापसी तक कोई नया काम न करेंगे और आपके नायब हारून की इताअ़त करेंगे) उसको ख़िलाफ़ किया। वे कहने लगे कि हमने जो आपसे वायदा किया था उसको अपने इख़्तियार से ख़िलाफ़ नहीं किया (यह मायने नहीं कि किसी ने उनसे ज़बरदस्ती यह काम करा लिया बल्कि मतलब यह है कि जिस राय को हमने शुरू में जबकि हम ख़ाली ज़ेहन थे इख़्तियार कर लिया था, उसके ख़िलाफ़ सामरी का अ़मल हमारे लिये शुब्हे में पड़ने का सबब बन गया जिससे हमने वह पहली राय यानी तौहीद इख़्तियार न की बल्कि राय बदल गई। गो उस पर भी अ़मल इख़्तियार ही से हुआ, चुनाँचे आईन्दा कहा गया) व लेकिन (क़िब्ती) क़ौम के ज़ेवर में से हम पर बोझ लद रहा था, सो हमने उसको (सामरी के कहने से आग में) डाल दिया, फिर उसी तरह सामरी ने (भी अपने साथ का ज़ेवर) डाल दिया। (आगे अल्लाह तआ़ला क़िस्से की तकमील इस तरह फ़रमाते हैं) फिर उस (सामरी) ने उन लोगों के लिये एक बछड़ा (बनाकर) ज़ाहिर किया कि वह एक क़ालिब (ढाँचा और ख़ोल था जो कमालात से ख़ाली) था, जिसमें एक (बेमानी) आवाज़ थी, सो (उसके बारे में वे अहमक़) लोग (एक-दूसरे से) कहने लगे कि तुम्हारा और मूसा का भी माबूद तो यह है, (इसकी इबादत करो) मूसा तो भूल गये (कि तूर पर ख़ुदा की तलब में गये हैं। हक़ तआ़ला उनकी अहमक़ाना जुर्रत पर फ़रमाते हैं कि) क्या वे लोग इतना भी नहीं देखते थे कि वह (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) न तो उनकी किसी बात का जवाब दे सकता है और न उनके किसी नुक़सान या नफ़े पर क़ुदरत रखता है (ऐसा नाकारा ख़ुदा क्या होगा, और सच्चा माबूद नबियों के वास्ते से ख़िताब और ज़रूरी कलाम फ़रमाता है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

जब हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम और बनी इस्राईल फ़िरऔ़न के पीछा करने और दरिया से निजात पाने के बाद आगे बढ़े तो उनका गुज़र एक बुत-परस्त (मूर्ति पूजक) क़ौम पर हुआ और उनकी इबादत व पूजा को देखकर बनी इस्राईल कहने लगे कि जिस तरह इन्होंने मौजूद और महसूस चीज़ों यानी बुतों को अपना ख़ुदा बना रखा है हमारे लिये भी कोई ऐसा ही माबूद बना दीजिए। हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने उनके अहमक़ाना सवाल के जवाब में बतलाया कि तुम बड़े जाहिल हो, ये बुत-परस्त लोग तो सब हलाक होने वाले हैं और इनका तरीक़ा बातिल है:

اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ○ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

उस वक़्त हक़ तआ़ला ने मूसा अ़लैहिस्सलाम से यह वायदा फ़रमाया कि अपनी क़ौम के साथ तूर पहाड़ पर आ जाईये तो हम आपको अपनी किताब तौरात अ़ता करेंगे जो आपके और आपकी क़ौम के लिये एक क़ानून होगा मगर तौरात देने से पहले आप तीस दिन और तीस रात का लगातार रोज़ा रखें फिर उसके बाद इस मियाद में दस का और इज़ाफ़ा करके चालीस दिन कर दिये गये और हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम मय अपनी क़ौम के तूर पहाड़ की तरफ़ रवाना हो गये। हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को अल्लाह के इस वायदे की वजह से शौक़ भड़क उठा और अपनी क़ौम को यह वसीयत करके आगे चले गये कि तुम भी मेरे पीछे आ जाओ, मैं आगे जाकर रोज़े वग़ैरह की इबादत

में मशग़ूल होता हूँ जिसकी मियाद मुझे तीस दिन बतलाई गयी है, मेरी ग़ैर-हाज़िरी में हारून मेरे नायब और क़ायम-मक़ाम (उत्तराधिकारी) होंगे। बनी इस्राईल मय हारून अ़लैहिस्सलाम के अपनी रफ़्तार से पीछे चलते रहे और हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम जल्दी करके आगे बढ़ गये और ख़्याल यह था कि क़ौम के लोग भी पीछे-पीछे तूर पहाड़ के क़रीब पहुँचेंगे मगर वहाँ वह सामरी का फ़ितना गौसाला परस्ती का पेश आ गया। बनी इस्राईल के तीन फ़िर्क़े होकर इख़्तिलाफ़ (मतभेद व विवाद) में मुब्तला हो गये और हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के पीछे-पीछे पहुँचने का मामला रुक गया।

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम जब हाज़िर हुए तो हक़ तआ़ला ने यह ख़िताब फ़रमायाः

وَمَآ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى ○

यानी ऐ मूसा आप अपनी क़ौम से आगे जल्दी करके क्यों आ गये।

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम से जल्द बाज़ी का सवाल और उसकी हिक्मत

सवाल का मक़सद बज़ाहिर यह था कि मूसा अ़लैहिस्सलाम अपनी क़ौम की हालत से बेख़बर रहकर यह उम्मीद कर रहे थे कि वे भी तूर पहाड़ के क़रीब पहुँच गये होंगे और क़ौम फ़ितने में मुब्तला हो चुकी है इसकी ख़बर मूसा अ़लैहिस्सलाम को दे दी जाये। (तफ़सीर इब्ने कसीर) और तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में कश्फ़ के हवाले से इस सवाल की वजह हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को अपनी क़ौम की तरबियत के मुताल्लिक़ एक ख़ास हिदायत देना और उनकी इस जल्द बाज़ी पर तंबीह करना था कि आपके रिसालत के मन्सब (पद और ज़िम्मेदारी) का तक़ाज़ा यह था कि क़ौम के साथ रहते, उनको अपनी नज़र में रखते और साथ लाते। आपकी जल्द बाज़ी का यह नतीजा हुआ कि क़ौम को सामरी ने गुमराह कर दिया। इसमें ख़ुद जल्द बाज़ी के काम की बुराई की तरफ़ भी इशारा है कि नबियों की यह शान न होनी चाहिये। और 'इन्तिसाफ़' के हवाले से नक़ल किया है कि इसमें हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को क़ौम के साथ सफ़र करने का तरीक़ा बतलाया गया कि क़ौम के सरदार को पीछे रहना चाहिये जैसे लूत अ़लैहिस्सलाम के वाक़िए में हक़ तआ़ला ने उनको हुक्म दिया कि मोमिनों को अपने साथ लेकर शहर से निकल जाईये, उनको आगे रखकर ख़ुद उन सब के पीछे रहिये 'वत्तबिअ़् अद्बारहुम्'।

अल्लाह तआ़ला के उक्त सवाल के जवाब में हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने अपने गुमान के मुताबिक़ अ़र्ज़ किया कि मेरी क़ौम के लोग भी पीछे-पीछे पहुँचना ही चाहते हैं और मैं कुछ जल्दी करके आगे इसलिये आ गया कि हुक्म की तामील में आगे बढ़ना हाकिम की ज़्यादा ख़ुशनूदी का सबब हुआ करता है। उस वक़्त हक़ तआ़ला ने उनको क़ौम बनी इस्राईल में पेश आने वाले फ़ितने गौसाला परस्ती (गाय के बछड़े की पूजा) की इत्तिला दे दी और यह कि उनको तो सामरी ने गुमराह कर दिया है और वे फ़ितने में मुब्तला हो चुके हैं।

सामरी कौन था?

कुछ हज़रात ने कहा है कि यह आले फ़िरऔन का क़िब्ती आदमी था जो मूसा अ़लैहिस्सलाम के पड़ोस में रहता था। मूसा अ़लैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और जब बनी इस्राईल को लेकर मूसा अ़लैहिस्सलाम मिस्र से निकले तो यह भी साथ हो लिया। कुछ ने कहा कि यह बनी इस्राईल ही के एक क़बीले सामरा का सरदार था और क़बीला सामरा मुल्क शाम में परिचित है। हज़रत सईद बिन जुबैर रह. ने फ़रमाया कि यह फ़ारसी शख़्स किरमान का रहने वाला था। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि यह एक ऐसी क़ौम का आदमी था जो गाय की पूजा करने वाली थी यह किसी तरह मिस्र पहुँच गया और बज़ाहिर बनी इस्राईल के दीन में दाख़िल हो गया मगर इसके दिल में निफ़ाक़ (खोट) था। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) हाशिया क़ुर्तुबी में है कि यह शख़्स हिन्दुस्तान का हिन्दू था जो गाय की इबादत करते हैं। मूसा अ़लैहिस्सलाम पर ईमान ले आया फिर अपने कुफ़्र की तरफ़ लौट गया या पहले ही से मुनाफ़िक़ाना तौर पर ईमान का इज़हार किया। वल्लाहु आलम

मशहूर यह है कि सामरी का नाम मूसा इब्ने ज़फ़र था। इब्ने जरीर ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि मूसा सामरी पैदा हुआ तो फ़िरऔन की तरफ़ से तमाम इस्राईली लड़कों के क़त्ल का हुक्म जारी था, उसकी वालिदा को ख़ौफ़ हुआ कि फ़िरऔनी सिपाही इसको क़त्ल कर देंगे तो बच्चे को अपने सामने क़त्ल होता देखने की मुसीबत से यह बेहतर समझा कि उसको जंगल के एक ग़ार (खोह) में रखकर ऊपर से बन्द कर दिया। (कभी-कभी उसकी ख़बरगीरी करती होगी) उधर अल्लाह तआ़ला ने जिब्रीले अमीन को उसकी हिफ़ाज़त और ग़िज़ा देने पर मामूर कर दिया, वह अपनी एक उंगली पर शहद एक पर मक्खन एक पर दूध लाते और इस बच्चे को चटा देते थे, यहाँ तक कि यह ग़ार ही में पलकर बड़ा हो गया और इसका अन्जाम यह हुआ कि कुफ़्र में मुब्तला हुआ और बनी इस्राईल को मुब्तला किया, फिर अल्लाह के क़हर में गिरफ़्तार हुआ। इसी मज़मून को किसी शायर ने दो शे'रों में इस तरह अदा किया है। (रूहुल-मआ़नी)

اذا المرء لم يخلق سعيدا تحيّرت عقول مربّيه و خاب المؤملُ

فموسى الذى ربّاه جبريل كافر وموسى الذى ربّاه فرعون مرسلُ

तर्जुमाः जब कोई शख़्स असल पैदाईश में नेकबख़्त न हो तो उसके परवरिश करने वालों की अ़क़्लें भी हैरान रह जाती हैं और उससे उम्मीद करने वाला मेहरूम हो जाता है। देखो जिस मूसा को जिब्रीले अमीन ने पाला था वह तो काफ़िर हो गया और जिस मूसा को फ़िरऔन मर्दूद ने पाला था वह ख़ुदा का रसूल बन गया।

اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا.

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने रंज व ग़म के आ़लम में वापस आकर क़ौम से ख़िताब किया और पहले उनको अल्लाह तआ़ला का वायदा याद दिलाया जिसके लिये वह सब क़ौम को लेकर तूर की जानिब ऐमन की तरफ़ चले थे कि यहाँ पहुँचकर अल्लाह तआ़ला अपनी हिदायत की किताब अ़ता फ़रमायेंगे और जिसके ज़रिये तुम्हारे दीन व दुनिया के तमाम मक़ासिद पूरे होंगे।

اَفَطَالَ عَلَيۡكُمُ الۡعَهۡدُ.

यानी अल्लाह के इस वायदे पर कोई बड़ी मुद्दत भी तो नहीं गुज़री जिसमें तुम्हारे भूल जाने का गुमान व संभावना हो कि वायदे का इन्तिज़ार लम्बे ज़माने तक करने के बाद मायूस हो गये इसलिये दूसरा तरीक़ा इख़्तियार कर लिया।

اَمۡ اَرَدۡتُّمۡ اَنۡ يَّحِلَّ عَلَيۡكُمۡ غَضَبٌ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ.

यानी भूल जाने या इन्तिज़ार से थक जाने का तो कोई शुब्हा व गुमान नहीं तो अब इसके सिवा क्या कहा जा सकता है कि तुमने ख़ुद ही अपने इरादे व इख़्तियार से अपने रब के ग़ज़ब को दावत दी।

قَالُوۡا مَاۤ اَخۡلَفۡنَا مَوۡعِدَكَ بِمَلۡكِنَا.

लफ़्ज़ 'मल्क' और 'मुल्क' दोनों के मायने तक़रीबन एक हैं और मुराद इस जगह इससे अपना इख़्तियार है, और मक़सद इसका यह है कि हमने गौसाला (गाय के बछड़े) की पूजा की शुरूआत अपने इख़्तियार से नहीं की बल्कि सामरी के अ़मल को देखकर हम मजबूर हो गये। ज़ाहिर है कि उनका यह दावा ग़लत और बेबुनियाद है। सामरी या उसके अ़मल ने उनको मजबूर तो नहीं कर दिया था, ख़ुद ही सोच-विचार से काम न लिया तो इसमें फंस गये। आगे सामरी का वह वाक़िआ़ बयान किया।

وَلٰكِنَّا حُمِّلۡنَاۤ اَوۡزَارًا مِّنۡ زِيۡنَةِ الۡقَوۡمِ.

लफ़्ज़ 'औज़ार' 'विज़्र' की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने भारीपन और बोझ के हैं। इनसान के गुनाह भी चूँकि क़ियामत के दिन उस पर बोझ बनकर लादे जायेंगे इसलिये गुनाह को विज़्र और गुनाहों को औज़ार कहा जाता है। 'ज़ीनतुल-क़ौमि' लफ़्ज़ ज़ीनत से मुराद ज़ेवर है और क़ौम से मुराद क़ौमे फ़िरऔ़न (क़िब्ती लोग) है, जिनसे बनी इस्राईल ने ईद का बहाना करके कुछ ज़ेवरात माँगे के तौर पर ले लिये थे, और वो फिर उनके साथ रहे। उनको औज़ार गुनाहों का बोझ के मायने में इसलिये कहा कि माँगे के तौर पर उन लोगों से लिये थे जिसका हक़ यह था कि उनको वापस किये जायें, चूँकि वापस नहीं किये गये तो इसको गुनाह क़रार दिया। और 'हदीस-ए-फ़ुतून' के नाम से जो तफ़सीली हदीस ऊपर नक़ल की गयी है उससे मालूम होता है कि हज़रत हारून अ़लैहिस्सलाम ने उन लोगों को इसके गुनाह होने पर चेताया और एक गढ़े में ये सब ज़ेवरात डाल देने का हुक्म दिया। कुछ रिवायतों में है कि सामरी ने अपना मतलब निकालने के लिये उनको कहा कि ये ज़ेवरात दूसरों का माल है तुम्हारे लिये इनका रखना वबाल है, उसके कहने से गढ़े में डाले गये।

काफ़िरों का माल मुसलमान के लिये किस सूरत में हलाल है

यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि काफ़िर जो ज़िम्मी के तौर पर यानी मुसलमानों की हुकूमत में उनके क़ानून की पाबन्दी करके बसते हैं, इसी तरह वे काफ़िर जिनसे मुसलमानों का कोई समझौता जान व माल वग़ैरह के अमन का हो जाये, उन काफ़िरों का माल तो ज़ाहिर है कि मुसलमानों के लिये

हलाल नहीं, लेकिन जो काफ़िर न मुसलमानों का ज़िम्मे वाला है न उससे उनका कोई अ़हद व मुआ़हदा है जिनको फ़ुक़हा की परिभाषा में **हरबी काफ़िर** कहा जाता है उनके माल तो मुसलमानों के लिये हलाल हैं फिर हारून अ़लैहिस्सलाम ने उनको विज़्र व गुनाह कैसे क़रार दिया और उनके क़ब्ज़े से निकालकर गढ़े में डालने का हुक्म क्यों दिया। इसका एक जवाब तो मशहूर है जो ज़्यादातर मुफ़स्सिरीन ने लिखा है कि हरबी काफ़िर का माल लेना अगरचे मुसलमान के लिये जायज़ है मगर वह माल माले ग़नीमत के हुक्म में है और माले ग़नीमत का क़ानून इस्लामी शरीअ़त से पहले यह था कि काफ़िरों के क़ब्ज़े से निकाल लेना तो उसका जायज़ था मगर मुसलमानों के लिये इस्तेमाल करना और उससे नफ़ा उठाना हलाल नहीं था, बल्कि माले ग़नीमत जमा करके किसी टीले वग़ैरह पर रख दिया जाता था और आसमानी आग (बिजली वग़ैरह) आकर उसको खा जाती थी। यही निशानी उनके जिहाद क़ुबूल होने की थी, और जिस माले ग़नीमत को आसमानी आग न खाये वह निशानी इसकी थी कि जिहाद मक़बूल नहीं, इसलिये वह माल भी मन्हूस समझा जाता और कोई उसके पास न जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की शरीअ़त में जो मख़्सूस रियायतें और सहूलतें दी गयी हैं उनमें से एक यह भी है कि माले ग़नीमत को मुसलमानों के लिये हलाल कर दिया गया जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस में इसकी वज़ाहत है।

इस क़ायदे के एतिबार से बनी इस्राईल के क़ब्ज़े में आया हुआ माल जो क़ौम से लिया था माले ग़नीमत ही के हुक्म में क़रार दिया जाये तब भी उसका इस्तेमाल उनके लिये जायज़ नहीं था, इसी वजह से उस माल को औज़ार (गुनाह और बोझ) के लफ़्ज़ से ताबीर किया गया और हज़रत हारून के हुक्म से उसको एक गढ़े में डाल दिया गया।

एक अहम फ़ायदा

लेकिन फ़िक़्ही नज़र से इस मामले की जो तहक़ीक़ इमाम मुहम्मद रह. की 'किताबुस्सियर' और उसकी शरह 'सरख़्सी' में बयान की गयी है वह बहुत अहम और ज़्यादा सही मालूम होती है। वह यह है कि हरबी काफ़िर का माल भी हर हाल में माले ग़नीमत नहीं होता बल्कि उसकी शर्त यह है कि बाक़ायदा जिहाद व क़िताल के ज़रिये तलवार के ज़ोर पर उनसे हासिल किया जाये, इसी लिये शरह सियर में 'मुग़ालबा बिल्मुहारबा' शर्त क़रार दिया है, और हरबी काफ़िर का जो माल मुग़ालबे और मुहारबे (यानी उनसे जंग करने और उन पर ग़ालिब आने) की सूरत से हासिल न हो वह माले ग़नीमत नहीं बल्कि उसको माल-ए-फ़ै कहते हैं, मगर उसके हलाल होने में उन काफ़िरों की रज़ा व इजाज़त शर्त है जैसे कोई इस्लामी हुकूमत उन पर टैक्स लगा दे और वे उस पर राज़ी हों कि यह टैक्स दे दें तो अगरचे यह कोई जंग व जिहाद नहीं मगर रज़ामन्दी से दिया हुआ माल माल-ए-फ़ै के हुक्म में है और वह भी हलाल है।

यहाँ क़ौमे फ़िरऔ़न से लिये हुए ज़ेवरात इन दोनों क़िस्मों में दाख़िल नहीं, क्योंकि ये उनसे माँगे और उधार के तौर पर कहकर लिये गये थे, वे इनको मालिकाना तौर पर देने के लिये रज़ामन्द न थे कि इसको माले-ए-फ़ै कहा जाये और कोई जंग व जिहाद तो वहाँ हुआ ही नहीं कि माले ग़नीमत शुमार किया जाये, इसलिये इस्लामी शरीअ़त के हिसाब से भी यह माल उनके लिये हलाल न था।

हिजरत के वाक़िए में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जब मदीना तय्यिबा जाने का इरादा फ़रमा लिया और आपके पास अ़रब के काफ़िरों की बहुत सी अमानतें रखी थीं, क्योंकि सारा अ़रब आपको अमानतदार यक़ीन करता और अमीन के लफ़्ज़ से ख़िताब करता था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनकी अमानतों को वापस करने का इतना एहतिमाम फ़रमाया कि हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहु वज्हहू के सुपुर्द करके अपने पीछे उनको छोड़ा और हुक्म दिया कि जिस जिसकी अमानत है उसको वापस कर दी जाये, आप इससे फ़ारिग़ होकर हिजरत करें। इस माल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने माले ग़नीमत के तहत हलाल क़रार नहीं दिया वरना वह मुसलमानों का हक़ होता, काफ़िरों को वापस करने का कोई सवाल ही नहीं था। वल्लाहु आलम

فَقَذَفْنٰهَا

यानी हमने उन ज़ेवरात को फेंक दिया। ऊपर बयान हुई हदीस-ए-फ़ुतून के एतिबार से यह अ़मल हज़रत हारून अ़लैहिस्सलाम के हुक्म से किया गया, और कुछ रिवायतों में है कि सामरी ने उनको बहका कर ज़ेवरात गढ़े में डलवा दिये और दोनों बातें जमा हो जायें यह भी कोई मुहाल नहीं।

فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِيُّ ۝

ऊपर बयान हो चुकी हदीस-ए-फ़ुतून में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास की रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत हारून अ़लैहिस्सलाम ने जब बनी इस्राईल के सब ज़ेवरात गढ़े में डलवा दिये और उसमें आग जलवा दी कि सब ज़ेवरात पिघल कर एक जिस्म हो जायें फिर हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के आने के बाद इसका मामला तय किया जायेगा कि क्या किया जाये। जब सब लोग अपने-अपने ज़ेवरात उसमें डाल चुके तो सामरी भी मुट्ठी बन्द किये हुए पहुँचा और हज़रत हारून अ़लैहिस्सलाम से कहा कि मैं भी डाल दूँ? हज़रत हारून अ़लैहिस्सलाम ने यह समझा कि इसके हाथ में भी कोई ज़ेवर होगा, फ़रमाया कि डाल दो। उस वक़्त सामरी ने हारून अ़लैहिस्सलाम से कहा कि मैं जब डालूँगा कि आप यह दुआ़ करें कि जो कुछ मैं चाहता हूँ वह पूरा हो जाये। हारून अ़लैहिस्सलाम को उसका निफ़ाक़ व कुफ़्र मालूम नहीं था दुआ़ कर दी। अब जो उसने अपने हाथ से डाला तो ज़ेवर के बजाय मिट्टी थी जिसको उसने जिब्रीले अमीन के घोड़े के क़दम के नीचे से कहीं यह हैरत-अंगेज़ वाक़िआ़ देखकर उठा लिया था कि जिस जगह उसका क़दम पड़ता वहीं मिट्टी में ज़िन्दगी और फलने-फूलने के आसार पैदा हो जाते हैं, जिससे उसने समझा कि इस मिट्टी में ज़िन्दगी के आसार (निशानात) रखे हुए हैं, शैतान ने उसको इस पर आमादा कर दिया कि यह उसके ज़रिये एक बछड़ा ज़िन्दा करके दिखलाये। बहरहाल उस मिट्टी का ज़ाती असर हो या हज़रत हारून अ़लैहिस्सलाम की दुआ़ का कि यह सोने चाँदी का पिघला हुआ ज़ख़ीरा उस मिट्टी के डालने और हारून अ़लैहिस्सलाम की दुआ़ करने के साथ एक ज़िन्दा बछड़ा बनकर बोलने लगा। जिन रिवायतों में है कि सामरी ही ने बनी इस्राईल को ज़ेवरात उस गड्ढे में डालने का मश्विरा दिया था उनमें यह भी है कि उसने ज़ेवरात को पिघलाकर एक बछड़े की मूरत तैयार कर ली थी मगर उसमें कोई ज़िन्दगी नहीं थी। फिर यह जिब्रीले अमीन के क़दम के निशान की मिट्टी डालने के बाद उसमें ज़िन्दगी पैदा हो गयी (यह सब

रिवायतें तफ़सीरे क़ुर्तुबी वग़ैरह में बयान हुई हैं, और ज़ाहिर है कि इस्राईली रिवायतें हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मगर इनको ग़लत कहने की भी कोई दलील मौजूद नहीं)।

فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ

यानी निकाल लिया सामरी ने उन ज़ेवरात से एक बछड़े का जिस्म जिसमें गाय की आवाज़ थी। लफ़्ज़ 'ज-सदन्' से कुछ हज़राते मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया कि यह महज़ एक ढाँचा और जिस्म था ज़िन्दगी उसमें नहीं थी, और आवाज़ भी एक ख़ास सिफ़त के सबब उससे निकलती थी। लेकिन आ़म मुफ़स्सिरीन का क़ौल वही है जो ऊपर लिखा गया कि उसमें ज़िन्दगी के आसार थे।

فَقَالُوْا هٰذَآ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى فَنَسِیَ ۝

यानी सामरी और उसके साथी यह बछड़ा बोलने वाला देखकर दूसरे बनी इस्राईल से कहने लगे कि यही तुम्हारा और मूसा का ख़ुदा है, मूसा अ़लैहिस्सलाम भूल-भटककर कहीं और चले गये। यहाँ तक बनी इस्राईल के बेबुनियाद और न चलने वाले उज़्र का बयान था जो उन्होंने हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के ग़ुस्से व नाराज़गी के वक़्त पेश किया, इसके बादः

اَفَلَا یَرَوْنَ اَلَّا یَرْجِعُ اِلَیْهِمْ قَوْلًا وَّلَا یَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ۝

में उनकी बेवक़ूफ़ी और गुमराही को बयान फ़रमाया है कि अगर यह वास्तव में एक ज़िन्दा बछड़ा ही हो गया और गाय की तरह बोलने भी लगा तो अ़क़्ल के दुश्मनो यह तो समझो कि ख़ुदाई का उससे क्या वास्ता है? जबकि न वह तुम्हारी किसी बात का जवाब दे सकता है, न तुम्हें कोई नफ़ा या नुक़सान पहुँचा सकता है, तो उसको ख़ुदा मानने की बेवक़ूफ़ी कैसे सही हो सकती है।

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ یٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِیْ وَاَطِیْعُوْٓا اَمْرِیْ ۝ قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَیْهِ عٰكِفِیْنَ حَتّٰی یَرْجِعَ اِلَیْنَا مُوْسٰی ۝ قَالَ یٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَیْتَهُمْ ضَلُّوْٓا ۝ اَلَّا تَتَّبِعَنِ ؕ اَفَعَصَیْتَ اَمْرِیْ ۝ قَالَ یَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْیَتِیْ وَلَا بِرَاْسِیْ ۚ اِنِّیْ خَشِیْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَیْنَ بَنِیْٓ اِسْرَآءِیْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِیْ ۝

व ल-क़द् क़ा-ल लहुम् हारूनु मिन् क़ब्लु या क़ौमि इन्नमा फ़ुतिन्तुम् बिही व इन्-न रब्बकुमुर्-रह्मानु फ़त्तबिअ़ूनी व अतीअ़ू अम्री (90) क़ालू लन् नब्र-ह अ़लैहि आ़किफ़ी-न हत्ता यर्जि-अ़ इलैना मूसा (91)	और कहा था उनको हारून ने पहले से ऐ क़ौम! बात यही है कि तुम बहक गये इस बछड़े से और तुम्हारा रब तो रहमान है सो मेरी राह चलो और मानो मेरी बात। (90) बोले हम बराबर इसी पर लगे बैठे रहेंगे जब तक लौटकर आये हमारे पास मूसा। (91)

क़ा-ल या हारूनु मा म-न-अ-क इज़् रऐ-तहुम् ज़ल्लू (92) अल्ला तत्तबि-अ़नि, अ-फ़-अ़सै-त अम्री (93) क़ा-ल यब्नउम्-म ला तअ्ख़ुज़् बिलिह्यती व ला बिरअ्सी इन्नी ख़शीतु अन् तक़ू-ल फ़र्रक़्-त बै-न बनी इस्राई-ल व लम् तर्क़ुब् क़ौली (94)	कहा मूसा ने- ऐ हारून! किस चीज़ ने रोका तुझको जब देखा था तूने कि वे बहक गये (92) कि तू मेरे पीछे न आया, क्या तूने रद्द किया मेरा हुक्म। (93) वह बोला ऐ मेरी माँ के जने! न पकड़ मेरी दाढ़ी और न सर, मैं डरा कि तू कहेगा फूट डाल दी तूने बनी इस्राईल में, और याद न रखी मेरी बात। (94)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और उन लोगों से हारून (अ़लैहिस्सलाम) ने (हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के लौटने से) पहले भी कहा था कि ऐ मेरी क़ौम! तुम इस (गौसाला) के सबब गुमराही में फँस गये हो (यानी इसकी पूजा किसी तरह दुरुस्त नहीं हो सकती, यह खुली गुमराही है) और तुम्हारा (वास्तविक) रब रहमान है (न कि यह गौसाला) सो तुम (दीन के बारे में) मेरी राह पर चलो और (इस बारे में) मेरा कहना मानो (यानी मेरे क़ौल व फ़ेल की पैरवी करो)। उन्होंने जवाब दिया कि हम तो जब तक मूसा (अ़लैहिस्सलाम) हमारे पास वापस (होकर) आएँ इसी (की इबादत) पर बराबर जमे बैठे रहेंगे। (ग़र्ज़ कि हारून अ़लैहिस्सलाम का कहना नहीं माना था यहाँ तक कि मूसा अ़लैहिस्सलाम भी आ गये और क़ौम से पहले ख़िताब किया जो ऊपर आ चुका, बाद उसके हारून अ़लैहिस्सलाम की तरफ़ मुतवज्जह हुए और) कहा कि ऐ हारून! जब तुमने (इनको) देखा था कि ये (बिल्कुल) गुमराह हो गये (और नसीहत भी नहीं सुनी) तो (उस वक़्त) तुमको मेरे पास चले आने से कौनसी चीज़ रुकावट हुई थी (यानी उस वक़्त मेरे पास चले आना चाहिए था ताकि इन लोगों को और ज़्यादा यक़ीन होता कि तुम इनके काम को बहुत ही नापसन्द करते हो और साथ ही ऐसे बाग़ियों से ताल्लुक़ात ख़त्म करना जिस क़द्र ज़्यादा हो बेहतर है) सो क्या तुमने मेरे कहने के ख़िलाफ़ किया (कि मैंने कहा था कि बिगाड़ पैदा करने वाले लोगों के रास्ते की पैरवी मत करना जैसा कि पारा नम्बर 9 में है, जिसके उमूम में यह भी दाख़िल है कि फ़सादी लोगों से ताल्लुक़ात न रखें और सबसे अलग हो जायें)।

हारून (अ़लैहिस्सलाम) ने कहा कि ऐ मेरे माँ-जाय (यानी मेरे भाई)! तुम मेरी दाढ़ी मत पकड़ो और न सर (के बाल) पकड़ो (और मेरा उज़्र सुन लो, मेरे तुम्हारे पास न आने की यह वजह थी कि) मुझे यह अन्देशा हुआ कि (अगर मैं आपकी तरफ़ चला तो मेरे साथ वे लोग भी चलेंगे जो गौसाला परस्ती से अलग रहे तो बनी इस्राईल की जमाअ़त के दो टुकड़े हो जायेंगे, क्योंकि गौसाला की पूजा को बुरा समझने वाले मेरे साथ होंगे और दूसरे लोग उसकी इबादत पर ही जमे रहेंगे, और इस हालत

में) तुम यह कहने लगो कि तुमने बनी इस्राईल के बीच फूट डाल दी (जो बाज़े समय उनके साथ रहने से ज़्यादा नुक़सानदेह होती है कि मुफ़्सिदीन ख़ाली मैदान पाकर बेख़ौफ़ फ़साद में तरक़्क़ी करते हैं) और तुमने मेरी बात का पास न किया (कि मैंने कहा था इस्लाह, यानी उस सूरत में आप मुझे यह इल्ज़ाम देते कि मैंने तुम्हें इस्लाह करने का हुक्म दिया था तुमने बनी इस्राईल में फूट डालकर फ़साद खड़ा कर दिया)।

मआरिफ़ व मसाईल

बनी इस्राईल में गौसाला परस्ती का फ़ितना फूट पड़ा तो हज़रत हारून अ़लैहिस्सलाम ने मूसा अ़लैहिस्सलाम के ख़लीफ़ा और नायब होने का हक़ अदा करके क़ौम को समझाया मगर जैसा कि पहले बयान हो चुका है उनमें तीन फ़िर्क़े हो गये-- एक फ़िर्क़ा तो हज़रत हारून के साथ रहा, उनकी फ़रमाँबरदारी की, उसने गौसाला परस्ती को गुमराही समझा, उनकी संख्या बारह हज़ार बतलाई गयी है, जैसा कि तफ़सीरे क़ुर्तुबी में है। बाक़ी दो फ़िर्क़े गौसाला परस्ती में तो शरीक हो गये फ़र्क़ इतना रहा कि उन दोनों में से एक फ़िर्क़े ने यह इक़रार किया कि मूसा अ़लैहिस्सलाम वापस आकर इससे मना करेंगे तो हम गौसाला परस्ती को छोड़ देंगे। दूसरा फ़िर्क़ा इतना पुख़्ता था कि उसका यक़ीन यह था कि मूसा अ़लैहिस्सलाम भी वापस आकर इसी को माबूद बना लेंगे और हमें इस तरीक़े को बहरहाल छोड़ना नहीं है। जब उन दोनों फ़िर्क़ों का यह जवाब हज़रत हारून ने सुना कि हम तो मूसा अ़लैहिस्सलाम की वापसी तक गौसाला ही की इबादत पर जमे रहेंगे तो हज़रत हारून अ़लैहिस्सलाम अपने हम-अ़क़ीदा बारह हज़ार साथियों को लेकर उनसे अलग तो हो गये मगर रहने-सहने वग़ैरह की जगह वही थी उसमें उनके साथ साझा रहा।

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने वापस आकर अव्वल तो बनी इस्राईल को वह ख़िताब किया जो पिछली आयतों में बयान हुआ है, फिर अपने ख़लीफ़ा हज़रत हारून अ़लैहिस्सलाम की तरफ़ मुतवज्जह होकर उन पर सख़्त गुस्सा और नाराज़ी का इज़्हार किया, उनकी दाढ़ी और सर के बाल पकड़ लिये और फ़रमाया कि जब इन बनी इस्राईल को आपने देख लिया कि खुली गुमराही यानी शिर्क व कुफ़्र में मुब्तला होकर गुमराह हो गये तो तुमने मेरी पैरवी क्यों न की, मेरे हुक्म की ख़िलाफ़वर्ज़ी क्यों की।

مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا أَلَّا تَتَّبِعَنِ.

इस जगह मूसा अ़लैहिस्सलाम का यह इरशाद कि तुम्हें मेरी पैरवी करने से किस चीज़ ने रोका, इस पैरवी का एक मफ़्हूम तो वही है जो ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में इख़्तियार किया गया कि पैरवी से मुराद मूसा अ़लैहिस्सलाम के पास तूर पर चले जाना है, और कुछ मुफ़स्सिरीन ने पैरवी की मुराद यह क़रार दी कि जब ये लोग गुमराह हो गये तो आपने इनका मुक़ाबला क्यों न किया, क्योंकि मेरी मौजूदगी में ऐसा होता तो मैं यक़ीनन इस शिर्क व कुफ़्र पर क़ायम रहने वालों से जिहाद और जंग करता, तुमने ऐसा क्यों न किया। दोनों सूरतों में हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम की तरफ़ से हारून अ़लैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम यह था कि ऐसी गुमराही की सूरत में या तो इनसे जंग और जिहाद किया जाता या फिर इनसे बराअत और अ़लैहदगी इख़्तियार करके मेरे पास आ जाते। इनके साथ रहते

बसते रहना हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के नज़दीक उनकी ख़ता और ग़लती थी। हज़रत हारून अ़लैहिस्सलाम ने इस मामले के बावजूद अदब की पूरी रियायत के साथ मूसा अ़लैहिस्सलाम को नर्म करने के लिये ख़िताब 'यब्नउम्-म' के अलफ़ाज़ से किया, यानी मेरी माँ के बेटे। इस ख़िताब में एक ख़ास इशारा सख़्ती का मामला न करने की तरफ़ था कि मैं आपका भाई ही तो हूँ कोई मुख़ालिफ़ तो नहीं, इसलिये आप मेरा उ़ज़्र सुनें। फिर उ़ज़्र यह बयान किया कि मुझे ख़तरा यह पैदा हो गया कि अगर मैंने इन लोगों से मुक़ाबला और जंग करने पर आपके आने से पहले क़दम उठा दिय या इनको छोड़कर ख़ुद बारह हज़ार बनी इस्राईल के साथ आपके पास चला गया, तो बनी इस्राईल में फूट पैदा हो जायेगी और आपने जो चलते वक़्त मुझे यह हिदायत फ़रमाई थी किः

اُخْلُفْنِیْ فِیْ قَوْمِیْ وَاَصْلِحْ.

मैं इस्लाह का तक़ाज़ा यह समझा था कि इनमें फूट न पैदा होने दूँ (मुम्किन है कि आपके वापस आने के बाद ये सब ही समझ जायें और ईमान व तौहीद पर वापस आ जायें)। और दूसरी जगह क़ुरआने करीम में हारून अ़लैहिस्सलाम के उ़ज़्र में यह क़ौल भी है किः

اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِیْ وَکَادُوْا یَقْتُلُوْنَنِیْ.

यानी क़ौम बनी इस्राईल ने मुझे ज़ईफ़ व कमज़ोर समझा क्योंकि मेरे साथी दूसरों के मुक़ाबले में बहुत कम थे, इसलिये क़रीब था कि वे मुझे क़त्ल कर डालते।

ख़ुलासा उ़ज़्र का यह है कि मैं उनकी गुमराही का साथी नहीं था जितना समझाना और हिदायत पर रखना मेरे बस में था वह मैंने पूरा किया, उन लोगों ने मेरी बात न मानी और मेरे क़त्ल करने के पीछे लग गये, ऐसी सूरत में उनसे जंग करता या उनको छोड़कर आपके पास जाने का इरादा करता तो सिर्फ़ ये बारह हज़ार बनी इस्राईल मेरे साथ होते बाक़ी सब जंग और मुक़ाबले पर आ जाते और आपसी जंग का बाज़ार गर्म हो जाता, मैंने उससे बचने के लिये आपकी वापसी तक के लिये कुछ नर्मी बरतने की सूरत इख़्तियार की। हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने यह उ़ज़्र सुना तो हारून अ़लैहिस्सलाम को छोड़ दिया और फ़साद की असल जड़ सामरी की ख़बर ली। क़ुरआन में यह कहीं मज़कूर नहीं कि हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने हारून अ़लैहिस्सलाम की राय को सही मान लिया या महज़ उनकी वैचारिक ख़ता समझकर छोड़ दिया।

दो पैग़म्बरों में मतभेद और दोनों के सही होने के पहलू

इस वाक़िए में हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम की राय इज्तिहाद व विचार के एतिबार से यह थी कि इस हालत में हारून अ़लैहिस्सलाम और उनके साथियों को इस संयुक्त क़ौम के साथ नहीं रहना चाहिये था, इनको छोड़कर मूसा अ़लैहिस्सलाम के पास आ जाते जिससे इनके अ़मल से मुकम्मल बेज़ारी का इज़हार हो जाता।

हज़रत हारून अ़लैहिस्सलाम की राय इज्तिहाद व विचार के एतिबार से यह थी कि अगर ऐसा किया गया तो हमेशा के लिये बनी इस्राईल के टुकड़े हो जायेंगे और फूट पड़ जायेगी, और चूँकि

उनकी इस्लाह की यह संभावना और उम्मीद मौजूद थी कि हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम की वापसी के बाद उनके असर से फिर ये सब ईमान और तौहीद की तरफ़ लौट आयें इसलिये कुछ दिनों के लिये उनके साथ नर्मी बरतने और साथ रहने को उनकी इस्लाह की उम्मीद तक गवारा किया जाये। दोनों का मक़सद अल्लाह तआ़ला के अहकाम की तामील, ईमान व तौहीद पर लोगों को क़ायम करना था मगर एक ने अलग होने और बायकाट करने को इसकी तदबीर समझा, दूसरे ने हालत के सुधार की उम्मीद तक उनके साथ नर्मी बरतने को इस मक़सद के लिये फ़ायदेमन्द समझा। दोनों जानिब अ़क्ल व समझ रखने और ग़ौर व फ़िक्र करने वालों के लिये ध्यान देने और विचार के क़ाबिल हैं। किसी को ख़ता (ग़लती) कहना आसान नहीं, उम्मत के मुज्तहिदीन के वैचारिक मतभेद उमूमन इसी तरह के होते हैं, उनमें किसी को गुनाहगार या नाफ़रमान नहीं कहा जा सकता। रहा हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम का हारून अ़लैहिस्सलाम के बाल पकड़ने का मामला तो यह दीन के मामले में अल्लाह तआ़ला के लिये सख़्ती व ग़ज़ब का असर था कि असल हाल की तहक़ीक़ से पहले उन्होंने हारून अ़लैहिस्सलाम को एक खुली ग़लती पर समझा और जब उनका उज़्र मालूम हो गया तो फिर अपने लिये और उनके लिये दुआ-ए-मग़फ़िरत फ़रमाई।

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ ۝ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِيْ ۝ قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ ۪ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ۚ وَانْظُرْ اِلٰٓى اِلٰهِكَ الَّذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۭ لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ۝ اِنَّمَآ اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

का-ल फ़मा ख़त्बु-क या सामिरिय्यु (95) का-ल बसुर्तु बिमा लम् यब्सुरू बिही फ़-क़बज़्तु क़ब्ज़-तम् मिन् अ-सरिर्रसूलि फ़-नबज़्तुहा व कज़ालि-क सव्वलत् ली नफ़्सी (96) क़ा-ल फ़ज़्हब् फ़-इन्-न ल-क फ़िल्हयाति अन् तक़ू-ल ला मिसा-स व इन्-न ल-क मौअ़िदल् लन् तुख़्ल-फ़हू वन्ज़ुर् इला इलाहि-कल्लज़ी ज़ल्-त अ़लैहि आ़किफ़न्,	कहा मूसा ने अब तेरी क्या हक़ीक़त है ऐ सामरी। (95) बोला मैंने देख लिया जो औरों ने न देखा, फिर भर ली मैंने एक मुट्ठी पाँव के नीचे से उस भेजे हुए के फिर मैंने वही डाल दी और यही सलाह दी मुझको मेरे जी ने। (96) कहा मूसा ने दूर हो तेरे लिये ज़िन्दगी भर तो इतनी सज़ा है कि कहा करे मत छेड़ो और तेरे वास्ते एक वायदा है वह हरगिज़ तुझसे ख़िलाफ़ न होगा, और देख अपने माबूद को जिसका पूरे दिन तू चक्कर लगाता

लनु-हर्रिक़न्नहू सुम्-म ल-नन्सिफ़न्नहू फ़िल्यम्मि नस्फ़ा (97) इन्नमा इलाहुकुमुल्लाहुल्लज़ी ला इला-ह इल्ला हु-व, वसि-अ कुल्-ल शैइन् अिल्मा (98)	रहता था हम उसको जला देंगे फिर बिखेर देंगे दरिया में उड़ाकर। (97) तुम्हारा माबूद तो वही अल्लाह है जिसके सिवा किसी की बन्दगी नहीं, सब चीज़ समा गई है उसके इल्म में। (98)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(फिर सामरी की तरफ़ मुतवज्जह हुए और उससे) कहा ऐ सामरी! तेरा क्या मामला है (यानी तूने यह हरकत क्यों की)? उसने कहा कि मुझको ऐसी चीज़ नज़र आई थी जो औरों को नज़र न आई थी (यानी हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम घोड़े पर चढ़े हुए जिस दिन दरिया से पार उतरे हैं जो मोमिनों की मदद की मस्लेहत व काफ़िरों के हलाक करने के लिये आये होंगे और तारीख़े तबरी में सुद्दी से सनद के साथ नक़ल किया है कि हज़रत जिब्राईल मूसा अ़लैहिस्सलाम के पास यह हुक्म लेकर घोड़े पर सवार होकर आये थे कि आप तूर पर जायें, तो उस वक़्त सामरी ने देखा था) फिर मैंने उस ख़ुदा की तरफ़ से भेजी हुई (अल्लाह की सवारी) के नक़्शे क़दम "पैरों के निशान" से एक मुट्ठी (भरकर ख़ाक) उठा ली थी (और ख़ुद-ब-ख़ुद मेरे दिल में यह बात आई कि इसमें ज़िन्दगी के असरात होंगे, जिस चीज़ पर डाली जायेगी उसमें ज़िन्दगी पैदा हो जायेगी) सो मैंने वह मिट्टी (उस बछड़े के ढाँचे के अन्दर) डाल दी, और मेरे जी को यही बात (भाई और) पसन्द आई। आपने फ़रमाया तो बस तेरे लिए इस (दुनियावी) ज़िन्दगी में यह सज़ा (तजवीज़ की गई) है कि तू यह कहता फिरा करेगा कि मुझको कोई हाथ न लगाना, और तेरे लिये (इस सज़ा के अ़लावा) एक और वायदा (हक़ तआ़ला के अ़ज़ाब का) है जो तुझसे टलने वाला नहीं (यानी आख़िरत में अ़ज़ाब अलग से होगा)। और तू अपने इस (झूठे) माबूद को जिस (की इबादत) पर तू जमा हुआ बैठा था (देख) हम इसको जला देंगे फिर इस (की राख) को दरिया में बिखेर कर बहा देंगे (ताकि इसका नाम व निशान न रहे) बस तुम्हारा (असली) माबूद तो सिर्फ़ अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, वह (अपने) इल्म से तमाम चीज़ों को घेरे हुए है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

بَصُرْتُ بِمَالَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ.

(यानी वह चीज़ देखी जो दूसरों ने नहीं देखी) इससे मुराद जिब्रीले अमीन हैं और उनके देखने के वाक़िए में एक रिवायत तो यह है कि जिस वक़्त हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के मोजिज़े से दरिया-ए-क़ुल्ज़ुम में सूखे रास्ते बन गये और बनी इस्राईल उन रास्तों से गुज़र गये और फ़िरऔ़नी लश्कर दरिया में दाख़िल हो रहा था तो जिब्रीले अमीन घोड़े पर सवार यहाँ मौजूद थे। दूसरी रिवायत यह है कि

दरिया से पार होने के बाद हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को तूर पर आने की दावत देने के लिये जिब्रीले अमीन घोड़े पर सवार तशरीफ़ लाये थे, उनको सामरी ने देख लिया, दूसरे लोगों को मालूम न हो सका। इसकी वजह हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की एक रिवायत में यह है कि सामरी की परवरिश ख़ुद जिब्रीले अमीन के ज़रिये हुई थी, जिस वक़्त उसकी माँ ने उसको ग़ार में डाल दिया था तो जिब्रीले अमीन रोज़ाना उसको ग़िज़ा देने के लिये आते थे, इसकी वजह से वह उनसे मानूस था और पहचानता था, दूसरे लोग नहीं पहचान सके। (बयानुल-क़ुरआन)

فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ.

रसूल से मुराद इस जगह अल्लाह के भेजे हुए हज़रत जिब्रीले अमीन हैं। सामरी के दिल में शैतान ने यह बात डाली कि जिब्रीले अमीन के घोड़े का क़दम जिस जगह पड़ता है वहाँ की मिट्टी में हयात व ज़िन्दगी के ख़ास असरात होंगे, यह मिट्टी उठा ली जाये। उसने पैरों के निशान की मिट्टी उठा ली। यह बात हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत में है:

القى فى روعه انّه لا يلقيها على شىء فيقول كن كذا الّا كان.

यानी सामरी के दिल में ख़ुद-ब-ख़ुद यह बात पैदा हुई कि पाँव के निशान की इस मिट्टी को जिस चीज़ पर डालकर यह कहा जायेगा कि फ़ुलाँ चीज़ बन जा तो वह वही चीज़ बन जायेगी। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि सामरी ने घोड़े के क़दमों के निशान का यह असर देखा कि जिस जगह क़दम पड़ता वहीं सब्ज़ा (हरियाली) फ़ौरन ज़ाहिर हो जाता था जिससे यह दलील ली कि इस मिट्टी में ज़िन्दगी के आसार हैं, जैसा कि कमालैन में है। इसी तफ़सीर को तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में सहाबा व ताबिईन और मुफ़स्सिरीन की बड़ी जमाअ़त से मन्क़ूल कहा है, और इसमें आजकल ज़ाहिर परस्त लोगों ने जो शुब्हात निकाले हैं उन सब का जवाब दिया है। अल्लाह तआ़ला उनको इसकी बेहतरीन जज़ा अ़ता फ़रमाये। (बयानुल-क़ुरआन)

फिर जब बनी इस्राईल के जमा किये ज़ेवरात से उसने एक बछड़े की शक्ल बना ली तो अपने गुमान के मुताबिक़ कि इस मिट्टी में ज़िन्दगी के आसार हैं जिस चीज़ में डाली जायेगी उसमें ज़िन्दगी पैदा हो जायेगी, उसने यह मिट्टी उस बछड़े के अन्दर डाल दी। अल्लाह की क़ुदरत से उसमें ज़िन्दगी के आसार पैदा हो गये और बोलने लगा। और हदीसे-ए-फ़ुतून जो पहले तफ़सील के साथ आ चुकी है उसमें यह है कि उसने हज़रत हारून अ़लैहिस्सलाम से दुआ़ कराई कि मैं अपने हाथ में जो कुछ है उसको डालता हूँ शर्त यह है कि आप यह दुआ़ कर दें कि जो मैं चाहता हूँ वह हो जाये। हज़रत हारून उसके निफ़ाक़ और गौसाला परस्ती से वाक़िफ़ न थे, दुआ़ कर दी और उसने क़दमों के निशानात की वह ख़ाक उसमें डाल दी तो हज़रत हारून की दुआ़ से उसमें ज़िन्दगी के आसार पैदा हो गये। एक रिवायत के हवाले से यह पहले लिखा जा चुका है कि सामरी फ़ारस या हिन्दुस्तान का रहने वाला उस क़ौम का फ़र्द था जो गाय की पूजा करती है, मिस्र पहुँचकर हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम पर ईमान ले आया, बाद में फिर दीन से फिर गया या पहले ही ईमान का इज़हार मुनाफ़िक़ाना किया था फिर निफ़ाक़ ज़ाहिर हो गया। इस ईमान के इज़हार का फ़ायदा उसको यह पहुँचा कि बनी इस्राईल के

साथ दरिया से पार हो गया।

فَاِنَّ لَكَ فِی الْحَیٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ.

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने सामरी के लिये दुनिया की ज़िन्दगी में यह सज़ा तजवीज़ की कि सब लोग उसका बायकाट करें, कोई उसके पास न जाये। और उसको भी यह हुक्म दिया कि किसी को हाथ न लगाये और ज़िन्दगी भर इसी तरह जंगली जानवरों की तरह सबसे अलग रहे। हो सकता है कि यह सज़ा एक क़ानून की सूरत में हो जिसकी पाबन्दी उस पर और दूसरे सब बनी इस्राईल पर मूसा अ़लैहिस्सलाम की तरफ़ से लाज़िम कर दी गयी हो, और यह भी मुम्किन है कि क़ानूनी हैसियत की सज़ा से आगे ख़ुद उसकी ज़ात में अल्लाह की क़ुदरत से कोई ऐसी बात पैदा कर दी गयी हो कि न वह दूसरों को छू सके न कोई दूसरा उसको छू सके, जैसा कि कुछ रिवायतों में है कि मूसा अ़लैहिस्सलाम की बद्दुआ़ से उसमें यह कैफ़ियत पैदा हो गयी थी कि अगर यह किसी को हाथ लगा दे या कोई इसको हाथ लगा दे तो दोनों को बुख़ार चढ़ जाता था, जैसा कि मआ़लिम में लिखा है। इस डर के मारे वह सबसे अलग भागा फिरता था, और जब किसी को क़रीब आता देखता तो दूर से पुकारता था 'ला मिसा-स' यानी कोई मुझे न छुए।

सामरी की सज़ा में एक लतीफ़ा

तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में तफ़सीर बहरे मुहीत के हवाले से नक़ल किया है कि हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने सामरी को क़त्ल कर देने का इरादा किया था मगर अल्लाह तआ़ला ने उसकी सख़ावत (दान-पुन करने) और लोगों की ख़िदमत करने की वजह से क़त्ल की सज़ा से मना फ़रमा दिया। (तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन)

لَنُحَرِّقَنَّهٗ.

(यानी हम उसको आग में जलायेंगे) यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि यह बछड़ा सोने चाँदी के ज़ेवरात से गढ़ा हुआ था तो उसके आग में जलाने की क्या सूरत होगी, सोना चाँदी पिघलने वाली चीज़ है जलने वाली नहीं। जवाब यह है कि अव्वल तो ख़ुद इसमें मतभेद है कि बछड़े में ज़िन्दगी के आसार पैदा होने के बाद भी वह चाँदी सोने ही का रहा या उसकी हक़ीक़त तब्दील होकर गोश्त और ख़ून बन गया। अगर वह गोश्त और ख़ून बन गया था तो ज़ाहिर है कि उसको जलाने का मतलब यह होगा कि ज़िबह करके जला दिया जायेगा, और अगर दूसरा क़ौल लिया जाये तो उसके जलाने का मतलब यह होगा कि उसको जलाकर रेती से ज़र्रा-ज़र्रा कर दिया जायेगा (जैसा कि दुर्रे मन्सूर में है) या किसी अक्सीरी तरीक़े यह से जला दिया जायेगा (जैसा कि रूहुल-मआ़नी में है) और यह भी कोई मुहाल और दूर की बात नहीं कि जलाना मोजिज़े के तौर पर हो। वल्लाहु आलम (बयानुल-क़ुरआन)

كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا ۚ﴿۹۹﴾ مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ۙ﴿۱۰۰﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهِ ؕ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا ۙ﴿۱۰۱﴾ يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ

الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۚ يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا ۝ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ
اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا ۝ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا ۝ فَيَذَرُهَا
قَاعًا صَفْصَفًا ۝ لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًا ۝ يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهٗ ۚ وَخَشَعَتِ
الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ۝ يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ
وَرَضِيَ لَهٗ قَوْلًا ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا ۝ وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ
لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ۭ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ
ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا ۝ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ
اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۝ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ
وَحْيُهٗ ۡ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ۝

कज़ालि-क नक़ुस्सु अ़लै-क मिन् अम्बा-इ मा क़द् स-ब-क़ व क़द् आतैना-क मिल्लदुन्ना ज़िक्रा (99) मन् अअ़्र-ज अ़न्हु फ़-इन्नहू यह्मिलु यौमल्-क़ियामति विज़्रा (100) ख़ालिदी-न फ़ीहि व सा-अ लहुम् यौमल्-क़ियामति हिम्ला (101) यौ-म युन्फ़ख़ु फ़िस्सूरि व नह़्शुरुल्-मुज्रिमी-न यौमइज़िन् ज़ुर्क़ा (102) य-तख़ाफ़तू-न बैनहुम् इल्लबिस्तुम् इल्ला अ़श्रा (103) नह़्नु अअ़्लमु बिमा यक़ूलू-न इज़् यक़ूलु अम्सलुहुम् तरी-क़तन् इल्लबिस्तुम् इल्ला यौमा (104) ✿	यूँ सुनाते हैं हम तुझको उनके अहवाल जो पहले गुज़र चुके, और हमने दी तुझको अपने पास से पढ़ने की किताब। (99) जो कोई मुँह फेर ले उससे सो वह उठायेगा क़ियामत के दिन एक बोझ। (100) सदा रहेंगे उसमें और बुरा है उन पर क़ियामत में वह बोझ उठाने का। (101) जिस दिन फूँकेंगे सूर में और घेर लायेंगे हम गुनाहगारों को उस दिन नीली आँखें। (102) चुपके चुपके कहते होंगे आपस में तुम नहीं रहे मगर दस दिन। (103) हमको ख़ूब मालूम है जो कुछ कहते हैं जब बोलेगा उनमें अच्छी राह रविश वाला तुम नहीं रहे मगर एक दिन। (104) ✿

व यस्अलून-क अनिल्-जिबालि फ़कुल् यन्सिफ़ुहा रब्बी नस्फ़ा (105) फ़-य-ज़रुहा क़ाअ़न् सफ़्सफ़ा (106) ला तरा फ़ीहा अ़ि-वजंव्-व ला अम्ता (107) यौमइज़िंय्-यत्तबिअ़ूनद्-दाअि़-य ला अ़ि-व-ज लहू व ख़ा-श-अ़तिल्-अस्वातु लिर्रह्मानि फ़ला तस्मअ़ु इल्ला हम्सा (108) यौमइज़िल्-ला तन्फ़अ़ुश्शफ़ा-अ़तु इल्ला मन् अज़ि-न लहुर्रह्मानु व रज़ि-य लहू क़ौला (109) यअ़्लमु मा बै-न ऐदीहिम् व मा ख़ल्फ़हुम् व ला युहीतू-न बिही अ़िल्मा (110) व अ़-नतिल्-वुजूहु लिल्हय्यिल्-क़य्यूमि, व क़द् ख़ा-ब मन् ह-म-ल ज़ुल्मा (111) व मंय्यअ़्मल् मिनस्सालिहाति व हु-व मुअ्मिनुन् फ़ला यख़ाफ़ु ज़ुल्मंव्-व ला हज़्मा (112) व कज़ालि-क अन्ज़ल्नाहु क़ुर्आनन् अ़-रबिय्यंव्-व सर्रफ़्ना फ़ीहि मिनल्-वअ़ीदि लअ़ल्लहुम् यत्तक़ू-न औ युह्दिसु लहुम् ज़िक्रा (113) फ़-तआ़लल्लाहुल्-मलिकुल्-हक़्क़ु व ला तअ़्जल् बिल्क़ुर्आनि मिन् क़ब्लि अंय्युक़्ज़ा इलै-क वह्युहू

और तुझसे पूछते हैं पहाड़ों का हाल सो तू कह उनको बिखेर देगा मेरा रब उड़ाकर। (105) फिर छोड़ेगा ज़मीन को साफ़ मैदान। (106) न देखे तो उसमें मोड़ और न टीला। (107) उस दिन पीछे दौड़ेंगे पुकारने वाले के टेढ़ी नहीं जिसकी बात और दब जायेंगी आवाज़ें रहमान के डर से फिर तू न सुनेगा मगर खिसखिसी आवाज़। (108) उस दिन काम न आयेगी सिफ़ारिश मगर जिसको इजाज़त दी रहमान ने और पसन्द की उसकी बात। (109) वह जानता है जो कुछ है इनके आगे और पीछे और ये क़ाबू में नहीं ला सकते उसको मालूम कर-कर। (110) और रगड़ते हैं मुँह आगे उस हमेशा जीते रहने वाले के, और ख़राब हुआ जिसने बोझ उठाया ज़ुल्म का। (111) और जो कोई करे कुछ भलाईयाँ और वह ईमान भी रखता हो सो उसको डर नहीं बेइन्साफ़ी का और न नुक़सान पहुँचने का। (112) और इसी तरह उतारा हमने क़ुरआन अ़रबी भाषा का और फेर-फेरकर सुनाई उसमें डराने की बातें ताकि वे परहेज़ करें या डाले उनके दिल में सोच। (113) सो बुलन्द दर्जा अल्लाह का उस सच्चे बादशाह का और तू जल्दी न कर क़ुरआन के लेने में जब तक पूरा न हो चुके उसका उतरना, और कह

व क़ुर्रब्बि ज़िद्नी अ़िल्मा (114)	ऐ रब! ज़्यादा कर मेरी समझ। (114)

इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

सूरः तॉ-हा में असल बयान तौहीद, रिसालत और आख़िरत के उसूली मसाईल का है। अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के वाक़िआ़त इसी सिलसिले में बयान हुए और हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम का क़िस्सा बड़ी तफ़सील से ज़िक्र हुआ है, और उसके अन्तर्गत रिसालते मुहम्मदिया का सुबूत भी है, उसी रिसालते मुहम्मदिया के सुबूत का यह हिस्सा है जो अगली आयतों में बयान हुआ है कि इन वाक़िआ़त और क़िस्सों का इज़हार एक नबी-ए-उम्मी की ज़बान से ख़ुद दलील रिसालत व नुबुव्वत और अल्लाह की वही की है, और इन सब का स्रोत क़ुरआन है और क़ुरआन की हक़ीक़त के तहत कुछ तफ़सील आख़िरत और अन्जाम की भी आ गई है। आगे ख़ुलासा-ए-तफ़सीर देखिये।

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(जिस तरह हमने मूसा अ़लैहिस्सलाम का क़िस्सा बयान किया) इसी तरह हम आप से और गुज़रे हुए वाक़िआ़त की ख़बरें (और हिकायतें) भी बयान करते रहते हैं (ताकि नुबुव्वत की दलीलों में इज़ाफ़ा होता चला जाये) और हमने आपको अपने पास से एक नसीहत-नामा भी दिया है (यानी क़ुरआन, जिसमें वो ख़बरें हैं और वह ख़ुद भी मुस्तक़िल तौर पर अपने बेजोड़ और मोजिज़ा होने के सबब नुबुव्वत की दलील है। और वह नसीहत-नामा ऐसा है कि) जो लोग उस (के मज़ामीन मानने) से मुँह मोड़ेंगे सो वे क़ियामत के दिन बड़ा भारी बोझ (अ़ज़ाब का) लादे होंगे। (और) वे उस (अ़ज़ाब) में हमेशा-हमेशा रहेंगे, और यह बोझ क़ियामत के दिन उनके लिये बड़ा (बोझ) होगा। जिस दिन सूर में फूँक मारी जायेगी (जिससे मुर्दे ज़िन्दा हो जाएँगे) और हम उस दिन मुजरिम (यानी काफ़िर) लोगों को (क़ियामत के मैदान में) इस हालत से जमा करेंगे कि (बहुत ही बदसूरत होंगे कि आँखों से) नीले होंगे (जो आँखों का बहुत बुरा रंग शुमार होता है, और डरे हुए इस क़द्र होंगे कि) चुपके-चुपके आपस में बातें करते होंगे (और एक दूसरे से कहते होंगे) कि तुम लोग (क़ब्रों में) सिर्फ़ दस दिन रहे होंगे। (मतलब यह कि हम तो यूँ समझे थे कि मरकर फिर ज़िन्दा होना नहीं, यह गुमान तो बिल्कुल ग़लत निकला, न ज़िन्दा होना तो दरकिनार यह भी तो न हुआ कि देर ही में ज़िन्दा होते, बल्कि बहुत ही जल्दी ज़िन्दा हो गये, कि वह मुद्दत दस दिन के बराबर मालूम होती है। वजह इस मात्रा के बराबर मालूम होने की उस दिन की लम्बाई और हौल और परेशानी है कि क़ब्र में रहने की मुद्दत उसके सामने इस क़द्र कम मालूम होगी। हक़ तआ़ला फ़रमाते हैं कि) जिस (मुद्दत) के बारे में वे बातचीत करेंगे उसको हम ख़ूब जानते हैं (कि वह किस क़द्र है) जबकि उन सब में का ज़्यादा सही राय वाला यूँ कहता होगा कि नहीं! तुम तो (क़ब्र में) एक ही दिन रहे हो (इसको सही राय वाला इसलिए फ़रमाया कि दिन के लम्बे और हौलनाक होने के एतिबार से यही ज़्यादा क़रीबी निस्बत है। पस उस

शख़्स को सख़्ती की हकीकत का ज़्यादा इल्म व एहसास हुआ इसलिए उस शख़्स की राय पहले शख़्स के एतिबार से बेहतर है। और यह मक़सूद नहीं कि उस शख़्स की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ज़ाहिर है कि दोनों अन्दाज़े असली मुद्दत और हदबन्दी के एतिबार से सही नहीं, और न इन कहने वालों का यह मक़सद व उद्देश्य था)।

और (ऐ नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम! क़ियामत का हाल सुनकर बाज़े) लोग आप से पहाड़ों के बारे में पूछते हैं (कि क़ियामत में इनका क्या हाल होगा) सो आप (जवाब में) फ़रमा दीजिये कि मेरा रब इनको (रेज़ा-रेज़ा करके) बिल्कुल उड़ा देगा। फिर इस (ज़मीन) को एक हमवार मैदान कर देगा कि जिसमें तू (ऐ मुख़ातब!) न तो नाहमवारी देखेगा और न कोई बुलन्दी (पहाड़ टीले वग़ैरह की) देखेगा। उस दिन सब-के-सब (यानी मख़्लूक़) बुलाने वाले (यानी सूर फूँकने वाले फ़रिश्ते) के कहने पर हो लेंगे, (यानी वह अपनी सूर फूँकने वाली आवाज़ से सब को क़ब्रों से बुलाएगा तो सब निकल पड़ेंगे) उसके सामने (किसी का) कोई टेढ़ापन न रहेगा (कि क़ब्र से ज़िन्दा होकर न निकले जैसे दुनिया में अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के सामने टेढ़े रहते थे कि तस्दीक़ न करते थे) और (मारे हैबत के) तमाम आवाज़ें अल्लाह तआ़ला (रहमान) के सामने दब जाएँगी, सो (ऐ मुख़ातब!) तू सिवाय पाँव की आहट के (कि मैदाने हश्र की तरफ़ चुपके-चुपके चल रहे होंगे) और कुछ (आवाज़) न सुनेगा। (चाहे इसकी वजह से कि उस वक़्त बोलते ही न होंगे अगरचे दूसरे मौक़े पर आहिस्ता-आहिस्ता बोलें जैसा कि ऊपर आया है 'य-तख़ाफ़तू-न' और चाहे इस वजह से कि बहुत आहिस्ता बोलते होंगे जो ज़रा फ़ासले से हो वह न सुन सके) उस दिन (किसी को किसी की) सिफ़ारिश नफ़ा न देगी, मगर ऐसे शख़्स को (अम्बिया और नेक लोगों की सिफ़ारिश नफ़ा देगी) कि जिस (की सिफ़ारिश करने) के वास्ते अल्लाह तआ़ला (रहमान) ने (शफ़ाअ़त करने वालों को) इजाज़त दे दी हो, और उस शख़्स के वास्ते (शफ़ाअ़त करने वाले का) बोलना पसन्द कर लिया हो। (मुराद इससे मोमिन है कि शफ़ाअ़त करने वालों को उसकी सिफ़ारिश के लिये इजाज़त होगी और इस बारे में सिफ़ारिश करने वाले का बोलना हक़ तआ़ला को पसन्दीदा होगा, और काफ़िरों के लिये सिफ़ारिश की किसी को इजाज़त ही न होगी पस नफ़ा न पहुँचना शफ़ाअ़त न होने से की वजह से है। इसमें एतिराज़ करने वाले काफ़िरों को डराना है कि तुम तो सिफ़ारिश से भी मेहरूम रहोगे और) वह (अल्लाह तआ़ला) उन सब के अगले-पिछले हालात को जानता है और उस (के मामूलात) को उनका इल्म इहाता नहीं कर सकता। (यानी ऐसा तो कोई मामला नहीं जो मख़्लूक़ को मालूम हो और अल्लाह तआ़ला को मालूम न हो और ऐसे बहुत से मामले हैं जो अल्लाह तआ़ला को मालूम हैं और मख़्लूक़ को मालूम नहीं। पस मख़्लूक़ात के वो सब हालात भी उसको मालूम हैं जिन पर शफ़ाअ़त की योग्यता या अयोग्यता मुरत्तब है, सो जो उसका पात्र और योग्य होगा उसके वास्ते सिफ़ारिश करने की सिफ़ारिश करने वालों को इजाज़त होगी और जो पात्र व योग्य न होगा उसके लिये इजाज़त न होगी)।

और (उस दिन) तमाम चेहरे उसी हय्यु व क़य्यूम "यानी अल्लाह" के सामने झुके होंगे (और सब घमण्डी व इनकारी लोगों का तकब्बुर व इनकार ख़त्म हो जाएगा) और (इस सिफ़त में तो सब

साझा होंगे फिर आगे उनमें यह फ़र्क़ होगा कि) ऐसा शख़्स तो (हर तरह) नाकाम रहेगा जो ज़ुल्म (यानी शिर्क) लेकर आया होगा, और जिसने नेक काम किए होंगे और वह ईमान भी रखता होगा, सो उसको (पूरा सवाब मिलेगा), न किसी ज़्यादती का अन्देशा होगा और न किसी कमी का। (मसलन यह कि कोई गुनाह उसके नामा आमाल में ज़्यादा लिख दिया जाये या कोई नेकी कम लिख दी जाये, और इससे इशारा सवाब के कामिल होने की तरफ़ है, पस इसके मुक़ाबले में काफ़िरों से सवाब की नफ़ी मक़सूद होगी सवाब के न होने के सबब, अगरचे ज़ुल्म और हक़-तल्फ़ी काफ़िरों की भी न होगी और काफ़िरों के नेक आमाल का हिसाब में न लिखा जाना यह कोई ज़ुल्म नहीं बल्कि इसलिए है कि उनके आमाल ईमान की शर्त से ख़ाली होने की वजह से बेकार और न होने के बराबर हो गये)।

और हमने (जिस तरह इस मक़ाम पर बयान हुए ये मज़ामीन साफ़-साफ़ इरशाद किये हैं) इसी तरह इसको (सारे को) अ़रबी क़ुरआन करके नाज़िल किया है (जिसके अलफ़ाज़ स्पष्ट हैं) और हमने इसमें तरह-तरह से वईद "यानी सज़ा की धमकी और डरावा" (क़ियामत व अ़ज़ाब की) बयान की है, ताकि वे (सुनने वाले) लोग (इसके ज़रिये बिल्कुल) डर जाएँ (और फ़िलहाल ईमान ले आयें) या (अगर बिल्कुल न डरें तो यही हो कि) यह क़ुरआन उनके लिये किसी क़द्र (तो) समझ पैदा कर दे (यानी अगर पूरा असर न हो तो थोड़ा ही हो। और इसी तरह चन्द बार थोड़ा-थोड़ा जमा होकर काफ़ी मात्रा हो जाये, और किसी वक़्त मुसलमान हो जायें) सो अल्लाह तआ़ला जो वास्तविक बादशाह है, बड़ा बुलन्द शान वाला है (कि ऐसा नफ़ा देने वाला कलाम नाज़िल फ़रमाया) और (जिस तरह अ़मल करना और नसीहत मानना जो ऊपर बयान हुए क़ुरआन की तब्लीग़ का हक़ वाजिब है, जिसका अदा करना सब मुसलमानों पर जो अहकाम के मुकल्लफ़ व पाबन्द हैं फ़र्ज़ है, इसी तरह बाज़े आदाब क़ुरआन के नाज़िल होने से भी संबन्धित हैं जिनके अदा करने का ताल्लुक़ आप से है, उनमें से एक यह है कि) क़ुरआन (पढ़ने) में इससे पहले कि आप पर उसकी वही नाज़िल हो चुके जल्दी न किया कीजिए (कि इसमें आपको तकलीफ़ होती है कि जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम से सुनना और उसको पढ़ना साथ-साथ करना पड़ता है, सो ऐसा न कीजिए और इसका अन्देशा न कीजिए कि शायद याद न रहे, याद कराना हमारे ज़िम्मे है) और आप (भी याद होने के लिये हमसे) यह दुआ़ कीजिए कि ऐ मेरे रब! मेरा इल्म बढ़ा दीजिए (इसमें हासिल शुदा इल्म के याद रहने की और ग़ैर-हासिल के हासिल करने की, और जो हासिल होने वाला नहीं उसमें हासिल न होने ही को ख़ैर और मस्लेहत समझने की, और सब उलूम में अच्छी समझ की ये सब दुआ़यें दाख़िल हैं तो 'ला तअ़्जल्' के बाद इसका आना निहायत ही मुनासिब हुआ। हासिल यह कि याद करने की तदबीरों में से जल्दी करने की तदबीर को छोड़ दीजिए और दुआ़ की तदबीर को इख़्तियार कीजिये)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

قَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا ۝

ज़िक्र से मुराद इस जगह अक्सर मुफ़स्सिरीन के नज़दीक क़ुरआन है:

مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ۝

यानी जो शख़्स क़ुरआन से मुँह मोड़ेगा क़ियामत के दिन उसके ऊपर गुनाहों का बड़ा बोझ लदा होगा। क़ुरआन से मुँह फेरने की विभिन्न सूरतें हैं, उसकी तिलावत की तरफ़ कोई ध्यान ही न करे न कभी क़ुरआन पढ़ने और सीखने की फ़िक्र करे, या क़ुरआन को पढ़े मगर ग़लत-सलत पढ़े, हुरूफ़ के सही पढ़ने की फ़िक्र न करे, या सही भी पढ़े मगर बेदिली और बेपरवाही से पढ़े, या किसी दुनियावी माल व इज़्ज़त की इच्छा के लिये पढ़े। इसी तरह क़ुरआन के अहकाम को समझने की तरफ़ तवज्जोह न देना भी क़ुरआन से मुँह मोड़ना और बेतवज्जोही बरतना है, और समझने के बाद उन पर अ़मल करने में कोताही या उसके अहकाम की ख़िलाफ़वर्ज़ी यह तो मुँह मोड़ने का सबसे बड़ा दर्जा है। ग़र्ज़ कि क़ुरआन के हुक़ूक़ से बेपरवाही करने का बड़ा वबाल है जो क़ियामत के दिन भारी बोझ बनकर उसकी गर्दन पर लाद दिया जायेगा जैसा कि हदीस की रिवायतों में है कि इनसान के बुरे आमाल और गुनाह क़ियामत के दिन एक भारी बोझ बनाकर उसके ऊपर लादा जायेगा।

يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ.

हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि एक गाँव वाले ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से यह सवाल किया कि सूर क्या चीज़ है, तो आपने फ़रमाया कि एक सींग है जिसमें फूँक मारी जायेगी। मुराद यह है कि सींग की तरह की कोई चीज़ है जिसमें फ़रिश्ते के फूँक मारने का पूरी दुनिया पर असर होगा, कि सब मुर्दे ज़िन्दा होकर खड़े हो जायेंगे। हक़ीक़त इस सूर की अल्लाह तआ़ला ही जानते हैं।

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ.

सही हदीस में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मन्क़ूल है कि वही के शुरूआ़ती दौर में जब जिब्रीले अमीन क़ुरआन की कोई आयत लेकर आते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को सुनाते तो आप उनके साथ-साथ आयत को पढ़ने की भी कोशिश फ़रमाते थे कि कहीं ऐसा न हो कि याद से निकल जाये, इसमें आप पर दोहरी मशक़्क़त होती थी— अव्वल क़ुरआन को जिब्रील से सुनने और समझने की, उसके साथ उसको याद रखने के लिये अपनी ज़बान से अदा करने की, हक़ तआ़ला ने इस आयत में तथा सूरः क़ियामत की आयत नम्बर 16 में आपके लिये आसानी यह पैदा फ़रमा दी कि क़ुरआन की जो आयतें आप पर नाज़िल की जाती हैं उनका याद रखना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं वह हमारे ज़िम्मे है, हम ख़ुद आपको याद करा देंगे, इसलिये आपको जिब्रीले अमीन के साथ-साथ पढ़ने और ज़बान को हरकत देने की ज़रूरत नहीं, आप उस वक़्त सिर्फ़ इत्मीनान से सुना करें, अलबत्ता यह दुआ़ करते रहें किः

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ۝

यानी ऐ मेरे परवर्दिगार! मेरा इल्म बढ़ा दीजिए। इस जामे दुआ़ में नाज़िल होने वाले क़ुरआन का याद रखना भी दाख़िल है और ग़ैर-नाज़िल शुदा की तलब भी, और उसके समझने की तौफ़ीक़ भी।

وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًا ﴿١١٥﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ ﴿١١٦﴾ فَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰٓ ﴿١١٧﴾ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا۟ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿١١٩﴾ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَٰنُ قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ ﴿١٢٠﴾ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ۚ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ ﴿١٢١﴾ ثُمَّ ٱجْتَبَٰهُ رَبُّهُۥ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿١٢٢﴾ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًۢا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايَٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴿١٢٦﴾ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنۢ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْءَاخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰٓ ﴿١٢٧﴾

व ल-क़द् अ़हिद्ना इला आद-म मिन् क़ब्लु फ़-नसि-य व लम् नजिद् लहू अ़ज़्मा (115) ✿

व इज़् क़ुल्ना लिल्मलाइ-कतिस्जुदू लिआद-म फ़-स-जदू इल्ला इब्ली-स, अबा (116) फ़क़ुल्ना या आदमु इन्-न हाज़ा अ़दुव्वुल्-ल-क व लिज़ौजि-क फ़ला युख़्रिजन्नकुमा मिनल्-जन्नति फ़-तश्क़ा (117) इन्-न ल-क अल्ला तजू-अ़ फ़ीहा व ला तअ़्रा (118) व अन्न-क ला तज़्मउ फ़ीहा व ला तज़्हा (119) फ़-वस्व-स इलैहिश्शैतानु क़ा-ल या

और हमने ताकीद कर दी आदम को उससे पहले फिर भूल गया और न पाई हमने उसमें कुछ हिम्मत। (115) ✿

और जब कहा हमने फ़रिश्तों को सज्दा करो आदम को तो सज्दे में गिर पड़े, मगर न माना इब्लीस ने। (116) फिर कह दिया हमने ऐ आदम! यह तेरा दुश्मन है और तेरे जोड़े का, सो निकलवा न दे तुम को जन्नत से, फिर तू पड़ जाये तकलीफ़ में। (117) तुझको यह मिला है कि न भूखा हो तो इसमें और न नंगा। (118) और यह कि न प्यास खींचे तू इसमें और न धूप। (119) फिर जी में डाला उसके शैतान ने कहा- ऐ आदम! मैं बताऊँ तुझ

आदमु हल् अदुल्लु-क अ़ला श-ज-रतिल्-ख़ुल्दि व मुल्किल्-ला यब्ला (120) फ़-अ-कला मिन्हा फ़-बदत् लहुमा सौआतुहुमा व तफ़िक़ा यख़्सिफ़ानि अ़लैहिमा मिंव्-रक़िल्-जन्नति, व अ़सा आदमु रब्बहू फ़-ग़वा (121) सुम्मज्तबाहु रब्बुहू फ़ता-ब अ़लैहि व हदा (122) क़ालह्बिता मिन्हा जमीअ़म्-बअ़्ज़ुकुम् लिबअ़्ज़िन् अ़दुव्वुन् फ़-इम्मा यअ्तियन्नकुम् मिन्नी हुदन् फ़-मनित्त-ब-अ़ हुदा-य फ़ला यज़िल्लु व ला यश्क़ा (123) व मन् अअ़्र-ज़ अ़न् ज़िक्री फ़-इन्-न लहू मअ़ी-शतन् ज़न्कंव्-व नह्शुरुहू यौमल्-क़ियामति अअ़्मा (124) क़ा-ल रब्बि लि-म हशर्-तनी अअ़्मा व क़द् कुन्तु बसीरा (125) क़ा-ल कज़ालि-क अतत्-क आयातुना फ़-नसीतहा व कज़ालिकल्-यौ-म तुन्सा (126) व कज़ालि-क नज्ज़ी मन् अस्र-फ़ व लम् युअ्मिम्-बिआयाति रब्बिही, व ल-अ़ज़ाबुल्-आख़िरति अशद्दु व अब्क़ा (127)

को पेड़ हमेशा ज़िन्दा रहने का और बादशाही जो पुरानी न हो। (120) फिर दोनों ने खा लिया उसमें से फिर खुल गईं उन पर उनकी बुरी चीज़ें और लगे गाँठने अपने ऊपर जन्नत के पत्ते और हुक्म टाला आदम ने अपने रब का फिर राह से बहका। (121) फिर नवाज़ दिया उसको उसके रब ने फिर मुतवज्जह हुआ उस पर और राह पर लाया। (122) फ़रमाया उतरो यहाँ से दोनों इकट्ठे, रहो एक दूसरे के दुश्मन, फिर अगर पहुँचे तुमको मेरी तरफ़ से हिदायत फिर जो चला मेरी बतलाई राह पर सो वह न बहकेगा और न वह तकलीफ़ में पड़ेगा। (123) और जिसने मुँह फेरा मेरी याद से तो उसको मिली है गुज़रान तंगी की और लायेंगे हम उसको क़ियामत के दिन अन्धा। (124) वह कहेगा ऐ रब! क्यों उठा लाया तू मुझको अंधा और मैं तो था देखने वाला। (125) फ़रमाया यूँ ही पहुँची थीं तुझको हमारी आयतें फिर तूने उनको भुला दिया और इसी तरह आज तुझको भुला देंगे। (126) और इसी तरह बदला देंगे हम उसको जो हद से निकला और यक़ीन न लाया अपने रब की बातों पर, और आख़िरत का अ़ज़ाब सख़्त है और बहुत बाक़ी रहने वाला। (127)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और इससे (बहुत ज़माने) पहले हम आदम (अ़लैहिस्सलाम) को एक हुक्म दे चुके थे (जिसका बयान आगे आता है) सो उनसे ग़फ़लत (और बेएहतियाती) हो गई, हमने (उस हुक्म की पाबन्दी करने में) उनमें पुख़्तगी और (साबित-क़दमी) न पाई।

और (इस संक्षिप्तता की तफ़सील अगर दरकार हो तो) वह वक़्त याद करो जबकि हमने फ़रिश्तों से इरशाद फ़रमाया कि आदम (अ़लैहिस्सलाम) के सामने (सलामी) सज्दा करो, सो सब ने सज्दा किया सिवाय शैतान के, (कि) उसने इनकार किया। फिर हमने (आदम से) कहा कि ऐ आदम! (याद रखो) यह बिला शुब्हा तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का (इस वजह से) दुश्मन है (कि तुम्हारे मामले में यह मरदूद हुआ), सो कहीं तुम दोनों को जन्नत से न निकलवा दे, (यानी इसके कहने से कोई ऐसा काम मत कर बैठना कि जन्नत से बाहर किये जाओ) फिर मुसीबत (रोज़ी कमाने) में पड़ जाओ (और साथ में तुम्हारी बीवी भी, मगर ज़्यादा हिस्सा मुसीबत का तुमको भुगतना पड़े और) यहाँ जन्नत में तो तुम्हारे लिये यह (आराम) है कि तुम न भूखे रहोगे (जिससे तकलीफ़ हो या उसकी तदबीर में देर और परेशानी हो) और न नंगे होगे (कि कपड़ा न मिले या ज़रूरत के इतनी देर बाद मिले कि तकलीफ़ होने लगे) और न यहाँ प्यासे होगे (कि पानी न मिले या देर होने से तकलीफ़ हो) और न धूप में तपोगे (क्योंकि जन्नत में धूप ही नहीं, और मकान भी हर तरह पनाह के हैं, बख़िलाफ़ उस हालत के कि अगर जन्नत से निकलकर दुनिया में गये तो ये सारी मुसीबतें पेश आयेंगी इसलिए इन बातों को सामने रखकर ख़ूब ही होशियारी व सतर्कता से रहना) फिर उनको शैतान ने (झाँसा दिया यानी) बहकाया, कहने लगा कि ऐ आदम! क्या मैं तुमको हमेशगी (की ख़ासियत) का पेड़ बतलाऊँ (कि उसके खाने से हमेशा ख़ुश व आबाद रहो) और ऐसी बादशाही कि जिसमें कभी कमज़ोरी न आये। सो (उसके बहकाने से) दोनों ने उस पेड़ से खा लिया (जिससे मनाही हुई थी, और शैतान ने उसको हमेशगी वाला पेड़ कहकर बहकाया था) तो (उसके खाते ही) उन दोनों के सतर "यानी जिस्म की छुपाने की जगहें" एक-दूसरे के सामने खुल गये, और (अपना बदन ढाँकने को) दोनों अपने (बदन के) ऊपर जन्नत (के दरख़्तों) के पत्ते चिपकाने लगे, और आदम से अपने रब का क़ुसूर हो गया, सो (जन्नत में हमेशा रहने का मक़सद हासिल करने के बारे में) ग़लती में पड़ गये। फिर (जब उन्होंने माज़िरत की तो) उनको उनके रब ने (ज़्यादा) मक़बूल बना लिया, सो उन पर (मेहरबानी से) ज़्यादा तवज्जोह फ़रमाई और (हमेशा सीधे) रास्ते पर क़ायम रखा (कि फिर ऐसी ख़ता नहीं हुई। और जब दरख़्त खा लिया तो) अल्लाह ने फ़रमाया कि दोनों के दोनों इस जन्नत से उतरो (और दुनिया में) ऐसी हालत से जाओ कि (तुम्हारी औलाद में) एक का दुश्मन एक होगा। फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ़ से कोई हिदायत (का ज़रिया यानी रसूल या किताब) पहुँचे तो (तुम में) जो शख़्स मेरी उस हिदायत का पालन करेगा तो वह न (दुनिया में) गुमराह होगा और न (आख़िरत में) शकी "यानी बदबख़्त और मेहरूम" होगा। और जो शख़्स मेरी उस नसीहत से मुँह मोड़ेगा तो उसके लिये (क़ियामत से पहले दुनिया और क़ब्र में) तंगी का जीना होगा, और क़ियामत के दिन हम उसको अन्धा करके (क़ब्र से)

उठाएँगे। वह (ताज्जुब से) कहेगा कि ऐ मेरे रब! आपने मुझको अन्धा करके क्यों उठाया मैं तो (दुनिया में) आँखों वाला था। (मुझसे ऐसी क्या ख़ता हुई) इरशाद होगा कि (जैसी तुझको सज़ा हुई है) ऐसा ही (तुझसे अ़मल हुआ था, और यह कि) तेरे पास (नबियों व उलेमा के वास्ते से) हमारे अहकाम पहुँचे थे फिर तूने उनका कुछ ख़्याल न किया और ऐसे ही आज तेरा कुछ ख़्याल न किया जायेगा (जैसा तूने ख़्याल न किया था)। और (जिस तरह यह सज़ा अ़मल के मुनासिब दी गई) इसी तरह (हर) उस शख़्स को हम (अ़मल के मुनासिब) सज़ा देंगे जो (इताअ़त की) हद से गुज़र जाये और अपने परवर्दिगार की आयतों पर ईमान न लाये, और वाक़ई आख़िरत का अ़ज़ाब है बड़ा सख़्त और बड़ा देर तक रहने वाला (कि उसकी कहीं इन्तिहा ही नहीं, तो उससे बचने का बहुत ही एहतिमाम करना वाजिब है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

यहाँ से हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम का क़िस्सा बयान होता है, यह क़िस्सा इससे पहले सूरः ब-क़रह और सूरः आराफ़ में, फिर कुछ सूरः हिज्र और सूरः कहफ़ में गुज़र चुका है, और आख़िर में सूरः सॉद में आयेगा। हर मक़ाम पर इस क़िस्से के मुनासिब हिस्सों (भागों) को संबन्धित हिदायतों के साथ बयान किया गया है।

इस मक़ाम पर इस क़िस्से की मुनासबत पिछले आयतों से हज़राते मुफ़स्सिरीन ने विभिन्न पहलुओं से बयान फ़रमाई है, उनमें सबसे ज़्यादा स्पष्ट और बेग़ुबार बात यह है कि पहले गुज़री आयतों में यह इरशाद आया है:

كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ.

इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को ख़िताब करके फ़रमाया गया है कि आपकी नुबुव्वत व रिसालत के सुबूत और आपकी उम्मत को सचेत व आगाह करने के लिये हम पहले नबियों के हालात व वाकिआ़त आप से बयान करते हैं, जिनमें हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम का तफ़सीली क़िस्सा इस आयत से पहले बयान हो चुका है। और उन तमाम क़िस्सों में सबसे पहला और कुछ हैसियतों में सबसे अहम हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम का क़िस्सा है। यहाँ से उसको शुरू किया गया है जिसमें उम्मते मुहम्मदिया को इस पर तंबीह करना (चेताना) है कि शैतान तमाम इनसानों का पुराना दुश्मन है, उसने सबसे पहले तुम्हारे माँ-बाप से अपनी दुश्मनी निकाली और तरह-तरह के हीलों-बहानों और हमदर्दाना मश्विरों के जाल फैलाकर उनको एक चूक और भूल में मुब्तला कर दिया, जिसके नतीजे में जन्नत से उतरने के अहकाम जारी हुए और जन्नत की पोशाक उनसे छिन गयी, फिर हक़ तआ़ला की तरफ़ रुजू और चूक व ग़लती की माफ़ी होकर उनको रिसालत व नुबुव्वत का बुलन्द मक़ाम अ़ता हुआ। इसलिये तमाम इनसानों को शैतान के बहकावे से कभी बेफ़िक्र न होना चाहिये, दीन के अहकाम के मामले में शैतानी वस्वसों और हीलों से बचने का बड़ा एहतिमाम करना चाहिये।

وَلَقَدْ عَهِدْنَآ اِلٰٓى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْلَهٗ عَزْمًا○

इसमें लफ़्ज़ 'अ़हिद्ना' अमर्ना या वस्सैना के मायने में है। (बहरे मुहीत) मतलब यह है हमने इस वाकिए के बारे में आप से बहुत पहले आदम अ़लैहिस्सलाम को एक वसीयत की थी यानी ताकीदी हुक्म दिया था (जिसका ज़िक्र सूरः ब-क़रह वग़ैरह में भी आ चुका है और आगे भी कुछ आ रहा है) कि एक दरख़्त को निर्धारित करके बतला दिया था कि उस दरख़्त को यानी उसके फल-फूल या किसी हिस्से को न खाना, और उसके क़रीब भी न जाना, बाक़ी जन्नत के सारे बाग़ात और नेमतें तुम्हारे लिये खुली हुई हैं उनको इस्तेमाल करते रहो। और जैसा कि आगे आता है यह भी बतला दिया था कि इब्लीस (शैतान) तुम्हारा दुश्मन है, कहीं उसके बहाने में न आ जाना कि तुम्हारे लिये मुसीबत बने। मगर आदम अ़लैहिस्सलाम भूल गये और उनमें हमने इरादे की पुख़्तगी न पाई। यहाँ दो लफ़्ज़ आये हैं एक निस्यान दूसरे अ़ज़्म। निस्यान के मायने मशहूर हैं भूल जाना, ग़फ़लत में पड़ जाना और अ़ज़्म के लफ़्ज़ी मायने किसी काम के लिये अपने इरादे को मज़बूत बाँधने के हैं। इन दोनों लफ़्ज़ों से मुराद इस जगह क्या है इसके समझने से पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम अल्लाह तआ़ला के बड़े रुतबे वाले पैग़म्बरों में से हैं और पैग़म्बर सब के सब गुनाहों से मासूम (सुरक्षित) होते हैं।

पहले लफ़्ज़ में हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम पर निस्यान और भूल तारी हो जाने का ज़िक्र है और चूँकि भूल और निस्यान ग़ैर-इख़्तियारी चीज़ है इसलिये इसको गुनाह में शुमार ही नहीं किया गया जैसा कि सही हदीस में है:

رُفِعَ عَنْ اُمَّتِی الْخَطَاُ وَالنِّسْيَانُ.

यानी मेरी उम्मत से ख़ता और भूल का गुनाह माफ़ कर दिया गया। और क़ुरआने करीम का उमूमी इरशाद है:

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا.

यानी अल्लाह तआ़ला किसी शख़्स को ऐसा हुक्म नहीं देते जो उसके इख़्तियार व ताक़त से बाहर हो। लेकिन यह भी सब को मालूम है कि हक़ तआ़ला ने इस आ़लम में ऐसे असबाब भी रखे हैं कि उनको पूरी एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाये तो इनसान भूल और ख़ता से बच सकता है, अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम चूँकि हक़ तआ़ला के क़रीबी और ख़ास हैं उनसे इतनी बात पर भी सवाल और पकड़ हो सकती है कि उन इख़्तियारी असबाब से क्यों काम न लिया जिनके ज़रिये उस भूल से बच सकते थे। बहुत सी बार हुकूमत के एक वज़ीर के लिये वह काम पकड़ के क़ाबिल समझा जाता है जो आ़म नौकरों के लिये इनाम के क़ाबिल होता है। इसी को हज़रत जुनैद बग़दादी ने फ़रमाया है:

حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ.

यानी उम्मत के बुज़ुर्गों और नेक लोगों के बहुत से नेक अ़मल अल्लाह की बारगाह के ख़ास और क़रीबी बन्दों के हक़ में ख़ता और चूक क़रार दिये जाते हैं।

हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम का यह वाक़िआ अव्वल तो नुबुव्वत व रिसालत से पहले का है

जिसमें नबियों से किसी गुनाह का हो जाना अहले सुन्नत के कुछ उलेमा के नज़दीक उनके गुनाहों से सुरक्षित होने के ख़िलाफ़ नहीं। दूसरे दर हक़ीक़त यह भूल है जो गुनाह नहीं, मगर हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम के बुलन्द मक़ाम और अल्लाह तआ़ला से उनकी निकटता के लिहाज़ से इसको भी उनके हक़ में एक ग़लती और चूक क़रार दिया गया, जिस पर अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से नाराज़गी का इज़हार हुआ और उनको मुतनब्बेह करने (चेताने) के लिये इस चूक और ग़लती को 'इस्यान' (नाफ़रमानी) के लफ़्ज़ से ताबीर किया गया जैसा कि आगे आता है।

दूसरा लफ़्ज़ अ़ज़्म है और इसी आयत में यह फ़रमाया कि आदम अ़लैहिस्सलाम में अ़ज़्म न पाया गया। ऊपर मालूम हो चुका है कि अ़ज़्म के मायने किसी काम के इरादे पर मज़बूती से क़ायम रहने के हैं। हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म की तामील का मुकम्मल फ़ैसला और इरादा किये हुए थे मगर शैतानी बहकावे से उस इरादे की मज़बूती में फ़र्क़ आ गया और भूल ने उस पर क़ायम न रहने दिया। वल्लाहु आलम

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ

यह उस अ़हद का मुख़्तसर बयान है जो अल्लाह तआ़ला ने हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम से लिया था, उसमें आदम अ़लैहिस्सलाम की पैदाईश के बाद सब फ़रिश्तों को और उनके तहत में शैतान को भी, क्योंकि उस वक़्त तक शैतान जन्नत में फ़रिश्तों के साथ रहता सहता था, यह हुक्म दिया गया कि सब के सब आदम अ़लैहिस्सलाम को सज्दा करें। सब फ़रिश्तों ने सज्दा कर लिया मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया, जिसकी वजह दूसरी आयतों में उसका तकब्बुर था कि मैं आग से बना हूँ यह मिट्टी से, और आग मिट्टी के मुक़ाबले में अफ़ज़ल व अशरफ़ है, मैं इसको सज्दा क्यों करूँ? इस पर इब्लीस तो मलऊन होकर जन्नत से निकाला गया। हज़रत आदम व हव्वा के लिये जन्नत के सब बाग़ात और सारी नेमतों के दरवाज़े खोल दिये गये और हर चीज़ के इस्तेमाल की इजाज़त दी गयी सिर्फ़ एक ख़ास दरख़्त के मुताल्लिक़ यह हिदायत की गयी कि उसको (यानी उसके फल-फूल वग़ैरह को) न खायें और उसके क़रीब भी न जायें। यह मज़मून भी सूरः ब-क़रह व सूरः आराफ़ की आयतों में आ चुका है, यहाँ इसका ज़िक्र करने के बजाय हक़ तआ़ला ने अपना वह इरशाद ज़िक्र किया है जो उस अ़हद के महफ़ूज़ रखने और उस पर क़ायम रहने के सिलसिले में फ़रमाया कि देखो शैतान इब्लीस जैसा कि सज्दे के वाक़िए के वक़्त ज़ाहिर हो चुका है तुम दोनों यानी आदम व हव्वा का दुश्मन है ऐसा न हो कि वह किसी फ़रेब व हीले से धोखा देकर तुमसे इस अ़हद की ख़िलाफ़वर्ज़ी करा दे जिसका नतीजा यह हो कि तुम जन्नत से निकाले जाओ।

فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰىo

यानी यह शैतान कहीं तुम्हें जन्नत से न निकलवा दे जिसकी वजह से तुम मुसीबत और मशक़्क़त में पड़ जाओ। लफ़्ज़ तश्क़ा शक़ावत से निकला है। यह लफ़्ज़ दो मायने के लिये इस्तेमाल होता है- एक आख़िरत की शक़ावत (बदनसीबी व मेहरूमी) के लिये, दूसरे दुनिया की शक़ावत यानी जिस्मानी मशक़्क़त व मुसीबत। इस जगह यही दूसरे मायने मुराद हो सकते हैं, क्योंकि पहले मायने में

किसी पैग़म्बर के लिये तो क्या किसी नेक मुसलमान के लिये भी यह लफ़्ज़ नहीं बोला जा सकता, इसी लिये इमाम फ़र्रा रह. ने इस शक़ावत की तफ़सीर यह की है कि:

هوان ياكل من كدّ يده.

यानी शक़ावत से इस जगह मुराद यह है कि अपने हाथों की मेहनत से ख़ुराक हासिल करना पड़ेगी। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) और इस जगह मौक़े के लिहाज़ से भी दूसरे ही मायने के लिये सुबूत है क्योंकि इसके बाद की आयत में जन्नत की नेमतों में से उन चार नेमतों का ज़िक्र फ़रमाया है जो हर इनसान की ज़िन्दगी के लिये बुनियादी हैसियत रखती हैं और ज़िन्दगी की ज़रूरतों में सबसे अहम हैं। यानी खाना, पीना, लिबास और ठिकाना। इस आयत में यह इरशाद फ़रमाया है कि ये सब नेमतें जन्नत में तो बिना किसी कमाई व कोशिश और मेहनत व मशक़्क़त के मिलती हैं। इसमें इशारा पाया गया कि यहाँ से निकल गये तो ये नेमतें छिन जायेंगी और शायद इसी इशारे के लिये यहाँ जन्नत की बड़ी-बड़ी नेमतों का ज़िक्र नहीं किया गया बल्कि सिर्फ़ उनका ज़िक्र किया जिन पर इनसानी ज़िन्दगी मौक़ूफ़ है, और इससे डराया गया कि शैतानी बहकावे में आकर कहीं ऐसा न हो कि जन्नत से निकाले जायें और ये सब नेमतें छिन जायें और फिर ज़मीन पर ज़िन्दगी की इन ज़रूरतों को बड़ी मेहनत मुशक़्क़त उठाकर हासिल करना पड़े। यह मफ़्हूम लफ़्ज़ "फ़-तश्क़ा" का है जो मुफ़स्सिरीन की अक्सरियत ने लिखा है।

इमाम क़ुर्तुबी ने इस जगह यह भी ज़िक्र किया है कि आदम अ़लैहिस्सलाम जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाये तो जिब्रील अ़लैहिस्सलाम ने जन्नत से कुछ दाने गेहूँ चावल वग़ैरह के लाकर दिये कि इनको ज़मीन में बोओ फिर जब यह पौदा होकर निकले और इस पर दाने जमें तो इसको काटो फिर पीसकर रोटी बनाओ और इन सब कामों के तरीक़े भी हज़रत आदम को सुझा दिये, उसके मुताबिक़ आदम अ़लैहिस्सलाम ने रोटी पकाई और खाने के लिये बैठे थे कि रोटी हाथ से छूटकर पहाड़ के नीचे लुढ़क गयी, आदम अ़लैहिस्सलाम उसके पीछे चले और बड़ी मेहनत करके वापस लाये तो जिब्रीले अमीन ने कहा कि ऐ आदम! आपका और आपकी औलाद का रिज़्क़ ज़मीन पर इसी तरह मेहनत मशक़्क़त से हासिल होगा। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

बीवी का ज़रूरी ख़र्च शौहर के ज़िम्मे है

इस मक़ाम पर आयत के शुरू में हक़ तआ़ला ने आदम अ़लैहिस्सलाम के साथ हज़रत हव्वा को भी ख़िताब में शरीक किया:

عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ

जिसमें बतलाया है कि शैतान आपका भी दुश्मन है और आपकी बीवी का भी, और यह कि ऐसा न हो कि तुम दोनों को यह जन्नत से निकलवा दे। मगर आयत के आख़िर में लफ़्ज़ 'फ़-तश्क़ा' को एक वचन इस्तेमाल फ़रमाया, बीवी को इसमें शरीक नहीं किया वरना मौक़े के तक़ाज़े से 'फ़-तश्क़िया' कहा जाता। इमाम क़ुर्तुबी ने इससे यह मसला निकाला है कि ज़िन्दगी की ज़रूरतें बीवी की मर्द के ज़िम्मे हैं, उनके हासिल करने में जो मेहनत व मशक़्क़त हो उसका तन्हा ज़िम्मेदार मर्द है

इसी लिये 'फ़-तश्क़ा' एक वचन का कलिमा लाकर इशारा कर दिया कि ज़मीन पर उतारे गये तो ज़िन्दगी की उन ज़रूरतों के हासिल करने (यानी कमाने) में जो कुछ मेहनत मशक़्क़त उठानी पड़ेगी वह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर पड़ेगी, क्योंकि हव्वा का ख़र्चा और ज़िन्दगी की ज़रूरतें उपलब्ध कराना उनके ज़िम्मे है।

वाजिब ख़र्च में सिर्फ़ चार चीज़ें दाख़िल हैं

इमाम क़ुर्तुबी ने फ़रमाया कि इसी आयत ने हमें यह भी बतला दिया कि औरत का जो नफ़्क़ा (ख़र्च) मर्द के ज़िम्मे है वह सिर्फ़ चार चीज़ें हैं। खाना, पीना, लिबास और ठिकाना। इससे ज़ायद जो कुछ शौहर अपनी बीवी को देता या उस पर ख़र्च करता है वह उसका एहसान है, वाजिब व लाज़िम नहीं। इसी से यह भी मालूम हुआ कि बीवी के अलावा जिस किसी का ख़र्च शरीअ़त ने किसी शख़्स के ज़िम्मे आयद किया है उसमें भी चार चीज़ें उसके ज़िम्मे वाजिब होती हैं जैसे माँ-बाप का नफ़्क़ा (ख़र्चा) औलाद के ज़िम्मे जबकि वे मोहताज और माज़ूर वग़ैरह हों जिसकी तफ़सील मसाईल की किताबों में बयान हुई है।

اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ○

जन्नत में ज़िन्दगी की ज़रूरतों की ये बुनियादी चारों चीज़ें बिना माँगे बिना मशक़्क़त मिलती हैं। और जन्नत में भूख न लगने से यह शुब्हा न किया जाये कि जब तक भूख न लगे खाने का ज़ायक़ा और लज़्ज़त ही नहीं आ सकती, इसी तरह जब तक प्यास न हो ठण्डे पानी की लज़्ज़त व राहत नहीं महसूस हो सकती। वजह यह है कि जन्नत में भूख प्यास न लगने का मतलब यह है कि भूख प्यास की तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ती कि भूख के वक़्त खाने को और प्यास के वक़्त पीने को न मिले या देर में मिले, बल्कि हर वह चीज़ जिसको उसका दिल चाहेगा फ़ौरन हाज़िर मौजूद मिलेगी।

فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ .... وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ○

इन दो आयतों में जो यह सवालात पैदा होते हैं कि जब हक़ तआ़ला ने हज़रत आदम व हव्वा को किसी ख़ास दरख़्त के खाने और उसके पास जाने से भी रोक दिया था और इससे बढ़कर यह तंबीह भी फ़रमा दी थी कि शैतान तुम दोनों का दुश्मन है, उसके फ़रेब और जाल से बचते रहना, वह कहीं तुम्हें जन्नत से न निकलवा दे। इतनी स्पष्ट हिदायतों के बाद भी यह बुलन्द रुतबे वाले पैग़म्बर शैतान के धोखे में किस तरह आ गये? और यह कि यह तो खुली नाफ़रमानी और गुनाह है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी व रसूल हैं उनसे यह गुनाह कैसे सर्ज़द हुआ जबकि उम्मत की अक्सरियत का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम हर छोटे-बड़े गुनाह से मासूम (सुरक्षित) होते हैं। इन सब सवालों का जवाब सूरः ब-क़रह की तफ़सीर मआरिफ़ुल-क़ुरआन जिल्द एक में गुज़र चुका है वहाँ देख लिया जाये। और इस आयत में जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में साफ़ लफ़्ज़ों में 'अ़सा' और फिर 'ग़वा' फ़रमाया गया है, इसकी वजह भी सूरः ब-क़रह में बयान हो चुकी है कि अगरचे आदम अलैहिस्सलाम का यह अ़मल शरई क़ानून के एतिबार से गुनाह में दाख़िल नहीं था लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के रसूल और अल्लाह के ख़ास और क़रीबी हैं इसलिये

उनकी मामूली सी कोताही व चूक को भी भारी लफ़्ज़ों से इस्यान (नाफ़रमानी) कहकर ताबीर किया गया और उस पर नाराज़गी का इज़हार किया गया, और लफ़्ज़ 'ग़वा' दो मायने के लिये इस्तेमाल होता है- एक मायने ज़िन्दगी तल्ख़ (बेमज़ा) हो जाने और ऐश ख़राब हो जाने के हैं। दूसरे मायने गुमराह हो जाने या ग़ाफ़िल हो जाने के। तफ़सीर के इमामों- क़ुशैरी और क़ुर्तुबी वग़ैरह ने इस जगह लफ़्ज़ 'ग़वा' के पहले मायने ही को इख़्तियार किया है और मुराद यह है कि हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम को जो ऐश जन्नत में हासिल था वह न रहा और ज़िन्दगी तल्ख़ हो गयी।

अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के बारे में एक अहम हिदायत उनके अदब व एहतिराम की हिफ़ाज़त

क़ाज़ी अबू बक्र इब्ने अ़रबी ने 'अहकामुल-क़ुरआन' में उक्त आयत में जो अलफ़ाज़ 'अ़सा' वग़ैरह आदम अ़लैहिस्सलाम के बारे में हैं इस सिलसिले में उन्होंने एक अहम बात इरशाद फ़रमाई है, वह उन्हीं के अलफ़ाज़ में यह है:

لايجوز لاحدنا اليوم ان يخبربذالك عن ادم الّا اذاذكرناه فى اثناء قوله تعالٰى عنه اوقول نبيّه، فامّا يبتدى ذٰلك من قبل نفسه فليس بجائز لنافى ابائنا الادنين الينا المماثلين لنا فكيف فى ابيناالاقدم الاعظم الاكرم النّبى المقدّم الذى عذره الله سبحانه وتعالٰى وتاب عليه وغفرله.

यानी हम में से किसी के लिये आज यह जायज़ नहीं कि आदम अ़लैहिस्सलाम की तरफ़ यह लफ़्ज़ 'इस्यान' (यानी नाफ़रमानी का) मन्सूब करे सिवाय इसके कि क़ुरआन की इस आयत के या किसी हदीसे नबवी के तहत में आया हो वह बयान करे, लेकिन यह कि अपनी तरफ़ से यह लफ़्ज़ मन्सूब करना हमारे अपने क़रीबी बाप-दादा (पूर्वजों) के लिये भी जायज़ नहीं, फिर हमारे सबसे पहले बाप जो हर हैसियत में हमारे पूर्वजों से मुक़द्दम, बड़े और सम्मानित हैं और अल्लाह तआ़ला के सम्मानित पैग़म्बर हैं जिनका उज़्र अल्लाह तआ़ला ने क़ुबूल फ़रमाया और माफ़ी का ऐलान कर दिया, उनके लिये तो किसी हाल में जायज़ नहीं।

इसी लिये क़ुशैरी अबू नस्र ने फ़रमाया कि इस लफ़्ज़ की वजह से हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम को गुनाहगार व बहकने वाला कहना जायज़ नहीं, और क़ुरआने करीम में जहाँ कहीं किसी नबी या रसूल के बारे में ऐसे अलफ़ाज़ आये हैं या तो वो उन चीज़ों के बारे में हैं ख़िलाफ़े औला हैं या नुबुव्वत से पहले के हैं। इसलिये क़ुरआनी आयतों और हदीस की रिवायतों के तहत में तो उनका तज़किरा दुरुस्त है लेकिन अपनी तरफ़ से उनकी शान में ऐसे अलफ़ाज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

اِهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا.

यानी उतर जाओ जन्नत से (दोनों)। यह ख़िताब हज़रत आदम व इब्लीस दोनों के लिये भी हो सकता है और इस हालत में 'तुम में से एक दूसरे का दुश्मन है' का मज़मून स्पष्ट है कि दुनिया में जाकर भी शैतान की दुश्मनी जारी रहेगी। अगर यह कहा जाये कि शैतान को तो इस वाक़िए से पहले

ही जन्नत से निकाला जा चुका था उसको इस ख़िताब में शरीक क़रार देना दूर की बात है तो दूसरा गुमान व संभावना यह भी है कि यह ख़िताब आदम व हव्वा अलैहिमस्सलाम दोनों को हो। इस सूरत में आपसी दुश्मनी से मुराद उनकी औलाद में आपसी दुश्मनी होने को बयान करना है, और ज़ाहिर है कि औलाद में आपसी दुश्मनी माँ-बाप की ज़िन्दगी भी तल्ख़ (बेमज़ा और कड़वी) कर देती है।

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ.

यहाँ ज़िक्र से मुराद क़ुरआन भी हो सकता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक ज़ात भी, जैसा कि दूसरी आयतों में 'ज़िक्रर् रसूलन्' आया है। दोनों का हासिल यह है कि जो शख़्स क़ुरआन से या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुँह मोड़े यानी क़ुरआन की तिलावत और उसके अहकाम पर अमल से या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इताअ़त से मुँह मोड़े उसका अन्जाम यह है:

فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى○

यानी उसकी ज़िन्दगी तंग होगी और क़ियामत में उसको अन्धा करके उठाया जायेगा। पहला अ़ज़ाब दुनिया ही में उसको मिल जायेगा और दूसरा यानी अन्धा होने का अ़ज़ाब क़ियामत में होगा।

काफ़िर और बदकार की ज़िन्दगी दुनिया में बेमज़ा और तंग होने की हक़ीक़त

यहाँ यह सवाल होता है कि दुनिया में ज़िन्दगी और गुज़रान की तंगी तो काफ़िरों व बदकारों के लिये मख़्सूस नहीं, नेक मोमिनों को भी पेश आती है, बल्कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को सबसे ज़्यादा सख़्तियाँ व मुसीबतें इस दुनिया की ज़िन्दगी में उठानी पड़ती हैं। सही बुख़ारी और हदीस की तमाम किताबों में हज़रत सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु वग़ैरह की रिवायत से यह हदीस मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि दुनिया की बलायें और मुसीबतें सबसे ज़्यादा नबियों पर सख़्त होती हैं उनके बाद जो जिस दर्जे का नेक और वली है उसी की मुनासबत से उसको ये तकलीफ़ें पहुँचती हैं। इसके विपरीत काफ़िर व बदकार लोगों को उमूमन ख़ुशहाल और ऐश व मज़े में देखा जाता है, तो फिर क़ुरआन का यह इरशाद कि उनकी ज़िन्दगी और गुज़रान तंग होगी आख़िरत के लिये तो हो सकता है दुनिया में तो इसके ख़िलाफ़ देखने में आता है।

इसका साफ़ और स्पष्ट जवाब तो यह है कि यहाँ दुनिया के अ़ज़ाब से क़ब्र का अ़ज़ाब मुराद है कि क़ब्र में उनकी ज़िन्दगी तंग कर दी जायेगी। ख़ुद क़ब्र जो उनका ठिकाना होगा वह उनको ऐसा दबायेगा कि उनकी पसलियाँ टूटने लगेंगी जैसा कि हदीस की कुछ रिवायतों में इसकी वज़ाहत है और मुस्नद बज़्ज़ार में उम्दा सनद के साथ हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से यह हदीस नक़ल की गयी है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ख़ुद इस आयत के लफ़्ज़ 'मअ़ीशतन् ज़न्कन्' की तफ़सीर यह फ़रमाई है कि इससे मुराद क़ब्र का आ़लम है। (तफ़सीरे मज़हरी)

और हज़रत सईद बिन जुबैर रह. ने ज़िन्दगी की तंगी का यह मतलब भी बयान किया है कि उनसे कनाअ़त की सिफ़त छीन ली जायेगी और दुनिया की हिर्स बढ़ा दी जायेगी। (तफ़सीरे मज़हरी) जिसका नतीजा यह होगा कि उसके पास कितना ही माल व दौलत जमा हो जाये कभी दिली सुकून उसको नसीब नहीं होगा, हमेशा माल बढ़ाने की फ़िक्र और उसमें नुक़सान का ख़तरा उसको बेचैन रखेगा। और यह बात मालदारों में आम तौर पर देखी जाती है, जिसका हासिल यह होता है कि उन लोगों के पास राहत व आराम के सामान तो बहुत जमा हो जाते हैं मगर जिसका नाम राहत है वह नसीब नहीं होती, क्योंकि वह दिल के सुकून व इत्मीनान के बग़ैर हासिल नहीं होती।

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَٰكِنِهِمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ ﴿١٢٨﴾ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿١٢٩﴾ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿١٣٠﴾ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣١﴾ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿١٣٢﴾ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ﴿١٣٣﴾ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ ﴿١٣٤﴾ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ ﴿١٣٥﴾

अ-फ़लम् यह्दि लहुम् कम् अह्लक्ना क़ब्लहुम् मिनल्-क़ुरूनि यम्शू-न फ़ी मसाकिनिहिम्, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिल् लि-उलिन्नुहा (128) ❁ व लौ ला कलि-मतुन् स-बक़त् मिर्-रब्बि-क लका-न लिज़ामंव्-व अ-जलुम्-मुसम्मा (129) फ़स्बिर् अ़ला मा यक़ूलू-न व सब्बिह् बि-हम्दि	सो क्या इनको समझ न आई इस बात से कि कितनी ग़ारत कर दीं हमने इनसे पहले जमाअ़तें, ये लोग फिरते हैं उनकी जगहों में, इसमें ख़ूब निशानियाँ हैं अ़क्ल रखने वालों को। (128) ❁ और अगर न होती एक बात कि निकल चुकी तेरे रब की तरफ़ से तो ज़रूर हो जाती मुठभेड़ अगर न होता वायदा मुक़र्रर किया गया। (129) सो तू सहता रह जो वे कहें और पढ़ता रह ख़ूबियाँ अपने रब

रब्बि-क क़ब्-ल तुलूअिश्शम्सि व क़ब्-ल ग़ुरूबिहा व मिन् आनाइल्लैलि फ़-सब्बिह् व अत्राफ़न्नहारि लअ़ल्ल-क तर्ज़ा (130) व ला तमुद्दन्-न ऐनै-क इला मा मत्तअ़्ना बिही अज़्वाजम् मिन्हुम् ज़ह्र-तल्-हयातिद्दुन्या लि-नफ़्ति-नहुम् फ़ीहि, व रिज़्क़ु रब्बि-क ख़ैरुंव्-व अब्क़ा (131) वअ्मुर् अह्ल-क बिस्सलाति वस्तबिर् अ़लैहा, ला नस्अलु-क रिज़्क़न्, नह्नु नर्ज़ुक़ु-क, वल्आ़क़ि-बतु लित्तक़्वा (132) व क़ालू लौ ला यअ्तीना बिआयतिम्-मिर्रब्बिही, अ-व लम् तअ्तिहिम् बय्यि-नतु मा फ़िस्सुहुफ़िल्-ऊला (133) व लौ अन्ना अह्लक्नाहुम् बि-अ़ज़ाबिम् मिन् क़ब्लिही लक़ालू रब्बना लौ ला अर्सल्-त इलैना रसूलन् फ़-नत्तबि-अ़ आयाति-क मिन् क़ब्लि अन् नज़िल्-ल व नख़्ज़ा (134) क़ुल् कुल्लुम् मु-तरब्बिसुन् फ़-तरब्बसू फ़-सतअ़्लमू-न मन् अस्हाबुस्-सिरातिस्सविय्यि व मनिह्तदा (135) ✿

की सूरज निकलने से पहले और छुपने से पहले और कुछ घड़ियों में रात की पढ़ा कर और दिन की हदों पर शायद तू राज़ी हो। (130) और मत पसार अपनी आँखें उस चीज़ पर जो फ़ायदा उठाने को दी हमने उन तरह-तरह के लोगों को रौनक़ दुनिया की ज़िन्दगी की उनके जाँचने को, और तेरे रब की दी हुई रोज़ी बेहतर है और बहुत बाक़ी रहने वाली। (131) और हुक्म कर अपने घर वालों को नमाज़ का और ख़ुद भी क़ायम रह उस पर, हम नहीं माँगते तुझसे रोज़ी, हम रोज़ी देते हैं तुझको और अन्जाम भला है परहेज़गारी का। (132) और लोग कहते हैं कि यह क्यों नहीं ले आता हमारे पास कोई निशानी अपने रब से, क्या पहुँच नहीं चुकी उनको निशानी अगली किताबों में की। (133) और अगर हम हलाक कर देते उनको किसी आफ़त में इससे पहले तो कहते ऐ रब! क्यों न भेजा हम तक किसी को पैग़ाम देकर कि हम चलते तेरी किताब पर ज़लील और रुस्वा होने से पहले। (134) तू कह- हर कोई राह देखता है सो तुम भी राह देखो आईन्दा जान लोगे कौन हैं सीधी राह वाले और किसने राह पाई। (135) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(ये एतिराज़ करने वाले जो हक़ से मुँह मोड़ने पर अड़े हुए हैं तो) क्या इन लोगों को (अब तक) इससे भी हिदायत नहीं हुई कि हम इनसे पहले बहुत-से गिरोहों को (इस मुँह मोड़ने ही के सबब अ़ज़ाब से) हलाक कर चुके हैं, कि उन (में से कुछ) के रहने के मक़ामात में ये लोग भी चलते (फिरते) हैं, (क्योंकि मुल्क शाम को जाते हुए मक्का वालों के रास्ते में कुछ उन क़ौमों के मकानात आते थे) इस (ज़िक्र हुए मामले) में तो समझ रखने वालों के (समझने के) लिये (मुँह मोड़ने के बुरे परिणाम होने के लिये काफ़ी) दलीलें मौजूद हैं।

और (इन पर फ़ौरी अ़ज़ाब न आने से जो इनको अपने मज़हब के बुरा न होने का शुब्हा होता है तो इसकी हक़ीक़त यह है कि) अगर आपके रब की तरफ़ से एक बात पहले से फ़रमाई हुई न होती (वह यह कि कुछ मस्लेहतों की वजह से उनको मोहलत दी जायेगी) और (अ़ज़ाब के लिये) एक मियाद मुतैयन न होती (जो कि क़ियामत का दिन है) तो (इनके कुफ़्र व मुँह मोड़ने के सबब से) अ़ज़ाब लाज़िमी तौर पर होता (ख़ुलासा यह कि कुफ़्र तो अ़ज़ाब को चाहता है लेकिन एक बाधा और रुकावट की वजह से उसमें देरी हो रही है। पस उनका वह शुब्हा और फ़ौरी अ़ज़ाब न आने से अपने हक़ पर होने की दलील देना ग़लत है। ग़र्ज़ यह कि मोहलत देना है छोड़ देना नहीं)। सो (जब अ़ज़ाब का आना यक़ीनी है तो) आप उनकी (कुफ़्र भरी) बातों पर सब्र कीजिए (और अल्लाह के लिये नफ़रत करने की वजह से जो उन पर गुस्सा आता है और उन पर अ़ज़ाब आने में देरी से जो बेचैनी होती है उस परेशानी और बेचैनी को छोड़ दीजिये) और अपने रब की तारीफ़ (व सना) के साथ (उसकी) तस्बीह (व पाकी बयान) कीजिए (इसमें नमाज़ भी आ गई) सूरज निकलने से पहले (जैसे फ़जर की नमाज़) और उसके छुपने से पहले (जैसे ज़ोहर व अ़सर की नमाज़ें) और रात के वक़्तों में (भी) तस्बीह किया कीजिये (जैसे मग़रिब व इशा की नमाज़ें) और दिन के शुरू व आख़िर में (तस्बीह करने के वास्ते पाबन्दी के लिये एक बार फिर कहा जाता है जिससे फ़जर व मग़रिब की नमाज़ के ज़िक्र की भी दोबारा ताकीद हो गई) ताकि (आपको जो सवाब मिले) आप (उससे) ख़ुश हों (मतलब यह कि आप अपनी तवज्जोह अपने असली माबूद की तरफ़ रखिये लोगों की फ़िक्र न कीजिए)।

और हरगिज़ उन चीज़ों की तरफ़ आप आँख उठाकर न देखिए (जैसा कि अब तक भी नहीं देखा) जिनसे हमने उन काफ़िरों के मुख़्तलिफ़ गिरोहों को (मसलन यहूदियों, ईसाईयों और मुश्रिकों को) आज़माईश के लिये फ़ायदा उठाने वाला बना रखा है कि वह (सिर्फ़) दुनियावी ज़िन्दगी की रौनक़ है (मतलब औरों को सुनाना है कि जब गुनाहों से सुरक्षित नबी के लिये यह मनाही है जिनके बारे में यह गुमान व संभावना भी नहीं तो ग़ैर-सुरक्षित को तो इसका एहतिमाम क्योंकर ज़रूरी न होगा। और आज़माईश यह कि कौन एहसान मानता है और कौन नाफ़रमानी करता है) और आपके रब का अ़तीया (जो आख़िरत में मिलेगा वह इससे) कहीं ज़्यादा, बेहतर और देरपा है (कि कभी फ़ना ही न होगा। कलाम का ख़ुलासा यह हुआ कि न उनके मुँह फेरने की तरफ़ ध्यान दिया जाये न उनके ऐश व आराम के सामान की तरफ़ आँख लगाई जाये, सब का अन्जाम अ़ज़ाब है) और अपने से संबन्धित

लोगों (यानी ख़ानदान वालों या मोमिनों) को भी नमाज़ का हुक्म करते रहिये और ख़ुद भी उसके पाबन्द रहिये (यानी ज़्यादा तवज्जोह के काबिल ये बातें हैं) हम आप से और (इसी तरह दूसरों से ऐसी) रोज़ी (कमवाना) नहीं चाहते (जो ज़रूरी इबादतों में बाधा हो) रोज़ी तो आपको (और इसी तरह औरों को) हम देंगे (यानी असल मकसद कमाना नहीं बल्कि दीन और नेक काम हैं, कमाने की उसी हालत में इजाज़त या हुक्म है जबकि ज़रूरी इबादत व नेकी में वह बाधा और ख़लल डालने वाला न हो) और बेहतर अन्जाम तो परहेज़गारी ही का है (इसलिये हम हुक्म देते हैं कि आप उन लोगों के ऐश के सामान की तरफ़ आँख उठाकर भी न देखिये और अपने मुताल्लिक़ीन को नमाज़ का हुक्म करते रहिये........। और एतिराज़ करने वालों के बाज़े हालात और उनकी बातें जो ऊपर मालूम हुईं इसी तरह उनका एक और कौल भी बयान होता है कि) और वे लोग (दुश्मनी और मुख़ालफ़त के तौर पर) यूँ कहते हैं कि यह रसूल हमारे पास (अपनी नुबुव्वत की) कोई निशानी क्यों नहीं लाते। (आगे जवाब यह है कि) क्या उनके पास पहली किताबों के मज़ामीन का ज़ाहिर होना नहीं पहुँचा (मुराद इससे क़ुरआन है कि उससे पहली आसमानी किताबों के भविष्यवाणी के मज़मून का सच्चा होने का ज़हूर हो गया। मतलब यह कि क्या उनके पास क़ुरआन नहीं पहुँचा जिसकी पहले से शोहरत थी कि वह नुबुव्वत पर काफ़ी दलील है)।

और अगर हम उनको क़ुरआन आने से पहले (कुफ़्र की सज़ा में) किसी अज़ाब से हलाक कर देते (और फिर कियामत के दिन कुफ़्र की असली सज़ा दी जाती कि वह लाज़िम ही थी) तो ये लोग (उज़्र के तौर पर) यूँ कहते कि ऐ हमारे रब! आपने हमारे पास (दुनिया में) कोई रसूल क्यों नहीं भेजा था कि हम आपके अहकाम पर चलते इससे पहले कि हम (यहाँ ख़ुद) बेक़द्र हों और (दूसरों की निगाह में) रुस्वा हों। (सो अब इस उज़्र की भी गुंजाईश नहीं रही, अगर वे यूँ कहें कि वह अज़ाब कब होगा तो) आप कह दीजिए कि (हम) सब इन्तिज़ार कर रहे हैं सो (थोड़ा) और इन्तिज़ार कर लो, अब जल्द ही तुमको (भी) मालूम हो जायेगा कि सही रास्ते वाले कौन हैं और वह कौन है जो (मन्ज़िले) मक़सूद तक पहुँचा (यानी वह फ़ैसला बहुत जल्दी मौत के बाद या कियामत के बाद ज़ाहिर हो जायेगा)।

मआरिफ़ व मसाईल

اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ

यहाँ हिदायत करने वाले से मुराद अगर क़ुरआन या रसूल है तो मायने यह हैं कि क्या क़ुरआन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इनको यानी मक्का वालों को यह हिदायत नहीं दी और इससे बाख़बर नहीं किया कि तुमसे पहले कितनी उम्मतें और जमाअ़तें अपनी नाफ़रमानी की वजह से अल्लाह के अज़ाब में गिरफ़्तार होकर हलाक हो चुकी हैं, जिनके घरों और ज़मीनों में अब तुम चलते फिरते हो। और यह भी मुम्किन है कि हिदायत की निस्बत अल्लाह तआला की तरफ़ हो और मायने यह हों कि क्या अल्लाह तआला ने इन लोगों को हिदायत नहीं दी।

فَاصْبِرْ عَلٰی مَا یَقُوْلُوْنَ.

मक्का वाले जो ईमान से भागने के लिये तरह-तरह के हीले बहाने तलाश करते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बुरे-बुरे कलिमात से याद करते थे, कोई जादूगर कोई शायर कोई झूठा कहता था, उनके सताने और तकलीफ़ें देने का इलाज क़ुरआने करीम ने इस जगह दो चीज़ों से बतलाया है- अव्वल यह कि आप उनके कहने की तरफ़ तवज्जोह ही न करें बल्कि सब्र करें। दूसरी चीज़ अल्लाह तआ़ला की इबादत में मशग़ूल हो जाना है जो अगले जुमले में 'फ़-सब्बिह् बि-हम्दि रब्बि-क' के अलफ़ाज़ से बयान किया गया है।

दुश्मनों की तकलीफ़ों से बचने का इलाज सब्र और अल्लाह की याद में मशग़ूल होना है

दुश्मनों से तो इस दुनिया में किसी छोटे बड़े, अच्छे बुरे इनसान को निजात नहीं मिलती। हर शख़्स का कोई न कोई दुश्मन होता है, और दुश्मन कितना ही मामूली व कमज़ोर हो अपने मुख़ालिफ़ को कुछ न कुछ तकलीफ़ पहुँचा ही देता है। ज़बानी गाली-गलौज ही सही, सामने हिम्मत न हो तो पीछे ही सही। इसलिये दुश्मन की तकलीफ़ों से बचने की फ़िक्र हर शख़्स को होती है। क़ुरआने करीम ने उनका बेहतरीन और कामयाब नुस्ख़ा दो चीज़ों से मिलाकर बयान फ़रमाया है। अव्वल सब्र यानी अपने नफ़्स को क़ाबू में रखना और बदला लेने की फ़िक्र में न पड़ना, दूसरे अल्लाह तआ़ला की याद और इबादत में मशग़ूल हो जाना। तजुर्बा गवाह है कि सिर्फ़ यही नुस्ख़ा है जिससे उन तकलीफ़ों से निजात मिल सकती है वरना बदला लेने की फ़िक्र में पड़ने वाला कितना ही ताक़तवर, बड़ा और सत्ता वाला हो बहुत सी बार मुख़ालिफ़ से बदला लेने पर क़ादिर नहीं होता, और यह बदले की फ़िक्र उसके लिये एक मुस्तक़िल अज़ाब बन जाता है, और जब इनसान की तवज्जोह हक़ तआ़ला की तरफ़ हो जाये और वह यह ध्यान करे कि इस दुनिया में कोई किसी को किसी तरह का नुक़सान या तकलीफ़ अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं पहुँचा सकता और अल्लाह तआ़ला के आमाल और काम सब हिक्मत पर आधारित होते हैं, इसलिये जो सूरत पेश आई है उसमें ज़रूर कोई हिक्मत होगी तो मुख़ालिफ़ की तकलीफ़ों से पैदा होने वाला ग़ुस्सा व ग़ज़ब और आक्रोश ख़ुद-ब-ख़ुद ख़त्म हो जाता है, इसी लिये आयत के आख़िर में फ़रमाया 'लअ़ल्ल-क तर्ज़ा' यानी इस तदबीर से आप राज़ी ख़ुशी बसर कर सकेंगे।

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ.

यानी आप अल्लाह तआ़ला की पाकी बयान करें, उसकी हम्द व शुक्र के साथ। इसमें इशारा है कि जिस बन्दे को अल्लाह तआ़ला का नाम लेने या कुछ इबादत करने की तौफ़ीक़ हो जाये उसको चाहिये कि अपने उस अ़मल पर नाज़ व फ़ख़्र करने के बजाय अल्लाह तआ़ला की हम्द व शुक्र को अपना वज़ीफ़ा बनाये, यह अल्लाह का ज़िक्र या इबादत उसी की तौफ़ीक़ का नतीजा और फल है।

और यह लफ़्ज़ "सब्बिह् बिहम्दि" आ़म ज़िक्र व तारीफ़ के मायने में भी हो सकता है और ख़ास

नमाज़ के मायने में भी, उमूमन मुफ़स्सिरीन हज़रात ने इसी को लिया है और उसके बाद औक़ात (समय) निर्धारित करके बतलाये हैं, वह भी नमाज़ों के वक़्त क़रार दिये हैं, मसलन 'क़ब्-ल तुलूइश्शम्सि' से मुराद फ़जर की नमाज़ और 'क़ब्-ल ग़ुरूबिहा' से मुराद ज़ोहर व असर की नमाज़ और 'मिन् आनाइल्लैलि' से मुराद रात की सब नमाज़ें मग़रिब इशा, यहाँ तक कि तहज्जुद भी इसमें शामिल है, और फिर लफ़्ज़ 'अतराफ़न्नहारि' से इसकी और अधिक ताकीद बतलाई गयी है।

दुनिया की दौलत चन्द दिन की है यह अल्लाह के नज़दीक मक़बूलियत की निशानी नहीं बल्कि मोमिन के लिये ख़तरे की चीज़ है

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ

इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को ख़िताब है और दर असल हिदायत करना उम्मत को है कि दुनिया के मालदारों और सरमायेदारों को क़िस्म-क़िस्म की दुनियावी रौनक़ और तरह तरह की नेमतें हासिल हैं, आप उनकी तरफ़ नज़र भी न उठाईये, क्योंकि यह सब ऐश फ़ानी और चन्द दिन की है, अल्लाह तआ़ला ने जो नेमत आपको और आपके वास्ते से मोमिनों को अ़ता फ़रमाई है वह इस दुनिया की रौनक़ और ऐश से कहीं ज़्यादा बेहतर है।

दुनिया में काफ़िरों व गुनाहगारों के ऐश व आराम और दौलत व शान हमेशा ही से हर शख़्स के लिये यह सवाल बनती रही है कि जब ये लोग अल्लाह के नापसन्दीदा और ज़लील हैं तो इनके पास ये नेमतें कैसी और क्यों हैं, और फ़रमाँबरदार मोमिनों के लिये ग़ुर्बत व तंगदस्ती क्यों है? यहाँ तक कि फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु जैसे बुलन्द मर्तबे वाले सहाबी को इस सवाल ने मुतास्सिर किया जिस वक़्त वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आपके ख़ास हुजरे में दाख़िल हुए जिसमें आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तन्हाई में आराम फ़रमा रहे थे और यह देखा कि आप एक मोटी-मोटी तीलियों के बोरिये पर लेटे हुए हैं और उन तीलियों के निशानात आपके बदन मुबारक पर खड़े हो गये हैं तो बेइख़्तियार रो पड़े और अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! यह किसरा व क़ैसर और उनके सरदार व अमीर कैसी-कैसी नेमतों और राहतों में हैं और आप सारी मख़्लूक़ में अल्लाह के चुनिन्दा रसूल और महबूब हैं और आपके ज़िन्दगी गुज़ारने का यह हाल है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि ऐ ख़त्ताब के बेटे! क्या तुम अब तक शक व शुब्हे में मुब्तला हो? ये लोग तो वे हैं जिनकी लज़्ज़तें और पसन्दीदा चीज़ें अल्लाह ने इसी दुनिया में इनको दे दी हैं, आख़िरत में इनका कोई हिस्सा नहीं, वहाँ अ़ज़ाब ही अ़ज़ाब है (और मोमिनों का मामला इसके उलट है) यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम दुनिया की ज़ीनत और राहत-तलबी से बिल्कुल बेनियाज़ और बेताल्लुक़ ज़िन्दगी को पसन्द फ़रमाते थे इसके बावजूद कि आपको पूरी क़ुदरत हासिल थी कि अपने लिये बेहतर से बेहतर राहत का सामान जमा कर लें। और जब कभी दुनिया की दौलत आपके पास बग़ैर किसी मेहनत मशक़्क़त और कोशिश व तलब के आ भी जाती तो फ़ौरन अल्लाह की राह में ग़रीबों फ़क़ीरों पर उसको ख़र्च कर डालते थे और अपने वास्ते कल के लिये भी कुछ बाक़ी न छोड़ते थे। इब्ने अबी हातिम ने हज़रत अबू सईद

ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से नकल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

ان اخوف ما اخاف عليكم مايفتح الله لكم من زهرة الدّنيا (ابن كثير)

मुझे तुम लोगों के बारे में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख़ौफ़ और ख़तरा है वह दुनिया की ज़ीनत और दौलत है जो तुम पर खोल दी जायेगी।

इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उम्मत को पहले ही यह ख़बर भी दे दी है कि आने वाले ज़माने में तुम्हारी फ़ुतूहात दुनिया में होंगी और माल व दौलत और ऐश व आराम की अधिकता हो जायेगी। वह सूरतेहाल कुछ ज़्यादा ख़ुश होने की नहीं बल्कि डरने की चीज़ है कि उसमें मुब्तला होकर अल्लाह तआ़ला की याद और उसके अहकाम से ग़फ़लत न हो जाये।

अपने घर वालों और मुताल्लिक़ीन को नमाज़ की पाबन्दी की ताकीद और उसकी हिक्मत

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا.

यानी आप अपने अहल (घर वालों और बाल-बच्चों) को भी नमाज़ का हुक्म कीजिए और ख़ुद भी उस पर जमे रहिये। ये बज़ाहिर दो हुक्म अलग-अलग हैं- एक अहल व अ़याल (बाल-बच्चों और घर वालों) को नमाज़ की ताकीद, दूसरे ख़ुद उसकी पाबन्दी। लेकिन ग़ौर किया जाये तो ख़ुद अपनी नमाज़ की पूरी पाबन्दी के लिये भी यह ज़रूरी है कि आपका माहौल आपके अहल व अ़याल और मुताल्लिक़ीन नमाज़ के पाबन्द हों, क्योंकि माहौल इसके ख़िलाफ़ हुआ तो तबई तौर पर इनसान ख़ुद भी कोताही का शिकार हो जाता है।

लफ़्ज़ अहल में बीवी, औलाद और मुताल्लिक़ीन भी दाख़िल हैं जिनसे इनसान का माहौल और समाज बनता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर जब यह आयत नाज़िल हुई तो आप रोज़ाना सुबह की नमाज़ के वक़्त हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के मकान पर जाकर आवाज़ देते थे 'अस्सलातु अस्सलातु' (यानी नमाज़ नमाज़)। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

और हज़रत उरवा इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अ़न्हु जब कभी हाकिमों और बादशाहों की दौलत और ठाठ-बाट पर उनकी नज़र पड़ती तो फ़ौरन अपने घर में लौट जाते और घर वालों को नमाज़ के लिये दावत देते और यह आयत पढ़कर सुनाते थे। और हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु जब रात की तहज्जुद के लिये जागते तो अपने घर वालों को भी जगा देते थे और यही आयत पढ़कर सुनाते थे। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

जो आदमी नमाज़ और अल्लाह की इबादत में लग जाता है अल्लाह तआ़ला उसके लिये रिज़्क़ का मामला आसान बना देते हैं

لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا.

यानी हम तुमसे यह मुतालबा नहीं करते कि तुम अपना और अपने अहल व अ़याल (घर वालों और बाल-बच्चों) का रिज़्क़ अपने इल्म व अ़मल के ज़ोर से पैदा करो, बल्कि यह मामला हमने अपने ज़िम्मे रखा है, क्योंकि रिज़्क़ का हासिल करना दर असल इनसान के बस में है ही नहीं, वह ज़्यादा से ज़्यादा यही तो कर सकता है कि ज़मीन को नर्म, काश्त के क़ाबिल बनाये और कुछ दाने उसमें डाल दे, मगर दाने के अन्दर से पेड़ निकालना और पैदा करना इसमें तो उसका कोई मामूली सा दख़ल नहीं, वह डायरेक्ट हक़ तआ़ला का काम है। पेड़ निकल आने के बाद भी इनसान का सारा अ़मल उसकी हिफ़ाज़त करना और जो फल-फूल क़ुदरत ने उसके अन्दर पैदा फ़रमाये हैं उनसे फ़ायदा उठाना है। और जो शख़्स अल्लाह तआ़ला की इबादत में मशग़ूल हो जाये अल्लाह तआ़ला मेहनत का यह बोझ भी उसके लिये आसान और हल्का कर देते हैं। तिर्मिज़ी और इब्ने माजा ने हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

يقول الله تعالىٰ يا ابن ادم تفرّغ لعبادتى املأ صدرك غنى واسدفقرك وان لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم اسد فقرك. (ابن كثير)

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है- ऐ आदम के बेटे! तू मेरी इबादत के लिये अपने आपको फ़ारिग़ कर ले तो मैं तेरे सीने को ग़िना व इस्तिग़ना (माल से बेनियाज़ी) से भर दूँगा और तेरी मोहताजी को दूर कर दूँगा, और अगर तूने ऐसा न किया तो तेरा सीना फ़िक्र और काम-धंधे से भर दूँगा और मोहताजी दूर न करूँगा (यानी जितना माल बढ़ता जायेगा हिर्स भी उतनी ही बढ़ती चली जायेगी इसलिये हमेशा मोहताज ही रहेगा)।

और हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना है किः

من جعل همومه همًّا واحدا همّ المعاد كفاه الله همّ دنياه ومن تشعبت به الهموم فى احوال الدّنيا لم يبال الله اى اودية هلك. رواه ابن ماجة. (ابن كثير)

जो शख़्स अपने सारे फ़िक्रों को एक फ़िक्र यानी आख़िरत की फ़िक्र बना दे तो अल्लाह तआ़ला उसके दुनिया के फ़िक्रों की ख़ुद ज़िम्मेदारी ले लेता है और जिसके फ़िक्र दुनिया के मुख़्तलिफ़ कामों में लगे रहे तो अल्लाह तआ़ला को कोई परवाह नहीं कि वह उन फ़िक्रों के किसी जंगल में हलाक हो जाये।

بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۝

यानी पिछली आसमानी किताबें तौरात व इंजील और इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम वग़ैरह पर उतरे सहीफ़े सब के सब आख़िरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत व रिसालत की गवाही देते आये हैं, क्या ये निशानियाँ उन इनकारियों के लिये काफ़ी से ज़्यादा सुबूत नहीं है।

فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِیِّ وَمَنِ اهْتَدٰیO

यानी आज तो अल्लाह तआ़ला ने हर शख़्स को ज़बान दी हुई है, हर एक अपने तरीक़े और अपने अ़मल के बेहतर और सही होने का दावा कर सकता है। लेकिन यह दावा कुछ काम देने वाला नहीं। बेहतर और सही तरीक़ा तो वही हो सकता है जो अल्लाह के नज़दीक मक़बूल व सही हो, और इसका पता क़ियामत के दिन सब को लग जायेगा कि कौन ग़लती और गुमराही पर था, कौन सही और सीधे रास्ते पर।

या अल्लाह! हमें भी तमाम झगड़ों से बचाते हुए हक़ का रास्ता नसीब फ़रमा। तेरे सिवा हमारा कोई ठिकाना और उम्मीद का मर्कज़ नहीं। और तमाम ताक़त व इख़्तियार का मालिक तू ही है।

अल्लाह तआ़ला का शुक्र व एहसान है कि सूरः तॉ-हा की तफ़सीर आज जुमेरात के दिन 14 ज़िलहिज्जा सन् 1390 हिजरी में पूरी हुई। अल्लाह तआ़ला बाक़ी सूरतों की तकमील की भी तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमायें आमीन। वही हैं मदद करने वाले और उन्हीं पर भरोसा किया जा सकता है।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः तॉ-हा की तफ़सीर पूरी हुई।

सूरः अम्बिया (पारा 17)

सूरः अम्बिया मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 112 आयतें और 7 रुकूअ़ हैं।

اٰيَاتُهَا ١١٢ (٢١) سُوْرَةُ الْاَنْبِيَآءِ مَكِّيَّةٌ (٧٣) رُكُوْعَاتُهَا ٧

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ۝ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ
وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ۝ لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا هَلْ هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اَفَتَاْتُوْنَ
السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ۝ قٰلَ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ بَلْ
قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍۭ بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَآ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ ۝ مَآ اٰمَنَتْ
قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ
فَسْــَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا
كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ۝ ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَآءُ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ ۝ لَقَدْ اَنْزَلْنَآ
اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

الجزء السابع عشر — ١٧ ع

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

इक्त-र-ब लिन्नासि हिसाबुहुम् व हुम् फी ग़फ़्लतिम्-मुअ्रिज़ून (1) मा यअ्तीहिम् मिन् ज़िक्रिम्-मिर्रब्बिहिम् मुह्दसिन् इल्लस्त-मअ़ूहु व हुम् यल्अ़बून (2) लाहि-यतन् क़ुलूबुहुम्, व अ-सर्रुन्नज्वल्लज़ी-न ज़-लमू हल् हाज़ा इल्ला ब-शरुम्-मिस्लुकुम्	नज़दीक आ गया लोगों के उनके हिसाब का वक़्त और वे बेख़बर टला रहे हैं। (1) कोई नसीहत नहीं पहुँचती उनको उनके रब से नई मगर उसको सुनते हैं खेल में लगे हुए। (2) खेल में पड़े हैं दिल उनके और छुपाकर मस्लेहत की बेइन्साफ़ों ने, यह शख़्स कौन है एक आदमी है तुम ही जैसा फिर क्यों फंसते

अ-फ़तअ्तूनस्सिह्-र व अन्तुम् तुब्सिरून (3) का-ल रब्बी यअ्लमुल्-क़ौ-ल फ़िस्समा-इ वल्अर्ज़ि व हुवस्समीअुल्-अ़लीम (4) बल् क़ालू अज़्गासु अह्लामिम्-बलिफ़्तराहु बल् हु-व शाअिरुन् फ़ल्यअ्तिना बिआयतिन् कमा उर्सिलल्-अव्वलून (5) मा आम-नत् क़ब्लहुम् मिन् क़र्यतिन् अह्लक्नाहा अ-फ़हुम् युअ्मिनून (6) व मा अर्सल्ना क़ब्ल-क इल्ला रिजालन् नूही इलैहिम् फ़स्अलू अह्लज़्ज़िक्रि इन् कुन्तुम् ला तअ्लमून (7) व मा जअ़ल्नाहुम् ज-सदल्-ला यअ्कुलूनत्तआ़-म व मा कानू ख़ालिदीन (8) सुम्-म सदक़्नाहुमुल्-वअ़्-द फ़-अन्जैनाहुम् व मन्-नशा-उ व अह्लक्नल्-मुस्रिफ़ीन (9) ल-क़द् अन्ज़ल्ना इलैकुम् किताबन् फ़ीहि ज़िक्रुकुम्, अ-फ़ला तअ्क़िलून (10) ✿

हो इसके जादू में आँखों देखते। (3) उसने कहा मेरे रब को ख़बर है बात की आसमान में हो या ज़मीन में, और वह है सुनने वाला जानने वाला। (4) उसको छोड़कर कहते हैं बेहूदा ख़्वाब हैं, नहीं! झूठ बाँध लिया है, नहीं! शे'र कहता है, फिर चाहिये कि ले आये हमारे पास कोई निशानी जैसे पैग़ाम लेकर आये हैं पहले। (5) नहीं माना इनसे पहले किसी बस्ती ने जिनको ग़ारत कर दिया हमने, क्या अब ये मान लेंगे। (6) और पैग़ाम नहीं भेजा हमने तुझसे पहले मगर यही मर्दों के हाथ वही भेजते थे हम उनको, सो पूछ लो याद रखने वालों से अगर तुम नहीं जानते। (7) और नहीं बनाये थे हमने उनके ऐसे बदन कि वे खाना न खायें और न थे वे हमेशा रह जाने वाले। (8) फिर सच्चा कर दिया हमने उनसे वायदा सो बचा दिया उनको और जिसको हमने चाहा और ग़ारत कर दिया हद से निकलने वालों को। (9) हमने उतारी है तुम्हारी तरफ़ किताब कि इसमें तुम्हारा ज़िक्र है, क्या तुम समझते नहीं? (10) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

उन (इनकार करने वाले) लोगों से उनका हिसाब (का वक़्त) नज़दीक आ पहुँचा (यानी क़ियामत हर लम्हा नज़दीक होती जाती है) और ये (अभी) ग़फ़लत (ही) में (पड़े) हैं (और उसके यक़ीन करने और उसके लिये तैयारी करने से) मुँह मोड़े हुए हैं। (और उनकी ग़फ़लत यहाँ तक बढ़ गई है कि) उनके पास उनके रब की तरफ़ से (उनके हाल के मुताबिक़) जो ताज़ा नसीहत आती है (बजाय इसके

कि उनको तंबीह होती) ये उसको ऐसे तरीक़े से सुनते हैं कि (उसके साथ) हंसी करते हैं (और) उनके दिल (बिल्कुल भी उधर) मुतवज्जह नहीं होते। और ये लोग यानी ज़ालिम (और काफ़िर) लोग (आपस में) चुपके-चुपके सरगोशी करते हैं (इसलिए नहीं कि इनको मुसलमानों का ख़ौफ़ था क्योंकि मक्का में काफ़िर लोग कमज़ोर न थे बल्कि इसलिए कि इस्लाम के ख़िलाफ़ ख़ुफ़िया साज़िश करके उसको मिटायें) कि यह (यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) महज़ तुम जैसे एक (मामूली) आदमी हैं, (यानी नबी नहीं, और यह जो एक दिलकश और उम्दा कलाम सुनाते हैं उसके मोजिज़ा होने और उस मोजिज़े से नुबुव्वत का शुब्हा व ख़्याल न करना, क्योंकि वह हक़ीक़त में जादू भरा कलाम है) तो क्या (बावजूद इस बात के) फिर भी तुम जादू की बात सुनने को (उनके पास) जाओगे, हालाँकि तुम (इस बात को ख़ूब) जानते (बूझते) हो।

पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को जवाब देने का हुक्म हुआ और उन्हों) ने (हुक्म के मुवाफ़िक़ जवाब में) फ़रमाया कि मेरा रब हर बात को (चाहे) आसमान में हो और (चाहे) ज़मीन में (हो, और चाहे ज़ाहिर हो या छुपी हो ख़ूब) जानता है, और वह ख़ूब सुनने वाला और ख़ूब जानने वाला है (सो तुम्हारी इन क़ुफ़िया बातों को भी जानता है और तुमको ख़ूब सज़ा देगा। और उन्होंने हक़ कलाम को सिर्फ़ जादू कहने पर बस नहीं किया) बल्कि यूँ (भी) कहा कि (यह क़ुरआन) परेशान ख़्यालात हैं (कि वास्तव में दिलकश और उम्दा भी नहीं) बल्कि (इससे बढ़कर यह है कि) इन्होंने (यानी पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने) इसको (जान-बूझकर अपने इख़्तियार से अपने दिल से) गढ़ लिया है (और सपने के ख़्यालात में तो इनसान किसी क़द्र बेइख़्तियार माज़ूर और शुब्हे में मुब्तला भी हो सकता है, और यह बोहतान सिर्फ़ क़ुरआन ही के साथ ख़ास नहीं) बल्कि यह तो एक शायर शख़्स हैं (इनकी तमाम बातें ऐसी ही ख़ुद बनाई हुई और ख़्याली होती हैं। ख़ुलासा यह कि रसूल नहीं हैं। और रिसालत के बड़े दावेदार हैं) तो इनको चाहिए कि हमारे पास कोई ऐसी (बड़ी) निशानी लाएँ जैसा कि पहले लोग रसूल बनाये गये (और बड़े-बड़े मोजिज़े ज़ाहिर किये, उस वक़्त हम रसूल मानें और ईमान लायें। और यह कहना भी एक बहाना था वरना पहले नबियों को भी न मानते थे। हक़ तआ़ला जवाब में फ़रमाते हैं कि) इनसे पहले कई बस्ती वाले जिनको हमने हलाक किया है (बावजूद उनके फ़रमाईशी मोजिज़े ज़ाहिर हो जाने के) ईमान नहीं लाये, सो क्या ये लोग (इन मोजिज़ों के ज़ाहिर होने पर) ईमान ले आएँगे (और ऐसी हालत में ईमान न लाने पर अ़ज़ाब नाज़िल हो जायेगा इसलिए हम वो मोजिज़े ज़ाहिर नहीं फ़रमाते, और क़ुरआन काफ़ी मोजिज़ा है)।

और (रिसालत के बारे में जो उनका यह शुब्हा है कि रसूल बशर न होना चाहिए इसका जवाब यह है कि) हमने आप से पहले सिर्फ़ आदमियों ही को पैग़म्बर बनाया है जिनके पास हम वही भेजा करते थे, सो (ऐ इनकार करने वालो!) अगर तुमको (यह बात) मालूम न हो तो अहले किताब से मालूम कर लो (क्योंकि ये लोग अगरचे काफ़िर हैं मगर निरंतर ख़बर में रिवायत करने वाले का मुसलमान या मोतबर होना शर्त नहीं, फिर तुम उनको अपना दोस्त समझते हो तो तुम्हारे नज़दीक उनकी बात मोतबिर होनी चाहिए) और (इसी तरह रिसालत के बारे में जो इस शुब्हे की दूसरी तक़रीर है कि रसूल फ़रिश्ता होना चाहिए उसका जवाब यह है कि) हमने उन रसूलों के (जो कि गुज़र चुके

हैं) ऐसे बदन नहीं बनाये थे जो खाना न खाते हों (यानी फ़रिश्ता न बनाया था) और (ये लोग जो आपकी वफ़ात के इन्तिज़ार में ख़ुशियाँ मना रहे हैं जैसा कि उनके इस क़ौल का सूरः तूर की आयत 30 में ज़िक्र है, तो यह वफ़ात भी नुबुव्वत के विरुद्ध नहीं, क्योंकि) वे (पहले गुज़रे) हज़रात (भी दुनिया में) हमेशा रहने वाले नहीं हुए (पस अगर आपकी भी वफ़ात हो जाये तो नुबुव्वत में क्या एतिराज़ लाज़िम आया? ग़र्ज़ कि जैसे पहले रसूल थे वैसे ही आप भी हैं और ये लोग जिस तरह आपको झुठला रहे हैं इसी तरह उन हज़रात को भी उस ज़माने के काफ़िरों ने झुठलाया) फिर हमने जो उनसे वायदा किया था (कि झुठलाने वालों को अ़ज़ाब से हलाक करेंगे और तुमको और मोमिनों को महफ़ूज़ रखेंगे, हमने) उस (वायदे) को सच्चा किया, यानी उनको और जिन-जिनको (निजात देना) मन्ज़ूर हुआ (उस अ़ज़ाब से) हमने निजात दी और (उस अ़ज़ाब से फ़रमाँबरदारी की) हद से गुज़रने वालों को हलाक किया। (सो उन लोगों को डरना चाहिये। ऐ इनकार करने वालो! इस झुठलाने के बाद तुम पर दुनिया व आख़िरत में अ़ज़ाब आये तो ताज्जुब नहीं क्योंकि) हम तुम्हारे पास ऐसी किताब भेज चुके हैं कि उसमें तुम्हारी (काफ़ी) नसीहत मौजूद है, क्या (नसीहत की ऐसी तब्लीग़ के बावजूद) फिर भी तुम नहीं समझते (और नहीं मानते)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

सूरः अम्बिया की फ़ज़ीलत

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि सूरः कहफ़, सूरः मरियम, सूरः तॉ-हा और सूरः अम्बिया ये चारों सूरतें नाज़िल होने के एतिबार से शुरू की सूरतें और मेरी यह पुरानी दौलत और कमाई हैं जिनकी मैं हमेशा हिफ़ाज़त करता हूँ। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ

यानी वह वक़्त क़रीब आ गया जबकि लोगों से उनके आमाल का हिसाब लिया जायेगा। मुराद इससे क़ियामत है, और उसका क़रीब आ जाना दुनिया की पिछली उम्र के लिहाज़ से है, क्योंकि यह उम्मत आख़िरी उम्मत है, और अगर आ़म हिसाब मुराद लिया जाये तो क़ब्र का हिसाब भी इसमें शामिल है जो हर इनसान को मरने के फ़ौरन बाद देना होता है, और इसी लिये हर इनसान की मौत को उसकी व्यक्तिगत क़ियामत कहा गया है। फ़रमायाः

من مات فقد قامت قيامته.

यानी जो शख़्स मर गया उसकी क़ियामत तो अभी क़ायम हो गयी। इस मायने के एतिबार से हिसाब का वक़्त क़रीब होना तो बिल्कुल ही स्पष्ट है कि हर शख़्स की मौत चाहे कितनी ही उम्र हो कुछ दूर नहीं, ख़ास तौर पर जबकि उम्र की इन्तिहा नामालूम है तो हर दिन हर घण्टे मौत का ख़तरा सामने है।

इस आयत से मक़सद ग़फ़लत में पड़े लोगों को चेताना और आगाह करना है जिसमें सब मोमिन व काफ़िर दाख़िल हैं, कि दुनिया की इच्छाओं में मशग़ूल होकर उस हिसाब के दिन को न भुलायें

क्योंकि उसको भुला देना ही सारी ख़राबियों और गुनाहों की बुनियाद है।

مَايَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ○ لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ

जो लोग आख़िरत और क़ब्र के अज़ाब से ग़फ़लत और उसके लिये तैयारी से बेतवज्जोही करने वाले हैं यह उनके हाल का मज़ीद बयान है कि जब उनके सामने क़ुरआन की कोई नई आयत आती और पढ़ी जाती है तो वे उसको इस हालत में सुनते हैं कि खेल और हंसी मज़ाक़ करते हैं और उनके दिल अल्लाह से और आख़िरत से बिल्कुल ग़ाफ़िल होते हैं। इसकी यह मुराद भी हो सकती है कि क़ुरआन की आयतें सुनने के वक़्त ये अपने खेल और धंधे में उसी तरह लगे रहते हैं क़ुरआन की तरफ़ कोई तवज्जोह नहीं देते, और यह मायने भी हो सकते हैं कि ख़ुद क़ुरआनी आयतों ही से खेल और हंसी-मज़ाक़ का मामला करने लगते हैं।

اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ○

यानी ये लोग आपस में आहिस्ता-आहिस्ता कानाफ़ूसी करके यह कहते हैं कि यह जो अपने को नबी और रसूल कहते हैं यह तो हम जैसे ही इनसान हैं, कोई फ़रिश्ता तो हैं नहीं कि हम इनकी बात मान लें, और फिर अल्लाह के उस कलाम को जो उनके सामने पढ़ा जाता था और उसकी मिठास व उम्दगी और दिलों में असर करने का कोई काफ़िर भी इनकार न कर सकता था, उससे लोगों को हटाने की सूरत यह निकाली कि उसको जादू क़रार दें और फिर लोगों को इस्लाम से रोकने के लिये यह कहें कि जब तुम समझ गये कि यह जादू है तो फिर उनके पास जाना और यह कलाम सुनना अ़क़्लमन्दी के ख़िलाफ़ है, शायद यह गुफ़्तगू आपस में आहिस्ता इसलिये करते थे कि मुसलमान सुन लेंगे तो उनके बेवक़ूफ़ी भरे इस धोखे की पोल खोल देंगे।

بَلْ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ

'अज़्ग़ासु अहलाम' उन ख़्वाबों (सपनों) को कहा जाता है जिनमें कुछ नफ़्सानी या शैतानी ख़्यालात शामिल हो जाते हैं, इसी लिये इसका तर्जुमा **परेशान ख़्यालात** से किया गया है। यानी उन इनकारियों ने अव्वल तो क़ुरआन को जादू कहा, फिर इससे आगे बढ़े तो परेशान ख़्वाब कहने लगे, फिर इससे भी आगे बढ़े तो कहने लगे यह तो ख़ुदा तआ़ला पर झूठ और बोहतान है कि यह उसका कलाम है, फिर कहने लगे कि असल बात यह है कि यह कोई शायर आदमी है शायराना ख़्यालात इसके कलाम में होते हैं।

فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ

यानी अगर यह वाक़ई नबी व रसूल हैं तो हमारे माँगे हुए ख़ास मोजिज़े दिखलायें। इसके जवाब में हक़ तआ़ला ने फ़रमाया कि पिछली उम्मतों में इसका भी तजुर्बा और अनुभव हो चुका है कि जिस तरह का मोजिज़ा उन्होंने ख़ुद तलब किया अल्लाह के रसूल के हाथों वही मोजिज़ा सामने आ गया मगर वे फिर भी ईमान न लाये, और मुँह माँगे मोजिज़े को देखने के बाद भी जो क़ौम ईमान से गुरेज़ करे उसके लिये अल्लाह का क़ानून यह है कि दुनिया ही में अ़ज़ाब नाज़िल करके वह ख़त्म कर दी

जाती है, और चूँकि उम्मते मुहम्मदिया को हक़ तआ़ला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सम्मान में दुनिया के सार्वजनिक अ़ज़ाब से महफ़ूज़ कर दिया है इसलिये इनको इनके माँगे हुए मोजिज़े दिखलाना मस्लेहत नहीं। आगे 'अ-फ़हुम् युअ्मिनून' में इसी तरफ़ इशारा है कि क्या मुँह माँगे मोजिज़े को देखकर ये ईमान ले आयेंगे। मुराद यह है कि इनसे इसकी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती इसलिये मतलूबा मोजिज़ा नहीं दिखाया जाता।

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ۝

'अहले ज़िक्र' से इस जगह मुराद तौरात व इंजील के उलेमा हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ईमान ले आये थे। मतलब यह है कि अगर तुम्हें पिछले नबियों का हाल मालूम नहीं कि वे इनसान थे या फ़रिश्ते तो तौरात व इंजील के उलेमा से मालूम कर लो, क्योंकि वे सब जानते हैं कि पहले तमाम अम्बिया इनसान ही की नस्ल से थे, इसलिये अगर यहाँ अहले ज़िक्र से सिर्फ़ यहूदियों व ईसाईयों के अहले किताब ही मुराद हों तो कोई दूर की बात नहीं, क्योंकि इस मामले के सभी गवाह हैं। ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में इसी संभावना व ख़्याल को इख़्तियार करके वज़ाहत की गयी है।

मसलाः तफ़सीरे क़ुर्तुबी में है कि इस आयत से मालूम हुआ कि जाहिल आदमी जिसको शरीअ़त के अहकाम मालूम न हों उस पर आ़लिम की पैरवी वाजिब है, कि आ़लिम से मालूम करके उसके मुताबिक़ अ़मल करे।

क़ुरआने करीम अ़रब वालों के लिये इज़्ज़त व फ़ख़्र है

كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ

किताब से मुराद क़ुरआन है और **ज़िक्र** इस जगह सम्मान व बड़ाई और शोहरत के मायने में है। मुराद यह है कि यह क़ुरआन जो तुम्हारी अ़रबी भाषा में नाज़िल हुआ तुम्हारे लिये एक बड़ी इज़्ज़त और हमेशा की शोहरत की चीज़ है, तुम्हें इसकी क़द्र करनी चाहिये। जैसा कि दुनिया ने देख लिया कि अ़रब वालों को हक़ तआ़ला ने क़ुरआन की बरकत से सारी दुनिया पर ग़ालिब और फ़ातेह बना दिया और पूरे आ़लम में उनकी इज़्ज़त व शोहरत का डंका बजा। और यह भी सब को मालूम है कि यह अ़रब वालों के मक़ामी या क़बाईली या भाषायी विशेषता की बिना पर नहीं बल्कि सिर्फ़ क़ुरआन की बदौलत हुआ। अगर क़ुरआन न होता तो शायद आज कोई अ़रब क़ौम का नाम लेने वाला भी न होता।

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّاَنْشَاْنَا

بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ۝ فَلَمَّآ اَحَسُّوْا بَاْسَنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُوْنَ۝ لَا تَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْٓا اِلٰى مَآ

اُتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُوْنَ۝ قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ۝ فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ

دَعْوٰىهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ۝

व कम् क़सम्ना मिन् क़र्यतिन् कानत् ज़ालि-मतंव्-व अन्शअ्ना बअ्-दहा क़ौमन् आ-ख़रीन (11) फ़-लम्मा अ-हस्सू बअ्सना इज़ा हुम् मिन्हा यर्कुज़ून (12) ला तर्कुज़ू वर्जिअ़ू इला मा उत्रिफ़्तुम् फ़ीहि व मसाकिनिकुम् लअ़ल्लकुम् तुस्अलून (13) क़ालू या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन (14) फ़मा ज़ालत् तिल्-क दअ्वाहुम् हत्ता जअ़ल्नाहुम् हसीदन् ख़ामिदीन (15)

और कितनी पीस डालीं हमने बस्तियाँ जो थीं गुनाहगार और उठा खड़े किये उनके पीछे और लोग। (11) फिर जब आहट पाई उन्होंने हमारी आफ़त की तब लगे वहाँ से ऐड़ लगाने। (12) ऐड़ मत लगाओ और लौट जाओ जहाँ तुमने ऐश किया था और अपने घरों में, शायद कोई तुमको पूछे। (13) कहने लगे हाय ख़राबी हमारी हम थे बेशक गुनाहगार। (14) फिर बराबर यही रही उनकी फ़रियाद यहाँ तक कि ढेर कर दिये गये काटकर बुझे पड़े हुए। (15)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और हमने बहुत सी बस्तियाँ जहाँ के रहने वाले ज़ालिम (यानी काफ़िर) थे, ग़ारत कर दीं, और उनके बाद दूसरी क़ौम पैदा कर दी। तो जब उन्होंने हमारा अ़ज़ाब आता देखा तो उस बस्ती से भागना शुरू कर किया (ताकि अ़ज़ाब से बच जायें। हक़ तआ़ला इरशाद फ़रमाते हैं कि) भागो मत और अपने ऐश के सामान की तरफ़ और अपने मकानों की तरफ़ वापस चलो, शायद तुमसे कोई पूछे-पाछे (कि तुम पर क्या गुज़री। इससे मक़सद कटाक्ष के तौर पर उनकी अहमक़ाना जुर्रत व साहस पर चेतावनी है कि जिस सामान और मकान पर तुमको नाज़ था अब न वह सामान रहा न मकान, किसी दोस्त हमदर्द का नाम व निशान रहा) वे लोग (अ़ज़ाब नाज़िल होने के वक़्त) कहने लगे कि हाय हमारी कमबख़्ती! इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग ज़ालिम थे। सो उनकी यही चीख़-पुकार रही यहाँ तक कि हमने उनको ऐसा (नेस्त नाबूद) कर दिया जिस तरह खेती कट गई हो और आग ठन्डी हो गई हो।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इन आयतों में जिन बस्तियों के तबाह करने का ज़िक्र है कुछ मुफ़स्सिरीन ने उनको यमन की बस्तियाँ हज़ूरा और कलाबा क़रार दिया है, जहाँ अल्लाह तआ़ला ने अपना एक रसूल भेजा था जिसके नाम में रिवायतें भिन्न हैं। कुछ में मूसा बिन मीशा और कुछ में शुऐब ज़िक्र किया गया है, और अगर शुऐब नाम है तो वह मद्यन वाले शुऐब अ़लैहिस्सलाम के अ़लावा कोई और हैं। उन लोगों

ने अल्लाह के रसूल को क़त्ल कर डाला। अल्लाह तआ़ला ने उनको एक काफ़िर बादशाह बुख़्ते नस्सर के हाथों तबाह कराया। बुख़्ते नस्सर को उन पर मुसल्लत कर दिया जैसा कि बनी इस्राईल ने जब फ़िलिस्तीन में ग़लत राह इख़्तियार की तो उन पर भी बुख़्ते नस्सर को मुसल्लत करके सज़ा दी गयी थी। मगर साफ़ बात यह है कि क़ुरआन ने किसी ख़ास बस्ती को चिन्हित नहीं किया इसलिये आ़म ही रखा जाये, इसमें यह यमन की बस्तियाँ भी दाख़िल होंगी। वल्लाहु आलम

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ۝ لَوْ اَرَدْنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّآ ۖ اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ۝ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ ۝ وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَمَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ۝ يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ۝ اَمِ اتَّخَذُوْٓا اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ ۝ لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ ۝ اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ۚ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ ۚ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِىَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِىْ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۙ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِىْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ۝ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ۝ لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ۝ وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّىْٓ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ۝

व मा ख़लक़्नस्समा-अ वल्अर्-ज़ व मा बैनहुमा लाअ़िबीन (16) लौ अरद्ना अन् नत्तख़ि-ज़ लह्वल्-लत्त-ख़ज़्नाहु मिल्लदुन्ना इन् कुन्ना फ़ाअ़िलीन (17) बल् नक़्ज़िफ़ु बिल्हक़्क़ि अ़लल्-बातिलि फ़-यद्मग़ुहू फ़-इज़ा हु-व ज़ाहिक़ुन्, व लकुमुल्-	और हमने नहीं बनाया आसमान और ज़मीन को और जो कुछ उनके बीच में है खेलते हुए। (16) अगर हम चाहते कि बना लें कुछ खिलौना तो बना लेते हम अपने पास से अगर हमको करना होता। (17) यूँ नहीं! पर हम फेंक मारते हैं सच को झूठ पर वह उसका सर फोड़ डालता है फिर वह जाता रहता है, और तुम्हारे लिये

वैलु मिम्मा तसिफ़ून (18) व लहू मन् फ़िस्समावाति वल्अर्ज़ि, व मन् अिन्दहू ला यस्तक्बिरू-न अन् अिबादतिही व ला यस्तह्सिरून (19) युसब्बिहूनल्लै-ल वन्नहा-र ला यफ़्तुरून (20) अमित्त-ख़ज़ू आलि-हतम् मिनल्अर्ज़ि हुम् युन्शिरून (21) लौ का-न फ़ीहिमा आलि-हतुन् इल्लल्लाहु ल-फ़-स-दता फ़-सुब्हानल्लाहि रब्बिल्-अर्शि अम्मा यसिफ़ून (22) ला युस्अलु अम्मा यफ़्अलु व हुम् युस्अलून (23) अमित्त-ख़ज़ू मिन् दूनिही आलि-हतन्, क़ुल् हातू बुर्हानकुम् हाज़ा ज़िक्रु मम्-मअि-य व ज़िक्रु मन् क़ब्ली, बल् अक्सरुहुम् ला यअ्लमूनल्-हक़्-क़ फ़हुम् मुअ्रिज़ून (24) व मा अर्सल्ना मिन् क़ब्लि-क मिर्रसूलिन् इल्ला नूही इलैहि अन्नहू ला इला-ह इल्ला अ-न फ़अ्बुदून (25) व क़ालुत्त-ख़ज़र्रह्मानु व-लदन् सुब्हानहू, बल् अिबादुम् मुक्रमून (26) ला यस्बिक़ूनहू बिल्क़ौलि व हुम् बिअम्रिही यअ्मलून (27)

ख़राबी है उन बातों से जो तुम बतलाते हो। (18) और उसी का है जो कोई है आसमान और ज़मीन में और जो उसके नज़दीक रहते हैं सरकशी नहीं करते उसकी इबादत से, और नहीं करते सुस्ती। (19) याद करते हैं रात और दिन नहीं थकते। (20) क्या ठहराये हैं उन्होंने और माबूद ज़मीन में के कि वे ज़िन्दा कर उठायेंगे उनको। (21) अगर होते इन दोनों में और माबूद सिवाय अल्लाह के तो दोनों ख़राब हो जाते, सो पाक है अल्लाह अ़र्श का मालिक उन बातों से जो ये बतलाते हैं। (22) उससे पूछा न जाये जो वह करे और उनसे पूछा जाये। (23) क्या ठहराये हैं उन्होंने उससे वरे और माबूद तू कह- लाओ अपनी सनद, यही बात है मेरे साथ वालों की और यही बात है मुझसे पहलों की, कोई नहीं पर वे बहुत लोग नहीं समझते सच्ची बात सो टला रहे हैं। (24) और नहीं भेजा हमने तुझसे पहले कोई रसूल मगर उसको यही हुक्म भेजा कि बात यूँ है कि किसी की बन्दगी नहीं सिवाय मेरे सो मेरी बन्दगी करो। (25) और कहते हैं रहमान ने कर लिया किसी को बेटा वह हरगिज़ इस लायक़ नहीं, लेकिन वे बन्दे हैं जिनको इज़्ज़त दी है। (26) उससे बढ़कर नहीं बोल सकते और वे उसी के हुक्म पर काम करते हैं। (27)

यअ्लमु मा बै-न ऐदीहिम् व मा ख़ल्फ़हुम् व ला यश्फ़अू-न इल्ला लि-मनिर्तज़ा व हुम् मिन् ख़श्यतिही मुश्फ़िक़ून (28) व मंय्यक़ुल् मिन्हुम् इन्नी इलाहुम्-मिन् दूनिही फ़ज़ालि-क नज्ज़ीहि जहन्न-म, कज़ालि-क नज्ज़िज़्ज़ालिमीन (29) ✿	उसको मालूम है जो उनके आगे है और पीछे, और वे सिफ़ारिश नहीं करते मगर उसकी जिससे अल्लाह राज़ी हो और उसकी हैबत से डरते हैं। (28) और जो कोई उनमें कहे कि मेरी बन्दगी है उससे वरे सो उसको हम बदला देंगे जहन्नम, यूँ ही हम बदला देते हैं बेइन्साफ़ों को। (29) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (हमारे बेमिसाल होने पर हमारी बनाई हुई चीज़ें दलालत कर रही हैं क्योंकि) हमने आसमान और ज़मीन को और जो कुछ उनके बीच है उसको इस तौर पर नहीं बनाया कि हम बेफ़ायदा काम करने वाले हों (बल्कि इनमें बहुत सी हिक्मतें हैं जिनमें बड़ी हिक्मत अल्लाह की तौहीद पर दलालत है और) अगर हमको (आसमान और ज़मीन के बनाने से कोई हिक्मत मक़सूद न होती बल्कि इनको महज़) मशग़ला ही बनाना मन्ज़ूर होता (जिसमें कोई ख़ास फ़ायदा मक़सूद न होता महज़ दिल बहलाना मन्ज़ूर होता है) तो हम ख़ास अपने पास की चीज़ को मशग़ला बनाते, (मसलन अपनी कमाल वाली सिफ़ात कमाल के दिखाने को) अगर हमको यह करना होता (क्योंकि मशग़ले को मशग़ला इख़्तियार करने वाले की शान से मुनासिब होना चाहिए, तो कहाँ ख़ालिक़े कायनात की ज़ात और कहाँ यह ग़ैर-फ़ानी चीज़ें, अलबत्ता सिफ़ात को क़दीम और ज़ात के साथ लाज़िम होने के सबब आपस में मुनासबत है, सो जब अ़क़्ली दलीलों और मज़हबों व मिल्लतों वालों के एकमत होने के सबब इसको भी मशग़ला क़रार दिया जाना मुहाल है तो ख़त्म हो जाने वाली ग़ैर-फ़ानी चीज़ों में तो किसी को इसका वहम भी न होना चाहिए। पस साबित हुआ कि हमने फ़ुज़ूल पैदा नहीं किया) बल्कि हक़ को साबित करने और बातिल (ग़ैर-हक़) को बातिल ठहराने के लिये पैदा किया है, और हम (उस) हक़ बात को (जिसके सुबूत पर ये बनाई हुई चीज़ें दलालत करती हैं उस) बातिल पर (इस तरह ग़ालिब कर देते हैं जैसे यूँ समझो कि हम उसको उस पर) फेंक मारते हैं, सो वह (हक़) उस (बातिल) का भेजा निकाल देता है (यानी उसको पराजित कर देता है) सो वह (बातिल पराजित होकर) एक दम से जाता रहता है (यानी अल्लाह के एक होने की दलीलें जो उसकी बनाई हुई इन चीज़ों से हासिल होती हैं शिर्क "यानी इस कायनात के बनाने व चलाने में किसी के साझी होने" की पूरी तरह नफ़ी कर देती हैं जिसकी विपरीत दिशा का शुब्हा व गुमान ही नहीं रहता)। और (तुम जो इन ज़बरदस्त और मज़बूत दलीलों के बावजूद शिर्क करते हो तो) तुम्हारे लिये उस बात से बड़ी ख़राबी है जो तुम (हक़ के ख़िलाफ़) गढ़ते हो।

और (हक़ तआ़ला की वह शान है कि) जितने कुछ आसमानों और ज़मीन में हैं सब उसी के (हुक्म के ताबे और मिल्क में) हैं, और (उनमें से) जो अल्लाह के नज़दीक (बड़े मक़बूल व ख़ास) हैं (उनकी बन्दगी की यह कैफ़ियत है कि) वे उसकी इबादत से शर्म नहीं करते और न ही थकते हैं (बल्कि) रात और दिन (अल्लाह की) तस्बीह (व पाकीज़गी बयान) करते हैं (किसी वक़्त) बन्द नहीं करते। (जब उनकी यह हालत है तो आम मख़्लूक़ तो किस गिनती में है, पस इबादत के लायक़ वही है। और जब कोई दूसरा ऐसा नहीं तो फिर उसका शरीक समझना कितनी बेअ़क़्ली है) क्या (तौहीद की इन दलीलों के बावजूद) उन लोगों ने अल्लाह के सिवा और माबूद बना रखे हैं, (ख़ासकर) ज़मीन की चीज़ों में से (जो कि और भी कम दर्जे की और मामूली हैं जैसे पत्थर या दूसरी धातुओं वग़ैरह के बुत) जो किसी को ज़िन्दा करते हैं (यानी जो जान भी न डाल सकता हो ऐसा आ़जिज़ कब माबूद होने के क़ाबिल होगा, और) ज़मीन (में या) आसमान में अल्लाह तआ़ला के सिवा और माबूद (जिसका वजूद अपना ज़ाती) होता तो दोनों (कभी के) दरहम-बरहम "यानी उलट-पुलट" हो जाते (क्योंकि आ़दतन दोनों के इरादों और कामों में टकराव होता, एक दूसरे से टकराते और उसके लिये फ़साद लाज़िम है लेकिन फ़साद ज़ाहिर नहीं है इसलिए अनेक माबूद भी नहीं हो सकते) सो (इन तक़रीरों से साबित हुआ कि) अ़र्श का मालिक अल्लाह उन चीज़ों से पाक है जो ये लोग बयान कर रहे हैं (कि नऊज़ु बिल्लाह उसके और शरीक और साझी भी हैं। हालाँकि उसकी ऐसी बड़ी शान है कि) वह जो कुछ करता है उससे कोई पूछताछ नहीं कर सकता, और औरों से पूछताछ की जा सकती है (यानी अल्लाह तआ़ला बाज़ पुर्स कर सकता है। पस बड़ाई और शान में कोई उसका शरीक नहीं हुआ फिर माबूद होने में कोई कैसे शरीक हो सकता है। यहाँ तक तो रद्द करने, दलील काटने और एक चीज़ के मुहाल होने के एतिबार से कलाम था आगे सवाल और मना करने के तौर पर कलाम है कि) क्या उस ख़ुदा को छोड़कर उन्होंने और माबूद बना रखे हैं? (उनसे) कहिये कि तुम (इस दावे पर) अपनी दलील पेश करो। (यहाँ तक तो सवाल और अ़क़्ली दलील से शिर्क के बातिल होने का बयान था आगे रिवायती और किताबी दलील से दलील पेश की जाती है कि) यह मेरे साथ वालों की किताब (यानी क़ुरआन) और मुझसे पहले लोगों की किताबें (यानी तौरात व इन्जील व ज़बूर) मौजूद हैं, (जिनका सच्चा और अल्लाह की तरफ़ से उतरा हुआ होना अ़क़्ली दलील से साबित है, और औरों में अगरचे कमी-बेशी और रद्दोबदल हुई है मगर क़ुरआन में किसी तरह की रद्दोबदल का शुब्हा व गुमान नहीं, पस उन किताबों का जो मज़मून क़ुरआन के मुताबिक़ होगा वह यक़ीनन सही है। और इन सब ज़िक्र हुई दलीलों का तक़ाज़ा यह था कि ये लोग तौहीद के क़ायल हो जाते लेकिन फिर भी क़ायल नहीं) बल्कि इनमें ज़्यादा वही हैं जो हक़ बात का यक़ीन नहीं करते, सो (इस वजह से) वे (इसके क़ुबूल करने से) मुँह मोड़ रहे हैं।

और (यह तौहीद कोई नई बात नहीं जिससे ये बिदकें और भागें बल्कि पुराना क़ानून और शरीअ़त है, चुनाँचे) हमने आप से पहले कोई ऐसा पैग़म्बर नहीं भेजा जिसके पास हमने यह वही न भेजी हो कि मेरे सिवा कोई माबूद (होने के लायक़) नहीं, पस मेरी (ही) इबादत किया करो। और ये (मुश्रिक) लोग (जो हैं इनमें बाज़े) यूँ कहते हैं कि (नऊज़ु बिल्लाह) अल्लाह तआ़ला (रहमान) ने

(फ़रिश्तों को) औलाद बना रखी है, (तौबा-तौबा!) वह (अल्लाह तआ़ला इससे) पाक है (और वे फ़रिश्ते उसकी औलाद नहीं हैं) बल्कि (वे फ़रिश्ते उसके) बन्दे हैं (हाँ) सम्मानित (बन्दे हैं। इसी से बेअ़क़्लों को शुब्हा व धोखा हो गया, और उनकी बन्दगी, हुक्मों के पालन और अदब की यह कैफ़ियत है कि) वे उससे आगे बढ़कर बात नहीं कर सकते (बल्कि हुक्म के मुन्तज़िर रहते हैं) और वे उसी के हुक्म के मुवाफ़िक़ अ़मल करते हैं (उसके ख़िलाफ़ नहीं कर सकते। क्योंकि वे जानते हैं कि) अल्लाह तआ़ला उनके अगले-पिछले हालात को (ख़ूब) जानता है, (पस जो हुक्म होगा और जब हुक्म होगा हिक्मत के मुवाफ़िक़ होगा, इसलिये न अ़मल से मुख़ालफ़त करते हैं न कौल से आगे बढ़ते हैं) और (उनके अदब की यह कैफ़ियत है कि) वे सिवाय उस (शख़्स) के जिसके लिये (शफ़ाअ़त करने की) ख़ुदा तआ़ला की मर्ज़ी हो और किसी की सिफ़ारिश नहीं कर सकते, और वे सब अल्लाह तआ़ला की हैबत से डरते रहते हैं। और (यह तो बयान था उनके मग़लूब और महकूम होने का, आगे बयान है अल्लाह तआ़ला के ग़ालिब और हाकिम होने का, अगरचे हासिल दोनों का मिलता-जुलता है यानी) उनमें से जो शख़्स (मान लो यूँ) कहे कि (नऊज़ु बिल्लाह) ख़ुदा के अ़लावा मैं माबूद हूँ, सो हम उसकी जहन्नम की सज़ा देंगे (और) हम ज़ालिमों को ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं (यानी ख़ुदा का उन पर पूरा क़ाबू है जैसे और मख़्लूक़ात पर, फिर वे ख़ुदा की औलाद, जिसके लिये ख़ुदा होना ज़रूरी है कैसे हो सकते हैं)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ۝

यानी हमने आसमान और ज़मीन और इन दोनों के बीच की चीज़ों को खेल के लिये नहीं बनाया। पिछली आयतों में कुछ बस्तियों को तबाह व हलाक करने का ज़िक्र आया था, इस आयत में इशारा इस बात की तरफ़ है कि जिस तरह ज़मीन व आसमान और उनकी तमाम मख़्लूक़ात की पैदाईश बड़ी-बड़ी अहम हिक्मतों और मस्लेहतों पर आधारित है, जिन बस्तियों को तबाह किया गया उनका तबाह करना भी हिक्मत के मुताबिक़ था। इस मज़मून को इस आयत में इस तरह बयान किया गया कि ये तौहीद या रिसालत के इनकारी क्या हमारी कामिल क़ुदरत और इल्म व बसीरत की इन नुमायाँ निशानियों को जो ज़मीन व आसमान के बनाने में और तमाम मख़्लूक़ात की कारीगरी में नज़र आ रही हैं देखते समझते नहीं, या यह समझते हैं कि हमने ये सब चीज़ें फ़ुज़ूल ही महज़ खेल के लिये पैदा की हैं।

'लाअ़िबीन' लअ़िब से निकला है, लअ़िब ऐसे काम को कहा जाता है जिससे कोई सही मक़सद जुड़ा हुआ न हो। (राग़िब) और लह्व उस काम को कहते हैं जिससे कोई सही या ग़लत मक़सद ही न हो, ख़ाली वक़्त गुज़ारी का मशग़ला बनाया जाये। इस्लाम के इनकारी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और क़ुरआन पर एतिराज़ और तौहीद का इनकार करते हैं, अल्लाह की इन अ़ज़ीमुश्शान निशानियों के बावजूद नहीं मानते तो उनका यह अ़मल गोया इसका दावा है कि ये सब चीज़ें फ़ुज़ूल ही खेल के लिये बनाई गयी हैं। उनके जवाब में यह इरशाद हुआ कि यह खेल और

फ़ुज़ूल नहीं, ज़रा भी ग़ौर व फ़िक्र से काम लो तो कायनात के एक-एक ज़र्रे में और क़ुदरत की एक-एक कारीगरी में हज़ारों हिक्मतें हैं और सब की सब अल्लाह को पहचानने और उसकी तौहीद के ख़ामोश सबक़ हैं:

हर गयाहे कि अज़ ज़मीं रोयद   वह्दहू ला शरी-क लहू गोयद

हर उगने वाली चीज़ (यहाँ तक कि मामूली घास भी) जब ज़मीन से उगती है तो यही कहती है कि वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। **मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी**

لَوْ اَرَدْنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّا تَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّآ اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ٥

यानी अगर हम कोई मशग़ला बतौर खेल के बनाना ही चाहते और हमें यह काम करना ही होता तो हमें इसकी क्या ज़रूरत थी कि ज़मीन व आसमान वग़ैरह पैदा करें, यह काम अपने पास की चीज़ों से भी हो सकता था।

अ़रबी भाषा में हर्फ़ **लौ** फ़र्ज़ी चीज़ों के लिये बोला जाता है जिसका कोई वजूद न हो। इस जगह भी इसी हर्फ़ से यह मज़मून बयान हुआ है कि जो अहमक़ ऊपर नीचे की इन तमाम चीज़ों आसमानी और ज़मीनी मख़्लूक़ात और अ़जीब-अ़जीब चीज़ों को बेकार और खेल समझते हैं क्या वे इतनी भी अ़क्ल नहीं रखते कि इतने बड़े-बड़े काम बेकार और खेल के लिये नहीं हुआ करते, यह काम जिसको करना हो वह यूँ नहीं किया करता। इसमें इशारा इस तरफ़ है कि बेकार और खेल का कोई काम भी हक़ तआ़ला की अ़ज़ीम शान तो बहुत बुलन्द व बाला है किसी अच्छे माक़ूल आदमी से भी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती।

लह्व के असली और परिचित मायने बेकारी के मशग़ले के हैं, इसी के मुताबिक़ मज़कूरा तफ़सीर की गयी है। कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात ने फ़रमाया कि लफ़्ज़ **लह्व** कभी बीवी के लिये और औलाद के लिये भी बोला जाता है और यहाँ यह मुराद ली जाये तो आयत का मतलब यहूदियों व ईसाईयों पर रद्द करना होगा जो हज़रत ईसा या हज़रत उज़ैर अ़लैहिमस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, कि अगर हमें औलाद ही बनानी होती तो इनसानी मख़्लूक़ को क्यों बनाते अपने पास की मख़्लूक़ में से बना लेते। वल्लाहु आलम

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ.

क़ज़्फ़ के लुग़वी मायने फेंकने और फेंक मारने के हैं, **यद्मग़ु** के मायने दिमाग़ पर चोट लगाने के हैं और **ज़ाहिक़** के मायने जाने वाला और बेनाम व निशान हो जाने वाला। आयत का मतलब यह है कि ज़मीन व आसमान की अ़जीब व ग़रीब कायनात हमने खेल के लिये नहीं बल्कि बड़ी हिक्मतों पर आधारित करके बनाई हैं, उनमें से एक यह भी है कि उनके ज़रिये हक़ व बातिल का फ़र्क़ होता है, क़ुदरत की बनाई हुई चीज़ों को देखना इनसान को हक़ की तरफ़ ऐसी रहबरी करता है कि बातिल उसके सामने ठहर नहीं सकता। इसी मज़मून की ताबीर इस तरह की गयी है कि हक़ को बातिल के ऊपर फेंक मारा जाता है जिससे बातिल का दिमाग़ (भेजा) निकल जाता है और वह बेनाम व निशान होकर रह जाता है।

وَمَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ٥

यानी हमारे जो बन्दे हमारे पास हैं, इससे मुराद फ़रिश्ते हैं, वे हर वक़्त हमारी इबादत में बग़ैर किसी अन्तराल के हमेशा मशग़ूल रहते हैं, अगर तुम हमारी इबादत न करो तो हमारी ख़ुदाई में कोई फ़र्क़ नहीं आता। इनसान चूँकि दूसरों को भी अपने हाल पर क़ियास करने का आ़दी होता है इसको हमेशा की इबादत से दो चीज़ें बाधा और रुकावट हो सकती हैं- एक तो यह कि वह किसी की इबादत करने को अपने दर्जे और मक़ाम के ख़िलाफ़ समझे इसलिये इबादत के पास ही न जाये, दूसरे यह कि इबादत तो करना चाहता है मगर हमेशा और लगातार इसलिये नहीं कर सकता कि इनसानी तबई तक़ाज़े के सबब वह थोड़ा काम करके थक जाता है, उसको आराम करने और सोने की ज़रूरत पेश आती है, इसलिये आयत के आख़िर में फ़रिश्तों से इन दोनों रुकावटों की नफ़ी कर दी गयी कि वे न तो हमारी इबादत से सरकशी करते हैं कि उसको अपनी शान के ख़िलाफ़ जानें और न इबादत करने से किसी वक़्त थकते हैं, इसी मज़मून की तकमील बाद की आयत में इस तरह फ़रमाई:

يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ٥

यानी फ़रिश्ते रात दिन तस्बीह करते रहते हैं, किसी वक़्त सुस्त भी नहीं होते।

अ़ब्दुल्लाह बिन हारिस कहते हैं कि मैंने हज़रत कअ़ब अहबार से पूछा कि क्या फ़रिश्तों को तस्बीह करने के सिवा और कोई काम नहीं, अगर है तो फिर दूसरे कामों के साथ हर वक़्त की तस्बीह कैसे जारी रहती है? हज़रत कअ़ब ने फ़रमाया ऐ मेरे भतीजे! क्या तुम्हारा कोई काम और मशग़ला तुम्हें साँस लेने से रोकता है और काम करने में रुकावट व बाधा डालने वाला होता है? हक़ीक़त यही है कि तस्बीह फ़रिश्तों के लिये ऐसी है जैसे हमारा साँस लेना या आँख झपकना, कि ये दोनों चीज़ें हर वक़्त हर हाल में जारी रहती हैं और किसी काम में रुकावट और ख़लल डालने वाली नहीं होतीं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी व बहरे मुहीत)

اَمِ اتَّخَذُوْٓا اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ٥

इसमें मुश्रिक लोगों की जहालत को कई तरह ज़ाहिर फ़रमाया है। अव्वल यह कि ये कैसे अहमक़ हैं कि ख़ुदा भी बनाया तो ज़मीन की मख़्लूक़ को बनाया, ये तो ऊपर की और आसमानी मख़्लूक़ात से बहरहाल कमतर व कमज़ोर हैं, दूसरे यह कि जिनको ख़ुदा बनाया क्या उनको इन्होंने यह काम करते देखा है कि वे किसी को ज़िन्दा करते और उसमें जान डालते हैं? माबूद के लिये तो यह बात ज़रूरी है कि मख़्लूक़ की मौत व ज़िन्दगी उसके क़ब्ज़े में हो।

لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ

यह तौहीद (अल्लाह के एक और अकेला माबूद होने) की आ़दी दलील है जो आ़म आ़दतों के एतिबार पर आधारित है, और अ़क़्ली दलील की तरफ़ भी इशारा है जिसकी विभिन्न वज़ाहतें इल्मे कलाम की किताबों में बयान हुई हैं। और आ़दी दलील इस बिना पर है कि अगर ज़मीन व आसमान के दो ख़ुदा और दोनों मालिक व मुख़्तार हों तो ज़ाहिर यह है कि दोनों के अहकाम पूरे-पूरे ज़मीन व आसमान में नाफ़िज़ होने चाहियें, और आ़दतन यह मुम्किन नहीं कि जो हुक्म एक दे वही दूसरा भी दे या जिस चीज़ को एक पसन्द करे दूसरा भी उसी को पसन्द करे, इसलिये कभी-कभी मतभेद और

अहकाम में भिन्नता होना लाज़िमी है, और जब दो ख़ुदाओं के अहकाम ज़मीन व आसमान में भिन्न हुए तो नतीजा इन दोनों के फ़साद (ख़राबी और बरबादी) के सिवा क्या है। एक ख़ुदा चाहता है कि इस वक़्त दिन हो, दूसरा चाहता है रात हो। एक चाहता है बारिश हो दूसरा चाहता है न हो, तो दोनों के एक-दूसरे के विपरीत अहकाम किस तरह जारी होंगे, और अगर एक झुक गया तो मालिक व मुख़्तार और ख़ुदा न रहा। इस पर यह शुब्हा कि दोनों आपस में मश्विरा करके अहकाम जारी किया करें इसमें क्या मुश्किल और दूर की बात है, इसके जवाबात इल्मे कलाम की किताबों में बड़ी तफ़सील से आये हैं। इतनी बात यहाँ भी समझ ली जाये कि अगर दोनों मश्विरे के पाबन्द हुए एक बग़ैर दूसरे के मश्विरे के कोई काम न कर सके तो इससे यह लाज़िम आता है कि उनमें से एक भी मालिक व मुख़्तार नहीं, दोनों नाक़िस हैं, और नाक़िस ख़ुदा नहीं हो सकता। और शायद अगली आयत 'ला युस्अलु अ़म्मा यफ़्अ़लु व हुम युस्अलून' (यानी आयत नम्बर 23) में भी इस तरफ़ इशारा पाया जाता है कि जो शख़्स किसी क़ानून का पाबन्द हो, जिसके कामों व आमाल पर किसी को पकड़ और पूछगछ करने का हक़ हो वह ख़ुदा नहीं हो सकता। ख़ुदा वही है जो किसी का पाबन्द न हो, जिससे किसी को सवाल करने का हक़ न हो। अगर दो ख़ुदा हों और दोनों मश्विरे के पाबन्द हों तो हर एक को दूसरे से सवाल करने और मश्विरा न करने पर पूछगछ करने का हक़ लाज़िमी है जो ख़ुद ख़ुदाई के मक़ाम के विरुद्ध है।

هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِيْ

इसका एक मफ़्हूम (मतलब) तो वह है जो ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में बयान हुआ है कि 'ज़िक्रु मम्-मअि़-य' से मुराद क़ुरआन और 'ज़िक्रु मन् क़ब्ली' से मुराद तौरात व इंजील और ज़बूर वग़ैरह पहली आसमानी किताबें हैं, और आयत के मायने यह हैं कि मेरा और मेरे साथ वालों का क़ुरआन और पिछली उम्मतों की किताबें तौरात व इंजील वग़ैरह मौजूद हैं क्या इनमें से किसी किताब में अल्लाह के सिवा किसी की इबादत की तल्क़ीन (तालीम व हिदायत) मौजूद है? तौरात व इंजील वग़ैरह में रद्दोबदल हो जाने के बावजूद यह तो अब तक भी कहीं साफ़ नहीं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करके दूसरा माबूद बना लो। तफ़सीर बहरे मुहीत में इसका यह मतलब भी बयान किया गया है कि यह क़ुरआन ज़िक्र है मेरे साथ वालों के लिये भी और ज़िक्र है मुझसे पहलों के लिये भी। मतलब यह है कि अपने साथ वालों के लिये तो दावत और अहकाम की वज़ाहत के लिहाज़ से ज़िक्र है और पहले वालों के लिये इस मायने में ज़िक्र है कि इसके ज़रिये पहले वालों के अहवाल व मामलात और क़िस्से ज़िन्दा हैं।

لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ○

यानी फ़रिश्ते हक़ तआ़ला की औलाद तो क्या होते वे तो ऐसे डरे हुए और बा-अदब रहते हैं कि न क़ौल में अल्लाह तआ़ला से आगे बढ़ते हैं न अ़मल में उसके ख़िलाफ़ कभी कुछ करते हैं। क़ौल में आगे न बढ़ने का मतलब यह है कि जब तक हक़ तआ़ला ही की तरफ़ से कोई इरशाद न हो ख़ुद कोई कलाम करने में पहल करने और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करते। इससे यह भी मालूम हुआ

कि बड़ों का एक अदब यह भी है कि जब मज्लिस में कोई बात आये तो जो उस मज्लिस का बड़ा है उसके कलाम का इन्तिज़ार किया जाये, पहले ही किसी और का बोल पड़ना ख़िलाफ़े अदब है।

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيٰتِهَا مُعْرِضُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝

अ-व लम् यरल्लज़ी-न क-फ़रू अन्नस्समावाति वल्अर्-ज़ कानता रत्क़न् फ़-फ़तक़्नाहुमा, व जअ़ल्ना मिनल्मा-इ कुल्-ल शैइन् हय्यिन्, अ-फ़ला युअ्मिनून (30) व जअ़ल्ना फ़िल्अर्ज़ि रवासि-य अन् तमी-द बिहिम् व जअ़ल्ना फ़ीहा फ़िजाजन् सुबुलल्-लअ़ल्लहुम् यह्तदून (31) व जअ़ल्नस्समा-अ सक़्फ़म्-मह़्फ़ूज़ंव्-व हुम् अ़न् आयातिहा मुअ़्रिज़ून (32) व हुवल्लज़ी ख़-लक़ल्लै-ल वन्नहा-र वश्शम्-स वल्-क़-म-र, कुल्लुन् फ़ी फ़-लकिंय्यस्बहून (33)	और क्या नहीं देखा उन मुन्किरों ने कि आसमान और ज़मीन मुँह बन्द थे फिर हमने उनको खोल दिया और बनाई हमने पानी से हर एक चीज़ जिसमें जान है, फिर क्या यक़ीन नहीं करते? (30) और रख दिये हमने ज़मीन में भारी बोझ कभी उनको लेकर झुक पड़े, और रखे उसमें खुले रास्ते ताकि वे राह पायें। (31) और बनाया हमने आसमान को सुरक्षित छत और वे आसमान की निशानियों को ध्यान में नहीं लाते। (32) और वही है जिसने बनाये रात और दिन और सूरज और चाँद सब अपने-अपने घर में फिरते हैं। (33)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

क्या उन काफ़िरों को यह मालूम नहीं हुआ कि आसमान और ज़मीन (पहले) बन्द थे (यानी न आसमान से बारिश होती थी न ज़मीन से कुछ पैदावार, इसी को बन्द होना फ़रमाया जैसा कि अब भी अगर किसी जगह या किसी ज़माने में आसमान से बारिश और ज़मीन से पैदावार न हो तो उस जगह या उस ज़माने के एतिबार से इनको बन्द कहा जा सकता है) फिर हमने दोनों को (अपनी क़ुदरत से)

खोल दिया (कि आसमान से बारिश और ज़मीन से पेड़-पौधों का उगना शुरू हो गया) और (बारिश से सिर्फ पेड़-पौधे ही नहीं उगते और बढ़ते बल्कि) हमने (बारिश के) पानी से हर जानदार चीज़ को बनाया है (यानी हर ज़िन्दा जानदार के वजूद और उसके बाक़ी रहने में पानी का दख़ल ज़रूर है, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो या प्रत्यक्ष रूप से जैसा कि एक दूसरी आयत में यह मज़मून बयान हुआ है यानी सूरः ब-क़रह की आयत 164 में) क्या (इन बातों को सुनकर) फिर भी ईमान नहीं लाते।

और हमने (अपनी क़ुदरत से) ज़मीन में पहाड़ इसलिये बनाये कि ज़मीन उन लोगों को लेकर हिलने न लगे, और हमने इस (ज़मीन) में खुले-खुले रास्ते बनाये ताकि वे लोग (उनके ज़रिये से अपनी मतलूबा) मन्ज़िल को पहुँच जाएँ। और हमने (अपनी क़ुदरत से) आसमान को (ज़मीन के मुक़ाबले में उसके ऊपर) एक छत (के जैसा) बनाया जो (हर तरह से) महफ़ूज़ है (यानी गिरने से भी टूटने फूटने से भी, और इससे भी कि शैतान वहाँ तक पहुँचकर आसमान की बातें सुन सकें, मगर यह आसमान का महफ़ूज़ व मज़बूत होना भी हमेशा के लिये नहीं, एक निर्धारित ज़माने तक है) और ये लोग इस (आसमान) के (अन्दर की मौजूदा) निशानियों से मुँह मोड़े हुए हैं (यानी उनमें ग़ौर-फ़िक्र और विचार नहीं करते) और वह ऐसा (क़ादिर) है कि उसने रात और दिन और सूरज और चाँद बनाये (वो निशानियाँ यही हैं और सूरज व चाँद में से) हर एक एक-एक दायरे में (इस तरह चल रहे हैं कि गोया) तैर रहे हैं।

मआरिफ़ व मसाईल

اَوَلَمْ يَرَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا.

इस जगह 'देखने' के लफ़्ज़ से मुराद आम इल्म है चाहे वह आँखों से देखकर हासिल हो या अ़क्ल से दलील हासिल करने से। क्योंकि आगे जो मज़मून आ रहा है उसका ताल्लुक़ कुछ देखने और मुआयना करने से है और कुछ दलील हासिल करने के इल्म से।

اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا.

लफ़्ज़ 'रत्क़' के मायने बन्द होने और 'फ़तक़' के मायने खोल देने के हैं। इन दो लफ़्ज़ों का मजमूआ 'रत्क़' व 'फ़तक़' किसी काम के इन्तिज़ाम और उसके पूरे इख़्तियार के मायने में इस्तेमाल होता है। आयत के अलफ़ाज़ का तर्जुमा यह हुआ कि आसमान और ज़मीन बन्द थे हमने उनको खोल दिया। इसमें बन्द होने और खोल देने से मुराद क्या है इसकी मुराद में हज़राते मुफ़स्सिरीन ने विभिन्न अक़वाल नक़ल किये हैं मगर उन सब में जो मायने सहाबा-ए-किराम और मुफ़स्सिरीन हज़रात की बड़ी जमाअ़त ने इख़्तियार फ़रमाये वो वही हैं जो ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में लिये गये हैं, कि बन्द होने से मुराद आसमान की बारिश और ज़मीन की पैदावार का बन्द होना है और खोलने से मुराद इन दोनों को खोल देना है।

तफ़सीर इब्ने कसीर में इब्ने अबी हातिम की सनद से हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु का यह वाक़िआ़ नक़ल किया है कि एक शख़्स उनके पास आया और उनसे इस आयत की तफ़सीर मालूम की, उन्होंने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की तरफ़ इशारा करके फ़रमाया कि

इस शैख़ के पास जाओ उनसे मालूम करो और वह जो जवाब दें मुझे भी उसकी इत्तिला करो। यह शख़्स हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु के पास गया और मालूम किया कि इस आयत में 'रत्क़न्' और फ़तक़्ना' से क्या मुराद है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास ने फ़रमाया कि पहले आसमान बन्द थे बारिश न बरसाते थे और ज़मीन बन्द थी कि उसमें पेड़-पौधे नहीं उगते थे, जब अल्लाह तआ़ला ने ज़मीन पर इनसान को आबाद किया तो आसमान की बारिश खोल दी और ज़मीन का फलना-फूलना। यह शख़्स आयत की तफ़सीर मालूम करके हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु के पास वापस गया और जो कुछ हज़रत इब्ने अ़ब्बास से सुना था वह बयान किया तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर ने फ़रमाया कि अब मुझे साबित हो गया कि वाक़ई इब्ने अ़ब्बास को क़ुरआन का इल्म अ़ता किया गया है। इससे पहले मैं क़ुरआन की तफ़सीर के बारे में इब्ने अ़ब्बास के बयानात को एक जुर्अत समझा करता था जो मुझे पसन्द न थी, अब मालूम हुआ कि अल्लाह तआ़ला ने उनको क़ुरआनी उलूम का ख़ास ज़ौक़ अ़ता फ़रमाया है, उन्होंने रत्क़ व फ़तक़ की तफ़सीर सही बयान फ़रमाई है।

तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की इस रिवायत को इब्नुल-मुन्ज़िर और अबू नुऐम और मुहद्दिसीन की एक जमाअ़त के हवाले से नक़ल किया है जिनमें मुस्तद्रक के लेखक इमाम हाकिम भी हैं, इमाम हाकिम ने इस रिवायत को सही कहा है।

इब्ने अ़तीया औफ़ी इस रिवायत को नक़ल करके कहते हैं कि यह तफ़सीर हसन और जामे और इस जगह के क़ुरआनी मज़मून के मुनासिब है, इसमें मुन्किरों के ख़िलाफ़ इब्रत और हुज्जत भी है और अल्लाह तआ़ला की ख़ास नेमतों और कामिल क़ुदरत का इज़्हार भी जो (अल्लाह की) मारिफ़त व तौहीद की बुनियाद है। और बाद की आयत में जो 'व जअ़ल्ना मिनल् मा-इ कुल्-ल शैइन् हय्यिन्' फ़रमाया है इससे इसी मायने के एतिबार से मुनासबत है। तफ़सीर बहरे मुहीत में भी इसी को इख़्तियार किया है। अ़ल्लामा क़ुर्तुबी ने इसी को हज़रत इक्रिमा का क़ौल भी क़रार दिया है और फ़रमाया है कि एक दूसरी आयत से भी इस मायने की ताईद होती है यानी सूरः तारिक़ की आयत 11 व 12 से। इमाम तबरी ने भी इसी तफ़सीर को इख़्तियार किया है।

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

मुराद यह है कि हर जानदार की पैदाईश व बनाने में पानी का दख़ल ज़रूर है और जानदार व रूह वाले अहले तहक़ीक़ के नज़दीक सिर्फ़ इनसान और हैवानात ही नहीं बल्कि नबातात (पेड़-पौधे और घास वग़ैरह) बल्कि जमादात (बेजान दिखाई देने वाली चीज़ों) में रूह और ज़िन्दगी मुहक़्क़िक़ीन (रिसर्च और तहक़ीक़ करने वालों) के नज़दीक साबित है, और ज़ाहिर है कि पानी को इन सब चीज़ों की पैदाईश व ईजाद और बढ़ोतरी व पालन-पोषण में बड़ा दख़ल है।

अ़ल्लामा इब्ने कसीर ने इमाम अहमद रह. की सनद से हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि हज़रत अबू हुरैरह ने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! मैं जब आपकी ज़ियारत (दर्शन) करता हूँ तो मेरा दिल बाग़ बाग़ और आँखें ठण्डी हो जाती हैं। आप मुझे हर चीज़ (की पैदाईश) के बारे में बतला दीजिए। आपने फ़रमाया कि हर चीज़ पानी से पैदा की गयी है। इसके बाद हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु

ने सवाल किया कि मुझे कोई ऐसा अमल बतला दीजिए जिस पर अमल करने से मैं जन्नत में पहुँच जाऊँ। आपने फ़रमायाः

افش السّلام واطعم الطعام وصل الارحام وقم باللّيل والناس نيام ثمّ ادخل الجنّة بسلام. (تفرد به احمد وهذا اسناد على شرط الشيخين..... الخ)

तर्जुमाः- सलाम करने को आम करो (चाहे सामने वाला अजनबी हो) और खाना खिलाया करो (इसको भी हदीस में आम रखा है, खाना खिलाना हर शख़्स को चाहे काफ़िर व गुनाहगार ही हो सवाब से ख़ाली नहीं) और सिला-रहमी किया करो, और रात को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करो जब सब लोग सोते हों, तो जन्नत में सलामती के साथ दाख़िल हो जाओगे।

وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ.

लफ़्ज़ 'मैद' अ़रबी भाषा में बेचैनी भरी हरकत को कहा जाता है, और आयत की मुराद यह है कि ज़मीन पर पहाड़ों का बोझ हक़ तआ़ला ने इसका सन्तुलन बरक़रार रखने के लिये डाल दिया है ताकि वह बेक़रारी की हरकत न कर सके, जिससे उसके ऊपर बसने वालों को नुक़सान पहुँचे। इसकी फ़ल्सफ़ियाना तहक़ीक़ (वैज्ञानिक शोध) कि पहाड़ों के बोझ को ज़मीन के क़रार (सुकून व ठहरने) में क्या दख़ल है उसकी यहाँ ज़रूरत नहीं। तफ़सीरे कबीर वग़ैरह में इसका तफ़सीली बयान अहले इल्म देख सकते हैं, और बक़द्रे ज़रूरत सूरः नम्ल की तफ़सीर में हज़रत हकीमुल-उम्मत मौलाना थानवी रह. ने तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन में भी लिख दिया है।

كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ○

लफ़्ज़ 'फ़लक' दर असल हर दायरे और गोल चीज़ को कहा जाता है। इसी वजह से चरख़े में जो गोल चमड़ा लगा होता है उसको 'फ़लकतुल-मिग़ज़ल' कहते हैं। (रूहुल-मआ़नी) और इसी वजह से आसमान को भी फ़लक कह दिया जाता है। यहाँ मुराद सूरज व चाँद की वो मदारें (घूमने के दायरे) हैं जिन पर वो हरकत करते हैं। क़ुरआन के अलफ़ाज़ में इसकी कोई वज़ाहत नहीं है कि ये मदारें आसमान के अन्दर हैं या बाहर फ़ज़ा में। हाल के दिनों की ख़ला (अंतरिक्ष) की तहक़ीक़ात ने स्पष्ट कर दिया है कि ये मदारें (घूमने की जगहें) ख़ला और फ़ज़ा में आसमान से बहुत नीचे हैं।

इस आयत के ज़ाहिर से यह भी समझ में आता है कि सूरज भी एक मदार पर हरकत करता है, नये ज़माने के वैज्ञानिक पहले इसके इनकारी थे अब वे भी इसके क़ायल हो गये हैं। अधिक तफ़सीलात की यह जगह नहीं। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ اَفَاۡئِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ ۞ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۗ وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ۞ وَاِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ۗ اَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ۚ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۞ خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۗ سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ ۞ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا

الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝ بَلْ تَاْتِيْهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝ قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ۭ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝ اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ۭ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ ۝ بَلْ مَتَّعْنَا هٰٓؤُلَاۗءِ وَاٰبَاۗءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۭ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ۭ اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۝ قُلْ اِنَّمَآ اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ڮ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاۗءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ ۝ وَلَىِٕنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝ وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۭ وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ۭ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ۝

व मा जअ़ल्ना लि-ब-शरिम्-मिन् क़ब्लिकल्-ख़ुल्-द, अ-फ़इम्-मित्-त फ़हुमुल्-ख़ालिदून (34) कुल्लु नफ़्सिन् ज़ाइ-क़तुल्-मौति, व नब्लूकुम् बिश्शर्रि वल्-ख़ैरि फ़ित्-नतन्, व इलैना तुर्जअ़ून (35) व इज़ा रआकल्लज़ी-न क-फ़रू इंय्यत्तख़िज़ून-क इल्ला हुज़ुवन्, अ-हाज़ल्लज़ी यज़्कुरु आलि-ह-तकुम् व हुम् बिज़िक्रिर्रह्मानि हुम् काफ़िरून (36) ख़ुलिक़ल्-इन्सानु मिन् अ-जलिन्, स-उरीकुम् आयाती फ़ला तस्तअ़्जिलून (37) व यक़ूलू-न मता

और नहीं दिया हमने तुझसे पहले किसी आदमी को हमेशा के लिये ज़िन्दा रहना, फिर क्या अगर तू मर गया तो वे रह जायेंगे। (34) हर जी को चखनी है मौत और हम तुमको जाँचते हैं बुराई से और भलाई से आज़माने को, और हमारी तरफ़ फिरकर आ जाओगे। (35) और जहाँ तुझको देखा मुन्किरों ने तो कोई काम नहीं उनको तुझसे मगर ठट्ठा करना, क्या यही शख़्स है जो नाम लेता है तुम्हारे माबूदों का, और वे रहमान के नाम से मुन्किर हैं। (36) बना है आदमी जल्दी का अब दिखलाता हूँ तुमको अपनी निशानियाँ, सो मुझसे जल्दी मत करो। (37) और कहते हैं कब होगा यह वायदा

हाज़ल्-वअ्दु इन् कुन्तुम् सादिक़ीन (38) लौ यअ्लमुल्लज़ी-न क-फ़रू ही-न ला यकुफ़्फ़ू-न अंव्वुजूहिहिमुन्-ना-र व ला अ़न् ज़ुहूरिहिम् व ला हुम् युन्सरून (39) बल् तअ्तीहिम् बग़्त-तन् फ़-तब्हतुहुम् फ़ला यस्ततीअ़ू-न रद्दहा व ला हुम् युन्ज़रून (40) व ल-क़दिस्तुह्ज़ि-अ बिरुसुलिम्-मिन् क़ब्लि-क फ़हा-क़ बिल्लज़ी-न सख़िरू मिन्हुम्-मा कानू बिही यस्तह्ज़िऊन (41) ❁

अगर तुम सच्चे हो। (38) अगर जान लें ये मुन्किर उस वक़्त को कि न रोक सकेंगे अपने मुँह से आग और न अपनी पीठ से और न इनको मदद पहुँचेगी। (39) कुछ नहीं! वह आयेगी उन पर नागहानी फिर उनके होश खो देगी, फिर न फेर सकेंगे उसको और न उनको फ़ुर्सत मिलेगी। (40) और ठट्ठे हो चुके हैं रसूलों से तुझसे पहले फिर उलट पड़ी ठट्ठा करने वालों पर उनमें से वह चीज़ जिसका ठट्ठा करते (यानी मज़ाक़ उड़ाते) थे। (41) ❁

क़ुल् मंय्यक्ल-उकुम् बिल्लैलि वन्नहारि मिनर्रह्मानि, बल् हुम् अ़न् ज़िक्रि रब्बिहिम् मुअ्रिज़ून (42) अम् लहुम् आलि-हतुन् तम्नअुहुम् मिन् दूनिना, ला यस्ततीअ़ू-न नस्-र अन्फ़ुसिहिम् व ला हुम् मिन्ना युस्हबून (43) बल् मत्तअ्ना हा-उला-इ व आबाअहुम् हत्ता ता-ल अ़लैहिमुल्-अ़ुमुरु, अ-फ़ला यरौ-न अन्ना नअ्तिल्-अर्-ज नन्क़ुसुहा मिन् अत्राफ़िहा, अ-फ़हुमुल्-ग़ालिबून (44) क़ुल् इन्नमा उन्ज़िरुकुम् बिल्वह्यि व ला यस्मअुस्-सुम्मुद्दुआ-अ इज़ा मा युन्ज़रून (45) व ल-इम्-मस्सत्हुम्

तू कह कौन निगहबानी करता है तुम्हारी रात में और दिन में रहमान से, कोई नहीं! वे अपने रब के ज़िक्र से मुँह फेरते हैं। (42) या उनके वास्ते कोई माबूद हैं कि उनको बचाते हैं हमारे सिवा, वे अपनी भी मदद नहीं कर सकते और न उनको हमारी तरफ़ से साथ मिले। (43) कोई नहीं! पर हमने ऐश दिया उनको और उनके बाप-दादों को यहाँ तक कि बढ़ गई उन पर ज़िन्दगी, फिर क्या नहीं देखते कि हम चले आते हैं ज़मीन को घटाते उसके किनारों से, अब क्या वे जीतने वाले हैं। (44) तू कह मैं जो तुम को डराता हूँ सो हुक्म के मुवाफ़िक़, और सुनते नहीं बहरे पुकारने को जब कोई उनको डर की बात सुनाये। (45) और कहीं पहुँच जाये उन तक एक भाप

नफ़्हतुम् मिन् अ़ज़ाबि रब्बि-क ल-यक़ूलुन्-न या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन (46) व न-ज़अ़ुल्-मवाज़ीनल्-क़िस्-त लियौमिल्-क़ियामति फ़ला तुज़्लमु नफ़्सुन् शैअन्, व इन् का-न मिस्क़ा-ल हब्बतिम्-मिन् ख़र्-दलिन् अतैना बिहा, व कफ़ा बिना हासिबीन (47)	तेरे रब के अ़ज़ाब की तो ज़रूर कहने लगें हाय हमारी कमबख़्ती! बेशक हम थे गुनाहगार। (46) और रखेंगे हम तराज़ुएँ इन्साफ़ की क़ियामत के दिन, फिर ज़ुल्म न होगा किसी जी पर एक ज़र्रा, और अगर होगा बराबर राई के दाने के तो हम ले आयेंगे उसको, और हम काफ़ी हैं हिसाब करने को। (47)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (ये लोग जो आपकी वफ़ात की ख़ुशियाँ मना रहे हैं, जैसा कि उनका क़ौल क़ुरआन की सूरः तूर आयत 30 में बयान हुआ है, यह वफ़ात भी नुबुव्वत के ख़िलाफ़ नहीं, क्योंकि) हमने आप से पहले भी किसी बशर के लिये (चाहे वह नबी हो या ग़ैर-नबी दुनिया में) हमेशा रहना तजवीज़ नहीं किया, (पस जैसे आप से पहले नबियों को मौत आई इससे उनकी नुबुव्वत में किसी को शुब्हा नहीं हुआ इसी तरह आपकी वफ़ात से आपकी नुबुव्वत में कोई शुब्हा नहीं हो सकता। ख़ुलासा यह है कि नुबुव्वत और मौत दोनों एक शख़्स में जमा हो सकती हैं) फिर (यह कि) अगर आपका इन्तिक़ाल हो जाये तो क्या ये लोग (दुनिया में) हमेशा-हमेशा को रहेंगे (आख़िर यह भी मरेंगे, फिर ख़ुशी का क्या मक़ाम है? मतलब यह कि आपकी वफ़ात से उनकी ख़ुशी अगर नुबुव्वत को बातिल करने के लिये है तब तो इसका जवाब यह है कि हमने किसी बशर के लिये हमेशा के लिये ज़िन्दा रहना नहीं बनाया, और अगर ज़ाती बुग़ज़ व दुश्मनी से है तो 'अगर आपका इन्तिक़ाल हो जाये तो क्या ये लोग दुनिया में हमेशा रहेंगे?' इसका जवाब है। ग़र्ज़ कि हर हाल में यह इन्तिज़ार बेकार और बेहूदा है और मौत तो ऐसी चीज़ है कि तुम में) हर जानदार मौत का मज़ा चखेगा, और (यह जो हमने चन्द दिन तुमको ज़िन्दगी दे रखी है तो इससे उद्देश्य महज़ यह है कि) हम तुमको बुरी-भली हालतों से अच्छी तरह आज़माते हैं (बुरी हालत से मुराद जो कि ख़िलाफ़े मिज़ाज हो जैसे बीमारी व तंगदस्ती और अच्छी हालत से मुराद जो कि मिज़ाज के मुवाफ़िक़ हो जैसे सेहत और मालदारी, ज़िन्दगी में यही हालतें मुख़्तलिफ़ तौर पर पेश आती हैं, कोई इनमें ईमान और नेकी को अन्जाम देता है और कोई कुफ़्र व नाफ़रमानी करता है। मतलब यह कि ज़िन्दगी इसलिये दे रखी है कि देखें कैसे-कैसे अ़मल करते हो) और (फिर इस ज़िन्दगी के ख़त्म पर) तुम सब हमारे पास चले आओगे (और हर एक को उसके मुनासिब सज़ा व जज़ा देंगे। पस असल चीज़ और अहम मामला तो मौत और मौत के बाद ही का मामला हुआ और ज़िन्दगी महज़ अस्थायी, फिर ये लोग इस पर इतराते हैं और पैग़म्बर की वफ़ात पर

ख़ुशियाँ मनाते हैं। यह न हुआ कि इस अस्थायी ज़िन्दगी में ईमान व नेक अमल की दौलत कमा लेते जो उनके काम आती, और उल्टा नामा-ए-आमाल सियाह और आख़िरत की मन्ज़िल भारी कर रहे हैं, डरते नहीं)।

और (इन इनकारियों की यह हालत है कि) ये काफ़िर लोग जब आपको देखते हैं तो बस आप से हंसी करने लगते हैं (और आपस में कहते हैं) कि क्या यही (साहिब) हैं जो तुम्हारे माबूदों का (बुराई से) ज़िक्र किया करते हैं, (सो आप पर तो बुतों के इनकार का भी एतिराज़ है) और (ख़ुद) ये लोग (अल्लाह) रहमान के ज़िक्र पर इनकार (और कुफ़्र) किया करते हैं। (तो एतिराज़ की बात तो दर हक़ीक़त यह है, इसलिये इनको अपनी इस हालत पर हंसी-ठट्ठा करना चाहिए था और इनकी यह हालत है कि जब कुफ़्र की सज़ा का मज़मून सुनते हैं जैसे ऊपर ही ज़िक्र हुआ है यानी आयत 35 में तो झुठलाने के सबब इसका तक़ाज़ा करते हैं कि यह सज़ा जल्द आ जाये और यह तक़ाज़ा और जल्द बाज़ी कुछ इनसानी तबीयत का अक्सरी ख़ास्सा भी है, पस इसका तबई होना ऐसा है जैसे गोया) इनसान जल्दी ही (के ख़मीर) का बना हुआ (है यानी जल्दबाज़ी और जल्दी जैसे उसकी घुट्टी में पड़ा हुआ है, इसी वास्ते ये लोग अ़ज़ाब जल्दी-जल्दी माँगते हैं और उसमें देर होने को उसके न आने की दलील समझते हैं, लेकिन ऐ काफ़िरो! यह तुम्हारी ग़लती है, क्योंकि उसका तयशुदा वक़्त है सो ज़रा सब्र करो) हम जल्द ही (उसका वक़्त आने पर) तुमको अपनी निशानियाँ (क़हर की यानी सज़ायें) दिखाए देते हैं, पस तुम मुझसे जल्दी मत मचाओ (क्योंकि अ़ज़ाब वक़्त से पहले आता नहीं और वक़्त पर टलता नहीं)।

और ये लोग (जब यह मज़मून सुनते हैं कि निर्धारित वक़्त पर अ़ज़ाब आयेगा तो रसूल और मोमिनों से यूँ) कहते हैं कि यह वायदा किस वक़्त आयेगा अगर तुम (अ़ज़ाब के आने की ख़बर में) सच्चे हो (तो देरी काहे की जल्दी से क्यों नहीं अ़ज़ाब आ जाता। असल यह है कि इनको उस मुसीबत की ख़बर नहीं जो ऐसी बेफ़िक्री की बातें करते हैं) काश! इन काफ़िरों को उस वक़्त की ख़बर होती जबकि (इनको सब तरफ़ से दोज़ख़ की आग घेरेगी और) ये लोग (उस) आग को न अपने सामने से रोक सकेंगे और न अपने पीछे से, और न इनकी कोई हिमायत करेगा। (यानी अगर उस मुसीबत का इल्म होता तो ऐसी बातें न बनाते और यह जो दुनिया ही में दोज़ख़ के अ़ज़ाब की फ़रमाईश कर रहे हैं सो यह ज़रूरी नहीं कि इनकी फ़रमाईश के मुवाफ़िक़ दोज़ख़ का अ़ज़ाब आ जाये) बल्कि वह आग (तो) इनको एकदम से आ पकड़ेगी, सो इनको बदहवास कर देगी, फिर न उसके हटाने की इनको क़ुदरत होगी और न इनको मोहलत दी जायेगी। और (अगर वे यूँ कहें कि अगर यह अ़ज़ाब आख़िरत में तय होने की वजह से दुनिया में नहीं होता तो अच्छा दुनिया में उसका कोई नमूना तो दिखला दो, तो मुनाज़रे के उसूल के मुताबिक़ नमूना दिखलाना ज़रूरी नहीं लेकिन इन पर एहसान रखते हुए नमूने का पता भी दिया जाता है, वह यह कि) आप से पहले जो पैग़म्बर हो गुज़रे हैं उनके साथ भी (काफ़िरों की तरफ़ से) मज़ाक़ और हंसी उड़ाना किया गया था, सो जिन लोगों ने हंसी-मज़ाक़ किया था, उन पर वह अ़ज़ाब आ ही पड़ा जिसके साथ वे मज़ाक़-ठट्ठा किया करते थे (कि अ़ज़ाब कहाँ है। पस इससे मालूम हुआ कि कुफ़्र अ़ज़ाब को वाजिब करने वाला है। पस अगर

दुनिया में वह ज़ाहिर न हो तो आख़िरत में होगा। और यह भी उनसे) कह दीजिए (कि दुनिया में जो तुम अ़ज़ाब से बचे हुए हो तो यह हिफ़ाज़त और बचाव भी अल्लाह तआ़ला ही कर रहा है इसमें भी उसी का एहसान और उसके एक होने पर दलालत है, और अगर तुम इसको तस्लीम नहीं करते तो फिर बतलाओ) कि वह कौन है जो रात और दिन में रहमान (के अ़ज़ाब) से तुम्हारी हिफ़ाज़त करता हो, (और इस मज़मून का माना हुआ तक़ाज़ा यह था कि तौहीद "यानी अल्लाह के एक और अकेला माबूद होने" के क़ायल हो जाते मगर वे अब भी क़ायल न हुए) बल्कि वे लोग (अब भी बदस्तूर) अपने (वास्तविक) रब के ज़िक्र (तौहीद के क़ुबूल करने) से मुँह फेरने वाले (ही) हैं (हाँ हम निगहबानी और हिफ़ाज़त करने वाले की वज़ाहत के लिये स्पष्ट रूप से मालूम करते हैं कि) क्या उनके पास हमारे सिवा और ऐसे माबूद हैं कि (उक्त अ़ज़ाब से) उनकी हिफ़ाज़त कर लेते हों, (वे बेचारे उनकी तो क्या हिफ़ाज़त करते उनकी बेचारगी व मजबूरी की तो यह हालत है कि) वे ख़ुद अपनी हिफ़ाज़त की ताकृत नहीं रखते (मसलन उनको कोई तोड़ने-फोड़ने लगे तो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते जैसा कि क़ुरआन पाक की सूरः हज की आयत 73 में इसकी वज़ाहत है। पस न वे उनके माबूद उनकी हिफ़ाज़त कर सकते हैं) और न हमारे मुक़ाबले में कोई उनका साथ दे सकता है। (और ये लोग बावजूद इन रोशन दलीलों के जो हक़ को क़ुबूल नहीं करते तो यह वजह नहीं कि दावे या दलील में कुछ ख़लल है) बल्कि (असल वजह इसकी यह है कि) हमने इनको और इनके बाप-दादाओं को (दुनिया का) ख़ूब सामान दिया, यहाँ तक कि इन पर (उसी हालत में) एक लम्बी मुद्दत गुज़र गई, (कि कई पुश्तों और नस्लों से ऐश आराम करते आ रहे हैं, पस खा खाके ग़ुर्राने लगे और आँखें पथरा गईं। मतलब यह कि इन्हीं में ग़फ़लत कर ख़लल व कारण है लेकिन शरई और क़ुदरती इतनी चेतावनियों के बावजूद इतनी ग़फ़लत भी न होनी चाहिए। चुनाँचे तंबीह व चेतावनी की एक बात को ज़िक्र किया जाता है वह यह कि) क्या उनको यह नज़र नहीं आता कि हम (उनकी) ज़मीन को (इस्लामी फ़ुतूहात के ज़रिये) चारों तरफ़ से बराबर घटाते चले जाते हैं, सो क्या ये लोग (उम्मीद रखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और ईमान वालों पर) ग़ालिब आएँगे।

(क्योंकि हालात व इशारात और शरई दलाईल मुत्तफ़िक़ हैं उनके मग़लूब और अहले हक़ के ग़ालिब होते जाने पर, जब तक कि मुसलमान अल्लाह की फ़रमाँबरदारी व इताअ़त से मुँह न मोड़ें और इस्लाम की हिमायत न छोड़ें, पस इस मामले में सोच-विचार करना भी चेतने और सतर्क होने के लिये काफ़ी है। अगर इस पर भी दुश्मनी व जहालत से वे अ़ज़ाब को ज़ाहिर करने ही की फ़रमाईश करें तो) आप कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ़ वही के ज़रिये से तुमको डराता हूँ (अ़ज़ाब का आना मेरे बस से बाहर है) और (अगरचे हक़ की तरफ़ दावत देने और डराने का यह तरीक़ा काफ़ी है मगर) ये बहरे जिस वक़्त (हक़ की तरफ़ बुलाये जाने के वास्ते अ़ज़ाब से) डराये जाते हैं सुनते ही नहीं (और हक़ को स्पष्ट तौर पर जानने के लिये सोच-विचार से काम नहीं लेते बल्कि वही मुर्ग़ी की एक टाँग अ़ज़ाब ही माँगे जाते हैं)।

और (इनकी बुलन्द-हिम्मती और हौसले की यह हालत है कि) अगर इनको आपके रब के अ़ज़ाब का एक झोंका भी ज़रा लग जाये तो (सारी बहादुरी ख़त्म हो जाये और) यूँ कहने लगें कि हाय हमारी

कमबख़्ती (कैसी हमारे सामने आई) वाक़ई हम ख़तावार थे। (बस इस हिम्मत पर अ़ज़ाब की फ़रमाईश है। वाक़ई उनकी इस शरारत का तो यही तकाज़ा था कि दुनिया ही में फ़ैसला कर देते मगर हम बहुत सी हिक्मतों से दुनिया में वायदा की गयी सज़ा देना नहीं चाहते बल्कि आख़िरत के लिये उठा रखा है और (वहाँ) क़ियामत के दिन हम इन्साफ़ की तराज़ू खड़ी करेंगे (और सब के आमाल का वज़न करेंगे) सो किसी पर बिल्कुल भी ज़ुल्म न होगा, और (ज़ुल्म न होने का यह नतीजा होगा कि) अगर (किसी का कोई) अ़मल राई के दाने के बराबर भी होगा तो हम उसको (वहाँ) हाज़िर कर देंगे (और उसका भी वज़न करेंगे) और हम हिसाब लेने वाले काफ़ी हैं (हमारे उस वज़न और हिसाब के बाद फिर किसी हिसाब व किताब की ज़रूरत नहीं रहेगी बल्कि उसी पर सब फ़ैसला हो जाएगा। पस वहाँ लोगों की शरारतों की भी मुनासिब व काफ़ी सज़ा जारी कर दी जायेगी)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ.

इनसे पहले की आयतों में काफ़िरों व मुश्रिकों के झूठे दावों और शिर्क भरे अ़क़ीदों की जिनमें हज़रत ईसा या हज़रत उज़ैर वग़ैरह को ख़ुदा का शरीक या फ़रिश्तों और हज़रत ईसा को ख़ुदा तआ़ला की औलाद कहा गया, इन गुमराह करने वाले अ़क़ीदों की तरदीद व ग़लत होना स्पष्ट दलीलों के साथ आया है जिसका मुख़ालिफ़ों के पास कोई जवाब न था। ऐसे मौक़ों में जब मुख़ालिफ़ हुज्जत व दलील से मग़लूब हो जाये तो झुंझलाहट पैदा होती है, इसी का नतीजा था कि मक्का के मुश्रिक लोग इसकी तमन्ना करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की जल्द वफ़ात (इन्तिक़ाल) हो जाये जैसा कि कुछ आयतों में है उनमें से एक आयत सूरः तूर की आयत नम्बर 30 है यानी 'न-तरब्बसु बिही रैबल् मनून'।

इस आयत में हक़ तआ़ला ने उनकी इस बेहूदा तमन्ना के दो जवाब दिये हैं। वो यह कि अगर हमारे रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की जल्द ही वफ़ात हो गयी तो तुम्हें क्या फ़ायदा पहुँचेगा? अगर तुम्हारा मक़सद यह है कि उनकी मौत हो जायेगी तो हम लोगों को बतलायेंगे कि यह नबी व रसूल नहीं थे वरना मौत न आती, तो इसका यह जवाब दिया कि जिन अम्बिया की नुबुव्वत को तुम भी मानते हो क्या उनको मौत नहीं आई? जब उनकी मौत से उनकी नुबुव्वत व रिसालत में कोई फ़र्क़ नहीं आया तो हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की वफ़ात से आपकी नुबुव्वत के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगण्डा कैसे किया जा सकता है। और अगर तुम्हारा मक़सद आपकी जल्द वफ़ात से अपना गुस्सा ठण्डा करना है तो याद रखो कि यह मौत का मर्हला तुम्हें भी पेश आने वाला है आख़िर तुम्हें भी मरना है, फिर किसी की मौत से ख़ुश होने के क्या मायने:

अगर बमुर्द अ़दू जा-ए-शादमानी नेस्त कि ज़िन्दगानी-ए-मा नीज़ जाविदानी नेस्त

तर्जुमाः अगर दुश्मन मर गया तो यह कोई ख़ुश होने की बात नहीं, क्योंकि हमारी ज़िन्दगी ही कौनसी हमेशा रहने वाली है, हमें भी एक दिन मौत आनी है। **मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी**

मौत क्या चीज़ है?

फिर इरशाद फ़रमायाः

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ.

यानी हर नफ़्स मौत का मज़ा चखने वाला है। यहाँ हर नफ़्स से मुराद ज़मीनी जानदार हैं। इन सब को मौत आना लाज़िमी है, फ़रिश्तों के नफ़्स इसमें दाख़िल नहीं। इसमें मतभेद है कि क़ियामत के दिन फ़रिश्तों को भी मौत आयेगी या नहीं? कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि एक लम्हे के लिये तो सब पर मौत तारी हो जायेगी चाहे इनसान और ज़मीनी जानदार हों या फ़रिश्ते और आसमानी जानदार। कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि फ़रिश्तों और जन्नत के हूर व ग़िलमान को मौत से छूट है। वल्लाहु आलम। (रूहुल-मआनी) और मौत की हक़ीक़त उलेमा की बड़ी जमाअ़त के नज़दीक रूह का इस जिस्म से निकल जाना है और रूह ख़ुद एक नूरानी लतीफ़ जिस्म है जिसके अन्दर ज़िन्दगी भी है और वह हरकत भी करता है, जो इनसान के पूरे बदन में ऐसा समाया हुआ रहता है जैसे गुलाब का अ़र्क़ उसके फूल में। इमाम इब्ने क़य्यिम ने रूह की हक़ीक़त बयान करके उसको सौ दलीलों से साबित किया है। (रूहुल-मआनी)

लफ़्ज़ 'ज़ाइक़तुल-मौति' से इशारा इस तरफ़ पाया जाता है कि हर नफ़्स मौत की ख़ास तकलीफ़ महसूस करेगा, क्योंकि मज़ा चखने का मुहावरा ऐसे ही मौक़ों में इस्तेमाल होता है, और यह ज़ाहिर है कि रूह जिस तरह जिस्म का एक अंग बनी हुई है उसके निकलने के वक़्त तकलीफ़ और दर्द का एहसास एक तबई चीज़ है, रहा कुछ अल्लाह वालों का यह मामला कि उनको मौत से लज़्ज़त व राहत हासिल होती है कि दुनिया की तंगियों से निजात हुई और सबसे बड़े महबूब (यानी अल्लाह तआ़ला) से मुलाक़ात का वक़्त आ गया, तो यह एक दूसरी तरह की लज़्ज़त है जो बदन से जुदाई की तबई तकलीफ़ के विरुद्ध नहीं, क्योंकि जब कोई बड़ी राहत और बड़ा फ़ायदा सामने होता है तो उसके लिये छोटी तकलीफ़ बरदाश्त करना आसान हो जाता है। इस मायने के लिहाज़ से कुछ अल्लाह वालों ने दुनिया के ग़म व रंज और मुसीबतों को भी महबूब क़रार दिया है कि "मुहब्बत की वजह से उनकी कड़वाहट मिठास में तब्दील हो जाती है"।

(अल्लाह वालों के सामने चूँकि बड़ी मन्ज़िल होती है इसलिये वे थोड़े-बहुत रंज व मुसीबत को ख़ातिर में नहीं लाते और उनके लिये परेशानी का सबब नहीं रहता। मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी)

दुनिया की हर तकलीफ़ व राहत आज़माईश है

وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً.

यानी हम शर और ख़ैर दोनों के ज़रिये इनसान की आज़माईश करते हैं। शर से मुराद हर ख़िलाफ़े तबीयत चीज़ है जैसे बीमारी, रंज व ग़म, फ़क़्र व फ़ाक़ा, और ख़ैर से इसके विपरीत तबीयत की हर पसन्दीदा चीज़ है जैसे सेहत व आ़फ़ियत, ख़ुशी व राहत, मालदारी व ऐश के सामान वग़ैरह। ये दोनों तरह की चीज़ें इस दुनिया में इनसान की आज़माईश के लिये आती हैं कि शर यानी ख़िलाफ़े

तबीयत बातों पर सब्र करके उसका हक़ अदा करना और ख़ैर यानी अपनी पसन्दीदा चीज़ों पर शुक्र करके उसका हक़ अदा करना है। आज़माईश यह है कि कौन इस पर साबित-क़दम रहता है कौन नहीं रहता। और बुज़ुर्गों ने फ़रमाया कि शुक्र के हुक़ूक़ पर साबित-क़दम रहना सब्र के हुक़ूक़ की तुलना में मुश्किल है। इनसान को तकलीफ़ पर सब्र करना इतना भारी नहीं होता जितना ऐश व आराम और राहत व सुकून में उसके शुक्र का हक़ अदा करने पर साबित-क़दमी मुश्किल होती है, इसी बिना पर हज़रत फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमायाः

بُلینابالضّراء فصبرنا وبلینا بالسّراء فلم نصبر. (روح المعانی)

यानी हम तकलीफ़ों में मुब्तला किये गये उस पर तो हमने सब्र कर लिया लेकिन जब राहत व ऐश में मुब्तला किये गये तो उस पर सब्र न कर सके, यानी उसके हुक़ूक़ अदा करने पर साबित-क़दम न रह सके।

जल्दबाज़ी बुरी चीज़ है

خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ.

जल्दी करने का मतलब है किसी चीज़ को उसके वक़्त से पहले तलब करना, और यह सिफ़त अपने आप में बुरी है। क़ुरआने करीम में एक दूसरी जगह भी इसको इनसानी कमज़ोरी के तौर पर ज़िक्र फ़रमाया है। फ़रमायाः

وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًاo

यानी इनसान बड़ा जल्दबाज़ है। हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम जब तूर पहाड़ पर अपनी क़ौम से आगे बढ़कर हक़ तआ़ला की बारगाह में हाज़िर हुए तो वहाँ भी इस जल्दबाज़ी पर नाराज़गी का इज़हार हुआ। और अम्बिया व नेक लोगों के बारे में जो नेक कामों में आगे बढ़ने और जल्दी करने को तारीफ़ और ख़ूबी के तौर पर ज़िक्र किया गया है वह जल्दबाज़ी के मफ़्हूम में दाख़िल नहीं। क्योंकि वह वक़्त से पहले किसी चीज़ की तलब नहीं बल्कि वक़्त पर अच्छाईयों और नेकियों में अधिकता की कोशिश है। वल्लाहु आलम। और 'ख़ुलिक़ल् इन्सानु मिन् अ़-जलिन्' का मतलब यह है कि इनसान की तबीयत में जिस तरह कुछ दूसरी कमज़ोरियाँ रख दी गयी हैं उनमें से एक कमज़ोरी जल्दबाज़ी की भी है, और जो चीज़ तबीयत और फ़ितरत में दाख़िल होती है अ़रब के लोग उसको इसी उनवान से ताबीर करते हैं कि यह शख़्स उस चीज़ से पैदा किया गया। जैसे किसी के मिज़ाज में गुस्सा ग़ालिब होगा तो कहा जायेगा कि यह गुस्से का बना हुआ आदमी है।

سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِيْ.

इसमें आयात से मुराद वो मोजिज़े और हालतें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सच्चा व हक़ पर होने के सुबूत व गवाह हैं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) जैसे ग़ज़वा-ए-बदर वग़ैरह में ये निशानियाँ खुले तौर पर ज़ाहिर हुईं और अन्जाम कार उन मुसलमानों का ग़लबा सब की आँखों ने देख लिया जिनको सबसे ज़्यादा कमज़ोर व ज़लील समझा जाता था।

क़ियामत में आमाल का वज़न और उसकी तराज़ू

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ.

लफ़्ज़ मवाज़ीन मीज़ान की जमा (बहुवचन) है जो तराज़ू के मायने में आता है। इस जगह मीज़ान के लिये जमा का कलिमा इस्तेमाल किया गया है इससे कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात ने यह क़रार दिया है कि आमाल के तौले जाने के लिये बहुत सी तराज़ुएँ हों मगर उलेमा की अक्सरियत इस पर एक राय है कि तराज़ू एक ही होगी इसको बहुवचन के कलिमे से इसलिये ताबीर कर दिया है कि वह बहुत सी तराज़ुओं का काम देगी, क्योंकि सारी मख़्लूक़ात आदम अ़लैहिस्सलाम से क़ियामत तक जिनकी तायदाद अल्लाह ही जानता है उन सब के आमाल को यही तराज़ू तौलेगी। और क़िस्त के मायने अ़दल व इन्साफ़ के हैं, मायने यह हैं कि यह तराज़ू अ़दल व इन्साफ़ के साथ वज़न करेगी, ज़रा कमी-बेशी न होगी। मुस्तदरक हाकिम में हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से नक़ल किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़ियामत के दिन जो तराज़ू आमाल के वज़न करने के लिये रखी जायेगी इतनी बड़ी और लम्बी-चौड़ी होगी कि उसमें आसमान व ज़मीन को तौलना चाहें तो वह भी उसमें समा जायें। (तफ़सीरे मज़हरी)

हाफ़िज़ अबुल-क़ासिम लालकाई ने अपनी सुनन में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मीज़ान (तराज़ू) पर एक फ़रिश्ता मुक़र्रर होगा और हर इनसान को उस मीज़ान के सामने लाया जायेगा। अगर उसकी नेकियों का पल्ला भारी हो गया तो फ़रिश्ता मुनादी करेगा जिसको तमाम मेहशर वाले सुनेंगे कि फ़ुलाँ शख़्स कामयाब हो गया अब कभी उसको मेहरूमी नहीं होगी। और अगर नेकियों का पल्ला हल्का रहा तो यह फ़रिश्ता मुनादी करेगा कि फ़ुलाँ शख़्स बदबख़्त और मेहरूम हो गया, अब कभी कामयाब बामुराद नहीं होगा। और इन्हीं हाफ़िज़ लालकाई ने हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि यह फ़रिश्ता जो तराज़ू पर मुक़र्रर होगा हज़रत जिब्रीले अमीन हैं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

इमाम हाकिम और इमाम बैहक़ी और आजिरी ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत किया है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से मालूम किया कि क्या क़ियामत के दिन भी आप अपने घर वालों और औलाद को याद रखेंगे तो फ़रमाया कि क़ियामत में तीन जगहें तो ऐसी होंगी कि उनमें कोई किसी को याद न करेगा। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا.

यानी हिसाब के दिन और आमाल के तौले जाने के वक़्त इनसान के सारे छोटे-बड़े अच्छे-बुरे आमाल हाज़िर किये जायेंगे ताकि हिसाब और वज़न में शामिल हों।

आमाल के तौले जाने की सूरत

आमाल का वज़न करने की यह सूरत भी हो सकती है कि फ़रिश्तों के लिखे हुए आमाल नामे तौले जायें जैसा कि बिताक़ा की हदीस से इस तरफ़ इशारा निकलता है, और यह भी हो सकता है कि

आमाल ही को वहाँ मुस्तकिल जिस्मों की शक्ल दे दी जाये और उनका वज़न किया जाये, आम तौर से रिवायतें इसी पर गवाह हैं और उलेमा की अक्सरियत ने इसी सूरत को इख़्तियार किया है। क़ुरआन मजीद में 'व व-जदू मा अमिलू हाज़िरन्' (यानी सूरः कहफ़ की आयत नम्बर 49) वग़ैरह आयतें और हदीस की बहुत सी रिवायतों से इसी की ताईद होती है।

आमाल का हिसाब-किताब

इमाम तिर्मिज़ी ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत किया है कि एक शख़्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने आकर बैठा और बयान किया या रसूलल्लाह! मेरे दो गुलाम हैं जो मुझे झूठा कहते हैं और मामलात में ख़ियानत करते हैं और मेरे हुक्मों की ख़िलाफ़वर्ज़ी करते हैं। उसके मुक़ाबले में मैं उनको ज़बान से भी बुरा-भला कहता हूँ और हाथ से मारता भी हूँ, तो मेरा और उन गुलामों का इन्साफ़ किस तरह होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि उनकी नाफ़रमानी और ख़ियानत और सरकशी को तौला जायेगा, फिर तुम्हारे बुरा-भला कहने, उन पर ज़्यादती करने और मारपीट को तौला जायेगा, अगर तुम्हारी सज़ा और उनका जुर्म बराबर हुए तो मामला बराबर हो जायेगा और अगर तुम्हारी सज़ा उनके जुर्म से कम रही तो वह तुम्हारा एहसान शुमार होगा, और अगर उनके जुर्म से बढ़ गयी तो जितनी तुमने ज़्यादती की है उसका तुमसे बदला और इन्तिक़ाम लिया जायेगा। यह शख़्स यहाँ से उठकर अलग बैठ गया और रोने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क्या तुमने क़ुरआन में यह आयत नहीं पढ़ी 'व न-ज़उल्-मवाज़ी-न....' (ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 47) उसने अर्ज़ किया कि अब तो मेरे लिये इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि मैं उनको आज़ाद करके इस हिसाब के ग़म से बेफ़िक्र हो जाऊँ। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ۚ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٥٠﴾

व ल-क़द् आतैना मूसा व हारूनल्-फ़ुर्क़ा-न व ज़ियाअंव्-व ज़िक्रल् लिल्मुत्तक़ीन (48) अल्लज़ी-न यख़्शौ-न रब्बहुम् बिल्ग़ैबि व हुम् मिनस्सा-अ़ति मुश्फ़िक़ून (49) व हाज़ा ज़िक्रुम् मुबा-रकुन् अन्ज़ल्नाहु, अ-फ़अन्तुम् लहू मुन्किरून (50) ✿ ❖	और हमने दी थी मूसा और हारून को क़ज़िये (फ़ैसले) चुकाने वाली किताब और रोशनी और नसीहत डरने वालों को। (48) जो डरते हैं अपने रब से बिना देखे और वे क़ियामत का ख़तरा रखते हैं। (49) और यह एक नसीहत है बरकत की जो हमने उतारी, सो क्या तुम इसको नहीं मानते। (50) ✿ ❖

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और हमने (आप से पहले) मूसा और हारून (अ़लैहिमस्सलाम) को एक फ़ैसले की और रोशनी की और मुत्तक़ियों के लिये नसीहत की चीज़ (यानी तौरात) अ़ता फ़रमाई थी। जो (मुत्तक़ी) अपने परवर्दिगार से बिना देखे डरते हैं, और (ख़ुदा ही से डरने के सबब) वे लोग क़ियामत से (भी) डरते हैं (क्योंकि क़ियामत में इसका डर है कि अल्लाह तआ़ला की नाराज़ी और सज़ा न होने लगे) और (जैसे उनको वह किताब हमने दी थी इसी तरह) यह (क़ुरआन भी) बहुत ज़्यादा फ़ायदों वाली नसीहत (की किताब) है, सो क्या (इसके बाद कि किताबें नाज़िल करना अल्लाह की आ़दत होना मालूम हो गया और ख़ुद इसका अल्लाह की जानिब से उतारा हुआ होना दलील से साबित है) फिर भी तुम इसके (अल्लाह की तरफ़ से उतारा हुआ होने के) इनकारी हो?

मआ़रिफ़ व मसाईल

اَلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ○

ये तीनों सिफ़तें तौरात की हैं कि **फ़ुरक़ान** यानी हक़ व बातिल में फ़र्क़ करने वाली है, और दिलों के लिये रोशनी व नूर है, और लोगों के लिये ज़िक्र व याददेहानी और हिदायत का ज़रिया है। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि 'फ़ुरक़ान' से मुराद अल्लाह तआ़ला की मदद है जो हर मौक़े पर हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के साथ रही कि फ़िरऔ़न के घर में परवरिश हुई और फिर उससे मुक़ाबले के वक़्त अल्लाह तआ़ला ने फ़िरऔ़न को ज़लील किया, फिर फ़िरऔ़नी लश्कर के पीछा करने के वक़्त दरिया में रास्ते पैदा होकर उससे निजात मिली और फ़िरऔ़नी लश्कर ग़र्क़ किया गया। इसी तरह बाद के हर मौक़े पर अल्लाह की इस मदद को देखा जाता रहा। और नूर व ज़िक्र दोनों तौरात की सिफ़तें हैं, इमाम क़ुर्तुबी ने इसी को तरजीह दी है, क्योंकि अल्फ़ुरक़ान के बाद वाव के ज़रिये फ़ासला करने से इस तरफ़ इशारा मालूम होता है कि फ़ुरक़ान तौरात के अ़लावा कोई चीज़ है। वल्लाहु आलम

وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ﴿٥٢﴾ قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ﴿٥٣﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٤﴾ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ﴿٥٥﴾ قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ ۖ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٥٦﴾ وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٧﴾ فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٨﴾ قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٩﴾ قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٠﴾ قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ﴿٦١﴾ قَالُوْٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٢﴾

قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ ۖ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْـَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ۝ فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ
اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝ ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ ۚ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ ۝ قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ۝ اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ اَفَلَا
تَعْقِلُوْنَ ۝ قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ۝ قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا
وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ۝ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ۝ وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى
الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ۝ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ ۭ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ۭ وَكُلًّا جَعَلْنَا
صٰلِحِيْنَ ۝ وَجَعَلْنٰهُمْ اَىِٕمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَ
اِيْتَاۗءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ۝

व ल-क़द् आतैना इब्राही-म रुश्दहू मिन् क़ब्लु व कुन्ना बिही आ़लिमीन (51) इज़् क़ा-ल लि-अबीहि व क़ौमिही मा हाज़िहित्तमासीलुल्लती अन्तुम् लहा आ़किफ़ून (52) क़ालू वजद्ना आबा-अना लहा आ़बिदीन (53) क़ा-ल ल-क़द् कुन्तुम् अन्तुम् व आबाउकुम् फ़ी ज़लालिम्-मुबीन (54) क़ालू अजिअ्-तना बिल्हक़्क़ि अम् अन्-त मिनल्-लाअ़िबीन (55) क़ा-ल बर्-रब्बुकुम् रब्बुस्समावाति वल्-अर्ज़िल्लज़ी फ़-त-रहुन्-न व अ-न अ़ला ज़ालिकुम् मिनश्शाहिदीन (56) व तल्लाहि ल-अकीदन्-न अस्नामकुम् बअ्-द अन् तुवल्लू

और आगे दी थी हमने इब्राहीम को उसकी नेक राह और हम रखते हैं उसकी ख़बर। (51) जब कहा उसने अपने बाप को और अपनी क़ौम को ये कैसी मूर्ति हैं जिन पर तुम मुजाविर बने बैठे हो। (52) बोले हमने पाया अपने बाप-दादाओं को इन्हीं की पूजा करते। (53) बोला मुक़र्रर रहे तुम और तुम्हारे बाप-दादा खुली गुमराही में। (54) बोले तू हमारे पास लाया है सच्ची बात या तू खिलाड़ियाँ करता है? (55) बोला नहीं! तुम्हारा रब वही है आसमान और ज़मीन का रब जिसने उनको बनाया और मैं इसी बात का क़ायल हूँ। (56) और क़सम अल्लाह की मैं इलाज करूँगा तुम्हारे बुतों का जब तुम जा चुकोगे

मुद्बिरीन (57) फ़-ज-अ़-लहुम् जुज़ाज़न् इल्ला कबीरल्-लहुम् लअ़ल्लहुम् इलैहि यर्जिअ़ून (58) क़ालू मन् फ़-अ़-ल हाज़ा बिआलि-हतिना इन्नहू लमिनज़्-ज़ालिमीन (59) क़ालू समिअ़्ना फ़-तयंय्यज़्कुरुहुम् युक़ालु लहू इब्राहीम (60) क़ालू फ़अ्तू बिही अ़ला अअ़्युनिन्नासि लअ़ल्लहुम् यश्हदून (61) क़ालू अ-अन्-त फ़अ़ल्-त हाज़ा बिआलि-हतिना या इब्राहीम (62) क़ा-ल बल् फ़-अ़-लहू कबीरुहुम् हाज़ा फ़स्अलूहुम् इन् कानू यन्तिक़ून (63) फ़-र-जअ़ू इला अन्फ़ुसिहिम् फ़क़ालू इन्नकुम् अन्तुमुज़्ज़ालिमून (64) सुम्-म नुकिसू अ़ला रुऊसिहिम् ल-क़द् अ़लिम्-त मा हाउला-इ यन्तिक़ून (65) क़ा-ल अ-फ़तअ़्बुदू-न मिन् दूनिल्लाहि मा ला यन्फ़अ़ुकुम् शैअंव्-व ला यज़ुर्रुकुम् (66) उफ़्फ़िल्-लकुम् व लिमा तअ़्बुदू-न मिन् दूनिल्लाहि, अ-फ़ला तअ़्क़िलून (67) क़ालू हर्रिक़ूहु वन्सुरू

पीठ फेरकर। (57) फिर कर डाला उनको टुकड़े-टुकड़े मगर एक बड़ा उनका कि शायद उसकी तरफ़ रुजू करें। (58) कहने लगे- किसने किया यह काम हमारे माबूदों के साथ? वह तो कोई बेइन्साफ़ है। (59) वे बोले हमने सुना है एक जवान बुतों को कुछ कहा करता है उसको कहते हैं इब्राहीम। (60) वे बोले उसको ले आओ लोगों के सामने शायद वे देखें। (61) बोले क्या तूने किया है ये हमारे माबूदों के साथ ऐ इब्राहीम। (62) बोले नहीं! पर यह किया है उनके उस बड़े ने सो उनसे पूछ लो अगर वो बोलते हैं। (63) फिर सोचे अपने जी में फिर बोले- लोगो! तुम ही बेइन्साफ़ हो। (64) फिर औंधे हो गये सर झुकाकर, तू तो जानता है जैसा ये बोलते हैं। (65) बोला क्या फिर तुम पूजते हो अल्लाह से वरे ऐसे को जो तुम्हारा कुछ भला करे न बुरा। (66) बेज़ार हूँ मैं तुमसे और जिनको तुम पूजते हो अल्लाह के सिवा, क्या तुमको समझ नहीं? (67) बोले उसको जलाओ और मदद करो

आलि-ह-तकुम् इन् कुन्तुम् फ़ाअ़िलीन (68) कुल्ना या नारु कूनी बर्दंव्-व सलामन् अ़ला इब्राहीम (69) व अरादू बिही कैदन् फ-जअ़ल्नाहुमुल्-अख़्सरीन (70) व नज्जैनाहु व लूतन् इलल्-अर्ज़िल्लती बारक्ना फ़ीहा लिल्आ़लमीन (71) व व-हब्ना लहू इस्हा-क़ व यअ़्क़ू-ब नाफ़ि-लतन्, व कुल्लन् जअ़ल्ना सालिहीन (72) व जअ़ल्नाहुम् अ-इम्म-तंय्यह्दू-न बिअम्रिना व औहैना इलैहिम् फ़िअ़्लल्-ख़ैराति व इक़ामस्सलाति व ईताअज़्ज़काति व कानू लना आ़बिदीन (73)	अपने माबूदों की अगर कुछ करते हो। (68) हमने कहा ऐ आग! ठंडी हो जा और आराम (देने वाली) इब्राहीम पर। (69) और चाहने लगे उसका बुरा फिर उन्हीं को डाला हमने नुक़सान में। (70) और बचा निकाला हमने उसको और लूत को उस ज़मीन की तरफ़ जिसमें बरकत रखी हमने जहान के वास्ते। (71) और बख़्शा हमने उसको इस्हाक़ और याक़ूब दिया इनाम में, और सब को नेकबख़्त किया। (72) और उनको किया हमने पेशवा राह बतलाते थे हमारे हुक्म से, और कहला भेजा हमने उनको करना नेकियों का और क़ायम रखनी नमाज़ और देनी ज़कात, और वे थे हमारी बन्दगी में लगे हुए। (73)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और हमने उस (मूसा के ज़माने) से पहले इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) को उनकी (शान के मुनासिब) अ़क़्ल व दानिश अ़ता फ़रमाई थी, और हम उन (के इल्मी व अ़मली कमालात) को ख़ूब जानते थे (यानी वह बड़े कामिल थे। उनका वह वक़्त याद करने के क़ाबिल है) जबकि उन्होंने अपने बाप से और अपनी बिरादरी से (उनको बुत-परस्ती में मशग़ूल देखकर) फ़रमाया कि क्या (वाहियात) मूर्तियाँ हैं जिन (की इबादत) पर तुम जमे बैठे हो (यानी ये हरगिज़ क़ाबिले इबादत नहीं)। वे लोग (जवाब में) कहने लगे कि हमने अपने बड़ों को इनकी इबादत करते हुए देखा है (और वे लोग अ़क़्लमन्द थे, इससे मालूम होता है कि मूर्तियाँ इबादत के लायक़ हैं)। इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) ने कहा कि बेशक तुम और तुम्हारे बाप-दादे (इनको इबादत के लायक़ समझने में) खुली ग़लती में (मुब्तला) हो (यानी ख़ुद उन्हीं के पास इनके माबूद होने की कोई दलील और सनद नहीं है वह तो इसलिये गुमराही में हैं और तुम ऐसों की पैरवी करते हो जो बिना दलील और बिना सुबूत के वहमी बातों के पीछे चलने वाले हैं इसलिए तुम गुमराही में हो, चूँकि उन लोगों ने ऐसी बात सुनी न थी निहायत ताज्जुब से) वे लोग कहने लगे कि क्या तुम (अपने नज़दीक) सच्ची बात (समझकर) हमारे सामने पेश कर रहे हो या

(यूँ ही) दिल्लगी कर रहे हो? इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि नहीं! (दिल्लगी नहीं बल्कि सच्ची बात है, और सिर्फ़ मेरे ही नज़दीक नहीं बल्कि वास्तव में भी सच्ची बात यही है कि ये इबादत के क़ाबिल नहीं) बल्कि तुम्हारा (असली व हक़ीक़ी) रब (जो इबादत के लायक़ है) वह है जो तमाम आसमानों और ज़मीन का रब है, जिसने (अलावा तरबियत के) इन सब (आसमानों और ज़मीन और उनमें जो मख़्लूक़ है जिसमें ये बुत भी दाख़िल हैं सब) को पैदा किया, और मैं इस (दावे) पर दलील भी रखता हूँ (तुम्हारी तरह ख़ाली पैरवी से काम नहीं करता) और ख़ुदा की क़सम! मैं तुम्हारे इन बुतों की ऐसी गत बनाऊँगा जब तुम (इनके पास से) पीठ फेरकर चले जाओगे (ताकि उनका आ़जिज़ और बेबस होना ख़ूब ज़ाहिर हो जाये। उन लोगों ने यह समझकर कि यह अकेले हमारे ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई कर सकते हैं कुछ ध्यान न दिया होगा और चले गये) तो (उनके चले जाने के बाद) उन्होंने उन बुतों को (कुल्हाड़ी वग़ैरह से तोड़-फोड़कर) टुकड़े-टुकड़े कर दिया सिवाय उनके एक बड़े बुत के; (जो आकार में या उन लोगों की नज़रों में सम्मानित होने में बड़ा था कि उसको छोड़ दिया जिससे एक क़िस्म का उनका मज़ाक़ उड़ाना मक़सद था कि एक के सालिम और दूसरों के टूट-फूट जाने से यह वहम व गुमान होता है कि कहीं इसी ने तो सब को नहीं तोड़ा। पस शुरूआ़त में तो यह भ्रम व धोखे में डालना है फिर जब वे लोग तोड़-फोड़ करने वाले की तहक़ीक़ करेंगे और इस बड़े बुत पर शुब्हा व गुमान भी न करेंगे तो उनकी तरफ़ से इसकी बेबसी का भी इक़रार हो जायेगा और हुज्जत और ज़्यादा लाज़िम हो जाएगी। पस अंततः यह एक तरह से लाजवाब करना है और इस सबसे उद्देश्य इन बुतों का आ़जिज़ व बेबस होने को साबित करना है। कुछ का इनकार से और एक का उनके इक़रार से। ग़र्ज़ कि एक को इस मस्लेहत से छोड़कर सब को तोड़ दिया) कि शायद वे लोग इब्राहीम की तरफ़ (पूछगछ करने के लिये) रुजू करें (और फिर वह जवाब में अपनी बात कहकर पूरी तरह हक़ को ज़ाहिर व साबित कर सकें। ग़र्ज़ कि वे लोग जो बुत ख़ाने में आये तो बुतों की बुरी गत बनी देखी, आपस में) कहने लगे कि यह (बेअदबी का काम) हमारे बुतों के साथ किसने किया है, इसमें कोई शक नहीं कि उसने बड़ा ही ग़ज़ब किया।

(यह बात ऐसे लोगों ने पूछी जिनको इस क़ौल की इत्तिला न थी कि 'अल्लाह की क़सम मैं इनकी बुरी गत बनाऊँगा......' या तो इस वजह से कि वे उस वक़्त मौजूद न होंगे क्योंकि इस मुनाज़रे के वक़्त तमाम क़ौम का एकत्र होना ज़रूरी नहीं, और या मौजूद हों मगर सुना न हो और बाज़ों ने सुन लिया हो, जैसा कि तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में हज़रत इब्ने मसऊद से यही रिवायत है) बाज़ों ने (जिनको इस क़ौल का इल्म था) कि हमने एक नौजवान आदमी को जिसको इब्राहीम करके पुकारा जाता है इन बुतों का (बुराई के साथ) तज़किरा करते सुना है। (फिर) वे (सब) लोग (या जिन्होंने शुरू में पूछा था) बोले कि (जब यह बात है) तो अच्छा उसको सब आदमियों के सामने हाज़िर करो ताकि (शायद वह इक़रार कर ले और) वे लोग (उसके इक़रार के) गवाह हो जाएँ। (फिर हुज्जत पूरी करने के बाद सज़ा दी जाये, जिस पर कोई मलामत न कर सके। ग़र्ज़ कि वह सब के सामने आये और उनसे) उन लोगों ने कहा, क्या हमारे बुतों के साथ तुमने यह हरकत की है ऐ इब्राहीम! उन्होंने (जवाब में) फ़रमाया कि (तुम यह इस संभावना पर विचार क्यों नहीं करते कि यह हरकत मैंने) नहीं

की, बल्कि उनके इस बड़े (गुरू) ने की, (और जब इस बड़े में काम करने की सलाहियत का गुमान व संभावना हो सकती है तो इन छोटों में बोलने वाला होने का गुमान भी होगा) सो उन (ही) से पूछ लो (ना!) अगर ये बोलते हों। (और अगर बड़े बुत का इस काम के करने वाला होने का और दूसरे बुतों में बोलने की ताक़त होना बातिल है तो इनका आजिज़ व बेबस होना तुम्हारे नज़दीक भी मुसल्लम हो गया, फिर इनको खुदा समझने की क्या वजह) इस पर वे लोग अपने जी में सोचे फिर (आपस में) कहने लगे कि हकीक़त में तुम लोग ही नाहक़ पर हो (और इब्राहीम हक़ पर है। जो ऐसा आजिज़ हो वह क्या माबूद होगा) फिर (शर्मिन्दगी के मारे) अपने सरों को झुका लिया (इब्राहीम अलैहिस्सलाम से निहायत दबे हुए लहजे में बोले कि) ऐ इब्राहीम! तुमको तो मालूम ही है कि ये (बुत कुछ) बोलते नहीं (हम इनसे क्या पूछें, और उससे बड़े वाले के किसी काम को करने की नफ़ी तो और भी स्पष्ट रूप से हो गयी, उस वक़्त) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने (ख़ूब ख़बर ली और) फ़रमाया कि (अफ़सोस जब ये ऐसे हैं) तो क्या तुम खुदा को छोड़कर ऐसी चीज़ों की इबादत करते हो जो तुमको न कुछ नफ़ा पहुँचा सके और न (अपने तौर पर) कुछ नुक़सान पहुँचा सके। तुफ़ "यानी लानत व अफ़सोस" है तुम पर (कि बावजूद हक़ सामने आ जाने के बातिल पर जमे हुए हो) और उन पर (भी) जिनको तुम खुदा के सिवा पूजते हो, क्या तुम (इतना भी) नहीं समझते?

(इस तमाम तक़रीर से ख़ासकर इस बात से कि तोड़ने-फोड़ने से इनकार नहीं फ़रमाया, इसके बावजूद कि बदले की कार्रवाई को देखते हुए हालात इसका तक़ाज़ा कर रहे थे कि इनकार कर दिया जाये, उनको साबित हो गया कि यह काम इन्हीं का है और तक़रीर का कुछ जवाब बन न आया तो इस क़ौल के मुताबिक़ किः

चूँ हुज्जत न मानद् जफ़ा जू-ए-रा ब-पुरख़ाश दरहम कुशद रू-ए-रा

यानी जब जाहिल जवाब न रखता हो और ताक़त रखता हो तो लड़ने पर उतर आता है। आपस में) वे लोग कहने लगे कि इन (इब्राहीम) को आग में जला दो, और अपने माबूदों का (इनसे) बदला लो, अगर तुमको कुछ करना है (तो यह काम करो, वरना बिल्कुल ही बात डूब जाएगी। ग़र्ज़ कि उन्होंने एक राय होकर इसका सामान किया और उनको जलती आग में डाल दिया। उस वक़्त) हमने (आग को) हुक्म दिया कि ऐ आग! तू इब्राहीम के हक़ में ठन्डी और तकलीफ़ न पहुँचाने वाली बन जा (यानी न ऐसी गर्म रह जिससे जलने की नौबत आये और न बहुत ठंडी बर्फ़ हो जा कि उसकी ठंडक से तकलीफ़ पहुँचे, बल्कि एक नॉर्मल हवा की तरह बन जा। चुनाँचे ऐसा ही हो गया) और उन लोगों ने उनके साथ बुराई करना चाहा था (कि हलाक हो जायेंगे) सो हमने उन्हीं लोगों को नाकाम कर दिया (कि उनका मक़सद हासिल न हुआ बल्कि और उल्टा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हक़ पर और सच्चा होना और ज़्यादा साबित हो गया) और हमने उनको (यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को) और (जैसा कि दुर्रे मन्सूर में हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है, उनके भतीजे) लूत अलैहिस्सलाम को (कि उन्होंने क़ौम के विपरीत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तस्दीक़ की थी जैसा कि क़ुरआन में है 'फ़-आम-न लहू लूतुन' और इस वजह से लोग उनके भी मुख़ालिफ़ और पीछे पड़े हुए थे) ऐसे मुल्क (यानी मुल्क शाम) की तरफ़ भेजकर (काफ़िरों के सताने और तकलीफ़ों से) बचा लिया जिसमें हमने

दुनिया जहान वालों के वास्ते (ख़ैर व) बरकत रखी है। (दुनियावी भी कि हर क़िस्म के उम्दा फल-फूल वहाँ ख़ूब अधिक पैदा होते हैं और दूसरे लोग भी उससे लाभान्वित हो सकते हैं, और दीनी भी कि अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम वहाँ कसरत से हुए जिनकी शरीअ़तों की बरकत दूर-दूर आ़लम में फैली यानी उन्होंने अल्लाह के हुक्म से मुल्क शाम की तरफ़ हिजरत फ़रमाई) और (हिजरत के बाद) हमने उनको इस्हाक़ (बेटा) और याक़ूब पोता अ़ता किया, और हमने उन सब (बाप बेटे पोते) को (आला दर्जे का) नेक बनाया। (आला दर्जे की नेकी का मिस्दाक़ उनका गुनाहों से सुरक्षित होना है जो कि नुबुव्वत की विशेषताओं में से है, पस मुराद यह है कि उन सब को नबी बनाया) और हमने उन (सब) को मुक़्तदा "यानी पेशवा और रहनुमा" बनाया (जो कि नुबुव्वत की ख़ुसूसियत में से है) कि हमारे हुक्म से (मख़्लूक़ को) हिदायत किया करते थे (जो कि नुबुव्वत के मक़ाम व ज़िम्मेदारियों में से है) और हमने उनके पास नेक कामों के करने का और (ख़ासकर) नमाज़ की पाबन्दी का और ज़कात अदा करने का हुक्म भेजा, (यानी यह हुक्म भी भेजा कि इन कामों को किया करो) और वे (हज़रात) हमारी इबादत (ख़ूब) किया करते थे। (यानी उनको जो हुक्म हुआ था उसका अच्छी तरह पालन करते थे। पस लफ़्ज़ **सालिहीन** में नुबुव्वत के कमाल की तरफ़ और **औहैना इलैहिम् फ़िअ़्लल्-ख़ैराति** में इल्म के कमाल की तरफ़ और **कानू लना आ़बिदीन** में अ़मल के कमाल की तरफ़ और **अ-इम्मतंय्यहदून** में दूसरों की हिदायत व तरबियत की तरफ़ काफ़ी इशारा है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

وَتَاللّٰهِ لَاَکِيْدَنَّ اَصْنَامَکُمْ

आयत के अलफ़ाज़ से ज़ाहिर यही है कि यह बात इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने अपनी बिरादरी के सामने कही थी, मगर इस पर शुब्हा यह होता है कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने उनसे 'इन्नी सक़ीम' (मैं बीमार हूँ) का उज़्र करके उनके साथ ईद के इज्तिमा में जाने से गुरेज़ किया था, और जब बुतों को तोड़ने का वाक़िआ़ पेश आया तो बिरादरी इस तलाश में पड़ी कि यह किसने किया। अगर इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम का यह कलाम पहले ही बिरादरी को मालूम था तो ये सब बातें कैसे हुईं। इसका जवाब ऊपर ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में यह दिया गया कि इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम इस ख़्याल के अकेले आदमी थे, पूरी बिरादरी के मुक़ाबले में उनकी कोई हैसियत न समझकर मुम्किन है कि उनके कलाम की तरफ़ तवज्जोह न की हो और भूल भी गये हों। (बयानुल-क़ुरआन) और यह भी मुम्किन है कि यह तलाश व तहक़ीक़ करने वाले दूसरे लोग हों जिनको इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की इस गुफ़्तगू का इल्म नहीं था, और मुफ़स्सिरीन में से मुजाहिद और क़तादा का क़ौल यह है कि यह कलाम हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने बिरादरी के सामने नहीं कहा बल्कि अपने दिल में कहा या बिरादरी के जाने के बाद एक दो कमज़ोर आदमी जो रह गये थे उनसे कहा, फिर जब बुतों को तोड़ने का वाक़िआ़ पेश आया और बिरादरी को ऐसा करने वाले की तलाश हुई तो उन लोगों ने मुख़बिरी कर दी। (क़ुर्तुबी)

فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا.

'जुज़ाज़न्' जिज़् की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने टुकड़े के हैं। मुराद यह है कि इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने तोड़कर उन सब बुतों के टुकड़े कर दिये।

اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ

यानी सिर्फ़ बड़े बुत को बग़ैर तोड़े हुए छोड़ दिया। उसका बड़ा होना या तो जिस्म और आकार के एतिबार से हो कि अपने जिस्म के एतिबार से वह दूसरे बुतों से बड़ा हो, और यह भी हो सकता है कि जिस्म और आकार में सब के बराबर होने के बावजूद यह बुत उन बुत-परस्तों के अ़क़ीदे में सबसे बड़ा मना जाता हो।

لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ۝

इसमें 'इलैहि' (उसकी तरफ़) में उस की मुराद में दो एहतिमाल और संभावनायें हैं- एक यह कि उस से मुराद इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम हों जैसा कि ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में ऐसा ही बयान किया गया और उसके मुनासिब आयत की यह वज़ाहत की गयी है कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम का मक़सद इस अ़मल से ख़ुद ही यह था कि ये लोग मेरी तरफ़ रुजू करें, मुझसे पूछें कि तुमने ऐसा क्यों किया तो मैं उनको उनकी बेवक़ूफ़ी पर बाख़बर करूँ। और 'इलैहि यर्जिऊन' का एक मतलब यह भी हो सकता है कि यह अ़मल इस उम्मीद पर किया कि शायद अपने बुतों को टुकड़े-टुकड़े देखकर उनमें अ़क़्ल आ जाये कि ये पूजा के क़ाबिल नहीं, फिर वे हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के दीन की तरफ़ रुजू हो जायें। और इमाम कल्बी ने फ़रमाया कि 'इलैहि' (उसकी तरफ़) में उस से मुराद बड़ा बुत है और मायने यह हैं कि जब ये लोग वापस आकर सारे बुतों के टुकड़े-टुकड़े और बड़े बुत को सही सालिम और उसके मोंढे पर कुल्हाड़ा रखा हुआ देखेंगे तो शायद उस बड़े बुत की तरफ़ रुजू हों और उससे पूछें कि ऐसा क्यों हुआ, वह कोई जवाब न देगा तो उसका भी आ़जिज़ व बेबस होना उन पर स्पष्ट हो जायेगा।

हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम का क़ौल झूठ नहीं बल्कि एक किनाया था, इसकी तफ़सील व तहक़ीक़

قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْئَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ۝

यानी जब इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को उनकी बिरादरी ने गिरफ़्तार करके बुलाया और उनसे इक़रार लेने के लिये सवाल किया कि क्या आपने हमारे बुतों के साथ यह मामला किया है तो इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि बल्कि उनके बड़े ने यह काम किया है, तुम ख़ुद इनसे मालूम कर लो अगर ये बोल सकते हों।

यहाँ एक सवाल यह पैदा होता है कि यह काम तो हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने ख़ुद किया था फिर इससे इनकार और उनके बड़े की तरफ़ मन्सूब करना बज़ाहिर हक़ीक़त के ख़िलाफ़ है जिसको झूठ कहा जाता है। हज़रत ख़लीलुल्लाह की शान इससे ऊँची व बरतर है। इसके जवाब के लिये हज़राते मुफ़स्सिरीन ने बहुत सी संभावनायें और ख़्यालात बयान फ़रमाये हैं, उनमें से एक वह भी है

जिसको बयानुल-क़ुरआन से लिये गये ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में बयान किया गया है कि इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम का यह क़ौल बतौर फ़र्ज़ (मान लेने) के था, यानी तुम यह क्यों नहीं फ़र्ज़ कर लेते कि यह काम बड़े बुत ने किया होगा, और बतौर फ़र्ज़ के कोई ख़िलाफ़े हक़ीक़त बात कहना झूठ में दाख़िल नहीं, जैसे ख़ुद क़ुरआन में है:

اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ٥

यानी अगर अल्लाह रहमान के कोई लड़का होता तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत करने वालों में दाख़िल होता। लेकिन बेग़ुबार और स्पष्ट वह बात है जिसको तफ़सीर बहरे मुहीत, तफ़सीरे क़ुर्तुबी और तफ़सीर रूहुल-मआ़नी वग़ैरह में इख़्तियार किया है, कि यह मजाज़ी निस्बत है, जो काम इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने अपने हाथ से किया था उसको बड़े बुत की तरफ़ बतौर मजाज़ी निस्बत के मन्सूब कर दिया, क्योंकि इस काम पर हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को तैयार करने वाला यही बुत था, और उसको ख़ास करना शायद इस वजह से हो कि उनकी बिरादरी उस बुत का सम्मान सबसे ज़्यादा करती थी। इसकी मिसाल ऐसी होगी जैसे कोई चोर की सज़ा में उसका हाथ काट दे और फिर कहे कि यह मैंने नहीं काटा बल्कि तेरे अ़मल और तेरी ग़लत राह चलने ने हाथ काटा है, क्योंकि हाथ काटने का सबब उसका अ़मल है।

हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने अ़मली तौर पर भी बुतों के तोड़ने को बड़े बुत की तरफ़ मन्सूब किया था जैसा कि रिवायतों में है कि जिस तबर या कुल्हाड़े से उनके बुत तोड़े थे वह कुल्हाड़ा बड़े बुत के मोंढे पर या उसके हाथ में रख दिया था, ताकि देखने वाले को यह ख़्याल पैदा हो कि इसने ही यह काम किया है, और ज़बान से भी उसकी तरफ़ मन्सूब फ़रमाया तो यह एक मजाज़ी निस्बत है जैसे अ़रबी का मशहूर मक़ूलाः

انبت الربيع البقلة.

इसकी जानी-पहचानी मिसाल है (यानी मौसमे रबी की बारिश ने खेती उगाई है) कि अगरचे उगाने वाला दर हक़ीक़त हक़ तआ़ला है मगर उसके एक ज़ाहिरी सबब की तरफ़ मन्सूब कर दिया गया है, और इसको कोई झूठ नहीं कह सकता। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम का बड़े बुत की तरफ़ इस काम को अपने अ़मल और क़ौल से मन्सूब कर देना झूठ हरगिज़ नहीं, अलबत्ता बहुत सी दीनी मस्लेहतों के लिये यह तरीक़ा और अन्दाज़ इख़्तियार फ़रमाया। उनमें से एक मस्लेहत यही थी कि देखने वालों को इस तरफ़ तवज्जोह हो जाये कि शायद इस बड़े बुत को इस पर गुस्सा आ गया हो कि मेरे साथ इबादत में इन छोटे बुतों को क्यों शरीक किया जाता है। अगर यह ख़्याल उनके दिलों में पैदा हो तो अल्लाह की तौहीद (यानी एक माबूद होने का यक़ीन लाने) का रास्ता खुल जाता है कि जब एक बड़ा बुत अपने साथ छोटे बुतों को शिर्कत गवारा नहीं करता तो रब्बुल-आ़लमीन इन पत्थरों की शिर्कत अपने साथ कैसे गवारा करे।

दूसरे यह कि उनको यह ख़्याल उस वक़्त पैदा होना अ़क़्ल के क़रीब है कि जिसको हम ख़ुदा और मुख़्तारे कुल कहते हैं अगर ये ऐसे ही होते तो कोई इनके तोड़ने पर कैसे क़ादिर होता। तीसरे

यह कि अगर इस काम को वे बड़े बुत की तरफ़ मन्सूब कर दें तो जो बुत यह काम कर सकता है कि दूसरे बुतों को तोड़ दे उसमें बोलने की ताक़त भी होनी चाहिये। इसलिये फ़रमायाः

فَسْئَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ○

(यानी तुम ख़ुद इनसे मालूम कर लो अगर ये बोल सकते हैं) ख़ुलासा यह है कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के उक्त क़ौल को बिना किसी दूर का मतलब लिये अपने ज़ाहिर पर रखकर यह कहा जाये कि इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने इस काम को बड़े बुत की तरफ़ मन्सूब फ़रमाया और यह मजाज़ी निस्बत के तौर पर फ़रमाया तो इसमें कोई झूठ और ख़िलाफ़े हक़ीक़त का शुब्हा नहीं रहता, सिर्फ़ एक क़िस्म का तौरिया (यानी बात को ऐसे अन्दाज़ से कहना जिससे सामने वाला कोई और मायने भी समझ सके) है।

हदीस में हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की तरफ़ तीन झूठ मन्सूब करने की हक़ीक़त

एक सवाल अब यह रह जाता है कि सही हदीसों में ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया हैः

انّ ابراهيم عليه السّلام لم يكذب غير ثلاث. (رواه البخارى ومسلم)

यानी हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने कभी झूठ नहीं बोला सिवाय तीन जगहों के, फिर उन तीनों की तफ़सील इसी हदीस में इस तरह बयान फ़रमाई कि उनमें से दो झूठ तो ख़ालिस अल्लाह के लिये बोले गये, एक यही जो इस आयत में 'बल्कि उनके बड़े ने किया है' फ़रमाया है, दूसरा ईद के दिन बिरादरी से यह उज़्र करना कि 'मैं बीमार हूँ' और तीसरा (अपनी बीवी की हिफ़ाज़त के लिये बोला गया) वह यह कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम अपनी बीवी मोहतरमा हज़रत सारा के साथ सफ़र में थे कि एक ऐसी बस्ती पर गुज़र हुआ जहाँ का सरदार ज़ालिम बदकार था। जब किसी शख़्स के साथ उसकी बीवी को देखता तो बीवी को पकड़ लेता और उससे बदकारी करता। मगर यह मामला उस सूरत में न करता था जबकि कोई बेटी अपने बाप के साथ या बहन अपने भाई के साथ हो। हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के उस बस्ती में मय बीवी के पहुँचने की मुख़बिरी उस ज़ालिम बदकार के सामने कर दी गयी तो उसने हज़रत सारा को गिरफ़्तार करके बुलवा लिया। पकड़ने वालों ने इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम से पूछा कि यह औरत रिश्ते में तुम से क्या ताल्लुक़ रखती है? इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने ज़ालिम के ख़ौफ़ से बचने के लिये यह फ़रमा दिया कि यह मेरी बहन है (यही वह चीज़ है जिसको हदीस में तीसरे झूठ से ताबीर किया गया है), मगर इसके बावजूद वे पकड़कर ले गये और इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने हज़रत सारा को भी बतला दिया कि मैंने तुमको अपनी बहन कहा है तुम भी इसके ख़िलाफ़ न कहना। और वजह यह है कि इस्लामी रिश्ते से तुम मेरी बहन हो, क्योंकि इस वक़्त इस ज़मीन में हम दो ही मुसलमान हैं और इस्लामी भाईचारे का ताल्लुक़ रखते हैं।

इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को मुक़ाबले की ताक़त न थी। अल्लाह के सामने आह व फ़रियाद के

लिये नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया। हज़रत सारा उसके पास पहुँची, वह ज़ालिम बुरी नीयत से उनकी तरफ़ बढ़ा तो क़ुदरत ने उसको अपाहिज व माज़ूर कर दिया। इस पर उसने हज़रत सारा से दरख़्वास्त की कि तुम दुआ कर दो कि मेरी यह माज़ूरी दूर हो जाये, मैं तुम्हें कुछ न कहूँगा। उनकी दुआ से अल्लाह तआ़ला ने फिर उसको सही सालिम कर दिया, मगर उसने अ़हद तोड़ा और फिर बुरी नीयत से उन पर हाथ डालना चाहा, फिर अल्लाह ने उसके साथ वही मामला किया, इसी तरह तीन मर्तबा यह वाक़िआ पेश आया तो उसने हज़रत सारा को वापस कर दिया (यह ख़ुलासा हदीस के मज़मून का है)। बहरहाल इस हदीस में हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की तरफ़ तीन झूठ की निस्बत स्पष्ट रूप से की गयी है जो नुबुव्वत और गुनाहों से सुरक्षित होने की शान के ख़िलाफ़ है। मगर इसका जवाब ख़ुद इसी हदीस के अन्दर मौजूद है, वह यह कि दर असल उनमें से एक भी सही मायने झूठ न था, उक्त हदीस में यह है कि इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने हज़रत सारा से कहा था कि मैंने तुम्हें अपनी बहन बतलाया है, तुम से पूछा जाये तो तुम भी मुझे भाई बतलाना, और बहन कहने की वजह भी उनको बतला दी कि हम दोनों इस्लामी बिरादरी के एतिबार से बहन-भाई हैं, इसी का नाम **तौरिया** है कि अलफ़ाज़ ऐसे बोले जायें जिनके दो मतलब हो सकें, सुनने वाला उससे एक मतलब समझे और बोलने वाले की नीयत दूसरे मतलब की हो, और ज़ुल्म से बचने के लिये तौरिये की यह तदबीर तमाम उलेमा के नज़दीक जायज़ है, यह शियों के तक़िय्ये से बिल्कुल अलग चीज़ है। तक़िय्ये में खुला झूठ बोला जाता है और उस पर अ़मल भी किया जाता है, तौरिये में खुला झूठ नहीं होता बल्कि जिस मायने से बोलने वाला बोल रहा है वो बिल्कुल सही और सच होते हैं। जैसे इस्लामी बिरादरी के लिहाज़ से भाई बहन होना। यह वजह तो ख़ुद उक्त हदीस के अलफ़ाज़ में स्पष्ट तौर पर बयान हुई है जिससे मालूम हुआ कि यह दर हक़ीक़त झूठ न था बल्कि एक तौरिया था।

ठीक इसी तरह की तौजीह (वज़ाहत) पहले दोनों कलामों में हो सकती है 'बल् फ़-अ़-लहू कबीरुहुम्' का मतलब व वजह अभी ऊपर लिखी गयी है कि इसमें मजाज़ी निस्बत के तौर पर इस काम को बड़े बुत की तरफ़ मन्सूब किया है। इसी तरह 'इन्नी सक़ीम' का लफ़्ज़ है, क्योंकि सक़ीम का लफ़्ज़ जिस तरह ज़ाहिरी तौर पर बीमार के मायने में आता है इसी तरह रंजीदा व ग़मगीन और कमज़ोर होने के मायने में भी बोला जाता है। इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने इसी दूसरे मायने के लिहाज़ से 'इन्नी सक़ीम' फ़रमाया था। सामने वालों ने इसको बीमारी के मायने में समझा। और इसी हदीस में जो ये अलफ़ाज़ आये हैं कि इन तीन झूठों में से दो अल्लाह की ज़ात के लिये थे, यह ख़ुद इशारा व सुबूत इसका है कि यह कोई गुनाह का काम न था वरना गुनाह का काम अल्लाह के लिये करने का कोई मतलब ही नहीं हो सकता, और गुनाह का काम न होना तभी हो सकता है जबकि वह हक़ीक़त में झूठ न हो बल्कि ऐसा कलाम हो जिसके दो मायने हो सकते हों, एक झूठ और दूसरा सही हो।

इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के झूठ वाली हदीस को ग़लत क़रार देना जहालत है

मिर्ज़ा क़ादियानी और कुछ दूसरे इस्लाम का अध्ययन करने वाले ग़ैर-मुस्लिमों से मरऊब व

प्रभावित मुसलमानों ने इस हदीस को सही सनद वाली होने के बावजूद इसलिये ग़लत और बातिल कह दिया कि इससे हज़रत ख़लीलुल्लाह की तरफ़ झूठ की निस्बत होती है और सनद के सारे रावियों को झूठा कह देना इससे बेहतर है कि ख़लीलुल्लाह को झूठा करार दिया जाये, क्योंकि वह क़ुरआन के ख़िलाफ़ है, और फिर इससे एक कायदा-ए-कुल्लिया यह निकाल लिया कि जो हदीस क़ुरआन के ख़िलाफ़ हो चाहे वह कितनी ही मज़बूत और सही और मोतबर सनदों से साबित हो वह ग़लत करार दी जाये। यह बात अपनी जगह तो बिल्कुल सही और सारी उम्मत के नज़दीक बतौर फ़र्ज़े मुहाल के मुसल्लम है मगर उलेमा-ए-उम्मत ने हदीस के तमाम ज़ख़ीरे में अपनी उम्रें ख़र्च करके एक-एक हदीस को छान लिया है, जिस हदीस का सुबूत मज़बूत और सही सनदों से हो गया उनमें एक भी ऐसी नहीं हो सकती कि जिसको क़ुरआन के ख़िलाफ़ कहा जा सके, बल्कि वह अपनी कम-समझी या उल्टी समझ का नतीजा होता है कि जिस हदीस को रद्द और बातिल करना चाहा उसको क़ुरआन से टकरा दिया और यह कहकर फ़ारिग़ हो गये कि यह हदीस ख़िलाफ़े क़ुरआन होने के सबब ग़ैर-मोतबर है, जैसा कि इसी हदीस में आप देख चुके हैं कि 'कज़िबात' के अलफ़ाज़ से तौरिया मुराद होना ख़ुद हदीस के अन्दर मौजूद है, रहा यह मामला कि फिर हदीस में तौरिया को कज़िबात (झूठ) के लफ़्ज़ से क्यों ताबीर किया गया तो इसकी वजह वही है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भूल और चूक को 'अ़सा' और 'ग़वा' के अलफ़ाज़ से ताबीर करने की अभी सूरः तॉ-हा में मूसा अलैहिस्सलाम के क़िस्से में गुज़र चुकी है, कि हक़ तआला के ख़ास और क़रीबी बन्दों के लिये मामूली कमज़ोरी और महज़ छूट व रियायत और जायज़ पर अ़मल कर लेना और पुख़्तगी व आला दर्जे को छोड़ देना भी काबिले पकड़ समझा जाता है और ऐसी चीज़ों पर क़ुरआन में हक़ तआला की नाराज़गी अम्बिया के बारे में अधिकतर नक़ल की गयी है।

शफ़ाअ़त वाली हदीस जो मशहूर व मारूफ़ है कि मेहशर में सारी मख़्लूक़ जमा होकर हिसाब जल्द होने के मुताल्लिक़ अम्बिया से शफ़ाअ़त के तालिब होंगे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातमुल-अम्बिया से पहले तक तमाम अम्बिया के पास पहुँचेंगे हर पैग़म्बर अपने किसी क़ुसूर और कोताही का ज़िक्र करके शफ़ाअ़त की हिम्मत न करेगा, आख़िर में सब ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होंगे और आप इस शफ़ाअ़ते कुबरा के लिये खड़े होंगे। इस हदीस में हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह उन कलिमात को जो बतौर तौरिये के कहे गये थे हक़ीक़त में झूठ न थे मगर पैग़म्बराना शान व आला दर्जे के ख़िलाफ़ थे अपना क़ुसूर और कोताही क़रार देकर उज़्र कर देंगे। इसी कोताही की तरफ़ इशारा करने के लिये हदीस में उनको कज़िबात (झूठ) के अलफ़ाज़ से ताबीर कर दिया गया, जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को हक़ था, और आपकी हदीस रिवायत करने और बयान करने की हद तक हमें भी हक़ है मगर अपनी तरफ़ से कोई हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के बारे में यूँ कहे कि उन्होंने झूठ बोला यह जायज़ नहीं जैसा कि हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम के क़िस्से के साथ सूरः तॉ-हा की तफ़सीर में तफ़सीरे क़ुर्तुबी और बहरे मुहीत के हवाले से बयान हो चुका है कि क़ुरआन या हदीस में जो इस तरह के अलफ़ाज़ किसी पैग़म्बर के बारे में आये हैं उनका ज़िक्र क़ुरआन की तिलावत के तौर पर या क़ुरआन की तालीम या

हदीस की रिवायत के तौर पर किया जा सकता है, ख़ुद अपनी तरफ़ से उन अलफ़ाज़ का किसी पैग़म्बर की तरफ़ मन्सूब करना बेअदबी है जो किसी के लिये जायज़ नहीं।

ऊपर बयान हुई हदीस में एक अहम हिदायत और इख़्लासे अमल की बारीकी का बयान

हदीस में हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के बारे में जिन तीन झूठों का ज़िक्र आया है हदीस में उनमें से पहले दो के बारे में तो यह आया कि अल्लाह के लिये थे, मगर तीसरी बात जो हज़रत सारा के बारे में कही गयी उसको अल्लाह के लिये नहीं फ़रमाया, हालाँकि बीवी की आबरू की हिफ़ाज़त भी दीन ही है। इस पर तफ़सीरे क़ुर्तुबी में क़ाज़ी अबू बक्र बिन अ़रबी से एक बड़ा नुक्ता नक़ल किया है जिसके मुताल्लिक़ इब्ने अ़रबी ने फ़रमाया कि यह नेक लोगों और औलिया-अल्लाह की कमर तोड़ देने वाली बात है, वह यह कि तीसरी बात भी अगरचे दीन ही का काम था मगर इसमें कुछ अपना ज़ाती फ़ायदा बीवी की अ़स्मत और आबरू की हिफ़ाज़त का भी था, इतनी सी दुनियावी ग़र्ज़ शामिल हो जाने की बिना पर इसको 'फ़िल्लाहि' और 'लिल्लाही' की फ़ेहरिस्त से अलग कर दिया गया, क्योंकि हक़ तआ़ला का इरशाद है:

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ.

यह मामला बीवी की अ़स्मत की हिफ़ाज़त का अगर हमारी या किसी और की तरफ़ से होता तो बिला शुब्हा इसको भी अल्लाह ही के लिये शुमार किया जाता मगर अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम का बुलन्द मक़ाम और ऊँची शान है उनके लिये इतना सा नफ़्सानी फ़ायदा शामिल होना भी कामिल इख़्लास के विरुद्ध समझा गया। वल्लाहु आलम। अल्लाह तआ़ला हमें भी हर अ़मल में इख़्लास नसीब फ़रमाये।

हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम पर नमरूद की आग के गुलज़ार बन जाने के हक़ीक़त

जो लोग मोजिज़ों और ख़िलाफ़े आ़दत चीज़ों के ज़ाहिर होने के इनकारी हैं उन्होंने तो इसमें अ़जीब व ग़रीब मानवी तब्दीलियाँ और उल्टी-सीधी वज़ाहतें की हैं। बात यह है कि फ़ल्सफ़े का यह उसूल कि जो चीज़ किसी चीज़ की ज़ात के लिये लाज़िम हो वह उससे किसी वक़्त जुदा नहीं हो सकती, ख़ुद एक बातिल और बेदलील उसूल है, हक़ीक़त यह है कि इस दुनिया में और तमाम मख़्लूक़ात में कोई चीज़ किसी की ज़ात के साथ लाज़िम नहीं, बल्कि सिर्फ़ अल्लाह का यह क़ानून व दस्तूर जारी है कि आग के लिये हरारत और जलाना लाज़िम है, पानी के लिये ठण्डा करना और बुझाना लाज़िम है। मगर यह लाज़िम सिर्फ़ आ़दी है अ़क़्ली नहीं, क्योंकि फ़ल्सफ़ी हज़रात भी इसके अ़क़्ली होने की कोई माक़ूल दलील नहीं पेश कर सके, और जब यह लाज़िमे आ़दी हुआ तो जब

अल्लाह तआ़ला किसी ख़ास हिक्मत से किसी आ़दत को बदलना चाहते हैं बदल देते हैं, उसके बदलने में कोई अ़क्ली मुहाल (असंभव होना) लाज़िम नहीं आता। जब अल्लाह तआ़ला चाहे तो आग बुझाने और ठण्डा करने का काम करने लगती है और पानी जलाने का, हालाँकि आग अपनी हक़ीक़त में आग ही होती है और पानी भी पानी ही होता है, मगर किसी ख़ास फ़र्द या जमाअ़त के हक़ में अल्लाह के हुक्म से वह अपनी ख़ासियत छोड़ देती है। अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की नुबुव्वत के सुबूत में जो मोजिज़े हक़ तआ़ला ज़ाहिर फ़रमाते हैं उन सब का हासिल यही होता है इसलिये अल्लाह तआ़ला ने उस आग को हुक्म दे दिया कि ठण्डी हो जा, वह ठण्डी हो गयी। और अगर ठण्डा होने के साथ सलामती का लफ़्ज़ न होता तो आग बर्फ़ की तरह ठण्डी होकर तकलीफ़ का सबब बन जाती। और क़ौमे नूह जो पानी में डूबी थी उनके बारे में क़ुरआन ने फ़रमायाः

اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا.

यानी ये लोग पानी में ग़र्क़ होकर आग में दाख़िल हो गये।

حَرِّقُوْهُ.

यानी पूरी बिरादरी और नमरूद ने यह फ़ैसला कर लिया कि इनको आग में जला दिया जाये। तारीख़ी रिवायतों में है कि एक महीने तक सारे शहर के लोग इस काम के लिये लकड़ी वग़ैरह सोख़्ते का सामान जमा करते रहे, फिर उसमें आग लगाकर सात दिन तक उसको धोंकते और भड़काते रहे यहाँ तक कि उसके शोले आसमानी फ़ज़ा में इतने ऊँचे हो गये कि अगर कोई परिन्दा उस पर गुज़रे तो जल जाये। उस वक़्त इरादा किया कि इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को उसमें डाला जाये, तो फ़िक्र हुई कि डालें कैसे, उसके पास तक जाना किसी के बस में नहीं था। शैतान ने उनको मिन्जनीक़ (गोपिया) में रखकर फेंकने की तरकीब बतलाई। जिस वक़्त अल्लाह के ख़लील मिन्जनीक़ के ज़रिये उस आग के समुद्र में फेंके जा रहे थे तो सब फ़रिश्ते बल्कि ज़मीन व आसमान और उनकी मख़्लूक़ात सब चीख़ उठे कि या रब! आपके ख़लील पर क्या गुज़र रही है। हक़ तआ़ला ने उन सब को इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की मदद करने की इजाज़त दे दी। फ़रिश्तों ने मदद करने के लिये हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम से मालूम किया तो इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह तआ़ला काफ़ी है, वह मेरा हाल देख रहा है। जिब्रीले अमीन ने अ़र्ज़ किया कि आपको मेरी किसी मदद की ज़रूरत है तो मैं ख़िदमत अन्जाम दूँ? जवाब दिया कि ज़रूरत तो है मगर आपकी तरफ़ नहीं बल्कि अपने रब की तरफ़। (तफ़सीरे मज़हरी)

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِیْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰۤی اِبْرٰهِيْمَ ○

ऊपर गुज़र चुका है कि आग के हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम पर ठण्डी व सलामती वाली होने की यह सूरत भी मुम्किन है कि आग आग ही न रही हो बल्कि हवा में तब्दील हो गयी हो, मगर ज़ाहिर यह है कि आग अपनी हक़ीक़त में आग ही रही और हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के आस पास के अ़लावा दूसरी चीज़ों को जलाती रही बल्कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को जिन रस्सियों में बाँधकर आग में डाला गया था उन रस्सियों को भी आग ही ने जलाकर ख़त्म किया, मगर हज़रत

इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के बदन मुबारक तक कोई आँच नहीं आई। (जैसा कि कुछ रिवायतों में है)

तारीख़ी रिवायतों में है कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम उस आग में सात दिन रहे और वह फ़रमाया करते थे कि मुझे अपनी उम्र में कभी ऐसी राहत नहीं मिली जितनी उन सात दिनों में हासिल थी। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ○

यानी हज़रत इब्राहीम और उनके साथ लूत अ़लैहिस्सलाम को हमने उस ज़मीन से जिस पर नमरूद का ग़लबा था (यानी इराक़ की ज़मीन) निजात देकर एक ऐसी ज़मीन में पहुँचा दिया जिसमें हमने तमाम जहान वालों के लिये बरकत रखी है। इससे मुराद मुल्क शाम की ज़मीन है कि वह अपनी ज़ाहिरी और बातिनी हैसियत से बड़ी बरकतों का मजमूआ है, बातिनी बरकत तो यह है कि यह ज़मीन अम्बिया की पैदाईश का मकाम है, ज़्यादातर नबी इसी ज़मीन में पैदा हुए और ज़ाहिरी बरकतें आब व हवा का नॉर्मल होना, नहरों और चश्मों की अधिकता, फल-फूल और हर तरह के पेड़-पौधों व सब्ज़ों का ग़ैर-मालूमी उगना और फलना-फूलना वग़ैरह है, जिसके फ़ायदे सिर्फ़ उस ज़मीन के रहने वालों को नहीं बल्कि आ़म दुनिया के लोगों तक पहुँचते हैं।

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً.

यानी हमने अ़ता कर दिया उसको बेटा इस्हाक़ (उनकी दुआ़ व दरख़्वास्त के मुताबिक़) और उस पर ज़्यादा दे दिया पोता याक़ूब अ़लैहिस्सलाम, यानी दुआ़ तो सिर्फ़ बेटे के लिये थी अल्लाह ने अपने फ़ज़्ल से बेटा भी दिया फिर उससे पोता भी अपनी तरफ़ से ज़ायद अ़ता फ़रमा दिया, इसी लिये इसको 'नाफ़िला' कहा गया है।

وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ۝ وَاَدْخَلْنٰهُ فِىْ رَحْمَتِنَا ۭ اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

व लूतन् आतैनाहु हुक्मंव्-व अ़िल्मंव्-व नज्जैनाहु मिनल्-क़र्यतिल्लती कानत्-तअ़्मलुल्-ख़बाइ-स, इन्नहुम् कानू क़ौ-म सौइन् फ़ासिक़ीन (74) व अद्ख़ल्नाहु फ़ी रह्मतिना, इन्नहू मिनस्-सालिहीन (75) ❁	और लूत को दिया हमने हुक्म और समझ और बचा निकाला उसको उस बस्ती से जो करते थे गन्दे काम, वे थे लोग बड़े नाफ़रमान। (74) और उसको ले लिया हमने अपनी रहमत में, वह है नेकबख़्तों में। (75) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और लूत (अ़लैहिस्सलाम) को हमने हिक्मत और इल्म (जो नबियों की शान के मुनासिब होता है)

अ़ता फ़रमाया, और हमने उनको उस बस्ती से निजात दी जिसके रहने वाले गन्दे गन्दे काम किया करते थे (जिनमें सबसे बदतर 'लवातत' "यानी मर्दों से अपनी जिन्सी इच्छा पूरी करना" थी, और भी बहुत से बुरे कामों के ये लोग आदी थे जैसे शराब पीना, गाना-बजाना, दाढ़ी कटाना, मूँछे बढ़ाना, कबूतर बाज़ी, ढेले फेंकना, सीटी बजाना, रेशमी लिबास पहनना। जैसा कि रूहुल-मआ़नी में ज़िक्र है और इस्हाक़ बिन बिश्र, ख़तीब और इब्ने अ़साकिर ने हसन से मरफ़ूअ़न् नक़ल किया है) बेशक वे लोग बड़े बदज़ात बदकार थे। और हमने उसको (यानी लूत को) अपनी रहमत में (यानी जिन बन्दों पर रहमत होती है उनमें) दाख़िल किया, (क्योंकि) बेशक वह बड़े (दर्जे के) नेकों में थे (बड़े दर्जे के नेक से मुराद गुनाहों व ख़ताओं से सुरक्षित होना है जो नबी की विशेषता है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

हज़रत लूत अ़लैहिस्सलाम को जिस बस्ती से निजात देने का ज़िक्र इन आयतों में आया है उस बस्ती का नाम 'सदूम' था। उसके अन्तर्गत सात बस्तियाँ और थीं जिनको जिब्रील अ़लैहिस्सलाम ने उलट कर तबाह कर डाला था, सिर्फ़ एक बस्ती बाक़ी छोड़ दी थी जिसमें लूत अ़लैहिस्सलाम मय अपने मुताल्लिक़ीन मोमिनों के रह सकें। (जैसा कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास का क़ौल है। क़ुर्तुबी)

تَعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ

ख़बाइस 'ख़बीसतु' की जमा (बहुवचन) है। बहुत सी ख़बीस और गन्दी आ़दतों को ख़बाइस कहा जाता है। यहाँ उनकी सबसे बड़ी ख़बीस और गन्दी आ़दत जिससे जंगली जानवर भी परहेज़ करते हैं लवातत थी, यानी मर्द का मर्द के साथ अपनी जिन्सी इच्छा पूरी करना। यहाँ इसी एक आ़दत को उसके बड़े जुर्म होने के सबब ख़बाइस कह दिया गया हो तो यह भी बईद नहीं जैसा कि कुछ मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया है, और उसके अ़लावा दूसरी ख़बीस आ़दतें उनमें होना भी रिवायतों में बयान हुआ है जैसा कि ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में तफ़सीर रूहुल-मआ़नी के हवाले से गुज़र चुका है, इस लिहाज़ से मजमूए को ख़बाइस कहना तो ज़ाहिर ही है। वल्लाहु आलम

وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۝ وَنَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

व नूहन् इज़् नादा मिन् क़ब्लु फ़स्त-जब्ना लहू फ़नज्जैनाहु व अह्लहू मिनल् कर्बिल्-अ़ज़ीम (76) व नसर्नाहु मिनल्-क़ौमिल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिआयातिना, इन्नहुम् कानू	और नूह को जब उसने पुकारा उससे पहले फिर क़ुबूल कर ली हमने उसकी दुआ सो बचा दिया उसको और उसके घर वालों को बड़ी घबराहट से। (76) और मदद की उसकी उन लोगों पर जो झुठलाते

क़ौ-म सौइन् फ़-अग़रक़्नाहुम् अज्मअ़ीन (77)	थे हमारी आयतें, वे थे बुरे लोग फिर डुबा दिया हमने उन सब को। (77)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और नूह (अ़लैहिस्सलाम के किस्से का) तज़किरा कीजिये जबकि उस (इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के ज़माने) से पहले उन्होंने (अल्लाह तआ़ला से) दुआ़ की (कि इन काफ़िरों से मेरा बदला ले लीजिये) सो हमने उनकी दुआ़ क़ुबूल की और उनको और उनके पैरोकारों को बड़े भारी ग़म से निजात दी। (यह ग़म काफ़िरों के झुठलाने और इसके साथ तरह-तरह की तकलीफ़ें पहुँचाने से पेश आया था) और (निजात इस तरह दी कि) हमने ऐसे लोगों से उनका बदला लिया जिन्होंने हमारे हुक्मों को (जो कि नूह अ़लैहिस्सलाम लाये थे) झूठा बताया था, बेशक वे लोग बहुत बुरे थे, इसलिये उन सब को हमने ग़र्क़ कर दिया।

मआ़रिफ़ व मसाईल

وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ

'मिन क़ब्लु' (उससे पहले) से मुराद इब्राहीम व लूत अ़लैहिमस्सलाम से पहले होना है जिनका ज़िक्र ऊपर की आयतों में आया है। और नूह अ़लैहिस्सलाम की जिस पुकार का ज़िक्र इस जगह मुख़्तसर तौर पर आया है इसका बयान 'सूरः नूह' में यह है कि नूह अ़लैहिस्सलाम ने क़ौम के लिये बद्दुआ़ की:

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا٥

यानी ऐ परवर्दिगार रू-ए-ज़मीन पर काफ़िरों में किसी बसने वाले को न छोड़। और एक जगह यह है कि जब नूह अ़लैहिस्सलाम की क़ौम ने किसी तरह उनका कहना न माना तो उन्होंने अल्लाह तआ़ला की बारगाह में अ़र्ज़ किया 'इन्नी मग़लूबुन् फ़न्तसिर्'। यानी मग़लूब और आ़जिज़ हो चुका हूँ आप ही इन लोगों से बदला ले लीजिये।

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ٥

'करब-ए-अ़ज़ीम' से मुराद या तो तूफ़ान में ग़र्क़ होना है जिसमें पूरी क़ौम मुब्तला हुई, या उस क़ौम की तकलीफ़ें देना मुराद हैं जो वे तूफ़ान से पहले हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान को पहुँचाते थे।

وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ۝ فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۚ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ۡ وَّسَخَّرْنَا

مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ ۝ وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَأْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ۝ وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖۤ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ ۝ وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ۝

व दावू-द व सुलैमा-न इज़् यस्कुमानि फ़िल्हर्सि इज़् न-फ़शत् फ़ीहि ग़-नमुल्-क़ौमि व कुन्ना लिहुक्मिहिम् शाहिदीन (78) फ़-फ़हहम्नाहा सुलैमा-न व कुल्लन् आतैना हुक्मंव्-व अ़िल्मंव्-व सख़्ख़र्ना म-अ़ दावूदल्-जिबा-ल युसब्बिह्-न वत्तै-र, व कुन्ना फ़ाअ़िलीन (79) व अ़ल्लम्नाहु सन्अ़-त लबूसिल्-लकुम् लितुह्सि-नकुम् मिम्-बअ्सिकुम् फ़-हल् अन्तुम् शाकिरून (80) व लिसुलैमानर्री-ह आ़सि-फ़तन् तज्री बिअम्रिही इलल्-अर्ज़िल्लती बारक्ना फ़ीहा, व कुन्ना बिकुल्लि शैइन् आ़लिमीन (81) व मिनश्शयातीनि मंय्यग़ूसू-न लहू व यअ्मलू-न अ़-मलन् दू-न ज़ालि-क व कुन्ना लहुम् हाफ़िज़ीन (82)

और दाऊद और सुलैमान को जब लगे फ़ैसला करने खेती के झगड़े का जब रौंद गईं उसको रात में एक क़ौम की बकरियाँ और सामने था हमारे उनका फ़ैसला। (78) फिर समझा दिया हमने वह फ़ैसला सुलैमान को और दोनों को दिया था हमने हुक्म और समझ और ताबे किये हमने दाऊद के साथ पहाड़, तस्बीह पढ़ा करते और उड़ते जानवर, और यह सब कुछ हमने किया। (79) और उसको सिखलाया हमने बनाना एक तुम्हारा लिबास कि बचाव हो तुमको तुम्हारी लड़ाई में, सो कुछ तुम शुक्र करते हो। (80) और सुलैमान के ताबे की हवा ज़ोर से चलने वाली कि चलती उसके हुक्म से उस ज़मीन की तरफ़ जहाँ बरकत दी है हमने, और हम को सब चीज़ की ख़बर है। (81) और ताबे किये कितने शैतान जो ग़ोता लगाते उसके वास्ते और बहुत से काम बनाते उसके अ़लावा, और हमने उनको थाम रखा था। (82)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और दाऊद और सुलैमान (के क़िस्से का तज़किरा कीजिये) जबकि दोनों (हज़रात) किसी खेत के

बारे में (जिसमें ग़ल्ला था या अंगूर के दरख़्त थे जैसा कि तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में है) फ़ैसला करने लगे जबकि उस (खेत में) कुछ लोगों की बकरियाँ रात के वक़्त जा घुसीं (और उसको चर गईं) और हम उस फ़ैसले को जो (मुक़द्दमे वाले) लोगों के मुताल्लिक़ हुआ था, देख रहे थे। सो हमने उस फ़ैसले (की आसान सूरत) की समझ सुलैमान को दे दी और (यूँ) हमने दोनों (ही) को हिक्मत और इल्म अ़ता फ़रमाया था (यानी दाऊद अ़लैहिस्सलाम का फ़ैसला भी ख़िलाफ़े शरीअ़त न था। मुक़द्दमे की सूरत यह थी कि जिस क़द्र खेत का नुक़सान हुआ था उसकी लागत बकरियों की क़ीमत के बराबर थी। दाऊद अ़लैहिस्सलाम ने बदले में खेत वाले को वो बकरियाँ दिलवा दीं और शरीअ़त के असल क़ानून का तक़ाज़ा यही था जिसमें मुद्दई "वादी" या मुद्दआ़ अ़लैहि "प्रति वादी" की रज़ा की शर्त नहीं, मगर चूँकि इसमें बकरी वालों का बिल्कुल ही नुक़सान होता था इसलिए सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने समझौते के तौर पर जो कि मौक़ूफ़ थी दोनों पक्षों की रज़ामन्दी पर, यह सूरत जिसमें दोनों की सहूलत और रियायत थी तजवीज़ फ़रमाई कि चन्द दिन के लिये बकरियाँ तो खेत वाले को दी जायें कि उनके दूध वग़ैरह से अपना गुज़ारा करे और बकरी वालों को वह खेत सुपुर्द किया जाये कि उसकी ख़िदमत यानी सिंचाई वग़ैरह करें, जब खेत पहली हालत पर आ जाये तो खेत और बकरियाँ अपने अपने मालिकों को दे दी जायें। जैसा कि तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में हज़रत मुर्रा, इब्ने मसऊद, मसरूक़, इब्ने अ़ब्बास, मुजाहिद, क़तादा और ज़ोहरी से मन्क़ूल है। पस इससे मालूम हो गया कि दोनों फ़ैसलों में कोई टकराव नहीं कि एक को सही और दूसरे को ग़लत कहा जा सके, इसलिए 'कुल्लन् आतैना हुक्मंव-व इल्मन्' कि दोनों ही को हमने हिक्मत और इल्म अ़ता किया था)।

और (यहाँ तक तो आ़म करामत "बड़ाई और विशेषता" का ज़िक्र था जो दोनों हज़रात में साझा थी, आगे दोनों हज़रात की ख़ास-ख़ास करामतों का बयान है) हमने दाऊद (अ़लैहिस्सलाम) के साथ ताबे कर दिया था पहाड़ों को, कि (उनकी तस्बीह के साथ) वे (भी) तस्बीह किया करते थे, और (इसी तरह) परिन्दों को भी (जैसा कि सूरः सबा की आयत नम्बर 10 में है) और (कोई इस बात पर ताज्जुब न करे क्योंकि इन कामों के) करने वाले हम थे (और हमारी क़ुदरत का अ़ज़ीम होना ज़ाहिर है, फिर इन मोजिज़ों में ताज्जुब ही क्या है) और हमने उनको ज़िरह (बनाने) की कारीगरी तुम लोगों के (नफ़े के) वास्ते सिखलाई, (यानी) ताकि वह (ज़िरह) तुमको (लड़ाई में) एक-दूसरे की मार से बचाये, (और इस बड़े फ़ायदे का तक़ाज़ा यह है कि तुम शुक्र करो) सो तुम (इस नेमत का) शुक्र करोगे भी या नहीं?

- और हमने सुलैमान (अ़लैहिस्सलाम) का तेज़ हवा को ताबे बना दिया था कि वह उनके हुक्म से उस सरज़मीन की तरफ़ को चलती जिसमें हमने बरकत रखी है (इससे मुराद मुल्क शाम है जो उनका ठिकाना था जैसा कि तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में इमाम सुद्दी की रिवायत से मन्क़ूल है। और इसी की तरफ़ उनका बैतुल-मुक़द्दस की इमारत बनाना है। यानी जब मुल्क शाम से कहीं चले जाते और फिर आते तो यह आना और इसी तरह जाना भी हवा के ज़रिये से होता था जैसा कि दुर्रे मन्सूर में हज़रत इब्ने अ़ब्बास की रिवायत है जिसको इमाम हाकिम ने सही क़रार दिया है, उसकी कैफ़ियत यह बयान की गयी है कि सुलैमान अ़लैहिस्सलाम मय अपने मुल्क के वज़ीरों और ज़िम्मेदारों के कुर्सियों पर बैठ

जाते फिर हवा को बुलाकर हुक्म देते वह सब को उठाकर थोड़ी देर में एक-एक महीने की दूरी तय करती) और हम हर चीज़ को जानते हैं। (हमारे इल्म में सुलैमान को ये चीज़ें देने में हिक्मत थी इसलिये अ़ता फ़रमाई)। और बाज़े-बाज़े शैतान (यानी जिन्न) ऐसे थे कि उनके (यानी सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के) लिये (दरियाओं में) डुबकी लगाते थे (ताकि मोती निकालकर उनके पास लायें) और वे और दूसरे काम भी इसके अ़लावा (सुलैमान के लिये) किया करते थे, और (अगरचे वे जिन्न बड़े सरकश और शरीर थे मगर) उनके संभालने वाले हम थे (इसलिए वे चूँ नहीं कर सकते थे)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ.

लफ़्ज़ 'न-फ़-श' के मायने अ़रबी लुग़त के एतिबार से यह हैं कि रात के वक़्त कोई जानवर किसी के खेत पर जा पड़े और नुक़सान पहुँचाये।

فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ.

'फ़-फ़ह्हम्नाहा' (फिर समझा दिया वह हमने सुलैमान को) में बज़ाहिर वह से मुराद फ़ैसला है और मायने यह हैं कि जो फ़ैसला अल्लाह के नज़दीक पसन्दीदा था अल्लाह तआ़ला ने वह हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम को समझा दिया। इस मुक़द्दमे और फ़ैसले की सूरत ऊपर ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में आ चुकी है, जिससे मालूम होता है कि हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम का फ़ैसला भी शरई क़ानून के लिहाज़ से ग़लत नहीं था मगर जो फ़ैसला अल्लाह तआ़ला ने सुलैमान अ़लैहिस्सलाम को सुझाया उसमें दोनों फ़रीक़ों की रियायत और मस्लेहत (बेहतरी) थी, इसलिये अल्लाह तआ़ला के नज़दीक वह पसन्दीदा क़रार दिया गया।

इमाम बग़वी रह. ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु और क़तादा और ज़ोहरी से इस वाक़िए की रिवायत इस तरह की है कि दो शख़्स हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम की ख़िदमत में हाज़िर हुए, उनमें एक शख़्स बकरियों वाला और दूसरा खेती वाला था। खेती वाले ने बकरियों वाले पर यह दावा किया कि उसकी बकरियाँ रात को छूटकर मेरे खेत में घुस गयीं और खेत को बिल्कुल साफ़ कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा (ग़ालिबन दूसरे पक्ष ने इसका इक़रार कर लिया होगा और बकरियों की पूरी क़ीमत उसके बरबाद हुए खेत की क़ीमत के बराबर होगी, इसलिये) हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम ने यह फ़ैसला सुना दिया कि बकरियों वाला अपनी सारी बकरियाँ खेत वाले को दे दे (क्योंकि जो चीज़ें क़ीमत ही के ज़रिये ली और दी जाती हैं जिनको फ़ुक़हा की परिभाषा में 'ज़वातुल-क़ियम' कहा जाता है, वह अगर किसी ने ज़ाया कर दी तो उसका ज़िमान क़ीमत ही के हिसाब से दिया जाता है। बकरियों की क़ीमत चूँकि बरबाद हुई खेती की क़ीमत के बराबर थी इसलिये यह उसूली और क़ानूनी फ़ैसला फ़रमाया गया)।

ये दोनों यानी दावा करने वाला और जिस पर दावा किया गया था हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम की अ़दालत से वापस हुए तो (दरवाज़े पर उनके बेटे) हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम से मुलाक़ात हुई

उन्होंने मालूम किया कि तुम्हारे मुक़द्दमे का क्या फ़ैसला हुआ? उन लोगों ने बयान कर दिया तो हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि अगर इस मुक़द्दमे का फ़ैसला मैं करता तो इसके अ़लावा कुछ और होता जो दोनों पक्षों के लिये मुफ़ीद और लाभदायक होता। फिर ख़ुद वालिद माजिद हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम की ख़िदमत में हाज़िर होकर यही बात अ़र्ज़ की। हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम ने ज़ोर देकर मालूम किया कि वह क्या फ़ैसला है जो दोनों के लिये इस फ़ैसले से बेहतर है, तो हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि आप सारी बकरियाँ तो खेत वाले को दे दें कि वह उनके दूध और ऊन वग़ैरह से फ़ायदा उठाता रहे और खेत की ज़मीन बकरियों वाले के सुपुर्द कर दें कि वह उसमें काश्त करके खेत उगाये। जब यह खेत उस हालत पर आ जाये जिस पर बकरियों ने खाया था तो खेत खेत वाले को दिलवा दें और बकरियाँ बकरियों वाले को। हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम ने इस फ़ैसले को पसन्द फ़रमाकर कहा कि बस अब फ़ैसला यही रहना चाहिये और दोनों फ़रीक़ों को बुलाकर दूसरा फ़ैसला नाफ़िज़ कर दिया। (तफ़सीरे मज़हरी व क़ुर्तुबी वग़ैरह)

क्या फ़ैसला देने के बाद किसी क़ाज़ी का फ़ैसला तोड़ा और बदला जा सकता है?

यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम जब एक फ़ैसला दे चुके थे तो सुलैमान अ़लैहिस्सलाम को उसके तोड़ने का क्या हक़ था? और अगर ख़ुद हज़रत दाऊद ही ने उनका फ़ैसला सुनकर अपने पहले फ़ैसले को तोड़ा और दूसरा जारी किया तो क्या क़ाज़ी को इसका इख़्तियार है कि एक फ़ैसला दे देने के बाद उसको तोड़ दे और फ़ैसला बदल दे?

इमाम क़ुर्तुबी रह. ने इस जगह इस तरह के मसाईल पर बड़ी तफ़सील से बहस फ़रमाई है ख़ुलासा उसका यह है कि अगर किसी क़ाज़ी ने शरीअ़त के स्पष्ट अहकाम और उम्मत की अक्सरियत के ख़िलाफ़ कोई ग़लत फ़ैसला महज़ अटकल से दे दिया है तो वह फ़ैसला तमाम उम्मत के नज़दीक मर्दूद व बातिल है, दूसरे क़ाज़ी को उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला देना न सिर्फ़ जायज़ बल्कि वाजिब और उस क़ाज़ी को उसके ओहदे से हटाना वाजिब है, लेकिन अगर एक क़ाज़ी का फ़ैसला शरई इज्तिहाद (ग़ौर व ख़ौज़) पर आधारित और इज्तिहादी उसूल के मातहत था तो किसी दूसरे क़ाज़ी को उस फ़ैसले का तोड़ना जायज़ नहीं, क्योंकि अगर ऐसा किया जायेगा तो ज़बरदस्त ख़राबी फैल जायेगी, इस्लामी क़ानून एक खेल बन जायेगा और रोज़ हलाल व हराम बदला करेंगे। अलबत्ता अगर ख़ुद उसी फ़ैसला देने वाले क़ाज़ी को उसके बाद कि इज्तिहादी उसूल के तहत वह एक फ़ैसला नाफ़िज़ कर चुका है अब इज्तिहाद के तौर पर यह नज़र आये कि पहले फ़ैसले और पहले इज्तिहाद (सोच-विचार और तहक़ीक़) में ग़लती हो गयी है तो उसका बदलना जायज़ बल्कि बेहतर है।

हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने जो एक तफ़सीली ख़त हज़रत अबू मूसा अश्अ़री के नाम मुक़द्दमों के फ़ैसले करने और मामले चुकाने के उसूल पर आधारित लिखा था उसमें इसकी वज़ाहत है कि फ़ैसला देने के बाद इज्तिहाद बदल जाये तो पहले फ़ैसले को बदल देना चाहिये। यह

ख़त दारे क़ुतनी ने सनद के साथ नक़ल किया है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी संक्षिप्त रूप से) और शम्सुल-अइम्मा सरख़सी रह. ने अपनी किताब 'मब्सूत' बाबुल-क़ज़ा में भी यह ख़त तफ़सील से दिया है।

और इमामे तफ़सीर मुजाहिद रह. का क़ौल यह है कि हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम और सुलैमान अ़लैहिस्सलाम दोनों के फ़ैसले अपनी-अपनी जगह हैं और हक़ीक़त इसकी यह है कि दाऊद अ़लैहिस्सलाम ने जो फ़ैसला फ़रमाया था वह उसूल और नियम का फ़ैसला था और हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने जो फ़रमाया वह दर हक़ीक़त मुक़द्दमे का फ़ैसला नहीं बल्कि दोनों पक्षों में सुलह कराने का एक तरीक़ा था और क़ुरआन में 'वस्सुल्हु ख़ैरुन्' का इरशाद आया है, इसलिये यह दूसरी सूरत अल्लाह के नज़दीक पसन्दीदा ठहरी। (तफ़सीरे मज़हरी)

हज़रत फ़ारूक़े आज़म ने अपने क़ाज़ियों को यह हिदायत दे रखी थी कि जब आपके पास दो फ़रीक़ों का मुक़द्दमा आये तो पहले उन दोनों में रज़ामन्दी के साथ किसी बात पर सुलह कराने की कोशिश करें, अगर यह नामुम्किन हो जाये तो अपना शरई फ़ैसला जारी करें, और हिक्मत इसकी यह इरशाद फ़रमाई कि हाकिमाना अ़दालती फ़ैसले से वह शख़्स जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ हो दब तो जाता है मगर उन दोनों में नफ़रत व दुश्मनी का बीज क़ायम हो जाता है जो दो मुसलमानों में नहीं होना चाहिये, बख़िलाफ़ रज़ामन्दी और समझौते की सूरत के कि उससे दिलों की आपसी नफ़रत भी दूर हो जाती है। (मुईनुल-हुक्काम)

इमाम मुजाहिद रह. के इस क़ौल पर यह मामला क़ाज़ी के फ़ैसले को तोड़ने और बदलने का नहीं रहा बल्कि दोनों पक्षों को जो हुक्म सुनाया था वह अभी गये भी न थे कि उनमें समझौते की एक सूरत निकल आई और वे दोनों उस पर राज़ी हो गये।

दो मुज्तहिद अगर अपने-अपने इज्तिहाद से दो अलग-अलग फ़ैसले करें तो क्या उनमें से हर एक सही है या किसी एक को ग़लत कहा जाये?

इस मौक़े पर इमाम क़ुर्तुबी ने बड़े विस्तार से और दूसरे मुफ़स्सिरीन ने तफ़सील से या मुख़्तसर तौर पर यह बहस भी की है कि हर मुज्तहिद (क़ुरआन व हदीस में ग़ौर व फ़िक्र और सही बात की तलाश करने वाला) हमेशा सही होता है और दो एक दूसरे के विपरीत इज्तिहाद हों तो दोनों को हक़ समझा जायेगा या उनमें से एक फ़ैसले को ख़ता और ग़लत क़रार दिया जायेगा? इसमें पुराने ज़माने से उलेमा के क़ौल भिन्न और अलग-अलग हैं। उक्त आयत से दोनों जमाअ़तों ने दलील पकड़ी है। जो हज़रात यह कहते हैं कि दोनों इज्तिहाद हक़ हैं अगरचे एक दूसरे के उलट हों वह आयत के आख़िरी हिस्से से तर्क देते हैं जिसमें फ़रमाया 'व कुल्लन् आतैना हुक्मंव्-व इल्मन्' इसमें हज़रत दाऊद और हज़रत सुलैमान अ़लैहिमस्सलाम दोनों को हिक्मत और इल्म अ़ता करने का इरशाद है। हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम पर कोई नाराज़गी का इज़हार नहीं है, न उनको यह कहा गया कि उनसे ग़लती हो गयी। इससे मालूम हुआ कि दाऊद अ़लैहिस्सलाम का फ़ैसला भी हक़ था और सुलैमान अ़लैहिस्सलाम का फ़ैसला भी। अलबत्ता हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के फ़ैसले को दोनों पक्षों के लिये ज़्यादा बेहतर होने की बिना पर तरजीह दे दी गयी।

और जो हज़रात यह फ़रमाते हैं कि इज्तिहाद के अलग-अलग होने और मतभेद के मौक़ों में हक़ एक तरफ़ होता है दूसरा ग़लत होता है, वे भी इसी आयत के पहले जुमले से दलील पकड़ते हैं यानी 'फ़-फ़ह्हमनाहा सुलैमा-न' से, कि इसमें विशेष तौर पर हज़रत सुलैमान के बारे में फ़रमाया है कि हमने उनको हक़ फ़ैसला सुझा दिया। इससे साबित होता है कि दाऊद अ़लैहिस्सलाम का फ़ैसला हक़ न था, अगरचे वह अपने इज्तिहाद की वजह से उसमें माज़ूर हों और उनसे उस पर कोई पकड़ व पूछगछ न हो। यह बहस उसूले फ़िक़्ह की किताबों में बड़ी तफ़सील से आई है वहाँ देखी जा सकती है, यहाँ सिर्फ़ इतना समझ लेना काफ़ी है कि हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि जिस शख़्स ने इज्तिहाद किया (यानी दीनी मसला मालूम करने में क़ुरआन व हदीस और सहाबा के अक़वाल वग़ैरह में ख़ूब कोशिश करके कोई नतीजा निकाला) और कोई हुक्म दीनी उसूले इज्तिहाद के मातहत बयान किया, अगर उसका इज्तिहाद सही हुआ तो उसको दो अज्र मिलेंगे, एक इज्तिहाद करने की मेहनत का, दूसरा सही व दुरुस्त हुक्म तक पहुँचने का। और अगर यह इज्तिहाद सही न हुआ, उससे ख़ता हो गयी तो फिर उसको एक अज्र इज्तिहाद की मेहनत का मिलेगा, दूसरा अज्र जो असल सही हुक्म तक पहुँचने का था वह न मिलेगा (यह हदीस, हदीस की अक्सर मोतबर किताबों में मन्क़ूल है)।

इस हदीस से उलेमा के इख़्तिलाफ़ (मतभेद) की हक़ीक़त भी स्पष्ट हो जाती है कि दर हक़ीक़त यह इख़्तिलाफ़ एक लफ़्ज़ी झगड़े की तरह है, क्योंकि हक़ दोनों तरफ़ होने का हासिल यह है कि इज्तिहाद में ख़ता करने वाले और उसके पैरोकारों के लिये भी इज्तिहाद हक़ व सही है, उस पर अ़मल करने से उनकी निजात हो जायेगी, चाहे यह इज्तिहाद अपनी ज़ात में ख़ता ही हो, मगर उस पर अ़मल करने वालों को कोई गुनाह नहीं। और जिन हज़रात ने यह फ़रमाया है कि हक़ उन दोनों में एक ही है, दूसरा ग़लत और ख़ता है। इसका हासिल भी इससे ज़्यादा नहीं कि हक़ तआ़ला की असल मुराद और उसकी मतलूबा शक्ल तक न पहुँचने की वजह से उस मुज्तहिद के सवाब में कमी आ जायेगी और यह कमी इस वजह से है कि उसका इज्तिहाद हक़ बात तक न पहुँचा, लेकिन यह मतलब उनका भी नहीं है कि ग़लती करने वाले मुज्तहिद पर कोई मलामत होगी या उसके पैरोकारों को गुनाहगार कहा जायेगा। तफ़सीरे क़ुर्तुबी में इस मक़ाम पर इन तमाम बहसों को पूरी तफ़सील से लिखा है, अहले इल्म वहाँ देख सकते हैं।

उक्त मसले का फ़ैसला शरीअ़ते मुहम्मदी में

अगर किसी के जानवर दूसरे आदमी की जान या माल को नुक़सान पहुँचायें तो फ़ैसला क्या होना चाहिये इसमें फ़िक़्ही तफ़सील इस प्रकार है–

हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम के फ़ैसले से तो यह साबित होता है कि जानवर के मालिक पर ज़िमान (तावान) आयेगा अगर यह वाक़िआ़ रात में हुआ हो, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि दाऊद अ़लैहिस्सलाम की शरीअ़त का जो फ़ैसला हो वही शरीअ़ते मुहम्मदिया में रहे, इसी लिये इस मसले में मुज्तहिद इमामों का मतभेद है। इमाम शाफ़ई रह. का मस्लक यह है कि अगर रात के वक़्त किसी के

जानवर किसी दूसरे के खेत में दाख़िल होकर नुक़सान पहुँचायें तो जानवर के मालिक पर ज़िमान आयेगा, और अगर दिन में ऐसा हो तो ज़िमान नहीं आयेगा। उनकी दलील हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम के फ़ैसले से भी हो सकती है मगर शरीअ़ते मुहम्मदिया के उसूल के तहत उन्होंने एक हदीस से दलील ली है जो मुवत्ता इमाम मालिक में मुर्सल तौर पर मन्क़ूल है कि हज़रत बरा बिन आ़ज़िब रज़ियल्लाहु अ़न्हु की ऊँटनी एक शख़्स के बाग़ में दाख़िल हो गयी और उसको नुक़सान पहुँचा दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह फ़ैसला फ़रमाया कि बाग़ों और खेतों की हिफ़ाज़त रात में उनके मालिकों के ज़िम्मे है और उनकी हिफ़ाज़त के बावजूद अगर रात को किसी के जानवर नुक़सान पहुँचा दें तो जानवर के मालिक पर ज़िमान (नुक़सान की भरपाई और तावान) है, और इमामे आज़म अबू हनीफ़ा और कूफ़ा के फ़ुक़हा का मस्लक यह है कि जिस वक़्त जानवरों के साथ उनका चराने वाले या हिफ़ाज़त करने वाला कोई आदमी मौजूद हो, उसने ग़फ़लत की और जानवरों ने किसी के बाग़ या खेत को नुक़सान पहुँचा दिया, उस सूरत में तो जानवर के मालिक पर ज़िमान आता है, चाहे यह मामला रात में हो या दिन में, और अगर मालिक या मुहाफ़िज़ जानवरों के साथ न हो जानवर ख़ुद ही निकल गये और किसी के खेत को नुक़सान पहुँचा दिया तो जानवर के मालिक पर ज़िमान नहीं, मामला दिन और रात का इसमें भी बराबर है। इमामे आज़म रह. की दलील वह हदीस है जो बुख़ारी व मुस्लिम और तमाम मुहद्दिसीन ने रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

جرح العجماء جبار.

यानी जानवर जो किसी को नुक़सान पहुँचाये वह क़ाबिले पकड़ नहीं। यानी जानवर के मालिक पर उसका ज़िमान नहीं है (बशर्ते कि जानवर का मालिक या मुहाफ़िज़ उसके साथ न हो, जैसा कि दूसरी दलीलों से साबित है)। इस हदीस में दिन रात का भेदभाव किये बग़ैर आ़म शरई क़ानून यह क़रार दिया गया है कि अगर जानवर के मालिक ने ख़ुद अपने क़स्द व इरादे से किसी के खेत में नहीं छोड़ा, जानवर भागकर चला गया तो उसके नुक़सान का ज़िमान जानवर के मालिक पर नहीं होगा। और हज़रात बरा बिन आ़ज़िब के वाक़िए की रिवायत की सनद में हनफ़ी फ़ुक़हा ने कलाम किया और फ़रमाया है कि उसको बुख़ारी व मुस्लिम में बयान हुई उक्त हदीस के मुक़ाबले में हुज्जत नहीं क़रार दिया जा सकता। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

पहाड़ों और परिन्दों की तस्बीह

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ٥

हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम को हक़ तआ़ला ने ज़ाहिरी कमालात में से एक कमाल उम्दा आवाज़ का भी अ़ता फ़रमाया था। जब वह ज़बूर पढ़ते थे तो परिन्दे हवा में ठहरने लगते थे और उनके साथ तस्बीह करने लगते थे। इसी तरह पहाड़ और हर पेड़-पौधे और पत्थर से तस्बीह की आवाज़ निकलने लगती थी। उनकी आवाज़ की उम्दगी का कमाल तो ज़ाहिरी कमालात में से था और परिन्दों और पहाड़ों का तस्बीह में शरीक हो जाना अल्लाह तआ़ला के उन चीज़ों को उनके ताबे करने और मोजिज़े

के तौर पर था, और मोजिज़े के लिये यह भी ज़रूरी नहीं कि परिन्दों और पहाड़ों में ज़िन्दगी व शऊर हो बल्कि बतौर मोजिज़े के हर ग़ैर-जानदार व ग़ैर-शऊर वाली चीज़ में भी शऊर पैदा हो सकता है। इसके अ़लावा तहक़ीक़ यही है कि पहाड़ों और पत्थरों में भी ज़िन्दगी व शऊर उनकी हैसियत के एतिबार से मौजूद है, सहाबा किराम में हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु बहुत अच्छी आवाज़ वाले थे, एक रोज़ क़ुरआन पढ़ रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का गुज़र उनकी तरफ़ हुआ तो आप उनकी तिलावत सुनने के लिये ठहर गये और सुनते रहे, फिर फ़रमाया कि इनको अल्लाह तआ़ला ने आवाज़ की उम्दगी और सुन्दरता हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम की अ़ता फ़रमाई है। जब हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु को मालूम हुआ कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उनकी तिलावत सुन रहे थे तो अ़र्ज़ किया कि अगर मुझे आपका सुनना मालूम हो जाता तो मैं और ज़्यादा संवार कर पढ़ने की कोशिश करता। (इब्ने कसीर)

फ़ायदाः इससे मालूम हुआ कि क़ुरआन की तिलावत में आवाज़ का हुस्न और अच्छा लहजा जिससे दिलकशी पैदा हो एक दर्जे में मतलूब व पसन्दीदा है, बशर्ते कि आजकल के क़ारियों की तरह उसमें ग़ुलू (हद से बढ़ना) न हो, कि सिर्फ़ आवाज़ ही संवारने और लोगों को लुभाने की फ़िक्र रह जाये, तिलावत का असल मक़सद ही ग़ायब हो जाये। वल्लाहु आलम

ज़िरह बनाने की कारीगरी हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम को अल्लाह की जानिब से अ़ता की गयी

وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ

लफ़्ज़ 'लबूस' लुग़त के एतिबार से असलेहा (हथियार) में से हर चीज़ को कहा जाता है जो इनसान ओढ़कर या गले में डालकर इस्तेमाल करे। इस जगह मुराद लोहे की ज़िरह है जो जंग में हिफ़ाज़त के लिये पहनी जाती है। एक दूसरी आयत में है:

وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ.

यानी हमने उनके लिये लोहे को नर्म कर दिया था। चाहे इस तरह कि लोहा उनके हाथ में आकर ख़ुद-ब-ख़ुद नर्म हो जाता हो कि उसको जिस तरह मोड़ें मुड़ जाये और बारीक या मोटा करना चाहें तो हो जाये जैसे मोम होता है, या इस तरह कि उसको आग में पिघलाकर नर्म करने की तदबीर बतला दी जो सब लोहे के कारख़ानों में आज इस्तेमाल की जाती है।

ऐसी कारीगरी जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे मतलूब और अम्बिया का अ़मल है

इस आयत में ज़िरह बनाने की कारीगरी (उद्योग) हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम को सिखाने के

ज़िक्र के साथ इसकी हिक्मत भी यह बतलाई हैः

لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ م بَأْسِكُمْ.

यानी ताकि यह ज़िरह तुम्हें जंग के वक़्त तेज़ तलवार के ख़तरे से महफ़ूज़ रख सके। यह एक ऐसी ज़रूरत है कि जिससे दीनदार व दुनियादार सब को काम पड़ता है इसलिये इस कारीगरी के सिखाने को अल्लाह तआ़ला ने अपना एक इनाम क़रार दिया है। इससे मालूम हुआ कि जिस कारीगरी और उद्योग के ज़रिये लोगों की ज़रूरतें पूरी हों उसका सीखना सिखाना सवाब में दाख़िल है बशर्ते कि नीयत मख़्लूक़ की ख़िदमत की हो, सिर्फ़ कमाई ही मक़सद न हो। हज़राते अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम से विभिन्न प्रकार की कारीगरी और उद्योगों का काम करना नक़ल किया गया है, हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम से खेती बोने काटने का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जो कारीगर अपनी कारीगरी में नीयत नेक यानी मख़्लूक़ की ख़िदमत की रखे उसकी मिसाल मूसा अ़लैहिस्सलाम की माँ जैसी हो जाती है कि उन्होंने अपने ही बच्चे को दूध पिलाया और मुआवज़ा फ़िरऔन की तरफ़ से मुफ़्त में मिला। इसी तरह मख़्लूक़ की ख़िदमत की नीयत से कोई काम करने और उद्योग लगाने वाले को अपना मक़सद मख़्लूक़ की ख़िदमत का सवाब तो हासिल होगा ही कारीगरी का दुनियावी नफ़ा उस पर अलग से मिलेगा। यह हदीस हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के क़िस्से में सूरः तॉ-हा में गुज़र चुकी है।

हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के लिये हवा को ताबे करना और उससे संबन्धित मसाईल

हज़रत हसन बसरी रह. से मन्क़ूल है कि जब हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम का यह वाक़िआ पेश आया कि लश्करी घोड़ों के मुआयने में मशग़ूल होकर अ़सर की नमाज़ जाती रही तो अपनी इस ग़फ़लत पर अफ़सोस हुआ और वो घोड़े जो उस ग़फ़लत का सबब बने थे उनको बेकार करके छोड़ दिया। चूँकि उनका यह अ़मल अल्लाह की रज़ा तलब करने के लिये हुआ था इसलिये अल्लाह तआ़ला ने उनको घोड़ों से बेहतर और तेज़-रफ़्तार हवा की सवारी अ़ता फ़रमा दी। इस वाक़िए की तफ़सील और इससे संबन्धित आयतों की तफ़सीर सूरः सॉद में आयेगी इन्शा-अल्लाह तआ़ला।

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً.

यह जुमला पहले जुमले 'सख़्ख़र्ना म-अ़ दावूदल् जिबा-ल' से जुड़ा हुआ है, यानी जैसे अल्लाह तआ़ला ने हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम के लिये पहाड़ों और परिन्दों को ताबे कर दिया था जिस पर सवार होकर वह जहाँ चाहते बहुत जल्द आसानी से पहुँच जाते थे, इस जगह यह बात ध्यान देने के क़ाबिल है कि दाऊद अ़लैहिस्सलाम के ताबे करने में तो लफ़्ज़ 'म-अ़' (साथ) इस्तेमाल फ़रमाया कि उनके साथ पहाड़ों परिन्दों को हुक्म के ताबे कर दिया था और यहाँ हरफ़ 'लाम' के साथ फ़रमाया कि हवा को सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के लिये ताबे कर दिया था। इसमें बारीक इशारा इस बात की तरफ़ है

कि दोनों को कब्ज़े में और ताबे करने में फ़र्क़ था, दाऊद अ़लैहिस्सलाम जब तिलावत करते तो पहाड़ और परिन्दे ख़ुद-ब-ख़ुद तस्बीह करने लगते थे, उनके हुक्म के मुन्तज़िर न रहते थे, और हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के लिये हवा को उनके हुक्म के ताबे बना दिया गया कि जब चाहें जिस वक़्त चाहें जिस तरफ़ जाना चाहें हवा को हुक्म दे दिया, उसने पहुँचा दिया। फिर जहाँ उतरना चाहें वहाँ उतार दिया, फिर जब वापस चलने का हुक्म हुआ वापस पहुँचा दिया। (रूहुल-मआ़नी, बैज़ावी से)

तफ़सीर इब्ने कसीर में सुलैमान अ़लैहिस्सलाम का तख़्त जो हवा पर चलता था उसकी कैफ़ियत यह बयान की है कि सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने लकड़ी का एक बहुत बड़ा विशाल तख़्त बनवाया था जिस पर ख़ुद मय अपनी हुकूमत के अहल कारों और मय लश्कर और लड़ाई के सामान के सब सवार हो जाते, फिर हवा को हुक्म देते वह उस अ़ज़ीमुश्शान लम्बे-चौड़े तख़्त को अपने काँधों पर उठाकर जहाँ का हुक्म होता वहाँ जाकर उतार देती थी। यह हवाई तख़्त सुबह से दोपहर तक एक महीने की दूरी तय करता था और दोपहर से शाम तक एक महीने की, यानी एक दिन में दो महीनों का रास्ता हवा के ज़रिये तय हो जाता था। इब्ने अबी हातिम ने हज़रत सईद बिन जुबैर से नक़ल किया है कि इस तख़्ते सुलैमानी पर छह लाख कुर्सियाँ रखी जाती थीं जिसमें सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के साथ ईमान वाले इनसान सवार होते थे और उनके पीछे ईमान वाले जिन्न बैठते थे, फिर परिन्दों को हुक्म होता कि वो उस पूरे तख़्त पर साया कर लें ताकि सूरज की तपिश से तकलीफ़ न हो, फिर हवा को हुक्म दिया जाता था वह इस अ़ज़ीमुश्शान मजमे को उठाकर जहाँ का हुक्म होता पहुँचा देती थी। और कुछ रिवायतों में है कि इस हवाई सफ़र के वक़्त पूरे रास्ते में हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम सर झुकाये हुए अल्लाह के ज़िक्र व शुक्र में मशग़ूल रहते थे, दायें बायें कुछ न देखते थे, और अपने अ़मल से तवाज़ो (आ़जिज़ी और विनम्रता) का इज़्हार फ़रमाते थे। (इब्ने कसीर)

'आ़सि-फ़तन्'। रीह-ए-आ़सिफ़ा के लफ़्ज़ी मायने सख़्त और तेज़ हवा के हैं। क़ुरआने करीम की दूसरी आयत में इस हवा की सिफ़त 'रुख़ाअन्' बयान की गई है जिसके मायने नर्म हवा के हैं, जिससे न ग़ुबार उड़े न फ़ज़ा (स्पेस) में हलचल पैदा हो। बज़ाहिर ये दो विपरीत सिफ़तें हैं लेकिन दोनों सिफ़तों का जमा होना इस तरह मुम्किन है कि यह हवा अपनी ज़ात में बड़ी सख़्त और तेज़ हो जिसकी वजह से चन्द घन्टों में एक महीने की दूरी तय कर सके, लेकिन अल्लाह की क़ुदरत ने उसको ऐसा बना दिया हो कि उससे फ़ज़ा में हलचल न पैदा हो, चुनाँचे उसका यह हाल बयान किया गया है कि जिस फ़ज़ा में यह तख़्त रवाना होता था वहाँ किसी परिन्दे को भी कोई नुक़सान न पहुँचता था।

सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के लिये जिन्नात व शैतानों का ताबे होना

وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ○

यानी हमने सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के लिये ताबे और कब्ज़े में कर दिया जिन्नात में के ऐसे शैतानों को जो दरियाओं में ग़ोता लगाकर सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के लिये जवाहिरात निकाल कर लाते

थे और इसके अलावा दूसरे काम भी करते थे जिनमें से कुछ का ज़िक्र दूसरी आयतों में आया है:

يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ.

यानी बनाते हैं हज़रत सुलैमान के लिये मेहराबें और शानदार मकानात और मूर्तें और पत्थर के बड़े-बड़े प्याले जो हौज़ की तरह काम दें, उनसे सुलैमान अ़लैहिस्सलाम बड़ी मशक़्क़त के काम भी लेते थे और अ़जीब व ग़रीब कारीगरी के भी, और हम ही उनके मुहाफ़िज़ थे।

'शयातीन'। वह आग के बने हुए लतीफ़ जिस्म हैं जो अ़क्ल व शऊर रखते हैं और इनसान की तरह शरीअ़त के अहकाम के मुकल्लफ़ (पाबन्द) हैं। इस जाति के लिये असल लफ़्ज़ जिन्न या जिन्नात इस्तेमाल होता है, उनमें जो ईमान क़ुबूल न करें काफ़िर रहें उनको शयातीन कहा जाता है। ज़ाहिर यह है कि हज़रत सुलैमान के लिये ताबे सभी जिन्नात थे चाहे मोमिन हों या काफ़िर, मगर मोमिन तो ताबे हुए बग़ैर भी सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के अहकाम की तामील एक मज़हबी फ़रीज़े की हैसियत से करते थे, उनके लिये ताबे और क़ब्ज़े में करने के ज़िक्र की ज़रूरत नहीं।

इसलिये ताबे और क़ब्ज़े में सिर्फ़ शयातीन यानी काफ़िर जिन्नात का ज़िक्र फ़रमाया कि वे बावजूद अपने कुफ़्र व सरकशी के ज़बरदस्ती हज़रत सुलैमान के फ़रमान के ताबे रहते थे और शायद इसी लिये आयत के आख़िर में यह जुमला बढ़ाया गया कि हम ही उनके मुहाफ़िज़ थे वरना काफ़िर जिन्नात से तो हर वक़्त यह ख़तरा था कि वे कोई नुक़सान न पहुँचा दें, मगर अल्लाह की हिफ़ाज़त का पहरा उन पर लगा हुआ था इसलिये कोई तकलीफ़ न पहुँचा सकते थे।

एक लतीफ़ा

हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम के लिये तो हक़ तआ़ला ने सबसे ज़्यादा सख़्त और भारी जिस्मों को ताबे फ़रमाया जिनमें पहाड़ और लोहा जैसी सख़्त चीज़ें शामिल हैं, इसके मुक़ाबले में सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के लिये ऐसे लतीफ़ जिस्मों को ताबे फ़रमाया जो देखने में भी न आ सकें जैसे हवा और जिन्नात, इसमें हक़ तआ़ला की कामिल क़ुदरत का हर किस्म की मख़्लूक़ात पर हावी होना वाज़ेह किया गया है। (तफ़सीरे कबीर, इमाम राज़ी रह.)

وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّیْ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَ ۚۖ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ۝

व अय्यू-ब इज़् नादा रब्बहू अन्नी मस्सनियज़्ज़ुर्रु व अन्-त अर्हमुर्-राहिमीन (83) फ़स्त-जब्ना लहू फ़-कशफ़्ना मा बिही मिन् ज़ुर्रिंव्-व	और अय्यूब को जिस वक़्त पुकारा उसने अपने रब को कि मुझ पर पड़ी है तकलीफ़ और तू है सब रहम वालों से (ज़्यादा) रहम वाला। (83) फिर हमने सुन ली उसकी फ़रियाद सो दूर कर दी जो

आतैनाहु अह्लहू व मिस्लहुम् म-अहुम् रह़्म-तम् मिन् अिन्दिना व ज़िक्रा लिल्आबिदीन (84)	उस पर थी तकलीफ़, और अ़ता किये उसको उसके घर वाले और इतने ही और उनके साथ रहमत अपनी तरफ़ से, और नसीहत बन्दगी करने वालों को। (84)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और अय्यूब (अ़लैहिस्सलाम) के क़िस्से का तज़किरा कीजिये जबकि उन्होंने (सख़्त बीमारी में मुब्तला होने के बाद) अपने रब को पुकारा कि मुझको यह तकलीफ़ पहुँच रही है, और आप सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान हैं (तो अपनी मेहरबानी से मेरी यह तकलीफ़ दूर कर दीजिये) हमने उनकी दुआ़ क़ुबूल की और उनको जो तकलीफ़ थी उसको दूर कर दिया, और (बिना दरख़्वास्त के) हमने उनको उनका कुनबा (यानी औलाद जो उनसे ग़ायब हो गये थे, जैसा कि दुर्रे मन्सूर में हज़रत हसन का कौल है) या मर गये थे (जैसा कि दूसरे हज़रात की राय है) अ़ता फ़रमाया (इस तरह से कि वे उनके पास आ गये या इस मायने में कि इतने ही और पैदा हो गये जैसा कि 'फ़त्हुल-मन्नान में हज़रत इक्रिमा का क़ौल नक़ल किया है) और उनके साथ (गिनती में) उनके बराबर और भी (दिये यानी जितनी औलाद पहले थी उसके बराबर और भी दे दिये चाहे ख़ुद अपनी पीठ से या औलाद की औलाद होने की हैसियत से। जैसा कि 'फ़त्हुल-मन्नान' में किताबे अय्यूब से नक़ल किया है) अपनी ख़ास रहमत से, और इबादत करने वालों के लिये यादगार रहने के सबब से।

मआ़रिफ़ व मसाईल

हज़रत अय्यूब अ़लैहिस्सलाम का क़िस्सा

हज़रत अय्यूब अ़लैहिस्सलाम के क़िस्से में इस्राईली रिवायतें बड़ी लम्बी-लम्बी हैं, उनमें से जिनको हज़राते मुहद्दिसीन ने तारीख़ी दर्जे में क़ाबिले भरोसा समझा है वो नक़ल की जाती हैं। क़ुरआने करीम से तो सिर्फ़ इतनी बात साबित है कि उनको कोई सख़्त रोग पेश आया जिस पर वह सब्र करते रहे आख़िरकार अल्लाह तआ़ला से दुआ़ की तो उससे निजात मिली और यह कि उस बीमारी के ज़माने में उनकी औलाद और यार-दोस्त सब ग़ायब हो गये, चाहे मौत की वजह से या किसी दूसरी वजह से, फिर हक़ तआ़ला ने उनको सेहत व आ़फ़ियत दी और जितनी औलाद थी वह सब उनको दे दी बल्कि उतनी ही और भी ज़्यादा दे दी। क़िस्से के बाक़ी हिस्से कुछ तो मोतबर हदीसों में मौजूद हैं और ज़्यादातर तारीख़ी रिवायतें हैं। हाफ़िज़ इब्ने कसीर ने इस क़िस्से की तफ़सील यह लिखी है कि:

अय्यूब अ़लैहिस्सलाम को हक़ तआ़ला ने शुरू में माल व दौलत, जायदाद, शानदार मकानात, सवारियाँ, औलाद और नौकर-चाकर बहुत कुछ अ़ता फ़रमाया था, फिर अल्लाह तआ़ला ने उनको पैग़म्बराना आज़माईश में मुब्तला किया, ये सब चीज़ें उनके हाथ से निकल गयीं और बदन में भी ऐसी सख़्त बीमारी लग गयी जैसे कोढ़ होता है कि बदन का कोई हिस्सा सिवाय ज़बान और दिल के उस

बीमारी से न बचा। वह उस हालत में ज़बान व दिल को अल्लाह की याद में मशग़ूल रखते और शुक्र अदा करते रहते थे। इस सख़्त बीमारी की वजह से सब अ़ज़ीज़ों, दोस्तों और पड़ोसियों ने उनको अलग करके आबादी से बाहर एक कूड़ा-कचरा डालने की जगह पर डाल दिया। (1) कोई उनके पास न जाता था, सिर्फ़ उनकी बीवी उनकी ख़बरगीरी करती थी जो हज़रत यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम की बेटी या पोती थी, जिसका नाम लय्या बिन्ते मीशा इब्ने यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम बतलाया जाता है। (इब्ने कसीर)

माल व जायदाद तो सब ख़त्म हो चुका था उनकी बीवी मोहतरमा मेहनत मज़दूरी करके अपने और उनके लिये रिज़्क़ और ज़िन्दगी की ज़रूरतें उपलब्ध कराती और उनकी ख़िदमत करती थीं। अय्यूब अ़लैहिस्सलाम की यह आज़माईश व इम्तिहान कोई हैरत व ताज्जुब की चीज़ नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इरशाद है:

اشدّ النّاس بلاء الانبياء ثمّ الصّالحون ثمّ الامثل فالا مثل.

यानी सबसे ज़्यादा सख़्त बलायें और आज़माईश अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम को पेश आती हैं, उनके बाद दूसरे नेक लोगों को दर्जा-ब-दर्जा। और एक रिवायत में है कि हर इनसान का इम्तिहान और आज़माईश उसकी दीनी पुख़्तगी और मज़बूती के अन्दाज़े पर होता है, जो दीन में जितना ज़्यादा मज़बूत होता है उतनी उसकी आज़माईश ज़्यादा होती है (ताकि उसी हिसाब से उसके दर्जे अल्लाह के नज़दीक बुलन्द हों) हज़रत अय्यूब अ़लैहिस्सलाम को हक़ तआ़ला ने अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की जमाअ़त में दीनी पुख़्तगी और सब्र का एक विशेष मक़ाम अ़ता फ़रमाया था (जैसे हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम को लश्कर का ऐसा ही ख़ास मक़ाम दिया गया था) मुसीबतों व सख़्तियों पर सब्र में हज़रत अय्यूब अ़लैहिस्सलाम की मिसाल दी जाती है।

यज़ीद बिन मैसरा फ़रमाते हैं कि जब अल्लाह तआ़ला ने अय्यूब अ़लैहिस्सलाम को माल व औलाद वग़ैरह सब दुनिया की नेमतों से ख़ाली करके आज़माईश फ़रमाई तो उन्होंने फ़ारिग़ होकर अल्लाह की याद और इबादत में और ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी और अल्लाह तआ़ला से अ़र्ज़ किया कि ऐ मेरे परवर्दिगार! मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे माल जायदाद और दुनिया की दौलत और औलाद अ़ता फ़रमाई जिसकी मुहब्बत मेरे दिल के एक-एक हिस्से पर छा गयी, फिर इस पर भी शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे इन सब चीज़ों से फ़ारिग़ और ख़ाली कर दिया और अब मेरे और आपके बीच बाधा और रुकावट बनने वाली कोई चीज़ बाक़ी न रही।

हाफ़िज़ इब्ने कसीर ये मज़कूरा रिवायतें नक़ल करने के बाद लिखते हैं कि वहब बिन मुनब्बेह से इस क़िस्से में बड़ी लम्बी रिवायतें नक़ल की गयी हैं जिनमें अजनबीपन पाया जाता है और लम्बी हैं इसलिये हम ने उनको छोड़ दिया है।

हज़रत अय्यूब अ़लैहिस्सलाम की दुआ़ सब्र के ख़िलाफ़ नहीं

हज़रत अय्यूब अ़लैहिस्सलाम इस सख़्त मुसीबत में कि सब माल व जायदाद और दौलते दुनिया

(1) हज़रत अय्यूब अ़लैहिस्सलाम की बीमारी के बारे में इस रिवायत की असल वज़ाहत मआ़रिफ़ुल-क़ुरआन की सातवीं जिल्द सूरः सॉद की आयत 41-44 की तफ़सीर में देखिये। मुहम्मद तक़ी उस्मानी 18/3/1426 हिजरी

से अलग होकर ऐसी जिस्मानी बीमारी में मुब्तला हुए कि लोग पास आते हुए घबरायें, बस्ती से बाहर एक कूड़े-कचरे की जगह पर सात साल चन्द माह पड़े रहे, कभी आह व फ़रियाद या शिकायत का कोई कलिमा ज़बान पर नहीं आया। नेक बीवी लय्या साहिबा ने अ़र्ज़ भी किया कि आपकी तकलीफ़ बहुत बढ़ गयी है अल्लाह से दुआ़ कीजिए कि यह तकलीफ़ दूर हो जाये, तो फ़रमाया कि मैंने सत्तर साल सही तन्दुरुस्त अल्लाह की बेशुमार नेमत व दौलत में गुज़ारे हैं, क्या उसके मुक़ाबले में सात साल भी मुसीबत के गुज़ारने मुश्किल हैं। पैग़म्बराना इरादे व बरदाश्त और सब्र व जमाव का यह आ़लम था कि दुआ़ करने की भी हिम्मत न करते थे कि कहीं सब्र के ख़िलाफ़ न हो जाये (हालाँकि अल्लाह तआ़ला से दुआ़ करना और अपनी ज़रूरत व तकलीफ़ पेश करना बेसब्री में दाख़िल नहीं) आख़िरकार कोई ऐसा सबब पेश आया जिसने उनको दुआ़ करने पर मजबूर कर दिया और जैसा कि ऊपर लिखा गया है यह दुआ़ दुआ़ ही थी कोई बेसब्री नहीं थी, हक़ तआ़ला ने उनके कमाले सब्र पर अपने कलाम में मुहर लगा दी है, फ़रमायाः

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا.

(कि हमने उनको सब्र व बरदाश्त वाला पाया) उस सबब के बयान में रिवायतें बहुत भिन्न और लम्बी हैं इसलिये उनको छोड़ा जाता है।

इब्ने अबी हातिम ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि जब अय्यूब अ़लैहिस्सलाम की दुआ़ क़ुबूल हुई और उनको हुक्म हुआ कि ज़मीन पर ऐड़ लगाईये यहाँ से साफ़ पानी का चश्मा फूटेगा उससे गुस्ल कीजिये और उसका पानी पीजिये तो यह सारा रोग चला जायेगा। हज़रत अय्यूब अ़लैहिस्सलाम ने उसके मुताबिक़ किया, तमाम बदन जो ज़ख़्मों से चूर था और सिवाय हड्डियों के कुछ न रहा था उस चश्मे के पानी से गुस्ल करते ही सारा बदन खाल और बाल एक दम से अपनी असली हालत पर आ गये तो) अल्लाह तआ़ला ने उनके लिये जन्नत का एक लिबास भेज दिया, वह पहना और उस कूड़े-कचरे से अलग होकर एक तरफ़ को बैठ गये। बीवी मोहतरमा आ़दत के अनुसार उनकी ख़बरगीरी के लिये आईं तो उनको अपनी जगह पर न पाकर रोने लगीं। अय्यूब अ़लैहिस्सलाम जो एक तरफ़ को बैठे हुए थे उनको नहीं पहचाना क्योंकि हालत बदल चुकी थी, उन्हीं से पूछा कि ऐ ख़ुदा के बन्दे क्या तुम्हें मालूम है कि वह बीमार मुब्तला जो यहाँ पड़ा रहता था कहाँ चला गया? क्या कुत्तों या भेड़ियों ने उसे खा लिया? और कुछ देर तक इस मामले में उनसे गुफ़्तगू करती रहीं। यह सब सुनकर अय्यूब अ़लैहिस्सलाम ने उनको बतलाया कि मैं ही अय्यूब हूँ मगर बीवी मोहतरमा ने अब तक भी नहीं पहचाना। कहने लगीं अल्लाह के बन्दे क्या आप मेरे साथ मज़ाक़ करते हैं तो अय्यूब अ़लैहिस्सलाम ने फिर फ़रमाया कि ग़ौर करो मैं ही अय्यूब हूँ अल्लाह तआ़ला ने मेरी दुआ़ क़ुबूल फ़रमा ली और मेरा बदन नये सिरे से दुरुस्त फ़रमा दिया। इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि उसके बाद अल्लाह तआ़ला ने उनका माल व दौलत भी उनको वापस दे दिया और औलाद भी, और औलाद की तायदाद के बराबर और औलाद भी दे दी। (इब्ने कसीर)

हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि हज़रत अय्यूब अ़लैहिस्सलाम के सात लड़के सात लड़कियाँ थीं, उस इम्तिहान के ज़माने में ये सब मर गये थे, जब अल्लाह तआ़ला ने उनको

आफ़ियत दी तो उनको भी दोबारा ज़िन्दा कर दिया और उनकी बीवी से नई औलाद भी इतनी ही और पैदा हो गयी जिसको क़ुरआन में 'व मिस्लुहुम म-अ़हुम्' फ़रमाया है। सालबी ने कहा कि यह कौल क़ुरआन की आयत के ज़ाहिर से ज़्यादा मेल खाता है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि नई औलाद ख़ुद अपने से उतनी ही मिल गयी जितनी पहले थी और उनके जैसी (बराबर) औलाद से मुराद औलाद की औलाद है। वल्लाहु आलम

وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٨٥﴾

وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا ۖ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٦﴾

व इस्माअ़ी-ल व इद्री-स व ज़ल्किफ़्लि, कुल्लुम् मिनस्साबिरीन (85) व अद्ख़ल्नाहुम् फ़ी रह्मतिना, इन्नहुम् मिनस्सालिहीन (86)	और इस्माईल और इदरीस और ज़ुल्किफ़्ल को, ये सब हैं सब्र वाले। (85) और ले लिया हमने उनको अपनी रहमत में, वे हैं नेकबख़्तों में। (86)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और इस्माईल और इदरीस और ज़ुल्किफ़्ल (के क़िस्से) का तज़किरा कीजिये ये सब (अल्लाह के क़ानूनी और कायनाती अहकाम पर) साबित-क़दम रहने वाले लोगों में से थे। और हमने इन (सब) को अपनी (ख़ास) रहमत में दाख़िल कर लिया था, बेशक ये (सब) पूरी सलाहियत वालों में से थे।

मआरिफ़ व मसाईल

हज़रत ज़ुल्किफ़्ल नबी थे या वली और उनका अ़जीब क़िस्सा

ऊपर बयान हुई आयतों में तीन हज़रात का ज़िक्र है जिनमें हज़रत इस्माईल और हज़रत इदरीस अ़लैहिस्सलाम का नबी व रसूल होना क़ुरआने करीम की बहुत सी आयतों से साबित और उनका तज़किरा भी क़ुरआन में कई जगह आया है। तीसरे बुज़ुर्ग ज़ुल्किफ़्ल हैं। अ़ल्लामा इब्ने कसीर रह. ने फ़रमाया कि इनका नाम इन दोनों पैग़म्बरों के साथ शामिल करके ज़िक्र करने से ज़ाहिर यही है कि यह भी कोई अल्लाह के नबी और पैग़म्बर थे, मगर कुछ दूसरी रिवायतों से यह मालूम होता है कि यह नबियों में से नहीं थे बल्कि एक नेक आदमी अल्लाह के वली थे। इमामे तफ़सीर इब्ने जरीर रह. ने अपनी सनद के साथ मुजाहिद रह. से नकल किया है कि हज़रत 'यसअ् अ़लैहिस्सलाम' (जिनका नबी व पैग़म्बर होना क़ुरआन में मज़कूर है) जब बूढ़े और कमज़ोर हो गये तो इरादा किया कि किसी को अपना ख़लीफ़ा बना दें जो उनकी ज़िन्दगी में वो सब काम उनकी तरफ़ से करे जो नबी के फ़राईज़ (ज़िम्मेदारियों) में दाख़िल हैं।

इस मक़सद के लिये हज़रत यसअ़ अ़लैहिस्सलाम ने अपने सब सहाबा को जमा किया कि मैं अपना ख़लीफ़ा बनाना चाहता हूँ जिसके लिये तीन शर्तें हैं, जो शख़्स उन शर्तों को अपने अन्दर रखता हो उसको ख़लीफ़ा बनाऊँगा। वो तीन शर्तें ये हैं कि वह हमेशा रोज़ा रखता हो, हमेशा रात को इबादत में जागता हो और कभी गुस्सा न करता हो। मजमे में से एक ऐसा ग़ैर-मशहूर शख़्स खड़ा हुआ जिसको लोग हक़ीर ज़लील समझते थे और कहा कि मैं इस काम के लिये हाज़िर हूँ। हज़रत यसअ़ अ़लैहिस्सलाम ने मालूम किया कि क्या तुम हमेशा रोज़ा रखते हो और हमेशा रात में जागकर अल्लाह की इबादत करते हो और कभी गुस्सा नहीं करते? उस शख़्स ने अ़र्ज़ किया कि बेशक मैं इन तीन चीज़ों का आमिल हूँ। हज़रत यसअ़ अ़लैहिस्सलाम (को शायद कुछ उसके क़ौल पर भरोसा न हुआ इसलिये) उस दिन इस काम को स्थगित कर दिया फिर किसी दूसरे दिन इसी तरह मजमे से ख़िताब फ़रमाया और तमाम मौजूद हज़रात ख़ामोश रहे और यही शख़्स फिर खड़ा हो गया। उस वक़्त हज़रत यसअ़ अ़लैहिस्सलाम ने इनको अपना ख़लीफ़ा नामित कर दिया। शैतान ने यह देखा कि ज़ुल्किफ़्ल अ़लैहिस्सलाम इसमें कामयाब हो गये तो अपने मददगार शयातीन से कहा कि जाओ किसी तरह इस शख़्स पर असर डालो कि यह कोई ऐसा काम कर बैठे जिससे इसका यह मर्तबा छिन जाये। शैतान के मददगारों ने उज़्र कर दिया कि वह हमारे क़ाबू में आने वाला नहीं, शैतान इब्लीस ने कहा कि अच्छा तुम उसको मुझ पर छोड़ो (मैं उससे निपट लूँगा)।

हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अ़लैहिस्सलाम अपने इक़रार के मुताबिक़ दिन भर रोज़ा रखते और रात भर जागते थे, सिर्फ़ दोपहर को क़ैलूला करते थे (क़ैलूला दोपहर के सोने को कहते हैं) शैतान ऐन दोपहर को उनके क़ैलूले के वक़्त आया और दरवाज़े पर दस्तक दी, यह जाग गये और पूछा कौन है? कहने लगा कि मैं बूढ़ा मज़लूम हूँ। इन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। उसने अन्दर पहुँचकर एक अफ़साना कहना शुरू कर दिया कि मेरी बिरादरी का मुझसे झगड़ा है उन्होंने मुझ पर यह ज़ुल्म किया, एक लम्बी दास्तान शुरू कर दी यहाँ तक कि दोपहर के सोने का वक़्त ख़त्म हो गया। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल ने फ़रमाया कि जब मैं बाहर आऊँ तो मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हारा हक़ दिलवाऊँगा।

हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अ़लैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ लाये और अपनी अ़दालत की बैठक में उसका इन्तिज़ार करते रहे मगर उसको नहीं पाया। अगले दिन फिर जब वह अ़दालत में मुक़द्दमों के फ़ैसले के लिये बैठे तो उस बूढ़े का इन्तिज़ार करते रहे और वह न आया। जब दोपहर को फिर क़ैलूले के लिये घर में गये तो यह शख़्स आया और दरवाज़ा पीटना शुरू किया। इन्होंने फिर पूछा कौन है? जवाब दिया कि एक मज़लूम बूढ़ा है, इन्होंने फिर दरवाज़ा खोल दिया और फ़रमाया कि क्या मैंने कल तुमसे नहीं कहा था कि जब मैं अपनी मज्लिस में बैठूँ तो तुम आ जाओ (तुम न कल आये न आज सुबह से आये)। उसने कहा कि हज़रत मेरे मुख़ालिफ़ बड़े ख़बीस लोग हैं, जब उन्होंने देखा कि आप अपनी मज्लिस में बैठे हैं और मैं हाज़िर हूँगा तो आप उनको मेरा हक़ देने पर मजबूर करेंगे तो उन्होंने उस वक़्त इक़रार कर लिया कि हम तेरा हक़ देते हैं, फिर जब आप मज्लिस से उठ गये तो इनकार कर दिया। इन्होंने फिर उसको यही फ़रमाया कि अब जाओ जब मैं मज्लिस में बैठूँ तो मेरे पास आ जाओ। इसी कहने-सुनने में आज के दोपहर का सोना भी रह गया और वह बाहर मज्लिस में तशरीफ़

ले गये और उस बूढ़े का इन्तिज़ार करते रहे (अगले दिन भी दोपहर तक इन्तिज़ार किया वह नहीं आया फिर जब तीसरे दिन दोपहर का वक़्त हुआ और नींद को तीसरा दिन हो गया था नींद का ग़लबा था) तो घर में आकर घर वालों को इस पर मुक़र्रर किया कि कोई शख़्स दरवाज़े पर दस्तक न दे सके। यह बूढ़ा फिर तीसरे दिन पहुँचा और दरवाज़े पर दस्तक देनी चाही, लोगों ने मना किया तो एक रोशनदान के रास्ते से अन्दर दाख़िल हो गया और अन्दर पहुँचकर दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया यह फिर नींद से जाग गये और देखा कि यह शख़्स घर के अन्दर है और देखा कि दरवाज़ा बदस्तूर बन्द है। उससे पूछा तू कहाँ से अन्दर पहुँचा? उस वक़्त हज़रत ज़ुल्किफ़्ल ने पहचान लिया कि यह शैतान है और फ़रमाया कि तू ख़ुदा का दुश्मन इब्लीस है? उसने इक़रार किया कि हाँ, और कहने लगा कि तूने मुझे मेरी हर तदबीर में थका दिया, कभी मेरे जाल में नहीं आया, अब मैंने यह कोशिश की कि तुझे किसी तरह गुस्सा दिला दूँ ताकि तू अपने उस इक़रार में झूठा हो जाये जो यसअ् नबी के साथ किया है, इसलिये मैंने ये सब हरकतें कीं। यह वाक़िआ था जिसकी वजह से उनको ज़ुल्किफ़्ल का ख़िताब दिया गया, क्योंकि ज़ुल्किफ़्ल के मायने हैं ऐसा शख़्स जो अपने अहद और ज़िम्मेदारी को पूरा करे। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अपने उस अहद पर पूरे उतरे। (इब्ने कसीर)

मुस्नद अहमद में एक रिवायत और भी है मगर उसमें ज़ुल्किफ़्ल के बजाय 'अल्-किफ़्ल' का नाम आया है। इसी लिये इब्ने कसीर ने उस रिवायत को नक़ल करके कहा कि यह कोई दूसरा शख़्स किफ़्ल नाम का है, वह ज़ुल्किफ़्ल जिनका ज़िक्र इस आयत में आया है वह नहीं। रिवायत यह है:-

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से एक हदीस सुनी है और एक दो मर्तबा नहीं बल्कि सात मर्तबा से ज़ायद सुनी है, वह यह कि आपने फ़रमाया कि किफ़्ल बनी इस्राईल का एक शख़्स था जो किसी गुनाह से परहेज़ न करता था, उसके पास एक औ़रत आई उसने उसको साठ दीनार (गिन्नियाँ) दीं और हराम काम के लिये उसको राज़ी कर लिया। जब वह सोहबत करने के लिये बैठ गया तो यह औ़रत काँपने और रोने लगी, उसने कहा कि रोने की क्या बात है? क्या मैंने तुम पर कोई ज़बरदस्ती की है? उसने कहा नहीं! ज़बरदस्ती तो नहीं की लेकिन यह ऐसा गुनाह है जो मैंने कभी उम्र भर नहीं किया और इस वक़्त मुझे अपनी ज़रूरत ने मजबूर कर दिया इसलिये इस पर तैयार हो गयी। यह सुनकर वह शख़्स उसी हालत में औ़रत से अलग होकर खड़ा हो गया और कहा कि जाओ ये दीनार भी तुम्हारे हैं और अब से किफ़्ल भी कोई गुनाह नहीं करेगा। इत्तिफ़ाक़ यह हुआ कि उसी रात में किफ़्ल का इन्तिक़ाल हो गया और सुबह उसके दरवाज़े पर ग़ैब से यह तहरीर लिखी हुई देखी गयी:

غَفَرَ اللّٰهُ لِلْكِفْلِ

यानी अल्लाह ने किफ़्ल को बख़्श दिया है।

अ़ल्लामा इब्ने कसीर ने मुस्नद अहमद की यह रिवायत नक़ल करने के बाद कहा है कि इसको सिहा-ए-सित्ता (हदीस की छह बड़ी किताबों) में से किसी ने रिवायत नहीं किया और इसकी सनद ग़रीब है और बहरहाल अगर रिवायत साबित भी है तो इसमें ज़िक्र किफ़्ल का है ज़ुल्किफ़्ल का नहीं, यह कोई दूसरा शख़्स मालूम होता है। वल्लाहु आलम

कलाम का ख़ुलासा यह है कि ज़ुल्किफ़्ल हज़रत यसअ् अ़लैहिस्सलाम नबी के ख़लीफ़ा, नेक आदमी और अल्लाह के वली थे, उनके ख़ास महबूब आमाल की बिना पर हो सकता है कि उनका ज़िक्र इस आयत में नबियों के साथ कर दिया गया, और यह भी कोई मुहाल नहीं मालूम होता कि शुरू में यह हज़रत यसअ् अ़लैहिस्सलाम के ख़लीफ़ा ही हों फिर हक़ तआ़ला ने इनको नुबुव्वत का मर्तबा अ़ता फ़रमा दिया हो। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰی فِی الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ ﴿۸۷﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّیْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ وَكَذٰلِكَ نُــنْجِی الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۸۸﴾

व ज़न्नूनि इज़् ज़-ह-ब मुग़ाज़िबन् फ़-ज़न्-न अल्लन्-नक़्दि-र अ़लैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्-ला इला-ह इल्ला अन्-त सुब्हान-क इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन (87) फ़स्त-जब्ना लहू व नज्जैनाहु मिनल्-ग़म्मि, व कज़ालि-क नुन्जिल्-मुअ्मिनीन (88)

और मछली वाले को जब चला गया गुस्सा होकर फिर समझा कि हम न पकड़ सकेंगे उसको, फिर पुकारा उन अंधेरों में कि कोई हाकिम नहीं सिवाय तेरे तू बेऐब है मैं था गुनाहगारों (में) से। (87) फिर सुन ली हमने उसकी फ़रियाद और बचा दिया उसको उस घुटन से और यूँ ही हम बचा देते हैं ईमान वालों को। (88)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और मछली वाले (पैग़म्बर यानी यूनुस अ़लैहिस्सलाम के क़िस्से) का तज़किरा कीजिये जब वह (अपनी क़ौम से जबकि वह ईमान न लाई) ख़फ़ा होकर चल दिये, (और उनकी क़ौम पर अ़ज़ाब टलने के बाद भी ख़ुद वापस न आये और उस सफ़र के लिये हमारे हुक्म का इन्तिज़ार नहीं किया) और उन्होंने (अपने सोच-विचार और ख़्याल से) यह समझा कि हम (इस चले जाने में) उन पर कोई पकड़ न करेंगे (यानी चूँकि इस चले जाने को उन्होंने अपने विचार और ख़्याल से जायज़ समझा इसलिये वही का इन्तिज़ार न किया, लेकिन चूँकि वही की उम्मीद तक वही का इन्तिज़ार अम्बिया के लिये मुनासिब है और यह मुनासिब काम उनसे रह गया लिहाज़ा उनको यह आज़माईश पेश आई कि रास्ते में उनको कोई दरिया मिला और वहाँ कश्ती में सवार हुए, कश्ती चलते-चलते रुक गई, यूनुस अ़लैहिस्सलाम समझ गये कि मेरा यह बिना इजाज़त चले आना नापसन्द हुआ उसकी वजह से यह कश्ती रुकी। कश्ती वालों से फ़रमाया कि मुझको दरिया में डाल दो, वे राज़ी न हुए ग़र्ज़ कि क़ुरा निकालने पर सब का इत्तिफ़ाक़ हुआ तब भी इन्हीं का नाम निकला, आख़िर इनको दरिया में डाल दिया और ख़ुदा के हुक्म से इनको एक मछली ने निगल लिया। जैसा कि दुर्रे मन्सूर में हज़रत इब्ने

अ़ब्बास की रिवायत से नक़ल किया गया है) पस इन्होंने अंधेरों में पुकारा (एक अंधेरा मछली के पेट का, दूसरा दरिया के पानी का दोनों गहरे अंधेरे जो बहुत से अंधेरों के क़ायम-मक़ाम, या तीसरा अंधेरा रात का, जैसा कि हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु का क़ौल दुर्रे मन्सूर में है। ग़र्ज़ कि उन अंधेरियों में दुआ़ की) कि (इलाही) आपके सिवा कोई माबूद नहीं (यह तौहीद है। आप सब कमियों से) पाक हैं, (यह पाकीज़गी बयान करना है) मैं बेशक क़सूरवार हूँ। (यह इस्तिग़फ़ार है जिससे मक़सद है कि मेरा क़सूर माफ़ करके इस सख़्ती से निजात दीजिये) सो हमने उनकी दुआ़ क़ुबूल की और हमने उनको उस घुटन से निजात दी, (जिसका क़िस्सा सूरः सॉफ़्फ़ात में आयत 145 में मज़कूर है) और हम इसी तरह (और) ईमान वालों को (भी मुसीबत और परेशानी से) निजात दिया करते हैं (जबकि कुछ वक़्त ग़म में रखना मस्लेहत न हो)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

وَذَاالنُّوْنِ.

हज़रत यूनुस बिन मत्ता अ़लैहिस्सलाम का क़िस्सा क़ुरआने करीम ने सूरः यूनुस, सूरः अम्बिया फिर सूरः सॉफ़्फ़ात और सूरः नून में ज़िक्र फ़रमाया। कहीं उनका असल नाम ज़िक्र फ़रमाया है कहीं ज़ुन्नून या साहिबुल-हूत के अलक़ाब से ज़िक्र किया गया है। नून और हूत दोनों के मायने मछली के हैं। ज़ुन्नून और साहिबुल-हूत का तर्जुमा है मछली वाला। हज़रत यूनुस अ़लैहिस्सलाम को अल्लाह की मर्ज़ी व तक़दीर से चन्द दिन मछली के पेट में रहने का अ़जीब व ग़रीब वाक़िआ़ पेश आया था उसकी मुनासबत से उनको ज़ुन्नून भी कहा जाता है और साहिबुल-हूत के अलफ़ाज़ से भी ताबीर किया गया।

हज़रत यूनुस अ़लैहिस्सलाम का क़िस्सा

तफ़सीर इब्ने कसीर में है कि यूनुस अ़लैहिस्सलाम को मूसल के इलाक़े की एक बस्ती नैनवा के लोगों की हिदायत के लिये भेजा गया था। यूनुस अ़लैहिस्सलाम ने उनको ईमान व नेक अ़मल की दावत दी, उन्होंने नाफ़रमानी और सरकशी से काम लिया। यूनुस अ़लैहिस्सलाम उनसे नाराज़ होकर बस्ती से निकल गये और उनको कह दिया कि तीन दिन के अन्दर तुम्हारे ऊपर अ़ज़ाब आ जायेगा। यूनुस अ़लैहिस्सलाम बस्ती छोड़कर निकल गये तो उनको फ़िक्र हुई कि अब अ़ज़ाब आ ही जायेगा (और कुछ रिवायतों से मालूम होता है कि अ़ज़ाब की कुछ निशानियाँ उनको दिखाई भी दीं) तो उन्होंने अपने शिर्क व कुफ़्र से तौबा की और बस्ती के सब मर्द औरत और बच्चे जंगल की तरफ़ निकल गये और अपने मवेशी जानवरों और उनके बच्चों को भी साथ ले गये और बच्चों को उनकी माँओं से अलग कर दिया और सब ने रोने-गिड़गिड़ाने के साथ फ़रियाद शुरू की और ख़ूब रो-रोकर अल्लाह से पनाह माँगी। जानवरों के बच्चों ने जिनको उनकी माँओं से अलग कर दिया गया था अलग शोर व गुल किया। हक़ तआ़ला ने उनकी सच्ची तौबा और रोने-गिड़गिड़ाने को क़ुबूल कर लिया और अ़ज़ाब उनसे हटा दिया।

उधर हज़रत यूनुस अ़लैहिस्सलाम इस इन्तिज़ार में रहे कि क़ौम पर अ़ज़ाब आ रहा है, वह हलाक हो गयी होगी। जब उनको यह पता चला कि अ़ज़ाब नहीं आया और क़ौम सही सालिम अपनी जगह है तो (उनको यह फ़िक्र लाहिक़ हुई कि अब मैं झूठा समझा जाऊँगा और कुछ रिवायतों में है कि उनकी क़ौम में यह रस्म जारी थी कि किसी का झूठा होना साबित हो जाये तो उसको क़त्ल कर दिया जाता था। तफ़सीरे मज़हरी। इससे हज़रत यूनुस अ़लैहिस्सलाम को अपनी जान का भी ख़तरा लग गया तो) यूनुस अ़लैहिस्सलाम ने अपनी क़ौम में वापस जाने के बजाय किसी दूसरी जगह को हिजरत करने के इरादे से सफ़र इख़्तियार किया। रास्ते में दरिया था उसको पार करने के लिये एक कश्ती में सवार हुए। इत्तिफ़ाक़ से कश्ती ऐसे भंवर में फंसी कि ग़र्क़ होने का ख़तरा लाहिक़ हो गया। मल्लाहों ने यह तय किया कि कश्ती में सवार लोगों में से एक को दरिया में डाल दिया जाये तो बाक़ी लोग डूबने से बच जायेंगे। इस काम के लिये कश्ती वालों के नाम पर क़ुर्आ अन्दाज़ी की गयी इत्तिफ़ाक़ से क़ुर्आ हज़रत यूनुस अ़लैहिस्सलाम के नाम पर निकल आया (कश्ती वाले शायद इनकी बुज़ुर्गी से वाक़िफ़ थे) इनको दरिया में डालने से इनकार किया और दोबारा क़ुर्आ डाला फिर भी उसमें नाम यूनुस अ़लैहिस्सलाम का निकला, उनको फिर भी संकोच हुआ तो तीसरी मर्तबा क़ुर्आ डाला फिर भी इन्हीं का नाम निकल आया। इसी क़ुर्आ अन्दाज़ी का ज़िक्र क़ुरआने करीम में दूसरी जगह इन अलफ़ाज़ से आया है:

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ○

यानी क़ुर्आ अन्दाज़ी की गयी तो यूनुस अ़लैहिस्सलाम ही इस क़ुर्आ में मुतैयन हुए। उस वक़्त यूनुस अ़लैहिस्सलाम खड़े हो गये और अपने फ़ालतू कपड़े उतारकर अपने आपको दरिया में डाल दिया। उधर हक़ तआ़ला ने अख़्ज़र दरिया की एक मछली को हुक्म दिया वह दरियाओं को चीरती फाड़ती फ़ौरन यहाँ पहुँच गयी (जैसा कि हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु का क़ौल है) और यूनुस अ़लैहिस्सलाम को अपने अन्दर ले लिया। अल्लाह तआ़ला ने मछली को यह हिदायत फ़रमा दी थी कि न उनके गोश्त को कोई नुक़सान पहुँचे न हड्डी को, यह तेरी ग़िज़ा नहीं बल्कि तेरा पेट चन्द दिन के लिये इनका क़ैदख़ाना है (यहाँ तक यह सब वाक़िआ इब्ने कसीर की रिवायत में है सिवाय उन कलिमात के जो ब्रेकिट में लिये गये हैं, वो दूसरी किताबों से लिये हुए हैं) क़ुरआने करीम के इशारात और कुछ वज़ाहतों से इतना मालूम होता है कि हज़रत यूनुस अ़लैहिस्सलाम का बग़ैर अल्लाह तआ़ला के स्पष्ट हुक्म के अपनी क़ौम को छोड़कर निकल जाना अल्लाह तआ़ला के नज़दीक नापसन्द हुआ इसी पर नाराज़गी नाज़िल हुई और दरिया में फिर मछली के पेट में रहने की नौबत आई।

हज़रत यूनुस अ़लैहिस्सलाम ने जो क़ौम को तीन दिन के अन्दर अ़ज़ाब आ जाने से डराया था ज़ाहिर यह है कि यह अपनी राय से नहीं बल्कि अल्लाह की वही से हुआ था, और उस वक़्त क़ौम को छोड़कर उनसे अलग हो जाना भी जो अम्बिया अ़लैहिस्सलाम की पुरानी आ़दत व दस्तूर है ज़ाहिर यह है कि यह भी अल्लाह के हुक्म से हुआ होगा, यहाँ तक कोई बात ख़ता और चूक की जो नाराज़गी का सबब हो न थी, मगर जब क़ौम की सच्ची तौबा और रोने-गिड़गिड़ाने को अल्लाह तआ़ला ने क़ुबूल फ़रमाकर उनसे अ़ज़ाब हटा दिया उस वक़्त हज़रत यूनुस अ़लैहिस्सलाम का अपनी

क़ौम में वापस न आना और हिजरत का सफ़र अपने इरादे से इख़्तियार करना यह अपने इस इज्तिहाद (विचार व ख़्याल) की बिना पर हुआ कि इस हालत में अगर मैं वापस अपनी क़ौम में गया तो झूठा समझा जाऊँगा और मेरी दावत बेअसर बेफ़ायदा हो जायेगी, बल्कि अपनी जान का भी ख़तरा है। और अगर मैं उनको छोड़कर कहीं चला जाऊँ तो यह बात अल्लाह तआला के नज़दीक क़ाबिले पकड़ नहीं होगी। अपने इज्तिहाद (सोच व ख़्याल) की बिना पर हिजरत का इरादा कर लेना और अल्लाह तआला के स्पष्ट हुक्म का इन्तिज़ार न करना अगरचे कोई गुनाह नहीं था मगर अल्लाह तआला को यूनुस अलैहिस्सलाम का यह तरीक़ा-ए-अमल पसन्द न आया कि वही (अल्लाह के हुक्म व पैग़ाम) का इन्तिज़ार किये बग़ैर एक फ़ैसला कर लिया, यह अगरचे कोई गुनाह नहीं था मगर बेहतर सूरत के ख़िलाफ़ ज़रूर हुआ। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और अल्लाह की बारगाह के ख़ास बन्दों की शान बहुत बुलन्द होती है, उनको मिज़ाज पहचानने वाला होना चाहिये, उनसे इस मामले में मामूली कोताही होती है तो उस पर भी नाराज़गी और पकड़ होती है यही मामला था जिस पर नाराज़गी का इज़हार हुआ।

तफ़सीरे क़ुर्तुबी में क़ुशैरी से भी यह नक़ल किया है कि ज़ाहिर यह है कि यूनुस अलैहिस्सलाम पर नाराज़गी व ग़ुस्से की यह सूरत उस वक़्त पेश आई जबकि क़ौम से अ़ज़ाब हट गया, उनको यह पसन्द न था और मछली के पेट में चन्द दिन रहना भी कोई अ़ज़ाब देना नहीं बल्कि अदब सिखाने के तौर पर था जैसे अपने नाबालिग़ बच्चों पर तंबीह व डाँट उनको सज़ा व तकलीफ़ देना नहीं होता बल्कि उनको अदब सिखाना होता है ताकि वे आईन्दा एहतियात बरतें। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) वाक़िआ समझ लेने के बाद उक्त आयतों के अलफ़ाज़ की तफ़सीर देखिये।

ذَهَبَ مُغَاضِبًا.

यानी चले गये ग़ुस्से में आकर। ज़ाहिर है कि मुराद इससे अपनी क़ौम पर ग़ुस्सा है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से यही मन्क़ूल है और जिन हज़रात ने नाराज़गी और ग़ुस्से की निस्बत रब की तरफ़ की है उनकी मुराद भी यह है कि अपने रब के लिये ग़ुस्से में भरकर चल दिये और काफ़िरों व बदकारों से अल्लाह के लिये ग़ुस्सा करना ईमान ही की पहचान है (जैसा कि तफ़सीरे क़ुर्तुबी और तफ़सीरे बहरे मुहीत में है)।

فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ.

लफ़्ज़ 'नक़्दिर' में लुग़त के एतिबार से एक शुब्हा व संभावना यह है कि यह क़ुदरत से निकला हो तो मायने यह होंगे कि उन्होंने यह गुमान कर लिया कि हम उन पर क़ुदरत और क़ाबू न पा सकेंगे ज़ाहिर है कि यह बात किसी पैग़म्बर से तो क्या किसी मुसलमान से भी इसका गुमान नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा समझना खुला कुफ़्र है इसलिये यहाँ यह मायने क़तई नहीं हो सकते। दूसरा गुमान यह है कि यह क़द्र से निकला हो जिसके मायने तंगी करने के हैं जैसे क़ुरआने करीम में है:

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ.

यानी अल्लाह तआला वुस्अ़त कर देता है रिज़्क़ में जिसके लिये चाहे और तंग कर देता है जिस

पर चाहे। तफ़सीर के इमामों में से हज़रत अ़ता, सईद बिन जुबैर, हसन बसरी और बहुत से उलेमा ने इस आयत के यही मायने लिये हैं और मुराद आयत की यह क़रार दी कि हज़रत यूनुस अ़लैहिस्सलाम को अपने अन्दाज़े व गुमान और ग़ौर व फ़िक्र करने से यह गुमान था कि इन हालात में अपनी क़ौम को छोड़कर कहीं चले जाने के बारे में मुझ पर कोई तंगी नहीं की जायेगी।

और तीसरा शुब्हा व संभावना यह भी है कि यह लफ़्ज़ 'क़दीर' तक़दीर से निकला है जिसके मायने क़ज़ा और फ़ैसला देने के हैं, तो आयत के मायने यह होंगे कि हज़रत यूनुस अ़लैहिस्सलाम को यह गुमान हो गया कि इस मामले में मुझ पर कोई गिरफ़्त और पकड़ नहीं होगी। तफ़सीर के इमामों में से हज़रत क़तादा, मुजाहिद और फ़र्रा ने इसी मायने को इख़्तियार किया है। बहरहाल पहले मायने का तो इस जगह कोई शुब्हा व गुमान नहीं, दूसरे या तीसरे मायने हो सकते हैं।

यूनुस अ़लैहिस्सलाम की दुआ़ हर शख़्स के लिये हर ज़माने में हर मक़सद के लिये मक़बूल है

وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ۝

यानी जिस तरह हमने यूनुस अ़लैहिस्सलाम को ग़म और मुसीबत से निजात दी इसी तरह हम सब मोमिनों के साथ भी यही मामला करते हैं जबकि वे सच्चे दिल से और इख़्लास के साथ हमारी तरफ़ मुतवज्जह हों और हम से पनाह माँगें। हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हज़रत यूनुस की वह दुआ़ जो उन्होंने मछली के पेट के अन्दर की थी यानीः

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ۝

ला इला-ह इल्ला अन्-त सुब्हान-क इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन।

जो मुसलमान अपने किसी मक़सद के लिये इन कलिमात के साथ दुआ़ करेगा अल्लाह तआ़ला उसको क़ुबूल फ़रमायेंगे। (रिवायत किया इसको सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से इमाम अहमद और तिर्मिज़ी ने, और इमाम हाकिम ने इसे सही क़रार दिया है। मज़हरी)

وَزَكَرِيَّآ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ۝ۚ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ۭ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ۝

व ज़-करिय्या इज़् नादा रब्बहू रब्बि ला तज़र्नी फ़र्दंव्-व अन्-त ख़ैरुल्-वारिसीन (89) फ़स्त-जब्ना	और ज़करिया को जब पुकारा उसने अपने रब को, ऐ रब! न छोड़ तू मुझको अकेला और तू है सबसे बेहतर वारिस। (89) फिर हमने सुन ली उसकी दुआ़

लहू व व-हब्ना लहू यह्या व अस्लह्ना लहू ज़ौजहू, इन्नहुम् कानू युसारिअू-न फ़िल्ख़ैराति व यद्अूनना र-ग़बंव्-व र-हबन्, व कानू लना ख़ाशिअीन (90)	और बख़्शा उसको यह्या और अच्छा कर दिया उसकी औरत को, वे लोग दौड़ते थे भलाईयों पर और पुकारते थे हमको उम्मीद से और डर से, और थे हमारे आगे आजिज़। (90)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और ज़करिया (अ़लैहिस्सलाम के क़िस्से) का तज़किरा कीजिये जबकि उन्होंने अपने रब को पुकारा, ऐ मेरे रब! मुझको लावारिस मत रखियो (यानी मुझको बेटा दे दीजिए कि मेरा वारिस हो) और (यूँ तो) सब वारिसों से बेहतर (यानी असली वारिस) आप ही हैं। (इसलिए बेटा भी असली वारिस न होगा बल्कि एक वक़्त वह भी फ़ना हो जायेगा लेकिन उस ज़ाहिरी वारिस से कुछ दीनी फ़ायदे और लाभ हासिल हो जायेंगे इसलिये उसकी तलब है) सो हमने उनकी दुआ़ क़ुबूल कर ली और हमने उनको यह्या (बेटा) अ़ता फ़रमाया और उनकी ख़ातिर उनकी बीवी को (जो कि बाँझ थीं औलाद के) क़ाबिल कर दिया, ये सब (अम्बिया जिनका इस सूरत में ज़िक्र हुआ है) नेक कामों में दौड़ते थे, और उम्मीद व ख़ौफ़ के साथ हमारी इबादत किया करते थे, और हमारे सामने दबकर रहते थे।

मआ़रिफ़ व मसाईल

हज़रत ज़करिया अ़लैहिस्सलाम की इच्छा थी कि एक बेटा वारिस अ़ता हो, उसकी दुआ़ माँगी मगर साथ ही यह भी अ़र्ज़ कर दिया कि 'अन्-त ख़ैरुल्-वारिसीन' कि बेटा मिले या न मिले हर हाल में आप तो बेहतर वारिस हैं। यह अदब की रियायत का पैग़म्बराना अन्दाज़ है कि अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की असल तवज्जोह हक़ तआ़ला की तरफ़ होनी चाहिये ग़ैरुल्लाह की तरफ़ उनकी तवज्जोह हो भी तो असल केन्द्र से न हटने पाये।

يَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا.

वह रग़बत (शौक़) व ख़ौफ़ यानी राहत और तकलीफ़ की हर हालत में अल्लाह तआ़ला को पुकारते हैं। और इसके यह मायने भी हो सकते हैं कि वे अपनी इबादत व दुआ़ के वक़्त उम्मीद व डर दोनों के बीच रहते हैं, अल्लाह तआ़ला से क़ुबूल करने और सवाब की उम्मीद भी रहती है और अपने गुनाहों और कोताहियों की वजह से ख़ौफ़ भी। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

وَالَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

वल्लती अह्-सनत् फ़र्जहा फ़-नफ़ख़्ना फ़ीहा मिर्रूहिना व जअ़ल्नाहा वब्नहा आयतल् लिल्आलमीन (91)	और वह औरत जिसने काबू में रखी अपनी शहवत (जिन्सी इच्छा) फिर फूँक दी हमने उस औरत में अपनी रूह और किया उसको और उसके बेटे को निशानी जहान वालों के वास्ते। (91)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और उन बीबी (मरियम के क़िस्से) का भी तज़किरा कीजिये जिन्होंने अपनी आबरू को (मर्दों से) बचाया (निकाह से भी और नाजायज़ से भी) फिर हमने उनमें (जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम के वास्ते से) अपनी रूह फूँक दी (जिससे उनको बिना शौहर के गर्भ रह गया) और हमने उनको और उनके बेटे (ईसा अ़लैहिस्सलाम) को दुनिया जहान वालों के लिये (अपनी कामिल क़ुदरत की) निशानी बना दिया (कि उनको देख-सुनकर समझ लें कि अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर क़ादिर है, वह बग़ैर बाप के भी औलाद पैदा कर सकता है और बग़ैर माँ और बाप के भी जैसा कि आदम अ़लैहिस्सलाम)।

إِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ۝

وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ۗ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ۝ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ ۝ وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ۝ حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ۝ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ۗ اَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ ۝ لَوْ كَانَ هٰٓؤُلَاۤءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا ۗ وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰىٓ ۙ اُولٰۤىِٕكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ۝ لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا ۚ وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ ۝ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰىهُمُ الْمَلٰۤىِٕكَةُ ۗ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ۝ يَوْمَ نَطْوِى السَّمَاۤءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۗ كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ۗ وَعْدًا عَلَيْنَا ۗ اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ۝ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ ۝

इन्-न हाज़िही उम्मतुकुम् उम्मतंव्-वाहि-दतंव्-व अ-न रब्बुकुम्	ये लोग हैं तुम्हारे दीन के सब एक दीन पर और मैं हूँ तुम्हारा रब सो मेरी बन्दगी

फ़अ़्बुदून (92) व त-क़त्तअ़ू अम्रहुम् बैनहुम्, कुल्लुन् इलैना राजिअ़ून (93) ❁

फ़-मंय्यअ़्मल् मिनस्सालिहाति व हु-व मुअ्मिनुन् फ़ला कुफ़्रा-न लिसअ़्यिही व इन्ना लहू कातिबून (94) व हरामुन् अ़ला क़र्यतिन् अह्लक्नाहा अन्नहुम् ला यर्जिअ़ून (95) हत्ता इज़ा फ़ुतिहत् यअ्जूजु व मअ्जूजु व हुम् मिन् कुल्लि ह-दबिंय्-यन्सिलून (96) वक़्त-रबल्-वअ़्दुल्-हक़्क़ु फ़-इज़ा हि-य शाख़ि-सतुन् अब्सारुल्लज़ी-न क-फ़रू, या वैलना क़द् कुन्ना फ़ी ग़फ़्लतिम्-मिन् हाज़ा बल् कुन्ना ज़ालिमीन (97) इन्नकुम् व मा तअ़्बुदू-न मिन् दूनिल्लाहि ह-सबु जहन्न-म, अन्तुम् लहा वारिदून (98) लौ का-न हाउला-इ आलि-हतम् मा व-रदूहा, व कुल्लुन् फ़ीहा ख़ालिदून (99) लहुम् फ़ीहा ज़फ़ीरुंव्-व हुम् फ़ीहा ला यस्मअ़ून (100) इन्नल्लज़ी-न स-बक़त् लहुम् मिन्नल्-हुस्ना उलाइ-क अ़न्हा मुब्अ़दून (101) ला यस्मअ़ू-न हसी-सहा व

करो। (92) और टुकड़े-टुकड़े बाँट लिया लोगों ने आपस में अपना काम, सब हमारे पास फिर आयेंगे। (93) ❁

सो जो कोई करे कुछ नेक काम और वह रखता हो ईमान सो बेकार न करेंगे उस की कोशिश को और हम उसको लिख लेते हैं। (94) और मुक़र्रर हो चुका हर बस्ती पर जिसको ग़ारत कर दिया हमने कि वे फिरकर नहीं आयेंगे। (95) यहाँ तक कि जब खोल दिये जायें याजूज और माजूज और वे हर ऊँची जगह से फिसलते चले आयें (96) और नज़दीक आ लगे सच्चा वायदा फिर उस दम ऊपर लगी रह जायें इनकार करने वालों की आँखें, हाय हमारी कमबख़्ती हम बेख़बर रहे इससे, नहीं! पर हम थे गुनाहगार। (97) तुम और जो कुछ तुम पूजते हो अल्लाह के सिवा ईंधन है दोज़ख़ का, तुमको उस पर पहुँचना है। (98) अगर ये बुत माबूद होते तो न पहुँचते उस पर और सारे उसमें हमेशा पड़े रहेंगे। (99) उनको वहाँ चिल्लाना है और वे उसमें कुछ न सुनेंगे। (100) जिनके लिये पहले से ठहर चुकी हमारी तरफ़ से नेकी वह उससे दूर रहेंगे। (101) नहीं सुनेंगे उसकी आहट और वे

हुम् फ़ी मश्त-हत् अन्फ़ुसुहुम् ख़ालिदून (102) ला यह्ज़ुनुहुमुल्-फ़-ज़अुल्-अक्बरु व त-तलक़्क़ाहुमुल्-मलाइ-कतु, हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम् तूअ़दून (103) यौ-म नत्विस्समा-अ क-तय्यिस्-सिजिल्लि लिल्कुतुबि, कमा बदअ्ना अव्व-ल ख़ल्क़िन् नुअ़ीदुहू, वअ़्दन् अ़लैना, इन्ना कुन्ना फ़ाअ़िलीन (104) व लक़द् कतब्ना फ़िज़्ज़बूरि मिम्-बअ़्दिज़्ज़िक्रि अन्नल्-अर्-ज़ यरिसुहा अ़िबादियस्सालिहून (105)	अपने जी के मज़ों में सदा रहेंगे। (102) न ग़म होगा उनको इस बड़ी घबराहट में और लेने आयेंगे उनको फ़रिश्ते आज दिन तुम्हारा है जिसका तुमसे वायदा किया गया था। (103) जिस दिन हम लपेट लेगें आसमान को जैसे लपेटते हैं तूमार में काग़ज़ जैसा सिरे से बनाया था हमने पहली बार, फिर उसको दोहरायेंगे, वायदा ज़रूर हो चुका है हम पर हमको पूरा करना है। (104) और हमने लिख दिया है ज़बूर में नसीहत के बाद कि आख़िर ज़मीन पर मालिक होंगे मेरे नेक बन्दे। (105)

इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

यहाँ तक अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के क़िस्से और वाक़िआ़त और उनके तहत में बहुत से उसूली और ऊपर के मसाईल का बयान था। उसूली- मसलन तौहीद व रिसालत और आख़िरत का अ़क़ीदा, सब अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम में उसूल (बुनियादी बातें) संयुक्त और साझा हैं जो उनकी दावत की बुनियाद है जैसा कि उक्त वाक़िआ़त में उन हज़रात की सब कोशिशों की धुरी अल्लाह तआ़ला की तौहीद का मज़मून था। अगली आयतों में क़िस्सों के नतीजे और परिणाम के तौर पर तौहीद (अल्लाह के एक और अकेला माबूद होने) का सुबूत और शिर्क की बुराई का बयान है।

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ लोगो! (ऊपर जो अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम का तौहीद का तरीक़ा व अ़क़ीदा मालूम हो चुका है) यह तुम्हारा तरीक़ा है (जिस पर तुमको रहना वाजिब है) कि वह एक ही तरीक़ा है (जिसमें किसी नबी और किसी शरीअ़त को मतभेद नहीं हुआ) और (हासिल उस तरीक़े का यह है कि) मैं तुम्हारा (वास्तविक) रब हूँ सो तुम मेरी इबादत किया करो। और (लोगों को चाहिए था कि जब यह साबित हो चुका कि तमाम अम्बिया, तमाम आसमानी किताबें और शरीअ़तें इसी तरीक़े की तरफ़ बुलाने वाली हैं तो वे भी इसी तरीक़े पर रहते मगर ऐसा न किया बल्कि) उन लोगों ने अपने दीन के मामले में मतभेद पैदा कर लिया (मगर इसकी सज़ा देखेंगे, क्योंकि) सब हमारे पास आने वाले हैं (और आने के बाद हर एक को उसके अ़मल का बदला मिलेगा)।

सो जो शख़्स नेक काम करता होगा और वह ईमान वाला भी होगा तो उसकी मेहनत बेकार जाने वाली नहीं, और हम उसको लिख लेते हैं (जिसमें भूल और ग़लती की संभावना नहीं रहती, उस लिखे हुए के मुताबिक़ उसको सवाब मिलेगा)। और (हमने जो यह कहा है कि सब के सब हमारे पास आने वाले हैं इसमें इनकारी लोग यह शुब्हा करते हैं कि दुनिया की इतनी उम्र गुज़र चुकी है अब तक तो ऐसा हुआ नहीं कि मुर्दे ज़िन्दा हुए हों, उनका हिसाब हुआ हो। उनका यह शुब्हा इसलिए ग़लत है कि अल्लाह की तरफ़ लौटने के लिये क़ियामत का एक दिन मुक़र्रर है उससे पहले कोई नहीं लौटता, यही वजह है कि) हम जिन बस्तियों को (अ़ज़ाब से या मौत से) फ़ना कर चुके हैं उनके लिये यह बात (शरीअ़त के मना करने के मुताबिक़) नामुम्किन है कि वे (दुनिया में हिसाब किताब के लिये) फिर लौटकर आएँ (मगर यह न लौटना हमेशा के लिये नहीं बल्कि वायदा किये गये और निर्धारित वक़्त यानी क़ियामत तक है) यहाँ तक कि जब (वह निर्धारित वक़्त आ पहुँचेगा जिसका प्रारम्भिक सामान यह होगा कि) याजूज व माजूज (जिनका अब सिकन्दरी दीवार के ज़रिये रास्ता रुका हुआ है वे) खोल दिये जाएँगे और वे (अपनी संख्या के ज़्यादा होने की वजह से) हर बुलन्दी (जैसे पहाड़ और टीले) से निकलते (मालूम) होंगे। (अल्लाह की तरफ़ लौटने का सच्चा वादा) नज़दीक आ पहुँचा होगा, तो बस फिर एकदम से यह क़िस्सा होगा कि इनकार करने वालों की निगाहें फटी-की-फटी रह जाएँगी (और यूँ कहते नज़र आएँगे) कि हाय हमारी कमबख़्ती! हम इस (चीज़) से ग़फ़लत में थे, (फिर कुछ सोचकर कहेंगे कि इसको ग़फ़लत तो तब कहा जा सकता कि किसी ने हमें आगाह न किया होता) बल्कि (हक़ीक़त यह है कि) हम ही क़सूरवार थे।

(हासिल यह हुआ कि जो लोग क़ियामत में दोबारा ज़िन्दा होने के मुन्किर थे वे भी उस वक़्त उसके क़ायल हो जायेंगे। आगे मुश्रिकों के लिये डाँट और सज़ा की धमकी है) बेशक तुम और जिनको तुम ख़ुदा तआ़ला को छोड़कर पूज रहे हो सब जहन्नम में झोंके जाओगे, (और) तुम सब उसमें दाख़िल होगे। (इसमें वे अम्बिया और फ़रिश्ते दाख़िल नहीं हो सकते जिनको दुनिया में कुछ मुश्रिक लोगों ने ख़ुदा और माबूद बना लिया था, क्योंकि उनमें एक शरई रुकावट मौजूद है कि वे उसके मुस्तहिक़ नहीं और न उनका इसमें कोई क़सूर है। आगे आयत में 'जिनके लिये पहले से ठहर चुकी हमारी तरफ़ से नेकी..' से भी इस शुब्हे को दूर किया गया है। और यह बात समझने की है कि) अगर (ये तुम्हारे माबूद) वाक़ई माबूद होते तो इस (जहन्नम) में क्यों जाते, और (जाना भी ऐसा कि चन्द दिन के लिये नहीं बल्कि) सब (इबादत करने वाले और जिनकी इबादत की जा रही है) उसमें हमेशा-हमेशा को रहेंगे। (और) उनका उसमें शोर होगा, और वहाँ (अपने शोरो-गुल में किसी की) कोई बात सुनेंगे भी नहीं।

(यह तो दोज़ख़ियों का हाल हुआ और) जिनके लिये हमारी तरफ़ से भलाई तय हो चुकी है (और उसका ज़हूर उनके आमाल और कामों में हुआ) वे लोग उस (दोज़ख़) से (इस क़द्र) दूर किए जाएँगे कि उसकी आहट भी न सुनेंगे, (क्योंकि ये लोग जन्नत में होंगे और जन्नत दोज़ख़ में बड़ी दूरी और फ़ासला है) और वे लोग अपनी दिल चाही चीज़ों में हमेशा रहेंगे। (और) उनको बड़ी घबराहट (यानी दूसरी बार सूर फूँकने से ज़िन्दा होने की हालत) ग़म में न डालेगी, और (क़ब्र से निकलते ही) फ़रिश्ते उनका स्वागत करेंगे (और कहेंगे कि) यह है तुम्हारा वह दिन जिसका तुमसे वायदा किया जाता था।

(यह इज़्ज़त व सम्मान का मामला और ख़ुशख़बरी उनके लिये ज़्यादा ख़ुशी व प्रसन्नता का सबब हो जायेगा और अगर किसी रिवायत से यह साबित हो जाये कि क़ियामत के हौल और ख़ौफ़ से कोई अलग और बाहर नहीं, वह सब को पेश आयेगा तो चूँकि नेक बन्दों के लिये उसका ज़माना बहुत थोड़ा होगा इसलिये वह न होने के बराबर है। और) वह दिन (भी) याद करने के क़ाबिल है जिस दिन हम (पहली बार सूर फूँकने के वक़्त) आसमानों को इस तरह लपेट देंगे जिस तरह लिखे हुए मज़मून का कागज़ लपेट लिया जाता है, (फिर लपेटने के बाद चाहे बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाये या दूसरी बार के सूर फूँकने तक उसी हालत पर रहे, दोनों बातें मुम्किन हैं। और) हमने जिस तरह पहली बार पैदा करने के वक़्त (हर चीज़ की) शुरूआत की थी उसी तरह (आसानी से) उसको दोबारा (पैदा) कर देंगे, यह हमारे ज़िम्मे वायदा है, (और) हम ज़रूर (इसको पूरा) करेंगे।

और (ऊपर जो नेक बन्दों से सवाब व नेमत का वायदा हुआ है वह बहुत पुराना और ताकीद वाला वायदा है, चुनाँचे) हम (सब आसमानी) किताबों में लौह-ए-महफ़ूज़ (में लिखने) के बाद लिख चुके हैं कि इस ज़मीन (यानी जन्नत) के मालिक मेरे नेक बन्दे होंगे (इस वायदे का पुराना होना तो इससे ज़ाहिर है कि लौह-ए-महफ़ूज़ में लिखा हुआ है, और ताकीद इस बात से कि कोई आसमानी किताब इससे ख़ाली नहीं)।

मआरिफ़ व मसाईल

وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ۝

इस जगह लफ़्ज़ **हराम** शरई तौर पर मुहाल व नामुम्किन के मायने में है। जिसका तर्जुमा ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में नामुम्किन से किया गया है। और "ला यर्जिऊन" में अक्सर मुफ़स्सिरीन हज़रात के नज़दीक हर्फ़ 'ला' ज़ायद है और आयत के मायने यह हैं कि जो बस्ती और उसके आदमी हमने हलाक कर दिये हैं उनके लिये मुहाल (असंभव) है कि वे फिर लौटकर दुनिया में आ जायें। और कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात ने लफ़्ज़ **हराम** को इस जगह वाजिब के मायने में क़रार देकर 'ला' को अपने जाने-पहचाने मायने यानी मना करने के लिये रखा है और आयत का मतलब यह लिखा है कि वाजिब है उस बस्ती पर जिसको हमने अ़ज़ाब से हलाक कर दिया है कि वे दुनिया में नहीं लौटेंगे। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) आयत का मतलब यह है कि मरने के बाद तौबा का दरवाज़ा बन्द हो जाता है। अगर कोई दुनिया में आकर नेक अ़मल करना चाहे तो इसका मौक़ा नहीं मिलेगा, अब तो सिर्फ़ क़ियामत के दिन की ज़िन्दगी होगी।

حَتّٰىٓ اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ۝

लफ़्ज़ 'हत्ता' पहले बयान हुए मज़मून से जुड़े होने की तरफ़ इशारा करता है। पहले गुज़री आयतों में यह कहा गया था कि जो लोग कुफ़्र पर मर चुके हैं उनका दोबारा दुनिया में ज़िन्दा होकर लौटना नामुम्किन है, इस असंभावना की हद यह बतलाई गयी कि दोबारा ज़िन्दा होकर लौटना नामुम्किन उस वक़्त तक है जब तक कि यह याजूज-माजूज का वाक़िआ पेश न आ जाये जो क़ियामत की क़रीबी निशानी है जैसा कि सही मुस्लिम में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत

है कि हम चन्द सहाबा एक दिन आपस में कुछ चर्चा कर रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तशरीफ़ लाये, मालूम फ़रमाया कि क्या तुम्हारे दरमियान किस चीज़ का चर्चा जारी है, हमने अ़र्ज़ किया कि क़ियामत का ज़िक्र कर रहे हैं, आपने फ़रमाया कि क़ियामत उस वक़्त तक क़ायम न होगी जब तक दस निशानियाँ उससे पहले ज़ाहिर न हो जायें। उन दस निशानियों में याजूज-माजूज का निकलना भी ज़िक्र फ़रमाया।

आयत में याजूज-माजूज के लिये लफ़्ज़ 'फ़ुतिहत्' यानी खोलना इस्तेमाल फ़रमाया गया है जिसके ज़ाहिरी मायने यही हैं कि उस वक़्त से पहले वे किसी बन्दिश और रुकावट में रहेंगे, क़ियामत के क़रीबी वक़्त जब अल्लाह तआ़ला को उनका निकलना मन्ज़ूर होगा तो वह बन्दिश रास्ते से हटा दी जायेगी। और क़ुरआने करीम से ज़ाहिर यह है कि यह रुकावट ज़ुल्क़रनैन की बनाई हुई दीवार है जो क़ियामत के क़रीब ख़त्म हो जायेगी, चाहे उससे पहले भी वह टूट चुकी हो मगर उनके लिये बिल्कुल रास्ता हमवार उसी वक़्त होगा। सूरः कहफ़ में याजूज-माजूज और ज़ुल्क़रनैन की दीवार के स्थान और दूसरे संबन्धित मसाईल पर तफ़सीली बहस हो चुकी है, वहाँ देख लिया जाये।

مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ٥

लफ़्ज़ 'हदब्' हर ऊँची जगह को कहा जाता है, वह बड़े पहाड़ हों या छोटे-छोटे टीले। सूरः कहफ़ में जहाँ याजूज-माजूज के स्थान (रहने की जगह) पर गुफ़्तगू की गयी है उससे मालूम हो चुका है कि उनकी जगह दुनिया के उत्तरी पहाड़ों के पीछे है, इसलिये निकलने के वक़्त उसी तरफ़ से पहाड़ों टीलों से उमण्डते हुए नज़र आयेंगे।

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

यानी तुम और तुम्हारे माबूद सिवाय अल्लाह के सब के सब जहन्नम का ईंधन बनेंगे। इस आयत में तमाम झूठे माबूद जिनकी नाजायज़ पूजा काफ़िरों के मुख़्तलिफ़ गिरोहों ने दुनिया में की सब का जहन्नम में दाख़िल होना बयान फ़रमाया गया है, इस पर यह शुब्हा हो सकता है कि नाजायज़ इबादत तो हज़रत मसीह अ़लैहिस्सलाम और उज़ैर अ़लैहिस्सलाम और फ़रिश्तों की भी की गयी है, तो सब के जहन्नम में जाने का क्या मतलब होगा? इसका जवाब हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने दिया है, उनकी रिवायत तफ़सीरे क़ुर्तुबी में इस तरह है कि इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि क़ुरआन की एक आयत ऐसी है जिसमें लोग शुब्हे करते हैं मगर अ़जीब इत्तिफ़ाक़ है कि उसके मुताल्लिक़ लोग मुझसे सवाल नहीं करते, मालूम नहीं कि शुब्हों का जवाब उन लोगों को मालूम हो गया है इसलिये सवाल नहीं करते या उन्हें शुब्हे और जवाब की तरफ़ तवज्जोह ही नहीं हुई। लोगों ने अ़र्ज़ किया वह क्या है? आपने फ़रमाया कि वह आयतः

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ.........الخ

(यानी यही ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 98) है। जब यह आयत नाज़िल हुई तो क़ुरैश के काफ़िरों को सख़्त नागवार हुआ और कहने लगे कि इसमें तो हमारे माबूदों की सख़्त तौहीन की गयी है, वे लोग (अहले किताब के आ़लिम) इब्नुज़्ज़िब्अ़री के पास गये और उनसे शिकायत की, उसने कहा

कि अगर मैं वहाँ मौजूद होता तो उनको इसका जवाब देता। उन लोगों ने पूछा कि आप क्या जवाब देते, उसने कहा कि मैं उनसे कहता कि ईसाई हज़रत मसीह अ़लैहिस्सलाम की और यहूदी हज़रत उज़ैर अ़लैहिस्सलाम की इबादत करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे (क्या मआ़ज़ल्लाह वे भी जहन्नम में जायेंगे)। क़ुरैश के काफ़िर यह सुनकर बड़े ख़ुश हुए कि वाक़ई यह बात तो ऐसी है कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) इसका कोई जवाब नहीं दे सकते, इस पर अल्लाह ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई जो आगे आती है:

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ○

यानी जिन लोगों के लिये हमारी तरफ़ से भलाई और अच्छा नतीजा मुक़द्दर हो चुका है वे उस जहन्नम से बहुत दूर रहेंगे।

और इसी इब्नुज़्ज़िबअ़री के मुताल्लिक़ क़ुरआन की यह आयत नाज़िल हुई:

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ○

यानी जब इब्ने ज़बअ़री ने हज़रत इब्ने मरियम (यानी हज़रत ईसा) की मिसाल पेश की तो आपकी क़ौम के लोग क़ुरैश ख़ुशी से शोर मचाने लगे।

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ.

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि 'फ़-ज़अ़े-अकबर' (बड़ी घबराहट) से मुराद सूर का दोबारा फूँकना है जिससे सब मुर्दे ज़िन्दा होकर हिसाब के लिये खड़े होंगे कुछ हज़रात ने पहली बार के सूर फूँके जाने को 'फ़-ज़अ़े-अकबर' क़रार दिया है। इब्ने अ़रबी का क़ौल यह है कि सूर तीन बार फूँके जायेंगे- पहली बार का फूँकना 'नफ़्ख़ा-ए-फ़ज़अ़्' होगा जिससे सारी दुनिया के लोग घबरा उठेंगे उसी को यहाँ 'फ़-ज़अ़े-अकबर' (बड़ी घबराहट) कहा गया है। दूसरी बार का फूँकना 'नफ़्ख़ा-ए-सअ़क़' होगा जिससे सब मर जायेंगे और फ़ना हो जायेंगे, तीसरी बार का फूँकना 'नफ़्ख़ा-ए-बअ़स्' होगा जिससे सब मुर्दे ज़िन्दा हो जायेंगे। इसके सुबूत में मुस्नद अबू यअ़्ला और बैहक़ी, अ़ब्द बिन हुमैद, अबुश्शैख़, इब्ने जरीर तबरी वग़ैरह से हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की एक हदीस नक़ल की गयी है। (तफ़सीरे मज़हरी) वल्लाहु आलम

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ.

लफ़्ज़ 'सिजिल' के मायने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से सहीफ़े (छोटी किताब) के मन्क़ूल हैं। अ़ली बिन तल्हा, औ़फ़ी, मुजाहिद, क़तादा वग़ैरह ने भी यही मायने बयान किये हैं। इमाम इब्ने जरीर, इब्ने कसीर वग़ैरह ने भी इसी को इख़्तियार किया है। और 'कुतुब' इस जगह मक्तूब (लिखी गयी चीज़) के है मायने में है, मतलब ये कि आसमान को इस तरह लपेट दिया जायेगा जिस तरह कोई सहीफ़ा (पुस्तक व अख़बार) अपने अन्दर लिखी हुई तहरीर के साथ लपेट दिया जाता है (जैसा कि इब्ने कसीर का क़ौल है जिसको तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में ज़िक्र किया गया है)।

सिजिल के मुताल्लिक़ दूसरी रिवायतें कि वह किसी शख़्स या फ़रिश्ते का नाम है मुहद्दिसीन के नज़दीक साबित नहीं (इमाम इब्ने कसीर ने इस पर तफ़सील से रोशनी डाली है) आयत के मफ़्हूम के

मुताल्लिक़ सही बुख़ारी में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन सब ज़मीनों और आसमानों को लपेटकर अपने हाथ में रखेंगे, इब्ने अबी हातिम ने अपनी सनद से हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला सातों आसमानों को उनके अन्दर की तमाम मख़्लूक़ात के साथ और सातों ज़मीनों को उनकी तमाम मख़्लूक़ात के साथ लपेट कर एक जगह कर देंगे और वो सब अल्लाह तआ़ला के हाथ में एक राई के दाने की तरह होंगे। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْ م بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ○

लफ़्ज़ 'ज़बूर' 'ज़ुबुर' की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने किताब के हैं और 'ज़बूर' उस ख़ास किताब का नाम भी है जो हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। इस जगह ज़बूर से क्या मुराद है इसमें विभिन्न क़ौल हैं। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की एक रिवायत में यह है कि ज़िक्र से मुराद आयत में तौरात है और 'ज़बूर' से मुराद वो सब किताबें हैं जो तौरात के बाद नाज़िल हुई- इन्जील, ज़बूर और क़ुरआन (रिवायत किया है इसको इब्ने जरीर ने)। यही तफ़सीर इमाम ज़ह्हाक से भी मन्क़ूल है। और इब्ने ज़ैद ने फ़रमाया कि ज़िक्र से मुराद लौह-ए-महफ़ूज़ है और ज़बूर से मुराद तमाम किताबें जो अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम पर नाज़िल हुई हैं। ज़ुजाज ने इसी को इख़्तियार किया है। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

'अल-अर्ज़' । इस जगह अर्ज़ (ज़मीन) से मुराद मुफ़स्सिरीन की अक्सरियत के नज़दीक जन्नत की ज़मीन है। इमाम इब्ने जरीर ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से यह तफ़सीर नक़ल की है और यही तफ़सीर मुजाहिद, इब्ने ज़ुबैर, इक्रिमा, सुद्दी और अबुल-आ़लिया से भी मन्क़ूल है। इमाम राज़ी रह. ने फ़रमाया कि क़ुरआन की एक दूसरी आयत इसी की ताईद करती है जिसमें फ़रमाया है:

وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ.

(यानी सूरः ज़ुमर की आयत नम्बर 74) और आयत में जो यह फ़रमाया कि इस अर्ज़ (ज़मीन) के वारिस नेक लोग होंगे, यह भी इसी का इशारा है कि अर्ज़ (ज़मीन) से जन्नत की ज़मीन मुराद हो। दुनिया की ज़मीन के वारिस तो मोमिन और काफ़िर सभी हो जाते हैं। साथ ही यह कि यहाँ सालिहीन (नेक लोगों) का ज़मीन का वारिस होना क़ियामत के ज़िक्र के बाद आया है और क़ियामत के बाद जन्नत की ज़मीन के सिवा कोई दूसरी ज़मीन नहीं। और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की एक रिवायत यह भी है कि इस अर्ज़ (ज़मीन) से मुराद आ़म ज़मीन है, दुनिया की ज़मीन भी और जन्नत की ज़मीन भी। जन्नत की ज़मीन के तो नेक लोगों का तन्हा वारिस होना ज़ाहिर है, दुनिया की पूरी ज़मीन के वारिस होना भी एक वक़्त में नेक मोमिनों के लिये वायदा शुदा है जिसकी ख़बर क़ुरआने करीम की अनेक आयतों में दी गयी है। एक आयत में है:

اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ○

(यानी सूरः आराफ़ की आयत नम्बर 128) एक दूसरी आयत में है:

وَعَدَاللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ.........الخ

(यानी सूरः नूर की आयत नम्बर 55) तीसरी एक आयत में:

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ۝

(यानी सूरः मोमिन की आयत नम्बर 51 में) नेक मोमिनों का दुनिया के आबादी वाले अक्सर हिस्से पर काबिज़ और वारिस होना एक मर्तबा दुनिया पहले देख चुकी है और लम्बे ज़माने तक यह सूरत क़ायम रही और फिर मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में होने वाली है। (रूहुल-मआनी व इब्ने कसीर)

اِنَّ فِىْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ ۝ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَآءٍ ۗ وَاِنْ اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ اَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ ۝ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ ۝ وَاِنْ اَدْرِيْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ۝ قٰلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ۝

इन्-न फ़ी हाज़ा ल-बलाग़ल्-लिक़ौमिन् आबिदीन (106) व मा अर्सल्ना-क इल्ला रह्म-तल्-लिल्आलमीन (107) क़ुल् इन्नमा यूहा इलय्-य अन्नमा इलाहुकुम् इलाहुंव्वाहिदुन् फ़-हल् अन्तुम् मुस्लिमून (108) फ़-इन् तवल्लौ फ़क़ुल् आज़न्तुकुम् अ़ला सवाइन्, व इन् अद्री अ-क़रीबुन् अम् बअ़ीदुम् मा तूअ़दून. (109) इन्नहू यअ़्लमुल्-जह्-र मिनल्-क़ौलि व यअ़्लमु मा तक्तुमून (110) व इन् अद्री लअ़ल्लहू फ़ित्-नतुल्-लकुम् व मताअुन् इला हीन (111) क़ा-ल

इसमें मतलब को पहुँचते हैं लोग बन्दगी वाले। (106) और तुझको जो हमने भेजा सो मेहरबानी कर-कर जहान के लोगों पर। (107) तू कह मुझको तो हुक्म यही आया है कि तुम्हारा माबूद एक माबूद है फिर क्या तुम हो हुक्म का पालन करने वाले? (108) फिर अगर वे मुँह मोड़ें तो तू कह दे मैंने ख़बर कर दी तुमको दोनों तरफ़ बराबर, और मैं नहीं जानता नज़दीक है या दूर है जो तुमसे वायदा हुआ। (109) वह रब जानता है जो बात पुकार कर करो और जानता है जो तुम छुपाते हो। (110) और मैं नहीं जानता शायद देर करने में तुमको जाँचना है और फ़ायदा देना है एक वक़्त तक। (111) रसूल ने

रब्बिस्कुम् बिल्हक़्क़ि व रब्बुनर्-रह्मानुल्-मुस्तआनु अला मा तसिफ़ून (112) ✿●	कहा ऐ रब! फ़ैसला कर इन्साफ़ का, और हमारा रब रहमान है उसी से मदद माँगते हैं उन बातों पर जो तुम बतलाते हो। (112) ✿ ●

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

बिला शुब्हा इस (क़ुरआन या उसके हिस्से यानी उक्त सूरत) में काफ़ी मज़मून है उन लोगों के लिए जो बन्दगी करने वाले हैं। (और जो इबादत और फ़रमाँबरदारी से सरकशी करने वाले हैं यह हिदायत तो उनके लिये भी है मगर उनमें हिदायत की तलब नहीं, इसलिये इसके फ़ायदे से मेहरूम हैं) और हमने आपको और किसी बात के वास्ते (रसूल बनाकर) नहीं भेजा मगर दुनिया जहान के लोगों पर (अपनी) मेहरबानी करने के लिये (वह मेहरबानी यही है कि लोग रसूल से इन मज़ामीन को क़ुबूल करें और हिदायत के परिणाम और फल हासिल करें, और जो क़ुबूल न करे वह उसका क़सूर है, उससे इस मज़मून के सही होने में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता)।

आप उन लोगों से (कलाम के ख़ुलासे के तौर पर एक बार फिर) फ़रमा दीजिये कि मेरे पास तो (ईमान वालों और मुश्रिकों के आपसी झगड़े के बारे में) सिर्फ़ यह वही आती है कि तुम्हारा (असली) माबूद एक ही माबूद है, तो (इसकी हक़्क़ानियत साबित हो जाने के बाद) अब भी तुम मानते हो (या नहीं? यानी अब तो मान लो) फिर भी अगर ये लोग (उसके क़ुबूल करने से) नाफ़रमानी करें तो आप (हुज्जत पूरी करने के तौर पर) फ़रमा दीजिये कि मैं तुमको बहुत ही साफ़ इत्तिला कर चुका हूँ (जिसमें ज़र्रा बराबर कोई बात छुपी और अस्पष्ट नहीं रही, तौहीद और इस्लाम के हक़ होने की इत्तिला भी और उसके इनकार पर जो सज़ा मिलेगी वह भी साफ़-साफ़ बयान हो चुकी है, अब न मुझ पर हक़ की तब्लीग़ की कोई ज़िम्मेदारी बाक़ी रही न तुम्हारा कोई उज़्र बाक़ी रहा)। और अगर (इसके हक़ होने में तुमको इस वजह से शुब्हा हो कि जो सज़ा बतलाई गई है वह मिल क्यों नहीं जाती तो समझ लो कि सज़ा का मिलना तो यक़ीनी है मगर) मैं यह नहीं जानता कि जिस (सज़ा) का तुमसे वायदा हुआ है क्या वह क़रीब (ज़ाहिर होने वाली है) है या लम्बे (ज़माने में ज़ाहिर होने वाली) है, (अलबत्ता इसका आना और पड़ना ज़रूरी है, क्योंकि) अल्लाह तआ़ला को (तुम्हारी) पुकार कर कही हुई बात की ख़बर है, और जो (बात) तुम दिल में रखते हो उसकी भी ख़बर है। और (अ़ज़ाब में देरी से इसके न आने और ज़ाहिर न होने के धोखे में न रहना, यह देरी किसी मस्लेहत व हिक्मत से हो रही है) मैं नहीं जानता (कि वह मस्लेहत क्या है, हाँ इतना कह सकता हूँ कि) शायद (अ़ज़ाब में यह देरी) तुम्हारे लिये इम्तिहान हो (कि शायद सचेत होकर ईमान ले आयें) और एक (सीमित) वक़्त (यानी मौत के वक़्त) तक फ़ायदा पहुँचाना हो (कि ख़ूब ग़फ़लत बढ़े और अ़ज़ाब बढ़ता चला जाये। पहला मामला यानी इम्तिहान रहमत है और दूसरा मामला यानी उम्र लम्बी और उसकी सहूलतें देना यह सज़ा व अ़ज़ाब है, और जब इन सब मज़ामीन से हिदायत न हुई तो) पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) ने (अल्लाह के हुक्म से) कहा कि ऐ मेरे रब! (हमारे और हमारी क़ौम के बीच) फ़ैसला

कर दीजिये (जो कि हमेशा) हक़ के मुवाफ़िक़ (हुआ करता है। मतलब यह है कि अमली फ़ैसला फ़रमा दीजिये कि मुसलमानों से जो फ़तह व मदद के वायदे हैं वो ज़ाहिर कर दीजिए ताकि उन पर और ज़्यादा हुज्जत पूरी हो जाये) और (पैग़म्बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने काफ़िरों से यह भी फ़रमाया कि) हमारा रब हम पर बड़ा मेहरबान है, जिससे उन बातों के मुक़ाबले में मदद चाही जाती है जो तुम बनाया करते हो (कि मुसलमान जल्दी नेस्त व नाबूद हो जायेंगे यानी हम उसी मेहरबान रब से तुम्हारे मुक़ाबले में मदद चाहते हैं)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ٥

'आ़लमीन' आ़लम की जमा (बहुवचन) है जिसमें सारी मख़्लूक़ात इनसान, जिन्नात, हैवानात, पेड़-पौधे और बेजान चीज़ें सभी दाख़िल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इन सब चीज़ों के लिये रहमत होना इस तरह है कि तमाम कायनात की असली रूह अल्लाह का ज़िक्र और उसकी इबादत है। यही वजह है कि जिस वक़्त ज़मीन से यह रूह निकल जायेगी और ज़मीन पर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला न रहेगा तो सब चीज़ों की मौत यानी क़ियामत आ जायेगी, और जब अल्लाह के ज़िक्र और इबादत का इन सब चीज़ों की रूह होना मालूम हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इन सब चीज़ों के लिये रहमत होना ख़ुद-ब-ख़ुद ज़ाहिर हो गया। क्योंकि इस दुनिया में क़ियामत तक ज़िक्रुल्लाह और इबादत आप ही के दम क़दम और तालीमात से क़ायम है, इसी लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया है 'अ-न रहमतुन् मुह्दातुन' मैं अल्लाह की तरफ़ से भेजी हुई रहमत हूँ। (इस रिवायत को हज़रत अबू हुरैरह की रिवायत से इमाम इब्ने अ़साकिर ने नक़ल किया है) और हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

انا رحمة مهداة برفع قوم وخفض اخرين.

यानी मैं अल्लाह की भेजी हुई रहमत हूँ ताकि (अल्लाह के हुक्म मानने वाली) एक क़ौम को सर बुलन्द कर दूँ (इज़्ज़त वाली बना दूँ) और दूसरी क़ौम (जो अल्लाह का हुक्म मानने वाली नहीं उनको) पस्त कर दूँ। (तफ़सीर इब्ने कसीर) इससे मालूम हुआ कि कुफ़्र व शिर्क को मिटाने के लिये काफ़िरों को पस्त करना और उनके मुक़ाबले में जिहाद करना भी रहमत ही है जिसके ज़रिये नाफ़रमानों और सरकशों को होश आकर ईमान और नेक अ़मल का पाबन्द हो जाने की उम्मीद की जा सकती है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम।

अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि सूरः अम्बिया की तफ़सीर ज़िलहिज्जा की चौबीसवीं रात सन् 1390 हिजरी को इशा के वक़्त पूरी हुई। अल्लाह तआ़ला तफ़सीर का बाक़ी काम भी अपने फ़ज़्ल व करम से पूरा करने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाये। आमीन

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अम्बिया की तफ़सीर मुकम्मल हुई।

सूरः हज

सूरः हज मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 78 आयतें और 10 रुकूअ़ हैं।

اٰيَاتُهَا ٧٨ (٢٢) سُوْرَةُ الْحَجِّ مَدَنِيَّةٌ (١٠٣) رُكُوْعَاتُهَا ١٠

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ۝ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम् इन्-न ज़ल्ज़-लतस्सा-अ़ति शैउन् अ़ज़ीम (1) यौ-म तरौनहा तज़्हलु कुल्लु मुर्ज़ि-अ़तिन् अ़म्मा अर्ज़-अ़त् व त-ज़अु कुल्लु ज़ाति-हम्लिन् हम्लहा व तरन्ना-स सुकारा व मा हुम् बिसुकारा व लाकिन्-न अ़ज़ाबल्लाहि शदीद (2)	लोगो! डरो अपने रब से बेशक भूचाल क़ियामत का एक बड़ी चीज़ है। (1) जिस दिन उसको देखोगे भूल जायेगी हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पिलाये को और डाल देगी हर पेट वाली अपना पेट और तू देखे लोगों पर नशा और उन पर नशा नहीं पर आफ़त अल्लाह की सख़्त है। (2)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ लोगो! अपने रब से डरो (और ईमान व फ़रमाँबरदारी इख़्तियार करो क्योंकि) यक़ीनन क़ियामत (के दिन) का ज़लज़ला बड़ी भारी चीज़ होगी (जिसका आना ज़रूरी है। उस दिन की सख़्तियों से बचने की अब फ़िक्र करो जिसका तरीक़ा परहेज़गारी है। आगे उस ज़लज़ले की शिद्दत का बयान है) जिस दिन तुम लोग उस (ज़लज़ले) को देखोगे उस दिन (यह हाल होगा कि) तमाम दूध पिलाने वालियाँ (डर और दहशत की वजह से) अपने दूध पीते (बच्चे) को भूल जाएँगी और तमाम

हमल "यानी गर्भ" वालियाँ अपने हमल (दिन पूरे होने से पहले) डाल देंगी। और (ऐ मुख़ातब!) तुझको लोग नशे जैसी हालत में दिखाई देंगे हालाँकि वे नशे में न होंगे, (क्योंकि वहाँ किसी नशे की चीज़ इस्तेमाल करने की कोई संभावना व गुमान ही नहीं) लेकिन अल्लाह का अ़ज़ाब है ही सख़्त चीज़ (जिसके ख़ौफ़ की वजह से उनकी हालत नशे वाले के जैसी हो जायेगी)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इस सूरत की विशेषतायें

इस सूरत के मक्की या मदनी होने में मुफ़स्सिरीन का मतभेद है, हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ही से दोनों रिवायतें मन्क़ूल हैं। मुफ़स्सिरीन की अक्सरियत का क़ौल यह है कि यह सूरत मक्की और मदनी दोनों तरह की आयतों को शामिल है। इमाम क़ुर्तुबी ने इसी को ज़्यादा सही क़रार दिया है। साथ ही फ़रमाया कि इस सूरत के अ़जीब बातों में से यह बात है कि इसकी आयतों का नुज़ूल (उतरना) कुछ का रात में, कुछ का दिन में, कुछ का सफ़र में, कुछ का हज़र (वतन में रहने की हालत) में, कुछ का मक्का में, कुछ का मदीना में, कुछ का जंग व जिहाद के वक़्त और कुछ का सुलह व अमन की हालत में हुआ है, और इसमें कुछ आयतें नासिख़ (अहकाम को निरस्त करने वाली) हैं और कुछ मन्सूख़ (निरस्त होने वाली), कुछ मोहकम (आसानी से समझ में आने वाली) हैं कुछ मुतशाबे (यानी जिनका मतलब हर एक नहीं समझ सकता) क्योंकि नाज़िल होने की तमाम क़िस्मों पर आधारित है।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ

यह आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर सफ़र की हालत में नाज़िल हुई तो आपने बुलन्द आवाज़ से इसकी तिलावत शुरू फ़रमाई। सफ़र के साथी सहाबा-ए-किराम हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की आवाज़ सुनकर जमा हो गये। आपने सहाबा-ए-किराम को ख़िताब करके फ़रमाया कि क़ियामत का ज़लज़ला जिसका ज़िक्र इस आयत में है आप जानते हैं कि किस दिन में होगा? सहाबा-ए-किराम ने अ़र्ज़ किया अल्लाह और रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। आपने फ़रमाया कि यह वह दिन होगा जिसमें अल्लाह तआ़ला आदम अ़लैहिस्सलाम से ख़िताब करके फ़रमायेंगे कि जहन्नम में जाने वालों को उठाईये। आदम अ़लैहिस्सलाम मालूम करेंगे कि वे जहन्नम में जाने वाले कौन लोग हैं? तो हुक्म होगा कि हर एक हज़ार में नौ सौ निन्नानवे, और फ़रमाया कि यही वह वक़्त होगा कि हौल और ख़ौफ़ से बच्चे बूढ़े हो जायेंगे और हमल वाली औ़रतों का हमल (गर्भ) गिर जायेगा। सहाबा-ए-किराम यह सुनकर सहम गये और पूछने लगे फिर या रसूलुल्लाह हम में से वह कौन होगा जो निजात पाये तो फ़रमाया कि तुम बेफ़िक्र रहो जहन्नम में जाने वाले याजूज माजूज में से एक हज़ार और तुम में से एक होगा। यह मज़मून सही मुस्लिम वग़ैरह की रिवायतों में हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से नक़ल किया गया है। और कुछ रिवायतों में है कि उस दिन तुम ऐसी दो मख़्लूक़ों के साथ होगे कि वो जब किसी जमाअ़त के साथ हों तो वही तायदाद में ग़ालिब और

अक्सर रहेंगे— एक याजूज माजूज और दूसरे इब्लीस और उसकी नस्ल व औलाद, और आदम अ़लैहिस्सलाम की औलाद में से जो लोग पहले मर चुके हैं (इसलिये नौ सौ निन्नानवे में बड़ी तायदाद उन्हीं की होगी)। तफ़सीरे क़ुर्तुबी वग़ैरह में ये सब रिवायतें नक़ल की हैं।

क़ियामत का ज़लज़ला कब होगा?

क़ियामत क़ायम होने और लोगों के दोबारा ज़िन्दा होने के बाद या उससे पहले, कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि यह क़ियामत से पहले इसी दुनिया में होगा और क़ियामत की आख़िरी निशानी में शुमार होगा जिसका ज़िक्र क़ुरआने करीम की बहुत सी आयतों में आया है:

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝

وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ۝

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ۝

(यानी सूरः ज़िलज़ाल आयत 1, सूरः हाक़्क़ह् आयत 14, सूरः वाक़िआ आयत 4) वग़ैरह। और कुछ हज़रात ने उक्त हदीस जिसमें आदम अ़लैहिस्सलाम को ख़िताब करने का ज़िक्र है उससे दलील पकड़ते हुए यह क़रार दिया है कि यह ज़लज़ला हश्र व नश्र और दोबारा ज़िन्दा होने के बाद होगा। और हक़ीक़त यह है कि दोनों में कोई टकराव नहीं। क़ियामत से पहले ज़लज़ला होना भी क़ुरआन की आयतों और सही हदीसों से साबित है और हश्र व नश्र के बाद होना इस ऊपर बयान हुई हदीस से साबित है। वल्लाहु आलम

क़ियामत के इस ज़लज़ले की जो कैफ़ियत आगे आयत में ज़िक्र की गयी है कि तमाम हमल (गर्भ) वाली औ़रतों के हमल गिर जायेंगे और दूध पिलाने वाली औ़रतें अपने दूध पीते बच्चे को भूल जायेंगी। अगर यह ज़लज़ला इसी दुनिया में क़ियामत से पहले है तो ऐसा वाक़िआ पेश आने में कोई शुब्हा व इश्काल नहीं और अगर दोबारा ज़िन्दा होकर उठने और क़ियामत के बाद है तो इसका मतलब यह होगा कि जो औ़रत इस दुनिया में गर्भ की हालत में मरी है क़ियामत के दिन उसी हालत में उसका हश्र होगा (यानी वह ज़िन्दा होकर उठेगी) और जो दूध पिलाने के ज़माने में मर गयी है वह इसी तरह बच्चे के साथ उठाई जायेगी (जैसा कि तफ़सीरे क़ुर्तुबी में लिखा है)। वल्लाहु आलम

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ ۝

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيْهِ إِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ

إِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ

مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى

ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا أَشُدَّكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ إِلٰى

أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا

الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ وَّاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ۝ ثَانِيَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ لَهٗ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّنُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

ع 8

व मिनन्नासि मंय्युजादिलु फ़िल्लाहि बिग़ैरि अ़िल्मिंव्-व यत्तबिअ़ु कुल्-ल शैतानिम्-मरीद (3) कुति-ब अ़लैहि अन्नहू मन् तवल्लाहु फ़-अन्नहू युज़िल्लुहू व यह्दीहि इला अ़ज़ाबिस्सअ़ीर (4) या अय्युहन्नासु इन् कुन्तुम् फ़ी रैबिम् मिनल्-बअ़्सि फ़-इन्ना ख़लक़्नाकुम् मिन् तुराबिन् सुम्-म मिन् नुत्फ़तिन् सुम्-म मिन् अ़-ल-क़तिन् सुम्-म मिम्-मुज़्ग़तिम् मुख़ल्ल-क़तिंव्-व ग़ैरि मुख़ल्ल-क़तिल् लिनुबय्यि-न लकुम्, व नुक़िर्रु फ़िल्-अर्हामि मा नशा-उ इला अ-जलिम्-मुसम्मन् सुम्-म नुख़्रिजुकुम् तिफ़्लन् सुम्-म लितब्लुग़ू अशुद्दकुम् व मिन्कुम् मंय्यु-तवफ़्फ़ा व मिन्कुम् मंय्युरद्दु इला अर्ज़लिल्-अ़ुमुरि लिकैला यअ़्ल-म मिम्-बअ़्दि अ़िल्मिन् शैअन्, व तरल्अर्-ज़

और बाज़े लोग वे हैं जो झगड़ते हैं अल्लाह की बात में बेख़बरी से और पैरवी करता है हर शैतान सरकश की। (3) जिसके हक़ में लिख दिया गया है कि जो कोई उसका साथी हो सो वह उसको बहकाये और ले जाये अ़ज़ाब में दोज़ख़ के। (4) ऐ लोगो! अगर तुमको धोखा है जी उठने में तो हमने तुमको बनाया मिट्टी से फिर क़तरे से फिर जमे हुए ख़ून से फिर गोश्त की बोटी नक़्शा बनी हुई से और बिना नक़्शा बनी हुई से इस वास्ते कि तुमको खोलकर सुना दें, और ठहरा रखते हैं हम पेट में जो कुछ चाहें एक निर्धारित वक़्त तक फिर तुमको निकालते हैं लड़का, फिर जब तक कि पहुँचो अपनी जवानी के ज़ोर को, और कोई तुम में से क़ब्ज़ा कर लिया जाता है और कोई तुम में से फिर चलाया जाता है निकम्मी उम्र तक ताकि समझने के बाद कुछ न समझने लगे, और तू देखता है ज़मीन

हामि-दतन् फ़-इज़ा अन्ज़ल्ना अ़लैहल्
मा-अह्तज़्ज़त् व रबत् व अम्ब-तत्
मिन् कुल्लि ज़ौजिम्-बहीज (5)
ज़ालि-क बिअन्नल्ला-ह हुवल्-हक़्क़ु
व अन्नहू युह्यिल्-मौता व अन्नहू
अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर (6) व
अन्नस्सा-अ़-त आति-यतुल्-ला रै-ब
फ़ीहा व अन्नल्ला-ह यब्अ़सु मन्
फ़िल्क़ुबूर (7) व मिनन्नासि
मंय्युजादिलु फ़िल्लाहि बिग़ैरि
अ़िल्मिंव्-व ला हुदंव्-व ला
किताबिम्-मुनीर (8) सानि-य
अ़ित्फ़िही लियुज़िल्-ल अ़न्
सबीलिल्लाहि, लहू फ़िद्दुन्या
ख़िज़्युंव्-व नुज़ीक़ुहू यौमल्-
क़ियामति अ़ज़ाबल्-हरीक़ (9)
ज़ालि-क बिमा क़द्द-मत् यदा-क व
अन्नल्ला-ह लै-स बिज़ल्लामिल्-
लिल्अ़बीद (10) ❁

ख़राब पड़ी हुई फिर जहाँ हमने उतारा उस पर पानी ताज़ी हो गयी और उभरी और उगाईं हर क़िस्म क़िस्म रौनक़ की चीज़ें। (5) यह सब कुछ इस वास्ते कि अल्लाह वही है हस्ती में कामिल और वह जिलाता है मुर्दों को और वह हर चीज़ कर सकता है। (6) और यह कि क़ियामत आनी है इसमें धोखा नहीं और यह कि अल्लाह उठायेगा क़ब्रों में पड़े हुओं को। (7) और बाज़ा शख़्स वह है जो झगड़ता है अल्लाह की बात में बग़ैर जाने और बग़ैर दलील और बिना रोशन किताब के। (8) अपनी करवट मोड़कर ताकि बहकाये अल्लाह की राह से, उसके लिये दुनिया में रुस्वाई है और चखायेंगे हम उसको क़ियामत के दिन जलन की मार। (9) यह इसकी वजह से जो आगे भेज चुके तेरे दो हाथ और इस वजह से कि अल्लाह नहीं ज़ुल्म करता बन्दों पर। (10) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और बाज़े आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह के बारे में (यानी उसकी ज़ात या सिफ़ात या कामों के बारे में) बिना जाने-बूझे झगड़ा करते हैं और हर शैतान सरकश के पीछे हो लेते हैं (यानी गुमराही की ऐसी काबलियत है कि जो शैतान जिस तरह बहकाये उसके बहकाने में आ जाता है, पस उस शख़्स में इन्तिहाई दर्जे की गुमराही हुई कि उस पर हर शैतान की पहुँच हो जाती है) जिसके बारे में (ख़ुदा के यहाँ से) यह बात लिखी जा चुकी है (और तय हो चुकी है) कि जो शख़्स उससे ताल्लुक़ रखेगा (यानी

उसका कहना मानेगा) तो उसका काम ही यह है कि वह उसको (हक़ रास्ते से) बेराह कर देगा, और उसको दोज़ख़ के अज़ाब का रास्ता दिखला देगा। (आगे उन झगड़ने वालों को ख़िताब है कि) ऐ लोगो! अगर तुम (क़ियामत के दिन) दोबारा ज़िन्दा होने (की संभावना) से शक (व इनकार) में हो तो (ज़रा इस आगे आने वाले मज़मून में ग़ौर कर लो ताकि शक दूर हो जाये और वह यह कि) हमने (पहले) तुमको मिट्टी से बनाया (क्योंकि ग़िज़ा जिससे नुत्फ़ा बनता है पहले अनासिर "तत्वों") से पैदा होती है जिसमें एक अंश मिट्टी भी है) फिर नुत्फ़े से (जो कि ग़िज़ा से पैदा होता है) फिर ख़ून के लोथड़े से (कि नुत्फ़े में गाढ़ापन और सुर्ख़ी आने से हासिल होता है) फिर बोटी से (कि जमे हुए ख़ून में सख़्ती आ जाने से हासिल होता है) कि (बाज़ी) पूरी होती है (कि उसमें पूरे अंग बन जाते हैं) और (बाज़ी) अधूरी भी (होती है कि कुछ अंग नाक़िस रह जाते हैं। यह इस तरह की बनावट और तरतीब और फ़र्क़ से इसलिए बनाया) ताकि हम तुम्हारे सामने (अपनी क़ुदरत) ज़ाहिर कर दें (और इसी से ज़ाहिर है कि वह दोबारा पैदा करने पर भी क़ादिर है) और (इस मज़मून का आख़िरी हिस्सा यह है जिससे और ज़्यादा क़ुदरत ज़ाहिर होती है कि) हम (माँ के) रहम में जिस (नुत्फ़े) को चाहते हैं एक निर्धारित मुद्दत (यानी पैदाईश के वक़्त) तक ठहराये रखते हैं (और जिसको ठहराना नहीं चाहते हैं वहाँ गर्भपात हो जाता है) फिर (उस निर्धारित मुद्दत के बाद) हम तुमको बच्चा बनाकर (माँ के पेट से) बाहर लाते हैं, फिर (उसके बाद तीन क़िस्में हो जाती हैं एक क़िस्म यह कि तुम में से कुछ को जवानी तक मोहलत देते हैं) ताकि तुम अपनी भरी जवानी (की उम्र) तक पहुँच जाओ, और बाज़े तुम में वे भी हैं जो (जवानी से पहले ही) मर जाते हैं (यह दूसरी क़िस्म हुई), और बाज़े तुम में वे हैं जो निकम्मी उम्र (यानी ज़्यादा बुढ़ापे) तक पहुँचा दिये जाते हैं, जिसका असर यह है कि एक चीज़ के जानकार होकर फिर बेख़बर हो जाते हैं (जैसा कि अक्सर बूढ़ों को देखा गया है कि अभी एक बात बतलाई और अभी फिर पूछ रहे हैं। यह तीसरी क़िस्म हुई। ये सब अहवाल भी अल्लाह तआ़ला की बड़ी क़ुदरत की निशानियाँ हैं)।

(एक दलील पकड़ना तो यह था) और (आगे दूसरा दलील लेना यह है कि) ऐ मुख़ातब! तू ज़मीन को देखता है कि सूखी (पड़ी) है, फिर जब हम उस पर पानी बरसाते हैं तो वह उभरती है और फूलती है, और हर क़िस्म (यानी क़िस्म-क़िस्म) की ख़ुशनुमा नबातात "यानी पेड़-पौधे और सब्ज़ियाँ व घास वग़ैरह" उगाती है (सो यह भी दलील है कामिल क़ुदरत की। आगे इस दलील पकड़ने को और स्पष्ट करने के लिये उक्त क़ुदरत व इख़्तियार इस्तेमाल करने की वजह और हिक्मत का बयान फ़रमाते हैं यानी) यह (जो कुछ ऊपर दोनों दलीलें हासिल करने के तहत में उक्त चीज़ों का बनाना और ज़ाहिर करना बयान हुआ यह सब) इस सबब से हुआ कि अल्लाह तआ़ला ही हस्ती में कामिल है (यह तो उसका ज़ाती कमाल है), और वही बेजानों में जान डालता है (यह उसका फ़ेली कमाल है), और वही हर चीज़ पर क़ादिर है (यह उसका सिफ़ाती कमाल है और ये तीनों चीज़ें मिलकर ऊपर बयान हुए मामलों की इल्लत और सबब हैं, क्योंकि अगर इन तीनों कमालात में से एक भी ज़ाहिर न होता और वजूद में न आता तो पैदा करना और बनाना न पाया जाता, जैसा कि ज़ाहिर है)।

और (साथ ही इस सबब से हुआ कि) क़ियामत आने वाली है इसमें ज़रा भी शुब्हा नहीं, और अल्लाह तआ़ला (क़ियामत में) क़ब्र वालों को दोबारा पैदा कर देगा। (ये ज़िक्र हुई बातों की हिक्मत हैं

यानी हमने वो उक्त उलट-फेर, अपनी क़ुदरत की निशानियाँ और इख़्तियारात इसलिये ज़ाहिर किये कि उसमें अन्य हिक्मतों के अलावा एक हिक्मत और वजह यह थी कि हमको क़ियामत का लाना और मुर्दों को ज़िन्दा करना मन्ज़ूर था तो इन इख़्तियारात व क़ुदरतों से उनका संभव होना लोगों पर ज़ाहिर हो जायेगा। पस उक्त चीज़ों को बनाने और सामने लाने की तीन इल्लतें और दो हिक्मतें बयान हुईं और आम मायने में होने के कारण सबब आम हुआ इसलिए 'बि-अन्नल्ला-ह' की सबब वाली 'बा' सब पर दाख़िल हो गई) और (यहाँ तक तो झगड़ने और बहस करने वालों की गुमराही और उसके रद्द में दलील पेश करने का ज़िक्र था आगे उनका दूसरों को गुमराह करना और दोनों चीज़ों यानी गुमराह होने और गुमराह करने का ज़बरदस्त वबाल होने का ज़िक्र होता है) बाज़े आदमी ऐसे होते हैं कि अल्लाह के बारे में (यानी उसकी ज़ात या सिफ़ात या कामों के बारे में) बिना जानकारी (यानी ज़रूरी इल्म) के और बिना दलील (यानी अक़्ली तौर पर दलील लाने) और बिना किसी रोशन किताब (यानी किताबी दलील लाने) के (और दूसरे सही इल्म रखने वालों की पैरवी और अनुसरण से) तकब्बुर करते हुए झगड़ा करते हैं ताकि (दूसरे लोगों को भी) अल्लाह की राह से (यानी हक़ दीन से) बेराह कर दें, ऐसे शख़्स के लिये दुनिया में रुस्वाई है (चाहे किसी क़िस्म की रुस्वाई हो, चुनाँचे बाज़े गुमराह लोग क़त्ल व क़ैद वग़ैरह के ज़रिये ज़लील होते हैं बाज़े अहले हक़ के साथ मुनाज़रे में पराजित होकर अक़्लमन्दों की नज़र में बेइज़्ज़त होते हैं) और क़ियामत के दिन हम उसको जलती आग का अज़ाब चखाएँगे (और उससे कहा जायेगा) कि यह तेरे हाथ के किये हुए कामों का बदला है, और यह बात साबित ही है कि अल्लाह तआला (अपने) बन्दों पर ज़ुल्म करने वाला नहीं (पस तुझको बिना जुर्म के सज़ा नहीं दी गई)।

मआरिफ़ व मसाईल

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ.

यह आयत नज़र बिन हारिस के बारे में नाज़िल हुई जो बड़ा झगड़ालू था, फ़रिश्तों को ख़ुदा तआला की बेटियाँ और क़ुरआन को पिछले लोगों के अफ़साने कहा करता था, और क़ियामत और दोबारा ज़िन्दा होने का इनकारी था (जैसा कि इब्ने अबी हातिम ने अबू मालिक की रिवायत से नक़ल किया है। तफ़सीरे मज़हरी)।

यह आयत अगरचे एक ख़ास शख़्स के बारे में नाज़िल हुई मगर इसका हुक्म सब के लिये आम है जिसमें इस तरह की बुरी ख़स्लतें पाई जायें।

माँ के पेट में इनसानी बनावट के दर्जे और विभिन्न हालात

فَإِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ.

इस आयत में माँ के पेट के अन्दर इनसान की तख़्लीक़ (बनावट व पैदाईश) के विभिन्न दर्जों का बयान है। इसकी तफ़सील सही बुख़ारी की एक हदीस में है जो हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद

रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया और वह सच बोलने वाले और सच्चे समझे जाने वाले हैं, कि इनसान का माद्दा चालीस दिन तक रहम (गर्भ) में जमा रहता है, फिर चालीस दिन के बाद अ़लक़ा यानी जमा हुआ ख़ून बन जाता है, फिर चालीस ही दिन में वह मुज़ग़ा यानी गोश्त बन जाता है, उसके बाद अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से एक फ़रिश्ता भेजा जाता है जो उसमें रूह फूँक देता है और उसके मुताल्लिक़ चार बातें उसी वक़्त फ़रिश्ते को लिखवा दी जाती हैं– अव्वल यह कि उसकी उम्र कितनी है? दूसरे रिज़्क़ कितना है? तीसरे अ़मल क्या-क्या करेगा? चौथे यह कि अन्जामकार यह शक़ी और बदबख़्त होगा या सईद व ख़ुशनसीब।

(तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

एक दूसरी एक रिवायत में जिसको इब्ने अबी हातिम और इब्ने जरीर ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ही से रिवायत किया है उसमें यह भी है कि नुत्फ़ा (वीर्य का क़तरा) जब कई दौर से गुज़रने के बाद गोश्त का लोथड़ा बन जाता है तो उस वक़्त वह फ़रिश्ता जो हर इनसान की तख़्लीक़ (बनाने और वजूद में लाने) पर मामूर है वह अल्लाह तआ़ला से मालूम करता है:

يَارَبِّ مُخَلَّقَةٌ اَوْغَيْرُ مُخَلَّقَةٍ.

(यानी इस गोश्त के लोथड़े से इनसान का पैदा करना आपके नज़दीक मुक़द्दर है या नहीं) अगर अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से यह जवाब मिलता है कि यह पैदा होने वाला नहीं है तो रहम उसको गिरा देता है, उसकी बनावट दूसरे चरणों तक नहीं पहुँचती, और अगर हुक्म होता है कि यह पैदा होने वाला है तो फिर फ़रिश्ता सवाल करता है कि लड़का है या लड़की, और बदबख़्त है या नेकबख़्त, और इसकी उम्र क्या है और इसका अ़मल कैसा है, और कहाँ मरेगा (ये सब चीज़ें उसी वक़्त फ़रिश्ते को बतला दी जाती हैं। इब्ने कसीर) 'मुख़ल्लक़ा' व 'ग़ैरि मुख़ल्लक़ा' की यह तफ़सीर हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से भी नक़ल की गयी है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

مُخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ.

ज़िक्र हुई हदीस से इन दोनों की तफ़सीर यह मालूम हुई कि जिस इनसानी नुत्फ़े का पैदा होना मुक़द्दर होता है वह 'मुख़ल्लक़ा' (पैदा होने और बनने वाला) है और जिसका ज़ाया और गिर जाना मुक़द्दर है वह 'ग़ैरि-मुख़ल्लक़ा' (न पैदा होने और न बनने वाला) है। और कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात 'मुख़ल्लक़ा' और 'ग़ैरि-मुख़ल्लक़ा' की तफ़सीर यह करते हैं कि जिस बच्चे की तख़्लीक़ (बनावट व पैदाईश) मुकम्मल और तमाम अंग सही सालिम और सन्तुलित हों वह 'मुख़ल्लक़ा' और जिसके कुछ अंग नाक़िस हों या क़द और रंग वग़ैरह 'असन्तुलित' हो वह 'ग़ैरि-मुख़ल्लक़ा' है। ऊपर दर्ज ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में इसी तफ़सीर को लिया गया है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम।

ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا.

यानी फिर माँ के पेट से तुमको निकालते हैं। कमज़ोर बच्चा होने की सूरत में उसका बदन भी कमज़ोर होता है, सुनने और देखने की ताक़त भी, हवास व अ़क़्ल भी, हरकत व पकड़ की क़ुव्वत भी, ग़र्ज़ कि सब क़ुव्वतें बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ व कमज़ोर होती हैं, फिर धीरे-धीरे उनमें तरक़्क़ी दी जाती है

यहाँ तक कि पूरी क़ुव्वत तक पहुँच जाते हैं, 'सुम्-म लितब्लुग़ू अशुद्दकुम' के यही मायने हैं। लफ़्ज़ अशद्द शिद्दत की जमा (बहुवचन) है जैसे 'अन्अ़म' नेमत की जमा आती है, मायने यह हुए कि धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीक़ से तरक़्क़ी का सिलसिला उस वक़्त तक चलता रहता है जब तक कि तुम्हारी हर क़ुव्वत मुकम्मल न हो जाये जो जवानी के वक़्त में होती है।

اَرْذَلِ الْعُمُرِ.

यानी वह उम्र जिसमें इनसान की अ़क़्ल व शऊर और हवास में ख़लल आने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ऐसी उम्र से पनाह माँगी है। नसाई में हज़रत सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम निम्नलिखित अलफ़ाज़ पर आधारित यह दुआ़ ख़ूब ज़्यादा माँगते थे, और हदीस के रिवायत करने वाले हज़रत सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु यह दुआ़ अपनी सब औलाद को याद करा देते थे। वह दुआ़ यह है:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰٓی اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

अल्लाहुम्-म इन्नी अऊज़ु बि-क मिनल्-बुख़्लि व अऊज़ु बि-क मिनल्-जुब्नि व अऊज़ु बि-क मिन् उरद्-द इला अर्ज़लिल्-उमुरि व अऊज़ु बि-क मिन् फ़ित्नतिद्दुन्या व अ़ज़ाबिल्-क़ब्रि। (क़ुर्तुबी)

इनसान की शुरूआ़ती बनावट व पैदाईश के बाद उम्र के विभिन्न चरण और उनके हालात

मुस्नद अहमद और मुस्नद अबू यअ़्ला में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि बच्चा जब तक बालिग़ नहीं होता उसके नेक अ़मल उसके वालिद या वालिदैन के हिसाब में लिखे जाते हैं, और जो कोई बुरा अ़मल करे तो वह न उसके हिसाब में लिखा जाता है न वालिदैन (माँ-बाप) के। फिर जब वह बालिग़ हो जाता है तो हिसाब का क़लम उसके लिये जारी हो जाता है और दो फ़रिश्ते जो उसके साथ रहने वाले हैं उनको हुक्म दे दिया जाता है कि उसकी हिफ़ाज़त करें और ज़रूरी ताक़त उसको पहुँचायें। जब इस्लाम की हालत में चालीस साल की उम्र को पहुँच जाता है तो अल्लाह तआ़ला उसको (तीन क़िस्म की बीमारियों से) महफ़ूज़ कर देते हैं यानी जुनून (पागलपन), और कोढ़ और सफ़ेदे की बीमारी से। जब पचास साल की उम्र को पहुँचता है तो अल्लाह तआ़ला उसका हिसाब हल्का कर देते हैं। जब साठ साल को पहुँचता है तो अल्लाह उसको अपनी तरफ़ रुजू की तौफ़ीक़ दे देते हैं। जब सत्तर साल को पहुँचता है तो सब आसमान वाले उससे मुहब्बत करने लगते हैं और जब अस्सी साल को पहुँचता है तो अल्लाह तआ़ला उसकी नेकियों को लिखते हैं और बुराईयों को माफ़ फ़रमा देते हैं, फिर जब नब्बे साल की उम्र हो जाये तो अल्लाह तआ़ला उसके सब अगले-पिछले गुनाह माफ़ फ़रमा देते हैं और उसको अपने घर वालों के मामले में सिफ़ारिश करने का हक़ देते हैं और उसकी सिफ़ारिश क़ुबूल

फ़रमाते हैं और उसका लक़ब अमीनुल्लाह और असीरुल्लाह फ़िल्-अर्ज़ (यानी ज़मीन में अल्लाह का क़ैदी) हो जाता है (क्योंकि इस उम्र में पहुँचकर उमूमन इनसान की क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है किसी चीज़ में लज़्ज़त नहीं रहती, क़ैद की तरह उम्र गुज़ारता है, और जब उम्र के सबसे घटिया दौर को पहुँच जाये तो उसके वो तमाम नेक अ़मल उसके नामा-ए-आमाल में बराबर लिखे जाते हैं जो अपनी सेहत व क़ुव्वत के ज़माने में किया करता था, और अगर उससे कोई गुनाह हो जाता है तो वह लिखा नहीं जाता।

यह रिवायत हाफ़िज़ इब्ने कसीर ने मुस्नद अबू यअ़्ला से नक़ल करने के बाद फ़रमाया है:

هٰذا حديث غريب جدا وفيه نكارة شديدة.

(यह हदीस ग़रीब है और इसमें सख़्त नकारत है। यानी मज़बूत व मोतबर नहीं) फिर फ़रमायाः

ومع هٰذا قد رواه الامام احمد بن حنبل فى مسنده موقوفًا و مرفوعًا.

(यानी इस ग़रीब व मुन्कर होने के बावजूद इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में इसको मौक़ूफ़न और मरफ़ूअ़न दोनों तरह रिवायत किया है, फिर इब्ने कसीर ने मुस्नद अहमद से ये दोनों क़िस्म की रिवायतें नक़ल की हैं जिनका मज़मून तक़रीबन वही है जो मुस्नद अबू यअ़्ला के हवाले से ऊपर नक़ल हुआ) वल्लाहु आलम।

ثَانِىَ عِطْفِهٖ.

इत्फ़ के मायने जानिब और करवट के हैं, यानी करवट मोड़ने वाला। इससे मुराद उसका मुँह फेरना और बेतवज्जोही बरतना है।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى

حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ ِۨ اطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ُۨ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ۝ يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ۝ يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗٓ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ ؕ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ۝

व मिनन्नासि मंय्यअ़्बुदुल्ला-ह अ़ला हर्फ़िन् फ-इन् असा-बहू ख़ैरु-नित्मअन्-न बिही व इन् असाबत्हु फ़ित्नतु-निन्क़-ल-ब अ़ला वज्हिही, ख़सिरद्दुन्या वल्आख़िर-त, ज़ालि-क हुवल्-ख़ुस्रानुल्-मुबीन (11) यद्अ़ू	और बाज़ा शख़्स वह है कि बन्दगी करता है अल्लाह की किनारे पर फिर अगर पहुँची उसको भलाई तो क़ायम हो गया उस इबादत पर और अगर पहुँच गयी उसको जाँच फिर गया उल्टा अपने मुँह पर, गंवाई दुनिया और आख़िरत, यही है खुला टोटा। (11) पुकारता है अल्लाह के

मिन् दूनिल्लाहि मा ला यज़ुर्रुहू व मा ला यन्फ़अ़ुहू, ज़ालि-क हुवज़्ज़लालुल्-बअ़ीद (12) यद्अ़ू ल-मन् ज़र्रुहू अक़्रबु मिन् नफ़्अ़िही, लबिअ्सल्-मौला व लबिअ्सल्-अ़शीर (13)	सिवाय ऐसी चीज़ को कि न उसका नुक़सान करे और न उसका फ़ायदा करे यही है दूर जा पड़ना गुमराह होकर। (12) पुकारे जाता है उसको जिसका नुक़सान पहले पहुँचे नफ़े से, बेशक बुरा दोस्त है और बुरा साथी। (13)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और बाज़ा आदमी अल्लाह की इबादत (ऐसे तौर पर) करता है (जैसे किसी चीज़ के) किनारे पर (खड़ा हो और मौक़ा पाकर चल देने पर तैयार हो) फिर अगर उसको कोई (दुनियावी) नफ़ा पहुँच गया तो उसकी वजह से (ज़ाहिरी) क़रार पा लिया, और अगर उसकी कुछ आज़माईश हो गई तो मुँह उठाकर (कुफ़्र की तरफ़) चल दिया, (जिससे) दुनिया और आख़िरत दोनों को खो बैठा, यही है खुला नुक़सान (दुनिया का नुक़सान तो दुनियावी आज़माईश जो किसी मुसीबत से होती वह ज़ाहिर ही है और आख़िरत का नुक़सान यह हुआ कि इस्लाम और) ख़ुदा को छोड़कर उसी चीज़ की इबादत करने लगा जो (इस क़द्र आ़जिज़ और बेबस है कि) न उसको नुक़सान पहुँचा सकती है और न उसको नफ़ा पहुँचा सकती है (यानी उसकी इबादत न करो तो कोई नुक़सान पहुँचाने की और करो तो नफ़ा पहुँचाने की कोई क़ुदरत नहीं। ज़ाहिर है कि कामिल क़ुदरत वाले को छोड़कर ऐसी बेबस चीज़ को अपनाना ख़सारा ही ख़सारा है) यह इन्तिहाई दर्जे की गुमराही है। (सिर्फ़ यही नहीं कि उसकी इबादत से कोई नफ़ा न पहुँचे बल्कि उल्टा नुक़सान है क्योंकि) वह ऐसे की इबादत कर रहा है कि उसका नुक़सान उसके नफ़े के मुक़ाबले में ज़्यादा क़रीब है। ऐसा कारसाज़ भी बुरा और ऐसा साथी भी बुरा (जो किसी तरह किसी हाल किसी के काम न आये, कि उसको मौला और आक़ा बना लो या दोस्त और साथी बना लो, किसी हाल में उससे कुछ नफ़ा नहीं)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ.

बुख़ारी और इब्ने अबी हातिम ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हिजरत करके मदीना तय्यिबा में मुक़ीम हो गये तो कुछ ऐसे लोग भी आकर मुसलमान हो जाते थे (जिनके दिल में ईमान की पुख़्तगी नहीं थी) अगर इस्लाम लाने के बाद उसकी औलाद और माल में तरक़्क़ी हो गयी तो कहता था कि यह दीन अच्छा है, और अगर इसके ख़िलाफ़ हुआ तो कहता था कि यह बुरा दीन है। ऐसे ही लोगों के बारे में यह आयत

नाज़िल हुई है कि ये लोग ईमान के एक किनारे पर खड़े हैं, अगर इनको ईमान के बाद दुनियावी राहत और माल व सामान मिल गया तो इस्लाम पर जम गये, और अगर वे बतौर आज़माईश किसी तकलीफ़ व परेशानी में मुब्तला हो गये तो दीन से फिर गये।

إِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ
تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۝ مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِى
الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ ۝
وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يُّرِيْدُ ۝

इन्नल्ला-ह युद्ख़िलुल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति जन्नातिन् तज्री मिन् तह़्तिहल्-अन्हारु, इन्नल्ला-ह यफ़्अ़लु मा युरीद (14) मन् का-न यज़ुन्नु अल्लंय्यन्सु-रहुल्लाहु फ़िद्दुन्या वल्आख़िरति फ़ल्यम्दुद् बि-स-बबिन् इलस्समा-इ सुम्मल्-यक़्तअ़् फ़ल्यन्ज़ुर् हल् युज़्हिबन्-न कैदुहू मा यग़ीज़ (15) व कज़ालि-क अन्ज़ल्नाहु आयातिम्-बय्यिनातिंव्-व अन्नल्ला-ह यह्दी मंय्युरीद (16)	अल्लाह दाख़िल करेगा उनको जो ईमान लाये और कीं भलाईयाँ बाग़ों में, बहती हैं उनके नीचे नहरें, अल्लाह करता है जो चाहे। (14) जिसको यह ख़्याल हो कि हरगिज़ न मदद करेगा उसकी अल्लाह दुनिया में और आख़िरत में तो तान ले एक रस्सी आसमान को फिर काट डाले अब देखे कुछ जाता रहा उसकी इस तदबीर से उसका गुस्सा। (15) और यूँ उतारा हमने यह क़ुरआन खुली बातें और यह है कि अल्लाह सुझा देता है जिसको चाहे। (16)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

बेशक अल्लाह तआ़ला ऐसे लोगों को जो ईमान लाये और अच्छे काम किये (जन्नत के) ऐसे बाग़ों में दाख़िल फ़रमाएँगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, (और अल्लाह जिस शख़्स या क़ौम को कोई सवाब या अ़ज़ाब देना चाहे उसको कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि) अल्लाह तआ़ला (क़ादिरे मुतलक़ है) जो इरादा करता है कर गुज़रता है। (और जिन लोगों के दीने हक़ में झगड़ा करने का ज़िक्र आया है अगली आयत में उनकी नाकामी और मेहरूमी का बयान है। फ़रमाया) जो शख़्स (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ मुख़ालफ़त करके) इस बात का ख़्याल रखता हो कि (मैं ग़ालिब आ जाऊँगा और आपके दीन की तरक़्क़ी को रोक दूँगा और यह कि) अल्लाह तआ़ला रसूल

(सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की (और आपके दीन की) दुनिया और आख़िरत में मदद न करेगा तो उसको चाहिए कि एक रस्सी आसमान तक तान ले (और आसमान से बाँध दे), फिर (उस रस्सी के ज़रिये से आसमान पर पहुँच सके तो पहुँच जाये ताकि) इस वही को रुकवा दे, (और ज़ाहिर है कि ऐसा कोई नहीं कर सकता) तो फिर (अब) ग़ौर करना चाहिए कि क्या उसकी (यह) तदबीर (जिससे बिल्कुल आ़जिज़ है) उसकी नागवारी की चीज़ को (यानी वही को) बन्द कर सकती है। और हमने इस (क़ुरआन) को इसी तरह उतारा है (कि इसमें हमारे इरादे और क़ुदरत के सिवा किसी का दख़ल नहीं) जिसमें खुली-खुली दलीलें (हक़ को मुतैयन करने की) हैं और अल्लाह तआ़ला ही जिसको चाहता है हिदायत करता है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

مَنْ كَانَ يَظُنُّ

हासिल यह है कि इस्लाम का रास्ता रोकने वाले विरोधी और दुश्मन जो यह चाहते हैं कि अल्लाह तआ़ला अपने रसूल और उसके दीन की मदद न करे उनको समझना चाहिये कि यह तो तभी हो सकता है जबकि मआ़ज़ल्लाह हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से नुबुव्वत का मर्तबा छिन जाये और आप पर वही आनी बन्द हो जाये, क्योंकि अल्लाह तआ़ला जिसको नुबुव्वत व रिसालत सुपुर्द फ़रमाता है और उसको अपनी वही से नवाज़ता है उसकी मदद तो दुनिया व आख़िरत में करने का उसकी तरफ़ से पुख़्ता वायदा है, और अ़क़्ली तौर पर भी इसके ख़िलाफ़ न होना चाहिये। तो जो शख़्स आपकी और आपके दीन की तरक़्क़ी को रोकना चाहता है उसको अगर उसके क़ब्ज़े में हो तो ऐसी तदबीर करनी चाहिये कि यह नुबुव्वत का मर्तबा व मक़ाम छिन जाये और अल्लाह की वही बन्द हो जाये। इस मज़मून को एक फ़र्ज़े मुहाल के उनवान से इस तरह ताबीर किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से वही को बन्द करने का काम करना चाहता है तो किसी तरह आसमान पर पहुँचे वहाँ जाकर वही के इस सिलसिले को ख़त्म कर दे। और ज़ाहिर है कि न किसी का इस तरह आसमान पर जाना मुम्किन न अल्लाह तआ़ला से वही बन्द करने को कहना मुम्किन, तो फिर जब कोई तदबीर कारगर नहीं तो इस्लाम व ईमान के ख़िलाफ़ ग़ुस्से व आक्रोश का क्या नतीजा? यह तफ़सीर बिल्कुल इसी तरह दुर्रे मन्सूर में इब्ने ज़ैद से रिवायत की गयी है और मेरे नज़दीक यह सबसे बेहतर और साफ़ तफ़सीर है। (बयानुल-क़ुरआन, सरलता के साथ)

अ़ल्लामा क़ुर्तुबी ने इसी तफ़सीर को अबू जाफ़र नुहास से नक़ल करके फ़रमाया कि यह सबसे अच्छी तफ़सीर है, और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से भी इस तफ़सीर को नक़ल किया है। और कुछ हज़रात ने इस आयत की तफ़सीर यह की है कि समा (आसमान) से मुराद अपने मकान की छत है और आयत की मुराद यह है कि अगर किसी जाहिल दुश्मन की इच्छा यही है कि अल्लाह तआ़ला अपने रसूल और उसके दीन की मदद न करे और वह इस्लाम के ख़िलाफ़ ग़ुस्सा व आक्रोश लिये हुए है तो समझ ले कि उसकी यह मुराद तो कभी पूरी न होगी, इस अहमक़ाना ग़ुस्से व आक्रोश का तो इलाज यही है कि छत में रस्सी डालकर फाँसी ले ले और मर जाये। (तफ़सीरे मज़हरी वग़ैरह)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۩ ﴿١٨﴾

السجدة (٢)

इन्नल्लज़ी-न आमनू वल्लज़ी-न हादू वस्साबिई-न वन्नसारा वल्मजू-स वल्लज़ी-न अशरकू इन्नल्ला-ह यफ़्सिलु बैनहुम् यौमल्-क़ियामति, इन्नल्ला-ह अ़ला कुल्लि शैइन् शहीद (17) अलम् त-र अन्नल्ला-ह यस्जुदु लहू मन् फ़िस्समावाति व मन् फ़िल्अर्ज़ि वश्शम्सु वल्क़-मरु वन्नुजूमु वल्जिबालु वश्श-जरु वद्दवाब्बु व कसीरुम्-मिनन्नासि, व कसीरुन् हक़्-क़ अ़लैहिल्-अ़ज़ाबु, व मंय्युहिनिल्लाहु फ़मा लहू मिम्-मुक्रिमिन्, इन्नल्ला-ह यफ़्अ़लु मा यशा-उ (18) ۞	जो लोग मुसलमान हैं और जो यहूदी हैं और साबिईन और ईसाई और मजूस और जो शिर्क करते हैं, अल्लाह फ़ैसला मुक़र्रर करेगा उनमें क़ियामत के दिन, अल्लाह के सामने है हर चीज़। (17) तूने नहीं देखा कि अल्लाह को सज्दा करता है जो कोई आसमान में है और जो कोई ज़मीन में है और सूरज और चाँद और तारे और पहाड़ और पेड़ और जानवर और बहुत आदमी और बहुत हैं कि उन पर ठहर चुका अ़ज़ाब, और जिसको अल्लाह ज़लील करे उसे कोई नहीं इज़्ज़त देने वाला, अल्लाह करता है जो चाहे। (18) ۞

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

इसमें कोई शुब्हा नहीं कि मुसलमान और यहूदी और साबिईन और ईसाई और मजूस और मुश्रिक लोग, अल्लाह तआ़ला इन सब के बीच क़ियामत के दिन (अ़मली) फ़ैसला कर देगा (मुसलमानों को जन्नत में और हर प्रकार के काफ़िरों को दोज़ख़ में दाख़िल करेगा), बेशक ख़ुदा तआ़ला हर चीज़ से वाक़िफ़ है।

ऐ मुख़ातब! क्या तुझको यह बात मालूम नहीं कि अल्लाह तआ़ला के सामने (अपनी-अपनी

हालत के मुनासिब) सब आ़जिज़ी करते हैं जो कि आसमानों में हैं और जो कि ज़मीन में हैं, और सूरज और चाँद और सितारे और पहाड़ और पेड़-पौधे और चौपाये और (तमाम मख़्लूक़ात के ताबेदार व फ़रमाँबरदार होने के बावजूद इनसान जो ख़ास दर्जे की अ़क्ल भी रखता है वे सब के सब ताबेदार व फ़रमाँबरदार नहीं बल्कि) बहुत सारे (तो) आदमी भी (फ़रमाँबरदारी और आ़जिज़ी करते हैं) और बहुत-से ऐसे हैं जिन पर अ़ज़ाब का हक़दार होना साबित हो गया है, और (सच यह है कि) जिसको ख़ुदा ज़लील करे (कि उसको हिदायत की तौफ़ीक़ न हो) उसको कोई इ़ज़्ज़त देने वाला नहीं, (और) अल्लाह तआ़ला (को इख़्तियार है अपनी हिक्मत से) जो चाहे करे।

मआ़रिफ़ व मसाईल

पहली आयत में दुनिया की तमाम क़ौमों मोमिनों और काफ़िरों फिर काफ़िरों के विभिन्न अ़क़ीदों वाले गिरोहों के बारे में यह इरशाद फ़रमाया है कि अल्लाह तआ़ला उन सब का फ़ैसला फ़रमायेंगे और वह हर एक के ज़ाहिर व बातिन से बाख़बर हैं। फ़ैसला क्या होगा इसका ज़िक्र बार-बार क़ुरआन में आ चुका है कि नेक मोमिनों के लिये हमेशा की और कभी ख़त्म न होने वाली राहत है और काफ़िरों के लिये हमेशा का अ़ज़ाब। दूसरी आयत में तमाम मख़्लूक़ात चाहे ज़िन्दा और रूह-वाली हों या बेजान व पेड़-पौधे वग़ैरह सब का हक़ तआ़ला के लिये ताबेदार और फ़रमाँबरदार होना सज्दे के उनवान से बयान फ़रमाकर इनसानी नस्ल की दो क़िस्में बयान फ़रमाई हैं– एक हुक्मों को मानने वाले व फ़रमाँबरदार सज्दे में सब के साथ शरीक, और दूसरे सरकश व बाग़ी सज्दे से विमुख और मुँह मोड़ने वाले। और फ़रमान के ताबे होने को सज्दा करने से ताबीर किया गया है जिसका तर्जुमा ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में आ़जिज़ी करने से किया है ताकि मख़्लूक़ात की हर जाति व प्रजाति और हर क़िस्म के सज्दे को शामिल हो जाये, क्योंकि उनमें से हर एक का सज्दा उसके हाल के मुनासिब होता है। इनसान का सज्दा ज़मीन पर माथा रखने का नाम है, दूसरी मख़्लूक़ात का सज्दा अपनी-अपनी वह ख़िदमत जिसके लिये उनको पैदा किया गया है उसको अन्जाम देने का और ख़िदमत का हक़ अदा करने का नाम सज्दा है।

तमाम मख़्लूक़ात के फ़रमाँबरदार और फ़रमान के ताबे होने की हक़ीक़त

तमाम कायनात व मख़्लूक़ात का अपने ख़ालिक़ के हुक्म और मर्ज़ी के ताबे होना एक तो पैदाईशी और तक़दीरी तौर पर ग़ैर-इख़्तियारी है जिससे कोई भी मख़्लूक़ मोमिन या काफ़िर ज़िन्दा या मुर्दा, बेजान चीज़ें या पेड़-पौधे इससे बाहर नहीं, इस हैसियत में सब के सब बराबर तौर पर हक़ तआ़ला के हुक्म व मर्ज़ी के ताबे हैं। जहान का कोई ज़र्रा या पहाड़ उसके हुक्म व मर्ज़ी के बग़ैर कोई मामूली सी हरकत नहीं कर सकता। दूसरी इताअ़त व फ़रमाँबरदारी इख़्तियारी है कि कोई मख़्लूक़ अपने इरादे व इख़्तियार से अल्लाह तआ़ला के हुक्मों का पालन करे, इसमें मोमिन व काफ़िर

का फ़र्क़ होता है कि मोमिन हुक्म मानने वाला और फ़रमाँबरदार होता है, काफ़िर उससे विमुख और इनकारी होता है। इस आयत में चूँकि मोमिन व काफ़िर का फ़र्क़ बयान फ़रमाया है यह इशारा इसका है कि इसमें सज्दे और फ़रमाँबरदारी से मुराद सिर्फ़ फ़ितरी व तक़दीरी इताअ़त नहीं बल्कि इख़्तियारी और इरादी इताअ़त है। इसमें यह शुब्हा न किया जाये कि इख़्तियारी और इरादी इताअ़त तो सिर्फ़ अ़क़्ल वाले इनसान और जिन्नात वग़ैरह में हो सकती है, जानवरों, पेड़-पौधों और बेजान चीज़ों में अ़क़्ल व शऊर ही नहीं तो फिर क़स्द व इरादा कहाँ और इताअ़त इख़्तियारी कैसी? क्योंकि क़ुरआने करीम के बेशुमार बयानात व दलीलों से यह बात साबित है कि अ़क़्ल व शऊर और इरादे से कोई भी मख़्लूक़ ख़ाली नहीं, कम ज़्यादा होने का फ़र्क़ है। इनसान और जिन्नात को अल्लाह तआ़ला ने अ़क़्ल व शऊर का एक कामिल दर्जा अ़ता फ़रमाया है और इसी लिये उनको शरई अहकाम का पाबन्द बनाया गया है, उनके सिवा बाक़ी मख़्लूक़ात में से हर क़िस्म, हर वर्ग और हर प्रजाति को उस प्रजाति व क़िस्म और वर्ग की ज़रूरतों के मुवाफ़िक़ अ़क़्ल व शऊर दिया गया है।

इनसान के बाद सबसे ज़्यादा यह अ़क़्ल व शऊर हैवानात (जानदार और प्राणियों) में है, उसके बाद दूसरे नम्बर में पेड़-पौधे हैं, तीसरे में जमादात (यानी बेजान चीज़ें) हैं। हैवानात का अ़क़्ल व शऊर तो आ़म तौर पर महसूस किया जाता है, पेड़-पौधों का अ़क़्ल व शऊर भी ज़रा सा ग़ौर व तहक़ीक़ करने वाला पहचान लेता है, लेकिन जमादात का अ़क़्ल व शऊर इतना कम और छुपा है कि आ़म इनसान उसको नहीं पहचान सकते। मगर उनके ख़ालिक़ व मालिक ने ख़बर दी है कि वो भी अ़क़्ल व शऊर और क़स्द व इरादे के मालिक हैं। क़ुरआने करीम ने आसमान व ज़मीन के बारे में फ़रमाया है:

قَالَتَآ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ٥

यानी जब अल्लाह तआ़ला ने आसमान व ज़मीन को हुक्म दिया कि तुमको हमारे फ़रमान के ताबे रहना है अपनी ख़ुशी से फ़रमाँबरदारी इख़्तियार करो वरना जबरन और हुक्मन ताबे रहना ही है तो आसमान व ज़मीन ने अ़र्ज़ किया कि हम अपने इरादे और ख़ुशी से इताअ़त व फ़रमाँबरदारी क़ुबूल करते हैं। और दूसरी जगह पहाड़ के पत्थरों के बारे में क़ुरआने करीम का इरशाद है:

وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ.

यानी कुछ पत्थर ऐसे हैं जो अल्लाह तआ़ला के डर और ख़ौफ़ के मारे ऊपर से नीचे लुढ़क जाते हैं। इसी तरह बहुत सी हदीसों में पहाड़ों की आपसी गुफ़्तगू और दूसरी मख़्लूक़ात में अ़क़्ल व शऊर की शहादतें कसरत से मिलती हैं। इसलिये इस आयत में जिस इताअ़त व फ़रमाँबरदारी को सज्दे के लफ़्ज़ से ताबीर किया गया है उससे इख़्तियारी व इरादी फ़रमाँबरदारी मुराद है और आयत के मायने यह हैं कि इनसानी नस्ल के अ़लावा (जिनके तहत में जिन्नात भी दाख़िल हैं) बाक़ी तमाम मख़्लूक़ात अपने इरादे व इख़्तियार से अल्लाह तआ़ला की बारगाह में सज्दा करने वाली यानी हुक्म के ताबे हैं, सिर्फ़ इनसान और जिन्नात ऐसे हैं जिनमें दो हिस्से हो गये- एक मोमिन व फ़रमाँबरदार और सज्दा करने वाले, दूसरे काफ़िर व नाफ़रमान और सज्दे से बग़ावत करने वाले जिनको अल्लाह ने ज़लील कर दिया है कि उनको सज्दे की तौफ़ीक़ नहीं बख़्शी। वल्लाहु आलम

هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ ز فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ط يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ۞ يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ۞ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ۞ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ق وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۞ اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ط وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ۞ وَهُدُوْٓا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَهُدُوْٓا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ۞

ع ٢ / ١٢ / ٩

हाज़ानि ख़स्मानिख़्त-समू फ़ी रब्बिहिम्, फ़ल्लज़ी-न क-फ़रू क़ुत्तिअ़त् लहुम् सियाबुम्-मिन् नारिन्, युसब्बु मिन् फ़ौक़ि-रुऊसिहिमुल्-हमीम (19) युस्हरु बिही मा फ़ी बुतूनिहिम् वल्जुलूद (20) व लहुम् मक़ामिअ़ु मिन् हदीद (21) कुल्लमा अरादू अंय्यख़्रुजू मिन्हा मिन् ग़म्मिन् उअ़ीदू फ़ीहा, व ज़ूक़ू अ़ज़ाबल्-हरीक़ (22) ✿

ये दो दावेदार हैं झगड़ते हैं अपने रब पर सो जो मुन्किर हुए उनके वास्ते कतरे गये हैं कपड़े आग के, डालते हैं उनके सर पर जलता पानी। (19) गल कर निकल जाता है उससे जो कुछ उनके पेट में है और खाल भी। (20) और उनके वास्ते हथोड़े हैं लोहे के। (21) जब चाहें कि निकल पड़ें दोज़ख़ से घुटने के मारे फिर डाल दिये जायें उसके अन्दर और चखते रहो जलने का अ़ज़ाब। (22) ✿

इन्नल्ला-ह युद्ख़िलुल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति जन्नातिन् तज्री मिन् तह्तिहल्-अन्हारु युहल्लौ-न फ़ीहा मिन् असावि-र मिन् ज़-हबिंव्-व लुअ्लुअन्, व लिबासुहुम् फ़ीहा हरीर (23) व हुदू इलत्तय्यिबि मिनल्-क़ौलि व हुदू इला सिरातिल्-हमीद (24)

बेशक अल्लाह दाख़िल करेगा उनको जो यक़ीन लाये और कीं भलाईयाँ बाग़ों में, बहती हैं उनके नीचे नहरें, गहना पहनायेंगे उनको वहाँ कंगन सोने के और मोती, और उनकी पोशाक है वहाँ रेशम की। (23) और राह पाई उन्होंने सुथरी बात की (यानी हक़ दीन की) और पाई उस तारीफ़ों वाले की राह। (24)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(जिनका ज़िक्र ऊपर की आयत नम्बर 17 में हुआ है) ये दो फ़रीक़ हैं (एक मोमिन दूसरा काफ़िर। फिर काफ़िर गिरोह की कई क़िस्में हैं– यहूदी, ईसाई, साबिईन, मजूस और बुत-परस्त) जिन्होंने अपने रब के (दीन के) बारे में (एतिक़ाद के तौर पर और कभी-कभी बहस-मुबाहसे में भी) आपस में झगड़ा किया, (उस झगड़े व मतभेद का फ़ैसला कियामत में इस तरह होगा कि) जो लोग काफ़िर थे उनके (पहनने के लिये) आग के कपड़े काटे जाएँगे (यानी आग उनके पूरे बदन को इस तरह घेरे होगी जैसे लिबास) और उनके सर के ऊपर से तेज़ गर्म पानी छोड़ा जायेगा जिससे उनके पेट की चीज़ें (यानी अंतड़ियाँ) और खालें सब गल जाएँगी (यानी यह खौलता हुआ तेज़ पानी कुछ पेट के अन्दर चला जायेगा जिससे आँतें और पेट के अन्दर के सब अंग व हिस्से गल जाएँगे, कुछ ऊपर बहेगा जिससे खाल गल जायेगी) और उनके (मारने के लिये) लोहे के गुर्ज़ होंगे। (और इस मुसीबत से कभी निजात न होगी) वे लोग जब (दोज़ख़ में) घुटे-घुटे (घबरा जाएँगे और) उससे बाहर निकलना चाहेंगे तो फिर उसमें धकेल दिये जाएँगे, और उनको कहा जायेगा कि जलने का अ़ज़ाब (हमेशा के लिये है) चखते रहो (कभी निकलना नसीब न होगा। और) अल्लाह तआ़ला उन लोगों को जो कि ईमान लाये और नेक काम किये (जन्नत के) ऐसे बाग़ों में दाख़िल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी (और) उनको वहाँ सोने के कंगन और मोती पहनाये जाएँगे, और उनका लिबास वहाँ रेशम का होगा। और (यह सब इनाम उनके लिये इसलिये है कि दुनिया में उनको) कलिमा-ए-तय्यिबा (के यक़ीन व एतिक़ाद) की हिदायत हो गई थी और उनको उस (ख़ुदा) के रास्ते की हिदायत हो गई थी जो तारीफ़ के लायक़ है (वह रास्ता इस्लाम है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا.

ये दो फ़रीक़ जिनका ज़िक्र इस आयत में है आ़म मोमिन हज़रात और उनके मुक़ाबले में काफ़िरों के तमाम गिरोह हैं, चाहे ज़माना-ए-इस्लाम के शुरू के दौर के हों या बाद के ज़मानों के। अलबत्ता इस आयत का नुज़ूल (उतरना) उन दो फ़रीक़ों के बारे में हुआ है जो बदर के मैदान में मुक़ाबले और जंग में एक दूसरे के मुक़ाबिल लड़े थे, मुसलमानों में से हज़रत अ़ली, हज़रत हमज़ा और हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम और काफ़िरों में से उतबा बिन रबीअ़, उसका बेटा वलीद और उसका भाई शैबा थे जिनमें से काफ़िर तो तीनों मारे गये और मुसलमानों में से हज़रत अ़ली व हज़रत हमज़ा रज़ि. सही सालिम वापस आये और हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु शदीद ज़ख़्मी होकर आये और हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के क़दमों में पहुँचकर दम तोड़ दिया। आयत का नुज़ूल बदर में इन मुक़ाबला और जंग करने वालों के बारे में होना बुख़ारी व मुस्लिम की हदीसों से साबित है, लेकिन यह ज़ाहिर है कि यह हुक्म उनके साथ मख़्सूस नहीं, पूरी उम्मत के लिये आ़म है, किसी भी ज़माने में हो।

जन्नतियों को कंगन पहनाये जाने की हिक्मत

यहाँ यह शुब्हा होता है कि कंगन हाथों में पहनना औरतों का काम और उन्हीं का ज़ेवर है, मर्दों के लिये बुरा और ऐब की बात समझा जाता है। जवाब यह है कि दुनिया के बादशाहों की यह विशेष शान रही है कि सर पर ताज और हाथों में कंगन इस्तेमाल करते थे जैसा कि हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सुराक़ा बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु को जबकि वह मुसलमान नहीं थे और हिजरत के सफ़र में आपको गिरफ़्तार करने के लिये पीछा करने को निकले थे, जब उनका घोड़ा अल्लाह के हुक्म से ज़मीन में धंस गया और उन्होंने तौबा की तो हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की दुआ़ से घोड़ा निकल गया, उस वक़्त सुराक़ा बिन मालिक से वायदा फ़रमाया था कि फ़ारस के बादशाह किसरा के कंगन माले ग़नीमत में मुसलमानों के पास आयेंगे वह तुम्हें दिये जायेंगे, और जब हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु के ज़माने में फ़ारस का मुल्क फ़तह हुआ और ईरान के ये कंगन ग़नीमत के दूसरे मालों के साथ आये तो सुराक़ा बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने मुतालबा किया और उनको दे दिये गये।

खुलासा यह है कि जैसे सर पर ताज पहनना आ़म मर्दों का रिवाज नहीं, शाही सम्मान है इसी तरह हाथों में कंगन भी शाही सम्मान समझे जाते हैं इसलिये जन्नतियों को कंगन पहनाये जायेंगे। कंगन के मुताल्लिक़ इस आयत में और सूरः फ़ातिर में तो यह है कि वो सोने के होंगे और सूरः दहर में ये कंगन चाँदी के बतलाये गये हैं, इसलिये मुफ़स्सिरीन हज़रात ने फ़रमाया कि जन्नतियों के हाथों में तीन तरह के कंगन पहनाये जायेंगे- एक सोने का, दूसरा चाँदी का, तीसरा मोतियों का जैसा कि इस आयत में मोतियों का भी ज़िक्र मौजूद है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

रेशम के कपड़े मर्दों के लिये हराम हैं

उक्त आयत में है कि जन्नत वालों का लिबास रेशम का होगा। मुराद यह है कि उनके पहनने के कपड़े वग़ैरह और फ़र्श और पर्दे वग़ैरह रेशम के होंगे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतर लिबास समझा जाता है, और जन्नत का रेशम ज़ाहिर है कि दुनिया के रेशम से सिर्फ़ नाम की शिर्कत रखता है वरना उसकी उम्दगी और बेहतरी को इससे कोई मुनासबत नहीं।

इमाम नसाई, इमाम बज़्ज़ार और इमाम बैहक़ी ने हज़रत उम्दा सनद के साथ अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से यह रिवायत नक़ल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जन्नत वालों का रेशमी लिबास जन्नत के फलों में से निकलेगा, और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की एक रिवायत में है कि जन्नत में एक पेड़ ऐसा होगा जिससे रेशम पैदा होगा, जन्नत वालों का लिबास उसी से तैयार होगा। (तफ़सीरे मज़हरी)

हदीस में इमाम नसाई ने हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

من لبس الحرير فی الدّنیا لم یلبسه فی الأخرة ومن شرب الخمر فی الدّنیا لم یشربها فی الأخرة ومن

شرب في انية الذهب والفضّة لم يشرب فيها في الأخرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لباس اهل الجنّة وشراب اهل الجنّة وانية اهل الجنّة. (ازقرطبي بحواله نسائي)

जो शख़्स रेशमी कपड़ा दुनिया में पहनेगा वह आख़िरत में न पहनेगा, और जो दुनिया में शराब पियेगा वह आख़िरत की शराब से मेहरूम रहेगा, और जो दुनिया में सोने चाँदी के बर्तनों में (खाये) पियेगा वह आख़िरत में सोने चाँदी के बर्तनों में न खायेगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि ये तीनों चीज़ें जन्नत वालों के लिये ख़ास हैं।

मुराद यह है कि जिस शख़्स ने दुनिया में ये काम किये और तौबा नहीं की वह जन्नत की इन तीन चीज़ों से मेहरूम रहेगा अगरचे जन्नत में दाख़िल भी हो जाये जैसा कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस शख़्स ने दुनिया में शराब पी, फिर उससे तौबा नहीं की वह आख़िरत में जन्नत की शराब से मेहरूम रहेगा। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) और एक दूसरी हदीस में हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

من لبس الحرير في الدّنيا لم يلبسه في الأخرة وان دخل الجنّة لبسه اهل الجنّة ولم يلبسه هو (رواه ابو داوٗد الطيالسي في مسنده وقال القرطبي اسناده صحيح)

यहाँ यह शुब्हा हो सकता है कि जब एक शख़्स जन्नत में दाख़िल कर लिया गया फिर अगर वह किसी चीज़ से मेहरूम किया गया तो उसको हसरत व अफ़सोस रहेगा और जन्नत उसकी जगह नहीं। वहाँ किसी शख़्स को किसी का ग़म व अफ़सोस न होना चाहिये, और अगर यह हसरत व अफ़सोस न हो तो फिर इस मेहरूमी का कोई फ़ायदा नहीं रहता। इसका जवाब अ़ल्लामा क़ुर्तुबी ने अच्छा दिया है कि जन्नत वालों के जिस तरह मक़ामात और दर्जे भिन्न और अलग-अलग आला व अदना होंगे, उनके कम ज़्यादा और ऊँचा-नीचा होने का एहसास भी सब को होगा मगर उसके साथ ही हक़ तआ़ला शानुहू जन्नत वालों के दिल ऐसे बना देगा कि उनमें हसरत व अफ़सोस किसी चीज़ का न रहेगा। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

وَهُدُوْٓا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ.

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि इससे मुराद कलिमा तय्यिबा ला इला-ह इल्लल्लाहु है। कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि क़ुरआन मुराद है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) सही यह है कि ये सब चीज़ें उसमें दाख़िल हैं।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِيْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ ۨ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ ؕ وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ ۢ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۟

ع ٣ ١٠

इन्नल्लज़ी-न क-फ़रू व यसुद्दू-न अ़न् सबीलिल्लाहि वल्मस्जिदिल् -हरामिल्लज़ी जअ़ल्नाहु लिन्नासि सवा-अ-निल्-आ़किफ़ु फ़ीहि वल्बादि, व मंय्युरिद् फ़ीहि बि-इल्हादिम्-बिज़ुल्मिन् नुज़िक़्हु मिन् अ़ज़ाबिन् अलीम (25) ✿	जो लोग मुन्किर हुए और रोकते हैं अल्लाह की राह से और मस्जिदे हराम से जो हमने बनाई सब लोगों के वास्ते बराबर है उसमें रहने वाला और बाहर से आने वाला, और जो उसमें चाहे टेढ़ी राह शरारत से उसे हम चखायेंगे एक दर्दनाक अ़ज़ाब। (25) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

बेशक जो लोग काफ़िर हुए और (मुसलमानों को) अल्लाह के रास्ते से और मस्जिदे हराम से रोकते हैं (ताकि मुसलमान उमरा अदा न कर सकें हालाँकि हरम की हैसियत यह है कि उसमें किसी की ख़ुसूसियत नहीं बल्कि) उसको हमने तमाम आदमियों के वास्ते मुक़र्रर किया है, कि उसमें सब बराबर हैं, उस (हरम की अन्दर हदों) में रहने वाला भी (यानी जो लोग वहाँ मुक़ीम हैं) और बाहर से आने वाला (मुसाफ़िर) भी, और जो शख़्स उसमें (यानी हरम शरीफ़ में) ज़ुल्म के साथ कोई बेदीनी का काम करने का इरादा करेगा तो हम उस शख़्स को दर्दनाक अ़ज़ाब चखा देंगे।

मआ़रिफ़ व मसाईल

पिछली आयत में मोमिनों और काफ़िरों के दो फ़रीक़ों की आपसी दुश्मनी व लड़ाई का ज़िक्र था उसी लड़ाई और दुश्मनी की एक ख़ास सूरत इस आयत में बयान की गयी है कि उनमें बाज़े ऐसे काफ़िर भी हैं जो ख़ुद गुमराही पर जमे हुए हैं, दूसरों को भी अल्लाह के रास्ते पर चलने से रोकते हैं। ऐसे ही लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और उनके सहाबा को जबकि वे उमरे का एहराम बाँधकर हरम शरीफ़ में दाख़िल होना चाहते थे मस्जिदे हराम में दाख़िल होने से रोक दिया हालाँकि मस्जिदे हराम और हरम शरीफ़ का वह हिस्सा जिससे लोगों की इबादत उमरा व हज का ताल्लुक़ है उनकी मिल्क में दाख़िल नहीं था जिसकी बिना पर उनको रोकने और दख़ल-अन्दाज़ी का कोई हक़ पहुँचता, बल्कि वह सब लोगों के लिये बराबर है, जहाँ हरम के रहने वाले और बाहर के मुसाफ़िर और शहरी और परदेसी सब बराबर हैं।

आगे उनकी सज़ा का ज़िक्र है कि जो शख़्स मस्जिदे हराम (यानी पूरे हरम शरीफ़) में कोई बेदीनी का काम करेगा, जैसे लोगों को हरम में दाख़िल होने से रोकना या दूसरा कोई ख़िलाफ़े दीन काम करना, उसको दर्दनाक अ़ज़ाब चखाया जायेगा, ख़ुसूसन जबकि उस बेदीनी के काम के साथ ज़ुल्म यानी शिर्क भी मिला हुआ हो जैसा कि मक्का के मुश्रिकों का हाल था जिन्होंने मुसलमानों को

हरम में दाख़िल होने से रोका, कि उनका यह अमल भी ख़िलाफ़े दीन और ग़लत था फिर इसके साथ वे कुफ़्र व शिर्क में भी मुब्तला थे। और अगरचे हर ख़िलाफ़े दीन काम विशेष तौर पर शिर्क व कुफ़्र हर जगह हर ज़माने में हराम और सख़्त जुर्म व गुनाह और अ़ज़ाब को लाने वाला है मगर जो ऐसे काम सम्मानित हरम के अन्दर करे उसका जुर्म दोगुना हो जाता है, इसलिये यहाँ हरम को ख़ास करके बयान किया गया है।

يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

'सबीलिल्लाह' (अल्लाह के रास्ते) से मुराद इस्लाम है। आयत के मायने यह हैं कि ये लोग ख़ुद तो इस्लाम से दूर हैं ही दूसरों को भी इस्लाम से रोकते हैं।

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

यह उनका दूसरा गुनाह है कि वे मुसलमानों को मस्जिदे हराम में दाख़िल होने से रोकते हैं। मस्जिदे हराम असल में उस मस्जिद का नाम है जो बैतुल्लाह के गिर्द बनाई हुई है और यह हरमे मक्का का एक अहम अंग और हिस्सा है, लेकिन बाज़ मर्तबा मस्जिदे हराम बोलकर पूरा हरमे मक्का भी मुराद लिया जाता है जैसे ख़ुद इसी वाक़िए यानी मुसलमानों को उमरे के लिये हरम में दाख़िल होने से रोकने की जो सूरत पेश आई वह यही थी कि मक्का के काफ़िरों ने आपको सिर्फ़ मस्जिद में जाने से नहीं बल्कि हरम की सीमा मक्का में दाख़िल होने से रोक दिया था जो सही हदीसों से साबित है, और क़ुरआने करीम ने इस वाक़िए में मस्जिदे हराम का लफ़्ज़ हरम के आ़म मायने में इस्तेमाल फ़रमाया है, जैसा कि इरशाद है 'व सद्दूकुम् अ़निल् मस्जिदिल् हरामि'।

तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में इस जगह मस्जिदे हराम की तफ़सीर में पूरा हरम मुराद होना हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है।

हरमे मक्का में सब मुसलमानों के बराबर हक़ का मतलब

इतनी बात पर तमाम उम्मत और फ़क़ीह इमामों का इत्तिफ़ाक़ (सहमति) है कि मस्जिदे हराम और मक्का के हरम शरीफ़ के वो तमाम हिस्से जिनसे हज के अरकान का ताल्लुक़ है जैसे **सफ़ा मरवा** के बीच का मैदान जिसमें **सई** होती है, और **मिना** का पूरा मैदान, इसी तरह **अ़रफ़ात** का पूरा मैदान और **मुज़्दलिफ़ा** का पूरा मैदान, ये सब ज़मीनें सारी दुनिया के मुसलमानों के लिये आ़म वक़्फ़ हैं, किसी शख़्स की ज़ाती मिल्कियत इन पर न कभी हुई न हो सकती है। इनके अ़लावा मक्का मुकर्रमा के आ़म मकानात और बाक़ी हरम की ज़मीनें उनके मुताल्लिक़ भी कुछ फ़क़ीह इमामों का यही क़ौल है कि वे भी आ़म वक़्फ़ हैं, उनका फ़रोख़्त करना या किराये पर देना हराम है, हर मुसलमान हर जगह ठहर सकता है। मगर दूसरे फ़ुक़हा का पसन्दीदा मस्लक यह है कि मक्का के मकानात ख़ास मिल्क हो सकते हैं, उनकी ख़रीद व फ़रोख़्त और उनको किराये पर देना जायज़ है। हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु से साबित है कि उन्होंने सफ़वान बिन उमैया का मकान मक्का मुकर्रमा में ख़रीदकर उसको मुजरिमों के लिये क़ैदख़ाना बनाया था। इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रह. से इसमें दो रिवायतें मन्क़ूल हैं- एक पहले क़ौल के मुताबिक़ दूसरी दूसरे क़ौल के मुताबिक़, और

फ़तवा दूसरे क़ौल पर है, जैसा कि तफ़सीर रूहुल-मआनी में इसकी वज़ाहत है। यह बहस फ़िक़्ह (मसाईल) की किताबों में तफ़सील से मज़कूर है, मगर इस आयत में हरम के जिन हिस्सों से रोकने का ज़िक्र है वो हिस्से बहरहाल सब के नज़दीक आम वक़्फ़ हैं उनसे रोकना हराम है, उक्त आयत से इसी की हुर्मत (हराम होना) साबित होती है। वल्लाहु आलम

وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ ، بِظُلْمٍ

इल्हाद के मायने लुग़त में सीधे रास्ते से हट जाने के हैं। इस जगह इल्हाद से मुराद इमाम मुजाहिद व क़तादा के नज़दीक कुफ़्र व शिर्क है, मगर दूसरे मुफ़स्सिरीन ने इसको अपने आम मायने में क़रार दिया है जिसमें हर गुनाह और अल्लाह व रसूल की नाफ़रमानी दाख़िल है, यहाँ तक कि अपने ख़ादिम को गाली देना बुरा कहना भी। और इसी मायने के लिहाज़ से हज़रत अ़ता ने फ़रमाया कि हरम में इल्हाद से मुराद उसमें बग़ैर एहराम के दाख़िल हो जाना या हरम में वर्जित और मना की हुई चीज़ों में से किसी चीज़ का करना है, जैसे हरम का शिकार मारना या उसका दरख़्त काटना वग़ैरह। और जो चीज़ें शरीअ़त में मना और नाजायज़ हैं वो सभी जगह गुनाह और अ़ज़ाब का सबब बनने वाली हैं, हरम की विशेषता इस बिना पर की गयी कि जिस तरह हरमे मक्का में नेकी का सवाब बहुत बढ़ जाता है उसी तरह गुनाह का अ़ज़ाब भी बहुत बढ़ जाता है (जैसा कि इमाम मुजाहिद ने फ़रमाया है)।

और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से इसकी एक तफ़सीर यह भी मन्क़ूल है कि हरम के अ़लावा दूसरी जगहों में महज़ गुनाह का इरादा करने से गुनाह नहीं लिखा जाता जब तक अ़मल न करे, और हरम में सिर्फ़ पुख़्ता इरादा कर लेने पर भी गुनाह लिखा जाता है। अ़ल्लामा क़ुर्तुबी ने यही तफ़सीर हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से भी नक़ल की है और इस तफ़सीर को सही कहा है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु हज के लिये जाते तो दो ख़ेमे लगाते थे एक हरम के अन्दर दूसरा बाहर। हरम में अगर अपने बाल-बच्चों या ख़ादिमों और ख़ुद से जुड़े लोगों में किसी को किसी बात पर डाँट-फटकार और तंबीह करनी होती तो हरम से बाहर वाले ख़ेमे में जाकर यह काम करते थे। लोगों ने मस्लेहत मालूम की तो फ़रमाया हमसे यह बयान किया जाता था कि इनसान जो ग़ुस्से व नाराज़गी के वक़्त 'कल्ला वल्लाह' (हरगिज़ नहीं ख़ुदा की क़सम) या 'बला वल्लाह' (हाँ ज़रूर ख़ुदा की कसम) के अलफ़ाज़ बोलता है, यह भी हरम में इल्हाद (ख़िलाफ़े दीन) काम करने में दाख़िल है। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ
لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ۝ وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى
كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ۝ لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ
اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ ۝
ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ۝

व इज़् बव्वअ्ना लिइब्राही-म मकानल्-बैति अल्ला तुश्रिक् बी शैअंव्-व तह्हिर् बैति-य लित्ताइफ़ी-न वल्क़ाइमी-न वर्रुक्कअिस्-सुजूद (26) व अज़्ज़िन् फ़िन्नासि बिल्हज्जि यअ्तू-क रिजालंव्-व अ़ला कुल्लि ज़ामिरिंय्यअ्ती-न मिन् कुल्लि फ़ज्जिन् अ़मीक़ (27) लि-यश्हदू मनाफ़ि-अ लहुम् व यज़्कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिम् मअ्लूमातिन् अ़ला मा र-ज़-क़हुम् मिम्-बहीमतिल्-अन्आ़मि फ़कुलू मिन्हा व अत्अ़िमुल्-बाइसल्-फ़क़ीर (28) सुम्मल्-यक़्ज़ू त-फ़-सहुम् वल्यूफ़ू नुज़ूरहुम् वल्यत्तव्वफ़ू बिल्बैतिल्-अ़तीक़ (29)	और जब ठीक कर दी हमने इब्राहीम को जगह उस घर की कि शरीक न करना मेरे साथ किसी को और पाक रख मेरा घर तवाफ़ करने वालों के वास्ते और खड़े रहने वालों के और रुकूअ़ व सज्दे वालों के। (26) और पुकार दे लोगों में हज के वास्ते कि आयें तेरी तरफ़ पैरों चलकर और सवार होकर दुबले-दुबले ऊँटों पर चले आयें दूर की राहों से (27) ताकि पहुँचें अपने फ़ायदे की जगहों पर और पढ़ें अल्लाह का नाम कई दिन जो मालूम (जाने-पहचाने) हैं ज़िबह पर चौपायों मवेशियों के जो अल्लाह ने दिये हैं उनको सो खाओ उसमें से और खिलाओ बुरे हाल के मोहताज को। (28) फिर चाहिये कि ख़त्म कर दें अपना मैल-कुचैल और पूरी कर दें अपनी मन्नतें और तवाफ़ करें उस क़दीम (प्राचीन) घर का। (29)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (उस क़िस्से का तज़किरा कीजिये) जबकि हमने इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) को ख़ाना काबा की जगह बतला दी (क्योंकि उस वक़्त ख़ाना काबा बना हुआ न था और हुक्म दिया) कि (इस मकान को इबादत के लिये तैयार करो और इस इबादत में) मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक मत करना (यह दर असल उनके बाद के लोगों को सुनाना था और बैतुल्लाह के निर्माण के साथ शिर्क की मनाही की एक ख़ास वजह यह भी है कि बैतुल्लाह की तरफ़ नमाज़ और उसका तवाफ़ करने से किसी जाहिल को यह शुब्हा न हो जाये कि यही माबूद है) और मेरे इस घर को तवाफ़ करने वालों और (नमाज़ में) क़ियाम व रुकूअ़ व सज्दा करने वालों के वास्ते (ज़ाहिरी और बातिनी गन्दगी व नापाकी यानी कुफ़्र व शिर्क से) पाक रखना (यह भी दर असल दूसरों ही को सुनाना था, इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम से तो इसके ख़िलाफ़ का शुब्हा व गुमान ही न था)।

और (इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम से यह भी कहा गया कि) लोगों में हज (के फ़र्ज़ होने) का ऐलान

करो (उस ऐलान से) लोग तुम्हारे पास (यानी तुम्हारी इस पवित्र इमारत के पास) चले आएँगे, पैदल भी और (लम्बे सफ़र की वजह से दुबली हो जाने वाली) ऊँटनियों पर भी, जो कि दूर-दराज़ रास्तों से पहुँची होंगी। (और वे लोग इसलिए आएँगे) ताकि अपने (अपने दीनी और दुनियावी) फ़ायदों के लिये आ मौजूद हों (दीनी फ़ायदे तो मालूम व परिचित हैं, दुनियावी फ़ायदे भी अगर मक़सद न हों मसलन ख़रीद व फ़रोख़्त और क़ुरबानी का गोश्त वग़ैरह तो यह भी कोई बुरा नहीं) और (इसलिये आएँगे) ताकि निर्धारित दिनों में (जो क़ुरबानी के दिन दसवीं से बारहवीं ज़िलहिज्जा तक हैं) उन मख़्सूस चौपायों पर (यानी क़ुरबानी के जानवरों पर ज़िबह के वक़्त) अल्लाह का नाम लें, जो ख़ुदा तआ़ला ने उनको अ़ता किये हैं।

(इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के ख़िताब का मज़मून हो चुका, आगे उम्मते मुहम्मदिया मुख़ातब है) उन (क़ुरबानी के) जानवरों में से तुम भी खाया करो (कि यह जायज़ है और मुस्तहब यह है कि) मुसीबत के मारों मोहताजों को भी खिलाया करो। फिर (क़ुरबानी के बाद) लोगों को चाहिए कि अपना मैल-कुचैल दूर कर दें (यानी एहराम खोल डालें सर मुंडा लें) और अपने वाजिबात को (चाहे नज़्र व मन्नत से क़ुरबानी वग़ैरह वाजिब कर ली हो या बिना मन्नत के जो हज के अरकान वाजिब हैं उन सब को) पूरा करें, और (उन्हीं निर्धारित दिनों में) इस अमन वाले और सुरक्षित घर (यानी ख़ाना-ए-काबा) का तवाफ़ करें (यह तवाफ़-ए-ज़ियारत कहलाता है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इससे पहली आयत में मस्जिदे हराम और हरम से रोकने वालों पर सख़्त अ़ज़ाब की धमकी व डाँट आई है, आगे उसकी मुनासबत से बैतुल्लाह के ख़ास फ़ज़ाईल और बड़ाई का बयान है जिससे उनके फ़ेल (काम) की बुराई और ज़्यादा स्पष्ट हो जाये।

बैतुल्लाह के निर्माण की शुरूआ़त

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ

'बव्वउन्' का लफ़्ज़ लुग़त में किसी को ठिकाना और रहने का मकान देने के मायने में आता है। आयत के मायने यह हैं कि यह बात क़ाबिले ज़िक्र और याद रखने की है कि हमने इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को उस जगह का ठिकाना दिया जहाँ बैतुल्लाह है। इसमें इशारा है कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम पहले से इस ज़मीन पर आबाद न थे जैसा कि रिवायतों से साबित है कि उनको मुल्क शाम से हिजरत कराकर यहाँ लाया गया था। और मकान 'अल्बैत' में इस तरफ़ इशारा है कि बैतुल्लाह हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम से पहले मौजूद था जैसा कि मोतबर रिवायतों में है कि उसकी पहली तामीर तो हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम के ज़मीन पर लाने से पहले या उसके साथ हुई थी, और आदम अ़लैहिस्सलाम और उनके बाद के नबी बैतुल्लाह का तवाफ़ करते थे। हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम के तूफ़ान के वक़्त बैतुल्लाह की तामीर उठा ली गयी थी, बुनियादें और उसकी निर्धारित जगह मौजूद थी। हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को यहीं लाकर ठहराया गया और उनको हुक्म दिया गया:

اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِیْ شَیْئًا.

यानी मेरी इबादत में किसी को शरीक न ठहराओ। ज़ाहिर है कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम से शिर्क करने का कोई गुमान व संभावना नहीं। उनके बुतों को तोड़ने और शिर्क करने वालों का मुक़ाबला और उसमें बहुत सख़्त आज़माईश के वाक़िआत पहले पेश आ चुके थे, इसलिये इससे मुराद आ़म लोगों को सुनाना है कि शिर्क से परहेज़ करें। दूसरा हुक्म यह दिया गया:

وَطَهِّرْ بَيْتِيَ.

(यानी मेरे घर को पाक कीजिये) उस वक़्त अगरचे घर मौजूद नहीं था मगर बैतुल्लाह दर असल दर व दीवार और तामीर का नाम नहीं, वह उस पवित्र जगह का नाम है जिसमें बैतुल्लाह पहले बनाया गया था और अब दोबारा बनाने का हुक्म दिया जा रहा है। यह जगह और मकान बहरहाल मौजूद था उसको पाक करने का हुक्म इसलिये दिया गया कि उस ज़माने में भी जुर्हुम और अमालिक़ा क़ौमों ने यहाँ कुछ बुत रखे हुए थे जिनकी पूजा-पाठ होती थी (जैसा कि तफ़सीरे क़ुर्तुबी में इसका ज़िक्र है) और यह भी हो सकता है कि यह हुक्म आईन्दा आने वालों को सुनाना हो और पाक करने से मुराद जैसे कुफ़्र व शिर्क से पाक रखना है ऐसे ही ज़ाहिरी नापाकियों और गन्दगियों से पाक रखना भी मुराद है, और इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को इसका ख़िताब करने से दूसरे लोगों को एहतिमाम की फ़िक्र दिलाना मक़सूद है। जब ख़लीलुल्लाह को इसका हुक्म हुआ जो ख़ुद ही इस पर आ़मिल थे तो हमें इसका कितना एहतिमाम (पाबन्दी और ख़ास ध्यान) करना चाहिये।

तीसरा हुक्म हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को यह दिया गया:

اَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ.

यानी लोगों में ऐलान कर दीजिये कि इस बैतुल्लाह का हज तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया है (बग़वी)। इब्ने अबी हातिम ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से नक़ल किया है कि जब इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को हज के फ़र्ज़ होने के ऐलान का हुक्म हुआ तो उन्होंने अल्लाह तआ़ला से अ़र्ज़ किया कि (यहाँ तो जंगली मैदान है, कोई सुनने वाला नहीं) जहाँ आबादी है वहाँ मेरी आवाज़ कैसे पहुँचेगी? अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ ऐलान करने की है, उसको सारी दुनिया में पहुँचाने और फैलाने की ज़िम्मेदारी हम पर है। इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने मक़ामे इब्राहीम पर खड़े होकर यह ऐलान किया जिसको अल्लाह तआ़ला ने बहुत ऊँचा कर दिया और कुछ रिवायतों में है कि आपने अबी क़ुबैस पहाड़ पर चढ़कर यह ऐलान किया, कानों में उंगलियाँ रखकर दायें, बायें, पूरब व पश्चिम हर तरफ़ यह निदा दी कि ऐ लोगो! तुम्हारे रब ने अपना घर बनाया है और तुम पर उस घर का हज फ़र्ज़ किया है, तो तुम सब अपने रब के हुक्म की तामील करो।

इस रिवायत में यह भी है कि इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की यह आवाज़ अल्लाह तआ़ला ने सारी दुनिया में पहुँचा दी और सिर्फ़ उस वक़्त के ज़िन्दा इनसानों तक ही नहीं बल्कि जो इनसान आईन्दा क़ियामत तक पैदा होने वाले थे मोजिज़े के तौर पर उन सब तक यह आवाज़ पहुँचा दी गयी और जिस जिसकी क़िस्मत में अल्लाह तआ़ला ने हज करना लिख दिया है उनमें से हर एक ने इस आवाज़

के जवाब में लब्बैक अल्लाहुम्-म लब्बैक कहा, यानी हाज़िर होने का इक़रार किया। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि हज के तलबिये (लब्बैक कहने) की असल बुनियाद यही हज़रत इब्राहीम के ऐलान का जवाब है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी व मज़हरी)

आगे आयत में उस तासीर का ज़िक्र है जो इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के ऐलान को तमाम इनसानों तक अल्लाह की तरफ़ से पहुँचाने से क़ियामत तक लिये क़ायम हो गयी। वह यह है:

يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ٥

यानी दुनिया के हर कोने से लोग बैतुल्लाह की तरफ़ चले आयेंगे, कोई पैदल कोई सवार, और सवारी से आने वाले भी दूर-दराज़ मुल्कों से आयेंगे जिससे उनकी सवारियाँ भी कमज़ोर हो जायेंगी। चुनाँचे उस वक़्त से आज तक जबकि हज़ारों साल गुज़र चुके हैं बैतुल्लाह की तरफ़ हज के लिये आने वालों की यही कैफ़ियत है। बाद में आने वाले सब नबी और उनकी उम्मतें भी इसकी पाबन्द रहीं और ईसा अ़लैहिस्सलाम के बाद जो लम्बा दौर जाहिलीयत का गुज़रा है उसमें भी अ़रब के बाशिन्दे अगरचे बुत परस्ती की बला में मुब्तला हो गये थे मगर हज के अरकान के उसी तरह पाबन्द थे जिस तरह इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम से नक़ल होता और परम्परा चली आती थी।

لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ

यानी उनकी यह हाज़िरी दूर-दराज़ सफ़र तय करके अपने ही मुनाफ़े (फ़ायदे और लाभ) के लिये है। क़ुरआन में मुनाफ़े के लफ़्ज़ को आ़म रखकर इस तरफ़ इशारा कर दिया है कि इसमें दीनी मुनाफ़े तो बेशुमार हैं ही दुनियावी मुनाफ़े भी बहुत देखने में आते हैं। कम से कम इतनी बात ख़ुद क़ाबिले ताज्जुब व हैरत है कि हज के सफ़र पर उमूमन बड़ी रक़म ख़र्च होती है जो कई लोग सारी उम्र मेहनत करके थोड़ी-थोड़ी बचाकर जमा करते हैं और यहाँ एक ही वक़्त में ख़र्च कर डालते हैं लेकिन सारी दुनिया की तारीख़ में कोई एक वाक़िआ़ ऐसा नहीं बताया जा सकता कि कोई शख़्स हज या उमरे में ख़र्च करने की वजह से फ़क़ीर व मोहताज हो गया हो। इसके सिवा दूसरे कामों मसलन विवाह-शादी की रस्मों में, मकान तामीर करने में ख़र्च करके हज़ारों आदमी मोहताज व फ़क़ीर होने वाले हर जगह नज़र आते हैं। अल्लाह तआ़ला ने हज व उमरे के सफ़र में यह ख़ुसूसियत भी रखी है कि उससे कोई शख़्स दुनियावी फ़क़्र व फ़ाक़े (तंगदस्ती) में मुब्तला नहीं होता बल्कि कुछ रिवायतों में है कि हज व उमरे में ख़र्च करना ग़ुर्बत व मोहताजी को दूर कर देता है। ग़ौर किया जाये तो यह बात भी आ़म तौर पर देखने और तजुर्बे में आती है, और हज के दीनी फ़ायदे तो बहुत हैं, उनमें से एक यही कुछ कम नहीं जो हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस शख़्स ने अल्लाह के लिये हज किया और उसमें बेहयाई की बातों से और गुनाह के कामों से बचता रहा तो वह हज से ऐसी हालत में वापस आयेगा कि गोया यह अपनी माँ के पेट से आज पैदा हुआ है, यानी जैसे पैदा होने के वक़्त बच्चा बेगुनाह मासूम होता है यह भी ऐसा ही हो जायेगा। (बुख़ारी व मुस्लिम, तफ़सीरे मज़हरी)

बैतुल्लाह के पास जमा होने वाले हाजियों के आने का एक फ़ायदा तो ऊपर ज़िक्र हुआ कि वे

अपने दीनी और दुनियावी मुनाफ़े और फ़ायदे को देख लें। दूसरा फ़ायदा यह बतलाया गयाः

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ

यानी ताकि वे अल्लाह का नाम ज़िक्र करें निर्धारित दिनों में उन चौपाये जानवरों पर जो अल्लाह ने उनको अ़ता फ़रमाये हैं। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि क़ुर्बानी के गोश्त और उससे हासिल होने वाले फ़ायदों पर नज़र न होनी चाहिये, बल्कि असल चीज़ अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र है जो इन दिनों में क़ुरबान करने के वक़्त जानवरों पर किया जाता है, जो इबादत की जान है। क़ुरबानी का गोश्त उनके लिये हलाल कर दिया गया यह एक अतिरिक्त इनाम है। और निर्धारित दिनों से मुराद वही दिन हैं जिनमें क़ुरबानी जायज़ है यानी ज़िलहिज्जा की दसवीं, ग्यारहवीं बारहवीं तारीख़ें। और "उन चौपाये जानवरों पर जो अल्लाह ने उनको अ़ता फ़रमाये हैं" के अलफ़ाज़ आ़म हैं, इसमें हर तरह की क़ुरबानी दाख़िल है चाहे वाजिब हो या मुस्तहब।

فَكُلُوْا مِنْهَا.

यहाँ लफ़्ज़ 'कुलू' अगरचे हुक्म के कलिमे से आया है मगर मुराद इससे उसका वाजिब होना नहीं बल्कि जायज़ व दुरुस्त होना है जैसा कि क़ुरआन की आयतः

وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا.

(यानी जब तुम एहराम से बाहर हो जाओ तो शिकार करो) में शिकार का हुक्म इजाज़त के मायने में है।

मसलाः मक्का मुअ़ज़्ज़मा और हज के ज़माने में मुख़्तलिफ़ क़िस्म के जानवर ज़िबह किये जाते हैं। एक क़िस्म वह है जो किसी जुर्म की सज़ा के तौर पर जानवर की क़ुरबानी वाजिब हो जाती है जैसे किसी ने हरम शरीफ़ के अन्दर शिकार मार दिया तो उस पर उसकी जज़ा (बदले) में किसी जानवर की क़ुरबानी वाजिब होती है जिसकी तफ़सील मसाईल की किताबों में है कि कौनसे जानवर के बदले में किस तरह का जानवर क़ुरबान करना है। इसी तरह जो काम एहराम की हालत में वर्जित और मना है अगर किसी ने वह काम कर लिया तो उस पर भी जानवर ज़िबह करना लाज़िम और वाजिब हो जाता है जिसको फ़ुक़हा की परिभाषा में **दम-ए-जिनायत** कहा जाता है। इसमें भी कुछ तफ़सील है, कुछ मना किये हुए काम कर लेने से गाय या ऊँट ही की क़ुरबानी देना ज़रूरी होता है और कुछ के लिये बकरे दुंबे की काफ़ी होती है। कुछ में **दम** वाजिब नहीं होता सिर्फ़ सदक़ा देना काफ़ी होता है। इन तफ़सीलात की यह जगह नहीं, अहक़र ने अपने रिसाले अहकामुल-हज्ज में ज़रूरत के मुताबिक़ लिख दिया है। दम की यह क़िस्म जो किसी जिनायत और जुर्म की सज़ा के तौर पर लाज़िम हुआ है उसका गोश्त खाना ख़ुद उस शख़्स के लिये जायज़ नहीं बल्कि यह सिर्फ़ ग़रीबों और मिस्कीनों का हक़ है, किसी दूसरे मालदार आदमी को भी उसका खाना जायज़ नहीं। इस पर उम्मत के तमाम फ़ुक़हा का इत्तिफ़ाक़ (सहमति) है। क़ुरबानी की बाक़ी क़िस्में चाहे वाजिब हों या नफ़्ली, वाजिब में हनफ़िया, मालिकिया शाफ़ईया के नज़दीक **दम-ए-तमत्तो** और **दम-ए-क़िरान** भी दाख़िल है उन सब का गोश्त क़ुरबानी करने वाला, उसके यार-दोस्त और रिश्तेदार चाहे मालदार हों वे भी खा

सकते हैं। इस आयत में इसी का बयान है और इसके मसाईल की पूरी तफ़सील फ़िक़ा की किताबों में देखी जाये। आम क़ुरबानी का गोश्त हो या ख़ास हज की क़ुरबानियाँ इन सब का हुक्म यही है कि क़ुरबानी करने वाला ख़ुद और हर मुसलमान ग़नी (मालदार) हो या फ़क़ीर उसमें से खा सकता है लेकिन मुस्तहब यह है कि कम से कम एक तिहाई हिस्सा ग़रीबों फ़क़ीरों को दे दिया जाये। इसी मुस्तहब हुक्म का बयान आयत के अगले जुमले में इस तरह फ़रमाया है:

وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَO

बाइस के मायने बहुत तंगदस्त मुसीबत के मारे हुए, और फ़क़ीर के मायने ज़रूरत मन्द के हैं। मतलब यह है कि क़ुरबानी के गोश्त में से उनको भी खिलाना और देना मुस्तहब और मतलूब है।

ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ

तफ़स् के लुग़वी मायने मैल-कुचैल के हैं जो इनसान के बदन पर जमा हो जाता है। एहराम की हालत में चूँकि बालों का मूँडना, काटना, नोचना इसी तरह नाख़ुन तराशना, ख़ुशबू लगाना ये सब चीज़ें हराम होती हैं तो उनके नीचे मैल-कुचैल जमा होना तबई चीज़ है इस आयत में यह फ़रमाया कि जब हज में क़ुरबानी से फ़ारिग़ हो जाओ तो इस मैल-कुचैल को दूर करो। मतलब यह है कि अब एहराम खोल डालो और सर मुंडवा लो, नाख़ुन तराशो, नाफ़ के नीचे के बाल साफ़ कर लो। उक्त आयत में पहले क़ुरबानी करने का ज़िक्र आया उसके बाद एहराम खोलने का, इससे पता चलता है कि इसी तरतीब से काम करना चाहिये, क़ुरबानी से पहले सर मुंडवाना या नाख़ुन काटना वग़ैरह वर्जित और मना है और जो ऐसा करेगा उस पर दम-ए-जिनायत वाजिब होगा।

हज के कामों में तरतीब का दर्जा

जो तरतीब हज के कामों की क़ुरआन व हदीस में आई और फ़ुक़हा ने उसको लिखा उसी तरतीब से हज के कामों का अदा करना उम्मत की सर्वसम्मति से कम से कम सुन्नत ज़रूर है, वाजिब होने में मतभेद है। इमामे आज़म अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक रह. के नज़दीक वाजिब है जिसके ख़िलाफ़ करने से एक दमे-जिनायत लाज़िम होता है। इमाम शाफ़ई रह. के नज़दीक सुन्नत है इसलिये उसके ख़िलाफ़ करने से सवाब में कमी आती है मगर दम लाज़िम नहीं होता। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की हदीस में है:

من قدّم شيئًا من نُسكه او اخّره فليهرق دما (رواه ابن ابى شيبة موقوفا وهوفى حكم المرفوع)

यानी जिस शख़्स ने हज के कामों में से किसी को पहले या बाद में (यानी तरतीब के ख़िलाफ़) कर दिया उस पर लाज़िम है कि एक दम दे। (तफ़सीरे मज़हरी)

यह रिवायत इमाम तहावी ने भी मुख़्तलिफ़ सनदों से नक़ल की है और हज़रत सईद बिन जुबैर, हज़रत क़तादा, इमाम नख़ई, हसन बसरी रह. का भी यही मज़हब है कि ख़िलाफ़े तरतीब करने वाले पर दम लाज़िम करते हैं। तफ़सीरे मज़हरी में इस जगह इस मसले की पूरी तफ़सील व तहक़ीक़ ज़िक्र की है, साथ ही हज के दूसरे मसाईल भी विस्तार से लिखे हैं।

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ

नुज़ूर 'नज़्र' की जमा (बहुवचन) है जिसको उर्दू में 'मन्नत' कहा जाता है। उसकी हक़ीक़त यह है कि जो काम शरअ़न किसी शख़्स पर लाज़िम और वाजिब नहीं था अगर वह ज़बान से यह नज़्र कर ले और मन्नत मान ले कि मैं यह काम करूँगा या अल्लाह के लिये मुझ पर लाज़िम है कि फ़ुलाँ काम करूँ तो यह नज़्र (मन्नत) हो जाती है। जिसका हुक्म यह है कि उसका पूरा करना वाजिब हो जाता है अगरचे असल से वाजिब नहीं था मगर उसके वाजिब हो जाने के लिये यह शर्त तो तमाम उम्मत की सर्वसम्मति से है कि वह काम शरअ़न गुनाह और नाजायज़ न हो। अगर किसी शख़्स ने गुनाह के काम की नज़्र मान ली तो उस पर उससे वह गुनाह करना लाज़िम नहीं हो जाता है बल्कि उसके ख़िलाफ़ करना वाजिब है, अलबत्ता उस पर क़सम का कफ़्फ़ारा लाज़िम हो जायेगा। और इमाम अबू हनीफ़ा रह. वग़ैरह फ़क़ीह इमामों के नज़दीक यह भी शर्त है कि वह काम ऐसा हो जिसकी जिन्स में कोई मक़सूद शरई इबादत पाई जाती हो जैसे नमाज़, रोज़ा, सदक़ा, क़ुरबानी वग़ैरह कि उनकी जिन्स में कुछ शरई वाजिबात और मक़सूद इबादतें हैं। तो अगर कोई शख़्स नफ़्ली नमाज़ रोज़े सदक़े वग़ैरह की नज़्र (मन्नत) मान ले तो वह नफ़िल उसके ज़िम्मे वाजिब हो जाती है, उसका पूरा करना उसके ज़िम्मे लाज़िम व वाजिब है। उक्त आयत से यही हुक्म साबित होता है क्योंकि इसमें नज़्र के पूरा करने का हुक्म दिया गया है।

मसलाः यह याद रहे कि सिर्फ़ दिल में किसी काम के करने का इरादा करने से नज़्र (मन्नत) नहीं होती जब तक ज़बान से नज़्र के अलफ़ाज़ अदा न करे। तफ़सीरे मज़हरी में इस जगह नज़्र और मन्नत के अहकाम व मसाईल बड़ी तफ़सील से जमा कर दिये हैं जो अपनी जगह बहुत अहम हैं मगर यहाँ उनकी गुंजाईश नहीं।

एक सवाल और उसका जवाब

इस आयत से पहले भी हज के आमाल क़ुरबानी और एहराम खोलने वग़ैरह का ज़िक्र हुआ है और आगे भी तवाफ़े ज़ियारत का बयान है बीच में मन्नत के पूरा करने का ज़िक्र किस मुनासबत से हुआ जबकि मन्नत का पूरा करना एक मुस्तक़िल हुक्म है हज में हो या हज के बग़ैर, और हरम शरीफ़ में हो या बाहर किसी मुल्क में।

जवाब यह है कि अगरचे मन्नत का पूरा करना एक मुस्तक़िल शरई हुक्म है, हज के दिनों और हज के कामों या हरम के साथ मख़्सूस नहीं, लेकिन इसका ज़िक्र यहाँ हज के कामों के तहत में शायद इस वजह से है कि इनसान जब हज के लिये निकलता है तो दिल का तक़ाज़ा और जज़्बा होता है कि इस सफ़र में ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम और इबादतें अदा करे, उसमें बहुत सी चीज़ों की नज़्र (मन्नत) भी कर लेता है, ख़ुसूसन जानवरों की क़ुरबानी की नज़्र करने का तो आम रिवाज है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने यहाँ नज़्र (मन्नत) से मुराद क़ुरबानी ही की नज़्र क़रार दी है। और हज के अहकाम के साथ एक मुनासबत नज़्र की यह भी है कि जिस तरह नज़्र और क़सम से इनसान पर बहुत सी चीज़ें जो शरीअ़त के असल हुक्म के एतिबार से वाजिब नहीं थीं, वाजिब हो

जाती हैं। और बहुत सी चीज़ें जो असल अहकाम के एतिबार से हराम व नाजायज़ नहीं थीं वो उस शख़्स पर नाजायज़ व हराम हो जाती हैं। एहराम के तमाम अहकाम तक़रीबन ऐसे ही हैं कि सिले हुए कपड़े, ख़ुशबू का इस्तेमाल, बाल मूँडना, नाख़ुन तराशना वग़ैरह अपने आप में कोई नाजायज़ काम न थे मगर उसने एहराम बाँधकर ये सब काम अपने ऊपर हराम कर लिये। इसी तरह हज के दूसरे आमाल व अरकान जो फ़र्ज़ तो उम्र में एक ही मर्तबा होते हैं मगर बाद में हज व उमरे के लिये एहराम बाँधकर ये सब काम उसके लिये फ़र्ज़ हो जाते हैं। इसी लिये हज़रत इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस जगह 'नुज़ूर' की तफ़सीर में यही फ़रमाया कि इससे वो अहकाम और चीज़ें मुराद हैं जो हज की वजह से उस पर लाज़िम हो गयी हैं।

وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ٥

यहाँ तवाफ़ से मुराद तवाफ़े ज़ियारत है जो ज़िलहिज्जा की दसवीं तारीख़ को शैतानों को पत्थर मारने और क़ुरबानी के बाद किया जाता है, यह तवाफ़ का दूसरा रुक्न और फ़र्ज़ है, पहला रुक्न अ़रफ़ात में ठहरना है जो इससे पहले अदा हो जाता है। तवाफ़े ज़ियारत पर एहराम के सब अहकाम मुकम्मल होकर पूरा एहराम खुल जाता है (कुछ हज़रात के नज़दीक यह एहराम से निकलना क़ुरबानी के दिन है जैसा कि तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में लिखा है)।

بَيْتِ عَتِيْقٍ٥

बैतुल्लाह का नाम बैत-ए-अ़तीक़ इसलिये है कि अ़तीक़ के मायने आज़ाद के हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह ने अपने घर का नाम बैत-ए-अ़तीक़ इसलिये रखा है कि अल्लाह तआ़ला ने उसको काफ़िरों व ज़ोरावरों के ग़लबे और क़ब्ज़े से आज़ाद कर दिया है (जैसा कि इमाम तिर्मिज़ी ने नक़ल किया है, इमाम हाकिम ने इसको हसन कहा और इमाम इब्ने जरीर और तबरानी वग़ैरह ने इसको सही क़रार दिया है। तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)। किसी काफ़िर की मजाल नहीं कि उस पर क़ब्ज़ा या ग़लबा हासिल कर सके। अस्हाब-ए-फ़ील (हाथी वालों) का वाक़िआ़ इस पर सुबूत है। वल्लाहु आलम। तफ़सीरे मज़हरी में इस मौक़े पर तवाफ़ के तफ़सीली अहकाम व मसाईल जमा कर दिये हैं जो बहुत अहम और पढ़ने के क़ाबिल हैं। वल्लाहु आलम

ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۭ وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ۝ حُنَفَاۗءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ۭ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاۗءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ۝ ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَاۗىِٕرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ۝ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ۝ ع ٨

ज़ालि-क व मंय्युअ़ज़्ज़िम्	यह सुन चुके और जो कोई बड़ाई रखे

हुरुमातिल्लाहि फ़हु-व ख़ैरुल्लहू अिन्-द रब्बिही, व उहिल्लत् लकुमुल् -अन्आमु इल्ला मा युत्ला अ़लैकुम् फ़ज्तनिबुर्रिज्-स मिनल्-औसानि वज्तनिबू क़ौलज़्ज़ूर (30) हु-नफ़ा-अ लिल्लाहि ग़ै-र मुश्रिकी-न बिही, व मंय्युश्रिक् बिल्लाहि फ़-कअन्नमा ख़र्-र मिनस्समा-इ फ़-तख़्तफ़ुहुत्तैरु औ तह्वी बिहिर्-रीहु फ़ी मकानिन् सहीक़ (31) ज़ालि-क व मंय्युअ़ज़्ज़िम् शआ़-इरल्लाहि फ़-इन्नहा मिन् तक़्वल्-क़ुलूब (32) लकुम् फ़ीहा मनाफ़िअ़ु इला अ-जलिम् मुसम्मन् सुम्-म महिल्लुहा इलल्-बैतिल्-अ़तीक़ (33) ❁

अल्लाह की हुर्मतों की सो वह बेहतर है उसके लिये अपने रब के पास, और हलाल हैं तुमको चौपाये मगर जो तुमको सुनाते हैं, सो बचते रहो बुतों की गन्दगी से और बचते रहो झूठी बात से (30) एक अल्लाह की तरफ़ के होकर, न कर उसके साथ शरीक बनाकर और जिसने शरीक बनाया अल्लाह का सो जैसे गिर पड़ा आसमान से फिर उचकते हैं उसको उड़ने वाले मुर्दार खाने वाले, या लेजा डाला उसको हवा ने किसी दूर मकान में। (31) यह सुन चुके, और जो कोई अदब रखे अल्लाह के नाम लगी चीज़ों का सो वह दिल की परहेज़गारी की बात है। (32) तुम्हारे वास्ते चौपायों में फ़ायदे हैं एक तयशुदा वायदे तक, फिर उनको पहुँचना उस क़दीम (पुराने) घर तक। (33) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

यह बात तो हो चुकी (जो हज के विशेष अहकाम थे) और (अब दूसरे आ़म अहकाम जिनमें हज और हज के अ़लावा दूसरे मसाईल भी हैं सुनो, कि) जो शख़्स अल्लाह तआ़ला के सम्मानित अहकाम की वक़्अ़त करेगा सो यह उसके हक़ में उसके रब के नज़दीक बेहतर है। (अहकाम की वक़्अ़त करने में यह भी दाख़िल है कि उनका इल्म भी हासिल करे और यह भी कि उन पर अ़मल का एहतिमाम करे। और अल्लाह के अहकाम की वक़्अ़त का उसके लिये बेहतर होना इसलिये है कि वह अ़ज़ाब से निजात और हमेशा की राहत का सामान है) और उन ख़ास चौपायों (में से बाज़-बाज़) को छोड़कर के जो तुमको पढ़कर सुना दिये गये हैं (यानी सूरः अन्आ़म वग़ैरह की आयत नम्बर 145 में हराम जानवरों की तफ़सील बतला दी गई है, उनके सिवा दूसरे चौपायों को) तुम्हारे लिये हलाल कर दिया गया है।

(इस जगह चौपाये जानवरों के हलाल होने का ज़िक्र इसलिये किया गया है कि एहराम की हालत

में शिकार की मनाही से किसी को एहराम की हालत में आम चौपाये जानवरों की मनाही का शुब्हा न हो जाये, और जब दीन व दुनिया की भलाई अल्लाह के अहकाम के सम्मान व अदब में सीमित है) तो तुम लोग गन्दगी से यानी बुतों से (बिल्कुल) किनारा करने वाले रहो (क्योंकि बुतों को ख़ुदा के साथ शरीक करना तो अल्लाह के हुक्म से खुली बग़ावत है। इस जगह शिर्क से बचने की हिदायत ख़ास तौर पर इसलिये की गई है कि मक्का के मुश्रिक अपने हज में जो तलबिया (लब्बैक के अलफ़ाज़) पढ़ते थे उसमें 'इल्ला शरीकन् हु-व ल-क' मिला देते थे, यानी अल्लाह का कोई शरीक नहीं सिवाय उन बुतों के जो ख़ुद उसी अल्लाह के हैं) और झूठी बात से बचते रहो (चाहे वह अक़ीदों का झूठ हो जैसे मुश्रिक लोगों का शिर्क का एतिक़ाद या दूसरी क़िस्म का झूठ) इस तौर से कि अल्लाह ही की तरफ़ झुके रहो उसके साथ (किसी को) शरीक मत ठहराओ, और जो शख़्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है तो (उसकी हालत ऐसी होगी जैसे) गोया वह आसमान से गिर पड़ा, फिर परिन्दों ने उसकी बोटियाँ नोच लीं या उसको हवा ने किसी दूर-दराज़ जगह में लेजा पटख़ा।

यह बात भी (जो क़ायदा-ए-कुल्लिये के तौर पर थी) हो चुकी, और (अब एक ज़रूरी बात क़ुरबानी के जानवरों के मुताल्लिक़ और सुन लो कि) जो शख़्स अल्लाह के दीन की इन (ज़िक्र हुई) यादगारों का पूरा लिहाज़ रखेगा तो उसका यह लिहाज़ रखना ख़ुदा तआला से दिल के साथ डरने से होता है। (यादगारों का लिहाज़ रखने से मुराद अल्लाह के अहकाम की पाबन्दी है जो क़ुरबानी से संबन्धित हैं चाहे ज़िबह से पहले के अहकाम हों या ज़िबह के वक़्त हों जैसा कि उस पर अल्लाह का नाम लेना या ज़िबह के बाद के हों जैसे उसका खाना या न खाना, कि जिसका खाना जिसके लिये हलाल है वह खाये जिसका खाना जिसके लिये हलाल नहीं वह न खाये। इन अहकाम में कुछ तो पहले भी ज़िक्र किये जा चुके और कुछ ये हैं कि) तुमको उनसे एक तयशुदा वक़्त तक फ़ायदे हासिल करना जायज़ है (यानी जब तक वो शरई क़ायदों के मुताबिक़ हदी न कर दिये जायें तो उनसे दूध या सवारी या बोझ ढोने वग़ैरह का फ़ायदा उठाना जायज़ है, मगर जब उनको बैतुल्लाह और हज व उमरे के लिये हदी बना दिया तो फिर उनसे कोई नफ़ा उठाना जायज़ नहीं) फिर (यानी हदी बनने के बाद) उसके ज़िबह हलाल होने का स्थान बैत-ए-अतीक़ "यानी बैतुल्लाह" के क़रीब है (इस से मुराद पूरा हरम है यानी हरम से बाहर ज़िबह न करें)।

मआरिफ़ व मसाईल

'हुरुमातिल्लाहि' से मुराद अल्लाह की इज़्ज़त वाली सम्मानित बनाई हुई चीज़ें यानी शरीअत के अहकाम हैं। उनकी **ताज़ीम** यानी उनका इल्म हासिल करना और उस पर अमल करना दुनिया व आख़िरत की कामयाबी व नेकबख़्ती का सरमाया है।

أُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ.

'अन्आम' से मुराद ऊँट, गाय, बकरा, मेंढा, दुंबा वग़ैरह हैं कि ये जानवर एहराम की हालत में भी हलाल हैं और 'इल्ला मा युत्ला' में जिन जानवरों को इस हुक्म से अलग और बाहर रखने का ज़िक्र है उनका बयान दूसरी आयतों में आया है। वह मुर्दार जानवर और चोट से मरा हो और जिस

पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो या जिस पर ग़ैरुल्लाह का नाम लिया गया हो ये सब हमेशा के लिये हराम हैं, एहराम की हालत हो या ग़ैर-एहराम की।

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ.

'रिजूस' के मायने नापाकी और गन्दगी के हैं और 'औसान' 'वसन' की जमा (बहुवचन) है बुत के मायने में। बुतों को नजासत (गन्दगी और नापाकी) इसलिये क़रार दिया कि वो इनसान के बातिन को शिर्क की नजासत से भर देते हैं।

وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ٥

'क़ौलज़्ज़ूर' से मुराद झूठ है, हक़ के ख़िलाफ़ जो कुछ है वह बातिल और झूठ में दाख़िल है, चाहे बुरे अ़क़ीदे शिर्क व कुफ़ हों या मामलात में और गवाही में झूठ बोलना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि सब कबीरा गुनाहों में से बड़े कबीरा ये गुनाह हैं- अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना और माँ-बाप की नाफ़रमानी करना और झूठी गवाही देना और आ़म बातों में झूठ बोलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने आख़िरी लफ़्ज़ 'व क़ौलज़्ज़ूर' को बार-बार फ़रमाया। (बुख़ारी)

وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ.

'शआ़इर' 'शईरा' की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने निशानी के हैं। जो चीज़ें किसी ख़ास मज़हब या जमाअ़त की ख़ास पहचान समझी जाती हों वो उसके शआ़इर कहलाते हैं। इस्लामी शआ़इर उन ख़ास अहकाम का नाम है जो उर्फ़ में मुसलमान होने की निशानी समझे जाते हैं। हज के अक्सर अहकाम ऐसे ही हैं।

مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ٥

यानी अल्लाह के शआ़इर की ताज़ीम (एहतिराम व सम्मान) दिल के तक़वे की निशानी है, उनकी ताज़ीम वही करता है जिसके दिल में तक़वा और अल्लाह का ख़ौफ़ हो। इससे मालूम हुआ कि तक़वे का ताल्लुक़ असल में इनसान के दिल से है, जब उसमें अल्लाह का ख़ौफ़ होता है तो उसका असर सब आमाल और कामों में देखा जाता है।

لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى.

यानी चौपाये जानवरों से दूध, सवारी, बोझ ढोने वग़ैरह हर क़िस्म के फ़ायदे हासिल करना तुम्हारे लिये उस वक़्त तक तो हलाल है जब तक उनको मक्का के हरम में ज़िबह करने के लिये नामज़द करके हदी न बना लिया हो। हदी उसी जानवर को कहते हैं जो हज या उमरा करने वाला अपने साथ कोई जानवर ले जाये कि उसको हरम शरीफ़ में ज़िबह किया जायेगा। जब उसको हरम की हदी के लिये नामज़द और मुक़र्रर कर दिया तो फिर उससे किसी क़िस्म का नफ़ा उठाना बग़ैर किसी ख़ास मजबूरी के जायज़ नहीं, जैसे ऊँट को हदी बनाकर साथ लिया और ख़ुद पैदल चल रहा है, सवारी के लिये कोई दूसरा जानवर मौजूद नहीं, और पैदल चलना उसके लिये मुश्किल हो जाये तो मजबूरी और ज़रूरत की बिना पर उस वक़्त सवार होने की इजाज़त है।

ثُمَّ مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ۝

यहाँ बैत-ए-अ़तीक़ से मुराद पूरा हरम शरीफ़ है जो दर हक़ीक़त बैतुल्लाह ही का ख़ास हरीम है जैसे पहले गुज़री आयतों में मस्जिदे हराम के लफ़्ज़ से पूरा हरम मुराद लिया गया, यहाँ बैते अ़तीक़ के लफ़्ज़ से भी पूरा हरम मुराद है। और 'महिल्लुहा' से मुराद ज़िबह का स्थान है, यानी हदी के जानवरों के ज़िबह करने का मक़ाम बैते अ़तीक़ के पास है, और मुराद पूरा हरम है कि वह बैते अ़तीक़ ही के हुक्म में है। इससे मालूम हुआ कि हदी (क़ुरबानी के जानवर) का ज़िबह करना हरम के अन्दर ज़रूरी है, हरम से बाहर जायज़ नहीं। और फिर हरम आ़म है चाहे मिना में क़ुरबानी की जगह हो या मक्का मुकर्रमा की कोई और जगह हो। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۭ فَاِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا ۭ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَآ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِي الصَّلٰوةِ ۙ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَاۗىِٕرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ڰ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَاۗفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۭ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاۗؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ۭ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ۭ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

व लिकुल्लि उम्मतिन् जअ़ल्ना मन्-सकल् लि-यज़्कुरुस्मल्लाहि अ़ला मा र-ज़-क़हुम् मिम्-बहीमतिल्-अन्आ़मि, फ़-इलाहुकुम् इलाहुंव्वाहिदुन् फ़-लहू अस्लिमू, व बश्शिरिल्-मुख़्बितीन (34) अल्लज़ी-न इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत् क़ुलूबुहुम् वस्साबिरी-न अ़ला मा असा-बहुम् वल्मुक़ीमिस्सलाति व मिम्मा रज़क़्नाहुम् युन्फ़िक़ून (35) वल्बुद्-न	और हर उम्मत के वास्ते हमने मुक़र्रर कर दी है क़ुरबानी कि याद करें अल्लाह के नाम ज़िबह पर चौपायों के जो उनको अल्लाह ने दिये, सो अल्लाह तुम्हारा एक अल्लाह है सो उसी के हुक्म में रहो और ख़ुशख़बरी सुना दे आ़जिज़ी करने वालों को (34) वे कि जब नाम लीजिए अल्लाह का डर जायें उनके दिल और सहने वाले उसको जो उन पर पड़े, और क़ायम रखने वाले नमाज़ के और हमारा दिया हुआ कुछ ख़र्च करते रहते हैं। (35) और काबे

जअ़ल्नाहा लकुम् मिन् शआ़-इरिल्लाहि लकुम् फ़ीहा ख़ैरुन् फ़ज़्कुरुस्मल्लाहि अ़लैहा सवाफ़्-फ़ फ़-इज़ा व-जबत् जुनूबुहा फ़कुलू मिन्हा व अत्अ़िमुल्-क़ानि-अ़ वल्मुअ़्तर्-र, कज़ालि-क सख़्ख़र्नाहा लकुम् लअ़ल्लकुम् तश्कुरून (36) लंय्यनालल्ला-ह लुहूमुहा व ला दिमा-उहा व ला किंय्यनालुहुत्-तक़्वा मिन्कुम्, कज़ालि-क सख़्ख़-रहा लकुम् लितुकब्बिरुल्ला-ह अ़ला मा हदाकुम्, व बश्शिरिल्-मुह्सिनीन (37)

के चढ़ाने के ऊँट ठहराये हैं हमने तुम्हारे वास्ते निशानी अल्लाह के नाम की तुम्हारे वास्ते उसमें भलाई है सो पढ़ो उन पर नाम अल्लाह का क़तार बाँधकर फिर जब गिर पड़े उनकी करवट तो खाओ उसमें से और खिलाओ सब्र से बैठे को और बेक़रारी करते को, इसी तरह तुम्हारे बस में कर दिया हमने उन जानवरों को ताकि तुम एहसान मानो। (36) अल्लाह को नहीं पहुँचता उनका गोश्त और न उनका ख़ून लेकिन उसको पहुँचता है तुम्हारे दिल का अदब, इसी तरह उनको बस में कर दिया तुम्हारे कि अल्लाह की बड़ाई पढ़ो इस बात पर कि तुमको राह सुझाई और ख़ुशख़बरी सुना दे नेकी वालों को। (37)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (ऊपर जो क़ुरबानी का हरम में ज़िबह करने का हुक्म है इससे कोई यह न समझे कि असली मक़सद हरम का सम्मान है बल्कि असल मक़सद अल्लाह ही की ताज़ीम और उसके साथ निकटता पैदा करना है, और ज़िबह होने वाला और ज़िबह होने का मक़ाम उसका एक आला और ज़रिया है, और यह ख़ास करना कुछ हिक्मतों की वजह से है, और अगर यह ख़ास करना असली मक़सद होता तो किसी शरीअ़त में ये अहकाम न बदलते, मगर इनका बदलते रहना ज़ाहिर है, अलबत्ता अल्लाह की निकटता और रज़ा जो असल मक़सद था वह सब शरीअ़तों में महफ़ूज़ रहा, चुनाँचे) हमने (जितने शरीअ़तों वाले गुज़रे हैं उनमें से) हर उम्मत के लिये क़ुरबानी करना इस ग़र्ज़ से मुक़र्रर किया था कि वे उन मख़्सूस चौपायों पर अल्लाह का नाम लें जो उसने उनको अ़ता फ़रमाया था (पस असली मक़सद यह नाम लेना था)। सो (इससे यह बात निकल आई कि) तुम्हारा (असली और वास्तविक) माबूद एक ही ख़ुदा है (जिसका ज़िक्र करके सब को उसकी निकटता और रज़ा हासिल करने का हुक्म होता रहा) तो तुम पूरी तरह उसी के होकर रहो। (यानी ख़ालिस तौहीद वाले रहो, किसी जगह व स्थान वग़ैरह को अपने आप में क़ाबिले एहतिराम और सम्मानीय समझने से ज़र्रा बराबर शिर्क का शुब्हा भी अपने अ़मल में न होने दो)।

और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम! जो लोग हमारी इस तालीम पर अ़मल करें) आप

(अल्लाह के अहकाम के सामने ऐसे) गर्दन झुका देने वालों को (जन्नत वग़ैरह की) ख़ुशख़बरी सुना दीजिये जो (इस ख़ालिस तौहीद की बरकत से) ऐसे हैं कि जब (उनके सामने) अल्लाह (के अहकाम व सिफ़ात और वायदा-वईद) का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जो उन मुसीबतों पर जो कि उन पर पड़ती हैं सब्र करते हैं, और जो नमाज़ की पाबन्दी रखते हैं, और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से (हुक्म और तौफ़ीक़ के मुताबिक़) ख़र्च करते हैं (यानी ख़ालिस तौहीद ऐसी बरकत वाली चीज़ है कि उसकी बदौलत नफ़्सानी, बदनी और माली कमालात पैदा हो जाते हैं)। और (इसी तरह ऊपर जो अल्लाह के शआइर..... में कुछ फ़ायदे हासिल करने का वर्जित और मना होना मालूम हुआ है इससे भी उन क़ुरबानियों के अपनी ज़ात के एतिबार से सम्मानीय होने का शुब्हा न किया जाये, क्योंकि इससे भी असल वही अल्लाह तआला की और उसके दीन की ताज़ीम और सम्मान है, और ये विशेष करना उसका एक तरीक़ा है, पस) क़ुरबानी के ऊँट और गाय को (और इसी तरह भेड़ और बकरी को भी) हमने अल्लाह (के दीन) की यादगार बनाया है (कि उसके मुताल्लिक़ अहकाम के इल्म और अ़मल से अल्लाह की बड़ाई और दीन की वक़्अ़त ज़ाहिर होती है कि उसके लिये नामित की हुई चीज़ से लाभान्वित होने में वक़्ती मालिक की राय क़ाबिले एतिबार न रहे जिससे उसकी पूरी बन्दगी और असली मालिक का माबूद होना ज़ाहिर होता है, और इस दीनी हिक्मत के अ़लावा) इन जानवरों में तुम्हारे (और भी) फ़ायदे हैं (मसलन दुनियावी फ़ायदे खाना और खिलाना और आख़िरी फ़ायदा सवाब है)। सो (जब इसमें ये हिक्मतें हैं तो) तुम उन पर खड़े करके (ज़िबह करने के वक़्त) अल्लाह का नाम लिया करो (यह सिर्फ़ ऊँटों के एतिबार से फ़रमाया कि उनका खड़े करके ज़िबह करना बेहतर है क्योंकि इससे वो आसानी से ज़िबह हो जाते हैं और रूह भी सहूलत से निकल जाती है। पस इससे तो आख़िरत का फ़ायदा यानी सवाब हासिल हुआ और साथ ही अल्लाह की बड़ाई ज़ाहिर हुई कि उसके नाम पर एक जान क़ुरबान हुई जिससे उसका ख़ालिक़ और इसका मख़्लूक़ होना ज़ाहिर कर दिया गया)। पस जब वो (किसी) करवट के बल गिर पड़ें (और ठंडे हो जाएँ) तो तुम ख़ुद भी खाओ और सवाल न करने वाले और सवाल करने वाले (मोहताज) को (जो कि फ़क़ीर की दो क़िस्में हैं) भी खाने को दो (कि यह दुनियावी फ़ायदा भी है और) हमने इन जानवरों को इस तरह तुम्हारे हुक्म के ताबे कर दिया (कि तुम बावजूद तुम्हारे कमज़ोरी और उनकी क़ुव्वत के इस तरह उसके ज़िबह पर क़ादिर हो गये) ताकि तुम (इस ताबे कर देने पर अल्लाह तआ़ला का) शुक्र करो।

(यह हिक्मत उसके सिर्फ़ ज़िबह करने में है, उसकी क़ुरबानी होने का मामला अलग है। और आगे ज़िबह करने की विशेषता को अपने आप में मक़सूद व उद्देश्य न होने को एक अ़क़्ली क़ायदे से बयान फ़रमाते हैं कि देखो ज़ाहिर बात है कि) अल्लाह के पास न उनका गोश्त पहुँचता है और न उनका ख़ून, लेकिन उसके पास तुम्हारा तक़वा (जो कि अल्लाह की निकटता और रज़ा हासिल करने की नीयत करना उसके शोबों में से है, ज़रूर) पहुँचता है, (पस वही अल्लाह की बड़ाई व ताज़ीम का असल मक़सूद होना साबित हो गया। और जैसे ऊपर 'इसी तरह तुम्हारे बस में कर दिया....' में ताबे और बस में करने की एक आ़म हिक्मत यानी क़ुरबानी होने की ख़ुसूसियत से अलग बयान हुई थी

आगे ताबे और कब्ज़े में करने की एक ख़ास हिक्मत यानी क़ुरबानी होने के लिहाज़ से इरशाद फ़रमाते हैं कि) इसी तरह अल्लाह तआला ने उन जानवरों को तुम्हारे हुक्म के ताबे कर दिया ताकि तुम (अल्लाह की राह में उनकी क़ुरबानी करके) इस बात पर अल्लाह की बड़ाई (बयान) करो कि उसने तुमको (इस तरह क़ुरबानी करने की) तौफ़ीक़ दी, (वरना अगर अल्लाह की तौफ़ीक़ साथ न होती तो या तो ज़िबह ही में शुब्हात निकालकर इस इबादत से मेहरूम रहते और या ग़ैरुल्लाह के नाम पर ज़िबह करने लगते) और (ऐ मुहम्मद!) इख़्लास वालों को ख़ुशख़बरी सुना दीजिए (इससे पहले ख़ुशख़बरी इख़्लास के विभागों पर थी यह ख़ास इख़्लास पर है)।

मआरिफ़ व मसाईल

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا.

लफ़्ज़ 'मन्सक' और 'नुसुक' अरबी भाषा के एतिबार से कई मायने के लिये बोला जाता है। एक मायने जानवर की **क़ुरबानी** के दूसरे मायने **हज के तमाम अरकान** के और तीसरे मायने सिर्फ़ और आम **इबादत** के हैं। क़ुरआने करीम में मुख़्तलिफ़ मौक़ों पर यह लफ़्ज़ इन तीन मायने में इस्तेमाल हुआ है। यहाँ तीनों मायने मुराद हो सकते हैं इसी लिये तफ़सीर के इमामों में से इमाम मुजाहिद वग़ैरह ने इस जगह **मन्सक** को **क़ुरबानी** के मायने में लिया है। इस पर आयत के मायने यह होंगे कि क़ुरबानी का हुक्म जो इस उम्मत के लोगों को दिया गया है कोई नया हुक्म नहीं, पिछली सब उम्मतों के भी ज़िम्मे क़ुरबानी की इबादत लगाई गयी थी। और क़तादा रह. ने दूसरे मायने में लिया है जिस पर आयत की मुराद यह होगी कि हज के अरकान जैसे इस उम्मत पर आयद किये गये हैं पिछली उम्मतों पर भी हज फ़र्ज़ किया गया था। इब्ने अ़रफ़ा ने तीसरे मायने लिये हैं, उस एतिबार से आयत की मुराद यह होगी कि हमने अल्लाह की इबादत गुज़ारी सब पिछली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ की थी, इबादत के तरीक़े में कुछ-कुछ फ़र्क़ सब उम्मतों में रहा है मगर असल इबादत सब में मुश्तरक रही है।

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ۝

लफ़्ज़ 'ख़ब्त' अ़रबी भाषा में पस्त ज़मीन के मायने में आता है, इसी लिये "ख़बीत" उस शख़्स को कहा जाता है जो अपने आपको हक़ीर (कमतर) समझे। इसी लिये हज़रत क़तादा व मुजाहिद ने मुख़्बितीन का तर्जुमा तवाज़ो करने वालों से किया है। अ़मर बिन औस फ़रमाते हैं कि मुख़्बितीन वे लोग हैं जो लोगों पर ज़ुल्म नहीं करते और अगर कोई उन पर ज़ुल्म करे तो उससे बदला नहीं लेते। सुफ़ियान ने फ़रमाया कि ये वे लोग हैं जो अल्लाह के फ़ैसले और तक़दीर पर राहत व परेशानी फ़राख़ी और तंगी हर हाल में राज़ी रहते हैं।

وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ.

'वजल' के असली मायने उस ख़ौफ़ व हैबत के हैं जो किसी की बड़ाई की बिना पर दिल में पैदा हो। अल्लाह के नेक बन्दों का यही हाल होता है कि अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र और नाम सुनकर उनके दिलों पर उसकी अ़ज़मत और बड़ाई के सबब एक ख़ास हैबत (रौब व डर) तारी हो जाती है।

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ.

पहले गुज़र चुका है कि शआइर उन ख़ास अहकाम व इबादत का नाम है जो दीने इस्लाम की निशानियाँ और पहचान समझी जाती हैं। क़ुरबानी भी उन्हीं में से है, ऐसे अहकाम की पाबन्दी ज़्यादा अहम है।

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ.

सवाफ़ 'मस्फ़ूफ़ा' के मायने में है, यानी सफ़ और कतार बाँधकर। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने इसकी तफ़सीर यह बयान फ़रमाई है कि जानवर तीन पाँव पर खड़ा हो, एक हाथ बंधा हुआ हो। यह सूरत क़ुरबानी के ऊँट के साथ मख़्सूस है, उसकी क़ुरबानी खड़े होने की हालत में सुन्नत और बेहतर है, बाक़ी जानवरों को लेटाकर ज़िबह करना सुन्नत है।

فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا.

यहाँ 'व-जबत्' स-क़तत् के मायने में आया है और इससे जानवर की जान निकल जाना है।

الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ.

पिछली आयत में जिन लोगों को क़ुरबानी का गोश्त देना चाहिये उनको 'बाइस फ़क़ीर' के लफ़्ज़ से याद किया गया है जिसके मायने हैं मुसीबत का मारा मोहताज। इस आयत में इसकी जगह 'क़ानेअ़' और 'मोअ़्तर्र' के दो लफ़्ज़ों में इसकी वज़ाहत व मतलब बयान किया गया है। 'क़ानेअ़' से मुराद वह मोहताज फ़क़ीर है जो लोगों से सवाल नहीं करता, अपनी ग़ुर्बत व फ़क़्र के बावजूद अपनी जगह बैठकर जो मिल जाये उस पर क़नाअ़त करता है, और 'मोअ़्तर्र' जो ऐसे मौक़ों (समय और जगहों) पर जाये जहाँ से कुछ मिलने की उम्मीद हो, चाहे ज़बान से सवाल करे या न करे। (तफ़सीरे मज़हरी)

इबादतों की ख़ास सूरतें असल उद्देश्य नहीं बल्कि दिल का इख़्लास व इताअ़त मक़सूद है

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا.

ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 37 में यह बतलाना मक़सूद है कि क़ुरबानी जो एक अ़ज़ीम इबादत है अल्लाह के पास उसका गोश्त और ख़ून नहीं पहुँचता, न वह क़ुरबानी मक़सूद है, बल्कि असली मक़सूद और उद्देश्य उस पर अल्लाह का नाम लेना और हुक्मे रब्बी की तामील दिली इख़्लास के साथ है। यही हुक्म दूसरी तमाम इबादतों का है कि नमाज़ के रुकूअ़ सज्दे वग़ैरह, रोज़े में भूखा प्यासा रहना असल मक़सूद नहीं बल्कि असली मक़सूद अल्लाह तआ़ला के हुक्म की तामील दिली इख़्लास व मुहब्बत के साथ है। अगर ये इबादतें उस इख़्लास व मुहब्बत से ख़ाली हैं तो सिर्फ़ सूरत और ढाँचा है, रूह ग़ायब है, मगर इबादतों की ज़ाहिरी सूरत और ढाँचा जो शरीअ़त ने बताया है वह भी इसलिये ज़रूरी है कि हुक्मे रब्बानी की तामील के लिये उसकी तरफ़ से ये सूरतें मुतैयन फ़रमा दी

गयी हैं। वल्लाहु आलम

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٣٨﴾

इन्नल्ला-ह युदाफ़िअु अनिल्लज़ी-न आमनू, इन्नल्ला-ह ला युहिब्बु कुल्-ल ख़व्वानिन् कफ़ूर। (38) ✿ ▲	अल्लाह दुश्मनों को हटा देगा ईमान वालों से, अल्लाह को पसन्द नहीं आता कोई दग़ाबाज़ नाशुक्रा। (38) ✿ ▲

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

बिला शुब्हा अल्लाह तआ़ला (उन मुश्रिक लोगों के ग़लबे और तकलीफ़ पहुँचाने की क़ुदरत को) ईमान वालों से (जल्द ही) हटा देगा (कि फिर हज वग़ैरह से रोक ही न सकेंगे)। बेशक अल्लाह तआ़ला किसी दग़ाबाज़ कुफ़्र करने वाले को नहीं चाहता (बल्कि ऐसे लोगों से नाराज़ है इसलिए अन्जाम कार उन लोगों को मग़लूब और पक्के सच्चे मोमिनों को ग़ालिब करेगा)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इससे पहले की आयतों में इसका ज़िक्र था कि मुश्रिक लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और आपके सहाबा को जो उमरे का एहराम बाँधकर मक्का मुकर्रमा के क़रीब हुदैबिया के मक़ाम पर पहुँच चुके थे, हरम शरीफ़ और मस्जिदे हराम में जाने और उमरा अदा करने से रोक दिया था। इस आयत में मुसलमानों को इस वायदे के साथ तसल्ली दी गयी है कि अल्लाह तआ़ला बहुत जल्दी उन मुश्रिकों की इस क़ुव्वत को तोड़ देगा जिसके ज़रिये वे मुसलमानों पर ज़ुल्म करते हैं। यह वाक़िआ़ सन् 6 हिजरी में पेश आया था, इसके बाद से लगातार काफ़िरों व मुश्रिकों की ताक़त कमज़ोर और हिम्मत पस्त होती चली गयी, यहाँ तक कि सन् 8 हिजरी में मक्का मुकर्रमा फ़तह हो गया। अगली आयतों में इसकी तफ़सील आ रही है।

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ

وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

उज़ि-न लिल्लज़ी-न युक़ातलू-न बि-अन्नहुम् ज़ुलिमू, व इन्नल्ला-ह अ़ला नस्रिहिम् ल-क़दीर (39) अल्लज़ी-न उख़्रिजू मिन् दियारिहिम् बिग़ैरि हक़्क़िन् इल्ला अंय्यक़ूलू रब्बुनल्लाहु, व लौ ला दफ़्अुल्लाहिन्ना-स बअ़्ज़हुम् बिबअ़्ज़िल्-लहुद्दिमत् सवामिअ़ु व बि-यअुंव्-व स-लवातुंव्-व मसाजिदु युज़्करु फ़ीहस्मुल्लाहि कसीरन्, व ल-यन्सुरन्नल्लाहु मंय्यन्सुरुहू, इन्नल्ला-ह ल-क़विय्युन् अ़ज़ीज़ (40) अल्लज़ी-न इम्-मक्कन्नाहुम् फ़िल्अर्ज़ि अक़ामुस्सला-त व आ-तवुज़्ज़का-त व अ-मरू बिल्-मअ़्रूफ़ि व नहौ अ़निल्-मुन्करि, व लिल्लाहि आ़क़ि-बतुल्-उमूर (41)

हुक्म हुआ उन लोगों को जिनसे काफ़िर लड़ते हैं इस वास्ते कि उन पर ज़ुल्म हुआ, और अल्लाह उनकी मदद करने पर क़ादिर है (39) वे लोग जिनको निकाला उनके घरों से और दावा कुछ नहीं सिवाय इसके कि वे कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, और अगर न हटाया करता अल्लाह लोगों को एक को दूसरे से तो ढहाये जाते तकिये और मदरसे और इबादत ख़ाने और मस्जिदें जिनमें नाम पढ़ा जाता है अल्लाह का बहुत, और अल्लाह मुक़र्रर (तयशुदा) मदद करेगा उसकी जो मदद करेगा उसकी, बेशक अल्लाह ज़बरदस्त है ज़ोर वाला। (40) वे लोग कि अगर हम उनको क़ुदरत दें मुल्क में तो वे क़ायम रखें नमाज़ और दें ज़कात और हुक्म करें भले काम का और मना करें बुराई से, और अल्लाह के इख़्तियार में है आख़िर (अन्जाम व परिणाम) हर काम का। (41)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(अगरचे अब तक काफ़िरों की मस्लेहत से लड़ने की मनाही थी लेकिन अब) लड़ने की उन लोगों को इजाज़त दे दी गई जिनसे (काफ़िरों की तरफ़ से) लड़ाई की जाती है, इस वजह से कि उन पर (बहुत) ज़ुल्म किया गया है (यह वजह और सबब है जिहाद का हुक्म आने और उसके लागू होने का) और (इस इजाज़त की हालत में मुसलमानों की कमी और काफ़िरों की अधिकता पर नज़र न करनी चाहिए क्योंकि) बिला शुब्हा अल्लाह तआ़ला उनके ग़ालिब कर देने पर पूरी क़ुदरत रखता है। (आगे उनकी मज़लूमियत का बयान है कि) जो (बेचारे) अपने घरों से बेवजह निकाले गये सिर्फ़ इतनी बात पर कि वे यूँ कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है (यानी अल्लाह को एक मानने के अ़क़ीदे पर काफ़िरों

का यह सारा का सारा ग़ुस्सा व नाराज़गी थी कि उनको इस क़द्र परेशान किया कि वतन छोड़ना पड़ा। आगे जिहाद की हिक्मत है) और अगर यह बात न होती कि अल्लाह तआ़ला (हमेशा से) लोगों का एक-दूसरे (के हाथ) से ज़ोर न घटवाता रहता (यानी हक़ वालों को बातिल वालों पर वक़्त वक़्त पर ग़ालिब न करता रहता) तो (अपने-अपने ज़मानों में) ईसाइयों के तन्हाई के मक़ामात और इबादत ख़ाने और यहूदियों के इबादत ख़ाने और (मुसलमानों की) वो मस्जिदें जिनमें अल्लाह तआ़ला का नाम कसरत से लिया जाता है, सब ध्वस्त (और नापैद) हो गये होते।

(आगे जिहाद में इख़्लास पर ग़लबे और कामयाबी की ख़ुशख़बरी है) और बेशक अल्लाह तआ़ला उसकी मदद करेगा जो कि अल्लाह (के दीन) की मदद करेगा (यानी उसके लड़ने में ख़ालिस नीयत अल्लाह का कलिमा बुलन्द करने की हो) बेशक अल्लाह क़ुव्वत वाला (और) ग़लबे वाला है (वह जिसको चाहे ग़लबा और क़ुव्वत दे सकता है। आगे उनकी फ़ज़ीलत है) ये लोग ऐसे हैं कि अगर हम इनको दुनिया में हुकूमत दे दें तो ये लोग ख़ुद भी नमाज़ की पाबन्दी करें और ज़कात दें और (दूसरों को भी) नेक कामों के करने को कहें और बुरे कामों से मना करें, और सब कामों का अन्जाम तो अल्लाह के ही इख़्तियार में है। (पस मुसलमानों की मौजूदा हालत देखकर ये कोई क्योंकर कह सकता है कि अन्जाम भी इनका यही रहेगा, बल्कि मुम्किन है कि इसका उल्टा हो जाये, चुनाँचे हुआ)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

काफ़िरों के साथ जिहाद का पहला हुक्म

मक्का मुकर्रमा में मुसलमानों पर काफ़िरों के ज़ुल्म और अत्याचारों का यह हाल था कि कोई दिन ख़ाली न जाता था कि कोई मुसलमान उनके सितम के हाथ से ज़ख़्मी और चोट खाया हुआ न आता हो। मक्का में रहने के आख़िरी दौर में मुसलमानों की संख्या भी अच्छी-ख़ासी हो चुकी थी, वे काफ़िरों के ज़ुल्म व ज़्यादती की शिकायतें और उनके मुक़ाबले में क़त्ल व क़िताल (जंग व जिहाद) की इजाज़त माँगते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जवाब में फ़रमाते कि सब्र करो मुझे अभी तक क़िताल (जिहाद और लड़ाई) की इजाज़त नहीं दी गयी। यह सिलसिला दस साल तक इसी तरह जारी रहा। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी इब्ने अ़रबी के हवाले से)

जिस वक़्त रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम वतन मक्का छोड़ने और हिजरत करने पर मजबूर कर दिये गये और सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु आपके साथी थे तो मक्का मुकर्रमा से निकलते वक़्त आपकी ज़बान से निकलाः

اخرجوا نبيّهم ليهلكنّ.

यानी इन लोगों ने अपने नबी को निकाला है अब इनकी तबाही का वक़्त आ गया है। इस पर मदीना तय्यिबा पहुँचने के बाद यह ऊपर बयान हुई आयतें नाज़िल हुई (जिनमें मुसलमानों को काफ़िरों से जिहाद और लड़ने की इजाज़त दे दी गयी)। (नसई, तिर्मिज़ी इब्ने अ़ब्बास की रिवायत से। क़ुर्तुबी)

और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा, इब्ने हिब्बान और

हाकिम वग़ैरह ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसको हसन फ़रमाया है। रिवायत यह है कि इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि यह पहली आयत है जो काफ़िरों से जिहाद व जंग के मामले में नाज़िल हुई, जबकि इससे पहले सत्तर से ज़्यादा आयतों में क़िताल (जंग व जिहाद) को वर्जित क़रार दिया गया था।

जंग व जिहाद की एक हिक्मत

وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ.

इसमें लड़ाई व जिहाद की हिक्मत का और इसका बयान है कि यह कोई नया हुक्म नहीं पिछले नबियों और उनकी उम्मतों को भी काफ़िरों के साथ जंग व जिहाद के अहकाम दिये गये हैं, और अगर ऐसा न किया जाता तो किसी मज़हब और दीन की ख़ैर न थी। सारे ही दीन व मज़हब और उनकी इबादत के स्थान ढहा दिये जाते।

لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ.

जितने दीन व मज़हब दुनिया में ऐसे हुए हैं कि किसी ज़माने में उनकी असल बुनियाद अल्लाह की तरफ़ से और वही के ज़रिये से क़ायम हुई थी, फिर वह निरस्त व ख़त्म हो गये और उनमें रद्दोबदल होकर कुफ़्र व शिर्क में तब्दील हो गये, मगर अपने-अपने वक़्त में वही हक़ थे, उन सब की इबादत गाहों का इस आयत में ज़िक्र फ़रमाया है। क्योंकि अपने-अपने वक़्त में उनकी इबादत गाहों का सम्मान और हिफ़ाज़त फ़र्ज़ थी, उन मज़ाहिब के इबादत ख़ानों का ज़िक्र नहीं फ़रमाया जिनकी बुनियाद किसी वक़्त भी नुबुव्वत और अल्लाह की वही पर नहीं थी, जैसे आग को पूजने वाले मजूस या बुत-परस्त हिन्दू, क्योंकि उनके इबादत ख़ाने किसी वक़्त भी क़ाबिले एहतिराम (सम्मानीय) न थे।

आयत में 'सवामेअ़्' सूमआ़ की जमा (बहुवचन) है जो ईसाईयों के दुनिया से किनारा किये हुए राहिबों की ख़ास इबादत गाह को कहा जाता है, और 'बियअ़्' 'बीअ़तुन' की जमा है, जो ईसाईयों की आ़म कनीसों का नाम है, और 'सलवात' 'सलूत' की जमा है जो यहूदियों के इबादत ख़ाने का नाम है और 'मसाजिद' मुसलमानों की इबादत गाहों का नाम है।

आयत का मतलब यह है कि अगर काफ़िरों से जंग व जिहाद के अहकाम न आते तो किसी ज़माने में किसी मज़हब व मिल्लत के लिये अमन की जगह न होती। मूसा अ़लैहिस्सलाम के ज़माने में 'सलवात' और ईसा अ़लैहिस्सलाम के ज़माने में 'सवामेअ़्' और 'बियअ़्' और ख़ातिमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में मस्जिदें ढहा दी जातीं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के बारे में क़ुरआन की भविष्यवाणी और उसका ज़ाहिर होना

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ.

इस आयत में 'अल्लज़ी-न' सिफ़त है उन लोगों की जिनका ज़िक्र इससे पहले आयत में इन

अलफ़ाज़ से आया है 'अल्लज़ी-न ख़्र-रजू मिन् दियारिहिम् बिग़ैरि हक़्क़िन्' यानी वे लोग जिनको उनके घरों से ज़ुल्मन बग़ैर किसी हक़ के निकाल दिया गया। उन लोगों के बारे में इस आयत में यह फ़रमाया गया है कि ये ऐसे लोग हैं कि अगर इनको ज़मीन में हुकूमत व सत्ता दे दी जाये तो ये लोग अपने इख़्तियार व ताक़त को इन कामों में ख़र्च करेंगे कि नमाज़ें क़ायम करें और ज़कात अदा करें और नेक कामों की तरफ़ लोगों को दावत दें, बुरे कामों से रोकें। और यह ऊपर मालूम हो चुका है कि ये आयतें मदीने की हिजरत के फ़ौरन बाद उस वक़्त नाज़िल हुई हैं जबकि मुसलमानों को किसी भी ज़मीन में हुकूमत व ताक़त और सत्ता हासिल नहीं थी, मगर हक़ तआ़ला ने उनके बारे में पहले ही यह ख़बर दे दी कि जब इनको हुकूमत की ताक़त मिलेगी तो ये दीन की मज़कूरा अहम ख़िदमतें अन्जाम देंगे, इसी लिये हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमायाः

ثناء قبل بلاء.

यानी अल्लाह तआ़ला का यह इरशाद अ़मल के वजूद में आने से पहले उसके अ़मल करने वालों की तारीफ़ व प्रशंसा है। फिर अल्लाह तआ़ला की इस ख़बर का जिसका वाक़े और ज़ाहिर होना यक़ीनी था, इस दुनिया में इस तरह ज़हूर हुआ कि चारों ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन और मुहाजिरीन के ऊपर 'अल्लज़ी-न उख़्रिजू' पूरी तरह सही बैठता था, फिर अल्लाह तआ़ला ने उन्हीं को सबसे पहले ज़मीन की हुकूमत व सल्तनत अ़ता फ़रमाई और क़ुरआन की भविष्यवाणी के मुताबिक़ उनके आमाल व किरदार और कारनामों ने दुनिया को दिखला दिया कि उन्होंने अपनी ताक़त व इख़्तियार को इसी काम में इस्तेमाल किया कि नमाज़ें क़ायम कीं, ज़कात का निज़ाम मज़बूत किया, अच्छे कामों को रिवाज दिया, बुरे कामों का रास्ता बन्द किया।

इसी लिये उलेमा ने फ़रमाया कि यह आयत इसकी दलील है कि ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन सब के सब इसी ख़ुशख़बरी के मिस्दाक़ हैं, और ख़िलाफ़त का जो निज़ाम उनके ज़माने में क़ायम हुआ वह हक़ व सही और अल्लाह तआ़ला के इरादे और रज़ा और पेशगी ख़बर के पूरी तरह मुताबिक़ है।

(तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

यह तो इस आयत के उतरने और नाज़िल होने का वाक़िआ़ती पहलू है, लेकिन यह ज़ाहिर है कि क़ुरआन के अलफ़ाज़ जब आ़म हों तो वो किसी ख़ास वाक़िए में सीमित नहीं होते, उनका हुक्म आ़म होता है। इसी लिये तफ़सीर के इमामों में से इमाम ज़स्हाक रह. ने फ़रमाया कि इस आयत में उन लोगों के लिये हिदायत भी है जिनको अल्लाह तआ़ला मुल्क व सल्तनत अ़ता फ़रमा दें कि वे अपनी हुकूमत व सत्ता में ये काम अन्जाम दें जो ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन ने अपने वक़्त में अन्जाम दिये थे।

(तफ़सीरे क़ुर्तुबी, वज़ाहत के साथ)

وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ

قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّثَمُوْدُ ﴿٤٢﴾ وَقَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَقَوْمُ لُوْطٍ ﴿٤٣﴾ وَّاَصْحٰبُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ

مُوْسٰى فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٤٤﴾ فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ

أَهْلَكْنٰهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ ۝
أَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَا أَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ فَإِنَّهَا لَا
تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ ۝ وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَ
لَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ۝ وَكَأَيِّنْ
مِّنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا ۚ وَإِلَيَّ الْمَصِيْرُ ۝ قُلْ يٰٓأَيُّهَا
النَّاسُ إِنَّمَآ أَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ
كَرِيْمٌ ۝ وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝

ع ٦ ١٣

व इंय्युकज़्ज़िबू-क फ़-क़द् कज़्ज़-बत् क़ब्लहुम् क़ौमु नूहिंव्-व आ़दुंव्-व समूद (42) व क़ौमु इब्राही-म व क़ौमु लूत (43) व अस्हाबु मद्-य-न व कुज़्ज़ि-ब मूसा फ़-अम्लैतु लिल्काफ़िरी-न सुम्-म अ-ख़ज़्तुहुम् कै-फ़ का-न नकीर (44) फ़-कअय्यिम्-मिन् क़र्-यतिन् अह्लक्नाहा व हि-य ज़ालि-मतुन् फ़हि-य ख़ावि-यतुन् अ़ला उ़रूशिहा व बिअ्रिम् मु-अ़त्त-लतिंव्-व क़स्रिम्-मशीद (45) अ-फ़लम् यसीरू फ़िल्अर्ज़ि फ़-तकू-न लहुम् क़ुलूबुंय्-यअ़्क़िलू-न बिहा औ आज़ानुंय्-यस्मअ़ू-न बिहा फ़-इन्नहा ला तअ़्मल्-अब्सारु व लाकिन् तअ़्मल् क़ुलूबुल्लती फ़िस्सुदूर (46) व

और अगर तुझको झुठलायें तो उनसे पहले झुठला चुकी है नूह की क़ौम और आ़द और समूद। (42) और इब्राहीम की क़ौम और लूत की क़ौम। (43) और मद्यन के लोग, और मूसा को झुठलाया फिर मैंने ढील दी मुन्किरों को फिर पकड़ लिया उनको तो कैसा हुआ मेरा इनकार। (44) सो कितनी बस्तियाँ हमने ग़ारत कर डालीं और वो गुनाहगार थीं, अब वो गिरी पड़ी हैं अपनी छतों पर, और कितने कुएँ निकम्मे पड़े और कितने महल गचकारी के। (45) क्या सैर नहीं की मुल्क की जो उनके दिल होते जिनसे समझते या कान होते जिनसे सुनते, सो कुछ आँखें अंधी नहीं होतीं पर अंधे हो जाते हैं दिल जो सीनों में हैं। (46) और तुझसे जल्दी

यस्तअ्जिलू-न-क बिल्-अ़ज़ाबि व लंय्युख़्लिफ़ल्लाहु वअ्दहू, व इन्-न यौमन् अ़िन्-द रब्बि-क क-अल्फ़ि स-नतिम्-मिम्मा तअुद्दून (47) व क-अय्यिम् मिन् क़र्यतिन् अम्लैतु लहा व हि-य ज़ालि-मतुन् सुम्-म अख़ज़्तुहा व इलय्यल्-मसीर (48) ✿ क़ुल् या अय्युहन्नासु इन्नमा अ-न लकुम् नज़ीरुम्-मुबीन (49) फ़ल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति लहुम् मग़्फ़ि-रतुंव्-व रिज़्क़ुन् करीम (50) वल्लज़ी-न सऔ फ़ी आयातिना मुआ़जिज़ी-न उलाइ-क अस्हाबुल्-जहीम (51)	माँगते हैं अ़ज़ाब और अल्लाह हरगिज़ न टालेगा अपना वायदा, और एक दिन तेरे रब के यहाँ हज़ार बरस के बराबर होता है जो तुम गिनते हो। (47) और कितनी बस्तियाँ हैं कि मैंने उनको ढील दी और वो गुनाहगार थीं फिर मैंने उनको पकड़ा और मेरी तरफ़ फिरकर आना है। (48) ✿ तू कह ऐ लोगो! मैं तो डर सुना देने वाला हूँ तुमको खोलकर। (49) सो जो लोग यक़ीन लाये और कीं भलाईयाँ उनके गुनाह बख़्श देते हैं और उनको रोज़ी है इज़्ज़त की। (50) और जो दौड़े हमारी आयतों के हराने को वही हैं दोज़ख़ के रहने वाले। (51)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और ये (झगड़ा करने वाले लोग) अगर आपको झुठलाते हैं तो (आप ग़मगीन न होईये क्योंकि) इन लोगों से पहले क़ौमे नूह, आ़द और समूद और क़ौमे इब्राहीम और क़ौमे लूत और मद्यन वाले भी (अपने-अपने नबियों को) झुठला चुके हैं, और मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को भी झूठा क़रार दिया गया (मगर झुठलाने के बाद) मैंने उन काफ़िरों को (चन्द दिन की) मोहलत दी जैसे आज के मुन्किरों को मोहलत दे रखी है, फिर मैंने उनको (अ़ज़ाब में) पकड़ लिया तो (देखो) मेरा अ़ज़ाब कैसा हुआ। ग़र्ज़ कि कितनी बस्तियाँ हैं जिनको हमने (अ़ज़ाब से) हलाक किया, जिनकी यह हालत थी कि वो नाफ़रमानी करती थीं, तो (अब उनकी कैफ़ियत यह है कि) वो अपनी छतों पर गिरी पड़ी हैं, (यानी वीरान हैं क्योंकि आ़दतन पहले छत गिरा करती है फिर दीवारें आ पड़ती हैं) और (इस तरह उन बस्तियों में) बहुत-से बेकार कुएँ (जो पहले आबाद थे) और बहुत-से क़लई-चूने के महल (जो अब शिकस्ता हो गये, ये सब उन बस्तियों के साथ तबाह हुए। पस इसी तरह तयशुदा वक़्त पर इस ज़माने के लोग भी अ़ज़ाब में पकड़े जायेंगे) तो क्या ये (सुनकर) लोग मुल्क में चले-फिरे नहीं, जिससे कि उनके दिल ऐसे हो जाएँ कि उनसे समझने लगें, या उनके कान ऐसे हो जाएँ कि उनसे सुनने लगें। बात यह है कि (न समझने वालों की कुछ) आँखें अंधी नहीं हो जाया करतीं बल्कि दिल जो

सीनों में हैं वे अंधे हो जाते हैं (इन मौजूदा मुन्किर लोगों के भी दिल अंधे हो गये वरना पिछली उम्मतों के हालात से सबक़ सीख लेते)।

और ये लोग (नुबुव्वत में शुब्हा डालने के लिये) आप से अ़ज़ाब का तक़ाज़ा करते हैं (और अ़ज़ाब के जल्दी न आने से यह दलील पकड़ते हैं कि अ़ज़ाब आने वाला ही नहीं) हालाँकि अल्लाह कभी अपना वायदा ख़िलाफ़ न करेगा (यानी वायदे के वक़्त ज़रूर अ़ज़ाब होगा) और आपके रब के पास का एक दिन (जिसमें अ़ज़ाब ज़ाहिर होगा यानी क़ियामत का दिन लम्बा होने में या सख़्त होने में) एक हज़ार साल के बराबर है, तुम लोगों की गिनती के मुताबिक़ (तो ये बड़े बेवक़ूफ़ हैं कि ऐसी मुसीबत का तक़ाज़ा करते हैं)। और (ज़िक्र हुए जवाब का ख़ुलासा फिर सुन लो कि) बहुत-सी बस्तियाँ हैं जिनको मैंने मोहलत दी थी, और वे नाफ़रमानी करती थीं, फिर मैंने उनको (अ़ज़ाब में) पकड़ लिया और सब को मेरी ही तरफ़ लौटना होगा (उस वक़्त पूरी सज़ा मिलेगी)।

और आप (यह भी) फ़रमा दीजिये कि ऐ लोगो! मैं तो सिर्फ़ तुम्हारे लिये एक खुला डराने वाला हूँ (अ़ज़ाब लाने और न लाने में मेरा दख़ल नहीं, न मैंने इसका दावा किया है) तो जो लोग (इस डर को सुनकर) ईमान ले आये और अच्छे काम करने लगे, उनके लिये मग़फ़िरत और इ़ज़्ज़त की रोज़ी (यानी जन्नत) है, और जो लोग हमारी आयतों के मुताल्लिक़ (उनको झुठलाने और इनकार की) कोशिश करते रहते हैं (नबी को और ईमान वालों को) हराने (यानी आ़जिज़ करने) के लिये, ऐसे लोग दोज़ख़ में (रहने वाले) हैं।

मआ़रिफ़ व मसाईल

ज़मीन की सैर व घूमना अगर नसीहत व सबक़ हासिल करने के लिये हो तो दीनी मतलूब है

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ.

इस आयत में ज़मीन की सैर व घूमना जबकि सबक़ लेने वाली आँख हो, उसकी तरफ़ तरग़ीब (यानी शौक़ व दिलचस्पी दिलाई गयी) है, और 'फ़-तकू-न लहुम् क़ुलूबन्' से इस तरफ़ इशारा है कि गुज़रे ज़माने और दुनिया की पहली क़ौमों के हालात और कैफ़ियतों को देखना, जानना और अनुभव में लाना इनसान को अ़क़्ल व समझ अ़ता करने वाला है, बशर्ते कि उन हालात को सिर्फ़ तारीख़ी हालात व घटनाओं की हैसियत से नहीं बल्कि इब्रत (सीख व नसीहत लेने) की नज़र से देखे तो हर वाक़िआ़ एक नसीहत का सबक़ देगा। इब्ने अबी हातिम ने 'किताबुत्तफ़क्कुर' में हज़रत मालिक बिन दीनार रह. से नक़ल किया है कि हक़ तआ़ला ने हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोहे के जूते बनाओ और लोहे की लाठी हाथ में लो, और अल्लाह की ज़मीन में इतने फिरो कि वो लोहे के जूते घिस जायें और लोहे की लाठी टूट जाये। (रूहुल-मआ़नी) अगर यह रिवायत सही है तो इस सैर व घूमने का मक़सद वही इब्रत व समझ हासिल करना है।

आख़िरत का दिन एक हज़ार साल का होने का मतलब

उक्त आयत में जो यह फ़रमाया है:

اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ.

यानी आपके रब के पास एक दिन दुनिया के एक हज़ार साल के बराबर होगा। इसमें दो संभावनायें हैं- एक यह कि इस दिन से मुराद क़ियामत का दिन लिया जाये और उसका एक हज़ार साल के बराबर होने का मतलब यह है कि उस दिन के हौलनाक वाक़िआत और हैबतनाक हालात की वजह से यह दिन इतना लम्बा महसूस होगा जैसे एक हज़ार साल, ऊपर ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में इसी को सख़्त होने के लफ़्ज़ से ताबीर किया है, बहुत से मुफ़स्सिरीन हज़रात ने इसके यही मायने क़रार दिये हैं।

दूसरे यह कि वास्तव में आख़िरत के जहान का एक दिन हमेशा के लिये दुनिया के एक हज़ार साल ही के बराबर हो। हदीस की कुछ रिवायतों से इसी मायने की शहादत मिलती है। मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक दिन ग़रीब मुहाजिरीन को ख़िताब करके फ़रमाया कि तुमको मैं क़ियामत के दिन मुकम्मल नूर की ख़ुशख़बरी देता हूँ, और यह कि तुम मालदारों से आधा दिन पहले जन्नत में जाओगे और अल्लाह के यहाँ एक दिन एक हज़ार साल का होगा, इसलिये ग़रीब लोग मालदारों से पाँच सौ साल पहले जन्नत में दाख़िल होंगे। (तिर्मिज़ी, मज़हरी)

एक शुब्हे का जवाब

सूरः मआरिज में जो आख़िरत के दिन को पचास हज़ार साल के बराबर क़रार दिया है:

كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ.

इसमें भी दोनों तफ़सीरें सख़्त और लम्बा होने की हो सकती हैं, और हर शख़्स की सख़्ती व मुसीबत चूँकि दूसरों से अलग और कम, ज़्यादा होगी इसलिये वह दिन किसी को एक हज़ार साल का महसूस होगा, किसी को पचास हज़ार साल का, और अगर दूसरे मायने लिये जायें कि हक़ीक़त में आख़िरत का दिन पचास हज़ार साल का होगा तो इन दोनों आयतों में बज़ाहिर टकराव होता है कि एक में एक हज़ार साल और दूसरी में पचास हज़ार साल का ज़िक्र है, तो इनमें मुवाफ़क़त की सूरत को सय्यिदी हज़रत हकीमुल-उम्मत (मौलना थानवी) क़ुद्दि-स सिर्रुहू ने बयानुल-क़ुरआन में बयान फ़रमाया है, जो उलेमा हज़रात के लिये इल्मी और इस्तिलाही अलफ़ाज़ ही में नक़ल की जाती है।

वह यह है कि यह एक हज़ार साल का पचास हज़ार साल तक का फ़र्क़ 'आफ़ाक़' (उषाओं) के अलग-अलग होने के एतिबार से हो, जिस तरह दुनिया में 'मुअ़द्दिलुन्नहार' (नाडी वृत्त) की हरकत कहीं गोल चकर की है कहीं लटकी हुई सी कहीं पैचदार और इसी वजह से 'ख़त्ते इस्तिवा' (कर्क रेखा) पर एक रात दिन चौबीस घन्टे का होता है और 'क़ुतबे शिमाली' (उत्तरी ध्रुव) पर एक साल का, और इन दोनों के बीच विभिन्न मात्राओं पर अलग-अलग होता चला जाता है। इसी तरह मुम्किन है कि

सूरज के साथ जो पहली हरकत (उसका चलना) जो 'मुअ़द्दिलुन्नहार' के साथ है वह एक ख़ुदाई मोजिज़े और असाधारण अ़मल के तौर पर इस क़द्र सुस्त (धीमी) हो जाये कि एक 'उफ़ुक़' (क्षितिज) पर एक हज़ार साल का दिन हो और जो 'उफ़ुक़' उससे पचास हिस्से हटा हुआ हो उस पर पचास हज़ार बरस का हो, और बीच में इसी निस्बत से अलग-अलग और भिन्न हो। वल्लाहु आलम (बयानुल-क़ुरआन)

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ اُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٢﴾ لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿٥٣﴾ وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٥٤﴾ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَاْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ ﴿٥٥﴾ اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۗ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۗ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٥٦﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٥٧﴾

व मा अर्सल्ना मिन् क़ब्लि-क मिर्रसूलिंव्-व ला नबिय्यिन् इल्ला इज़ा तमन्ना अल्क़श्शैतानु फ़ी उम्निय्यतिही फ़-यन्सख़ुल्लाहु मा युल्क़िश्शैतानु सुम्-म युह्किमुल्लाहु आयातिही, वल्लाहु अ़लीमुन् हकीम (52) लि-यज्अ़-ल मा युल्क़िश्शैतानु फ़ित्न-तल्-लिल्लज़ी-न फ़ी क़ुलूबिहिम् म-रज़ुंव्वल्-क़ासि-यति क़ुलूबुहुम्, व इन्नज़्ज़ालिमी-न लफ़ी शिक़ाक़िम्-बअ़ीद (53) व लियअ़्ल-मल्लज़ी-न ऊतुल्-अ़िल्-म अन्नहुल्-हक़्क़ु मिर्रब्बि-क फ़युअ्मिनू

और जो रसूल भेजा हमने तुझसे पहले या नबी सो जब लगा ख़्याल बाँधने शैतान ने मिला दिया उसके ख़्याल में, फिर अल्लाह मिटा देता है शैतान का मिलाया हुआ, फिर पक्की कर देता है अपनी बातें और अल्लाह सब ख़बर रखता है हिक्मतों वाला। (52) इस वास्ते कि जो कुछ शैतान ने मिलाया उससे जाँचे उनको कि जिनके दिल में रोग हैं और जिनके दिल सख़्त हैं, और गुनाहगार तो हैं मुख़ालफ़त में दूर जा पड़े। (53) और इस वास्ते कि मालूम कर लें वे लोग जिनको समझ मिली है कि यह तहक़ीक़ है तेरे रब की

बिही फतुख़्बि-त लहू क़ुलूबुहुम्, व इन्नल्ला-ह लहादिल्लज़ी-न आमनू इला सिरातिम्-मुस्तक़ीम (54) व ला यज़ालुल्लज़ी-न क-फ़रू फ़ी मिर्यतिम् मिन्हु हत्ता तअ्ति-यहुमुस्-सा-अतु बग़्त-तन् औ यअ्ति-यहुम् अ़ज़ाबु यौमिन् अ़क़ीम (55) अल्-मुल्कु यौमइज़िल्-लिल्लाहि, यह्कुमु बैनहुम्, फ़ल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति फ़ी जन्नातिन्-नअ़ीम (56) वल्लज़ी-न क-फ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना फ़-उलाइ-क लहुम् अ़ज़ाबुम्-मुहीन (57) ❁	तरफ़ से फिर उस पर यक़ीन लायें और नर्म हो जायें उसके आगे दिल उनके, और अल्लाह सुझाने वाला है यक़ीन लाने वालों को राह सीधी। (54) और इनकारियों को हमेशा रहेगा उसमें धोखा जब तक आ पहुँचे उन पर क़ियामत बेख़बरी में, या आ पहुँचे उन पर आफ़त ऐसे दिन की जिसमें राह नहीं छुटकारे की। (55) राज उस दिन अल्लाह का है, उनमें फ़ैसला करेगा, सो जो यक़ीन लाये और कीं भलाईयाँ नेमत के बाग़ों में हैं। (56) और जो इनकारी हुए और झुठलाईं हमारी बातें सो उनके लिये है ज़िल्लत का अ़ज़ाब। (57) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम! ये लोग जो शैतान के बहकाने से आप से झगड़ा व बहस करते हैं यह कोई नई बात नहीं बल्कि) हमने आप से पहले कोई रसूल और कोई नबी ऐसा नहीं भेजा जिसको यह किस्सा पेश न आया हो कि जब उसने (अल्लाह तआ़ला के अहकाम में से) कुछ पढ़ा (तब ही) शैतान ने उसके पढ़ने में (काफ़िरों के दिलों में) शुब्हा (और एतिराज़) डाला, (और काफ़िर लोग उन्हीं शुब्हों और एतिराज़ों को पेश करके अम्बिया से झगड़ा किया करते जैसा कि दूसरी आयतों में इरशाद है यानी सूरः अन्आ़म की आयत 112 और सूरः अन्आ़म ही की आयत 221 में) फिर अल्लाह तआ़ला शैतान के डाले हुए शुब्हों को (न कटने वाले जवाबात और स्पष्ट दलीलों से) नेस्तनाबूद कर देता है (जैसा कि ज़ाहिर है कि सही जवाब के बाद एतिराज़ दूर हो जाता है) फिर अल्लाह अपनी आयतों (के मज़ामीन) को ज़्यादा मज़बूत कर देता है (अगरचे वो अपने आप में भी स्थिर थीं लेकिन एतिराज़ों के जवाब से उस मजबूती का और ज़्यादा ज़हूर हो गया) और अल्लाह तआ़ला (उन एतिराज़ों के बारे में) ख़ूब इल्म वाला है (और उनके जवाब की तालीम में) ख़ूब हिक्मत वाला है।

(और यह सारा किस्सा इसलिये बयान किया है) ताकि अल्लाह तआला शैतान के डाले हुए शुब्हों को ऐसे लोगों के लिये आज़माईश (का ज़रिया) बना दे जिनके दिल में (शक की) बीमारी है, और जिनके दिल (बिल्कुल ही) सख़्त हैं (कि वे शक से बढ़कर बातिल का यकीन किये हुए हैं, सो उनकी आज़माईश होती है कि देखें जवाब के बाद अब भी शुब्हात की पैरवी करते हैं या जवाब को समझकर हक़ को क़ुबूल करते हैं) और वाक़ई (ये) ज़ालिम लोग (यानी शक करने वाले भी और बातिल पर यकीन लाने वाले भी) बड़ी मुख़ालफ़त में हैं (कि हक़ को बावजूद स्पष्ट होने के महज़ दुश्मनी व मुख़ालफ़त के सबब क़ुबूल नहीं करते, शैतान को वस्वसा डालने का इख़्तियार तो इसलिए दिया गया था कि आज़माईश हो) और (उन शुब्हात को सही जवाबों और नूरे हिदायत से रद्द और बातिल इसलिये किया जाता है) ताकि जिन लोगों को (सही) समझ अ़ता हुई है वे (उन जवाबों और नूरे हिदायत से) इस बात का ज़्यादा यकीन कर लें कि यह (जो नबी ने पढ़ा है वह) आपके रब की तरफ़ से हक़ है, सो ईमान पर ज़्यादा क़ायम हो जायें, फिर (ज़्यादा यक़ीन की बरकत से) उस (पर अ़मल करने) की तरफ़ उनके दिल और भी झुक जाएँ और वाक़ई उन ईमान वालों को अल्लाह तआ़ला ही सीधा रास्ता दिखलाता है (फिर क्योंकर उनको हिदायत न हो। यह तो ईमान वालों की कैफ़ियत हुई) और (रह गये) काफ़िर लोग (सो वे) हमेशा इस (पढ़े हुए हुक्म) की तरफ़ से शक ही में रहेंगे, (जो उनके दिल में शैतान ने डाला था) यहाँ तक कि उन पर अचानक क़ियामत आ जाये (जिसकी हौल ही काफ़ी है चाहे अ़ज़ाब न भी होता) या (इससे बढ़कर यह कि) उन पर किसी बेबरकत दिन का (जो कि क़ियामत का दिन है) अ़ज़ाब आ पहुँचे (और दोनों का जमा होना जो कि वास्तव में होगा और भी सख़्त मुसीबत है। मतलब यह है कि ये बिना अ़ज़ाब को देखे कुफ़्र से बाज़ न आयेंगे, मगर उस वक़्त बाज़ आना फ़ायदा न देगा)। बादशाही उस दिन अल्लाह ही की होगी, वह इन सब (ज़िक्र हुए लोगों) के बीच (अ़मली) फ़ैसला फ़रमायेगा। सो जो लोग ईमान लाये होंगे और अच्छे काम किए होंगे वे चैन के बाग़ों में होंगे और जिन्होंने कुफ़्र किया होगा और हमारी आयतों को झुठलाया होगा तो उनके लिये ज़िल्लत का अ़ज़ाब होगा (यह होगा वह फ़ैसला)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ

इन अलफ़ाज़ से मालूम होता है कि रसूल और नबी दो अलग-अलग मफ़्हूम रखते हैं एक नहीं, इन दोनों में फ़र्क़ क्या है? इसमें उलेमा के अलग-अलग क़ौल हैं, मशहूर और स्पष्ट यह है कि नबी तो उस शख़्स को कहते हैं जिसको अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से नुबुव्वत का मर्तबा क़ौम की इस्लाह (सुधार) के लिये अ़ता हुआ हो और उसके पास अल्लाह की तरफ़ से वही आती हो, चाहे उसको कोई मुस्तक़िल किताब और शरीअ़त दी जाये या किसी पहले नबी ही की किताब और शरीअ़त की तब्लीग़ के लिये पाबन्द किया गया हो। पहले की मिसाल हज़रत मूसा व ईसा और ख़ातमुल-अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की है और दूसरे की मिसाल हज़रत हारून अ़लैहिस्सलाम की है जो हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम की किताब तौरात और उन्हीं की शरीअ़त की तब्लीग़ व तालीम के लिये लगाये गये

थे। और रसूल वह है जिसको मुस्तकिल शरीअत और किताब मिली हो। इससे यह भी मालूम हो गया कि हर रसूल का नबी होना ज़रूरी है मगर हर नबी का रसूल होना ज़रूरी नहीं। यह तक़सीम इनसानों के लिये है, फ़रिश्ता जो अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से वही लेकर आता है उसको रसूल कहना इसके ख़िलाफ़ नहीं, इसकी तफ़सील सूरः मरियम में आ चुकी है।

اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ اُمْنِيَّتِهٖ.

लफ़्ज़ 'तमन्ना' इस जगह 'क़-र-अ' के मायने में है और 'उमनिय्या' के मायने 'क़िराअत' के हैं। अरबी लुग़त के एतिबार से यह मायने भी परिचित हैं। इस आयत की जो तफ़सीर ऊपर ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में लिखी है वह बहुत साफ़ बेग़ुबार है। अबू हय्यान ने 'बहरे मुहीत' में और बहुत से दूसरे हज़राते मुफ़स्सिरीन ने इसी को इख़्तियार किया है। हदीस की किताबों में इस जगह एक वाक़िआ नक़ल किया गया है जो 'ग़रानीक़' के नाम से मशहूर है, यह वाक़िआ मुहद्दिसीन की बड़ी जमाअ़त के नज़दीक साबित नहीं है, कुछ हज़रात ने इसको बेदीन और गुमराह लोगों की ईजाद क़रार दिया है, और जिन हज़रात ने इसको मोतबर भी क़रार दिया है तो इसके ज़ाहिरी अलफ़ाज़ से जो शुब्हात क़ुरआन व सुन्नत के निश्चित और यक़ीनी अहकाम पर आ़यद होते हैं उनके विभिन्न जवाबात दिये हैं, लेकिन इतनी बात बिल्कुल स्पष्ट है कि क़ुरआन की इस आयत की तफ़सीर उस वाक़िए पर निर्भर नहीं बल्कि इसका सीधा-सादा मतलब वह है जो ऊपर बयान हो चुका है, बिना वजह इसको इस आयत की तफ़सीर का हिस्सा और अंग बनाकर शक व शुब्हात का दरवाज़ा खोलना और फिर जवाबदेही की फ़िक्र करना कोई मुफ़ीद काम नहीं, इसलिये उसको छोड़ दिया जाता है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا

لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ۭ

وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۝

वल्लज़ी-न हाजरू फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्-म क़ुतिलू औ मातू ल-यर्ज़ुक़न्न-हुमुल्लाहु रिज़्क़न् ह-सनन्, व इन्नल्ला-ह लहु-व ख़ैरुर्राज़िक़ीन (58) लयुद्ख़िलन्नहुम् मुद्-ख़लंय्-यर्ज़ौनहू, व इन्नल्ला-ह ल-अ़लीमुन् हलीम (59)	और जो लोग घर छोड़ आये अल्लाह की राह में फिर मारे गये या मर गये अलबत्ता उनको देगा अल्लाह रोज़ी ख़ासी, और अल्लाह है सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला। (58) अलबत्ता पहुँचायेगा उनको एक जगह जिसको पसन्द करेंगे और अल्लाह सब कुछ जानता है बरदाश्त वाला। (59)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और जिन लोगों ने अल्लाह की राह में (यानी दीन की हिफ़ाज़त के लिये) अपना वतन छोड़ा, (जिनका ज़िक्र पिछली आयत में भी 'अल्लज़ी-न उख़्रिजू मिन् दियारिहिम' के अलफ़ाज़ से आ चुका है) फिर वे लोग (कुफ़्र के मुक़ाबले में) क़त्ल किये गये या (वैसे ही मौत से) मर गये, (वे नाकाम व मेहरूम नहीं, अगरचे उनको दुनियावी फ़ायदे न मिले मगर आख़िरत में) अल्लाह तआ़ला ज़रूर उनको (एक) उम्दा रिज़्क़ देगा (यानी जन्नत की बेशुमार नेमतें) और यक़ीनन अल्लाह तआ़ला सब देने वालों से अच्छा (देने वाला) है। (और उम्दा रिज़्क़ के साथ) अल्लाह तआ़ला उनको (ठिकाना भी अच्छा देगा यानी) ऐसी जगह लेजाकर दाख़िल करेगा जिसको वे (बहुत ही) पसन्द करेंगे। (रही यह बात कि कुछ मुहाजिरीन इस तरह दुनियावी फ़तह व मदद और उसके फ़ायदे से मेहरूम क्यों हुए और उनके मुक़ाबले के काफ़िर लोग उनके क़त्ल करने पर क़ादिर क्यों हो गये, वे काफ़िर अल्लाह के क़हर से क्यों न हलाक कर दिये गये, तो इसकी वजह यह है कि) बिला शुब्हा अल्लाह तआ़ला (हर काम की हिक्मत व मस्लेहत को) ख़ूब जानने वाला है (उनकी इस ज़ाहिरी नाकामी में भी बहुत सी मस्लेहतें और हिक्मतें हैं, और) बहुत बरदाश्त वाला है (इसलिये दुश्मनों को फ़ौरन सज़ा नहीं देता)।

ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ

لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝

ज़ालि-क व मन् आक़-ब बिमिस्लि मा ऊक़ि-ब बिही सुम्-म बुग़ि-य अ़लैहि ल-यन्सुरन्नहुल्लाहु, इन्नल्ला-ह ल-अ़फ़ुव्वुन् ग़फ़ूर। (60)	यह सुन चुके और जिसने बदला लिया जैसा कि उसको दुख दिया था फिर उस पर कोई ज़्यादती करे तो अलबत्ता उसकी मदद करेगा अल्लाह, बेशक अल्लाह दरगुज़र करने वाला बख़्शने वाला है। (60)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

यह (मज़मून तो) हो चुका और (आगे यह सुनो कि) जो शख़्स (दुश्मन को) उसी क़द्र तकलीफ़ पहुँचाए जिस क़द्र (उस दुश्मन की तरफ़ से) उसको तकलीफ़ पहुँचाई गई थी, फिर (इस बराबर सराबर हो जाने के बाद अगर उस दुश्मन की तरफ़ से) उस शख़्स पर ज़्यादती की जाये तो अल्लाह तआ़ला उस शख़्स की ज़रूर मदद करेगा, बेशक अल्लाह तआ़ला बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला, बहुत ज़्यादा मग़फ़िरत करने वाला है (ऐसी बारीकियों पर पकड़ नहीं करता)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

चन्द आयतों पहले यह मज़मून बयान हुआ है कि अल्लाह तआ़ला मज़लूम की मदद करता है

यानी ऊपर गुज़री आयत नम्बर 39 में। मगर मज़लूम की दो किस्में हैं- एक तो वह जिसने दुश्मन से ज़ुल्म का कोई इन्तिक़ाम और बदला लिया ही नहीं बल्कि माफ़ कर दिया या छोड़ दिया, दूसरा वह शख़्स जिसने अपने दुश्मन से बराबर सराबर बदला और इन्तिक़ाम ले लिया, जिसका तक़ाज़ा यह था कि अब दोनों बराबर हो गये, आगे यह सिलसिला ख़त्म हो, मगर दुश्मन ने इसके इन्तिक़ाम लेने की बिना पर उत्तेजित होकर दोबारा हमला कर दिया और मज़ीद ज़ुल्म किया तो यह शख़्स फिर मज़लूम ही रह गया। इस आयत में इस दूसरी किस्म के मज़लूम की इमदाद का भी वायदा है, मगर चूँकि अल्लाह तआ़ला के नज़दीक पसन्द यह है कि आदमी पहले ही ज़ुल्म पर सब्र करे और माफ़ कर दे, बदला न ले जैसा कि बहुत सी आयतों में इसका ज़िक्र है। मसलनः

فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ.

(यानी सूरः शूरा की आयत 40) औरः

وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى.

(यानी सूरः ब-क़रह की आयत 237) औरः

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِo

(यानी सूरः शूरा की आयत 43) इन सब आयतों में इसकी तरफ़ उभारा गया और दिलचस्पी दिलाई गयी है कि ज़ुल्म का बदला न ले बल्कि माफ़ कर दे और सब्र करे। क़ुरआने करीम की इन हिदायतों से इसी तरीक़े का अफ़ज़ल व बेहतर होना साबित हुआ। उक्त शख़्स जिसने अपने दुश्मन से बराबर का बदला ले लिया उसने इस अफ़ज़ल व बेहतर और क़ुरआन की उक्त हिदायतों पर अ़मल छोड़ दिया तो इससे शुब्हा हो सकता था कि अब यह शायद अल्लाह की मदद से मेहरूम हो जाये इसलिये आयत के आख़िर में इरशाद फ़रमा दिया 'इन्नल्ला-ह ल-अ़फ़ुव्वुन् ग़फ़ूर'। यानी अल्लाह तआ़ला उस शख़्स की इस कोताही पर कि अफ़ज़ल व बेहतर पर अ़मल नहीं किया उससे कोई पूछ और पकड़ नहीं फ़रमायेगा बल्कि अब भी अगर मुख़ालिफ़ ने उस पर दोबारा ज़ुल्म कर दिया तो उसकी इमदाद अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से होगी। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ
فِى الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ
الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ ۝ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءًؗ فَتُصْبِحُ
الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ۝ۚ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ
الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ۝ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۗ
وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَ
هُوَ الَّذِىْٓ اَحْيَاكُمْ ۡ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ۗ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ ۝

ع ٨ ١٥

ज़ालि-क बिअन्नल्ला-ह यूलिजुल्लै-ल फ़िन्नहारि व यूलिजुन्नहा-र फ़िल्लैलि व अन्नल्ला-ह समीअुम्-बसीर (61) ज़ालि-क बिअन्नल्ला-ह हुवल्-हक़्क़ु व अन्-न मा यद्अू-न मिन् दूनिही हुवल्-बातिलु व अन्नल्ला-ह हुवल्-अलिय्युल्-कबीर (62) अलम् त-र अन्नल्ला-ह अन्ज़-ल मिनस्समा-इ मा-अन् फ़तुस्बिहुल्-अर्ज़ु मुख़्ज़र्र-तन्, इन्नल्ला-ह लतीफ़ुन् ख़बीर (63) लहू मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल्अर्ज़ि, व इन्नल्ला-ह लहुवल्-ग़निय्युल्-हमीद (64) ✿	यह इस वास्ते कि अल्लाह ले लेता है रात को दिन में और दिन को रात में, और अल्लाह सुनता देखता है। (61) यह इस वास्ते कि अल्लाह वही है सही और जिसको पुकारते हैं उसके सिवाय वही है ग़लत, और अल्लाह वही है सबसे ऊपर बड़ा। (62) तूने नहीं देखा कि अल्लाह ने उतारा आसमान से पानी फिर ज़मीन हो जाती है हरी-भरी बेशक अल्लाह जानता है छुपी तदबीरें, ख़बरदार है। (63) उसी का है जो कुछ है आसमान और ज़मीन में और अल्लाह वही है बेपरवा तारीफ़ों वाला। (64) ✿
अलम् त-र अन्नल्ला-ह सख़्ख़-र लकुम् मा फ़िल्अर्ज़ि वल्फ़ुल्-क तज्री फ़िल्बह्रि बिअम्रिही, व युम्सिकुस्समा-अ अन् त-क़-अ अ़लल्-अर्ज़ि इल्ला बि-इज़्निही, इन्नल्ला-ह बिन्नासि ल-रऊफ़ुर्रहीम (65) व हुवल्लज़ी अह्याकुम् सुम्-म युमीतुकुम् सुम्-म युह्यीकुम्, इन्नल्-इन्सा-न ल-कफ़ूर (66)	तूने न देखा कि अल्लाह ने बस में कर दिया तुम्हारे जो कुछ है ज़मीन में और कश्ती को जो चलती है दरिया में उसके हुक्म से, और थाम रखता है आसमान को इससे कि गिर पड़े ज़मीन पर मगर उसके हुक्म से, बेशक अल्लाह लोगों पर नर्मी करने वाला मेहरबान है। (65) और उसी ने तुमको जिलाया फिर मारता है फिर ज़िन्दा करेगा, बेशक इनसान नाशुक्रा है। (66)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

यह (मोमिनों का ग़ालिब कर देना) कि अल्लाह तआ़ला (की क़ुदरत बड़ी कामिल है वह) रात

(के हिस्सों) को दिन में और दिन (के हिस्सों) को रात में दाख़िल कर देता है, (यह कायनाती इन्क़िलाब एक क़ौम को दूसरी पर ग़ालिब करने वाले इन्क़िलाब से ज़्यादा अ़जीब है) और इस सबब से है कि अल्लाह तआ़ला (इन सब हालात और बातों को) ख़ूब सुनने वाला, ख़ूब देखने वाला है। (वह काफ़िरों के ज़ुल्म और मोमिनों की मज़लूमियत को सुनता देखता है इसलिये वह सब हालात से बाख़बर भी है और क़ुव्वत व क़ुदरत भी उसकी सबसे बड़ी है, यह मजमूआ़ सबब हो गया कमज़ोरों को ग़ालिब करने का)। और (साथ ही) यह (मदद) इस सबब से (यक़ीनी) है कि (इसमें किसी ताक़त की मजाल नहीं जो अल्लाह तआ़ला के लिये रुकावट पैदा करे क्योंकि) अल्लाह तआ़ला ही वजूद में कामिल है, और जिन चीज़ों की ये लोग अल्लाह के सिवा इबादत कर रहे हैं वो बिल्कुल लचर हैं (कि वो ख़ुद अपने वजूद में मोहताज भी हैं कमज़ोर भी, वो क्या अल्लाह से रोक-टोक कर सकते हैं) और अल्लाह ही आ़लीशान और सबसे बड़ा है। (इसमें ग़ौर करने से तौहीद का हक़ होना और शिर्क का बातिल होना हर शख़्स समझ सकता है। इसके अ़लावा) क्या तुझको यह ख़बर नहीं कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया जिससे ज़मीन हरी-भरी हो गई, (फिर) बेशक अल्लाह बहुत मेहरबान सब बातों की ख़बर रखने वाला है (इसलिए बन्दों की ज़रूरतों पर बाख़बर होकर उनके मुनासिब मेहरबानी फ़रमाता है)। सब उसी का है जो कुछ आसमानों और जो कुछ ज़मीन में है, और बेशक अल्लाह ही ऐसा है जो किसी का मोहताज नहीं, हर तरह की तारीफ़ के लायक़ है।

(और ऐ मुख़ातब!) क्या तुझको यह ख़बर नहीं कि अल्लाह तआ़ला ने तुम लोगों के काम में लगा रखा है ज़मीन की चीज़ों को और कश्ती को (भी) कि वह दरिया में उस (ख़ुदा) के हुक्म से चलती है, और वही आसमानों को ज़मीन पर गिरने से थामे हुए है, हाँ! मगर यह कि उसी का हुक्म हो जाये (तो यह सब कुछ हो सकता है। और बन्दों के गुनाह और बुरे आमाल अगरचे ऐसा हुक्म हो जाने को चाहते हैं मगर फिर भी जो ऐसा हुक्म नहीं देता तो वजह यह है कि) यक़ीनन अल्लाह तआ़ला लोगों पर बड़ी शफ़क़त और रहमत फ़रमाने वाला है। और वही है जिसने तुमको ज़िन्दगी दी, फिर (तयशुदा वक़्त पर) तुमको मौत देगा, फिर (क़ियामत में) तुमको ज़िन्दा करेगा। (इन इनामों व एहसानों का तक़ाज़ा था कि लोग तौहीद और अल्लाह के शुक्र को इख़्तियार करते मगर) वाक़ई इनसान है बड़ा नाशुक्रा (कि अब भी कुफ़्र व शिर्क से बाज़ नहीं आता। मुराद सब इनसान नहीं बल्कि वही जो इस नाशुक्री में मुब्तला हों)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ.

यानी ज़मीन की सब चीज़ों को इनसान के ताबे और क़ाबू में बना दिया। ताबे बनाने के ज़ाहिरी और आ़म मायने यह समझे जाते हैं कि वह उसके हुक्म के ताबे चले। इस मायने के लिहाज़ से यहाँ यह शुब्हा हो सकता है कि ज़मीन के पहाड़ और दरिया और दरिन्दे परिन्दे और हज़ारों चीज़ें इनसान के हुक्म के ताबे तो नहीं चलते? मगर किसी चीज़ को किसी शख़्स की ख़िदमत में लगा देना जो हर वक़्त वह ख़िदमत अन्जाम देती रहे यह भी हक़ीक़त में उसके लिये ताबे करना ही है अगरचे वह

उसके हुक्म से नहीं बल्कि मालिके हक़ीक़ी के हुक्म से यह ख़िदमत अन्जाम दे रही है। इसीलिये यहाँ तस्ख़ीर का तर्जुमा काम में लगा देने से किया गया है। अल्लाह तआ़ला की क़ुदरत में यह भी था कि इन सब चीज़ों को इनसान के हुक्म के ताबे भी बना देते मगर इसका नतीजा ख़ुद इनसान के हक़ में नुक़सानदेह पड़ता, क्योंकि इनसानों की तबीयतें, इच्छायें और ज़रूरतें भिन्न और अलग-अलग होती हैं, एक इनसान दरिया को अपना रुख़ दूसरी तरफ़ मोड़ने का हुक्म देता और दूसरा उसके ख़िलाफ़ तो अन्जाम सिवाय फ़साद के क्या होता। अल्लाह तआ़ला ने इसी लिये इन सब चीज़ों को हुक्म के ताबे तो अपने ही रखा मगर ताबे करने का जो असल फ़ायदा था वह इनसान को पहुँचा दिया।

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿٦٧﴾ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾

लिकुल्लि उम्मतिन् जअ़ल्ना मन्स-कन् हुम् नासिकूहु फ़ला युनाज़िअुन्न-क फ़िल्अम्रि वद्अु इला रब्बि-क, इन्न-क ल-अ़ला हुदम्-मुस्तक़ीम (67) व इन् जादलू-क फ़क़ुलिल्लाहु अअ़्लमु बिमा तअ़्मलून (68) अल्लाहु यह्कुमु बैनकुम् यौमल्-क़ियामति फ़ीमा कुन्तुम् फ़ीहि तख़्तलिफ़ून (69) अलम् तअ़्लम् अन्नल्ला-ह यअ़्लमु मा फ़िस्समा-इ वल्अर्ज़ि इन्-न ज़ालि-क फ़ी किताबिन्, इन्-न ज़ालि-क अ़लल्लाहि यसीर (70)	हर उम्मत के लिये हमने मुक़र्रर कर दी एक राह बन्दगी की कि वह उसी तरह करते हैं बन्दगी, सो चाहिये तुझसे झगड़ा न करें इस काम में और तू बुलाये जा अपने रब की तरफ़, बेशक तू है सीधी राह पर सूझ वाला। (67) और अगर तुझ से झगड़ने लगें तो तू कह अल्लाह बेहतर जानता है जो तुम करते हो। (68) अल्लाह फ़ैसला करेगा तुम में क़ियामत के दिन जिस चीज़ में तुम्हारी राह जुदा-जुदा थी। (69) क्या तुझको मालूम नहीं कि अल्लाह जानता है जो कुछ है आसमान और ज़मीन में, यह सब लिखा हुआ है किताब में, यह अल्लाह पर आसान है। (70)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(जितनी उम्मतें शरीअ़त वालों की गुज़री हैं उनमें) हमने हर उम्मत के वास्ते ज़िबह करने का

तरीक़ा मुक़र्रर किया है, कि वे उसी तरीक़े पर ज़िबह किया करते थे (एतिराज़ करने वाले) लोगों को चाहिए कि इस (ज़िबह के) मामले में आप से झगड़ा न करें, (उनको तो आप से बहस और झगड़ा करने का हक़ नहीं मगर आपको हक़ है, इसलिये) आप (उनको) अपने रब (यानी उसके दीन) की तरफ़ बुलाते रहिये, क्योंकि आप यक़ीनन सही रास्ते पर हैं (सही रास्ते पर चलने वाले को हक़ होता है कि ग़लत रास्ते पर चलने वाले को अपनी तरफ़ बुलाये, ग़लत रास्ते वाले को यह हक़ नहीं होता)। और अगर (इस पर भी) ये लोग आप से झगड़ा करते हैं तो आप फ़रमा दीजिये कि अल्लाह तआ़ला तुम्हारे कामों को ख़ूब जानता है (वही तुमको समझेगा। आगे इसी की वज़ाहत यह है कि) अल्लाह तआ़ला तुम्हारे बीच क़ियामत के दिन (अ़मली) फ़ैसला फ़रमा देगा, जिन चीज़ों में तुम झगड़ा करते थे। (आगे इसकी ताईद है कि) ऐ मुख़ातब! क्या तुझको मालूम नहीं कि अल्लाह तआ़ला सब चीज़ों को जानता है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। (और अल्लाह के इल्म में महफ़ूज़ होने के साथ यह भी) यक़ीनी बात है कि यह (यानी उनके सब क़ौल व फ़ेल) आमाल नामे में (भी महफ़ूज़) है, (पस) यक़ीनन (साबित हो गया कि) यह (फ़ैसला करना) अल्लाह तआ़ला के नज़दीक (बहुत) आसान है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا

यही मज़मून तक़रीबन इन्हीं अलफ़ाज़ के साथ इसी सूरत की आयत 34 में गुज़र चुका है मगर दोनों जगह लफ़्ज़ मन्सक के मायने और मुराद में फ़र्क़ है। वहाँ नुसुक और मन्सक क़ुरबानी के मायने में हज के अहकाम के तहत आया था और इसलिये वहाँ वाव के साथ 'व लिकुल्लि उम्मतिन्' फ़रमाया गया। यहाँ मन्सक के दूसरे मायने (यानी ज़िबह करने के अहकाम या शरई अहकाम का इल्म) और दूसरा मफ़्हूम मुराद है, और यह एक मुस्तक़िल हुक्म है इसलिये इसको पीछे से जोड़कर बयान नहीं किया गया। इस आयत की तफ़सीर में एक क़ौल तो वह है जो ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में लिया गया है कि कुछ काफ़िर लोग मुसलमानों से उनकी ज़िबह किये हुए जानवरों के मुताल्लिक़ फ़ुज़ूल बहस व झगड़ा करते थे और कहते थे कि तुम्हारे मज़हब का यह हुक्म अ़जीब है कि जिस जानवर को तुम ख़ुद अपने हाथ से क़त्ल करो वह तो हलाल और जिसको अल्लाह तआ़ला डायरेक्ट मार दे यानी आ़म मुर्दार जानवर वह हराम। उनके इस झगड़ने और बहस करने के जवाब में यह आयत नाज़िल हुई। (जैसा कि इमाम हाकिम और बैहक़ी ने अ़ली बिन हसन व इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से नक़ल किया है। रूहुल-मआ़नी)

तो यहाँ मन्सक के मायने ज़िबह करने के तरीक़े के होंगे और हासिल जवाब का यह होगा कि अल्लाह ने हर एक उम्मत और शरीअ़त के लिये ज़बीहे के अहकाम अलग-अलग रखे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की शरीअ़त एक मुस्तक़िल शरीअ़त है इसके अहकाम का मुक़ाबला किसी पहली शरीअ़त के अहकाम से करना भी जायज़ नहीं कहाँ यह कि तुम उसका मुक़ाबला ख़ालिस अपनी राय और बातिल ख़्याल से कर रहे हो, यानी मुर्दार जानवर का हलाल न होना तो इस उम्मत व शरीअ़त के साथ मख़्सूस नहीं सब पिछली शरीअ़तों में भी हराम रहा है, तो तुम्हारा यह क़ौल

तो बिल्कुल ही बेबुनियाद है, इस बेबुनियाद ख़्याल की बिना पर शरीअ़त वाले नबी से झगड़ा और मुक़ाबला करना हिमाक़त ही हिमाक़त है। (रूहुल-मआ़नी)

और जमहूर मुफ़स्सिरीन (यानी क़ुरआन के व्याख्यापकों की अक्सरियत) ने इस जगह लफ़्ज़ मन्सक आ़म शरई अहकाम के मायने में लिया है, क्योंकि असल लुग़त में मन्सक के मायने एक निर्धारित जगह के हैं जो किसी ख़ास नेक अ़मल या बुराई के लिये मुक़र्रर हो, और इसी लिये हज के अहकाम को मनासिके हज कहा जाता है कि उनमें ख़ास-ख़ास मक़ामात ख़ास अहकाम व आमाल के लिये मुक़र्रर हैं। (इब्ने कसीर) और क़ामूस में लफ़्ज़ नुसुक के मायने इबादत के लिखे हैं। क़ुरआन में 'अरिना मनासि-कना' इसी मायने के लिये आया है। मनासिक से मुराद इबादत के शरई अहकाम हैं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से यह दूसरी तफ़सीर भी रिवायत की गयी है। तफ़सीर इब्ने जरीर, तफ़सीर इब्ने कसीर, तफ़सीरे क़ुर्तुबी और तफ़सीर रूहुल-मआ़नी वग़ैरह में इसी आ़म मायने की तफ़सीर को इख़्तियार किया गया है, और आयत का आगे-पीछे का मज़मून भी इसी का इशारा करता है कि मन्सक से मुराद शरीअ़त और उसके आ़म अहकाम हैं और आयत के मायने यह हैं कि मुश्रिक और इस्लाम के मुख़ालिफ़ लोग जो शरीअ़ते मुहम्मदिया के अहकाम में बहस और झगड़े करते हैं और बुनियाद यह होती है कि उनके बाप-दादा के मज़हब में वो अहकाम न थे तो वे सुन लें कि पिछली किसी शरीअ़त व किताब से नई शरीअ़त व किताब का मुक़ाबला और झगड़ना करना बातिल है क्योंकि अल्लाह तआ़ला ने हर उम्मत को उसके वक़्त में एक ख़ास शरीअ़त और किताब दी है जिसकी पैरवी उस उम्मत पर उस वक़्त तक दुरुस्त थी जब तक कोई दूसरी उम्मत और दूसरी शरीअ़त अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से न आ गयी। और जब दूसरी शरीअ़त आ गयी तो पैरवी उस नई शरीअ़त की करनी है अगर उसका कोई हुक्म पहली शरीअ़तों के मुख़ालिफ़ है तो पहले हुक्म को मन्सूख़ (निरस्त हो जाने वाला) और इसको नासिख़ (निरस्त करने वाला) समझा जायेगा, इसलिये उस शरीअ़त वाले से किसी को झगड़ने, मुक़ाबला करने और विवाद करने की इजाज़त नहीं हो सकती। आयते के आख़िरी अलफ़ाज़ 'फ़ला युनाज़िउन्न-क फ़िल्अम्रि' का यही हासिल है कि मौजूदा ज़माने में जबकि ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम एक मुस्तक़िल शरीअ़त लेकर आ गये तो किसी को इसका हक़ नहीं कि उनकी शरीअ़त के अहकाम में झगड़ा व विवाद पैदा करे।

इससे यह भी मालूम हो गया कि पहली तफ़सीर और इस दूसरी तफ़सीर में हक़ीक़त में कोई टकराव नहीं, हो सकता है कि आयत का नुज़ूल ज़िबह करने के किसी ख़ास झगड़े व विवाद के सबब से हुआ हो मगर आयत के आ़म अलफ़ाज़ तमाम शरई अहकाम पर मुश्तमिल हैं और एतिबार लफ़्ज़ के आ़म होने का होता है, किसी ख़ास सबब से हुक्म के आने का नहीं होता। तो हासिल दोनों तफ़सीरों का यही हो जायेगा कि जब अल्लाह तआ़ला ने हर उम्मत को अलग-अलग शरीअ़त दी है जिनमें ऊपर के अहकाम अलग भी होते हैं तो किसी पिछली शरीअ़त पर अ़मल करने वाले को नई शरीअ़त से मुक़ाबला और झगड़ा करने का कोई हक़ नहीं, बल्कि उस पर उस नई शरीअ़त की पैरवी करना वाजिब है, इसीलिये आयत के आख़िर में फ़रमाया गयाः

اُدْعُ اِلٰى رَبِّكَ. اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ○

यानी आप उन लोगों की बातें बनाने और बहस व झगड़े से मुतास्सिर न हों बल्कि बराबर अपनी नुबुव्वती ज़िम्मेदारी यानी अल्लाह की तरफ़ दावत देने में मशग़ूल रहें क्योंकि आप हक़ और सही रास्ते पर हैं, आपके मुख़ालिफ़ ही रास्ते से हटे हुए हैं।

एक शुब्हे का जवाब

इससे यह बात भी स्पष्ट हो गयी कि शरीअ़ते मुहम्मदिया के नाज़िल होने के बाद किसी पहली शरीअ़त पर ईमान रखने वाले मसलन् यहूदी ईसाई वग़ैरह को यह कहने का हक़ नहीं कि ख़ुद क़ुरआन ने हमारे लिये इस आयत में यह कहकर गुंजाईश दी है कि हर शरीअ़त अल्लाह ही की तरफ़ से है इसलिये अगर ज़माना-ए-इस्लाम में भी हम हज़रत मूसा या हज़रत ईसा की शरीअ़त पर अ़मल करते रहें तो मुसलमानों को हम से झगड़ा व मतभेद न करना चाहिये, क्योंकि आयत में हर उम्मत को एक ख़ास शरीअ़त देने का ज़िक्र करने के बाद पूरी दुनिया के लोगों को यह हुक्म भी दे दिया गया है कि शरीअ़ते मुहम्मदिया के क़ायम हो जाने के बाद वे इस शरीअ़त की मुख़ालफ़त न करें। यह नहीं फ़रमाया कि मुसलमान उनकी पहली शरीअ़त के किसी हुक्म के ख़िलाफ़ न बोलें। और इस आयत के बाद की आयतों से यह मज़मून और ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है जिनमें इस्लामी शरीअ़त के ख़िलाफ़ झगड़ा व बहस करने वालों को तंबीह की गयी है कि अल्लाह तआ़ला तुम्हारी इन हरकतों को ख़ूब जानता है, वही इसकी सज़ा देगा।

وَاِنْ جٰدَلُوْكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ○

(यानी अगर तुझसे झगड़ने लगें तो तू कह- अल्लाह बेहतर जानता है जो तुम करते हो।)

وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ○ وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ؕ يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ؕ قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ اَلنَّارُ ؕ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ؕ وَ اِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ؕ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ○ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ○

व यअ़्बुदू-न मिन् दूनिल्लाहि मा लम् युनज़्ज़िल् बिही सुल्तानंव्-व मा लै-स लहुम् बिही ज़िल्मुन्, व मा	और पूजते हैं अल्लाह के सिवाय उस चीज़ को जिस चीज़ की सनद नहीं उतारी उसने और जिसकी ख़बर नहीं उनको,

लिज़्ज़ालिमी-न मिन्-नसीर (71) व इज़ा तुत्ला अ़लैहिम् आयातुना बय्यिनातिन् तअ्रिफ़ु फ़ी वुजूहिल्लज़ी-न क-फ़रुल्-मुन्क-र, यकादू-न यस्तू-न बिल्लज़ी-न यत्लू-न अ़लैहिम् आयातिना, क़ुल् अ-फ़-उनब्बिउकुम् बिशर्रिम्-मिन् ज़ालिकुम्, अन्नारु, व-अ़-दहल्लाहु-ल्लज़ी-न क-फ़रू, व बिअ्सल्-मसीर (72) ❁

और बेइन्साफ़ों का कोई नहीं मददगार। (71) और जब सुनाये उनको हमारी साफ़ आयतें तो पहचाने तू मुन्किरों के मुँह की बुरी शक्ल, नज़दीक होते हैं कि हमला कर पड़ें उन पर जो पढ़ते हैं उनके पास हमारी आयतें, तू कह- मैं तुमको बतलाऊँ एक चीज़ उससे बदतर, वह आग है, उसका वायदा कर दिया है अल्लाह ने मुन्किरों को और वह बहुत बुरी है फिर जाने की जगह। (72) ❁

या अय्युहन्नासु ज़ुरि-ब म-सलुन् फ़स्तमिअ़ू लहू, इन्नल्लज़ी-न तद्अ़ू-न मिन् दूनिल्लाहि लंय्यख़्लुक़ू ज़ुबाबंव्-व लविज्त-मअ़ू लहू, व इंय्यस्लुब्हुमुज़्ज़ुबाबु शैअल्-ला यस्तन्क़िज़ूहु मिन्हु, ज़अ़ुफ़त्तालिबु वल्मत्लूब (73) मा क़-दरुल्ला-ह हक़्-क़ क़द्रिही, इन्नल्ला-ह ल-क़विय्युन् अ़ज़ीज़ (74)

ऐ लोगो! एक मिसाल कही है सो उस पर कान रखो, जिनको तुम पूजते हो अल्लाह के सिवा हरगिज़ न बना सकेंगे एक मक्खी अगरचे सारे जमा हो जायें, और अगर कुछ छीन ले उनसे मक्खी छुड़ा न सकें वे उससे, बोदा है चाहने वाला और जिनको चाहता है। (73) अल्लाह की क़द्र नहीं समझे जैसी उसकी क़द्र है, बेशक अल्लाह ज़ोरावर है, ज़बरदस्त। (74)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और ये (मुश्रिक) लोग अल्लाह तआ़ला के सिवा ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं जिन (की इबादत के जायज़ होने) पर अल्लाह तआ़ला ने (अपनी किताब में) कोई हुज्जत नहीं भेजी और न उनके पास उसकी कोई (अ़क़्ली) दलील है। और (क़ियामत में) जब (उनको शिर्क पर सज़ा होने लगेगी तो) उन ज़ालिमों का कोई मददगार न होगा (न क़ौली तौर पर कि उनके इस फ़ेल के अच्छा होने पर कोई हुज्जत पेश कर सके, न अ़मली तौर पर कि उनको अ़ज़ाब से बचा ले) और (ये लोग

इसी गुमराही और अहले हक़ से दुश्मनी रखने में यहाँ तक बढ़ चुके हैं कि) जब इन लोगों के सामने (तौहीद वग़ैरह के मुताल्लिक़) हमारी आयतें जो कि (अपने मज़ामीन में) ख़ूब स्पष्ट हैं (अहले हक़ की ज़बान से) पढ़कर सुनाई जाती हैं तो तुम उन काफ़िरों के चेहरों में (अन्दुरूनी नागवारी की वजह से) बुरे आसार देखते हो, (जैसे चेहरे पर बल पड़ जाना, नाक चढ़ जाना, तेवर बदल जाना और इन आसार से ऐसा मालूम होता है कि) क़रीब है कि ये उन लोगों पर (अब) हमला कर बैठें-(गे) जो हमारी आयतें इनके सामने पढ़ रहे हैं। यानी हमले का संदेह व आशंका हमेशा होती है और कभी-कभी उस हमले का इज़हार भी हुआ है, पस 'यकादू-न' का लफ़्ज़ इस हालत की निरंतरता बयान करने के लिये फ़रमाया)।

आप (उन मुश्रिकों से) कहिये कि (तुमको जो ये क़ुरआनी आयतें सुनकर नागवारी हुई तो) क्या मैं तुमको इस (क़ुरआन) से (भी) ज़्यादा नागवार चीज़ बतला दूँ, वह दोज़ख़ है (कि) उसका अल्लाह ने काफ़िरों से वायदा किया है, और वह बुरा ठिकाना है (यानी क़ुरआन से नागवारी का नतीजा नागवार दोज़ख़ है, इस नागवारी का ग़ुस्से व नाराज़गी का इज़हार और बदला लेने से कुछ तलाफ़ी व भरपाई भी कर लेते हो मगर उस नागवारी का क्या इलाज करोगे जो दोज़ख़ से होगी। आगे एक आसानी से समझ में आने वाली दलील से शिर्क का बातिल होना समझाया है, कि) ऐ लोगो! एक अ़जीब बात बयान की जाती है इसको कान लगाकर सुनो। (वह यह है कि) इसमें कोई शुब्हा नहीं कि जिनकी तुम ख़ुदा को छोड़कर इबादत करते हो, वे एक (मामूली) मक्खी को तो पैदा ही नहीं कर सकते चाहे सब के सब भी (क्यों न) जमा हो जाएँ। और (पैदा करना तो बड़ी बात है, वे तो ऐसे आ़जिज़ हैं कि) अगर उनसे मक्खी कुछ (उनके चढ़ावे में से) छीन ले जाये तो उसको (तो) उससे छुड़ा (ही) नहीं सकते, ऐसा इबादत करने वाला भी लचर और ऐसा माबूद भी लचर। (अफ़सोस है) उन लोगों ने अल्लाह की जैसी ताज़ीम करनी चाहिए थी (कि उसके सिवा किसी की इबादत न करते) वह न की, (कि शिर्क करने लगे, हालाँकि) अल्लाह तआ़ला बड़ी क़ुव्वत वाला है सब पर ग़ालिब है। (तो इबादत उसका ख़ालिस हक़ था न कि उसका जो न ताक़त वाला हो और न ग़लबे वाला, जिसकी क़ुव्वत व ताक़त न होना अच्छी तरह मालूम हो चुकी)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

शिर्क व बुत परस्ती की अहमक़ाना हरकत की एक मिसाल से वज़ाहत

ضُرِبَ مَثَلٌ.

'ज़ुरि-ब म-सलुन' का लफ़्ज़ आ़म तौर पर जो किसी ख़ास क़िस्से की मिसाल देने के लिये इस्तेमाल होता है यहाँ 'ज़ुरि-ब म-सलुन' से यह सूरत मुराद नहीं बल्कि शिर्क व बुत-परस्ती की हिमाक़त को एक स्पष्ट मिसाल से बयान करना है, कि ये बुत जिनको तुम लोग अपना कारसाज़ समझते हो, यह तो ऐसे बेकस व बेबस हैं कि सब मिलकर एक मक्खी जैसी हक़ीर चीज़ भी पैदा नहीं कर सकते, और पैदा करना तो बड़ा काम है तुम रोज़ उनके सामने मिठाई और फल वग़ैरह खाने की

चीज़ें रखते हो और मक्खियाँ उसको खा जाती हैं, इनसे इतना तो होता नहीं कि मक्खियों से अपनी चीज़ ही को बचा लें, ये तुम्हें किसी आफ़त से क्या बचायेंगे। इसी लिये आयत के आख़िर में उनकी जहालत और बेवक़ूफ़ी को इन अलफ़ाज़ से ताबीर फ़रमाया है:

ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ٥

यानी जिसका माबूद ही ऐसा बेबस हो उसका आबिद (पुजारी) उससे भी ज़्यादा कमज़ोर होगा।

مَاقَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ.

यानी कैसे बेवक़ूफ़ एहसान-फ़रामोश हैं, इन लोगों ने अल्लाह की कुछ क़द्र न पहचानी कि ऐसे अज़ीमुश्शान क़ुदरत वाले के साथ ऐसे बेबस बेशऊर पत्थरों को बराबर कर दिया। वल्लाहु आलम

اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ؕ

اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۚ﴿۷۵﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿۷۶﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ﴿۷۷﴾ وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ؕ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۬ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۚۖ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ؕ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿۷۸﴾

السجدة عند الامام الشافعي ع ١٠

अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल्-मलाइ-कति रुसुलंव्-व मिनन्नासि, इन्नल्ला-ह समीअुम्-बसीर (75) यअ्लमु मा बै-न ऐदीहिम् व मा ख़ल्फ़हुम्, व इलल्लाहि तुर्जअुल्-उमूर (76) या अय्युहल्लज़ी-न आमनुर्कअू वस्जुदू वअ्बुदू रब्बकुम् वफ़्अलुल्-ख़ै-र लअ़ल्लकुम् तुफ़्लिहून। (77) ۞ व जाहिदू फ़िल्लाहि हक़्-क़ जिहादिही, हुवज्तबाकुम् व मा ज-अ़-ल अ़लैकुम्	अल्लाह छाँट लेता है फ़रिश्तों में पैग़ाम पहुँचाने वाले और आदमियों में, अल्लाह सुनता देखता है। (75) जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे, और अल्लाह तक पहुँच है हर काम की। (76) ऐ ईमान वालो! रुकूअ़ करो और सज्दा करो और बन्दगी करो अपने रब की, और भलाई करो ताकि तुम्हारा भला हो। (77) ۞ और मेहनत करो अल्लाह के वास्ते जैसी कि चाहिये उसके वास्ते मेहनत, उसने तुमको पसन्द किया और नहीं रखी

फ़िद्दीनि मिन् ह-रजिन्, मिल्ल-त अबीकुम् इब्राही-म, हु-व सम्माकुमुल्-मुस्लिमी-न मिन् क़ब्लु व फ़ी हाज़ा लि-यकूनर्रसूलु शहीदन् अलैकुम् व तकूनू शु-हदा-अ अलन्नासि फ़-अक़ीमुस्सला-त व आतुज़्ज़का-त वअ्तसिमू बिल्लाहि, हु-व मौलाकुम् फ़-निअ्मल्-मौला व निअ्मन्-नसीर (78) ✿	तुम पर दीन में कुछ मुश्किल, दीन तुम्हारे बाप इब्राहीम का, उसी ने नाम रखा तुम्हारा मुसलमान पहले से और इस क़ुरआन में ताकि रसूल हो बताने वाला तुम पर और तुम हो बताने वाले लोगों पर, सो क़ायम रखो नमाज़ और देते रहो ज़कात और मज़बूत पकड़ो अल्लाह को, वह तुम्हारा मालिक है, सो ख़ूब मालिक है और ख़ूब मददगार। (78) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

अल्लाह तआ़ला (को इख़्तियार है रिसालत के लिये जिसको चाहता है) चुन लेता है, फ़रिश्तों में से (जिन फ़रिश्तों को चाहे अल्लाह के) अहकाम (नबियों के पास) पहुँचाने वाले (मुक़र्रर फ़रमा देता है) और (इसी तरह आदमियों में से भी जिसको चाहे आ़म लोगों के लिये अहकाम पहुँचाने वाले मुक़र्रर कर देता है, यानी रिसालत का मदार अल्लाह के चुन लेने पर है इसमें कुछ फ़रिश्ता होने की ख़ुसूसियत नहीं बल्कि जिस तरह फ़रिश्ता होने के साथ रिसालत जमा हो सकती है जिसको मुश्रिक लोग भी मानते हैं, चुनाँचे फ़रिश्तों के रसूल होने की वे ख़ुद तजवीज़ करते थे, इसी तरह इनसान होने के साथ भी वह जमा हो सकती है, रहा यह कि यह चयन किसी एक ख़ास के साथ क्यों ज़ाहिर हुआ तो इसका ज़ाहिरी सबब तो उन रसूलों के हालात की विशेषतायें हैं और यह) यक़ीनी बात है कि अल्लाह तआ़ला ख़ूब सुनने वाला, ख़ूब देखने वाला है। (यानी) वह उन (सब फ़रिश्तों और आदमियों) की आने वाली और गुज़री हुई हालतों को (ख़ूब) जानता है (तो मौजूदा हालत को और भी अच्छी तरह जानेगा। ग़र्ज़ कि सुने और देखे जाने वाले तमाम अहवाल उसको मालूम हैं, उनमें से कुछ का हाल उस चयन का सबब हो गया) और (हक़ीक़ी सबब इसका यह है कि) तमाम कामों का मदार अल्लाह ही पर है (यानी वह अपनी ज़ात से मुस्तक़िल मालिक व मुकम्मल इख़्तियार का मालिक है, उसका इरादा ख़ुद चयन का मालिक है, उस इरादे के लिये किसी और सबब की ज़रूरत नहीं, पस असली सबब अल्लाह का इरादा है और उसका सबब पूछना बेकार व बेहूदा काम है, अल्लाह तआ़ला से उसके किसी फ़ेल का सबब दरियाफ़्त करने का किसी को हक़ नहीं)।

(आगे सूरत के ख़त्म पर पहले शरीअ़तों और उनके ऊपर के अहकाम का बयान है और इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के तरीक़े पर जमने और उसकी पैरवी का हुक्म दिया गया है, और उसकी तरफ़ रुचि

दिलाने के लिये कुछ मज़ामीन इरशाद फ़रमाये हैं) ऐ ईमान वालो! (तुम उसूल के क़ुबूल करने के बाद अहकाम की भी पाबन्दी रखो ख़ुसूसन नमाज़ की, पस तुम) रुकूअ़ किया करो और सज्दा किया करो, और (उमूमन दूसरे अहकाम भी पूरे करके) अपने रब की इबादत किया करो, और नेक काम किया करो। उम्मीद (यानी वायदा) है कि तुम फ़लाह पाओगे। और अल्लाह के काम में ख़ूब कोशिश किया करो, जैसा कि उसमें कोशिश करने का हक़ है, उसने तुमको (दूसरी उम्मतों से) विशेष और नुमायाँ फ़रमाया (जैसा कि आयत 'जअ़ल्नाकुम् उम्मतंव्- व-सतन्' वग़ैरह में बयान हुआ है)। और तुम पर दीन में किसी क़िस्म की तंगी नहीं की (और ऐ ईमान वालो! जिस इस्लाम का तुमको हुक्म किया गया है कि अहकाम की पूरी तामील हो और यही मिल्लते इब्राहीमी है) तुम अपने बाप इब्राहीम की मिल्लत पर क़ायम रहो। उसने तुम्हारा लक़ब मुसलमान रखा पहले भी और इस (क़ुरआन) में भी, ताकि तुम्हारे रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) अल्लाह के गवाह हों, और (इस रसूलुल्लाह की गवाही से पहले) तुम (एक बड़े मुक़द्दमे में जिसमें एक फ़रीक़ अम्बिया हज़रात होंगे और दूसरा फ़रीक़ उनकी मुख़ालिफ़ क़ौमें होंगी, उन मुख़ालिफ़) लोगों के मुक़ाबले में गवाह हो। (और रसूल की शहादत से तुम्हारी गवाही की तस्दीक़ हो और हज़राते अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के हक़ में फ़ैसला हो) सो (हमारे अहकाम का पूरा पालन करो, पस) तुम लोग (ख़ुसूसियत के साथ) नमाज़ की पाबन्दी रखो और ज़कात देते रहो, और (बाक़ी के अहकाम में भी) अल्लाह ही को मज़बूत पकड़े रहो (यानी पुख़्ता इरादे व हिम्मत के साथ दीन के अहकाम पर अ़मल करो, ग़ैरुल्लाह की ख़ुशी व नाख़ुशी और अपने नफ़्स की बेहतरी व नुक़सान की तरफ़ तवज्जोह मत करो) वह तुम्हारा कारसाज़ है, सो कैसा अच्छा कारसाज़ है और कैसा अच्छा मददगार है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

सूरः हज का सज्दा-ए-तिलावत

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ.

सूरः हज में एक आयत तो पहले गुज़र चुकी है जिस पर सज्दा-ए-तिलावत करना सब के नज़दीक वाजिब है। इस आयत पर जो यहाँ बयान हुई है सज्दा-ए-तिलावत के वाजिब होने में इमामों का मतभेद है। इमामे आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, सुफ़ियान सौरी रह. के नज़दीक इस आयत पर सज्दा-ए-तिलावत वाजिब नहीं, क्योंकि इसमें सज्दे का ज़िक्र रुकूअ़ वग़ैरह के साथ आया है जिससे नमाज़ का सज्दा मुराद होना ज़ाहिर है जैसे 'वस्जुदी वर्कअ़ी मअ़र्राकिअ़ीन' में सब का इत्तिफ़ाक़ है कि इससे नमाज़ का सज्दा मुराद है, इसकी तिलावत करने से सज्दा-ए-तिलावत वाजिब नहीं होता, इसी तरह उक्त आयत पर भी सज्दा-ए-तिलावत वाजिब नहीं। इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद रह. वग़ैरह के नज़दीक इस आयत पर भी सज्दा-ए-तिलावत वाजिब है, उनकी दलील एक हदीस है जिसमें यह इरशाद है कि सूरः हज को दूसरी सूरतों पर यह फ़ज़ीलत हासिल है कि उसमें दो सज्दा-ए-तिलावत हैं। इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रह. के नज़दीक इस रिवायत के सुबूत में कलाम है। तफ़सील इसकी

मसाईल की किताबों और हदीसों में देखी जा सकती है।

وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهٖ.

लफ़्ज़ **जिहाद** और **मुजाहदा** किसी मक़सद के हासिल करने में अपनी पूरी ताक़त ख़र्च करने और उसके लिये मशक़्क़त बरदाश्त करने के मायने में आता है। काफ़िरों के साथ लड़ाई और जंग में भी मुसलमान अपने क़ौल फ़ेल और हर तरह की संभावित ताक़त ख़र्च करते हैं इसलिये उसको भी जिहाद कहा जाता है, और जिहाद के हक़ से मुराद उसमें पूरा इख़्लास यानी अल्लाह के लिये होना है जिसमें किसी दुनियावी नाम व नमूद या माले ग़नीमत के लालच का शुब्हा तक न हो।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि जिहाद का हक़ यह है कि जिहाद में अपनी पूरी ताक़त ख़र्च करे और किसी मलामत करने वाले की मलामत पर कान न लगाये। और कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात ने इस जगह जिहाद के मायने आ़म इबादतों और अल्लाह के अहकाम की तामील में अपनी पूरी ताक़त पूरे इख़्लास के साथ ख़र्च करने के लिये हैं। इमाम ज़ह्हाक और इमाम मुक़ातिल ने फ़रमाया कि मुराद आयत की यह है किः

اعملو االلّٰه حقّ عمله واعبدوه حقّ عبادته.

यानी अ़मल करो अल्लाह के लिये जैसा कि उसका हक़ है और इबादत करो अल्लाह की जैसा कि उसका हक़ है।

और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक रह. ने फ़रमाया कि यहाँ जिहाद से मुराद अपने नफ़्स और उसकी बेजा इच्छाओं के मुक़ाबले में जिहाद करना है और यही जिहाद का हक़ है। इमाम बग़वी वग़ैरह ने इस क़ौल की ताईद में एक हदीस भी हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह से नक़ल की है कि एक मर्तबा सहाबा-ए-किराम की एक जमाअ़त जो काफ़िरों से जिहाद के लिये गयी हुई थी वापस आई तो हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

قد متم خير مقدم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر قال مجاهدة العبد لهواه (رواه البيهقي وقال هذا اسنادفيه ضعف)

यानी तुम लोग ख़ूब वापस आये छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ़, यानी अपने नफ़्स की बेजा इच्छाओं के मुक़ाबले का जिहाद अब भी जारी है। इस रिवायत को इमाम बैहक़ी ने रिवायत किया है मगर कहा है कि इसकी सनदों में कमज़ोरी है।

फ़ायदा

तफ़सीरे मज़हरी में इस दूसरी तफ़सीर को इख़्तियार करके इस आयत से यह मसला निकाला है कि सहाबा-ए-किराम जब काफ़िरों के मुक़ाबले में जिहाद कर रहे थे नफ़्सानी इच्छाओं के मुक़ाबले का जिहाद तो उस वक़्त भी जारी था, मगर हदीस में इसको वापसी के बाद ज़िक्र किया है, इसमें इशारा यह है कि नफ़्स की इच्छाओं के मुक़ाबले का जिहाद अगरचे लड़ाई के मैदान में भी जारी था मगर आ़दतन यह जिहाद शैख़-ए-कामिल की सोहबत पर निर्भर है इसलिये वह जिहाद से वापसी और हुज़ूरे

पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िरी के वक़्त ही शुरू हुआ।

उम्मते मुहम्मदिया अल्लाह तआ़ला की मुन्तख़ब उम्मत है

هُوَاجْتَبٰكُمْ

हज़रत वासिला बिन अस्क़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हक़ तआ़ला ने हज़रत इस्माईल की तमाम औलाद किनाना का चयन फ़रमाया, फिर किनाना में से क़ुरैश का, फिर क़ुरैश में से बनू हाशिम का, फिर बनू हाशिम में से मेरा चयन फ़रमाया। (मुस्लिम, मज़हरी)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

यानी अल्लाह तआ़ला ने दीन के मामले में तुम पर कोई तंगी नहीं रखी। दीन में तंगी न होने का मतलब कुछ हज़रात ने यह बयान फ़रमाया कि इस दीन में ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो तौबा से माफ़ न हो सके और आख़िरत के अ़ज़ाब से छुटकारे की कोई सूरत न निकले। बख़िलाफ़ पिछली उम्मतों के कि उनमें कुछ गुनाह ऐसे भी थे जो तौबा करने से भी माफ़ न होते थे।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि तंगी से मुराद वह सख़्त व कड़े अहकाम हैं जो बनी इस्राईल पर आयद किये गये थे, जिनको क़ुरआन में इस्र और अग़लाल से ताबीर किया गया है। इस उम्मत पर ऐसा कोई हुक्म फ़र्ज़ नहीं किया गया। कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि तंगी से मुराद वह तंगी है जिसको इनसान बरदाश्त न कर सके, इस दीन के अहकाम में कोई हुक्म ऐसा नहीं जो अपने आप में नाक़ाबिले बरदाश्त हो। बाक़ी रही थोड़ी बहुत मेहनत व मशक़्क़त तो वह दुनिया के हर काम में होती है। तालीम हासिल करने फिर नौकरी, तिजारत, कारीगरी व उद्योग में कैसी कैसी मेहनतें बरदाश्त करनी पड़ती हैं मगर उसकी वजह से यह नहीं कहा जा सकता कि ये काम बड़े सख़्त और शदीद हैं। माहौल के ग़लत और मुख़ालिफ़ होने या मुल्क व शहर में उसका रिवाज न होने के सबब जो किसी अ़मल में दुश्वारी पेश आये वह अ़मल की तंगी और सख़्ती नहीं कहलायेगी। करने वाले को इसलिये भारी मालूम होती है कि माहौल में कोई उसका साथ देने वाला नहीं। जिस मुल्क में रोटी खाने पकाने की आ़दत न हो वहाँ रोटी हासिल करना किस क़द्र दुश्वार हो जाता है यह सब जानते हैं, मगर इसके बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि रोटी पकाना बड़ा सख़्त काम है।

और हज़रत क़ाज़ी सनाउल्लाह रह. ने तफ़सीरे मज़हरी में फ़रमाया कि दीन में तंगी न होने का यह मतलब भी हो सकता है कि अल्लाह तआ़ला ने इस उम्मत को सारी उम्मतों में से अपने लिये मुन्तख़ब फ़रमा (चुन) लिया है, इसकी बरकत से इस उम्मत के लोगों को दीन की राह में बड़ी से बड़ी मशक़्क़त उठाना भी आसान बल्कि मज़ेदार हो जाता है। मेहनत से राहत मिलने लगती है ख़ुसूसन जब दिल में ईमान की मिठास पैदा हो जाये तो सारे भारी काम भी हल्के-फुल्के महसूस होने लगते हैं। सही हदीस में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلٰوةِ

यानी नमाज़ में मेरी आँखों की ठण्डक कर दी गयी है। (अहमद नसाई, हाकिम)

مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ.

यानी यह मिल्लत (तरीक़ा और दीन) है तुम्हारे बाप इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की। यह ख़िताब दर असल क़ुरैश के मोमिनों को है जो इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की नस्ल में हैं, फिर सब लोग क़ुरैश के ताबे होकर इस फ़ज़ीलत में शामिल हो जाते हैं। जैसे हदीस में है:

النَّاس تبع لقريش في هٰذا الشان مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم (رواه البخاري ومسلم مظهري)

यानी सब लोग इस दीन में क़ुरैश के ताबे हैं, मुसलमान मुसलमान क़ुरैश के ताबे और काफ़िर लोग काफ़िर क़ुरैश के ताबे हैं। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि 'अबीकुम् इब्राही-म' का ख़िताब सब उम्मत के मुसलमानों को है, और इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम का उन सब के लिये बाप होना इस एतिबार से है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उम्मत के रूहानी बाप हैं जैसा कि आपकी पाक बीवियाँ मोमिनों की माँ हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की औलाद में होना ज़ाहिर व परिचित है।

هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا.

यानी हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ही ने उम्मते मुहम्मदिया और तमाम ईमान वालों का नाम क़ुरआन से पहले मुस्लिम तजवीज़ किया है, और ख़ुद क़ुरआन में भी, जैसा कि इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की दुआ़ क़ुरआने करीम में यह नक़ल की गयी है:

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ.

और क़ुरआन में जो ईमान वालों का नाम मुस्लिम रखा गया है इसके रखने वाले अगरचे डायरेक्ट इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम नहीं मगर क़ुरआन से पहले उनका यह नाम तजवीज़ कर देना क़ुरआन में इसी नाम से नामित करने का सबब बना, इसलिये इसकी निस्बत भी इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की तरफ़ कर दी गयी।

لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ.

यानी आप मेहशर में गवाही देंगे कि मैंने अल्लाह तआ़ला के अहकाम इस उम्मत को पहुँचा दिये थे और उम्मते मुहम्मदिया इसका इक़रार करेगी, मगर दूसरे अम्बिया जब यह कहेंगे तो उनकी उम्मतें मुकर जायेंगी, उस वक़्त उम्मते मुहम्मदिया गवाही देगी कि बेशक सब अम्बिया ने अपनी-अपनी क़ौम को अल्लाह के अहकाम पहुँचा दिये थे। दूसरी उम्मतों की तरफ़ से इनकी गवाही पर यह जिरह होगी कि हमारे ज़माने में तो उम्मते मुहम्मदिया का वजूद भी न था ये हमारे मामले में कैसे गवाह बन सकते हैं? उनकी तरफ़ से जिरह का यह जवाब होगा कि बेशक हम मौजूद न थे मगर हमने यह बात अपने रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुनी है जिनकी सच्चाई में कोई शक व शुब्हा नहीं इसलिये हम यह गवाही दे सकते हैं, तो इनकी गवाही क़ुबूल की जायेगी। यह मज़मून उस हदीस का है जिसको इमाम बुख़ारी वग़ैरह ने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है।

فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ.

मुराद यह है कि जब अल्लाह तआ़ला ने तुम लोगों पर ऐसे अ़ज़ीम और बड़े एहसानात फ़रमाये हैं जिनका ज़िक्र ऊपर आया है तो तुम्हारा फ़र्ज़ है कि अल्लाह के अहकाम की पाबन्दी में पूरी कोशिश करो, उनमें से इस जगह नमाज़ और ज़कात के ज़िक्र पर बस इसलिये किया गया कि बदन से संबन्धित आमाल व अहकाम में नमाज़ सबसे अहम है, और माल से संबन्धित अहकाम में ज़कात सबसे ज़्यादा अहम, गोया मुराद शरीअ़त के तमाम ही अहकाम की पाबन्दी करना है।

وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ.

यानी अपने सब कामों में सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला ही पर भरोसा करो, उसी से मदद माँगो और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि मुराद इस 'एतिसाम' (मज़बूती से पकड़ने) से यह है कि अल्लाह तआ़ला से दुआ़ माँगा करो कि तुमको दुनिया व आख़िरत की तमाम बुराईयों से महफ़ूज़ रखे। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया किः

تركت فيكم امرين لن تضلّوا ما تمسّكتم بهما كتاب الله وسنّة رسوله (رواه مالك فى الموطا مرسلا. مظهرى)

"मैंने तुम्हारे लिये दो चीज़ें ऐसी छोड़ी हैं कि तुम जब तक इन दोनों को पकड़े रहोगे गुमराह न होगे- एक अल्लाह की किताब, दूसरे उसके रसूल की सुन्नत।"

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः हज की तफ़सीर का अक्सर हिस्सा हज के महीनों के आख़िरी महीने ज़िलहिज्जा में पूरा हुआ। पूरी सूरत की तफ़सीर सात दिन में मुकम्मल हुई, पाँच दिन ज़िलहिज्जा 1390 हिजरी के और दो दिन मुहर्रम 1391 हिजरी के। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तआ़ला के लिये हैं और उसी से यह नाचीज़ इस तफ़सीर के बाक़ी हिस्से की तकमील की तौफ़ीक़ की मदद चाहता है। वह हर चीज़ पर ग़ालिब है, कोई चीज़ उसकी क़ुदरत से बाहर नहीं।

अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि सूरः हज की तफ़सीर मुकम्मल हुई।

सूरः मोमिनून (पारा 18)

सूरः मोमिनून मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 118 आयतें और 6 रुकूअ़ हैं।

اٰیَاتُهَا ١١٨ (٢٣) سُوْرَةُ الْمُؤْمِنُوْنَ مَكِّيَّةٌ (٧٤) رُكُوْعَاتُهَا ٦

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ اِلَّا عَلٰۤى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۚ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۚ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۘ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۙ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

الجزء الثامن عشر — ١٨ — وقف لازم

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

क़द् अफ़्ल-हल् मुअ्मिनून (1) अल्लज़ी-न हुम् फ़ी सलातिहिम् ख़ाशिअ़ून (2) वल्लज़ी-न हुम् अ़निल्लग़्वि मुअ़्रिज़ून (3) वल्लज़ी-न हुम् लिज़्ज़काति फ़ाअ़िलून (4) वल्लज़ी-न हुम् लिफ़ुरूजिहिम् हाफ़िज़ून (5) इल्ला अ़ला अज़्वाजिहिम् औ मा म-लकत् ऐमानुहुम् फ़-इन्नहुम् ग़ैरु मलूमीन (6) फ़-मनिब्तग़ा वरा-अ ज़ालि-क फ़-उलाइ-क हुमुल्-आ़दून (7)	काम निकाल ले गये ईमान वाले। (1) जो अपनी नमाज़ में झुकने वाले हैं। (2) और जो निकम्मी बात पर ध्यान नहीं करते। (3) और जो ज़कात दिया करते हैं। (4) और जो अपनी शहवत की जगह (यानी शर्मगाह) को थामते हैं (5) मगर अपनी औरतों पर या अपने हाथ के माल बाँदियों पर, सो उन पर नहीं कुछ इल्ज़ाम। (6) फिर जो कोई ढूँढे इसके सिवा सो वही हैं हद से बढ़ने वाले। (7)

वल्लज़ी-न हुम् लि-अमानातिहिम् व अ़ह्दिहिम् राअून (8) वल्लज़ी-न हुम् अ़ला स-लवातिहिम् युहाफ़िज़ून। (9) उलाइ-क हुमुल्-वारिसून (10) अल्लज़ी-न यरिसूनल् फ़िर्दौ-स हुम् फ़ीहा ख़ालिदून (11)	और जो अपनी अमानतों से और अपने इक़रार से ख़बरदार हैं। (8) और जो अपनी नमाज़ों की ख़बर रखते हैं। (9) वही हैं मीरास लेने वाले। (10) जो मीरास पायेंगे बाग़ ठण्डी छाँव के, वह उसी में हमेशा रहेंगे। (11)

सूरः मोमिनून के फ़ज़ाईल और विशेषतायें

मुस्नद अहमद में हज़रत फ़ारूके आज़म उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत है उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर जब **वही** नाज़िल होती थी तो पास वालों के कान में ऐसी आवाज़ होती थी जैसे शहद की मक्खियों की आवाज़ होती है। एक रोज़ आपके क़रीब ऐसी ही आवाज़ सुनी गयी तो हम ठहर गये कि ताज़ा आई हुई वही सुन लें। जब वही की ख़ास कैफ़ियत से फ़राग़त हुई तो हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम क़िब्ला-रुख़ होकर बैठ गये और यह दुआ़ करने लगेः

اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَارْضَ عَنَّا وَاَرْضِنَا.

(यानी या अल्लाह! हमें ज़्यादा दे कम न कर, और हमारी इ़ज़्ज़त बढ़ा ज़लील न कर, और हम पर बख़्शिश फ़रमा मेहरूम न कर, और हमें दूसरों पर तरजीह दे हम पर दूसरों को तरजीह न दे, और हम से राज़ी हो और हमें भी अपनी रज़ा से राज़ी कर दे।) इसके बाद फ़रमाया कि मुझ पर इस वक़्त दस आयतें ऐसी नाज़िल हुई हैं कि जो शख़्स इन पर पूरा-पूरा अ़मल करे तो वह (सीधा) जन्नत में जायेगा। फिर ये दस आयतें जो ऊपर लिखी गयी हैं पढ़कर सुनाई। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

और इमाम नसाई ने किताबुत्तफ़सीर में यज़ीद बिन बाबनूस से नक़ल किया है कि उन्होंने हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से सवाल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का ख़ुल्क़ कैसा और क्या था, उन्होंने फ़रमाया आपका ख़ुल्क़ यानी तबई आ़दत वह थी जो क़ुरआन में है, उसके बाद ये दस आयतें तिलावत करके फ़रमाया कि बस यही ख़ुल्क़ व आ़दत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

यक़ीनन उन मुसलमानों ने (आख़िरत में) फ़लाह पाई जो (अ़क़ीदों को सही रखने के साथ निम्नलिखित सिफ़तें अपने अन्दर रखते हैं यानी वे) अपनी नमाज़ में (चाहे फ़र्ज़ हो या ग़ैर-फ़र्ज़) ख़ुशूअ़ (झुकने और आजिज़ी) करने वाले हैं। और जो लग़्व (यानी फ़ुज़ूल) बातों से (चाहे ज़बान की

हों या अ़मल की) अलग रहने वाले हैं। और जो (आमाल व अख़्लाक़ में) अपनी सफ़ाई करने वाले हैं। और जो अपनी शर्मगाहों की (हराम तरीक़े से जिन्सी इच्छा पूरी करने से) हिफ़ाज़त करने वाले हैं, लेकिन अपनी बीवियों से या अपनी (शरई) बाँदियों से (हिफ़ाज़त नहीं करते), क्योंकि उन पर (इसमें) कोई इल्ज़ाम नहीं। हाँ! जो इसके अ़लावा (और जगह जिन्सी इच्छा पूरी करने का) तलबगार हो ऐसे लोग (शरई) हद से निकलने वाले हैं। और जो अपनी (सुपुर्दगी में ली हुई) अमानतों और अपने अ़हदों का (जो किसी मुआ़हदे के तहत में किया हो या वैसे ही अपनी तरफ़ से शुरू करते हुए किया हो) ख़्याल रखने वाले हैं। और जो अपनी (फ़र्ज़) नमाज़ों की पाबन्दी करते हैं। ऐसे ही लोग वारिस होने वाले हैं जो फ़िरदौस (यानी जन्नत के आला दर्जे) के वारिस होंगे (और) वे उसमें हमेशा-हमेशा रहेंगे।

मआ़रिफ़ व मसाईल

'फ़लाह' क्या चीज़ है और कहाँ और कैसे मिलती है?

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ٥

लफ़्ज़ 'फ़लाह' क़ुरआन व सुन्नत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, अज़ान व तकबीर में पाँच वक़्त हर मुसलमान को फ़लाह की तरफ़ दावत दी जाती है। फ़लाह के मायने यह हैं कि हर मुराद हासिल हो और हर तकलीफ़ दूर हो। (क़ामूस) यह लफ़्ज़ जितना छोटा है उतना ही जामे (मुकम्मल और पूर्ण) ऐसा है कि कोई इनसान इससे ज़्यादा किसी चीज़ की इच्छा कर ही नहीं सकता। और यह ज़ाहिर है कि मुकम्मल फ़लाह कि एक मुराद भी ऐसी न रहे जो पूरी न हो और एक भी तकलीफ़ ऐसी न रहे जो दूर न हो, यह दुनिया में किसी बड़े से बड़े इनसान के बस में नहीं। चाहे दुनिया का सबसे बड़ा सातों अक़लीम का बादशाह हो या सबसे बड़ा रसूल और पैग़म्बर हो। इस दुनिया में किसी के लिये यह मुम्किन नहीं कि कोई चीज़ ख़िलाफ़े तबीयत पेश न आये और जो इच्छा जिस वक़्त दिल में पैदा हो बिना किसी देरी के पूरी हो जाये। अगर और भी कुछ नहीं तो हर नेमत के लिये ज़वाल और फ़ना का खटका और हर तकलीफ़ के आ पड़ने का ख़तरा, इससे कौन ख़ाली हो सकता है?

इससे मालूम हुआ कि कामिल फ़लाह तो ऐसी चीज़ है जो दुनिया के इस जहान में हासिल ही नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया तो तकलीफ़ और मेहनत का घर भी है और इसकी किसी चीज़ को बक़ा व क़रार भी नहीं। यह क़ीमती दौलत एक दूसरे जहान में मिलती है जिसका नाम जन्नत है। वही ऐसा मुल्क है जिसमें इनसान की हर मुराद हर वक़्त बिना इन्तिज़ार हासिल होगी जैसा कि क़ुरआन में है:

وَلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ٥

(यानी उनको मिलेगी हर वह चीज़ जो वे चाहेंगे) और वहाँ किसी मामूली से रंज व तकलीफ़ का गुज़र न होगा, और हर शख़्स वहाँ यह कहता हुआ दाख़िल होगा:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرُ ۥ الَّذِیْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ.

यानी शुक्र है अल्लाह का जिसने हम से ग़म दूर कर दिया, बिला शुब्हा हमारा रब माफ़ करने

वाला क़द्रदान है, जिसने हमें अपने फ़ज़्ल से एक मक़ाम में पहुँचा दिया जिसकी हर चीज़ क़ायम और हमेशा रहने वाली है।

इस आयत में यह भी इशारा मौजूद है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा न होगा जिसको कभी कोई रंज व ग़म न पहुँचा हो, इसलिये जन्नत में क़दम रखते हुए हर शख़्स यह कहेगा कि अब हमारा ग़म दूर हुआ। क़ुरआने करीम ने सूरः अअ़्ला में जहाँ फ़लाह हासिल करने का यह नुस्ख़ा बतलाया कि अपने आपको गुनाह से पाक करेः

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۝

इसके साथ ही यह भी इशारा फ़रमाया कि पूरी फ़लाह की जगह असल में आख़िरत है, सिर्फ़ दुनिया से दिल लगाना फ़लाह के इच्छुक का काम नहीं। फ़रमाया हैः

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝

यानी तुम लोग दुनिया ही को आख़िरत पर तरजीह (वरीयता) देते हो हालाँकि आख़िरत बेहतर भी है कि उसी में हर मुराद हासिल और हर तकलीफ़ दूर हो सकती है, और वह बाक़ी रहने वाली भी है।

ख़ुलासा यह है कि कामिल व मुकम्मल फ़लाह तो सिर्फ़ जन्नत ही में मिल सकती है, दुनिया उसकी जगह ही नहीं। अलबत्ता अक्सरी हालात के एतिबार से फ़लाह यानी बामुराद होना और तकलीफ़ों से निजात पाना यह दुनिया में भी अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों को अ़ता फ़रमाते हैं। उक्त आयतों में अल्लाह तआ़ला ने फ़लाह पाने का वायदा उन मोमिनों से किया है जिनमें वो सात सिफ़तें मौजूद हों जिनका ज़िक्र इन आयतों के अन्दर आया है। यह फ़लाह आ़म और हर चीज़ को अपने अन्दर लिये हुए है जिसमें आख़िरत की कामिल मुकम्मल फ़लाह भी दाख़िल है और दुनिया में जिस क़द्र फ़लाह हासिल होना मुम्किन है वह भी।

यहाँ एक सवाल यह पैदा हो सकता है कि ज़िक्र हुई सिफ़तों वाले मोमिनों को आख़िरत की कामिल फ़लाह मिलना तो समझ में आता है लेकिन दुनिया में फ़लाह तो बज़ाहिर काफ़िरों और बुरे लोगों का हिस्सा बनी हुई है, और हर ज़माने के अम्बिया और उनके बाद उम्मत के नेक लोग उमूमन तकलीफ़ों में मुब्तला रहे हैं। मगर जवाब इसका ज़ाहिर है कि दुनिया में मुकम्मल फ़लाह का तो वायदा नहीं कि कोई तकलीफ़ पेश ही न आये, बल्कि कुछ न कुछ तकलीफ़ तो यहाँ पर नेक व मुत्तक़ी को भी और हर काफ़िर व गुनाहगार को भी पेश आना लाज़िमी है, और यही हाल मुराद के हासिल होने का है कि कुछ न कुछ यह मक़सद भी हर इनसान को चाहे वह नेक व मुत्तक़ी हो चाहे काफ़िर व बदकार हो हासिल होता ही है। फिर इन दोनों में फ़लाह पाने वाला किसको कहा जाये? तो इसका एतिबार परिणाम और अन्जाम पर है।

दुनिया का तजुर्बा और मुशाहदा (यानी जो कुछ आ़म तरीक़े से नज़र आता है) गवाह है कि जो अच्छे और बेहतर लोग इन सात सिफ़तों को अपने अन्दर रखने वाले, इन पर अ़मल करने वाले और इन पर क़ायम हैं चाहे दुनिया में वक़्ती तकलीफ़ उनको भी पेश आ जाये मगर अन्जामकार उनकी तकलीफ़ जल्द दूर होती है और मुराद हासिल हो जाती है। सारी दुनिया उनकी इ़ज़्ज़त करने पर मजबूर होती है और दुनिया में नेक नाम उन्हीं का बाक़ी रहता है। जितना दुनिया के हालात का ध्यान

व इन्साफ़ से मुताला किया जायेगा हर दौर हर ज़माने हर ख़ित्ते में इसके सुबूत मिलते चले जायेंगे।

कामिल मोमिन के वो सात गुण जिन पर उपर्युक्त आयतों में दुनिया व आख़िरत की फ़लाह का वायदा है

सबसे पहला गुण और सिफ़त तो मोमिन होना है, मगर वह एक बुनियादी चीज़ और जड़ है उसको अलग करके सात सिफ़तें जो यहाँ बयान की गयी हैं ये हैं—

अव्वल नमाज़ में **ख़ुशूअ**। ख़ुशूअ के लुग़वी मायने सुकून के हैं। शरीअ़त की इस्तिलाह में ख़ुशूअ़ यह है कि दिल में भी सुकून हो यानी ग़ैरुल्लाह के ख़्याल को दिल में अपने इरादे से हाज़िर न करे और बदन के हिस्सों में भी सुकून हो कि बेकार और फ़ुज़ूल हरकतें न करे। (बयानुल-क़ुरआन) ख़ास तौर पर वो हरकतें जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने नमाज़ में मना फ़रमाया है और दीन के उलेमा ने उनको नमाज़ की मकरूह चीज़ों के उनवान से जमा कर दिया है। तफ़सीरे मज़हरी में **ख़ुशूअ़** की यही परिभाषा हज़रत अ़मर बिन दीनार से नक़ल की है। और दूसरे बुज़ुर्गों से जो ख़ुशूअ़ की तारीफ़ में विभिन्न चीज़ें नक़ल की गयी हैं वो दर असल इसी दिल व बदनी अंगों के सुकून की तफ़सीलात हैं। मसलन हज़रत मुजाहिद रह. ने फ़रमाया कि नज़र और आवाज़ को नीची रखने का नाम ख़ुशूअ़ है। हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि दायें-बायें तवज्जोह यानी आँख के किनारे से देखने से बचना ख़ुशूअ़ है। हज़रत अ़ता ने फ़रमाया कि बदन के किसी हिस्से से खेल न करना ख़ुशूअ़ है। हदीस में हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला नमाज़ के वक़्त अपने बन्दे की तरफ़ बराबर मुतवज्जह रहता है जब तक वह दूसरी तरफ़ तवज्जोह न करे, जब दूसरी तरफ़ तवज्जोह और ध्यान करता है यानी कन-अंखियों से देखता है तो अल्लाह तआ़ला उससे रुख़ फेर लेते हैं। (मुस्नद अहमद, नसाई व अबू दाऊद, तफ़सीरे मज़हरी) और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु को हुक्म दिया कि अपनी निगाह उस जगह रखो जिस जगह सज्दा करते हो और यह कि नमाज़ में दायें-बायें ध्यान व तवज्जोह न करो। (बैहक़ी सुनने कुबरा में, तफ़सीरे मज़हरी)

और हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक शख़्स को देखा कि नमाज़ में अपनी दाढ़ी से खेल रहा है तो फ़रमायाः

لوخشع قلب هذا لخشعت جوارحه.

यानी अगर इस शख़्स के दिल में ख़ुशूअ़ होता तो इसके बदन के हिस्सों में भी सुकून होता।

(हाकिम, तिर्मिज़ी ज़ईफ़ सनद के साथ। तफ़सीरे मज़हरी)

नमाज़ में ख़ुशूअ़ की ज़रूरत का दर्जा

इमाम ग़ज़ाली, इमाम क़ुर्तुबी और कुछ दूसरे हज़रात ने फ़रमाया कि नमाज़ में ख़ुशूअ़ फ़र्ज़ है, अगर पूरी नमाज़ ख़ुशूअ़ के बग़ैर गुज़र जाये तो नमाज़ अदा ही न होगी। दूसरे हज़रात ने फ़रमाया

कि इसमें शुब्हा नहीं कि ख़ुशूअ़ नमाज़ की जान और रूह है, उसके बग़ैर नमाज़ बेजान है मगर उसको नमाज़ के रुक्न की हैसियत से यह नहीं कहा जा सकता कि ख़ुशूअ़ न हुआ तो नमाज़ ही न हुई, और उसका लौटाना और दोबारा पढ़ना फ़र्ज़ क़रार दिया जाये।

हज़रत सय्यिदी हकीमुल-उम्मत (मौलाना अशरफ़ अ़ली थानवी) रह. ने बयानुल-क़ुरआन में फ़रमाया कि ख़ुशूअ़ नमाज़ के सही होने के लिये शर्त तो नहीं और इस दर्जे में वह फ़र्ज़ नहीं, मगर नमाज़ का क़ुबूल होना उसी पर टिका हुआ है और इस दर्जे में फ़र्ज़ है। हदीस में तबरानी ने मोजमे कबीर में हसन सनद के साथ हज़रत अबूदर्दा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि सबसे पहले जो चीज़ इस उम्मत से उठ जायेगी यानी छिन जायेगी वह ख़ुशूअ़ है, यहाँ तक कि क़ौम में कोई ख़ुशूअ़ वाला नज़र न आयेगा।

(जैसा कि मज्मउज़्ज़वाइद में है। बयानुल-क़ुरआन)

मोमिन कामिल की **दूसरी ख़ूबी और सिफ़त** बेहूदा लग़्व से परहेज़ करना है। फ़रमायाः

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ٥

लग़्व के मायने हैं फ़ुज़ूल कलाम या काम जिसमें कोई दीनी फ़ायदा न हो। लग़्व का आला दर्जा नाफ़रमानी और गुनाह है जिसमें दीनी फ़ायदा न होने के साथ दीनी नुक़सान हो, उससे परहेज़ वाजिब है। और अदना दर्जा यह है कि न मुफ़ीद हो न नुक़सानदेह, उसका छोड़ना कम से कम बेहतर और क़ाबिले तारीफ़ है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيْهِ.

यानी इनसान का इस्लाम तब अच्छा हो सकता है जबकि वह बेफ़ायदा चीज़ों को छोड़ दे। इसी लिये आयत में इसको कामिल मोमिन की ख़ास सिफ़त क़रार दिया है।

तीसरी सिफ़त और गुण **ज़कात** है। लफ़्ज़ ज़कात के मायने लुग़त में पाक करने के हैं। शरीअ़त की परिभाषा में माल की दर का एक ख़ास हिस्सा कुछ शर्तों के साथ सदक़ा करने को ज़कात कहा जाता है, और क़ुरआने करीम में आ़म तौर पर यह लफ़्ज़ इसी पारिभाषिक मायने में इस्तेमाल हुआ है। इस आयत में यह मायने भी मुराद हो सकते हैं और इस पर जो शुब्हा किया जाता है कि यह आयत मक्की है, मक्का में ज़कात फ़र्ज़ न हुई थी, मदीने की हिजरत के बाद फ़र्ज़ हुई, इसका जवाब अ़ल्लामा इब्ने कसीर वग़ैरह मुफ़स्सिरीन की तरफ़ से यह है कि ज़कात की फ़र्ज़ियत मक्का ही में हो चुकी थी सूरः मुज़्ज़म्मिल जो सब के नज़दीक मक्की है उसमें भी 'अक़ीमुस्सला-त' के साथ 'आतुज़्ज़का-त' का ज़िक्र मौजूद है। मगर सरकारी तौर पर उसके वसूल करने का आ़म इन्तिज़ाम और निसाबों वग़ैरह की तफ़सीलात मदीना तय्यिबा जाने के बाद जारी हुईं।

जिन लोगों ने ज़कात को मदनी अहकाम में शुमार किया है उनका यही मन्शा है। और जिन हज़रात ने ज़कात के फ़र्ज़ होने को मदीना मुनव्वरा पहुँचने के बाद का हुक्म क़रार दिया है उन्होंने इस जगह ज़कात का मज़मून आ़म लुग़वी मायने में अपने नफ़्स को पाक करना क़रार दिया है। ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में भी यही लिया गया है। इस मायने का इशारा इस आयत में यह भी है कि आ़म तौर पर

क़ुरआन में जहाँ फ़र्ज़ ज़कात का ज़िक्र आया है तो उसको 'ईताउज़्ज़काति' 'युअ्तूनज़्ज़का-त' और 'आतुज़्ज़का-त' के उनवान से बयान किया गया है, यहाँ उनवान बदलकर 'लिज़्ज़काति फ़ाअ़िलून' फ़रमाना इसकी तरफ़ एक इशारा है कि यहाँ ज़कात के वह इस्तिलाही मायने मुराद नहीं। इसके अ़लावा 'फ़ाअ़िलून' का बेतकल्लुफ़ ताल्लुक़ फ़ेल (काम) से होता है और ज़कात इस्तिलाही फ़ेल नहीं बल्कि माल का एक हिस्सा है, माल के उस हिस्से के लिये 'फ़ाअ़िलून' कहना बग़ैर मायने में दूर का मतलब लिये नहीं हो सकता। अगर आयत में ज़कात के मायने इस्तिलाही ज़कात के लिये जायें तो उसका फ़र्ज़ होना और मोमिन के लिये लाज़िम होना खुला हुआ मामला है, और अगर मुराद ज़कात से नफ़्स की पाकीज़गी है, यानी अपने नफ़्स को बुरी बातों और घटिया अख़्लाक़ से पाक करना है तो वह भी फ़र्ज़ ही है, क्योंकि शिर्क, दिखावा, तकब्बुर, हसद, बुग़ज़, हिर्स, कन्जूसी जिनसे नफ़्स को पाक करना **तज़किया** कहलाता है। ये सब चीज़ें हराम और कबीरा (बड़े) गुनाह हैं। नफ़्स को इनसे पाक करना फ़र्ज़ है।

चौथी सिफ़त शर्मगाहों की हराम से हिफ़ाज़त करना है:

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ○ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ

यानी वे लोग जो अपनी बीवियों और शरई बाँदियों के अ़लावा सबसे अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करते हैं। इन दोनों के साथ शरई क़ायदे के मुताबिक़ नफ़्स की इच्छा पूरी करने के अ़लावा और किसी से किसी नाजायज़ तरीक़े पर जिन्सी इच्छा पूरी करने में मुब्तला नहीं होते। इस आयत के ख़त्म पर इरशाद फ़रमायाः

فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ○

यानी शरई क़ायदे के मुताबिक़ अपनी बीवी या बाँदी से नफ़्स की जिन्सी इच्छा को तस्कीन देने वालों पर कोई मलामत नहीं। इसमें इशारा है कि इस ज़रूरत को ज़रूरत के दर्जे में रखना है, ज़िन्दगी का मक़सद बनाना नहीं। इसका दर्जा इतना ही है कि जो ऐसा करे वह क़ाबिले मलामत नहीं। वल्लाहु आलम।

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ○

यानी निकाह में आयी बीवी या शरई क़ायदे से हासिल होने वाली बाँदी के साथ शरई क़ायदे के मुताबिक़ जिन्सी इच्छा पूरी करने के अ़लावा और कोई भी सूरत जिन्सी इच्छा को पूरा करने की हलाल नहीं। इसमें ज़िना भी दाख़िल है और जो औरत शरई तौर पर उस पर हराम है उससे निकाह भी ज़िना के हुक्म में है, और अपनी बीवी या बाँदी से माहवारी और निफ़ास की (यानी बच्चा पैदा होने बाद ख़ून आने की) हालत में या ग़ैर-फ़ितरी (अप्राकृतिक) तौर पर सोहबत करना भी इसमें दाख़िल है। यानी किसी मर्द या लड़के से या किसी जानवर से जिन्सी इच्छा पूरी करना भी। और उलेमा की अक्सरियत के नज़दीक हाथ के ज़रिये वीर्य निकालना भी इसमें दाख़िल है।

(तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन, तफ़सीरे क़ुर्तुबी, तफ़सीर बहरे मुहीत वग़ैरह)

पाँचवीं सिफ़त है अमानत का हक़ अदा करना। फ़रमायाः

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ۝

लफ़्ज़ अमानत के लुग़वी मायने हर उस चीज़ को शामिल हैं जिसकी ज़िम्मेदारी किसी शख़्स ने उठाई हो और उस पर एतिमाद व भरोसा किया गया हो। इसकी क़िस्में चूँकि बेशुमार हैं इसी लिये मस्दर होने के बावजूद इसको बहुवचन के कलिमे में लाया गया है ताकि अमानत की सब क़िस्मों को शामिल हो जाये, चाहे वो अल्लाह के हुक़ूक़ से मुताल्लिक़ हों या बन्दों के हुक़ूक़ से। अल्लाह के हुक़ूक़ से मुताल्लिक़ अमानतों में तमाम शरई फ़राईज़ व वाजिबात का अदा करना और तमाम हराम और बुरी चीज़ों और बातों से परहेज़ करना है, और बन्दों के हुक़ूक़ से मुताल्लिक़ अमानतों में माली अमानत का दाख़िल होना तो परिचित व मशहूर है कि किसी शख़्स ने किसी के पास अपना कोई माल अमानत के तौर पर रख दिया, यह उसकी अमानत है, उसकी हिफ़ाज़त उसके वापस करने तक उसकी ज़िम्मेदारी है। इसके अ़लावा किसी ने कोई राज़ की बात किसी से कही वह भी उसकी अमानत है, बग़ैर शरई इजाज़त के किसी का राज़ ज़ाहिर करना अमानत में ख़ियानत है। मज़दूर, मुलाज़िम को जो काम सुपुर्द किया गया उसके लिये जितना वक़्त ख़र्च करना आपस में तय हो गया उसमें उस काम को पूरा करने का हक़ अदा करना और मज़दूरी व मुलाज़मत के लिये जितना वक़्त मुक़र्रर है उसको उसी काम में लगाना भी अमानत है, काम की चोरी या वक़्त की चोरी ख़ियानत है। इससे मालूम हुआ कि अमानत की हिफ़ाज़त और उसका हक़ अदा करना बड़ा जामे (मुकम्मल) लफ़्ज़ है, उक्त सब तफ़सीलात इसमें दाख़िल हैं।

छठी सिफ़त और ख़ूबी अ़हद पूरा करना है। अ़हद एक तो वह मुआ़हदा (समझौता) है जो दो तरफ़ से किसी मामले के सिलसिले में लाज़िम क़रार दिया जाये, उसका पूरा करना फ़र्ज़ और उसके ख़िलाफ़ करना ग़दर और धोखा है जो हराम है। दूसरा वह जिसको वायदा कहते हैं यानी एक तरफ़ा सूरत से कोई शख़्स किसी शख़्स से किसी चीज़ के देने का या किसी काम के करने का वायदा कर ले, उसका पूरा करना भी शरअ़न लाज़िम व वाजिब हो जाता है। हदीस में है 'अल्‌अ़िदतु दीनुन' यानी वायदा एक क़िस्म का क़र्ज़ है। जैसे क़र्ज़ की अदायेगी वाजिब है ऐसे ही वायदे का पूरा करना वाजिब है, बिना शरई उ़ज़्र के उसके ख़िलाफ़ करना गुनाह है। फ़र्क़ दोनों क़िस्मों में यह है कि पहली क़िस्म के पूरा करने पर दूसरा आदमी उसको अ़दालत के ज़रिये भी मजबूर कर सकता है, एक तरफ़ा वायदे को पूरा करने के लिये अ़दालत के ज़रिये मजबूर नहीं किया जा सकता। अख़्लाक़ी और दियानत दारी के तौर पर उसका पूरा करना भी वाजिब और बिना शरई उ़ज़्र के ख़िलाफ़ करना गुनाह है।

सातवीं सिफ़त नमाज़ की मुहाफ़ज़त करना है:

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ۝

नमाज़ की मुहाफ़ज़त से मुराद उसकी पाबन्दी करना और हर एक नमाज़ को उसके मुस्तहब वक़्त में अदा करना है (जैसा कि हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. ने इसकी यही तफ़सीर बयान की है)।

यहाँ सलवात का लफ़्ज़ जमा (बहुवचन) इसलिये लाया गया है कि इससे मुराद पाँच वक़्त की नमाज़ें हैं जिनको अपने-अपने मुस्तहब वक़्त में पाबन्दी से अदा करना मक़सूद है, और शुरू में जहाँ

असल मक़सद ख़ुशूअ़ का ज़िक्र करना था वहाँ लफ़्ज़ मुफ़रद (एक वचन) लाया गया कि बिना किसी क़ैद और शर्त के नमाज़ चाहे फ़र्ज़ हो या वाजिब, सुन्नत हो या नफ़िल सब की रूह और जान ख़ुशूअ़ है। ग़ौर किया जाये तो ज़िक्र किये गये इन सात गुणों और सिफ़्तों में अल्लाह और बन्दों के तमाम हुक़ूक़ और उनसे संबन्धित अहकाम आ जाते हैं, जो शख़्स इन सिफ़्तों को अपना ले और इन पर अ़मल करने वाला बन जाये और इन पर जमा रहे वह कामिल मोमिन दुनिया व आख़िरत की फ़लाह (कामयाबी) का हक़दार है।

यह बात ध्यान देने के क़ाबिल है कि इन सात सिफ़्तों को शुरू भी नमाज़ से किया गया और ख़त्म भी नमाज़ पर किया गया, इसमें इशारा है कि अगर नमाज़ को नमाज़ की तरह पाबन्दी और नमाज़ के आदाब के साथ अदा किया जाये तो बाक़ी गुण और सिफ़्तें उसमें अपने आप पैदा होते चले जायेंगे। वल्लाहु आलम

أُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ.

ऊपर बयान किये गये कमालात और सिफ़्तों वाले लोगों को इस आयत में जन्नतुल-फ़िरदौस का वारिस फ़रमाया है। लफ़्ज़ **वारिस** में इशारा इस तरफ़ है कि जिस तरह **मूरिस** (वारिस बनाने वाले) का माल उसके वारिस को पहुँचना निश्चित और लाज़िमी है इसी तरह इन सिफ़्तों वालों का जन्नत में दाख़िला यक़ीनी है, और 'क़द् अफ़्लह' के बाद फ़लाह पाने वालों की सिफ़ात पूरी ज़िक्र करने के बाद इस जुमले में इस तरफ़ भी इशारा है कि कामिल और असली फ़लाह की जगह जन्नत ही है।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ۚ ثُمَّ أَنْشَأْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ۚ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۝ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ۝ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ ۖ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ۝ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنّٰهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ۝ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ۝ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَآءَ تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ ۝ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ۝ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ۝

व ल-क़द् ख़लक़्नल्-इन्सा-न मिन् सुलालतिम्-मिन् तीन (12) सुम्-म जअ़ल्नाहु नुत्फ़-तन् फ़ी क़रारिम्-	और हमने बनाया आदमी को चुनी हुई मिट्टी से। (12) फिर हमने रखा उसको पानी की बूँद करके एक जमे हुए ठिकाने

मकीन (13) सुम्-म ख़लक़्नन्-नुत्फ़-त अ़-ल-क़तन् फ़-ख़लक़्नल् अ़-ल-क़्-त मुज़्-ग़तन् फ़-ख़लक़्नल्-मुज़्ग़-त अ़िज़ामन् फ़-कसौनल्-अ़िज़ा-म लह्मन्, सुम्-म अन्शअ्नाहु ख़ल्क़न् आख़-र, फ़-तबा-रकल्लाहु अह्सनुल्-ख़ालिक़ीन (14) सुम्-म इन्नकुम् बअ़्-द ज़ालि-क ल-मय्यितून (15) सुम्-म इन्नकुम् यौमल्-क़ियामति तुब्असून (16) व ल-क़द् ख़लक़्ना फ़ौक़कुम् सब्-अ़ तराइ-क़ व मा कुन्ना अ़निल्-ख़ल्क़ि ग़ाफ़िलीन (17) व अन्ज़ल्ना मिनस्समा-इ माअम् बि-क़-दरिन् फ़अस्कन्नाहु फ़िल्अर्ज़ि व इन्ना अ़ला ज़हाबिम् बिही लक़ादिरून (18) फ़-अन्शअ्ना लकुम् बिही जन्नातिम् मिन् नख़ीलिंव्-व अअ़्नाबिन्। लकुम् फ़ीहा फ़वाकिहु कसीरतुंव्-व मिन्हा तअ्कुलून (19) व श-ज-रतन् तख़्रुजु मिन् तूरि सैना-अ तम्बुतु बिद्दुह्नि व सिब्ग़िल् लिल्आकिलीन (20) व इन्-न लकुम् फ़िल्-अन्आ़मि ल-अ़िब्-रतन्, नुस्क़ीकुम् मिम्मा फ़ी बुतूनिहा व व लकुम् फ़ीहा मनाफ़िअ़ु कसी-रतुंव्-

में। (13) फिर बनाया उस बूँद से लहू जमा हुआ, फिर बनाया जमे हुए लहू से गोश्त की बोटी, फिर बनाई उस बोटी से हड्डियाँ, फिर पहनाया उन हड्डियों पर गोश्त, फिर उठा खड़ा किया उसको एक नई सूरत में, सो बड़ी बरकत अल्लाह की जो सबसे बेहतर बनाने वाला है। (14) फिर तुम उसके बाद मरोगे। (15) फिर तुम क़ियामत के दिन खड़े किये जाओगे। (16) और हमने बनाये तुम्हारे ऊपर सात रस्ते और हम नहीं हैं मख़्लूक़ से बेख़बर। (17) और उतारा हमने आसमान से पानी माप कर फिर उसको ठहरा दिया ज़मीन में और हम उसको लेजायें तो लेजा सकते हैं। (18) फिर उगा दिये तुम्हारे वास्ते उससे बाग़ खजूर और अंगूर के। तुम्हारे वास्ते उनमें मेवे हैं बहुत और उन्हीं में से खाते हो। (19) और वह पेड़ जो निकलता है सीना पहाड़ से; ले उगता है तेल और रोटी डुबोना खाने वालों के वास्ते। (20) और तुम्हारे लिये चौपायों में ध्यान करने की बात है, पिलाते हैं हम तुमको उनके पेट की चीज़ से, और तुम्हारे लिये उनमें

व मिन्हा तअ्कुलून (21) व अलैहा व अ़लल्-फ़ुल्कि तुह्मलून (22) ✿	बहुत फ़ायदे हैं और बाज़ों को खाते हो (21) और उन पर और कश्तियों पर लदे फिरते हो। (22) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(पहले बयान है इनसान के बनाये जाने और इसकी शुरूआ़त का) और हमने इनसान को मिट्टी के ख़ुलासे (यानी ग़िज़ा) से बनाया (यानी पहले मिट्टी होती है फिर उससे पेड़-पौधों के ज़रिये ग़िज़ा हासिल होती है) फिर हमने उसको नुत्फ़े से बनाया जो कि (एक निर्धारित मुद्दत तक) एक सुरक्षित मक़ाम (यानी गर्भ) में रहा (और वह ग़िज़ा से हासिल हुआ था)। फिर हमने उस नुत्फ़े को ख़ून का लोथड़ा बना दिया, फिर हमने उस ख़ून के लोथड़े को (गोश्त की) बोटी बना दिया, फिर हमने उस बोटी (के कुछ हिस्सों) को हड्डियाँ बना दिया, फिर हमने उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ा दिया (जिस से वे हड्डियाँ ढक गईं), फिर (इन सब तब्दीलियों के बाद) हमने (उसमें रूह डालकर) उसको एक दूसरी ही (तरह की) मख़्लूक़ बना दिया (जो पहले के हालात से निहायत ही विशेष और अलग है, क्योंकि इससे पहले सब तब्दीलियाँ और उलट-फेर एक बेजान चीज़ में हो रहे थे और अब यह एक रूह वाला ज़िन्दा इनसान बन गया) सो कैसी बड़ी शान है अल्लाह की जो तमाम बनाने वालों से बढ़कर है (क्योंकि दूसरे बनाने वाले तो अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों में जोड़-तोड़ करके ही बना सकते हैं, ज़िन्दगी पैदा करना यह ख़ास अल्लाह ही का काम है। और नुत्फ़े "वीर्य के क़तरे" पर उक्त तब्दीलियाँ और उलट-फेर की तफ़सील इसी तरतीब के साथ तिब्बी किताबों क़ानून वग़ैरह में भी बयान हुई है। आगे इनसान के आख़िरी अन्जाम यानी फ़ना का बयान है)।

फिर तुम इस (तमाम अ़जीब क़िस्से) के बाद ज़रूर ही मरने वाले हो। (आगे बयान है वापस लौटने का यानी) फिर तुम क़ियामत के दिन दोबारा ज़िन्दा किये जाओगे (और जिस तरह हमने तुमको शुरू में वजूद अ़ता फ़रमाया इसी तरह तुम्हारे बाक़ी रहने का सामान भी किया कि) हमने तुम्हारे ऊपर सात आसमान (जिनमें फ़रिश्तों के आने जाने के लिये राहें हैं) बनाये (कि उससे तुम्हारी भी कुछ मस्लेहतें संबन्धित हैं) और हम मख़्लूक़ (की मस्लेहतों) से बेख़बर न थे (बल्कि हर मख़्लूक़ को मस्लेहतों और हिक्मतों की रियायत करके बनाया)। और हमने (इनसान के बाक़ी रहने और फलने-फूलने "बढ़ने व तरक़्क़ी" के लिये) आसमान से (मुनासिब) मात्रा के साथ पानी बरसाया, फिर हमने उसको (मुद्दत तक) ज़मीन में ठहराया (चुनाँचे कुछ पानी तो ज़मीन के ऊपर रहता है और कुछ अन्दर उतर जाता है जो वक़्त वक़्त पर निकलता रहता है) और हम (जिस तरह उसके बरसाने पर क़ादिर हैं उसी तरह) उस (पानी) के ख़त्म कर देने पर (भी) क़ादिर हैं (चाहे हवा की शक्ल में उसको तब्दील करके चाहे इतनी दूर ज़मीन की गहराई में उतारकर कि यंत्र व साधनों के ज़रिये से न निकाल सको, मगर हमने बाक़ी रखा) फिर हमने उस (पानी) के ज़रिये से बाग़ पैदा किये खजूरों के और अंगूरों के, तुम्हारे वास्ते उन (खजूरों अंगूरों) में कसरत से मेवे भी हैं (जबकि उनको ताज़ा-ताज़ा खाया जाये तो

मेवा समझा जाता है) और उनमें से (जो बचाकर सुखा करके रख लिया जाता है उसको बतौर ग़िज़ा के) खाते भी हो। और (उसी पानी से) एक (ज़ैतून का) पेड़ भी (हमने पैदा किया) जो कि तूरे-सीना में (कसरत से) पैदा होता है, जो कि उगता है तेल लिये हुए और खाने वालों के लिये सालन लिये हुए (यानी उसके फल से दोनों फ़ायदे हासिल होते हैं चाहे रोशन करने के और मालिश करने के काम में लाओ चाहे उसमें रोटी डुबाकर खाओ। यह उक्त सामान पानी और पेड़-पौधों से था) और (आगे हैवानात के ज़रिये इनसान के फ़ायदों और आसानियों का बयान है कि) तुम्हारे लिये मवेशियों में (भी) ग़ौर करने का मौक़ा है कि हम तुमको उनके पेट में की चीज़ (यानी दूध) पीने को देते हैं, और तुम्हारे लिये उनमें और भी बहुत-से फ़ायदे हैं (कि उनके बाल और ऊन काम आती है) और (साथ ही) उनमें से कुछ को खाते भी हो। और उन (में जो बोझ ढोने के क़ाबिल हैं उन) पर और कश्ती पर लदे-लदे फिरते (भी) हो।

मआ़रिफ़ व मसाईल

पिछली आयतों में इनसान की दुनिया व आख़िरत की फ़लाह (कामयाबी) का तरीक़ा अल्लाह तआ़ला की इबादत और उसके अहकाम की तामील में अपने ज़ाहिर व बातिन को पाक रखने और तमाम इनसानों के हुक़ूक़ अदा करने से बयान किया गया था। इन आयतों में अल्लाह जल्ल शानुहू की कामिल क़ुदरत और इनसानियत की तख़्लीक़ (पैदाईश और बनाने) में उसकी ख़ास निशानियों का ज़िक्र है, जिससे स्पष्ट हो जाये कि इनसान जिसको अ़क़्ल व शऊर हो वह इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता इख़्तियार कर ही नहीं सकता।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ٥

सुलाला के मायने हैं ख़ुलासा और **तीन** गीली मिट्टी को कहते हैं, जिसके मायने यह हैं कि ज़मीन की मिट्टी के ख़ास हिस्से और अंश निकालकर उससे इनसान को पैदा किया गया। इनसान की तख़्लीक़ (पैदाईश) की शुरूआत हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम से और उनकी तख़्लीक़ इस मिट्टी के ख़ुलासे से हुई। इसलिये शुरूआ़ती तख़्लीक़ को मिट्टी की तरफ़ मन्सूब किया गया। उसके बाद एक इनसान का नुत्फ़ा दूसरे इनसान की तख़्लीक़ (पैदाईश) का सबब बना। अगली आयत में इसी का बयान 'सुम्-म जअ़ल्नाहु नुत्फ़तन्' से फ़रमाया है। मतलब यह है कि शुरूआ़ती पैदाईश मिट्टी से हुई फिर आगे पैदाईश का सिलसिला इसी मिट्टी के लतीफ़ अंग यानी नुत्फ़े से जारी कर दिया गया। मुफ़स्सिरीन की अक्सरियत ने उक्त आयत की तफ़सीर यही लिखी है। और यह भी कहा जा सकता है कि 'सुलालतिम् मिन् तीन' से मुराद भी इनसानी नुत्फ़ा (वीर्य का क़तरा) हो क्योंकि वह ग़िज़ा से पैदा होता है और इनसानी ग़िज़ा मिट्टी से बनती है। वल्लाहु आलम

इनसानी पैदाईश के सात दौर

उपर्युक्त आयतों में इनसान की तख़्लीक़ (पैदाईश) के सात दौर ज़िक्र किये गये हैं। सबसे पहले 'सुलालतिम् मिन तीन', दूसरे दर्जे में नुत्फ़ा, तीसरे में अ़लक़ा, चौथे में मुज़्ग़ा पाँचवें में इज़ाम यानी

हड्डियाँ, छठे दौर में हड्डियों पर गोश्त चढ़ाना। सातवाँ दौर पैदाईश के पूरा होने का है यानी रूह फूँकना।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मन्क़ूल एक अजीब लतीफ़ा

तफ़सीरे क़ुर्तुबी में इस जगह हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से इसी आयत से दलील पकड़ते हुए एक अ़जीब लतीफ़ा शबे क़द्र के निर्धारण में नक़ल किया है, वह यह है कि हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने एक मर्तबा सहाबा के एक बड़े मजमे से सवाल किया कि शबे क़द्र रमज़ान की कौनसी तारीख़ में है? सब ने जवाब में सिर्फ़ इतना कहा कि 'अल्लाहु आलम' (यानी अल्लाह की को इसका इल्म है) कोई तारीख़ मुतैयन नहीं की। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु उन सब में छोटे थे, इनसे ख़िताब फ़रमाया कि आप क्या कहते हैं तो इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि अमीरुल-मोमिनीन! अल्लाह तआ़ला ने आसमान सात पैदा किये, ज़मीनें सात पैदा कीं, इनसान की पैदाईश सात दर्जों में फ़रमाई, इनसान की ग़िज़ा सात चीज़ें बनाई इसलिये मेरी समझ में तो यह आता है कि शबे क़द्र सत्ताईसवीं रात होगी। फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने दलील पकड़ने का यह अ़जीब अन्दाज़ सुनकर उन बड़े सहाबा से फ़रमाया कि आप से वह बात न हो सकी जो इस लड़के ने की, जिसके सर के बाल भी अभी मुकम्मल नहीं हुए। यह लम्बी हदीस इब्ने अबी शैबा के मुस्नद में है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने इनसानी पैदाईश के सात दर्जों से मुराद वही लिया है जो इस आयत में है, और इनसान की ग़िज़ा की सात चीज़ें सूरः अ-ब-स की आयत में हैं जो ये हैं:

فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا.

इस आयत में आठ चीज़ें ज़िक्र हुई हैं जिनमें पहली सात इनसान की ग़िज़ा हैं और आख़िरी यानी अब्ब यह जानवरों की ग़िज़ा है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

फिर इनसानी तख़्लीक़ (पैदाईश और बनावट) पर जो सात दौर गुज़रते हैं क़ुरआने करीम की बलाग़त (दिल में उतर जाने वाला और मौक़े के लिहाज़ से कलाम करना) देखिये कि उन सब को एक ही अन्दाज़ से बयान नहीं फ़रमाया बल्कि कहीं एक दौर से दूसरे दौर तक इन्क़िलाब (तब्दीली) को लफ़्ज़ 'सुम्-म' से ताबीर किया है जो कुछ देर से होने पर दलालत करता है, कहीं इस इन्क़िलाब का ज़िक्र हर्फ़ 'फ़ा' से किया है जो बिना देरी के होने पर दलालत करता है। इसमें इशारा उस तरतीब की तरफ़ है जो एक इन्क़िलाब से दूसरे इन्क़िलाब (तब्दीली) के बीच फ़ितरी तौर पर होता है कि कुछ तब्दीलियाँ इनसानी अ़क़्ल के लिहाज़ से बहुत मुश्किल और बहुत देर-तलब होती हैं। कुछ इतनी देर-तलब नहीं होतीं। चुनाँचे क़ुरआने करीम ने शुरू के तीन दौर को लफ़्ज़ 'सुम्-म' के साथ बयान किया है- अव्वल सुलाला-ए-तीन (मिट्टी का ख़ुलासा), फिर उसको नुत्फ़े की सूरत में तब्दील करना, इसको लफ़्ज़ 'सुम्-म' से बयान फ़रमाया क्योंकि मिट्टी से ग़िज़ा का पैदा होना फिर ग़िज़ा का बदन का

हिस्सा होना फिर उसमें से ख़ास हिस्से का नुत्फ़े (वीर्य के क़तरे) की सूरत में तब्दील होना इनसानी क़ियास के हिसाब से बड़ा वक़्त चाहता है। इसी तरह उसके बाद तीसरा दर्जा नुत्फ़े का गोश्त के टुकड़े की शक्ल में तब्दील होना यह भी एक लम्बा वक़्त चाहता है, इसको भी 'सुम्-म ख़लक़्नन्नुत्फ़-त अ़-ल-क़तन्' से ताबीर फ़रमाया। इसके बाद के तीन दौर अ़-लक़ा से मुज़ग़ा मुज़ग़े से हड्डियाँ और हड्डियों पर गोश्त चढ़ाना इन सब का थोड़ी-थोड़ी मुद्दत में हो जाना कुछ मुश्किल और दूर की बात नहीं मालूम होता तो इन तीनों को हर्फ़ 'फ़ा' से बयान फ़रमाया है। फिर आख़िरी दौर जो रूह फूँकने और ज़िन्दगी पैदा करने का है उसको भी लफ़्ज़ 'सुम्-म' से ताबीर फ़रमाया, क्योंकि एक ग़ैर-जानदार में रूह और ज़िन्दगी पैदा करना अ़क्ल के अन्दाज़े में बड़ी मुद्दत चाहता है, इसलिये यहाँ फिर लफ़्ज़ 'सुम्-म' लाया गया।

ख़ुलासा यह है कि एक दौर से दूसरे दौर की तरफ़ इन्क़िलाब (तब्दीली) जिन सूरतों में इनसानी अ़क्ल व क़ियास के मुताबिक़ देर-तलब और मुद्दत का काम था वहाँ लफ़्ज़ 'सुम्-म' से इसकी तरफ़ इशारा कर दिया गया और जहाँ आ़म इनसानी अन्दाज़े के एतिबार से ज़्यादा मुद्दत दरकार नहीं थी वहाँ हर्फ़ 'फ़ा' से ताबीर करके उसकी तरफ़ इशारा कर दिया गया। इसलिये इस पर उस हदीस से शुब्हा नहीं हो सकता जिसमें यह बयान फ़रमाया है कि हर दौर से दूसरे दौर तक पहुँचने और तब्दील होने में चालीस-चालीस दिन ख़र्च होते हैं, क्योंकि यह अल्लाह तआ़ला की कामिल क़ुदरत का काम है जो इनसानी समझ व क़ियास के ताबे नहीं।

इनसानी पैदाईश का आख़िरी मक़ाम यानी उसमें रूह व ज़िन्दगी पैदा करना

इसका बयान क़ुरआने करीम ने एक ख़ास और विशेष अन्दाज़ से इस तरह फ़रमायाः

ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ.

यानी फिर हमने उसको एक ख़ास क़िस्म की दूसरी पैदाईश अ़ता की। इस विशेष बयान की वजह यह है कि पहले छह दौर पैदाईश के इस अ़नासिर (तत्वों) और माद्दी आ़लम से और उनमें इन्क़िलाब व तब्दीली से संबन्धित थे और यह आख़िरी सातवाँ दौर दूसरे आ़लम यानी रूहों के आ़लम से रूह को उसके जिस्म में मुन्तक़िल करने का दौर था, इसलिये इसको 'ख़ल्क़न् आख़-र' (एक नई सूरत व पैदाईश) से ताबीर किया गया।

असली रूह और हैवानी रूह

यहाँ 'ख़ल्क़न् आख़-र' की तफ़सीर हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु, इमाम मुजाहिद, इमाम शाबी, इक्रिमा, ज़स्हाक और अबुल-आ़लिया रह. वग़ैरह ने रूह के फूँके जाने से फ़रमाई है। तफ़सीरे मज़हरी में है कि ग़ालिबन मुराद इस रूह से रूह-ए-हैवानी है, कि वह भी माद्दी और एक लतीफ़ जिस्म है जो हैवानी जिस्म के हर-हर अंग में समाई हुई होती है, जिसको तबीब (हकीम) और फ़ल्सफ़ी

हज़रात रूह कहते हैं। उसकी तख़्लीक़ (पैदाईश) भी तमाम इनसानी अंगों की तख़्लीक़ के बाद होती है, इसलिये उसको लफ़्ज़ 'सुम्-म' से ताबीर फ़रमाया है। और असली रूह जिसका ताल्लुक़ रूहों के जहान से है, वहीं से लाकर उस हैवानी रूह के साथ उसका कोई ताल्लुक़ और जोड़ हक़ तआ़ला अपनी क़ुदरत से पैदा फ़रमा देते हैं जिसकी हक़ीक़त का पहचानना इनसान के बस का नहीं। इस असली रूह की तख़्लीक़ तो तमाम इनसानों की तख़्लीक़ से बहुत पहले है, उन्हीं रूहों को हक़ तआ़ला ने अज़ल (कायनात के पहले दिन) में जमा करके 'अलस्तु बि-रब्बिकुम्' (क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ?) फ़रमाया और सब ने 'बला' (हाँ बेशक) के लफ़्ज़ से अल्लाह तआ़ला के रब होने का इक़रार किया। हाँ इसका ताल्लुक़ इनसानी जिस्म के साथ बदनी हिस्सों की बनावट के बाद होता है। इस जगह रूह फूँकने से अगर यह मुराद लिया जाये कि हैवानी रूह के साथ असली रूह का ताल्लुक़ उस वक़्त क़ायम फ़रमाया गया तो यह भी मुम्किन है, और दर हक़ीक़त इनसानी ज़िन्दगी इसी असली रूह से मुताल्लिक़ (संबन्धित) है, जब इसका ताल्लुक़ हैवानी रूह के साथ हो जाता है तो इनसान ज़िन्दा कहलाता है, जब टूट जाता है तो इनसान मुर्दा कहलाता है। वह हैवानी रूह भी अपना अ़मल छोड़ देती है।

فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ۝

ख़ल्क़ व **तख़्लीक़** के असली मायने किसी चीज़ को नये सिरे से बग़ैर किसी पहले के माद्दे के पैदा करना है जो हक़ तआ़ला जल्ल शानुहू की ख़ास सिफ़त है। इस मायने के एतिबार से **ख़ालिक़** सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला ही है कोई दूसरा शख़्स फ़रिश्ता हो या इनसान किसी अदना चीज़ का भी ख़ालिक़ नहीं हो सकता। लेकिन कभी-कभी यह लफ़्ज़ **ख़ल्क़** व **तख़्लीक़** कारीगरी के मायने में भी इस्तेमाल किया जाता है और कारीगरी की हक़ीक़त इससे ज़्यादा नहीं कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने जो माद्दे और अ़नासिर (तत्व) इस जहान में अपनी कामिल क़ुदरत से पैदा फ़रमा दिये हैं उनको जोड़-तोड़कर एक दूसरे के साथ मिश्रित करके एक नई चीज़ बना दी जाये। यह काम हर इनसान कर सकता है और इसी मायने के लिहाज़ से किसी इनसान को भी किसी ख़ास चीज़ का ख़ालिक़ कह दिया जाता है। ख़ुद क़ुरआने करीम ने फ़रमायाः

تَخْلُقُوْنَ اِفْكًا

(झूठी बातें तराशते हो) और हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के बारे में फ़रमायाः

اَنِّيْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ

(मैं तुम लोगों के लिये गारे से ऐसी शक्ल बनाता हूँ जैसी परिन्दे की शक्ल होती है) इन तमाम मौक़ों में लफ़्ज़ **ख़ल्क़** असल मायनों से हटकर कारीगरी और बनाने के मायने में बोला गया है।

इसी तरह यहाँ लफ़्ज़ 'ख़ालिक़ीन' जमा (बहुवचन) के कलिमे के साथ इसी लिये लाया गया है कि आ़म इनसान जो अपनी कारीगरी के एतिबार से अपने को किसी चीज़ का ख़ालिक़ समझते हैं अगर उनको असल मायनों से हटकर दूसरे मायनों में ख़ालिक़ कहा भी जाये तो अल्लाह तआ़ला इन सब ख़ालिक़ों यानी कारीगरों और बनाने वालों में सबसे बेहतर कारीगरी करने वाले हैं। वल्लाहु आलम

ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ○

पिछली तीन आयतों में इनसान की शुरूआत यानी उसकी पैदाईश का ज़िक्र था, अब दो आयतों में उसके आख़िर यानी अन्जाम का ज़िक्र है। उक्त आयत में फ़रमाया कि फिर तुम सब इस दुनिया में आने और रहने के बाद मौत से दोचार होने वाले हो जिससे कोई अलग और बाहर नहीं हो सकता। फिर फ़रमाया कि:

ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ○

यानी मरने के बाद फिर क़ियामत के दिन तुम सब ज़िन्दा करके उठाये जाओगे ताकि तुम्हारे आमाल का हिसाब लेकर असली ठिकाने जन्नत या दोज़ख़ तक पहुँचा दिया जाये। यह इनसान का अन्जाम हुआ, आगे आग़ाज़ व अन्जाम यानी शुरूआत व आख़िर के बीच के हालात और उनमें इनसान पर हक़ तआ़ला के एहसानात व इनामात की थोड़ी सी तफ़सील है जिसको अगली आयत में आसमान के बनाने के ज़िक्र से शुरू फ़रमाया है।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ

'तराइक़' तरी-क़तु की जमा (बहुवचन) है इसको तब्क़े के मायने में भी लिया जा सकता है जिसके मायने यह होंगे कि तह-ब-तह सात आसमान तुम्हारे ऊपर बनाये गये। और तरीक़े के मशहूर मायने रास्ते के हैं, यह मायने भी हो सकते हैं कि ये सब आसमान फ़रिश्तों के गुज़रने की जगहें हैं जो अल्लाह के अहकाम लेकर ज़मीन पर आते जाते हैं।

وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ○

इसमें यह बतलाया कि हमने इनसान को सिर्फ़ पैदा करके नहीं छोड़ दिया और उससे ग़ाफ़िल नहीं हो सकते, बल्कि उसके पालन-पौषण, फलने-फूलने, रहने-सहने और आराम व राहत के सामान भी मुहैया किये। जिसकी शुरूआ़त आसमानों की तख़्लीक़ (पैदाईश) से हुई। फिर आसमान से बारिश बरसाकर इनसान के लिये ग़िज़ा और उसकी सहूलत व आराम का सामान फलों फूलों से पैदा किया जिसका ज़िक्र बाद की आयत में इस तरह फ़रमाया।

इनसानों को पानी पहुँचाने का अ़जीब व ग़रीब क़ुदरती सिस्टम

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۢ بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ. وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ ۢ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ○

इस आयत में आसमान से पानी बरसाने के ज़िक्र के साथ एक क़ैद 'बि-क़-दरिन्' की बढ़ाकर इस तरफ़ इशारा कर दिया कि इनसान ऐसा पैदाईशी कमज़ोर है कि जो चीज़ें उसके लिये ज़िन्दगी का मदार हैं अगर वो निर्धारित मात्रा से ज़ायद हो जायें तो वही उसके लिये वबाले जान और अ़ज़ाब बन जाती हैं। पानी जैसी चीज़ जिसके बग़ैर कोई इनसान व हैवान ज़िन्दा नहीं रह सकता अगर ज़रूरत से ज़्यादा बरस जाये तो तूफ़ान आ जाता है और इनसान और उसके सामान के लिये वबाल व अ़ज़ाब

बन जाता है। इसलिये आसमान से पानी बरसाना भी एक ख़ास पैमाने से होता है जो इनसान की ज़रूरत पूरी कर दे, और तूफ़ान की सूरत इख़्तियार न करे, सिवाय उन ख़ास मक़ामात के जिन पर अल्लाह तआ़ला की हिक्मत का तक़ाज़ा ही किसी वजह से तूफ़ान मुसल्लत करने का सबब हो जाये।

इसके बाद बड़ा ग़ौर-तलब मसला यह था कि पानी अगर रोज़ाना की ज़रूरत का रोज़ाना बरसा करे तो भी इनसान मुसीबत में आ जाये, रोज़ की बारिश उसके कारोबार और मिज़ाज के ख़िलाफ़ है। और अगर साल भर या छह महीने या तीन महीने की ज़रूरत का पानी एक दफ़ा बरसाया जाये और लोगों को हुक्म हो कि अपना-अपना कोटा पानी का छह महीने के लिये जमा करके रखो और इस्तेमाल करते रहो तो हर इनसान क्या अक्सर इनसान भी इतने पानी के जमा रखने का इन्तिज़ाम कैसे करें, और किसी तरह बड़े हौज़ों और गढ़ों में भर लेने का इन्तिज़ाम भी कर लें तो चन्द दिन के बाद यह पानी सड़ जायेगा जिसे पीना बल्कि इस्तेमाल करना भी दुश्वार हो जायेगा। इसलिये अल्लाह की क़ुदरत ने इसका निज़ाम यह बनाया कि पानी जिस वक़्त बरसता है उस वक़्त वक़्ती तौर पर जितने दरख़्त और ज़मीनें सैराबी के क़ाबिल हैं वह सैराब हो जाते हैं फिर ज़मीन के मुख़्तलिफ़ तालाबों, हौज़ों, क़ुदरती गढ़ों में यह पानी जमा रहता है जिसको इनसान और जानवर ज़रूरत के वक़्त इस्तेमाल करते हैं। मगर ज़ाहिर है यह पानी चन्द दिन में ख़त्म हो जाता है। मुस्तक़िल तौर पर रोज़ाना इनसान को ताज़ा पानी किस तरह पहुँचे जो हर ख़ित्ते के बाशिन्दों को मिल सके? इसका निज़ाम क़ुदरत ने यह बनाया कि पानी का बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ़ की सूरत में एक जमा हुआ समन्दर बनाकर पहाड़ों के सरों पर ऐसी पाक-साफ़ फ़ज़ा में रख दिया जहाँ न गर्द व ग़ुबार की रसाई न किसी आदमी और जानवर की, और जिसमें न सड़ने की संभावना है न उसके नापाक या ख़राब होने की कोई सूरत है।

फिर यह बर्फ़ का पानी आहिस्ता-आहिस्ता रिस-रिसकर पहाड़ों की रगों के ज़रिये ज़मीन के अन्दर फैलता है और यह क़ुदरती पाईप लाईन पूरी ज़मीन के गोशे-गोशे में पहुँच जाती है, जहाँ से कुछ तो चश्मे ख़ुद फूट निकलते हैं और नदी नाले और नहरों की शक्ल में ज़मीन पर बहने लगते हैं, ताज़ा ताज़ा जारी पानी करोड़ों इनसानों और जानवरों को सैराब करता है, और कुछ यही पहाड़ी बर्फ़ से बहने वाला पानी ज़मीन की तह में उतरकर नीचे-नीचे बहता रहता है और इसको कुआँ खोदकर हर जगह निकाला जा सकता है। क़ुरआने करीम की उक्त आयत में इस पूरे निज़ाम को एक लफ़्ज़ 'फ़-अस्कन्नाहु फ़िल्अर्ज़ि' से बयान फ़रमा दिया है। आख़िर में इस तरफ़ भी इशारा कर दिया कि ज़मीन की तह से जो पानी कुओं के ज़रिये निकाला जाता है यह भी क़ुदरत की तरफ़ से आसानी है कि बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं बल्कि थोड़ी गहराई में यह पानी रखा गया है, वरना यह भी मुम्किन था बल्कि पानी की तबई ख़ासियत का तक़ाज़ा यही था कि यह पानी ज़मीन की गहराई में उतरता चला जाता, जहाँ तक इनसान की रसाई मुम्किन नहीं। इसी मज़मून को आयत के आख़िरी जुमले में इरशाद फ़रमायाः

وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ○

(यानी हम उसके लेजाने और ख़त्म कर देने पर भी क़ादिर हैं) आगे पानी के ज़रिये पैदा होने

वाली ख़ास-ख़ास चीज़ों को अरब वालों के मिज़ाज व रुझान के मुताबिक़ ज़िक्र फ़रमाया कि खजूर और अंगूर के बाग़ात उससे पैदा हुए और दूसरे फलों को एक आम लफ़्ज़ में जमा करके ज़िक्र फ़रमायाः

لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ.

यानी उन बाग़ों में भी तुम्हारे लिये खजूर व अंगूर के अलावा हज़ारों क़िस्म के फल पैदा किये जिनको तुम महज़ तफ़रीही और शौक़िया तौर पर भी खाते हो और उनमें से कुछ फलों का ज़ख़ीरा करके तुम्हारी मुस्तक़िल ग़िज़ा भी उनसे तैयार होती है 'व मिन्हा तअ्कुलून' का यही मतलब है। आगे ख़ुसूसियत से ज़ैतून और उसके तेल के पैदा करने का ज़िक्र फ़रमाया क्योंकि उसके फ़ायदे बेशुमार हैं। और चूँकि ज़ैतून के पेड़ तूर पहाड़ पर ज़्यादा पैदा होते हैं इसलिये उसकी तरफ़ निस्बत कर दी गयीः

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَآءَ.

'सैना' और 'सीनीन' उस स्थान का नाम है जिसमें तूर पहाड़ स्थित है। ज़ैतून का तेल, तेल की ज़रूरतें जैसे बदन की मालिश और चिराग़ में जलाने के भी काम आता है और खाने में सालन का भी काम देता है। इसी को फ़रमायाः

تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ ۝

ज़ैतून के पेड़ के लिये तूर पहाड़ की ख़ुसूसियत यह है कि यह दरख़्त सबसे पहले तूर पहाड़ ही पर पैदा हुआ है, और कुछ हज़रात ने कहा कि तूफ़ाने नूह के बाद सबसे पहला पेड़ जो ज़मीन पर उगा है वह ज़ैतून था। (तफ़सीरे मज़हरी)

इसके बाद उन नेमतों का ज़िक्र फ़रमाया जो अल्लाह तआ़ला ने जानवरों, चौपायों के ज़रिये इनसान को अ़ता फ़रमाईं ताकि इनसान उनसे इब्रत हासिल करे और हक़ तआ़ला की कामिल क़ुदरत और पूर्ण रहमत पर दलील पकड़कर तौहीद व इबादत में मशग़ूल हो। इसी लिये फ़रमायाः

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً.

यानी तुम्हारे लिये चौपाये जानवरों में एक इब्रत व नसीहत है। आगे इसकी कुछ तफ़सील इस तरह बतलाईः

نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا.

कि उन जानवरों के पेट में हमने तुम्हारे लिये पाकीज़ा दूध तैयार किया जो इनसान की बेहतरीन ग़िज़ा है। और फिर फ़रमाया कि सिर्फ़ दूध ही नहीं उन जानवरों में तुम्हारे लिये बहुत से (बेशुमार) फ़ायदे और लाभ हैं। फ़रमाया 'व लकुम् फ़ीहा मनाफ़िअ़ु कसीरतुन्'।

ग़ौर करो तो जानवरों के जिस्म का एक-एक अंग रुवाँ-रुवाँ इनसान के काम आता है और उससे इनसान के गुज़ारे और ज़िन्दगी बिताने के लिये बेशुमार क़िस्म के सामान तैयार होते हैं। जानवरों के बाल, हड्डी, आँतें, पट्ठे और सभी अंगों से इनसान अपनी रहन-सहन और गुज़ारे के कितने सामान बनाता और तैयार करता है। इसका शुमार भी मुश्किल है, उन बेशुमार फ़ायदों के अलावा एक बड़ा नफ़ा यह भी है कि उनमें से जो जानवर हलाल हैं उनका गोश्त भी इनसान की बेहतरीन ग़िज़ा है,

जैसा कि फ़रमाया 'व मिन्हा तअ्कुलून'।

आख़िर में उन जानवरों का एक और बड़ा फ़ायदा ज़िक्र किया गया कि तुम उन पर सवार भी होते हो और बोझ ढोने का भी उनसे काम लेते हो। इस आख़िरी फ़ायदे में चूँकि जानवरों के साथ दरिया में चलने वाली कश्तियाँ भी शरीक हैं कि सवारी और सामान ढोने का बड़ा काम उनसे निकलता है, इसलिये कश्तियों को भी इसके साथ ज़िक्र फ़रमा दिया। चुनाँचे फ़रमायाः

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۝

फ़ुल्क यानी कश्तियों ही के हुक्म में वो तमाम सवारियाँ भी हैं जो पहियों के ज़रिये चलने वाली हैं।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ۝ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ۝ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۙ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ۝ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ۝ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ۝

व ल-क़द् अरसल्ना नूहन् इला क़ौमिही फ़क़ा-ल या क़ौमिअ़्बुदुल्ला-ह मा लकुम् मिन् इलाहिन् ग़ैरुहू, अ-फ़ला तत्तक़ून (23) फ़क़ालल्-म-लउल्लज़ी-न क-फ़रू मिन् क़ौमिही मा हाज़ा इल्ला ब-शरुम्-मिस्लुकुम् युरीदु अंय्य-तफ़ज़्ज़-ल अ़लैकुम्, व लौ शा-अल्लाहु ल-अन्ज़-ल मलाइ-कतम् मा समिअ़्ना बिहाज़ा फ़ी आबाइनल्-अव्वलीन (24) इन्	और हमने भेजा नूह को उसकी क़ौम के पास तो उसने कहा ऐ क़ौम! बन्दगी करो अल्लाह की तुम्हारा कोई हाकिम नहीं उसके सिवा, क्या तुम डरते नहीं। (23) तब बोले सरदार जो काफ़िर थे उसकी क़ौम में- यह क्या है आदमी है जैसे तुम, चाहता है कि बड़ाई करे तुम पर और अगर अल्लाह चाहता तो उतारता फ़रिश्ते, हमने यह नहीं सुना अपने अगले बाप दादों में। (24) और कुछ नहीं यह एक

हु-व इल्ला रजुलुम्-बिही जिन्नतुन् फ़-तरब्बसू बिही हत्ता हीन (25) क़ा-ल रब्बिन्सुरनी बिमा कज़्ज़बून (26) फ़-औहैना इलैहि अनिस्नअिल्-फ़ुल्-क बि-अअ्युनिना व वह्यिना फ़-इज़ा जा-अ अम्रुना व फ़ारत्तन्नूरु फ़स्लुक् फ़ीहा मिन् कुल्लिन् ज़ौजैनिस्नैनि व अह्ल-क इल्ला मन् स-ब-क़ अ़लैहिल्-क़ौलु मिन्हुम् व ला तुख़ातिब्नी फ़िल्लज़ी-न ज़-लमू इन्नहुम्-मुग़्रक़ून (27) फ़-इज़स्तवै-त अन्-त व मम्म-अ़-क अ़लल्-फ़ुल्कि फ़क़ुलिल्-हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल्-क़ौमिज़्ज़ालिमीन (28) व क़ुर्रब्बि अन्ज़िल्नी मुन्ज़-लम् मुबा-रकंव्-व अन्-त ख़ैरुल्-मुन्ज़िलीन (29) इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिंव्-व इन् कुन्ना लमुब्तलीन (30)

मर्द है कि इसको सौदा है, सो राह देखो इसकी एक वक़्त तक। (25) बोला ऐ रब! तू मदद कर मेरी कि उन्होंने मुझको झुठलाया। (26) फिर हमने हुक्म भेजा उसको कि बना कश्ती हमारी आँखों के सामने और हमारे हुक्म से, फिर ज़ब पहुँचे हमारा हुक्म और उबले तन्नूर तो तू डाल ले कश्ती में हर चीज़ का जोड़ा दो-दो और अपने घर के लोग मगर जिसकी क़िस्मत में पहले से ठहर चुकी है बात, और मुझसे बात न कर उन ज़ालिमों के वास्ते, बेशक उनको डूबना है। (27) फिर जब चढ़ चुके तू और जो तेरे साथ हैं कश्ती पर तो कह- शुक्र अल्लाह का जिसने छुड़ाया हमको गुनाहगार लोगों से (28) और कह ऐ रब! उतार मुझको बरकत का उतारना, और तू है बेहतर उतारने वाला। (29) इसमें निशानियाँ हैं और हम हैं जाँचने वाले। (30)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(इससे पहली आयतों में इनसान की पैदाईश और उसकी बक़ा व सहूलत के लिये मुख़्तलिफ़ क़िस्म के सामान पैदा करने का ज़िक्र था, आगे उसकी रूहानी तरबियत और दीनी फ़लाह का जो इन्तिज़ाम फ़रमाया उसका ज़िक्र है) और हमने नूह (अ़लैहिस्सलाम) को उनकी क़ौम की तरफ़ पैग़म्बर बनाकर भेजा, सो उन्होंने (अपनी क़ौम से) फ़रमाया ऐ मेरी क़ौम! अल्लाह ही की इबादत किया करो, उसके सिवा कोई तुम्हारे लिये माबूद बनाने के लायक़ नहीं (और जब यह एक बात साबित है तो)

फिर क्या तुम (दूसरों को माबूद बनाने से) डरते नहीं हो। पस (नूह अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर) उनकी क़ौम में जो काफ़िर सरदार थे, (अवाम से) कहने लगे कि यह शख़्स सिवाय इसके कि तुम्हारी तरह का एक (मामूली) आदमी है और कुछ (रसूल वग़ैरह) नहीं है, (इस दावे से) इनका (असल) मतलब यह है कि तुमसे बरतर होकर रहे, (यानी इसका मक़सद महज़ अपना रुतबा व इज़्ज़त बनाना है) और अल्लाह तआला को (रसूल भेजना) मन्ज़ूर होता तो (इस काम के लिये) फ़रिश्तों को भेजता, (पस दावा इनका ग़लत है, इसी तरह इनकी दावत करना तौहीद की तरफ़ यह दूसरी ग़लती है क्योंकि) हमने यह बात (कि और किसी को माबूद मत क़रार दो) अपने पहले बड़ों में (कभी) नहीं सुनी। बस यह एक आदमी है जिसको जुनून हो गया है (इस वास्ते सारी दुनिया के ख़िलाफ़ बातें करता है कि मैं रसूल हूँ और माबूद एक है) सो एक ख़ास वक़्त (यानी उसके मरने के वक़्त) तक उस (की हालत) का और इन्तिज़ार कर लो (आख़िर एक वक़्त पर पहुँचकर ख़त्म हो जायेगा और सब पाप कट जायेगा)।

नूह (अलैहिस्सलाम) ने (उनके ईमान लाने से मायूस होकर अल्लाह तआला की बारगाह में) अर्ज़ किया कि ऐ मेरे रब! (इनसे) मेरा बदला ले, इस वजह से कि इन्होंने मुझको झुठलाया है। पस हमने (उनकी दुआ क़ुबूल की और) उनके पास हुक्म भेजा कि तुम कश्ती तैयार कर लो हमारी निगरानी में और हमारे हुक्म से (कि अब तूफ़ान आयेगा और तुम और मोमिन लोग उसके ज़रिये महफ़ूज़ रहोगे)। फिर जिस वक़्त हमारा हुक्म (अज़ाब का क़रीब) आ पहुँचे और (निशानी उसकी यह है कि) ज़मीन से पानी उबलना शुरू हो तो (उस वक़्त) हर क़िस्म (के जानवरों) में से (जो कि इनसान के लिये कारामद हैं और पानी में ज़िन्दा नहीं रह सकते, जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल, ऊँट घोड़ा, गधा वग़ैरह) एक-एक नर और एक-एक मादा यानी दो-दो अदद उस (कश्ती) में दाख़िल कर लो, और अपने घर वालों को भी (सवार कर लो) उसको छोड़कर जिस पर उनमें से (ग़र्क़ होने का) हुक्म नाफ़िज़ हो चुका है (यानी आपके घर वालों में जो काफ़िर हो उसको मत सवार करो)। और (यह सुन लो कि अज़ाब आने के वक़्त) मुझसे काफ़िरों (की निजात) के बारे में कुछ गुफ़्तगू मत करना (क्योंकि) वे सब ग़र्क़ किये जाएँगे। फिर जिस वक़्त तुम और तुम्हारे साथी (मुसलमान) कश्ती में बैठ चुको तो यूँ कहना कि शुक्र है ख़ुदा का जिसने हमको काफ़िर लोगों से (यानी उनके फ़ेलों से और उनके वबाल से) निजात दी। और (जब तूफ़ान ख़त्म होने के बाद कश्ती से ज़मीन पर आने लगो तो) यूँ कहना कि ऐ मेरे रब! मुझको (ज़मीन पर) बरकत का उतारना उतारियो, (यानी ज़ाहिरी व बातिनी इत्मीनान के साथ रखियो) और आप सब (अपने पास बतौर मेहमानी के) उतारने वालों से अच्छे हैं। (यानी और लोग जो मेहमान को उतार लेते हैं वे अपने मेहमान का मक़सद पूरा करने और मुसीबतों से निजात दिलाने पर क़ुदरत नहीं रखते, आपको इन सब चीज़ों पर क़ुदरत है)।

इस (ज़िक्र हुए वाक़िए) में (अक़्ल वालों के लिये हमारी क़ुदरत की) बहुत-सी निशानियाँ हैं, और हम (ये निशानियाँ मालूम कराकर अपने बन्दों को) आज़माते हैं (कि देखें कौन इनसे नफ़ा उठाता है कौन नहीं उठाता, और निशानियाँ ये हैं- रसूल भेजना, ईमान वालों को बचा लेना, काफ़िरों को हलाक कर देना, एक दम और अचानक तूफ़ान पैदा कर देना, कश्ती को महफ़ूज़ रखना वग़ैरह-वग़ैरह)।

मआरिफ़ व मसाईल

وَفَارَ التَّنُّوْرُ.

'तन्नूर' उस ख़ास जगह को भी कहा जाता है जो रोटी पकाने के लिये बनाई जाती है और यही मायने परिचित व मशहूर हैं। दूसरे मायने में तन्नूर पूरी ज़मीन के लिये भी बोला जाता है। ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में इसी मायने के एतिबार से तर्जुमा किया गया है। और कुछ हज़रात ने इससे एक ख़ास तन्नूर रोटी पकाने वाला (यानी तन्दूर) मुराद लिया है जो कूफ़ा की मस्जिद में और कुछ हज़रात के नज़दीक मुल्क शाम में किसी जगह था। उस तन्नूर से पानी उबलने लगना यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिये तूफ़ान की निशानी क़रार दी गयी थी। (तफ़सीरे मज़हरी) हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके तूफ़ान और क़श्ती का वाक़िआ पिछली सूरतों में तफ़सील से गुज़र चुका है।

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ۝ فَأَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۖ أَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ وَأَتْرَفْنٰهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ مَا هٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ ۝ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ۝ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا أَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ ۝ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ ۝ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ِۨافْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا وَّمَا نَحْنُ لَهٗ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ۝ قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نٰدِمِيْنَ ۝ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَآءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

सुम्-म अन्शअ्ना मिम्-बअ्दिहिम् क़र्नन् आख़रीन (31) फ़-अर्सल्ना फ़ीहिम् रसूलम्मिन्हुम् अनिअ्बुदुल्ला-ह मा लकुम् मिन् इलाहिन् ग़ैरुहू, अ-फ़ला तत्तक़ून (32) ✿	फिर पैदा की हमने उनसे बाद एक जमाअ़त और। (31) फिर भेजा हमने उन में एक रसूल उनमें का कि बन्दगी करो अल्लाह की, कोई नहीं तुम्हारा हाकिम उसके सिवा, फिर क्या तुम डरते नहीं। (32) ✿
व क़ालल्-मल-उ मिन् क़ौमिहिल्लज़ी-न क-फ़रू व कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्-आख़िरति व अत्रफ़्नाहुम् फ़िल्-	और बोले सरदार उसकी क़ौम के जो काफ़िर थे और झुठलाते थे आख़िरत की मुलाक़ात को और आराम दिया था

हयातिद्दुन्या मा हाज़ा इल्ला ब-शरुम्-मिस्लुकुम् यअ्कुलु मिम्मा तअ्कुलू-न मिन्हु व यश्रबु मिम्मा तश्रबून (33) व ल-इन् अ-तअ्तुम् ब-शरम् मिस्लकुम् इन्नकुम् इज़ल्-लख़ासिरून (34) अ-यअिदुकुम् अन्नकुम् इज़ा मित्तुम् व कुन्तुम् तुराबंव्-व अिज़ामन् अन्नकुम् मुख़्रजून (35) हैहा-त हैहा-त लिमा तूअदून (36) इन् हि-य इल्ला हयातुनद्दुन्या नमूतु व नह्या व मा नह्नु बिमब्अूसीन (37) इन् हु-व इल्ला रजुलु-निफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबंव्-व मा नह्नु लहू बिमुअ्मिनीन (38) क़ा-ल रब्बिन्सुर्नी बिमा कज़्ज़बून (39) क़ा-ल अम्मा क़लीलिल्-लयुस्बिहुन्-न नादिमीन (40) फ़-अ-ख़ज़त्हुमुस्सै-हतु बिल्हक़्क़ि फ़-जअल्नाहुम् ग़ुसा-अन् फ़बुअ्दल्-लिल्क़ौमिज़्ज़ालिमीन (41)

उनको हमने दुनिया की ज़िन्दगी में, और कुछ नहीं यह एक आदमी है जैसे तुम, खाता है जिस क़िस्म से तुम खाते हो और पीता है जिस क़िस्म से तुम पीते हो। (33) और कहीं तुम चलने लगे कहने पर एक आदमी के अपने बराबर के तो तुम बेशक ख़राब हुए। (34) क्या तुमको वायदा देता है कि जब तुम मर जाओ और हो जाओ मिट्टी और हड्डियाँ तो तुमको निकलना है। (35) कहाँ हो सकता है कहाँ हो सकता है जो तुमसे वायदा होता है। (36) और कुछ नहीं यही जीना है हमारा दुनिया का, मरते हैं और जीते हैं और हमको फिर उठना नहीं। (37) और कुछ नहीं यह एक मर्द है बाँध लाया है अल्लाह पर झूठ और इसको हम नहीं मानने वाले। (38) बोला ऐ रब! मेरी मदद कर कि इन्होंने मुझको झुठलाया। (39) फ़रमाया अब थोड़े दिनों में सुबह को रह जायेंगे पछताते। (40) फिर पकड़ा उनको चिंघाड़ ने तहक़ीक़, फिर कर दिया हमने उनको कूड़ा, सो दूर हो जायें गुनाहगार लोग। (41)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

फिर (क़ौमे नूह के बाद) हमने दूसरा गिरोह पैदा किया (मुराद आद है या समूद)। फिर हमने उनमें एक पैग़म्बर को भेजा जो उन्हीं में के थे, (मुराद हूद अ़लैहिस्सलाम या सालेह अ़लैहिस्सलाम हैं, उन पैग़म्बर ने कहा कि) तुम लोग अल्लाह तआ़ला ही की इबादत करो उसके सिवा तुम्हारा और कोई (वास्तविक) माबूद नहीं, क्या तुम (शिर्क से) डरते नहीं हो। और (उन पैग़म्बर की यह बात सुनकर)

उनकी क़ौम में जो सरदार थे, जिन्होंने (ख़ुदा और रसूल के साथ) कुफ़्र किया था और आख़िरत के आने को झुठलाया था, और हमने उनको दुनियावी ज़िन्दगी में ऐश व आराम भी दिया था, कहने लगे कि बस यह तो तुम्हारी तरह एक (मामूली) आदमी हैं, (चुनाँचे) ये वही खाते हैं जो तुम खाते हो और वही पीते हैं जो तुम पीते हो। और (जब यह तुम्हारे ही जैसे इनसान हैं तो) अगर तुम अपने जैसे एक (मामूली) आदमी के कहने पर चलने लगो तो बेशक तुम (अक़्ल के) घाटे में हो (यानी बड़ी बेवक़ूफ़ी है)। क्या यह शख़्स तुमसे कहता है कि जब तुम मर जाओगे और (मरकर) मिट्टी और हड्डियाँ हो जाओगे (चुनाँचे जब गोश्त के हिस्से ख़ाक हो जाते हैं तो हड्डियाँ बिना गोश्त के रह जाती हैं, फिर कुछ समय के बाद वो भी ख़ाक हो जाती हैं, तो यह शख़्स कहता है कि जब उस हालत पर पहुँच जाओगे) तो (फिर दोबारा ज़िन्दा करके ज़मीन से) निकाले जाओगे। (तो भला ऐसा शख़्स कहीं पैरवी व इताअ़त के क़ाबिल हो सकता है, और) बहुत ही दूर और बहुत ही दूर है जो बात तुमसे कही जाती है। बस ज़िन्दगी तो यही हमारी दुनियावी ज़िन्दगी है कि हम में कोई मरता है और कोई पैदा होता है, और हम दोबारा ज़िन्दा न किये जाएँगे। बस यह एक ऐसा शख़्स है जो अल्लाह पर झूठ बाँधता है (कि उसने मुझको रसूल बनाकर भेजा है और कोई दूसरा माबूद नहीं और क़ियामत आयेगी) और हम तो हरगिज़ इसको सच्चा न समझेंगे।

पैग़म्बर ने दुआ़ की कि ऐ मेरे रब! मेरा बदला ले, इस वजह से कि इन्होंने मुझको झुठलाया, इरशाद हुआ कि ये लोग जल्द ही शर्मिन्दा होंगे। चुनाँचे उनको एक सख़्त आवाज़ ने (या सख़्त अ़ज़ाब ने) सच्चे वायदे के मुताबिक़ (कि ये सुबह को रह जायेंगे पछताते) आ पकड़ा (जिससे वे सब हलाक हो गये)। फिर (हलाक करने के बाद) हमने उनको कूड़े-करकट (की तरह बरबाद) कर दिया, सो ख़ुदा की मार काफ़िर लोगों पर।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इससे पहली आयतों में हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम का क़िस्सा हिदायत के सिलसिले में ज़िक्र किया गया था, आगे दूसरे पैग़म्बरों और उनकी उम्मतों का कुछ हाल मुख़्तसर तौर पर बग़ैर नाम मुतैयन किये ज़िक्र किया गया है। आसार व निशानियों से हज़राते मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया कि मुराद इन उम्मतों से आ़द या समूद या दोनों हैं। आ़द क़ौम की तरफ़ हज़रत हूद अ़लैहिस्सलाम को भेजा गया था और समूद क़ौम के पैग़म्बर हज़रत सालेह अ़लैहिस्सलाम थे। इस किस्से में इन क़ौमों का हलाक होना सैहा (एक ग़ैबी सख़्त आवाज़) के ज़रिये बयान फ़रमाया है, और सख़्त ग़ैबी आवाज़ के ज़रिये हलाक होना दूसरी आयतों में क़ौमे समूद का बयान हुआ है, इससे कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि इन आयतों में 'क़र्नन् आख़रीन' से मुराद समूद हैं। मगर यह भी हो सकता है कि सैहा का लफ़्ज़ इस जगह बिना किसी शर्त के सिर्फ़ अ़ज़ाब के मायने में लिया गया हो, तो फिर यह क़ौमे आ़द के साथ भी लग सकता है। वल्लाहु आलम

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۝

(इस दुनिया की ज़िन्दगी के सिवा और कोई ज़िन्दगी नहीं। पस मरना जीना इसी दुनिया का है और फिर दोबारा ज़िन्दा होना नहीं) यही क़ौल आम काफ़िरों का है जो क़ियामत के इनकारी हैं। यह इनकार जो ज़बान से करते हैं वह तो खुले काफ़िर हैं ही, लेकिन अफ़सोस और बहुत फ़िक्र की चीज़ यह है कि अब बहुत से मुसलमानों में भी अ़मली तौर पर यह इनकार उनके हर क़ौल व फ़ेल से ज़ाहिर होता है कि आख़िरत और क़ियामत के हिसाब की तरफ़ कभी ध्यान भी नहीं होता। अल्लाह तआ़ला ईमान वालों को इस मुसीबत से निजात अ़ता फ़रमायें।

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ ۝ مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ۝ ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ؕ كُلَّمَا جَآءَ اُمَّةً رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ فَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَّجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ ۚ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝ ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ ۙ بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ ۝ فَقَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ ۝ فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ۝ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۝ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗٓ اٰيَةً وَّاٰوَيْنٰهُمَآ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ ۝

सुम्-म अन्शअ्ना मिम्-बअ्दिहिम् क़ुरूनन् आ-ख़रीन (42) मा तस्बिक़ु मिन् उम्मतिन् अ-ज-लहा व मा यस्तअ्ख़िरून (43) सुम्-म अर्सल्ना रुसु-लना तत्रा, कुल्लमा जा-अ उम्मतर्रसूलुहा कज़्ज़बूहु फ़-अत्बअ्ना बअ्-ज़हुम् बअ्ज़ंव्-व जअ़ल्नाहुम् अहादी-स फ़बुअ्दल् लिक़ौमिल्-ला युअ्मिनून (44) सुम्-म अर्सल्ना मूसा व अख़ाहु हारू-न बिआयातिना व सुल्तानिम् मुबीन (45) इला फ़िर्औ़-न व म-लइही फ़स्तक्बरू व कानू क़ौमन् आ़लीन (46) फ़क़ालू

फिर पैदा कीं हमने उनसे बाद जमाअ़तें। (42) और न आगे जाये कोई क़ौम अपने वायदे से और न पीछे रहे। (43) फिर भेजते रहे हम अपने रसूल लगातार, जहाँ पहुँचा किसी उम्मत के पास उनका रसूल उसको झुठला दिया, फिर चलाते गये हम एक के पीछे दूसरे और कर डाला उनको कहानियाँ, सो दूर हो जायें जो लोग नहीं मानते। (44) फिर भेजा हमने मूसा और उसके भाई हारून को अपनी निशानियाँ देकर और खुली सनद (45) फ़िरऔ़न और उसके सरदारों के पास फिर लगे बड़ाई करने और वे लोग ज़ोर पर चढ़ रहे थे। (46) सो बोले क्या हम मानेंगे अपनी

अनुअ्मिनु लि-ब-शरैनि मिस्लिना व क़ौमुहुमा लना आबिदून (47) फ़-कज़्ज़बूहुमा फ़कानू मिनल्-मुह्लकीन (48) व ल-क़द् आतैना मूसल्-किता-ब लअ़ल्लहुम् यह्तदून (49) व जअ़ल्नब्-न मर्य-म व उम्महू आ-यतंव्-व आवैनाहुमा इला रब्वतिन् ज़ाति क़रारिंव्-व मअ़ीन (50) ✿	बराबर के दो आदमियों को और उनकी क़ौम हमारी ताबेदार हैं। (47) फिर झुठलाया उन दोनों को फिर हो गये ग़ारत होने वालों में। (48) और हमने दी मूसा को किताब ताकि वे राह पायें। (49) और बनाया हमने मरियम के बेटे और उसकी माँ को एक निशानी, उनको ठिकाना दिया एक टीले पर जहाँ ठहरने का मौक़ा था और निथरा पानी। (50) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

फिर उन (आद या समूद) के (हलाक होने के) बाद हमने और उम्मतों को पैदा किया (जो कि रसूल को झुठलाने के सबब वे भी हलाक हुए और उनके हलाक होने की जो मुद्दत अल्लाह के इल्म में मुक़र्रर थी) कोई उम्मत (उन उम्मतों में से) अपनी (उस) तयशुदा मुद्दत से (हलाक होने) में न आगे आ सकती थी और न (उस मुद्दत से) वे लोग पीछे हट सकते थे (बल्कि ऐन वक़्त पर हलाक किये गये। ग़र्ज़ कि वे उम्मतें पहले पैदा की गईं) फिर (उनके पास) हमने अपने पैग़म्बरों को एक के बाद एक (हिदायत के लिये) भेजा, (जिस तरह वे उम्मतें एक के बाद एक पैदा हुईं मगर उनकी हालत यह हुई कि) जब कभी किसी उम्मत के पास उस उम्मत का (ख़ास) रसूल (ख़ुदा के अहकाम लेकर) आया, उन्होंने उसको झुठलाया, सो हमने (भी हलाक करने में) एक के बाद एक का नम्बर लगा दिया। और हमने उनकी कहानियाँ बना दीं (यानी वे ऐसे नेस्त व नाबूद हुए कि सिवाय कहानियों के उनका कुछ नाम व निशान न रहा) सो ख़ुदा की मार उन लोगों पर जो (अम्बिया के समझाने पर भी) ईमान न लाते थे।

फिर हमने मूसा (अ़लैहिस्सलाम) और उनके भाई हारून (अ़लैहिस्सलाम) को अपने अहकाम और खुली दलील (यानी स्पष्ट मोजिज़े जो कि नुबुव्वत की निशानी है) देकर फ़िरऔन और उसके दरबारियों के पास (भी पैग़म्बर बनाकर) भेजा (और बनी इस्राईल की तरफ़ भेजा जाना भी मालूम है), सो उन लोगों ने (उनकी तस्दीक़ व फ़रमाँबरदारी से) तकब्बुर किया, और वे लोग थे ही घमण्डी (यानी पहले ही से उनका दिमाग़ सड़ा हुआ था)। चुनाँचे वे (आपस में) कहने लगे कि क्या हम ऐसे दो शख़्सों पर जो हमारी तरह के आदमी हैं (उनमें कोई बात विशेषता की नहीं) ईमान ले आएँ (और उनके फ़रमाँबरदार बन जायें)? हालाँकि उनकी क़ौम के लोग (तो ख़ुद) हमारे हुक्म के ताबे हैं। (यानी हमको तो ख़ुद उनकी क़ौम पर सरदारी हासिल है, फिर उन दोनों के ग़लबे व सरदारी को हम कैसे तस्लीम कर सकते हैं। उन लोगों ने दीनी सरदारी को दुनियावी सरदारी पर गुमान किया कि हमको एक क़िस्म

की सरदारी यानी दुनियावी हासिल है तो दूसरी क़िस्म के भी हम ही पात्र और हक़दार हैं, और जब उनको दुनियावी सरदारी नहीं मिली तो दीनी कैसे मिल सकती है, और इस गुमान व क़ियास का ग़लत होना ज़ाहिर है)। ग़र्ज़ कि वे लोग उन दोनों को झुठलाते ही रहे पस (इस झुठलाने की वजह से) हलाक किये गये।

और (उनके हलाक होने के बाद) हमने मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को किताब (यानी तौरात) अ़ता फ़रमाई ताकि (उसके ज़रिये से) वे लोग (यानी मूसा अ़लैहिस्सलाम की क़ौम बनी इस्राईल) हिदायत पायें। और हमने (अपनी क़ुदरत व तौहीद पर दलालत के लिये और साथ ही बनी इस्राईल की हिदायत के लिये) मरियम (अ़लैहस्सलाम) के बेटे (ईसा अ़लैहिस्सलाम) को और उनकी माँ (हज़रत मरियम अ़लैहस्सलाम) को (अपनी क़ुदरत और उनके सच्चा होने की) बड़ी निशानी बनाया (कि बिना बाप के पैदा होना दोनों के बारे में बड़ी निशानी है) और (चूँकि उनको नबी बनाना मन्ज़ूर था और एक ज़ालिम बादशाह बचपन ही में उनके क़त्ल के पीछे पड़ गया था इसलिये) हमने (उससे बचाकर) उन दोनों को एक ऐसी बुलन्द ज़मीन पर लेजाकर पनाह दी जो (ग़ल्लों और मेवों के पैदा होने की वजह से) ठहरने के क़ाबिल और (नहर जारी होने के सबब) हरी-भरी जगह थी (यहाँ तक कि अमन व अमान से जवान हुए और नुबुव्वत अ़ता हुई तो तौहीद और रिसालत के दावे में उनकी तस्दीक़ ज़रूरी थी, मगर कुछ लोगों ने न की)।

يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۭ اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝ وَاِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ۝ فَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۭ كُلُّ حِزْبٍۢ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ۝ فَذَرْهُمْ فِيْ غَمْرَتِهِمْ حَتّٰى حِيْنٍ ۝ اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ ۝ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرٰتِ ۭ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ۝

या अय्युहर्रुसुलु कुलू मिनत्तय्यिबाति वअ़्मलू सालिहन्, इन्नी बिमा तअ़्मलू-न अ़लीम (51) व इन्-न हाज़िही उम्मतुकुम् उम्मतंव्-वाहि-दतंव्-व अ-न रब्बुकुम् फ़त्तक़ून (52) फ़-तक़त्तअ़ू अम्रहुम् बैनहुम् ज़ुबुरन्, कुल्लु हिज़्बिम्-बिमा लदैहिम् फ़रिहून (53) फ़-ज़र्हुम् फ़ी

ऐ रसूलो! खाओ सुथरी चीज़ें और काम करो भला, जो तुम करते हो मैं जानता हूँ। (51) और ये लोग हैं तुम्हारे दीन के सब एक दीन पर और मैं हूँ तुम्हारा रब सो मुझसे डरते रहो। (52) फिर फूट डालकर कर लिया अपना काम आपस में टुकड़े-टुकड़े, हर फ़िर्क़ा जो उनके पास है उस पर रीझ रहे हैं। (53) सो छोड़ दे उनको

ग़म्रतिहिम् हत्ता हीन (54) अ-यह्सबू-न अन्नमा नुमिद्दुहुम् बिही मिम्-मालिंव्-व बनीन (55) नुसारिअ़ु लहुम् फ़िल्-ख़ैराति, बल् ला यश्अुरून (56)	उनकी बेहोशी में डूबे हुए एक वक़्त तक। (54) क्या वे ख़्याल करते हैं कि यह जो हम उनको दिये जाते हैं माल और औलाद (55) सो दौड़-दौड़कर पहुँचा रहे हैं हम उनको भलाईयाँ, यह बात नहीं वे समझते नहीं। (56)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(हमने जिस तरह तुमको अपनी नेमतों के इस्तेमाल की इजाज़त दी और इबादत का हुक्म दिया इसी तरह सब पैग़म्बरों को और उनके माध्यम से उनकी उम्मतों को भी हुक्म दिया कि) ऐ पैग़म्बरो! तुम (और तुम्हारी उम्मतें) नफ़ीस चीज़ें खाओ (कि ख़ुदा की नेमत हैं) और (खाकर शुक्र अदा करो कि) नेक काम करो (यानी इबादत, और) मैं तुम सब के किये हुए कामों को ख़ूब जानता हूँ (तो इबादत और नेक कामों पर उनकी जज़ा और फल अ़ता करूँगा)। और (हमने उनसे यह भी कहा कि जो तरीक़ा तुम्हें अभी बताया गया है) यह है तुम्हारा तरीक़ा (जिस पर तुमको चलना और रहना वाजिब है) कि वह एक ही तरीक़ा है, (सब नबियों और उनकी उम्मतों का, किसी शरीअ़त में यह तरीक़ा नहीं बदला) और (हासिल उस तरीक़े का यह है कि) मैं तुम्हारा रब हूँ सो तुम मुझसे डरते रहो (यानी मेरे अहकाम की मुख़ालफ़त न करो, क्योंकि रब होने की हैसियत से तुम्हारा ख़ालिक़ व मालिक भी हूँ और नेमतें देने वाला होने की हैसियत से तुमको बेशुमार नेमतें भी देता हूँ। इन सब चीज़ों का तक़ाज़ा इताअ़त व फ़रमाँबरदारी है) सो (इसका नतीजा तो यह होना था कि सब एक ही उक्त तरीक़े पर रहते मगर ऐसा न किया बल्कि) उन लोगों ने अपने दीन में अपना तरीक़ा अलग-अलग करके मतभेद व विवाद पैदा कर लिया। हर गिरोह के पास जो दीन (यानी अपना बनाया हुआ तरीक़ा) है वह उसी पर मगन और ख़ुश है (उसके बातिल होने के बावजूद उसी को हक़ समझता है)। तो आप उनको उनकी जहालत में एक ख़ास वक़्त (यानी मौत तक) रहने दीजिये। (यानी उनकी जहालत पर आप ग़म न कीजिये, जब मुक़र्रर वक़्त उनकी मौत का आ जायेगा तो सब हक़ीक़त खुल जाएगी और अब जो फ़ौरी तौर पर उन पर अ़ज़ाब नहीं आता तो) क्या (इससे) ये लोग यूँ गुमान कर रहे हैं कि हम उनको जो कुछ माल व औलाद देते चले जाते हैं तो हम उनको जल्दी-जल्दी फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, (यह बात हरगिज़ नहीं) बल्कि ये लोग (इस ढील देने की वजह) नहीं जानते। (यानी यह ढील तो उनको ग़ाफ़िल होने और एक दम से पकड़ लिये जाने के तौर पर दी जा रही है जो अन्जामकार इनके लिये और ज़्यादा अ़ज़ाब का सबब बनेगी, क्योंकि हमारी मोहलत और ढील देने से ये और घमण्डी होकर सरकशी और गुनाहों में ज़्यादती करेंगे और अ़ज़ाब ज़्यादा होगा)।

मआरिफ़ व मसाईल

يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا.

लफ़्ज़ तय्यिबात के लुग़वी मायने हैं पाकीज़ा, उम्दा नफ़ीस चीज़ें। और चूँकि इस्लामी शरीअ़त में जो चीज़ें हराम कर दी गयी हैं न वो पाकीज़ा हैं न अ़क्ल रखने वालों के लिये उम्दा व पसन्दीदा, इसलिये तय्यिबात से मुराद सिर्फ़ हलाल चीज़ें हैं जो ज़ाहिरी और बातिनी हर एतिबार से पाकीज़ा व उम्दा हैं। इस आयत में यह बतलाया गया है कि तमाम अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम को अपने-अपने वक़्त में दो हिदायतें दी गयी हैं- एक यह कि खाना हलाल और पाकीज़ा खाओ, दूसरे यह कि अ़मल नेक सालेह करो। और जब नबियों को यह ख़िताब किया गया है जिनको अल्लाह ने मासूम (गुनाहों से सुरक्षित) बनाया है तो उनकी उम्मत के लोगों के लिये यह हुक्म ज़्यादा क़ाबिले एहतिमाम है और असल मक़सद भी उम्मतों ही को इस हुक्म पर चलाना है।

उलेमा ने फ़रमाया कि इन दोनों हुक्मों को एक साथ लाने में इस तरफ़ इशारा है कि हलाल ग़िज़ा का नेक अ़मल में बड़ा दख़्ल है, जब ग़िज़ा हलाल होती है तो नेक आमाल की तौफ़ीक़ ख़ुद-ब-ख़ुद होने लगती है, और ग़िज़ा हराम हो तो नेक काम का इरादा करने के बावजूद भी उसमें मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। हदीस में है कि कुछ लोग लम्बे-लम्बे सफ़र करते हैं और ग़ुबार में भरे रहते हैं फिर अल्लाह के सामने दुआ़ के लिये हाथ फैलाते हैं और या रब! या रब! पुकारते हैं मगर उनका खाना भी हराम होता है पीना भी, लिबास भी हराम से तैयार होता है और हराम ही की उनको ग़िज़ा मिलती है, ऐसे लोगों की दुआ़ कहाँ क़ुबूल हो सकती है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

इससे मालूम हुआ कि इबादत और दुआ़ के क़ुबूल होने में हलाल खाने को बड़ा दख़ल है, जब ग़िज़ा हलाल न हो तो इबादत और दुआ़ की मक़बूलियत का हक़दार बनना भी नहीं रहता।

وَاِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً.

लफ़्ज़ उम्मत एक जमाअ़त और किसी ख़ास पैग़म्बर की क़ौम के मायने में परिचित व मशहूर है और कभी यह लफ़्ज़ तरीक़े और दीन के मायने में भी आता है जैसे क़ुरआन की एक आयत है:

وَجَدْنَاۤ اٰبَآءَنَا عَلٰۤى اُمَّةٍ.

इसमें उम्मत से मुराद एक दीन और तरीक़ा है। यही मायने इस जगह भी मुराद हैं।

فَتَقَطَّعُوْۤا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا.

"ज़ुबुर" ज़बूर की जमा (बहुवचन) है जो किताब के मायने में आता है। इस मायने के एतिबार से आयत की मुराद यह है कि अल्लाह तआ़ला ने तो तमाम नबियों और उनकी उम्मतों को बुनियादी चीज़ों और अ़क़ीदों के मसाईल में एक ही दीन और तरीक़े पर चलने की हिदायत फ़रमाई थी मगर उम्मतों ने इसको न माना और आपस में विभिन्न और अनेक टुकड़े हो गये। हर एक ने अपना-अपना तरीक़ा अलग और अपनी किताब अलग बना ली। और ज़ुबुर कभी ज़ुबरा की जमा भी आती है जिसके मायने हिस्से, टुकड़े और फ़िर्क़े के हैं, यही मायने इस जगह ज़्यादा स्पष्ट हैं और आयत की

मुराद यह है कि ये लोग अक़ीदों और उसूल में भी मुख़्तलिफ़ फ़िर्क़े बन गये। लेकिन मुज्तहिद इमामों का ऊपर के मसाईल में मतभेद इसमें दाख़िल नहीं, क्योंकि उन मतभेदों से दीन व मिल्लत अलग नहीं हो जाती और ऐसा मतभेद करने वाले अलग-अलग फ़िर्क़े नहीं कहलाते। और इस इज्तिहादी और ऊपर के अहकाम के मतभेद को फ़िर्क़े बनाने का रंग देना ख़ालिस जहालत है जो किसी मुज्तहिद के नज़दीक जायज़ नहीं।

إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦١﴾ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

इन्नल्लज़ी-न हुम् मिन् ख़श्यति रब्बिहिम् मुश्फ़िक़ून (57) वल्लज़ी-न हुम् बिआयाति रब्बिहिम् युअ्मिनून (58) वल्लज़ी-न हुम् बिरब्बिहिम् ला युश्रिकून (59) वल्लज़ी-न युअ्तू-न मा आतौ व क़ुलूबुहुम् वजि-लतुन् अन्नहुम् इला रब्बिहिम् राजिअ़ून (60) उलाइ-क युसारिअ़ू-न फ़िल्-ख़ैराति व हुम् लहा साबिक़ून (61) व ला नुकल्लिफ़ु नफ़्सन् इल्ला वुस्अ़हा व लदैना किताबुंय्यन्तिक़ु बिल्हक़्क़ि व हुम् ला युज़्लमून (62)

अलबत्ता जो लोग अपने रब के ख़ौफ़ से अन्देशा रखते हैं (57) और जो लोग अपने रब की बातों पर यक़ीन करते हैं (58) और जो लोग अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं मानते (59) और जो लोग कि देते हैं जो कुछ देते हैं और उनके दिल डर रहे हैं इसलिये कि उनको अपने रब की तरफ़ लौटकर जाना है (60) वे लोग दौड़-दौड़कर लेते हैं भलाईयाँ और वे उन पर पहुँचे सबसे आगे। (61) और हम किसी पर बोझ नहीं डालते मगर उसकी गुंजाईश के मुवाफ़िक़ और हमारे पास लिखा हुआ है जो बोलता है सच और उन पर ज़ुल्म न होगा। (62)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग अपने रब की हैबत से डरते रहते हैं और जो लोग अपने रब की आयतों पर ईमान रखते हैं, और जो लोग अपने रब के साथ शिर्क नहीं करते हैं, और जो लोग (अल्लाह की राह में) देते हैं जो कुछ देते हैं, और (बावजूद अल्लाह की राह में देने और ख़र्च करने

के) उनके दिल इससे ख़ौफ़ज़दा होते हैं कि वे अपने रब के पास जाने वाले हैं (देखिये वहाँ जाकर इन सदक़ों का क्या नतीजा ज़ाहिर हो, कहीं ऐसा न हो कि यह देना हुक्म के मुवाफ़िक़ न हो मसलन माल हलाल न हो, या नीयत अल्लाह के लिये ख़ालिस न हो, और नीयत में कामिल इख़्लास न होना या माल का हराम होना हमें मालूम न हो तो उल्टा उस पर पकड़ होने लगे, तो जिन लोगों में ये सिफ़ात हों) ये लोग (अलबत्ता) अपने फ़ायदे जल्दी-जल्दी हासिल कर रहे हैं, और वे उनकी तरफ़ दौड़ते हैं, और (यह ज़िक्र हुए आमाल कुछ सख़्त नहीं जिनका करना मुश्किल हो, क्योंकि) हम किसी को उसकी वुस्अत व गुंजाईश से ज़्यादा काम करने को नहीं कहते (इसलिये ये सब काम आसान हैं और इसके साथ उनका अच्छा अन्जाम और फल यक़ीनी है, क्योंकि) हमारे पास (नामा-ए-आमाल का) एक दफ़्तर (महफ़ूज़) है जो ठीक-ठीक (सब का हाल) बता देगा और लोगों पर ज़रा भी ज़ुल्म न होगा।

मआरिफ़ व मसाईल

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ

लफ़्ज़ 'युअ्तू-न' 'ईता' से निकला है जिसके मायने देने और ख़र्च करने के हैं, इसलिये इसकी तफ़सीर सदक़ों के साथ की गयी है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से इसकी एक क़िराअत 'यअ्तू-न मा अतौ' भी मन्क़ूल है, यानी अमल करते हैं जो कुछ करते हैं। इसमें सदक़े, नमाज़, रोज़ा और तमाम नेक काम शामिल हो जाते हैं, और मशहूर क़िराअत पर अगरचे ज़िक्र यहाँ सदक़ों ही का होगा मगर मुराद बहरहाल आम नेक आमाल हैं जैसा कि एक हदीस से साबित है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि मैंने इस आयत का मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मालूम किया कि यह काम करके डरने वाले लोग वे हैं जो शराब पीते या चोरी करते हैं? हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ऐ सिद्दीक़ की बेटी! यह बात नहीं बल्कि ये वे लोग हैं जो रोज़े रखते और नमाज़ें पढ़ते हैं और सदक़े देते हैं, इसके बावजूद इससे डरते रहते हैं कि शायद हमारे ये अमल अल्लाह के नज़दीक (हमारी किसी कोताही के सबब) क़ुबूल न हों, ऐसे ही लोग नेक कामों में तेज़ी दिखाते और आगे निकला करते हैं।

(अहमद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, तफ़सीरे मज़हरी)

और हज़रत हसन बसरी रह. फ़रमाते हैं कि हमने ऐसे लोग देखे हैं जो नेक अमल करके इतने डरते थे कि तुम बुरे अमल करके भी उतना नहीं डरते। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

اُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ۝

नेक कामों की तरफ़ दौड़ने से मुराद यह है कि जैसे आम लोग दुनिया के फ़ायदों के पीछे दौड़ते और दूसरों से आगे बढ़ने की फ़िक्र में रहते हैं, ये हज़रात दीन के फ़ायदों में ऐसा ही अमल करते हैं। इसी लिये वे दीन के कामों में दूसरों से आगे रहते हैं।

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ

هٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عٰمِلُونَ ﴿٦٣﴾ حَتّٰىٓ إِذَآ أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْـَٔرُونَ ﴿٦٤﴾
لَا تَجْـَٔرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُونَ ﴿٦٥﴾ قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰٓى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ ﴿٦٦﴾
مُسْتَكْبِرِينَ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُونَ ﴿٦٧﴾ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَمْ يَأْتِ اٰبَآءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾
أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُونَ ﴿٦٩﴾ أَمْ يَقُولُونَ بِهٖ جِنَّةٌ ۚ بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ
لِلْحَقِّ كٰرِهُونَ ﴿٧٠﴾ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ
فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٧١﴾ أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَّهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِينَ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّكَ
لَتَدْعُوهُمْ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُونَ ﴿٧٤﴾ وَلَوْ
رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا
لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٧٦﴾ حَتّٰىٓ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾

الربع

बल् क़ुलूबुहुम् फ़ी ग़म्रतिम्-मिन् हाज़ा व लहुम् अअ्मालुम्-मिन् दूनि ज़ालि-क हुम् लहा आ़मिलून (63) हत्ता इज़ा अख़ज़्ना मुत्रफ़ीहिम् बिल्-अ़ज़ाबि इज़ा हुम् यज्अरून (64) ला तज्अरुल्-यौ-म, इन्नकुम् मिन्ना ला तुन्सरून (65) क़द् कानत् आयाती तुत्ला अ़लैकुम् फ़कुन्तुम् अ़ला अअ्क़ाबिकुम् तन्किसून (66) मुस्तक्बिरी-न बिही सामिरन् तह्जुरून (67) अ-फ़लम् यद्दब्बरुल्-क़ौ-ल अम् जा-अहुम् मा लम् यअ्ति आबा-अहुमुल्-अव्वलीन (68) अम् लम् यअ्रिफ़ू रसूलहुम् फ़हुम् लहू

कोई नहीं! उनके दिल बेहोश हैं इस तरफ़ से और उनको और काम लग रहे हैं उसके सिवाय कि वे उनको कर रहे हैं। (63) यहाँ तक कि जब पकड़ेंगे हम उनके ख़ुशहाल लोगों को आफ़त में तभी वे लगेंगे चिल्लाने। (64) मत चिल्लाओ आजके दिन तुम हमसे छूट न सकोगे। (65) तुमको सुनाई जाती थीं मेरी आयतें तो तुम एड़ियों पर उल्टे भागते थे। (66) उससे तकब्बुर करके एक कहानी सुनाने वाले को छोड़कर चले गये। (67) सो क्या उन्होंने ध्यान नहीं किया इस कलाम में या आई है उनके पास ऐसी चीज़ जो न आई थी उनके पहले बाप-दादों के पास। (68) या पहचाना नहीं उन्होंने अपने पैग़ाम लाने वाले को, सो वे उसको

मुन्किरून (69) अम् यक़ूलू-न बिही जिन्नतुन्, बल् जा-अहुम् बिल्हक़्क़ि व अक्सरुहुम् लिल्हक़्क़ि कारिहून (70) व लवित्त-बअ़ल्हक़्क़ु अह्वा-अहुम ल-फ़-स-दतिस्समावातु वल्अर्ज़ु व मन् फ़ीहिन्-न, बल् अतैनाहुम् बिज़िक्रिहिम् फ़हुम् अ़न् ज़िक्रिहिम् मुअ्रिज़ून (71) अम् तस्अलुहुम् ख़र्जन् फ़-ख़राजु रब्बि-क ख़ैरुंव्-व हु-व ख़ैरुर्-राज़िक़ीन (72) व इन्न-क ल-तद्अूहुम इला सिरातिम्-मुस्तक़ीम (73) ❖ व इन्नल्लज़ी-न ला युअ्मिनू-न बिल्-आख़िरति अ़निस्सिराति लनाकिबून (74) व लौ रहिम्नाहुम् व कशफ़्ना मा बिहिम् मिन् ज़ुर्रिल् ल-लज्जू फ़ी तुग़्यानिहिम् यअ्महून (75) व ल-क़द् अख़ज़्नाहुम् बिल्अ़ज़ाबि फ़मस्तकानू लिरब्बिहिम् व मा य-तज़र्रअ़ून (76) हत्ता इज़ा फ़तह्ना अ़लैहिम् बाबन् ज़ा-अ़ज़ाबिन् शदीदिन् इज़ा हुम् फ़ीहि मुब्लिसून (77) ❁

ओपरा समझते हैं। (69) या कहते हैं उसको सौदा है, कोई नहीं! वह तो लाया है उनके पास सच्ची बात और उनमें बहुतों को सच्ची बात बुरी लगती है। (70) और अगर सच्चा रब चले उनकी ख़ुशी पर तो ख़राब हो जायें आसमान और ज़मीन और जो कोई उनमें है, कोई नहीं! हमने पहुँचाई है उनको उनकी नसीहत सो वे अपनी नसीहत को ध्यान नहीं करते। (71) या तू उनसे माँगता है कुछ महसूल सो महसूल तेरे रब का बेहतर है और वह है बेहतर रोज़ी देने वाला। (72) और तू तो बुलाता है उनको सीधी राह पर। (73) ❖ और जो लोग नहीं मानते आख़िरत को राह से टेढ़े हो गये हैं। (74) और अगर हम उन पर रहम करें और खोल दें जो तकलीफ़ पहुँची उनको तो भी बराबर लगे रहेंगे अपनी शरारत में बहके हुए। (75) और हमने पकड़ा था उनको आफ़त में फिर न आ़जिज़ी की अपने रब के आगे और न गिड़गिड़ाये। (76) यहाँ तक कि जब खोल दें हम उन पर दरवाज़ा एक सख़्त आफ़त का तब उसमें उनकी आस टूटेगी। (77) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(यह तो ऊपर मोमिनों की हालत सुनी मगर काफ़िर लोग ऐसे नहीं हैं) बल्कि (इसके उलट) उन

काफ़िरों के दिल इस दीन की तरफ़ से (जिसका ज़िक्र आयत 58 में है) जहालत (और शक) में (डूबे हुए) हैं (जिनका हाल ऊपर भी मालूम हो चुका आयत 54 में) और इस (जहालत व इनकार) के अलावा इन लोगों के और भी (बुरे-बुरे ख़बीस) अमल हैं जिनको (ये बराबर) करते रहते हैं। (ये लोग शिर्क और बुरे आमाल के निरंतर आदी रहेंगे) यहाँ तक कि हम जब इनके ख़ुशहाल लोगों को (जिनके पास माल व दौलत और नौकर-चाकर सब कुछ है मौत के बाद) अज़ाब में धर पकड़ेंगे (और ग़रीब गुरबा तो किस गिनती में हैं और वे तो अज़ाब से क्या बचाव कर सकते हैं। ग़र्ज़ कि जब सब पर अज़ाब नाज़िल होगा) तो फ़ौरन चिल्ला उठेंगे (और सारा इनकार व घमण्ड जिसके अब आदी हैं वह हवा हो जायेगा, उस वक़्त इनसे कहा जायेगा कि) अब मत चिल्लाओ (कि कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि) हमारी तरफ़ से तुम्हारी बिल्कुल मदद न होगी (क्योंकि यह बदले का जहान है अमल का जहान नहीं है जिसमें चिल्लाना और आजिज़ी करना मुफ़ीद हो, जो अमल का जहान और जगह थी उसमें तो तुम्हारा यह हाल था कि) मेरी आयतें तुमको पढ़-पढ़कर (रसूल की ज़बान से) सुनाई जाया करती थीं तो तुम उल्टे पाँव भागते थे तकब्बुर करते हुए, क़ुरआन का मश्ग़ला बनाते हुए, (इस क़ुरआन की शान) में बेहूदा बकते हुए (कि कोई इसको जादू कहता था कोई शे'र कहता था और मश्ग़ले का यही मतलब है। पस तुमने अमल के जहान में जैसा किया आज बदले के जहान में वैसा भुगतो। और ये लोग जो क़ुरआन को और नबी पाक को झुठला रहे हैं तो इसका क्या सबब है) क्या इन लोगों ने (अल्लाह के) इस कलाम में ग़ौर नहीं किया (जिससे इसका बेमिसाल होना ज़ाहिर हो जाता और ये ईमान ले आते) या (झुठलाने की यह वजह है कि) इनके पास ऐसी चीज़ आई है जो इनके पहले बड़ों के पास नहीं आई थी (इससे मुराद अल्लाह के अहकाम का आना है, जो कोई नई बात नहीं, हमेशा से नबियों के ज़रिये उनकी उम्मतों को यही अहकाम दिये जाते रहे हैं जैसा कि क़ुरआने करीम की सूरः अहक़ाफ़ आयत 9 में बयान किया गया है, पस झुठलाने की यह वजह भी बातिल ठहरी, और ये दो वजह तो क़ुरआन के बारे में हैं। आगे क़ुरआन वाले यानी नबी पाक के बारे में फ़रमाते हैं यानी) या (झुठलाने की वजह यह है कि) ये लोग अपने रसूल (की ईमानदारी, अमानत और सच्चाई) से वाक़िफ़ न थे इस वजह से उनके इनकारी हुए (यानी यह वजह भी बातिल है, क्योंकि आपकी सच्चाई व ईमानदारी पर सब का इत्तिफ़ाक़ था)। या (यह वजह है कि) ये लोग (नऊज़ु बिल्लाह) आपके बारे में जुनून के क़ायल हैं (सो आपका आला दर्जे का सही राय वाला होना मुसल्लम है। सो वास्तव में इनमें से कोई वजह भी माक़ूल नहीं) बल्कि (असली वजह यह है कि) यह रसूल इनके पास हक़ बात लेकर आए हैं, और इनमें अक्सर लोग हक़ से नफ़रत रखते हैं (बस सारी वजह यह है झुठलाने और हक़ की पैरवी न करने की। और ये लोग उस दीने हक़ की पैरवी तो क्या करते ये तो और उल्टा यह चाहते हैं कि वह दीने हक़ ही इनके ख़्यालात के ताबे कर दिया जाये और जो मज़ामीन क़ुरआन में इनके ख़िलाफ़ हैं उनको निकाल दिया या उनमें संशोधन कर दिया जाये जैसा कि सूरः यूनुस की आयत 15 के अन्दर अल्लाह तआ़ला ने उनकी यह बात बयान कर दी है)।

और (अगरचे यह मुहाल है लेकिन थोड़ी देर के लिये मान लो कि) अगर (ऐसा मामला उत्पन्न हो जाता) और दीने हक़ उनके ख़्यालात के ताबे (और मुवाफ़िक़) हो जाता तो (तमाम आ़लम में कुफ़्र

व शिर्क फैल जाता और उसका असर यह होता कि हक़ तआ़ला का ग़ज़ब तमाम आ़लम पर मुतवज्जह हो जाता, और फिर उससे यह होता कि) तमाम आसमान और ज़मीन और जो उनमें (आबाद) हैं सब तबाह हो जाते (जैसा कि क़ियामत में तमाम इनसानों में गुमराही आ़म हो जाने के सबब अल्लाह तआ़ला का ग़ज़ब भी सब पर आ़म होगा और अल्लाह का ग़ज़ब आ़म होने से सब की हलाकत भी आ़म होगी, और अव्वल तो किसी मामले का हक़ होना चाहता है कि उसको लाज़िमी तौर पर क़ुबूल किया जाये चाहे उसमें नफ़ा भी न हो, और उसका क़ुबूल न करना ख़ुद ऐब है, मगर इन लोगों में सिर्फ़ यही एक ऐब नहीं कि हक़ को बुरा समझते हों) बल्कि (इससे बढ़कर दूसरा ऐब और भी है कि हक़ की पैरवी जो इन्हीं के फ़ायदे का सामान है उससे दूर भागते हैं, बस) हमने इनके पास इनकी नसीहत (और नफ़े) की बात भेजी, सो ये लोग अपनी (नफ़े वाली) नसीहत से भी मुँह मोड़ते हैं। या (इनके झुठलाने की जो वज्हें और कारण बयान हुए हैं उनके अ़लावा यह वजह है कि इनको यह शुब्हा हुआ हो कि) आप उनसे कुछ आमदनी चाहते हैं, तो (यह भी ग़लत है, क्योंकि जब आप जानते हैं कि) आमदनी तो आपके रब की सबसे बेहतर है और वह सब देने वालों से अच्छा है (तो आप लोगों से क्यों माँगते हैं)।

और (ख़ुलासा उनकी हालत का यह है कि) आप तो उनको सीधे रास्ते की तरफ़ (जिसको ऊपर हक़ कहा है) बुला रहे हैं और उन लोगों की जो आख़िरत पर ईमान नहीं रखते यह हालत है कि उस (सीधे) रास्ते से हटते जाते हैं। (मतलब यह कि हक़ होना, सीधी राह होना और फ़ायदेमन्द होना इन चीज़ों का तक़ाज़ा है कि ईमान लाया जाये और जो वजह और कारण रुकावट हो सकते थे वो कोई मौजूद नहीं, फिर ईमान न लाना सख़्त दर्जे की जहालत और गुमराही है) और (इनकी सख़्त-दिली और दुश्मनी की यह हालत है कि जिस तरह ये लोग शरई आयतों और निशानियों से मुतास्सिर नहीं होते इसी तरह क़हर व ग़ज़ब की निशानियों यानी मुसीबतों और परेशानियों का भी असर नहीं लेते, यह अलग बात है कि मुसीबत के वक़्त तबई तौर पर हमको पुकारते भी हैं लेकिन वह वक़्ती परेशानी को दूर करने के लिये होता है, चुनाँचे) अगर हम उन पर मेहरबानी फ़रमा दें और उन पर जो तकलीफ़ है उसको हम दूर भी कर दें तो वे लोग (फिर) अपनी गुमराही में भटकते हुए जमे रहें। (और वो क़ौल व क़रार जो मुसीबत में किये थे सब ख़त्म हो जायें जैसा कि उनकी इस हालत को अल्लाह तआ़ला ने सूरः यूनुस की आयत 12 और सूरः अ़न्कबूत की आयत 65 में बयान फ़रमाया है)।

और (सुबूत इसका यह है कि कई बार) हमने उनको अ़ज़ाब में गिरफ़्तार भी किया है, सो उन लोगों ने अपने रब के सामने (पूरे तौर से) न इन्किसारी की और न आ़जिज़ी इख़्तियार की। (पस जब ऐन मुसीबत में और मुसीबत भी ऐसी सख़्त जिसको अ़ज़ाब कहा जा सके जैसे सूखा जो मक्का में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बददुआ़ से हुआ था, उन्होंने आ़जिज़ी इख़्तियार नहीं की तो मुसीबत के दूर होने के बाद और भी ज़्यादा उनसे इसकी उम्मीद नहीं, मगर उनकी यह सारी लापरवाई और निडरता उन मुसीबतों तक है जिनके आ़दी हो चुके हैं) यहाँ तक कि हम जब उन पर सख़्त अ़ज़ाब का दरवाज़ा खोल देंगे (जो कि आ़दत से ऊपर हो चाहे दुनिया ही में कि कोई ग़ैबी क़हर आ पड़े या मौत के बाद जो कि ज़रूर ही पड़ेगा) तो उस वक़्त बिल्कुल हैरान रह जाएँगे (कि यह क्या हो गया और उस वक़्त सारा नशा एक दम उतर जायेगा)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

'ग़मरा' ऐसे गहरे पानी को कहते हैं जिसमें आदमी डूब जाये, और जो उसमें दाख़िल होने वाले को अपने अन्दर छुपा ले, इसी लिये लफ़्ज़ ग़मरा पर्दे और हर ढाँप लेने वाली चीज़ के लिये भी बोला जाता है। यहाँ उनकी शिर्क भरी जहालत को ग़मरा कहा गया है जिसमें उनके दिल डूबे हुए और छुपे हुए हैं कि किसी तरफ़ से उनको रोशनी की किरण नहीं पहुँचती।

وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ.

यानी उनकी गुमराही के लिये तो एक शिर्क व कुफ़्र-ही की ग़फ़लत का पर्दा काफ़ी था मगर वे इसी पर बस नहीं करते इसके साथ दूसरे बुरे आमाल भी लगातार करते ही रहते हैं।

'मुत्रफ़ीहिम'। मुत्रफ़, तरफ़् से निकला है जिसके मायने ऐश व नेमत में होने और ख़ुशहाली के हैं। इस जगह इस क़ौम को अ़ज़ाब में पकड़ने का ज़िक्र है जिसमें अमीर ग़रीब ख़ुशहाल बदहाल सभी दाख़िल होंगे, मगर ख़ुशहालों का ज़िक्र ख़ास तौर पर इसलिये किया कि ऐसे ही लोग दुनिया की मुसीबतों से अपने बचाव का कुछ सामान कर लिया करते हैं मगर अल्लाह तआ़ला का अ़ज़ाब जब आता है तो सबसे पहले यही लोग बेबस होकर रह जाते हैं। इस आयत में जिस अ़ज़ाब के अन्दर उनके पकड़े जाने का ज़िक्र है हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि इससे मुराद वह अ़ज़ाब है जो ग़ज़्वा-ए-बदर में मुसलमानों की तलवार से उनके सरदारों पर पड़ा था। और कुछ हज़रात ने इस अ़ज़ाब से मुराद क़हत (सूखा पड़ने) का अ़ज़ाब लिया है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बद्दुआ़ से मक्का वालों पर मुसल्लत कर दिया गया था, यहाँ तक कि वे मुर्दार जानवर, कुत्ते और हड्डियाँ खाने पर मजबूर हो गये। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने काफ़िरों के लिये बद्दुआ़ बहुत कम की है लेकिन उस मौक़े में मुसलमानों पर उनके ज़ुल्मों और अत्याचारों की ज़्यादती व सख़्ती से मजबूर होकर यह बद्दुआ़ की थी। (इस बद्दुआ़ के अलफ़ाज़ बुख़ारी व मुस्लिम की हदीसों में ज़िक्र किये गये हैं। तफ़सीरे क़ुर्तुबी व मज़हरी)

مُسْتَكْبِرِيْنَ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ○

इसमें लफ़्ज़ 'बिही' (उस से) में उस से अक्सर मुफ़स्सिरीन ने हरम मुराद लिया है जो अगरचे ऊपर कहीं मज़कूर नहीं मगर हरम से मक्का के क़ुरैश का गहरा ताल्लुक़ और उस पर उनका नाज़ (फ़ख़्र करना) इतना परिचित व मशहूर था कि ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। और मायने इसके यह हैं कि मक्का के क़ुरैश का अल्लाह की आयतें सुनकर पिछले पाँव भागने और न मानने का सबब हरमे मक्का की निस्बत और उसकी ख़िदमत पर उनका तकब्बुर और नाज़ था। और 'सामिरन' 'समर' से निकला है जिसके असल मायने चाँदनी रात के हैं। अ़रब के लोगों की आ़दत थी कि चाँदनी रात में बैठकर किस्से कहानियाँ कहा करते थे इसलिये लफ़्ज़ **समर** क़िस्से-कहानी के मायने में इस्तेमाल होने लगा और **सामिर** क़िस्सा बयान करने वाले को कहा जाता है। यह लफ़्ज़ अगरचे मुफ़रद (अकेला और एक वचन) है मगर मायने में जमा (बहुवचन) के लिये भी बोला जाता है। इस जगह **सामिर** सामिरीन

के मायने में जमा (बहुत सारों) के लिये इस्तेमाल हुआ है। मुश्रिक लोगों का एक हाल जो अल्लाह की आयतों से इनकार का सबब बना हुआ था हरमे मक्का की निस्बत व ख़िदमत पर उनका नाज़ (फ़ख़्र करना) था। दूसरा हाल यह बयान फ़रमाया कि ये लोग बेअसल और बेबुनियाद क़िस्से कहानियों में मशग़ूल रहने के आदी हैं, इनको अल्लाह की आयतों से दिलचस्पी नहीं।

'तहजुरून'। यह लफ़्ज़ 'हुजूर' से निकला है जिसके मायने फ़ुज़ूल बकवास और गाली-गलौज के हैं। यह तीसरा हाल उन मुश्रिक लोगों का बयान किया गया कि ये लोग फ़ुज़ूल बकवास और गाली गलौज के आदी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की शान में कुछ ऐसे ही गुस्ताख़ाना कलिमात कहते रहते हैं।

इशा के बाद कहानी सुनाने की मनाही और ख़ास हिदायतें

रात को क़िस्से-कहानी कहने और सुनाने का मश्ग़ला अ़रब व अ़जम (यानी सारी दुनिया) में पुराने ज़माने से चला आता है और इसमें बहुत सी ख़राबियाँ और वक़्त की बरबादी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस रस्म को मिटाने के लिये इशा से पहले सोने को और इशा के बाद फ़ुज़ूल के क़िस्से सुनने-सुनाने को मना फ़रमाया। हिक्मत यह थी कि इशा की नमाज़ पर इनसान के दिन भर के आमाल ख़त्म हो रहे हैं जो दिन भर के गुनाहों का भी कफ़्फ़ारा हो सकता है, यही उसका आख़िरी अ़मल उस दिन का हो तो बेहतर है। अगर इशा के बाद फ़ुज़ूल के क़िस्से सुनने सुनाने में लग गया तो अव्वल तो यह ख़ुद बेकार का काम और मक्रूह है, इसके अ़लावा इसके अन्तर्गत ग़ीबत झूठ और दूसरे तरह-तरह के गुनाहों का करना होता है। और एक बुरा अन्जाम इसका यह है कि रात को देर तक जागेगा तो सुबह को सवेरे नहीं उठ सकेगा, इसी लिये हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु जब किसी को इशा के बाद फ़ुज़ूल के क़िस्सों में मशग़ूल देखते तो तंबीह फ़रमाते थे और कई को तो सज़ा भी देते थे, और फ़रमाते कि जल्द सो जाओ शायद रात के आख़िरी हिस्से में तहज्जुद की तौफ़ीक़ हो जाये। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ..........اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ

(यानी आयत नम्बर 68 से 70) तक ऐसी पाँच चीज़ों का ज़िक्र है जो मुश्रिक लोगों के लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ईमान लाने से किसी दर्जे में रुकावट और बाधा हो सकती थीं और उनमें से हर एक वजह के मन्फ़ी (नकारात्मक) होने का बयान उसके साथ कर दिया है। हासिल इसका यह है कि जो वजह उन लोगों के लिये ईमान से रुकावट हो सकती थीं उनमें से कोई भी वजह मौजूद नहीं और ईमान लाने के लिये जो असबाब और कारण दावत देने वाले हैं वो सब मौजूद हैं, इसलिये अब उनका इनकार ख़ालिस दुश्मनी और हठधर्मी के सिवा कुछ नहीं, जिसका ज़िक्र इसके बाद की आयत में इस तरह फ़रमाया है:

بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ○

यानी रिसालत के इनकार की कोई अ़क़्ली या तबई वजह तो मौजूद नहीं फिर इनकार का सबब इसके सिवा कुछ नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हक़ बात लेकर आये हैं और ये

लोग हक़ बात ही को बुरा समझते हैं, सुनना नहीं चाहते, जिसका सबब अपनी इच्छा पर चलने का ग़लबा और जाहिलों को जो सरदारी व रसूख़ हासिल है उसकी मुहब्बत और जाहिलों की पैरवी है। ये पाँच वजह (सबब और कारण) जिनका ज़िक्र ईमान लाने और नुबुव्वत का इक़रार करने से रुकावट व बाधा होने की हैसियत में किया गया है, इनमें एक यह भी बयान फ़रमाया है:

اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ.

यानी इनके इनकार की एक वजह यह हो सकती थी कि जो शख़्स हक़ की दावत और नुबुव्वत का दावा लेकर आया है यह कहीं बाहर से आया होता ताकि ये लोग उसके नाम व नसब और आदतों व अख़्लाक़ और किरदार से वाक़िफ़ न होते तो यह कह सकते थे कि हम नुबुव्वत के इस दावेदार के हालात से वाक़िफ़ नहीं, इसको कैसे नबी व रसूल मानकर अपना पेशवा बना लें। मगर यहाँ तो यह बात खुली हुई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम क़ुरैश ही के ऊँचे ख़ानदान में इसी शहर मक्का में पैदा हुए और बचपन से लेकर जवानी और उसके बाद का सारा ज़माना उन्हीं लोगों के सामने गुज़रा। आपका कोई अ़मल कोई आ़दत उनसे छुपी हुई नहीं थी और नुबुव्वत के दावे से पहले तक सारे मक्का के काफ़िर आपको **सादिक़** व **अमीन** (सच्चा और अमानतदार) कहा करते थे, आपके किरदार व अ़मल पर किसी ने भी कभी कोई शुब्हा ज़ाहिर नहीं किया था, तो अब उनका यह उज़्र भी नहीं चल सकता कि वे इनको पहचानते नहीं।

وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ ○

इससे पहली आयत में मुश्रिक लोगों के बारे में यह कहा गया था कि ये लोग जो अ़ज़ाब में मुब्तला होने के वक़्त अल्लाह से या रसूल से फ़रियाद करते हैं, अगर हम इनकी फ़रियाद पर रहम खाकर अ़ज़ाब हटा दें तो इनकी फ़ितरी शरारत व नाफ़रमानी का आ़लम यह है कि अ़ज़ाब से निजात पाने के बाद फिर अपनी सरकशी और नाफ़रमानी में मशग़ूल हो जायेंगे। इस आयत में उनके एक इसी तरह के वाक़िए का बयान है कि उनको एक अ़ज़ाब में पकड़ा गया मगर अ़ज़ाब से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की दुआ़ से निजात पाने के बाद भी ये अल्लाह के सामने नहीं झुके और बराबर अपने कुफ़्र व शिर्क पर जमे रहे।

मक्का वालों पर सूखे का अ़ज़ाब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की दुआ़ से उसका दूर होना

पहले मालूम हो चुका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मक्का वालों पर कहत (सूखा पड़ने) का अ़ज़ाब मुसल्लत होने की दुआ़ की थी। इसकी वजह से ये लोग सख़्त कहत में मुब्तला हुए और मुर्दार वग़ैरह खाने पर मजबूर हो गये। यह देखकर अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अ़न्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में मदीना तय्यिबा हाज़िर हुए और कहने लगे कि मैं आपको अल्लाह की क़सम देता हूँ और सिला-रहमी की, क्या आपने यह नहीं कहा कि मैं जहान

वालों के लिये रहमत बनाकर भेजा गया हूँ? आपने फ़रमाया बेशक कहा है और हक़ीक़त भी यूँ ही है। अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि आपने अपनी क़ौम के बड़ों को तो बदर की लड़ाई में तलवार से क़त्ल कर दिया और जो अब रह गये हैं उनको भूख से क़त्ल कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ़ कीजिए कि यह अ़ज़ाब हम से हट जाये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने दुआ़ फ़रमाई यह अ़ज़ाब उसी वक़्त ख़त्म हो गया, इसी पर यह उक्त आयत नाज़िल हुईः

وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ.

इस आयत में यह इरशाद है कि अ़ज़ाब में मुब्तला होने फिर उससे निजात पाने के बाद भी ये लोग अपने रब के सामने नहीं झुके। चुनाँचे वाक़िआ़ यही था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की दुआ़ से क़हत (सूखे की हालत) दूर भी हो गया मगर मक्का के मुश्रिक लोग अपने शिर्क व कुफ़्र पर उसी तरह जमे रहे। (तफ़सीरे मज़हरी वग़ैरह)

وَهُوَ الَّذِیْٓ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِیْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝ وَهُوَ الَّذِیْ ذَرَاَكُمْ فِی الْاَرْضِ وَ اِلَیْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝ وَهُوَ الَّذِیْ یُحْیٖ وَیُمِیْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّیْلِ وَالنَّهَارِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ بَلْ قَالُوْا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ ۝ قَالُوْٓا ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۝ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ ۝ قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِیْهَآ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ سَیَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ ۝ سَیَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝ قُلْ مَنْۢ بِیَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَیْءٍ وَّهُوَ یُجِیْرُ وَلَا یُجَارُ عَلَیْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ سَیَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ فَاَنّٰی تُسْحَرُوْنَ ۝ بَلْ اَتَیْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝ مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰی بَعْضٍ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یَصِفُوْنَ ۝ عٰلِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰی عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ۝

व हुवल्लज़ी अनूश-अ लकुमुस्सम्-अ़ वल्-अब्सा-र वल्-अफ़्इ-द-त, क़लीलम्-मा तश्कुरून (78) व हुवल्लज़ी ज़-र-अकुम् फ़िल्अर्ज़ि व इलैहि तुह्शरून (79) व हुवल्लज़ी युह्यी व युमीतु व लहुख़्तिलाफ़ुल्-	और उसी ने बना दिये तुम्हारे कान और आँखें और दिल, तुम बहुत थोड़ा हक़ मानते हो। (78) और उसी ने तुमको फैला रखा है ज़मीन में और उसी की तरफ़ जमा होकर जाओगे। (79) और वही है जिलाता और मारता और उसी का

लैलि वन्नहारि, अ-फ़ला तअ्क़िलून (80) बल् क़ालू मिस्-ल मा क़ालल्-अव्वलून (81) क़ालू अ-इज़ा मित्ना व कुन्ना तुराबंव्-व अ़िज़ामन् अ-इन्ना लमब्अूसून (82) ल-क़द् वुअ़िद्ना नह्नु व आबाउना हाज़ा मिन् क़ब्लु इन् हाज़ा इल्ला असातीरुल्-अव्वलीन (83) क़ुल् लि-मनिल्-अर्ज़ु व मन् फ़ीहा इन् कुन्तुम् तअ्लमून (84) स-यक़ूलू-न लिल्लाहि, क़ुल् अ-फ़ला तज़क्करून (85) क़ुल् मर्रब्बुस्समावातिस्-सब्अि व रब्बुल्-अ़र्शिल्-अ़ज़ीम (86) स-यक़ूलू-न लिल्लाहि, क़ुल् अ-फ़ला तत्तक़ून (87) क़ुल् मम्-बि-यदिही म-लकूतु कुल्लि शैइंव्-व हु-व युजीरु व ला युजारु अ़लैहि इन् कुन्तुम् तअ्लमून (88) स-यक़ूलू-न लिल्लाहि, क़ुल् फ़-अन्ना तुस्हरून (89) बल् अतैनाहुम् बिल्हक़्क़ि व इन्नहुम् लकाज़िबून (90) मत्त-ख़ज़ल्लाहु मिंव्व-लदिंव्-व मा का-न म-अ़हू मिन् इलाहिन् इज़ल् ल-ज़-ह-ब कुल्लु इलाहिम्-बिमा ख़-ल-क़ व ल-अ़ला बअ्ज़ुहुम् अ़ला बअ्ज़िन्,

काम है बदलना रात और दिन का, सो क्या तुमको समझ नहीं। (80) कोई बात नहीं! ये तो वही कह रहे हैं जैसा कहा करते थे पहले लोग। (81) कहते हैं- क्या जब हम मर गये और हो गये मिट्टी और हड्डियाँ क्या हमको ज़िन्दा होकर उठना है? (82) वायदा दिया जाता है हमको और हमारे बाप-दादों को यही पहले से, और कुछ भी नहीं ये नक़लें हैं पहलों की। (83) तू कह किसकी है ज़मीन और जो कोई उसमें है, बताओ अगर तुम जानते हो। (84) अब कहेंगे सब कुछ अल्लाह का है, तू कह फिर तुम सोचते नहीं। (85) तू कह कौन है मालिक सातों आसमानों का और मालिक इस बड़े तख़्त का? (86) अब बतायेंगे अल्लाह को, तू कह फिर तुम डरते नहीं? (87) तू कह किसके हाथ में है हुकूमत हर चीज़ की और वह बचा लेता है और उससे कोई बचा नहीं सकता बताओ अगर तुम जानते हो। (88) अब बतायेंगे अल्लाह को, तू कह फिर कहाँ से तुम पर जादू आ पड़ता है। (89) कोई नहीं! हमने उनको पहुँचाया सच और वे यक़ीनन झूठे हैं। (90) अल्लाह ने कोई बेटा नहीं किया और न उसके साथ किसी का हुक्म चले, यूँ होता तो लेजाता हर हुक्म वाला अपनी बनाई चीज़ को और चढ़ाई करता एक पर एक, अल्लाह

सुब्हानल्लाहि अ़म्मा यसिफ़ून (91) आ़लिमिल्-ग़ैबि वश्शहा-दति फ़-तआ़ला अ़म्मा युश्रिकून (92) ❁	निराला है उनकी बतलाई बातों से (91) जानने वाला छुपे और खुले का, वह बहुत ऊपर है उससे जिसको ये शरीक बतलाते हैं। (92) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और वह (अल्लाह तआ़ला) ऐसा (क़ादिर व नेमत देने वाला) है जिसने तुम्हारे लिये कान और आँखें और दिल बनाये, (कि आराम भी बरतो और दीन की भी समझ व इल्म हासिल करो, लेकिन) तुम लोग बहुत ही कम शुक्र करते हो (क्योंकि असली शुक्र यह था कि उस नेमत देने वाले के पसन्दीदा दीन को क़ुबूल करते और क़ियामत में दोबारा ज़िन्दा करने का इनकार न करते)। और वह ऐसा है जिसने तुमको ज़मीन में फैला रखा है, और तुम सब (क़ियामत में) उसी के पास लाये जाओगे (उस वक़्त इस नेमत की नाशुक्री की हक़ीक़त मालूम होगी)। और वह ऐसा है जो जिलाता है और मारता है, और उसी के इख़्तियार में है रात और दिन का घटना-बढ़ना, सो क्या तुम (इतनी बात) नहीं समझते (कि क़ुदरत की ये दलीलें तौहीद और क़ियामत में दूसरी ज़िन्दगी दोनों का पता देती हैं मगर) फिर भी मानते नहीं, बल्कि ये भी वैसी ही बात कहते हैं जो अगले (काफ़िर) लोग कहते चले आये हैं। (यानी) यूँ कहते हैं कि क्या जब हम मर जाएँगे और हम मिट्टी और हड्डियाँ हो जाएँगे तो क्या हम दोबारा ज़िन्दा किए जाएँगे? इसका तो हम से और (हम से) पहले हमारे बड़ों से वायदा होता चला आया है, ये कुछ नहीं बिल्कुल बे-सनद बातें हैं जो अगलों से नक़ल होती चली आती हैं।

(चूँकि उनके इस क़ौल से अल्लाह की क़ुदरत का इनकार करना लाज़िम आता है और इससे दोबारा ज़िन्दा होने के इनकार से तौहीद यानी अल्लाह के एक होने का इनकार भी होता है इसलिए इस क़ौल के जवाब में अल्लाह की क़ुदरत को साबित करने के साथ उसकी तौहीद का सुबूत भी इरशाद है, यानी) आप (जवाब में) कह दीजिये कि (अच्छा यह बतलाओ कि) यह ज़मीन और जो इस पर रहते हैं, यह किसके हैं? अगर तुमको कुछ ख़बर है। वे ज़रूर यही कहेंगे कि अल्लाह के हैं (तो) उनसे कहिए कि फिर क्यों नहीं ग़ौर "व फ़िक्र" करते (कि दोबारा ज़िन्दा करने की क़ुदरत और तौहीद दोनों के हुक्म का सुबूत हो जाये, और) आप यह भी कहिये कि (अच्छा यह बतलाओ कि) इन सात आसमानों का मालिक और आ़लीशान अ़र्श का मालिक कौन है? (इसका भी) वे ज़रूर यही जवाब देंगे कि यह भी (सब) अल्लाह का है, (उस वक़्त) आप कहिये कि फिर तुम (उससे) क्यों नहीं डरते (कि उसकी क़ुदरत और दोबारा ज़िन्दा करने की आयतों का इनकार करते हो। और) आप (उनसे) यह भी कहिये कि (अच्छा) वह कौन है जिसके हाथ में तमाम चीज़ों का इख़्तियार है और वह (जिसको चाहता है) पनाह देता है और उसके मुक़ाबले में कोई किसी को पनाह नहीं दे सकता, अगर तुमको कुछ ख़बर है। (तब भी जवाब में) वे ज़रूर यही कहेंगे कि ये सब सिफ़तें भी अल्लाह ही की हैं, आप (उस वक़्त) कहिये कि फिर तुमको कैसा जुनून हो रहा है (कि इन सब बातों को मानते हो

और इनका जो नतीजा निकलता है यानी तौहीद और क़ियामत पर यक़ीन लाया जाये उसको नहीं मानते। यह तो दलील पकड़ना था मक़सद पर उनके जवाब में, आगे उनके ख़्याल व एतिक़ाद की दलील यानी 'ये तो पहले लोगों से नक़ल होती चली आ रही बेसनद बातें हैं' का रद्द है, यानी ये जो इनको बतलाया जा रहा है कि क़ियामत आयेगी और मुर्दे ज़िन्दा होंगे यह पहले लोगों की बेसनद बातें नहीं हैं) बल्कि हमने इनको सच्ची बात पहुँचाई है, और यक़ीनन ये (ख़ुद ही) झूठे हैं।

(यहाँ तक मुकालमा और गुफ़्तगू ख़त्म हो चुकी और तौहीद व क़ियामत दोनों साबित हो गये मगर इन दोनों मसलों में चूँकि तौहीद "अल्लाह के एक और अकेला माबूद होने का यक़ीन करने' का मसला ज़्यादा अहम और हक़ीक़त में क़ियामत व आख़िरत के मसले का भी आधार, और ज़्यादा गुफ़्तगू और बात भी इसी पर होती थी इसलिए तक़रीर के आख़िर में इसको मुस्तक़िल तौर पर इरशाद फ़रमाते हैं कि) अल्लाह तआ़ला ने किसी को औलाद क़रार नहीं दिया (जैसा कि मुशरिक लोग फ़रिश्तों के बारे में कहते थे) और न उसके साथ कोई और ख़ुदा है, अगर ऐसा होता तो हर ख़ुदा अपनी मख़्लूक़ को (तक़सीम करके) अलग कर लेता और (फिर दुनिया के बादशाहों की आ़दत के मुताबिक़ दूसरे की मख़्लूक़ात छीनने के लिये) एक-दूसरे पर चढ़ाई करता, (फिर मख़्लूक़ की तबाही का क्या आ़लम होता। लेकिन दुनिया का निज़ाम व सिस्टम बदस्तूर क़ायम है इससे साबित हुआ कि) अल्लाह तआ़ला उन (बुरी और बेहूदा) बातों से पाक है जो ये लोग (उसके बारे में) बयान करते हैं, जानने वाला है सब छुपे हुए और ज़ाहिर का। ग़र्ज़ कि इन लोगों के शिर्क से वह बुलन्द (और पाक) है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ

यानी अल्लाह तआ़ला जिसको चाहे अ़ज़ाब और मुसीबत, रंज व तकलीफ़ से पनाह दे दे और यह किसी की मजाल नहीं कि उसके मुक़ाबले पर किसी को पनाह देकर उसके अ़ज़ाब व तकलीफ़ से बचा ले। यह बात दुनिया के एतिबार से भी सही है कि अल्लाह तआ़ला जिसको कोई नफ़ा पहुँचाना चाहे उसको कोई रोक नहीं सकता और जिसको कोई तकलीफ़ व अ़ज़ाब देना चाहे उससे कोई बचा नहीं सकता, और आख़िरत के एतिबार से भी यह मज़मून सही है कि जिसको वह अ़ज़ाब में मुब्तला करेगा उसको कोई बचा न सकेगा, और जिसको जन्नत और राहत देगा उसको कोई रोक न सकेगा। (क़ुर्तुबी)

قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّيْ مَا يُوْعَدُوْنَ ۝ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِي الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝
وَاِنَّا عَلٰٓى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ۝ اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ؕ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ۝ وَ
قُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ۝ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ۝ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ
قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ۝ لَعَلِّيْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ؕ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ؕ وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ
بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۝

क़ुर्रब्बि इम्मा तुरियन्नी मा यूअदून (93) रब्बि फ़ला तज्अल्नी फ़िल्-क़ौमिज़्ज़ालिमीन (94) व इन्ना अ़ला अन्-नुरि-य-क मा नअ़िदुहुम् लक़ादिरून (95) इद्फ़अ् बिल्लती हि-य अह्सनुस्सय्यि-अ-त, नह्नु अअ़्लमु बिमा यसिफ़ून (96) व क़ुर्रब्बि अऊ़ज़ु बि-क मिन् ह-मज़ातिश्-शयातीन (97) व अऊ़ज़ु बि-क रब्बि अंय्यह्ज़ुरून (98) हत्ता इज़ा जा-अ अ-ह-दहुमुल्-मौतु क़ा-ल रब्बिर्जिऊ़न (99) लअ़ल्ली अअ़्मलु सालिहन् फ़ीमा तरक्तु कल्ला, इन्नहा कलि-मतुन् हु-व क़ाइलुहा, व मिंव्वरा-इहिम् बर्ज़ख़ुन् इला यौमि युब्अ़सून (100)	तू कह ऐ रब! अगर तू दिखाने लगे मुझ को जो उनसे वायदा हुआ है (93) तो ऐ रब! मुझको न करियो उन गुनाहगार लोगों में। (94) और हमको क़ुदरत है कि तुझको दिखलायें जो उनसे वायदा कर दिया है। (95) बुरी बात के जवाब में वह कह जो बेहतर है, हम ख़ूब जानते हैं जो ये बताते हैं। (96) और कह ऐ रब! मैं तेरी पनाह चाहता हूँ शैतान की छेड़ से (97) और तेरी पनाह चाहता हूँ ऐ रब! इससे कि मेरे पास आयें। (98) यहाँ तक कि जब पहुँचे उनमें किसी को मौत कहेगा ऐ रब! मुझको फिर भेज दो (99) शायद कुछ मैं भला काम कर लूँ उसमें जो पीछे छोड़ आया, हरगिज़ नहीं यह एक बात है कि वही कहता है, और उनके पीछे पर्दा है उस दिन तक कि उठाये जायें। (100)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

आप (अल्लाह तआ़ला से) दुआ़ कीजिये कि ऐ मेरे परवर्दिगार! जिस अ़ज़ाब का उन काफ़िरों से वायदा किया जा रहा है (जैसा कि ऊपर आयत 77 से भी मालूम हुआ) अगर आप मुझको दिखा दें (मसलन यह कि वह अ़ज़ाब उन पर मेरी ज़िन्दगी में इस तौर से आये कि मैं भी देखूँ क्योंकि उस वायदा किये गये अ़ज़ाब का कोई ख़ास वक़्त नहीं बतलाया गया है, चुनाँचे उक्त आयत भी अस्पष्ट है जिसमें यह संभावना भी है कि मेरे सामने वह अ़ज़ाब आ जाये। ग़र्ज़ कि अगर ऐसा हुआ) तो ऐ मेरे रब! मुझको उन ज़ालिम लोगों में शामिल न कीजिये। और हम इस बात पर क़ादिर हैं कि जो उनसे वायदा कर रहे हैं आपको भी दिखला दें (बाक़ी जब तक उन पर अ़ज़ाब न आये) आप (उनके साथ यह मामला रखिये कि) उनकी बदी को ऐसे बर्ताव से दूर कर दिया कीजिए जो बहुत ही अच्छा (और नरम) हो, (और अपनी ज़ात के लिये बदला न लीजिये बल्कि हमारे हवाले कर दिया कीजिए) हम ख़ूब

जानते हैं जो-जो कुछ ये (आपके बारे में) कहा करते हैं। और (अगर आपको इनसानी तबीयत होने के नाते गुस्सा आ जाया करे तो) आप यूँ दुआ किया कीजिए कि ऐ मेरे रब! मैं आपकी पनाह माँगता हूँ शैतानों के वस्वसों से (जो लेजाने वाले हो जायें किसी ऐसे मामले की तरफ़ जो ख़िलाफ़े मस्लेहत हो अगरचे ख़िलाफ़े शरीअ़त न हो)।

और ऐ मेरे रब! आपकी पनाह माँगता हूँ इससे कि शैतान मेरे पास भी आएँ (और वस्वसा डालना तो दरकिनार। पस इससे वह गुस्सा जाता रहेगा। ये काफ़िर लोग अपने कुफ़्र और आख़िरत के इनकार से बाज़ नहीं आते) यहाँ तक कि जब इनमें से किसी (के सर) पर मौत आ (खड़ी हो-) ती है, (और आख़िरत को देखने लगता है) उस वक़्त (आँखें खुलती हैं और अपने जहल व कुफ़्र पर शर्मिन्दा होकर) कहता है कि ऐ मेरे रब! (मुझसे मौत को टाल दीजिए और) मुझको (दुनिया में) फिर वापस भेज दीजिए ताकि जिस (दुनिया) को मैं छोड़कर आया हूँ उसमें (फिर जाकर) नेक काम करूँ (यानी हक़ तआ़ला की तस्दीक़ और फ़रमाँबरदारी। आगे इस दरख़्वास्त को रद्द फ़रमाते हैं कि) हरगिज़ (ऐसा) नहीं (होगा)। यह (उसकी) एक बात ही बात है जिसको यह कहे जा रहा है (और पूरी होने वाली नहीं), और (वजह इसकी यह है कि) उन लोगों के आगे एक (चीज़) आड़ (की आने वाली) है (कि जिसका आना ज़रूरी है, और वही दुनिया में वापस आने से रुकावट है, इससे मुराद मौत है कि उसका आना और पड़ना भी निर्धारित वक़्त पर ज़रूरी है जैसा कि एक दूसरी जगह क़ुरआन में है कि मौत आगे-पीछे नहीं होती, और मौत के बाद दुनिया में लौटकर आना भी) क़ियामत के दिन तक (अल्लाह के क़ानून के ख़िलाफ़ है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

قُلْ رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُوْنَ ○ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

इन दोनों आयतों का मतलब यह है कि क़ुरआने करीम की बहुत सी आयतों में मुश्रिकों व काफ़िरों पर अ़ज़ाब की वईद (वायदा और धमकी) मज़कूर है जो आ़म है। क़ियामत में तो उसका वाक़े होना निश्चित और यक़ीनी है, दुनिया में होने का भी संदेह व संभावना है। फिर यह अ़ज़ाब अगर दुनिया में उन पर वाक़े हो तो उसमें यह शुब्हा भी है कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने के बाद आये और यह भी हो सकता है कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में आप ही के सामने उन पर अल्लाह का कोई अ़ज़ाब आ जाये। और दुनिया में जब किसी क़ौम पर अ़ज़ाब आता है तो कई बार उस अ़ज़ाब का असर सिर्फ़ ज़ालिमों ही तक सीमित नहीं रहता बल्कि नेक लोग भी उससे दुनियावी तकलीफ़ में मुतास्सिर होते हैं अगरचे आख़िरत में उनको कोई अ़ज़ाब न हो, बल्कि इस दुनिया की तकलीफ़ पर जो उनको पहुँचती है अज्र भी मिले। क़ुरआने करीम का इरशाद है:

اِتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً.

यानी ऐसे अ़ज़ाब से डरो जो अगर आ गया तो सिर्फ़ ज़ालिमों ही तक नहीं रहेगा दूसरे लोग भी

उसकी लपेट में आयेंगे।

इन आयतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को यह दुआ़ तालीम फ़रमाई गयी है कि या अल्लाह! अगर इन लोगों पर आपका अ़ज़ाब मेरे सामने और मेरे देखते हुए ही आना है तो मुझे इन ज़ालिमों के साथ न रखिये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का मासूम (सुरक्षित) और अल्लाह के अ़ज़ाब से महफ़ूज़ होना अगरचे आपके लिये यक़ीनी था मगर फिर भी इस दुआ़ की हिदायत इसलिये फ़रमाई गयी कि आप हर हाल में अपने रब को याद रखें, उससे फ़रियाद करते रहें ताकि आपका अज्र बढ़े। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

وَاِنَّا عَلٰٓی اَنْ نُّرِیَکَ مَا نَعِدُھُمْ لَقٰدِرُوْنَ٥

यानी हमको इस पर पूरी क़ुदरत है कि हम आपके सामने ही आपको उन पर अ़ज़ाब आता हुआ दिखला दें। कुछ मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया कि अगरचे इस उम्मत पर हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बरकत से आ़म अ़ज़ाब न आने का वायदा अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से हो चुका है:

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ.

यानी हम उन लोगों को इस हालत में हलाक करने वाले नहीं कि आप उनके अन्दर मौजूद हों। लेकिन ख़ास-ख़ास लोगों पर ख़ास हालात में अ़ज़ाब दुनिया ही में आ जाना इसके विरुद्ध नहीं। इस आयत में जैसा कि फ़रमाया है कि हम इस पर क़ादिर हैं कि आपको भी उनका अ़ज़ाब दिखला दें, वह मक्का वालों पर क़हत (सूखे) और भूख का अ़ज़ाब फिर बदर की जंग में मुसलमानों की तलवार का अ़ज़ाब आपके सामने ही उन पर पड़ चुका था। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

اِدْفَعْ بِالَّتِیْ ھِیَ اَحْسَنُ السَّیِّئَةَ.

यानी आप बुराई को भलाई के ज़रिये, ज़ुल्म को इन्साफ़ के ज़रिये और बेरहमी को रहम के ज़रिये दफ़ा फ़रमा दें। यह बुलन्द और ऊँचे अख़्लाक़ की तालीम है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को दी गयी है, जो मुसलमानों के आपस के मामलात के लिये हमेशा जारी है, अलबत्ता काफ़िरों व मुश्रिकों से उनके ज़ुल्मों और अत्याचारों के मुक़ाबले में माफ़ी व दरगुज़र ही करते रहना, उन पर हाथ न उठाना। यह हुक्म जिहाद की आयतों के ज़रिये ख़त्म हो गया, मगर ऐन जिहाद की हालत में भी इस उम्दा अख़्लाक़ के बहुत से निशानात बाक़ी रखे गये कि औ़रत को क़त्ल न किया जाये, बच्चे को क़त्ल न किया जाये, जो मज़हबी लोग मुसलमानों के मुक़ाबले पर जंग में शरीक नहीं उनको क़त्ल न किया जाये, और जिसको भी क़त्ल करें तो उसकी लाश को बिगाड़ कर बेहुर्मती न की जाये कि नाक कान वग़ैरह काट लें। इसी तरह की और दूसरी हिदायतें जो बेहतर रवैये और व्यवहार पर आधारित हैं।

इसी लिये बाद वाली आयत में हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को शैतान और उसके वस्वसों (बुरे ख़्यालात) से पनाह माँगने की दुआ़ तालीम की गई कि ऐन जंग के मैदान में भी आपकी तरफ़ से अ़दल व इन्साफ़ और ऊँचे अख़्लाक़ के ख़िलाफ़ कोई चीज़ शैतान के ग़ुस्सा दिलाने से सादिर न होने पाये, वह दुआ़ यह है:

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِo وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِo

(यानी यही ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 97 और 98) लफ़्ज़ 'ह-म-ज़' के मायने 'धक्का देने और दबाने' के आते हैं। और पीछे की तरफ़ से आवाज़ देने के मायने में भी इस्तेमाल होता है। यह दुआ अपने आम मफ़्हूम के एतिबार से शैतान के शर और फ़रेब से बचने के लिये एक जामे और मुकम्मल दुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुसलमानों को इस दुआ की तालीम व हिदायत फ़रमाई है, ताकि ऐसे गुस्से और ग़ैज़ व ग़ज़ब की हालत में जबकि इनसान को अपने नफ़्स पर क़ाबू नहीं रहता और उसमें शैतान के धक्का देने (भड़काने और फुसलाने) का दख़ल होता है, इससे महफ़ूज़ रहें। इसके अ़लावा शैतानों और जिन्नात के दूसरे आसार और हमलों से बचने के लिये भी यह दुआ तजुर्बा शुदा है। हज़रत ख़ालिद रज़ियल्लाहु अ़न्हु को रात में नींद न आती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनको दुआ के ये कलिमात तालीम फ़रमाये कि यह पढ़कर लेटा करें। उन्होंने पढ़ा तो यह शिकायत जाती रही, वह दुआ यह है:

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّآمَّةِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَعِقَابِهٖ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنِo

अऊ़ज़ु बि-कलिमातिल्लाहित्ताम्मति मिन् ग़-ज़बिल्लाहि व अ़िक़ाबिही व मिन् शर्रि अ़िबादिही व मिन् ह-मज़ातिश्शयातीनि व अंय्यहज़ुरून।

सही मुस्लिम में हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि शैतान तुम्हारे हर काम में हर हाल में तुम्हारे पास आता है और हर काम में गुनाहों और ग़लत कामों का वस्वसा (ख़्याल) दिल में डालता रहता है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) उसी से पनाह माँगने के लिये यह दुआ तालीम फ़रमाई गयी है।

رَبِّ ارْجِعُوْنِo

यानी मौत के वक़्त काफ़िर पर जब आख़िरत का अ़ज़ाब सामने आने लगता है तो वह तमन्ना करता है कि काश मैं फिर दुनिया में लौट जाऊँ और नेक अ़मल करके इस अ़ज़ाब से निजात हासिल कर लूँ।

इमाम इब्ने जरीर ने इब्ने जुरैज रह. की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मौत के वक़्त मोमिन जब रहमत के फ़रिश्ते और रहमत के सामान सामने देखने लगता है तो फ़रिश्ते उससे पूछते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि फिर तुम्हें दुनिया में वापस कर दिया जाये? तो वह कहता है कि मैं इस ग़मों और तकलीफ़ों के आ़लम में जाकर क्या करूँगा, मुझे तो अब अल्लाह के पास ले जाओ। और काफ़िर से पूछते हैं तो वह कहता है 'रब्बिर्जिऊन' यानी मुझे दुनिया में लौटा दो।

كَلَّآ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا. وَمِنْ وَّرَآءِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَo

'बर्ज़ख़' के लफ़्ज़ी मायने आड़ और फ़ासिल के हैं। दो हालतों या दो चीज़ों के बीच में जो चीज़ फ़ासिल हो उसको बर्ज़ख़ कहते हैं, इसी लिये मौत के बाद क़ियामत और हश्र तक के ज़माने को बर्ज़ख़ कहा जाता है कि यह दुनियावी ज़िन्दगी और आख़िरत की ज़िन्दगी के बीच हद्दे फ़ासिल है।

और आयत के मायने यह हैं कि जब मरने वाला काफ़िर, फ़रिश्तों से दोबारा दुनिया में भेजने को कहता है तो यह कलिमा तो उसको कहना ही था क्योंकि अब अ़ज़ाब सामने आ चुका है, मगर इस कलिमे का अब कोई फ़ायदा इसलिये नहीं कि वह अब बर्ज़ख़ में पहुँच चुका है, जिसका क़ानून यह है कि बर्ज़ख़ से लौटकर कोई दुनिया में नहीं आता, और क़ियामत और दोबारा हिसाब-किताब के लिये उठने से पहले दूसरी ज़िन्दगी नहीं मिलती। वल्लाहु आलम

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ۞ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۞ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ۞ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۞ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ۞ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ۞ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۞ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ۞ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ۞ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ۞ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ ۞ قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۞

फ़-इज़ा नुफ़ि-ख़ फ़िस्सूरि फ़ला अन्सा-ब बैनहुम् यौमइज़िंव्-व ला य-तसा-अलून (101) फ़-मन् सकुलत् मवाज़ीनुहू फ़-उलाइ-क हुमुल्-मुफ़्लिहून (102) व मन् ख़फ़्फ़त् मवाज़ीनुहू फ़-उलाइ-कल्लज़ी-न ख़ासिरू अन्फ़ु-सहुम् फ़ी जहन्न-म ख़ालिदून (103) तल्फ़हु वुजू-हहुमुन्नारु व हुम् फ़ीहा कालिहून (104) अलम् तकुन् आयाती तुत्ला अ़लैकुम् फ़कुन्तुम्	फिर जब फूँक मारें सूर में तो न रिश्तेदारियाँ हैं उनमें उस दिन और न एक दूसरे को पूछे। (101) सो जिसकी भारी हुई तौल तो वही लोग काम के निकले (102) और जिसकी हल्की निकली तौल तो वही लोग हैं जो हार बैठे अपनी जान, दोज़ख़ ही में रहा करेंगे। (103) झुलस देगी उनके मुँह को आग और वे उसमें बदशक्ल हो रहे होंगे। (104) क्या तुमको सुनाई न थीं हमारी आयतें फिर

बिहा तुकज़्ज़िबून (105) क़ालू रब्बना ग़-लबत् अलैना शिक्वतुना व कुन्ना क़ौमन् ज़ाल्लीन (106) रब्बना अख़्रिज्ना मिन्हा फ़-इन् अुद्ना फ़-इन्ना ज़ालिमून (107) क़ालख़्सऊ फ़ीहा व ला तुकल्लिमून (108) इन्नहू का-न फ़रीक़ुम् मिन् अिबादी यक़ूलू-न रब्बना आमन्ना फ़ग़्फ़िर् लना वर्हम्ना व अन्-त ख़ैरुर्-राहिमीन (109) फ़त्त-ख़ज़्तुमूहुम् सिख़्रिय्यन् हत्ता अन्सौकुम् ज़िक्री व कुन्तुम् मिन्हुम् तज़्हकून (110) इन्नी जज़ैतुहुमुल्-यौ-म बिमा स-बरू अन्नहुम् हुमुल्-फ़ाइज़ून (111) क़ा-ल कम् लबिस्तुम् फ़िल्अर्ज़ि अ-द-द सिनीन (112) क़ालू लबिस्ना यौमन् औ बअ्-ज़ यौमिन् फ़स्अलिल्-आद्दीन (113) क़ा-ल इल्लबिस्तुम् इल्ला क़लीलल्-लौ अन्नकुम् कुन्तुम् तअ्लमून (114) अ-फ़-हसिब्तुम् अन्नमा ख़लक़्नाकुम् अ-बसंव्-व अन्नकुम् इलैना ला तुर्जअून (115)

तुम उनको झुठलाते थे। (105) बोले ऐ रब! ज़ोर किया हम पर हमारी कमबख़्ती ने और रहे हम लोग बहके हुए। (106) ऐ हमारे रब! निकाल ले हमको इसमें से अगर हम फिर करें तो हम गुनाहगार। (107) फ़रमाया पड़े रहो फटकारे हुए उसमें और मुझसे न बोलो। (108) एक फ़िर्क़ा था मेरे बन्दों में जो कहते थे ऐ हमारे रब! हम यक़ीन लाये सो माफ़ कर हमको और रहम कर हम पर और तू सब रहम वालों से बेहतर है। (109) फिर तुमने उनको ठट्ठों में पकड़ लिया यहाँ तक कि भूल गये उनके पीछे मेरी याद और तुम उनसे हंसते रहे। (110) मैंने आज दिया उनको बदला उनके सब्र करने का कि वही हैं मुराद को पहुँचने वाले। (111) फ़रमाया तुम कितनी देर रहे ज़मीन में बरसों की गिनती से? (112) बोले हम रहे एक दिन या कुछ दिन से कम, तू पूछ ले गिनती वालों से। (113) फ़रमाया तुम उसमें बहुत नहीं थोड़ा ही रहे हो अगर तुम जानते होते। (114) सो क्या तुम ख़्याल रखते हो कि हमने तुमको बनाया खेलने को और तुम हमारे पास फिरकर न आओगे। (115)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

फिर जब (क़ियामत का दिन होगा और) सूर फूँका जायेगा तो (ऐसी हौल व हैबत में गिरफ़्तार

होंगे कि) उनमें (जो) आपसी रिश्ते-नाते (थे) उस दिन (वे भी गोया) न रहेंगे, (यानी कोई किसी की हमदर्दी न करेगा जैसे अजनबी-अजनबी होते हैं) और न कोई किसी को पूछेगा (कि भाई तुम किस हालत में हो, ग़र्ज़ कि न रिश्ता-नाता काम आयेगा न दोस्ती और जान-पहचान, पस वहाँ काम की चीज़ एक ईमान होगा जिसकी आम पहचान के लिये कि सब पर ज़ाहिर हो जाये एक तराज़ू खड़ी की जायेगी और उससे आमाल व अक़ीदों का वज़न होगा) सो जिस शख़्स का (ईमान का) पल्ला भारी होगा (यानी वह मोमिन होगा) तो ऐसे लोग कामयाब (यानी निजात पाने वाले) होंगे (और ऊपर ज़िक्र हुए हौल व हैबत के हालात कि न किसी का रिश्ता काम आये न दोस्ती और न कोई किसी को पूछे कि किस हाल में हो, ये इन मोमिनों को पेश न आयेंगे जैसा कि क़ुरआन पाक की एक दूसरी जगह यानी सूरः अम्बिया आयत 103 में अल्लाह तआला ने इसकी ख़बर दी है)।

और जिस शख़्स का (ईमान का) पल्ला हल्का होगा (यानी वह काफ़िर होगा) सो ये वे लोग होंगे जिन्होंने अपना नुक़सान कर लिया और जहन्नम में हमेशा के लिये रहेंगे। उनके चेहरों को (उस जहन्नम की) आग झुलसती होगी, और उस (जहन्नम) में उनके मुँह बिगड़े हुए होंगे। (और उनसे हक़ तआला डायरेक्ट या किसी माध्यम से इरशाद फ़रमा देंगे कि) क्यों क्या मेरी आयतें (दुनिया में) तुमको पढ़कर सुनाई नहीं जाया करती थीं, और तुम उनको झुठलाया करते थे (यह उसकी सज़ा मिल रही है)। वे कहेंगे कि ऐ हमारे रब! (वाक़ई) हमारी बदबख़्ती ने हमको (हमारे हाथों) घेर लिया था और (बेशक) हम गुमराह लोग थे (यानी हम जुर्म का इक़रार और उस पर शर्मिन्दगी व माज़िरत का इज़हार करके दरख़्वास्त करते हैं कि) ऐ हमारे रब! हमको इस (जहन्नम) से (अब) निकाल दीजिए (और दोबारा दुनिया में भेज दीजिए। उनकी इस फ़रियाद को अल्लाह तआला ने सूरः अलिफ़् लाम मीम् अस्सज्दा की आयत 12 में भी बयान फ़रमाया है) फिर अगर हम दोबारा (ऐसा) करें तो हम बेशक क़ुसूरवार हैं (उस वक़्त हमको ख़ूब सज़ा दीजिए और अब छोड़ दीजिए)। इरशाद होगा कि इसी (जहन्नम) में धुतकारे हुए पड़े रहो और मुझसे बात मत करो (यानी हम मन्ज़ूर नहीं करते। क्या तुमको याद नहीं रहा कि) मेरे बन्दों में एक गिरोह (ईमान वालों का) था जो (बेचारे हमसे) अर्ज़ किया करते थे कि ऐ हमारे रब! हम ईमान ले आये सो हमको बख़्श दीजिए और हम पर रहमत फ़रमाईये और आप सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाले हैं। सो तुमने (महज़ इस बात पर जो हर तरह क़ाबिले क़द्र थी) उनका मज़ाक़ बनाया था (और) यहाँ तक (उसका मशग़ला किया) कि मशग़ले ने तुमको हमारी याद भी भुला दी, और तुम उनसे हंसी-मज़ाक़ किया करते थे (सो उनका तो कुछ न बिगड़ा चन्द दिन की परेशानी थी सब्र करना पड़ा, जिसका यह नतीजा मिला कि) मैंने उनको आज उनके सब्र का यह बदला दिया है, कि वही कामयाब हुए (और तुम इस नाकामी में गिरफ़्तार हुए। जवाब का मतलब यह हुआ कि तुम्हारा क़ुसूर इस क़ाबिल नहीं कि सज़ा के वक़्त इक़रार करने से माफ़ कर दिया जाये, क्योंकि तुमने ऐसा मामला किया जिससे हमारे हुक़ूक़ की भी बरबादी हुई और बन्दों के हुक़ूक़ की भी। और बन्दे भी कैसे, हमारे मक़बूल और महबूब जो हमसे ख़ास लगाव और ख़ुसूसियत रखते थे, क्योंकि उनको मज़ाक़ का निशाना बनाने में उनको सताना जो कि बन्दों के हुक़ूक़ को ज़ाया करना है और हक़ को झुठलाना जो मज़ाक़ बनाने का मन्शा है यह अल्लाह के हक़ को

ज़ाया करना है, दोनों लाज़िम आये, पस इसकी सज़ा के लिये पूरी और हमेशा वाली सज़ा ही मुनासिब है, और मोमिनों को उनके सामने जन्नत की नेमतों से कामयाब करना यह भी एक सज़ा है काफ़िरों के लिये, क्योंकि दुश्मनों और मुख़ालिफ़ों की कामयाबी से रूहानी तकलीफ़ होती है)।

(यह तो जवाब हो गया उनकी दरख़्वास्तों का, आगे चेताना है उनके तरीक़े और अक़ीदे के बातिल होने पर ताकि ज़िल्लत पर ज़िल्लत और हसरत पर हसरत होने से सज़ा पाने में सख़्ती हो, इसलिये) इरशाद होगा कि (अच्छा यह बतलाओ) तुम बरसों की गिनती से किस क़द्र मुद्दत ज़मीन पर रहे होगे। (चूँकि वहाँ के हौल व हैबत से उनके होश व हवास गुम हो चुके होंगे और उस दिन का लम्बा होना भी आँखों के सामने होगा) वे जवाब देंगे कि (बरस कैसे, बहुत रहे होंगे तो) हम एक दिन या एक दिन से भी कम रहे होंगे (और सच यह है कि हमको याद नहीं) सो गिनने वालों से (यानी फ़रिश्तों से जो कि आमाल और उम्रों सब का हिसाब करते थे) पूछ लीजिए। इरशाद होगा कि (एक दिन या एक दिन से कम तो ग़लत है मगर इतना तो तुम्हारे इक़रार से जो कि सही भी है साबित हो गया कि) तुम (दुनिया में) थोड़ी ही मुद्दत रहे (लेकिन) क्या अच्छा होता कि तुम (यह बात उस वक़्त) समझते होते (कि दुनिया की बक़ा नाक़ाबिले एतिबार है और इसके अ़लावा और कोई रहने और ठिकाने की जगह है, मगर वहाँ तो दुनिया ही को बाक़ी रहने वाली समझा और इस आ़लम का इनकार करते रहे जैसा कि क़ुरआन की एक दूसरी आयत में उनके इस क़ौल का ज़िक्र है- सूरः अन्आ़म आयत 29 में। और अब जो ग़लती ज़ाहिर हुई और सही समझे तो बेफ़ायदा)।

(और एतिक़ाद की ग़लती पर तंबीह और चेताने के बाद आगे फिर उस एतिक़ाद पर डाँट है जो मज़मून के ख़ुलासे के तौर पर एक तरह से जुर्म की क़रारदाद है कि) हाँ! तो क्या तुमने यह ख़्याल किया था कि हमने तुमको यूँ ही (हिक्मत से ख़ाली) बेकार पैदा कर दिया है, और यह (ख़्याल किया था) कि तुम हमारे पास नहीं लाये जाओगे? (मतलब यह कि जब हमने अपनी आयतों में जिनका सच्चा होना सही और यक़ीनी दलीलों से साबित है क़ियामत और उसमें आमाल का बदला दिये जाने की ख़बर दी थी तो मालूम ही गया था कि क़ानून की पाबन्द मख़्लूक़ की पैदाईश की हिक्मतों में से एक हिक्मत यह भी है कि उसका इनकारी होना कितना बड़ा बुरा और गुनाह का काम था)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ

क़ियामत के दिन सूर दो मर्तबा फूँका जायेगा, **नफ़्ख़ा-ए-ऊला** यानी पहले सूर का यह असर होगा कि सारा आ़लम ज़मीन व आसमान और जो इसके बीच है फ़ना हो जायेगा और नफ़्ख़ा-ए-सानिया यानी दूसरे बार के फूँकने से फिर सारे मुर्दे ज़िन्दा होकर खड़े हो जायेंगे। क़ुरआने करीम की आयत 'सुम्-म नुफ़ि-ख़ फ़ीहि उख़्रा फ़-इज़ा हुम् क़ियामुंय्यन्ज़ुरून' (यानी सूरः ज़ुमर की आयत 68) में इसकी वज़ाहत मौजूद है। इस आयत में सूर का नफ़्ख़ा-ए-ऊला मुराद है या नफ़्ख़ा-ए-सानिया इसमें मतभेद है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से इब्ने ज़ुबैर रह. की रिवायत से मन्क़ूल है कि इस आयत में मुराद नफ़्ख़ा-ए-ऊला (पहली बार का सूर फूँकना) है और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद

रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया और अता रह. की रिवायत से यही बात हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से भी मन्क़ूल है कि मुराद इस जगह नफ़्ख़ा-ए-सानिया (दूसरी बार का सूर फूँकना) है, तफ़सीरे मज़हरी में इसी को सही क़रार दिया है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का क़ौल यह है कि क़ियामत के दिन एक-एक बन्दे मर्द व औरत को मेहशर के मैदान में लाया जायेगा और तमाम पहले और बाद वालों के उस भरे मजमे के सामने खड़ा किया जायेगा, फिर अल्लाह तआ़ला का एक मुनादी यह निदा करेगा कि यह शख़्स फ़ुलाँ बिन फ़ुलाँ है अगर किसी का कोई हक़ इसके ज़िम्मे है तो सामने आ जाये इससे अपना हक़ वसूल कर ले। यह वह वक़्त होगा कि बेटा इस पर ख़ुश होगा कि मेरा हक़ बाप के ज़िम्मे निकल आया, और बाप का कोई हक़ बेटे पर हुआ तो बाप ख़ुश होगा कि उससे वसूल करूँगा। इसी तरह मियाँ बीवी और भाई बहन जिसका जिस पर कोई हक़ होगा यह मुनादी सुनकर उससे वसूल करने पर तैयार और ख़ुश होगा, यही वह वक़्त है जिसके मुताल्लिक़ ऊपर बयान हुई इस आयत में आया है:

فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ.

यानी उस वक़्त आपसी नसबी रिश्ते और ताल्लुक़ात काम न आयेंगे, कोई किसी पर रहम न करेगा, हर शख़्स को अपनी फ़िक्र लगी होगी। यही मज़मून इस आयत का है:

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ.

यानी वह दिन जिस में हर इनसान अपने भाई से, माँ और बाप से, बीवी और औलाद से दूर भागेगा। (सूरः अ-ब-स आयत 34-36)

मेहशर में मोमिनों और काफ़िरों के हालात में फ़र्क़

मगर यह हाल काफ़िरों का ज़िक्र किया गया है जैसा कि ऊपर मौजूद है, मोमिनों का यह हाल नहीं होगा क्योंकि मोमिनों का हाल ख़ुद क़ुरआन ने यह ज़िक्र किया है:

اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ.

(सूरः तूर आयत 21) यानी नेक मोमिनों की औलाद को भी अल्लाह तआ़ला (बशर्ते कि वह मोमिन हो) अपने नेक माँ-बाप के साथ लगा देंगे। और हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़ियामत के दिन जिस वक़्त मेहशर में सब प्यासे होंगे तो मुसलमान बच्चे जो नाबालिग़ी की हालत में मर गये थे वे जन्नत का पानी लिये हुए निकलेंगे, लोग उनसे पानी माँगेंगे तो वे कहेंगे कि हम तो अपने माँ-बाप को तलाश कर रहे हैं, यह पानी उनके लिये है।

(इब्ने अबिद्दुन्या, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत से। मज़हरी)

इसी तरह एक सही हदीस में जिसको इब्ने असाकिर ने सही सनद के साथ हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल किया है यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़ियामत के दिन हर नसबी ताल्लुक़ या मियाँ-बीवी के ताल्लुक़ से जो रिश्ते पैदा होंगे वो सब ख़त्म हो जायेंगे (कोई किसी के काम न आयेगा) सिवाय मेरे नसब और मेरे निकाह के रिश्ते के। उलेमा ने फ़रमाया कि हुज़ूरे पाक के इस नसब में सारी उम्मत के मुसलमान भी दाख़िल हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उम्मत के बाप और आपकी पाक बीवियाँ उम्मत की माँएँ हैं। ख़ुलासा यह है कि रिश्ते और दोस्ती का कोई ताल्लुक़ किसी के काम न आना यह हाल मेहशर में काफ़िरों का होगा, मोमिन एक दूसरे की शफ़ाअत और मदद करेंगे और उनके ताल्लुक़ एक दूसरे के काम आयेंगे।

وَلَا يَتَسَآءَلُوْنَ○

यानी आपस में कोई किसी की बात न पूछेगा। और दूसरी एक आयत में जो यह ज़िक्र है:

وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ○

(सूरः सॉफ़्फ़ात आयत 27) यानी मेहशर में लोग आपस में एक दूसरे से सवालात करेंगे और हालात पूछेंगे, इसके बारे में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि मेहशर में खड़े होने की अनेक जगह और मौक़े होंगे, हर जगह का हाल अलग होगा। एक वक़्त ऐसा भी आयेगा कि कोई किसी को न पूछेगा, फिर किसी मौक़े और मक़ाम में जब वह हैबत और हौल का ग़लबा कम हो जायेगा तो आपस में एक दूसरे का हाल भी मालूम करेंगे। (तफ़सीरे मज़हरी)

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ○ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ○

यानी आमाल की तराज़ू में जिस शख़्स का नेकियों का पल्ला भारी होगा वही फ़लाह पाने वाले हैं और जिसका पल्ला नेकियों का हल्का रहेगा तो ये वे लोग हैं जिन्होंने दुनिया में ख़ुद अपने हाथों अपना नुक़सान किया और अब वे हमेशा के लिये जहन्नम में रहने वाले हैं।

इस आयत में मुक़ाबला सिर्फ़ कामिल मोमिनों और काफ़िरों का है और उन्हीं के आमाल का वज़न करना और उनमें से हर एक के अन्जाम का ज़िक्र किया गया है, कि कामिल मोमिनों का पल्ला भारी होगा, उनको फ़लाह (कामयाबी) हासिल होगी, काफ़िरों का पल्ला हल्का रहेगा उनको हमेशा के लिये जहन्नम में रहना पड़ेगा।

और क़ुरआने करीम की दूसरी वज़ाहतों और बयानात से साबित है कि इस जगह कामिल मोमिनों का पल्ला भारी होने का मतलब यह है कि दूसरे पल्ले यानी गुनाहों और बुरे कामों के पल्ले में कोई वज़न ही न होगा, वह ख़ाली नज़र आयेगा। और काफ़िरों का पल्ला हल्का होने का मतलब यह है कि नेकियों के पल्ले में कोई वज़न ही न होगा बिल्कुल ख़ाली जैसा हल्का रहेगा, जैसा कि क़ुरआन पाक में इरशाद है:

فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا○

(सूरः कहफ़ आयत 105) यानी हम काफ़िरों और उनके आमाल का क़ियामत के दिन कोई वज़न ही क़ायम न करेंगे।

यह हाल तो कामिल मोमिनों का हुआ और जिनसे गुनाह हुए ही नहीं या तौबा वग़ैरह से माफ़ कर दिये गये, आमाल के वज़न करने के वक़्त बुराईयों के पल्ले में उनके नाम पर कुछ न होगा। दूसरी तरफ़ काफ़िर हैं जिनके नेक आमाल भी ईमान की शर्त के मौजूद न होने के सबब इन्साफ़ की तराज़ू में बेवज़न होंगे। बाक़ी रहा मामला गुनाहगार मुसलमानों का जिनके नेकियों के पल्ले में भी

आमाल होंगे और बुराईयों के पल्ले में भी आमाल होंगे उनका ज़िक्र इस आयत में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया बल्कि आम तौर पर क़ुरआने करीम में गुनाहगार मुसलमानों की सज़ा व जज़ा से चुप्पी ही इख़्तियार की गयी है। इसकी वजह शायद यह हो कि क़ुरआन पाक उतरने के ज़माने में जितने मोमिन हज़रात यानी सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम थे वे सब के सब अ़दूल थे, यानी उमूमन तो वे बड़े गुनाहों से पाक ही रहे और अगर किसी से कोई गुनाह हो भी गया तो उसने तौबा कर ली, तौबा से माफ़ हो गया। (तफ़सीरे मज़हरी)

क़ुरआन मजीद की एक आयतः

خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا.

(यानी सूरः तौबा की आयत 102) में ऐसे लोगों का ज़िक्र है जिनके नेक व बुरे आमाल मिलेजुले हैं। उनके बारे में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि क़ियामत के दिन उन लोगों के आमाल का हिसाब इस तरह होगा कि जिस शख़्स की नेकियाँ उसके गुनाहों से बढ़ जायें चाहे एक ही नेकी की मिक़्दार से बढ़े वह जन्नत में जायेगा। और जिस शख़्स की बुराईयाँ और गुनाह नेकियों से बढ़ जायें चाहे वह एक ही गुनाह की मात्रा से बढ़े वह दोज़ख़ में जायेगा, मगर उस मोमिन गुनाहगार का दोज़ख़ में दाख़िला उसकी सफ़ाई और पाक करने के लिये होगा जैसे लोहे, सोने वग़ैरह को आग में डालकर मैल और ज़ंग से साफ़ किया जाता है, उसका जहन्नम में जाना भी ऐसा ही होगा। जिस वक़्त जहन्नम की आग से उसके गुनाहों का ज़ंग (मैल) दूर हो जायेगा तो जन्नत में भेज दिया जायेगा। और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि क़ियामत की आमाल की तराज़ू ऐसा सही वज़न करने वाली होगी कि एक राई के दाने के बराबर भी क़मी-बेशी होगी तो पल्ला झुक जायेगा या उठ जायेगा। और जिस शख़्स की नेकियाँ और बुराईयाँ अ़मल की तराज़ू में बिल्कुल बराबर सराबर रहेंगी तो वह आराफ़ वालों में दाख़िल होगा और एक ज़माने तक दोज़ख़ और जन्नत के बीच दूसरे हुक्म का मुन्तज़िर रहेगा, और आख़िरकार उसको भी जन्नत में दाख़िला मिल जायेगा।

(इब्ने अबी हातिम, तफ़सीरे मज़हरी)

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के इस क़ौल में काफ़िरों का ज़िक्र नहीं सिर्फ़ गुनाहगार मोमिनों का ज़िक्र है।

आमाल के वज़न करने की कैफ़ियत

हदीस की कुछ रिवायतों से मालूम होता है कि ख़ुद मोमिन व काफ़िर इनसान को अ़दल की तराज़ू में रखकर तौला जायेगा। काफ़िर का कोई वज़न न होगा चाहे वह कितना ही मोटा-ताज़ा हो।

(बुख़ारी व मुस्लिम, अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस से)

और हदीस की कुछ रिवायतों से मालूम होता है कि उनके नामा-ए-आमाल तौले जायेंगे। इमाम तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, इब्ने हिब्बान और हाकिम ने यह मज़मून हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है। और कुछ रिवायतों से यह मालूम होता है कि हर इनसान के आमाल जो दुनिया में बिना जिस्म और वज़न के होते हैं मेहशर में उनको जिस्म अ़ता करके अ़मल की तराज़ू में

रखा जायेगा, वो तौले जायेंगे। इमाम तबरानी वग़ैरह ने यह रिवायत हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से यह रिवायत नक़ल की है।

हदीस की इन सब रिवायतों के अलफ़ाज़ और मतन तफ़सीरे मज़हरी में मुकम्मल मौजूद हैं वहाँ देखे जा सकते हैं। इसी आख़िरी क़ौल की ताईद में एक हदीस इमाम अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने 'फ़ज़्लुल-इल्म' में इब्राहीम नख़ई रह. से नक़ल की है कि क़ियामत के दिन एक शख़्स के आमाल वज़न के लिये लाये जायेंगे और तराज़ू के पल्ले में रखे जायेंगे तो यह पल्ला हल्का रहेगा। फिर एक चीज़ ऐसी लाई जायेगी जो बादल की तरह होगी उसको भी उसके नेकियों के पल्ले में रख दिया जायेगा तो यह पल्ला भारी हो जायेगा, उस वक़्त उस शख़्स से कहा जायेगा कि तुम जानते हो यह क्या चीज़ है (जिसने तुम्हारी नेकियों का पल्ला भारी कर दिया)? वह कहेगा मुझे कुछ मालूम नहीं। तो बतलाया जायेगा कि यह तेरा इल्म है जो तू लोगों को सिखाया करता था। और इमाम ज़हबी ने 'फ़ज़्ल-ए-इल्म' में हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़ियामत के दिन शहीदों का ख़ून और उलेमा की रोशनाई (जिससे उन्होंने इल्मे दीन की किताबें लिखी थीं) आपस में तौले जायेंगे तो उलेमा की रोशनाई का वज़न शहीदों के ख़ून से ज़्यादा निकलेगा। (तफ़सीरे मज़हरी)

आमाल के तौले और वज़न किये जाने की कैफ़ियत के मुताल्लिक़ तीनों क़िस्म की रिवायतें नक़ल करने के बाद तफ़सीरे मज़हरी में फ़रमाया है कि इसमें कोई दूर की और मुश्किल बात नहीं कि ख़ुद इनसान और उसके आमाल को जिस्मानी शक्ल में तौला जाये या उसके नामा-ए-आमाल को उसके साथ रखकर तौला जाये, इसलिये इन तीनों रिवायतों में कोई टकराव और विरोधाभास नहीं।

وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ○

'कालिह' लुग़त में उस शख़्स को कहा जाता है जिसके दोनों होंठ उसके दाँतों को न छुपायें, एक ऊपर रहे दूसरा नीचे, दाँत निकले हुए नज़र आयें जो निहायत बदसूरत है। जहन्नम में जहन्नमी का ऊपर का होंठ ऊपर चढ़ जायेगा और नीचे का होंठ नीचे लटक जायेगा, दाँत खुले निकले नज़र आयेंगे।

وَلَا تُكَلِّمُوْنِ○

हज़रत हसन बसरी रह. ने फ़रमाया कि जहन्नम वालों का यह आख़िरी कलाम होगा जिसके जवाब में हुक्म हो जायेगा कि हमसे कलाम न करो, फिर वे किसी से कुछ कलाम न कर सकेंगे, जानवरों की तरह एक दूसरे की तरफ़ भौंकेंगे। और इमाम बैहक़ी वग़ैरह ने मुहम्मद बिन कअ़ब रह. से नक़ल किया है कि क़ुरआन में जहन्नम वालों की पाँच दरख़्वास्तें नक़ल की गयी हैं उनमें से चार का जवाब दिया गया और पाँचवीं के जवाब में हुक्म हो गया 'ला तुकल्लिमून' (यानी मुझसे मत बोलो) बस यह उनका आख़िरी कलाम होगा इसके बाद कुछ न बोल सकेंगे। (तफ़सीरे मज़हरी)

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ۝ وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۭ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ۝ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ۝

फ़-तआलल्लाहुल्-मलिकुल्-हक़्क़ु ला इला-ह इल्ला हु-व रब्बुल् अर्शिल्-करीम (116) व मंय्यद्अु मअ़ल्लाहि इलाहन् आख़-र ला बुर्हा-न लहू बिही फ़-इन्नमा हिसाबुहू अ़िन्-द रब्बिही, इन्नहू ला युफ़्लिहुल्-काफ़िरून (117) व क़ुर्रब्बिग़्फ़िर् वर्हम् व अन्-त ख़ैरुर्राहिमीन (118) ✿

सो बहुत ऊपर है अल्लाह वह बादशाह सच्चा, कोई हाकिम नहीं उसके सिवाय, मालिक उस इज़्ज़त के तख़्त का। (116) और जो कोई पुकारे अल्लाह के साथ दूसरा हाकिम जिसकी सनद नहीं उसके पास सो उसका हिसाब है उसके रब के नज़दीक, बेशक भला न होगा मुन्किरों का। (117) और तू कह ऐ रब! माफ़ कर और रहम कर और तू है बेहतर सब रहम वालों से। (118) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(और ये सब मज़ामीन जब मालूम हो चुके) सो (इससे यह पूर्ण रूप से साबित हो गया कि) अल्लाह तआ़ला बहुत ही आ़लीशान है जो कि बादशाह (है और बादशाह भी) हक़ीक़ी है उसके सिवा कोई भी इबादत के लायक़ नहीं, (और वह) अ़र्शे अ़ज़ीम का मालिक है। और जो शख़्स (इस बात पर दलील क़ायम होने के बाद) अल्लाह के साथ किसी और माबूद की भी इबादत करे कि जिस (के माबूद होने) पर उसके पास कोई भी दलील नहीं, सो उसका हिसाब उसी के रब के यहाँ होगा, (जिसका लाज़िमी नतीजा यह है कि) यक़ीनन काफ़िरों को फ़लाह न होगी (बल्कि हमेशा-हमेशा के लिये अ़ज़ाब में रहेंगे)। और (जब हक़ तआ़ला की यह शान है तो) आप (और दूसरे लोग और भी ज़्यादा) यूँ कहा करें कि ऐ मेरे रब! (मेरी ख़ताएँ) माफ़ कर और (हर हालत में मुझ पर) रहम कर (रोज़ी और दुनिया की ज़िन्दगी में भी, नेकियों की तौफ़ीक़ में भी, आख़िरत की निजात में भी, जन्नत अ़ता फ़रमाने में भी) और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

ये सूरः मोमिनून की आख़िरी आयतें यानी आयत नम्बर 115 से लेकर 118 तक की चार आयतें ख़ास फ़ज़ीलत रखती हैं। इमाम बग़वी और सालबी ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु

अ़न्हु से रिवायत किया है कि उनका गुज़र एक ऐसे बीमार पर हुआ जो सख़्त बीमारियों में मुब्तला था। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने उसके कान में सूरः मोमिनून की ये आयतें (यानी आख़िर की चार आयतें) पढ़ दीं, वह उसी वक़्त अच्छा हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनसे मालूम किया कि आपने उसके कान में क्या पढ़ा? अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अ़र्ज़ किया ये आयतें पढ़ी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़सम है उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है अगर कोई आदमी जो यक़ीन रखने वाला हो ये आयतें पहाड़ पर पढ़ दे तो पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी व मज़हरी)

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ.

यहाँ 'इग़्फ़िर' और 'इर्हम्' दोनों का मफ़ऊल ज़िक्र नहीं किया गया कि क्या माफ़ करें और किस चीज़ पर रहम करें। इससे इशारा इसके आ़म होने की तरफ़ है कि दुआ़-ए-मग़फ़िरत शामिल है हर नुक़सान देने वाली और तकलीफ़देह चीज़ के दूर करने को, और दुआ़-ए-रहमत शामिल है हर मुराद और महबूब चीज़ के हासिल होने को। क्योंकि तकलीफ़ व नुक़सान का दूर होना और फ़ायदे व मतलूब चीज़ का हासिल होना जो इनसानी ज़िन्दगी और उसके मक़ासिद का ख़ुलासा हैं दोनों इसमें शामिल हो गये। (तफ़सीरे मज़हरी) और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को दुआ़-ए-मग़फ़िरत व रहमत की तल्क़ीन (तालीम व हिदायत) इसके बावजूद कि आप मासूम (ख़ताओं से सुरक्षित) और मरहूम (हर वक़्त अल्लाह की रहमत में) ही हैं, दर असल उम्मत को सिखाने के लिये है कि तुम्हें इस दुआ़ का कितना एहतिमाम करना चाहिये। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ٥

सूरः मोमिनून की शुरूआ़त 'क़द् अफ़्लहल्-मुअ्मिनून' से हुई थी और समापन 'ला युफ़्लिहुल्-काफ़िरून' पर किया गया जिससे मालूम हुआ कि फ़लाह यानी मुकम्मल कामयाबी मोमिनों ही का हिस्सा है, काफ़िर इससे मेहरूम हैं।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः मोमिनून की तफ़सीर मुहर्रम सन् 1391 हिजरी के शुरू हिस्से के आठ दिनों में पूरी हुई जिसका आख़िरी यौम-ए-आ़शूरा पीर का दिन था। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तआ़ला के लिये हैं और उसी से यह नाचीज़ इस तफ़सीर के बाक़ी हिस्से की तकमील की तौफ़ीक़ की मदद चाहता है। वह हर चीज़ पर ग़ालिब है, कोई चीज़ उसकी क़ुदरत से बाहर नहीं।

अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि सूरः मोमिनून की तफ़सीर मुकम्मल हुई।

सूरः नूर

सूरः नूर मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 64 आयतें और 9 रुकूअ़ हैं।

آیاتہا ٦٤ (٢٤) سُوْرَۃُ النُّوْرِ مَدَنِیَّۃٌ (١٠٢) رکوعاتہا ٩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

सूरतुन् अन्ज़ल्नाहा व फ़रज़्नाहा व अन्ज़ल्ना फ़ीहा आयातिम् बय्यिनातिल् लअ़ल्लकुम् तज़क्करून (1) अज़्ज़ानि-यतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्-ल वाहिदिम्-मिन्हुमा मि-अ-त जल्दतिंव्-व ला तअ्ख़ुज़्कुम् बिहिमा रअ्-फ़तुन् फ़ी दीनिल्लाहि इन् कुन्तुम् तुअ्मिनू-न बिल्लाहि वल्यौमिल्-आख़िरि वल्यश्हद् अ़ज़ाबहुमा ताइ-फ़तुम् मिनल्-मुअ्मिनीन (2)	यह एक सूरत है कि हमने उतारी और ज़िम्मे पर लाज़िम की और उतारी इसमें बातें साफ़ ताकि तुम याद रखो। (1) बदकारी करने वाली औरत और मर्द सो मारो हर एक को दोनों में से सौ-सौ दुर्रे और न आये तुमको उन पर तरस अल्लाह के हुक्म चलाने में अगर तुम यकीन रखते हो अल्लाह पर और पिछले दिन पर, और देखें उनको मारना कुछ लोग मुसलमान। (2)

सूरः नूर की कुछ विशेषतायें

इस सूरत में ज़्यादातर अहकाम आबरू और पाकदामनी की हिफ़ाज़त और सत्तर व पर्दे के बारे में

हैं और इसी को पूरा करने के लिये ज़िना की सज़ा का बयान आया। पिछली सूरत यानी सूरः मोमिनून में मुसलमानों की दुनिया व आख़िरत की फ़लाह व कामयाबी को जिन सिफ़तों और गुणों पर मौक़ूफ़ रखा गया है उनमें से एक अहम सिफ़त शर्मगाहों की हिफ़ाज़त थी जो ख़ुलासा है पाकदामनी और आबरू के बयानात का। इस सूरत में पाकदामनी के एहतिमाम के लिये संबन्धित अहकाम ज़िक्र किये गये हैं, इसी लिये औरतों को इस सूरत की तालीम की ख़ुसूसी हिदायतें आई हैं।

हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने कूफ़ा वालों के नाम अपने एक फ़रमान में लिखा थाः

عَلِّمُوْا نِسَآءَ كُمْ سُوْرَةَ النُّوْرِ.

यानी अपनी औरतों को सूरः नूर की तालीम दो।

ख़ुद इस सूरत की शुरूआत जिन अलफ़ाज़ से की गयी है 'सूरतुन् अन्ज़ल्नाहा व फ़रज़्नाहा' यह भी इस सूरत के ख़ास एहतिमाम और पाबन्दी की तरफ़ इशारा है।

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

यह एक सूरत है जिस (के अलफ़ाज़) को (भी) हम (ही) ने नाज़िल किया है और इस (के मायने यानी अहकाम) को (भी) हम (ही) ने मुक़र्रर किया है (चाहे वो फ़र्ज़ व वाजिब हों या मुस्तहब) और हमने (उन अहकाम पर दलालत करने के लिये) इस (सूरत) में साफ़-साफ़ आयतें नाज़िल की हैं ताकि तुम समझो (और अ़मल करो)। ज़िना कराने वाली औरत और ज़िना करने वाला मर्द, (दोनों का हुक्म यह है कि) उनमें से हर एक को सौ दुर्रे मारो, और तुम लोगों को उन दोनों पर अल्लाह के मामले में ज़रा रहम न आना चाहिए (कि रहम खाकर छोड़ दो या सज़ा में कमी कर दो) अगर अल्लाह पर और क़ियामत के दिन पर ईमान रखते हो, और दोनों की सज़ा के वक़्त मुसलमानों की एक जमाअ़त को हाज़िर रहना चाहिए (ताकि उनकी रुस्वाई हो और देखने सुनने वालों को इब्रत हो)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इस सूरत की पहली आयत तो बतौर प्रारम्भिका के है जिससे इसके अहकाम का ख़ास एहतिमाम बयान करना मक़सद है, और अहकाम में सबसे पहले ज़िना की सज़ा का ज़िक्र जो सूरत का उद्देश्य, पाकदामनी और उसके लिये निगाहों तक की हिफ़ाज़त, बग़ैर इजाज़त किसी के घर में जाने और नज़र करने की मनाही के अहकाम आगे आने वाले हैं, ज़िना का अपराध करना इन तमाम एहतियातों को तोड़कर आबरू व पाकदामनी के ख़िलाफ़ इन्तिहाई हद पर पहुँचना और अल्लाह के अहकाम की खुली बग़ावत है। इसी लिये इस्लाम में इनसानी अपराधों पर जो सज़ायें (हदें) क़ुरआन में मुतैयन कर दी गयी हैं ज़िना की सज़ा भी उन तमाम अपराधों की सज़ा से सख़्त और ज़्यादा है। ज़िना ख़ुद एक बहुत बड़ा जुर्म होने के अ़लावा अपने साथ सैकड़ों जुर्म लेकर आता है और उसके परिणाम पूरी इनसानियत की तबाही है। दुनिया में जितने क़त्ल व ग़ारतगरी के वाक़िआ़त पेश आते हैं तहक़ीक़ की जाये तो उनमें ज़्यादातर का सबब कोई औरत और उससे हराम ताल्लुक़ होता है, इसलिये सूरत के शुरू में इस बहुत बड़े जुर्म व बेहयाई का ख़ात्मा करने के लिये इसकी शरई सज़ा बतलाई गयी है।

ज़िना एक बड़ा जुर्म और बहुत से अपराधों का मजमूआ है इसलिये इस्लाम में इसकी सज़ा भी सबसे बड़ी रखी गयी है

क़ुरआने करीम और निरन्तर हदीसों ने चार जुर्मों की सज़ा और उसका तरीक़ा ख़ुद मुतैयन कर दिया है, किसी क़ाज़ी या अमीर की राय पर नहीं छोड़ा। उन्हीं निर्धारित सज़ाओं को शरीअ़त की परिभाषा में **हुदूद** कहा जाता है, उनके अ़लावा बाक़ी जुर्मों की सज़ा को इस तरह मुतैयन नहीं किया गया बल्कि अमीर या क़ाज़ी मुजरिम की हालत और जुर्म की हैसियत और माहौल वग़ैरह के मजमूए पर नज़र करके जिस क़द्र सज़ा देने को जुर्म के रोकने और ख़ात्मे के लिये काफ़ी समझे वह सज़ा दे सकता है। ऐसी सज़ाओं को शरीअ़त की परिभाषा में **ताज़ीरात** कहा जाता है। शरई हुदूद चार हैं।

(1) चोरी। (2) किसी पाकदामन औ़रत पर तोहमत रखना। (3) शराब पीना और (4) ज़िना करना। इनमें से हर जुर्म अपनी जगह बड़ा सख़्त और दुनिया के अमन व अमान को बरबाद करने वाला और बहुत सी ख़राबियों का मजमूआ है, लेकिन इन सब में भी ज़िना के बुरे परिणाम और नतीजे जैसे दुनिया के निज़ामे इनसानियत को तबाह व बरबाद करने वाले हैं वे शायद किसी दूसरे जुर्म में नहीं।

1. किसी शख़्स की बेटी, बहन, बीवी पर हाथ डालना उसके हलाक व तबाह करने के बराबर है। शरीफ़ इनसान को सारा माल व जायदाद और अपना सब कुछ क़ुरबान कर देना इतना मुश्किल नहीं जितना अपने हरम (घर की औ़रतों) की आबरू पर हाथ डालना। यही वजह है कि दुनिया में रोज़मर्रा यह वाक़िआ़त पेश आते रहते हैं कि जिन लोगों के हरम पर हाथ डाला गया है वे अपनी जान की परवाह किये बग़ैर ज़ानी के क़त्ल व फ़ना करने के पीछे लग जाते हैं और बदले का यह जोश नस्लों में चलता है और ख़ानदानों को तबाह कर देता है।

2. जिस क़ौम में ज़िना आ़म हो जाये वहाँ किसी का नसब महफ़ूज़ नहीं रहता। माँ बहन बेटी वग़ैरह जिनसे निकाह हराम है जब ये रिश्ते भी ग़ायब हो गये तो अपनी बेटी और बहन भी निकाह में आ सकती है जो ज़िना से भी ज़्यादा सख़्त जुर्म है।

3. ग़ौर किया जाये तो दुनिया में जहाँ कहीं बद-अमनी और फ़ितना व फ़साद होता है उसका ज़्यादातर सबब औ़रत और उससे कम माल होता है। जो क़ानून औ़रत और दौलत की हिफ़ाज़त सही अन्दाज़ में कर सके, उनको उनकी निर्धारित सीमाओं से बाहर न निकलने दे वही क़ानून दुनिया के अमन का ज़ामिन (गारंटी देने वाला) हो सकता है। यह जगह ज़िना की तमाम बुराईयाँ और ख़राबियाँ जमा करने और तफ़सील से बयान करने की नहीं, इनसानी समाज के लिये उसकी तबाहकारी के मालूम होने के लिये इतना भी काफ़ी है, इसी लिये इस्लाम ने ज़िना की सज़ा को दूसरे सारे जुर्मों की सज़ाओं से ज़्यादा सख़्त क़रार दिया है। वह सज़ा उक्त आयत में इस तरह बयान की है:

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

इसमें ज़िना करने वाली औ़रत का ज़िक्र पहले और ज़िना करने वाले मर्द का बाद में लाया गया है, सज़ा दोनों की एक ही है। अहकाम के बयान करने का आ़म अन्दाज़ यह है कि अक्सर तो सिर्फ़

मर्दों को मुख़ातब करके हुक्म दे दिया जाता है औरतें भी उसमें उनके तहत में शामिल होती हैं, उनका अलग से ज़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं समझी जाती। सारे क़ुरआन में 'या अय्युहल्लज़ी-न आमनू' के पुल्लिंग कलिमे से जो अहकाम बयान किये गये हैं औरतें भी उसमें बग़ैर ज़िक्र के शामिल क़रार दी गयी हैं। शायद हिक्मत इसकी यह है कि जिस तरह अल्लाह तआ़ला ने औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया है उनके ज़िक्र को भी मर्दों के ज़िक्र की तहत में छुपा करके बयान किया गया है। और चूँकि इस तरीक़े से यह गुमान था कि किसी को यह शुब्हा हो जाये कि ये सब अहकाम मर्दों ही के लिये हैं औरतें इनसे मुक्त और बरी हैं इसलिये ख़ास-ख़ास आयतों में मुस्तक़िल तौर पर औरतों का ज़िक्र भी कर दिया जाता है जैसे एक आयत में हैः

اَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ.

और जहाँ मर्द व औरत दोनों ही का ज़िक्र करना होता है तो तबई तरतीब यह होती है कि मर्द का ज़िक्र पहले और औरत का बाद में होता है। चोरी की सज़ा में इसी आम परिचित उसूल के मुताबिक़ 'अस्सारिक़ु वस्सारि-क़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा' फ़रमाया है, जिसमें चोरी करने वाले मर्द को पहले और औरत को बाद में ज़िक्र किया गया है, मगर ज़िना की सज़ा में अव्वल तो औरत के ज़िक्र के मर्दों के तहत में आ जाने पर बस नहीं किया गया बल्कि स्पष्ट तौर पर ज़िक्र मुनासिब समझा गया, दूसरे औरत का ज़िक्र मर्द से पहले बयान किया गया। इसमें बहुत सी हिक्मतें हैं अव्वल तो औरत पैदाईशी तौर पर कमज़ोर और तबई तौर पर क़ाबिले रहम समझी जाती है, अगर उसका स्पष्ट रूप से ज़िक्र न होता तो किसी को यह शुब्हा हो सकता था कि शायद औरत इस सज़ा से अलग और बाहर है। और औरत का ज़िक्र पहले इसलिये किया गया कि ज़िना का काम एक ऐसी बेहयाई है जिसका औरत की तरफ़ से होना बहुत ही बेबाकी और बेपरवाही से हो सकता है। क्योंकि क़ुदरत ने उसके मिज़ाज में फ़ितरी तौर पर एक हया और अपनी आबरू की हिफ़ाज़त का ताक़तवर जज़्बा रखा है और उसकी हिफ़ाज़त के लिये बड़े सामान जमा फ़रमाये हैं। उसकी तरफ़ से इस काम का ज़ाहिर होना मर्द की तुलना में ज़्यादा सख़्त है, बख़िलाफ़ चोर के कि मर्द को अल्लाह तआ़ला ने कमाने की क़ुव्वत दी है, अपनी ज़रूरतें अपने अ़मल (काम व मेहनत) से हासिल करने के मौक़े उसके लिये उपलब्ध किये हैं, न यह कि उनको छोड़कर चोरी करने पर उतर आये, यह मर्द के लिये बड़ी शर्म और ऐब की बात है। औरत के चूँकि ये हालात नहीं हैं अगर उससे चोरी का काम हो जाये तो मर्द की तुलना में वह कम दर्जे का ऐब है।

فَاجْلِدُوْا.

लफ़्ज़ 'जल्द' कोड़ा मारने के मायने में आता है। वह जिल्द से निकला है, क्योंकि कोड़ा उमूमन चमड़े से बनाया जाता है। कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात ने फ़रमाया कि लफ़्ज़ 'जल्द' से ताबीर करने में इस तरफ़ इशारा है कि यह कोड़ों या दुर्रों की चोट इस हद तक रहनी चाहिये कि उसका असर इनसान की खाल तक रहे, गोश्त तक न पहुँचे। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कोड़े लगाने की सज़ा में इसी दरमियानी दर्जे की हिदायत अ़मलन फ़रमाई है कि कोड़ा न बहुत सख़्त हो जिससे गोश्त तक उधड़ जाये और न बहुत नर्म हो कि उससे कोई ख़ास तकलीफ़ ही न पहुँचे। इस

जगह अक्सर हज़राते मुफ़स्सिरीन ने हदीस की ये रिवायतें सनद और अलफ़ाज़ के साथ लिख दी हैं।

सौ कोड़ों की उक्त सज़ा सिर्फ़ ग़ैर-शादीशुदा मर्द और औरत के लिये ख़ास है, शादीशुदा लोगों की सज़ा संगसारी है

यह बात याद रखने की है कि ज़िना की सज़ा के अहकाम दर्जा-ब-दर्जा आये हैं और आसानी से सख़्ती की तरफ़ बढ़ते गये हैं, जैसे शराब की हुर्मत (हराम होने) में भी इसी तरह की चरणबद्धता ख़ुद क़ुरआन में मज़कूर है जिसकी तफ़सील पहले गुज़र चुकी है। ज़िना की सज़ा का सबसे पहला हुक्म तो वह था जो सूरः निसा की आयत नम्बर 15 और 16 में मज़कूर है, वह यह है:

وَالّٰتِیْ یَاْتِیْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَیْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْکُمْ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِکُوْهُنَّ فِی الْبُیُوْتِ حَتّٰی یَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْیَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِیْلًاo وَالَّذٰنِ یَاْتِیٰنِهَا مِنْکُمْ فَاٰذُوْهُمَا فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا اِنَّ اللّٰهَ کَانَ تَوَّابًا رَّحِیْمًاo

“और जो कोई बदकारी करे तुम्हारी औरतों में से तो गवाह लाओ उन पर चार मर्द अपनों में से, फिर अगर वे गवाही दें तो बन्द रखो उन औरतों को घरों में यहाँ तक कि उठा ले उनको मौत या मुक़र्रर कर दे अल्लाह तआ़ला उनके लिये कोई राह। और जो मर्द करें तुम में से वही बदकारी तो उनको तकलीफ़ दो, फिर अगर वे तौबा कर लें और अपना सुधार कर लें तो उनका ख़्याल छोड़ दो। बेशक अल्लाह तआ़ला तौबा क़ुबूल करने वाला मेहरबान है।” (सूरः निसा आयत 15-16)

इन दोनों आयतों की मुकम्मल तफ़सीर और ज़रूरी बयान सूरः निसा में आ चुका है। यहाँ इसलिये इसको दोहराया गया है कि ज़िना की सज़ा का शुरूआ़ती दौर सामने आ जाये। इन आयतों में एक तो ज़िना के साबित होने का ख़ास तरीक़ा चार मर्दों की गवाही के साथ होना बयान फ़रमाया है। दूसरे ज़िना की सज़ा औरत के लिये घर में क़ैद रखना और दोनों के लिये तकलीफ़ पहुँचाना मज़कूर है और साथ ही इसमें यह भी बयान कर दिया गया है कि ज़िना की सज़ा का यह हुक्म आख़िरी नहीं आईन्दा और कुछ हुक्म आने वाला है 'औ यज्अ़लल्लाहु लहुन्-न सबीला' का यही मतलब है।

ज़िक्र हुई सज़ा में औरतों को घर में क़ैद रखना उस वक़्त काफ़ी क़रार दिया गया और दोनों को तकलीफ़ देने की सज़ा काफ़ी क़रार दी गयी, मगर उस ईज़ा और तकलीफ़ की कोई ख़ास सूरत ख़ास मात्रा और सज़ा बयान नहीं फ़रमाई है बल्कि क़ुरआन के अलफ़ाज़ से मालूम होता है कि ज़िना की शुरूआ़ती सज़ा सिर्फ़ ताज़ीरी थी जिसकी मात्रा शरीअ़त से मुतैयन नहीं हुई बल्कि क़ाज़ी या अमीर की मर्ज़ी और उसके बेहतर समझने पर मौक़ूफ़ थी। इसलिये तकलीफ़ देने का अस्पष्ट लफ़्ज़ इख़्तियार फ़रमाया गया। मगर साथ ही 'औ यज्अ़लल्लाहु लहुन्-न सबीला' फ़रमाकर इस तरफ़ इशारा कर दिया कि यह हो सकता है कि आगे चलकर इन मुजरिमों के लिये सज़ा का कोई और तरीक़ा जारी किया जाये। जब सूरः नूर की ये आयतें नाज़िल हुईं तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि सूरः निसा में जो वायदा किया गया था 'औ यज्अ़लल्लाहु लहुन्-न सबीला' यानी यह कि “या अल्लाह तआ़ला उनके लिये कोई और रास्ता बता दे” तो सूरः नूर की इस आयत ने वह रास्ता

और तरीक़ा बतला दिया यानी सौ कोड़े मारने की सज़ा औरत मर्द दोनों के लिये मुतैयन फ़रमा दी। इसके साथ ही हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने सौ कोड़े मारने की सज़ा को ग़ैर-शादीशुदा मर्द व औरत के लिये ख़ास क़रार देकर फ़रमायाः

يعنى اَلرَّجْمُ لِلثَّيِّبِ وَالْجَلْدُ لِلْبِكْرِ.

"यानी वह तरीक़ा, राह और ज़िना की सज़ा का निर्धारण यह है कि शादीशुदा मर्द व औरत से यह गुनाह हो जाये तो उनको संगसार (पत्थर मार-मार) करके ख़त्म किया जाये, और ग़ैर-शादीशुदा के सौ कोड़े मारना सज़ा है।" (बुख़ारी शरीफ़, किताबुत्तफ़सीर पेज नम्बर 657)

ज़ाहिर है कि सूरः नूर की उक्त आयत में तो बग़ैर किसी तफ़सील के ज़िना की सज़ा सौ कोड़े होना मज़कूर है। इस हुक्म का ग़ैर-शादीशुदा मर्द व औरत के साथ मख़्सूस होना और शादीशुदा के लिये रजम यानी संगसारी की सज़ा होना उनको किसी दूसरी दलील यानी हदीस से मालूम हुआ होगा और वह हदीस सही मुस्लिम, मुस्नद अहमद, सुनन नसाई, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा में हज़रत उबादा इब्ने सामित रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से इस तरह आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

خُذُوْا عَنِّىْ خُذُوْا عَنِّىْ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَّتَغْرِيْبُ عَامٍ وَّالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَّالرَّجْمُ. (ابن كثير)

"मुझसे इल्म हासिल कर लो मुझसे इल्म हासिल कर लो कि अल्लाह तआ़ला ने ज़ानी मर्द व औरत के लिये वह रास्ता जिसका वायदा सूरः निसा की आयत में हुआ था अब सूरः नूर में बयान फ़रमा दिया है, वह यह है कि ग़ैर-शादीशुदा मर्द व औरत के लिये सौ कोड़े और साल भर जिला-वतनी और शादीशुदा मर्द व औरत के लिये सौ कोड़े और संगसारी।" (इब्ने कसीर)

ग़ैर-शादीशुदा मर्द व औरत की सज़ा सौ कोड़े जो सूरः नूर की आयत में बयान हुई है, इस हदीस में उसके साथ एक और सज़ा का ज़िक्र है कि मर्द को साल भर के लिये जिला-वतन भी कर दिया जाये। इसमें फ़ुक़हा (दीनी मसाईल के माहिर उलेमा) का मतभेद है कि यह साल भर की जिला-वतनी (देस-निकाले) की सज़ा ज़ानी मर्द को सौ कोड़ों की तरह लाज़िमी है या क़ाज़ी की मर्ज़ी और बेहतर समझने पर मौक़ूफ़ है, कि वह ज़रूरत समझे तो साल भर के लिये जिला-वतन भी कर दे। इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रह. के नज़दीक यही आख़िरी सूरत सही है, यानी हाकिम की राय पर मौक़ूफ़ है।

दूसरी बात इस हदीस में यह है कि शादीशुदा मर्द व औरत के लिये संगसारी (पत्थर मार-मारकर हलाक करने) से पहले सौ कोड़ों की सज़ा भी है मगर हदीस की दूसरी रिवायतें और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और अक्सर ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के अ़मल व तरीक़े से साबित यह है कि ये दोनों सज़ायें जमा नहीं होंगी। शादीशुदा पर सिर्फ़ संगसारी की सज़ा जारी की जायेगी। इस हदीस में ख़ास तौर पर यह बात ग़ौर करने के क़ाबिल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इसमें 'औ यज्अ़लल्लाहु लहुन्-न सबीला' की तफ़सीर बयान फ़रमाई है। और तफ़सीर में जो बात सूरः नूर की आयत में मज़कूर है यानी सौ कोड़े लगाना, उस पर कुछ अतिरिक्त चीज़ों का इज़ाफ़ा भी है,

अव्वल सौ कोड़ों की सज़ा का ग़ैर-शादीशुदा मर्द व औरत के लिये मख़्सूस होना, दूसरे साल भर की जिला-वतनी का इज़ाफ़ा, तीसरे शादीशुदा मर्द व औरत के लिये रजम व संगसारी का हुक्म। ज़ाहिर है कि इसमें सूरः नूर की आयत पर जिन चीज़ों की ज़्यादती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाई वो भी अल्लाह की वही और उसके हुक्म ही से थी क्योंकि नबी पाक जो कुछ फ़रमाते हैं वह अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से वही के ज़रिये बतलाया जाता है, और पैग़म्बर और उनसे डायरेक्ट सुनने वालों के हक़ में वह वही जो क़ुरआन की शक्ल में तिलावत की जाती है और वह वही जिसकी तिलावत नहीं होती दोनों बराबर हैं। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सहाबा-ए-किराम के आ़म मजमे के सामने इस पर अ़मल फ़रमाया। हज़रत माइज़ और ग़ामदिया पर संगसारी की सज़ा जारी फ़रमाई जो हदीस की तमाम किताबों में सही सनदों के साथ मज़कूर है। और हज़रत अबू हुरैरह और हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जोहनी रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा की रिवायत बुख़ारी व मुस्लिम में है कि एक ग़ैर-शादीशुदा मर्द ने जो एक शादीशुदा औरत का मुलाज़िम था उसके साथ ज़िना किया। ज़ानी लड़के का बाप उसको लेकर हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। वाक़िआ़ उसके इक़रार से साबित हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

لَاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ.

यानी मैं तुम दोनों के मामले का फ़ैसला किताबुल्लाह के मुताबिक़ कर दूँगा।

फिर यह हुक्म सादिर फ़रमाया कि ज़ानी लड़का जो ग़ैर-शादीशुदा था उसको सौ कोड़े लगाये जायें और औरत शादीशुदा थी उसको रजम व संगसार करने के लिये हज़रत उनैस रज़ियल्लाहु अ़न्हु को हुक्म फ़रमाया। उन्होंने ख़ुद औरत से बयान लिया उसने स्वीकार कर लिया तो उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हुक्म से संगसारी की सज़ा जारी हुई। (इब्ने कसीर)

इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक को सौ कोड़े लगाने की दूसरे को संगसार करने की सज़ा दी, और दोनों सज़ाओं को किताबुल्लाह का फ़ैसला फ़रमाया, हालाँकि सूरः नूर की आयत में सिर्फ़ कोड़ों की सज़ा का ज़िक्र है, संगसारी की सज़ा मज़कूर नहीं। वजह वही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को जो इस आयत की मुकम्मल तफ़सीर व वज़ाहत और तफ़सीली हुक्म वही के ज़रिये अल्लाह तआ़ला ने बतला दिया था वह सारा किताबुल्लाह ही के हुक्म में है अगरचे उसमें से कुछ हिस्सा किताबुल्लाह में ज़िक्र नहीं हुआ और न उसकी तिलावत की जाती है। सही बुख़ारी व मुस्लिम वग़ैरह हदीस की किताबों में हज़रत फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु का ख़ुतबा इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से मज़कूर है, सही मुस्लिम के अलफ़ाज़ ये हैं:

قال عمر بن خطابؓ وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم انّ الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل الله عليه اية الرجم قرأناها وعيناها وعقلنا ها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم فى كتاب الله تعالى فيضلّوا بترك فريضة انزلها الله وان الرجم فى كتاب الله حق على من زنا اذا احصن من الرّجال والنساء اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف. (مسلم ص٦٥، ج٢)

"हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया जबकि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मिम्बर पर तशरीफ़ रखते थे कि अल्लाह तआला ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को हक़ के साथ भेजा और आप पर किताब नाज़िल फ़रमाई तो जो कुछ किताबुल्लाह में आप पर नाज़िल हुआ उसमें रजम की आयत भी है जिसको हमने पढ़ा, याद किया और समझा, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने भी रजम किया और हमने आपके बाद रजम किया। अब मुझे यह ख़तरा है कि ज़माना गुज़रने पर कोई यूँ न कहने लगे कि हम रजम (संगसारी) का हुक्म किताबुल्लाह में नहीं पाते तो वे एक दीनी फ़रीज़ा छोड़ देने से गुमराह हो जायें जो अल्लाह ने नाज़िल किया है। और समझ लो कि रजम का हुक्म किताबुल्लाह में हक़ है उस शख़्स पर जो मर्दों और औरतों में से शादीशुदा हो जबकि उसके ज़िना करने पर शरई गवाही क़ायम हो जाये या गर्भ और ख़ुद अपने क़सूर को स्वीकार करना पाया जाये। (मुस्लिम पेज 65 जिल्द 2)

यह रिवायत सही बुख़ारी में भी ज़्यादा तफ़सील के साथ मज़कूर है (बुख़ारी पेज 1009 जिल्द 2) और नसाई में इस रिवायत के कुछ अलफ़ाज़ ये हैं:

انالانجد من الرجم بدًا فانّه حد من حدود الله ألا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده ولولاان يقول قائلون ان عمرزاد فی کتاب الله مالیس فیه لكتبت فی ناحية لمصحف وشهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمٰن بن عوف وفلان و فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا بعده. الحديث (ابن كثير)

"ज़िना की सज़ा में हम शरई हैसियत से रजम करने पर मजबूर हैं क्योंकि वह अल्लाह की हदों में से एक हद है, ख़ूब समझ लो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ख़ुद रजम किया और हमने आपके बाद भी रजम किया। और अगर यह ख़तरा न होता कि कहने वाले कहेंगे कि उमर ने अल्लाह की किताब में अपनी तरफ़ से कुछ बढ़ा दिया है तो मैं क़ुरआन के किसी गोशे में भी इसको लिख देता। और उमर बिन ख़त्ताब गवाह है अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़ गवाह हैं और फ़ुलाँ-फ़ुलाँ सहाबा गवाह हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने रजम किया और आपके बाद हमने रजम किया। (इब्ने कसीर)

हज़रत फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु के इस ख़ुतबे से बज़ाहिर यह साबित होता है कि रजम (संगसारी) के हुक्म की कोई मुस्तक़िल आयत है जो सूरः नूर की उक्त आयत के अ़लावा है, मगर हज़रत फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने उस आयत के अलफ़ाज़ नहीं बतलाये कि क्या थे, और न यह फ़रमाया कि अगर वह सूरः नूर की इस आयत के अ़लावा कोई मुस्तक़िल आयत है तो क़ुरआन में क्यों नहीं, और क्यों उसकी तिलावत नहीं की जाती। सिर्फ़ इतना फ़रमाया कि अगर मुझे यह ख़तरा न होता कि लोग मुझ पर किताबुल्लाह में ज़्यादती (अपनी तरफ़ से बढ़ाने) का इल्ज़ाम लगायेंगे तो मैं उस आयत को क़ुरआन के हाशिये पर लिख देता। (जैसा कि इमाम नसाई ने रिवायत किया है)

इस रिवायत में यह बात ग़ौर करने के क़ाबिल है कि अगर वह वाक़ई क़ुरआन की कोई आयत है और दूसरी आयतों की तरह उसकी तिलावत वाजिब है तो फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने लोगों

की बदगोई के ख़ौफ़ से उसको कैसे छोड़ दिया जबकि अल्लाह के मामले में उनकी सख़्ती परिचित व मशहूर है, और यह भी क़ाबिले ग़ौर है कि ख़ुद हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने यह नहीं फ़रमाया कि मैं उस आयत को क़ुरआन में दाख़िल कर देता बल्कि इरशाद यह फ़रमाया कि मैं उसको क़ुरआन के हाशिये पर लिख देता।

ये सब बातें इसके क़रीने और इशारे हैं कि हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने सूरः नूर की उपर्युक्त आयत की जो तफ़सीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुनी जिसमें आपने सौ कोड़े लगाने के हुक्म को ग़ैर-शादीशुदा मर्द व औ़रत के साथ मख़्सूस फ़रमाया और शादीशुदा के लिये रजम का हुक्म दिया, इस मजमूई तफ़सीर को और फिर इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के अ़मल को किताबुल्लाह और किताबुल्लाह की आयत के अलफ़ाज़ से ताबीर फ़रमाया, इस मायने में कि आपकी यह तफ़सीर व तफ़सील किताबुल्लाह के हुक्म से है, वह कोई मुस्तक़िल आयत नहीं। वरना हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु को कोई ताक़त इससे न रोक सकती कि क़ुरआन की जो आयत रह गयी है उसको उसकी जगह लिख दें। हाशिये पर लिखने का जो इरादा ज़ाहिर फ़रमाया वह भी इसकी दलील है कि दर हक़ीक़त वह कोई मुस्तक़िल आयत नहीं बल्कि सूरः नूर की आयत ही की व्याख्या में कुछ तफ़सीलात हैं। और कुछ रिवायतों में जो इस जगह एक मुस्तक़िल आयत के अलफ़ाज़ बयान हुए हैं वह सनदों और सुबूत के एतिबार से इस दर्जे में नहीं कि उसकी बिना पर क़ुरआन में उसका इज़ाफ़ा किया जा सके। फ़ुक़हा हज़रात ने जो उसके बारे में यह कहा है कि उसकी तिलावत तो मन्सूख़ (ख़त्म और निरस्त) हो चुकी है मगर हुक्म बाक़ी है और उसको मिसाल में पेश किया है, वह मिसाल ही की हैसियत में है इससे वास्तव में उसका क़ुरआन की आयत होना साबित नहीं होता।

ख़ुलासा-ए-कलाम यह है कि सूरः नूर की उपर्युक्त आयत में जो ज़ानिया और ज़ानी की सज़ा सौ कोड़े लगाना बयान हुआ है यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मुकम्मल वज़ाहत व तफ़सीर की बिना पर ग़ैर-शादीशुदा लोगों के लिये मख़्सूस है, और शादीशुदा की सज़ा रजम है। यह तफ़सीर अगरचे आयत के अलफ़ाज़ में मज़कूर नहीं मगर जिस पाक ज़ात पर यह आयत नाज़िल हुई ख़ुद उनकी तरफ़ से इसकी स्पष्ट वज़ाहत के साथ यह तफ़सील बयान हुई है, और सिर्फ़ ज़बानी तालीम व इरशाद ही नहीं बल्कि अनेक बार इस तफ़सील पर अ़मल भी सहाबा-ए-किराम के मजमे के सामने साबित है, और यह सुबूत हम तक लगातार रिवायतों के ज़रिये पहुँचा हुआ है। इसलिये शादीशुदा मर्द व औ़रत पर रजम (संगसारी) की सज़ा का हुक्म दर हक़ीक़त किताबुल्लाह ही का हुक्म और उसी की तरह क़तई और यक़ीनी है। इसको यूँ भी कहा जा सकता है कि रजम की सज़ा किताबुल्लाह का हुक्म है और यह भी कहा जा सकता है कि रजम की सज़ा निरन्तर सुन्नत से यक़ीनी तौर पर साबित है जैसा कि हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से यही अलफ़ाज़ नक़ल किये गये हैं कि रजम (संगसार करने) का हुक्म सुन्नत से साबित है और हासिल दोनों का एक ही है।

एक ज़रूरी तंबीह

इस मक़ाम पर जहाँ-जहाँ शादीशुदा और ग़ैरशादीशुदा के अलफ़ाज़ अहक़र ने लिखे हैं उन

अलफ़ाज़ को एक आसान ताबीर की हैसियत से लिखा गया है। असली अलफ़ाज़ **मोहसिन** और **ग़ैर-मोहसिन** या **सय्यिब** और **बिक्र** के हदीस में आये हैं। और मोहसिन की शरई परिभाषा असल में यह है कि जिस शख़्स ने सही निकाह के साथ अपनी बीवी से मुबाशरत (सोहबत व तन्हाई) कर ली हो और वह आ़क़िल भी हो। अहकाम में सब जगह यही मफ़्हूम मुराद है, ताबीर की सहूलत के लिये शादीशुदा का लफ़्ज़ लिखा जाता है।

ज़िना की सज़ा में सिलसिलेवार तीन दर्जे

ऊपर ज़िक्र हुई हदीस की रिवायतों और क़ुरआन की आयतों में ग़ौर करने से मालूम होता है कि शुरू में ज़िना की सज़ा हल्की रखी गयी कि क़ाज़ी या अमीर अपनी मर्ज़ी से जो बेहतर और मुनासिब समझे इस जुर्म के अपराधी मर्द व औ़रत को सज़ा दे। और औ़रत को घर में बन्दी बनाकर रखा जाये, जैसा कि सूरः निसा में इसका हुक्म आया है। दूसरा दौर वह है जिसका हुक्म सूरः नूर की इस आयत में आया है कि दोनों को सौ-सौ कोड़े लगाये जायें। तीसरा दर्जा वह है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उपर्युक्त आयत नाज़िल होने के बाद इरशाद फ़रमाया कि सौ कोड़ों की सज़ा पर उन लोगों के लिये बस किया जाये जो शादीशुदा न हों, और शादीशुदा मर्द व औ़रत इसके करने वाले हों तो उनकी सज़ा रजम व संगसारी (यानी पत्थर मार-मारकर उनको ख़त्म करना) है।

इस्लामी क़ानून में जिस जुर्म की सज़ा सख़्त है उसके सुबूत के लिये शर्तें भी सख़्त रखी गयी हैं

जैसा कि ऊपर बयान किया गया है कि ज़िना की सज़ा इस्लाम में सब जुर्मों की सज़ाओं से ज़्यादा सख़्त है। इसके साथ इस्लामी क़ानून में इसके सुबूत के लिये शर्तें भी बहुत सख़्त रखी गयी हैं जिनमें ज़रा भी कमी रहे या शुब्हा पैदा हो जाये तो ज़िना की आख़िरी सज़ा जिसको हद कहा जाता है वह माफ़ हो जाती है, सिर्फ़ ताज़ीरी सज़ा जुर्म के मुताबिक़ बाक़ी रह जाती है। तमाम मामलात में दो मर्द या एक मर्द और दो औ़रतों की गवाही सुबूत के लिये काफ़ी हो जाती है मगर ज़िना की सज़ा जारी करने के लिये चार मर्द गवाहों की आँखों देखी गवाही जिसमें कोई संदेह व धोखा न हो ज़रूरी शर्त है जैसा कि सूरः निसा की आयत में गुज़र चुका है।

दूसरी एहतियात और सख़्ती इस गवाही में यह है कि अगर ज़िना की गवाही किसी शर्त के न पाये जाने की बिना पर रद्द की गयी तो फिर गवाही देने वालों की ख़ैर नहीं। उन पर क़ज़्फ़ यानी ज़िना की झूठी तोहमत का जुर्म क़ायम होकर क़ज़्फ़ की सज़ा अस्सी कोड़े लगाये जाने की सूरत में जारी की जाती है। इसलिये ज़रा सा शुब्हा होने की सूरत में कोई शख़्स इसकी गवाही देने पर क़दम आगे नहीं बढ़ा सकता। अलबत्ता जिस सूरत में खुले तौर पर ज़िना का सुबूत न हो मगर गवाही से दो मर्द व औ़रत का ग़ैर-शरई हालत में देखना साबित हो जाये तो क़ाज़ी उनके जुर्म की हैसियत के मुताबिक़ ताज़ीरी सज़ा कोड़े लगाने वग़ैरह की जारी कर सकता है। ज़िना की सज़ा और उसकी शर्तों वग़ैरह के विस्तृत अहकाम मसाईल की किताबों में बयान हुए हैं वहाँ देखे जा सकते हैं।

किसी मर्द या जानवर के साथ कुकर्म का मसला

यह मसला कि मर्द किसी मर्द के साथ या जानवर के साथ यह फ़ेल करे तो वह ज़िना में दाख़िल है या नहीं और उसकी सज़ा भी ज़िना की सज़ा है या कुछ और, इसकी तफ़सील सूरः निसा की तफ़सीर में गुज़र चुकी है कि अगरचे लुग़त और परिभाषा में यह फ़ेल ज़िना नहीं कहलाता और इसी लिये इस पर ज़िना की सज़ा का हुक्म नहीं होता मगर इसकी सज़ा भी अपनी सख़्ती में ज़िना की सज़ा से कम नहीं। सहाबा-ए-किराम ने ऐसे शख़्स को ज़िन्दा जला देने की सज़ा दी है।

لَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ

ज़िना की सज़ा चूँकि बहुत सख़्त है और इसका संदेह व गुमान है कि सज़ा जारी करने वालों को उन पर रहम आ जाये, सज़ा को छोड़ बैठें या कम कर दें, इसलिये इसके साथ यह हुक्म भी दिया गया कि दीन के इस अहम फ़रीज़े की अदायेगी में मुजरिमों पर रहम और तरस खाना जायज़ नहीं। नर्मी व मेहरबानी और माफ़ी व करम हर जगह पसन्दीदा है मगर मुजरिमों पर रहम खाने का नतीजा अल्लाह की सारी मख़्लूक़ के साथ बेरहमी है इसलिये मना और नाजायज़ है।

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

यानी ज़िना की सज़ा जारी करने के वक़्त मुसलमानों की एक जमाअ़त को हाज़िर रहना चाहिये। इस्लाम में सब सज़ाओं और ख़ुसूसन हदों को सार्वजनिक तौर पर जारी कर देने का तरीक़ा राइज है ताकि देखने वालों को इब्रत हो, मगर एक जमाअ़त को इसमें हाज़िर व मौजूद रहने का हुक्म यह भी ज़िना की सज़ा की विशेषता है।

इस्लाम में बुराईयों की पर्दापोशी

इस्लाम में शुरूआ़त में अपराधों और बुराईयों की पर्दापोशी का हुक्म है लेकिन जब मामला गवाही से साबित हो जाये तो फिर मुजरिमों की पूरी रुस्वाई भी हिक्मत ही क़रार दी गयी है।

बुराई और बेहाई की रोकथाम के लिये इस्लामी शरीअ़त ने दूर-दूर तक पहरे बैठाये हैं, औरतों पर पर्दा लाज़िम कर दिया गया, मर्दों को नज़र नीची रखने का हुक्म दिया गया, ज़ेवर की आवाज़ या औरत के गाने की आवाज़ को वर्जित और मना क़रार दिया गया कि वह बेहयाई की तरफ़ उकसाने वाली हैं। इसके साथ ही जिस शख़्स से इन मामलात में कोताही देखी जाये उसको तन्हाई में तो समझाने का हुक्म है मगर उसको रुस्वा करने की इजाज़त नहीं। लेकिन जो शख़्स इन तमाम शरई एहतियातों को तोड़कर इस दर्जे में पहुँच गया कि उसका जुर्म शरई गवाही से साबित हो गया तो अब उसकी पर्दापोशी दूसरे लोगों की जुर्रत बढ़ाने का सबब हो सकती है इसलिये अब तक जितना एहतिमाम पर्दापोशी का शरीअ़त ने किया था अब उतना ही एहतिमाम उसकी फ़ज़ीहत और रुस्वाई का किया जाता है, इसी लिये ज़िना की सज़ा को सिर्फ़ सार्वजनिक रूप से जारी करने को काफ़ी नहीं समझा बल्कि मुसलमानों की एक जमाअ़त को उसमें हाज़िर और शरीक रहने का हुक्म दिया गया।

اَلزَّانِیْ لَا یَنْکِحُ اِلَّا زَانِیَۃً اَوْ مُشْرِکَۃً وَّالزَّانِیَۃُ لَا یَنْکِحُھَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِکٌ وَحُرِّمَ ذٰلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ ۝

अज़्ज़ानी ला यन्किहु इल्ला ज़ानि-यतन् औ मुश्रि-कतंव्-व वज़्ज़ानि-यतु ला यन्किहुहा इल्ला ज़ानिन् औ मुश्रिकुन् व हुर्रि-म ज़ालि-क अलल्-मुअ्मिनीन (3)	बदकार मर्द नहीं निकाह करता मगर बदकार औरत से या शिर्क वाली से, और बदकार औरत से निकाह नहीं करता मगर बदकार मर्द या मुश्रिक, और यह हराम हुआ है ईमान वालों पर। (3)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(ज़िना ऐसी गन्दी चीज़ है कि इससे इनसान की तबीयत का मिज़ाज ही बिगड़ जाता है, उसकी दिलचस्पी बुरी ही चीज़ों की तरफ़ हो जाती है। ऐसे आदमी की तरफ़ रुचि व दिलचस्पी भी किसी ऐसे ही ख़बीस नफ़्स की हो सकती है जिसका अख़्लाक़ी मिज़ाज बिगड़ चुका हो। चुनाँचे) ज़ानी (अपने ज़ानी और ज़िना की तरफ़ दिलचस्पी रखने वाला होने की हैसियत से) निकाह भी किसी के साथ नहीं करता सिवाय ज़ानिया या मुश्रिका के, और (इसी तरह) ज़ानिया के साथ भी (उसके ज़ानिया और ज़िना की तरफ़ रुझान होने की हैसियत से) और कोई निकाह नहीं करता सिवाय ज़ानी या मुश्रिक के, और यह (ऐसा निकाह जो ज़ानिया के ज़ानिया होने की हैसियत के साथ हो जिसका नतीजा आईन्दा भी उसका ज़िना में मुब्तला रहना है, या किसी मुश्रिक औरत के साथ हो) मुसलमानों पर हराम (और गुनाह को वाजिब करने वाला) किया गया है (अगरचे निकाह के सही होने या न होने दोनों में फ़र्क़ हो, कि ज़ानिया से उसके ज़ानिया होने की हैसियत से कोई निकाह कर ही ले तो गुनाह होने के बावजूद निकाह आयोजित और सही हो जाएगा, और मुश्रिक औरत से निकाह किया तो नाजायज़ और गुनाह होने के अलावा वह निकाह ही नहीं होगा बल्कि बातिल होगा)।

मआरिफ़ व मसाईल

ज़िना के बारे में दूसरा हुक्म

पहला हुक्म ज़िना की सज़ा का था जो इससे पहली आयत में बयान हो चुका, यह दूसरा हुक्म ज़ानी और ज़ानिया के साथ निकाह करने से मुताल्लिक़ है। इसी के साथ मुश्रिक मर्द या मुश्रिक औरत से निकाह का भी हुक्म ज़िक्र किया गया है। इस आयत की तफ़सीर में तफ़सीर के उलेमा के अक़वाल बहुत भिन्न हैं, उन सब में आसान और ज़्यादा सही तफ़सीर वही मालूम होती है जिसको ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में ब्रेकिट की वज़ाहतों के ज़रिये बयान किया गया है। ख़ुलासा इसका यह है कि

आयत का शुरू हिस्सा कोई शरई हुक्म नहीं बल्कि एक आम दिखाई देने वाली चीज़ और तजुर्बे का बयान है जिसमें ज़िना का बुरा काम होना और उसके असरात के दूरगामी नुक़सानात का ज़िक्र है। आयत का मतलब यह है कि ज़िना एक अख़्लाक़ी ज़हर है, इसके ज़हरीले असरात से इनसान का अख़्लाक़ी मिज़ाज ही बिगड़ जाता है, उसे भले-बुरे की तमीज़ नहीं रहती बल्कि बुराई और गन्दगी ही उसकी पसन्दीदा चीज़ हो जाती है, हलाल हराम की बहस नहीं रहती। और जो औरत उसको पसन्द आती है उसका असली मक़सद उससे ज़िना करना और उसको ज़िनाकारी पर राज़ी करना होता है, अगर ज़िना के इरादे में नाकाम हो जाये तो मजबूरी से निकाह पर राज़ी होता है मगर निकाह को दिल से पसन्द नहीं करता, क्योंकि निकाह के जो मक़ासिद हैं कि आदमी पाकदामन और आबरू वाला होकर रहे और नेक औलाद पैदा करे और उसके लिये बीवी के हुक़ूक़ और ख़र्चे वग़ैरह का हमेशा के लिये पाबन्द हो जाये, यह ऐसे शख़्स को वबाल मालूम होते हैं। और चूँकि ऐसे शख़्स को दर असल निकाह से कोई ग़र्ज़ ही नहीं इसलिये उसकी दिलचस्पी सिर्फ़ मुसलमान औरतों ही की तरफ़ नहीं बल्कि मुश्रिक औरतों की तरफ़ भी होती है, और मुश्रिक औरत अगर अपने मज़हब की वजह से या किसी बिरादरी की रस्म की वजह से निकाह की शर्त लगा ले तो मजबूरन वह उससे निकाह पर भी तैयार हो जाता है। इसकी उसको कुछ बहस ही नहीं कि यह निकाह हलाल और सही होगा या शरई तौर पर बातिल ठहरेगा। इसलिये उस पर यह बात सही फ़िट आ गयी कि उसकी जिस औरत की तरफ़ असली दिलचस्पी होगी अगर वह मुसलमान है तो ज़ानिया की तरफ़ रुझान होगा चाहे पहले से ज़िना की आदी हो या उसी के साथ ज़िना करके ज़ानिया कहलाये, या फिर किसी मुश्रिक औरत की तरफ़ रग़बत (दिलचस्पी) होगी जिसके साथ निकाह भी ज़िना ही के हुक्म में है, यह मायने हुए आयत के पहले जुमले यानीः

اَلزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً

के। इसी तरह जो औरत ज़िना की आदी हो और इससे तौबा नहीं करती तो सच्चे मोमिन मुसलमान जिनका असली उद्देश्य निकाह और निकाह के शरई फ़ायदे व मक़ासिद हैं उनकी ऐसी औरत से उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिये उनको ऐसी औरत की तरफ़ असली रुचि नहीं हो सकती। ख़ुसूसन जबकि यह भी मालूम हो कि यह औरत निकाह के बाद भी अपनी ज़िना की बुरी आदत न छोड़ेगी। हाँ ऐसी औरत की तरफ़ दिलचस्पी या तो ज़ानी को होगी जिसका असली मक़सद अपनी इच्छा पूरी करना है, निकाह मक़सद नहीं। इसमें अगर वह ज़ानिया किसी अपनी दुनियावी मस्लेहत से उसके साथ मिलने के लिये निकाह की शर्त लगा दे तो दिल के न चाहते हुए निकाह को भी गवारा कर लेता है, या फिर ऐसी औरत के निकाह पर वह शख़्स राज़ी होता है जो मुश्रिक हो। और चूँकि मुश्रिक से निकाह भी शरअ़न ज़िना है इसलिये इसमें दो चीज़ें जमा हो गयीं कि मुश्रिक भी है और ज़ानी भी। यह मायने हैं आयत के दूसरे जुमले यानीः

وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ

के। ऊपर बयान हुई तफ़सीर से यह बात स्पष्ट हो गयी कि इस आयत में ज़ानी और ज़ानिया से

मुराद वे हैं जो ज़िना से तौबा न करें और अपनी इस बुरी आदत पर कायम रहें। और अगर उनमें से कोई मर्द घरेलू ज़िन्दगी या औलाद की मस्लेहत से किसी पाकदामन शरीफ़ औरत से निकाह कर ले या ऐसी औरत किसी नेक मर्द से निकाह कर ले तो इस आयत से उस निकाह की नफ़ी लाज़िम नहीं आती, यह निकाह शरअ़न दुरुस्त हो जायेगा। उम्मत के फ़ुक़हा की अक्सरियत- इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई वग़ैरह का यही मज़हब है, और सहाबा-ए-किराम से ऐसे निकाह कराने के वाक़िआत साबित हैं। तफ़सीर इब्ने कसीर में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु का भी यही फ़तवा नक़ल किया है। अब रहा आयत का आख़िरी जुमला यानीः

وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ○

इसमें कुछ हज़राते मुफ़स्सिरीन ने तो ज़ालि-क का इशारा ज़िना की तरफ़ क़रार दिया है तो जुमले के मायने यह हो गये कि जब ज़िना ऐसा ख़बीस काम है तो ज़िना मोमिनों पर हराम कर दिया गया। इस तफ़सीर पर मायने में तो कोई इश्काल व शुब्हा नहीं रहता, लेकिन ज़ालि-क (वह) से ज़िना मुराद लेना आयत के मज़मून से किसी क़द्र दूर की बात ज़रूर है। इसलिये दूसरे मुफ़स्सिरीन ने ज़ालि-क का इशारा ज़ानी व ज़ानिया और मुश्रिक व मुश्रिका के निकाह की तरफ़ क़रार दिया है। इस सूरत में मुश्रिक औरत से मुसलमान मर्द का निकाह और मुश्रिक मर्द से मुसलमान औरत का निकाह हराम होना तो दूसरी क़ुरआनी वज़ाहतों से भी साबित है और तमाम उम्मत के नज़दीक मुत्तफ़क़ा मसला है, और ज़ानी मर्द से पाकदामन औरत का निकाह या ज़ानिया औरत से पाकदामन मर्द का निकाह हराम होना जो इस जुमले से निकलेगा वह उस सूरत के साथ मख़्सूस है कि पाकदामन मर्द ज़ानिया औरत से निकाह करके उसको ज़िना से न रोके बल्कि निकाह के बाद भी उसकी ज़िनाकारी पर राज़ी रहे, क्योंकि उस सूरत में यह दय्यूसियत (बुरे काम पर राज़ी रहना) होगी जो शरअ़न हराम है। इसी तरह कोई शरीफ़ पाकदामन औरत ज़िना के आदी शख़्स से निकाह करे और निकाह के बाद भी उसकी ज़िनाकारी पर राज़ी रहे, यह भी हराम है। यानी उन लोगों का यह काम हराम और बड़ा गुनाह है, लेकिन इससे यह लाज़िम नहीं आता कि उनका आपस में निकाह सही न हो बातिल हो जाये। लफ़्ज़ **हराम** शरीअ़त की परिभाषा में दो मायने के लिये इस्तेमाल होता है- एक यह कि वह गुनाह है उसका करने वाला आख़िरत में सज़ा व अज़ाब का मुस्तहिक़ है और दुनिया में भी यह अ़मल बिल्कुल बातिल न होने के बराबर है, इस पर कोई शरई फल दुनिया के अहकाम का भी मुरत्तब नहीं होगा। जैसे किसी मुश्रिक औरत से या जो औरतें हमेशा के लिये हराम हैं उनमें से किसी से निकाह कर लिया तो यह ज़बरदस्त गुनाह भी है और ऐसा निकाह शरअ़न कंडम है, ज़िना में और उसमें कोई फ़र्क़ नहीं। दूसरे यह कि हराम काम है, यानी गुनाह और सज़ा का सबब है, मगर दुनिया में इस काम के कुछ फल हासिल रहते हैं, मामला सही हो जाता है। जैसे किसी औरत को धोखा देकर या अग़वा करके ले आया, फिर शरई क़ायदे के मुताबिक़ दो गवाहों के सामने उसकी मर्ज़ी से निकाह कर लिया तो यह काम तो नाजायज़ व हराम था मगर निकाह सही हो गया, औलाद सही नसब वाली होगी।

इसी तरह ज़ानिया और ज़ानी का निकाह जबकि उनका असली मक़सद ज़िना ही हो, निकाह महज़ किसी दुनियावी मस्लेहत से करते हों और ज़िना से तौबा नहीं करते, ऐसा निकाह हराम है, मगर

दुनियाबी अहकाम में बातिल और कंडम नहीं। निकाह के शरई परिणाम ख़र्चा, मेहर, बच्चे के नसब का सही व साबित होना और मीरास सब जारी होंगे। इस तरह लफ़्ज़ 'हर्र-म' इस आयत में मुश्रिक औरत के हक़ में पहले मायने के एतिबार से और ज़ानिया और ज़ानी के हक़ में दूसरे मायने के एतिबार से सही और दुरुस्त हो गया। इस तफ़सीर पर आयत को मन्सूख़ (निरस्त) कहने की ज़रूरत न रही जैसा कि कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात ने फ़रमाया है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ
شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ
تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

वल्लज़ी-न यरमूनल्-मुह्सनाति सुम्-म लम् यअ्तू बि-अर्ब-अ़ति शु-हदा-अ फज्लिदूहुम् समानी-न जल्दतंव्-व ला तक़्बलू लहुम् शहा-दतन् अ-बदन् व उलाइ-क हुमुल्-फ़ासिक़ून (4) इल्लल्लज़ी-न ताबू मिम्-बअ़्दि ज़ालि-क व अस्लहू फ़-इन्नल्ला-ह ग़फ़ूरुर्रहीम (5)	और जो लोग ऐब लगाते हैं हिफ़ाज़त वालियों को फिर न लाये चार मर्द गवाह तो मारो उनको अस्सी दुर्रे और न मानो उनकी कोई गवाही कभी, और वही लोग हैं नाफ़रमान। (4) मगर जिन्होंने तौबा कर ली उसके बाद और संवर गये तो अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है। (5)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और जो लोग (ज़िना की) तोहमत लगाएँ पाकदामन औरतों को (जिनका ज़ानिया होना किसी शरई दलील या अन्दाज़े से साबित नहीं) और फिर (अपने दावे पर) चार गवाह न ला सकें तो ऐसे लोगों को अस्सी दुर्रे लगाओ, और उनकी कोई गवाही कभी क़ुबूल मत करो, (यह भी तोहमत लगाने की सज़ा ही का हिस्सा है कि वे हमेशा के लिये गवाही में रद्द किये जाने के क़ाबिल हो गये। यह तो दुनिया की सज़ा का ज़िक्र था) और ये लोग (आख़िरत में भी सज़ा के मुस्तहिक़ हैं, क्योंकि) फ़ासिक़ हैं। लेकिन जो लोग इस (तोहमत लगाने) के बाद (ख़ुदा के सामने) तौबा कर लें (क्योंकि तोहमत लगाने में उन्होंने अल्लाह की नाफ़रमानी की और अल्लाह के हक़ को बरबाद किया) और (जिस पर तोहमत लगाई थी उससे माफ़ कराकर भी) अपनी (हालत की) इस्लाह कर लें (क्योंकि उसका हक़ बरबाद किया था) तो (इस हालत में) अल्लाह तआ़ला ज़रूर मग़फ़िरत करने वाला, रहमत करने वाला है (यानी सच्ची तौबा करने से आख़िरत का अ़ज़ाब माफ़ हो जायेगा अगरचे गवाही का मक़बूल न होना जो दुनियावी सज़ा थी वह बाक़ी रहेगी, क्योंकि वह शरई सज़ा का हिस्सा है और जुर्म के साबित

होने के बाद तौबा करने से शरई हद और सज़ा ख़त्म नहीं होती)।

मआरिफ़ व मसाईल

ज़िना के मुताल्लिक़ तीसरा हुक्म झूठी तोहमत का जुर्म होना और उसकी शरई सज़ा

जैसा कि पहले बयान किया गया है कि ज़िना चूँकि सारे अपराधों से ज़्यादा समाज में बिगाड़ और फ़साद का ज़रिया है, इसलिये इसकी सज़ा इस्लामी शरीअ़त ने दूसरे सब अपराधों से ज़्यादा सख़्त रखी है। इसलिये अ़दल व इन्साफ़ का तक़ाज़ा था कि इस मामले के सुबूत को बड़ी अहमियत दी जाये, बग़ैर शरई सुबूत के कोई किसी मर्द या औरत पर ज़िना का इल्ज़ाम या तोहमत लगाने की जुर्रत न करे, इसलिये इस्लामी शरीअ़त ने बग़ैर शरई सुबूत के जिसका कोटा चार मर्द गवाह आ़दिल होना है अगर कोई किसी पर खुली तोहमत ज़िना की लगाये तो उस तोहमत लगाने को भी सख़्त जुर्म क़रार दिया और उस जुर्म पर भी शरई सज़ा अस्सी कोड़े मुक़र्रर की जिसका लाज़िमी असर यह होगा कि किसी शख़्स पर ज़िना का इल्ज़ाम कोई शख़्स उसी वक़्त लगाने की जुर्रत करेगा जबकि उसने इस ख़बीस काम को ख़ुद अपनी आँख से देखा भी हो और सिर्फ़ इतना ही नहीं बल्कि उसको यह यक़ीन हो कि मेरे साथ और तीन मर्दों ने देखा है, और वे गवाही देंगे। क्योंकि अगर दूसरे गवाह हैं ही नहीं या चार से कम हैं या उनके गवाही देने में शुब्हा है तो अकेला यह शख़्स गवाही देकर ज़िना की तोहमत की सज़ा का मुस्तहिक़ बनना किसी हाल गवारा न करेगा।

एक शुब्हा और उसका जवाब

रहा यह मामला कि जब ज़िना की गवाही के लिये ऐसी कड़ी शर्तें लगा दी गयीं तो मुजरिमों को खुली छूट मिल गयी, न किसी को गवाही की जुर्रत होगी न कभी शरई सुबूत हासिल होगा, न ऐसे मुजरिम कभी सज़ा पा सकेंगे। मगर यह ख़्याल इसलिये ग़लत है कि ज़िना की शरई सज़ा यानी सौ कोड़े या रजम व संगसारी की सज़ा देने के लिये तो ये शर्तें हैं लेकिन दो ग़ैर-मेहरम मर्द व औरत को एक जगह क़ाबिले एतिराज़ हालत में या बेहयाई की बातें करते हुए देखकर उसकी गवाही देने पर कोई पाबन्दी नहीं, और ऐसी तमाम बातें और काम जो ज़िना की तरफ़ लेजाने वाले होते हैं वो भी शरअ़न क़ाबिले सज़ा जुर्म हैं, लेकिन शरई हद की सज़ा नहीं बल्कि ताज़ीरी सज़ा क़ाज़ी या हाकिम की मर्ज़ी और बेहतर समझने के मुताबिक़ कोड़े लगाने की दी जाती है। इसलिये जिस शख़्स ने दो मर्द व औ़रत को ज़िना में मुब्तला देखा मगर दूसरे गवाह नहीं हैं तो स्पष्ट ज़िना के अलफ़ाज़ से तो गवाही न दे मगर बेपर्दा मेलजोल की गवाही दे सकता है और हाकिम व क़ाज़ी जुर्म के साबित होने के बाद उस पर ताज़ीरी सज़ा जारी कर सकता है।

मुह्सनात कौन हैं?

यह लफ़्ज़ 'एहसान' से निकला है, शरीअ़त की परिभाषा में एहसान की दो क़िस्में हैं- एक वह

जिसका ज़िना की हद में एतिबार किया गया है। वह यह कि जिस पर ज़िना का सुबूत हो जाये वह आ़क़िल बालिग़ आज़ाद मुसलमान हो और किसी औ़रत के साथ सही निकाह कर चुका हो और उससे मुबाशरत (तन्हाई व सोहबत) भी हो चुकी हो तो उस पर रजम और संगसारी की सज़ा जारी होगी। दूसरी किस्म वह है जिसका एतिबार ज़िना की तोहमत की सज़ा में किया गया है, वह यह है कि जिस शख़्स पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाया गया है वह आ़क़िल बालिग़ आज़ाद मुसलमान हो और पाकदामन हो यानी पहले कभी उस पर ज़िना का सुबूत न हुआ हो। इस आयत में मुह्सनात के यही मायने हैं। (तफ़सीरे जस्सास)

मसलाः क़ुरआन की आयत में आ़म परिचित आ़दत के मुताबिक़ या उस वाक़िए की वजह से जो इस आयत के उतरने का सबब और मौक़ा है, ज़िना की तोहमत और उसकी सज़ा का ज़िक्र इस तरह किया गया है कि तोहमत लगाने वाले मर्द हों और जिस पर तोहमत लगाई गयी वह पाकदामन औ़रत हो, मगर शरई हुक्म इल्लत और सबब के एक होने की वजह से आ़म है, कोई औ़रत दूसरी औ़रत पर या किसी मर्द पर या मर्द किसी दूसरे मर्द पर ज़िना की तोहमत लगाये और शरई सुबूत मौजूद न हो तो ये सब भी उसी शरई सज़ा के हक़दार होंगे। (तफ़सीरे जस्सास व हिदाया)

मसलाः यह शरई सज़ा जो ज़िना की तोहमत पर ज़िक्र की गयी है सिर्फ़ उसी तोहमत के साथ मख़्सूस है किसी दूसरे जुर्म की तोहमत किसी शख़्स पर लगाई जाये तो यह शरई सज़ा उस पर जारी नहीं होगी। हाँ ताज़ीरी सज़ा हाकिम जो बेहतर व मुनासिब समझे हर जुर्म की तोहमत पर दी जा सकती है। क़ुरआन के अलफ़ाज़ में अगरचे स्पष्ट रूप से इस हद का ज़िना की तोहमत के साथ मख़्सूस होना ज़िक्र नहीं मगर चार गवाहों की गवाही का ज़िक्र इस ख़ुसूसियत की दलील है, क्योंकि चार गवाह की शर्त सिर्फ़ ज़िना के सुबूत ही के लिये ख़ास है। (जस्सास व हिदाया)

मसलाः तोहमत लगाने की सज़ा में चूँकि बन्दे का हक़ यानी जिस पर तोहमत लगाई गयी है उसका हक़ भी शामिल है इसलिये यह हद जभी जारी की जायेगी जबकि जिस पर तोहमत लगाई गयी वह हद (सज़ा) जारी करने का मुतालबा भी करे, वरना सज़ा ख़त्म हो जायेगी। (हिदाया) बख़िलाफ़ ज़िना की सज़ा के कि वह ख़ालिस अल्लाह का हक़ है इसलिये कोई मुतालबा करे या न करे ज़िना की हद (सज़ा) जुर्म साबित होने पर जारी की जायेगी।

وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا.

यानी जिस शख़्स पर ज़िना की झूठी तोहमत लगाने का जुर्म साबित हो जाये और मक़्ज़ूफ़ (यानी जिस पर तोहमत लगाई है) के मुतालबे से उस पर तोहमत की सज़ा जारी हो जाये तो उसकी एक सज़ा तो फ़ौरी हो गयी कि अस्सी कोड़े लगाये गये, दूसरी सज़ा हमेशा के लिये जारी रहेगी, वह यह है कि उसकी गवाही किसी मामले में क़ुबूल न की जायेगी जब तक यह शख़्स अल्लाह तआ़ला के सामने शर्मिन्दगी के साथ तौबा न करे और जिस पर तोहमत लगाई है उस शख़्स से माफ़ी हासिल करके तौबा को पूरा न करे उस वक़्त तक तौबा तमाम उम्मत की सर्वसम्मति से उसकी गवाही किसी भी मामले में मक़बूल न होगी। और अगर तौबा कर ले तब भी हनफ़ी हज़रात के नज़दीक उसकी गवाही क़ुबूल नहीं होती, हाँ गुनाह माफ़ हो जाता है जैसा कि ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में गुज़रा।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

यानी वे लोग जिन पर ज़िना की तोहमत की शरई सज़ा जारी की गयी है अगर वे तौबा कर लें और अपनी हालत दुरुस्त कर लें कि आगे से इस तरह का क़दम उठाने का उससे ख़तरा न रहे और जिस पर तोहमत लगाई थी उससे भी माफ़ करा लें तो अल्लाह तआ़ला मग़फ़िरत करने वाला और रहमत करने वाला है।

इस आयत में 'इल्लल्लज़ी-न ताबू' में जिनको गवाही क़ुबूल न किये जाने से अलग किया है, यह अलग करना इमामे आज़म अबू हनीफ़ा और कुछ दूसरे इमामों के नज़दीक 'गवाही' के हुक्म से अलग करना नहीं बल्कि 'उलाइ-क हुमुल-फ़ासिक़ून' से अलग करना है। मतलब इस अलग करने का यह है कि जिस पर ज़िना की तोहमत लगाने की सज़ा जारी हुई है वह **फ़ासिक़** है, लेकिन अगर वह सच्चे दिल से तौबा करे और अपनी हालत की सुधार भी जिस पर तोहमत लगाई है उससे माफ़ी लेकर करे तो फिर वह फ़ासिक़ नहीं रहेगा और आख़िरत की सज़ा उससे माफ़ हो जायेगी। इसका नतीजा यह है कि दुनिया में जो उस पर दो सज़ाओं का ज़िक्र इस आयत के शुरू में है यानी अस्सी कोड़े लगाना और गवाही क़ुबूल न करना ये सज़ायें तौबा के बावजूद अपनी जगह रहेंगी क्योंकि इनमें एक बड़ी सज़ा कोड़े लगाने की वह तो जारी हो ही चुकी है दूसरी सज़ा भी चूँकि उसी शरई सज़ा का अंग और हिस्सा है और यह सब के नज़दीक मुसल्लम है कि तौबा से शरई सज़ा माफ़ नहीं होती अगरचे आख़िरत का अ़ज़ाब माफ़ होकर टल जाता है। तो जब गवाही के क़ाबिल न होना भी शरीअ़त की सज़ा का अंग और हिस्सा है तो वह तौबा से माफ़ न होगा। इमाम शाफ़ई रह. और कुछ दूसरे इमामों ने इस अलग किये जाने वाले हिस्से को पहली की आयत के तमाम जुमलों की तरफ़ लौटाया है जिसका मतलब यह होगा कि तौबा कर लेने से जैसे वह फ़ासिक़ नहीं रहा इसलिये गवाही के मामले में भी नाक़ाबिले एतिबार न रहेगा। तफ़सीरे जस्सास और तफ़सीरे मज़हरी में दोनों तरफ़ की दलीलों और उनके जवाबों की तफ़सील बयान हुई है, उलेमा हज़रात वहाँ देख सकते हैं। वल्लाहु आलम

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۝

वल्लज़ी-न यरमू-न अज़्वाजहुम् व लम् यकुल्लहुम् शु-हदा-उ इल्ला अन्फ़ुसुहुम् फ़-शहा-दतु अ-हदिहिम्	और जो लोग ऐब लगायें अपनी बीवियों को और गवाह न हों उनके पास सिवाय उनकी जान के तो ऐसे शख़्स की गवाही

अर्बअु शहादातिम्-बिल्लाहि इन्नहू लमिनस्-सादिक़ीन (6) वल्ख़ामि-सतु अन्-न लअ्-नतल्लाहि अ़लैहि इन् का-न मिनल्-काज़िबीन (7) व यद्रउ अ़न्हल्-अ़ज़ा-ब अन् तश्हद-द अर्ब-अ़ शहादातिम्-बिल्लाहि इन्नहू लमिनल्-काज़िबीन (8) वल्ख़ामि-स-त अन्-न ग़-ज़बल्लाहि अ़लैहा इन् का-न मिनस्-सादिक़ीन (9) व लौ ला फ़ज़्लुल्लाहि अ़लैकुम् व रह्मतुहू व अन्नल्ला-ह तव्वाबुन् हकीम (10) ✿

की यह सूरत है कि चार बार गवाही दे अल्लाह की क़सम खाकर, कि बेशक वह शख़्स सच्चा है। (6) और पाँचवीं बार यह कि अल्लाह की फटकार हो उस शख़्स पर अगर हो वह झूठा। (7) और औरत से टल जायेगी मार यूँ कि वह गवाही दे चार गवाही अल्लाह की क़सम खाकर कि बेशक वह शख़्स झूठा है (8) और पाँचवीं यह कि अल्लाह का ग़ज़ब आये उस औरत पर अगर वह शख़्स सच्चा है। (9) और अगर न होता अल्लाह का फ़ज़्ल तुम्हारे ऊपर और उसकी रहमत और यह कि अल्लाह माफ़ करने वाला है हिक्मतें जानने वाला तो क्या कुछ न होता। (10) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और जो लोग अपनी बीवियों को (ज़िना की) तोहमत लगाएँ और उनके पास सिवाय अपने (ही दावे के) और कोई गवाह न हों (जिनकी संख्या में चार होने चाहिएँ) तो उनकी गवाही (जो कि औरतों को घर में बन्दी बनाने या तोहमत की सज़ा को रोकने और ख़त्म करने हो) यही है कि चार बार अल्लाह की क़सम खाकर यह कह दे कि बेशक मैं सच्चा हूँ और पाँचवीं बार यह कहे कि मुझ पर ख़ुदा की लानत हो अगर मैं झूठा हूँ। और (उसके बाद) उस औरत से (क़ैद रखने या ज़िना की) सज़ा इस तरह टल सकती है कि वह चार बार क़सम खाकर कहे कि बेशक यह मर्द झूठा है और पाँचवीं बार यह कहे कि मुझ पर ख़ुदा का ग़ज़ब हो अगर यह सच्चा हो (इस तरीक़े से दोनों मियाँ-बीवी दुनिया की सज़ा से बच सकते हैं अलबत्ता वह औरत उस मर्द पर हराम हो जायेगी)। और अगर यह बात न होती कि तुम पर अल्लाह का फ़ज़्ल और उसका करम है (कि ऐसे-ऐसे अहकाम मुक़र्रर किये जिसमें इनसान के फ़ितरी जज़्बात की पूरी रियायत है) और यह कि अल्लाह तआ़ला तौबा क़ुबूल करने वाला हिक्मत वाला है तो तुम बड़ी दिक़्क़तों और परेशानियों में पड़ जाते (जिनका बयान आगे आता है)।

मआरिफ़ व मसाईल

ज़िना से संबन्धित चीज़ों में चौथा हुक्म लिआ़न का है

लिआ़न और मुलाअ़नत के मायने एक दूसरे पर लानत और अल्लाह के ग़ज़ब की बद्दुआ़ करने के हैं। शरीअ़त की परिभाषा में मियाँ और बीवी दोनों को चन्द ख़ास क़समें देने को लिआ़न कहा जाता है। जिसकी सूरत यह है कि जब कोई शौहर अपनी बीवी पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाये या अपने बच्चे को कहे कि यह मेरे नुत्फ़े से नहीं है और वह औ़रत जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है उसको झूठा बतला दे और इसका मुतालबा करे कि मुझ पर झूठी तोहमत लगाई है इसलिये शौहर पर ज़िना की तोहमत की सज़ा अस्सी कोड़े जारी की जाये, तो उस वक़्त शौहर से मुतालबा किया जायेगा कि ज़िना के इल्ज़ाम पर चार गवाह पेश करे। अगर उसने गवाह पेश कर दिये तो औ़रत पर ज़िना की सज़ा लगाई जायेगी। और अगर वह चार गवाह न ला सका तो उन दोनों में लिआ़न कराया जायेगा। यानी पहले मर्द से कहा जायेगा कि वह चार मर्तबा उन अलफ़ाज़ से जो क़ुरआन में ज़िक्र हुए हैं यह गवाही दे कि मैं इस इल्ज़ाम में सच्चा हूँ और पाँचवीं मर्तबा यह कहे कि अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो।

अगर शौहर इन अलफ़ाज़ के कहने से रुके तो उसको क़ैद कर दिया जायेगा कि या तो अपने झूठे होने का इक़रार करो या उक्त अलफ़ाज़ के साथ पाँच मर्तबा ये क़समें खाओ, और जब तक वह इन दोनों में से कोई काम न करे उसको क़ैद रखा जायेगा। अगर उसने अपने झूठे होने का इक़रार कर लिया तो उस पर ज़िना की तोहमत की शरई सज़ा जारी होगी, और अगर उक्त अलफ़ाज़ के साथ पाँच मर्तबा क़समें खा लीं तो फिर उसके बाद औ़रत से उन अलफ़ाज़ में पाँच क़समें ली जायेंगी जो क़ुरआन में औ़रत के लिये बयान हुए हैं। अगर वह क़सम खाने से इनकार करे तो उसको उस वक़्त तक क़ैद रखा जायेगा जब तक कि वह या तो शौहर की तस्दीक़ करे और अपने ज़िना के जुर्म का इक़रार करे, अगर उसने ऐसा किया तो उस पर ज़िना की शरई सज़ा जारी कर दी जाये, और या फिर उक्त अलफ़ाज़ के साथ पाँच क़समें खाये। अगर वह क़ुरआन में बयान हुए अलफ़ाज़ से क़समें खाने पर राज़ी हो जाये और क़समें खा ले तो अब **लिआ़न** पूरा हो गया। जिसके नतीजे में दुनिया की सज़ा से दोनों बच गये, आख़िरत का मामला अल्लाह तआ़ला को मालूम ही है कि उनमें से कौन झूठा है, झूठे को आख़िरत में सज़ा मिलेगी। लेकिन दुनिया में भी जब दो मियाँ बीवी में लिआ़न का मामला हो गया तो ये एक दूसरे पर हमेशा के लिये हराम हो जाते हैं, शौहर को चाहिये कि उसको तलाक़ देकर आज़ाद कर दे। अगर वह तलाक़ न दे तो हाकिम उन दोनों में जुदाई कर सकता है जो तलाक़ के हुक्म में होगी। बहरहाल अब इन दोनों का आपस में दोबारा निकाह भी कभी नहीं हो सकता। लिआ़न के मामले की यह तफ़सील मसाईल की किताबों में मज़कूर है।

लिआ़न का क़ानून इस्लामी शरीअ़त में शौहर के जज़्बात व नफ़्सियात की रियायत की बिना पर नाफ़िज़ हुआ है। क्योंकि किसी शख़्स पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाने का क़ानून जो पहली आयतों में

गुज़र चुका है उसके एतिबार से यह ज़रूरी है कि ज़िना का इल्ज़ाम लगाने वाला चार मौक़े के गवाह पेश करे, और जो यह न कर सके तो उल्टी उसी पर ज़िना की तोहमत की सज़ा जारी की जायेगी। आम आदमी के लिये तो यह मुम्किन है कि जब चार गवाह मयस्सर न हों तो वह ज़िना का इल्ज़ाम लगाने से ख़ामोश रहे ताकि ज़िना की तोहमत की सज़ा से महफ़ूज़ रह सके लेकिन शौहर के लिये यह मामला बहुत संगीन है। जब उसने अपनी आँख से देख लिया और गवाह मौजूद नहीं अगर वह बोले तो ज़िना की तोहमत की सज़ा पाये और न बोले तो सारी उम्र ख़ून के घूँट पीता रहे और उसकी ज़िन्दगी वबाल हो जाये। इसलिये शौहर के मामले को आम क़ानून से अलग करके उसका मुस्तक़िल क़ानून बना दिया गया। इससे यह भी मालूम हो गया कि लिआ़न सिर्फ़ मियाँ बीवी के मामले में हो सकता है दूसरों का हुक्म वही है जो पहली आयतों में गुज़र चुका है। हदीस की किताबों में इस जगह दो वाक़िए ज़िक्र किये गये हैं उनमें से लिआ़न की आयतों का शाने नुज़ूल कौनसा वाक़िआ़ है इसमें तफ़सीर के इमामों के अक़वाल अलग-अलग हैं। इमाम क़ुर्तुबी ने आयतों का नुज़ूल दो बार मानकर दोनों को शाने नुज़ूल क़रार दिया है। हाफ़िज़ इब्ने हजर शारेह बुख़ारी और इमाम नववी शारेह मुस्लिम ने दोनों में मुवाफ़क़त देकर एक ही नुज़ूल में दोनों को लिआ़न की आयतों का शाने नुज़ूल क़रार दिया है। उन्होंने जो वजह और वज़ाहत बयान की वह ज़्यादा साफ़ है जो आगे आ जायेगी।

एक वाक़िआ़ हज़रत हिलाल बिन उमैया और उनकी बीवी का है जो सही बुख़ारी में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से मज़कूर है, और उस वाक़िए का शुरूआ़ती हिस्सा हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ही की रिवायत से मुस्नद अहमद में इस तरह आया है।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि जब क़ुरआने करीम में ज़िना की तोहमत की सज़ा के अहकाम की आयतें नाज़िल हुईं यानीः

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً.

(यानी ऊपर बयान हुई आयत 4 और 5) जिसमें किसी औरत पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाने वाले मर्द पर लाज़िम किया गया है कि या तो उस इल्ज़ाम पर चार गवाह पेश करे जिनमें एक यह ख़ुद होगा और जो ऐसा न कर सके तो उसको झूठा क़रार देकर उस पर अस्सी कोड़ों की सज़ा और हमेशा के लिये गवाही से मर्दूद होने की सज़ा जारी की जायेगी। ये आयतें सुनकर मदीना के अन्सार के सरदार हज़रत सअ़द बिन उबादा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! क्या ये आयतें इसी तरह नाज़िल हुई हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम (को सअ़द बिन उबादा रज़ियल्लाहु अ़न्हु की ज़बान से ऐसी बात सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ) आपने हज़राते अन्सार को ख़िताब करके फ़रमाया कि आप सुन रहे हैं कि आपके सरदार क्या बात कह रहे हैं। लोगों ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! आप इनको मलामत न फ़रमायें। इनके इस कलाम की वजह इनकी ग़ैरत की इन्तिहा है। फिर सअ़द बिन उबादा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने ख़ुद अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! मेरे बाप और माँ आप पर क़ुरबान, मैं पूरी तरह जानता हूँ ये आयतें हक़ हैं और अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से नाज़िल हुई हैं लेकिन मुझे इस बात पर ताज्जुब है कि अगर मैं बेहया बीवी को इस हाल में देखूँ कि ग़ैर-मर्द उस पर चढ़ा हुआ है तो क्या मेरे लिये यह जायज़ नहीं होगा कि मैं

उसको यहाँ डाँटूँ और वहाँ से हटा दूँ, बल्कि मेरे लिये यह ज़रूरी होगा कि मैं चार आदमियों को लाकर यह हालत दिखलाऊँ और उस पर गवाह बनाऊँ, और जब तक मैं गवाहों को जमा करूँ वह अपना काम करके भाग जाये (हज़रत सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु के अलफ़ाज़ इस जगह अलग-अलग मन्कूल हैं ख़ुलासा सब का एक ही है। क़ुर्तुबी)।

ज़िना की तोहमत लगाने की सज़ा की आयतें नाज़िल होने और सअ़द बिन उबादा रज़ियल्लाहु अ़न्हु के इस कलाम पर थोड़ा ही वक़्त गुज़रा था कि हिलाल बिन उमैया रज़ियल्लाहु अ़न्हु को यह वाक़िआ पेश आया कि वह इशा के वक़्त अपनी ज़मीन से वापस हुए तो अपनी बीवी के साथ एक मर्द को ख़ुद अपनी आँख से देखा और उनकी बातें अपने कानों से सुनीं, मगर कोई क़दम नहीं उठाया यहाँ तक कि सुबह हो गयी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में यह वाक़िआ अ़र्ज़ किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का यह वाक़िआ सुनकर दिल बुरा हुआ और बड़ा भारी महसूस किया। उधर हज़राते अन्सार जमा हो गये और आपस में तज़किरा करने लगे कि जो बात हमारे सरदार सअ़द बिन उबादा ने कही थी हम उसी में मुब्तला हो गये अब शरई क़ानून के मुताबिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हिलाल बिन उमैया को अस्सी कोड़े ज़िना की तोहमत की सज़ा के लगायेंगे और लोगों में उनको हमेशा के लिये गवाही के लिये ना-अहल (अयोग्य) क़रार दे देंगे। मगर हिलाल बिन उमैया रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि ख़ुदा की क़सम मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह तआ़ला मुझे इस मुसीबत से निकालेंगे। और सही बुख़ारी की रिवायत में यह भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हिलाल का मामला सुनकर क़ुरआनी हुक्म के मुताबिक़ हज़रत हिलाल से फ़रमा भी दिया कि या तो अपने इस दावे पर चार गवाह लाओ वरना तुम्हारी पीठ पर ज़िना की तोहमत की सज़ा जारी होगी। हिलाल इब्ने उमैया रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ही से अ़र्ज़ किया कि क़सम है उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है मैं अपने कलाम में सच्चा हूँ और यक़ीनन ही अल्लाह तआ़ला कोई ऐसा हुक्म नाज़िल फ़रमायेंगे जो मेरी पीठ को तोहमत की सज़ा से बरी कर देगा। यह गुफ़्तगू जारी ही थी कि जिब्रीले अमीन ये आयतें जिनमें लिआ़न का क़ानून है लेकर नाज़िल हुए यानी ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 6 से 10 तक।

अबू यअ़ला ने यही रिवायत हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से भी नक़ल की है। उसमें यह भी है कि जब लिआ़न की आयतें नाज़िल हुईं तो हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हिलाल इब्ने उमैया रज़ियल्लाहु अ़न्हु को ख़ुशख़बरी दी कि अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारी मुश्किल का हल नाज़िल फ़रमा दिया। हज़रत हिलाल ने अ़र्ज़ किया कि मैं अल्लाह तआ़ला से इसी की उम्मीद लगाये हुए था। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हिलाल बिन उमैया रज़ियल्लाहु अ़न्हु की बीवी को भी बुलवा लिया और जब दोनों मियाँ-बीवी जमा हो गये तो बीवी से मामले के मुताल्लिक़ पूछा गया। उसने कहा कि मेरा शौहर हिलाल बिन उमैया मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाता है। हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला जानता है कि तुम में से कोई एक झूठा है। क्या तुम में कोई है जो (अल्लाह के अ़ज़ाब से डरकर) तौबा करे और सच्ची बात ज़ाहिर कर दे। इस पर

हिलाल बिन उमैया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया "मेरे माँ-बाप आप पर क़ुरबान हों मैंने बिल्कुल सच बात कही है, और जो कुछ कहा है हक़ कहा है।" तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हुक्म दिया कि नाज़िल हुई क़ुरआनी आयतों के मुताबिक़ दोनों मियाँ-बीवी से लिआन कराया जाये। पहले हज़रत हिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा गया कि तुम चार मर्तबा इन अलफ़ाज़ से गवाही दो जो क़ुरआन में ज़िक्र हुए हैं। यानी मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर समझकर कहता हूँ कि मैं अपने इल्ज़ाम में सच्चा हूँ। हज़रत हिलाल ने इसके मुताबिक़ चार मर्तबा इसकी गवाही दी। जब पाँचवीं गवाही का नम्बर आया जिसके क़ुरआनी अलफ़ाज़ ये हैं कि अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। उस वक़्त हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ताकीद के तौर पर हिलाल बिन उमैया से फ़रमाया कि देखो हिलाल ख़ुदा से डरो क्योंकि दुनिया की सज़ा आख़िरत के अज़ाब से हल्की है और अल्लाह का अज़ाब लोगों की दी हुई सज़ा से कहीं ज़्यादा सख़्त है, और यह पाँचवीं गवाही आख़िरी गवाही है, इसी पर फ़ैसला होना है। मगर हिलाल बिन उमैया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि मैं क़सम खाकर कह सकता हूँ कि अल्लाह तआ़ला मुझे दुनिया में ज़िना की तोहमत की सज़ा नहीं देंगे, और फिर ये पाँचवीं गवाही के अलफ़ाज़ अदा कर दिये।

उसके बाद आपने हज़रत हिलाल की बीवी से इसी तरह की चार गवाहियाँ या चार क़समें लीं उसने भी हर दफ़ा में क़ुरआनी अलफ़ाज़ के मुताबिक़ ये गवाही दी कि मेरा शौहर झूठा है। जब पाँचवीं गवाही और क़सम का नम्बर आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया ज़रा ठहरो, फिर उस औरत से फ़रमाया कि ख़ुदा से डरो कि यह पाँचवीं गवाही और क़सम आख़िरी बात है और ख़ुदा का अज़ाब लोगों के अज़ाब यानी ज़िना की शरई सज़ा से कहीं ज़्यादा सख़्त है। यह सुनकर वह क़सम खाने से झिझकने लगी, कुछ देर इस कैफ़ियत में रही मगर फिर आख़िर में कहा कि अल्लाह की क़सम मैं अपनी क़ौम को रुस्वा नहीं करूँगी, और पाँचवीं क़सम भी इन लफ़्ज़ों के साथ अदा कर दी कि अगर मेरा शौहर सच्चा है तो मुझ पर ख़ुदा का ग़ज़ब हो। यह लिआ़न की कार्रवाई मुकम्मल हो गयी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन दोनों मियाँ-बीवी में जुदाई कर दी यानी उनका निकाह तोड़ दिया और यह फ़ैसला फ़रमाया कि इस हमल से जो बच्चा पैदा हो वह इस औरत का बच्चा कहलायेगा, बाप की तरफ़ मन्सूब नहीं किया जायेगा, मगर बच्चे को किसी तरह का ताना नहीं दिया जायेगा। (तफ़सीरे मज़हरी, मुस्नद अहमद के हवाले से इब्ने अ़ब्बास रज़ि. की रिवायत से)

दूसरा वाक़िआ़ भी बुख़ारी व मुस्लिम में मज़कूर है और वाक़िए की तफ़सील इमाम बग़वी ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से इस तरह नक़ल फ़रमाई है कि ज़िना की तोहमत लगाने वाले पर तोहमत की सज़ा जारी करने के अहकाम जिन आयतों में नाज़िल हुए यानीः

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ.......................الخ

(यानी ऊपर बयान हुई आयत 4 और 5) तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मिम्बर पर खड़े होकर ये आयतें लोगों को सुनायीं। मजमे में आ़सिम बिन अ़दी अन्सारी रज़ियल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे, यह खड़े हो गये और अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! मेरी जान आप पर क़ुरबान हो, अगर हम में से कोई शख़्स अपनी औरत को किसी मर्द के साथ मुब्तला देखे तो अगर वह अपने देखे हुए

वाक़िए को बयान करे तो उसको सौ कोड़े लगाये जायेंगे और हमेशा के लिये उसकी गवाही नाक़ाबिले क़ुबूल कर दी जायेगी, और मुसलमान उसको फ़ासिक़ कहा करेंगे। ऐसी हालत में हम गवाह कहाँ से लायेंगे, और अगर गवाहों की तलाश में निकलेंगे तो गवाह आने तक वह अपना काम करके भाग चुका होगा। वही सवाल था जो पहले वाक़िए में हज़रत सअ़द बिन उबादा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने किया था, इस दूसरे वाक़िए में आ़सिम बिन अ़दी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने किया है।

यह सवाल एक जुमे के दिन किया गया था उसके बाद यह क़िस्सा पेश आया कि आ़सिम बिन अ़दी रज़ियल्लाहु अ़न्हु का एक चचाज़ाद भाई उवैमर था जिसका निकाह भी आ़सिम बिन अ़दी रज़ियल्लाहु अ़न्हु की चचाज़ाद बहन ख़ौला रज़ियल्लाहु अ़न्हा से हुआ था। उवैमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने एक रोज़ देखा कि उनकी बीवी ख़ौला शुरैक बिन सहमा के साथ मुब्तला है और यह शुरैक बिन सहमा भी आ़सिम का चचाज़ाद भाई था। हज़रत उवैमर ने यह वाक़िआ आकर आ़सिम बिन अ़दी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से बयान किया, हज़रत आ़सिम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और अगले दिन जुमे में हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में फिर हाज़िर हुए और अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! पिछले जुमे में मैंने आप से जो सवाल किया था अफ़सोस है कि मैं ख़ुद उसमें मुब्तला हो गया, क्योंकि मेरे ही घर वालों में एक ऐसा वाक़िआ पेश आ गया। इमाम बग़वी रह. ने इन दोनों को हाज़िर करने और फिर आपस में लिआ़न कराने का वाक़िआ बड़ी तफ़सील से बयान किया है। (तफ़सीरे मज़हरी)

और बुख़ारी व मुस्लिम में इसका ख़ुलासा हज़रत सहल बिन सअ़द साअ़िदी की रिवायत से यह मज़कूर है कि उवैमर अ़जलानी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! अगर कोई शख़्स अपनी बीवी के साथ किसी ग़ैर-मर्द को देखे तो क्या वह उसको क़त्ल कर दे, जिसके नतीजे में लोग उसको क़त्ल करेंगे या फिर वह क्या करे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के मामले में हुक्म नाज़िल फ़रमा दिया है, जाओ बीवी को लेकर आओ। हज़रत सहल बिन सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु इस हदीस को बयान करने वाले फ़रमाते हैं कि उन दोनों को बुलाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मस्जिद के अन्दर लिआ़न कराया (जिसकी सूरत पहले ज़िक्र हुए वाक़िए में बयान हो चुकी है) जब दोनों तरफ़ से पाँचों गवाहियाँ और क़समें पूरी होकर लिआ़न ख़त्म हुआ तो हज़रत उवैमर अ़जलानी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा या रसूलल्लाह! अगर मैं अब इसको बीवी बनाकर रखूँ तो गोया मैंने इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है इसलिये मैं इसे तीन तलाक़ देता हूँ। (मज़हरी, बुख़ारी व मुस्लिम)

इन दोनों वाक़िआत में से हर एक में यह ज़िक्र है कि लिआ़न की आयतें उसके बारे में नाज़िल हुई हैं। हाफ़िज़ इब्ने हजर और शैख़ुल-इस्लाम इमाम नववी रह. ने दोनों में जोड़ की यह सूरत बयान की है कि ऐसा मालूम होता है कि पहला वाक़िआ हिलाल बिन उमैया रज़ियल्लाहु अ़न्हु का था और लिआ़न की आयतों का उतरना उसी वाक़िए के बारे में हुआ, उसके बाद उवैमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु को ऐसा ही वाक़िआ पेश आ गया और उन्होंने हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया, उनको हिलाल बिन उमैया का पहले हो चुका मामला मालूम न होगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि

व सल्लम ने उनको बतलाया कि तुम्हारे मामले का फ़ैसला यह है, और क़रीना इसका यह है कि हिलाल बिन उमैया रज़ियल्लाहु अन्हु के वाक़िए में तो हदीस के अलफ़ाज़ ये हैं 'फ़न्ज़-ल जिब्रीलु' (पस जिब्रील अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए) और हज़रत उवैमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वाक़िए में अलफ़ाज़ ये हैं 'क़द् अन्ज़लल्लाहु फ़ी-क' (कि तुम्हारे मामले के बारे में अल्लाह ने हुक्म नाज़िल फ़रमा दिया है) जिसका मफ़्हूम यह हो सकता है कि अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे वाक़िए जैसे एक वाक़िए में इसका हुक्म नाज़िल फ़रमा दिया है। वल्लाहु आलम। (तफ़सीरे मज़हरी)

मसलाः जब दो मियाँ बीवी के दरमियान हाकिम के सामने लिआ़न हो जाये तो यह औरत उस मर्द पर हमेशा के लिये हराम हो जाती है जैसे कि दूध पीने के रिश्ते की वजह से हराम होना हमेशा के लिये होता है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इरशाद है:

اَلْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ اَبَدًا

हुर्मत (हराम होना) तो लिआ़न होने ही से साबित हो जाती है लेकिन औरत को दूसरे शख़्स से इद्दत के बाद निकाह करना इमामे आज़म रह. के नज़दीक तब जायज़ होगा जबकि मर्द तलाक़ दे दे या ज़बान से कह दे कि मैंने इसको छोड़ दिया, और अगर मर्द ऐसा न करे तो हाकिम क़ाज़ी उन दोनों में जुदाई का हुक्म कर देगा, वह भी तलाक़ के हुक्म में हो जायेगा, फिर तलाक़ की इद्दत तीन हैज़ (माहवारी) पूरे होने के बाद औरत आज़ाद होगी और दूसरे किसी शख़्स से निकाह कर सकेगी।

(तफ़सीरे मज़हरी वग़ैरह)

मसलाः जब लिआ़न हो चुका उसके बाद उस हमल (गर्भ) से जो बच्चा पैदा हो वह उसके शौहर की तरफ़ मन्सूब नहीं होगा बल्कि उसकी निस्बत उसकी माँ की तरफ़ की जायेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हिलाल इब्ने उमैया और उवैमर अ़जलानी दोनों के मामले में यही फ़ैसला फ़रमाया।

मसलाः लिआ़न के बाद अगरचे उनमें जो झूठा है उसका आख़िरत का अ़ज़ाब पहले से ज़्यादा बढ़ गया मगर दुनिया की सज़ा उससे ख़त्म हो गयी। इसी तरह दुनिया में उसको ज़ानिया और बच्चे को ज़िना की औलाद कहना भी किसी के लिये जायज़ नहीं होगा। हिलाल इब्ने उमैया रज़ियल्लाहु अ़न्हु के मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़ैसले में यह हुक्म भी फ़रमाया कि बच्चे और उसकी माँ को तानों और बुरा-भला कहने की इजाज़त नहीं है।

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُو بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ
خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾
لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾ لَوْلَا جَاءُو
عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ

تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ۝ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ
قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ۝ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ
فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ
أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ
يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ
اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ يَوْمَئِذٍ
يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ۝ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ
لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ
كَرِيمٌ ۝

इन्नल्लज़ी-न जाऊ बिल्-इफ़्कि अुस्बतुम्-मिन्कुम्, ला तह्सबूहु शर्रल्-लकुम्, बल् हु-व ख़ैरुल्-लकुम्, लिकुल्लिम्-रिइम् मिन्हुम् मक्त-स-ब मिनल्-इस्मि वल्लज़ी तवल्ला किब्रहू मिन्हुम् लहू अ़ज़ाबुन् अ़ज़ीम (11) लौ ला इज़् समिअ़्तुमूहु ज़न्नल्-मुअ्मिनू-न वल्-मुअ्मिनातु बिअन्फ़ुसिहिम् ख़ैरंव्-व क़ालू हाज़ा इफ़्कुम्-मुबीन (12) लौ ला जाऊ

जो लोग लाये हैं यह तूफ़ान तुम्हीं में एक जमाअ़त हैं तुम इसको न समझो बुरा अपने हक़ में बल्कि यह बेहतर है तुम्हारे हक़ में, हर आदमी के लिये उनमें से वह है जितना उसने गुनाह कमाया, और जिसने उठाया है इसका बड़ा बोझ उसके वास्ते बड़ा अ़ज़ाब है। (11) क्यों न जब तुमने इसको सुना था ख़्याल किया होता ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों ने अपने लोगों पर भला ख़्याल और कहा होता यह खुला तूफ़ान है। (12) क्यों न

अ़लैहि बि-अर्-ब-अ़ति शु-हदा-अ फ़-इज़् लम् यअ्तू बिश्शु-हदा-इ फ़-उलाइ-क ज़िन्दल्लाहि हुमुल्-काज़िबून (13) व लौ ला फ़ज़्लुल्लाहि अ़लैकुम् व रह्मतुहू फ़िद्दुन्या वल्-आख़िरति ल-मस्सकुम् फ़ीमा अफ़ज़्तुम् फ़ीहि अ़ज़ाबुन् अ़ज़ीम (14) इज़् तलक़्क़ौनहू बिअल्सि-नतिकुम् व तक़ूलू-न बिअफ़्वाहिकुम् मा लै-स लकुम् बिही ज़िल्मुंव्-व तह्सबूनहू हय्यिनंव्-व हु-व ज़िन्दल्लाहि अ़ज़ीम (15) व लौ ला इज़् समिअ्तुमूहु क़ुल्तुम् मा यकूनु लना अन् न-तकल्ल-म बिहाज़ा सुब्हान-क हाज़ा बुह्तानुन् अ़ज़ीम (16) यअ़िज़ुकुमुल्लाहु अन् तअ़ूदू लिमिस्लिही अ-बदन् इन् कुन्तुम् मुअ्मिनीन (17) व युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल्-आयाति, वल्लाहु अ़लीमुन् हकीम (18) इन्नल्लज़ी-न युहिब्बू-न अन् तशीअ़ल्-फ़ाहि-शतु फ़िल्लज़ी-न आमनू लहुम् अ़ज़ाबुन् अलीमुन् फ़िद्दुन्या वल्-आख़िरति, वल्लाहु

लाये वे इस बात पर चार गवाह, फिर जब न लाये गवाह तो वे लोग अल्लाह के यहाँ वही हैं झूठे। (13) और अगर न होता अल्लाह का फ़ज़्ल तुम पर और उसकी रहमत दुनिया और आख़िरत में तो तुम पर पड़ती इस चर्चा करने में कोई बड़ी आफ़त। (14) जब लेने लगे तुम इसको अपनी ज़बानों पर और बोलने लगे अपने मुँह से जिस चीज़ की तुमको ख़बर नहीं और तुम समझते हो इसको हल्की बात और यह अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी है। (15) और क्यों न जब तुमने इसको सुना था कहा होता- हमको नहीं लायक़ कि मुँह पर लायें यह बात, अल्लाह तो पाक है यह तो बड़ा बोहतान है। (16) अल्लाह तुमको समझाता है कि फिर न करो ऐसा काम कभी अगर तुम ईमान रखते हो। (17) और खोलता है अल्लाह तुम्हारे वास्ते पते की बातें, और अल्लाह सब जानता है हिक्मत वाला है। (18) जो लोग चाहते हैं कि चर्चा हो बदकारी का ईमान वालों में उनके लिये अ़ज़ाब है दर्दनाक दुनिया और आख़िरत में, और

यअ्लमु व अन्तुम् ला तअ्लमून (19) व लौ ला फ़ज़्लुल्लाहि अ़लैकुम् व रह्मतुहू व अन्नल्ला-ह रऊफ़ुर्-रहीम। (20) ❁ ●

अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। (19) और अगर न होता अल्लाह का फ़ज़्ल तुम पर और उसकी रहमत और यह कि अल्लाह नर्मी करने वाला है मेहरबान तो क्या कुछ न होता। (20) ❁ ●

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तत्तबिअ़ू ख़ुतुवातिश्शैतानि, व मंय्यत्तबिअ् ख़ुतुवातिश्शैतानि फ़-इन्नहू यअ्मुरु बिल्फ़ह्शा-इ वल्मुन्करि, व लौ ला फ़ज़्लुल्लाहि अ़लैकुम् व रह्मतुहू मा ज़का मिन्कुम् मिन् अ-हदिन् अ-बदंव्-व लाकिन्नल्ला-ह युज़क्की मंय्यशा-उ, वल्लाहु समीअुन् अ़लीम (21) व ला यअ्तलि उलुल्-फ़ज़्लि मिन्कुम् वस्स-अ़ति अंय्युअ्तू उलिल्-क़ुर्बा वल्मसाकी-न वल्मुहाजिरी-न फ़ी सबीलिल्लाहि वल्-यअ्फ़ू वल्-यस्फ़हू, अला तुहिब्बू-न अंय्यग़्फ़िरल्लाहु लकुम्, वल्लाहु ग़फ़ूरुर्रहीम (22) इन्नल्लज़ी-न यर्मूनल्-मुह्सनातिल्-ग़ाफ़िलातिल्-मुअ्मिनाति लुअ़िनू फ़िद्दुन्या वल्-आख़िरति व लहुम् अ़ज़ाबुन् अ़ज़ीम (23) यौ-म तश्-हदु अ़लैहिम् अल्सि-नतुहुम् व

ऐ ईमान वालो! न चलो क़दमों पर शैतान के, और जो कोई चलेगा क़दमों पर शैतान के सो वह तो यही बतलायेगा बेहयाई और बुरी बात, और अगर न होता अल्लाह का फ़ज़्ल तुम पर और उसकी रहमत तो न संवरता तुम में एक शख़्स भी कभी लेकिन अल्लाह संवारता है जिसको चाहे, और अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। (21) और क़सम न खायें बड़े दर्जे वाले तुम में से और गुंजाईश वाले इस पर कि दें क़राबतियों (क़रीबी लोगों और रिश्तेदारों) को और मोहताजों को और वतन छोड़ने वालों को अल्लाह की राह में, और चाहिये कि माफ़ करें और दरगुज़र करें, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुमको माफ़ करे, और अल्लाह बख़्शने वाला है मेहरबान। (22) जो लोग ऐब लगाते हैं हिफ़ाज़त वालियों बेख़बर ईमान वालियों को, उनको फटकार है दुनिया में और आख़िरत में और उनके लिये है बड़ा अ़ज़ाब। (23) जिस दिन कि ज़ाहिर कर देंगी उनकी

ऐदीहिम् व अर्जुलुहुम् बिमा कानू यअ्मलून (24) यौमइज़िंय्-युवफ़्फ़ीहिमुल्लाहु दीनहुमुल्-हक़्-क़ व यअ्लमू-न अन्नल्ला-ह हुवल्-हक़्क़ुल्-मुबीन (25) अल्ख़बीसातु लिल्ख़बीसी-न वल्ख़बीसू-न लिल्ख़बीसाति वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबी-न वत्तय्यिबू-न लित्तय्यिबाति उलाइ-क मुबर्रऊ-न मिम्मा यक़ूलू-न, लहुम् मग़्फ़ि-रतुंव्-व रिज़्क़ुन् करीम (26) ✿	ज़ुबानें और हाथ और पाँव जो कुछ वे करते थे। (24) उस दिन पूरी देगा उनको अल्लाह उनकी सज़ा जो चाहिये, और जान लेंगे कि अल्लाह वही है सच्चा खोलने वाला। (25) गन्दियाँ हैं गन्दों के वास्ते और गन्दे वास्ते गन्दियों के, और सुथरियाँ हैं सुथरों के वास्ते और सुथरे वास्ते सुथरियों के, वे लोग बेताल्लुक़ हैं उन बातों से जो ये कहते हैं, उनके वास्ते बख़्शिश है और रोज़ी है इज़्ज़त की। (26) ✿

इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि सूरः नूर का ज़्यादातर हिस्सा उन अहकाम से संबन्धित है जो पाकदामनी व आबरू की हिफ़ाज़त के लिये जारी किये गये हैं। इसके मुक़ाबले में पाकदामनी व आबरू पर हाथ डालने और उसकी ख़िलाफ़वर्ज़ी की दुनियावी सज़ायें और उन पर आख़िरत का ज़बरदस्त वबाल ज़िक्र किया गया है। इस सिलसिले में पहले ज़िना की सज़ा, फिर ज़िना की तोहमत लगाने की सज़ा और फिर लिआन का बयान आ चुका है। ज़िना की तोहमत की सज़ा के तहत में किसी पाकदामन औरत पर जब तक चार गवाहों की गवाही न हो ज़िना का इल्ज़ाम लगाना ज़बरदस्त गुनाह क़रार दिया है और ऐसा करने वाले के लिये शरई सज़ा अस्सी कोड़े लगाने की जारी फ़रमाई है। यह मसला आम मुसलमान पाकदामन औरतों से संबन्धित था। और चूँकि सन् 6 हिजरी में कुछ मुनाफ़िक़ों ने उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा पर ऐसी तोहमत गढ़ी थी और उनके साथ लगकर कुछ मुसलमान भी उसका तज़किरा करने लगे थे, यह मामला आम मुसलमान पाकदामन औरतों के मामले से कहीं ज़्यादा सख़्त था इसलिये क़ुरआने करीम ने हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की बराअत और पाकी के बयान में इस जगह दस आयतें जो ऊपर बयान हुई हैं नाज़िल फ़रमाईं जिनमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बराअत व पाकीज़गी का ऐलान और उनके मामले में जिन लोगों ने झूठ गढ़ने और बोहतान लगाने में किसी तरह का हिस्सा लिया था उन सब को तंबीह और दुनिया व आख़िरत में उनके वबाल का बयान है।

यह बोहतान लगाने का वाक़िआ क़ुरआन व हदीस में वाक़िआ-ए-इफ़्क के नाम से मशहूर है।

इफ़्क कहते हैं बदतरीन क़िस्म के झूठ व तोहमत लगाने को। इन आयतों की तफ़सीर समझने में क़िस्सा-ए-इफ़्क के मालूम होने को बड़ा दख़ल है, इसलिये मुनासिब है कि पहले मुख़्तसर तौर पर यह क़िस्सा बयान कर दिया जाये।

इफ़्क व बोहतान का क़िस्सा

बुख़ारी व मुस्लिम और हदीस की दूसरी किताबों में यह वाक़िआ ग़ैर-मामूली लम्बा और तफ़सील के साथ ज़िक्र किया गया है। इसका मुख़्तसर बयान यह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ग़ज़वा-ए-बनी मुस्तलिक़ में जिसको ग़ज़वा-ए-मुरैसीअ़ भी कहा जाता है सन् 6 हिजरी में तशरीफ़ ले गये तो अम्महातुल-मोमिनीन (हुज़ूर की पाक बीवियों) में से हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा साथ थीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का ऊँट जिस पर उनका होदज (पर्देदार कजावा) होता था, और चूँकि उस वक़्त पर्दे के अहकाम नाज़िल हो चुके थे तो मामूल यह था कि सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने होदज में सवार हो जातीं फिर लोग उस होदज को उठाकर ऊँट पर रख देते थे। ग़ज़वे (मुहिम) से फ़रागत और मदीना तय्यिबा की तरफ़ वापसी में एक दिन यह क़िस्सा पेश आया कि एक मन्ज़िल में क़ाफ़िला ठहरा, रात के आख़िरी हिस्से में कूच से कुछ पहले ऐलान किया गया कि क़ाफ़िला रवाना होने वाला है ताकि लोग अपनी-अपनी ज़रूरतों से फ़ारिग़ होकर तैयार हो जायें। हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को बड़े इस्तिन्जे की ज़रूरत थी उससे फ़रागत के लिये जंगल की तरफ़ चली गयीं, वहाँ इत्तिफ़ाक़ से उनका हार टूटकर गिर गया, उसकी तलाश में उनको देर लग गयी। जब वापस अपनी जगह पहुँचीं तो देखा कि क़ाफ़िला रवाना हो चुका है। उनके ऊँट का क़िस्सा यह हुआ कि जब कूच होने लगा तो आदत के मुताबिक़ हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का होदज यह समझकर ऊँट पर सवार कर दिया गया कि हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उसमें मौजूद हैं। उठाते वक़्त भी कुछ शुब्हा इसलिये न हुआ कि उस वक़्त हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र कम और बदन में दुबली थीं, किसी को यह अन्दाज़ा ही न हुआ कि होदज ख़ाली है। चुनाँचे ऊँट को हाँक दिया गया।

हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी जगह वापस आकर क़ाफ़िले को न पाया तो बड़ी समझदारी और संजीदगी व हिम्मत से काम लिया कि क़ाफ़िले के पीछे दौड़ने या इधर-उधर तलाश करने के बजाय अपनी जगह चादर ओढ़कर बैठ गयीं, और ख़्याल किया कि जब हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और साथियों को यह मालूम होगा कि मैं होदज में नहीं हूँ तो मुझे तलाश करने के लिये यहाँ पहुँचेंगे, अगर मैं इधर-उधर कहीं और गयी तो उनको तलाश करने में मुश्किल होगी इसलिये अपनी जगह पर चादर लपेटकर बैठ रहीं। रात का आख़िरी वक़्त था, नींद का ग़लबा हुआ वहीं लेटकर आँख लग गयी।

दूसरी तरफ़ क़ुदरत ने यह सामान किया कि हज़रत सफ़वान बिन मुअ़त्तल सहाबी जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसी ख़िदमत के लिये मुक़र्रर किया हुआ था कि वह क़ाफ़िले के पीछे रहें और क़ाफ़िला रवाना होने के बाद गिरी-पड़ी कोई चीज़ रह गयी हो तो उसको उठाकर

महफ़ूज़ कर लें। वह सुबह के वक़्त उस जगह पहुँचे, अभी रोशनी पूरी न थी, इतना देखा कि कोई आदमी पड़ा सो रहा है। क़रीब आये तो हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को पहचान लिया क्योंकि उन्होंने पर्दे के अहकाम नाज़िल होने से पहले उनको देखा था। पहचानने के बाद इन्तिहाई अफ़सोस के साथ उनकी ज़बान से 'इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन' निकला। यह कलिमा सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के कान में पड़ा तो आँख खुल गयी और चेहरा ढाँप लिया। हज़रत सफ़वान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना ऊँट क़रीब लाकर बैठा दिया। हज़रत सिद्दीक़ा उस पर सवार हो गयीं और ख़ुद ऊँट की नकेल पकड़कर पैदल चलने लगे, यहाँ तक कि क़ाफ़िले में मिल गये।

अ़ब्दुल्लाह बिन उबई बड़ा ख़बीस मुनाफ़िक़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का दुश्मन था, उसको एक बात हाथ लग गयी और कमबख़्त ने उल्टा-सीधा बकना शुरू किया और कुछ भोले भाले मुसलमान भी सुनी सुनाई इसका तज़किरा करने लगे। जैसे हज़रत हस्सान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत मिस्तह रज़ियल्लाहु अन्हु मर्दों में से और हज़रत हमना रज़ियल्लाहु अन्हा औरतों में से। तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में इब्ने मर्दूया के हवाले से हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का यही क़ौल नक़ल किया है किः

اعانه ای عبداللہ ابن اُبیّ حسان ومسطح وحمنة.

जब इस मुनाफ़िक़ के बोहतान का चर्चा हुआ तो ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को इससे सख़्त सदमा पहुँचा। हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अन्हा को तो इन्तिहाई सदमा पहुँचना ज़ाहिर ही है, आ़म मुसलमानों को भी इससे सख़्त रंज व अफ़सोस हुआ। एक महीने तक यही क़िस्सा चलता रहा। आख़िर अल्लाह तआ़ला ने हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की बराअत और बोहतान बाँधने या उसमें शरीक होने वालों की निंदा में उपरोक्त आयतें नाज़िल फ़रमा दीं जिनकी तफ़सीर आगे आती है। क़ुरआनी क़ानून के मुताबिक़ जिसका ज़िक्र अभी ज़िना की तोहमत की सज़ा के तहत में आ चुका है तोहमत लगाने वालों से गवाही का मुतालबा किया गया। वह तो एक बिल्कुल ही बेबुनियाद ख़बर थी गवाह कहाँ से आते। नतीजा यह हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने तोहमत लगाने वालों पर शरई क़ानून के मुताबिक़ तोहमत की सज़ा जारी की, हर एक को अस्सी अस्सी कोड़े लगाये। बज़्ज़ार और इब्ने मर्दूया ने हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने तीन मुसलमानों पर तोहमत की सज़ा जारी फ़रमाई। हज़रत मिस्तह, हज़रत हमना और हज़रत हस्सान। और तबरानी ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस मौक़े पर अ़ब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफ़िक़ जिसने असल तोहमत गढ़ी थी उस पर दोहरी हद जारी फ़रमाई। फिर मोमिनों ने तौबा कर ली और मुनाफ़िक़ लोग अपने हाल पर क़ायम रहे। (तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(ऐ मुसलमानो! तुम जो सिद्दीक़ा आ़यशा रज़ियल्लाहु अन्हा के मुताल्लिक़ झूठी तोहमत की

शोहरत से रंजीदा हो इसमें ख़ुद सिद्दीक़ा भी दाख़िल हैं तो तुम ज़्यादा ग़म न करो क्योंकि) जिन लोगों ने यह तूफ़ान (हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में) बरपा किया है वे तुम्हारे में का एक (छोटा-सा) गिरोह है, (क्योंकि तोहमत लगाने वाले कुल चार थे, एक तो डायरेक्ट तौर पर झूठी तोहमत गढ़ने वाला यानी अ़ब्दुल्लाह इब्ने उबई मुनाफ़िक़, और तीन प्रत्यक्ष रूप से जो उसकी ख़बर से प्रभावित हो गये यानी हज़रत हस्सान, हज़रत मिस्तह और हज़रत हमना जो पक्के सच्चे मोमिन थे, इन सब को क़ुरआन ने (तुम में से) में दाख़िल किया यानी मुसलमानों में, हालाँकि अ़ब्दुल्लाह इब्ने उबई मुनाफ़िक़ था, इसकी वजह उसका ज़ाहिरी इस्लाम का दावा था। आयत का मतलब तसल्ली देना है कि ज़्यादा ग़म न करो, अव्वल तो ख़बर झूठी, फिर नक़ल करने वाले भी कुल चार ही आदमी, और ज़्यादा आदमी तो इसके मुख़ालिफ़ ही हैं, पस उर्फ़ के हिसाब से भी यह ज़्यादा ग़म का सबब न होना चाहिए। आगे एक और तरीक़े पर तसल्ली है कि) तुम इस (तूफ़ान बन्दी) को अपने हक़ में बुरा न समझो (अगरचे ज़ाहिर में ग़म की बात है मगर वास्तव में इससे तुम्हारा नुक़सान नहीं) बल्कि यह (अन्जाम के एतिबार से) तुम्हारे हक़ में बेहतर है (क्योंकि इस ग़म से तुमको सब्र का सवाब मिला, तुम्हारे दर्जे बढ़े। विशेष तौर पर जिन हज़रात पर तोहमत लगाई गयी उनकी बराअत के लिये क़तई दलील आई। और आईन्दा भी मुसलमानों के हक़ में ख़ैर है कि ऐसे मुसीबत ज़दा इस वाक़िए से तसल्ली हासिल किया करेंगे। पस तुम्हारा तो कोई नुक़सान न हुआ अलबत्ता इन चर्चा करने वालों का नुक़सान हुआ कि) उनमें से हर शख़्स को जितना किसी ने कुछ किया था गुनाह हुआ (मसलन ज़ुबान से कहने वालों को ज़्यादा गुनाह और सुनकर ख़ामोश रह जाने वालों को या दिल से बदगुमानी करने वालों को उसके मुवाफ़िक़ गुनाह हुआ)। और उनमें जिसने इस (तूफ़ान) में सबसे बड़ा हिस्सा लिया (कि इसको गढ़ा, मुराद इससे अ़ब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफ़िक़ है) उसको (सबसे बढ़कर) सख़्त सज़ा होगी (इससे मुराद जहन्नम है जिसकी पात्रता पहले से कुफ़्र व निफ़ाक़ और रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से दुश्मनी रखने की वजह से भी थी अब और ज़्यादा सज़ा का मुस्तहिक़ हो गया। यह तो ग़मज़दों के नुक़सान की नफ़ी और बोहतान बाँधने वालों के नुक़सान को साबित किया गया था आगे उनमें जो मोमिन हज़रात थे उनको नसीहत के तौर पर मलामत है कि) जब तुम लोगों ने यह बात सुनी थी तो मुसलमान मर्दों (जिनमें हज़रत हस्सान व मिस्तह भी आ गये) और मुसलमान औ़रतों ने (जिनमें हज़रत हमना भी आ गई) अपने आपस वालों के साथ (यानी हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा और उन सहाबी के साथ दिल से) नेक गुमान क्यों न किया, और (ज़ुबान से) यह क्यों न कहा कि यह खुला झूठ है (जैसा कि दुर्रे मन्सूर में हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अ़न्हु और उनकी बीवी का यही क़ौल नक़ल किया गया है। इसमें बोहतान बाँधने वालों के साथ वे शामिल हैं जो सुनकर ख़ामोश रहे या शक में पड़ गये, उन सब पर भी मलामत है जिनमें आ़म मोमिन मर्द व औ़रत भी दाख़िल हो गये)।

(आगे इस तोहमत को रद्द करने और नेक गुमान रखने के वाजिब होने की वजह इरशाद है कि) यह (बोहतान लगाने वाले) लोग (अपने) उस (क़ौल) पर चार गवाह क्यों न लाये (जो कि ज़िना को साबित करने के लिये शर्त है) सो जिस सूरत में ये लोग (क़ायदे के मुवाफ़िक़) गवाह नहीं लाये तो

बस अल्लाह के नज़दीक (जो क़ानून है उसके एतिबार से) ये झूठे हैं। (आगे बोहतान लगाने वालों में जो मोमिन थे उन पर भी रहमत का ज़िक्र है) और अगर (ऐ हस्सान व मिस्तह व हमना) तुम पर अल्लाह तआ़ला का करम व फ़ज़्ल न होता दुनिया में (भी कि तौबा की मोहलत दी) और आख़िरत में (भी कि तौबा की तौफ़ीक़ दी और उसको क़ुबूल भी कर लिया, अगर यह न होता) तो जिस शग़ल में तुम पड़े थे उसमें तुम पर सख़्त अ़ज़ाब आ पड़ता (जैसा कि अ़ब्दुल्लाह बिन उबई को तौबा न करने के सबब होगा अगरचे इस वक़्त दुनिया में मोहलत उसको भी दे दी गई मगर कुल मिलाकर दोनों जहान में रहमत नहीं है, और इससे मालूम हो गया कि सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम तौबा क़ुबूल हुए और पाक होकर आख़िरत में रहमत के पाने वाले हैं, और अ़लैकुम में ख़िताब मोमिनों को होने का इशारा सबसे पहले ऊपर की आयत में यह इरशाद है 'ज़न्नल् मुअ्मिनू-न' दूसरे 'फ़िल्आख़िरति' फ़रमाना कि मुनाफ़िक़ तो आख़िरत में जहन्नम के सबसे निचले दर्जे का मुस्तहिक़ है, वह यक़ीनन आख़िरत में रहमत पाने वाला नहीं हो सकता। तीसरे आगे 'यअ़िज़ुकुम' और 'व लौ ला फ़ज़्लुल्लाहि' में तबरानी ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु का क़ौल नक़ल किया कि इससे हज़रत हस्सान, मिस्तह और हमना मुराद हैं। और यही क़ौल तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में नक़ल किया गया है कि 'लौ ला फ़ज़्लुल्लाहि अ़लैकुम' से मुख़ातब सिर्फ़ तीन मोमिन हैं- यानी मिस्तह, हमना, हस्सान)।

(आगे इसका बयान है कि मोमिनों पर अगर अल्लाह का ख़ास फ़ज़्ल न होता कि उनको तौबा की तौफ़ीक़ दी और तौबा भी कर ली तो जो काम उन्होंने किया था वह अपनी ज़ात में ज़बरदस्त अ़ज़ाब का सबब था, फ़रमाया) जबकि तुम इस (झूठ बात) को अपनी ज़बानों से नक़ल दर नक़ल कर रहे थे और अपने मुँह से ऐसी बात कह रहे थे जिसकी तुमको (किसी दलील से) बिल्कुल ख़बर नहीं, (और ऐसी ख़बर के नक़ल करने वाले का झूठा होना 'फ़-उलाइ-क अ़िन्दल्लाहि हुमुल्-काज़िबून' में बयान हो चुका है) और तुम उसको हल्की बात समझ रहे थे, हालाँकि वह अल्लाह के नज़दीक बहुत भारी बात (यानी ज़बरदस्त गुनाह वाली) थी। (अव्वल तो किसी पाकदामन औ़रत पर ज़िना की तोहमत ख़ुद बड़ा गुनाह है फिर वह भी कौन! नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की पाक बीवियों में से कि उन पर तोहमत लगाना जनाब रसूले मक़बूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तकलीफ़ पहुँचने का सबब बना। पस इसमें बहुत से नाफ़रमानी और गुनाह के असबाब जमा थे) और तुमने जब इस (बात) को (पहले) सुना था तो यूँ क्यों न कहा कि हमारे लिये यह मुनासिब नहीं कि हम ऐसी बात मुँह से भी निकालें, अल्लाह की पनाह! यह तो बड़ा बोहतान है। (जैसा कि कुछ सहाबा ने इसी तरह कहा था जैसा कि सअ़द बिन मुआ़ज़, ज़ैद बिन हारिसा और हज़रत अबू अय्यूब से इसी तरह का क़ौल मन्क़ूल है। और ज़ायद की नफ़ी नहीं है मुम्किन है और बहुतों ने कहा हो। मतलब यह कि तोहमत लगाने वालों और ख़ामोश रहने वालों सब को यही कहना चाहिए था)।

(यहाँ तक तो गुज़रे हुए हालात पर मलामत थी अब आगे के लिये नसीहत है जो कि असल मक़सद है मलामत का। पस इरशाद है कि) अल्लाह तआ़ला तुमको नसीहत करता है कि फिर ऐसी हरकत मत करना अगर तुम ईमान वाले हो। और अल्लाह तआ़ला तुम से साफ़-साफ़ अहकाम बयान करता है (जिसमें नसीहत, तोहमत की सज़ा और तौबा का क़ुबूल होना जो ऊपर मज़कूर हो चुके हैं

सब दाख़िल हैं) और अल्लाह तआ़ला बड़ा जानने वाला, बड़ा हिक्मत वाला है (तुम्हारे दिल की शर्मिन्दगी का हाल भी उसको मालूम है इसलिए तौबा क़ुबूल कर ली और सियासत 'क़ानून व व्यवस्था' की हिक्मत भी ख़ूब जानता है इसलिए तुम्हें सियासत के तौर पर दुनिया में सज़ा दी गई। हज़रत इब्ने अ़ब्बास से तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में यही तफ़सीर नक़ल की गयी है)।

(यहाँ तक बराअत व पाकदामनी के नाज़िल होने से पहले तोहमत का तज़किरा करने वालों का ज़िक्र था, आगे उनका ज़िक्र है जो क़ुरआन में बराअत नाज़िल होने के बाद भी बाज़ न आयें और ज़ाहिर है कि ऐसा शख़्स बेईमान ही होगा। पस इरशाद है) जो लोग (इन आयतों के नाज़िल होने के बाद भी) चाहते हैं (यानी इसकी अ़मली कोशिश करते हैं) कि बेहयाई की बात का मुसलमानों में चर्चा हो (यानी यह ख़बर फैले कि इन मुसलमानों में बेहयाई की बात है। हासिले मतलब यह कि जो लोग उन पाकीज़ा व मुक़द्दस हज़रात की तरफ़ ज़िना की निस्बत करते हैं) उनके लिये दुनिया और आख़िरत में दर्दनाक सज़ा (मुक़र्रर) है। और (इस मामले पर सज़ा का ताज्जुब मत करो, क्योंकि) अल्लाह तआ़ला जानता है (कि कौनसी नाफ़रमानी किस दर्जे की है) और तुम (उसकी हक़ीक़त पूरी) नहीं जानते। (दुर्रे मन्सूर, हज़रत इब्ने अ़ब्बास की रिवायत से)

(आगे उन लोगों को ख़िताब है जिन्होंने तौबा कर ली और उसके सबब आख़िरत के बड़े भारी अ़ज़ाब से महफ़ूज़ हो गये) और (ऐ तौबा करने वालो!) अगर यह बात न होती कि तुम पर अल्लाह का फ़ज़्ल व करम है (जिसने तुमको तौबा की तौफ़ीक़ दी) और यह कि अल्लाह तआ़ला बड़ा शफ़ीक़ बड़ा रहीम है (जिसने तुम्हारी तौबा क़ुबूल कर ली) तो तुम भी (इस सज़ा के वायदे से) न बचते।

(आगे मुसलमानों को अपनी रहमत से इस गुनाह को ख़ास किये बग़ैर तमाम ही गुनाहों से बचने का हुक्म और तौबा के ज़रिये ख़ुद को पाक करने की वज़ाहत है जो एहतिमाम के साथ विभिन्न उनवानात से दोहराई गयी है। इरशाद फ़रमाते हैं कि) ऐ ईमान वालो! तुम शैतान के क़दम-से-क़दम मिलाकर मत चलो (यानी उसके बहकाने पर अ़मल मत करो) और जो शख़्स शैतान के क़दम-से-क़दम मिलाकर चलता है तो वह (हमेशा हर शख़्स को) बेहयाई और नामाक़ूल काम करने को ही कहेगा (जैसा कि इस तोहमत लगाने के वाक़िए में तुमने देख लिया) और (शैतान के क़दम से क़दम मिलाकर चलने के और गुनाह समेट लेने के बाद उसके वबाल व नुक़सान से जो कि साबित हो ही चुका था निजात दे देना यह भी हमारा ही फ़ज़्ल था वरना) अगर तुम पर अल्लाह का फ़ज़्ल व करम न होता तो तुम में से कोई कभी भी (तौबा करके) पाक व साफ़ न होता। (या तो तौबा की तौफ़ीक़ ही न होती जैसा कि मुनाफ़िक़ लोगों को न हुई और या तौबा क़ुबूल न की जाती, क्योंकि हम पर कोई चीज़ वाजिब तो है नहीं) व लेकिन अल्लाह तआ़ला जिसको चाहता है (तौबा की तौफ़ीक़ देकर) पाक-साफ़ कर देता है। (और तौबा के बाद अपने फ़ज़्ल से क़ुबूलियत का वायदा भी फ़रमा लिया है) और अल्लाह तआ़ला सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है (पस तुम्हारी तौबा सुन ली और तुम्हारी शर्मिन्दगी जान ली इसलिए फ़ज़्ल फ़रमा दिया)।

(आगे इसका बयान है कि बराअत की आयतों के नाज़िल होने के बाद कुछ सहाबा ने (जिनमें हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु भी हैं जैसा कि बुख़ारी में है, और दूसरे सहाबा भी हैं जैसा

कि दुर्रे मन्सूर में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मन्क़ूल है) गुस्से व नाराज़गी की शिद्दत में क़सम खा ली कि जिस जिसने यह चर्चा किया है जिनमें ज़रूरत मन्द भी थे उनको अब से किसी क़िस्म की माली इमदाद न देंगे। अल्लाह तआ़ला उनकी ग़लती की माफ़ी और इमदाद जारी कर देने के लिये इरशाद फ़रमाते हैं) और जो लोग तुम में (दीनी) बुज़ुर्गी और (दुनियावी) गुंजाईश वाले हैं, वे रिश्तेदारों को और मिस्कीनों को और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को देने से क़सम न खा बैठें (यानी उस क़सम के तक़ाज़े पर क़ायम न रहें बल्कि तोड़ डालें। यह मतलब है वरना क़सम तो हो ही चुकी थी, यानी ये सिफ़ात चाहती हैं इमदाद करने को ख़ुसूसन जिसमें कोई सबब इमदाद करने का हो जैसे हज़रत मिस्तह रज़ियल्लाहु अ़न्हु कि वह हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु के नज़दीक के रिश्तेदार भी हैं और मिस्कीन और मुहाजिर भी हैं, आगे शौक़ और तवज्जोह दिलाने के लिये फ़रमाते हैं कि) और चाहिए कि वे माफ़ कर दें और दरगुज़र करें। क्या तुम यह बात नहीं चाहते कि अल्लाह तआ़ला तुम्हारे क़ुसूर माफ़ कर दे (सो तुम भी अपने क़ुसूरवारों को माफ़ कर दो) बेशक अल्लाह तआ़ला मग़फ़िरत करने वाला, रहम करने वाला है (सो तुमको भी अल्लाह की सिफ़ात को अपनाना चाहिये)।

(आगे मुनाफ़िक़ों को धमकाने और सज़ा के वायदे की तफ़सील है जिसका ऊपर आयत नम्बर 19 में मुख़्तसर तौर पर ज़िक्र था, यानी) जो लोग (क़ुरआनी आयतों के नाज़िल होने के बाद बदकारी की) तोहमत लगाते हैं उन औरतों को जो पाकदामन हैं (और) ऐसी बातों (के करने और उसके इरादे) से (भी बिल्कुल) बेख़बर हैं (और) ईमान वालियाँ हैं, (और जिनकी बराअत क़ुरआनी वज़ाहत व दलील से साबित हो चुकी है, और बहुवचन का लफ़्ज़ इसलिए लाये हैं कि नबी करीम की तमाम पाक बीवियों को शामिल हो जाये कि 'तय्यिबात' के लफ़्ज़ से सब की पवित्रता साबित है, और ज़ाहिर है कि ऐसे लोग जो ऐसी पाकीज़ा हस्तियों को तोहमत लगायें काफ़िर और मुनाफ़िक़ ही हो सकते हैं) उन पर दुनिया और आख़िरत में लानत की जाती है (यानी ख़ुदा तआ़ला की ख़ास रहमत से दोनों जहान में कुफ़्र के सबब दूर होंगे) और उनको (आख़िरत में) बड़ा अ़ज़ाब होगा। जिस दिन उनके ख़िलाफ़ उनकी ज़ुबानें गवाही देंगी और उनके हाथ और उनके पाँव भी (गवाही देंगे) उन कामों की जो ये लोग करते थे। (मसलन ज़ुबान कहेगी कि इसने मेरे ज़रिये से फ़ुलाँ-फ़ुलाँ कुफ़्र की बात बकी, और हाथ पाँव कहेंगे कि इसने कुफ़्रिया बातों और कामों को फैलाने और बढ़ाने के लिये यूँ कोशिश और भाग-दौड़ की) उस दिन अल्लाह तआ़ला उनको वाजिबी बदला पूरा-पूरा देगा। (उस दिन ठीक-ठीक) उनको मालूम होगा कि अल्लाह ही ठीक फ़ैसला करने वाला (और) बात (की हक़ीक़त) को खोल देने वाला है। (यानी अब तो कुफ़्र के सबब इस बात का एतिक़ाद उनको सही तौर पर नहीं मगर क़ियामत के दिन मालूम हो जायेगा और यह मालूम करके बिल्कुल निजात से मायूस हो जायेंगे, क्योंकि उनके मुनासिब फ़ैसला हमेशा का अ़ज़ाब है। ये आयतें तौबा न करने वाले उन लोगों के बारे में हैं जो बराअत की आयतें नाज़िल होने के बाद भी तोहमत का यक़ीन करने से बाज़ नहीं आये। तौबा करने वालों को 'फ़ज़्लुल्लाहि व रह्मतुहू' में दोनों जहान में रहमत पाने वाले फ़रमाया और तौबा न करने वालों को 'लुअ़िनू' में दोनों जहान में लानत पड़ने वाले फ़रमाया। तौबा करने वालों को

'ल-मस्सकुम् फ़ी म। अफ़ज़्तुम् फ़ीहि अ़ज़ाबुन् अ़ज़ीम' में अ़ज़ाब से महफ़ूज़ बतलाया था और तौबा न करने वालों को 'लहुम् अ़ज़ाबुन् अ़ज़ीम' और इससे पहले 'वल्लज़ी तवल्ला किब्रहू.......' में अ़ज़ाब में मुब्तला होने वाले बतलाया। तौबा करने वालों के लिये 'इन्नल्ला-ह ग़फ़ूरुर्रहीम' में माफ़ी व बख़्शिश यानी गुनाह व नाफ़रमानी को छुपाने की ख़ुशख़बरी दी थी और तौबा न करने वालों के लिये 'तश्हदु' और 'युवफ़्फ़ीहिम्' माफ़ी न होने और फ़ज़ीहत व रुस्वाई हाथ आने की डाँट व धमकी बयान फ़रमाई। तौबा करने वालों को 'मा ज़का मिन्कुम्.........' में पवित्र बतलाया था और तौबा न करने वालों को अगली आयत में ख़बीस फ़रमाया जिसमें बराअत के मज़मून पर दलील पकड़कर क़िस्से को ख़त्म फ़रमाया है)।

(यानी यह क़ायदा कुल्लिया है कि) गन्दी औरतें गन्दे मर्दों के लायक़ होती हैं और गन्दे मर्द गन्दी औरतों के लायक़ होते हैं, और पाक-साफ़ औरतें पाक-साफ़ मर्दों के लायक़ होती हैं और पाक-साफ़ मर्द पाक-साफ़ औरतों के लायक़ होते हैं। (एक उसूल तो यह हुआ और दूसरी बात लाज़िमी चीज़ों में से है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को हर चीज़ आपके लायक़ और मुनासिब ही दी गई है और वो सुथरी ही चीज़ें हैं तो ज़रूर इस लाज़िमी उसूल के एतिबार से आपकी बीवी भी सुथरी और पाकीज़ा हैं, और उनके सुथरे होने से इस ख़ास तोहमत से हज़रत सफ़वान रज़ियल्लाहु अ़न्हु का बरी व पाक-साफ़ होना भी लाज़िम आया, इसी लिये आगे फ़रमाते हैं कि) ये उस बात से पाक हैं जो ये (मुनाफ़िक़) बकते फिरते हैं। इन (हज़रात) के लिये (आख़िरत में) मग़फ़िरत और इज़्ज़त की रोज़ी (यानी जन्नत) है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

हज़रत सिद्दीक़ा आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के ख़ुसूसी फ़ज़ाईल व कमालात और बोहतान वाले क़िस्से का कुछ बाक़ी हिस्सा

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के दुश्मनों ने आपके ख़िलाफ़ अपनी सारी ही तदबीरें इस्तेमाल कर डालीं और आपको तकलीफ़ पहुँचाने की जो-जो सूरतें किसी के ज़ेहन में आ सकती थीं वो सभी जमा की गयीं। काफ़िरों की तरफ़ से जो तकलीफ़ें आपको पहुँची हैं उनमें शायद यह आख़िरी सख़्त और रूहानी तकलीफ़ थी कि आपकी पाक बीवियों में सबसे ज़्यादा आ़लिम व फ़ाज़िल और पवित्र उम्मुल-मोमिनीन सिद्दीक़ा आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा पर और उनके साथ हज़रत सफ़वान बिन मुअ़त्तल रज़ियल्लाहु अ़न्हु जैसे मुक़द्दस सहाबी पर अ़ब्दुल्लाह इब्ने उबई मुनाफ़िक़ ने तोहमत गढ़ी। मुनाफ़िक़ों ने इसको रंग दिये और फैलाया। इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली यह बात हुई कि चन्द सीधे-सादे मुसलमान भी उनकी साज़िश से मुतास्सिर होकर तोहमत के तज़किरे करने लगे। इस बेअसल व बेदलील हवाई तोहमत की चन्द दिन में ख़ुद ही हक़ीक़त खुल जाती मगर उम्मुल-मोमिनीन रज़ियल्लाहु अ़न्हा को और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को जो इस तोहमत से रूहानी तकलीफ़ पहुँची थी हक़ तआ़ला ने उसको दूर करने और सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की बराअत के

लिये अपनी वही के किसी इशारे पर बस नहीं फ़रमाया बल्कि क़ुरआन के तक़रीबन दो रुकूअ़ उनकी बराअत में नाज़िल फ़रमाये। और जिन लोगों ने यह तोहमत गढ़ी या जिन लोगों ने इसके तज़किरे में हिस्सा लिया उन सब पर दुनिया व आख़िरत के अ़ज़ाब की ऐसी धमकियाँ और वईदें बयान फ़रमायीं कि शायद और किसी मौक़े पर ऐसी वईदें नहीं आयीं।

दर हक़ीक़त बोहतान के इस वाक़िए ने हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की पाकदामनी व पवित्रता के साथ उनकी आला अ़क़्ल व समझ के कमालात को भी रोशन कर दिया। इसी लिये इस वाक़िए में जो आयतें ऊपर मज़कूर हुईं उनमें से पहली आयत में हक़ तआ़ला ने फ़रमाया है कि इस हादसे को अपने लिये शर (बुराई) न समझो बल्कि यह तुम्हारे लिये ख़ैर है, इससे बड़ी ख़ैर क्या होगी कि अल्लाह तआ़ला ने दस आयतों में उनकी पाकी और पाकदामनी की गवाही दी जो क़ियामत तक तिलावत की जायेगी। ख़ुद सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि मुझे अपनी जगह यह तो यक़ीन था कि अल्लाह तआ़ला वही के ज़रिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर मेरी सफ़ाई और बराअत ज़ाहिर फ़रमा देंगे, मगर मैं अपने आपको इस क़ाबिल नहीं समझती थी कि मेरे मामले में क़ुरआन की आयतें नाज़िल हो जायेंगी जो हमेशा पढ़ी जायेंगी। इस जगह वाक़िए की कुछ अधिक तफ़सील जान लेना भी आयतों के समझने में मददगार होगा, इसलिये उसको मुख़्तसर तौर पर लिखा जाता है।

इस सफ़र से वापस आने के बाद हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा अपने घरेलू कामों में मशग़ूल हो गयीं, उनको कुछ ख़बर नहीं थी कि मुनाफ़िक़ों ने उनके बारे में क्या ख़बर उड़ाई हैं। सही बुख़ारी की रिवायत में ख़ुद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा का बयान यह है कि सफ़र से वापसी के बाद कुछ मेरी तबीयत ख़राब हो गयी और सबसे बड़ी वजह तबीयत ख़राब होने की यह हो गयी कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का वह लुत्फ़ व करम अपने साथ न देखती थी जो हमेशा से मामूल था, बल्कि उस समय में आपका मामला यह रहा कि घर में तशरीफ़ लाते और सलाम करते फिर पूछ लेते क्या हाल है और वापस तशरीफ़ ले जाते थे।

मुझे चूँकि इसकी कुछ ख़बर न थी कि मेरे बारे में क्या ख़बर मशहूर की जा रही है इसलिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के इस व्यवहार का राज़ मुझ पर न खुलता था। मैं इसी ग़म में घुलने लगी। एक दिन अपनी कमज़ोरी की वजह से मिस्तह सहाबी की वालिदा उम्मे मिस्तह रज़ियल्लाहु अ़न्हा को साथ लेकर मैंने बड़े इस्तिन्जे की ज़रूरत पूरी करने के लिये बाहर जाने का इरादा किया, क्योंकि उस वक़्त घरों में बैतुलख़ला (लैट्रीन) बनाने का रिवाज न था। जब मैं ज़रूरत से फ़ारिग़ होकर घर की तरफ़ आने लगी तो उम्मे मिस्तह का पाँव उनकी बड़ी चादर में उलझा और वह गिर पड़ीं। उस वक़्त उनकी ज़बान से यह कलिमा निकला 'तअ़ि-स मिस्तह्'। यह ऐसा कलिमा है जो अ़रब में बद्दुआ़ के लिये इस्तेमाल होता है। इसमें माँ की ज़बान से अपने बेटे मिस्तह के लिये बद्दुआ़ का कलिमा सुनकर सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा को ताज्जुब हुआ। उनसे फ़रमाया कि यह बहुत बुरी बात है तुम एक नेक आदमी को बुरा कहती हो जो ग़ज़वा-ए-बदर का शरीक था, यानी उनका बेटा मिस्तह। इस पर उम्मे मिस्तह ने ताज्जुब से कहा कि बेटी क्या तुमको ख़बर नहीं कि मिस्तह मेरा

बेटा क्या कहता फिरता है। मैंने पूछा वह क्या कहता है? तब उनकी वालिदा ने मुझे यह सारा वाकिआ बोहतान लगाने वालों की चलाई हुई तोहमत का और मिस्तह का उसमें शरीक होना बयान किया। सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि यह सुनकर मेरा मर्ज़ दोगुना हो गया। जब मैं घर में वापस आई और मामूल के अनुसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तशरीफ़ लाये, सलाम किया और मिज़ाज पूछा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी-ए-करीम से इजाज़त तलब की कि मैं अपने माँ-बाप के घर चली जाऊँ। आपने इजाज़त दे दी। मन्शा यह था कि माँ-बाप से इस मामले की तहक़ीक़ करें। मैंने जाकर वालिदा से पूछा, उन्होंने तसल्ली दी कि तुम जैसी औरतों के दुश्मन हुआ करते हैं और ऐसी चीज़ें मशहूर किया करते हैं, तुम इसके ग़म में न पड़ो, ख़ुद-ब-ख़ुद मामला साफ़ हो जायेगा। मैंने कहा सुब्हानल्लाह! लोगों में इसका चर्चा हो चुका, मैं इस पर कैसे सब्र करूँ? मैं सारी रात रोती रही, न मेरा आँसू थमा न आँख लगी।

दूसरी तरफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जो इस ख़बर के फैलने से सख़्त ग़मगीन थे और इस अ़रसे में इस मामले में मुताल्लिक़ कोई वही भी आप पर न आई थी इसलिये हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहु वज्हहू और उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु जो दोनों घर के ही आदमी थे उनसे मश्विरा किया कि ऐसी हालत में मुझे क्या करना चाहिये? हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने तो खुलकर अ़र्ज़ किया कि जहाँ तक हमारा इल्म है हमें आ़यशा के बारे में कोई बदगुमानी नहीं। उनकी कोई बात ऐसी नहीं जिससे बदगुमानी की राह पैदा हो। आप इन अफ़वाहों की कुछ परवाह न करें। हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहु वज्हहू ने (आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को ग़म व बेचैनी से बचाने के लिये) यह मश्विरा दिया कि अल्लाह तआ़ला ने आप पर कुछ तंगी नहीं फ़रमाई, अगर अफ़वाहों की बिना पर आ़यशा की तरफ़ से कुछ दिल में मैल आ गया है तो औरतें और बहुत हैं। और आपका यह मैल इस तरह भी दूर हो सकता है कि बरीरा जो सिद्दीक़ा आ़यशा की बाँदी हैं उनसे उनके हालात की तहक़ीक़ फ़रमा लीजिए। चुनाँचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत बरीरा से पूछगछ फ़रमाई। हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अ़र्ज़ किया कि और तो कोई बात ऐब की मुझे उनमें नज़र नहीं आई सिवाय इसके कि नवउम्र लड़की हैं, कभी-कभी आटा गूँधकर रख देती हैं, ख़ुद सो जाती हैं, बकरी आकर आटा खा जाती है।

(इसके बाद हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का ख़ुतबा देना और मिम्बर के ऊपर तोहमत गढ़ने वालों और अफ़वाह फैलाने वालों की शिकायत का ज़िक्र फ़रमाना और लम्बा क़िस्सा बयान हुआ है। आगे का मुख़्तसर क़िस्सा यह है कि) आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि मुझे यह सारा दिन फिर दूसरी रात भी लगातार रोते हुए गुज़री, मेरे माँ-बाप भी मेरे पास आ गये थे, वे डर रहे थे कि रोने से मेरा कलेजा फट जायेगा। मेरे माँ-बाप मेरे पास बैठे हुए थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तशरीफ़ लाये और मेरे पास बैठ गये। और जब से यह क़िस्सा चला था उससे पहले आप मेरे पास आकर न बैठे थे। फिर आपने एक मुख़्तसर ख़ुतबा-ए-शहादत पढ़ा और फ़रमाया ऐ आ़यशा! मुझे तुम्हारे बारे में ये बातें पहुँची हैं। अगर तुम बरी हो तो ज़रूर अल्लाह तआ़ला तुम्हें बरी कर देंगे (यानी बराअत का इज़हार वही के ज़रिये फ़रमा देंगे) और

अगर तुमसे कोई भूल-चूक हो गयी है तो अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करो, क्योंकि बन्दा जब अपने गुनाह का इक़रार करके तौबा कर लेता है तो अल्लाह तआला उसकी तौबा क़ुबूल फ़रमा लेते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपना कलाम पूरा फ़रमा लिया तो मेरे आँसू बिल्कुल ख़ुश्क हो गये, मेरी आँखों में एक क़तरा न रहा। मैंने अपने वालिद अबू बक्र सिद्दीक़ से कहा कि आप रसूलुल्लाह की बात का जवाब दीजिये। अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने उज़्र किया कि मैं क्या कह सकता हूँ। फिर मैंने अपनी वालिदा से कहा कि आप जवाब दीजिये, उन्होंने भी उज़्र कर दिया कि मैं क्या कह सकती हूँ। अब मजबूर होकर मुझे ही बोलना पड़ा। मैं एक कमउम्र लड़की थी, अब तक क़ुरआन भी ज़्यादा नहीं पढ़ सकी थी। उस वक़्त इस रंज व ग़म और इन्तिहाई सदमे की हालत में जबकि अच्छे-अच्छे अ़क़्लमन्दों को भी कोई उचित कलाम करना आसान नहीं होता, हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने जो कुछ फ़रमाया वह एक अ़जीब व ग़रीब अ़क़्ल व दानिश भरा कलाम है, उसके अलफ़ाज़ बिल्कुल उसी तरह लिखे जाते हैं। फ़रमायाः

والله لقد عرفت لقد سمعتم هذا الحديث حتّٰى استقرّ فى انفسكم وصدقتم به. ولئن قلت لكم انّى بريئة والله يعلم انّى بريئة لا تصدّقونى ولان اعترفت لكم بامر والله يعلم انّى منه بريئة لتصدقونى. والله لا اجد لى ولكم مثلا الاكما قال ابو يوسف فصبر جميل والله المستعان علٰى ماتصفونo

"ख़ुदा की क़सम मुझे मालूम हो गया है कि आपने इस बात को सुना और सुनते रहे यहाँ तक कि आपके दिल में बैठ गयी और आपने उसकी (अ़मली तौर पर) तस्दीक़ कर दी। अब अगर मैं यह कहती हूँ कि मैं इससे बरी हूँ जैसा कि अल्लाह जानता है कि वाक़ई मैं बरी हूँ तो आप मेरी तस्दीक़ न करेंगे, और अगर मैं ऐसे काम को स्वीकार कर लूँ जिससे मेरा बरी होना अल्लाह तआ़ला जानता है तो आप मेरी बात मान लेंगे। अल्लाह की क़सम अब मैं अपने और आपके मामले की कोई मिसाल सिवाय उसके नहीं पाती जो हज़रत यूसुफ़ के वालिद याक़ूब अ़लैहिस्सलाम ने अपने बेटों की ग़लत बात सुनकर फ़रमाई थी कि मैं सब्रे जमील इख़्तियार करता हूँ और अल्लाह से उस मामले में मदद तलब करता हूँ जो तुम बयान कर रहे हो।"

हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि इतनी बात करके मैं अलग अपने बिस्तर पर जाकर लेट गयी और फ़रमाया कि मुझे यक़ीन था कि जैसा कि मैं वास्तव में बरी हूँ अल्लाह तआ़ला मेरी बराअत का इज़हार वही के ज़रिये ज़रूर फ़रमायेंगे। लेकिन यह वहम व ख़्याल भी न था कि मेरे मामले में क़ुरआन की आयतें नाज़िल होंगी जो हमेशा तिलावत की जायेंगी, क्योंकि मैं अपना मक़ाम इससे बहुत कम महसूस करती थी। हाँ यह ख़्याल था कि ग़ालिबन आपको ख़्वाब में मेरी बराअत ज़ाहिर कर दी जायेगी। सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अपनी मज्लिस से अभी नहीं उठे थे और घर वालों में भी कोई नहीं उठा था कि आप पर वह कैफ़ियत तारी हुई जो वही उतरने के वक़्त हुआ करती थी, जिससे सख़्त सर्दी के ज़माने में आपकी पेशानी मुबारक से पसीना फूटने लगता था। जब यह कैफ़ियत दूर हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हंसते हुए उठे और सबसे पहला कलिमा जो फ़रमाया वह यह थाः

ابشری یا عائشة اما الله فقد ابرأك.

यानी ऐ आयशा! ख़ुशख़बरी सुनो, अल्लाह तआ़ला ने तो तुम्हें बरी कर दिया।

मेरी वालिदा ने कहा कि खड़ी हो जाओ और हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास हाज़िर हो। मैंने कहा कि न मैं इस मामले में अल्लाह के सिवा किसी का एहसान मानती हूँ न खड़ी हूँगी, मैं अपने रब की शुक्रगुज़ार हूँ कि उसी ने मुझे बरी फ़रमाया।

हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की चन्द ख़ुसूसियतें

इमाम बग़वी रह. ने इन्हीं आयतों की तफ़सीर में फ़रमाया है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की चन्द ख़ुसूसियतें (विशेषतायें) ऐसी हैं जो उनके अ़लावा किसी दूसरी औरत को नसीब नहीं हुई। और सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा भी (अल्लाह की नेमत के इज़हार के तौर पर) इन चीज़ों को फ़ख़्र के साथ बयान फ़रमाया करती थीं। एक यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के निकाह में आने से पहले जिब्रीले अमीन अ़लैहिस्सलाम एक रेशमी कपड़े में मेरी तस्वीर लेकर हुज़ूरे पाक के पास आये और फ़रमाया कि यह तुम्हारी बीवी है। (तिर्मिज़ी, हज़रत आयशा की रिवायत से) और कुछ रिवायतों में है कि जिब्रीले अमीन अपनी हथेली में यह सूरत लेकर तशरीफ़ लाये थे।

दूसरी यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनके सिवा किसी कुंवारी लड़की से निकाह नहीं किया।

तीसरी यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की वफ़ात उनकी गोद में हुई।

चौथी यह कि आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के घर ही में आप दफ़न हुए।

पाँचवीं यह कि आप पर उस वक़्त भी वही नाज़िल होती थी जबकि आप हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के साथ एक लिहाफ़ में होते थे, दूरी किसी बीवी को यह विशेषता हासिल न थी।

छठी यह कि आसमान से उनकी बराअत नाज़िल हुई।

सातवीं यह कि वह ख़लीफ़ा-ए-रसूलुल्लाह की बेटी हैं और सिद्दीक़ा हैं। और उनमें से हैं जिनसे दुनिया ही में मग़फ़िरत का और इज़्ज़त की रोज़ी का अल्लाह तआ़ला ने वायदा फ़रमा लिया है।

(तफ़सीरे मज़हरी)

हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की दीनी समझ, और इल्मी तहक़ीक़ात और फ़ाज़िलाना तक़रीर को देखकर हज़रत मूसा बिन तल्हा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि मैंने सिद्दीक़ा आयशा से ज़्यादा फ़सीह व बलीग़ (उम्दा और असरदर अन्दाज़ में बात करने वाला) नहीं देखा। (तिर्मिज़ी)

तफ़सीरे क़ुर्तुबी में नक़ल किया है कि यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई गयी तो अल्लाह तआ़ला ने एक छोटे बच्चे को बोलने की ताक़त देकर उसकी गवाही से उनकी बराअत ज़ाहिर फ़रमाई और हज़रत मरियम अ़लैहस्सलाम पर तोहमत लगाई गयी तो अल्लाह तआ़ला ने उनके बेटे ईसा अ़लैहिस्सलाम की गवाही से उनको बरी किया, और हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा पर तोहमत लगाई गयी तो अल्लाह तआ़ला ने क़ुरआने करीम की दस आयतें नाज़िल करके उनकी बराअत का ऐलान किया, जिसने उनके फ़ज़्ल व इज़्ज़त को और बढ़ा दिया।

उपर्युक्त आयतों की मुख़्तसर तफ़सीर ख़ुलासा-ए-तफ़सीर के उनवान में आ चुकी है, अब आयतों के ख़ास-ख़ास जुमलों से बारे में कुछ बातें देखिये।

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ.

इफ़्क के असली लुग़वी मायने पलट देने और बदल देने के हैं। बदतरीन क़िस्म का झूठ जो हक़ को बातिल से बातिल को हक़ से बदल दे। पाकबाज़ मुत्तक़ी को बदकार, बदकार व गुनाहगार को मुत्तकी परहेज़गार बना दे उस झूठ को भी इफ़्क कहते हैं। 'उस्बतुन' के मायने जमाअत के हैं जो दस से चालीस तक हो, इससे कम व ज़्यादा के लिये भी इस्तेमाल किया जाता है। 'मिन्कुम' से मुराद मोमिन हैं। इस तोहमत का असल गढ़ने वाला अगरचे मुसलमान नहीं बल्कि मुनाफ़िक़ अ़ब्दुल्लाह इब्ने उबई था जो मोमिनों में दाख़िल नहीं मगर मुनाफ़िक़ लोग जो इस्लाम का दावा करते थे उन पर भी ज़ाहिरी अहकाम मोमिनों के जारी होते थे, इसलिये 'मिन्कुम' (तुम में से) के लफ़्ज़ में उसको भी शामिल कर लिया गया।

मुसलमानों में से दो मर्द और एक औरत इसमें मुब्तला हुए जिन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने आयतें नाज़िल होने के बाद ज़िना की तोहमत की सज़ा जारी फ़रमाई। मगर तमाम मोमिन हज़रात ने तौबा कर ली और अल्लाह ने उनकी तौबा क़ुबूल फ़रमा ली, उनमें से हज़रत हस्सान रज़ियल्लाहु अ़न्हु और हज़रत मिस्तह दोनों बदर में शरीक होने वालों में से हैं जिनके लिये अल्लाह तआ़ला ने क़ुरआन में मग़फ़िरत का ऐलान फ़रमा दिया है। इसी लिये हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के सामने कोई हज़रत हस्सान रज़ियल्लाहु अ़न्हु की बुराई करता तो वह पसन्द न करती थीं अगरचे यह भी उन दो मर्दों में शामिल थे जिन पर तोहमत लगाने की सज़ा लगाई गयी थी। और आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती थीं कि हस्सान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तरफ़ से काफ़िरों का शायरी में मुक़ाबला ख़ूब किया है इसलिये उनको बुरा नहीं कहना चाहिये। और वह जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के पास हाज़िर होते तो उनको इज़्ज़त व सम्मान के साथ बैठाती थीं। (तफ़सीरे मज़हरी वग़ैरह)

لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم.

यह ख़िताब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा और हज़रत सफ़वान रज़ियल्लाहु अ़न्हु और तमाम मोमिनों को है जिनको इस अफ़वाह के फैलने से सदमा पहुँचा। और मायने यह हैं कि इस वाक़िए को आप बुरा न समझें क्योंकि अल्लाह तआ़ला ने क़ुरआन में बराअत नाज़िल फ़रमाकर उनका सम्मान और बढ़ा दिया। और जिन लोगों ने ये हरकतें की थीं उनके अ़ज़ाब की सख़्त वईद नाज़िल फ़रमा दी जो क़ियामत तक मेहराबों में पढ़ी जायेगी।

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ.

यानी जिन लोगों ने इस बोहतान में जितना हिस्सा लिया उसी हिसाब से उसका गुनाह लिखा गया है और उसी अनुपात से उसको अ़ज़ाब होगा। जिसने यह ख़बर गढ़ी और चलती की जिसका ज़िक्र आगे आता है वह सबसे ज़्यादा अ़ज़ाब का हक़दार है, जिसने ख़बर सुनकर ताईद की वह उससे कम,

जिसने सुनकर ख़ामोशी इख़्तियार की वह उससे कम।

وَالَّذِیْ تَوَلّٰی کِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِیْمٌ٥

लफ़्ज़ 'किब्र' के मायने बड़े के हैं। मुराद यह है जिसने इस तोहमत में बड़ा काम किया यानी इसको गढ़ा और चलता किया उसके लिये ज़बरदस्त और बड़ा अ़ज़ाब है। मुराद इससे अ़ब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफ़िक़ है। (बग़वी वग़ैरह)

لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَیْرًا وَّقَالُوْا هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِیْنٌ٥

यानी ऐसा क्यों न हुआ कि जब तुमने इस तोहमत की ख़बर सुनी थी तो मुसलमान मर्द और मुसलमान औ़रतें अपने बारे में यानी अपने मुसलमान भाई-बहन के बारे में नेक गुमान करते और कह देते कि यह खुला झूठ है।

इस आयत में कई चीज़ें क़ाबिले ग़ौर हैं- अव्वल यह कि 'बिअन्फ़ुसिहिम' के लफ़्ज़ से क़ुरआने करीम ने यह इशारा किया कि जो मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को बदनाम व रुस्वा करता है वह वास्तव में अपने आप ही को रुस्वा करता है, क्योंकि इस्लाम के रिश्ते ने सब को एक बना दिया है। क़ुरआने करीम ने ऐसे तमाम मौक़ों में यह इशारा इस्तेमाल फ़रमाया है जैसा एक जगह फ़रमायाः

لَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ.

यानी ऐब न लगाओ अपने आपको। मुराद इससे यह है कि किसी भाई मुसलमान मर्द या औ़रत को। दूसरी जगह फ़रमायाः

لَاتَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ.

अपने आपको क़त्ल न करो। मुराद वही है कि किसी भाई मुसलमान को क़त्ल न करो। तीसरी जगह फ़रमायाः

وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِیَارِكُمْ.

यानी न निकालो अपने आपको अपने घरों से। यहाँ भी किसी मुसलमान भाई को उसके घर से निकालना मुराद है। चौथी जगह फ़रमायाः

فَسَلِّمُوْا عَلٰٓی اَنْفُسِكُمْ.

यानी अपने आपको सलाम करो। मुराद वही भाई मुसलमान को सलाम करना है। क़ुरआन की ये सब आयतें ज़िमनी तौर पर यह हिदायत देती हैं कि एक मुसलमान जो दूसरे किसी भी मुसलमान पर ऐब लगाता या उसको तकलीफ़ व नुक़सान पहुँचाता है हक़ीक़त के एतिबार से ख़ुद अपने को ऐबदार करता है और ख़ुद नुक़सान व तकलीफ़ उठाता है, क्योंकि इसका अन्जाम पूरी क़ौम की रुस्वाई और बदनामी होती है। शैख़ सअ़दी ने फ़रमाया हैः

चू अज़ क़ौमे यके बेदानिशी कर्द न कह रा मन्ज़िलत मानद न मह रा

यानी किसी क़ौम में से जब कोई शख़्स बेवक़ूफ़ी कर बैठता है तो उसका परिणाम क़ौम के हर शख़्स को भुगतना पड़ता है, सभी की इ़ज़्ज़त को बट्टा लगता है। **मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी**

क़ुरआन पाक की इसी तालीम का असर था कि जब मुसलमान उभरे तो पूरी कौम के साथ उभरे, उनका हर फ़र्द उभरा। और इसी के छोड़ने का नतीजा आज आँखों से देखा जा रहा है कि सब गिरे और हर फ़र्द गिरा। दूसरी बात इस आयत में यह ध्यान देने के क़ाबिल है कि मक़ाम का तक़ाज़ा यह था कि:

لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَنْتُمْ بِاَنْفُسِكُمْ خَيْرًا.

बहुवचन के कलिमे के साथ कहा जाता जैसा कि शुरू में 'समिअ़्तुमूहु' ख़िताब के कलिमे के साथ आया है। मगर क़ुरआने करीम ने इस मुख़्तसर जुमले को छोड़कर इस जगह अन्दाज़ कि ख़िताब के कलिमे यानी 'ज़नन्तुम' के बजाय 'ज़न्नल्-मुअ्मिनू-न' फ़रमाया। इसमें हल्का सा इशारा इस बात की तरफ़ है कि यह फ़ेल (अ़मल) जिन लोगों से हुआ वे इस फ़ेल की हद तक मोमिन कहलाने के मुस्तहिक़ नहीं, क्योंकि ईमान का तक़ाज़ा यह था कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से अच्छा गुमान क़ायम रखता।

तीसरी बात यह ग़ौर करने के क़ाबिल है कि इस आयत के आख़िरी जुमलेः

وَقَالُوْا هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ۝

में यह तालीम दी गयी है कि ईमान का तक़ाज़ा यह था कि मुसलमान इस ख़बर को सुनते ही कह देते कि यह खुला झूठ है। इससे साबित हुआ कि किसी मुसलमान के बारे में जब तक किसी गुनाह या ऐब का इल्म किसी शरई दलील से न हो जाये उस वक़्त तक उसके साथ नेक गुमान रखना और बिना किसी दलील के ऐब व गुनाह की बात उसकी तरफ़ मन्सूब करने को झूठ क़रार देना पूरी तरह ईमान का तक़ाज़ा है।

मसलाः इससे साबित हुआ कि हर मुसलमान मर्द व औरत के साथ अच्छा गुमान रखना वाजिब है जब तक किसी शरई दलील से उसके ख़िलाफ़ साबित न हो जाये। और जो शख़्स बिना शरई दलील के उस पर इल्ज़ाम लगाता है, उसकी बात को रद्द करना और झूठा क़रार देना भी वाजिब है क्योंकि वह महज़ एक ग़ीबत और मुसलमान को बिना वजह रुस्वा करना है। (तफ़सीरे मज़हरी)

لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ۝

इस आयत के पहले जुमले में तो इसकी हिदायत है कि ऐसी ख़बर मशहूर करने वालों के बारे में मुसलमानों को चाहिये था कि उनकी बात को चलता करने के बजाय उनसे दलील का मुतालबा करते और चूँकि ज़िना की तोहमत के मामले में शरई दलील चार गवाहों के बग़ैर क़ायम नहीं होती इसलिये उनसे मुतालबा यह करना चाहिये कि तुम जो कुछ कह रहे हो उस पर चार गवाह पेश करो, या ज़बान बन्द करो। दूसरी जुमले में फ़रमाया कि जब वे चार गवाह नहीं ला सके तो अल्लाह के नज़दीक यही लोग झूठे हैं।

यहाँ यह बात ग़ौर तलब है कि ऐसा होना कुछ मुश्किल और दूर की बात नहीं कि एक शख़्स ने अपनी आँख से एक वाक़िआ देखा मगर उसको उस पर दूसरे गवाह नहीं मिले तो अगर यह शख़्स अपने चश्मदीद वाक़िए को बयान करता है तो इसको झूठा कैसे कहा जा सकता है, ख़ुसूसन अल्लाह

के नज़दीक झूठा कहना तो किसी तरह समझ ही में नहीं आता, क्योंकि अल्लाह तआ़ला को तो सब वाकिआ़त की हकीकतें मालूम हैं, और यह वाकिआ़ वजूद में आना भी मालूम है तो वह अल्लाह के नज़दीक झूठ बोलने वाला कैसे क़रार पाया? इसके दो जवाब हैं- अव्वल यह कि यहाँ अल्लाह के नज़दीक से मुराद अल्लाह के हुक्म और उसके क़ानून से है, यानी यह शख़्स क़ानूने इलाही और हुक्मे ख़ुदावन्दी के एतिबार से झूठा क़रार दिया जायेगा और इस पर ज़िना की तोहमत की सज़ा जारी की जायेगी, क्योंकि अल्लाह का हुक्म यह था कि जब चार गवाह न हों तो वाकिआ़ देखने के बावजूद उसको बयान न करो, और जो बग़ैर चार गवाहों के बयान करेगा वह क़ानूनन और हुक्मन झूठा क़रार पाकर सज़ा पायेगा।

दूसरा जवाब यह है कि मुसलमान की शान यह है कि कोई काम फ़ुज़ूल न करे, जिसका कोई फ़ायदा व नतीजा न हो, ख़ासकर ऐसा काम जिसमें दूसरी मुसलमान पर कोई इल्ज़ाम आ़यद होता हो। तो मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान के ख़िलाफ़ किसी ऐब व गुनाह की गवाही सिर्फ़ इस नीयत से दे सकता है कि जुर्म व गुनाह का बन्द करना मक़सद हो, किसी को रुस्वा करना या तकलीफ़ देना मक़सद न हो। तो जिस शख़्स ने चार गवाहों के बग़ैर इस क़िस्म की गवाही ज़बान से निकाली गोया उसका दावा यह है कि मैं यह कलाम मख़्लूक़ के सुधार और समाज को बुराई से बचाने और अपराधों को रोकने की नीयत से कर रहा हूँ। मगर जब शरीअ़त का क़ानून उसको मालूम है कि बग़ैर चार गवाहों के ऐसी गवाही देने से न उस शख़्स पर कोई हद व सज़ा जारी होगी और न सुबूत बन सकेगा, बल्कि उल्टा झूठ बोलने की सज़ा का मैं मुस्तहिक़ हो जाऊँगा, तो उस वक़्त वह अल्लाह के नज़दीक अपनी इस नीयत के दावे में झूठा है कि मैं मख़्लूक़ के सुधार और अपराधों के रोकने की नीयत से यह गवाही दे रहा हूँ। क्योंकि शरई क़ानून के मुताबिक़ गवाही न होने की सूरत में यह नीयत हो ही नहीं सकती। (तफ़सीरे मज़हरी)

एक अहम और ज़रूरी तंबीह

ऊपर बयान हुई दोनों आयतों में हर मुसलमान को दूसरे मुसलमानों से अच्छा गुमान रखने की हिदायत और उसके ख़िलाफ़ बिना दलील बातों की तरदीद को वाजिब क़रार दिया है। इस पर किसी को यह शुब्हा न होना चाहिये कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने पहले ही से इस ख़बर के ग़लत होने पर यक़ीन क्यों न फ़रमाया, और इस ख़बर की तरदीद (खण्डन) क्यों न कर दी और एक महीने तक असमंजस और दुविधा की हालत में क्यों रहे, यहाँ तक कि हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से फ़रमाया कि अगर तुम से कोई ख़ता और चूक हो गयी हो तो तौबा कर लेना चाहिये। (जैसा कि बुख़ारी शरीफ़ में है)

वजह यह है कि यहाँ एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान पर अच्छा गुमान रखने का जो हुक्म है वह उस दुविधा और असमंजस के विरुद्ध नहीं जो हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को पेश आया। क्योंकि आपने इस ख़बर की न तस्दीक़ फ़रमाई और न इसके तक़ाज़े पर कोई अ़मल फ़रमाया, न इसका चर्चा करना पसन्द फ़रमाया बल्कि सहाबा-ए-किराम के मजमे में यही फ़रमाया कि:

ماعلمت علٰی اھلی اِلّا خیرًا. (رواہ البخاری)

यानी मैं अपनी बीवी के बारे में भलाई और नेकी के सिवा कुछ नहीं जानता।

यह सब इन्हीं उपर्युक्त आयतों के तक़ाज़े पर अ़मल और अच्छा गुमान रखने के सुबूत हैं। अलबत्ता निश्चित और यक़ीनी इल्म जिससे तबई दुविधा और असमंजस भी दूर हो जाये वह उस वक़्त हुआ जब बराअत की आयतें नाज़िल हो गयीं।

ख़ुलासा यह है कि दिल में कोई शक व दुविधा पैदा हो जाना और एहतियाती तदबीरें इस्तेमाल करना जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया मोमिनों के साथ अच्छे गुमान के विरुद्ध नहीं था जबकि उसके तक़ाज़े पर कोई अ़मल न किया गया हो। जिन मुसलमानों पर इस मामले में ज़िना की तोहमत की सज़ा जारी की गयी और इन दो आयतों में उन पर नाराज़गी का इज़हार किया गया उन्होंने इस ख़बर के तक़ाज़े पर अ़मल किया था कि उसका चर्चा किया और फैलाया वह आयतों के नाज़िल होने से पहले भी नाजायज़ और सज़ा को वाजिब करने वाला था।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِی الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِیْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌo

यह आयत उन मोमिनों के बारे में नाज़िल हुई जो ग़लती से इस तोहमत में किसी क़िस्म की शिर्कत कर बैठे थे, फिर तौबा कर ली, और कई पर सज़ा भी जारी हुई। उन सब को इस आयत ने यह भी बतला दिया कि जो जुर्म तुमसे हुआ वह बहुत बड़ा जुर्म था, उस पर दुनिया में भी अ़ज़ाब आ सकता था जैसे पिछली क़ौमों के मुजरिमों पर आया है, और आख़िरत में भी उस पर सख़्त अ़ज़ाब होता मगर अल्लाह तआ़ला का मामला तुम मोमिनों के साथ फ़ज़्ल व रहमत का है, दुनिया में भी, आख़िरत में भी, इसलिये यह अ़ज़ाब तुमसे टल गया। दुनिया में अल्लाह के फ़ज़्ल व रहम की निशानियाँ इस तरह ज़ाहिर हुईं कि अव्वल इस्लाम व ईमान की तौफ़ीक़ बख़्शी, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सोहबत का सम्मान अ़ता फ़रमाया जो कि अ़ज़ाब के नाज़िल होने से रुकावट है, और फिर जो गुनाह हो गया था उससे सच्ची तौबा की तौफ़ीक़ बख़्शी, फिर उस पर तौबा को क़ुबूल फ़रमा लिया। और आख़िरत में अल्लाह के फ़ज़्ल व रहमत का असर यह है कि तुम से माफ़ी व दरगुज़र और मग़फ़िरत का वायदा फ़रमा लिया।

اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ

"तलक़्क़ा" का मफ़हूम यह है कि एक दूसरे से बात पूछे और नक़ल करे। यहाँ बात को सुनकर बिना दलील और बिना तहक़ीक़ के आगे चलती कर देना मुराद है।

وَتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌo

यानी तुम तो इसको मामूली बात ख़्याल करते थे कि हमने जैसा सुना वैसा दूसरे से नक़ल कर दिया मगर वह अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह था कि बिना दलील और बिना तहक़ीक़ के ऐसी बात को चलता कर दिया जिससे दूसरे मुसलमान को सख़्त तकलीफ़ हो, उसकी रुस्वाई हो और उसके लिये ज़िन्दगी दूभर हो जाये।

وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ○

यानी ऐसा क्यों न हुआ कि जब तुमने यह अफ़वाह सुनी थी तो यूँ कह देते कि हमारे लिये ऐसी बात ज़बान से निकालना जायज़ नहीं। पाक है अल्लाह, यह तो बड़ा बोहतान है।

इस आयत में एक बार फिर वही हिदायत है जो इससे पहली एक आयत में आ चुकी है। इसमें यह और अधिक वज़ाहत है कि मुसलमानों को ऐसी ख़बर सुनने के वक़्त क्या अ़मल करना चाहिये, वह यह कि ये साफ़ कह दें कि ऐसी बात बिना किसी दलील के ज़बान से निकालना भी हमारे लिये जायज़ नहीं, यह तो बड़ा बोहतान है।

एक शुब्हा और उसका जवाब

अगर किसी को यह शुब्हा हो कि जैसे किसी वाक़िए की सच्चाई बग़ैर दलील के मालूम नहीं होती इसलिये उसका ज़बान से निकालना और चर्चा करना नाजायज़ क़रार पाया, इसी तरह किसी कलाम का झूठा होना भी तो बग़ैर दलील के साबित नहीं होता कि उसको बड़ा बोहतान कह दिया जाये। जवाब यह है कि हर मुसलमान को गुनाहों से पाक-साफ़ समझना शरई असल है जो दलील से साबित है, उसके ख़िलाफ़ जो बात बग़ैर दलील के कही जाये उसको झूठा समझने के लिये किसी और दलील की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ इतना काफ़ी है कि एक मोमिन मुसलमान पर बग़ैर किसी शरई दलील के इल्ज़ाम लगाया गया है लिहाज़ा यह बोहतान है।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ.

इस आयत में फिर उन लोगों की निंदा व बुराई और उन पर दुनिया व आख़िरत के अ़ज़ाब की वईद (सज़ा की धमकी) है जिन्होंने इस तोहमत में किसी तरह का हिस्सा लिया। इस आयत में यह बात ज़्यादा है कि जो लोग ऐसी ख़बरें मशहूर करते हैं गोया वे यह चाहते हैं कि मुसलमानों में बदकारी और बुराई फैल जाये।

बदकारियों को रोकने का क़ुरआनी निज़ाम

बुराईयों और बदकारियों पर बन्दिश का क़ुरआनी सिस्टम और एक अहम तदबीर जिसके नज़र-अन्दाज़ करने का नतीजा आजकल बुराई और बदकारी की अधिकता है।

क़ुरआने हकीम ने बुराई और बदकारी के ख़ात्मे का यह ख़ास निज़ाम बनाया है कि अव्वल तो इस क़िस्म की ख़बर कहीं मशहूर न होने पाये, और शोहरत हो तो शरई सुबूत के साथ हो ताकि उस शोहरत के साथ ही आ़म मजमे में ज़िना की सज़ा उस पर जारी करके उस शोहरत ही को रुकावट का ज़रिया बना दिया जाये। और जहाँ शरई सुबूत न हो वहाँ इस तरह की बेहयाई की ख़बरों को चलता कर देना और शोहरत देना जबकि उसके साथ कोई सज़ा नहीं, तबई तौर पर लोगों के दिलों से बेहयाई और बदकारी की नफ़रत कम कर देने और अपराधों पर क़दम बढ़ाने और उसको फैलाने का सबब होती है जिसको आजकल के अख़बारों में रोज़ाना देखा जा रहा है कि इस तरह की ख़बरें हर रोज़ हर अख़बार में छपती रहती हैं, नौजवान मर्द और औरतें उनको देखते रहते हैं, रोज़ाना ऐसी

ख़बरों के सामने आने और उन पर किसी ख़ास सज़ा के मुरत्तब न होने का लाज़िमी और तबई असर यह होता है कि देखते-देखते वह बुरा काम नज़रों में हल्का नज़र आने लगता है और फिर नफ़्स में उभार पैदा करने का ज़रिया होता है। इसी लिये क़ुरआने करीम ने ऐसी ख़बरों के प्रचार की इजाज़त सिर्फ़ उस सूरत में दी है जबकि वह शरई सुबूत के साथ हो, उसके नतीजे में ख़बर के साथ ही उस बेहयाई की हौलनाक सज़ा व परिणाम भी देखने सुनने वालों के सामने आ जाये। और जहाँ सुबूत और सज़ा न हो तो ऐसी खबरों के प्रचार व प्रसार को क़ुरआन ने मुसलमानों में बुराई व बेहयाई फैलाने का सबब क़रार दिया है। काश मुसलमान इस पर ग़ौर करें।

इस आयत में ऐसी ख़बरें बिना सुबूत के मशहूर करने वालों पर दुनिया व आख़िरत दोनों में दर्दनाक अ़ज़ाब होने का ज़िक्र है। आख़िरत का अ़ज़ाब तो ज़ाहिर है कि क़ियामत के बाद होगा जिसका यहाँ अनुभव और देखना नहीं हो सकता मगर दुनिया का अ़ज़ाब तो देखने में आना चाहिये। सो जिन लोगों पर तोहमत की सज़ा जारी कर दी गयी उन पर तो दुनिया का अ़ज़ाब आ ही गया। और अगर कोई शख़्स सज़ा की शर्तों के मौजूद न होने की वजह से तोहमत की सज़ा से बच निकला तो वह कुल मिलाकर दुनिया में भी अ़ज़ाब का मुस्तहिक़ तो ठहरा, आयत के मिस्दाक़ (चस्पाँ होने) के लिये यह भी काफ़ी है।

وَلَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْٓا اُولِي الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ. وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا. اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ. وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۝

सहाबा-ए-किराम को ऊँचे अख़्लाक़ की तालीम

'व ला यअ्तलि'। 'इअ्तिला' के मायने क़सम खाने के हैं। हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा पर तोहमत के वाक़िए में मुसलमानों में से हज़रत मिस्तह और हज़रत हस्सान रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा मुब्तला हो गये थे जिन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने बराअत की आयतें नाज़िल होने के बाद तोहमत की सज़ा जारी फ़रमाई। हज़रत मिस्तह और हस्सान रज़ियल्लाहु अ़न्हु दोनों ही बड़े रुतबे वाले सहाबी और जंगे बदर में शरीक होने वालों में से हैं, मगर एक चूक और भूल हो गयी जिस से सच्ची तौबा नसीब हुई और हक़ तआ़ला ने जिस तरह हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की बराअत नाज़िल फ़रमा दी इसी तरह इन मोमिनों की तौबा क़ुबूल करने और माफ़ करने का भी ऐलान फ़रमा दिया।

हज़रत मिस्तह रज़ियल्लाहु अ़न्हु हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु के रिश्तेदार भी थे और ग़रीब भी। हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु इनकी माली मदद फ़रमाया करते थे। जब बोहतान लगाने के इस वाक़िए में उनकी किसी दर्जे में शिर्कत साबित हुई तो आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के वालिद की बाप की शफ़क़त और बेटी को ऐसा सख़्त सदमा पहुँचाने की वजह से तबई तौर पर मिस्तह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रंज पैदा हो गया और क़सम खा बैठे कि आईन्दा उनकी कोई माली मदद नहीं करेंगे। यह ज़ाहिर है कि किसी ख़ास फ़क़ीर की माली मदद करना किसी ख़ास मुसलमान पर उसको ख़ास करके वाजिब नहीं, और जिसकी माली मदद कोई करता है अगर वह उसको रोक ले

तो गुनाह की कोई वजह नहीं, मगर सहाबा-ए-किराम की जमाअ़त को हक़ तआ़ला दुनिया के लिये एक मिसाली समाज बनाने वाले थे इसलिये एक तरफ़ जिन लोगों से ख़ता और चूक हुई उनको सच्ची तौबा और आईन्दा अपनी हालत के सुधार की नेमत से नवाज़ा, दूसरी तरफ़ जिन बुज़ुर्गों ने तबई रंज व मलाल के सबब ऐसे ग़रीब फ़क़ीर की मदद बन्द करने की क़सम खा ली उनको ऊँचे अख़्लाक़ की तालीम इस आयत में दी गयी कि उनको यह क़सम तोड़ देना और उसका कफ़्फ़ारा अदा कर देना चाहिये। उनकी माली इमदाद से हाथ खींचना उनके ऊँचे मक़ाम के मुनासिब नहीं। जिस तरह अल्लाह तआ़ला ने उनको माफ़ कर दिया इनको भी माफ़ी व दरगुज़र से काम लेना चाहिये।

चूँकि हज़रत मिस्तह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की माली इमदाद करना कोई शरई वाजिब हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु के ज़िम्मे नहीं था इसी लिये क़ुरआने करीम ने अन्दाज़ यह इख़्तियार फ़रमाया कि इल्म व फ़ज़्ल वाले जिनको अल्लाह ने दीनी कमालात अ़ता फ़रमाये हैं और जिनको अल्लाह की राह में ख़र्च करने की वुस्अ़त व गुंजाईश भी है, उनको ऐसी क़सम नहीं खानी चाहिये। आयत में दो लफ़्ज़ 'उलुल-फ़ज़्ल' और 'वस्स-अ़ति' इसी मायने के लिये आये हैं।

इस आयत के आख़िरी जुमले में जो इरशाद हुआ किः

اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ.

यानी क्या तुम यह पसन्द नहीं करते कि अल्लाह तआ़ला तुम्हारे गुनाह माफ़ फ़रमा दे, तो सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़ौरन कहाः

وَاللّٰهِ اِنِّیْ اُحِبُّ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لِیْ.

यानी ख़ुदा की क़सम मैं ज़रूर चाहता हूँ कि अल्लाह तआ़ला मेरी मग़फ़िरत फ़रमा दे। और फ़ौरन हज़रत मिस्तह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की माली इमदाद जारी फ़रमा दी, और यह भी फ़रमाया अब कभी यह इमदाद बन्द न होगी। (बुख़ारी व मुस्लिम)

यह ऊँचे अख़्लाक़ का वह नमूना है जिनसे सहाबा-ए-किराम की तरबियत की गयी है। सही बुख़ारी में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

ليس الواصل بالمكافى ولٰكنّ الواصل الّذى اذا قطعت رحمه وصلها.

"यानी सिला-रहमी करने वाला वह नहीं जो रिश्तेदारों के सिर्फ़ एहसान का बदला कर दे बल्कि असल सिला-रहमी करने वाला वह है कि रिश्तेदारों के ताल्लुक़ तोड़ लेने के बावजूद यह ताल्लुक़ क़ायम रखे।" (तफ़सीरे मज़हरी)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِی الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌO

इस आयत में बज़ाहिर दोबारा वह मज़मून बयान हुआ है जो इससे पहले तोहमत की सज़ा वाली आयतों में आ चुका है। यानीः

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا.

وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ○ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ ۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ○

लेकिन दर हकीकत इन दोनों में एक बड़ा फ़र्क़ है। क्योंकि तोहमत की सज़ा की आयतों के आख़िर में तौबा करने वालों को अलग किया गया और उनके लिये मग़फ़िरत का वायदा है। इस आयत में ऐसा नहीं बल्कि दुनिया व आख़िरत की लानत और बड़ा अ़ज़ाब बिना किसी को अलग किये बयान हुआ है। इससे मालूम होता है कि इस आयत का ताल्लुक़ उन लोगों से है जिन्होंने हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा पर तोहमत लगाई और फिर उससे तौबा नहीं की, यहाँ तक कि क़ुरआन में उनकी बराअत नाज़िल होने के बाद भी वे अपने इस बोहतान व इल्ज़ाम पर क़ायम और तोहमत का चर्चा करने में मशग़ूल रहे। ज़ाहिर है कि यह काम किसी मुसलमान से मुम्किन नहीं। और जो मुसलमान भी क़ुरआनी वज़ाहतों की ऐसी मुख़ालफ़त करे वह मुसलमान नहीं रह सकता। इसलिये यह मज़मून उन मुनाफ़िक़ों के बारे में आया है जिन्होंने हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा की बराअत की आयतें नाज़िल होने के बाद भी तोहमत के इस मशग़ले को नहीं छोड़ा, उनके काफ़िर मुनाफ़िक़ होने में कोई शक व शुब्हा नहीं। तौबा करने वालों के लिये अल्लाह तआ़ला ने 'फ़ज़्लुल्लाहि व रह्मतुहू' फ़रमाकर दोनों जहान में रहमत पा लेने वाला क़रार दिया और जिन्होंने तौबा नहीं की उनको इस आयत में दुनिया व आख़िरत में लानत का हक़दार फ़रमाया। तौबा करने वालों को अ़ज़ाब से निजात की ख़ुशख़बरी दी और तौबा न करने वालों के लिये बड़े अ़ज़ाब की धमकी बयान फ़रमाई। तौबा करने वालों को 'इन्नल्ला-ह ग़फ़ूरुर्रहीम' फ़रमाकर मग़फ़िरत की ख़ुशख़बरी दी और तौबा न करने वालों को अगली आयत 'यौ-म तश्हदु अ़लैहिम्' में माफ़ी न होने की वईद (सज़ा की धमकी) बयान फ़रमाई। (तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन में इसी तरह तफ़सीर की गयी है)

एक अहम तंबीह

हज़रत सिद्दीक़ा आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा पर तोहमत के क़ज़िये में जो बाज़े मुसलमान भी शरीक हो गये थे यह क़ज़िया उस वक़्त का था जब तक बराअत (बरी होने) की आयतें क़ुरआन में नाज़िल नहीं हुई थीं। बराअत की आयतें नाज़िल होने के बाद जो शख़्स हज़रत सिद्दीक़ा आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा पर तोहमत लगाये वह बिला शुब्हा काफ़िर और क़ुरआन का इनकारी है जैसा कि शियों के कुछ फ़िर्क़े और कुछ दूसरे अफ़राद इसमें मुब्तला पाये जाते हैं, उनके काफ़िर होने में कोई शक व शुब्हा करने की भी गुंजाईश नहीं, वे तमाम उम्मत की सर्वसम्मति से काफ़िर हैं।

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ○

यानी उस दिन जबकि उनके ख़िलाफ़ ख़ुद उनकी ज़बानें और हाथ-पाँव बोलेंगे और उनके गुनाहों और बुरे आमाल की गवाही देंगे जैसा कि हदीस की रिवायतों में है कि क़ियामत के दिन जो गुनाहगार अपने गुनाह का इक़रार कर लेगा तो अल्लाह तआ़ला उसको माफ़ फ़रमा देंगे और मेहशर के आ़म मजमे की नज़रों से उसके गुनाह को छुपा देंगे, और जो वहाँ भी इनकार करेगा कि मैंने तो यह काम नहीं किया, निगराँ फ़रिश्तों ने ग़लत मेरे नामा-ए-आमाल में लिख दिया है तो उस वक़्त उनके मुँह बन्द कर दिये जायेंगे और हाथ-पाँव से गवाही ली जायेगी, वे बोलेंगे और गवाही देंगेः

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ

(सूरः यासीन आयत 65) में इसी का बयान है। इस आयत में यह फ़रमाया कि उनके मुँहों पर मोहर लगा दी जायेगी मगर ऊपर बयान हुई आयत में यह है कि ख़ुद उनकी ज़बानें गवाही देंगी। इन दोनों में कोई टकराव इसलिये नहीं कि वे अपनी ज़बान को अपने इख़्तियार से इस्तेमाल न कर सकेंगे कि उस वक़्त जो चाहें झूठी या सच्ची बात कह दें, जैसे दुनिया में इसका इख़्तियार है, बल्कि उनकी ज़बान उनके इरादे और क़स्द के ख़िलाफ़ हक़ बात का इक़रार करेगी। और यह भी मुम्किन है कि एक वक़्त में मुँह और ज़बान बिल्कुल बन्द कर दी जायें फिर ख़ुद ज़बान को भी हुक्म हो कि सच्ची बात बोले। वल्लाहु आलम

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ. وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ. اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ. لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ○

यानी गन्दी औरतें गन्दे मर्दों के लायक़ होती हैं और गन्दे मर्द गन्दी औरतों के लायक़ होते हैं, और पाक-साफ़ औरतें पाक-साफ़ मर्दों के लायक़ होती हैं और पाक-साफ़ मर्द पाक-साफ़ औरतों के लायक़ होते हैं।

इस आख़िरी आयत में अव्वल तो आम नियम यह बतला दिया गया कि अल्लाह तआ़ला ने तबीयतों में तबई तौर पर जोड़ रखा है। गन्दी और बदकार औरतें बदकार मर्दों की तरफ़ और गन्दे बदकार मर्द गन्दी बदकार औरतों की तरफ़ दिलचस्पी और रुचि लिया करते हैं। इसी तरह पाक-साफ़ औरतों की दिलचस्पी पाक-साफ़ मर्दों की तरफ़ होती है और पाक-साफ़ मर्दों की दिलचस्पी पाक-साफ़ औरतों की तरफ़ हुआ करती है। और हर एक अपनी-अपनी रुचि और दिलचस्पी के मुताबिक़ अपना जोड़ तलाश करता है, और क़ुदरती तौर पर उसको वही मिल जाता है।

इस आम आदत और उसूल व क़ायदे से स्पष्ट हो गया कि अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम जो दुनिया में ज़ाहिरी व बातिनी पाकी और सफ़ाई में मिसाली शख़्सियत होते हैं इसलिये अल्लाह तआ़ला उनको बीवियाँ भी उनके मुनासिब अ़ता फ़रमाते हैं। इससे मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जो तमाम अम्बिया के सरदार हैं उनको बीवियाँ भी अल्लाह तआ़ला ने पाकी और ज़ाहिरी सफ़ाई और अख़्लाक़ी बरतरी में आप ही की शान के मुनासिब अ़ता फ़रमाई हैं। और सिद्दीक़ा आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा उन सब में विशेष और नुमायाँ हैं। उनके बारे में शक व शुब्हा वही कर सकता है जिसको ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ईमान न हो। और हज़रत नूह व हज़रत लूत अ़लैहिमस्सलाम की बीवियों के बारे में जो क़ुरआने करीम में उनका काफ़िर होना बयान हुआ है तो उनके मुताल्लिक़ भी यह साबित है कि काफ़िर होने के बावजूद बुराई व बदकारी में मुब्तला नहीं थीं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमायाः

مَابَغَتْ اِمْرَاَةُ نَبِيٍّ قَطُّ.

यानी किसी नबी की औरत ने कभी ज़िना नहीं किया। (दुर्रे मन्सूर)

इससे मालूम हुआ कि किसी नबी की बीवी काफ़िर हो जाये इसकी तो संभावना है मगर बदकार

व बेहया हो जाये यह मुम्किन नहीं। क्योंकि बदकारी तबई तौर पर अ़वाम की नफ़रत का सबब है, कुफ़ तबई नफ़रत का सबब नहीं। (बयानुल-क़ुरआन)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ۝

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तद्ख़ुलू बुयूतन् ग़ै-र बुयूतिकुम् हत्ता तस्तअ्निसू व तुसल्लिमू अ़ला अह़्लिहा, ज़ालिकुम् ख़ैरुल्-लकुम् लअ़ल्लकुम् तज़क्करून (27) फ़-इल्लम् तजिदू फ़ीहा अ-हदन् फ़ला तद्ख़ुलूहा हत्ता युअ्-ज़-न लकुम् व इन् की-ल लकुमुर्जिअ़ू फ़र्जिअ़ू हु-व अज़्का लकुम्, वल्लाहु बिमा तअ़्मलू-न अ़लीम (28) लै-स अ़लैकुम् जुनाहुन् अन् तद्ख़ुलू बुयूतन् ग़ै-र मस्कूनतिन् फ़ीहा मताअ़ुल्-लकुम्, वल्लाहु यअ़्लमु मा तुब्दू-न व मा तक्तुमून (29)	ऐ ईमान वालो! मत जाया करो किसी घर में अपने घर के सिवाय जब तक बोल-चाल न कर लो, और सलाम कर लो उन घर वालों पर, यह बेहतर है तुम्हारे हक़ में ताकि तुम याद रखो। (27) फिर अगर न पाओ उसमें किसी को तो उसमें न जाओ जब तक कि इजाज़त न मिले तुम को, और अगर तुमको जवाब मिले कि लौट जाओ तो लौट जाओ, इसमें ख़ूब सुथराई है तुम्हारे लिये, और अल्लाह जो तुम करते हो उसको जानता है। (28) नहीं गुनाह तुम पर इसमें कि जाओ उन घरों में जहाँ कोई नहीं बसता, उसमें कुछ चीज़ हो तुम्हारी, और अल्लाह को मालूम है जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो छुपाते हो। (29)

इजाज़त लेने और आपस में मुलाक़ात के आदाब

यह पाँचवाँ हुक्म है जिसमें इजाज़त लेने, आपस में मुलाक़ात करने और किसी के घर में दाख़िल होने से पहले इजाज़त हासिल करने के मुताल्लिक़ बयान है।

सूरः नूर के शुरू ही से बुराई व बदकारी और बेहयाई की रोकथाम के लिये उनसे संबन्धित अपराधों की सज़ाओं का ज़िक्र और बिना दलील किसी पर तोहमत लगाने की बुराई और निंदा का

बयान था, आगे उन्हीं बुराईयों के रोकने और ख़ात्मे तथा आबरू व पाकदामनी की हिफ़ाज़त के लिये ऐसे अहकाम दिये गये हैं जिनसे ऐसे हालात ही पैदा न हों जहाँ से बेहयाई को रास्ता मिले। उन्हीं अहकाम में से इजाज़त लेने के मसाईल व अहकाम हैं कि किसी शख़्स के मकान में बग़ैर उसकी इजाज़त के दाख़िल होना या अन्दर झाँकना वर्जित और ममनू कर दिया गया, जिसमें एक हिक्मत यह भी है कि ग़ैर-मेहरम औरतों पर नज़र न पड़े। ऊपर बयान हुई आयतों में विभिन्न क़िस्म के मकानात के विभिन्न अहकाम बयान किये गये हैं।

मकानात की चार क़िस्में हैं– एक ख़ास अपने रहने का मकान, जिसमें किसी दूसरे के आने का शुब्हा व गुमान नहीं। दूसरे वह मकान जिसमें कोई और भी रहता हो चाहे वह अपने मेहरम ही क्यों न हों, या किसी और के उसमें आ जाने का शुब्हा व गुमान हो। तीसरी क़िस्म वह मकान जिसमें किसी का फ़िलहाल रहना या न रहना दोनों का गुमान व संभावना हो। चौथी क़िस्म वह मकान जो किसी ख़ास शख़्स के रहने के लिये मख़्सूस न हो जैसे मस्जिद, मदरसा, ख़ानक़ाह वग़ैरह, आम लोगों के फ़ायदा उठाने और आने-जाने की जगहें। इनमें से पहली क़िस्म का हुक्म तो ज़ाहिर था कि उसमें जाने के लिये किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, इसलिए उसका ज़िक्र इन आयतों में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया, बाक़ी तीन क़िस्मों के मकानात के अहकाम अगली आयतों में बयान फ़रमाते हैं)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ ईमान वालो! तुम अपने (ख़ास रहने के) घरों के सिवा दूसरे घरों में (जिनमें दूसरे लोग रहते हों चाहे ये उनकी मिल्क हों या किसी से इस्तेमाल करने को ले लिये हों या किराये पर लिये हों) दाख़िल मत हो, जब तक कि (उनसे) इजाज़त हासिल न कर लो (यानी पहले बाहर से सलाम करो फिर उनसे पूछो कि क्या हमें अन्दर आने की इजाज़त है, और बग़ैर इजाज़त लिये वैसे ही मत घुस जाओ। और अगरचे बाज़े लोग इजाज़त लेने को अपनी शान के ख़िलाफ़ समझें लेकिन हक़ीक़त में) यही तुम्हारे लिये बेहतर है (कि इजाज़त लेकर जाओ। और यह बात तुमको इसलिए बताई) ताकि तुम ख़्याल रखो (और इस पर अ़मल करो कि इसमें बड़ी हिक्मतें हैं। यह हुक्म हुआ मकानात की दूसरी क़िस्म का)। फिर अगर उन घरों में तुमको कोई आदमी मालूम न हो (चाहे वास्तव में वहाँ कोई हो या न हो) तो (भी) उन घरों में न जाओ जब तक कि तुमको इजाज़त न दी जाये (क्योंकि अव्वल तो यह हो सकता है कि उसमें कोई आदमी मौजूद हो अगरचे तुम्हें मालूम नहीं। और वास्तव में कोई मौजूद न हो तो दूसरे के ख़ाली मकान में भी बिना इजाज़त के घुस जाना, दूसरे की मिल्क में उसकी इजाज़त के बग़ैर तसर्रुफ़ करना है जो नाजायज़ है। यह हुक्म हुआ तीसरी क़िस्म का)। और अगर (इजाज़त तलब करने के वक़्त) तुमसे यह कह दिया जाये कि (इस वक़्त) लौट जाओ तो तुम लौट आया करो, यही बात तुम्हारे लिये बेहतर है, (इस बात से कि वहीं जम जाओ कि कभी तो बाहर निकलेंगे, क्योंकि इसमें अपनी ज़िल्लत और दूसरे पर बिना वजह दबाव डालकर तकलीफ़ पहुँचाना है, और किसी मुसलमान को तकलीफ़ देना हराम है)। और अल्लाह तआ़ला को तुम्हारे आमाल की सब ख़बर है (अगर ख़िलाफ़ करोगे तो सज़ा पाओगे। और यही हुक्म उस सूरत का है कि घर वालों ने

अगरचे लौट जाने को कहा नहीं मगर कोई बोला भी नहीं। ऐसी हालत में तीन मर्तबा इजाज़त तलब करना इस एहतियात पर कर लिया जाये कि शायद सुना न हो। तीन मर्तबा तक जब कोई जवाब न आये तो लौट आना चाहिए जैसा कि हदीस में इसकी वज़ाहत मौजूद है)। और तुमको ऐसे मकानों में (बग़ैर ख़ास इजाज़त के) चले जाने का गुनाह न होगा जिनमें (घर के तौर पर) कोई न रहता हो, (और) उनमें तुम्हारी कुछ इस्तेमाली ज़रूरत हो (यानी उन मकानों के बरतने और इस्तेमाल करने का तुम्हें हक़ हो, यह हुक्म है चौथी क़िस्म का, जो आम पब्लिक के फ़ायदे के मकानात हैं और जिनसे आम लोगों के फ़ायदे व लाभ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ जाने की आदतन आम इजाज़त होती है)। और तुम जो कुछ ज़ाहिरी तौर पर करते हो और जो पोशीदा तौर पर करते हो अल्लाह तआ़ला सब जानता है (इसलिये हर हाल में परहेज़गारी और ख़ौफ़े ख़ुदा लाज़िम है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

क़ुरआनी आदाब सामाजिक ज़िन्दगी का एक अहम अध्याय

किसी की मुलाक़ात को जाओ तो पहले इजाज़त लो, बग़ैर इजाज़त किसी के घर में दाख़िल न हो

अफ़सोस है कि इस्लामी शरीअ़त ने जिस क़द्र इस मामले का एहतिमाम फ़रमाया कि क़ुरआने हकीम में इसके तफ़सीली अहकाम नाज़िल हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपने क़ौल व अ़मल से इसकी बड़ी ताकीद फ़रमाई, उतना ही आजकल मुसलमान इससे ग़ाफ़िल हो गये। लिखे-पढ़े नेक लोग भी न इसको कोई गुनाह समझते हैं न इस पर अ़मल करने की फ़िक्र करते हैं। दुनिया की दूसरी सभ्य क़ौमों ने इसको इख़्तियार करके अपने समाज और ज़िन्दगी के रहन-सहन को दुरुस्त कर लिया मगर मुसलमान ही इसमें सबसे पीछे नज़र आते हैं। इस्लामी अहकाम में सबसे पहले सुस्ती इसी हुक्म में शुरू हुई। बहरहाल इजाज़त लेना क़ुरआने करीम का वह लाज़िमी हुक्म है कि इसमें ज़रा सी सुस्ती और तब्दीली को भी हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु 'क़ुरआन की आयत के इनकार' के सख़्त अलफ़ाज़ से ताबीर फ़रमा रहे हैं, और अब तो लोगों ने वाक़ई इन अहकाम को ऐसा नज़र-अन्दाज़ कर दिया है कि गोया उनके नज़दीक ये क़ुरआन के अहकाम ही नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।

इजाज़त लेने की हिक्मतें और बड़े फ़ायदे

हक़ तआ़ला जल्ल शानुहू ने हर इनसान को जो उसके रहने की जगह अ़ता फ़रमाई चाहे मालिकाना हो या किराये वग़ैरह पर, बहरहाल उसका घर उसका ठिकाना है और ठिकाने का असल मक़सद सुकून व राहत है। क़ुरआने करीम ने जहाँ अपनी इस क़ीमती नेमत का ज़िक्र फ़रमाया है उसमें भी इस तरफ़ इशारा है। फ़रमायाः

جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا

यानी अल्लाह ने तुम्हारे घरों से तुम्हारे लिये सुकून व राहत का सामान दिया, और यह सुकून व राहत तभी बाक़ी रह सकता कि इनसान दूसरे किसी शख़्स की दख़ल अन्दाज़ी के बग़ैर अपने घर में अपनी ज़रूरत के मुताबिक़ आज़ादी से काम और आराम कर सके। उसकी आज़ादी में ख़लल डालना घर की असल मस्लेहत को ख़त्म करना है, जो बड़ी तकलीफ़ व मुसीबत है। इस्लाम ने किसी को भी नाहक़ तकलीफ़ पहुँचाना हराम क़रार दिया है।

इजाज़त लेने के अहकाम में एक बड़ी मस्लेहत लोगों की आज़ादी में ख़लल डालने और उनको तकलीफ़ पहुँचाने से बचना है, जो हर शरीफ़ इनसान का अक़्ली फ़रीज़ा भी है। दूसरी मस्लेहत ख़ुद उस शख़्स की है जो किसी की मुलाक़ात के लिये उसके पास गया है कि जब वह इजाज़त लेकर सभ्य इनसान की तरह मिलेगा तो मुख़ातब भी उसकी बात क़द्र व इज़्ज़त से सुनेगा और अगर उसकी कोई हाजत है तो उसके पूरा करने का जज़्बा व तक़ाज़ा उसके दिल में पैदा होगा। बख़िलाफ़ इसके कि वहशियाना तरीक़े से किसी शख़्स पर बग़ैर उसकी इजाज़त के मुसल्लत हो गया तो मुख़ातब उसको एक नागहानी आफ़त व मुसीबत समझकर टाल-मटोल और पीछा छुड़ाने से काम लेगा, ख़ैरख़्वाही का जज़्बा अगर हुआ भी तो कमज़ोर हो जायेगा और उसको मुस्लिम को सताने का गुनाह अलग होगा।

तीसरी मस्लेहत बुराई और बेहयाई का रोकना और बन्द करना है कि बिना इजाज़त किसी के मकान में दाख़िल हो जाने से यह भी हो सकता है कि ग़ैर-मेहरम औरतों पर नज़र पड़े और शैतान दिल में कोई रोग पैदा कर दे और इसी मस्लेहत से इजाज़त लेने के अहकाम को क़ुरआने करीम में ज़िना और तोहमत लगाने की सज़ा वग़ैरह अहकाम के साथ लाया गया है।

चौथी मस्लेहत यह है कि इनसान कई बार अपने घर की तन्हाई में कोई ऐसा काम कर रहा होता है जिस पर दूसरों को इत्तिला करना मुनासिब नहीं समझता। अगर कोई शख़्स बग़ैर इजाज़त के घर में आ जाये तो वह जिस चीज़ को दूसरों से छुपाना चाहता था उस पर मुत्तला हो जायेगा। किसी के गुप्त राज़ को ज़बरदस्ती मालूम करने की फ़िक्र भी गुनाह और दूसरों के लिये तकलीफ़ का सबब है। इजाज़त लेने के कुछ मसाईल तो ख़ुद उक्त आयतों में आ गये हैं पहले उनकी तफ़सील व वज़ाहत देखिये, बाक़ी दूसरे मसाईल बाद में लिखे जायेंगे।

मसला: इन आयतों में 'या अय्युहल्लज़ी-न आमनू' से ख़िताब किया गया जो मर्दों के लिये इस्तेमाल होता है, मगर औरतें भी इस हुक्म में दाख़िल हैं जैसा कि आम क़ुरआनी अहकाम इसी तरह मर्दों को मुख़ातब करके आते हैं, औरतें भी उसमें शामिल होती हैं सिवाय मख़्सूस मसाईल के जिनकी ख़ुसूसियत मर्दों के साथ बयान कर दी जाती है। चुनाँचे सहाबी औरतों का भी यही मामूल था कि किसी के घर जायें तो पहले उनसे इजाज़त तलब करें। हज़रत उम्मे अयास रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि हम चार औरतें अक्सर हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास जाया करती थीं और घर में जाने से पहले उनसे इजाज़त लिया करती थीं, जब वह इजाज़त देतीं तो अन्दर जाती थीं।

(इब्ने कसीर, इब्ने अबी हातिम के हवाले से)

मसला: इसी आयत के आम होने से मालूम हुआ कि किसी दूसरे शख़्स के घर में जाने से पहले

इजाज़त लेने का हुक्म आम है, मर्द औरत, मेहरम ग़ैर-मेहरम सब को शामिल है। औरत किसी औरत के पास जाये या मर्द मर्द के पास, सब को इजाज़त लेना वाजिब है। इसी तरह एक शख़्स अगर अपनी माँ और बहन या दूसरी मेहरम औरतों के पास जाये तो भी इजाज़त लेना चाहिये। इमाम मालिक रह. ने मुवत्ता में मुर्सल तौर पर अता बिन यसार रह. से रिवायत किया है कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा कि क्या मैं अपनी माँ के पास जाते वक़्त भी इजाज़त लिया करूँ? आपने फ़रमाया हाँ इजाज़त लिया करो। उस शख़्स ने कहा या रसूलल्लाह! मैं तो अपनी वालिदा ही के साथ घर में रहता हूँ। आपने फ़रमाया फिर भी इजाज़त लिये बग़ैर घर में न जाओ। उसने फिर अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! मैं तो हर वक़्त उनकी ख़िदमत में रहता हूँ। आपने फ़रमाया फिर भी इजाज़त लिये बग़ैर घर में न जाओ, क्या तुम्हें यह बात पसन्द है कि अपनी वालिदा को नंगी देखो? उसने कहा कि नहीं। फ़रमाया इसी लिये इजाज़त लेना चाहिये, क्योंकि यह शुब्हा व संभावना है कि वह घर में किसी ज़रूरत से सतर खोले हुए हों। (तफ़सीरे मज़हरी)

इस हदीस से यह भी साबित हुआ कि क़ुरआन की आयत में जो 'ग़ै-र बुयूतिकुम' आया है इसमें 'बुयूतिकुम' (तुम्हारे घरों) से मुराद वो घर हैं जिनमें इनसान तन्हा ख़ुद ही रहता हो। माँ-बाप, बहन-भाई वग़ैरह उसमें न हों।

मसलाः जिस घर में सिर्फ़ अपनी बीवी रहती हो उसमें दाख़िल होने के लिये अगरचे इजाज़त लेना वाजिब नहीं मगर मुस्तहब और सुन्नत तरीक़ा यह है कि वहाँ भी अचानक बग़ैर किसी इत्तिला के अन्दर न जाये, बल्कि दाख़िल होने से पहले अपने पाँव की आहट से या खंकार से किसी तरह पहले बाख़बर कर दे फिर दाख़िल हो। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु की बीवी मोहतरमा फ़रमाती हैं कि अ़ब्दुल्लाह जब कभी बाहर से घर में आते थे तो दरवाज़े में खंकार कर पहले अपने आने से बाख़बर कर देते थे ताकि वह हमें किसी ऐसी हालत में न देखें जो उनको पसन्द न हो। (इब्ने कसीर, इब्ने जरीर के हवाले से) और इस सूरत में इजाज़त लेने का वाजिब न होना इससे मालूम होता है कि इब्ने जुरैज ने हज़रत अ़ता रह. से मालूम किया कि एक शख़्स को अपनी बीवी के पास जाने के वक़्त भी इजाज़त लेना ज़रूरी है? उन्होंने फ़रमाया कि नहीं। इब्ने कसीर ने इस रिवायत को नक़ल करके फ़रमाया है कि इससे मुराद यही है कि वाजिब तो नहीं लेकिन मुस्तहब और बेहतर वहाँ भी है।

इजाज़त लेने का सुन्नत तरीक़ा

आयत में जो तरीक़ा बतलाया गया है वह हैः

حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا.

यानी किसी के घर में उस वक़्त तक दाख़िल न हो जब तक दो काम न कर लो। अव्वल 'इस्तीनास', इसके लफ़्ज़ी मायने उन्स व ताल्लुक़ तलब करने के हैं। मुफ़स्सिरीन की बड़ी जमाअ़त के नज़दीक इससे मुराद 'इस्तीज़ान' यानी इजाज़त हासिल करना है। 'इस्तीज़ान' को 'इस्तीनास' के लफ़्ज़ से ज़िक्र करने में इशारा इस तरफ़ है कि दाख़िल होने से पहले इजाज़त हासिल करने में मुख़ातब

मानूस होता है, उसको परेशानी व घबराहट नहीं होती। दूसरा काम यह है कि घर वालों को सलाम करो। इसका मफ़्हूम कुछ हज़राते मुफ़स्सिरीन ने तो यह लिया कि पहले इजाज़त हासिल करो और जब घर में जाओ तो सलाम करो। इमाम क़ुर्तुबी ने इसी को इख़्तियार किया है कि इस मफ़्हूम के एतिबार से आयत में तरतीब में कोई फ़र्क़ नहीं। पहले इजाज़त ली जाये, जब इजाज़त मिल जाये और घर में जायें तो सलाम करें, मगर हदीस की आम रिवायतों से जो सुन्नत तरीक़ा मालूम होता है वह यही है कि पहले बाहर से सलाम करे 'अस्सलामु अ़लैकुम' उसके बाद अपना नाम लेकर कहे कि फ़ुलाँ शख़्स मिलना चाहता है।

इमाम बुख़ारी ने 'अल-अदबुल्-मुफ़रद' में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने फ़रमाया कि जो शख़्स सलाम से पहले इजाज़त तलब करे उसको इजाज़त न दो (क्योंकि उसने सुन्नत तरीक़े को छोड़ दिया)। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

अबू दाऊद की हदीस में है कि बनू आ़मिर के एक शख़्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से इस तरह इजाज़त तलब की कि बाहर से कहा 'अ-अलिजु' (क्या मैं घुस जाऊँ) आपने अपने ख़ादिम से फ़रमाया कि यह शख़्स इजाज़त लेने का तरीक़ा नहीं जानता, बाहर जाकर इसको तरीक़ा सिखलाओ कि यूँ कहे 'अस्सलामु अ़लैकुम् अ-अद्ख़ुलु' यानी क्या मैं दाख़िल हो सकता हूँ। अभी यह ख़ादिम बाहर नहीं गया था कि उसने ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के कलिमात सुन लिये और इस तरह कहा 'अस्सलामु अ़लैकुम् अ-अद्ख़ुलु' तो आपने अन्दर आने की इजाज़त दे दी। (इब्ने कसीर) और इमाम बैहक़ी ने शुअ़बुल-ईमान में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

لا تأذنوا لمن لّم يَبْدأ بالسّلام.

यानी जो शख़्स पहले सलाम न करे उसको अन्दर आने की इजाज़त न दो। (तफ़सीरे मज़हरी)

इस वाक़िए में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने दो इस्लाहें फ़रमाईं- एक यह कि पहले सलाम करना चाहिये, दूसरे यह कि उसने 'अद्ख़ुलु' के बजाय 'अलिजु' का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया था। यह नामुनासिब था, क्योंकि 'अलिजु' वलूज से निकला है जिसके मायने किसी तंग जगह में घुसने के हैं। यह तहज़ीबी अलफ़ाज़ के ख़िलाफ़ था। बहरहाल इन रिवायतों से यह मालूम हुआ कि क़ुरआन की आयत में जो सलाम करने का इरशाद है यह इजाज़त वाला सलाम है जो इजाज़त हासिल करने के लिये बाहर से किया जाता है ताकि अन्दर जो शख़्स है वह मुतवज्जह हो जाये और जो अलफ़ाज़ इजाज़त तलब करने के लिये कहेगा वह सुन ले। घर में दाख़िल होने के वक़्त क़ायदे के मुताबिक़ दोबारा सलाम करे।

मसलाः पहले सलाम और फिर दाख़िल होने की इजाज़त लेने का जो बयान ऊपर हदीसों से साबित हुआ उसमें बेहतर यह है कि इजाज़त लेने वाला ख़ुद अपना नाम लेकर इजाज़त तलब करे जैसा कि हज़रत फ़ारूक़े आज़म का अ़मल था कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के दरवाज़े पर आकर ये अलफ़ाज़ कहेः

اَلسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَیْكُمْ اَیَدْخُلُ عُمَرُ.

यानी सलाम के बाद कहा कि क्या उमर दाख़िल हो सकता है। (इब्ने कसीर)

और सही मुस्लिम में है कि हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु के पास गये तो इजाज़त लेने के लिये ये अलफ़ाज़ फ़रमायेः

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ هٰذَا اَبُوْمُوْسٰى اَلسَّلَامُ عَلَيْكُم هٰذَا الْاَشْعَرِىُّ (قرطبی)

इसमें भी पहले अपना नाम अबू मूसा बतलाया फिर अधिक वज़ाहत के लिये अश्अ़री का ज़िक्र किया। और यह इसलिये कि जब तक आदमी इजाज़त लेने वाले को पहचाने नहीं तो जवाब देने में तशवीश होगी। उस तशवीश से भी मुख़ातब को बचाना चाहिये।

मसलाः और इस मामले में सबसे बुरा वह तरीक़ा है जो कुछ लोग करते हैं कि बाहर से अन्दर दाख़िल होने की इजाज़त माँगी, अपना नाम ज़ाहिर नहीं किया। अन्दर से मुख़ातब ने पूछा कौन साहिब हैं? तो जवाब में यह कह दिया कि मैं हूँ। क्योंकि यह मुख़ातब की बात का जवाब नहीं, जिसने पहली आवाज़ से नहीं पहचाना वह **मैं** के लफ़्ज़ से क्या पहचानेगा।

ख़तीबे बग़दादी ने अपनी किताब **जामे** में अ़ली बिन आ़सिम वास्ती से नक़ल किया है कि वह बसरा गये तो हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अ़न्हु की मुलाक़ात को हाज़िर हुए। दरवाज़े पर दस्तक दी। हज़रत मुग़ीरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अन्दर से पूछा कौन है? तो जवाब दिया 'अ-न' (यानी मैं हूँ) तो हज़रत मुग़ीरा ने फ़रमाया कि मेरे दोस्तों में तो कोई भी ऐसा नहीं जिसका नाम 'अ-न' हो फिर बाहर तशरीफ़ लाये और उनको हदीस सुनाई कि एक दिन हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और इजाज़त लेने के लिये दरवाज़े पर दस्तक दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अन्दर से पूछा कौन साहिब हैं? तो जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने यही लफ़्ज़ कह दिया 'अ-न' यानी मैं हूँ। आपने बतौर डाँट और तंबीह के फ़रमाया 'अ-न, अ-न' यानी 'मैं मैं' कहने से क्या हासिल है, इससे कोई पहचाना नहीं जाता।

मसलाः इससे भी ज़्यादा बुरा यह तरीक़ा है जो आजकल बहुत से लिखे-पढ़े लोग भी इस्तेमाल करते हैं कि दरवाज़े पर दस्तक दी, जब अन्दर से पूछा गया कि कौन साहिब हैं तो ख़ामोश खड़े हैं कोई जवाब ही नहीं देते। यह मुख़ातब को परेशानी व उलझन में डालने और तकलीफ़ पहुँचाने का बदतरीन तरीक़ा है, जिससे इजाज़त लेने की मस्लेहत ही ख़त्म हो जाती है।

मसलाः ऊपर बयान हुई रिवायतों से यह भी साबित हुआ कि इजाज़त लेने का यह तरीक़ा भी जायज़ है कि दरवाज़े पर दस्तक दी जाये बशर्ते कि साथ ही अपना नाम भी ज़ाहिर करके बतला दिया जाये कि फ़ुलाँ शख़्स मिलना चाहता है।

मसलाः लेकिन अगर दस्तक हो तो इतनी ज़ोर से न दे कि जिससे सुनने वाला घबरा उठे, बल्कि दरमियानी अन्दाज़ से दे, जिससे अन्दर तक आवाज़ तो चली जाये लेकिन कोई सख़्ती ज़ाहिर न हो। जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के दरवाज़े पर दस्तक देते थे तो उनकी आ़दत यह थी कि नाख़ुनों से दरवाज़े पर दस्तक देते ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तकलीफ़ न हो। (जामे ख़तीब, तफ़सीरे क़ुर्तुबी) जो शख़्स इजाज़त लेने के मक़सद को समझ ले कि असल इससे **मुख़ातब (सामने वाले) को मानूस करके इजाज़त हासिल करना है** वह ख़ुद-ब-ख़ुद उन सब चीज़ों की

रियायत को ज़रूरी समझेगा जिन चीज़ों से मुख़ातब को तकलीफ़ हो उनसे बचेगा। अपना नाम ज़ाहिर करे और दस्तक दे तो दरमियानी अन्दाज़ से दे। ये सब चीज़ें उसमें शामिल हैं।

ज़रूरी तंबीह

आजकल अक्सर लोगों को तो इजाज़त लेने की तरफ़ कोई तवज्जोह ही बाक़ी नहीं रही जो खुला वाजिब के छोड़ने का गुनाह है, और जो लोग इजाज़त लेना चाहें और सुन्नत तरीक़े के मुताबिक़ बाहर से पहले सलाम करें फिर अपना नाम बतलाकर इजाज़त लें, उनके लिये इस ज़माने में कुछ दुश्वारियाँ यूँ भी पेश आती हैं कि उमूमन मुख़ातिब जिससे इजाज़त लेता है वह दरवाज़े से दूर है, वहाँ तक सलाम की आवाज़ और इजाज़त लेने के अलफ़ाज़ पहचानने मुश्किल हैं इसलिये यह समझ लेना चाहिये कि असल वाजिब यह बात है कि बग़ैर इजाज़त के घर में दाख़िल न हो। इजाज़त लेने के तरीक़े हर ज़माने और हर मुल्क में अलग और भिन्न हो सकते हैं। उनमें से एक तरीक़ा दरवाज़े पर दस्तक देने का तो ख़ुद हदीस की रिवायतों से साबित है। इसी तरह जो लोग अपने दरवाज़ों पर घन्टी लगा सकते हैं उस घन्टी का बजा देना भी वाजिब इजाज़त लेने की अदायेगी के लिये काफ़ी है। बशर्ते कि घन्टी के बाद अपना नाम भी ऐसी आवाज़ से ज़ाहिर कर दे जिसको मुख़ातब सुन ले। इसके अ़लावा और कोई तरीक़ा जो किसी जगह रिवाज में हो उसका इस्तेमाल कर लेना भी जायज़ है। आजकल जो शनाख़्ती कार्ड का रिवाज यूरोप से चला है यह रस्म अगरचे यूरोप वालों ने जारी की मगर इजाज़त लेने का मक़सद इसमें बहुत अच्छी तरह पूरा हो जाता है कि इजाज़त देने वाले को इजाज़त चाहने वाले का पूरा नाम व पता अपनी जगह बैठे हुए बग़ैर किसी तकलीफ़ के मालूम हो जाता है, इसलिये इसको इख़्तियार कर लेने में कोई हर्ज नहीं।

मसलाः अगर किसी शख़्स ने किसी शख़्स से इजाज़त तलब की और उसने जवाब में कह दिया कि इस वक़्त मुलाक़ात नहीं हो सकती लौट जाईये, तो इससे बुरा न मानना चाहिये, क्योंकि हर शख़्स के हालात और उसके तक़ाज़े अलग-अलग होते हैं, कई बार वह मजबूर होता है बाहर नहीं आ सकता, न आपको अन्दर बुला सकता है तो ऐसी हालत में उसके उज़्र को क़ुबूल करना चाहिये। उपर्युक्त आयत में यही हिदायत है यानीः

وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ

कि जब आप से कहा जाये कि इस वक़्त लौट जायें तो आपको ख़ुशदिली से लौट आना चाहिये इससे बुरा मानना या वहीं जमकर बैठ जाना दोनों चीज़ें दुरुस्त नहीं। पहले कुछ बुज़ुर्गों से मन्क़ूल है कि वह फ़रमाते थे- मैं उम्रभर इस तमन्ना में रहा कि किसी के पास जाकर इजाज़त माँगूँ और वह मुझे यह जवाब दे कि लौट जाओ, तो मैं क़ुरआन के इस हुक्म पर अ़मल करने का सवाब हासिल करूँ मगर अ़जीब इत्तिफ़ाक़ है कि मुझे कभी यह नेमत नसीब न हुई।

मसलाः इस्लामी शरीअ़त ने सामाजिक ज़िन्दगी गुज़ारने के आदाब सिखाने और सब को तकलीफ़ व परेशानी से बचाने को दो तरफ़ा नॉर्मल निज़ाम क़ायम फ़रमाया है, इस आयत में जिस तरह आने वाले को यह हिदायत दी गयी है कि अगर इजाज़त तलब करने पर आपको इजाज़त न मिले और

कहा जाये कि इस वक़्त लौट जाओ तो कहने वाले को माज़ूर समझो और दिल की ख़ुशी के साथ वापस लौट जाओ, बुरा न मानो, इसी तरह एक हदीस में इसका दूसरा रुख़ इस तरह आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

اِنَّ لِزَوْرِکَ عَلَیْکَ حَقًّا.

यानी जो शख़्स आप से मुलाक़ात के लिये आये उसका भी आप पर हक़ है। यानी उसका यह हक़ है कि उसको अपने पास बुलाओ या बाहर आकर उससे मिलो, उसका सम्मान करो, बात सुनो, बिना किसी सख़्त मजबूरी और उज़्र के मुलाक़ात से इनकार न करो।

मसलाः अगर किसी के दरवाज़े पर जाकर इजाज़त माँगी और अन्दर से कोई जवाब न आया तो सुन्नत यह है कि दोबारा फिर इजाज़त तलब करे और फिर भी जवाब न आये तो तीसरी मर्तबा ऐसा ही करे। अगर तीसरी मर्तबा भी जवाब न आये तो उसका हुक्म वही है जो 'इर्जिऊ' का है, यानी लौट जाना चाहिये। क्योंकि तीन मर्तबा कहने से तक़रीबन यह तो मुतैयन हो जाता है कि आवाज़ सुन ली मगर या तो वह शख़्स ऐसी हालत में है कि जवाब नहीं दे सकता, मसलन नमाज़ पढ़ रहा है या बैतुलख़ला में है, या ग़ुस्ल कर रहा है। और या फिर उसको उस वक़्त मिलना मन्ज़ूर नहीं, दोनों हालतों में वहीं जमे रहना और लगातार दस्तक वग़ैरह देते रहना भी तकलीफ़ पहुँचाने का ज़रिया है जिससे बचना वाजिब है, और इजाज़त लेने का असल मक़सद ही तकलीफ़ से बचना है।

हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

اذا استأذن احدکم ثلاثاً فلم یؤذن له فلیرجع.

यानी जब कोई आदमी तीन मर्तबा इजाज़त तलब करे और कोई जवाब न आये तो उसको लौट जाना चाहिये। (इब्ने कसीर, सही बुख़ारी के हवाले से) और मुस्नद अहमद में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हज़रत सअ़्द बिन उबादा के मकान पर तशरीफ़ ले गये और सुन्नत के मुताबिक़ बाहर से इजाज़त लेने के लिये सलाम किया 'अस्सलामु अ़लैकुम'। हज़रत सअ़्द बिन उबादा ने सलाम का जवाब तो दिया मगर आहिस्ता कि हुज़ूर न सुनें। आपने दोबारा और फिर तिबारा सलाम किया। हज़रत सअ़्द रज़ियल्लाहु अ़न्हु सुनते और आहिस्ता जवाब देते रहे। तीन मर्तबा ऐसा करने के बाद आप लौट गये। जब सअ़्द रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने देखा कि अब आवाज़ नहीं आ रही तो घर से निकलकर पीछे दौड़े और यह उज़्र पेश किया कि या रसूलल्लाह! मैंने हर मर्तबा आपकी आवाज़ सुनी और जवाब भी दिया मगर आहिस्ता दिया ताकि ज़बान मुबारक से ज़्यादा से ज़्यादा सलाम के अलफ़ाज़ मेरे बारे में निकलें वह मेरे लिये बरकत का ज़रिया होगा (आपने उनको सुन्नत तरीक़ा बतला दिया कि तीन मर्तबा जवाब न आने पर लौट जाना चाहिये) इसके बाद हज़रत सअ़्द नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को अपने घर साथ ले गये उन्होंने कुछ मेहमान नवाज़ी की, आपने उसको क़ुबूल फ़रमाया।

हज़रत सअ़्द रज़ियल्लाहु अ़न्हु का यह अ़मल इश्क़ व मुहब्बत के हद से बढ़े हुए होने का असर

था कि उस वक़्त ज़ेहन इस तरफ़ न गया कि सरदारे दो आ़लम दरवाज़े पर तशरीफ़ फ़रमा हैं मुझे फ़ौरन जाकर उनके क़दम चूम लेने चाहियें, बल्कि ज़ेहन इस तरफ़ मुतवज्जह हो गया कि आपकी ज़बाने मुबारक से 'अस्सलामु अ़लैकुम' जितनी मर्तबा ज़्यादा निकलेगा मेरे लिये ज़्यादा मुफ़ीद होगा। बहरहाल इससे यह मसला साबित हो गया कि तीन मर्तबा इजाज़त तलब करने के बाद जवाब न आये तो सुन्नत यह है कि लौट जाये, वहीं जमकर बैठ जाना ख़िलाफ़े सुन्नत और मुख़ातब के लिये तकलीफ़ पहुँचाने का सबब है, कि उसको दबाव डालकर निकलने पर मजबूर करना है।

मसला: यह हुक्म उस वक़्त है जबकि सलाम या दस्तक वग़ैरह के ज़रिये इजाज़त हासिल करने की कोशिश तीन मर्तबा कर ली हो, कि अब वहाँ जमकर बैठ जाना तकलीफ़ पहुँचाने का सबब है, लेकिन अगर कोई किसी आ़लिम या बुज़ुर्ग के दरवाज़े पर बग़ैर इजाज़त लिये हुए और बग़ैर उनको इत्तिला दिये हुए इन्तिज़ार में बैठा रहे कि जब अपनी फ़ुर्सत के मुताबिक़ बाहर तशरीफ़ लायेंगे तो मुलाक़ात हो जायेगी, यह इसमें दाख़िल नहीं बल्कि पूरी तरह अदब की बात है। ख़ुद क़ुरआने करीम ने लोगों को यह हिदायत दी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब घर में हों तो उनको आवाज़ देकर बुलाना अदब के ख़िलाफ़ है, बल्कि लोगों को चाहिये कि इन्तिज़ार करें, जिस वक़्त आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक़ बाहर तशरीफ़ लायें उस वक़्त मुलाक़ात करें। आयत यह है:

وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ.

और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं मैं कई बार किसी अन्सारी सहाबी के दरवाज़े पर पूरी दोपहर इन्तिज़ार करता रहता हूँ कि जब वह बाहर तशरीफ़ लायें तो उनसे किसी हदीस की तहक़ीक़ करूँ और अगर मैं उनसे मिलने के लिये इजाज़त माँगता तो वह ज़रूर मुझे इजाज़त दे देते, मगर मैं इसको ख़िलाफ़े अदब समझता था इसलिये इन्तिज़ार की मशक़्क़त गवारा करता था। (सही बुख़ारी)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ.

लफ़्ज़ 'मताअ़' के लुग़वी मायने किसी चीज़ के बरतने, इस्तेमाल करने और उससे फ़ायदा उठाने के हैं, और जिस चीज़ से फ़ायदा उठाया जाये उसको भी मताअ़ कहा जाता है। इस आयत में मताअ़ के लुग़वी मायने ही मुराद हैं जिसका तर्जुमा बरत से किया गया है यानी बरतने का हक़दार होना। हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जब इजाज़त लेने की उक्त आयतें नाज़िल हुईं जिनमें बग़ैर इजाज़त के किसी मकान में दाख़िल होने की मनाही है तो सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! इस मनाही के बाद क़ुरैश के तिजारत पेशा लोग क्या करेंगे, क्योंकि मक्का और मदीना से मुल्क शाम तक उनके तिजारती सफ़र होते हैं और इस रास्ते में जगह-जगह उनके मुसाफ़िर ख़ाने बने होते हैं जिनमें सफ़र के दौरान वे लोग ठहरते हैं, उनमें कोई मुस्तक़िल रहने वाला नहीं होता तो वहाँ इजाज़त लेने की क्या सूरत होगी, इजाज़त किस से हासिल की जायेगी? इस पर ऊपर ज़िक्र हुई आयत नाज़िल हुई।

(इब्ने अबी हातिम, तफ़सीरे मज़हरी)

आयत के उतरने के इस मौक़े और सबब से मालूम हुआ कि आयत में 'बुयूते ग़ैरे मस्कूना' से मुराद वह मकान और स्थान हैं जो किसी ख़ास फ़र्द या क़ौम के लिये ख़ुसूसी तौर पर रहने की जगह नहीं, बल्कि क़ौम के अफ़राद को आम इजाज़त वहाँ जाने ठहरने और इस्तेमाल करने की है, जैसे वो मुसाफ़िर ख़ाने जो शहरों और जंगलों में इसी ग़र्ज़ के लिये बनाये गये हों और सबब व मक़सद के एक होने के सबब आम मस्जिदें, ख़ानक़ाहें, दीनी मदरसे, अस्पताल, डाकख़ाना, रेलवे स्टेशन, हवाई जहाज़ों के ठिकाने और क़ौमी तफ़रीहात के लिये जो मकानात बनाये गये हो, ग़र्ज़ कि उमूमी फ़ायदे और जनकल्याण के सब इदारे इसी हुक्म में हैं कि वहाँ हर शख़्स बिना इजाज़त जा सकता है।

मसलाः आम पब्लिक के फ़ायदे के लिये बनाये गये इदारों (संस्थाओं) में जिस मक़ाम पर उसके मालिक या मुतवल्ली हज़रात की तरफ़ से दाख़िले के लिये कुछ शर्तें और पाबन्दियाँ हों उनकी पाबन्दी शरअ़न वाजिब है, मसलन रेलवे स्टेशन पर अगर बग़ैर प्लेट फ़ार्म के जाने की इजाज़त नहीं है तो प्लेट फ़ार्म टिकट हासिल करना ज़रूरी है, उसकी ख़िलाफ़वर्ज़ी नाजायज़ है। हवाई अड्डे के जिस हिस्से में जाने की महकमे की तरफ़ से इजाज़त न हो वहाँ बग़ैर इजाज़त के जाना शरअ़न जायज़ नहीं।

मसलाः इसी तरह मस्जिदों, मदरसों, ख़ानक़ाहों, अस्पतालों वग़ैरह में जो कमरे वहाँ के ज़िम्मेदारों या दूसरे लोगों की रिहाईश के लिये ख़ास हों जैसे मस्जिदों, मदरसों और ख़ानक़ाहों के ख़ास हुजरे या रेलवे, ऐयर्डरूम और अस्पतालों के दफ़्तर और विशेष कमरे जो मरीज़ों या दूसरे लोगों के रहने की जगह हैं वो 'बुयूते ग़ैरे मस्कूना' (जहाँ कोई नहीं बसता) के हुक्म में नहीं, बल्कि मस्कूना के हुक्म में हैं उनमें बग़ैर इजाज़त जाना शरअ़न मना, वर्जित और गुनाह है।

इजाज़त लेने से संबन्धित चन्द दूसरे मसाईल

जबकि यह मालूम हो चुका कि इजाज़त लेने के शरई अहकाम का असल मक़सद लोगों को तकलीफ़ पहुँचाने से बचना और अच्छी सामाजिक ज़िन्दगी गुज़ारने के आदाब सिखाना है तो सबब और मक़सद एक होने की वजह से निम्नलिखित मसाईल का हुक्म भी मालूम हो गया।

टेलीफ़ोन से संबन्धित कुछ मसाईल

मसलाः किसी शख़्स को ऐसे वक़्त टेलीफ़ोन पर मुख़ातब करना जो आदतन उसके सोने या दूसरी ज़रूरतों में या नमाज़ में मशग़ूल होने का वक़्त हो बिना सख़्त ज़रूरत के जायज़ नहीं, क्योंकि इसमें भी वही तकलीफ़ पहुँचाना है जो किसी के घर में बग़ैर इजाज़त दाख़िल होने और उसकी आज़ादी में ख़लल डालने से होता है।

मसलाः जिस शख़्स से टेलीफ़ोन पर अक्सर बातचीत करनी हो तो मुनासिब यह है कि उससे मालूम कर लिया जाये कि आपको टेलीफ़ोन पर बात करने में किस वक़्त सहूलत होती है, फिर उसकी पाबन्दी करे।

मसलाः टेलीफ़ोन पर अगर कोई लम्बी बात करनी हो तो पहले मुख़ातब से मालूम कर लिया जाये कि आपको ज़रा सी फ़ुर्सत हो तो मैं अपनी बात अ़र्ज़ करूँ? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि

टेलीफ़ोन की घन्टी आने पर आदमी तबई तौर पर मजबूर होता है कि फ़ौरन मालूम करे कि कौन क्या कहना चाहता है, और इस ज़रूरत से वह किसी भी हाल में और अपने ज़रूरी काम में हो तो उसको छोड़कर टेलीफ़ोन उठाता है। कोई बेरहम आदमी उसी वक़्त लम्बी बात करने लगे तो सख़्त तकलीफ़ महसूस होती है।

मसलाः कुछ लोग टेलीफ़ोन की घन्टी बजती रहती है और कोई परवाह नहीं करते, न पूछते हैं कि कौन है क्या कहना चाहता है? यह इस्लामी अख़्लाक़ के ख़िलाफ़ और बात करने वाले की हक़-तल्फ़ी है जैसा कि हदीस में आया है:

ان لزورك عليك حقا.

यानी जो शख़्स आपकी मुलाक़ात को आये उसका तुम पर हक़ है कि उससे बात करो और बिना ज़रूरत मुलाक़ात से इनकार न करो। इसी तरह जो आदमी टेलीफ़ोन पर आप से बात करना चाहता है उसका हक़ है कि आप उसको जवाब दें।

मसलाः किसी के मकान पर मुलाक़ात के लिये जाओ और इजाज़त हासिल करने के लिये खड़े हो तो घर के अन्दर न झाँको, क्योंकि इजाज़त लेने की मस्लेहत तो यही है कि दूसरा आदमी जो चीज़ आप पर ज़ाहिर नहीं करना चाहता आपको उसकी इत्तिला न होनी चाहिये, अगर पहले ही घर में झाँककर देख लिया तो यह मस्लेहत ख़त्म हो जायेगी, हदीस में इसकी सख़्त मनाही आई है।

(बुख़ारी व मुस्लिम, हज़रत सहल बिन सअ़द साअ़िदी की रिवायत से)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की आ़दत शरीफ़ यह थी कि किसी के पास जाते और इजाज़त हासिल करने के लिये खड़े होते तो दरवाज़े के सामने खड़े होने के बजाय दायें या बायें खड़े होकर इजाज़त तलब फ़रमाते थे, दरवाज़े के सामने खड़े होने से इसलिये बचते कि अव्वल तो उस ज़माने में दरवाज़ों पर पर्दे बहुत कम थे, और पर्दे भी हों तो हवा से खुल जाने का शुब्हा व गुमान बहरहाल है। (तफ़सीरे मज़हरी)

मसलाः जिन मकानों में दाख़िल होना उपर्युक्त आयतों में बग़ैर इजाज़त के वर्जित और मना क़रार दिया है यह आ़म हालात में है, अगर इत्तिफ़ाक़न कोई हादसा आग लगने या मकान गिरने का पेश आ जाये तो इजाज़त लिये बग़ैर उसमें जा सकते हैं और इमदाद के लिये जाना चाहिये। (मज़हरी)

मसलाः जिस शख़्स को किसी ने बुलाने भेजा है अगर वह उसके क़ासिद के साथ ही आ गया तो अब उसको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, क़ासिद का आना ही इजाज़त है। हाँ अगर उस वक़्त न आया कुछ देर के बाद पहुँचा तो इजाज़त लेना ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

اذا دعى احدكم فجاء مع الرّسول فان ذلك له اذن.

यानी जो आदमी बुलाया जाये और वह क़ासिद के साथ ही आ जाये तो यही उसके लिये अन्दर आने की इजाज़त है। (अबू दाऊद, तफ़सीरे मज़हरी)

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۚ ذٰلِكَ اَزْكٰى
لَهُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۞ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ
اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ
بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ
مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ
زِيْنَتِهِنَّ ۚ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۞

क़ुल् लिल्-मुअ्मिनी-न यग़ुज़्ज़ू मिन् अब्सारिहिम् व यह्फ़ज़ू फ़ुरू-जहुम्, ज़ालि-क अज़्का लहुम्, इन्नल्ला-ह ख़बीरुम्-बिमा यस्नअून (30) व क़ुल् लिल्-मुअ्मिनाति यग़्ज़ुज़्-न मिन् अब्सारिहिन्-न व यह्फ़ज़्-न फ़ुरू-जहुन्-न व ला युब्दी-न ज़ीन-तहुन्-न इल्ला मा ज़-ह-र मिन्हा वल्यज़्रिब्-न बिख़ुमुरिहिन्-न अ़ला जुयूबिहिन्-न व ला युब्दी-न ज़ीन-तहुन्-न इल्ला लिबुअू-लतिहिन्-न औ आबाइ-हिन्-न औ आबाइ-बुअू-लतिहिन्-न औ अब्नाइ-हिन्-न औ अब्ना-इ बुअू-लतिहिन्-न औ इख़्वानिहिन्-न औ बनी इख़्वानिहिन्-न औ बनी अ-ख़वातिहिन्-न औ निसाइ-हिन्-न औ मा म-लकत्

कह दे ईमान वालों को नीची रखें ज़रा अपनी आँखें और थामते रहें अपने सतर को, इसमें ख़ूब सुथराई है उनके लिये, बेशक अल्लाह को ख़बर है जो कुछ करते हैं। (30) और कह दे ईमान वालियों को नीची रखें ज़रा अपनी आँखें और थामती रहें अपने सतर को और न दिखलायें अपना सिंगार मगर जो खुली चीज़ है उसमें से, और डाल लें अपनी ओढ़नी अपने गिरेबान पर, और न खोलें अपना सिंगार मगर अपने शौहर के आगे या अपने बाप के या अपने शौहर के बाप के या अपने बेटे के या अपने शौहर के बेटे के या अपने भाई के या अपने भतीजों के या अपने भानजों के या अपनी औरतों के या अपने हाथ के माल के या कारोबार

ऐमानुहुन्-न अवित्ताबिअी-न ग़ैरि उलिल्-इर्बति मिनर्-रिजालि अवित्-तिफ़्लिल्लज़ी-न लम् यज़्हरू अला औरातिन्निसा-इ व ला यज़्रिब्-न बि-अर्जुलिहिन्-न लियुअ्-ल-म मा युख़्फ़ी-न मिन् ज़ीनतिहिन्-न, व तूबू इलल्लाहि जमीअन् अय्युहल्-मुअ्मिनू-न लअ़ल्लकुम् तुफ़्लिहून (31)	करने वालों के जो मर्द कि कुछ ग़र्ज़ नहीं रखते, या लड़कों के जिन्होंने अभी नहीं पहचाना औरतों के भेद को, और न मारें ज़मीन पर अपने पाँव को कि जाना जाये जो छुपाती हैं अपने सिंगार, और तौबा करो अल्लाह के आगे सब मिलकर ऐ ईमान वालो! ताकि तुम भलाई पाओ। (31)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

हुक्म नम्बर छह– औरतों के पर्दे के अहकाम

आप मुसलमान मर्दों से कह दीजिये कि अपनी निगाहें नीची रखें (यानी बदन के जिस अंग की तरफ़ बिल्कुल ही देखना नाजायज़ है उसको बिल्कुल न देखें और जिसको देखना अपने आप में जायज़ है मगर जिन्सी निगाह से जायज़ नहीं उसको शहवत की निगाह से न देखें) और अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करें (यानी नाजायज़ मौक़े में जिन्सी इच्छा पूरी न करें जिसमें ज़िना और अप्राकृतिक दुष्कर्म सब दाख़िल है) यह उनके लिये ज़्यादा सफ़ाई की बात है (और इसके ख़िलाफ़ करने में लिप्त होना है ज़िना या ज़िना की तरफ़ ले जाने वाली चीज़ों में), बेशक अल्लाह तआ़ला को सब ख़बर है जो कुछ लोग किया करते हैं (पस ख़िलाफ़ करने वाले सज़ा पाने के हक़दार होंगे)।

और (इसी तरह) मुसलमान औरतों से कह दीजिये कि (वे भी) अपनी निगाहें नीची रखें (यानी जिस बदनी अंग की तरफ़ बिल्कुल ही देखना नाजायज़ है उसको बिल्कुल न देखें और जिसको अपने आप में देखना जायज़ है मगर जिन्सी इच्छा की नज़र से जायज़ नहीं उसको उस निगाह से न देखें) और अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करें (यानी नाजायज़ मौक़े में जिन्सी इच्छा पूरी न करें जिसमें ज़िना व समलैंगिकता सब दाख़िल है) और अपनी ज़ीनत "यानी बनाव-सिंघार" (की जगहों) को ज़ाहिर न करें (ज़ीनत से मुराद हाथ, पिण्डली, बाज़ू, गर्दन, सर, सीना, कान, यानी इन सब मौक़ों और जगहों को सबसे छुपाये रखें उन दो हालतों को छोड़कर जो आगे बयान होती हैं, और जब इन मौक़ों और जगहों को अजनबियों से छुपाकर रखना वाजिब है जिनका ज़ाहिर करना मेहरमों के सामने जायज़ है जैसा कि आगे आता है तो जो दूसरे अन्य मौक़े और बदन के अंग रह गये जैसे पीठ और पेट वग़ैरह जिनका खोलना मेहरमों के सामने भी जायज़ नहीं उनका छुपाना आयत के इशारे से वाजिब हो गया। हासिल यह हुआ कि सर से पाँव तक अपना तमाम बदन छुपाकर रखें। दो हालतें जो इस हुक्म से

बाहर रखी गयी हैं उनमें से पहली हालत ज़रूरत के मौक़ों के लिहाज़ से है कि रोज़मर्रा के कामकाज में जिन बदनी अंगों के खोलने की ज़रूरत होती है उनको हुक्म से अलग रखा गया, इसकी तफ़सील यह है) मगर जो उस (ज़ीनत की जगह) में से खुला (ही) रहता है (जिसके छुपाने में हर वक़्त दिक़्क़त व परेशानी है, मुराद इस ज़ीनत के मौक़े से चेहरा और हाथ की हथेलियाँ और सही क़ौल के मुताबिक़ दोनों क़दम भी। क्योंकि चेहरा तो क़ुदरती तौर पर ज़ीनत व सिंगार का मजमूआ है और कुछ ज़ीनतें अपने इरादे से भी इसमें की जाती हैं मसलन सुर्मा वग़ैरह, और हथेलियाँ और उंगलियाँ अंगूठी छल्ले मेहंदी का स्थान है, और दोनों क़दम भी छल्लों और मेहंदी का स्थान हैं। पस इन जगहों और मौक़ों को इस ज़रूरत की वजह से छुपाने के हुक्म से अलग रखा है कि इनको खोले बग़ैर कामकाज नहीं हो सकता। और 'मा ज़-ह-र' की तफ़सीर चेहरे और दोनों हाथ की हथेलियों के साथ हदीस में आई है और दोनों क़दमों को फ़ुक़हा ने इस पर क़ियास करके इस हुक्म में शामिल क़रार दिया है)। और अपने दुपट्टे अपने सीनों पर डाले रहा करें (अगरचे सीना क़मीज़ से ढक जाता है लेकिन अक्सर क़मीज़ में सामने से गिरेबान खुला रहता है और सीने की शक्ल व हालत क़मीज़ के बावजूद ज़ाहिर होती है इसलिए एहतिमाम की ज़रूरत हुई)।

आगे दूसरी हालत और मौक़े का बयान किया जाता है जिनमें मेहरम मर्दों वग़ैरह को पर्दे के उक्त हुक्म से अलग और बाहर रखा गया है) और अपनी ज़ीनत (की ज़िक्र हुई जगहों) को (किसी पर) ज़ाहिर न होने दें मगर अपने शौहरों पर या अपने (मेहरम रिश्तेदारों पर, यानी) बाप पर या अपने शौहर के बाप पर या अपने बेटों पर या अपने शौहर के बेटों पर या अपने (सगे और माँ-शरीक व बाप-शरीक) भाईयों पर (न कि चचाज़ाद मामूँज़ाद वग़ैरह भाईयों पर), या अपने (ज़िक्र हुए) भाईयों के बेटों पर या अपनी (सगी, माँ-शरीक और बाप-शरीक) बहनों के बेटों पर (न कि चचाज़ाद ख़ालाज़ाद बहनों की औलाद पर) या अपनी (यानी दीन की शरीक) औरतों पर (मतलब यह कि मुसलमान औरतों पर, क्योंकि काफ़िर औरतों का हुक्म अजनबी मर्द के जैसा है। यही तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में इमाम ताऊस, मुजाहिद, अ़ता, सईद बिन मुसैयब और इब्राहीम से नक़ल की गयी है) या अपनी लौंडियों पर (चाहे वे काफ़िर ही हों। क्योंकि मर्द ग़ुलाम का हुक्म इमाम अबू हनीफ़ा रह. के नज़दीक अजनबी मर्द की तरह है, उससे भी पर्दा वाजिब है। तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में इमाम ताऊस, मुजाहिद, अ़ता, सईद बिन मुसैयब और इब्राहीम से यही तफ़सीर मन्क़ूल है) या उन मर्दों पर जो (महज़ खाने पीने के वास्ते) तुफ़ैली (के तौर पर रहते) हों और उनको (हवास दुरुस्त न होने की वजह से औरतों की तरफ़) ज़रा भी तवज्जोह न हो (ताबिईन यानी तुफ़ैली की विशेषता इसलिए है कि उस वक़्त ऐसे ही लोग मौजूद थे जैसा कि दुर्रे मन्सूर में इब्ने अ़ब्बास से नक़ल किया गया है। और इसी हुक्म में है हर मंदबुद्धि, पस हुक्म का मदार अ़क़्ल व हवास से बेगाना होने पर है न कि ताबे और तुफ़ैली होने पर, मगर उस वक़्त वे ताबे ऐसे ही थे इसलिए ताबे "तुफ़ैली" का ज़िक्र कर दिया गया जैसा कि दुर्रे मन्सूर में इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से नक़ल किया गया है कि जो औरतों के मामलात से बेसमझ और ग़ाफ़िल हो। और जो समझ रखता हो तो वह बहरहाल अजनबी मर्द है चाहे बूढ़ा या ख़स्सी या नामर्द ही क्यों न हो, उससे पर्दा वाजिब है) या ऐसे लड़कों पर जो औरतों के पर्दे की बातों से अभी

वाक़िफ़ नहीं हुए (मुराद ये लड़के हैं जो अभी बालिग़ होने के क़रीब न हुए हों, और उन्हें जिन्सी इच्छा की कुछ ख़बर नहीं। पस इन सब के सामने चेहरा, दोनों हाथों की हथेलियाँ और दोनों क़दमों के अलावा ज़ीनत के उक्त मौक़ों और स्थानों का ज़ाहिर करना भी जायज़ है, यानी सर और सीना। और शौहर के सामने किसी जगह का भी छुपाना वाजिब नहीं अगरचे बदन के ख़ास हिस्से को देखना ख़िलाफ़े औला "यानी अच्छा नहीं" है। मिश्कात शरीफ़ में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कभी मेरे ख़ास हिस्से को नहीं देखा और न मैंने कभी आपके ख़ास हिस्से को देखा। और हज़रत इब्ने अब्बास की रिवायत में भी इसकी मनाही है कि सोहबत के वक़्त भी मर्द औरत ख़ास अंगों को देखें) और (पर्दे का यहाँ तक एहतिमाम रखें कि चलने में) अपने पाँव को ज़ोर से न रखें कि उनका छुपा हुआ ज़ेवर मालूम हो जाये (यानी ज़ेवर की आवाज़ ग़ैर-मेहरमों के कान तक पहुँचे) और मुसलमानो! (तुमसे जो इन अहकाम में कोताही हो गई हो तो) तुम सब अल्लाह के सामने तौबा करो ताकि तुम फ़लाह पाओ (वरना नाफ़रमानी कामिल फ़लाह के हासिल होने में रुकावट हो जाती है)।

मआरिफ़ व मसाईल

बुराईयों व बेहयाई को रोकने और आबरू की हिफ़ाज़त का एक अहम अध्याय, औरतों का पर्दा

औरतों के लिये हिजाब और पर्दे के अहकाम की पहली आयतें वो हैं जो सूरः अहज़ाब में उम्मुल-मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के निकाह मुबारक में आने के वक़्त नाज़िल हुई, जिसकी तारीख़ कुछ हज़रात ने सन् 3 हिजरी और कुछ ने सन् 5 हिजरी बतलाई है। तफ़सीर इब्ने कसीर और नीलुल-अवतार में सन् 5 हिजरी में यह निकाह हुआ है और इस पर सब का इत्तिफ़ाक़ है कि पर्दे की पहली आयत उसी मौक़े पर नाज़िल हुई। और सूरः नूर की ये आयतें क़िस्सा-ए-इफ़्क के साथ नाज़िल हुई हैं जो बनी मुस्तलिक़ या मुरैसीअ़ की जंग से वापसी में पेश आया है। यह जंग सन् 6 हिजरी में हुई है। इससे मालूम हुआ कि सूरः नूर की पर्दे व हिजाब की आयतें नाज़िल होने के एतिबार से बाद की हैं, सूरः अहज़ाब की पर्दे के बारे में चार आयतें पहले उतरी हैं, और शरई पर्दे के अहकाम उसी वक़्त से शुरू हुए जबकि सूरः अहज़ाब की आयतें नाज़िल हुई, इसलिये हिजाब और पर्दे की पूरी बहस तो इन्शा-अल्लाह सूरः अहज़ाब में आयेगी यहाँ सिर्फ़ उन आयतों की तफ़सीर लिखी जाती है जो सूरः नूर में आई हैं।

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ. ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ. اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ○

'यग़ुज़्ज़ू' 'ग़ज़्-ज़' से निकला है जिसके मायने कम करने और झुकाने के हैं (राग़िब) निगाह पस्त और नीची रखने से मुराद निगाह को उन चीज़ों से फेर लेना है जिनकी तरफ़ देखना शरअ़न मना व नाजायज़ है। इमाम इब्ने कसीर और इब्ने हिब्बान ने यही तफ़सीर फ़रमाई है। इसमें ग़ैर-मेहरम औरत

की तरफ़ बुरी नीयत से देखना हराम होने और बग़ैर किसी नीयत के देखना मक्रूह होने में दाख़िल है और किसी औरत या मर्द के शरई सतर (छुपाने वाले अंगों) पर नज़र डालना भी इसमें दाख़िल है (ज़रूरत के मौक़े जैसे इलाज व उपचार वग़ैरह इससे अलग हैं) किसी का राज़ मालूम करने के लिये उसके घर में झाँकना और तमाम वो काम जिनमें निगाह के इस्तेमाल करने को शरीअ़त ने मना और वर्जित क़रार दिया है इसमें दाख़िल हैं।

وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ

शर्मगाहों की हिफ़ाज़त से मुराद यह है कि नफ़्स की इच्छा पूरा करने की जितनी नाजायज़ सूरतें हैं उन सबसे अपनी शर्मगाहों को महफ़ूज़ रखें। इसमें ज़िना, लवातत (औरत या मर्द के साथ पीछे के मक़ाम में जिन्सी इच्छा पूरा करना) और दो औरतों का आपस में समलैंगिक संबन्ध बनाना जिससे जिन्सी इच्छा पूरी हो जाये, हाथ से जिन्सी इच्छा पूरी करना ये सब नाजायज़ व हराम चीज़ें दाख़िल हैं। मुराद इस आयत की नाजायज़ व हराम तरीक़े से जिन्सी इच्छा पूरी करना और उसकी तरफ़ लेजाने वाली तमाम चीज़ों से रोकना है जिनमें से शुरू और आख़िर के अ़मल को स्पष्ट रूप से बयान फ़रमा दिया, बाक़ी दरमियान की सब बातें जो इससे संबन्धित हैं वो सब इसमें दाख़िल हो गईं। जिन्सी इच्छा का सबसे पहला सबब और शुरूआ़ती चीज़ निगाह डालना और देखना है और आख़िरी नतीजा ज़िना है, इन दोनों को स्पष्ट रूप से ज़िक्र करके हराम कर दिया गया, इनके दरमियान की हराम चीज़ें जो इस काम की तरफ़ दावत दें जैसे बातें सुनना, हाथ लगाना वग़ैरह यह सब अपने आप इसमें आ गये।

इमाम इब्ने कसीर ने हज़रत उबैदा रह. से नक़ल किया है कि:

كلّ ماعصى الله به فهو كبيرة وقدذكر الطرفين.

यानी जिस चीज़ से भी अल्लाह के हुक्म की नाफ़रमानी होती हो सब कबीरा (बड़े गुनाह) ही हैं लेकिन आयत में उनके दो किनारों शुरू और आख़िर को ज़िक्र कर दिया गया। शुरूआ़त नज़र उठाकर देखना और इन्तिहा ज़िना है। तबरानी ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

النظر سهم من سهام ابليس مسموم من تركها مخافتي ابدلته ايمانا يجد حلاوته في قلبه. (ابن كثير)

"नज़र शैतान के तीरों में से एक ज़हरीला तीर है जो शख़्स बावजूद दिल के तक़ाज़े के अपनी नज़र फेर ले तो मैं उसके बदले उसको ऐसा पुख़्ता ईमान दूँगा जिसकी लज़्ज़त वह अपने दिल में महसूस करेगा।"

और सही मुस्लिम में हज़रत जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह बजली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से रिवायत किया— अगर बिना इरादे के अचानक किसी ग़ैर-मेहरम औरत पर नज़र पड़ जाये तो क्या करना चाहिये? हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हुक्म दिया कि अपनी नज़र उस तरफ़ से फेर लो। (इब्ने कसीर) हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहु वज्हहू की हदीस में जो यह आया है कि पहली नज़र तो माफ़ है दूसरी गुनाह है, इसका मतलब भी

यही है कि पहली नज़र जो बिना इरादे के अचानक पड़ जाये वह ग़ैर-इख़्तियारी होने के सबब माफ़ है वरना इरादे के साथ पहली नज़र भी माफ़ नहीं।

नवयुवकों की तरफ़ इरादे से नज़र करना भी इसी हुक्म में है

इमाम इब्ने कसीर रह. ने लिखा है कि उम्मत के बहुत से बुज़ुर्ग किसी नवयुवक (बिना दाढ़ी वाले) लड़के की तरफ़ देखते रहने से बड़ी सख़्ती के साथ मना फ़रमाते थे और बहुत से उलेमा ने इसको हराम करार दिया है (ग़ालिबन यह उस सूरत में है जबकि बुरी नीयत और नफ़्स की इच्छा के साथ नज़र की जाये। वल्लाहु आलम। मुहम्मद शफ़ी)

ग़ैर-मेहरम की तरफ़ नज़र करना हराम है, इसकी तफ़सील

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ............الاٰية.

इस लम्बी आयत के शुरू के हिस्से में तो वही हुक्म है जो इससे पहली आयत में मर्दों को दिया गया है कि अपनी नज़रें पस्त रखें यानी निगाह फेर लें। मर्दों के हुक्म में औरतें भी दाख़िल थीं मगर उनका ज़िक्र अलग से ताकीद के लिये किया गया है। इससे मालूम हुआ कि औरतों को अपने मेहरमों के सिवा किसी मर्द को देखना हराम है। बहुत से उलेमा का कौल यह है कि ग़ैर-मेहरम मर्द को देखना औरत के लिये हर तरह हराम है चाहे नफ़्स की इच्छा और बुरी नीयत से देखे या बग़ैर किसी नीयत व नफ़्सानी इच्छा के, दोनों सूरतें हराम हैं। और इस पर हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस से दलील ली गयी है जिसमें बयान हुआ है कि एक दिन हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत मैमूना दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ थीं अचानक हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना सहाबी आ गये और यह वाक़िआ पर्दे के अहकाम नाज़िल होने के बाद पेश आया था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हम दोनों को हुक्म दिया कि उनसे पर्दा करो। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! वह तो नाबीना (अंधे) हैं, न हमें देख सकते हैं न हमें पहचानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया तुम तो नाबीना नहीं हो, तुम तो उनको देख रही हो। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी। इमाम तिर्मिज़ी ने इस हदीस को हसन सही क़रार दिया है) और दूसरे कुछ फ़ुक़हा ने कहा कि बग़ैर जिन्सी इच्छा के ग़ैर-मर्द को देखने में औरत के लिये हर्ज नहीं। उनकी दलील सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उस हदीस से है जिसमें बयान हुआ है कि मस्जिदे नबवी के इहाते में कुछ हब्शी नौजवान ईद के दिन अपना सिपाहियाना खेल दिखा रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उसको देखने लगे और सिद्दीक़ा आयशा ने आपकी आड़ में खड़े होकर उनका खेल देखा और उस वक़्त तक देखती रहीं जब तक कि ख़ुद ही उससे उक्ता न गयीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उससे नहीं रोका। और इस पर सब का इत्तिफ़ाक़ है कि नफ़्सानी इच्छा की नज़र तो हराम है और बिना नफ़्सानी इच्छा के देखना भी अच्छा नहीं है।

और एक औरत का दूसरी औरत के सतर के स्थानों को देखना बग़ैर ख़ास ज़रूरतों के यह भी इसी आयत के अलफ़ाज़ से हराम है, क्योंकि जैसा कि ऊपर बयान हो चुका है कि सतर की जगहें

यानी मर्दों का नाफ़ से घुटनों तक और औरतों का पूरा बदन सिवाय चेहरे और हथेलियों के, ये सतर और छुपाने की जगहें हैं, इनका छुपाना सब से फ़र्ज़ है (1) न कोई मर्द दूसरे मर्द का सतर देख सकता है न कोई औरत दूसरी औरत का सतर देख सकती है, और मर्द किसी औरत का या औरत किसी मर्द का सतर देखे यह कहीं ज़्यादा हराम है और ऊपर ज़िक्र हुई आयत के निगाह पस्त करने के हुक्म के ख़िलाफ़ है, क्योंकि आयत का मतलब जो ऊपर बयान हो चुका है उसमें हर ऐसी चीज़ से नज़र पस्त रखना और हटा लेना मुराद है जिसकी तरफ़ देखने को शरीअ़त में वर्जित और मना किया गया है, इसमें औरत के लिये औरत का सतर देखना भी दाख़िल है।

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ... الاية.

ज़ीनत लुग़वी मायने के एतिबार से उस चीज़ को कहा जाता है जिससे इनसान अपने आपको संवारे और अच्छा दिखने वाला बनाये। वो उम्दा कपड़े भी हो सकते हैं, ज़ेवर भी। ये चीज़ें जबकि किसी औरत के बदन पर न हों अलग हों तो सब की सर्वसम्मति से उनका देखना मर्दों के लिये हलाल है, जैसे बाज़ार में बिकने वाले ज़नाने कपड़े और ज़ेवर कि उनके देखने में कोई हर्ज नहीं। इसलिये मुफ़स्सिरीन की अक्सरियत ने इस आयत में ज़ीनत से मुराद ज़ीनत की जगह यानी वो बदनी अंग जिनमें ज़ीनत की चीज़ें ज़ेवर वग़ैरह पहनी जाती हैं वो मुराद लिये हैं, और आयत के मायने ये हैं कि औरतों पर वाजिब है कि वे अपनी ज़ीनत यानी ज़ीनत के मौक़ों और जगहों को ज़ाहिर न करें। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में यही बयान किया है) इस आयत में जो औरत के ज़ीनत व सिंगार के मौक़ों और जगहों को हराम क़रार दिया है आगे इस हुक्म से दो को अलग रखा है- एक मन्ज़ूर के एतिबार से है यानी जिसकी तरफ़ देखा जाये, दूसरा नाज़िर यानी देखने वालों के एतिबार से।

पर्दे के अहकाम से जिन्हें अलग रखा गया है

छूट और अलग रखने का पहला मौक़ा 'मा ज़-ह-र मिन्हा' का है, यानी औरत के लिये अपनी ज़ीनत (बनाव-सिंगार) की किसी चीज़ को मर्दों के सामने ज़ाहिर करना जायज़ नहीं सिवाय उन चीज़ों के जो ख़ुद-ब-ख़ुद ज़ाहिर हो ही जाती हैं, यानी कामकाज और चलने-फिरने के वक़्त जो चीज़ें आ़दतन खुल ही जाती हैं और आ़दतन उनका छुपाना मुश्किल है वे इस हुक्म से बाहर हैं, उनके इज़हार में कोई गुनाह नहीं। (इब्ने कसीर) इससे क्या मुराद है इसमें हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद और अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास की तफ़सीरें अलग-अलग हैं। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद ने फ़रमाया 'मा ज़-ह-र मिन्हा' में जिस चीज़ को अलग और हुक्म से बाहर रखा गया है वह ऊपर के कपड़े हैं जैसे बुर्क़ा या लम्बी चादर जो बुर्क़े के क़ायम-मक़ाम होती है। ये कपड़े ज़ीनत के कपड़ों को छुपाने के लिये इस्तेमाल किये जाते हैं। तो आयत की मुराद यह हो गयी कि ज़ीनत की किसी चीज़ को ज़ाहिर करना जायज़ नहीं सिवाय उन ऊपर के कपड़ों के जिनका छुपाना ज़रूरत से बाहर निकलने के वक़्त मुम्किन नहीं जैसे बुर्क़ा वग़ैरह।

और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि इससे मुराद चेहरा और हथेलियाँ हैं

(1) यानी तमाम ना-मेहरमों से। मेहरम का हुक्म आगे आ रहा है। (मुहम्मद तक़ी उस्मानी सन् 1419 हिजरी)

क्योंकि जब औरत किसी ज़रूरत से बाहर निकलने पर मजबूर हो तो चलने-फिरने, उठने-बैठने और लेन-देन के वक़्त चेहरे और हथेलियों को छुपाना मुश्किल है। इसलिये हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद की तफ़सीर के मुताबिक़ तो ग़ैर-मेहरम मर्दों के सामने औरत को चेहरा और हाथ खोलना भी जायज़ नहीं, सिर्फ़ ऊपर के कपड़े बुर्क़े वग़ैरह का इज़्हार ज़रूरत की वजह से अलग है। और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की तफ़सीर के मुताबिक़ चेहरा और हाथों की हथेलियाँ भी ग़ैर-मेहरमों के सामने खोलना जायज़ है। इसलिये उम्मत के फ़ुक़हा (क़ुरआन व हदीस के माहिर उलेमा) में भी इस मसले में मतभेद है कि चेहरा और हथेलियाँ पर्दे के हुक्म से अलग और उनका ग़ैर-मेहरमों के सामने खोलना जायज़ है या नहीं? मगर इस पर सब का इत्तिफ़ाक़ है कि अगर चेहरे और हथेलियों पर नज़र डालने से फ़ितने का अन्देशा हो तो उनका देखना भी जायज़ नहीं, और औरत को उनका खोलना भी जायज़ नहीं। इसी तरह इस पर भी सब का इत्तिफ़ाक़ है कि **सतर-ए-औरत** जो नमाज़ में सब के नज़दीक और नमाज़ से बाहर ज़्यादा सही क़ौल के मुताबिक़ फ़र्ज़ है, उससे चेहरा और हथेलियाँ अलग और बाहर हैं, अगर उनको खोलकर नमाज़ पढ़ी तो नमाज़ सब के नज़दीक सही व दुरुस्त हो जायेगी।

क़ाज़ी बैज़ावी और अ़ल्लामा ख़ाज़िन ने इस आयत की तफ़सीर में फ़रमाया कि आयत से यह तक़ाज़ा मालूम होता है कि औरत के लिये असल हुक्म यह है कि वह अपनी ज़ीनत की किसी चीज़ को भी ज़ाहिर न होने दे सिवाय उसके जो चलने-फिरने, उठने-बैठने और कामकाज करने में आ़दतन खुल ही जाती हैं, इनमें बुर्क़ा और चादर भी दाख़िल हैं और चेहरा और हथेलियाँ भी, कि जब औरत किसी मजबूरी और ज़रूरत से बाहर निकलती है तो बुर्क़ा चादर वग़ैरह का ज़ाहिर होना तो तय ही है लेन-देन की ज़रूरत में कई बार चेहरा और हाथ की हथेलियाँ भी खुल जाती हैं तो वह भी माफ़ हैं गुनाह नहीं। लेकिन इस आयत से यह कहीं साबित नहीं कि मर्दों को चेहरा और हथेलियाँ देखना भी बिना ज़रूरत जायज़ है, बल्कि मर्दों का तो वही हुक्म है कि निगाह पस्त रखें, अगर औरत कहीं चेहरा और हाथ खोलने पर मजबूर हो जाये तो मर्दों को लाज़िम है कि बिना शरई मजबूरी और बिना ज़रूरत के उसकी तरफ़ न देखें। इस वज़ाहत में दोनों रिवायतें और तफ़सीरें जमा हो जाती हैं।

इमाम मालिक रह. का मशहूर मज़हब भी यही है कि ग़ैर-मेहरम औरत के चेहरे और हथेलियों पर नज़र करना भी बग़ैर जायज़ ज़रूरत के जायज़ नहीं। और ज़वाजिर में इब्ने हजर मक्की शाफ़ई ने इमाम शाफ़ई रह. का भी यही मज़हब नक़ल किया है कि अगरचे औरत का चेहरा और हथेलियाँ सतरे औरत (छुपाने के ज़रूरी हिस्से) के फ़र्ज़ में दाख़िल नहीं उनको खोलकर भी नमाज़ हो जाती है मगर ग़ैर-मेहरम मर्दों को उनका बिना शरई ज़रूरत के देखना जायज़ नहीं। और यह ऊपर मालूम हो चुका है कि जिन फ़ुक़हा (उलेमा-ए-दीन) ने चेहरे और हथेलियों को देखना जायज़ क़रार दिया है वे भी इस पर एक राय हैं कि अगर फ़ितने का अन्देशा हो तो चेहरा वग़ैरह देखना भी नाजायज़ है। और यह ज़ाहिर है कि हुस्न और ज़ीनत का असल केन्द्र इनसान का चेहरा है और ज़माना फ़ितना व फ़साद और इच्छा परस्ती के ग़लबे और ग़फ़लत का है, इसलिये सिवाय ख़ास ज़रूरतों के मसलन इलाज व उपचार या कोई सख़्त ख़तरा वग़ैरह हो, औरत को ग़ैर-मेहरमों के सामने जान-बूझकर चेहरा खोलना भी वर्जित और मना है और मर्दों को उसकी तरफ़ जान-बूझकर और इरादा करके नज़र करना भी

बग़ैर शरई ज़रूरत के जायज़ नहीं।

मज़कूरा आयत में ज़ाहिरी ज़ीनत (बनाव-सिंगार के मौक़ों) के पर्दे के हुक्म से अलग रखने के बाद इरशाद है:

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ

यानी आँचल मार लिया करें अपने दुपट्टों का अपने सीनों पर।

ख़ुमुर ख़िमार की जमा (बहुवचन) है, यह उस कपड़े को कहते हैं जो औरत सर पर इस्तेमाल करे और उससे गला और सीना भी छुप जाये। जुयूब जेब की जमा है जिसके मायने हैं गिरेबान। चूँकि पुराने ज़माने से गिरेबान सीने ही पर होने का मामूल है इसलिये जुयूब के छुपाने से मुराद सीने का छुपाना है। आयत के शुरू में ज़ीनत व सिंगार के इज़हार की मनाही थी इस जुमले में ज़ीनत को छुपाने की ताकीद और उसकी एक सूरत का बयान है जिसकी असल वजह जाहिलीयत की एक रस्म को मिटाना है। जाहिलीयत के ज़माने में औरतें दुपट्टा सर पर डालकर उसके दोनों किनारे पुश्त पर छोड़ देती थीं जिससे गिरेबान और गला और सीने और कान खुले रहते थे इसलिये मुसलमान औरतों को हुक्म दिया गया कि वे ऐसा न करें बल्कि दुपट्टे के दोनों पल्ले एक दूसरे पर उलट लें ताकि ये सब हिस्से छुप जायें। (इब्ने अबी हातिम, अबू जुबैर रह. की रिवायत से। रूहुल-मआनी)

आगे पर्दे के हुक्म से बाहर रखी गयी दूसरी सूरत है यानी उन मर्दों का बयान जिनसे शरअन पर्दा नहीं, जिसके दो सबब हैं- अव्वल तो जिन मर्दों को पर्दे के हुक्म से बाहर रखा गया है उनसे किसी फ़ितने का ख़तरा नहीं, वे मेहरम हैं, जिनकी तबीयत को हक़ तआ़ला ने पैदाईशी तौर पर ऐसा बनाया है कि ये उन औरतों की आबरू के मुहाफ़िज़ होते हैं, उनसे ख़ुद किसी फ़ितने का गुमान व शुब्हा और डर नहीं। दूसरे हर वक़्त एक जगह रहने-सहने की ज़रूरत भी सहूलत पैदा करने का तक़ाज़ा करती है। यह भी याद रखना ज़रूरी है कि शौहर के सिवा दूसरे मेहरमों को जो पर्दे के हुक्म से अलग रखा गया है वे हिजाब व पर्दे के अहकाम से अलग रखे गये हैं, औरत का जो सतर (छुपाने के हिस्से और मक़ाम हैं उन) से अलग नहीं रखे गये, औरत का जो बदन सतर में दाख़िल है जिसका खोलना नमाज़ में जायज़ नहीं उसका देखना मेहरमों के लिये भी जायज़ नहीं। (1)

इस आयत में आठ क़िस्म के मेहरम मर्दों को और चार दूसरी क़िस्मों को पर्दे के हुक्म से अलग रखा गया है और सूरः अहज़ाब की आयत जो नाज़िल होने में इससे पहले है उसमें सिर्फ़ सात क़िस्मों का ज़िक्र है, पाँच का इज़ाफ़ा सूरः नूर की आयत में किया गया है जो इसके बाद नाज़िल हुई है।

(1) यहाँ मसले में थोड़ी सी तफ़सील है जो बयान होने से रह गयी है। वह तफ़सील यह है कि औरत के सतर का वह हिस्सा जो नाफ़ और घुटनों के बीच है तथा पेट और कमर मेहरम के लिये भी देखना जायज़ नहीं। अलबत्ता इसके अ़लावा बदन के दूसरे हिस्से मसलन सर, कलाईयाँ, पिण्डली वग़ैरह मेहरम के सामने खोली जा सकती है। लेकिन ज़माना चूँकि फ़ितने और बिगाड़ का है इसलिये बिना ज़रूरत खोलने की आदत डालना मुनासिब नहीं। शायद इसी वजह से तफ़सीर के लेखक हज़रत मुफ़्ती साहिब रह. ने नमाज़ के सतर ही को मेहरम का सतर क़रार दिया है। वल्लाहु आलम। (मुहम्मद तक़ी उस्मानी सन् 1419 हिजरी)

तंबीह

याद रहे कि इस जगह लफ़्ज़ मेहरम आम मायने में इस्तेमाल हुआ है जो शौहर को भी शामिल है। फ़ुक़हा की परिभाषा में मेहरम की जो ख़ास तफ़सीर है कि जिससे कभी निकाह जायज़ न हो वह यहाँ मुराद नहीं। जिन बारह लोगों को पर्दे के हुक्म से अलग रखा गया है उनकी तफ़सील इस तरह है जो सूरः नूर की उक्त आयत में है। सबसे पहले शौहर है जिससे बीवी के किसी अंग और बदनी हिस्से का पर्दा नहीं अगरचे ख़ास अंगों को बिना ज़रूरत देखना अच्छा नहीं है। हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फ़रमाया "मा रआ मिन्नी व ला रऐतु मिन्हु" यानी न आपने मेरे ख़ास अंग को देखा न मैंने आपके।

दूसरे अपने बाप हैं, जिसमें दादा, परदादा सब दाख़िल हैं। तीसरे शौहर का बाप है, इसमें भी दादा, परदादा दाख़िल हैं। चौथे अपने लड़के जो अपनी औलाद में हैं। पाँचवें शौहर के लड़के जो किसी दूसरी बीवी से हों। छठे अपने भाई, इसमें सगे भाई भी दाख़िल हैं और बाप-शरीक यानी अ़ल्लाती और माँ-शरीक यानी अख़्याफ़ी भी। लेकिन मामूँ, ख़ाला या चचा, ताया और फूफी के लड़के जिनको आम उर्फ़ में भाई कहा जाता है वे इसमें दाख़िल नहीं वे ग़ैर-मेहरम हैं। सातवें भाईयों के लड़के यहाँ भी सिर्फ़ सगे या बाप-शरीक या माँ-शरीक भाई के लड़के मुराद हैं दूसरे उर्फ़ी भाईयों के लड़के शामिल नहीं। आठवें बहनों के लड़के, इसमें भी बहनों से सगे और बाप-शरीक व माँ-शरीक बहनें मुराद हैं। मामूँ ज़ाद चचा ज़ाद बहनें दाख़िल नहीं। ये आठ क़िस्में तो मेहरमों की हैं।

नवीं क़िस्म 'औ निसा-इहिन्-न' यानी अपनी औरतें जिससे मुराद मुसलमान औरतें हैं कि उनके सामने भी वे तमाम बदनी अंग खोलना जायज़ है जो अपने बाप-बेटों के सामने खोले जा सकते हैं और यह ऊपर लिखा जा चुका है कि यह हिजाब व पर्दे से अलग करना है, सतर के अहकाम से नहीं। इसलिये जो बदनी अंग एक औरत अपने मेहरम मर्दों के सामने नहीं खोल सकती उनका खोलना किसी मुसलमान औरत के सामने भी जायज़ नहीं। इलाज-मुआ़लजे वग़ैरह की ज़रूरतें इससे अलग हैं।

'निसाइहिन्-न'। मुसलमान औरतों की कैद (शर्त) से यह मालूम हुआ कि काफ़िर मुश्रिक औरतों से भी पर्दा वाजिब है, वे ग़ैर-मेहरम मर्दों के हुक्म में हैं। अ़ल्लामा इब्ने कसीर ने हज़रत मुजाहिद रह. से इस आयत की तफ़सीर में नक़ल किया है कि इससे मालूम हुआ कि मुसलमान औरत के लिये जायज़ नहीं कि किसी काफ़िर औरत के सामने अपने बदन के हिस्से खोले, लेकिन सही हदीसों में ऐसी रिवायतें मौजूद हैं जिनमें काफ़िर औरतों का नबी करीम की पाक बीवियों के पास जाना साबित है, इसलिये इस मसले में मुज्तहिद इमामों का मतभेद है। कुछ ने काफ़िर औरतों को ग़ैर-मेहरम मर्दों की तरह क़रार दिया है कुछ ने इस मामले में मुसलमान और काफ़िर दोनों क़िस्म की औरतों का एक ही हुक्म रखा है कि उनसे पर्दा नहीं। इमाम राज़ी रह. ने फ़रमाया कि असल बात यह है कि लफ़्ज़ 'निसाइहिन्-न' में तो सभी औरतें मुस्लिम और काफ़िर दाख़िल हैं और पहले बुज़ुर्गों से जो काफ़िर औरतों से पर्दा करने की रिवायतें नक़ल की गयी हैं वो मुस्तहब यानी अच्छा और बेहतर

होने पर आधारित हैं। तफ़सीर रूहुल-मआनी में मुफ़्ती-ए-बग़दाद अ़ल्लामा आलूसी रह. ने इसी क़ौल को इख़्तियार फ़रमाकर कहा है:

هذا القول اوفق بالنّاس اليوم فانّه لايكاد يمكن احتجاب المسلمات عن الذميات. (روح المعانى)

"यही क़ौल आजकल लोगों के हाल के मुनासिब है क्योंकि इस ज़माने में मुसलमान औ़रतों का काफ़िर औ़रतों से पर्दा तक़रीबन नामुम्किन हो गया है।"

दसवीं क़िस्म 'औ मा म-लकत् ऐमानुहुन्-न' है। यानी वे जो उन औ़रतों के ममलूक (ग़ुलाम) हों। इन अलफ़ाज़ के आ़म होने में तो ग़ुलाम और बाँदियाँ दोनों दाख़िल हैं, लकिन फ़िक़ा के अक्सर इमामों के नज़दीक इससे मुराद सिर्फ़ बाँदियाँ हैं, ग़ुलाम मर्द इसमें दाख़िल नहीं। उनसे आ़म मेहरमों की तरह पर्दा वाजिब है। हज़रत सईद बिन मुसैयब रह. ने अपने आख़िरी क़ौल में फ़रमायाः

لا يغرّنّكم اٰية النّور فانّه فى الاناث دون الذكور.

यानी तुम लोग कहीं सूरः नूर की इस आयत से मुग़ालते (धोखे) में न पड़ जाओ कि 'औ मा म-लकत् ऐमानुहुन्-न' के अलफ़ाज़ आ़म हैं, मर्द ग़ुलामों को भी शामिल हैं, लेकिन हक़ीक़त में ऐसा नहीं, यह आयत सिर्फ़ औ़रतों यानी कनीज़ों (बाँदियों) के हक़ में है, मर्द ग़ुलाम इसमें दाख़िल नहीं। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु हज़रत हसन बसरी और अ़ल्लामा इब्ने सीरीन रह. ने फ़रमाया कि ग़ुलाम मर्द के लिये अपनी आक़ा औ़रत के बाल देखना जायज़ नहीं। (रूहुल-मआ़नी) बाक़ी रहा यह सवाल कि जब लफ़्ज़ 'औ मा म-लकत् ऐमानुहुन्-न' से सिर्फ़ औ़रतें बाँदियाँ ही मुराद हैं तो वे इससे पहले लफ़्ज़ 'निसाइहिन्-न' में दाख़िल हैं कि उनको अलग से बयान करने की ज़रूरत क्या थी? इसका जवाब अ़ल्लामा जस्सास रह. ने यह दिया है कि लफ़्ज़ 'निसाइहिन्-न' अपने ज़ाहिर के एतिबार से सिर्फ़ मुसलमान औ़रतों के लिये है, और ममलूका बाँदियों में अगर काफ़िर भी हों तो उनको अलग करने के लिये यह लफ़्ज़ अलग लाया गया है।

ग्यारहवीं क़िस्म-

اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ.

है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास ने फ़रमाया कि इससे मुराद वे बेशऊर और बदहवास क़िस्म के लोग हैं जिनको औ़रतों की तरफ़ कोई रुचि व दिलचस्पी न हो। (इब्ने कसीर)

और यही मज़मून इमाम इब्ने जरीर ने अबू अ़ब्दुल्लाह, इब्ने ज़ुबैर और इब्ने अ़तीया रह. वग़ैरह से नक़ल किया है, इसलिये इससे मुराद वे मर्द हैं जो औ़रतों की तरफ़ न कोई दिलचस्पी व जिन्सी इच्छा रखते हों, न उनके हुस्न की सिफ़तों और हालात से कोई दिलचस्पी रखते हों कि दूसरे लोगों से बयान कर दें। बख़िलाफ़े मुख़न्नस (नामर्द और हिजड़े) क़िस्म के लोगों के जो औ़रतों की विशेष सिफ़तों से ताल्लुक़ रखते हों उनसे भी पर्दा वाजिब है जैसा कि सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की हदीस में है कि एक मुख़न्नस नबी करीम की पाक बीवियों के पास आया करता था और वे उसको औ़रतों के मामलात से बेताल्लुक़ रुझान न रखने वाला समझकर उसके सामने आ जाती थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जब उसको देखा और उसकी बातें सुनीं तो घरों में दाख़िल होने से

उसको रोक दिया। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

इसी लिये अ़ल्लामा इब्ने हजर मक्की रह. ने शरह मिन्हाज में फ़रमाया है कि मर्द अगरचे इन्नीन (नामर्द) या मजबूब (ख़ास अंग कटा हुआ) या बहुत बूढ़ा हो वह इस 'ग़ैरि उलिल् इर्बति' के लफ़्ज़ में दाख़िल नहीं, इन सबसे पर्दा वाजिब है। इसमें 'ग़ैरि उलिल् इर्बति' के लफ़्ज़ के साथ जो 'अत्ताबिई-न' का लफ़्ज़ बयान हुआ है इससे मुराद यह है कि ऐसे ग़ाफ़िल व बदहवास लोग जो तुफ़ैली बनकर खाने पीने के लिये घरों में चले जायें वे इस हुक्म से अलग हैं। इसका ज़िक्र सिर्फ़ इसलिये किया गया कि उस वक़्त ऐसे बेसमझ क़िस्म के कुछ मर्द ऐसे ही थे जो तुफ़ैली बनकर खाने पीने के लिये घरों में जाते थे, असल मदार हुक्म का उनके ग़ाफ़िल व बेसमझ और बदहवास होने पर है, ताबे और तुफ़ैली होने पर नहीं। वल्लाहु आलम

बारहवीं क़िस्म 'अवित्तिफ़्लिल्लज़ी-न' है। इससे मुराद वे नाबालिग़ बच्चे हैं जो अभी बालिग़ होने के क़रीब भी नहीं पहुँचे और औ़रतों के विशेष हालात व सिफ़ात और गतिविधियों से बिल्कुल बेख़बर हों। और जो लड़का इन बातों में दिलचस्पी लेता हो वह मुराहिक़ (बालिग़ होने के क़रीब) है, उससे पर्दा वाजिब है। (इब्ने कसीर) इमाम जस्सास रह. ने फ़रमाया कि यहाँ 'तिफ़्ल' से मुराद वे बच्चे हैं जो विशेष मामलात के लिहाज़ से औ़रतों और मर्दों में कोई फ़र्क़ न करते हों। (मुजाहिद की रिवायत से) पर्दे के अहकाम से जिन सूरतों और व्यक्तियों को अलग रखा गया उनका बयान ख़त्म हुआ।

وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ

यानी औ़रतों पर लाज़िम है कि अपने पाँव इतनी ज़ोर से न रखें जिससे ज़ेवर की आवाज़ निकले और उनकी छुपी ज़ीनत मर्दों पर ज़ाहिर हो।

ज़ेवर की आवाज़ ग़ैर-मेहरमों को सुनाना जायज़ नहीं

आयत के शुरू में औ़रतों को अपनी ज़ीनत ग़ैर-मर्दों पर ज़ाहिर करने से मना फ़रमाया था, आख़िर में इसकी और ज़्यादा ताकीद है कि ज़ीनत की जगहों सर और सीने वग़ैरह का छुपाना तो वाजिब था ही, अपनी छुपी ज़ीनत का इज़्हार चाहे किसी ज़रिये से हो वह भी जायज़ नहीं। ज़ेवर के अन्दर ख़ुद कोई चीज़ ऐसी डाली जाये जिससे वह बजने लगे या एक ज़ेवर दूसरे ज़ेवर से टकराकर बजे, या पाँव ज़मीन पर इस तरह मारे जिससे ज़ेवर की आवाज़ निकले और ग़ैर-मेहरम मर्द सुनें ये सब चीज़ें इस आयत की रू से नाजायज़ हैं। और इसी वजह से बहुत से फ़ुक़हा (दीन के उलेमा) ने फ़रमाया कि जब ज़ेवर की आवाज़ ग़ैर-मेहरमों को सुनाना इस आयत से नाजायज़ साबित हुआ तो ख़ुद औ़रत की आवाज़ का सुनाना उससे भी ज़्यादा सख़्त और कहीं ज़्यादा नाजायज़ होगा। इसलिये औ़रत की आवाज़ को भी इन हज़रात ने सतर (छुपाने की चीज़) में दाख़िल क़रार दिया है और इसी बिना पर किताब नवाज़िल में फ़रमाया कि औ़रतों को जहाँ तक मुम्किन हो क़ुरआन की तालीम भी औ़रतों ही से लेनी चाहिये, मर्दों से तालीम लेना मजबूरी के दर्जे में जायज़ है।

सही बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है कि नमाज़ में अगर कोई सामने से गुज़रने लगे तो मर्द को चाहिये कि बुलन्द आवाज़ से सुब्हानल्लाह कहकर गुज़रने वाले को ख़बरदार कर दे, मगर औ़रत

आवाज़ न निकाले बल्कि अपनी एक हथेली की पुश्त पर दूसरा हाथ मारकर उसको सचेत करे।

औरत की आवाज़ का मसला

क्या औरत की आवाज़ अपने आप में सतर (छुपाने वाली चीज़ों) में दाख़िल है और ग़ैर-मेहरम को आवाज़ सुनाना जायज़ है। इस मामले में इमामों का मतभेद है। इमाम शाफ़ई रह. की किताबों में औरत की आवाज़ को सतर में दाख़िल नहीं किया गया। हनफ़ी हज़रात के नज़दीक भी विभिन्न अक़वाल हैं। इब्ने हुमाम रह. ने नवाज़िल की रिवायत की बिना पर सतर में दाख़िल क़रार दिया है। इसी लिये हनफ़ी हज़रात के नज़दीक औरत की अज़ान मक्रूह है, लेकिन हदीस से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पाक बीवियाँ पर्दे का हुक्म नाज़िल होने के बाद भी पर्दे के पीछे से ग़ैर-मेहरमों से बात करती थीं। कुल मिलाकर ज़्यादा सही बात यह मालूम होती है कि जिस मौक़े और जिस जगह में औरत की आवाज़ से फ़ितना पैदा होने का ख़तरा हो वहाँ मना है, जहाँ यह न हो जायज़ है। (तफ़सीरे जस्सास) और एहतियात इसी में है कि बिना ज़रूरत औरतें पर्दे के पीछे से भी ग़ैर-मेहरमों से गुफ़्तगू न करें। वल्लाहु आलम

ख़ुशबू लगाकर बाहर निकलना

इसी हुक्म में यह भी दाख़िल है कि औरत जब ज़रूरत की वजह से घर से बाहर निकले तो ख़ुशबू लगाकर न निकले, क्योंकि वह भी उसकी छुपी ज़ीनत है, ग़ैर-मेहरम तक यह ख़ुशबू पहुँचे तो नाजायज़ है। तिर्मिज़ी में हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है जिसमें ख़ुशबू लगाकर बाहर जाने वाली औरत को बुरा कहा गया है।

सजा हुआ बुर्क़ा पहनकर निकलना भी नाजायज़ है

इमाम जस्सास रह. ने फ़रमाया कि जब ज़ेवर की आवाज़ तक को क़ुरआन ने ज़ीनत के इज़हार में दाख़िल क़रार देकर मना और वर्जित क़रार दिया है तो सजे हुए रंगों का काम किया हुआ बुर्क़ा पहनकर निकलना कहीं ज़्यादा ममनू होगा, और इसी से यह भी मालूम हुआ कि औरत का चेहरा अगरचे सतर में दाख़िल नहीं मगर वह ज़ीनत का सबसे बड़ा केन्द्र है इसलिये इसका भी ग़ैर-मेहरमों से छुपाना वाजिब है, हाँ अगर कोई ज़रूरत और मजबूरी हो तो और बात है। (तफ़सीरे जस्सास)

وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ.

यानी तौबा करो अल्लाह से तुम सब के सब ऐ मोमिन बन्दो। इस आयत में पहले मर्दों को नज़रें पस्त रखने का हुक्म फिर औरतों को ऐसा ही हुक्म फिर औरतों को ग़ैर-मेहरमों से पर्दा करने का हुक्म अलग-अलग देने के बाद इस जुमले में सब मर्द व औरत को शामिल करके हिदायत की गयी है कि जिन्सी व नफ़्सानी इच्छा का मामला गहरा और बारीक है, दूसरे को उस पर इत्तिला होना मुश्किल है, मगर अल्लाह तआ़ला पर हर-हर छुपी और खुली चीज़ बराबर ज़ाहिर है इसलिये अगर किसी से ज़िक्र हुए अहकाम में किसी वक़्त कोई कोताही हो गयी हो तो उस पर लाज़िम है कि उससे तौबा करे गुज़रे हुए पर शर्मिन्दगी के साथ अल्लाह से मग़फ़िरत माँगे और आगे उसके पास न जाने का पक्का

और मज़बूत इरादा करे।

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ۚ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ
وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ

व अन्किहुल्-अयामा मिन्कुम् वस्सालिही-न मिन् अिबादिकुम् व इमा-इकुम्, इंय्यकूनू फु-क़रा-अ युग़्निहिमुल्लाहु मिन् फ़ज़्लिही, वल्लाहु वासिअुन् अ़लीम (32) वल्-यस्तअ्फ़िफ़िल्लज़ी-न ला यजिदू-न हत्ता युग़्नि-यहुमुल्लाहु मिन् फ़ज़्लिही,

और निकाह कर दो राण्डों का अपने अन्दर और जो नेक हों तुम्हारे ग़ुलाम और बाँदियाँ, अगर वे होंगे मुफ़्लिस अल्लाह उनको ग़नी कर देगा अपने फ़ज़्ल से, और अल्लाह वुस्अ़त वाला है सब कुछ जानता है। (32) और अपने आपको थामते रहें जिनको नहीं मिलता निकाह का सामान जब तक कि गुंजाईश वाला कर दे उनको अल्लाह अपने फ़ज़्ल से।

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(आज़ाद में से) जो बिना निकाह के हों (चाहे मर्द हों या औरतें, और बेनिकाह होना भी आम है चाहे अभी तक निकाह हुआ ही न हो या होने के बाद बीवी की मौत या तलाक़ के सबब बेनिकाह रह गये) तुम उनका निकाह कर दिया करो और (इसी तरह) तुम्हारे ग़ुलाम और बाँदियों में जो इस (निकाह) के लायक़ हों (यानी निकाह के हुक़ूक़ अदा कर सकते हों) उनका भी (निकाह कर दिया करो, सिर्फ़ अपनी मस्लेहत से उनकी निकाह की इच्छा की मस्लेहत को ख़त्म न किया करो। और आज़ाद लोगों में के निकाह का पैग़ाम देने वाले की तंगदस्ती व ग़ुर्बत पर नज़र करके इनकार न कर दिया करो जबकि उसमें रोज़ी कमाने की सलाहियत मौजूद हो, क्योंकि) अगर वे लोग मुफ़्लिस होंगे तो ख़ुदा तआ़ला (अगर चाहेगा) उनको अपने फ़ज़्ल से ग़नी "मालदार व ख़ुशहाल" कर देगा। (ख़ुलासा यह है कि न तो मालदार न होने की वजह से निकाह से इनकार करो और न यह ख़्याल करो कि निकाह हो गया तो ख़र्च बढ़ जायेगा, जो मौजूदा हालत में ग़नी व मालदार है वह भी निकाह करने से मोहताज व मुफ़्लिस हो जायेगा, क्योंकि रिज़्क़ का मदार असल में अल्लाह तआ़ला की मर्ज़ी पर है, वह किसी मालदार को बग़ैर निकाह के भी फ़क़ीर व मोहताज कर सकता है, और किसी ग़रीब निकाह वाले को निकाह के बावजूद तंगदस्ती व ग़ुर्बत से निकाल सकता है) और अल्लाह तआ़ला वुस्अ़त वाला है (जिसको चाहे मालदार कर दे, और सब का हाल) ख़ूब जानने वाला है (जिसको मालदार करना उसकी हिक्मत व मस्लेहत का तक़ाज़ा होगा उसको मालदार कर दिया जायेगा और जिसके मोहताज व फ़क़ीर रहने ही में उसकी मस्लेहत व बेहतरी है उसको फ़क़ीर रखा जायेगा)।

और (अगर किसी को अपनी ग़ुर्बत व तंगदस्ती की वजह से निकाह का सामान मयस्सर न हो तो) ऐसे लोगों को कि जिनको निकाह की ताक़त व क़ुदरत नहीं उनको चाहिए कि (अपने नफ़्स को) क़ाबू में करें यहाँ तक कि अल्लाह तआला (अगर चाहे) उनको अपने फ़ज़्ल से ग़नी कर दे (उस वक़्त निकाह कर लें)।

मआरिफ़ व मसाईल

निकाह के कुछ अहकाम

पहले बयान हो चुका है कि सूरः नूर में ज़्यादातर वो अहकाम हैं जिनका ताल्लुक़ आबरू व पाकदामनी की हिफ़ाज़त और बुराई व बेहयाई की रोकथाम से है। इस सिलसिले में ज़िना और उससे संबन्धित चीज़ों की सख़्त सज़ाओं का ज़िक्र किया गया, फिर इजाज़त लेने का, फिर औरतों के पर्दे का। इस्लामी शरीअत चूँकि एक मोतदिल (यानी सख़्ती व नर्मी में दरमियानी दर्जे की) शरीअत है इसके अहकाम सब ही एतिदाल (दरमियानी राह) पर और इनसान के फ़ितरी जज़्बात व इच्छाओं की रियायत के साथ हद से निकलने की मनाही और रोकथाम के उसूल पर दायर हैं, इसलिये जब एक तरफ़ इनसान को नाजायज़ जिन्सी इच्छा पूरी करने से सख़्ती के साथ रोका गया तो ज़रूरी था कि फ़ितरी जज़्बात व इच्छाओं की रियायत से उसका कोई जायज़ और सही तरीक़ा भी बतलाया जाये। इसके अ़लावा इनसानी नस्ल को बाक़ी रखने का अ़क़्ली और शरई तक़ाज़ा भी यही है कि कुछ हदों के अन्दर रहकर मर्द व औरत के मिलाप की कोई सूरत तजवीज़ की जाये। इसी का नाम क़ुरआन व सुन्नत की परिभाषा में निकाह है। उक्त आयत में इसके मुताल्लिक़ आज़ाद औरतों के सरपरस्तों और बाँदियों व ग़ुलामों के आक़ाओं को हुक्म दिया है कि वे उनका निकाह कर दिया करें, फ़रमायाः

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ............ الْاٰية.

'अयामा' 'ऐम' की जमा (बहुवचन) है जो हर उस मर्द व औरत के लिये इस्तेमाल किया जाता है जिसका निकाह मौजूद न हो। चाहे शुरू ही से निकाह न किया हो या मियाँ-बीवी में से किसी एक की मौत से या तलाक़ से निकाह ख़त्म हो चुका हो। ऐसे मर्दों व औरतों के निकाह के लिये उनके सरपरस्तों को हुक्म दिया गया है कि वे उनके निकाह का इन्तिज़ाम करें।

ज़िक्र हुई आयत के ख़िताब के अन्दाज़ से इतनी बात तो तमाम फ़क़ीह इमामों के नज़दीक साबित है कि निकाह का सुन्नत और बेहतर तरीक़ा यही है कि ख़ुद अपना निकाह करने के लिये कोई मर्द या औरत अप्रत्यक्ष रूप से क़दम उठाने के बजाय अपने सरपरस्तों के वास्ते से यह काम अन्जाम दे। इसमें दीन व दुनिया की बहुत सी मस्लेहतें और फ़ायदे हैं। ख़ुसूसन लड़कियों के मामले में, कि लड़कियाँ अपने निकाह का मामला ख़ुद तय करें यह एक क़िस्म की बेहयाई भी है और इसमें बुराईयों के रास्ते खुल जाने का ख़तरा भी। इसी लिये हदीस की कुछ रिवायतों में औरतों को ख़ुद अपना निकाह बिना वली के वास्ते के करने से रोका भी गया है। इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रह. और कुछ दूसरे इमामों के नज़दीक यह हुक्म एक ख़ास सुन्नत और शरई हिदायत की हैसियत में है, अगर कोई बालिग़ लड़की अपना निकाह वली की इजाज़त के बग़ैर अपने बराबर वालों में करे तो निकाह

सही हो जायेगा अगरचे ख़िलाफ़े सुन्नत करने की वजह से वह लान-तान की पात्र होगी, जबकि उसने किसी मजबूरी से ऐसा क़दम न उठाया हो।

इमाम शाफ़ई रह. और कुछ दूसरे इमामों के नज़दीक उसका निकाह ही बातिल और अमान्य होगा जब तक वली के वास्ते से न हो। यह जगह मतभेदी मसाईल की मुकम्मल तहक़ीक़ और दोनों इमामों की दलीलें बयान करने की नहीं लेकिन इतनी बात ज़ाहिर है कि ज़िक्र हुई आयत से ज़्यादा से ज़्यादा यही साबित होता है कि निकाह में सरपरस्तों और वलियों का वास्ता होना चाहिये, बाक़ी यह सूरत कि कोई अपने वली के माध्यम के बिना निकाह करे तो उसका क्या हुक्म होगा क़ुरआन की यह आयत उसके बारे में ख़ामोश है। ख़ुसूसन इस वजह से भी कि लफ़्ज़ **अयामा** में बालिग़ मर्द व औरत दोनों दाख़िल हैं और बालिग़ लड़कों का निकाह बिना वली के माध्यम के सब के नज़दीक सही हो जाता है, उसको कोई बातिल नहीं कहता। इसी तरह ज़ाहिर यह है कि बालिग़ लड़की अगर अपना निकाह ख़ुद करे तो वह भी सही और आयोजित हो जाये। हाँ ख़िलाफ़े सुन्नत काम करने पर मलामत दोनों को की जायेगी।

निकाह वाजिब है या सुन्नत या विभिन्न हालात में हुक्म अलग-अलग है

इस पर तक़रीबन सभी मुज्तहिद इमाम हज़रात एक राय हैं कि जिस शख़्स को निकाह न करने की सूरत में ग़ालिब गुमान यह हो कि वह शरीअ़त की हदों पर क़ायम नहीं रह सकेगा, गुनाह में मुब्तला हो जायेगा और निकाह करने पर उसको क़ुदरत भी हो कि उसके वसाईल मौजूद हों तो ऐसे शख़्स पर निकाह करना फ़र्ज़ या वाजिब है, जब तक निकाह न करेगा गुनाहगार रहेगा। हाँ अगर निकाह के वसाईल (असबाब) मौजूद नहीं कि कोई मुनासिब औरत मयस्सर नहीं या उसके लिये फ़ौरी अदायेगी वाले मेहर वग़ैरह की हद तक ज़रूरी ख़र्च उसके पास नहीं तो उसका हुक्म अगली आयत में यह आया है कि उसको चाहिये कि वसाईल की उपलब्धता की कोशिश करता रहे और जब तक वो मयस्सर न हों अपने नफ़्स को क़ाबू में रखने और सब्र करने की कोशिश करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ऐसे शख़्स के लिये इरशाद फ़रमाया है कि वह लगातार रोज़े रखे, इससे जिन्सी इच्छा के ग़लबे में ठहराव आ जाता है।

मुस्नद अहमद में रिवायत है कि हज़रत उकाफ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने पूछा कि क्या तुम्हारी बीवी है? उन्होंने अ़र्ज़ किया नहीं। फिर पूछा कोई शरई बाँदी है? कहा कि नहीं। फिर आपने मालूम किया कि तुम गुंजाईश वाले हो या नहीं? उन्होंने अ़र्ज़ किया कि हैसियत व गुंजाईश वाला हूँ। मुराद यह थी कि क्या तुम निकाह के लिये ज़रूरी ख़र्चों का इन्तिज़ाम कर सकते हो? जिसके जवाब में उन्होंने इक़रार किया। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि फिर तो तुम शैतान के भाई हो, और फ़रमाया कि हमारी सुन्नत निकाह करना है, तुम में बदतरीन आदमी वे हैं जो बिना निकाह के हों, और तुम्हारे मुर्दों में सबसे रज़ील (घटिया) वे

हैं जो बेनिकाह के मर गये। (तफ़सीरे मज़हरी)

इस रिवायत को भी फ़ुक़हा की अक्सरियत ने उसी हालत पर महमूल फ़रमाया है जबकि निकाह न करने की सूरत में गुनाह का ख़तरा ग़ालिब हो। हज़रत उकाफ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु का हाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को मालूम होगा कि वह सब्र नहीं कर सकते। इसी तरह मुस्नद अहमद में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने निकाह करने का हुक्म दिया और तबत्तुल यानी बेनिकाह रहने से सख़्ती के साथ मना फ़रमाया। (मज़हरी) इसी तरह की और भी हदीस की रिवायतें हैं। उन सब का मौक़ा व मतलब फ़ुक़हा (क़ुरआन व हदीस के माहिर उलेमा) की अक्सरियत के नज़दीक वही सूरत है कि निकाह न करने में गुनाह में फंसने का ख़तरा ग़ालिब हो। इसी तरह इस पर भी तक़रीबन सभी फ़ुक़हा की सर्वसम्मति है कि जिस शख़्स को प्रबल अन्दाज़े और ग़ालिब गुमान से यह मालूम हो कि वह निकाह करने की वजह से गुनाह में मुब्तला हो जायेगा, मसलन बीवी के हुक़ूक़ अदा करने पर क़ुदरत नहीं, उस पर ज़ुल्म कर बैठेगा या उसके लिये निकाह करने की सूरत में कोई दूसरा गुनाह यक़ीनी तौर पर लाज़िम आ जायेगा, ऐसे शख़्स को निकाह करना हराम या मक्रूह है।

अब उस शख़्स का हुक्म बाक़ी रहा जो दरमियानी हालत में है कि न तो निकाह न करने से गुनाह का ख़तरा मज़बूत है और न निकाह की सूरत में किसी गुनाह का अन्देशा ग़ालिब है। ऐसे शख़्स के बारे में फ़ुक़हा के क़ौल अलग-अलग हैं कि उसको निकाह करना अफ़ज़ल है या निकाह न करके नफ़्ली इबादतों में मशग़ूल होना अफ़ज़ल है। इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रह. के नज़दीक नफ़्ली इबादतों में लगने से अफ़ज़ल निकाह करना है, और इमाम शाफ़ई रह. के नज़दीक इबादत में मशग़ूल होना अफ़ज़ल है। वजह इस मतभेद की असल में यह है कि निकाह अपनी ज़ात के एतिबार से तो एक मुबाह (यानी इजाज़त वाला और दुरुस्त अ़मल) है, जैसे खाना-पीना, सोना वग़ैरह ज़िन्दगी की ज़रूरतें सब मुबाह हैं। उसमें इबादत का पहलू इस नीयत से आ जाता है कि उसके ज़रिये आदमी अपने आपको गुनाह से बचा सकेगा, और नेक औलाद पैदा होगी तो उसका भी सवाब मिलेगा। और ऐसी नेक नीयत से जो मुबाह काम भी इनसान करता है वह उसके लिये प्रत्यक्ष रूप से इबादत बन जाती है। खाना पीना और सोना भी इसी नीयत से इबादत हो जाता है, और इबादत में मशग़ूल होना अपनी ज़ात में इबादत है, इसलिये इमामे शाफ़ई रह. इबादत के लिये तन्हाई इख़्तियार करने को निकाह से अफ़ज़ल क़रार देते हैं।

और इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रह. के नज़दीक निकाह में इबादत का पहलू दूसरे जायज़ कामों के मुक़ाबले में ग़ालिब है। सही हदीसों में इसको रसूलों की सुन्नत और अपनी सुन्नत क़रार देकर बहुत ज़्यादा ताकीद आई हैं। हदीस की उन रिवायतों के मजमूए से इतना वाज़ेह तौर पर साबित होता है कि निकाह आ़म जौयज़ व दुरुस्त कामों की तरह मुबाह नहीं बल्कि नबियों की सुन्नत भी है जिसकी ताकीदें भी हदीस में आई हैं, सिर्फ़ नीयत की वजह से इबादत की हैसियत इसमें नहीं बल्कि नबियों की सुन्नत होने की हैसियत से भी है। अगर कोई कहे कि इस तरह तो खाना-पीना और सोना भी नबियों की सुन्नत है कि सबने ऐसा किया है, मगर जवाब वाज़ेह है कि इन चीज़ों पर सब नबियों का अ़मल

होने के बावजूद यह किसी ने नहीं कहा न किसी हदीस में आया कि खाना-पीना और सोना नबियों की सुन्नत है, बल्कि इसको आम इनसानी आदत के ताबे नबियों का अमल करार दिया है, बख़िलाफ़ निकाह के कि इसको स्पष्ट रूप से नबियों व रसूलों की सुन्नत और अपनी सुन्नत फ़रमाया है।

तफ़सीरे मज़हरी में इस मौके पर एक मोतदिल बात यह कही है कि जो शख़्स दरमियानी हालत में हो कि न जिन्सी इच्छा के ग़लबे से मजबूर व दबा हुआ हो और न निकाह करने से किसी गुनाह में पड़ने का अन्देशा रखता हो, यह शख़्स अगर यह महसूस करे कि निकाह करने के बावजूद निकाह और बीवी-बच्चों की मशग़ूलियत मेरे लिये ज़िक्रुल्लाह और अल्लाह की तरफ़ तवज्जोह की अधिकता से रुकावट नहीं होगी तो उसके लिये निकाह अफ़ज़ल और बेहतर है, और अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम और उम्मत के नेक लोगों का आम हाल यही था। और अगर उसका अन्दाज़ा यह है कि निकाह और बीवी-बच्चों के धन्धे और व्यस्तता उसको दीनी तरक़्क़ी, ज़िक्र वग़ैरह की कसरत से रोक देंगे तो दरमियानी हालत में उसके लिये इबादत के लिये तन्हाई इख़्तियार करना और निकाह न करना अफ़ज़ल है। क़ुरआने करीम की बहुत सी आयतों से इस मज़मून की वज़ाहत मिलती है। उनमें से एक यह है:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ.

इसमें यही हिदायत है कि इनसान के माल व औलाद उसको अल्लाह तआ़ला के ज़िक्र से ग़ाफ़िल कर देने का सबब न बनने चाहियें। वल्लाहु सुब्हानहू तआ़ला आलम

وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ.

यानी अपने गुलामों और बाँदियों में जो नेक हों उनके निकाह करा दिया करो। यह ख़िताब उनके आक़ाओं और मालिकों को है। इस जगह सालिहीन का लफ़्ज़ अपने लुग़वी मायने में आया है यानी उनमें जो शख़्स निकाह की क़ाबलियत व गुंजाईश रखता हो उसका निकाह करा देने का हुक्म उनके आक़ाओं को दिया गया है। मुराद इस सलाहियत व क़ाबलियत से वही है कि बीवी के निकाह के हुक़ूक़ और ख़र्चे व फ़ोरी अदायेगी वाला मेहर अदा करने के क़ाबिल हों। और अगर सालिहीन को परिचित यानी नेक लोगों के मायने में लिया जाये तो फिर उनका विशेष तौर पर ज़िक्र करना इस वजह से होगा कि निकाह का असल मक़सद हराम से बचना है, वह सालिहीन ही में हो सकता है।

बहरहाल अपने गुलामों और बाँदियों में जो निकाह की सलाहियत रखने वाले हों उनके निकाह का हुक्म उनके आक़ाओं को दिया गया है, और इससे मुराद यह है कि अगर वे अपनी निकाह की ज़रूरत ज़ाहिर करें और इच्छा करें कि उनका निकाह कर दिया जाये तो आक़ाओं पर कुछ उलेमा के नज़दीक वाजिब होगा कि उनके निकाह कर दें, और दीनी मसाईल के माहिर उलेमा की अक्सरियत के नज़दीक उन पर लाज़िम है कि उनके निकाह में रुकावट न डालें बल्कि इजाज़त दे दें, क्योंकि ऐसे गुलामों और बाँदियों का निकाह जो दूसरे की मिल्क में हों बग़ैर मालिकों की इजाज़त के नहीं हो सकता। तो यह हुक्म ऐसा ही होगा जैसा कि क़ुरआने करीम की एक आयत में है:

فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ.

यानी औरतों के सरपरस्तों पर लाज़िम है कि अपनी सरपरस्ती वाली औरतों को निकाह से न रोकें, और जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब तुम्हारे पास कोई ऐसा शख़्स मंगनी लेकर आये और अख़्लाक़ आपको पसन्द हों तो ज़रूर निकाह कर दो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ज़मीन में फ़ितना और बड़े पैमाने का फ़साद पैदा हो जायेगा। (तिर्मिज़ी)

ख़ुलासा यह है कि यह हुक्म आक़ाओं को इसलिये दिया गया कि वे निकाह की इजाज़त देने में कोताही न करें। ख़ुद निकाह कराना उनके ज़िम्मे वाजिब हो, यह ज़रूरी नहीं। वल्लाहु आलम

اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ.

इसमें उन ग़रीब फ़क़ीर मुसलमानों के लिये ख़ुशख़बरी है जो अपने दीन की हिफ़ाज़त के लिये निकाह करना चाहते हैं मगर माली साधन उनके पास नहीं कि जब वे अपने दीन की हिफ़ाज़त और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत पर अमल करने की नेक नीयत से निकाह करेंगे तो अल्लाह तआला उनको माली फ़रावानी भी अता फ़रमायेंगे, और इसमें उन लोगों को भी हिदायत है जिनके पास ऐसे ग़रीब लोग मंगनी लेकर जायें कि वे महज़ उनके फ़िलहाल ग़रीब फ़क़ीर होने की वजह से रिश्ते से इनकार न कर दें। माल आने जाने वाली चीज़ है, असल चीज़ काम करने की सलाहियत है, अगर वह उनमें मौजूद है तो उनके निकाह से इनकार न करें।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि इस आयत में हक़ तआला ने सब मुसलमानों को निकाह करने की तरग़ीब दी (शौक़ व तवज्जोह दिलाई) है, इसमें आज़ाद और ग़ुलाम सबको दाख़िल फ़रमाया है और निकाह करने पर उनसे ख़ुशहाली का वायदा फ़रमाया है। (इब्ने कसीर)

और इब्ने अबी हातिम ने हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल किया है कि उन्होंने मुसलमानों को ख़िताब करके फ़रमाया कि तुम निकाह करने में अल्लाह तआला के हुक्म की तामील करो तो अल्लाह तआला ने जो वायदा ख़ुशहाली व मालदारी अता फ़रमाने का किया है वह पूरा फ़रमा देंगे, फिर यह आयत पढ़ीः

اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ.

(यानी यही आयत जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है) और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि तुम ग़नी (मालदार) होना चाहते हो तो निकाह कर लो, क्योंकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया हैः

اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ.

(इब्ने जरीर, बग़वी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से। इब्ने कसीर)

तंबीह

तफ़सीरे मज़हरी में है कि मगर यह याद रहे कि निकाह करने वाले को ख़ुशहाली और माल अता फ़रमाने का वायदा अल्लाह तआला की तरफ़ से उसी हाल में है जबकि निकाह करने वाले की नीयत अपनी आबरू की हिफ़ाज़त और सुन्नत पर अमल करने की हो, और फिर अल्लाह तआला पर भरोसा व तवक्कुल हो, इसकी दलील अगली आयत के ये अलफ़ाज़ हैं:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ

यानी जो लोग माल व असबाब के लिहाज़ से निकाह पर क़ुदरत नहीं रखते और निकाह करने में यह ख़तरा है कि बीवी के हुक़ूक़ अदा न करने की वजह से गुनाहगार हो जायेंगे उनको चाहिये कि पाकदामनी और सब्र के साथ इसका इन्तिज़ार करें कि अल्लाह तआ़ला अपने फ़ज़्ल से उनको ग़नी (ख़ुशहाल) कर दें। अगर वे ऐसा करेंगे तो अल्लाह तआ़ला अपने फ़ज़्ल से उनको इतने माली साधन अ़ता फ़रमायेंगे जिनसे निकाह पर क़ुदरत हो जाये।

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

वल्लज़ी-न यब्तग़ूनल्-किता-ब मिम्मा म-लकत् ऐमानुकुम् फ़कातिबूहुम् इन् अ़लिम्तुम् फ़ीहिम् ख़ैरंव्-व आतूहुम् मिम्-मालिल्लाहिल्लज़ी आताकुम्, व ला तुक्रिहू फ़-तयातिकुम् अ़लल्-बिग़ा-इ इन् अरद्-न त-हस्सुनल्-लितब्तग़ू अ़-रज़ल्-हयातिद्दुन्या, व मंय्युक्रिह्हुन्-न फ़-इन्नल्ला-ह मिम्-बअ़्दि इक्राहिहिन्-न ग़फ़ूरुर्-रहीम (33)	और जो लोग चाहें लिखित आज़ादी की माल देकर उनमें से कि जो तुम्हारे हाथ के माल हैं तो उनको लिखकर दे दो अगर समझो उनमें कुछ नेकी, और दो उनको अल्लाह के माल से जो उसने तुमको दिया है, और न ज़बरदस्ती करो अपनी छोकरियों पर बदकारी के वास्ते अगर वे चाहें क़ैद से रहना (यानी इससे बचना) कि तुम कमाना चाहो असबाब दुनिया की ज़िन्दगानी का, और जो कोई उन पर ज़बरदस्ती करेगा तो अल्लाह उनकी बेबसी के बाद बख़्शने वाला मेहरबान है। (33)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और तुम्हारे ममलूकों "यानी ग़ुलाम-बाँदियों" में से (ग़ुलाम हों या बाँदियाँ) जो मुकातब होने के इच्छुक हों तो (बेहतर है कि) उनको मुकातब बना दिया करो, अगर उनमें बेहतरी (के आसार) पाओ। और अल्लाह के (दिए हुए) उस माल में से उनको भी दो जो अल्लाह ने तुमको दे रखा है (ताकि जल्दी आज़ाद हो सकें) और अपनी (ममलूका) बाँदियों को ज़िना करने पर मजबूर मत करो, (और ख़ास तौर पर) जबकि वे पाकदामन रहना चाहें, (और तुम्हारी यह ज़लील हरकत) महज़ इसलिये कि दुनियावी ज़िन्दगी का कुछ फ़ायदा (यानी माल) तुमको हासिल हो जाये, और जो शख़्स उनको मजबूर

करेगा (और वे बचना चाहेंगी) तो अल्लाह उनके मजबूर किये जाने के बाद (उनके लिये) बख़्शने वाला, मेहरबान है।

मआरिफ़ व मसाईल

पिछली आयत में ममलूक गुलामों और बाँदियों को अगर निकाह करने की ज़रूरत हो तो आक़ाओं को हिदायत की गयी थी कि उनको निकाह की इजाज़त दे देना चाहिये, अपनी मस्लेहत के लिये उनकी तबई मस्लेहतों को न टालें, यह उनके लिये अफ़ज़ल और बेहतर है। ख़ुलासा इस हिदायत का अपने ममलूक गुलामों-बाँदियों के साथ अच्छा मामला करना और उनको तकलीफ़ से बचाना है। इसकी मुनासबत से उक्त आयत में एक दूसरी हिदायत उनके आक़ाओं के लिये यह दी गयी है कि अगर ये ममलूक गुलाम या बाँदी आक़ाओं से मुकातबत का मामला करना चाहें तो उनकी इस इच्छा को पूरा कर देना भी आक़ाओं के लिये अफ़ज़ल, अच्छा और सवाब का सबब है। हिदाया के लेखक और आम फ़ुक़हा ने इस हुक्म को मुस्तहब वाला हुक्म ही क़रार दिया है, यानी आक़ा के ज़िम्मे वाजिब तो नहीं कि अपने ममलूक को **मुकातब** बना दे लेकिन मुस्तहब और अफ़ज़ल है। और मुकातबत के मामले की सूरत यह है कि कोई ममलूक (गुलाम) अपने आक़ा से कहे कि आप मुझ पर कुछ रक़म मुक़र्रर कर दें कि वह रक़म मैं अपनी मेहनत व कमाई से हासिल करके आपको अदा कर दूँ तो मैं आज़ाद हो जाऊँ। आक़ा इसको क़ुबूल करे, या मामला इसके उलट हो कि आक़ा चाहे कि उसका गुलाम कुछ निर्धारित रक़म उसको दे दे तो आज़ाद हो जाये और गुलाम इसको क़ुबूल कर ले। अगर आक़ा और ममलूक के दरमियान ईजाब व क़ुबूल (यानी आपसी इक़रार व समझौते) के ज़रिये यह मुकातबत का मामला तय हो जाता है तो वह शरअ़न लाज़िम हो जाता है, आक़ा को उसके तोड़ने और ख़त्म करने का इख़्तियार नहीं रहता, जिस वक़्त भी गुलाम तयशुदा रक़म कमाकर उसको दे देगा ख़ुद-ब-ख़ुद आज़ाद हो जायेगा।

यह रक़म जो **बदल-ए-किताबत** कहलाती है शरीअ़त ने इसकी कोई हद मुक़र्रर नहीं फ़रमाई चाहे गुलाम की क़ीमत के बराबर हो या उससे कम या ज़्यादा, जिस पर दोनों फ़रीक़ों में बात तय हो जाये वह किताबत का बदल ठहरेगा। अपने ममलूक गुलाम या बाँदी को मुकातब बना देने की हिदायत और इसको मुस्तहब और अफ़ज़ल क़रार देना इस्लामी शरीअ़त के उन ही अहकाम में से है जिनसे मालूम होता है कि इस्लामी शरीअ़त का तक़ाज़ा यह है कि जो लोग शरई हैसियत से गुलाम हैं उनकी आज़ादी के ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते खोले जायें। तमाम कफ़्फ़ारों में उनके आज़ाद करने के अहकाम दिये गये हैं। वैसे भी गुलाम आज़ाद करने में बहुत बड़े सवाब का वायदा है। मुकातब का मामला भी इसी का रास्ता है, इसलिये इसकी तरग़ीब दी गयी। अलबत्ता इसके साथ शर्त यह लगाई गयी किः

إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

यानी मुकातब बनाना जब दुरुस्त होगा जबकि तुम उनमें बेहतरी के आसार देखो। हज़रत **अब्दुल्लाह बिन उमर** रज़ियल्लाहु अ़न्हु और **अक्सर इमाम** हज़रात ने इस बेहतरी से मुराद कमाने की

क़ुव्वत बतलाई है, यानी जिस शख़्स में यह देखो कि अगर उसको मुकातब बना दिया तो कमाकर निर्धारित रक़म जमा कर लेगा उसको मुकातब बनाओ, वरना जो इस क़ाबिल न हो उसको मुकातब बना देने से गुलाम की मेहनत भी ज़ाया होगी, आक़ा का नुक़सान भी होगा। और हिदाया किताब के लेखक ने फ़रमाया कि ख़ैर और बेहतरी से मुराद इस जगह यह है कि उसके आज़ाद होने से मुसलमान को किसी नुक़सान के पहुँचने का ख़तरा न हो, मसलन यह कि वह काफ़िर हो और अपने काफ़िर भाईयों की मदद करता हो। और सही बात यह है कि लफ़्ज़ ख़ैर इस जगह दोनों चीज़ों को शामिल है कि गुलाम में कमाने की ताक़त व क्षमता भी हो और उसकी आज़ादी से मुसलमानों को कोई ख़तरा भी न हो। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِیْٓ اٰتٰىكُمْ

यानी बख़्शिश करो उन पर उस माल में से जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है।

यह ख़िताब मुसलमानों को उमूमन और आक़ाओं को ख़ुसूसन किया गया है कि जब इस गुलाम की आज़ादी एक तयशुदा रक़म जमा करके आक़ा को देने पर निर्भर है तो मुसलमानों को चाहिये कि उसमें उसकी मदद करें। ज़कात का माल भी उनको दे सकते हैं और आक़ाओं को इसकी तरग़ीब (शौक़ व तवज्जोह दिलाई) है कि ख़ुद भी उनकी माली इमदाद करें या किताबत की तयशुदा रक़म में से कुछ कम कर दें। सहाबा-ए-किराम का मामूल इसी लिये यह रहा है कि बदल-ए-किताबत में जो रक़म उस पर लगाई जाती थी उसमें से तिहाई चौथाई या इससे कम गुंजाईश के मुताबिक़ कम कर दिया करते थे। (तफ़सीरे मज़हरी)

अर्थव्यवस्था का एक अहम मसला और उसमें क़ुरआन का फ़ैसला

आजकल दुनिया में माद्दा परस्ती का दौर और चलन है। सारी दुनिया अन्जाम व आख़िरत को भुलाकर सिर्फ़ अर्थ व्यवस्था के जाल में फंस गयी है, उनकी इल्मी तहक़ीक़ात और ग़ौर व फ़िक्र का दायरा सिर्फ़ अर्थ व्यवस्था और कमाने ही तक सीमित होकर रह गया है और इसमें बहस व तहक़ीक़ के ज़ोर ने एक-एक मामूली मसले को एक मुस्तक़िल फ़न बना दिया है। उन फ़ुनून में सबसे बड़ा फ़न अर्थ व्यवस्था का है।

इस मामले में आजकल दुनिया के अक़्ल मन्दों और बुद्धिमानों के दो नज़रिये ज़्यादा परिचित व मशहूर हैं और दोनों ही आपस में टकराते हैं, उनके टकराव ने दुनिया की क़ौमों में टकराव और जंग व झगड़े के ऐसे दरवाज़े खोल दिये हैं कि सारी दुनिया अमन व इत्मीनान से मेहरूम हो गयी।

एक निज़ाम सरमायेदाराना निज़ाम है जिसको परिभाषा में **कैपिटलिज़्म** कहा जाता है। दूसरा निज़ाम साम्यवाद का है जिसको **कम्यूनिज़्म** या **सोशलिज़्म** कहा जाता है। इतनी बात तो नज़र आती है जिसका दोनों निज़ामों में से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इस दुनिया में इनसान अपनी मेहनत और कोशिश से जो कुछ कमाता और पैदा करता है उस सब की असल बुनियाद

क़ुदरती संसाधन, ज़मीन की पैदावार, पानी और ज़मीन के अन्दर पैदा होने वाली क़ुदरती चीज़ों पर है। इनसान अपने ग़ौर व फ़िक्र और मेहनत व मशक़्क़त के ज़रिये उन्हीं पैदावार के साधनों में जोड़ तोड़ और घुला-मिलाकर उसके ज़रिये अपनी ज़रूरत की लाखों चीज़ें पैदा करता और बनाता है। अ़क्ल का तकाज़ा तो यह था कि ये दोनों निज़ाम पहले यह सोचते कि ये क़ुदरती संसाधन खुद तो पैदा नहीं हो गये, इनका कोई पैदा करने वाला है। और यह भी ज़ाहिर है कि इनका असल मालिक भी वही होगा जो इनका पैदा करने वाला है। हम इन साधनों पर क़ब्ज़ा करने और इनके मालिक बनने या इस्तेमाल करने में आज़ाद नहीं, बल्कि असल मालिक व ख़ालिक़ ने अगर कुछ हिदायतें दी हैं तो उनके ताबे चलना हमारा फ़र्ज़ है। मगर माद्दा परस्ती (भौतिकवाद) के जुनून ने उन सभी को असल ख़ालिक़ व मालिक के तसव्वुर ही से ग़ाफ़िल कर दिया। उनके नज़दीक अब बहस सिर्फ़ यह रह गयी कि पैदावार के साधनों पर क़ब्ज़ा करके उनसे ज़िन्दगी की ज़रूरतें पैदा करने वाला इन सब चीज़ों को खुद-ब-खुद आज़ाद मालिक व मुख़्तार हो जाता है, या ये सब चीज़ें सबके लिये वक़्फ़ और साझा हैं, हर एक को इनसे नफ़ा उठाने का बराबर तौर पर हक़ हासिल है।

पहला नज़रिया सरमायेदाराना निज़ाम का है जो इनसान को इन चीज़ों पर आज़ाद मिल्कियत का हक़ देता है कि जिस तरह चाहे उसको हासिल करे और जहाँ चाहे उसको ख़र्च करे, इसमें उस पर कोई रोक-टोक बरदाश्त नहीं। यही नज़रिया पुराने ज़माने के मुश्रिकों व काफ़िरों का था, जिन्होंने हज़रत शुऐब अ़लैहिस्सलाम पर एतिराज़ किया था कि ये माल हमारे हैं, हम इनके मालिक हैं, आपको क्या हक़ है कि हम पर पाबन्दी लगायें कि फ़ुलाँ काम में ख़र्च करना जायज़ और फ़ुलाँ में हराम है। क़ुरआन की आयतः

اَوْاَنْ نَّفْعَلَ فِیْۤ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا.

(सूरः हूद की आयत 87) का यही मतलब है। और दूसरा नज़रिया इश्तिराकियत का है जो किसी को किसी चीज़ पर मिल्कियत का हक़ नहीं देता बल्कि हर चीज़ को तमाम इनसानों में साझा, संयुक्त और सब को उससे फ़ायदा उठाने का बराबर हक़दार क़रार देता है, और कम्यूनिज़्म (साम्यवाद) के नज़रिये की असल बुनियाद यही है। मगर फिर जब देखा कि यह नाक़ाबिले अ़मल तसव्वुर (सोच और धारणा) है, इस पर कोई निज़ाम नहीं चलाया जा सकता तो फिर कुछ चीज़ों को मिल्कियत के लिये अलग भी कर दिया है।

क़ुरआने करीम ने इन दोनों बेहूदा नज़रियों पर रद्द करके उसूल यह बनाया कि कायनात की हर चीज़ दर असल अल्लाह तआ़ला की मिल्क है जो उनका ख़ालिक़ है। फिर उसने अपने फ़ज़्ल व करम से इनसान को एक ख़ास क़ानून के तहत मिल्कियत अ़ता फ़रमाई है, जिन चीज़ों का इस क़ानून के हिसाब से वह मालिक बना दिया गया है उसमें दूसरों के अ़मल-दख़ल और इख़्तियार चलाने को बग़ैर उसकी इजाज़त के हराम क़रार दिया, मगर मालिक बनने के बाद भी उसको आज़ाद मिल्कियत नहीं दी कि जिस तरह चाहे कमाये और जिस तरह चाहे ख़र्च करे, बल्कि दोनों तरफ़ एक न्यायपूर्ण और हाकीमाना क़ानून रखा है कि फ़ुलाँ तरीक़ा कमाने का हलाल है फ़ुलाँ हराम, और फ़ुलाँ जगह ख़र्च करना हलाल है और फ़ुलाँ हराम। और यह कि जो चीज़ इसकी मिल्कियत में दी है उसमें कुछ और

लोगों के हुक़ूक़ भी लगा दिये हैं जिनको अदा करना इसी की ज़िम्मेदारी है।

ऊपर बयान हुई आयत अगरचे एक और मज़मून के लिये आई है मगर उसके तहत में इसी अहम आर्थिक मसले के चन्द उसूल भी आ गये हैं। आयत के अलफ़ाज़ पर नज़र डालियेः

وَاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِیْٓ اٰتٰىكُمْ.

यानी दो उन ज़रूरत मन्द लोगों को अल्लाह के उस माल में से जो अल्लाह ने तुम्हें दे दिया है। इसमें तीन बातें साबित हुईं- अव्वल यह कि असल मालिक माल और हर चीज़ का अल्लाह तआला है। दूसरे यह कि उसी ने अपने फ़ज़्ल से उसके एक हिस्से का तुम्हें मालिक बना दिया है। तीसरे यह कि जिस चीज़ का तुमको मालिक बनाया है उस पर कुछ पाबन्दियाँ भी उसने लगाई हैं। कुछ चीज़ों में ख़र्च करने को मना और वर्जित क़रार दिया और कुछ चीज़ों में ख़र्च करने को लाज़िम व वाजिब और कुछ में मुस्तहब और अफ़ज़ल क़रार दिया है। वल्लाहु आलम

दूसरा हुक्म इस आयत में एक जाहिलीयत की रस्म मिटाने और ज़िना व बुराईयों के रोकने और ख़त्म करने के लिये यह दिया गया हैः

وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ.

यानी अपनी बाँदियों को इस पर मजबूर न करो कि वे ज़िनाकारी के ज़रिये माल कमाकर तुम्हें दिया करें। जाहिलीयत में बहुत से लोग बाँदियों को इसी काम के लिये इस्तेमाल करते थे, इस्लाम ने जब ज़िना पर सख़्त सज़ायें जारी कीं, आज़ाद और गुलाम सब को इसका पाबन्द किया तो ज़रूरी था कि जाहिलीयत की इस रस्म को मिटाने के लिये ख़ास अहकाम दे।

اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا.

यानी जबकि वे बाँदियाँ ज़िना से बचने और पाकदामन रहने का इरादा करें तो तुम्हारा उनको मजबूर करना बड़ी बेहयाई और बेग़ैरती की बात है। ये अलफ़ाज़ अगरचे देखने में शर्त के तौर पर आये हैं मगर तमाम उम्मत यह राय है कि दर हक़ीक़त मुराद इनसे शर्त नहीं कि बाँदियाँ ज़िना से बचना चाहें तो उनको ज़िना पर मजबूर न किया जाये वरना मजबूर करना जायज़ है, बल्कि बतलाना यह है कि आम उर्फ़ व आदत के एतिबार से बाँदियों में हया और पाकदामनी ज़माना-ए-जाहिलीयत में नापैद थी। इस्लाम के अहकाम के बाद उन्होंने तौबा की। उनके आक़ाओं ने मजबूर करना चाहा तो इस पर ये अहकाम आये कि जब वे ज़िना से बचना चाहती हैं तो तुम मजबूर न करो। इसमें उनके आक़ाओं को डाँट व तंबीह और बुरा-भला कहना है कि बड़ी बेग़ैरती और बेहयाई की बात है कि बाँदियाँ तो पाक रहने का इरादा करें और तुम उन्हें ज़िना पर मजबूर करो।

فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ○

इस जुमले का हासिल यह है कि बाँदियों को ज़िना पर मजबूर करना हराम है। अगर किसी ने ऐसा किया और वह आक़ा के मजबूर व ज़बरदस्ती करने से झुककर ज़िना में मुब्तला हो गयी तो अल्लाह तआला उसके गुनाह को माफ़ फ़रमा देंगे और उसका सारा गुनाह मजबूर करने वाले पर होगा। (तफ़सीरे मज़हरी) वल्लाहु आलम

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَّمَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ؕ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ؕ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ؕ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ؕ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ ۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۝ رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ۝ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۢ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝ اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ؕ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ؕ اِذَاۤ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ۝

व ल-क़द् अन्ज़ल्ना इलैकुम् आयातिम्-मुबय्यिनातिंव्-व म-सलम्-मिनल्लज़ी-न ख़लौ मिन् क़ब्लिकुम् व मौअ़ि-ज़तल्-लिल्-मुत्तक़ीन (34) ✿ अल्लाहु नूरुस्समावाति वल्‌अर्ज़ि, म-सलु नूरिही कमिश्कातिन् फ़ीहा मिस्बाहुन्, अल्-मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजतिन्, अज़्ज़ुजा-जतु क-अन्नहा कौकबुन् दुर्रिय्-युंय्यू-क़दु मिन् श-ज-रतिम्-मुबार-कतिन् ज़ैतूनतिल्-ला शर्क़िय्यतिंव् व ला ग़र्बिय्यतिंय्-यकादु ज़ैतुहा युज़ी-उ व लौ लम्

और हमने उतारीं तुम्हारी तरफ़ आयतें खुली हुई और कुछ हाल उनका जो हो चुके तुमसे पहले और नसीहत डरने वालों को। (34) ✿

अल्लाह रोशनी है आसमानों की और ज़मीन की, मिसाल उसकी रोशनी की जैसे एक ताक़ उसमें हो एक चिराग़, वह चिराग़ धरा हो एक शीशे में, वह शीशा है जैसे एक तारा चमकता हुआ, तेल जलता है उसमें एक बरकत के दरख़्त का वह ज़ैतून है, न पूरब की तरफ़ है और न पश्चिम की तरफ़, क़रीब है उसका तेल कि रोशन हो जाये अगरचे न लगी हो उसमें आग, रोशनी पर रोशनी, अल्लाह राह दिखला देता है अपनी रोशनी की

तम्सस्हु नारुन्, नूरुन् अ़ला नूरिन्, यह्दिल्लाहु लिनूरिही मंय्यशा-उ, व यज़्रिबुल्लाहुल्-अम्सा-ल लिन्नासि, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन् अ़लीम (35) फ़ी बुयूतिन् अज़िनल्लाहु अन् तुर्-फ़-अ़ व युज़्क-र फ़ीहस्मुहू युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिल्-ग़ुदुव्वि वल्-आसाल (36) रिजालुल् ला तुल्हीहिम् तिजा-रतुंव्-व ला बैअ़ुन् अ़न् ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस्सलाति व ईताइज़्ज़काति यख़ाफ़ू-न यौमन् त-तक़ल्लबु फ़ीहिल्-क़ुलूबु वल्-अब्सार (37) लियज्ज़ि-यहुमुल्लाहु अह्स-न मा अ़मिलू व यज़ी-दहुम् मिन् फ़ज़्लिही, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मंय्यशा-उ बिग़ैरि हिसाब (38) वल्लज़ी-न क-फ़रू अअ़्मालुहुम् क-सराबिम् बिक़ी-अ़तिंय्-यह्सबुहुज़्-ज़म्आनु मा-अन्, हत्ता इज़ा जा-अहू लम् यजिद्हु शैअंव्-व व-जदल्ला-ह अ़िन्दहू फ़-वफ़्फ़ाहु हिसा-बहू, वल्लाहु सरीअ़ुल्-हिसाब (39) औ क-ज़ुलुमातिन् फ़ी बह्रिल् लुज्जिय्यिंय्-यग़्शाहु मौजुम्-मिन् फ़ौक़िही मौजुम्-मिन् फ़ौक़िही

जिसको चाहे, और बयान करता है अल्लाह मिसालें लोगों के वास्ते, और अल्लाह सब चीज़ को जानता है। (35) उन घरों में कि अल्लाह ने हुक्म दिया उनको बुलन्द करने का और वहाँ उसका नाम पढ़ने का, याद करते हैं उसकी वहाँ सुबह और शाम (36) वे मर्द कि नहीं ग़ाफ़िल होते सौदा करने में और न बेचने में अल्लाह की याद से, और नमाज़ क़ायम रखने से और ज़कात देने से डरते रहते हैं उस दिन से जिसमें उलट जायेंगे दिल और आँखें (37) ताकि बदला दे उनको अल्लाह उनके बेहतर से बेहतर कामों का और ज़्यादती दे उनको अपने फ़ज़्ल से, और अल्लाह रोज़ी देता है जिसको चाहे बेशुमार। (38) और जो लोग इनकारी हैं उनके काम जैसे रेत जंगल में प्यासा जाने उसको पानी यहाँ तक कि जब पहुँचा उस पर उसको कुछ न पाया, और अल्लाह को पाया अपने पास, फिर उसको पूरा पहुँचा दिया उसका लिखा, और अल्लाह जल्द लेने वाला है हिसाब। (39) या जैसे अंधेरे गहरे दरिया में चढ़ी आती है उस पर एक लहर उस पर एक और लहर, उसके ऊपर बादल अंधेरे हैं एक पर एक,

सहाबुन्, ज़ुलुमातुम्-बअ्ज़ुहा फ़ौ-क़ बअ्ज़िन्, इज़ा अख़्र-ज य-दहू लम् य-कद् यराहा, व मल्लम् यज्अ़लिल्लाहु लहू नूरन् फ़मा लहू मिन्-नूर (40) ✿	जब निकाले अपना हाथ लगता नहीं कि उसको वह सूझे, और जिसको अल्लाह ने न दी रोशनी उसके वास्ते कहीं नहीं रोशनी। (40) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और हमने (तुम लोगों की हिदायत के वास्ते इस सूरत में या क़ुरआन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़रिये से) तुम्हारे पास (इल्मी व अ़मली) खुले-खुले अहकाम भेजे हैं, और जो लोग तुमसे पहले हो गुज़रे हैं उनकी (या उन जैसे लोगों की) कुछ हिकायतें और (ख़ुदा से) डरने वालों के लिये नसीहत की बातें (भेजी हैं)।

अल्लाह तआ़ला नूर (हिदायत) देने वाला है आसमानों (में रहने वालों) का और ज़मीन (में रहने वालों) का, (यानी आसमान व ज़मीन वालों में जिनको हिदायत हुई है उन सब को अल्लाह ही ने हिदायत दी है, और मुराद आसमान व ज़मीन से पूरा आ़लम है, पस जो मख़्लूक़ात आसमान व ज़मीन से बाहर हैं वो भी दाख़िल हो गईं जैसे अ़र्श को उठाने वाले)। उसके (हिदायत के) नूर की अ़जीब हालत ऐसी है जैसे (फ़र्ज़ करो) एक ताक़ है (और) उसमें एक चिराग़ (रखा) है (और) वह चिराग़ (ख़ुद ताक़ में नहीं रखा बल्कि) एक क़िन्दील में है (और वह क़िन्दील ताक़ में रखा है, और) वह क़िन्दील ऐसा (साफ़-सुथरा) है जैसा कि एक चमकदार सितारा हो, (और) वह चिराग़ एक बहुत ही मुफ़ीद दरख़्त (के तेल) से रोशन किया जाता है जो ज़ैतून (का दरख़्त) है, जो (किसी आड़ के) न पूरब-रुख़ है और न (किसी आड़ के) पश्चिम-रुख़ है। (यानी न उसकी पूर्वी दिशा में किसी पेड़ या पहाड़ की आड़ है कि शुरू दिन में उस पर धूप न पड़े और न उसकी पश्चिमी दिशा में पहाड़ की कोई आड़ है कि दिन के आख़िरी हिस्से में उस पर धूप न पड़े बल्कि खुले मैदान में है, जहाँ तमाम दिन धूप रहती है, ऐसे पेड़ का रोग़न बहुत लतीफ़, साफ़ और रोशन होता है और) उसका तेल (इस क़द्र साफ़ और सुलगने वाला है कि) अगर उसको आग भी न छुए फिर भी ऐसा मालूम होता है कि ख़ुद-बख़ुद जल उठेगा। (और जब आग भी लग गई तब तो) नूर पर नूर है, (यानी एक तो उसमें ख़ुद नूर की क़ाबलियत आला दर्जे की थी फिर ऊपर से आग के साथ उसका इज्तिमा हो गया और फिर इज्तिमा भी इन कैफ़ियतों के साथ कि चिराग़ क़िन्दील में रखा हो जिससे ज़ाहिर में भी चमक बढ़ जाती है और फिर वह ऐसे ताक़ में रखा हो जो एक तरफ़ से बन्द हो ऐसे मौक़े पर किरणें एक जगह सिमटकर बहुत तेज़ रोशनी होती है, और फिर तैल भी ज़ैतून का जो साफ़ रोशनी और धुआँ कम होने में मशहूर है, तो इस क़द्र तेज़ रोशनी होगी जैसे बहुत सी रोशनियाँ जमा हो गई हों इसको 'नूरुन् अ़ला नूर' फ़रमाया। यहाँ मिसाल ख़त्म हो गई। पस इसी तरह मोमिन के दिल में अल्लाह तआ़ला जब हिदायत का नूर डालता है तो दिन-ब-दिन उसी का खुलना हक़ के क़ुबूल करने के लिये बढ़ता

चला जाता है और हर वक़्त अहकाम पर अ़मल करने के लिये तैयार रहता है। चाहे कुछ अहकाम का फ़ौरी तौर पर इल्म भी न हुआ हो, क्योंकि इल्म धीरे-धीरे हासिल होता है, जैसे वह ज़ैतून का तेल आग लगने से पहले ही रोशनी के लिये तैयार था, मोमिन भी अहकाम के इल्म से पहले ही उन पर अ़मल के लिये तैयार होता है, और जब उसको इल्म हासिल होता है तो अ़मल के नूर यानी अ़मल के पक्के इरादे के साथ इल्म का नूर भी मिल जाता है जिससे वह फ़ौरन ही क़ुबूल कर लेता है। पस अ़मल व इल्म जमा होकर 'नूर पर नूर' होना सादिक़ आ जाता है। और यह नहीं होता कि अहकाम के इल्म और जानने के बाद उसको कुछ संकोच व दुविधा हो कि अगर अपने नफ़्स के मुवाफ़िक़ पाया तो क़ुबूल कर लिया वरना रद्द कर दिया। इसी दिल के इत्मीनान और नूर को दूसरी आयत में इस तरह बयान फ़रमाया है:

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ.

(सूरः ज़ुमर आयत 22) यानी जिस शख़्स का सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिये खोल दिया तो वह अपने रब की तरफ़ से एक नूर पर होता है। और एक जगह फ़रमाया है:

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ.

(सूरः अन्आ़म आयत 125) ग़र्ज़ कि अल्लाह की हिदायत की यह मिसाल है और) अल्लाह तआ़ला अपने (इस हिदायत के) नूर तक जिसको चाहता है राह दे देता (और पहुँचा देता) है और (हिदायत की जो यह मिसाल दी गई इसी तरह क़ुरआन में बहुत सी मिसालें बयान की गई हैं तो इससे भी लोगों की हिदायत ही मक़सूद है इसलिए) अल्लाह तआ़ला लोगों (की हिदायत) के लिये (ये) मिसालें बयान फ़रमाता है (ताकि अ़क़्ली मज़ामीन महसूस चीज़ों की तरह समझ के क़रीब हो जायें) और अल्लाह तआ़ला हर चीज़ को ख़ूब जानने वाला है (इसलिए जो मिसाल मक़सद के फ़ायदे के लिये काफ़ी हो और जिसमें मिसाल की ग़र्ज़ व उद्देश्यों की पूरी रियायतें हों उसी को इख़्तियार करता है। मतलब यह कि अल्लाह तआ़ला मिसालें बयान करता है और वह मिसाल बहुत ही मुनासिब होती है ताकि ख़ूब हिदायत हो)।

(आगे हिदायत वालों का हाल बयान फ़रमाते हैं कि) वे ऐसे घरों में (इबादत करते) हैं जिनके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उनका अदब किया जाये, और उनमें अल्लाह का नाम लिया जाये, (मुराद इन घरों से मस्जिदें हैं और उनका अदब यह कि उनमें नहाने की हाजत वाले मर्द व औरत दाख़िल न हों और उनमें कोई गन्दी चीज़ दाख़िल न की जाये, वहाँ शोर न मचाया जाये। दुनिया के काम और बातें करने के लिये वहाँ न बैठें। बदबू की चीज़ खाकर उनमें न जायें, इसी तरह की और बातों का लिहाज़ रखा जाये। ग़र्ज़ कि) उन (मस्जिदों) में ऐसे लोग सुबह व शाम अल्लाह तआ़ला की पाकी (नमाज़ों में) बयान करते हैं जिनको अल्लाह की याद (यानी अहकाम पर अ़मल करने) से (जिस वक़्त के मुताल्लिक़ जो हुक्म हो) और (ख़ास तौर पर) नमाज़ पढ़ने से और ज़कात देने से (कि ये ऊपर के अहकाम में सबसे अहम हैं) न ख़रीद ग़फ़लत में डालने पाती है और न बेच (और बावजूद फ़रमाँबरदारी व इबादत के उनके अल्लाह से डरने का यह हाल है कि) वे ऐसे दिन (की पकड़) से

डरते रहते हैं जिसमें बहुत-से दिल और बहुत-सी आँखें उलट जाएँगी। (जैसा कि एक दूसरी जगह सूरः मोमिनून आयत 60 में है, यानी ये लोग अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं और इसके बावजूद इनके दिल कियामत की पूछताछ से डरते रहते हैं, और इससे मकसद नूर वालों की हिदायत की सिफ़तों और आमाल का बयान फ़रमाना है, और आगे उनके अन्जाम का ज़िक्र है कि) अन्जाम (उन लोगों का) यह होगा कि अल्लाह उनको उनके आमाल का बहुत ही अच्छा बदला देगा (यानी जन्नत) और (बदले के अलावा) उनको अपने फ़ज़्ल से और भी ज़्यादा देगा, (बदला वह जिसका तफ़सीली वायदा बयान हुआ है और ज़्यादा वह जिसका तफ़सीली वायदा नहीं अगरचे संक्षिप्त रूप से हुआ हो)। और अल्लाह तआ़ला जिसको चाहे बेशुमार (यानी बहुत कसरत से) दे देता है (पस उन लोगों को जन्नत में इस तरह बेशुमार देगा)।

यहाँ तक तो **हिदायत** और **हिदायत वालों** का बयान था, आगे **गुमराही** और **गुमराहों** का ज़िक्र है, यानी) और जो लोग काफ़िर (और गुमराह और हिदायत के नूर से दूर) हैं उनके आमाल (काफ़िरों की दो क़िस्में होने की वजह से दो मिसालों के जैसे हैं, क्योंकि एक क़िस्म तो वे काफ़िर हैं जो आख़िरत और क़ियामत के क़ायल हैं और अपने कुछ आमाल पर यानी जो उनके गुमान के मुताबिक़ सवाब का काम और नेकियाँ हैं आख़िरत की जज़ा और अच्छे बदले की उम्मीद रखते हैं, और दूसरे क़िस्म वे काफ़िर हैं जो आख़िरत और क़ियामत के इनकारी हैं। पहली क़िस्म के काफ़िरों के आमाल तो) ऐसे हैं कि एक चटियल मैदान में चमकता हुआ रेत, कि प्यासा (आदमी) उसको (दूर से) पानी ख़्याल करता है, (और उसकी तरफ़ दौड़ता है) यहाँ तक कि जब उसके पास आया तो उसको (जो समझ रखा था) कुछ भी न पाया, और (बहुत ज़्यादा प्यास, फिर बहुत ही मायूसी से जो जिस्मानी और रूहानी सदमा पहुँचा और उससे तड़प-तड़पकर मर गया तो यूँ कहना चाहिए कि बजाय पानी के) अल्लाह की क़ज़ा को पाया, सो अल्लाह तआ़ला ने उस (की उम्र) का हिसाब उसको बराबर-सराबर चुका दिया (और बेबाक़ कर दिया। यानी उम्र का ख़ात्मा कर दिया) और अल्लाह तआ़ला (जिस चीज़ की मियाद आ जाती है उसका) दम भर में हिसाब (यानी फ़ैसला) कर देता है (उसको कुछ बखेड़ा नहीं करना पड़ता कि देर लगे और मियाद से कुछ भी लेट हो जाये। बस यह मज़्मून ऐसा है जैसा कि एक दूसरी जगह इरशाद है कि 'अल्लाह का मुक़र्रर किया हुआ वक़्त है जब वह आ जायेगा तो टलेगा नहीं'। और एक जगह यह है कि 'और अल्लाह तआ़ला किसी शख़्स को जबकि उसकी उम्र की मियाद ख़त्म होने पर आ जाती है हरगिज़ मोहलत नहीं देता'। हासिल इस मिसाल का यह हुआ कि जैसे प्यासा रेत को ज़ाहिरी चमक से पानी समझा इसी तरह यह काफ़िर अपने आमाल को ज़ाहिरी सूरत से मक़बूल और आख़िरत में फ़ायदा देने वाले समझा, और जैसे वह पानी नहीं इसी तरह ये आमाल क़ुबूल होने की शर्त यानी ईमान न होने के सबब मक़बूल और फ़ायदा देने वाले नहीं हैं। और जब वहाँ जाकर उस प्यासे को हक़ीक़त मालूम हुई इसी तरह उसको आख़िरत में पहुँचकर हक़ीक़त मालूम होगी, और जिस तरह यह प्यासा अपनी उम्मीद के ग़लत होने से हसरत व अफ़सोस में घाटा उठाने वाला होकर मर गया इसी तरह ये काफ़िर भी अपनी उम्मीद के ग़लत होने पर उस वक़्त हसरत में और हमेशा की तबाही यानी जहन्नम की सज़ा में मुब्तला होगा)।

(एक किस्म की मिसाल तो यह हुई। आगे दूसरी किस्म के काफ़िरों के आमाल की मिसाल है यानी) या (क़ियामत के इनकारियों के) वो (आमाल ख़ुसूसियत के एतिबार से) ऐसे हैं जैसे बड़े गहरे समुद्र में अन्दरूनी अंधेरे, (जिनका एक सबब दरिया की गहराई है और फिर यह) कि उस (समुद्र की असली सतह) को एक बड़ी लहर ने ढाँक लिया हो, (फिर वह लहर भी अकेली नहीं बल्कि) उस (लहर) के ऊपर दूसरी लहर (हो फिर) उसके ऊपर बादल (हो जिससे सितारे वग़ैरह की रोशनी भी न पहुँचती हो। ग़र्ज़ कि) ऊपर नीचे बहुत-से अंधेरे (ही अंधेरे) हैं, कि अगर (ऐसी हालत में कोई आदमी दरिया की तह में) अपना हाथ निकाले (और उसको देखना चाहे) तो (देखना तो छोड़िये) देखने का गुमान व संभावना भी नहीं (इस मिसाल का हासिल यह है कि ऐसे काफ़िर जो आख़िरत और क़ियामत के और उसमें जज़ा व सज़ा ही के मुन्किर हैं उनके पास वहमी नूर भी नहीं, जैसे पहली किस्म के काफ़िरों के पास एक वहमी और ख़्याली नूर था। क्योंकि उन्होंने कुछ नेक आमाल को अपनी आख़िरत का सामान समझा था मगर वो ईमान की शर्त न होने के सबब वास्तविक नूर न था एक वहमी नूर था। ये लोग जो आख़िरत के इनकारी हैं इन्होंने अपने एतिक़ाद व ख़्याल के मुताबिक़ भी कोई काम आख़िरत के लिये किया ही नहीं, जिसके नूर का इनको वहम व ख़्याल हो। ग़र्ज़ कि इनके पास अंधेरा ही अंधेरा है, नूर का वहम व ख़्याल भी नहीं हो सकता, जैसा कि दरिया की तह की मिसाल में है। और नज़र न आने में हाथ की विशेषता शायद इसलिए कि इनसानी हिस्सों और अंगों में हाथ ज़्यादा नज़दीक है, फिर उसको जितना नज़दीक करना चाहो नज़दीक आ जाता है और जब हाथ ही नज़र न आया तो दूसरे बदनी अंगों का मामला ज़ाहिर है)। और (आगे इन काफ़िरों के अंधेरे में होने की वजह यह बयान फ़रमाई है कि) जिसको अल्लाह तआ़ला ही (हिदायत का) नूर न दे उसको (कहीं से भी) नूर नहीं (मयस्सर आ सकता)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

ऊपर बयान हुई आयत को उलेमा हज़रात नूर की आयत लिखते हैं क्योंकि इसमें ईमान के नूर और कुफ़ की अंधेरी को बड़ी तफ़सीली मिसाल से समझाया गया है।

नूर की परिभाषा व मतलब

इमाम ग़ज़ाली रह. ने यह फ़रमाया कि नूर वह है जो—

اَلظَّاهِرُ بِنَفْسِهٖ وَالْمُظْهِرُ لِغَيْرِهٖ.

(यानी ख़ुद अपनी ज़ात से ज़ाहिर और रोशन हो और दूसरी चीज़ों को ज़ाहिर व रोशन करने वाला हो)। और तफ़सीरे मज़हरी में है कि नूर दर असल उस कैफ़ियत का नाम है जिसको इनसान की देखने वाली क़ुव्वत पहले महसूस करती है और फिर उसके ज़रिये उन तमाम चीज़ों का इल्म व एहसास करती है जो आँख से देखी जाती हैं, जैसे सूरज और चाँद की किरणें उनके सामने के गाढ़े और भारी जिस्मों पर पड़कर पहले उस चीज़ को रोशन कर देती हैं फिर उससे किरणें पलटकर दूसरी चीज़ों को रोशन करती हैं।

इससे मालूम हुआ कि लफ़्ज़ नूर का अपने लुग़वी और उर्फ़ी मायने के एतिबार से हक़ तआ़ला जल्ल शानुहू की ज़ात पर इतलाक़ (हुक्म) नहीं हो सकता, क्योंकि वह जिस्म और जिस्मानियात सबसे बरी और बालातर है। इसलिये उक्त आयत में जो हक़ तआ़ला के लिये लफ़्ज़ नूर का इतलाक़ हुआ है उसके मायने तफ़सीर के तमाम इमामों के नज़दीक मुनव्विर यानी रोशन करने वाले के हैं, या फिर मुबालग़े के लफ़्ज़ की तरह नूर वाले को नूर से ताबीर कर दिया गया जैसे करम वाले को करम और इन्साफ़ वाले को इन्साफ़ कह दिया जाता है। और आयत के मायने वह हैं जो ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में आप पढ़ चुके हैं कि अल्लाह तआ़ला नूर बख़्शने वाले हैं आसमान व ज़मीन को और उसमें बसने वाली सब मख़्लूक़ को। और मुराद इस नूर से हिदायत का नूर है। इब्ने कसीर रह. ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से इसकी तफ़सीर में नक़ल किया है:

الله هادى اهل السّمٰوٰت والارض.

(कि अल्लाह तआ़ला हिदायत देने वाले हैं ज़मीन व आसमान वालों को।)

मोमिन का नूर

مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ......... الآية.

अल्लाह तआ़ला का हिदायत का नूर जो मोमिन के दिल में आता है, यह उसकी एक अ़जीब मिसाल है, जैसा कि इमाम इब्ने जरीर ने हज़रत उबई बिन कअ़ब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से इसकी तफ़सीर में नक़ल किया है:

هو المؤمن الّذى جعل اللّٰه الايمان والقران فى صدره فضرب اللّٰه مثله فقال اللّٰه نور السّمٰوٰت والارض فبدأ بنور نفسه ثم ذكر نور للمؤمن فقال مثل نور من امن به فكان اُبَيّ بن كعب يقرأ هامثل نور من امن به.(ابن كثير)

यानी यह मिसाल उस मोमिन की है जिसके दिल में अल्लाह तआ़ला ने ईमान और क़ुरआन का हिदायत का नूर डाल दिया है। इस आयत में पहले तो अल्लाह तआ़ला ने ख़ुद अपने नूर को ज़िक्र फ़रमायाः

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ.

फिर मोमिन के दिल के नूर का ज़िक्र फ़रमाया 'म-सलु नूरिही' और इस आयत की क़िराअत भी हज़रत उबई इब्ने कअ़ब रज़ियल्लाहु अ़न्हु की 'म-सलु नूरिही' के बजाय 'म-सलु नूरिम् मन् आम-न बिही' की है, और सईद बिन ज़ुबैर रह. ने यही क़िराअत और आयत का यही मफ़्हूम हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से भी रिवायत किया है। इमाम इब्ने कसीर ने ये रिवायतें नक़ल करने के बाद लिखा है कि "म-सलु नूरिही" (उसके नूर की मिसाल) में उस के बारे में तफ़सीर के इमामों के दो क़ौल हैं- एक यह कि यह उस अल्लाह तआ़ला की तरफ़ इशारा है और आयत के मायने यह हैं कि अल्लाह का नूरे हिदायत जो मोमिन के दिल में फ़ितरी तौर पर रखा गया है उसकी मिसाल यह है 'क-मिश्कातिन्.......' यह क़ौल हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु का है। दूसरा क़ौल यह है कि यहाँ उस से मोमिन मुराद हो जिस पर कलाम का बाद का हिस्सा दलालत कर रहा है। इसलिये

हासिल इस मिसाल का यह है कि मोमिन का सीना एक ताक़ की तरह है उसमें उसका दिल एक क़िन्दील की मिसाल है, उसमें बहुत ही साफ़-सुथरा ज़ैतून का रोग़न फ़ितरी नूरे हिदायत की मिसाल है जो मोमिन की फ़ितरत में अमानत रखा गया है। जिसकी ख़ासियत ख़ुद-ब-ख़ुद भी हक़ को क़ुबूल करना है, फिर जिस तरह ज़ैतून का तेल आग के शोले से रोशन होकर दूसरों को रोशन करने लगता है इसी तरह फ़ितरी नूरे हिदायत जो मोमिन के दिल में रखा गया है जब अल्लाह की वही और अल्लाह के इल्म के साथ उसका मिलाप व जोड़ हो जाता है तो रोशन होकर आ़लम को रोशन करने लगता है। और हज़राते सहाबा व ताबिईन ने जो इस मिसाल को मोमिन के दिल के साथ मख़्सूस फ़रमाया वह भी ग़ालिबन इसलिये है कि फ़ायदा इस नूर का सिर्फ़ मोमिन ही उठाता है। वरना वह फ़ितरी नूरे हिदायत जो शुरू पैदाईश के वक़्त इनसान के दिल में रखा जाता है वह मोमिन के साथ ही ख़ास नहीं बल्कि हर इनसान की फ़ितरत और पैदाईश में वह नूरे हिदायत रखा जाता है, इसी का यह असर दुनिया की हर क़ौम हर ख़ित्ते हर मज़हब व मस्लक के लोगों में देखा जाता है कि वह ख़ुदा के वजूद को और उसकी अ़ज़ीम क़ुदरत को फ़ितरी तौर पर मानता है, उसकी तरफ़ रुजू करता है, उसके तसव्वुर (कल्पना) और ताबीर (बयान व व्याख्या) में चाहे कैसी ही ग़लतियाँ करता हो मगर अल्लाह तआ़ला के वजूद का हर इनसान फ़ितरी तौर पर क़ायल होता है सिवाय चन्द माद्दा परस्त (भौतिकवादी) अफ़राद के, जिनकी फ़ितरत बिगड़ गयी है कि वे ख़ुदा ही के वजूद के इनकारी हैं।

एक सही हदीस से इसके आ़म होने की ताईद होती है जिसमें यह इरशाद है:

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ.

यानी हर पैदा होने वाला बच्चा फ़ितरत पर पैदा होता है, फिर उसके माँ-बाप उसको फ़ितरत के तक़ाज़ों से हटाकर ग़लत रास्तों पर डाल देते हैं।

इस फ़ितरत से मुराद ईमान की हिदायत है। यह ईमान की हिदायत और उसका नूर हर इनसान की पैदाईश के वक़्त उसमें रखा जाता है और उसी हिदायत के नूर की वजह से उसमें हक़ को क़ुबूल करने की सलाहियत होती है। जब अम्बिया और उनके नायबों के ज़रिये अल्लाह की वही का इल्म उनको पहुँचता है तो वे उसको आसानी से क़ुबूल कर लेते हैं सिवाय उन फ़ितरत बिगड़े लोगों के जिन्होंने उस फ़ितरी नूर को अपनी हरकतों से मिटा ही डाला है। शायद यही वजह है कि इस आयत के शुरू में तो नूर के अ़ता होने को आ़म बयान फ़रमाया है जो तमाम आसमान वालों और ज़मीन वालों को शामिल है, मोमिन काफ़िर की भी कोई विशेषता और भेद नहीं, और आयत के आख़िर में यह फ़रमाया:

يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ.

यानी अल्लाह तआ़ला अपने नूर की तरफ़ जिसको चाहता है हिदायत कर देता है। यहाँ अल्लाह की मर्ज़ी व चाहत की क़ैद फ़ितरत के उस नूर के लिये नहीं जो हर इनसान में रखा है बल्कि क़ुरआन के नूर के लिये है जो हर शख़्स को हासिल नहीं होता सिवाय उस ख़ुशनसीब के जिसको अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से तौफ़ीक़ नसीब हो, वरना इनसान की कोशिश भी अल्लाह की तौफ़ीक़ के बग़ैर

बेकार बल्कि कभी-कभी नुक़सानदेह भी पड़ जाती है। जैसा कि एक शायर ने कहा है:

اذالم یکن عون من اللہ للفتٰی فاوّل ما یجنی علیہ اجتہادہٗ

यानी अगर अल्लाह की तरफ़ से बन्दे की मदद न हो तो उसकी कोशिश ही उसको उल्टा नुक़सान पहुँचा देती है।

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का नूर

और इमाम बग़वी रह. ने एक रिवायत नक़ल की है कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कअ़बे अहबार से पूछा कि इस आयत की तफ़सीर में आप क्या कहते हैं:

مَثَلُ نُوْرِہٖ کَمِشْکٰوۃٍ.............الخ

(यानी ऊपर बयान हुई आयत 35) हज़रत कअ़बे अहबार जो तौरात व इंजील के बड़े आ़लिम मुसलमान थे उन्होंने फ़रमाया कि यह मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के दिल मुबारक की बयान की गयी है। 'मिश्कात' आपका सीना और 'ज़ुजाजतुन' (क़िन्दील) आपका दिल मुबारक, और मिस्बाह (चिराग़) नुबुव्वत है। और इस नूरे नुबुव्वत का ख़ास्सा यह है कि नुबुव्वत के इज़हार व ऐलान से पहले ही इसमें लोगों के लिये रोशनी का सामान है, फिर अल्लाह की वही और उसके ऐलान का उसके साथ मिलाप हो जाता है तो यह ऐसा नूर होता है कि सारे आ़लम को रोशन करने लगता है।

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के नुबुव्वत के इज़हार बल्कि आपकी पैदाईश से भी पहले जो बहुत से अ़जीब व ग़रीब वाक़िआ़त आ़लम में ऐसे पेश आये जो आपकी नुबुव्वत की ख़ुशख़बरी देने वाले थे, जिनको मुहद्दिसीन की ज़बान में इरहासात कहा जाता है। क्योंकि **मोजिज़ात** का लफ़्ज़ तो उस क़िस्म के उन वाक़िआ़त के लिये मख़्सूस है जो नुबुव्वत के दावे की तस्दीक़ के लिये अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से किसी पैग़म्बर के हाथ पर जारी किये जाते हैं। और नुबुव्वत के दावे से पहले जो इस क़िस्म के वाक़िआ़त दुनिया में ज़ाहिर हों उनको इरहासात का नाम दिया जाता है। इस तरह के बहुत से अ़जीब वाक़िआ़त सही रिवायतों से साबित हैं जिनको शैख़ जलालुद्दीन सुयूती रह. ने 'ख़साइस-ए-कुबरा' में और अबू नुऐम ने 'दलाईलुन्नुबुव्वत' में और दूसरे उलेमा ने भी अपनी मुस्तक़िल किताबों में जमा कर दिया है। उसका एक काफ़ी हिस्सा इस जगह तफ़सीरे मज़हरी में भी नक़ल कर दिया है।

रोग़ने ज़ैतून की बरकतें

شَجَرَۃٍ مُّبٰرَکَۃٍ زَیْتُوْنَۃٍ

इससे ज़ैतून और उसके दरख़्त का मुबारक और नाफ़े व मुफ़ीद होना साबित होता है। उलेमा ने फ़रमाया है कि अल्लाह तआ़ला ने इसमें बेशुमार मुनाफ़े और फ़ायदे रखे हैं। इसको चिराग़ों में रोशनी के लिये भी इस्तेमाल किया जाता है और इसकी रोशनी हर तेल की रोशनी से ज़्यादा साफ़-सुथरी होती है, उसको रोटी के साथ सालन की जगह भी इस्तेमाल किया जाता है, उसके फल को मेवे के

तौर पर खाया भी जाता है और यह ऐसा तेल है जिसके निकालने के लिये किसी मशीन या चर्ख़ी वग़ैरह की ज़रूरत नहीं, ख़ुद-ब-ख़ुद उसके फल से निकल आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि रोग़ने ज़ैतून को खाओ भी और बदन पर मालिश भी करो, क्योंकि यह शजरा-ए-मुबारका (बरकत वाला पेड़) है। (बग़वी, तिर्मिज़ी हज़रत उमर रज़ि. की रिवायत से। मज़हरी)

فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ .... الاٰية

पहले की आयत में हक़ तआ़ला ने मोमिन के दिल में अपना नूरे हिदायत डाल देने की एक ख़ास मिसाल बयान फ़रमाई थी और आख़िर में यह फ़रमाया था कि इस नूर से फ़ायदा वही लोग उठाते हैं जिनको अल्लाह चाहता और तौफ़ीक़ देता है। इस आयत में ऐसे मोमिनों का ठिकाना और मक़ाम बयान फ़रमाया गया कि ऐसे मोमिनों का असल मक़ाम व ठिकाना जहाँ वे अक्सर वक़्तों ख़ुसूसन पाँच नमाज़ों के वक़्तों में देखे जाते हैं, वे मकानात हैं जिनके लिये अल्लाह तआ़ला का हुक्म यह है कि उनको बुलन्द व बाला रखा जाये और उनमें अल्लाह का नाम ज़िक्र किया जाये, और उन घरों व मकानात की शान यह है कि उनमें अल्लाह के नाम की तस्बीह व पाकीज़गी सुबह शाम यानी तमाम वक़्तों में ऐसे लोग करते रहते हैं जिनकी ख़ास सिफ़ात का बयान आगे आता है।

(मुफ़स्सिरीन की अक्सरियत के नज़दीक उन बुयूत (घरों) से मुराद मस्जिदें हैं। इसी को इस तफ़सीर में सामने रखा गया है।)

मस्जिदें अल्लाह के घर हैं उनका अदब व सम्मान वाजिब है

इमाम क़ुर्तुबी ने इसी को तरजीह दी और दलील में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु की यह हदीस पेश की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

من احبّ اللّٰه عزّوجلّ فليحبّني ومن احبّني فليحبّ اصحابي ومن احبّ اصحابي فليحبّ القران ومن احبّ القران فليحبّ المساجد فانها افنية اللّٰه اذن اللّٰه في رفعها وبارك فيها ميمونة ميمون اهلها محفوظة محفوظ اهلها هم في صلاتهم واللّٰه عزّ وجلّ في حوائجهم هم في المساجد واللّٰه من ورآئهم. (قرطبی)

"जो शख़्स अल्लाह तआ़ला से मुहब्बत रखना चाहता है उसको चाहिये कि मुझसे मुहब्बत करे। और जो मुझसे मुहब्बत रखना चाहे उसको चाहिये कि मेरे सहाबा से मुहब्बत करे। और जो सहाबा से मुहब्बत रखना चाहे उसको चाहिये कि क़ुरआन से मुहब्बत करे। और जो क़ुरआन से मुहब्बत रखना चाहे उसको चाहिये कि मस्जिदों से मुहब्बत करे, क्योंकि वो अल्लाह के घर हैं, अल्लाह ने उनके अदब व सम्मान का हुक्म दिया है और उनमें बरकत रखी है, वो भी बरकत वाले हैं और उनके रहने वाले भी बरकत वाले। वो भी अल्लाह की हिफ़ाज़त में हैं और उनके रहने वाले भी हिफ़ाज़त में। वे लोग अपनी नमाज़ों में मशग़ूल होते हैं अल्लाह तआ़ला उनके काम बनाते और हाजतें पूरी करते हैं। वे मस्जिदों में होते हैं तो अल्लाह तआ़ला उनके पीछे उनकी चीज़ों की हिफ़ाज़त करते हैं।" (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

मस्जिदों को बुलन्द करने के मायने

اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ.

'अज़ि-न' इज़्न से निकला है जिसके मायने इजाज़त देने के हैं। और 'तुरफ़-अ' र-फ़-अ से निकला है जिसके मायने बुलन्द करने और सम्मान करने के हैं। आयत के मायने यह हैं कि अल्लाह तआला ने इजाज़त दी है मस्जिदों को बुलन्द करने की। इजाज़त देने से मुराद इसका हुक्म करना है और बुलन्द करने से मुराद उनका अदब व सम्मान करना। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि बुलन्द करने के हुक्म में अल्लाह तआला ने मस्जिदों में बेहूदा और बेकार काम और बात करने से मना फ़रमाया है। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

हज़रत इक्रिमा व मुजाहिद रह. (तफ़सीर के इमामों) ने फ़रमाया कि र-फ़-अ से मुराद मस्जिद का बनाना है जैसे काबे के निर्माण के बारे में क़ुरआन में आया है:

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ.

कि इसमें र-फ़-अ से मुराद बिना और तामीर है। और हज़रत हसन बसरी रह. ने फ़रमाया कि मस्जिदों के उठाने और बुलन्द करने से मुराद मस्जिदों की ताज़ीम व एहतिराम और उनको नजासतों और गन्दी चीज़ों से पाक रखना है जैसा कि हदीस में आया है कि मस्जिद में जब कोई नजासत (नापाकी व गंदगी) लाई जाये तो मस्जिद उससे इस तरह सिमटती है जैसे इनसान की खाल आग से। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस शख़्स ने मस्जिद में से नापाकी और गन्दगी और तकलीफ़ देने वाली चीज़ को निकाल दिया अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत में घर बनायेंगे। (इब्ने माजा)

और हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम अपने घरों में (भी) मस्जिदें (यानी नमाज़ पढ़ने की ख़ास जगहें) बनायें और उनको पाक-साफ़ रखने का एहतिमाम करें। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

और असल बात यह है कि लफ़्ज़ 'तुरफ़-अ' में मस्जिदों का बनाना भी दाख़िल है और उनका अदब व सम्मान करना और पाक-साफ़ रखना भी। पाक-साफ़ रखने में यह भी दाख़िल है कि हर नजासत और गन्दगी से पाक रखें, और यह भी दाख़िल है कि उनको हर बदबू की चीज़ से पाक रखें। इसी लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लहसुन या प्याज़ खाकर बग़ैर मुँह साफ़ किये हुए मस्जिद में आने से मना फ़रमाया है जो हदीस की आम किताबों में परिचित है। सिगरेट, हुक़्क़ा, पान का तम्बाकू खाकर मस्जिद में जाना भी इसी हुक्म में है। मस्जिद में मिट्टी का तेल जलाना जिसमें बदबू होती है वह भी इसी हुक्म में है।

सही मुस्लिम में हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फ़रमाया कि मैंने देखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जिस शख़्स के मुँह से लहसुन या प्याज़ की बदबू महसूस फ़रमाते थे उसको मस्जिद से निकाल कर बक़ीअ़ (मदीने के क़ब्रिस्तान) में भेज देते थे और फ़रमाते

थे कि जिसको लहसुन प्याज़ खाना ही हो तो उसको ख़ूब अच्छी तरह पकाकर खाये कि उनकी बदबू मारी जाये। फ़ुक़हा हज़रात ने इस हदीस से दलील लेकर फ़रमाया कि जिस शख़्स को कोई ऐसी बीमारी हो कि उसके पास खड़े होने वालों को उससे तकलीफ़ पहुँचे उसको भी मस्जिद से हटाया जा सकता है, उसको ख़ुद चाहिये कि जब तक ऐसी बीमारी में है नमाज़ घर में पढ़े।

मस्जिदों के उठाने और बुलन्द करने का मफ़्हूम सहाबा व ताबिईन की अक्सरियत के नज़दीक यही है कि मस्जिदें बनाई जायें और उनको हर बुरी चीज़ से पाक-साफ़ रखा जाये। कुछ हज़रात ने इसमें मस्जिदों की ज़ाहिरी शान व शौकत और तामीरी बुलन्दी को भी दाख़िल क़रार दिया है और दलील दी है कि हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु ने मस्जिदे नबवी की तामीर साल की लकड़ी से शानदार बनाई थी और हज़रत उमर बिन अ़ब्दुल-अ़ज़ीज़ रह. ने मस्जिदे नबवी में नक़्श व निगार (फूल-बूटे) और तामीरी ख़ूबसूरती का काफ़ी एहतिमाम फ़रमाया था और यह ज़माना बड़े सहाबा का था किसी ने उनके इस काम पर एतिराज़ नहीं किया, और बाद के बादशाहों ने तो मस्जिदों की तामीरात में बड़े माल ख़र्च किये हैं। वलीद बिन अ़ब्दुल-मलिक ने अपने ज़माना-ए-ख़िलाफ़त में दमिश्क़ की जामा मस्जिद की तामीर व सजावट पर पूरे मुल्क शाम की सालाना आमदनी से तीन गुना ज़्यादा माल ख़र्च किया था, उनकी बनाई हुई यह मस्जिद आज तक क़ायम है। इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रह. के नज़दीक अगर नाम व नमूद और शोहरत के लिये न हो, अल्लाह के नाम और अल्लाह के घर की ताज़ीम (सम्मान) की नीयत से कोई शख़्स मस्जिद की तामीर शानदार बुलन्द मज़बूत ख़ूबसूरत बनाये तो कोई मनाही नहीं, बल्कि सवाब की उम्मीद है।

मस्जिदों के कुछ फ़ज़ाईल

इमाम अबू दाऊद ने हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स अपने घर से वुज़ू करके फ़र्ज़ नमाज़ के लिये मस्जिद की तरफ़ निकला उसका सवाब उस शख़्स जैसा है जो एहराम बाँधकर घर से हज के लिये निकला हो, और जो शख़्स इश्राक़ की नमाज़ के लिये अपने घर से वुज़ू करके मस्जिद की तरफ़ चला तो उसका सवाब उमरा करने वाले जैसा है। और एक नमाज़ के बाद दूसरी (नमाज़) बशर्ते कि उन दोनों के बीच कोई काम या कलाम न करे, इल्लिय्यीन में लिखी जाती है। और हज़रत बरीदा रज़ि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो लोग अंधेरे में मस्जिदों को जाते हैं उनको क़ियामत के दिन मुकम्मल नूर की ख़ुशख़बरी सुना दीजिये। (मुस्लिम)

और सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मर्द का नमाज़ जमाअ़त के साथ अदा करना, घर में या दुकान में नमाज़ पढ़ने की निस्बत बीस से ज़ायद दर्जे अफ़ज़ल है, और यह इसलिये कि जब कोई शख़्स वुज़ू करे और अच्छी तरह (सुन्नत के मुताबिक़) वुज़ू करे फिर मस्जिद को सिर्फ़ नमाज़ की नीयत से चले और कोई ग़र्ज़ न हो तो हर क़दम पर उसका मर्तबा एक दर्जे बुलन्द हो जाता है और एक गुनाह माफ़ हो जाता है, यहाँ तक कि वह मस्जिद में पहुँच जाये। फिर जब तक जमाअ़त के इन्तिज़ार में बैठा रहेगा उसको नमाज़

ही का सवाब मिलता रहेगा और फ़रिश्ते उसके लिये यह दुआ़ करते रहेंगे कि या अल्लाह! इस पर रहमत नाज़िल फ़रमा और इसकी मग़फ़िरत फ़रमा, जब तक कि वह किसी को तकलीफ़ न पहुँचाये और उसका वुज़ू न टूटे। और हज़रत हकम बिन उमैर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि दुनिया में मेहमानों की तरह रहो और मस्जिदों को अपना घर बनाओ और अपने दिलों को रिक़्क़त की आ़दत डालो (यानी नर्म दिल वाले बनो) और (अल्लाह की नेमतों में) कसरत से ग़ौर व फ़िक्र किया करो और कसरत से (अल्लाह के ख़ौफ़ से) रोया करो। ऐसा न हो कि दुनिया की इच्छायें तुम्हें इस हाल से अलग कर दें और हटा दें कि तुम घरों की फ़ुज़ूल तामीरात में लग जाओ जिनमें रहना भी न हो और ज़रूरत से ज़्यादा माल जमा करने की फ़िक्र में लग जाओ और भविष्य के लिये ऐसी फ़ुज़ूल तमन्नाओं में मुब्तला हो जाओ जो पा न सको। और हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अपने बेटे को नसीहत फ़रमाई कि तुम्हारा घर मस्जिद होना चाहिये क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है कि मस्जिदें मुत्तक़ी लोगों के घर हैं, जिस शख़्स ने मस्जिदों को (ख़ूब ज़्यादा ज़िक्र करने के ज़रिये) अपना घर बना लिया, अल्लाह तआ़ला उसके लिये राहत व सुकून और पुलसिरात पर आसानी से गुज़रने का ज़ामिन (गारंटी देने वाला) हो गया। और अबू सादिक़ अज़्दी ने शुऐब बिन जिहाब को ख़त लिखा कि मस्जिदों को लाज़िम पकड़ो क्योंकि मुझे यह रिवायत पहुँची है कि मस्जिदें ही अम्बिया की मज्लिसें थीं।

और एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि आख़िर ज़माने में ऐसे लोग होंगे जो मस्जिदों में आकर जगह-जगह हल्क़े बनाकर बैठ जायेंगे और वहाँ दुनिया ही की और उसकी मुहब्बत की बातें करेंगे, तुम ऐसे लोगों के साथ न बैठो क्योंकि अल्लाह तआ़ला को ऐसे मस्जिद में आने वालों की ज़रूरत नहीं।

और हज़रत सईद बिन मुसैयब रह. ने फ़रमाया कि जो शख़्स मस्जिद में बैठा गोया वह अपने रब की मज्लिस में बैठा है, इसलिये उसके ज़िम्मे है कि ज़बान से सिवाय अच्छी बात के और कोई कलिमा न निकाले। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

मस्जिदों के पन्द्रह आदाब

उलेमा हज़रात ने मस्जिदों के आदाब में पन्द्रह चीज़ों का ज़िक्र फ़रमाया है। अव्वल यह कि मस्जिद में पहुँचने पर अगर कुछ लोगों को बैठा देखे तो उनको सलाम करे और कोई न हो तो 'अस्सलामु अ़लैना व अ़ला अ़िबादिल्लाहिस्सालिहीन' कहे (लेकिन यह उस सूरत में है जबकि मस्जिद में मौजूद लोग नफ़्ली नमाज़ या तिलावत व तस्बीह वग़ैरह में मशग़ूल न हों वरना इसको सलाम करना दुरुस्त नहीं। शफ़ी)।

दूसरे यह कि मस्जिद में दाख़िल होकर बैठने से पहले दो रक्अ़त तहिय्यतुल-मस्जिद की पढ़े (यह भी जब है कि उस वक़्त नमाज़ पढ़ना मकरूह न हो, जैसे सूरज के बिल्कुल निकलने या छुपने या दोपहर में सीधा खड़ा होने यानी ज़वाल से कुछ पहले निस्फ़ुन्नहार का वक़्त न हो। शफ़ी)।

तीसरे यह कि मस्जिद में ख़रीद व बेच न करे। चौथे यह कि वहाँ तीर तलवार न निकाले।

पाँचवें यह कि मस्जिद में अपनी गुमशुदा चीज़ तलाश करने का ऐलान न करे। छठे यह कि मस्जिद में आवाज़ ऊँची न करो। सातवें यह कि वहाँ दुनिया की बातें न करो। आठवें यह कि मस्जिद में बैठने की जगह में किसी से झगड़ा न करे। नवें यह कि जहाँ सफ़ में पूरी जगह न हो वहाँ घुसकर लोगों पर तंगी पैदा न करे। दसवें यह कि किसी नमाज़ पढ़ने वाले के आगे से न गुज़रे। ग्यारहवें यह कि मस्जिद में थूकने नाक साफ़ करने से परहेज़ करे। बारहवें अपनी उंगलियाँ न चटकाये। तेरहवें यह कि अपने बदन के किसी हिस्से से खेल न करे। चौदहवें यह कि गंदगियों से पाक-साफ़ रहे और किसी छोटे बच्चे या मजनूँ (कम-अक़्ल व पागल) को साथ न ले जाये। पन्द्रहवें यह कि वहाँ कसरत से ज़िक्रुल्लाह में मशग़ूल रहे।

अ़ल्लामा क़ुर्तुबी ने ये पन्द्रह आदाब लिखने के बाद फ़रमाया है कि जिसने ये काम कर लिये उसने मस्जिद का हक़ अदा कर दिया और मस्जिद उसके लिये बचाव व अमान की जगह बन गयी।

अहक़र ने मस्जिदों के आदाब व अहकाम एक मुस्तक़िल रिसाले जिसका नाम आदाबुल-मसाजिद है में जमा कर दिये हैं जिनको ज़रूरत हो उसका मुताला फ़रमायें।

उन जगहों का ज़िक्र जो मस्जिदों के हुक्म में हैं

जो मकानात अल्लाह के ज़िक्र, क़ुरआन की तालीम देने, दीनी इल्म सिखाने के लिये मख़्सूस हों वो भी मस्जिदों के हुक्म में हैं।

तफ़सीर बहरे मुहीत में अबू हय्यान रह. ने फ़रमाया कि 'फ़ी बुयूतिन' का लफ़्ज़ क़ुरआन में आ़म है, जिस तरह मसाजिद इसमें दाख़िल हैं इसी तरह वो मकानात जो ख़ास क़ुरआन और दीन की तालीम या वअ़ज़ व नसीहत या ज़िक्र व शग़ल के लिये बनाये गये हों जैसे मदरसे और ख़ानक़ाहें, वो भी इस हुक्म में दाख़िल हैं, उनका भी अदब व एहतिराम लाज़िम है।

'अज़िनल्लाहु अन् तुर्फ़-अ़' में लफ़्ज़ 'अज़ि-न' की ख़ास हिक्मत

तफ़सीर के उलेमा की इस पर सहमति है कि इस जगह 'अज़ि-न' हुक्म के मायने में है, मगर सवाल यह पैदा होता है कि फिर लफ़्ज़ 'अज़ि-न' के इस जगह लाने में क्या मस्लेहत है। तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में एक बारीक मस्लेहत यह बयान की है कि इसमें नेक मोमिनों को इस अदब की तालीम व तरग़ीब देना है कि वे अल्लाह तआ़ला की मर्ज़ी हासिल करने के हर काम के लिये ऐसे मुस्तैद और तैयार होने चाहियें कि हुक्म की ज़रूरत न पड़े, सिर्फ़ इसके मुन्तज़िर हों कि कब हमें इस काम की इजाज़त मिले तो हम यह सौभाग्य हासिल करें।

يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ

यहाँ अल्लाह का नाम ज़िक्र करने में हर क़िस्म का ज़िक्र शामिल है। तस्बीह व तहमीद (अल्लाह की पाकी और तारीफ़ बयान करना) वग़ैरह भी, नफ़्ली नमाज़ भी, क़ुरआन का पढ़ना, वअ़ज़ व नसीहत, दीन के इल्म की तालीम और दीनी उलूम के सब काम और मश्ग़ले इसमें दाख़िल हैं।

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

इसमें उन मोमिनों की ख़ास सिफ़ात बयान की गयी हैं जिन पर अल्लाह तआ़ला का नूरे हिदायत ख़ास तौर पर नाज़िल होता है और जो मस्जिदों को आबाद रखने वाले हैं। इसमें लफ़्ज़ रिजाल की ताबीर में इस तरफ़ इशारा है कि मसाजिद की हाज़िरी दर असल मर्दों के लिये है औरतों की नमाज़ उनके घरों में अफ़ज़ल (बेहतर) है।

मुस्नद अहमद और बैहक़ी में हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया है:

خیر مساجد النساء قعر بیوتھن.

यानी औरतों की बेहतरीन मस्जिदें उनके घरों के तंग व अंधेरे गोशे हैं।

इस आयत में नेक मोमिनों की यह सिफ़त बयान की है कि उनको तिजारत और बेचने का काम-धंधा अल्लाह की याद से ग़ाफ़िल नहीं करता। लफ़्ज़ तिजारत में चूँकि बै (बेचना) भी दाख़िल है इसलिये कुछ मुफ़स्सिरीन ने मुक़ाबले की वजह से इस जगह तिजारत से मुराद ख़रीदारी और बै से मुराद फ़रोख़्त करना लिया है, और कुछ हज़रात ने तिजारत को अपने आ़म मायनों में रखा है, यानी लेन-देन ख़रीद-फ़रोख़्त के मामलात, फिर बै को अलग करके बयान करने की हिक्मत यह बतलाई है कि तिजारत के मामलात तो एक विस्तृत मायने में है जिसके फ़ायदे व लाभ कभी मुद्दतों में वसूल होते हैं और किसी चीज़ को फ़रोख़्त कर देने और क़ीमत मय नफ़े के नक़द वसूल कर लेने का फ़ायदा फ़ौरी और नक़द है, उसको ख़ुसूसियत से इसलिये ज़िक्र फ़रमाया कि अल्लाह के ज़िक्र और नमाज़ के मुक़ाबले में वह किसी बड़े से बड़े दुनियावी फ़ायदे का भी ख़्याल नहीं करते।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि यह आयत बाज़ार वालों के बारे में नाज़िल हुई है और उनके बेटे हज़रत सालिम रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि एक दिन हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु बाज़ार से गुज़रे तो नमाज़ का वक़्त हो गया था, लोगों को देखा कि दुकानें बन्द करके मस्जिद की तरफ़ जा रहे हैं तो फ़रमाया कि इन्हीं लोगों के बारे में क़ुरआन का यह इरशाद है:

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ.

और हुज़ूरे पाक के ज़माने में दो सहाबी थे- एक तिजारत करते थे दूसरे कारीगरी यानी लुहार का काम करते और तलवारें बनाकर बेचते थे। पहले सहाबी की तिजारत का हाल यह था कि अगर सौदा तौलने के वक़्त अज़ान की आवाज़ कान में पड़ जाती तो वहीं तराज़ू को पटक कर नमाज़ के लिये खड़े हो जाते थे। दूसरे बुज़ुर्ग का यह आ़लम था कि अगर गर्म लोहे पर हथोड़े की चोट लगा रहे हैं और कान में अज़ान की आवाज़ आ गयी तो अगर हथोड़ा मोंढे पर उठाये हुए हैं तो वहीं मोंढे के पीछे हथोड़ा डालकर नमाज़ को चल देते थे, उठाये हुए हथोड़े की चोट से काम लेना भी गवारा न था। उनकी तारीफ़ में यह आयत नाज़िल हुई। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

अधिकतर सहाबा-ए-किराम कारोबारी थे

इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि सहाबा-ए-किराम ज़्यादातर तिजारत-पेशा या हाथ के हुनर

वाले थे, जो काम कि बाज़ारों से संबन्धित हैं, क्योंकि तिजारत व बै का अल्लाह की याद से रुकावट व बाधक न होना उन्हीं लोगों की सिफ़त हो सकता है जिनका मशग़ला तिजारत व बै का हो, वरना यह कहना फ़ुज़ूल होगा। (तबरानी, इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से। रूहुल-मआ़नी)

يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُo

ये मोमिन हज़रात जिनका ज़िक्र ऊपर आयत में आया है उनका आख़िरी गुण और ख़ूबी जिसमें बतलाया है कि ये हज़रात हर वक़्त ज़िक्रुल्लाह और नेकी व इबादतों में मशग़ूल होने के बावजूद बेफ़िक्र और निडर भी नहीं हो जाते बल्कि क़ियामत के हिसाब का ख़ौफ़ इन पर मुसल्लत रहता है। और यह उस नूरे हिदायत का कमाल है जो अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से उनको अ़ता हुआ है, जिसका ज़िक्र ऊपर आयत में 'यह्दिल्लाहु लिनूरिही मंय्यशा-उ' में फ़रमाया। आख़िर में ऐसे हज़रात की जज़ा (सवाब और उम्दा बदले) का ज़िक्र है कि अल्लाह तआ़ला उनको उनके अ़मल की बेहतरीन जज़ा अ़ता फ़रमायेंगे और फिर फ़रमाया 'व यज़ी-दहुम् मिन् फ़ज़्लिही' यानी सिर्फ़ अ़मल की जज़ा देने पर बस नहीं होगा बल्कि अपनी तरफ़ से अतिरिक्त इनामात भी उनको मिलेंगे।

وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍo

यानी अल्लाह तआ़ला न किसी क़ानून का पाबन्द है न उसके ख़ज़ाने में कभी कमी आती है, वह जिसको चाहे बेहिसाब रिज़्क़ दे देता है। यहाँ तक नेक मोमिन जिनके सीने हिदायत के नूर क़िन्दील होते हैं और जो नूरे हिदायत को ख़ास तौर से क़ुबूल करते हैं, उनका ज़िक्र था। आगे उन काफ़िरों का ज़िक्र है जिनकी फ़ितरत में तो अल्लाह तआ़ला ने हिदायत के नूर का माद्दा रखा था मगर जब उस माद्दे को रोशन करने वाली अल्लाह की वही उनको पहुँची तो उससे मुँह फेरने और इनकार करके नूर से मेहरूम हो गये और अंधेरे ही अंधेरे में रह गये, और उनमें चूँकि काफ़िर व इनकारी दो क़िस्म के थे इसलिये उनकी दो मिसालें बयान की गयीं जिनकी तफ़सील ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में आ चुकी है। दोनों मिसालें बयान फ़रमाने के बाद इरशाद फ़रमायाः

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَالَهٗ مِنْ نُّوْرٍo

यह जुमला काफ़िरों के बारे में ऐसा ही है जैसा मोमिनों के बारे में यह इरशाद हुआ था 'यह्दिल्लाहु लिनूरिही मंय्यशा-उ'। काफ़िरों के लिये इस जुमले में हिदायत के नूर से मेहरूमी का ज़िक्र है कि उन्होंने अल्लाह के अहकाम से मुँह मोड़कर अपना फ़ितरी नूर भी फ़ना कर लिया, अब जबकि अल्लाह के हिदायत वाले नूर से मेहरूम हो गये तो नूर कहाँ से आये।

इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि कोई शख़्स केवल इल्म व समझ के साधन जमा होने से आ़लिम व समझदार नहीं होता बल्कि वह सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला की अ़ता से होता है। यही वजह है कि बहुत से आदमी जो दुनिया के कामों में बिल्कुल नावाक़िफ़ बेख़बर समझे जाते हैं आख़िरत के मामले में वे बड़े समझदार व अ़क़्लमन्द साबित होते हैं। इसी तरह इसके विपरीत बहुत से आदमी जो दुनिया के कामों में बड़े माहिर और समझदार माने जाते हैं मगर आख़िरत के मामले में बड़े बेवक़ूफ़ जाहिल साबित होते हैं। (तफ़सीरे मज़हरी)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ۖ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرُ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهِ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ ۖ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ۝ يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ ۝ وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلٰى بَطْنِهِ ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلٰى أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

अलम् त-र अन्नल्ला-ह युसब्बिहु लहू मन् फ़िस्समावाति वल्अर्ज़ि वत्तैरु साफ़्फ़ातिन्, कुल्लुन् क़द् अ़लि-म सला-तहू व तस्बी-हहू, वल्लाहु अ़लीमुम् बिमा यफ़्अ़लून (41) व लिल्लाहि मुल्कुस्समावाति वल्अर्ज़ि व इलल्लाहिल्-मसीर (42) अलम् त-र अन्नल्ला-ह युज़्जी सहाबन् सुम्-म युअल्लिफ़ु बैनहू सुम्-म यज्अ़लुहू रुकामन् फ़-तरल्-वद्-क़ यख़्रुजु मिन् ख़िलालिही व युनज़्ज़िलु मिनस्समा-इ मिन् जिबालिन् फ़ीहा मिम्-ब-रदिन् फ़युसीबु बिही मंय्यशा-उ व यस्रिफ़ुहू अ़म्-मंय्यशा-उ, यकादु सना बर्क़िही यज़्हबु बिल्अब्सार (43) युक़ल्लिबुल्लाहुल्-लै-ल वन्नहा-र, इन्-न फ़ी ज़ालि-क

क्या तूने न देखा कि अल्लाह की याद करते हैं जो कोई हैं आसमान व ज़मीन में और उड़ते जानवर पंख खोले हुए, हर एक ने जान रखी है अपनी तरह की बन्दगी और याद, और अल्लाह को मालूम है जो कुछ करते हैं। (41) और अल्लाह की हुकूमत है आसमान और ज़मीन में और अल्लाह ही तक फिर जाना है। (42) तूने न देखा कि अल्लाह हाँक लाता है बादल को फिर उनको मिला देता है फिर उनको रखता है तह-ब-तह (यानी एक दूसरे के ऊपर नीचे) फिर तू देखे मींह निकलता है उसके बीच से, और उतारता है आसमान से उसमें जो पहाड़ हैं ओलों के फिर वह डालता है जिस पर चाहे, और बचा देता है जिससे चाहे, अभी उसकी बिजली के कौंद लेजाये आँखों को। (43) अल्लाह बदलता है रात और दिन को

लअ़िब्-रतल्-लिउलिल्-अब्सार (44) वल्लाहु ख़-ल-क़ कुल्-ल दाब्बतिम् मिम्-माइन् फ़-मिन्हुम् मंय्यम्शी अ़ला बत्निही व मिन्हुम् मंय्यम्शी अ़ला रिज्लैनि व मिन्हुम् मंय्यम्शी अ़ला अर्-बअ़िन्, यख़्लुक़ुल्लाहु मा यशा-उ, इन्नल्ला-ह अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर (45)	इसमें ध्यान करने की जगह है आँख वालों को। (44) और अल्लाह ने बनाया हर फिरने वाले को एक पानी से, फिर कोई है कि चलता है अपने पेट पर और कोई है कि चलता है दो पाँव पर और कोई है कि चलता है चार पर, बनाता है अल्लाह जो चाहता है, बेशक अल्लाह हर चीज़ कर सकता है। (45)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(ऐ मुख़ातब!) क्या तुझको (दलीलों, अनुभव और देखने से) मालूम नहीं हुआ कि अल्लाह की पाकी बयान करते हैं सब जो कुछ कि आसमानों में और ज़मीन में (मख़्लूक़ात) हैं, (चाहे बोलकर जो कुछ मख़्लूक़ात में देखा भी जाता है चाहे हाल के एतिबार से जो तमाम मख़्लूक़ात में अ़क़्ल की दलालत से मालूम है) और (ख़ासकर) परिन्दे (भी) जो पर फैलाये हुए (उड़ते फिरते) हैं (कि उनकी दलालत उनके पैदा करने और बनाने वाले पर और ज़्यादा अ़जीब है कि बावजूद उनके भारी जिस्मों वाले होने के फिर फ़ज़ा में रुके हुए हैं और) सब (परिन्दों) को अपनी-अपनी दुआ़ (और इल्तिजा अल्लाह से) और अपनी तस्बीह (व पाकीज़गी बयान करने का तरीक़ा इल्हाम से) मालूम है, और (बावजूद इन दलीलों के फिर भी बाज़े तौहीद को नहीं मानते, तो) अल्लाह तआ़ला को उन लोगों के सब कामों का पूरा इल्म है (इस इनकार व मुँह मोड़ने पर उनको सज़ा देगा)। और अल्लाह तआ़ला ही की हुकूमत है आसमानों और ज़मीन में, (अब भी) और (इन्तिहा में) अल्लाह तआ़ला ही की तरफ़ (सब को) लौटकर जाना है (उस वक़्त भी हाकिमाना तसर्रुफ़ उसी का होगा। चुनाँचे हुकूमत का एक असर बयान किया जाता है वह यह कि ऐ मुख़ातब!) क्या तुझको यह बात मालूम नहीं कि अल्लाह तआ़ला (एक) बादल को (दूसरे बादल की तरफ़) चलता करता है (और) फिर उस बादल (के मजमूए) को आपस में मिला देता है, फिर उसको तहं-ब-तह करता है, फिर तू बारिश को देखता है कि उस (बादल) के बीच में से निकल (-निकलकर) आती है, और उसी बादल से यानी उसके बड़े-बड़े हिस्सों में से ओले बरसाता है, फिर उनको जिस (की जान पर या माल) पर चाहता है गिराता है (कि उसका नुक़सान हो जाता है) और जिससे चाहता है उसको हटा देता है, (और उसके जान व माल को बचा लेता है और) उस बादल (में से बिजली भी पैदा होती है और ऐसी चमकदार कि उस बादल) की बिजली की चमक की यह हालत है कि ऐसा मालूम होता है कि गोया उसने अब बीनाई "यानी आँखों की रोशनी" को उचक लिया (यह भी अल्लाह तआ़ला ही के तसर्रुफ़ात में से है। और) अल्लाह

तआ़ला रात और दिन को बदलता रहता है (यह भी अल्लाह तआ़ला के उलट-फेर करने और इख़्तियार इस्तेमाल करने से है) इस (सब मज़मूए) में समझ रखने वालों के लिये दलील हासिल करने (का मौक़ा) है। (जिससे अल्लाह के एक होने और तमाम कायनात का मालिक होने पर दलील पकड़ते हैं) और अल्लाह (ही का यह तसर्रुफ़ भी है कि उस) ने हर चलने वाले जानदार को (पानी का हो या ख़ुश्की का) पानी से पैदा किया है। फिर उन (जानवरों) में बाज़े तो वो (जानवर) हैं जो अपने पेट के बल चलते हैं (जैसे साँप, मछली) और बाज़े उनमें वो हैं जो दो पैरों पर चलते हैं (जैसे इनसान और परिन्दे जबकि हवा में न हों) और बाज़े उनमें वो हैं जो चार (पैरों) पर चलते हैं (जैसे मवेशी, इसी तरह बाज़े ज़्यादा पर भी। असल यह है कि) अल्लाह जो चाहता है बनाता है। बेशक अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर क़ादिर है (उसको कुछ भी मुश्किल नहीं)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ.

आयत के शुरू में यह फ़रमाया कि ज़मीन व आसमान और उनके बीच की हर मख़्लूक़ और हर चीज़ अल्लाह तआ़ला की तस्बीह व पाकी करने में मशग़ूल है। इस तस्बीह का मतलब हज़रत सुफ़ियान रह. ने यह बयान फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने दुनिया की हर चीज़ आसमान, ज़मीन, सूरज व चाँद और तमाम सितारे व सय्यारे (ग्रह) और ज़मीन के तत्व आग, पानी, मिट्टी हवा सब को ख़ास-ख़ास कामों के लिये पैदा फ़रमाया है, और जिसको जिस काम के लिये पैदा फ़रमाया है वह बराबर उस पर लगा हुआ है, उससे बाल बराबर भी ख़िलाफ़ नहीं करता। इसी इताअ़त व फ़रमाँबरदारी को इन चीज़ों की तस्बीह फ़रमाया है। हासिल यह है कि उनकी तस्बीह हाली है बोलने और ज़ुबान से बयान करने की नहीं। उनकी ज़बाने हाल बोल रही है कि ये अल्लाह तआ़ला को पाक व बरतर समझकर उसकी इताअ़त में लगे हुए हैं।

अ़ल्लामा ज़मख़्शरी और दूसरे मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया कि इसमें भी कोई दूर की और असंभव बात नहीं कि अल्लाह तआ़ला ने हर एक चीज़ के अन्दर इतनी समझ व शऊर रखी हो जिससे वह अपने ख़ालिक़ व मालिक को पहचाने और इसमें भी कोई मुश्किल और दूर की बात नहीं कि उनको किसी ख़ास किस्म की बोलने की ताक़त अ़ता फ़रमाई हो और ख़ास किस्म की तस्बीह व इबादत उनको सिखा दी हो, जिसमें वो मशग़ूल रहते हों। आख़िरी जुमले 'कुल्लुन् क़द् अ़लि-म सलातहू' में इसी मज़मून की तरफ़ इशारा पाया जाता है कि अल्लाह तआ़ला की तस्बीह और नमाज़ में सारी मख़्लूक़ लगी हुई है, मगर हर एक की नमाज़ और तस्बीह का तरीक़ा और सूरत भिन्न और अलग है। फ़रिश्तों का और तरीक़ा, इनसान का दूसरा, और पेड़-पौधों किसी और तरह से नमाज़ व तस्बीह की इबादत अदा करते हैं, बेजान चीज़ें किसी और तरीक़े से। क़ुरआने करीम की एक दूसरी आयत से भी इसी मज़मून की ताईद होती है जिसमें इरशाद है:

اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى○

यानी अल्लाह तआ़ला ने हर चीज़ को पैदा किया फिर उसको हिदायत दी। वह हिदायत यही है कि वह हर वक़्त हक़ तआ़ला की इताअ़त में लगी हुई, अपनी सौंपी हुई ड्यूटी को पूरा कर रही है, इसके अ़लावा उसकी अपनी ज़रूरियाते ज़िन्दगी के बारे में भी उसको ऐसी हिदायत दे दी है कि बड़े बड़े अ़क़्लमन्दों की अ़क़्ल हैरान हो जाती है। अपने रहने बसने के लिये कैसे-कैसे घोंसले और बिल वग़ैरह बनाते हैं और अपनी ग़िज़ा वग़ैरह हासिल करने के लिये कैसी-कैसी तदबीरें करते हैं।

مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا.

यहाँ **समा** (आसमान) से मुराद बादल है और **जिबाल** (पहाड़) से मुराद बड़े-बड़े बादल हैं और **बर्द** ओले को कहा जाता है।

لَقَدْ أَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ۗ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَاِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝ وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْٓا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ۝ اَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْٓا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ؕ بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝ اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ۝ وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ؕ قُلْ لَّا تُقْسِمُوْا ۚ طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝ قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ؕ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ؕ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝

लक़द् अन्ज़ल्ना आयातिम् मुबय्यिनातिन् वल्लाहु यह्दी मंय्यशा-उ इला सिरातिम् मुस्तक़ीम। (46) व यक़ूलू-न आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूलि व अ-तअ़्ना सुम्-म य-तवल्ला फ़रीक़ुम्-मिन्हुम् मिम्-बअ़्दि ज़ालि-क, व मा उलाइ-क बिल्-मुअ्मिनीन (47) व इज़ा दुअ़ू	हमने उतारीं आयतें खोल-खोलकर बतलाने वाली, और अल्लाह चलाये जिसको चाहे सीधी राह पर। (46) और लोग कहते हैं हमने माना अल्लाह को और रसूल को और हुक्म में आ गये फिर फिर जाता है एक फ़िर्क़ा उनमें से उसके बाद और वे लोग नहीं मानने वाले। (47) और जब

इलल्लाहि व रसूलिही लि-यह्कु-म बैनहुम् इज़ा फ़रीक़ुम्-मिन्हुम् मुअ्रिज़ून (48) व इंय्यकुल्-लहुमुल्-हक़्क़ु यअ्तू इलैहि मुज़्अिनीन (49) अ-फ़ी क़ुलूबिहिम् म-रज़ुन् अमिर्ताबू अम् यख़ाफ़ू-न अंय्यहीफ़ल्लाहु अ़लैहिम् व रसूलुहू, बल् उलाइ-क हुमुज़्ज़ालिमून (50) ❁ ▲

उनको बुलाईये अल्लाह और रसूल की तरफ़ कि उनमें कज़िया चुकाईये तब ही एक फ़िर्क़े के लोग उनमें मुँह मोड़ते हैं। (48) और अगर उनको कुछ पहुँचता हो तो चले आयें उसकी तरफ़ क़ुबूल कर-कर। (49) क्या उनके दिलों में रोग है या धोखे में पड़े हुए हैं, या डरते हैं कि बेइन्साफ़ी करेगा उन पर अल्लाह और उसका रसूल, कुछ नहीं! वही लोग बेइन्साफ़ हैं। (50) ❁ ▲

इन्नमा का-न क़ौलल्-मुअ्मिनी-न इज़ा दुअू इलल्लाहि व रसूलिही लि-यह्कु-म बैनहुम् अंय्यकूलू समिअ्ना व अतअ्ना, व उलाइ-क हुमुल्-मुफ़्लिहून (51) व मंय्युतिअ़िल्ला-ह व रसूलहू व यख़्शल्ला-ह व यत्तक़्हि फ़-उलाइ-क हुमुल्-फ़ाइज़ून (52) व अक़्समू बिल्लाहि जह्-द ऐमानिहिम् ल-इन् अमर्-तहुम् ल-यख़्रुजुन्-न, क़ुल्-ला तुक़्सिमू ता-अ़तुम् मअ्रू-फ़तुन्, इन्नल्ला-ह ख़बीरुम्-बिमा तअ्मलून (53) क़ुल् अतीअ़ुल्ला-ह व अतीअ़ुर्रसू-ल फ़-इन् तवल्लौ फ़-इन्नमा अ़लैहि मा हुम्मि-ल व अ़लैकुम् मा हुम्मिल्तुम्, व इन्

ईमान वालों की बात यही थी कि जब बुलाईये उनको अल्लाह और रसूल की तरफ़ फ़ैसला करने को उनमें तो कहें हमने सुन लिया और हुक्म मान लिया और वे लोग कि उन्हीं का भला है। (51) और जो कोई हुक्म पर चले अल्लाह के और उसके रसूल के और डरता रहे अल्लाह से और बचकर चले उससे सो वही लोग हैं मुराद को पहुँचने वाले। (52) और क़समें खाते हैं अल्लाह की अपनी ताकीद की क़समें कि अगर तू हुक्म करे तो सब कुछ छोड़कर निकल जायें, तू कह- क़समें न खाओ हुक्म का पालन करना दरकार है जो दस्तूर है, यक़ीनन अल्लाह को ख़बर है जो तुम करते हो। (53) तू कह- हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का फिर अगर तुम मुँह फेरोगे तो उसका ज़िम्मा है जो बोझ उसपर रखा और तुम्हारा ज़िम्मा है जो बोझ तुम पर रखा, और अगर उसका कहा मानो तो राह

तुतीअूहु तह्तदू, व मा अ़लर्रसूलि इल्लल्-बलाग़ुल्-मुबीन (54)	पाओ, और पैग़ाम लाने वाले का ज़िम्मा नहीं मगर पहुँचा देना खोलकर। (54)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

हमने (हक़ के) समझाने वाली दलीलें (आ़म हिदायत के लिये) नाज़िल फ़रमाई हैं, और (उन आ़म में से) जिसको अल्लाह चाहता है सीधे रास्ते की तरफ़ (ख़ास) हिदायत फ़रमाता है (कि वह माबूद होने के इल्मी हुक़ूक़ यानी सही अ़क़ीदे और अ़मली हुक़ूक़ यानी नेकी को बजा लाता है, वरना बहुत से मेहरूम ही रहते हैं) और ये मुनाफ़िक़ लोग (ज़बान से) दावा करते हैं कि हम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आये और (ख़ुदा और रसूल का) हुक्म (दिल से) माना, फिर उसके बाद (जब अ़मल करके अपना दावा साबित करने का वक़्त आया तो) उनमें का एक गिरोह (जो बहुत ज़्यादा शरीर है ख़ुदा और रसूल के हुक्म से) नाफ़रमानी करता है। (उस वक़्त से वह सूरत मुराद है कि जब उनके ज़िम्मे किसी का हक़ चाहता हो और हक़ वाला उस मुनाफ़िक़ से दरख़्वास्त करे कि चलो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास मुक़द्दमा ले चलें उस मौक़े पर ये नाफ़रमानी करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि आपके इजलास में जब हक़ साबित हो जायेगा तो उसी के मुवाफ़िक़ आप फ़ैसला करेंगे, जैसा कि आयत नम्बर 48 में उस मौक़े का यही बयान आ रहा है, और एक फ़रीक़ को ख़ास करना जबकि तमाम मुनाफ़िक़ लोग ऐसे ही थे इसलिए है कि ग़रीब-ग़ुरबा को दिली नागवारी के बावजूद इनकार करने की जुर्रत व हिम्मत नहीं हुआ करती, यह काम वही लोग करते हैं जिनको कुछ रुतबा व मक़ाम और क़ुव्वत हासिल हो) और ये लोग बिल्कुल भी ईमान नहीं रखते (यानी दिल में तो किसी मुनाफ़िक़ के भी ईमान नहीं मगर इनका तो वह ज़ाहिरी दिखावे का ईमान भी न रहा जैसा कि सूरः तौबा की आयत 74 और आयत 66 में है)।

(और उस नाफ़रमानी और हुक्म न मानने का बयान यह है कि) ये लोग जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ इस ग़र्ज़ से बुलाये जाते हैं कि रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) उनके (और उनके मुख़ालिफ़ के) बीच फ़ैसला कर दें तो इनमें का एक गिरोह (वहाँ हाज़िर होने से) किनारा करता है (और टालता है, और यह बुलाना अगरचे रसूल ही की तरफ़ है मगर चूँकि आपका फ़ैसला अल्लाह के हुक्म की बिना पर होता है इसलिये अल्लाह तआ़ला की तरफ़ भी निस्बत कर दी गई, ग़र्ज़ कि जब उनके ज़िम्मे किसी का हक़ चाहता है तब तो उनकी यह हालत होती है) और अगर (इत्तिफ़ाक़ से) उनका हक़ (किसी दूसरे के ज़िम्मे हो) तो सर झुकाये हुए (बेतकल्लुफ़ आपके बुलाने पर) आपके पास चले आते हैं (क्योंकि इत्मीनान होता है कि वहाँ हक़ का फ़ैसला होगा, उसमें हमारा फ़ायदा है)।

(आगे उन लोगों के मुँह मोड़ने और हाज़िर न होने की वजह व असबाब चन्द संभावनाओं और गुमान व शुब्हात के तौर पर बयान करके और सब गुमानों व संभावनाओं की नफ़ी और एक गुमान व संभावना का सुबूत है) आया (इस मुँह मोड़ने का सबब यह है कि) उनके दिलों में (जड़ पकड़े हुए

कुफ़्र का) रोग है (यानी उनको इसका यक़ीन है कि आप अल्लाह के रसूल नहीं) या ये (नुबुव्वत की तरफ़ से) शक में पड़े हैं (कि रसूल न होने का यक़ीन तो नहीं मगर रसूल होने का भी यक़ीन नहीं) या उनको यह अन्देशा है कि अल्लाह और उसका रसूल उन पर ज़ुल्म करने लगें (और उनके ज़िम्मे जो हक़ है उससे ज़्यादा दिला दें, सो हक़ीक़त यह है कि इन असबाब में से कोई भी सबब) नहीं (है) बल्कि (असली सबब यह है) कि ये लोग (उन मुक़दमों में) ज़ुल्म पर उतरे हुए (होते) हैं (इसलिये नबी करीम के दरबार में मुक़दमा लाना पसन्द नहीं करते कि हम हार जायेंगे, और पहले बयान हुए बाक़ी सब असबाब का कोई वजूद नहीं)।

मुसलमानों (की शान और उन) का क़ौल तो जबकि उनको (किसी मुक़द्दमे में) अल्लाह की और उसके रसूल की तरफ़ बुलाया जाता है यह है कि वे (दिली ख़ुशी से) कहते हैं कि हमने (तुम्हारा कलाम) सुन लिया और (उसको) मान लिया, (और फिर फ़ौरन चले जाते हैं। यह है निशानी इसकी कि ऐसों का आमन्ना "हम ईमान ले आये" और अतअ्ना "हमने फ़रमाँबरदारी इख़्तियार की" कहना दुनिया में भी सच्चा है) और ऐसे (ही) लोग (आख़िरत में भी) फ़लाह पायेंगे। और (हमारे यहाँ का तो मुस्तक़िल नियम है कि) जो शख़्स अल्लाह और उसके रसूल का कहा माने और अल्लाह से डरे और उसकी मुख़ालफ़त से बचे, बस ऐसे लोग कामयाब होंगे और (उन मुनाफ़िक़ों की यह हालत है कि) वे लोग बड़ा ज़ोर लगाकर क़समें खाया करते हैं कि अल्लाह की क़सम (हम ऐसे फ़रमाँबरदार हैं कि) अगर आप उनको (यानी हमको) हुक्म दें (कि घर-बार सब छोड़ दो) तो वे (यानी हम) अभी (सब छोड़-छाड़कर) निकल खड़े हों। आप (उनसे) कह दीजिये कि बस क़समें न खाओ (तुम्हारी) फ़रमाँबरदारी की हक़ीक़त मालूम है, (क्योंकि) अल्लाह तआ़ला तुम्हारे आमाल की पूरी ख़बर रखता है (और उसने मुझको बतला दिया है। जैसा कि एक दूसरी जगह सूरः तौबा की आयत 94 में इरशाद है। और) आप (उनसे) कहिये कि (बातें बनाने से काम नहीं चलता काम करो यानी) अल्लाह की इताअ़त करो और रसूल की इताअ़त करो।

(आगे अल्लाह तआ़ला इस मज़मून की अहमियत को बयान करने के वास्ते ख़ुद उन लोगों को ख़िताब फ़रमाता है कि रसूल के इस कहने के और तब्लीग़ के बाद) फिर अगर तुम लोग (हुक्म मानने से) मुँह मोड़ोगे तो समझ लो कि (रसूल का कोई नुक़सान नहीं, क्योंकि) रसूल के ज़िम्मे वही तब्लीग़ (का काम) है जिसका भार उन पर रखा गया है (जिसको वह कर चुके और अपनी ज़िम्मेदारी से बरी हो गये) और तुम्हारे ज़िम्मे वह (हुक्म मानने का काम) है जिसका तुम पर भार रखा गया है। (जिस को तुमने पूरा नहीं किया। पस तुम्हारा ही नुक़सान होगा) और अगर (मुँह न मोड़ा बल्कि) तुमने उनकी फ़रमाँबरदारी कर ली (जो अल्लाह ही की फ़रमाँबरदारी है) तो राह पर जा लगोगे, और (बहरहाल) रसूल के ज़िम्मे सिर्फ़ साफ़ तौर पर पहुँचा देना है (आगे तुमसे पूछगछ होगी कि क़ुबूल किया या नहीं)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

ये आयतें एक ख़ास वाक़िए में नाज़िल हुई हैं। तबरी वग़ैरह ने यह वाक़िआ़ इस तरह बयान

किया है कि मुनाफ़िक़ों में से एक शख़्स बिश्र नाम का था, उसके और एक यहूदी के बीच एक ज़मीन के मुताल्लिक़ झगड़ा और विवाद था। यहूदी ने उसको कहा कि चलो तुम्हारे ही रसूल से हम फ़ैसला करा लें मगर बिश्र मुनाफ़िक़ नाहक़ पर था, यह जानता था कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास मुक़द्दमा गया तो आप हक़ के मुवाफ़िक़ फ़ैसला करेंगे और मैं हार जाऊँगा। उसने इससे इनकार किया और हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बजाय कअ़ब बिन अशरफ़ यहूदी के पास मुक़द्दमा लेजाने को कहा। इस पर ये आयतें नाज़िल हुईं। और आयत नम्बर 50 में जो उनके दिलों में यक़ीनी कुफ़्र के रोग या नुबुव्वत में शक होने की नफ़ी की गयी है उसकी मुराद यह है कि यह यक़ीनी कुफ़्र या शक उनके दरबारे नबवी में मुक़द्दमा लाने से गुरेज़ करने का सबब नहीं, अगरचे कुफ़्र व शक का होना मुनाफ़िक़ों में साबित और स्पष्ट है मगर मुक़द्दमा न लाना असल में इस सबब से है कि वे जानते हैं कि हक़ का फ़ैसला होगा तो हम हार जायेंगे।

कामयाबी के लिये चार शर्तें

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ○

इस आयत में चार चीज़ें बयान करके फ़रमाया है कि जो इन चार चीज़ों के पाबन्द हैं वही कामयाब और दुनिया में अपनी मुराद को पाने वाले हैं।

एक अ़जीब वाक़िआ़

तफ़सीरे क़ुर्तुबी में इस जगह एक वाक़िआ़ हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु का नक़ल किया जिससे इन चारों चीज़ों के मतलब का फ़र्क़ और वज़ाहत हो जाती है। वाक़िआ़ यह है कि हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु एक दिन मस्जिदे नबवी में खड़े थे, अचानक एक रूमी देहाती आदमी बिल्कुल आपके बराबर में आकर खड़ा हो गया और कहने लगाः

انا اشهد ان لّا اله الّا الله واشهد انّ محمّدًا رسول الله.

(मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और इसकी गवाही देता हूँ मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यानी उसने इस्लाम लाने का कलिमा पढ़ा) हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने पूछा क्या बात है? तो कहा मैं अल्लाह के लिये मुसलमान हो गया हूँ। हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने पूछा क्या इसका कोई सबब है? उसने कहा हाँ। बात यह है कि मैंने तौरात, इंजील, ज़बूर और पहले नबियों की बहुत सी किताबें पढ़ी हैं मगर हाल में एक मुसलमान क़ैदी क़ुरआन की एक आयत पढ़ रहा था वह सुनी तो मालूम हुआ कि उस छोटी सी आयत ने तमाम पुरानी किताबों को अपने अन्दर समो लिया है, तो मुझे यक़ीन हो गया कि यह अल्लाह ही की तरफ़ से है। फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने पूछा कि वह कौनसी आयत है? उस रूमी देहाती ने यही ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 52 तिलावत की और इसके साथ इसकी तफ़सीर भी अ़जीब व ग़रीब इस तरह बयान की कि 'मंय्युतिअ़िल्ला-ह' अल्लाह के फ़राईज़ से संबन्धित है, 'वरसूलहू' नबी की सुन्नत (यानी हदीसे पाक) से संबन्धित है, 'व यख़्शल्ला-ह' पहले गुज़री उम्र से मुताल्लिक़ है 'व

यत्तक़्हि' आने वाली बाक़ी उम्र के मुताल्लिक़ है। जब इनसान इन चार चीज़ों का आ़मिल (अ़मल करने वाला) हो जाये तो उसको 'उलाइ-क हुमुल्-फ़ाइज़ून' की ख़ुशख़बरी है, और फ़ाइज़ (कामयाब) वह शख़्स है जो जहन्नम से निजात पाये और जन्नत में उसको ठिकाना मिले। हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने यह सुनकर फ़रमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम (के कलाम में इसकी तस्दीक़ मौजूद है, आप) ने फ़रमाया है:

أُوْتِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ

यानी अल्लाह तआ़ला ने मुझे ऐसे जामे कलिमात अ़ता फ़रमाये हैं जिनके अलफ़ाज़ मुख़्तसर और मायने बहुत ही विस्तृत हैं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ۚ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْئًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۖ وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

व-अ़दल्लाहुल्लज़ी-न आमनू मिन्कुम् व अ़मिलुस्सालिहाति ल-यस्तख़्लि-फ़न्नहुम् फ़िल्अर्ज़ि क-मस्तख़्लफ़ल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम् व ल-युमक्किनन्-न लहुम् दीनहुमुल्लज़िर्तज़ा लहुम् व लयुबद्दिलन्नहुम् मिम्-बअ़्दि ख़ौफ़िहिम् अम्नन्, यअ़्बुदू-ननी ला युश्रिकू-न बी शैअन्, व मन् क-फ़-र बअ़्-द ज़ालि-क फ़-उलाइ-क हुमुल्-फ़ासिक़ून (55) व अक़ीमुस्सला-त व आतुज़्ज़का-त व अतीअुर्रसू-ल लअ़ल्लकुम् तुर्हमून (56)	वायदा कर लिया अल्लाह ने उन लोगों से जो तुम में ईमान लाये हैं और किये हैं उन्होंने नेक काम, अलबत्ता पीछे हाकिम कर देगा उनको मुल्क में जैसा कि हाकिम किया था उनसे पहलों को, और जमा देगा उनके लिये दीन उनका जो पसन्द कर दिया उनके वास्ते, और देगा उनको उनके डर के बदले में अमन, मेरी बन्दगी करेंगे शरीक न करेंगे मेरा किसी को, और जो कोई नाशुक्री करेगा उसके बाद सो वही लोग हैं नाफ़रमान। (55) और क़ायम रखो नमाज़ और देते रहो ज़कात और हुक्म पर चलो रसूल के ताकि तुम पर रहम हो (56)

ला तह्स-बन्नल्लज़ी-न क-फ़रू मुअ्जिज़ी-न फ़िल्अर्ज़ि व मअ्वाहुमुन्-नारु, व ल-बिअ्सल्-मसीर (57) ✿	न ख़्याल कर कि ये जो काफ़िर हैं थका देंगे भागकर मुल्क में, और उनका ठिकाना आग है और वह बुरी जगह है फिर जाने की। (57) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(ऐ पूरी उम्मत!) तुम में जो लोग ईमान लाएँ और नेक अ़मल करें (यानी अल्लाह के भेजे हुए हिदायत के नूर की क़ामिल पैरवी करें) उनसे अल्लाह तआ़ला वायदा फ़रमाता है कि उनको (उस पैरवी की बरकत से) ज़मीन में हुकूमत अ़ता फ़रमायेगा, जैसा कि उनसे पहले (हिदायत वाले) लोगों को हुकूमत दी थी। (मसलन बनी इस्राईल को फ़िरऔ़न और उसकी क़ौम क़िब्तियों पर ग़ालिब किया फिर मुल्के शाम में अ़मालिक़ा जैसी बहादुर क़ौम पर उनको ग़लबा अ़ता फ़रमाया और मिस्र व शाम की हुकूमत का उनको वारिस बनाया) और (मक़सद उस हुकूमत देने से यह होगा कि) जिस दीन को (अल्लाह तआ़ला ने) उनके लिये पसन्द फ़रमाया है (यानी इस्लाम, जैसा कि एक दूसरी आयत में है 'व रज़ीतु लकुमुल् इस्ला-म दीनन्') उसको उनके (आख़िरत के नफ़े के) लिये क़ुव्वत देगा और (उनको जो दुश्मनों से तबई ख़ौफ़ है) उनके उस ख़ौफ़ के बाद उसको अमन से बदल देगा, बशर्ते कि मेरी इबादत करते रहें (और) मेरे साथ किसी क़िस्म का शिर्क न करें (न खुला न छुपा, जिसको रिया यानी दिखावा कहते हैं। यानी यह वायदा अल्लाह तआ़ला का इस शर्त के साथ है दीन पर पूरी तरह साबित क़दम रहा जाये। और यह वायदा तो दुनिया में है और आख़िरत में ईमान और नेक अ़मल पर जो बड़ी जज़ा और हमेशा की राहत का वायदा है वह इसके अ़लावा है)।

और जो शख़्स इस (वायदे के ज़ाहिर होने) के बाद नाशुक्री करेगा (यानी दीन के ख़िलाफ़ रास्ते इख़्तियार करेगा) तो (ऐसे शख़्स के लिये यह वायदा नहीं, क्योंकि) ये लोग नाफ़रमान हैं (और वायदा था फ़रमाँबरदारों के लिये इसलिये उनसे दुनिया में भी वायदा हुकूमत देने का नहीं है और आख़िरत का अ़ज़ाब इसके अ़लावा है)। और (ऐ मुसलमानो! जब ईमान और नेक अ़मल के दुनियावी और दीनी फ़ायदे सुन लिये तो तुमको चाहिए कि ख़ूब) नमाज़ की पाबन्दी रखो और ज़कात दिया करो और (बाक़ी अहकाम में भी) रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की इताअ़त किया करो, ताकि तुम पर (पूरा) रहम किया जाये। (आगे कुफ़्र व नाफ़रमानी का अन्जाम ज़िक्र किया गया है कि ऐ मुख़ातब!) काफ़िरों के बारे में यह ख़्याल मत करना कि ज़मीन (के किसी हिस्से) में (भाग जायेंगे और हमको) हरा देंगे (और हमारे क़हर से बच जायेंगे, नहीं! बल्कि वे ख़ुद हारेंगे और पराजय व क़हर का शिकार होंगे। यह तो नतीजा दुनिया में है) और (आख़िरत में) उनका ठिकाना दोज़ख़ है, और बहुत ही बुरा ठिकाना है।

मआरिफ़ व मसाईल

इन आयतों के उतरने का मौक़ा व सबब

अ़ल्लामा क़ुर्तुबी ने अबुल-आ़लिया रह. से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम वही उतरने और नुबुव्वत के ऐलान के बाद दस साल मक्का मुकर्रमा में रहे तो हर वक़्त काफ़िर व मुश्रिक लोगों के ख़ौफ़ में रहे, फिर मदीना की हिजरत का हुक्म हुआ तो यहाँ भी मुश्रिक लोगों के हमलों से हर वक़्त के ख़तरे में रहे। किसी शख़्स ने हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! कभी हम पर ऐसा वक़्त भी आयेगा कि हम हथियार खोलकर अमन व इत्मीनान के साथ रह सकें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि बहुत जल्द ऐसा वक़्त आने वाला है। इस पर ये आयतें नाज़िल हुईं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी व बहरे मुहीत)

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि इन आयतों में अल्लाह तआ़ला का वायदा है जो उसने उम्मते मुहम्मदिया से उनके वजूद में आने से पहले ही तौरात व इंजील में फ़रमाया था। (बहरे मुहीत)

अल्लाह तआ़ला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से तीन चीज़ों का वायदा फ़रमाया कि आपकी उम्मत को ज़मीन के ख़लीफ़ा हुक्मराँ बनाया जायेगा और अल्लाह के पसन्दीदा दीन इस्लाम को ग़ालिब किया जायेगा और मुसलमानों को इतनी क़ुव्वत व शौकत दी जायेगी कि उनको दुश्मनों का कोई ख़ौफ़ न रहेगा। अल्लाह तआ़ला ने अपना यह वायदा इस तरह पूरा फ़रमा दिया कि ख़ुद हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मुबारक दौर में मक्का, ख़ैबर, बहरीन और पूरा अ़रब महाद्वीप और पूरा यमन देश हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ही के ज़रिये फ़तह हुआ और हिज्र के मजूसियों (आग के पुजारियों) से और मुल्क शाम के आस-पास के कुछ इलाक़ों से आपने जिज़्या वसूल फ़रमाया। और रोम के बादशाह हिरक़्ल ने और मिस्र व स्कन्दरिया के बादशाह मक़ौक़िस और अ़म्मान के बादशाहों और हब्शा के बादशाह नजाशी वग़ैरह ने हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को हदिये भेजे और आपका एहतिराम व सम्मान किया। फिर आपकी वफ़ात के बाद हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ख़लीफ़ा हुए तो वफ़ात के बाद जो कुछ फ़ितने पैदा हो गये थे उनको ख़त्म किया और फ़ारस के राज्यों और मुल्क शाम व मिस्र के इलाक़ों की तरफ़ इस्लामी लश्कर भेजे और बुसरी और दमिश्क़ आप ही के ज़माने में फ़तह हुए और दूसरे मुल्कों के भी कुछ हिस्से फ़तह हुए।

हज़रत सिद्दीके अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की वफ़ात का वक़्त आया तो अल्लाह तआ़ला ने उनके दिल में अपने बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु को ख़लीफ़ा बनाने का इल्हाम फ़रमाया। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु ख़लीफ़ा हुए तो उन्होंने ख़िलाफ़त का निज़ाम ऐसा संभाला कि आसमान ने अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के बाद ऐसा निज़ाम कहीं न देखा था। उनके ज़माने में मुल्क शाम पूरा फ़तह हो गया, इसी तरह पूरा मुल्क मिस्र और मुल्क फ़ारस का अक्सर हिस्सा। उन्हीं के ज़माने में

कैसर व किसरा की कैसरी और किसरवी का ख़ात्मा हुआ। उसके बाद हज़रत उस्मान की ख़िलाफ़त का वक़्त आया तो इस्लामी फ़ुतूहात (विजयों) का दायरा पूरब व पश्चिम तक फैल गया। पश्चिमी मुल्कों उन्दुलुस और क़ब्रस तक और पूरबी इलाक़ों में चीन के राज्यों तक और इराक़, ख़ुरासान, अहवाज़ सब आपके ज़माने में फ़तह हुए। और सही हदीस में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया था कि मुझे पूरी ज़मीन के पूरब व पश्चिम समेटकर दिखाये गये हैं और मेरी उम्मत की हुकूमत उन तमाम इलाक़ों तक पहुँचेगी जो मुझे दिखाये गये हैं, अल्लाह तआ़ला ने यह वायदा ख़िलाफ़ते उस्मानिया के ज़माने ही में पूरा फ़रमा दिया (यह सब मज़मून तफ़सीर इब्ने कसीर से लिया गया है)।

और एक हदीस में यह आया है कि ख़िलाफ़त मेरे बाद तीस साल रहेगी इससे मुराद ख़िलाफ़ते राशिदा है जो बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के नक़्शे क़दम पर क़ायम रही और हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु तक चली, क्योंकि यह तीस साल की मुद्दत हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहु वज्हहू के ज़माने तक पूरी हुई।

इमाम इब्ने कसीर रह. ने इस जगह सही मुस्लिम की यह हदीस भी नक़ल की है कि हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है कि आपने फ़रमाया कि मेरी उम्मत का काम चलता रहेगा जब तक बारह ख़लीफ़ा रहेंगे। इब्ने कसीर ने इसको नक़ल करके फ़रमाया कि यह हदीस बारह आ़दिल (नेक व इन्साफ़ करने वाले) ख़लीफ़ा इस उम्मत में होने की ख़बर दे रही है जिसका ज़ाहिर होना ज़रूरी है। लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि वे सब के सब लगातार और एक साथ ही हों, बल्कि हो सकता है कि कुछ-कुछ समय और अन्तराल के बाद हों। उनमें से चार तो एक के बाद एक हो चुके जो ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन थे, फिर कुछ अन्तराल के बाद हज़रत उमर बिन अ़ब्दुल-अ़ज़ीज़ रह. हुए, उनके बाद भी मुख़्तलिफ़ ज़मानों में ऐसे ख़लीफ़ा होते रहे और क़ियामत तक रहेंगे, आख़िरी ख़लीफ़ा हज़रत महदी होंगे। शियों ने जिन बारह ख़लीफ़ाओं को मुतैयन किया है उसकी कोई दलील हदीस में नहीं बल्कि उनमें से कुछ तो वे हैं जिनका ख़िलाफ़त से कोई ताल्लुक़ ही नहीं रहा, और यह भी ज़रूरी नहीं कि उन सब के दर्जे बराबर हों और सब के ज़माने में अमन व सुकून दुनिया का एक जैसा हो, बल्कि इस वायदे का मदार ईमान और नेक अ़मल पर जमाव और मुकम्मल पैरवी पर है, इसके दर्जों के भिन्न होने, हुकूमत के अन्दाज़ और ताक़त में भी फ़र्क़ व भिन्नता लाज़िमी है। इस्लाम का चौदह सौ साल का इतिहास इस पर गवाह है कि विभिन्न ज़मानों और विभिन्न मुल्कों में जब और जहाँ कोई इन्साफ़ वाला मुसलमान और नेक बादशाह हुआ है उसको अपने अ़मल व नेकी के पैमाने पर अल्लाह के इस वायदे का हिस्सा मिला है, जैसा कि क़ुरआने करीम में एक दूसरी जगह फ़रमाया है:

اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ ۝

यानी अल्लाह की जमाअ़त ही ग़ालिब रहेगी।

उक्त आयत से ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन की ख़िलाफ़त और अल्लाह के यहाँ मक़बूलियत का सुबूत

यह आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबुव्वत व रिसालत की दलील भी है क्योंकि जो भविष्यवाणी इस आयत में फ़रमाई गयी थी वह बिल्कुल उसी तरह पूरी हुई। इसी तरह यह आयत हज़रात ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन (हज़रत अबू बक्र, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हुम) की ख़िलाफ़त के हक़ व सही और अल्लाह के नज़दीक मक़बूल होने की भी दलील है, क्योंकि इस आयत में अल्लाह तआ़ला ने जो वायदा अपने रसूल और उनकी उम्मत से फ़रमाया था उसका पूरा-पूरा ज़हूर इन्हीं हज़रात के ज़माने में हुआ। अगर इन हज़रात की ख़िलाफ़त को हक़ व सही न माना जाये जैसा कि शियों का ख़्याल है तो फिर क़ुरआन का यह वायदा ही कहीं पूरा नहीं हुआ। और शियों का यह कहना कि यह वायदा हज़रत महदी के ज़माने में पूरा होगा एक हंसी आने वाली चीज़ है। इसका हासिल तो यह हुआ कि चौदह सौ बरस तो पूरी उम्मत ज़िल्लत व रुस्वाई में रहेगी और क़ियामत के क़रीब जो चन्द दिन के लिये उनको हुकूमत मिलेगी वही हुकूमत इस वायदे से मुराद है। अल्लाह की पनाह।

हक़ीक़त यह है कि यह वायदा अल्लाह तआ़ला ने ईमान और नेक अ़मल की जिन शर्तों की बुनियाद पर किया था वो शर्तें भी इन्हीं हज़रात में सबसे ज़्यादा कामिल व मुकम्मल थीं और अल्लाह तआ़ला का वायदा भी पूरा-पूरा इन्हीं के दौर में पूरा हुआ। उनके बाद न ईमान व अ़मल का वह दर्जा क़ायम रहा न ख़िलाफ़त व हुकूमत का वह वक़ार कभी क़ायम हुआ।

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ۝

लफ़्ज़ 'कुफ़्र' के लुग़वी मायने नाशुक्री के और पारिभाषिक मायने ईमान की ज़िद हैं। यहाँ लफ़्ज़ी मायने भी मुराद हो सकते हैं और पारिभाषिक भी। आयत के मायने यह हैं कि जिस वक़्त अल्लाह तआ़ला मुसलमानों के साथ अपना यह वायदा पूरा कर दे, मुसलमानों को हुकूमत, ताक़त और अमन व इत्मीनान और दीन को मज़बूती व स्थिरता हासिल हो जाये उसके बाद भी अगर कोई शख़्स कुफ़्र करे यानी इस्लाम से फिर जाये या नाशुक्री करे कि उस इस्लामी हुकूमत की इताअ़त से गुरेज़ करे तो ऐसे लोग हद से निकल जाने वाले हैं। पहली सूरत में ईमान ही से निकल गये और दूसरी सूरत में इताअ़त से निकल गये। कुफ़्र और नाशुक्री हर वक़्त हर हाल में बड़ा गुनाह है मगर इस्लाम और मुसलमानों की ताक़त व दबदबा और हुकूमत क़ायम होने के बाद ये चीज़ें दोहरे जुर्म हो जाती हैं इसलिये 'बअ़्-द ज़ालिक' से इसकी ताकीद की गयी। इमाम बग़वी ने फ़रमाया कि तफ़सीर के उलेमा ने कहा है कि क़ुरआन के इस जुमले के सबसे पहले मिस्दाक़ (चरितार्थ) वे लोग हुए जिन्होंने अपने वक़्त के ख़लीफ़ा हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अ़न्हु को क़त्ल किया और जब वे उस भारी जुर्म के दोषी हुए तो अल्लाह तआ़ला के उक्त इनामात में भी कमी आ गयी, आपस के क़त्ल व क़िताल से ख़ौफ़ व परेशानी में मुब्तला हो गये और इसके बाद कि आपस में भाई-भाई थे एक दूसरे को क़त्ल

करने लगे। इमाम बग़वी ने अपनी सनद के साथ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम का यह ख़ुतबा (संबोधन) नक़ल किया है जो उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अ़न्हु के ख़िलाफ़ हंगामे के वक़्त दिया था। ख़ुतबे के अलफ़ाज़ ये हैं:

"अल्लाह के फ़रिश्ते तुम्हारे शहर के गिर्द घेरा डाले हुए हिफ़ाज़त में उस वक़्त से मशग़ूल थे जब से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मदीना में तशरीफ़ लाये और आज तक यह सिलसिला जारी था। ख़ुदा की क़सम अगर तुमने उस्मान को क़त्ल कर दिया तो ये फ़रिश्ते वापस चले जायेंगे और फिर कभी न लौटेंगे। ख़ुदा की क़सम तुम में से जो शख़्स उनको क़त्ल कर देगा वह अल्लाह के सामने हाथ कटा हुआ हाज़िर होगा, उसके हाथ न होंगे। और समझ लो कि अल्लाह की तलवार अब तक म्यान में थी, ख़ुदा की क़सम अगर वह तलवार म्यान से निकल आई तो फिर कभी म्यान में न जायेगी। क्योंकि जब कोई नबी क़त्ल किया जाता है तो उसके बदले में सत्तर हज़ार आदमी मारे जाते हैं, और जब किसी ख़लीफ़ा को क़त्ल किया जाता है तो पैंतीस हज़ार आदमी मारे जाते हैं।" (तफ़सीरे मज़हरी)

चुनाँचे हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अ़न्हु के क़त्ल से जो आपसी ख़ून बहाने का सिलसिला शुरू हुआ था उम्मत में चलता ही रहा है, और जैसे अल्लाह तआ़ला की हुकूमत व ताक़त देने की नेमत और दीन की मज़बूती की मुख़ालफ़त और नाशुक्री हज़रत उस्मान के क़ातिलों ने की थी उनके बाद शियों और ख़ारजियों की जमाअ़तों ने ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन की मुख़ालफ़त में गिरोह बना लिये। इसी सिलसिले में हज़रत हुसैन बिन अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु की शहादत का बड़ा हादसा पेश आया। हम अल्लाह तआ़ला से हिदायत और उसकी नेमतों पर शुक्र अदा करने की तौफ़ीक़ माँगते हैं।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ

الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ۭ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاۗءِ ڜ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ۭ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ۭ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰي بَعْضٍ ۭ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاۗءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۢ بِزِيْنَةٍ ۭ وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۭ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू लि-यस्तअ्ज़िन्कुमुल्लज़ी-न म-लकत् ऐमानुकुम् वल्लज़ी-न लम् यब्लुग़ुल्-	ऐ ईमान वालो! इजाज़त लेकर आयें तुमसे जो तुम्हारे हाथ के माल हैं और जो कि नहीं पहुँचे तुम में अ़क़्ल की हद

हुलु-म मिन्कुम् सला-स मर्रातिन् मिन् क़ब्लि सलातिल्-फ़ज्रि व ही-न त-ज़अू-न सिया-बकुम् मिनज़्ज़ही-रति व मिम्-बअ़्दि सलातिल्-अ़िशा-इ, सलासु औरातिल्-लकुम्, लै-स अ़लैकुम् व ला अ़लैहिम् जुनाहुम् बअ़्-दहुन्-न, तव्वाफ़ू-न अ़लैकुम् बअ़्ज़ुकुम् अ़ला बअ़्ज़िन्, कज़ालि-क युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल्-आयाति, वल्लाहु अ़लीमुन् हकीम (58) व इज़ा ब-लग़ल्-अत्फ़ालु मिन्कुमुल्-हुलु-म फ़ल्यस्तअ्ज़िनू कमस्तअ्ज़नल्-लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम्, कज़ालि-क युबय्यिनुल्लाहु लकुम् आयातिही, वल्लाहु अ़लीमुन् हकीम (59) वल्क़वाअ़िदु मिनन्निसाइल्लाती ला यर्जू-न निकाहन् फ़लै-स अ़लैहिन्-न जुनाहुन् अंय्य-ज़अ्-न सिया-बहुन्-न ग़ै-र मु-तबर्रिजातिम्-बिज़ी-नतिन्, व अंय्यस्तअ्फ़िफ़्-न ख़ैरुल् लहुन्-न, वल्लाहु समीअुन् अ़लीम (60)	को, तीन बार- फ़जर की नमाज़ से पहले और जब उतार रखते हो अपने कपड़े दोपहर में और इशा की नमाज़ से पीछे, ये तीन वक़्त बदन खुलने के हैं तुम्हारे, कुछ तंगी नहीं तुम पर और न उन पर इन वक़्तों के पीछे, फिरा ही करते हो एक दूसरे के पास यूँ खोलता है अल्लाह तुम्हारे आगे बातें और अल्लाह सब कुछ जानने वाला हिक्मत वाला है। (58) और जब पहुँचें लड़के तुम में के अ़क़्ल की हद को तो उनको वैसी ही इजाज़त लेनी चाहिये जैसे लेते रहे हैं उनसे पहले, यूँ खोलकर सुनाता है अल्लाह तुमको अपनी बातें और अल्लाह सब कुछ जानने वाला हिक्मत वाला है। (59) और जो बैठ रही हैं घरों में तुम्हारी औरतों में से जिनको उम्मीद नहीं रही निकाह की उन पर गुनाह नहीं कि उतार रखें अपने कपड़े, यह नहीं कि दिखाती फिरें अपना सिंगार, और इससे भी बचें तो बेहतर है उनके लिये, और अल्लाह सब बातें सुनता जानता है। (60)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ ईमान वालो! (तुम्हारे पास आने के लिये) तुम्हारे ममलूकों "यानी गुलाम बाँदियों वग़ैरह" को और तुम में से जो अभी बालिग़ होने की हद को नहीं पहुँचे उनको तीन वक़्तों में इजाज़त लेना

चाहिए- (एक तो) सुबह की नमाज़ से पहले, और (दूसरे) जब दोपहर को (सोने लेटने के लिये) अपने (कुछ) कपड़े उतार दिया करते हो, और (तीसरे) इशा की नमाज़ के बाद। ये तीन वक़्त तुम्हारे पर्दे के हैं (यानी ये वक़्त चूँकि आ़म आ़दत के मुताबिक़ तन्हाई और आराम के हैं, जिसमें आदमी बेतकल्लुफ़ी से रहना चाहता है और तन्हाई में किसी वक़्त बदन के छुपे अंग भी खुल जाते हैं, या किसी ज़रूरत से खोले जाते हैं इसलिये अपने ममलूक ग़ुलामों बाँदियों को और अपने नाबालिग़ बच्चों को समझा दो कि बिना इत्तिला दिये और बग़ैर इजाज़त लिये हुए इन वक़्तों में तुम्हारे पास न आया करें, और) इन वक़्तों के अ़लावा न (तो बिना इजाज़त आने देने और मना न करने में) तुम पर कोई इल्ज़ाम है और न (बिना इजाज़त चले आने में) उन पर कुछ इल्ज़ाम है, (क्योंकि) वे कसरत से तुम्हारे पास आते-जाते रहते हैं, कोई किसी के पास और कोई किसी के पास (पस हर वक़्त इजाज़त लेने में तकलीफ़ है और चूँकि ये वक़्त पर्दे के नहीं हैं इसलिए इनमें अपने बदन के छुपे अंगों और हिस्सों को छुपाये रखना कुछ मुश्किल नहीं) इसी तरह अल्लाह तआ़ला तुम से (अपने) अहकाम साफ़-साफ़ बयान करता है, और अल्लाह तआ़ला जानने वाला, हिक्मत वाला है।

और जिस वक़्त तुम में के (यानी आज़ाद लोगों में के) वे लड़के (जिनका हुक्म ऊपर आया है) बालिग़ होने की हद को पहुँचें (यानी बालिग़ या बालिग़ होने के क़रीब हो जायें) तो उनको भी उसी तरह इजाज़त लेना चाहिए जैसा कि उनसे अगले (यानी उनसे बड़ी उम्र के) लोग इजाज़त लेते हैं, इसी तरह अल्लाह तआ़ला तुमसे अपने अहकाम साफ़-साफ़ बयान करता है, और अल्लाह तआ़ला जानने वाला, हिक्मत वाला है। और (एक बात यह जानना चाहिए कि पर्दे के अहकाम में सख़्ती फ़ितने के ख़ौफ़ पर आधारित है, जहाँ फ़ितने का आ़दतन शुब्हा व गुमान न हो मसलन जो) बड़ी-बूढ़ी औ़रतें जिनको (किसी के) निकाह (में आने) की कुछ उम्मीद न हो, (यानी वे मर्दों के लिये कशिश और रुचि के लायक़ नहीं रहीं, यह तफ़सीर है बड़ी-बूढ़ी होने की) उनको इस बात में कोई गुनाह नहीं कि वे अपने (फ़ालतू) कपड़े (जिससे चेहरा वग़ैरह छुपा रहता है, ग़ैर-मेहरम के रूबरू भी) उतार रखें बशर्ते कि बनने-संवरने (की जगहों) का इज़हार न करें (जिनका ज़ाहिर करना ग़ैर-मेहरम के सामने बिल्कुल नाजायज़ है। पस मुराद इससे चेहरा हथेलियाँ हैं और कुछ हज़रात के क़ौल के मुताबिक़ दोनों क़दम भी, बख़िलाफ़ जवान औ़रत के कि फ़ितने का डर होने की वजह से उसके चेहरे वग़ैरह का भी पर्दा ज़रूरी है) और (अगरचे बड़ी-बूढ़ी औ़रतों के लिये ग़ैर-मेहरमों के सामने चेहरा खोलने की इजाज़त है लेकिन अगर) इससे भी एहतियात रखें तो उनके लिये और ज़्यादा बेहतर है (क्योंकि हर उम्र में फ़ितने का अन्देशा रहता है, दूसरे बेपर्दगी को पूरी तरह ही ख़त्म करना मक़सद है) और अल्लाह तआ़ला सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

सूरत के शुरू में यह बयान हो चुका है कि सूरः नूर के ज़्यादातर अहकाम बेहयाई और बुराईयों की रोक-थाम के लिये आये हैं और उन्हीं की मुनासबत से कुछ अहकाम आपस में रहने-सहने के आदाब और आपसी मुलाक़ात के भी बयान हुए हैं। फिर औ़रतों के पर्दे के अहकाम बयान किये गये।

क़रीबी अफ़राद और मेहरमों के लिये ख़ास वक़्तों में इजाज़त लेने का हुक्म

रहन-सहन के आदाब और आपस में मुलाक़ात के आदाब इससे पहले इसी सूरत की आयत 27, 28, 29 में इजाज़त लेने के अहकाम के उनवान से बयान हुए हैं कि किसी से मुलाक़ात को जाओ तो बग़ैर इजाज़त लिये उसके घर में दाख़िल न हो। घर ज़नाना हो या मर्दाना आने वाला मर्द हो या औरत सब के लिये किसी के घर में जाने से पहले इजाज़त को वाजिब क़रार दिया गया है, मगर इजाज़त लेने के ये अहकाम अजनबियों और ग़ैरों के लिये थे जो बाहर से मुलाक़ात के लिये आये हों।

अब ऊपर बयान हुई आयतों में एक दूसरी इजाज़त के अहकाम का बयान है जिनका ताल्लुक़ उन रिश्तेदारों और मेहरमों से है जो उमूमन एक घर में रहते और हर वक़्त आते-जाते रहते हैं और उनसे औरतों का पर्दा भी नहीं, ऐसे लोगों के लिये भी अगरचे घर में दाख़िल होने के वक़्त इसका हुक्म है कि इत्तिला करके या कम से कम क़दमों की आहट को ज़रा तेज़ करके या खाँस-खंकार कर घर में दाख़िल हों और यह इजाज़त लेना ऐसे क़रीबी अफ़राद के लिये वाजिब नहीं, मुस्तहब है जिस पर अमल न करना मक्रूहे तन्ज़ीही है। तफ़सीरे मज़हरी में है:

فمن ارادالدخول فی بیت نفسه وفیه محرماته یکره له الدخول فیه من غیر استیذان تنزیها لاحتمال رویة واحدة منهن عریانة وهو احتمال ضعیف ومقتضاه التنزه. (مظهری)

यह हुक्म तो घर में दाख़िल होने से पहले का था लेकिन घर में दाख़िल होकर फिर ये सब एक जगह एक दूसरे के सामने रहते हैं और एक दूसरे के पास आते-जाते रहते हैं। उनके लिये तीन ख़ास वक़्तों में जो इनसान के तन्हाई में रहने के वक़्त हैं एक और इजाज़त लेने का हुक्म इन आयतों में दिया गया है, वो तीन वक़्त- सुबह की नमाज़ से पहले, दोपहर को आराम करने के वक़्त और इशा की नमाज़ के बाद के वक़्त हैं। इनमें मेहरमों और क़रीबी अफ़राद को यहाँ तक कि समझदार नाबालिग़ बच्चों और ममलूका बाँदियों को भी इस इजाज़त लेने का पाबन्द किया गया है, कि तन्हाई के इन तीन वक़्तों में उनमें से भी कोई किसी की तन्हाई की जगह में बग़ैर इजाज़त के न जाये। क्योंकि ऐसे वक़्तों में हर इनसान आज़ाद बेतकल्लुफ़ रहना चाहता है, फ़ालतू कपड़े भी उतार देता है और कभी अपनी बीवी के साथ बेतकल्लुफ़ मेल-मिलाप में मशग़ूल होता है। इन वक़्तों में कोई होशियार बच्चा या घर की कोई औरत या अपनी औलाद में से कोई बग़ैर इजाज़त के अन्दर आ जाये तो बहुत सी बार वह ऐसी हालत में पायेगा जिसके ज़ाहिर होने से इनसान शर्माता है, उसको सख़्त तकलीफ़ पहुँचेगी और कम से कम उसकी बेतकल्लुफ़ी और आराम में ख़लल पड़ना तो ज़ाहिर ही है। इसलिये उक्त आयतों में उनके लिये ख़ुसूसी इजाज़त लेने के अहकाम आये हैं कि इन तीन वक़्तों में कोई किसी के पास बग़ैर इजाज़त के न जाये। इन अहकाम के बाद फिर यह भी फ़रमाया कि:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ ۢ بَعْدَهُنَّ.

यानी इन वक़्तों के अ़लावा कोई हर्ज नहीं कि एक दूसरे के पास बिना इजाज़त के जाया करें क्योंकि वे वक़्त उमूमन हर शख़्स के काम-काज में मशग़ूल होने और बदन के छुपाने वाले अंगों को छुपाये रहने के हैं, जिनमें आ़दतन आदमी बीवी के साथ मेल-मिलाप भी नहीं करता।

यहाँ एक सवाल यह पैदा होता है कि इस आयत में बालिग़ मर्द व औ़रत को इजाज़त लेने का हुक्म देना तो ज़ाहिर है मगर नाबालिग़ बच्चे जो शरअ़न किसी हुक्म के मुकल्लफ़ (पाबन्द) नहीं उनको भी इस हुक्म का पाबन्द करना बज़ाहिर उसूल के ख़िलाफ़ है।

जवाब यह है कि इसके मुख़ातब दर असल बालिग़ मर्द व औ़रत हैं कि वे छोटे बच्चों को भी समझा दें कि ऐसे वक़्त में बग़ैर पूछे अन्दर न आया करो। जैसे हदीस में है कि बच्चों को जब वे सात साल के हो जायें तो नमाज़ सिखाओ और पढ़ने का हुक्म दो, और दस साल की उम्र के बाद उनको सख़्ती से नमाज़ का पाबन्द करो, न मानें तो मारकर नमाज़ पढ़वाओ। इसी तरह इस इजाज़त लेने का असल हुक्म बालिग़ मर्द व औ़रत को है और ज़िक्र हुए जुमले में जो ये अलफ़ाज़ हैं कि इन वक़्तों के अ़लावा दूसरे वक़्तों में न तुम पर हर्ज है कि उनको बिना इजाज़त आने दो और न उन पर कोई हर्ज है कि वे बिना इजाज़त आ जायें, इसमें अगरचे लफ़्ज़ जुनाह आया है जो उमूमन गुनाह के मायने में इस्तेमाल होता है मगर कभी सिर्फ़ हर्ज और मुज़ायके के मायने में भी आता है, यहाँ ला जुना-ह के मायने यही हैं कि कोई हर्ज और तंगी नहीं है। इससे बच्चों के पाबन्द और गुनाहगार होने का शुब्हा ख़त्म हो गया। (तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन)

मसलाः ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 58 में जो 'अल्लज़ी-न म-लकत् ऐमानुकुम्' का लफ़्ज़ आया है जिसके मायने ममलूक गुलाम और बाँदी दोनों शामिल हैं, इनमें ममलूक गुलाम जो बालिग़ हो वह तो शरई तौर पर अजनबी ग़ैर-मेहरम के हुक्म में है। उसकी आक़ा और मालिक औ़रत को भी उससे पर्दा करना वाजिब है, जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है इसलिये यहाँ इस लफ़्ज़ से मुराद बाँदियाँ या ममलूक गुलाम जो बालिग़ न हो वह है, जो हर वक़्त घर में आने-जाने के आ़दी हैं।

मसलाः इसमें उलेमा व फ़ुक़हा (दीनी मसाईल के माहिर हज़रात) का मतभेद है कि यह ख़ास इजाज़त लेना रिश्ते के क़रीबी अफ़राद के लिये वाजिब है या मुस्तहब हुक्म है, और यह कि यह हुक्म अब भी जारी है या मन्सूख़ (ख़त्म) हो गया। फ़ुक़हा के नज़दीक यह आयत मोहकम ग़ैर-मन्सूख़ (यानी इसका हुक्म अपनी जगह क़ायम) है और हुक्म वजूब के लिये है, मर्दों के वास्ते भी और औ़रतों के वास्ते भी। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

लेकिन यह ज़ाहिर है कि उसके वाजिब होने का सबब और वजह वह है जो ऊपर बयान हो चुकी है कि इन तीन वक़्तों में आ़म आदमी तन्हाई चाहता है और उसमें बहुत सी बार अपनी बीवी के साथ भी मशग़ूल होता है, कई बार बदन के छुपाने वाले अंग भी खुले होते हैं। अगर कुछ लोग इसकी एहतियात कर लें कि उन वक़्तों में भी बदन के छुपाने वाले हिस्सों को छुपाने की आ़दत डालें और बीवी से मेल-मिलाप भी सिवाय इस सूरत के न करें कि किसी के आने का गुमान व अंदेशा न रहे जैसे उमूमन यही आ़दत बन गयी है तो उस सूरत में उन पर यह भी वाजिब नहीं रहता कि अपने क़रीबी अफ़राद और बच्चों को इजाज़त लेने का पाबन्द करें, और न अ़ज़ीज़ों व क़रीबी अफ़राद पर

वाजिब रहता है। अलबत्ता यह हर हाल में अच्छा और मुस्तहब है। मगर आम तौर पर अमल इस पर लम्बे ज़माने से छूट सा गया है इसी लिये हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक रिवायत में तो इस पर बड़ी सख़्ती के अलफ़ाज़ इस्तेमाल फ़रमाये और एक रिवायत में अमल न करने वाले लोगों का कुछ उज़्र बयान कर दिया।

पहली रिवायत इमाम इब्ने कसीर ने इब्ने अबी हातिम की सनद से यह नक़ल की है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि तीन आयतें ऐसी हैं जिन पर लोगों ने अ़मल को छोड़ ही दिया है। एक यही इजाज़त लेने वाली आयतः

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ.

(यानी ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 58) जिसमें अपने क़रीबी अफ़राद और नाबालिग़ बच्चों को भी इजाज़त लेने की तालीम है। दूसरी यह आयतः

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى.

(यानी सूरः निसा की आयत 8) जिसमें मीरास की तक़सीम के वक़्त वारिसों को इसकी हिदायत की गयी है कि अगर विरासत का माल तक़सीम करने के वक़्त कुछ ऐसे रिश्तेदार भी मौजूद हों जिनका मीरास के क़ानून से कोई हिस्सा नहीं है तो उनको भी कुछ दे दिया करो, कि उनका दिल न टूटे। और तीसरी यह आयत हैः

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ.

(यानी सूरः हुजुरात की आयत 13) जिसमें बतलाया है कि सबसे ज़्यादा इज़्ज़त व सम्मान वाला वह आदमी है जो सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी हो। और आजकल लोग सम्मानित व इज़्ज़तदार उसको समझते हैं जिसके पास पैसा बहुत हो, जिसका मकान कोठी बंगला शानदार हो। कुछ रिवायतों के अलफ़ाज़ इसमें यह भी हैं कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि तीन आयतों के मामले में लोगों पर शैतान ग़ालिब आ गया है और फिर फ़रमाया कि मैंने तो अपनी बाँदी को भी इसका पाबन्द कर रखा है कि इन तीन वक़्तों में बग़ैर इजाज़त मेरे पास न आया करें।

दूसरी रिवायत इब्ने अबी हातिम ही के हवाले से हज़रत इक्रिमा से यह मन्क़ूल है कि दो शख़्सों ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से क़रीबी और रिश्तेदारों के इस इजाज़त लेने के मुताल्लिक़ सवाल किया कि इस पर लोग अ़मल नहीं करते तो इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमायाः

اِنَّ اللّٰهَ سَتِيْرٌ يُحِبُّ السَّتْرَ.

यानी अल्लाह बहुत सतर रखने वाला है और सतर की हिफ़ाज़त को पसन्द फ़रमाता है।

बात यह है कि इन आयतों के उतरने के वक़्त रहन-सहन बहुत सादा था, न लोगों के दरवाज़ों पर पर्दे थे न घर के अन्दर पर्दे वाली मसेहरियाँ थीं, उस वक़्त कभी ऐसा होता था कि आदमी का नौकर या बेटा-बेटी अचानक आ जाते और यह आदमी अपनी बीवी के साथ मशग़ूल होता, इसलिये अल्लाह जल्ल शानुहू ने इन आयतों में तीन वक़्तों में इजाज़त लेने की पाबन्दी लगा दी थी। और अब चूँकि दरवाज़ों पर पर्दे और घर में पर्देदार मसेहरियाँ होने लगीं इसलिये लोगों ने यूँ समझ लिया कि

बस यह पर्दा काफ़ी है, अब इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं (इब्ने कसीर ने यह रिवायत नक़ल करके फ़रमाया है कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास तक इस रिवायत की सनद सही है)।

बहरहाल हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की इस दूसरी रिवायत से इतनी बात निकलती है कि जब इस तरह के वाकिआ़त का अन्देशा न हो कि आदमी बीवी के साथ मशग़ूल या बदन के छुपाये जाने वाले हिस्से खोले हुए हो और किसी के आने का गुमान व संभावना हो ऐसे हालात में कुछ नर्मी है, लेकिन क़ुरआन ने पाकीज़ा ज़िन्दगी गुज़ारने की तालीम दी है कि कोई किसी की आज़ादी में ख़लल डालने वाला न हो, सब आराम व राहत से रहें, जो लोग इस तरह के इजाज़त लेने का घर वालों को पाबन्द नहीं बनाते वे ख़ुद तकलीफ़ में मुब्तला रहते हैं, अपनी ज़रूरत व इच्छा का काम करने में तंगी बरतते हैं।

औरतों के पर्दे के अहकाम ताकीद और उसमें से एक और छूट का मौक़ा

इससे पहले औरतों के हिजाब और पर्दे के अहकाम दो आयतों में तफ़सील के साथ आ चुके हैं और उनमें दो मौक़ों को अलग भी ज़िक्र किया गया, एक रियायत और छूट का मौक़ा नाज़िर यानी देखने वाले के एतिबार से, दूसरा छूट का मौक़ा मन्ज़ूर यानी जिसको देखा जाये उसके एतिबार से। नाज़िर के एतिबार से तो मेहरमों को और अपनी मिल्क वाली बाँदियों नाबालिग़ बच्चों को हुक्म से अलग रखा गया था और मन्ज़ूर यानी जिस चीज़ को नज़रों से छुपाना मक़सद है उसके एतिबार से 'ज़ाहिरी ज़ीनत' को अलग किया गया जिसमें ऊपर के कपड़े बुर्क़ा या बड़ी चादर सब के नज़दीक मुराद हैं, और कुछ के नज़दीक औरत का चेहरा और हथेलियाँ भी इस छूट में दाख़िल हैं।

यहाँ अगली आयत में एक तीसरा छूट का मौक़ा औरत के ज़ाती हाल के एतिबार से यह दिया गया कि जो औरत बड़ी-बूढ़ी ऐसी हो जाये कि न उसकी तरफ़ किसी को रुचि हो और न वह निकाह के क़ाबिल हो तो उसके लिये पर्दे के अहकाम में यह सहूलत दे दी गयी है कि अजनबी लोग भी उसके हक़ में मेहरमों की तरह हो जाते हैं। बदन के जिन अंगों का छुपाना अपने मेहरमों से ज़रूरी नहीं है उस बूढ़ी औरत के लिये ग़ैर-मर्दों ग़ैर-मेहरमों से भी उनका छुपाना ज़रूरी नहीं। इसलिये फ़रमायाः

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِیْ..............الآیۃ

जिसकी मुख़्तसर तफ़सीर ऊपर गुज़र चुकी है, मगर ऐसी बड़ी-बूढ़ी औरत के लिये भी एक क़ैद तो यह है कि बदन के जो हिस्से मेहरम के सामने खोले जायें यह औरत ग़ैर-मेहरम के सामने भी खोल सकती है बशर्ते कि बन-संवर कर सिंगार करके न बैठे। दूसरी बात आख़िर में यह फ़रमाईः

وَاَنْ یَّسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَّھُنَّ

यानी अगर वे ग़ैर-मेहरमों के सामने आने से बिल्कुल ही बचें तो यह उनके लिये बेहतर है।

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ
تَاْكُلُوْا مِنْ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ
اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ
اَوْ صَدِيْقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا
عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُوْنَ ۝

ع ٨ ١٤

लै-स अ़लल्-अअ़्मा ह-रजुंव्-व ला अ़लल्-अअ़्रजि ह-रजुंव्-व ला अ़लल्-मरीज़ि ह-रजुंव्-व ला अ़ला अन्फ़ुसिकुम् अन् तअ्कुलू मिम्-बुयूतिकुम् औ बुयूति आबाइकुम् औ बुयूति उम्महातिकुम् औ बुयूति इख़्वानिकुम् औ बुयूति अ-ख़वातिकुम् औ बुयूति अअ़्मामिकुम् औ बुयूति अ़म्मातिकुम् औ बुयूति अख़्वालिकुम् औ बुयूति ख़ालातिकुम् औ मा मलक्तुम् मफ़ाति-हहू औ सदीक़िकुम्, लै-स अ़लैकुम् जुनाहुन् अन् तअ्कुलू जमीअ़न् औ अश्तातन्, फ़-इज़ा दख़ल्तुम् बुयूतन् फ़-सल्लिमू अ़ला अन्फ़ुसिकुम् तहिय्य-तम् मिन् अ़िन्दिल्लाहि मुबार-कतन् तय्यि-बतन्, कज़ालि-क युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल्-आयाति लअ़ल्लकुम् तअ़्क़िलून (61) ✿

नहीं हैं अंधे पर कुछ तकलीफ़ और न लंगड़े पर तकलीफ़ और न बीमार पर तकलीफ़, और नहीं तकलीफ़ तुम लोगों पर कि खाओ अपने घरों से या अपने बाप के घर से या अपनी माँ के घर से या अपने भाई के घर से या अपनी बहन के घर से या अपने चचा के घर से या अपनी फूफी के घर से या अपने मामूँ के घर से या अपनी ख़ाला के घर से या जिस घर की कुन्जियों के तुम मालिक हो या अपने दोस्त के घर से, नहीं गुनाह तुम पर कि खाओ आपस में मिलकर या जुदा होकर, फिर जब कभी जाने लगो घरों में तो सलाम कहो अपने लोगों पर नेक दुआ है अल्लाह के यहाँ से बरकत वाली सुथरी, यूँ खोलता है अल्लाह तुम्हारे आगे अपनी बातें ताकि तुम समझ लो। (61) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(अगर तुम किसी अंधे लंगड़े बीमार ग़रीब को अपने किसी रिश्तेदार या मुलाक़ाती के घर लेजाकर कुछ खिला पिला दो, या ख़ुद खा-पी लो तो जब यह यक़ीनी तौर पर मालूम हो कि वह रिश्तेदार मुलाक़ाती हमारे खाने और खिलाने पर राज़ी होगा उसको कोई तकलीफ़ न होगी तो इन सूरतों में) न तो अंधे आदमी के लिये कुछ हर्ज है और न लंगड़े आदमी के लिये कुछ हर्ज है और न बीमार आदमी के लिये कुछ हर्ज है और न ख़ुद तुम्हारे लिये इस बात में (कुछ हर्ज है) कि तुम (चाहे ख़ुद या तुम मय इन माज़ूर लोगों के सब) अपने घरों से (जिनमें बीवी और औलाद के घर भी आ गये) खाना खा लो, या (उन घरों में जिनका ज़िक्र आगे आता है खा लो, यानी न तुमको ख़ुद खाने में गुनाह है और न इन माज़ूरों को खिलाने में। इसी तरह तुम्हारे खिला देने से उन माज़ूरों को भी खा लेने में कोई गुनाह नहीं, और वो घर ये हैं- मसलन) अपने बाप के घर से (खा लो खिला दो) या अपनी माँओं के घर से या अपने भाईयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी ख़ालाओं के घरों से या उन घरों से जिनकी कुन्जियाँ तुम्हारे इख़्तियार में हैं या अपने दोस्तों के घरों से, (फिर इसमें भी) कि सब मिलकर खाओ या अलग-अलग। फिर (यह भी जान लो) जब तुम अपने घरों में जाने लगो तो अपने लोगों को (यानी वहाँ जो मुसलमान हों उनको) सलाम कर लिया करो, (जो कि) दुआ के तौर पर (है, और) जो ख़ुदा की तरफ़ से मुक़र्रर है, और (इस पर सवाब मिलने की वजह से) बरकत वाली (और मुख़ातब का दिल ख़ुश करने के सबब) उम्दा चीज़ है। इसी तरह अल्लाह तआ़ला तुम से (अपने) अहकाम बयान फ़रमाता है ताकि तुम समझो (और अ़मल करो)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

घरों में दाख़िल होने के बाद के कुछ अहकाम और ज़िन्दगी गुज़ारने के आदाब

पिछली आयतों में किसी के घर में दाख़िल होने से पहले इजाज़त लेने का हुक्म आया है। इस आयत में वो अहकाम व आदाब बयान हुए हैं जो इजाज़त मिलने पर घर में जाने के बाद मुस्तहब या वाजिब हैं। इस आयत का मफ़्हूम और इसमें ज़िक्र हुए अहकाम को समझने के लिये पहले उन हालात को मालूम कर लेना मुनासिब है जिनमें यह आयत नाज़िल हुई है।

क़ुरआने करीम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की आ़म तालीमात में बन्दों के हुक़ूक़ की हिफ़ाज़त व रियायत के लिये जितनी ताकीदें आई हैं उनसे कोई मुसलमान बेख़बर नहीं। किसी दूसरे के माल में बग़ैर उसकी इजाज़त के कोई तसर्रुफ़ (इख़्तियार चलाने और अ़मल-दख़ल)

करने पर सख़्त वईदें (सज़ा की धमकियाँ) आई हैं। दूसरी तरफ़ अल्लाह तआ़ला ने अपने आख़िरी रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सोहबत के लिये ऐसे ख़ुशनसीब लोगों को चुन लिया था कि वे अल्लाह व रसूल के फ़रमान पर हर वक़्त कान लगाये रहते और हर हुक्म की तामील में अपनी पूरी ताक़त ख़र्च करते थे। क़ुरआनी तालीमात पर अ़मल और उसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की कीमियाई सोहबत से अल्लाह तआ़ला ने एक ऐसी जमाअ़त तैयार कर दी थी कि फ़रिश्ते भी उन पर फ़ख़्र करते हैं। दूसरों के माल में उनकी मर्ज़ी व इजाज़त के बग़ैर मामूली क़िस्म का भी तसर्रुफ़ गवारा न होना, किसी को ज़रा सी तकलीफ़ पहुँचाने से परहेज़ करना और इसमें तक़वे के आला मेयार पर क़ायम होना सभी सहाबा का गुण और ख़ूबी थी। इसी सिलसिले के चन्द वाक़िआ़त नबी पाक के ज़माने में पेश आये जिनकी वजह से इस आयत के अहकाम नाज़िल हुए। हज़राते मुफ़स्सिरीन ने ये सब वाक़िआ़त लिखे हैं। किसी ने उनमें से किसी को शाने नुज़ूल (आयत के उतरने का सबब व मौक़ा) क़रार दिया किसी ने किसी दूसरे वाक़िए को, मगर सही बात यह है कि इन अक़वाल में कोई टकराव नहीं, वाक़िआ़त का यह मजमूआ़ ही इस आयत का शाने नुज़ूल है। वाक़िआ़त ये हैं।

1. इमाम बग़वी रह. ने तफ़सीर के इमामों हज़रत सईद बिन जुबैर और ज़ह्हाक रह. से नक़ल किया है कि दुनिया के उर्फ़ आ़म और अक्सर लोगों की तबीयतों का हाल यह है कि लंगडे लूले अंधे और बीमार आदमी के साथ बैठकर खाने से घिन करते हैं और नापसन्द करते हैं। हज़राते सहाबा में से जो ऐसे माज़ूर थे उनको यह ख़्याल हुआ कि हम किसी के साथ खाने में शरीक होंगे तो शायद उसको तकलीफ़ हो इसलिये ये लोग तन्दुरुस्त आदमियों के साथ खाने में शिर्कत से गुरेज़ करने लगे। साथ ही नाबीना (अंधे) आदमी को यह भी फ़िक्र हुई कि जब चन्द आदमी खाने में शरीक हों तो इन्साफ़ व मुरव्वत का तक़ाज़ा यह है कि कोई शरीक दूसरे से ज़्यादा न खाये सब को बराबर हिस्सा मिले, और मैं नाबीना होने की वजह से इसका अन्दाज़ा नहीं कर सकता, मुम्किन है कि मैं दूसरों से ज़्यादा खा लूँ इसमें दूसरों की हक़-तल्फ़ी होगी। लंगड़े आदमी ने ख़्याल किया कि आ़म तन्दुरुस्त लोगों की तरह बैठ नहीं सकता, दो आदमी की जगह लेता हूँ, खाने पर दूसरों के साथ बैठूँगा तो मुम्किन है उनको तंगी और तकलीफ़ पेश आये, उनकी इस हद से ज़्यादा एहतियात में ज़ाहिर है कि ख़ुद उनको तंगी और तकलीफ़ पेश आती थी, इसलिये यह आयत नाज़िल हुई जिसमें उनको दूसरों के साथ मिलकर खाने की इजाज़त और ऐसी बारीक एहतियात को छोड़ने की तालीम फ़रमाई जिससे तंगी में पड़ जायें। और इमाम बग़वी ने इब्ने जरीर की रिवायत से हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से एक दूसरा वाक़िआ़ नक़ल किया है जो उक्त वाक़िए का दूसरा रुख़ है, वह यह कि क़ुरआने करीम की जब यह आयत नाज़िल हुईः

لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

(सूरः ब-क़रह की आयत 188) यानी न खाओ एक दूसरे का माल नाहक़ तौर पर। तो लोगों को अंधे, लंगड़े, बीमार लोगों के साथ मिलकर खाने में यह दुविधा पेश आने लगी कि बीमार तो आ़दतन

कम खाता है, नाबीना को खाने की चीज़ों में यह अन्दाज़ा नहीं होता कि कौनसी चीज़ उम्दा है, लंगड़े को अपनी बैठक हमवार न होने के सबब खाने में तकल्लुफ़ होता है तो मुम्किन है कि ये लोग कम खायें और हमारे पास ज़्यादा आ जाये, तो इनकी हक़-तल्फ़ी हुई, क्योंकि संयुक्त और साझा खाने में सब का हिस्सा बराबर होना चाहिये। इस पर यह आयत नाज़िल हुई जिसमें इस गहराई में जाने और तकल्लुफ़ में पड़ने से उनको आज़ाद कर दिया गया कि सब मिलकर खाओ मामूली कमी बेशी की फ़िक्र न करो। और सईद बिन मुसैयब रह्मतुल्लाहि अ़लैहि ने फ़रमाया कि मुसलमान जब किसी जिहाद व ग़ज़वे के लिये जाते तो अपने घरों की कुन्जियाँ इन माज़ूर लोगों के सुपुर्द कर देते थे और यह कह देते थे कि घर में जो कुछ है वह तुम लोग खा-पी सकते हो। मगर ये लोग इस एहतियात की बिना पर उनके घरों में से कुछ न खाते कि शायद उनकी मन्शा के ख़िलाफ़ ख़र्च हो जाये। इस पर यह आयत नाज़िल हुई।

मुस्नद बज़्ज़ार में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से सही सनद के साथ भी यही मज़मून नक़ल किया है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम किसी ग़ज़वा (इस्लामी जंग) में तशरीफ़ ले जाते तो आ़म सहाबा किराम की दिली इच्छा यह होती थी कि सब आपकी साथ में शरीके जिहाद हों और अपने मकानों की कुन्जियाँ उन ग़रीब माज़ूर लोगों के सुपुर्द कर देते थे और उनको इजाज़त देते थे कि हमारे पीछे आप हमारे घरों में जो कुछ है खा-पी सकते हो, मगर ये लोग अपनी हद से बढ़ी हुई परहेज़गारी के सबब इस डर से कि शायद उनकी यह इजाज़त दिली रज़ामन्दी से न हो इससे परहेज़ करते थे। इमाम बग़वी ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से यह भी नक़ल किया है कि उक्त आयत में जो लफ़्ज़ 'सदीक़िकुम' का आया है, यानी अपने दोस्त के घर से भी खाने-पीने में कोई हर्ज नहीं। यह हारिस बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु के वाक़िए में नाज़िल हुआ कि वह किसी जिहाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ चले गये और अपने दोस्त मालिक बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु को अपने घर और घर वालों की निगरानी सुपुर्द कर दी, जब हज़रत हारिस वापस आये तो देखा कि मालिक बिन ज़ैद बहुत ज़ईफ़ कमज़ोर हो रहे हैं, वजह मालूम करने पर उन्होंने कहा कि मैंने आपके घर से कुछ खाना आपके पीछे मुनासिब नहीं समझा (यह सब रिवायतें तफ़सीरे मज़हरी में हैं) और साफ़ बात यही है कि इस क़िस्म के तमाम वाक़िआ़त इस आयत के नाज़िल होने का सबब हुए हैं।

मसलाः जैसा कि ऊपर बयान हो चुका है कि जिन घरों में से बग़ैर ख़ास इजाज़त के खाने पीने की इजाज़त इस आयत में दी गयी है उसकी बुनियाद इस पर है कि अ़रब की आ़म आ़दत के मुताबिक़ ऐसे क़रीबी रिश्तेदारों में कोई तकल्लुफ़ बिल्कुल न था, एक दूसरे के घर से कुछ खाते पीते तो घर वाले को किसी क़िस्म की तकलीफ़ या नागवारी न होती थी बल्कि वह इससे ख़ुश होता था। इसी तरह इससे भी कि वह अपने साथ किसी माज़ूर बीमार मिस्कीन को भी खिला दे। इन सब चीज़ों की अगरचे स्पष्ट रूप से इजाज़त न दी हो मगर आ़दतन इजाज़त थी, जायज़ होने के इस कारण से साबित हुआ कि जिस ज़माने या जिस मक़ाम (जगह, मुल्क और इलाक़े) में ऐसा रिवाज न हो और

मालिक की इजाज़त में शक हो वहाँ मालिक की बग़ैर स्पष्ट इजाज़त के खाना पीना हराम है, जैसा कि आजकल आ़म तौर पर न यह आदत रही न कोई इसको गवारा करता है कि कोई अ़ज़ीज़ क़रीब उनके घर में से जो चाहे खाये पिये या दूसरों को खिलायें पिलाये। इसलिये आजकल आ़म तौर पर इस इजाज़त पर अ़मल करना जायज़ नहीं, सिवाय इसके कि किसी दोस्त अ़ज़ीज़ के बारे में किसी को यक़ीनी तौर पर साबित हो जाये कि वह उसके खाने पीने या दूसरों को खिलाने पिलाने से कोई तकलीफ़ या नागवारी महसूस न करेगा बल्कि ख़ुश होगा, तो ख़ास उसके घर से खाने पीने में इस आयत के तक़ाज़े पर अ़मल जायज़ है।

मसलाः ऊपर ज़िक्र हुए बयान से यह भी साबित हो गया कि यह कहना सही नहीं कि यह हुक्म इस्लाम के शुरू के ज़माने में था फिर मन्सूख़ (ख़त्म और निरस्त) हो गया, बल्कि हुक्म शुरू से आज तक जारी है, अलबत्ता इसकी शर्त मालिक की इजाज़त का यक़ीन है, जब यह न हो तो आयत के तक़ाज़े में वह दाख़िल ही नहीं। (तफ़सीरे मज़हरी)

मसलाः इसी तरह इससे यह भी साबित हो गया कि यह हुक्म सिर्फ़ उन ख़ास रिश्तेदारों ही में सीमित नहीं बल्कि दूसरे शख़्स के बारे में अगर यह यक़ीन हो कि उसकी तरफ़ से हमारे खाने पीने और खिलाने पिलाने की इजाज़त है, वह इससे ख़ुश होगा, उसको कोई तकलीफ़ न पहुँचेगी तो उसका भी यही हुक्म है। (तफ़सीरे मज़हरी)

ऊपर बयान हुए अहकाम का ताल्लुक़ उन कामों से है जो किसी के घर में इजाज़त के साथ दाख़िल होने के बाद जायज़ या मुस्तहब हैं। उन कामों में बड़ा मसला खाने पीने का था उसको पहले ज़िक्र फ़रमा दिया।

दूसरा मसला घर में दाख़िल होने के आदाब का यह है कि जब घर में इजाज़त से दाख़िल हो तो घर में जो मुसलमान हों उनको सलाम करो। आयत 'अ़ला अन्फ़ुसिकुम' से यही मुराद है, क्योंकि मुसलमान सब एक संयुक्त जमाअ़त हैं। बहुत सी सही हदीसों में मुसलमानों को आपस में एक दूसरे को सलाम करने की बड़ी ताकीद और फ़ज़ीलत आई है।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

ع ۹ ۱۵

इन्नमल्-मुअ्मिनूनल्लज़ी-न आमनू बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ा कानू म-अ़हू अ़ला अम्रिन् जामिअ़िल् लम् यज़्हबू हत्ता यस्तअ्ज़िनूहु, इन्नल्लज़ी-न यस्तअ्ज़िनू-न-क उलाइ-कल्लज़ी-न युअ्मिनू-न बिल्लाहि व रसूलिही फ़-इज़स्तअ्-ज़नू-क लिबअ़्ज़ि शअ्निहिम् फ़अ्ज़ल्-लिमन् शिअ्-त मिन्हुम् वस्तग़्फ़िर् लहुमुल्ला-ह, इन्नल्ला-ह ग़फ़ूरुर्-रहीम (62) ला तज्अ़लू दुआ़अर्रसूलि बैनकुम् क-दुआ़-इ बअ़्ज़िकुम् बअ़्ज़न्, क़द् यअ़्लमुल्लाहुल्लज़ी-न य-तसल्ललू-न मिन्कुम् लिवाज़न् फ़ल्यह़्ज़रिल्लज़ी-न युख़ालिफ़ू-न अ़न् अम्रिही अन् तुसी-बहुम् फ़ित्नतुन् औ युसी-बहुम् अ़ज़ाबुन् अलीम (63) अला इन्-न लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति वल्अर्ज़ि, क़द् यअ़्लमु मा अन्तुम् अ़लैहि, व यौ-म युर्जअ़ू-न इलैहि फ़युनब्बिउहुम् बिमा अ़मिलू, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन् अ़लीम (64) ✿

ईमान वाले वे हैं जो यक़ीन लाये हैं अल्लाह पर और उसके रसूल पर और जब होते हैं उसके साथ किसी जमा होने के काम में तो चले नहीं जाते जब तक उससे इजाज़त न ले लें। जो लोग तुझसे इजाज़त लेते हैं वही हैं जो मानते हैं अल्लाह को और उसके रसूल को, फिर जब इजाज़त माँगें तुझसे अपने किसी काम के लिये तो इजाज़त दे जिसको उनमें से तू चाहे और माफ़ी माँग उनके वास्ते अल्लाह से, अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है। (62) मत कर लो बुलाना रसूल का अपने अन्दर बराबर उसके जो बुलाता है तुम में एक दूसरे को, अल्लाह जानता है उन लोगों को तुम में से जो सिटक जाते हैं आँख बचाकर सो डरते रहें वे लोग जो ख़िलाफ़ करते हैं उसके हुक्म का इससे कि आ पड़े उन पर कुछ ख़राबी या पहुँचे उनको दर्दनाक अ़ज़ाब। (63) सुनते हो! अल्लाह ही का है जो कुछ है आसमानों और ज़मीन में, उसको मालूम है जिस हाल पर तुम हो और जिस दिन फेरे जायेंगे उसकी तरफ़ तो बतायेगा उनको जो कुछ उन्होंने किया, और अल्लाह हर एक चीज़ को जानता है। (64) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

बस मुसलमान तो वही हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, और जब रसूल

के पास किसी ऐसे काम पर जमा होते हैं जिसके लिये लोगों को जमा किया गया है (और इत्तिफ़ाक़न वहाँ से जाने की ज़रूरत पड़ती है) तो जब तक आप से इजाज़त न ले लें (और आप उस पर इजाज़त न दे दें मज्लिस से उठकर) नहीं जाते। (ऐ पैग़म्बर!) जो लोग आप से (ऐसे मौक़ों पर) इजाज़त लेते हैं बस वही अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। (आगे ऐसे लोगों को इजाज़त देने का बयान है) तो जब ये (ईमान वाले) लोग (ऐसे मौक़ों पर) अपने किसी (ज़रूरी) काम के लिये आप से (जाने की) इजाज़त तलब करें तो उनमें से जिसके लिये (मुनासिब समझें और इजाज़त देना) चाहें इजाज़त दे दिया करें (और जिसको मुनासिब न समझें इजाज़त न दें क्योंकि यह हो सकता है कि इजाज़त तलब करने वाले उस काम को ज़रूरी समझते हों जिसके लिये इजाज़त तलब कर रहे हैं और वह वास्तव में ज़रूरी न हो, या ज़रूरी भी हो मगर उसके जाने से उससे बड़ा कोई नुक़सान पैदा होने का ख़तरा हो, इसलिए इजाज़त देने या न देने का फ़ैसला नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मर्ज़ी और सही समझने पर छोड़ दिया गया) और (इजाज़त देकर भी) आप उनके लिये अल्लाह तआ़ला से मग़फ़िरत की दुआ़ कीजिए (क्योंकि उनका यह इजाज़त चाहना अगरचे सख़्त उज़्र और मजबूरी ही की वजह से हो मगर उसमें दुनिया को दीन पर आगे रखने की सूरत तो लाज़िम आती है जिसमें एक कोताही का शुब्हा नज़र आता है, इसके लिये आपकी दुआ़-ए-मग़फ़िरत दरकार है। दूसरे यह भी मुम्किन है कि इजाज़त चाहने वाले ने जिस मजबूरी व ज़रूरत को सख़्त और अत्यन्त ज़रूरी समझकर इजाज़त ली है उसमें उससे वैचारिक और फ़ैसला लेने की ख़ता हो गई हो कि ग़ैर-ज़रूरी को ज़रूरी समझ लिया और यह विचार व समझ की ख़ता ऐसी हो कि ज़रा ध्यान देने और ग़ौर करने से दूर हो सकती हो तो ऐसी सूरत में सोच-विचार की कमी भी एक कोताही है, उससे इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत हुई)। बेशक अल्लाह तआ़ला बख़्शने वाला, मेहरबान है (चूँकि उनकी नीयत अच्छी थी इसलिए ऐसी बारीक और दूर की बातों पर पकड़ नहीं फ़रमाता)।

तुम लोग रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) के बुलाने को (जब वह किसी इस्लामी ज़रूरत के लिये तुमको जमा करें) ऐसा (मामूली बुलाना) मत समझो जैसा तुम में एक-दूसरे को बुलाता है (कि चाहे आया या न आया, फिर आकर भी जब तक चाहा बैठा जब चाहा उठकर बिना इजाज़त के चल दिया। रसूल का बुलाना ऐसा नहीं बल्कि उनके उस हुक्म की तामील वाजिब है और बिना इजाज़त वापस जाना हराम, और अगर कोई बिना इजाज़त चला गया तो यह तो मुम्किन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से उसका जाना छुपा रह जाये लेकिन यह याद रखो कि) अल्लाह तआ़ला उन लोगों को (ख़ूब) जानता है जो (दूसरे की) आड़ में होकर तुम में से (मज्लिसे नबवी से) खिसक जाते हैं। सो जो लोग अल्लाह के हुक्म की (जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के माध्यम से पहुँचा है) मुख़ालफ़त करते हैं उनको इससे डरना चाहिए कि उन पर (दुनिया में) कोई आफ़त आन पड़े, या उन पर (आख़िरत में) कोई दर्दनाक अ़ज़ाब नाज़िल हो जाये (और यह भी मुम्किन है कि दुनिया व आख़िरत दोनों में अ़ज़ाब हो। और यह भी) याद रखो कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में (मौजूद) है सब ख़ुदा ही का है। अल्लाह तआ़ला उस हालत को भी जानता है जिस पर तुम (अब) हो, और उस दिन को भी जिसमें सब उसके पास (दोबारा ज़िन्दा करके) लाये जाएँगे। तो वह उनको

सब जतलायेगा जो कुछ उन्होंने किया था (और तुम्हारी मौजूदा हालत और क़ियामत के दिन ही की कुछ विशेषता नहीं) अल्लाह तआ़ला (तो) सब कुछ जानता है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मज्लिस के ख़ुसूसन और आम रहन-सहन के कुछ आदाब व अहकाम

ऊपर ज़िक्र हुई आयतों में दो हुक्म दिये गये हैं- पहला यह कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम लोगों को किसी दीनी जिहाद वग़ैरह के लिये जमा करें तो ईमान का तक़ाज़ा यह है कि सब जमा हो जायें और फिर आपकी मज्लिस से बग़ैर आपकी इजाज़त के न जायें। कोई ज़रूरत पेश आये तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से इजाज़त हासिल कर लें और उसमें हुज़ूरे पाक को यह हिदायत है कि कोई ख़ास हर्ज और ज़रूरत न हो तो इजाज़त दे दिया करें। इसी के तहत में उन मुनाफ़िक़ों की निंदा है जो इस ईमानी तक़ाज़े के ख़िलाफ़ बदनामी से बचने के लिये हाज़िर तो हो जाते हैं मगर फिर किसी की आड़ लेकर चुपके से खिसक जाते हैं।

यह आयत अहज़ाब की लड़ाई के मौक़े पर नाज़िल हुई है जबकि अ़रब के मुश्रिक लोगों और दूसरी जमाअ़तों के संयुक्त मोर्चे ने एक ही बार में मदीने पर हमला किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सहाबा के मश्विरे से उनके हमले से बचाव के लिये ख़न्दक़ खोदी थी, इसी लिये इस जिहाद को ग़ज़वा-ए-ख़न्दक़ भी कहा जाता है। यह ग़ज़वा शव्वाल सन् 5 हिजरी में हुआ है।

(तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

इमाम बैहक़ी और इब्ने इस्हाक़ की रिवायत में है कि उस वक़्त रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम बज़ाते ख़ुद और तमाम सहाबा ख़न्दक़ (खाई) खोदने के काम में लगे हुए थे मगर मुनाफ़िक़ लोग अव्वल तो आने में सुस्ती करते और फिर आकर भी मामूली सा काम दिखाने को कर लेते और फिर चुपके से ग़ायब हो जाते थे। इसके विपरीत मोमिन हज़रात सब के सब मेहनत के साथ लगे रहते और कोई मजबूरी और ज़रूरत पेश आती तो हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से इजाज़त लेकर जाते थे, इस पर यह आयत नाज़िल हुई। (तफ़सीरे मज़हरी)

एक सवाल और उसका जवाब

इस आयत से यह मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मज्लिस से बग़ैर आपकी इजाज़त के चला जाना हराम है, हालाँकि सहाबा-ए-किराम के बेशुमार वाक़िआ़त हैं जिनमें वे आपकी मज्लिस में होते और फिर जब चाहते चले जाते थे, इजाज़त लेना ज़रूरी न समझते थे। जवाब यह है कि यह आ़म मज्लिसों का हुक्म नहीं बल्कि उस वक़्त का है जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनको किसी ज़रूरत से जमा किया हो जैसा कि ख़न्दक़ के वाक़िए में हुआ था। इस विशेषता की तरफ़ ख़ुद आयत के लफ़्ज़ 'अ़ला अम्रिन् जामिअ़िन्' में इशारा मौजूद है।

'अमरिन् जामिअिन्' से क्या मुराद है?

इसमें अक़वाल भिन्न और अनेक हैं (कि जमा होने के काम का क्या मतलब है) मगर स्पष्ट बात यह है कि 'अमरिन् जामिअिन्' से मुराद वह काम है जिसके लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम लोगों को जमा करना ज़रूरी समझें, और किसी ख़ास काम के लिये जमा फ़रमायें जैसे ग़ज़वा-ए-अहज़ाब में ख़न्दक़ (खाई) खोदने का काम था। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी, मज़हरी)

यह हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मज्लिस के साथ ख़ास है या आ़म

तमाम फ़ुक़हा (क़ुरआन व हदीस के माहिर उलेमा) के नज़दीक सर्वसम्मति से चूँकि यह हुक्म एक दीनी और इस्लामी ज़रूरत के लिये जारी किया गया है और ऐसी ज़रूरतें हर ज़माने में हो सकती हैं इसलिये हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मज्लिस के साथ ख़ास नहीं बल्कि मुसलमानों के हर इमाम व अमीर जिसके क़ब्ज़े में हुकूमत की बाग-डोर हो उसका और उसकी ऐसी मज्लिस का भी यही हुक्म है कि वह सब को जमा होने का हुक्म दे तो उसकी तामील वाजिब और वापस जाना बग़ैर इजाज़त के नाजायज़ है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी, तफ़सीरे मज़हरी, बयानुल-क़ुरआन)

और यह ज़ाहिर है कि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मज्लिस के लिये यह हुक्म ज़्यादा ताकीद के साथ और इसकी मुख़ालफ़त खुली बदबख़्ती है जैसे मुनाफ़िक़ों से सादिर हुई। और इस्लामी तर्ज़े ज़िन्दगी के लिहाज़ से यह हुक्म आपसी इज्तिमाआ़त और आ़म मज्लिसों के लिये भी कम से कम मुस्तहब और पसन्दीदा ज़रूर है कि जब मुसलमान किसी मज्लिस में किसी सामूहिक मामले में ग़ौर करने या अ़मल करने के लिये जमा हुए हों तो जब जाना हो मज्लिस के अध्यक्ष से इजाज़त लेकर जायें।

दूसरा हुक्म आख़िरी आयत में यह दिया गया है:

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ............... الاٰية

इसकी एक तफ़सीर तो वह है जो ऊपर ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में बयान की गयी है कि 'दुआ़अर्रसूलि' से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का लोगों को बुलाना है इस तफ़सीर के अनुसार आयत के मायने यह हैं कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब लोगों को बुलायें तो उसको आ़म लोगों के बुलाने की तरह न समझो कि उसमें आने न आने का इख़्तियार रहता है बल्कि उस वक़्त आना फ़र्ज़ हो जाता है और बग़ैर इजाज़त जाना हराम हो जाता है। आयत के आगे-पीछे के मज़मून से यह तफ़सीर ज़्यादा मुनासबत रखती है, इसी लिये तफ़सीरे मज़हरी और तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन में इसको इख़्तियार किया है। और इसकी एक दूसरी तफ़सीर हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से इमाम इब्ने कसीर और इमाम क़ुर्तुबी वग़ैरह ने यह नक़ल की है कि 'दुआ़अर्रसूलि' (रसूल के बुलाने) से मुराद लोगों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को किसी काम के लिये पुकारना और बुलाना है।

इस तफ़सीर की बिना पर आयत के मायने यह होंगे कि जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को किसी ज़रूरत से बुलाओ या मुख़ातब करो तो आ़म लोगों की तरह आपका नाम लेकर या मुहम्मद न कहो कि बेअदबी है बल्कि सम्मानित अलक़ाब के साथ 'या रसूलल्लाह' 'या नबिय्यल्लाह' वग़ैरह कहा करो। इसका हासिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ताज़ीम व सम्मान का मुसलमानों पर वाजिब होना और हर ऐसी चीज़ से बचना है जो अदब के ख़िलाफ़ हो, या जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तकलीफ़ पहुँचे। यह हुक्म ऐसा होगा जैसे सूरः हुजुरात में इसी तरह के कई हुक्म दिये गये हैं मसलनः

لَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. (سورة الحجرات: ٢)

यानी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से बात करो तो अदब की रियायत रखो, ज़रूरत से ज़्यादा ऊँची आवाज़ से बातें न करो, जैसे लोग आपस में किया करते हैं। और मसलन यह कि जब आप घर में तशरीफ़ रखते हों तो बाहर से आवाज़ देकर न बुलाओ बल्कि आपके बाहर तशरीफ़ लाने का इन्तिज़ार करोः

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ.

(सूरः हुजुरात आयत 4) में इसी का बयान है।

तंबीह

इस दूसरी तफ़सीर में एक आ़म अदब बुज़ुर्गों और बड़ों का भी मालूम हुआ कि अपने बुज़ुर्गों बड़ों को उनका नाम लेकर पुकारना और बुलाना बेअदबी है, अदब व इज़्ज़त के लक़ब (उपनाम या मदनाम) से मुख़ातब करना चाहिये।

अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि सूरः नूर की तफ़सीर मुकम्मल हुई।

सूरः फ़ुरक़ान

सूरः फ़ुरक़ान मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 77 आयतें और 6 रुकूअ़ हैं।

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرَا ۙ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ۝ وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

तबा-रकल्लज़ी नज़्ज़लल्-फ़ुर्क़ा-न अ़ला अ़ब्दिही लि-यकू-न लिल्आ़लमी-न नज़ीरा (1) अल्लज़ी लहू मुल्कुस्समावाति वल्अर्ज़ि व लम् यत्तख़िज़् व-लदंव्-व लम् यकुल्लहू शरीकुन् फ़िल्-मुल्कि व ख़-ल-क़ कुल्-ल शैइन् फ़-क़द्द-रहू तक़्दीरा (2) वत्त-ख़ज़ू मिन् दूनिही आलि-हतल्-ला यख़्लुक़ू-न शैअंव् व हुम् युख़्लक़ू-न व ला यम्लिकू-न लिअन्फ़ुसिहिम् ज़र्रंव्-व ला नफ़्अंव्-व ला यम्लिकू-न मौतंव्-व ला हयातंव्-व ला नुशूरा (3)

बड़ी बरकत है उसकी जिसने उतारी फ़ैसले की किताब अपने बन्दे पर ताकि रहे जहान वालों के लिये डराने वाला। (1) वह कि जिसकी है सल्तनत आसमान और ज़मीन में और नहीं पकड़ा उसने बेटा और नहीं कोई उसका साझी सल्तनत में और बनाई हर चीज़ फिर ठीक किया उसको मापकर। (2) और लोगों ने पकड़ रखे हैं उससे वरे कितने हाकिम जो नहीं बनाते कुछ चीज़ और वे ख़ुद बनाये गये हैं, और नहीं मालिक अपने हक़ में बुरे के और न भले के और नहीं मालिक मरने के और न जीने के और न जी उठने के। (3)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

बड़ी आलीशान ज़ात है जिसने यह फ़ैसले की किताब (यानी क़ुरआन) अपने ख़ास बन्दे (मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) पर नाज़िल फ़रमाई ताकि वह तमाम दुनिया जहान वालों के लिये (ईमान न लाने की सूरत में अल्लाह के अ़ज़ाब से) डराने वाला हो। ऐसी ज़ात जिसके लिये आसमानों और ज़मीन की हुकूमत हासिल है, और उसने किसी को (अपनी) औलाद क़रार नहीं दिया, और न कोई हुकूमत में उसका साझी है, और उसने हर चीज़ को पैदा किया, फिर सब का अलग-अलग अन्दाज़ रखा (कि किसी चीज़ की विशेषता और असरात कुछ हैं किसी के कुछ हैं)। और इन मुश्रिकों ने ख़ुदा को छोड़कर और ऐसे माबूद क़रार दिये हैं जो (किसी तरह माबूद होने के क़ाबिल नहीं क्योंकि वे) किसी चीज़ के पैदा करने वाले नहीं, और बल्कि वे ख़ुद मख़्लूक़ "यानी पैदा किए हुए" हैं, और ख़ुद अपने लिये न किसी नुक़सान (के दूर करने) का इख़्तियार रखते हैं और न किसी नफ़े (के हासिल करने) का, और न किसी के मरने का इख़्तियार रखते हैं (कि किसी जानदार की जान निकाल सकें) और न किसी के जीने का (इख़्तियार रखते हैं कि किसी बेजान में जान डाल दें) और न किसी को (क़ियामत में) दोबारा ज़िन्दा करने का (इख़्तियार रखते हैं। और जो शख़्स इन चीज़ों पर क़ुदरत नहीं रखता वह माबूद नहीं हो सकता)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इस सूरत की विशेषतायें

यह पूरी सूरत मुफ़स्सिरीन की अक्सरियत के नज़दीक मक्की है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु और इमाम क़तादा रह. ने तीन आयतों के बारे में बयान फ़रमाया कि ये मक्की नहीं, मदनी हैं, बाक़ी सूरत मक्की है। और कुछ हज़रात ने यह भी कहा है कि यह सूरत मदनी है और इसमें कुछ आयतें मक्की हैं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) और ख़ुलासा इस सूरत के मज़ामीन का क़ुरआने करीम की बड़ाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत व रिसालत की सच्चाई और हक़ होना बयान और दुश्मनों की तरफ़ से इस पर जो एतिराज़ थे उनका जवाब है।

तबार-क बरकत से निकला है। बरकत के मायने ख़ैर की अधिकता के हैं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि आयत के मायने यह हैं कि हर ख़ैर व बरकत अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से है। फ़ुरक़ान, क़ुरआने करीम का लक़ब है, इसके लुग़वी मायने तमीज़ और फ़र्क़ करने के हैं। क़ुरआन चूँकि अपने अपने स्पष्ट इरशादात के ज़रिये हक़ व बातिल में तमीज़ और फ़र्क़ बतलाता है और मोजिज़े (ख़ुदाई चमत्कार) के ज़रिये हक़ व बातिल वालों में तमीज़ व फ़र्क़ कर देता है इसलिये इसको फ़ुरक़ान कहा जाता है।

लिल्आ़लमीन। इससे साबित हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की रिसालत व नुबुव्वत सारे आ़लम के लिये है, जबकि पिछले नबियों की नुबुव्वत व रिसालत किसी ख़ास जमाअ़त

या विशेष मक़ाम के लिये होती थी। सही मुस्लिम की हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जो अपने छह ख़ुसूसी फ़ज़ाईल (विशेषताओं) का ज़िक्र फ़रमाया है उनमें से एक यह भी है कि आपकी नुबुव्वत सारे जहान के लिये आ़म है।

मख़्लूक़ात में से हर एक चीज़ में ख़ास-ख़ास हिक्मतें

फ़क़द्द-रहू तक़्दीरा। तख़्लीक़ (पैदा करने) के बाद तक़दीर का ज़िक्र फ़रमाया गया। तख़्लीक़ के मायने तो इतने हैं कि बग़ैर किसी पूर्व माद्दे वग़ैरह के एक चीज़ को अ़दम (नापैदी) से वजूद में लाया जाये, वह कैसी भी हो, और तक़दीर का मतलब यह है कि जिस चीज़ को भी पैदा फ़रमाया उसके हिस्सों (अंगों) की बनावट और शक्ल व सूरत और असरात व ख़ासियतें बड़ी हिक्मत के साथ उस काम के मुनासिब पैदा किये जिस काम के लिये उस चीज़ को पैदा किया गया है। आसमान की बनावट, उसके अ़न्दर शामिल तत्वों, उसकी शक्ल व सूरत उस काम के मुनासिब है जिसके लिये अल्लाह तआ़ला ने आसमान बनाया है। सय्यारों (ग्रहों) और सितारों के बनाने में वे चीज़ें रखी गयीं जो उनके वजूद में लाने के मक़सद के मुनासिब हैं। ज़मीन और उसके अन्दर पैदा होने वाली हर चीज़ जिस पर नज़र डालो हर एक की बनावट, शक्ल व सूरत, नर्मी व सख़्ती उस काम के मुनासिब बनाई गयी है जिस काम के लिये क़ुदरत ने उसको पैदा किया है। ज़मीन को न इतना पतला माद्दा पानी की तरह बनाया कि जो कुछ इस पर रखा जाये वह इसके अन्दर डूब जाये, न इतना सख़्त पत्थर और लोहे की तरह बनाया कि इसको खोद न सकें, क्योंकि इससे यही ज़रूरतें संबन्धित थीं कि इसको खोदकर पानी भी निकाला जा सके, इसमें बुनियादें खोदकर बड़ी ऊँची इमारतें इस पर खड़ी की जा सकें। पानी को बहने वाला बनाया जिसमें हज़ारों हिक्मतें हैं। हवा भी बहने और चलने वाली ही है मगर पानी से अलग अन्दाज़ से, पानी हर जगह ख़ुद-ब-ख़ुद नहीं पहुँचता उसमें इनसान को कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है, हवा को क़ुदरत ने अपना जबरी (लाज़िमी और मजबूर करने वाला) इनाम बनाया कि वह बग़ैर किसी मेहनत व अ़मल के हर जगह पहुँच जाती है बल्कि कोई शख़्स हवा से बचना चाहे तो उसको इसके लिये बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यह मक़ाम अल्लाह की मख़्लूक़ात की हिक्मतों की तफ़सील बयान करने का नहीं। एक-एक मख़्लूक़ को देखो उनमें से हर एक क़ुदरत व हिक्मत का मुकम्मल नमूना है। इमाम ग़ज़ाली रह. ने अपनी एक मुस्तक़िल किताब इस विषय पर लिखी है जिसका नाम 'अल्‌हिक्मतु फ़ी मख़्लूक़िल्लाहि तआ़ला' है।

इन आयतों में शुरू ही से क़ुरआन की अ़ज़मत (बड़ाई) और जिस बुलन्द-मर्तबे वाली ज़ात पर वह नाज़िल हुआ है उसको 'अपने बन्दे' का ख़िताब देकर उसकी इज़्ज़त व सम्मान का अ़जीब व ग़रीब बयान है। क्योंकि किसी मख़्लूक़ के लिये इससे बड़ा कोई शर्फ़ (गौरव व सम्मान) नहीं हो सकता कि ख़ालिक़ (उसका बनाने वाला) उसको यह कह दे कि यह मेरा है (यही बात फ़ारसी के इस शे'र में कही गयी है)।

बन्दा हसन बसद् ज़ुबाँ गुफ़्त कि बन्दा-ए-तू अम्   **तू बज़ुबाने ख़ुद बगो बन्दा-नवाज़ कीस्ती**

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ۖ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ﴿٤﴾ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٥﴾ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٦﴾ وَقَالُوا مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ۙ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿٧﴾ أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿٨﴾ انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٩﴾

व क़ालल्लज़ी-न क-फ़रू इन् हाज़ा इल्ला इफ़्कु-निफ़्तराहु व अ-आनहू अ़लैहि क़ौमुन् आ-ख़रू-न फ़-क़द् जाऊ ज़ुल्मंव्-वज़ूरा (4) व क़ालू असातीरुल् अव्वलीनक्त-त-बहा फ़हि-य तुम्ला अ़लैहि बुक्र-तंव्-व असीला (5) क़ुल् अन्ज़-लहुल्लज़ी यअ्लमुस्सिर्-र फ़िस्समावाति वल्अर्ज़ि, इन्नहू का-न ग़फ़ूर्रहीमा (6) व क़ालू मालि-हाज़र्रसूलि यअ्कुलुत्तआ़-म व यम्शी फ़िल्-अस्वाक़ि, लौ ला उन्ज़ि-ल इलैहि म-लकुन् फ़-यकू-न म-अ़हू नज़ीरा (7) औ युल्क़ा इलैहि कन्ज़ुन् औ तकूनु लहू जन्नतुंय्-यअ्कुलु मिन्हा, व क़ालज़्ज़ालिमू-न इन् तत्तबिअू-न

और कहने लगे जो मुन्किर हैं- और कुछ नहीं है मगर तूफ़ान बाँध लाया है और साथ दिया है उसका उसमें और लोगों ने, सो आ गये बेइन्साफ़ी और झूठ पर। (4) और कहने लगे ये नक़लें हैं पहलों की जिनको उसने लिख रखा है, सो वही लिखवाई जाती हैं उसके पास सुबह और शाम। (5) तो कह इसको उतारा है उसने जो जानता है छुपे हुए भेद आसमानों में और ज़मीन में, बेशक वह बख़्शने वाला मेहरबान है। (6) और कहने लगे- यह कैसा रसूल है खाता है खाना और फिरता है बाज़ारों में, क्यों न उतरा इसकी तरफ़ कोई फ़रिश्ता कि रहता इसके साथ डराने को। (7) या आ पड़ता इसके पास ख़ज़ाना या हो जाता इसके लिये एक बाग़ कि खाया करता उसमें से। और कहने लगे बेइन्साफ़- तुम पैरवी करते हो उस एक

इल्ला रजुलम्-मस्हूरा (8) उन्जुर् कै-फ़ ज़-रबू ल-कल्-अम्सा-ल फ़-ज़ल्लू फ़ला यस्ततीअू-न सबीला (9) ✿	मर्द जादू-मारे की। (8) देख कैसी बिठलाते हैं तुझ पर मिसालें सो बहक गये अब पा नहीं सकते रास्ता। (9) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और काफ़िर लोग (क़ुरआन के बारे में) यूँ कहते हैं कि यह (क़ुरआन) तो कुछ भी नहीं निरा झूठ (ही झूठ) है, जिसको एक शख़्स (यानी पैग़म्बर) ने गढ़ लिया है, और दूसरे लोगों ने उस (गढ़ने) में उसकी मदद की है (इससे मुराद वे अहले किताब हैं जो मुसलमान हो गये थे या आपकी ख़िदमत में वैसे ही हाज़िर हुआ करते थे) सो (ऐसी बात कहने से) ये लोग बड़े ज़ुल्म और झूठ के दोषी हुए (इसका ज़ुल्म और झूठ होना आगे बयान में आयेगा)। और ये (काफ़िर) लोग (अपने इसी एतिराज़ की ताईद में) यूँ कहते हैं कि यह (क़ुरआन) बे-सनद बातें हैं जो अगलों से नक़ल होती चली आती हैं, जिनको उस शख़्स (यानी पैग़म्बर) ने (उम्दा इबारत में सोच-सोचकर अपने सहाबा के हाथ से) लिखवा लिया है (ताकि महफ़ूज़ रहे) फिर वही (मज़ामीन) उसको सुबह व शाम पढ़कर सुनाये जाते हैं (ताकि याद रहें, फिर वही याद किये हुए मज़ामीन मजमे में बयान करके ख़ुदा की तरफ़ मन्सूब कर दिये जाते हैं) आप (इसके जवाब में) कह दीजिए कि इस (क़ुरआन) को तो उस (पाक) ज़ात ने उतारा है जिसको सब छुपी बातों की, चाहे वो आसमान में हों या ज़मीन में, ख़बर है। (ख़ुलासा जवाब का यह है कि इस कलाम का बेमिसाल होना इसकी खुली दलील है कि काफ़िरों का यह एतिराज़ ग़लत और झूठ और ज़ुल्म है क्योंकि अगर क़ुरआन पुराने लोगों की कहानियाँ होता या किसी दूसरे की मदद से तैयार किया गया होता तो सारी दुनिया इसकी मिसाल लाने से आजिज़ क्यों होती) वाक़ई अल्लाह तआ़ला मग़फ़िरत करने वाला, रहमत करने वाला है (इसलिए ऐसे-ऐसे झूठ और ज़ुल्म पर फ़ौरन सज़ा नहीं देता)।

और ये काफ़िर लोग (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बारे में) यूँ कहते हैं कि इस रसूल को क्या हुआ कि वह (हमारी तरह) खाना (भी) खाता है और (जीविका के इन्तिज़ाम के लिये हमारी ही तरह) बाज़ारों में चलता-फिरता है (मतलब यह है कि रसूल पैग़म्बर इनसान के बजाय फ़रिश्ता होना चाहिए जो खाने-पीने वग़ैरह की ज़रूरतों से बेपरवाह हो और कम से कम इतना तो ज़रूर ही होना चाहिए कि रसूल अगर ख़ुद फ़रिश्ता नहीं है तो उसका साथी व सलाहकार कोई फ़रिश्ता होना चाहिए इसलिए कहा कि) इस (रसूल) के पास कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं भेजा गया कि वह इसके साथ रहकर (लोगों को अल्लाह के अ़ज़ाब से) डराता। (और अगर यह भी न होता तो कम से कम रसूल को अपने खाने-पीने की ज़रूरतों से तो बेफ़िक्री होती, इस तरह) कि इसके पास (ग़ैब से) कोई ख़ज़ाना आ पड़ता या इसके पास कोई (ग़ैबी) बाग़ होता जिससे यह खाया (पिया) करता। और (मुसलमानों से) ये ज़ालिम यूँ (भी) कहते हैं कि (जब उनके पास न कोई फ़रिश्ता है न ख़ज़ाना न बाग़, और फिर भी यह नुबुव्वत का दावा करते हैं तो मालूम होता है कि इनकी अ़क़्ल में फ़ुतूर है

इसलिये) तुम लोग एक बेअक्ल आदमी की राह पर चल रहे हो। (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम!) देखिए तो ये लोग आपके लिये कैसी अ़जीब-अ़जीब बातें बयान कर रहे हैं, सो (इन ख़ुराफ़ात से) वे (बिल्कुल) गुमराह हो गये, फिर वे राह नहीं पा सकते।

मआ़रिफ़ व मसाईल

काफ़िर व मुश्रिक लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत और क़ुरआन पर एतिराज़ात किया करते थे, यहाँ से उनके एतिराज़ों और फिर जवाबों का सिलसिला शुरू होकर कुछ दूर तक चला है।

पहला एतिराज़ यह था कि क़ुरआन कोई अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल किया हुआ कलाम नहीं बल्कि आपने इसको ख़ुद ही झूठ गढ़ लिया है, या पिछले लोगों के क़िस्से यहूदी व ईसाई वग़ैरह लोगों से सुनकर अपने सहाबा से लिखवा लेते हैं, और चूँकि ख़ुद उम्मी (बिना पढ़े-लिखे) हैं, न लिखना जानते हैं न पढ़ना इसलिये उन लिखे हुए क़िस्सों को सुबह शाम सुनते रहते हैं ताकि वो याद हो जायें फिर लोगों के सामने जाकर यह कह दें कि यह अल्लाह का कलाम है।

इस एतिराज़ का जवाब क़ुरआने करीम ने यह दियाः

قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ.

इस जवाब का हासिल यह है कि यह कलाम ख़ुद इसका सुबूत व गवाह है कि इसकी नाज़िल करने वाली वह पाक ज़ात हक़ तआ़ला की है जो आसमानों और ज़मीन के सब ख़ुफ़िया राज़ों से वाक़िफ़ व बाख़बर है। इसी लिये क़ुरआन को एक बेमिसाल और दूसरों को आ़जिज़ कर देने वाला कलाम बनाया और सारी दुनिया को चुनौती दी कि अगर इसको तुम ख़ुदा का कलाम नहीं मानते किसी इनसान का कलाम समझते हो तो तुम भी इनसान हो इस जैसा कलाम ज़्यादा नहीं तो एक सूरत बल्कि एक आयत ही बनाकर दिखला दो। और यह चुनौती जिसका जवाब देना अ़रब के साहित्य व भाषा के माहिर लोगों के लिये कुछ भी मुश्किल नहीं मगर वे इस चुनौती से भागते नज़र आये, किसी को इतनी जुर्रत नहीं हुई कि क़ुरआन की एक आयत के मुक़ाबले में उस जैसी दूसरी आयत लिख लाये। हालाँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मुख़ालफ़त में अपना माल व असबाब बल्कि अपनी औलाद और अपनी जान तक ख़र्च करने को तैयार हो गये। यह मुख़्तसर सी बात न कर सके कि क़ुरआन के जैसी एक सूरत लिख लाते, स्पष्ट तौर पर यह इस बात की दलील है कि यह कलाम किसी इनसान का नहीं, वरना दूसरे इनसान भी ऐसा कलाम लिख सकते, सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला अ़लीम व ख़बीर ही का है। साहित्य व भाषा के आला मेयार का होने के अ़लावा इसके तमाम मायने व मज़ामीन भी ऐसे उलूम पर आधारित हैं जो उस ज़ात की तरफ़ से हो सकते हैं जो ज़ाहिर व बातिन का जानने वाला है (इस मज़मून की पूरी तफ़सील सूरः ब-क़रह में क़ुरआन के बेजोड़ और दूसरों का आ़जिज़ कर देने वाला होने की मुकम्मल बहस की सूरत में बयान हो चुकी है उसको 'मआ़रिफ़ुल-क़ुरआन' पहली जिल्द में देख सकते हैं)।

दूसरा एतिराज़ यह था कि अगर यह रसूल होते तो आ़म इनसानों की तरह खाते-पीते नहीं

बल्कि फ़रिश्तों की तरह खाने-पीने की ज़रूरतों से बेपरवाह और अलग होते। और अगर यह भी न होता तो कम से कम इनके पास अल्लाह की तरफ़ से इतना ख़ज़ाना या बाग़ात होते कि इनको अपने रोज़गार और गुज़ारे की फ़िक्र न करनी पड़ती। बाज़ारों में चलना-फिरना न पड़ता। इसके अ़लावा इनका अल्लाह की तरफ़ से रसूल होना हम कैसे मान लें कि अव्वल तो यह फ़रिश्ते नहीं, दूसरे कोई फ़रिश्ता भी इनके साथ नहीं रहता जो इनके साथ इनके कलाम की तस्दीक़ किया करता, इसलिये ऐसा मालूम होता है कि इन पर किसी ने जादू कर दिया है जिससे इनका दिमाग़ चल गया और यह ऐसी बेसर पैर की बातें कहते हैं। इसका संक्षिप्त जवाब तो इस आयत में यह दिया गयाः

انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝

यानी देखो तो ये लोग आपकी शान में कैसी-कैसी अ़जीब-अ़जीब बातें करते हैं जिसका नतीजा यह है कि ये सब गुमराह हो गये और अब इनको राह मिलने की कोई सूरत न रही। तफ़सीली जवाब अगली आयतों में आया है।

تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَٰلِكَ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا ۝ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا
لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۝ إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَ
زَفِيرًا ۝ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ۝ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا
وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ۝ قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتْ
لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ۝ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا ۝ وَ
يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ
هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۝ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ
أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ۝ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ
بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا ۚ وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ۝
وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي
الْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۝

तबा-रकल्लज़ी इन् शा-अ ज-अ़-ल ल-क ख़ैरम्-मिन् ज़ालि-क जन्नातिन् तज्री मिन् तह्तिहल्-अन्हारु व	बड़ी बरकत है उसकी जो चाहे तो कर दे तेरे वास्ते उससे बेहतर बाग़ कि नीचे बहती हैं उनके नहरें और कर दे तेरे

यज्अल् ल-क क़ुसूरा (10) बल् कज़्ज़बू बिस्सा-अ़ति व अअ्तद्ना लिमन् कज़्ज़-ब बिस्सा-अ़ति सअ़ीरा (11) इज़ा र-अत्हुम् मिम्-मकानिम्-बअ़ीदिन् समिअू लहा त-ग़य्युज़ंव्-व ज़फ़ीरा (12) व इज़ा उल्क़ू मिन्हा मकानन् ज़य्यिक़म्-मुक़र्रनी-न दऔ हुनालि-क सुबूरा (13) ला तद्अुल्-यौ-म सुबूरंव्-वाहिदंव्-वद्अू सुबूरन् कसीरा (14) क़ुल् अ-ज़ालि-क ख़ैरुन् अम् जन्नतुल्-ख़ुल्दिल्लती वुअ़िदल् मुत्तक़ू-न, कानत् लहुम् जज़ाअंव्-व मसीरा (15) लहुम् फ़ीहा मा यशाऊ-न ख़ालिदी-न, का-न अ़ला रब्बि-क वअ्दम् मस्ऊला (16) व यौ-म यह्शुरुहुम् व मा यअ्बुदू-न मिन् दूनिल्लाहि फ़-यक़ूलु अ-अन्तुम् अज़्लल्तुम् अ़िबादी हाउला-इ अम् हुम् ज़ल्लुस्सबील (17) क़ालू सुब्हान-क मा का-न यम्बग़ी लना अन्-नत्तख़ि-ज़ मिन् दूनि-क मिन् औलिया-अ व लाकिम्-मत्तअ्-तहुम् व आबा-अहुम् हत्ता नसुज़्ज़िक्-र व कानू क़ौमम्-बूरा (18) फ़-क़द् कज़्ज़बूकुम् बिमा तक़ूलू-न फ़मा

वास्ते महल। (10) कुछ नहीं वे झुठलाते हैं कियामत को और हमने तैयार की है उसके वास्ते आग जो कि झुठलाता है कियामत को। (11) जब वह देखेगी उनको दूर की जगह से सुनेंगे उसका झुंझलाना और चिल्लाना। (12) और जब डाले जायेंगे उसके अन्दर एक तंग जगह में एक ज़ंजीर में कई-कई बंधे हुए पुकारेंगे उस जगह मौत को। (13) मत पुकारो आज एक मरने को और पुकारो बहुत से मरने को। (14) तू कह भला यह चीज़ बेहतर है या बाग़ हमेशा रहने का जिस का वायदा हो चुका परहेज़गारों से, वह होगा उनका बदला और फिर जाने की जगह। (15) उनके वास्ते वहाँ है जो वे चाहें, रहा करें हमेशा, हो चुका तेरे रब के ज़िम्मे वायदा माँगा मिलता। (16) और जिस दिन जमा करके बुलायेगा उनको और जिनको वे पूजते हैं अल्लाह के सिवाय, फिर उनसे कहेगा क्या तुमने बहकाया मेरे उन बन्दों को या वे ख़ुद बहके राह से? (17) बोलेंगे तू पाक है, हमसे बन न आता था कि पकड़ लें किसी को तेरे बग़ैर साथी लेकिन तू उनको फ़ायदा पहुँचाता रहा और उनके बाप-दादों को यहाँ तक कि भुला बैठे तेरी याद और ये तबाह होने वाले लोग थे। (18) सो वे तो झुठला चुके तुमको तुम्हारी बात में

तस्ततीअू-न सर्फ़ंव्-व ला नसुरन् व मंय्यज़्लिम् मिन्कुम् नुज़िक़्हु अ़ज़ाबन् कबीरा (19) व मा अर्सल्ना क़ब्ल-क मिनल्-मुर्सली-न इल्ला इन्नहुम् ल-यअ्कुलूनत्तआ़-म व यमशू-न फ़िल्-अस्वाक़ि, व जअ़ल्ना बअ्-ज़कुम् लि-बअ्ज़िन फ़ित्नतन् अ-तस्बिरू-न व का-न रब्बु-क बसीरा (20) ✿	अब न तुम लौटा सकते हो और न मदद कर सकते हो, और जो कोई तुम में गुनाहगार है उसको हम चखायेंगे बड़ा अ़ज़ाब। (19) और जितने भेजे हमने तुझसे पहले रसूल सब खाते थे खाना और फिरते थे बाज़ारों में, और हमने रखा है तुम में एक दूसरे के जाँचने को, देखें साबित भी रहते हो, और तेरा रब सब कुछ देखता है। (20) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

वह ज़ात बड़ी बुलन्द शान वाली है कि अगर वह चाहे तो आपको (काफ़िरों की) इस (फ़रमाईश) से (भी) अच्छी चीज़ दे दे, यानी बहुत-से (ग़ैबी) बाग़ात जिनके नीचे से नहरें बहती हों (बेहतर इसलिए कहा कि वे तो सिर्फ़ बाग़ की फ़रमाईश करते थे चाहे एक ही हो और अनेक बाग़ों का एक से बेहतर होना ज़ाहिर है) और (बल्कि उन बाग़ों के साथ और भी मुनासिब चीज़ें दे दे जिनकी उन्होंने फ़रमाईश भी नहीं की, यानी) आपको बहुत-से महल दे दे (जो उन बाग़ों में बने हों, या बाहर ही हों जिससे उनकी फ़रमाईश और भी ज़्यादा नेमतों के साथ पूरी हो जाये। मतलब यह कि जो जन्नत में मिलेगा अगर अल्लाह चाहे तो आपको दुनिया ही में दे दे लेकिन कुछ हिक्मतों से नहीं चाहा, और अपने आप में यह ज़रूरी था भी नहीं पस यह एतिराज़ व शुब्हा बिल्कुल बेहूदा है। उन काफ़िरों के इन ज़िक्र हुए शुब्हों का सबब यह नहीं है कि इनको हक़ की तलब और फ़िक्र हुई है और इस दौरान में तहक़ीक़ से पहले ऐसे शुब्हात पैदा हो गये हों, बल्कि एतिराज़ों की वजह महज़ शरारत और हक़ की तलब से बेफ़िक्री है, और इस बेफ़िक्री और शरारत का सबब यह है कि) ये लोग क़ियामत को झूठ समझ रहे हैं (इसलिए अन्जाम की फ़िक्र नहीं है और जो जी में आता है कर लेते हैं, बक देते हैं) और (अन्जाम इसका यह होगा कि) हमने ऐसे शख़्स (की सज़ा) के लिये जो कि क़ियामत को झूठ समझे, दोज़ख़ तैयार कर रखी है (क्योंकि क़ियामत के झुठलाने से अल्लाह व रसूल का झुठलाना लाज़िम आता है जो असल सबब है दोज़ख़ में जाने का। और उस दोज़ख़ की यह कैफ़ियत होगी कि) वह (दोज़ख़) उनको दूर से देखेगी तो (देखते ही ग़ुस्से में होकर इस क़द्र जोश मारेगी कि) वे लोग (दूर ही से) उसका जोश व ख़रोश सुनेंगे। और (फिर) जब वे उस (दोज़ख़) की किसी तंग जगह में हाथ-पाँव जकड़कर डाल दिये जाएँगे तो वहाँ मौत ही मौत पुकारेंगे (जैसा कि मुसीबत में आ़दत है कि मौत को बुलाते और उसकी तमन्ना करते हैं, उस वक़्त उनसे कहा जायेगा कि) एक मौत को न

पुकारो बल्कि बहुत-सी मौतों को पुकारो (क्योंकि मौत के पुकारने की वजह मुसीबत है और तुम्हारी मुसीबत कभी ख़त्म न होने वाली है, और हर मुसीबत का तक़ाज़ा मौत को पुकारना है तो पुकारना भी ज़्यादा हुआ और इसी की अधिकता को मौत की अधिकता कहा गया)।

आप (उनको यह मुसीबत सुनाकर) कहिए कि (यह बतलाओ कि) क्या यह (मुसीबत की हालत) अच्छी है (जो कि तुम्हारे कुफ़्र व इनकार की वजह से होगी) या वह हमेशा रहने की जन्नत (अच्छी है) जिसका ख़ुदा से डरने वालों से (यानी ईमान वालों से) वायदा किया गया है, कि वह उनके लिये (उनकी फ़रमाँबरदारी का) सिला है, और उनका (आख़िरी) ठिकाना। (और) उनको वहाँ वे सब चीज़ें मिलेंगी जो कुछ वे चाहेंगे (और) वे (उसमें) हमेशा रहेंगे।

(ऐ पैग़म्बर!) यह एक वायदा है जो (फ़ज़्ल व इनायत के तौर पर) आपके रब के ज़िम्मे है और माँगने के क़ाबिल दरख़्वास्त है। (और ज़ाहिर है कि हमेशा की जन्नत ही बेहतर है सो इसमें डरावे के बाद ईमान की तरफ़ शौक़ व दिलचस्पी हो गई)। और (वह दिन इनको याद दिलाईये कि) जिस दिन अल्लाह उन (काफ़िर) लोगों को और जिनको वे लोग ख़ुदा के सिवा पूजते थे (जिन्होंने अपने इख़्तियार से किसी को गुमराह नहीं किया चाहे सिर्फ़ बुत मुराद हों या फ़रिश्ते वग़ैरह भी) उन (सब) को जमा करेगा, फिर (उन माबूदों से उन इबादत करने वालों की रुस्वाई के लिये) फ़रमायेगा- क्या तुमने मेरे इन बन्दों को (हक़ रास्ते से) गुमराह किया था या ये (ख़ुद ही हक़) राह से गुमराह हो गये थे (मतलब यह कि इन्होंने तुम्हारी इबादत जो वास्तव में गुमराही है तुम्हारे हुक्म व रज़ामन्दी से की थी जैसा कि इन लोगों का गुमान था कि ये माबूद हमारी इस इबादत से ख़ुश होते हैं और ख़ुश होकर अल्लाह तआ़ला से हमारी सिफ़ारिश करेंगे, या अपनी ग़लत राय से ख़ुद इन्होंने यह बात गढ़ ली थी)? वे (माबूद) अर्ज़ करेंगे कि अल्लाह की पनाह! हमारी क्या मजाल थी कि हम आपके सिवा और कारसाज़ों को (अपने एतिक़ाद में) तजवीज़ करें, (चाहे वह कारसाज़ हम हों या हमारे सिवा और कोई हो। मतलब यह कि जब ख़ुदाई को आप में सीमित समझते हैं तो हम शिर्क करने का उनको हुक्म या उसपर रज़ामन्दी क्यों ज़ाहिर करते) व लेकिन (ये ख़ुद ही गुमराह हुए और गुमराह भी ऐसे नामाक़ूल तौर पर हुए कि शुक्र के असबाब को इन्होंने कुफ़्र के असबाब बनाया। चुनाँचे) आपने (तो) इनको और इनके बड़ों को (ख़ूब) ऐश व आराम दिया (जिसका तक़ाज़ा यह था कि नेमत देने वाले को पहचानते और उसका शुक्र व इताअ़त करते, मगर ये लोग) यहाँ तक (इच्छाओं और मज़े उड़ाने में मशग़ूल हुए) कि (आपकी) याद (ही) को भुला बैठे, और ये लोग ख़ुद ही बरबाद हुए (मतलब जवाब का ज़ाहिर है कि दोनों पहलुओं में से इस पहलू को इख़्तियार किया कि ये ख़ुद ही गुमराह हुए हमने नहीं किया। और इनकी गुमराही को अल्लाह की बड़ी नेमतें उन पर मुतवज्जह होने का ज़िक्र करके और ज़्यादा स्पष्ट कर दिया। उस वक़्त अल्लाह तआ़ला उन इबादत करने वालों को लाजवाब करने के लिये जो उक्त सवाल से असल मक़सद था यह फ़रमायेगा) लो तुम्हारे इन माबूदों ने तो तुमको तुम्हारी (सब) बातों में झूठा (ही) ठहरा दिया (और इन्होंने भी तुम्हारा साथ न दिया और जुर्म पूरे तौर पर क़ायम हो गया) सो (अब) तुम न तो ख़ुद (अ़ज़ाब को अपने ऊपर से) टाल सकते हो और न (किसी दूसरे की तरफ़ से) मदद दिये जा सकते हो (यहाँ तक कि जिन पर पूरा भरोसा था वे भी साफ़ जवाब दे रहे हैं और तुम्हारी खुली मुख़ालफ़त कर रहे हैं) और जो (जो) तुम में ज़ालिम (यानी मुश्रिक)

होगा हम उसको बड़ा अ़ज़ाब चखाएँगे (और अगरचे उस वक़्त मुख़ातब सब मुश्रिक ही होंगे मगर इस तरह फ़रमाने की यह वजह है कि ज़ुल्म का तक़ाज़ा अ़ज़ाब होना बयान फ़रमाना उद्देश्य है)।

और हमने आप से पहले जितने पैग़म्बर भेजे सब खाना भी खाते थे और बाज़ारों में भी चलते-फिरते थे (मतलब यह कि नुबुव्वत और खाना खाने वग़ैरह में कोई टकराव और विरोधाभास नहीं, चुनाँचे जिनकी नुबुव्वत दलीलों से साबित है अगरचे एतिराज़ करने वाले न मानें, उन सबसे इस काम का करना साबित है, पस आप पर भी यह एतिराज़ ग़लत है)। और (ऐ पैग़म्बर और ऐ पैग़म्बर के ताबेदारो! इन काफ़िरों की ऐसी बेहूदा बातों से ग़मगीन मत हो, क्योंकि) हमने तुम (तमाम ही मुकल्लफ़ लोगों) में एक को दूसरे के लिये आज़माईश बनाया है (पस इसी निरन्तर चले आ रहे उसूल के मुवाफ़िक़ नबियों को ऐसी हालत पर बनाया कि उम्मत की आज़माईश हो कि कौन उनके इनसानी हालात पर नज़र करके उनको झुठलाता है और कौन उनके नुबुव्वत के कमालात पर नज़र करके उनकी तस्दीक़ करता है, सो जब यह बात मालूम हो गई तो) क्या तुम (अब भी) सब्र करोगे? (यानी सब्र करना चाहिए) और (यह बात यक़ीनी है कि) आपका रब ख़ूब देख रहा है (तो वायदा किये गये वक़्त पर उनको सज़ा देगा, फिर आप क्यों परेशानी व ग़म में पड़ें)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इनसे पहले की आयतों में काफ़िरों व मुश्रिकों की तरफ़ से हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत व रिसालत पर जो शुब्हात (संदेह व एतिराज़ात) पेश किये गये थे और वहाँ उनका मुख़्तसर तौर पर जवाब दिया गया था, इन आयतों में उसकी कुछ तफ़सील बयान हुई है। जिसका हासिल यह है कि तुमने अपनी जहालत और हक़ीक़त पहचानने से दूर होने की वजह से एक बात यह कही है कि अगर यह अल्लाह के रसूल होते तो इनके पास बहुत दौलत के ख़ज़ाने होते, बहुत बड़ी जायदाद और बाग़ात होते ताकि यह रोज़ी कमाने से बेफ़िक्र रहते। इसका जवाब यह दिया गया कि ऐसा कर देना हमारे लिये कुछ मुश्किल नहीं कि अपने रसूल को दौलत के ख़ज़ाने दे दें, बल्कि बड़ी से बड़ी हुकूमत व सल्तनत का मालिक बना दें जैसा कि इससे पहले हज़रत दाऊद और सुलैमान अ़लैहिमस्सलाम को ऐसी दौलत और पूरी दुनिया पर बेमिसाल हुकूमत अ़ता फ़रमाकर अपनी इस कामिल क़ुदरत का इज़्हार भी किया जा चुका है; मगर आ़म मख़्लूक़ की मस्लेहत और बेशुमार हिक्मतों का तक़ाज़ा यह है कि अम्बिया की जमाअ़त को माद्दी और दुनियावी माल व दौलत से अलग ही रखा जाये। ख़ुसूसन तमाम नबियों के सरदार के लिये हक़ तआ़ला को यही पसन्द हुआ कि वह आ़म ग़रीब मुसलमानों की सफ़ों में और उन्हीं जैसे हालात में रहें, और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपने लिये इसी हालत को पसन्द फ़रमाया जैसा कि मुस्नद अहमद और तिर्मिज़ी में हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मेरे रब ने मुझसे फ़रमाया कि मैं आपके लिये पूरे मक्का की वादी और उसके पहाड़ों को सोना बना देता हूँ, तो मैंने अ़र्ज़ किया नहीं, ऐ मेरे परवर्दिगार! मुझे तो यह पसन्द है कि मुझे एक रोज़ पेट भराई खाना मिले (जिस पर अल्लाह का शुक्र अदा करूँ) और एक रोज़ भूखा रहूँ (उस पर

सब्र करूँ) और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अगर मैं चाहता तो सोने के पहाड़ मेरे साथ फिरा करते। (तफ़सीरे मज़हरी)

इसका ख़ुलासा यह है कि अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम का आ़म तौर पर ग़रीबी व तंगदस्ती में रहना अल्लाह तआ़ला की हज़ारों हिक्मतों और आ़म इनसानों की मस्लेहतों की बिना पर है और इसमें भी वे उस हालत पर मजबूर नहीं होते, अगर वे चाहें तो अल्लाह तआ़ला उनको बड़ा मालदार जायदाद वाला बना सकते हैं, मगर उनकी ज़ात को हक़ तआ़ला ने ऐसा बनाया है कि वे माल व दौलत से कोई दिलचस्पी ही नहीं रखते, ग़रीबी व तंगदस्ती ही को पसन्द करते हैं।

दूसरी बात काफ़िरों ने यह कही थी कि यह पैग़म्बर होते तो आ़म इनसानों की तरह न खाते-पीते और रोज़ी कमाने के लिये बाज़ारों में न फिरते। इस एतिराज़ की बुनियाद बहुत से काफ़िरों का यह ख़्याल है कि अल्लाह तआ़ला का रसूल इनसान नहीं हो सकता, फ़रिश्ता ही रसूल हो सकता है जिसका जवाब क़ुरआने करीम में अनेक जगह आया है, और यहाँ इसका यह जवाब दिया गया कि जिन अम्बिया को तुम भी नबी व रसूल मानते हो वे भी तो इनसान ही थे, इनसानों की तरह खाते पीते बाज़ारों में फिरते थे, जिससे तुम्हें यह नतीजा निकाल लेना चाहिये था कि खाना-पीना और बाज़ार में फिरना नुबुव्वत व रिसालत के मुक़ाम व मर्तबे के ख़िलाफ़ नहीं। ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 20 में इसी मज़मून का बयान है।

मख़्लूक़ में आर्थिक समानता का न होना बड़ी हिक्मत पर आधारित है

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً

इसमें इशारा इस तरफ़ है कि हक़ तआ़ला को क़ुदरत तो सब कुछ थी, वह सारे इनसानों को समान रूप से मालदार बना देते, सब को तन्दुरुस्त रखते, कोई बीमार न होता। सब को इज़्ज़त व रुतबे के आला मर्तबे पर क़ायम कर देते कोई अदना या कम-रुतबे वाला न रह जाता, मगर दुनिया के निज़ाम में इसकी वजह से बड़ी रुकावटें और दिक़्क़तें पैदा हो जातीं, इसलिये हक़ तआ़ला ने किसी को मालदार बनाया, किसी को ग़रीब तंगदस्त। किसी को ताक़तवर किसी को कमज़ोर। किसी को तन्दुरुस्त किसी को बीमार। किसी को इज़्ज़त व मर्तबे वाला किसी को गुमनाम। इस विभिन्न प्रकार के वर्गों, किस्मों और हालात में होने से हर तब्क़े का इम्तिहान और आज़माईश है। मालदार के शुक्र का, ग़रीब के सब्र का इम्तिहान है। इसी तरह बीमार व तन्दुरुस्त का हाल है। इसी लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तालीम यह है कि जब तुम्हारी नज़र किसी ऐसे शख़्स पर पड़े जो माल व दौलत में तुमसे ज़्यादा है या सेहत व ताक़त और इज़्ज़त व मर्तबे में तुमसे बड़ा है तो तुम फ़ौरन ऐसे लोगों पर नज़र करो जो इन चीज़ों में तुमसे कम हैसियत रखते हैं (ताकि तुम दूसरों से जलन के गुनाह से भी बच जाओ और अपनी मौजूदा हालत में अल्लाह तआ़ला का शुक्र करने की तौफ़ीक़ हो)। (बुख़ारी व मुस्लिम, मज़हरी)

पारा (19) व कालल्लज़ी-न

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا ۭ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا ۝ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ۝

व कालल्लज़ी-न ला यर्जू-न लिका-अना लौ ला उन्ज़ि-ल अलैनल्-मलाइ-कतु औ नरा रब्बना, ल-कदिस्तक्बरू फ़ी अन्फ़ुसिहिम् व अतौ अुतुव्वन् कबीरा (21) यौ-म यरौनल्-मलाइ-क-त ला बुश्रा यौमइज़िल्-लिल्-मुज्रिमी-न व यक़ूलू-न हिज्रम्-मह्जूरा (22)	और बोले वे लोग जो उम्मीद नहीं रखते कि हमसे मिलेंगे, क्यों न उतरे हम पर फ़रिश्ते या हम देख लेते अपने रब को, बहुत बड़ाई रखते हैं अपने जी में और सर चढ़ रहे हैं बड़ी शरारत में। (21) जिस दिन देखेंगे फ़रिश्तों को कुछ ख़ुशख़बरी नहीं उस दिन गुनाहगारों को और कहेंगे- कहीं रोक दी जाये कोई आड़। (22)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और जो लोग हमारे सामने पेश होने से अन्देशा नहीं करते (क्योंकि वे क़ियामत और उसकी पेशी और हिसाब के इनकारी हैं) वे (रिसालत के इनकार के लिये) यूँ कहते हैं कि हमारे पास फ़रिश्ते क्यों नहीं आते (कि अगर फ़रिश्ते आकर हमसे कहें कि यह रसूल हैं) या हम अपने रब को देख लें (और वह ख़ुद हम से कह दे कि यह रसूल हैं तब हम तस्दीक़ करें। इसके जवाब में अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि) ये लोग दिलों में अपने को बहुत बड़ा समझ रहे हैं (कि अपने आपको इस क़ाबिल समझते हैं कि फ़रिश्ते आकर इनसे ख़िताब करें या ख़ुद हक़ तआ़ला से हम-कलाम हों) और (विशेष तौर पर अल्लाह तआ़ला के दुनिया में देखने और उससे गुफ़्तगू करने की फ़रमाईश में तो) ये लोग (इनसानियत की) हद से बहुत दूर निकल गये हैं (क्योंकि फ़रिश्तों और इनसान की तो कुछ चीज़ों में शिर्कत भी है कि दोनों अल्लाह की मख़्लूक़ हैं मगर अल्लाह तआ़ला और इनसान में तो कोई बराबरी और समानता नहीं। और ये लोग ख़ुदा को देखने के लायक़ तो क्या होते मगर फ़रिश्ते इनको एक रोज़ दिखलाई देंगे मगर जिस तरह ये चाहते हैं उस तरह नहीं बल्कि इनके अ़ज़ाब व मुसीबत और परेशानी लेकर) चुनाँचे जिस दिन ये लोग फ़रिश्तों को देखेंगे (और वह दिन क़ियामत का है) उस दिन मुजरिमों (यानी काफ़िरों) के लिये कोई ख़ुशी की बात (नसीब) न होगी, और (फ़रिश्तों को जब अ़ज़ाब के सामान के साथ आता देखेंगे तो घबराकर) कहेंगे कि पनाह है, पनाह है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا.

लफ़्ज़ 'रजा' के आम मायने किसी महबूब व पसन्दीदा चीज़ की उम्मीद के आते हैं, और कभी यह लफ़्ज़ ख़ौफ़ व डर के मायने में भी इस्तेमाल होता है जैसा कि इब्नुल-अंबारी ने किताबुल-अज़दाद में लिखा है। इस जगह भी यही डर और ख़ौफ़ के मायने ज़्यादा स्पष्ट हैं, यानी वे लोग जो हमारे सामने पेशी से नहीं डरते। इसमें इशारा इस बात की तरफ़ है कि बेकार के और जाहिलाना सवालात और फ़रमाईशों की जुर्रत उसी शख़्स को हो सकती है जो आख़िरत का बिल्कुल मुन्किर हो। आख़िरत के क़ायल पर आख़िरत की फ़िक्र ऐसी ग़ालिब होती है कि उसको ऐसे सवाल व जवाब की फ़ुर्सत ही नहीं मिलती। आजकल जो नई तालीम के असर से इस्लाम और उसके अहकाम के बारे में बहुत से लोग शुब्हात और बहस व मुबाहसे में मशग़ूल नज़र आते हैं यह भी इसकी निशानी होती है कि अल्लाह की पनाह दिल में आख़िरत का सच्चा यक़ीन नहीं है, अगर यह होता तो इस क़िस्म के फ़ुज़ूल सवालात दिल में पैदा ही न होते।

حِجْرًا مَّحْجُورًا.

हिज्र के लफ़्ज़ी मायने सुरक्षित जगह के हैं। और महजूरा इसकी ताकीद है। यह लफ़्ज़ अरब के मुहावरे में उस वक़्त बोला जाता था जब कोई मुसीबत सामने हो, उससे बचने के लिये लोगों से कहते थे कि पनाह है पनाह, यानी हमें इस मुसीबत से पनाह दो। क़ियामत के दिन भी जब काफ़िर लोग फ़रिश्तों को अ़ज़ाब का सामान लाता हुआ देखेंगे तो दुनिया की आ़दत के मुताबिक़ यह लफ़्ज़ कहेंगे। और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से इस लफ़्ज़ के यह मायने नक़ल किये गये हैं 'हरामम् मुहर्रमन्' और मुराद यह है कि क़ियामत के दिन जब ये लोग फ़रिश्तों को अ़ज़ाब के साथ देखेंगे और उनसे माफ़ करने और जन्नत में जानें की दरख़्वास्त करेंगे या तमन्ना ज़ाहिर करेंगे तो फ़रिश्ते उनके जवाब में कहेंगे 'हिजूरम् महजूरा' यानी जन्नत काफ़िरों पर हराम और ममनू है। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا ۝ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۝ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَٰمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ تَنزِيلًا ۝ ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ عَسِيرًا ۝ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَٰلَيْتَنِى ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ۝ يَٰوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِى لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ۝ لَّقَدْ أَضَلَّنِى عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِى ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِلْإِنسَٰنِ خَذُولًا ۝ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَٰرَبِّ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُوا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ۝ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ۝

व क़दिम्ना इला मा अ़मिलू मिन् अ़-मलिन् फ़-जअ़ल्नाहु हबाअम्-मन्सूरा (23) अस्हाबुल्-जन्नति	और हम पहुँचे उनके कामों पर जो उन्होंने किये थे, फिर हमने कर डाला उसको उड़ती हुई ख़ाक। (23) जन्नत के लोगों

यौमइज़िन् ख़ैरुम्-मुस्त-क़र्रंव्-व अह्सनु मक़ीला (24) व यौ-म त-शक्क़क़ुस्समा-उ बिल्-ग़मामि व नुज़्ज़िलल्-मलाइ-कतु तन्ज़ीला (25) अल्मुल्कु यौमइज़ि-निल्हक़्क़ु लिर्रह्मानि, व का-न यौमन् अ़लल्-काफ़िरी-न अ़सीरा (26) व यौ-म य-अ़ज़्ज़ुज़्ज़ालिमु अ़ला यदैहि यक़ूलु यालै-तनित्तख़ज़्तु मअ़र्-रसूलि सबीला (27) या वैलता लै-तनी लम् अत्तख़िज़् फ़ुलानन् ख़लीला (28) ल-क़द् अज़ल्लनी अ़निज़्ज़िक्रि बअ़्-द इज़् जा-अनी, व कानश्शैतानु लिल्इन्सानि ख़ज़ूला (29) व क़ालर्रसूलु या रब्बि इन्-न क़ौमित्त-ख़ज़ू हाज़ल्-क़ुरआ-न मह्जूरा (30) व कज़ालि-क जअ़ल्ना लिकुल्लि नबिय्यिन् अ़दुव्वम् मिनल्-मुज्रिमी-न, व कफ़ा बिरब्बि-क हादियंव्-व नसीरा (31)

का उस दिन ख़ूब है ठिकाना, और ख़ूब है जगह दोपहर के आराम की। (24) और जिस दिन फट जाये आसमान बादल से और उतारे जायें फ़रिश्ते तार लगाकर (25) बादशाही उस दिन सच्ची है रहमान की, और है वह दिन इनकार करने वालों पर मुश्किल। (26) और जिस दिन काट काट खायेगा गुनाहगार अपने हाथों को कहेगा ऐ काश कि मैंने पकड़ा होता रसूल के साथ रस्ता। (27) ऐ मेरी ख़राबी काश कि न पकड़ा होता मैंने फ़ुलाँ को दोस्त। (28) उसने तो बहका दिया मुझको नसीहत से मुझ तक पहुँच चुकने के बाद, और शैतान है आदमी को वक़्त पर दग़ा देने वाला। (29) और कहा रसूल ने ऐ मेरे रब! मेरी क़ौम ने ठहराया है इस क़ुरआन को झक-झक। (30) और इसी तरह रखे हैं हमने हर नबी के लिये दुश्मन गुनाहगारों में से, और काफ़ी है तेरा रब राह दिखलाने को और मदद करने को। (31)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और हम (उस दिन) उनके (यानी काफ़िरों के) उन (नेक) कामों की तरफ़ जो कि वे (दुनिया में) कर चुके थे मुतवज्जह होंगे, सो उनको (ऐलानिया तौर पर) ऐसा (बेकार) कर देंगे जैसे परेशान ग़ुबार (कि किसी काम नहीं आता, इसी तरह काफ़िरों के आमाल पर कुछ सवाब न होगा, अलबत्ता) जन्नत वाले उस दिन ठिकाने में भी अच्छे रहेंगे और आराम करने की जगह में भी ख़ूब अच्छे होंगे (आराम की जगह और ठिकाने से मुराद जन्नत है, यानी जन्नत उनके लिये ठहरने और आराम की जगह होगी

और अच्छा होना उसका ज़ाहिर है)। और जिस दिन आसमान एक बदली पर से फट जायेगा और (उस बदली के साथ आसमान से) फ़रिश्ते (ज़मीन पर) बहुत ज़्यादा उतारे जाएँगे (और उसी वक़्त हक़ तआला हिसाब व किताब के लिये तजल्ली फ़रमायेंगे और) उस दिन असल हुकूमत (हज़रत) रहमान (ही) की होगी (यानी हिसाब व किताब और जज़ा व सज़ा में किसी को दख़ल न होगा जैसा कि दुनिया में ज़ाहिरी तसर्रुफ़ थोड़ा-बहुत दूसरों के लिये भी हासिल है) और यह (दिन) काफ़िरों पर बड़ा सख़्त दिन होगा (क्योंकि उनके हिसाब का अन्जाम जहन्नम ही है)।

और जिस दिन ज़ालिम (यानी काफ़िर आदमी बहुत ज़्यादा हसरत से) अपने हाथ काट खायेगा (और) कहेगा क्या अच्छा होता कि मैं रसूल के साथ (दीन की) राह पर लग लेता। हाय मेरी शामत (कि ऐसा न किया, और) क्या अच्छा होता कि मैं फ़ुलाँ शख़्स को दोस्त न बनाता, उस (कमबख़्त) ने मुझको नसीहत आने के बाद उससे बहका दिया (और हटा दिया), और शैतान तो इनसान को (ऐन वक़्त पर) मदद करने से जवाब दे ही देता है (चुनाँचे उस काफ़िर की इस हसरत व अफ़सोस के वक़्त उसने कोई हमदर्दी न की, अगरचे करने से भी कुछ न होता, सिर्फ़ दुनिया ही में बहकाने को था)। और (उस दिन) रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हक़ तआला से काफ़िरों की शिकायत के तौर पर) कहेंगे कि ऐ मेरे रब! मेरी (इस) क़ौम ने इस क़ुरआन को (जिस पर कि अमल करना वाजिब था) बिल्कुल नज़र-अन्दाज़ कर रखा था (और तवज्जोह ही न करते थे अमल तो दूर की बात है। मतलब यह कि ख़ुद काफ़िर लोग भी अपनी गुमराही का इक़रार करेंगे और रसूल भी गवाही देंगे और अपराध के साबित होने की आदतन यही दो सूरतें हैं, इक़रार और गवाही, और दोनों के इकट्ठा होने से यह सुबूत और भी मज़बूत हो जायेगा और सज़ा पाने वाले होंगे) और हम इसी तरह मुजरिम लोगों में से हर नबी के दुश्मन बनाते रहते हैं (यानी ये लोग जो क़ुरआन का इनकार करके आपकी मुख़ालफ़त कर रहे हैं कोई नई बात नहीं जिसका ग़म किया जाये) और (जिसको हिदायत देना मन्ज़ूर हो उसकी) हिदायत करने को और (जो हिदायत से मेहरूम है उसके मुक़ाबले में आपकी) मदद करने को आपका रब काफ़ी है।

मआरिफ़ व मसाईल

خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلًا

मुस्तक़र मुस्तक़िल के ठिकाने को कहा जाता है, और **मक़ील** क़ैलूला से निकला है, दोपहर को आराम करने की जगह को **मक़ील** कहते हैं। इस जगह मक़ील का ज़िक्र ख़ुसूसियत से शायद इसलिये भी हुआ है कि एक हदीस में आया है कि क़ियामत के दिन हक़ तआला दोपहर के वक़्त सारी मख़्लूक़ात के हिसाब-किताब से फ़ारिग़ हो जायेंगे और दोपहर के सोने के वक़्त जन्नत वाले जन्नत में पहुँच जायेंगे और जहन्नम वाले जहन्नम में। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ

मायने यह हैं कि आसमान शक़ होकर (फटकर) उसमें से एक पतला बादल उतरेगा जिसमें

फ़रिश्ते होंगे। यह बादल सायबान और छज्जे की शक्ल में आसमान से आयेगा और इसमें हक़ तआ़ला की तजल्ली होगी, और इसके चारों तरफ़ फ़रिश्ते होंगे। यह हिसाब शुरू होने का वक़्त होगा और उस वक़्त आसमान का फटना सिर्फ़ खुलने के तौर पर होगा, यह वह फटना नहीं होगा जो पहली मर्तबा सूर फूँके जाने के वक़्त आसमान ज़मीन को फ़ना करने के लिये होगा, क्योंकि यह बादल का उतरना जिसका ज़िक्र आयत में है दूसरी बार के सूर फूँके जाने के बाद है जबकि सब ज़मीन व आसमान दोबारा दुरुस्त हो चुके होंगे। (तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन)

يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا۝

यह आयत एक ख़ास वाक़िए में नाज़िल हुई है मगर हुक्म आ़म है। वाक़िआ़ यह था कि उक़्बा इब्ने अबी मुईत मक्का के मुश्रिक सरदारों में से था, इसकी आ़दत थी कि जब किसी सफ़र से वापस आता तो शहर के सम्मानित लोगों की दावत करता था और अक्सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से भी मिला करता था। एक मर्तबा आ़दत के अनुसार उसने शहर के बड़े और इ़ज़्ज़तदार लोगों की दावत की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को भी बुलाया। जब उसने आपके सामने खाना रखा तो आपने फ़रमाया कि मैं तुम्हारा खाना उस वक़्त तक नहीं खा सकता जब तक तुम इसकी गवाही न दो कि अल्लाह तआ़ला एक है उसका इबादत में कोई शरीक नहीं है, और यह कि मैं अल्लाह तआ़ला का रसूल हूँ। उक़्बा ने यह कलिमा पढ़ लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने शर्त के मुताबिक़ खाना खा लिया।

उक़्बा का एक गहरा दोस्त उबई बिन ख़लफ़ था, जब उसको ख़बर लगी कि उक़्बा मुसलमान हो गया तो यह बहुत नाराज़ हुआ। उक़्बा ने उज़्र किया कि क़ुरैश के सम्मानित मेहमान मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) मेरे घर पर आये हुए थे, अगर वह बग़ैर खाना खाये मेरे घर से चले जाते तो मेरे लिये बड़ी रुस्वाई थी; इसलिये मैंने उनका दिल रखने के लिये यह कलिमा कह लिया। उबई बिन ख़लफ़ ने कहा कि मैं तेरी ऐसी बातों को क़ुबूल नहीं करूँगा जब तक तू जाकर उनके मुँह पर न थूके। यह कमबख़्त बदनसीब दोस्त के कहने से इस गुस्ताख़ी पर तैयार हो गया और इस हरकत को कर गुज़रा। अल्लाह तआ़ला ने दुनिया में भी इन दोनों को ज़लील किया कि जंगे-बदर में दोनों मारे गये (तफ़सीरे बग़वी) और आख़िरत में इनके अ़ज़ाब का ज़िक्र इस आयत में किया गया है कि जब आख़िरत का अ़ज़ाब सामने देखेगा तो उस वक़्त शर्मिन्दगी व अफ़सोस से अपने हाथ काटने लगेगा और कहेगा काश मैं फ़ुलाँ यानी उबई बिन ख़लफ़ को दोस्त न बनाता। (मज़हरी व क़ुर्तुबी)

बुरे और बेदीन दोस्तों की दोस्ती क़ियामत के दिन हसरत व शर्मिन्दगी का सबब होगी

तफ़सीरे मज़हरी में है कि ये आयतें अगरचे ख़ास उक़्बा के वाक़िए में नाज़िल हुई थीं लेकिन जैसा कि आयत के अलफ़ाज़ आ़म हैं हुक्म भी आ़म है, और शायद इस जगह उस दोस्त के नाम के बजाय क़ुरआन में फ़ुँला का लफ़्ज़ इसी आ़म होने की तरफ़ इशारा करने के लिये इख़्तियार किया गया

है। इन आयतों ने यह बतलाया है कि जो दो दोस्त किसी नाफ़रमानी और गुनाह पर जमा हों और ख़िलाफ़े शरीअ़त कामों में एक दूसरे की मदद करते हों उन सब का यही हुक्म है कि क़ियामत के दिन उस गहरे दोस्त की दोस्ती पर रोयेंगे। मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद वग़ैरह ने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

لا تصاحب الامؤمنا ولا یاکل مالك الا تقی. (تفسیر مظهری)

यानी किसी ग़ैर-मुस्लिम को अपना साथी न बनाओ और तुम्हारा माल (बतौर दोस्ती के) सिर्फ़ मुत्तक़ी आदमी खाये। यानी ग़ैर-मुत्तक़ी (बुरे और गुनाहगार लोगों) से दोस्ती न करो। और हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

المرء علی دین خلیله فلینظر من یخال. (رواه البخاری)

"हर इनसान (आ़दतन) अपने दोस्त के दीन और तरीक़े पर चला करता है, इसलिये दोस्त बनाने से पहले ख़ूब ग़ौर कर लिया करो कि किसको दोस्त बना रहे हो।"

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से मालूम किया गया कि हमारे मज्लिसी दोस्तों में कौन लोग बेहतर हैं तो आपने फ़रमायाः

من ذکرکم باللّٰه رویته وزادفی علمکم منطقه وذکرکم بالاٰخرة عمله (رواه البزار. قرطبی)

"वह शख़्स जिसको देखकर ख़ुदा याद आये और जिसकी गुफ़्तगू से तुम्हारा इल्म बढ़े और जिसके अ़मल को देखकर आख़िरत की याद ताज़ा हो।"

وَقَالَ الرَّسُوْلُ یٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوْا ھٰذَا الْقُرْاٰنَ مَھْجُوْرًا٥

यानी कहेंगे रसूल (मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) ऐ मेरे परवर्दिगार! मेरी क़ौम ने इस क़ुरआन को छोड़ और नज़र-अन्दाज़ कर दिया है।

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की यह शिकायत अल्लाह की बारगाह में क़ियामत के दिन होगी या इसी दुनिया में आपने यह शिकायत फ़रमाई? तफ़सीर के इमामों की इसमें अलग-अलग राय हैं, दोनों का गुमान व संभावना है। अगली आयत बज़ाहिर इसका इशारा करती है कि यह शिकायत आपने दुनिया ही में पेश फ़रमाई थी जिसके जवाब में आपको तसल्ली देने के लिये अगली आयत में फ़रमायाः

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِیْنَ.

यानी अगर आपके दुश्मन क़ुरआन को नहीं मानते तो आपको इस पर सब्र करना चाहिये, क्योंकि अल्लाह तआ़ला का दस्तूर हमेशा से यही रहा है कि हर नबी के कुछ मुजरिम लोग दुश्मन हुआ करते हैं और अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम उस पर सब्र करते रहे हैं।

क़ुरआन को अ़मली तौर पर छोड़ देना भी बड़ा गुनाह है

इससे ज़ाहिर यह है कि क़ुरआन को छोड़ने और नज़र-अन्दाज़ कर देने से मुराद क़ुरआन का

इनकार है जो काफ़िरों ही का काम है। मगर कुछ रिवायतों में यह भी आया है कि जो मुसलमान क़ुरआन पर ईमान तो रखते हैं मगर न उसकी तिलावत की पाबन्दी करते हैं न उस पर अ़मल करने की वे भी इस हुक्म में दाख़िल हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

من تعلّم القران وعلّق مصحفه يتعاهده ولم ينظرفيه جآء يوم القيٰمة متعلقا به يقول يا ربّ العٰلمين ان عبدك هذا اتخذنى مهجورًا فاقض بينى و بينه. (ذكره الثعلبى. قرطبى)

"जिस शख़्स ने क़ुरआन पढ़ा मगर फिर उसको बन्द करके घर में लटका दिया, न उसकी तिलावत की पाबन्दी की न उसके अहकाम में ग़ौर किया, क़ियामत के दिन क़ुरआन उसके गले में पड़ा हुआ आयेगा और अल्लाह तआ़ला की बारगाह में शिकायत करेगा कि आपके इस बन्दे ने मुझे छोड़ दिया था अब आप मेरे और इसके मामले का फ़ैसला फ़रमा दें।"

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا۝

व क़ालल्लज़ी-न क-फ़रू लौ ला नुज़्ज़ि-ल अ़लैहिल्-क़ुरआनु जुम्ल-तंव्-वाहि-दतन् कज़ालि-क लिनुसब्बि-त बिही फ़ुआद-क व रत्तल्नाहु तरतीला (32)	और कहने लगे वे लोग जो मुन्किर हैं- क्यों न उतरा इस पर क़ुरआन सारा एक जगह होकर, इसी तरह उतारा ताकि साबित रखें हम इससे तेरा दिल और पढ़ सुनाया हमने इसको ठहर-ठहरकर। (32)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और काफ़िर लोग यूँ कहते हैं कि इन (पैग़म्बर) पर यह क़ुरआन एक ही बार में क्यों नाज़िल नहीं किया गया (इस एतिराज़ से मक़सद यह है कि अगर ख़ुदा का कलाम होता तो थोड़ा-थोड़ा नाज़िल करने की क्या ज़रूरत थी। इस धीरे-धीरे नाज़िल करने से तो यह शुब्हा होता है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ख़ुद ही सोच-सोचकर थोड़ा-थोड़ा बना लेते हैं। आगे इस एतिराज़ का जवाब है कि) इस तरह (धीरे-धीरे हमने) इसलिये (नाज़िल किया) है ताकि हम इसके ज़रिये आपके दिल को मज़बूत रखें, और (इसी लिये) हमने इसको बहुत ठहरा-ठहराकर उतारा है (चुनाँचे तेईस साल की मुद्दत में आहिस्ता-आहिस्ता पूरा हुआ)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

यह वही काफ़िरों व मुश्रिकों के एतिराज़ों और उनके जवाबों का सिलसिला है जो सूरत के शुरू

से चला आ रहा है। इस एतिराज़ के जवाब में क़ुरआन को आहिस्ता-आहिस्ता नाज़िल करने की एक हिक्मत यहाँ यह बयान फ़रमाई है कि इसके ज़रिये आपके दिल को मज़बूत व ताक़तवर रखना मक़सद है। धीरे-धीरे उतरने में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के दिल की मज़बूती के चन्द कारण हैं। अव्वल यह कि याद रखना आसान हो गया, एक बड़ी और मोटी किताब एक ही वक़्त में नाज़िल हो जाती तो यह आसानी न रहती और आसानी के साथ याद होने रहने में दिल में कोई परेशानी नहीं रहती। दूसरे जब काफ़िर आप पर कोई एतिराज़ या आपके साथ कोई नागवार मामला करते तो उसी वक़्त आपकी तसल्ली के लिये क़ुरआन में आयत नाज़िल हो जाती, और अगर पूरा क़ुरआन एक दफ़ा आ गया होता और उस ख़ास वाक़िए पर तसल्ली का ज़िक्र भी नाज़िल हो गया होता तो बहरहाल उसको क़ुरआन में तलाश करने की ज़रूरत पड़ती और ज़ेहन का उस तरफ़ मुतवज्जह हो जाना भी आ़दतन ज़रूरी नहीं था। तीसरे अल्लाह के पैग़ाम का आना ताज़ा सुबूत है अल्लाह के साथ की जो बहुत बड़ी बुनियाद है दिल की तसल्ली और मज़बूती की। और इस जगह जो दिल की मज़बूती की हिक्मत बतलाई गयी है क़ुरआन के धीरे-धीरे उतरने की हिक्मतें इसी में सीमित नहीं दूसरी हिक्मतें भी हैं जिनमें से कुछ को सूरः बनी इस्राईल की आयत नम्बर 106 में पहले बयान किया जा चुका है। (तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन)

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ

تَفْسِيرًا ۚ اَلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلٰى وُجُوهِهِمْ إِلٰى جَهَنَّمَ ۙ أُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّأَضَلُّ سَبِيلًا ۞ وَلَقَدْ

اٰتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗٓ أَخَاهُ هٰرُونَ وَزِيرًا ۞ فَقُلْنَا اذْهَبَآ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا

بِاٰيٰتِنَا ۗ فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيرًا ۞

व ला यअ्तून-क बि-म-सलिन् इल्ला जिअ्ना-क बिल्हक़्क़ि व अह्स-न तफ़्सीरा (33) अल्लज़ी-न युह्शरू-न अ़ला वुजूहिहिम् इला जहन्न-म उलाइ-क शर्रुम्-मकानंव्-व अज़ल्लु सबीला (34) ✿	और नहीं लाते तेरे पास कोई मिसाल कि हम नहीं पहुँचा देते तुझको ठीक बात और उससे बेहतर खोलकर। (33) जो लोग कि घेरकर लाये जायेंगे औंधे पड़े हुए अपने मुँह पर दोज़ख़ की तरफ़, उन्हीं का बुरा दर्जा है और बहुत बहके हुए हैं राह से। (34) ✿
व ल-क़द् आतैना मूसल्-किता-ब व जअ़ल्ना म-अ़हू अख़ाहु हारू-न वज़ीरा (35) फ़-क़ुल्नज़्हबा इलल्-	और हमने दी मूसा को किताब और कर दिया हमने उसके साथ उसका भाई हारून काम बंटाने वाला। (35) फिर कहा हमने तुम दोनों जाओ उन लोगों के पास

क़ौमिल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिआयातिना, फ़-दम्मरनाहुम् तद्मीरा (36)	जिन्होंने झुठलाया हमारी बातों को, फिर दे मारा हमने उनको उखाड़कर। (36)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और ये लोग कैसा ही अजीब सवाल आपके सामने पेश करें मगर हम (उसका) ठीक जवाब और स्पष्टता में बढ़ा हुआ आपको इनायत कर देते हैं (ताकि आप मुख़ालिफ़ों को जवाब दे सकें। यह बज़ाहिर दिल की उस मज़बूती का बयान है जिसका ज़िक्र इससे पहली आयत में हुआ है कि आहिस्ता-आहिस्ता नाज़िल करने में एक हिक्मत आपके दिल की तसल्ली और दिल को ताक़त देना है कि जब काफ़िरों की तरफ़ से कोई एतिराज़ आये तो उसी वक़्त अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से जवाब नाज़िल कर दिया जाये)। ये लोग वे हैं जो अपने मुँहों के बल जहन्नम की तरफ़ लेजाये जाएँगे (यानी घसीटकर), ये लोग जगह में भी बदतर हैं और तरीक़े में भी बहुत गुमराह हैं।

(यहाँ तक रिसालत के इनकार पर सज़ा की धमकी और क़ुरआन पर एतिराज़ों के जवाब थे, आगे इसकी ताईद में गुज़रे ज़माने के कुछ वाक़िआ़त नक़ल किये गये हैं जिनमें रिसालत के इनकारियों का अन्जाम और नसीहत लेने वाले हालात बयान किये गये हैं, और इसमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के लिये तसल्ली और दिल की मज़बूती का सामान है कि पिछले नबियों की अल्लाह तआ़ला ने जिस तरह मदद फ़रमाई और दुश्मनों पर ग़ालिब फ़रमाया वह आपके लिये भी होने वाला है। इसमें पहला क़िस्सा मूसा अ़लैहिस्सलाम का ज़िक्र किया गया कि) और तहक़ीक़ कि हमने मूसा को किताब (यानी तौरात) दी थी (इस किताब मिलने से पहले) और हमने उनके साथ उनके भाई हारून को (उनका) मददगार बनाया था। फिर हमने (दोनों को) हुक्म दिया कि दोनों आदमी उन लोगों के पास (हिदायत करने के लिये) जाओ जिन्होंने हमारी (तौहीद की) दलीलों को झुठलाया है (इससे मुराद फ़िरऔ़न और उसकी क़ौम है, चुनाँचे ये दोनों हज़रात वहाँ पहुँचे और समझाया मगर उन्होंने न माना) सो हमने उनको (अपने क़हर से) बिल्कुल ही ग़ारत कर दिया (यानी दरिया में ग़र्क़ किये गये)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا.

इसमें फ़िरऔ़न की क़ौम के बारे में यह फ़रमाया है कि उन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया है हालाँकि उस वक़्त तौरात हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम पर नाज़िल भी नहीं हुई थी, इसलिये इस झुठलाने से तौरात की आयतों का झुठलाना तो मुराद नहीं हो सकता बल्कि आयतों से मुराद या तो तौहीद (अल्लाह के एक होने) की अ़क़्ली दलीलें हैं जो हर इनसान को अपनी अ़क़्ल के मुताबिक़ समझ में आ सकती हैं, उनमें ग़ौर न करने को आयतों का झुठलाना फ़रमाया और या यह कि पहले के नबियों की रिवायतें जो कुछ न कुछ हर क़ौम में नक़ल होती आई हैं उनका इनकार मुराद है जैसा कि क़ुरआने करीम में फ़रमाया है:

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ.

(यानी सूरः मोमिन की आयत नम्बर 34 में, कि 'और इससे पहले तुम लोगों के पास यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम तौहीद व नुबुव्वत की दलीलें लेकर आ चुके हैं')

इसमें पहले गुज़रे नबियों की तालीम का उन लोगों तक नक़ल होते हुए चला आना बतलाया गया है। (तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन)

وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٧﴾ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٨﴾ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ ۖ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ۚ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿٤٠﴾ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٤١﴾ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾

ع ۲

व क़ौ-म नूहिल्-लम्मा कज़्ज़बुर्रुसु-ल अग़्रक़्नाहुम् व जअ़ल्नाहुम् लिन्नासि आ-यतन्, व अअ़्तद्ना लिज़्ज़ालिमी-न अ़ज़ाबन् अलीमा (37) व आ़दंव्-व समू-द व अस्हाबर्रस्सि व क़ुरूनम्-बै-न ज़ालि-क कसीरा (38) व कुल्लन् ज़रब्ना लहुल्-अम्सा-ल व कुल्लन् तब्बर्ना तत्बीरा (39) व ल-क़द् अतौ अ़लल्-क़र्-यतिल्लती उम्ति-रत् म-तरस्सौ-इ, अ-फ़लम् यकूनू यरौनहा बल् कानू ला यर्जू-न नुशूरा (40) व इज़ा रऔ-क इंय्यत्तख़िज़ून-क इल्ला हुज़ुवा,	और नूह की क़ौम को जब उन्होंने झुठलाया पैग़ाम लाने वालों को हमने उनको डुबा दिया और किया उनको लोगों के हक़ में निशानी, और तैयार कर रखा है हमने गुनाहगारों के वास्ते दर्दनाक अ़ज़ाब। (37) और आ़द को और समूद को और कुएँ वालों को और उसके बीच में बहुत-सी जमाअ़तों को। (38) और सब को कह सुनाईं हमने मिसालें और सब को खो दिया हमने ग़ारत कर-कर। (39) और ये लोग हो आये हैं उस बस्ती के पास जिन पर बरसा बुरा बरसाव, क्या देखते न थे उसको, नहीं! पर उम्मीद नहीं रखते जी उठने की। (40) और जहाँ तुझको देखें फिर काम नहीं उनको तुझसे

अहाज़ल्लज़ी ब-अ़सल्लाहु रसूला (41) इन् का-द लयुज़िल्लुना अ़न् आलि-हतिना लौ ला अन् सबर्ना अ़लैहा, व सौ-फ़ यअ़्लमू-न ही-न यरौनल्-अ़ज़ा-ब मन् अज़ल्लु सबीला (42) अ-रऐ-त मनित्त-ख़-ज़ इला-हहू हवाहु, अ-फ़अन्-त तकूनु अ़लैहि वकीला (43) अम् तह्सबु अन्-न अक्स-रहुम् यस्मअ़ू-न औ यअ़्क़िलू-न, इन् हुम् इल्ला कल्-अन्आ़मि बल् हुम् अज़ल्लु सबीला। (44) ✿	मगर ठट्ठे करते (मज़ाक़ उड़ाते)- क्या यही है जिसको भेजा अल्लाह ने पैग़ाम देकर? (41) यह तो हमको बिचला ही देता हमारे माबूदों से अगर हम न जमे रहते उन पर, और आगे जान लेंगे जिस वक़्त देखेंगे अ़ज़ाब को कि कौन बहुत बिचला हुआ है राह से। (42) भला देख तो उस शख़्स को जिसने पूजना इख़्तियार किया अपनी इच्छा का, कहीं तू ले सकता है उसका ज़िम्मा। (43) या तू ख़्याल रखता है कि बहुत से उनमें सुनते या समझते हैं? और कुछ नहीं वे बराबर हैं चौपायों के बल्कि वे ज़्यादा बहके हुए हैं राह से। (44) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और नूह की क़ौम को भी (उनके ज़माने में) हम हलाक कर चुके हैं (जिनकी हलाकत और हलाक होने के सबब का बयान यह है कि) जब उन्होंने पैग़म्बरों को झुठलाया तो हमने उनको (तूफ़ान से) ग़र्क़ कर दिया, और हमने उन (के वाक़िए) को लोगों (के सबक़ लेने) के लिये एक निशान बना दिया। (यह तो दुनिया में सज़ा हुई) और (आख़िरत में) हमने (उन) ज़ालिमों के लिये दर्दनाक सज़ा तैयार कर रखी है। और हमने आ़द और समूद और रस्स वालों और उनके बीच-बीच में बहुत-सी उम्मतों को हलाक कर दिया। और हमने (उक्त उम्मतों में से) हर एक (की हिदायत) के वास्ते अ़जीब-अ़जीब (यानी असरदार और दिल में उतर जाने वाले) मज़ामीन बयान किये, और (जब न माना तो) हमने सब को बिल्कुल ही बरबाद कर दिया। और ये (काफ़िर लोग मुल्क शाम के सफ़र में) उस बस्ती पर होकर गुज़रते हैं जिस पर बुरी तरह पत्थर बरसाये गये थे (इससे मुराद लूत अ़लैहिस्सलाम की क़ौम की बस्ती है) सो क्या ये लोग उसको देखते नहीं रहते (फिर भी इब्रत नहीं पकड़ते कि कुफ़्र व झुठलाने को छोड़ दें जिसकी बदौलत क़ौमे लूत को सज़ा हुई। सो बात यह है कि सबक़ न लेने की वजह यह नहीं है कि उस बस्ती को देखते न हों) बल्कि (असल वजह उसकी यह है कि) ये लोग मरकर ज़िन्दा होने का अन्देशा ही नहीं रखते (यानी आख़िरत के इनकारी हैं इसलिये कुफ़्र को सज़ा का सबब ही क़रार नहीं देते, और इसलिये उनकी हलाकत को कुफ़्र का वबाल नहीं समझते बल्कि इत्तिफ़ाक़िया मामलों में से समझते हैं। यह वजह सबक़ न लेने की है)।

और जब ये लोग आपको देखते हैं तो बस आप से हंसी करने लगते हैं (और कहते हैं) कि क्या

यही (सज्जन) हैं जिनको ख़ुदा तआ़ला ने रसूल बनाकर भेजा है (यानी ऐसा ग़रीब आदमी रसूल न होना चाहिए। अगर रिसालत कोई चीज़ है तो कोई रईस मालदार होना चाहिए था, पस यह रसूल नहीं। अलबत्ता) इस शख़्स (के बात करने का अन्दाज़ इस ग़ज़ब का है कि इस) ने तो हमको हमारे माबूदों से हटा ही दिया होता अगर हम उन पर (मज़बूती से) क़ायम न रहते, (यानी हम तो हिदायत पर हैं और यह हमको गुमराह करने की कोशिश करता था। अल्लाह तआ़ला उनकी तरदीद के लिये फ़रमाते हैं कि ये ज़ालिम अब तो अपने आपको हिदायत पाने वाले और हमारे पैग़म्बर को गुमराह बतला रहे हैं) और (मरने के बाद) जल्दी ही इनको मालूम हो जायेगा जब अ़ज़ाब को अपनी आँखों से देखेंगे कि कौन शख़्स गुमराह था (आया वे ख़ुद या नऊज़ु बिल्लाह पैग़म्बर। इसमें उनके बेहूदा एतिराज़ के जवाब की तरफ़ भी इशारा है कि नुबुव्वत और मालदारी में कोई जोड़ नहीं, मालदार न होने के सबब नुबुव्वत से इनकार जहालत व गुमराही के सिवा कुछ नहीं। मगर दुनिया में जो चाहें ख़्याल पका लें लेकिन क़ियामत में सब हक़ीक़त खुल जायेगी)।

ऐ पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम)! आपने उस शख़्स की हालत भी देखी जिसने अपना ख़ुदा अपनी नफ़्सानी इच्छा को बना रखा है, सो क्या आप उसकी निगरानी कर सकते हैं। या आप ख़्याल करते हैं कि उनमें अक्सर सुनते या समझते हैं (मतलब यह कि आप उनकी हिदायत न होने से दुखी न हो जाईये क्योंकि आप उन पर मुसल्लत नहीं कि चाहे न चाहे उनको राह पर लायें, और न हिदायत की उनसे अपेक्षा और उम्मीद कीजिए क्योंकि न ये हक़ बात को सुनते हैं न अ़क्ल है कि ग़ौर करें) ये तो बिल्कुल चौपायों की तरह हैं (कि वे बात को न सुनते हैं, न समझते हैं,) बल्कि ये उनसे भी ज़्यादा राह से भटके हुए हैं (क्योंकि वे दीनी अहकाम के मुकल्लफ़ नहीं तो उनका न समझना बुरा और निंदनीय नहीं और ये मुकल्लफ़ "शरई क़ानून में बंधे हुए" हैं फिर भी नहीं समझते। फिर यह कि अगर वे दीन की ज़रूरी बातों के मोतक़िद नहीं है तो इनकारी भी तो नहीं, और ये तो इनकारी हैं और अ-रऐ-त... "यानी आयत नम्बर 43" में उनकी गुमराही का मन्शा भी बयान कर दिया कि किसी शुब्हे व दलील से इनको धोखा नहीं लगा बल्कि इसका असल सबब अपनी नफ़्सानी इच्छा की पैरवी करना है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम की क़ौम के मुताल्लिक़ यह इरशाद कि उन्होंने रसूलों को झुठलाया हालाँकि उनसे पहले गुज़रे रसूल न उनके ज़माने में थे न उन्होंने झुठलाया, तो मन्शा इसका यह है कि उन्होंने हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम को झुठलाया और चूँकि दीन के उसूल (बुनियादी चीज़ें) सब नबियों की साझा हैं इसलिये एक को झुठलाना सभी के झुठलाने के हुक्म में है।

अस्हाबर्रसि। 'रस्स' लुग़त में कच्चे कुएँ को कहते हैं। क़ुरआने करीम और किसी सही हदीस में इन लोगों के तफ़सीली हालात ज़िक्र नहीं हुए। इस्राईली रिवायतें मुख़्तलिफ़ हैं। वरीयता प्राप्त और सही यह है कि क़ौमे समूद के कुछ बाक़ी बचे लोग थे जो किसी कुएँ पर आबाद थे। (क़ामूस, दुर्रे मन्सूर हज़रत इब्ने अ़ब्बास की रिवायत से) इनके अ़ज़ाब की कैफ़ियत भी क़ुरआन में या किसी सही

हदीस में भी बयान नहीं हुई। (बयानुल-क़ुरआन)

ख़िलाफ़े शरीअ़त इच्छाओं की पैरवी एक क़िस्म की बुत-परस्ती है

اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ.

इस आयत में उस शख़्स को जो इस्लाम व शरीअ़त के ख़िलाफ़ अपनी इच्छाओं की पैरवी करने वाला हो यह कहा गया है कि उसने अपनी इच्छाओं को अपना माबूद (पूज्य) बना लिया है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि ख़िलाफ़े शरीअ़त नफ़्सानी इच्छायें भी एक बुत है जिसकी पूजा की जाती है, फिर दलील में यह आयत तिलावत फ़रमाई। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ﴿۴۵﴾ ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ﴿۴۶﴾ وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ﴿۴۷﴾ وَهُوَ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًا ۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ﴿۴۸﴾ لِّنُحْیِۦَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَاۤ اَنْعَامًا وَّاَنَاسِيَّ كَثِيْرًا ﴿۴۹﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا ۖ فَاَبٰۤى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿۵۰﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ﴿۵۱﴾ فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ﴿۵۲﴾ وَهُوَ الَّذِيْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ﴿۵۳﴾ وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ﴿۵۴﴾ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰى رَبِّهٖ ظَهِيْرًا ﴿۵۵﴾ وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿۵۶﴾ قُلْ مَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿۵۷﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ ۗ وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا ﴿۵۸﴾ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ اَلرَّحْمٰنُ فَسْـَٔلْ بِهٖ خَبِيْرًا ﴿۵۹﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ ۗ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا ﴿۶۰﴾ تَبٰرَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ﴿۶۱﴾ وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ﴿۶۲﴾

(السجدة ۷) ع ۵

अलम् त-र इला रब्बि-क कै-फ़ मद्दज़्ज़िल्-ल व लौ शा-अ	तूने नहीं देखा अपने रब की तरफ़ कैसे लम्बा किया साये को? और अगर चाहता

ल-ज-अ़-लहू साकिनन् सुम्-म जअ़ल्नश्शम्-स अ़लैहि दलीला (45) सुम्-म क़बज़्नाहु इलैना क़ब्ज़ंय्यसीरा (46) व हुवल्लज़ी ज-अ़-ल लकुमुल्-लै-ल लिबासंव्-वन्नौ-म सुबातंव्-व ज-अ़लन्नहा-र नुशूरा (47) व हुवल्लज़ी अर्-सलर्रिया-ह बुश्रम्-बै-न यदै रह्मतिही व अन्ज़ल्ना मिनस्समा-इ माअन् तहूरा (48) लिनुह्यि-य बिही बल्द-तम् मैतंव्-व नुस्क़ियहू मिम्मा ख़लक़्ना अन्आमंव्-व अनासिय्-य कसीरा (49) व ल-क़द् सर्रफ़्नाहु बैनहुम् लियज़्ज़क्करू फ़-अबा अक्सरुन्नासि इल्ला कुफ़ूरा (50) व लौ शिअ्ना ल-बअ़स्ना फ़ी कुल्लि क़र्यतिन् नज़ीरा (51) फ़ला तुतिअ़िल्-काफ़िरी-न व जाहिद्हुम् बिही जिहादन् कबीरा (52) व हुवल्लज़ी म-रजल्-बह्रैनि हाज़ा अ़ज़्बुन् फ़ुरातुंव्-व हाज़ा मिल्हुन् उजाजुन् व ज-अ़-ल बैनहुमा बर्ज़ख़ंव्-व हिज्रम्-मह्जूरा (53) व हुवल्लज़ी ख़-ल-क़ मिनल्-मा-इ ब-शरन् फ़-ज-अ़-लहू न-सबंव्-व्

तो उसको ठहरा रखता, फिर हमने मुक़र्रर किया सूरज को उसका राह बतलाने वाला। (45) फिर खींच लिया हमने उस को अपनी तरफ़ सहज-सहज समेटकर। (46) और वही है जिसने बना दिया तुम्हारे वास्ते रात को ओढ़ना और नींद को आराम और दिन को बना दिया उठ निकलने के लिये। (47) और वही है जिसने चलाईं हवायें ख़ुशख़बरी लाने वालियाँ उसकी रहमत से आगे, और उतारा हमने आसमान से पानी पाकी हासिल करने का (48) कि ज़िन्दा कर दें उससे मरे हुए देस को और पिलायें उस को अपने पैदा किये हुए बहुत से चौपायों और आदमियों को। (49) और तरह-तरह से तक़सीम किया हमने उसको उनके बीच में ताकि ध्यान रखें, फिर भी नहीं रहते बहुत लोग बिना नाशुक्री किये। (50) और अगर हम चाहते तो उठाते हर बस्ती में कोई डराने वाला। (51) सो तू कहना मत मान इनकारी लोगों का और मुक़ाबला कर उनका इसके साथ बड़े ज़ोर से। (52) और वही है जिसने मिले हुए चलाये दो दरिया यह मीठा है प्यास बुझाने वाला और यह खारी है कड़वा, और रखा उन दोनों के बीच पर्दा और आड़ रोकी हुई। (53) और वही है जिसने बनाया पानी से आदमी फिर ठहराया उसके लिये जद (ख़ानदान) और ससुराल और तेरा रब

सिहरन्, व का-न रब्बु-क क़दीरा (54) व यअ्बुदू-न मिन् दूनिल्लाहि मा ला यन्फ़अुहुम् व ला यजुर्रुहुम्, व कानल्-काफ़िरु अ़ला रब्बिही ज़हीरा (55) व मा अर्सल्ना-क इल्ला मुबश्शिरंव्-व नज़ीरा (56) क़ुल् मा अस्अलुकुम् अ़लैहि मिन् अज्रिन् इल्ला मन् शा-अ अंय्यत्तख़ि-ज़ इला रब्बिही सबीला (57) व तवक्कल् अ़लल्-हय्यिल्लज़ी ला यमूतु व सब्बिह् बिहम्दिही, व कफ़ा बिही बिज़ुनूबि अ़िबादिही ख़बीरा (58) अल्लज़ी ख़-लक़स्-समावाति वल्अर्-ज़ व मा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन् सुम्मस्तवा अ़लल्-अ़र्शि, अर्रह्मानु फ़स्अल् बिही ख़बीरा (59) व इज़ा क़ी-ल लहुमुस्जुदू लिर्रह्मानि क़ालू व मर्रह्मानु अ-नस्जुदु लिमा तअ्मुरुना व ज़ा-दहुम् नुफ़ूरा (60) ✿ ۞

तबा-रकल्लज़ी ज-अ़-ल फ़िस्समा-इ बुरूजंव्-व ज-अ़-ल फ़ीहा सिराजंव्-व क़-मरम्-मुनीरा (61) व हुवल्लज़ी ज-अ़लल्लै-ल वन्नहा-र ख़िल्फ़-तल्

सब कुछ कर सकता है। (54) और पूजते हैं अल्लाह को छोड़कर वह चीज़ जो न भला करे उनका न बुरा, और है काफ़िर अपने रब की तरफ़ से पीठ फेर रहा। (55) और तुझको हमने भेजा यही ख़ुशी और डर सुनाने के लिये। (56) तू कह मैं नहीं माँगता तुमसे इस पर कुछ मज़दूरी मगर जो कोई चाहे कि पकड़ ले अपने रब की तरफ़ राह। (57) और भरोसा कर ऊपर उस ज़िन्दे के जो नहीं मरता और याद कर उसकी ख़ूबियाँ और वह काफ़ी है अपने बन्दों के गुनाहों से ख़बरदार। (58) जिसने बनाये आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है छह दिन में, फिर क़ायम हुआ अ़र्श पर, वह बड़ी रहमत वाला सो पूछ उससे जो उसकी ख़बर रखता है। (59) और जब कहिये उनसे सज्दा करो रहमान को कहें रहमान क्या है? क्या सज्दा करने लगें हम जिस को तू फ़रमाये? और बढ़ जाता है उनका बिदकना। (60) ✿ ۞

बड़ी बरकत है उसकी जिसने बनाये आसमान में बुर्ज और रखा उसमें चिराग़ और चाँद उजाला करने वाला। (61) और वही है जिसने बनाये रात और दिन

लिमन् अरा-द अंय्यज़्ज़क्क-र औ अरा-द शुकूरा (62)	बदलते-सदलते, उस शख़्स के वास्ते कि चाहे ध्यान रखना या चाहे शुक्र करना। (62)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ मुख़ातब! क्या तुमने अपने रब (की इस क़ुदरत) पर नज़र नहीं की; उसने (जब सूरज आसमान से निकलता है उस वक़्त खड़ी हुई चीज़ों के) साये को क्योंकर (दूर तक) फैलाया है। (क्योंकि यह निकलने के वक़्त हर चीज़ का साया लम्बा होता है) और अगर वह चाहता तो उसको एक हालत पर ठहराया हुआ रखता (यानी सूरज के बुलन्द होने से भी न घटता, इस तरह पर कि उतनी दूर तक सूरज की किरणों को न आने देता क्योंकि सूरज की किरणों का ज़मीन के हिस्सों पर पहुँचना अल्लाह के इरादे है न कि मजबूरन, मगर हमने अपनी हिक्मत से उसको एक हालत पर नहीं रखा बल्कि उसको फैलाया हुआ बनाकर) फिर हमने सूरज को (यानी उसके आसमानी किनारे के क़रीब होने और फिर उस किनारे से बुलन्द होने को) उस (साये के लम्बा और कम होने) पर (एक ज़ाहिरी) निशानी मुक़र्रर किया। (मतलब यह कि अगरचे रोशनी और साया और उनके घटने बढ़ने की असल वजह हक़ तआला का इरादा और मर्ज़ी है, सूरज या कोई दूसरी चीज़ असली प्रभावी नहीं है मगर अल्लाह तआला ने दुनिया में पैदा होने वाली चीज़ों के लिये ज़ाहिरी असबाब बना दिये हैं और असबाब के साथ उनसे संबन्धित चीज़ों का ऐसा आपसी जोड़ क़ायम कर दिया कि सबब के बदलने से उससे पैदा होने वाली चीज़ में बदलाव होता है) फिर (उस ज़ाहिरी ताल्लुक़ की वजह से) हमने उस (साये) को अपनी तरफ़ आहिस्ता-आहिस्ता समेट लिया (यानी जैसे-जैसे सूरज ऊँचा हुआ वह साया ख़त्म और नापैद होता गया, और चूँकि उसका ग़ायब होना बिना किसी की शिर्कत के महज़ अल्लाह तआला की क़ुदरत से है और आम लोगों की नज़रों से ग़ायब होने के बावजूद अल्लाह के इल्म से ग़ायब नहीं है इसलिए यह फ़रमाया गया कि अपनी तरफ़ समेट लिया)।

और वह ऐसा है जिसने तुम्हारे लिये रात को पर्दे की चीज़ और नींद को राहत की चीज़ बनाया, और दिन को (इस एतिबार से कि सोना मौत के जैसा है और दिन का वक़्त जागने का है गोया) ज़िन्दा होने का वक़्त बनाया। और वह ऐसा है कि अपनी रहमत की बारिश से पहले हवाओं को भेजता है कि वो (बारिश की उम्मीद दिलाकर दिल को) ख़ुश कर देती हैं, और हम आसमान से पानी बरसाते हैं जो पाक-साफ़ करने की चीज़ है। ताकि उसके ज़रिये से मुर्दा ज़मीन में जान डाल दें, और अपनी मख़्लूक़ात में से बहुत-से चार पैरों वाले और बहुत-से आदमियों को सैराब कर दें। और हम उस (पानी) को (मस्लेहत के मुताबिक़) उन लोगों के बीच तक़सीम कर देते हैं, ताकि लोग ग़ौर करें (कि यह तसर्रुफ़ात किसी बड़े क़ुदरत वाले के हैं कि वही इबादत का हक़दार है) सो (चाहिए था कि ग़ौर करके उसका हक़ अदा करते, लेकिन) अक्सर लोग बग़ैर नाशुक्री किये न रहे (जिसमें सबसे बढ़कर कुफ़्र व शिर्क है, लेकिन आप उनकी और ख़ास तौर पर उनमें अक्सर की नाशुक्री सुनकर या देखकर तब्लीग़ में मेहनत व कोशिश करने से हिम्मत न हारिये कि मैं तन्हा इन सबसे कैसे ज़िम्मेदारी पूरी कर पाऊँगा, बल्कि आप तन्हा ही अपना काम किये जाईये क्योंकि आपको तन्हा ही नबी बनाने से ख़ुद

हमारा मक़सूद यह है कि आपका अज्र और अल्लाह की निकटता बढ़े) और अगर हम चाहते तो (आपके अ़लावा इसी ज़माने में) हर बस्ती में एक पैग़म्बर भेज देते (और तन्हा आप पर तमाम काम न डालते, लेकिन चूँकि आपका अज्र बढ़ाना मक़सूद है इसलिए हमने ऐसा नहीं किया, तो इस तरीक़े से इतना काम आपके सुपुर्द करना ख़ुदा तआ़ला की नेमत है) सो (इस नेमत के शुक्रिये में) आप काफ़िरों की ख़ुशी का काम न कीजिये (यानी काफ़िर तो इससे ख़ुश होंगे कि तब्लीग़ न हो या उसमें कमी हो जाये, और उनकी आज़ादी से छेड़-छाड़ न की जाये) और क़ुरआन (में जो हक़ की दलीलें बयान हुई हैं जैसा इसी जगह पर तौहीद की दलीलें इरशाद हुई हैं उन) से उनका ज़ोर से मुक़ाबला कीजिये (यानी आ़म और मुकम्मल दावत व तब्लीग़ कीजिये, यानी सब से कहिये और बार-बार कहिये और हिम्मत मज़बूत रखिये जैसा कि अब तक आप करते हैं उस पर क़ायम रहिये। आगे फिर बयान है तौहीद की दलीलों का)।

और वह ऐसा है जिसने दो दरियाओं को (देखने में) मिलाया जिनमें एक (का पानी) तो मीठा सुकून-बख़्श है और एक (का पानी) खारा कड़वा है। और (बावजूद ज़ाहिरी मिलाप के हक़ीक़त में) उनके बीच में (अपनी क़ुदरत से) एक पर्दा और (वास्तव में मिलने से) एक मज़बूत रोक रख दी। (जो ख़ुद छुपी ग़ैर-महसूस है मगर उसका असर यानी दोनों पानी के मज़े में फ़र्क़ महसूस और आँखों के सामने है। मुराद इन दो दरियाओं से वो स्थान हैं जहाँ मीठी नदियाँ और नहरें बहते-बहते समन्दर में आकर गिरी हैं, वहाँ बावजूद इसके कि ऊपर से दोनों की सतह एक मालूम होती है लेकिन अल्लाह की क़ुदरत से उनमें एक ऐसी फ़ासला करने वाली हद है कि उस संगम की एक जानिब से पानी लिया जाये तो मीठा और दूसरी तरफ़ से जो कि पहली जानिब से बिल्कुल क़रीब है, पानी लिया जाये तो खारा। दुनिया में जहाँ जिस जगह मीठे पानी की नहरें चश्मे समन्दर के पानी में गिरते हैं वहाँ इसको देखा जाता है कि मीलों दूर तक मीठा और खारा पानी अलग-अलग चलते हैं, दाईं तरफ़ मीठा बाईं तरफ़ खारा और कड़वा, या ऊपर नीचे मीठे और खारे पानी अलग-अलग पाये जाते हैं)।

(हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रह. ने इस आयत के तहत लिखा है कि बयानुल-क़ुरआन में दो मोतबर बंगाली उलेमा की गवाही नक़ल की है कि अरकान से चाटगाँव तक दरिया की शान यह है कि उसकी दो जानिबें बिल्कुल अलग-अलग अन्दाज़ के दो दरिया नज़र आते हैं- एक का पानी सफ़ेद है और एक का सियाह। सियाह में समन्दर की तरह तूफ़ानी उफान और पानी का चढ़ाव होता है और सफ़ेद बिल्कुल शांत रहता है, कश्ती सफ़ेद में चलती है और दोनों के बीच में एक धारी सी बराबर चली गई है जो दोनों का संगम है। लोग कहते हैं कि सफ़ेद पानी मीठा है और सियाह कड़वा। और मुझसे बारेसाल के कुछ तलबा ने बयान किया कि ज़िला बारेसाल में दो नदिया हैं जो एक ही दरिया से निकली हैं, एक का पानी खारा बिल्कुल कड़वा और एक का बहुत ही मीठा और मज़ेदार है। यहाँ गुजरात में यह नाचीज़ जिस जगह आजकल रहता है (डाभेल सिमलक ज़िला सूरत) समन्दर वहाँ से तक़रीबन दस बारह मील के फ़ासले पर है। इधर की नदियों में बराबर पानी का उतार-चढ़ाव (ज्वारभाटा) होता रहता है, बहुत से मोतबर लोगों ने बयान किया कि क्या उफान और पानी के चढ़ने के वक़्त जब समन्दर का पानी नदी में आ जाता है तो मीठे पानी की सतह पर खारा पानी बहुत ज़ोर से चढ़ जाता है, लेकिन उस वक़्त भी दोनों पानी एक-दूसरे में गड्मड् नहीं होते।

ऊपर खारा रहता है नीचे मीठा। पानी के उतार के वक़्त ऊपर से खारा उतर जाता है और मीठा ज्यों का त्यों मीठा बाक़ी रह जाता है। वल्लाहु आलम)।

(इन सुबूतों और प्रमाणों को देखते हुए आयत का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है यानी ख़ुदा की क़ुदरत देखो कि खारी और मीठे दोनों दरियाओं के पानी कहीं न कहीं मिल जाने के बावजूद भी किस तरह एक दूसरे से अलग और नुमायाँ रहते हैं) और वह ऐसा है जिसने पानी से (यानी नुत्फ़े से) आदमी को पैदा किया, फिर उसको ख़ानदान वाला और ससुराल वाला बनाया (चुनाँचे बाप-दादा वग़ैरह शरई ख़ानदान और माँ नानी वग़ैरह उर्फ़ी ख़ानदान हैं जिनसे पैदाईश के साथ ही ताल्लुक़ात पैदा हो जाते हैं, फिर शादी के बाद ससुराली रिश्ते पैदा हो जाते हैं। यह क़ुदरत की दलील भी है कि नुत्फ़ा क्या चीज़ था फिर उसको कैसा बना दिया कि वह इतनी जल्दी ख़ून वाला हो गया और नेमत भी है कि इन ताल्लुक़ात पर सामाजिक ज़िन्दगी और आपसी इमदाद की तामीर क़ायम है) और (ऐ मुख़ातब!) तेरा परवर्दिगार बड़ी क़ुदरत वाला है और (बावजूद इसके कि अल्लाह तआला अपनी ज़ात व सिफ़ात में ऐसा कामिल है जैसा बयान हुआ और यह कमालात तक़ाज़ा करते हैं कि उसी की इबादत की जाये मगर) ये (मुश्रिक) लोग (ऐसे) ख़ुदा को छोड़कर उन चीज़ों की इबादत करते हैं जो (इबादत करने पर) न उनको कुछ नफ़ा पहुँचा सकती हैं और न (इबादत न करने की सूरत में) उनको कुछ नुक़सान पहुँचा सकती हैं, और काफ़िर तो अपने रब का मुख़ालिफ़ है (कि उसको छोड़कर दूसरे की इबादत करता है, और काफ़िरों की मुख़ालफ़त मालूम करके आप न तो उनके ईमान न लाने से ग़मगीन हों क्योंकि) हमने आपको सिर्फ़ इसलिये भेजा है कि (मोमिनों को जन्नत की) ख़ुशख़बरी सुनाएँ और (काफ़िरों को दोज़ख़ से) डराएँ (उनके ईमान न लाने से आपका क्या नुक़सान है, फिर आप क्यों ग़म करें, और न आप उस मुख़ालफ़त को मालूम करके फ़िक्र में पड़ें कि जब ये हक़ तआला के मुख़ालिफ़ हैं तो मैं जो हक़ तआला की तरफ़ दावत करता हूँ उस दावत को ये लोग ख़ैरख़्वाही कब समझेंगे बल्कि मेरी ख़ुदग़र्ज़ी पर महमूल करके तवज्जोह भी न करेंगे तो उनके गुमान की क्योंकर इस्लाह की जाये ताकि रुकावट दूर हो। सो अगर आपको उनका यह ख़्याल किसी अन्दाज़े से या ज़बानी गुफ़्तगु से मालूम हो तो) आप (जवाब में इतना) कह दीजिये (और बेफ़िक्र हो जाईये) कि मैं तुमसे इस (तब्लीग़) पर कोई (माली या रुतबे का) मुआवज़ा नहीं माँगता, हाँ जो शख़्स यूँ चाहे कि अपने रब तक (पहुँचने का) रास्ता इख़्तियार कर ले (तो यक़ीनन मैं यह ज़रूर चाहता हूँ चाहे इसको मुआवज़ा कहो या न कहो), और (न काफ़िरों की उस मुख़ालफ़त को मालूम करके उनके नुक़सान पहुँचाने से अन्देशा कीजिए बल्कि तब्लीग़ में) उस हमेशा रहने वाले पर भरोसा रखिये और (इत्मीनान के साथ) उसकी तस्बीह व तारीफ़ बयान करने में लगे रहिये, और (न मुख़ालफ़त सुनकर सज़ा की जल्दी की इस ख़्याल से तमन्ना कीजिए कि उनका नुक़सान दूसरों को न पहुँच जाये, क्योंकि) वह (ख़ुदा) अपने बन्दों के गुनाहों से काफ़ी (तौर पर) ख़बरदार है (वह जब मुनासिब समझेगा सज़ा देगा। पस इन जुमलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से रंज व फ़िक्र और ख़ौफ़ को दूर फ़रमाया है, आगे फिर तौहीद का बयान है)।

वह ऐसा है जिसने आसमान व ज़मीन और जो कुछ उनके दरमियान में है सब छह दिन (की

मात्रा) में पैदा किया, फिर अ़र्श पर (जो सल्तनत के शाही तख़्त के जैसा है, इस तरह) क़ायम (और जलवा-फ़रमा) हुआ (जो कि उसकी शान के लायक़ है, जिसका बयान सूरः आराफ़ के रुकूअ़ नम्बर सात में आयत के शुरू में गुज़र चुका) वह बड़ा मेहरबान है, सो उसकी शान किसी जानने वाले से पूछना चाहिए (कि वह कैसा है, काफ़िर मुश्रिक क्या जानें, और इस सही पहचान के न होने से शिर्क करते हैं जैसा कि एक जगह पर ख़ुद अल्लाह तआ़ला का इरशाद है कि उन्होंने अल्लाह की वैसी क़द्र न जानी जैसी जाननी चाहिये थी)।

और जब उन (काफ़िरों) से कहा जाता है कि रहमान को सज्दा करो तो (जहालत व बैर की वजह से) कहते हैं कि रहमान क्या चीज़ है (जिसके सामने हमको सज्दा करने को कहते हो)? क्या हम उसको सज्दा करने लगेंगे जिसको तुम सज्दा करने के लिये हमको कहोगे, और इससे उनको और ज़्यादा नफ़रत होती है। (लफ़्ज़ रहमान उनमें कम मशहूर था मगर यह नहीं कि जानते न हों, मगर इस्लामी तालीम से जो मुख़ालफ़त बढ़ी हुई थी तो मुहावरों और बोल-चाल में भी मुख़ालफ़त को निभाते थे। क़ुरआन में जो यह लफ़्ज़ अधिकता के साथ आया तो वे इसकी भी मुख़ालफ़त कर बैठे)। वह ज़ात बहुत बुलन्द शान वाली है जिसने आसमान में बड़े-बड़े सितारे बनाये और (उन सितारों में से दो बड़े नूरानी और फ़ायदा पहुँचाने वाले सितारे बनाये यानी) उस (आसमान) में एक चिराग़ (अर्थात सूरज) और नूरानी चाँद बनाया (शायद सूरज को **सिराज** उसकी तेज़ी की वजह से कहा) और वह ऐसा है जिसने रात और दिन को एक-दूसरे के पीछे आने-जाने वाले बनाये (और यह सब कुछ जो अल्लाह के एक होने और उसकी नेमतों का ज़िक्र हुआ है) उस शख़्स के (समझने के) लिये (हैं) जो समझना चाहे या शुक्र करना चाहे (कि इसमें समझने वाले की नज़र में दलीलें हासिल करना है और शुक्रगुज़ारी करने वाले की नज़र में इनामात हैं वरना अगर नासमझ व बेवक़ूफ़ के सामने कितनी भी अ़क्ल व समझ की बातें बताई जायें वो उसके दिमाग़ में कहाँ उतरती हैं।

मआ़रिफ़ व मसाईल

अल्लाह की मख़्लूक़ात में असबाब और उनसे पैदा हुई चीज़ों का रिश्ता और उन सब का अल्लाह की क़ुदरत के ताबे होना

उपर्युक्त आयतों में हक़ तआ़ला की कामिल क़ुदरत और बन्दों पर उसके इनामात व एहसानात का ज़िक्र है, जिससे हक़ तआ़ला की तौहीद और इबादत का हक़दार होने में उसके साथ किसी का शरीक न होना भी साबित होता है।

اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ.

धूप और छाँव दोनों ऐसी नेमतें हैं कि इनके बग़ैर इनसानी ज़िन्दगी और उसके कारोबार नहीं चल सकते। हर वक़्त हर जगह धूप ही धूप हो जाये तो इनसान और हर जानदार के लिये कैसी मुसीबत हो जाये यह तो ज़ाहिर है, और साये का भी यही हाल है कि अगर हर जगह हर वक़्त साया ही रहे कभी धूप न आये तो इनसान की सेहत व तन्दुरुस्ती नहीं रह सकती। और भी हज़ारों कामों में

ख़लल आये। अल्लाह तआ़ला ने ये दोनों नेमतें अपनी कामिल क़ुदरत से पैदा फ़रमाईं और इनसानों के लिये इनको राहत व सुकून का सबब बनाया। लेकिन हक़ तआ़ला ने अपनी कामिल हिक्मत से इस दुनिया में पैदा होने वाली तमाम चीज़ों को ख़ास-ख़ास असबाब (साधनों) के साथ जोड़ दिया है कि जब वो असबाब मौजूद होते हैं तो वो चीज़ें मौजूद हो जाती हैं, जब नहीं होते तो वो चीज़ें भी नहीं रहतीं। असबाब ताक़तवर या ज़्यादा होते हैं तो उनके मुसब्बबात (असबाब के परिणाम और उनसे जुड़ी चीज़ों) का वजूद मज़बूत और ज़्यादा हो जाता है, वो कमज़ोर या कम होते हैं तो मुसब्बबात भी कमज़ोर या कम हो जाते हैं।

ग़ल्ला और घास उगाने का सबब ज़मीन और पानी और हवा को बना रखा है, रोशनी का सबब सूरज व चाँद को बना रखा है, बारिश का सबब बादल और हवाओं को बना रखा है, और इन असबाब और इन पर मुरत्तब होने वाले असरात में ऐसा स्थिर और मज़बूत ताल्लुक़ क़ायम फ़रमा दिया है कि हज़ारों साल से बग़ैर किसी अदना फ़र्क़ के चल रहे हैं। सूरज और उसकी हरकत और उससे पैदा होने वाले दिन रात और धूप छाँव पर नज़र डालो तो ऐसा मज़बूत व स्थिर निज़ाम है कि सदियों बल्कि हज़ारों साल में एक मिनट बल्कि एक सैकिण्ड का फ़र्क़ नहीं आता। न कभी सूरज और चाँद वग़ैरह की मशीनरी में कोई कमज़ोरी आती है, न कभी उनको सुधार व मरम्मत की ज़रूरत होती है, जब से दुनिया वजूद में आई एक अन्दाज़ एक रफ़्तार से चल रहे हैं, हिसाब लगाकर हज़ारों साल बाद तक की चीज़ों का वक़्त बतलाया जा सकता है।

सबब और मुसब्बब का यह मज़बूत निज़ाम जो हक़ तआ़ला की कामिल क़ुदरत का अ़जीब व ग़रीब नमूना और उसकी कामिल क़ुदरत और पूर्ण हिक्मत की निश्चित दलील है, इसकी स्थिरता ही ने लोगों को ग़फ़लत में डाल दिया कि उनकी नज़रों में सिर्फ़ ये ज़ाहिरी असबाब ही रह गये और इन्हीं असबाब को तमाम चीज़ों और तासीरात का ख़ालिक़ व मालिक समझने लगे, असबाब को बनाने वाले की असली क़ुव्वत जो इन असबाब को पैदा करने वाली है वह असबाब के पर्दों में छुप गयी। इसलिये अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम और आसमानी किताबें इनसान को बार-बार इस पर सचेत करती हैं कि ज़रा नज़र को बुलन्द और तेज़ करो, असबाब के पर्दों के पीछे देखो कौन इस निज़ाम को चला रहा है, ताकि हक़ीक़त तक रास्ता पाओ। इसी सिलसिले के यह इरशादात हैं जो उपर्युक्त आयतों में आये हैं। आयत नम्बर 45 में ग़ाफ़िल इनसान को इस पर सचेत किया गया है कि तू रोज़ाना देखता है कि सुबह को हर चीज़ का साया पश्चिम की तरफ़ लम्बा होता है, फिर वह घटना शुरू होता है यहाँ तक कि दिन आधा हो जाता है उस वक़्त बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, फिर ज़वाल (सूरज ढलने) के बाद यही साया इसी धीमी रफ़्तार के साथ पूरब की जानिब में फैलना शुरू होता है। हर इनसान इस धूप और छाँव के फ़ायदे हर दिन हासिल करता है और उसकी आँखें देखती हैं कि यह सब कुछ सूरज के निकलने फिर बुलन्द होने फिर ग़ुरूब होने की तरफ़ माईल होने के लाज़िमी नतीजे और परिणाम हैं, लेकिन सूरज की पैदाईश फिर उसके एक ख़ास निज़ाम के तहत बाक़ी रखने का काम किसने किया, यह आँखों से नज़र नहीं आता इसके लिये दिल की आँखें और समझ दरकार है।

उक्त आयत में यही समझ व दानाई इनसान को देना मक़सूद है कि यह सायों का बढ़ना घटना

अगरचे तुम्हारी नज़रों में सूरज से संबन्धित है मगर इस पर भी तो ग़ौर करो कि सूरज को इस शान के साथ किसने पैदा किया और उसकी हरकत को एक ख़ास निज़ाम के अन्दर किसने बाक़ी रखा, जिसकी कामिल क़ुदरत ने यह सब कुछ किया है वही दर हक़ीक़त इस धूप छाँव की नेमतों का अ़ता करने वाला है। अगर वह चाहता तो इस धूप छाँव को एक हालत पर क़ायम कर देता, जहाँ धूप है वहाँ हमेशा धूप रहती, जहाँ छाँव है हमेशा छाँव रहती, मगर उसकी हिक्मत ने इनसानी ज़रूरतों व फ़ायदों पर नज़र करके ऐसा नहीं किया 'व लौ शा-अ ल-जअ़ल्लाहु साकिनन्' का यही मतलब है।

इनसान को इसी हक़ीक़त से आगाह करने के लिये साये के वापस लौटने और घटने को उक्त आयत में इस उनवान से ताबीर फ़रमाया है:

قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ○

यानी फिर साये को हमने अपनी तरफ़ समेट लिया। यह ज़ाहिर है कि हक़ तआ़ला जिस्म और जिस्मानियत और दिशा और रुख़ से बालातर है, उसकी तरफ़ साये का समेटना, इसका मफ़्हूम यही है कि उसकी कामिल क़ुदरत से यह सब काम हुआ।

रात में नींद और दिन में काम को ख़ास करना भी बड़ी हिक्मत पर आधारित हैं

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ○

इस आयत में रात को **लिबास** के लफ़्ज़ से ताबीर फ़रमाया कि जिस तरह लिबास इनसान के पूरे बदन को ढाँकने वाला है इसी तरह रात एक क़ुदरती पर्दे की चादर है जो पूरी कायनात पर डाल दी जाती है। **सुबाता** 'सबत' से निकला है जिसके असल मायने काटने के हैं। 'सुबात' वह चीज़ है जिससे किसी दूसरी चीज़ को काट दिया जाये।

नींद को अल्लाह तआ़ला ने ऐसी चीज़ बनाया है कि दिन भर की मेहनतों की थकान और कमज़ोरी इससे कट जाती है। अफ़कार व ख़्यालात कटकर दिमाग़ को आराम मिलता है, इसलिये सुबात का तर्जुमा राहत का किया जाता है। आयत के मायने यह हो गये कि हमने रात को एक छुपाने वाली चीज़ बनाया, फिर उसमें इनसान और सारे जानदारों पर नींद मुसल्लत कर दी जो उनके आराम व राहत का सामान है।

यहाँ कई चीज़ें ध्यान देने के क़ाबिल हैं— अव्वल यह कि नींद का राहत होना बल्कि राहत की जान होना तो हर शख़्स जानता है मगर इनसानी फ़ितरत यह है कि रोशनी में नींद आना मुश्किल होता है और आ भी जाये तो जल्द आँख खुल जाती है। हक़ तआ़ला ने नींद के मुनासिब रात को अंधेरी भी बनाया और ठण्डी भी। इसी तरह रात ख़ुद एक नेमत है और नींद दूसरी नेमत, और तीसरी नेमत यह है कि सारे जहान के इनसानों जानवरों की नींद एक ही वक़्त रात में लाज़िमी कर दी, वरना अगर हर इनसान की नींद के वक़्त दूसरे इनसान से अलग होते तो जिस वक़्त कुछ लोग सोना चाहते

दूसरे लोग कामों में मसरूफ़ और शोर-शराबे का सबब बने रहते। इसी तरह जब दूसरों के सोने की बारी आती तो उस वक़्त काम करने वाले चलने-फिरने वाले उनकी नींद में ख़लल-अन्दाज़ होते। इसके अलावा हर इनसान की हज़ारों हाजतें दूसरे इनसानों से जुड़ी होती हैं, आपसी मदद और सहयोग और कामों में भी सख़्त नुक़सान होता कि जिस शख़्स से आपको काम है उसके सोने का वक़्त है और जब उसके जागने का वक़्त आयेगा तो आपका सोने का वक़्त होगा।

अगर इन उद्देश्यों के पूरा करने के लिये किसी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते से काम लिया जाता कि सब लोग अपने सोने का वक़्त एक ही मुक़र्रर कर लें, अव्वल तो ऐसा समझौता अरबों करोड़ों इनसानों में होना आसान न था, फिर उस पर अ़मल कराने के लिये हज़ारों महकमे खोलने पड़ते, इसके बावजूद आ़म क़ानूनी और समझौतों के तरीक़ों से तय होने वाली चीज़ों में जो ख़लल हर जगह रिश्वत, रियायत वग़ैरह के कारण पाया जाता है वह फिर भी बाक़ी रहता।

अल्लाह तआ़ला जल्ल शानुहू ने अपनी कामिल क़ुदरत से नींद का एक वक़्त ग़ैर-इख़्तियारी तौर पर मुक़र्रर कर दिया है कि हर इनसान और हर जानवर को उसी वक़्त नींद आती है, कभी किसी ज़रूरत से जागना भी चाहे तो उसके लिये मुश्किल से इन्तिज़ाम कर पाता है। वाक़ई अल्लाह की ज़ात बड़ी बरकत वाली है जो सबसे बेहतर बनाने वाली है।

इसी तरह 'व ज-अ़लन्नहा-र नुशूरा' में दिन को नुशूर यानी ज़िन्दगी फ़रमाया, क्योंकि उसके मुक़ाबिल यानी नींद एक क़िस्म की मौत है, और इस ज़िन्दगी के वक़्त को भी सारे इनसानों में जबरी (लाज़िमी और ग़ैर-इख़्तियारी) तौर पर एक कर दिया है, वरना कुछ कारख़ाने और दुकानें दिन को बन्द रहतीं, रात को खुलतीं, और जब वो खुलतीं तो दूसरी बन्द हो जातीं। इस लिहाज़ से दोनों में कारोबारी मुश्किलें पेश आतीं।

जिस तरह रात को नींद के लिये ख़ास फ़रमाकर एक बड़ा इनाम हक़ तआ़ला ने फ़रमाया इसी तरह ज़िन्दगी की दूसरी ज़रूरतें जो आपसी साझेदारी और सहयोग चाहती हैं उनके लिये भी तक़रीबी तौर पर ऐसे ही संयुक्त और एक साथ होने वाले वक़्त मुक़र्रर कर दिये। मसलन भूख और खाने की ज़रूरत सुबह शाम एक साझा चीज़ है सब को इन वक़्तों में इसकी फ़िक्र होती है जिसके नतीजे में ज़रूरतों की सब चीज़ों को एकत्र करना हर एक के लिये आसान हो जाता है, खाने के होटल और दुकानें इन वक़्तों में तैयार खाने से भरे हुए नज़र आते हैं। हर घर में यह वक़्त खाने की मसरूफ़ियत (व्यस्तता) के लिये मुतैयन हैं। यह तय होना बड़ी नेमत है जो हक़ तआ़ला ही की कामिल हिक्मत ने फ़ितरी तौर पर इनसान की तबीयत में रख दी है।

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا.

'तहूर' का लफ़्ज़ अ़रबी भाषा में मुबालग़े का लफ़्ज़ है। तहूर उसको कहा जाता है जो ख़ुद भी पाक हो और दूसरी चीज़ों को भी उससे पाक किया जा सके। हक़ तआ़ला ने पानी को यह ख़ास सिफ़त अ़ता फ़रमाई है कि जैसे वह ख़ुद पाक है उससे दूसरी हर क़िस्म की ज़ाहिरी व बातिनी नापाकी व गन्दगी को भी दूर किया जा सकता है। और जिस पानी को आदमी इस्तेमाल करते हैं वह उमूमन वही है जो आसमान से नाज़िल होता है। कभी बारिश की सूरत में कभी बर्फ़ और ओले की

सूरत में। फिर वही पानी पहाड़ों की रगों के ज़रिये क़ुदरती पाईप लाईन की सूरत में सारी ज़मीन पर फैलता है, जो कहीं ख़ुद-बख़ुद चश्मों की सूरत में निकलकर ज़मीन पर बहने लगता है, कहीं ज़मीन खोदकर कुएँ की सूरत में निकाला जाता है, यह सब पानी अपनी ज़ात से पाक और दूसरी चीज़ों को पाक करने वाला है, इस पर क़ुरआन व सुन्नत में वज़ाहतें भी हैं और उम्मत भी इस पर एकमत है।

यह पानी जब तक भारी मात्रा में हो, जैसे तालाब, हौज़, नहर का पानी, उसमें कोई नापाकी भी गिर जाये तो नापाक नहीं होता, इस पर भी सब का इत्तिफ़ाक़ है, बशर्ते कि पानी में गन्दगी नापाकी का असर ज़ाहिर न हो, और उसका रंग, ज़ायका और बू तब्दील न हो, लेकिन थोड़ा पानी हो और उसमें गन्दगी व नापाकी गिर जाये तो उसका क्या हुक्म है? इस मसले में मुज्तहिद इमामों का मतभेद है, इसी तरह पानी की ज़्यादा या कम मात्रा निर्धारित करने में अलग-अलग अक़वाल हैं। तफ़सीरे मज़हरी और तफ़सीरे क़ुर्तुबी में इस जगह पानी से मुताल्लिक़ तमाम मसाईल तफ़सील के साथ लिखे हैं और ये मसाईल इस्लामी क़ानून की आ़म किताबों में भी बयान हुए हैं इसलिये यहाँ नक़ल करने की ज़रूरत नहीं।

وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ○

'अनासी' अनसा की जमा (बहुवचन) है और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि इनसान की जमा है। आयत में यह बतलाया है कि आसमान से नाज़िल किये हुए पानी से अल्लाह तआ़ला ज़मीन को भी सैराब करता है और जानवरों को भी, और बहुत से इनसानों को भी। यहाँ यह बात ग़ौर करने के क़ाबिल है कि जिस तरह जानवर सब के सब इस पानी से सैराब होते हैं इसी तरह इनसान भी सभी इस पानी से फ़ायदा उठाते और सैराब होते हैं। फिर उनमें यह ख़ास करना कि बहुत से इनसानों को सैराब किया, इस से तो यह लाज़िम आता है कि बहुत से इनसान इस सैराबी से मेहरूम और अलग हैं। जवाब यह है कि यहाँ बहुत से इनसानों से वे जंगल के रहने वाले लोग मुराद हैं जिनका उमूमन गुज़ारा बारिश के पानी से होता है, शहरी आबादी वाले तो नहरों के किनारों पर कुओं के क़रीब आबाद होते हैं, बारिश के मुन्तज़िर नहीं रहते।

وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ

आयत का मतलब यह है कि बारिश को हम बदलते और फेरते रहते हैं, कभी एक शहर में कभी दूसरे में। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि यह जो लोगों में शोहरत होती है कि इस साल बारिश ज़्यादा है, इस साल कम है, यह हक़ीक़त के एतिबार से सही नहीं, बल्कि बारिश का पानी तो हर साल अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से बराबर नाज़िल होता है अलबत्ता अल्लाह के हुक्म से यह होता रहता है कि उसकी मात्रा किसी शहर बस्ती में ज़्यादा कर दी किसी में कम कर दी। कई बार कमी करके किसी बस्ती के लोगों को सज़ा देना और चेताना होता है और कई बार ज़्यादती भी अ़ज़ाब बन जाती है। तो यही पानी जो ख़ालिस रहमत है, जो लोग अल्लाह तआ़ला की नाशुक्री और नाफ़रमानी करते हैं उनके लिये इसी को अ़ज़ाब और सज़ा बना दिया जाता है।

क़ुरआन की दावत को फैलाना बहुत बड़ा जिहाद है

وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا○

यह आयत मक्की है जबकि काफ़िरों से क़िताल व जंग के अहकाम नाज़िल नहीं हुए थे इसी लिये यहाँ जिहाद को बिही के साथ सशर्त किया गया। बिही (इससे) में इस से क़ुरआन मुराद है आयत के मायने यह हैं कि क़ुरआन के ज़रिये इस्लाम के मुख़ालिफ़ों से जिहाद करो बड़ा जिहाद। क़ुरआन के ज़रिये इस जिहाद का हासिल उसके अहकाम की तब्लीग़ और अल्लाह की मख़्लूक़ को उसकी तरफ़ तवज्जोह देने की हर कोशिश है, चाहे ज़बान से हो या क़लम से या दूसरे तरीक़ों से, इस सब को यहाँ जिहाद-ए-कबीर (बड़ा जिहाद व कोशिश) फ़रमाया है।

وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا○

लफ़्ज़ मरज आज़ाद छोड़ देने के मायने में आता है, इसी वजह से 'मरज' चरागाह को कहते हैं जहाँ जानवर आज़ादी से चलें फिरें और चरें। अज़्ब मीठे पानी को कहा जाता है। फ़ुरात अच्छे ज़ायक़े और ख़ुशगवार, और मिल्ह नमकीन, उजाज तेज़ व कड़वे को कहते हैं।

हक़ तआला ने अपने फ़ज़्ल और कामिल हिक्मत से दुनिया में दो तरह के दरिया पैदा फ़रमाये हैं- एक सबसे बड़ा बहर-ए-मुहीत जिसको समुद्र कहते हैं और ज़मीन के सब किनारे उसमें घिरे हुए हैं एक चौथाई के क़रीब हिस्सा है जो इससे खुला हुआ है, उसमें सारी दुनिया आबाद है। यह सबसे बड़ा दरिया अल्लाह की हिक्मत के तक़ाज़े से सख़्त नमकीन, कड़वा और बुरे ज़ायक़े वाला है। ज़मीन के आबाद हिस्से पर आसमान से उतारे हुए पानी के चश्मे, नदियाँ, नहरें और बड़े-बड़े दरिया हैं, यह सब मीठे ख़ुशगवार और अच्छे ज़ायक़े वाले हैं। इनसान को अपने पीने और प्यास बुझाने और रोज़मर्रा के इस्तेमाल में ऐसे ही मीठे पानी की ज़रूरत है जो हक़ तआला ने ज़मीन के आबाद हिस्से में मुख़्तलिफ़ सूरतों में मुहैया फ़रमा दिया है। लेकिन बहर-ए-मुहीत समुद्र अगर मीठा होता तो मीठे पानी का ख़ास्सा है कि बहुत जल्द सड़ जाता है, ख़ुसूसन समुद्र जिसमें ख़ुश्की की आबादी से ज़्यादा दरियाई इनसानों जानवरों की आबादी भी है जो उसमें मरते हैं, वहीं सड़ते और मिट्टी हो जाते हैं और पूरी ज़मीन के पानी और उसमें बहने वाली सारी गंदगियाँ भी आख़िरकार समुद्र में जाकर पड़ती हैं। अगर यह पानी मीठा होता तो दो-चार दिन में ही सड़ जाता। और यह सड़ता तो इसकी बदबू से ज़मीन वालों को ज़मीन पर रहना मुसीबत हो जाता इसलिये अल्लाह की हिक्मत ने इसको इतना सख़्त नमकीन, कड़वा और तेज़ बना दिया कि दुनिया भर की गंदगियाँ उसमें जाकर भस्म हो जाती हैं और ख़ुद उसमें रहने वाली मख़्लूक़ भी जो उसी में मरती है वह भी सड़ने नहीं पाती।

उक्त आयत में एक तो इस इनाम व एहसान का ज़िक्र है कि इनसान की ज़रूरत का लिहाज़ फ़रमाकर दो किस्म के दरिया पैदा फ़रमाये। दूसरे इस कामिल क़ुदरत का कि जिस जगह मीठे पानी का दरिया या नहर समुद्र में जाकर गिरते हैं और मीठा और कड़वा दोनों पानी एकत्र हो जाते हैं वहाँ यह देखा जाता है कि दोनों पानी मीलों दूर तक इस तरह साथ लगे हुए चलते हैं कि एक तरफ़ मीठा,

दूसरी तरफ़ कड़वा और एक दूसरे से नहीं मिलते, हालाँकि उन दोनों के बीच कोई आड़ बाधा और रुकावट नहीं होती।

وَهُوَ الَّذِیْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا.

नसब उस रिश्ते और क़राबत को कहा जाता है जो बाप या माँ की तरफ़ से हो, और सहर वह रिश्ता व ताल्लुक़ है जो बीवी की तरफ़ से हो, जिसको उर्फ़ में ससुराल बोलते हैं। ये सब ताल्लुक़ात और रिश्ते अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं जो इनसान की ख़ुशगवार ज़िन्दगी के लिये लाज़िमी हैं, अकेला आदमी कोई काम भी नहीं कर सकता।

قُلْ مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا○

यानी तुम्हीं ईमान की दावत और अल्लाह तआ़ला के अहकाम पहुँचाने और दुनिया व आख़िरत में तुम्हारे लिये फ़लाह की कोशिश करने में मेरा कोई दुनियावी फ़ायदा नहीं। मैं अपनी इस मेहनत का तुमसे कोई अज्र व मुआ़वज़ा नहीं माँगता, मेरा फ़ायदा इसके सिवा नहीं कि जिसका जी चाहे अल्लाह का रास्ता इख़्तियार कर ले। और यह ज़ाहिर है कि कोई शख़्स राह पर आ जाये तो फ़ायदा उसी का है, इसको अपना फ़ायदा क़रार देना पैग़म्बराना शफ़क़त की तरफ़ इशारा है कि मैं तुम्हारे फ़ायदे ही को अपना फ़ायदा समझता हूँ। यह ऐसा है जैसे कोई बूढ़ा ज़ईफ़ बाप औलाद को कहे कि तुम खाओ पियो और ख़ुश रहो, यही मेरा खाना पीना और ख़ुश रहना है। और यह भी मुम्किन है कि इसको अपना फ़ायदा इस लिहाज़ से फ़रमाया हो कि इसका सवाब आपको मिलेगा जैसा कि सही हदीसों में आया है कि जो शख़्स किसी को नेक कामों की हिदायत (रहनुमाई) करता है और वह उसके कहने के मुताबिक़ नेक अ़मल करे तो उसके अ़मल का सवाब ख़ुद करने वाले को भी पूरा-पूरा मिलेगा और उतना ही सवाब हिदायत करने वाले शख़्स को भी मिलेगा। (तफ़सीरे मज़हरी)

فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا○

यानी आसमानों ज़मीनों को पैदा करना फिर अपनी शान के मुताबिक़ उन पर जलवा-अफ़रोज़ होना सब अल्लाह रहमान का काम है, इसकी तस्दीक़ व तहक़ीक़ मतलूब हो तो किसी जानने वाले से पूछिये। जानने वाले से मुराद हक़ तआ़ला या जिब्रीले अमीन हैं, और यह भी हो सकता है कि इससे मुराद पहली आसमानी किताबों के उलेमा हों जिनको अपने-अपने पैग़म्बरों के ज़रिये इस मामले की इत्तिला मिली है। (तफ़सीरे मज़हरी)

قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ.

लफ़्ज़ रहमान अ़रबी भाषा का लफ़्ज़ है, इसके मायने सब अ़रब जानते थे मगर यह लफ़्ज़ वे अल्लाह तआ़ला के लिये न बोलते थे इसी लिये यहाँ यह सवाल किया कि रहमान कौन और क्या है।

تَبٰرَكَ الَّذِیْ جَعَلَ فِی السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا○ وَهُوَ الَّذِیْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا○

इन आयतों से इनसान को यह बतलाना मक़सद है कि हमने आसमान में बड़े-बड़े सितारे और

सूरज व चाँद और उनके ज़रिये रात-दिन का अदलना-बदलना और उनका अंधेरा और रोशनी और ज़मीन व आसमान की तमाम कायनात इसलिये पैदा किये हैं कि ग़ौर व फ़िक्र करने वाले को इसमें हक़ तआ़ला की कामिल क़ुदरत और तौहीद (अल्लाह के एक और तन्हा माबूद होने) की दलीलें हासिल हों। और शुक्रगुज़ार के लिये शुक्र के मौक़े मिलें। तो जिस शख़्स का वक़्त दुनिया में इन दोनों चीज़ों से ख़ाली गुज़र गया उसका वक़्त ज़ाया हो गया, और उसकी असल पूँजी भी फ़ना हो गयी। या अल्लाह! आप हमें ज़िक्र और शुक्र करने वालों में से बना दीजिये।

इब्ने अ़रबी फ़रमाते हैं कि मैंने शहीद-ए-अकबर से सुना है कि बड़े ग़बन और ख़सारे में है वह आदमी जिसकी उम्र साठ साल हुई। उसमें से आधा वक़्त तीस साल रात को सोने में गुज़र गये और छठा हिस्सा यानी दस साल दिन को आराम करने में गुज़र गया तो साठ में से सिर्फ़ बीस साल काम में लगे। क़ुरआने हकीम ने इस जगह बड़े-बड़े सितारों और सय्यारों (ग्रहों) और आसमानी चीज़ों का ज़िक्र करने के बाद यह भी बतला दिया कि क़ुरआन इन चीज़ों का ज़िक्र बार-बार इसलिये करता है कि तुम इनकी पैदाईश और इनकी हरकतों (गर्दिशों और गतिविधियों), इनसे पैदा होने वाले असरात में ग़ौर करके इनके पैदा करने वाले और चलाने वाले को पहचानो और शुक्रगुज़ारी के साथ उसे याद करते रहो। बाक़ी रहा यह मसला कि आसमानी चीज़ों और वहाँ के जिस्मों की हक़ीक़त और शक्ल व सूरत क्या है यह आसमानों के जिस्म (पिण्ड) और ढाँचे के अन्दर समाये हुए हैं या उनसे बाहर की आसमानी फ़ज़ा (अंतरिक्ष) में हैं, इनसान की ज़िन्दगी या आख़िरत का कोई मसला इससे जुड़ा हुआ नहीं, और उनकी हक़ीक़त का मालूम करना इनसान के लिये आसान भी नहीं। जिन लोगों ने अपनी उम्रें इस काम में लगा दी हैं उनके इक़रार से साबित है कि वे भी कोई निश्चित और आख़िरी फ़ैसला नहीं कर सके, और जो फ़ैसले किये वो भी ख़ुद दूसरे वैज्ञानिकों की विभिन्न तहक़ीक़ात ने संदिग्ध और नाक़ाबिले भरोसा कर दिये, इसलिये क़ुरआन की तफ़सीर में इससे ज़्यादा किसी बहस में पड़ना भी क़ुरआन की कोई ज़रूरी ख़िदमत नहीं। लेकिन इस ज़माने के वैज्ञानिकों ने मस्नूई सय्यारे (तैयार किये हुए उपग्रह) उड़ाने और चाँद तक पहुँच जाने और वहाँ की मिट्टी पत्थर, ग़ारों, पहाड़ों के फ़ोटो उपलब्ध करने में बिला शुब्हा हैरत-अंग्रेज़ कारनामे अन्जाम दिये मगर अफ़सोस है कि क़ुरआने हकीम इन चीज़ों से इनसान को जिस हक़ीक़त के पहचानने का सबक़ देना चाहता है ये लोग अपनी तहक़ीक़ी मेहनतों के ग़ुरूर में मस्त होकर उससे और ज़्यादा दूर हो गये और आ़म लोगों के ज़ेहनों को भी बुरी तरह उलझा दिया, कोई इन चीज़ों को क़ुरआन के ख़िलाफ़ समझकर इन अनुभवों और देखी जा रही चीज़ों का ही इनकार कर देता है कोई क़ुरआने करीम में दूर के मतलब बयान करने लगता है, इसलिये ज़रूरी मालूम हुआ कि ज़रूरत के मुताबिक़ तफ़सील के साथ इस मसले को वाज़ेह कर दिया जाये। सूरः हिज्र की आयतः

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا.

(सूरः हिज्र आयत 16) के तहत इसका वायदा भी किया गया था कि सूरः फ़ुरक़ान में इसकी तफ़सील लिखी जायेगी। वह इस प्रकार है। अल्लाह अपनी तौफ़ीक़ शामिले हाल रखे।

सितारे और सय्यारे आसमानों के अन्दर हैं या बाहर? पुराने व नये खगोल विद्या के नज़रियात और क़ुरआने करीम के इरशादात

جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا.

'ज-अ-ल फ़िस्समा-इ बुरूजन्' के अलफ़ाज़ से बज़ाहिर यह समझा जाता है कि ये बुरूज यानी सय्यारे आसमानों के अन्दर हैं, क्योंकि हर्फ़ फ़ी किसी चीज़ के अन्दर होने के लिये इस्तेमाल होता है। इसी तरह सूरः नूह में है:

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا○

इसमें फ़ीहिन्-न (उन में) से उन से सात आसमान मुराद है जिससे ज़ाहिरन यही समझ में आता है कि चाँद आसमानों के अन्दर है। लेकिन यहाँ दो बातें ग़ौर करने के क़ाबिल हैं— अव्वल तो यह कि क़ुरआने करीम में लफ़्ज़ 'समा' जिस तरह उस अ़ज़ीमुश्शान् और वहम व गुमान से ज़ायद वुस्अ़त व गुंजाईश रखने वाली मख़्लूक़ के लिये इस्तेमाल होता है जिसमें क़ुरआन की वज़ाहतों के मुताबिक़ दरवाज़े हैं और दरवाज़ों पर फ़रिश्तों के पहरे हैं, जो ख़ास-ख़ास वक़्तों में खोले जाते हैं और जिनकी संख्या क़ुरआने करीम ने सात बतलाई है। इसी तरह यह लफ़्ज़ 'समा' हर बुलन्द चीज़ जो आसमान की तरफ़ हो उस पर भी बोला जाता है। आसमान व ज़मीन के दरमियान की फ़ज़ा (ख़ाली और खुली) जगह) और उससे आगे जिसको आजकल की परिभाषा में ख़ला (अंतरिक्ष) बोलते हैं यह सब दूसरे मायने के एतिबार से लफ़्ज़ 'समा' के मायने में दाख़िल हैं। 'अन्ज़ल्ना मिनस्समा-इ माअन् तहूरन्' (उतारा हमने आसमान से पानी पाकी हासिल करने का) और इसी तरह की दूसरी आयतें जिनमें आसमान से पानी बरसाने का ज़िक्र है उनको अक्सर मुफ़स्सिरीन ने इसी दूसरे मायने पर महमूल फ़रमाया है। क्योंकि आ़म अनुभव और देखने से भी यह साबित है कि बारिश उन बादलों से बरसती है जो आसमान की बुलन्दी से कोई निस्बत नहीं रखते, और ख़ुद क़ुरआने करीम ने भी दूसरी आयतों में बादलों से पानी बरसाने की वज़ाहत फ़रमाई है। इरशाद है:

ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ○

इसमें 'मुज़्न' 'मुज़्नतु' की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने सफ़ेद बादल के आते हैं। मायने यह हैं कि क्या बारिश को सफ़ेद बादलों से तुमने उतारा है या हमने? दूसरी जगह इरशाद है:

وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا○

इसमें 'मुअ़्सिरात' के मायने पानी से भरे हुए बादल हैं, और आयत के मायने यह हैं कि हमने ही पानी भरे बादलों से ख़ूब ज़्यादा पानी बरसाया। क़ुरआन मजीद की इन स्पष्ट वज़ाहतों और आ़म अनुभवों की बिना पर जिन क़ुरआनी आयतों में बारिश का आसमान से बरसाना बयान हुआ है उनमें भी अक्सर मुफ़स्सिरीन ने लफ़्ज़ समा के यही दूसरे मायने लिये हैं, यानी आसमानी फ़ज़ा।

ख़ुलासा यह है कि जब क़ुरआने करीम और लुग़त के बयान के मुताबिक़ लफ़्ज़ समा आसमानी फ़ज़ा (अंतरिक्ष) के लिये भी बोला जाता है और ख़ुद आसमान के जिस्म (पिण्ड) और ढाँचे के लिये

भी, तो ऐसी सूरत में जिन आयतों में सितारों और सय्यारों (ग्रहों) के लिये 'फ़िस्समा-इ' का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है उनके मफ़्हूम में दोनों गुमान व संभावना मौजूद हैं कि यह सितारे और सय्यारे आसमानी जिस्म (पिण्ड) के अन्दर हों या आसमानी फ़ज़ा में आसमानों के नीचे हों। और दो संभावनाओं के होते हुए कोई निश्चित फ़ैसला क़ुरआन की तरफ़ मन्सूब नहीं किया जा सकता कि क़ुरआन ने सितारों और सय्यारों को आसमान के अन्दर क़रार दिया है या उनसे बाहर अन्तरिक्ष में। बल्कि क़ुरआन के अलफ़ाज़ के एतिबार से दोनों सूरतें मुम्किन हैं। कायनात की तहक़ीक़ात और तजुर्बे व मुशाहदे से जो सूरत भी साबित हो जाये क़ुरआन की कोई वज़ाहत व बयान उसके विरुद्ध नहीं है।

कायनात की हक़ीक़तें और क़ुरआन

यहाँ एक बात उसूली तौर पर समझ लेना ज़रूरी है कि क़ुरआने करीम कोई फ़ल्सफ़े या खगोल विद्या की किताब नहीं जिसमें बहस का विषय कायनात की हक़ीक़तें या आसमानों और सितारों की शक्ल व सूरत और उनकी हरकतों वग़ैरह का बयान हो, मगर इसके साथ ही वह आसमान व ज़मीन और उनके बीच की कायनात का ज़िक्र बार-बार करता है, उनमें ग़ौर व फ़िक्र की तरफ़ दावत भी देता है। क़ुरआने करीम की इन तमाम आयतों में ग़ौर करने से स्पष्ट तौर पर यह साबित हो जाता है कि क़ुरआन पाक कायनात के इन तथ्यों और हक़ीक़तों के मुताल्लिक़ इनसान को सिर्फ़ वो चीज़ें बतलाना चाहता है जिनका ताल्लुक़ उसके अ़क़ीदे और नज़रिये को ठीक करने से हो, या उसके दीनी और दुनियावी फ़ायदे उनसे संबन्धित हों। मसलन क़ुरआने करीम ने आसमान व ज़मीन और सितारों, सय्यारों (ग्रहों) का और उनकी हरकतों (गर्दिश) से पैदा होने वाले असरात का ज़िक्र बार-बार एक तो इस मक़सद से किया है कि इनसान उनकी अ़जीब व ग़रीब कारीगरी और इनसानी ताक़त से ऊपर आसार को देखकर यह यक़ीन करे कि ये चीज़ें ख़ुद-बख़ुद पैदा नहीं हो गयीं इनको पैदा करने वाला कोई सबसे बड़ा हकीम (हिक्मत वाला) सब से बड़ा अ़लीम (जानने वाला) और सब से बड़ा क़ुदरत व ताक़त वाला है। और इस यक़ीन के लिये हरगिज़ इसकी ज़रूरत नहीं कि आसमानों की और फ़ज़ाई मख़्लूक़ात और सितारों सय्यारों के माद्दे की हक़ीक़त और उनकी असली शक्ल व सूरत और उनके पूरे निज़ाम की पूरी कैफ़ियत इसको मालूम हो। बल्कि इसके लिये सिर्फ़ इतना ही काफ़ी है जिसको हर शख़्स अपने अनुभव से देखता और अ़क़्ल व समझ से समझता है कि सूरज व चाँद और दूसरे सितारों के कभी सामने आने और कभी ग़ायब हो जाने से तथा चाँद के घटने बढ़ने से और रात दिन के अदलने-बदलने से, फिर मुख़्तलिफ़ मौसमों और मुख़्तलिफ़ इलाक़ों में दिन-रात के घटने बढ़ने के अ़जीब व ग़रीब निज़ाम से जिसमें हज़ारों साल से कभी एक मिनट एक सैकिण्ड का फ़र्क़ नहीं आता, इन सब बातों से एक मामूली अ़क़्ल व समझ रखने वाला इनसान यह यक़ीन करने पर मजबूर हो जाता है कि यह सब कुछ हकीमाना निज़ाम यूँ ही ख़ुद-बख़ुद नहीं चल रहा, कोई इसका बनाने चलाने वाला और बाक़ी रखने वाला है, और इतना समझने के लिये इनसान को न किसी वैज्ञानिक खोज व शोध और उपकरणों व सैटेलाईट वग़ैरह की हाजत पड़ती है न क़ुरआन ने इसकी तरफ़ दावत दी। क़ुरआन की दावत सिर्फ़ उसी हद तक इन चीज़ों में ग़ौर व फ़िक्र की है जो आ़म अनुभव और तजुर्बे

से हासिल हो सकते हैं। यही वजह है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और सहाबा-ए-किराम ने आलाते रसदिया बनाने या मुहैया करने और आसमानी जिस्म व ढांचे (पिण्ड) की हालतें व कैफ़ियतें मालूम करने का बिल्कुल भी कोई एहतिमाम नहीं फ़रमाया। अगर इन कायनाती निशानियों में ग़ौर व फ़िक्र और गहन विचार करने का यह मतलब होता कि इनके तथ्यों, शक्ल व सूरत और इनकी हरकतों (गर्दिशों व गतिविधियों) का फ़ल्सफ़ा (इल्म व ज्ञान) मालूम किया जाये तो यह नामुम्किन था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इसका एहतिमाम न फ़रमाते, ख़ुसूसन जबकि इन उलूम का रिवाज और सीखने सिखाने का सिलसिला दुनिया में उस वक़्त मौजूद भी था।

मिस्र, शाम, हिन्द, चीन वग़ैरह में इन उलूम व फ़ुनून के जानने वाले और इन पर काम करने वाले मौजूद थे। हज़रत मसीह अ़लैहिस्सलाम से पाँच सौ साल पहले फ़ीसाग़ोरस (फ़ल्सफ़ी) का और उसके कुछ बाद बतलीमूस का नज़रिया दुनिया में फैल और राईज हो चुका था, और उस ज़माने के हालात के मुताबिक़ सितारों की गर्दिश देखने के उपकरण वग़ैरह बनाये भी जा चुके थे मगर जिस पाक ज़ात पर ये आयतें नाज़िल हुईं और जिन सहाबा-ए-किराम ने डायरेक्ट आप से इनको पढ़ा उन्होंने कभी इस तरफ़ तवज्जोह तक नहीं फ़रमाई। इससे निश्चित तौर पर मालूम हुआ कि इन कायनाती आयतों में गहन विचार और ग़ौर व फ़िक्र का वह मन्शा हरगिज़ न था जो आजकल के कुछ तजद्दुद पसन्द उलेमा ने यूरोप और उसकी तहक़ीक़ात से प्रभावित होकर इख़्तियार किया है कि अंतरिक्ष सफ़र, चाँद और मंगल ग्रह व ज़ोहरा पर कमन्दें फेंकने की कोशिशें क़ुरआने करीम के तक़ाज़े को पूरा करना है।

बस सही बात यह है कि क़ुरआने करीम न इन फ़ल्सफ़ी और नई व पुरानी वैज्ञानिक तहक़ीक़ात की तरफ़ लोगों को दावत देता है न इनसे बहस करता है, और न इनकी मुख़ालफ़त करता है। क़ुरआने करीम का हकीमाना उसूल व अन्दाज़ कायनात व मख़्लूक़ात से संबन्धित तमाम फ़ुनून के बारे में यही है कि वह हर फ़न की चीज़ों से सिर्फ़ उसी क़द्र लेता और बयान करता है जिस क़द्र इनसान की दीनी या दुनियावी ज़रूरत से संबन्धित है, और जिसको इनसान आसानी से हासिल भी कर सकता है, और जिसके हासिल होने पर अन्दाज़न उसको इत्मीनान भी हो सकता है। फ़ल्सफ़ियाना ग़ैर-ज़रूरी बहसों से और ऐसी तहक़ीक़ात से जो आ़म इनसानों के क़ाबू से बाहर हैं और जिनको कुछ हासिल कर लेने के बाद भी क़तई तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि वही सही हैं बल्कि हैरानी और शक बढ़ते हैं, ऐसी बहसों में इनसान को नहीं उलझाता। क्योंकि क़ुरआन की नज़र में इनसान की मन्ज़िले मक़सूद इन तमाम ज़मीनी और आसमानी कायनात व मख़्लूक़ात से आगे अपने ख़ालिक़ की पसन्दीदा बातों और कामों पर चलकर जन्नत की हमेशा रहने वाली नेमतों और राहतों को हासिल करना है। कायनात के तथ्यों की बहस न इसके लिये ज़रूरी है और न उस पर पूरी महारत इनसान के बस में है। हर ज़माने के फ़्लॉस्फ़रों और आसमानी चीज़ों के विशेषज्ञों के नज़रियों में सख़्त मतभेद और रोज़मर्रा की नई-नई चीज़ों का ज़ाहिर होना इसकी स्पष्ट दलील हैं कि किसी नज़रिये और तहक़ीक़ को यक़ीनी और आख़िरी नहीं कहा जा सकता। इनसानी ज़रूरत से संबन्धित तमाम फ़ुनून, आकाशीय चीज़ें, अंतरिक्ष की कायनात, बादल व बारिश, स्पेस, ज़मीन तब्क़े और परत, फिर ज़मीन पर पैदा होने वाली मख़्लूक़ात, बेजान चीज़ें, खनिज पदार्थ, पेड़-पौधे, जानवरों से और आ़म इनसान

और इनसानी उलूम व फ़ुनून, व्यापार, खेती-बाड़ी, कारीगरी व हुनर वग़ैरह इन सब में से क़ुरआने हकीम सिर्फ़ इनकी रूह और ज़ाहिर में दिखाई देने वाले हिस्से को उस क़द्र लेता है जिसमें इनसान की दीनी या दुनियावी ज़रूरत संबन्धित है, बेकार और फ़ालतू की तहक़ीक़ात की दलदल में इनसान को नहीं फंसाता, अलबत्ता कहीं-कहीं किसी ख़ास मसले की तरफ़ इशारा या स्पष्टता भी पाई जाती है।

क़ुरआन की तफ़सीर में फ़ल्सफ़ी नज़रियों की मुवाफ़क़त या मुख़ालफ़त का सही मेयार

पहले और बाद के अहले हक़ उलेमा इस पर सहमत हैं कि इन मसाईल के मुताल्लिक़ जो बात क़ुरआने करीम से यक़ीनी तौर पर साबित है अगर कोई पुराना या नया नज़रिया उससे भिन्न और अलग हो तो उसकी वजह से क़ुरआनी आयतों में खींच-तान और दूर का और ग़ैर-मशहूर मतलब बयान करना जायज़ नहीं। उस नज़रिये ही को मुग़ालता (धोखे में डालने वाला) क़रार दिया जायेगा, अलबत्ता जिन मसाईल में क़ुरआने करीम की कोई स्पष्टता मौजूद नहीं, क़ुरआनी अलफ़ाज़ में दोनों मायनों की गुंजाईश है वहाँ अगर तहक़ीक़ात और तजुर्बे से किसी एक नज़रिये को प्रबलता हासिल हो जाये तो क़ुरआन की आयत को भी उसी मायने पर महमूल कर लेने में कोई हर्ज नहीं। जैसे इसी आयत 'ज-अ़-ल फ़िस्समा-इ बुरूजन्' में है कि क़ुरआने करीम ने इस बारे में कोई स्पष्ट फ़ैसला नहीं दिया कि सितारे आसमान के अन्दर हैं या बाहर आसमानी फ़ज़ा में हैं। आजकल जबकि फ़ज़ाई (अंतरिक्ष की) तहक़ीक़ात ने यह साबित कर दिया कि इन सय्यारों (ग्रहों) तक पहुँचा जा सकता है तो इससे फ़ीसाग़ौरस के नज़रिये की ताईद हो गयी कि सितारे आसमानों में जड़े और मिले हुए नहीं, क्योंकि क़ुरआने करीम और स्पष्ट हदीसों की वज़ाहतों के हिसाब से आसमान एक ऐसा हिसार (घेराबन्दी वाला) है जिसमें दरवाज़े हैं और दरवाज़ों पर फ़रिश्तों का पहरा है, उनमें हर शख़्स दाख़िल नहीं हो सकता। इस तहक़ीक़ और तजुर्बे की बिना पर उक्त आयत का यह मफ़्हूम क़रार दिया जायेगा कि सितारों को आसमानी फ़ज़ा में पैदा किया गया है, और यह कोई तावील (दूर का और ग़ैर-मशहूर मतलब लेना) नहीं बल्कि दो मतलबों में से एक को मुतैयन करना है।

लेकिन अगर कोई सिरे से आसमानों के वजूद का इनकार करे जैसे आसमानी चीज़ों के इल्म का दावा करने वाले कुछ लोग कहते हैं, या कोई यह दावा करे कि रॉकिटों और हवाई जहाज़ों के ज़रिये आसमानों के अन्दर दाख़िला हो सकता है तो क़ुरआनी वज़ाहत के हिसाब से इस दावे को ग़लत क़रार दिया जायेगा। क्योंकि क़ुरआने करीम ने अनेक आयतों में यह बात स्पष्ट तौर पर बतलाई है कि आसमानों में दरवाज़े हैं और वो दरवाज़े ख़ास-ख़ास हालात में खोले जाते हैं, उन दरवाज़ों पर फ़रिश्तों का पहरा लगा हुआ है। आसमानों में दाख़िला हर शख़्स का जब चाहे नहीं हो सकता। इस दावे की वजह से उन आयतों में कोई तावील (मतलब में तब्दीली) नहीं की जायेगी और इस दावे को ग़लत क़रार दिया जायेगा।

इसी तरह जबकि क़ुरआने करीम की आयतः

كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ٥

(सूरः अम्बिया आयत 33) से सितारों का हरकत करना साबित है, तो इस मामले में बतलीमूस फ़ल्सफ़ी के नज़रिये को ग़लत क़रार दिया जायेगा जिसके हिसाब से सितारे आसमान के जिस्म (पिण्ड) में जड़े हुए हैं, वे ख़ुद हरकत नहीं करते बल्कि आसमान की हरकत के ताबे उनकी हरकत होती है।

इससे मालूम हुआ कि पहले ज़माने के मुफ़स्सिरीन (क़ुरआन के व्याख्यापकों) में से कुछ लोग जो आकाशीय तहक़ीक़ात से मुताल्लिक़ बतलीमूस के नज़रिये को मानते थे उन्होंने उन क़ुरआनी आयतों में तावीलों से काम लिया जिनसे बतलीमूस के नज़रिये के ख़िलाफ़ कोई चीज़ समझी जाती थी। इसी तरह आजके कुछ लेखक जिन आयतों को आजकी आकाशीय मालूमात के नज़रियों से अलग और भिन्न समझते हैं, उनमें तावीलें करके उसके मुताबिक़ बनाने की फ़िक्र करते हैं, ये दोनों सूरतें दुरुस्त नहीं, पहले के उलेमा व बुज़ुर्गों के तरीक़े के ख़िलाफ़ और नकारने के क़ाबिल है। अलबत्ता हक़ीक़त यही है कि इस वक़्त तक आकाशीय उलूम की आधुनिक खोज ने जो नई तहक़ीक़ात पेश की हैं उनमें आसमानों के इनकार के सिवा कोई भी क़ुरआन व सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं, कुछ लोग अपनी इल्मी और मालूमाती कमी से उनको क़ुरआन या सुन्नत के ख़िलाफ़ समझकर उनका उल्टा-सीधा मतलब बयान करने के पीछे पड़ जाते हैं।

मौजूदा ज़माने के सबसे बड़े क़ुरआन के मुफ़स्सिर सैयद महमूद आलूसी बग़दादी जिनकी तफ़सीर 'रूहुल-मआनी' पहले उलेमा व बुज़ुर्गों की तफ़सीरों का बेहतरीन ख़ुलासा और अ़रब व अ़जम, पूरब व पश्चिम में मक़बूल व मोतबर तफ़सीर है, यह जिस तरह क़ुरआन व सुन्नत के ज़बरदस्त आ़लिम हैं इसी तरह फ़ल्सफ़े और नये पुराने इल्मे हैयत (खगोल विद्या) के भी बड़े आ़लिम हैं। इन्होंने अपनी तफ़सीर में फ़ल्सफ़ी तहक़ीक़ात के मुताल्लिक़ यही उसूल क़रार दिया है जो ऊपर ज़िक्र किया गया है और इनके पोते अ़ल्लामा सैयद महमूद शक्री आलूसी ने इन मसाईल पर एक मुस्तक़िल किताब लिखी है, जो अ़रबी भाषा में है और उसका नामः

مادل عليه القران ممّا يعضد الهيئة الجَديْدة القويمَة البُرْهَان.

है। जिसमें नये इल्मे हैयत (खगोल विद्या) के नज़रियों की ताईद क़ुरआने करीम की रोशनी में की गयी है, मगर दूसरे तजद्दुद पसन्द उलेमा की तरह क़ुरआनी आयतों में किसी क़िस्म की तावील को जायज़ नहीं रखा। उनके चन्द जुमले इस जगह नक़ल कर देना काफ़ी हैं जो नये इल्मे हैयत की ताईद में लिखे हैं। वह फ़रमाते हैं:

رأيت كثيرا من قواعد ها لا يعارض النّصوص الواردة فى الكتاب والسنّة على انها لو خالفت شيئا من ذلك لم يلتفت اليها ولم نؤول النصوص لاجلها والتاويل فيها ليس من مذا هب السّلف الحريّة بالقبول بل لا بدّ ان نقول ان المخالف لها مشتمل على خلل فيه فان العقل الصّريح لا يخالف النقل الصّحيح بل كل منهما يصدق الأخر ويؤيّده. (مادل عليه القران)

"मैंने नये इल्मे हैयत (आधुनिक खगोल विद्या) के बहुत से उसूलों और क़ायदों को देखा है,

वो क़ुरआन व सुन्नत के बयानात के ख़िलाफ़ नहीं। और इसके बावजूद अगर वह क़ुरआन व सुन्नत की किसी वज़ाहत के ख़िलाफ़ हो तो हम उसकी तरफ़ रुख़ न करेंगे और क़ुरआन व सुन्नत की वज़ाहतों व दलीलों में उसकी वजह से तावील न करेंगे, क्योंकि ऐसी तावील पहले के बुज़ुर्गों व उलेमा के मक़बूल तरीक़े व अ़मल में नहीं है, बल्कि हम उस वक़्त यह कहेंगे जो नज़रिया क़ुरआन व सुन्नत के ख़िलाफ़ है उसमें ही कोई ख़लल है क्योंकि सलामती वाली अ़क़्ल और सही नक़्ल में कभी टकराव नहीं होता, बल्कि वो एक दूसरे की ताईद करते हैं।"

कलाम का ख़ुलासा यह है कि आकाशीय चीज़ों, सितारों, सय्यारों (ग्रहों) की हरकतों और हालतों के मुताल्लिक़ बहस व तहक़ीक़ कोई नया फ़न नहीं, हज़ारों साल पहले से इन मसाईल पर तहक़ीक़ात का सिलसिला जारी है। मिस्र, शाम, हिन्द, चीन वग़ैरह में इन फ़ुनून का चर्चा पुराने ज़माने से चला आ रहा है। हज़रत **मसीह** अ़लैहिस्सलाम से पाँच सौ साल पहले इस फ़न का बड़ा विद्वान **फ़ीसाग़ौरस** गुज़रा है जो इतालिया के मदरसे करोतोना में बाक़ायदा इसकी तालीम देता था, उसके बाद मसीह अ़लैहिस्सलाम की पैदाईश से तक़रीबन एक सौ चालीस साल पहले इस फ़न का दूसरा विद्वान **बतलीमूस रोमी** आया और उसी ज़माने में एक दूसरे फ़लॉस्फ़र **हेयर ख़ोस** की शोहरत हुई जिसने ज़ाविये (कोण) नापने के उपकरण ईजाद किये।

आसमानी चीज़ों की शक्ल व सूरत और हालत व अ़मल के नज़रिये के मुताल्लिक़ **फ़ीसाग़ौरस** और **बतलीमूस** के एक दूसरे से बिल्कुल उलट थे। बतलीमूस को अपने ज़माने की हुकूमत और अ़वाम का सहयोग व मदद हासिल हुई, उसका नज़रिया इतना फैला कि फ़ीसाग़ौरस का नज़रिया गुमनामी में जा पड़ा। और जब यूनानी फ़ल्सफ़े का अ़रबी भाषा में तर्जुमा हुआ तो यही बतलीमूस का नज़रिया उन किताबों में मुन्तक़िल हुआ और इल्म रखने वालों में आ़म तौर से यही नज़रिया जाना पहचाना गया। बहुत से मुफ़स्सिरीन ने क़ुरआनी आयतों की तफ़सीर में भी यही नज़रिया सामने रखकर कलाम किया। ग्यारहवीं सदी हिजरी और पन्द्रहवीं सदी ईसवी जिसमें यूरोप की क़ौमों की तरक़्क़ी की शुरूआ़त हुई और यूरोप के मुहक़्क़िक़ (रिसर्च और शोध कर्ता) लोगों ने इन मसाईल पर काम करना शुरू किया जिनमें सबसे पहले **कोपरंक** फिर जर्मनी में **केलर** और इतालिया में **गिलेलियो** वग़ैरह के नाम आते हैं। उन्होंने नये सिरे से इन बहसों और विषयों का जायज़ा लिया, यह सब इस पर सहमत हो गये कि आसमानी चीज़ों की हालत और शक्ल व सूरत के मुताल्लिक़ बतलीमूस का नज़रिया ग़लत और फ़ीसाग़ौरस का नज़रिया सही है। अट्ठारहवीं सदी ईसवीं और तेरहवीं सदी हिजरी में **इस्हाक़ न्यूटन** की शोहरत हुई। उसकी तहक़ीक़ात व ईजादात ने इसको और ज़्यादा मज़बूती पहुँचाई। उसने यह तहक़ीक़ की कि वज़नी चीज़ें अगर हवा में छोड़ी जायें तो उनके ज़मीन पर आ गिरने का सबब वह नहीं जो बतलीमूस के नज़रिये में बतलाया गया है कि ज़मीन के बीच में दुनिया का केन्द्र है और तमाम वज़नी चीज़ें केन्द्र की तरफ़ फ़ितरी तौर पर रुजू करती (पलटती) हैं, बल्कि उसने बतलाया कि जितने सितारे और सय्यारे (ग्रहों) हैं सब में एक कशिश और अपनी तरफ़ खींचने का माद्दा है, ज़मीन भी इसी तरह का एक सय्यारा है, इसमें भी कशिश है। जिस हद तक ज़मीन की कशिश का असर रहता है वहाँ से हर वज़नी चीज़ ज़मीन पर आयेगी, लेकिन अगर कोई चीज़ इसकी

कशिश के दायरे से बाहर निकल जाये तो वह फिर नीचे नहीं आयेगी।

हाल में रूसी और अमेरिकी विशेषज्ञों ने पुराने इस्लामी फ़लॉस्फ़र अबू रैहान बैरूनी की तहक़ीक़ात की मदद से रॉकिट वग़ैरह ईजाद करके इसका अ़मली तजुर्बा और मुशाहदा कर लिया कि रॉकिट जब अपनी सख़्त क़ुव्वत और तेज़-रफ़्तारी के सबब ज़मीन की कशिश को तोड़कर उसके दायरे से बाहर निकल गया तो फिर वह नीचे नहीं आता बल्कि एक मस्नूई सय्यारे (निर्मित ग्रह) की सूरत इख़्तियार कर लेता और अपने मदार (दायरे) पर चक्कर लगाता है। फिर इन मस्नूई सय्यारों का तजुर्बा करते-करते उसके विशेषज्ञों ने सय्यारों (ग्रहों) तक पहुँचने की तदबीरें शुरू कीं और आख़िरकार चाँद पर पहुँच गये, जिसकी तस्दीक़ इस ज़माने के इस मैदान के तमाम मुवाफ़िक़ व मुख़ालिफ़ माहिरीन ने की और अब तक चाँद पर बार-बार जाने, वहाँ के पत्थर, मिट्टी वग़ैरह लाने और उसके फ़ोटो मुहैया करने का सिलसिला जारी है। दूसरे सय्यारों (ग्रहों) तक पहुँचने की भी कोशिशें हो रही हैं और अंतरिक्ष में घूमने और उसकी पैमाईश की मश्क़ें जारी हैं।

इनमें से अमेरिकन ख़लाबाज़ (अंतरिक्ष यात्री) **जान गिलीन** जो कामयाबी के साथ ख़ला का सफ़र करके वापस आया और उसकी कामयाबी पर उसके मुवाफ़िक़ व मुख़ालिफ़ सभी ने एतिमाद किया, उसका एक बयान अमेरिका के मशहूर मासिक मैगज़ीन 'रीडर्स डायजस्ट' में और उसका उर्दू तजुर्मा अमेरिका के उर्दू माहनामे 'सैरबीन' में तफ़सील से छपा है, यहाँ उसके अहम अंश और हिस्से माहनामे सैरबीन से नक़ल किये जाते हैं जिनसे हमारे ज़ेर-ए-बहस मसले पर काफ़ी रोशनी पड़ती है। **जान गिलीन** ने अपने लम्बे मज़मून में ख़ला की आश्चर्य जनक चीज़ों को बयान करते हुए लिखा है:

"यही वह एक एकमात्र चीज़ है जो ख़ला (स्पेस) में ख़ुदा के वजूद पर दलालत करती है, और यह कि कोई ताक़त है जो उन सब को केन्द्र व धुरी से जोड़े रखती है।"

आगे लिखा है कि:

"इसके बावजूद ख़ला में पहले ही से जो अ़मल जारी है उसको देखते हुए हमारी कोशिशें बहुत ही मामूली हैं। विज्ञान की परिभाषाओं व पैमानों में ख़ला की पैमाईश नामुम्किन है।"

आगे हवाई जहाज़ की मशीनी ताक़त का तज़किरा करके लिखा है कि:

"लेकिन एक यक़ीनी और ग़ैर-महसूस क़ुव्वत के बग़ैर उसका इस्तेमाल भी सीमित और बेमानी होकर रह जाता है। इसलिये कि जहाज़ को अपने मक़सद के पूरा करने के लिये दिशा व रुख़ के मुतैयन करने की ज़रूरत होती है और यह काम क़ुतब-नुमा से लिया जाता है। वह क़ुव्वत जो क़ुतब-नुमा को सक्रिय रखती है हमारे तमाम पाँचों हवास के लिये एक खुली चुनौती है, उसे न हम देख सकते हैं न सुन सकते हैं न छू सकते हैं न चख सकते हैं न सूँघ सकते हैं हालाँकि परिणामों का ज़हूर इस पर स्पष्ट दलालत कर रहा होता है कि यहाँ कोई ग़ैबी और छुपी क़ुव्वत ज़रूर मौजूद है।"

आगे सैर व सफ़र के सारे नतीजे के तौर पर लिखता है:

"ईसाईयत के उसूल व नज़रिये की हक़ीक़त भी ठीक यही कुछ है। अगर हम उनको अपना रहनुमा बनायें तो इसके बावजूद कि हमारे हवास उनके समझने से आ़जिज़ होते हैं लेकिन उस

रहनुमा क़ुव्वत के परिणाम और असरात अपने और अपने दूसरे भाईयों की ज़िन्दगियों में खुली आँखों देखेंगे। यही वजह है कि हम जानते हैं और इस बिना पर कहते हैं कि इस कायनात में एक रहनुमा (रास्ता दिखाने वाली) क़ुव्वत मौजूद है।''

यह हैं ख़ला के मुसाफ़िरों (अंतरिक्ष यात्रियों) और सय्यारों (ग्रहों) पर कमन्द फेंकने वालों की कोशिश व मेहनत के परिणाम और जो कुछ उन्होंने इस मैदान में हासिल किया है जो आपने अमेरिकी ख़लाबाज़ (अंतरिक्ष यात्री) के बयान में पढ़े, कि इस तमाम मेहनत व कोशिश के नतीजे में कायनात के राज़ और उसकी हक़ीक़त तक पहुँच तो क्या होती, बेहद बेहिसाब सय्यारों व सितारों की गर्दिशों का इदराक (इल्म) होकर और हैरानी बढ़ गयी। वैज्ञानिक उपकरणों से उनकी पैमाईश के नामुम्किन होने और अपनी सब कोशिशों की उसके मुक़ाबले में बेहक़ीक़त होने का इक़रार करना पड़ा। पस इतनी बात हासिल हुई कि कायनात का यह सब निज़ाम और सितारे व सय्यारे (ग्रह) खुद-बखुद नहीं बल्कि किसी अज़ीम और ग़ैर-महसूस ताक़त के फ़रमान के ताबे चल रहे हैं। यही वह बात है जिसको अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने पहले क़दम पर आम इनसानों को बतला दिया था और क़ुरआने करीम की बेशुमार आयतों में इसी चीज़ का यक़ीन दिलाने के लिये आसमान व ज़मीन, सितारों व सय्यारों वग़ैरह के हालात पर ग़ौर व फ़िक्र करने की तालीम व हिदायत की गयी है।

आपने देख लिया कि जिस तरह ज़मीन में बैठकर आसमानी फ़ज़ाओं और सितारों व सय्यारों (ग्रहों) की तहक़ीक़ात और उनकी हालत व सूरत पर फ़ल्सफ़ियाना बहसें करने वाले इन चीज़ों की हक़ीक़त तक न पहुँच सके और आख़िरकार अपनी आजिज़ी व बेबसी का इक़रार किया, इसी तरह ये ज़मीन से लाखों मील ऊपर का सफ़र करने वाले और चाँद के पत्थर और मिट्टी और वहाँ के फ़ोटो लाने वाले भी हक़ीक़त पहचानने के मैदान में इससे कुछ आगे न बढ़ सके।

इन तहक़ीक़ात ने इनसान और इनसानियत को क्या दिया

जहाँ तक इनसानी जिद्दोजहद और वैचारिक तरक़्क़ी और उसकी अजूबा कारी और हैरत-अंगेज़ नयी-नयी चीज़ों के सामने आने का मामला है वह अपनी जगह दुरुस्त और आम नज़रों के एतिबार से सराहनीय भी है। लेकिन अगर इस पर ग़ौर किया जाये कि फ़ालतू की करतब बाज़ी और तमाशबीनी जिससे इनसान और इनसानियत का कोई ख़ास फ़ायदा न हो वह वैज्ञानिकों व अक़्लमन्दों का काम नहीं। देखना यह चाहिये कि इस पचास साल की जिद्दोजहद और अरबों खरबों रुपये जो बहुत से इनसानों की मुसीबतें व परेशानियाँ दूर करने के लिये काफ़ी होते उसको आग की भेंट चढ़ा देने और चाँद तक पहुँचकर वहाँ की ख़ाक और पत्थर समेट लाने से इनसान और इनसानियत को क्या फ़ायदा पहुँचा। इनसानों में बड़ी भारी तायदाद ऐसे लोगों की है जो भूख से मरते हैं, उनको लिबास और सर छुपाने की जगह मयस्सर नहीं, क्या इस जिद्दोजहद ने उनकी ग़ुर्बत व मुसीबत का कोई हल निकाला? या उनकी बीमारियों व आफ़तों से सेहत व आफ़ियत का कोई इन्तिज़ाम किया? या उनके लिये दिली सुकून व राहत का कोई सामान उपलब्ध किया? तो यक़ीन है कि किसी के पास इसका जवाब सिवाय नफ़ी के नहीं होगा।

यही वजह है कि क़ुरआन व सुन्नत इनसान को ऐसे बेफ़ायदा मशग़ले में मुब्तला करने से गुरेज़ करते हैं और इस कायनात में ग़ौर व फ़िक्र और विचार की दावत सिर्फ़ दो हैसियतों से देते हैं- पहली हैसियत जो असल मक़सद है यह है कि इन अ़जीब निशानियों को देखकर इनके असल बनाने वाले और उस ग़ैर-महसूस ताक़त का यक़ीन कर लें जो इस सारे निज़ाम को चला रही है, उसी का नाम ख़ुदा है। दूसरे इन ज़मीनी और आसमानी मख़्लूक़ात में अल्लाह तआ़ला ने इनसान के फ़ायदे के लिये हर ज़रूरत की चीज़ रख दी है इनसान का काम यह है कि अपनी अ़क़्ल व शऊर और जिद्दोजहद से काम लेकर उन चीज़ों को ज़मीन के ख़ज़ानों से निकालने और इस्तेमाल करने के तरीक़े सीख ले। पहली हैसियत असल मक़सद है और दूसरी हैसियत दूसरे दर्जे की ज़रूरत पूरी करने के लिये है, इसलिये ज़रूरत से ज़ायद इसमें मशग़ूल होना पसन्दीदा नहीं, और दुनिया की इस कायनात में ग़ौर व फ़िक्र और विचार की दोनों हैसियतें इनसान के लिये आसान भी हैं, नतीजा पेश करने वाली भी। और इन दोनों हैसियतों के नतीजों में पुराने व नये फ़्लॉस्फ़रों का कोई मतभेद भी नहीं। उनके सब मतभेद व झगड़े आसमानों और सय्यारों की हालत, शक्ल व हक़ीक़त से संबन्धित हैं जिनको क़ुरआन ने बेज़रूरत और नाक़ाबिले हासिल क़रार देकर नज़र-अन्दाज़ कर दिया है। अ़ल्लामा बख़ीत मुफ़्ती-ए-मिस्र ने अपनी किताब 'तौफ़ीक़ुर्रहमान' में इल्मे हैयत (खगोल विद्या) को तीन हिस्सों में तक़सीम किया है, एक हिस्सा वसफ़ी (यानी चीज़ों के परिचय और उनकी सिफ़ात से संबन्धित है) जो आसमान के जिस्मों की हरकतों और हिसाबात से मुताल्लिक़ है। दूसरा अ़मली जो उन हिसाबात को मालूम करने के लिये नये व पुराने उपकरणों व माध्यमों से संबन्धित है। तीसरा तबई जो आसमानों व सय्यारों की हालत व हक़ीक़त से मुताल्लिक़ है, और लिखा है कि पहली दोनों क़िस्मों में पहले और बाद के विशेषज्ञों (वैज्ञानिकों) में मतभेद न होने के बराबर हैं। इदराक व इल्म के असबाब व सामानों में बहुत बड़ा मतभेद होने के बावजूद नतीजों पर अक्सर बातों में सब का इत्तिफ़ाक़ (सहमति) है, उनका सख़्त मतभेद सिर्फ़ तीसरी क़िस्म में है।

ग़ौर कीजिए तो इनसानी ज़रूरत के मुताल्लिक़ भी यही पहली दो क़िस्में हैं। तीसरी क़िस्म मक़सद से दूर की चीज़ भी है और मुश्किल भी। इसलिये क़ुरआन व सुन्नत और अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की आ़म तालीमात ने इनसान को इस तीसरी बहस में नहीं उलझाया, और पहले बुज़ुर्गों ने यह नसीहत फ़रमाई है कि आसमानों व फ़ज़ा की कायनात और ज़मीनी कायनात में ग़ौर व फ़िक्र इस हैसियत से कि उनसे पैदा करने वाले के वजूद और तौहीद और उसके बेमिसाल इल्म व क़ुदरत पर दलील पकड़ी जा सके क़ुरआनी मक़सद के पूरी तरह मुताबिक़ है, और क़ुरआन जगह जगह इसकी दावत दे रहा है, और इस हैसियत से कि इन चीज़ों से इनसान की आर्थिक समस्याओं का ताल्लुक़ है वह भी ज़रूरत की हद तक क़ुरआनी मक़सद है, और क़ुरआन इसकी तरफ़ भी दावत देता है, मगर इस फ़र्क़ के साथ कि ज़िन्दगी गुज़ारने और ज़िन्दगी की ज़रूरतों को असल मक़सद क़रार देकर उसमें ही लग जाना न करे, बल्कि इस मौजूदा ज़िन्दगी को असली ज़िन्दगी की तरफ़ एक सफ़र का दर्जा क़रार देकर उसके मुताबिक़ इसमें मशग़ूल हो।

और तीसरी हैसियत चूँकि इनसानी ज़रूरत से ज़ायद भी है और उसका हासिल होना भी मुश्किल है, उसमें यह क़ीमती उम्र ख़र्च करने से गुरेज़ की तरफ़ इशारा करता है। यहाँ से यह भी वाज़ेह हो गया कि मौजूदा विज्ञान की नई तरक़्क़ियाँ और तहक़ीक़ात को पूरी तरह क़ुरआनी मन्शा के मुताबिक़ समझना भी ग़लत है जैसा कि कुछ तजद्दुद-पसन्द (आधुनिकी) उलेमा ने लिखा है, और क़ुरआन को उनका मुख़ालिफ़ कहना भी ग़लत है जैसा कि कुछ क़दामत-पसन्द (रूढ़िवादी) उलेमा ने कहा है। हक़ीक़त यह है कि क़ुरआन न इन चीज़ों के बयान के लिये आया है न यह इसकी बहस का विषय है न इनसान के लिये इनका हासिल करना आसान है, न इनसानी ज़रूरतों से इसका कोई ताल्लुक़ है। क़ुरआन इन मामलात में ख़ामोश है, तजुर्बों और तहक़ीक़ात से कोई चीज़ साबित हो जाये तो उसको क़ुरआन के ख़िलाफ़ कहना भी सही नहीं। चाँद के ऊपर पहुँचना, रहना बसना और वहाँ की मादनी (खान से निकलने वाली) चीज़ों वग़ैरह से नफ़ा उठाना वग़ैरह सब इसमें दाख़िल हैं। इनमें से कोई चीज़ मुशाहदे और तजुर्बे से साबित हो जाये तो उसके इनकार की कोई वजह नहीं, और जब तक साबित न हो ख़्वाह-मख़्वाह उसके ख़्यालात बाँधना और कल्पनायें करना और उसमें इस अनमोल ज़िन्दगी के वक़्तों को ख़र्च करना भी कोई अ़क़्लमन्दी नहीं। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

इबादुर्रहमान (रहमान के बन्दे)

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ

الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ۝ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ۝ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝ اِنَّهَا سَاۤءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ۝ وَالَّذِيْنَ اِذَاۤ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ۝ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ۝ يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا ۝ اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰۤئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهُ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ۝ وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ۝ وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا ۝ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ۝ اُولٰۤئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ۝ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَاۤؤُكُمْ ۚ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا ۝

व अिबादुर्रह्मानिल्लज़ी-न यम्शू-न अ़लल्-अर्ज़ि हौनंव्-व इज़ा ख़ा-त-बहुमुल्-जाहिलू-न क़ालू सलामा (63) वल्लज़ी-न यबीतू-न लिरब्बिहिम् सुज्जदंव्-व क़ियामा (64) वल्लज़ी-न यक़ूलू-न रब्ब-नस्रिफ़् अ़न्ना अ़ज़ा-ब जहन्न-म इन्-न अ़ज़ाबहा का-न ग़रामा (65) इन्नहा साअत् मुस्त-क़र्रंव्-व मुक़ामा (66) वल्लज़ी-न इज़ा अन्फ़क़ू लम् युस्रिफ़ू व लम् यक़्तुरू व का-न बै-न ज़ालि-क क़वामा (67) वल्लज़ी-न ला यद्अू-न मअ़ल्लाहि इलाहन् आख़-र व ला यक़्तुलूनन्नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल्-हक़्क़ि व ला यज़्नू-न, व मंय्यफ़्अ़ल् ज़ालि-क यल्-क़ असामा (68) युज़ाअ़फ़् लहुल्-अ़ज़ाबु यौमल्-क़ियामति व यख़्लुद् फ़ीही मुहाना (69) इल्ला मन् ता-ब व आम-न व अ़मि-ल अ़-मलन् सालिहन् फ़-उलाइ-क युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम् ह-सनातिन्, व कानल्लाहु ग़फ़ूरर्-रहीमा (70) व मन् ता-ब व अ़मि-ल सालिहन् फ़-इन्नहू यतूबु इलल्लाहि मताबा (71)

और बन्दे रहमान के वे हैं जो चलते हैं ज़मीन पर दबे पाँव और जब बात करने लगें उनसे बेसमझ लोग तो कहें साहब सलामत। (63) और वे लोग जो रात काटते हैं अपने रब के आगे सज्दे में और खड़े। (64) और वे लोग कि कहते हैं ऐ रब! हटा हमसे दोज़ख़ का अ़ज़ाब, बेशक उसका अ़ज़ाब चिमटने वाला है। (65) वह बुरी जगह है ठहरने की और बुरी जगह रहने की। (66) और वे लोग कि जब ख़र्च करने लगें न बेजा उड़ायें और न तंगी करें, और है इसके बीच एक सीधी गुज़रान। (67) और वे लोग कि नहीं पुकारते अल्लाह के साथ दूसरे हाकिम को और नहीं ख़ून करते जान का जो मना कर दी अल्लाह ने मगर जहाँ चाहिये, और बदकारी नहीं करते और जो कोई करे यह काम वह जा पड़ा गुनाह में। (68) दुगना होगा उसको अ़ज़ाब क़ियामत के दिन और पड़ा रहेगा उसमें ज़लील होकर। (69) मगर जिसने तौबा की और यक़ीन लाया और किया कुछ काम नेक सो उनको बदल देगा अल्लाह बुराईयों की जगह भलाईयाँ, और है अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान। (70) और जो कोई तौबा करे और करे काम नेक सो वह फिर आता है अल्लाह की तरफ़ फिर आने की जगह। (71)

वल्लज़ी-न ला यश्हदूनज़्ज़ू-र व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वि मर्रू किरामा (72) वल्लज़ी-न इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम् लम् यख़िर्रू अ़लैहा सुम्मंव्-व अुम्याना (73) वल्लज़ी-न यक़ूलू-न रब्बना हब् लना मिन् अज़्वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्र-त अअ्युनिंव्-वज्अ़ल्ना लिल्मुत्तक़ी-न इमामा (74) उलाइ-क युज्ज़ौनल्-ग़ुर्फ़-त बिमा स-बरू व युलक़्क़ौ-न फ़ीहा तहिय्य-तंव्-व सलामा (75) ख़ालिदी-न फ़ीहा हसुनत् मुस्तक़र्रंव्-व मुक़ामा (76) क़ुल् मा यअ़्-बउ बिकुम् रब्बी लौ ला दुआउकुम् फ़-क़द् कज़्ज़ब्तुम् फ़सौ-फ़ यकूनु लिज़ामा (77) ✿ ❖	और जो लोग शामिल नहीं होते झूठे काम में और जब गुज़रते हैं खेल की बातों पर निकल जायें बुज़ुर्गाना। (72) और वे लोग कि जब उनको समझाईये उनके रब की बातें न पड़ें उन पर बहरे अंधे होकर। (73) और वे लोग जो कहते हैं ऐ रब! दे हमको हमारी औरतों की तरफ़ से और औलाद की तरफ़ से आँख की ठण्डक और कर हमको परहेज़गारों का पेशवा। (74) उनको बदला मिलेगा कोठों के झरोखे इसलिये कि वे साबित-क़दम रहे और लेने आयेंगे उनको वहाँ दुआ और सलाम कहते हुए। (75) सदा रहा करें उनमें ख़ूब जगह है ठहरने की और ख़ूब जगह रहने की। (76) तू कह परवाह नहीं रखता मेरा रब तुम्हारी अगर तुम उसको न पुकारा करो, सो तुम तो झुठला चुके अब आगे को होनी है मुठभेड़। (77) ✿ ❖

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (हज़रत) रहमान (यानी अल्लाह तआ़ला) के (ख़ास) बन्दे वे हैं जो ज़मीन पर आ़जिज़ी के साथ चलते हैं, (मतलब यह कि उनके मिज़ाज में तवाज़ो है तमाम बातों में, और उसी का असर चलने में भी ज़ाहिर होता है और ख़ास चाल का अन्दाज़ व कैफ़ियत बयान करना मक़सद नहीं क्योंकि चलने में सोचकर नर्म रफ़्तारी कोई तारीफ़ की चीज़ नहीं, और यह तवाज़ो तो उनका ख़ास तरीक़ा अपने आमाल में है) और (दूसरों के साथ उनका तरीक़ा यह है कि) जब उनसे जहालत वाले लोग (जहालत की) बात (चीत) करते हैं तो वे बुराई को दूर करने की बात कहते हैं (मतलब यह कि अपने नफ़्स के लिये ज़बान से या अपने अ़मल से बदला नहीं लेते और जो नागवारी व सख़्त-मिज़ाजी अदब सिखाने, सुधार, शरई सियासत या अल्लाह के कलिमे को बुलन्द करने के लिये हो उसकी नफ़ी मक़सद नहीं) और जो (अल्लाह के साथ अपना यह अन्दाज़ व तरीक़ा रखते हैं कि) रातों को अपने रब के आगे सज्दे और क़ियाम (यानी नमाज़) में लगे रहते हैं और जो (अल्लाह और बन्दों के हुक़ूक़

की अदायेगी के बावजूद अल्लाह तआला से इस क़द्र डरते हैं कि) दुआएँ माँगते हैं कि ऐ हमारे परवर्दिगार! हमसे जहन्नम को दूर रखिये क्योंकि उसका अ़ज़ाब पूरी तबाही है, बेशक वह जहन्नम बुरा ठिकाना और बुरा मक़ाम है (यह तो उनकी हालत बदनी इबादत व फ़रमाँबरदारी में है)।

और (माली इबादतों में उनका यह तरीक़ा है कि) वे जब ख़र्च करने लगते हैं तो न फ़ुज़ूलख़र्ची करते हैं (कि नाफ़रमानी और गुनाह के काम में ख़र्च करने लगें) और न तंगी करते हैं (कि ज़रूरी नेकी और अच्छे काम में भी ख़र्च की कोताही करें। और फ़ुज़ूलख़र्ची में वह ख़र्च भी आ गया कि बिना ज़रूरत गुंजाईश व हिम्मत से ज़्यादा मुबाह चीज़ों या ग़ैर-ज़रूरी नेकी के कामों में ख़र्च करें जिसका अन्जाम आख़िर में बेसब्री, लालच और बदनीयती हो, क्योंकि ये चीज़ें गुनाह और नाफ़रमानी हैं और जो चीज़ नाफ़रमानी और गुनाह का सबब बने वह भी गुनाह है, इसलिये वह भी अंततः गुनाह के काम ही में ख़र्च करना हो गया। इसी तरह ख़ैर के ज़रूरी मौक़ों में बिल्कुल ख़र्च न करने की निंदा लम् यक़्तुरू से समझ में आ गई, क्योंकि जब ख़र्च में कमी करना जायज़ नहीं तो बिल्कुल ही ख़र्च न करना तो कहीं ज़्यादा नाजायज़ होगा, पस यह शुब्हा न रहा कि ख़र्च में कमी करने की तो नफ़ी और मनाही हो गई लेकिन बिल्कुल ही ख़र्च न करने की नफ़ी और मनाही न हुई। ग़र्ज़ कि वह ख़र्च करने में ग़ैर-ज़रूरी ज़्यादती और कमी दोनों से बरी और पाक हैं)। और उनका ख़र्च करना इस (कमी-बेशी) के बीच दरमियानी तरीक़े पर होता है (और यह उक्त हालत तो नेकी और अच्छे आमाल की अदायेगी से संबन्धित थी) और जो (गुनाह से बचने में यह शान रखते हैं) कि अल्लाह तआला के साथ किसी और माबूद की पूजा नहीं करते (जो अक़ीदों से मुताल्लिक़ नाफ़रमानी है) और जिस शख़्स (के क़त्ल करने) को अल्लाह तआला ने (शरई क़ानून व हिदायत के अनुसार) हराम फ़रमाया है उसको क़त्ल नहीं करते, हाँ मगर हक़ पर (यानी जब क़त्ल के वाजिब या जायज़ होने का कोई शरई सबब पाया जाये उस वक़्त और बात है) और वे ज़िना नहीं करते (कि यह क़त्ल व ज़िना आमाल से संबन्धित गुनाहों में से हैं) और जो शख़्स ऐसे काम करेगा (कि शिर्क करे या शिर्क के साथ नाहक़ क़त्ल भी करे या ज़िना भी करे जैसे मक्का के मुश्रिक थे) तो सज़ा से उसको साबक़ा पड़ेगा, कि क़ियामत के दिन उसका अ़ज़ाब बढ़ता चला जायेगा (जैसा कि काफ़िरों के हक़ में दूसरी आयतों में आया है कि उन पर एक के ऊपर एक अ़ज़ाब बढ़ता जायेगा) और वह उस (अ़ज़ाब) में हमेशा-हमेशा ज़लील (व रुस्वा) होकर रहेगा (ताकि जिस्मानी अ़ज़ाब के साथ ज़िल्लत का रूहानी अ़ज़ाब भी हो, और अ़ज़ाब की सख़्ती यानी उसके कई गुना होने के साथ मात्रा की ज़्यादती यानी उसका हमेशा रहना भी हो। और इस 'व मंय्यफ़्अ़ल् ज़ालि-क' से मुराद काफ़िर व मुश्रिक लोग हैं जिस पर अ़ज़ाब का दुगना होना और ज़िल्लत के साथ हमेशा के लिये होना इशारा कर रहे हैं। क्योंकि मोमिन गुनाहगार के लिये अ़ज़ाब में ज़्यादती और हमेशा के लिये न होगा बल्कि उसका अ़ज़ाब उसको पाक-साफ़ करने के लिये होगा न कि उसकी ज़िल्लत व रुस्वाई के लिये, और उसके लिये ईमान के नवीकरण की ज़रूरत नहीं सिर्फ़ तौबा काफ़ी है, जिसका आगे आयत नम्बर 70 में बयान है। मज़कूरा इशारात के अ़लावा सही बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से इस आयत का शाने नुज़ूल भी यही मन्क़ूल है कि मुश्रिकों के बारे में यह आयत नाज़िल हुई)। मगर जो (शिर्क व गुनाहों से) तौबा कर ले और

(उस तौबा के क़ुबूल होने की शर्त यह है कि) ईमान (भी) ले आये और नेक काम करता रहे (यानी ज़रूरी इबादतें अदा करे और हुक्मों पर अमल करता रहे) तो (उसको जहन्नम में हमेशा रहना तो क्या होता जहन्नम से ज़रा भी टच न होगा बल्कि) अल्लाह तआ़ला ऐसे लोगों के (पिछले) गुनाहों (को मिटाकर उन) की जगह (आईन्दा) नेकियाँ इनायत फ़रमायेगा।

(यानी चूँकि गुज़िश्ता कुफ़्र व गुनाह कुफ़्र के ज़माने के बाद इस्लाम की बरकत से माफ़ हो जायेंगे और आईन्दा नेक आमाल की वजह से नेकियाँ लिखी जाती रहेंगी और उन पर सवाब मिलेगा इसलिए जहन्नम से उनका कुछ ताल्लुक़ न होगा। पस या तो इल्ला के बाद का मज़मून पिछले मज़मून से अलग है और जो तौबा करके ईमान ले आये और नेक अ़मल करे उसके लिये इस बात की ख़बर है कि उसकी बुराईयाँ नेकियों में बदल दी जायेंगी जो ईमान व तौबा और नेक अ़मल के मजमूए पर मुरत्तब होगा, और जहन्नम की आग से महफ़ूज़ रहना उसका लाज़िमी असर है और जहन्नम में जब दाख़िला ही नहीं तो हमेशा के लिये न रहना तो ज़ाहिर है। और अगर इल्ला के बाद के मज़मून को इससे पीछे के मज़मून से जुड़ा हुआ मान लें तो हमेशा के लिये दाख़िल न होने के लिये ईमान व तौबा और नेक अ़मल के मजमूए की शर्त न हो मगर मजमूए के साथ हमेशा के लिये दाख़िल न होने का पाया जाना इस आयत में बयान हुआ, और सिर्फ़ ईमान पर हमेशा के लिये दाख़िल न होने का मुरत्तब होना दूसरी दलीलों से साबित हो) और (यह बुराईयों का मिटाना और नेकियों का लिखना इसलिये हुआ कि) अल्लाह तआ़ला माफ़ करने वाला है (इसलिये गुनाहों और बुराईयों को मिटा दिया और) रहम करने वाला है (इसलिए नेकियों को क़ायम फ़रमाया। यह तो कुफ़्र से तौबा करने वाले का बयान था) और (आगे उस मोमिन का ज़िक्र है जो गुनाह से तौबा करे ताकि मज़मून तौबा का पूरा हो जाये, साथ ही मक़बूल बन्दों की बाक़ी सिफ़तों और गुणों का बयान है कि वे लोग हमेशा नेकियों और अच्छे आमाल के पाबन्द और बुराईयों से परहेज़ के आ़दी रहते हैं, लेकिन अगर कभी उनसे कोई नाफ़रमानी और गुनाह हो जाये तो तौबा कर लेते हैं इसलिये तौबा करने वालों का हाल इरशाद फ़रमाया, यानी) जो शख़्स (जिस गुनाह व नाफ़रमानी से) तौबा करता है और नेक काम करता है (यानी आईन्दा नाफ़रमानी से बचता है) तो वह (भी अ़ज़ाब से बचा रहेगा, क्योंकि वह) अल्लाह तआ़ला की तरफ़ ख़ास तौर पर रुजू कर रहा है (यानी ख़ौफ़ व इख़्लास के साथ जो कि तौबा की शर्त है)।

(आगे फिर रहमान के बन्दों के औसाफ़ "ख़ूबियाँ और गुण" बयान फ़रमाते हैं यानी) और (उनमें यह बात है कि) वे बेहूदा बातों में (जैसे खेल-तमाशे, बेफ़ायदा और ख़िलाफ़े शरीअ़त कामों में) शामिल नहीं होते, और अगर (इत्तिफ़ाक़ से) बेहूदा मशग़लों के पास को होकर गुज़रें तो सन्जीदगी (व शराफ़त) के साथ गुज़र जाते हैं (यानी न उसकी तरफ़ मुतवज्जह होते हैं और न उनके हालात व निशानियों से गुनाहगारों के ज़लील व बुरा और अपने को शान व बड़ाई वाला समझने का अ़मल ज़ाहिर होता है) और वे ऐसे हैं कि जिस वक़्त उनको अल्लाह के अहकाम के ज़रिये से नसीहत की जाती है तो उन (अहकाम) पर बहरे-अंधे होकर नहीं गिरते (जिस तरह काफ़िर क़ुरआन पर एक नई बात समझकर तमाशे के तौर पर और साथ ही उसमें एतिराज़ पैदा करने के लिये उसके तथ्यों और

उलूम व मआरिफ़ से अंधे-बहरे होकर अंधाधुंध बेतरतीब हुजूम कर लेते थे, जैसा कि एक दूसरी जगह क़ुरआन का इरशाद है 'कादू यकूनू-न अलैहि लि-बदा' (जैसा कि कुछ तफ़सीरों में इसकी वज़ाहत है) सो रहमान के उक्त बन्दे ऐसा नहीं करते बल्कि अ़क्ल व समझ के साथ क़ुरआन पर मुतवज्जह होते और उसकी तरफ़ दौड़ते हैं जिसका परिणाम च फल ईमान की बढ़ोतरी और अहकाम पर अ़मल करना है। पस आयत में अंधे-बहरे होने की नफ़ी करना मक़सद है न कि क़ुरआन की तरफ़ शौक़ के साथ मुतवज्जह होने और उस पर गिरने की, क्योंकि वह तो पसन्दीदा है। और इससे काफ़िरों के लिये भी क़ुरआन पर गिरना तो साबित होता है मगर वे मुख़ालफ़त और रुकावट डालने के तौर पर अंधों-बहरों की तरह था, इसलिए वह बुरा और नापसन्दीदा है)।

और वे ऐसे हैं कि (ख़ुद जैसे दीन के आ़शिक़ हैं उसी तरह अपने बीवी-बच्चों के लिये भी उसके दावत देने वाले और प्रयासरत हैं, चुनाँचे अ़मली कोशिश के साथ हक़ तआ़ला से भी) दुआ़ करते रहते हैं कि ऐ हमारे परवर्दिगार! हमको हमारी बीवियों और हमारी औलाद की तरफ़ से आँखों की ठंडक (यानी राहत) अ़ता फ़रमा (यानी उनको दीनदार बना दे, और हमको हमारी इस दीनदारी की कोशिश में कामयाब फ़रमा कि उनको दीनदारी की हालत में देखकर राहत और ख़ुशी हो) और (तूने हमको हमारे ख़ानदान का अफ़सर तो बनाया ही है मगर हमारी दुआ़ यह है कि उन सब को मुत्तक़ी करके) हमको मुत्तक़ियों का अफ़सर बना दे। (तो असल मक़सद अफ़सरी माँगना नहीं है अगरचे उसमें भी कोई बुराई नहीं मगर इस जगह उसका इशारा नहीं मिलता बल्कि असल मक़सद अपने ख़ानदान के मुत्तक़ी होने की दरख़्वास्त है, यानी बजाय इसके कि हम सिर्फ़ ख़ानदान के अफ़सर हैं हमको मुत्तक़ी व परहेज़गार ख़ानदान का अफ़सर बना दीजिये। यहाँ तक रहमान के बन्दों की सिफ़ात का बयान था आगे उनकी जज़ा है यानी) ऐसे लोगों को (जन्नत में रहने को) बालाख़ाने मिलेंगे, इस वजह से कि वे (दीन और बन्दगी पर) साबित-क़दम रहे, और उनको उस (जन्नत) में (फ़रिश्तों की ओर से) बाक़ी रहने की दुआ़ और सलाम मिलेगा (और) उस (जन्नत) में वे हमेशा-हमेशा रहेंगे, वह कैसा अच्छा ठिकाना और मक़ाम है (जैसे जहन्नम के बारे में 'ठहरने की बुरी जगह' फ़रमाया है)।

(ऐ पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) आप (सार्वजनिक तौर पर लोगों से) कह दीजिये कि मेरा रब तुम्हारी ज़रा भी परवाह न करेगा अगर तुम इबादत न करोगे। सो (इससे समझ लेना चाहिए कि ऐ काफ़िरो!) तुम तो (अल्लाह के अहकाम को) झूठा समझते हो तो जल्द ही यह (झूठा समझना तुम्हारे लिये जान का) वबाल हो (कर रहे) गा (चाहे दुनिया में जैसे जंगे बदर के वाक़िए में काफ़िरों पर मुसीबत आई या आख़िरत में और वह ज़ाहिर है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

सूरः फ़ुरक़ान के ज़्यादातर मज़ामीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की रिसालत व नुबुव्वत के सुबूत और काफ़िर व मुश्रिक लोग जो इस पर एतिराज़ करते थे उनके जवाबों पर आधारित थे और इसमें काफ़िरों व मुश्रिकों और अहकाम की नाफ़रमानी करने वालों पर अ़ज़ाब व

सज़ा का भी ज़िक्र था। सूरत के आख़िर में अपने उन ख़ास और मक़बूल बन्दों का ज़िक्र फ़रमाते हैं जिनका रिसालत पर ईमान भी मुकम्मल है और उनके अ़क़ीदे, आमाल, अख़्लाक़, आ़दतें सब अल्लाह व रसूल की मर्ज़ी के ताबे और शरई अहकाम के मुताबिक़ हैं।

क़ुरआने करीम ने ऐसे ख़ास और विशेष बन्दों को 'इबादुर्रहमान' का लक़ब (ख़िताब) अ़ता फ़रमाया जो उनका सबसे बड़ा सम्मान है। यूँ तो सारी ही मख़्लूक़ फ़ितरी और जबरी तौर पर अल्लाह की बन्दगी और उसकी मशीयत व इरादे के ताबे है, उसके इरादे के बग़ैर कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर यहाँ बन्दगी से मुराद शरई और इख़्तियारी बन्दगी है। यानी अपने इख़्तियार से अपने वजूद और अपनी तमाम इच्छाओं और तमाम कामों को अल्लाह तआ़ला की मर्ज़ी के ताबे बना देना, ऐसे मख़्सूस बन्दे जिनको हक़ तआ़ला ने ख़ुद अपना बन्दा कहकर इज़्ज़त बख़्शी है उनके औसाफ़ (सिफ़तें, ख़ूबियाँ और गुण) सूरत के आख़िर तक बयान किये गये हैं, बीच में कुफ़्र व नाफ़रमानी से तौबा और उसके प्रभावों का ज़िक्र आया है।

यहाँ इन मख़्सूस बन्दों को अपना बन्दा फ़रमाकर उनको सम्मानित लक़ब देना था मगर अपनी तरफ़ निस्बत करने के लिये अल्लाह तआ़ला के तमाम पाक नामों और कमाली सिफ़ात में से इस जगह लफ़्ज़ **रहमान** को शायद इसलिये चुना गया कि अल्लाह के मक़बूल बन्दों की आ़दात व सिफ़ात अल्लाह तआ़ला की सिफ़त **रहमानियत** की तर्जुमान और प्रतीक होनी चाहियें, इसकी तरफ़ इशारा करना मन्ज़ूर है।

अल्लाह तआ़ला के मक़बूल बन्दों की मख़्सूस सिफ़ात व निशानियाँ

उपर्युक्त आयतों में अल्लाह के मख़्सूस और मक़बूल बन्दों की तेरह सिफ़तों और निशानियों का ज़िक्र आया है जिनमें अ़क़ीदों के सही करने और अपने ज़ाती आमाल में चाहे वो बदन से मुताल्लिक़ हों या माल से, सब में अल्लाह व रसूल के अहकाम और मर्ज़ी की पाबन्दी। दूसरे इनसानों के साथ मुआ़शरत (रहन-सहन और ज़िन्दगी गुज़ारने) और ताल्लुक़ात का तरीक़ा, रात-दिन की इबादत गुज़ारी के साथ अल्लाह का ख़ौफ़, तमाम गुनाहों से बचने की पाबन्दी और अपने साथ अपनी औलाद व बीवियों की इस्लाह की फ़िक्र वग़ैरह शामिल हैं।

उनका सबसे **पहला वस्फ़** (सिफ़त और गुण) इबाद होना है। इबाद अ़ब्द की जमा (बहुवचन) है अ़ब्द का तर्जुमा है बन्दा जो अपने आक़ा की मिल्क में हो, उसका वजूद और उसके तमाम इख़्तियार व आमाल आक़ा के हुक्म व मर्ज़ी के ताबे होते हैं।

अल्लाह तआ़ला का बन्दा कहलाने का मुस्तहिक़ वही शख़्स हो सकता है जो अपने अ़क़ीदों व ख़्यालात को और अपने हर इरादे और इच्छा को और अपनी हर हरकत व सुकून को अपने रब के हुक्म और मर्ज़ी के ताबे रखे, हर वक़्त कान लगाये रहे कि जिस काम का हुक्म हो वह पूरा करूँ।

दूसरी सिफ़त है:

يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا.

यानी चलते हैं वे ज़मीन पर तवाज़ो (आजिज़ी और विनम्रता) के साथ। लफ़्ज़ हौन का मफ़्हूम

इस जगह सुकून व वकार और तवाज़ो है, कि अकड़ कर न चले, क़दम घमण्ड भरे अन्दाज़ से न रखे, बहुत आहिस्ता चलना मुराद नहीं, क्योंकि वह बिना ज़रूरत हो तो ख़िलाफ़े सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के चलने की जो सिफ़त हदीस की किताबों में मन्क़ूल है उससे मालूम होता है कि आपका चलना बहुत आहिस्ता नहीं बल्कि किसी क़द्र तेज़ी के साथ था। हदीस में है:

كانّما الارض تطوى لهٗ.

यानी आप ऐसे चलते थे कि गोया ज़मीन आपके लिये सिमटती है। (इब्ने कसीर) इसी लिये पहले बुज़ुर्गों ने तकल्लुफ़ के साथ मरीज़ों की तरह आहिस्ता चलने को तकब्बुर व बनावट की निशानी होने के सबब मक्रूह (बुरा और नापसन्दीदा) क़रार दिया है। हज़रत फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने एक नौजवान को देखा कि बहुत आहिस्ता चल रहा है, पूछा क्या तुम बीमार हो? उसने कहा नहीं, तो आपने उस पर दुर्रा उठाया और हुक्म दिया कि क़ुव्वत के साथ चला करो। (इब्ने कसीर)

हज़रत हसन बसरी रह. ने इस आयतः

يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا.

की तफ़सीर में फ़रमाया कि सच्चे मोमिनों के तमाम बदनी हिस्से व अंग- आँख, कान, हाथ पाँव सब अल्लाह के सामने पस्त और आ़जिज़ होते हैं। नावाक़िफ़ उनको देखकर माज़ूर आ़जिज़ समझता है हालाँकि न वे बीमार हैं न माज़ूर बल्कि तन्दुरुस्त व क़वी हैं मगर उन पर हक़ तआ़ला का ख़ौफ़ ऐसा तारी है जो दूसरों पर नहीं है। उनको दुनिया के धंधों से आख़िरत की फ़िक्र ने रोका हुआ है। और जो शख़्स अल्लाह पर भरोसा नहीं करता और उसकी फ़िक्र दुनिया ही के कामों में लगी रहती है तो वह हमेशा हसरत ही हसरत (अफ़सोस व मायूसी) में रहता है (कि दुनिया तो सारी मिलती नहीं और आख़िरत में उसने हिस्सा नहीं लिया)। और जिस शख़्स ने अल्लाह की नेमत सिर्फ़ खाने पीने की ही चीज़ों को समझा है और ऊँचे अख़्लाक़ की तरफ़ ध्यान नहीं दिया उसका इल्म बहुत थोड़ा है और अ़ज़ाब उसके लिये तैयार है। (इब्ने कसीर, संक्षिप्तता के साथ)

तीसरी सिफ़त है:

وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ○

यानी जब जहालत वाले उनसे ख़िताब करते हैं तो वे कहते हैं- सलाम। यहाँ जाहिलून का तर्जुमा जहालत वालों से करके यह बात वाज़ेह कर दी गयी है कि मुराद इससे बेइल्म आदमी नहीं बल्कि वह जो जहालत के काम और जाहिलाना बातें करे, चाहे वास्तव में वह इल्म वाला भी हो। और लफ़्ज़ सलाम से मुराद यहाँ रिवाजी सलाम नहीं बल्कि सलामती की बात है। इमाम क़ुर्तुबी ने नुहास से नक़ल किया है कि इस जगह सलाम तस्लीम से नहीं निकला बल्कि तसल्लुम से निकला है जिसके मायने हैं सलामत रहना। मुराद यह है कि जाहिलों के जवाब में वह सलामती की बात कहते हैं जिससे दूसरों को तकलीफ़ न पहुँचे और यह गुनाहगार न हो। यही तफ़सीर हज़रत मुजाहिद, मुक़ातिल वग़ैरह से नक़ल की गयी है। (तफ़सीरे मज़हरी)

हासिल यह है कि बेवक़ूफ़ जाहिलाना बातें करने वालों से ये हज़रात बदला लेने का मामला नहीं

करते बल्कि उनसे दरगुज़र करते हैं।

चौथी सिफ़त है:

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا

यानी वे रात गुज़ारते हैं अपने रब के सामने सज्दा करते हुए और खड़े हुए। इबादत में रात को जागने का ज़िक्र ख़ुसूसियत से इसलिये किया गया कि वह वक़्त सोने और आराम करने का है, उसमें नमाज़ व इबादत के लिये खड़ा होना ख़ास मशक़्क़त भी है और उसमें रिया और दिखावे के ख़तरे भी नहीं हैं। मन्शा यह है कि उनके रात व दिन अल्लाह की फ़रमाँबरदारी में लगा हुआ है, दिन को तालीम व तब्लीग़ और अल्लाह के रास्ते में जिहाद वग़ैरह के काम हैं रात को अल्लाह के सामने इबादत गुज़ारी करना है। तहज्जुद की नमाज़ की हदीस में बड़ी फ़ज़ीलत आई है। इमाम तिर्मिज़ी ने हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि रात के खड़े होने यानी तहज्जुद की पाबन्दी करो क्योंकि वह तुम से पहले भी सब नेक बन्दों की आदत रही है, और वह अल्लाह तआला से तुमको क़रीब करने वाली और बुराईयों का कफ़्फ़ारा है और गुनाहों से रोकने वाली चीज़ है। (तफ़सीरे मज़हरी)

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि जिस शख़्स ने इशा के बाद दो या ज़्यादा रकअ़तें पढ़ लीं वह भी इस हुक्म में दाख़िल है कि 'उसने अल्लाह के लिये रात सज्दे और क़ियाम में गुज़ारी'। (तफ़सीरे मज़हरी)

और हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस शख़्स ने इशा की नमाज़ जमाअ़त के साथ अदा कर ली तो आधी रात इबादत में गुज़ारने के हुक्म में हो गया, और जिसने सुबह की नमाज़ जमाअ़त से अदा कर ली वह बाक़ी आधी रात भी इबादत में गुज़ारने वाला समझा जायेगा। (अहमद व मुस्लिम, अज़ तफ़सीरे मज़हरी)

पाँचवीं सिफ़त है:

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ............... الآية.

ये यानी अल्लाह के मक़बूल और ख़ास बन्दे रात-दिन इबादत व नेकी में मसरूफ़ रहने के बावजूद बेख़ौफ़ होकर नहीं बैठ रहते, बल्कि हर वक़्त ख़ुदा का ख़ौफ़ और आख़िरत की फ़िक्र रखते हैं जिसके लिये अ़मली कोशिश भी जारी रहती है और अल्लाह तआला से दुआयें भी।

छठी सिफ़त है:

وَالَّذِيْنَ إِذَآ أَنْفَقُوْا......... الآية.

यानी अल्लाह के मक़बूल बन्दे माल ख़र्च करने के वक़्त न फ़ुज़ूलख़र्ची करते हैं न कन्जूसी व कोताही, बल्कि दोनों के बीच दरमियानी तरीक़े पर क़ायम रहते हैं। आयत में इसराफ़ और उसके मुक़ाबले में इक़्तार के अलफ़ाज़ इस्तेमाल किये गये हैं।

इसराफ़ के लुग़वी मायने हद से निकलने के हैं। शरीअ़त की परिभाषा में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, मुजाहिद रह., क़तादा रह., इब्ने जुरैज रह. के नज़दीक अल्लाह की नाफ़रमानी में

ख़र्च करना इसराफ़ है, अगरचे एक पैसा ही हो। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि जायज़ और मुबाह कामों में ज़रूरत से ज़ायद ख़र्च करना जो तब्ज़ीर यानी फ़ुज़ूलख़र्ची की हद में दाख़िल हो जाये वह भी इसराफ़ के हुक्म में है, क्योंकि तब्ज़ीर यानी फ़ुज़ूलख़र्ची क़ुरआन के स्पष्ट बयान के मुताबिक़ हराम व नाफ़रमानी है। हक़ तआ़ला का इरशाद है:

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ.

इस लिहाज़ से इस तफ़सीर का हासिल भी हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु वग़ैरह की बयान हुई तफ़सीर हो गया, यानी नाफ़रमानी व गुनाह में जो कुछ ख़र्च किया जाये वह इसराफ़ (फ़ुज़ूलख़र्ची) है। (तफ़सीरे मज़हरी)

और **इक़तार** के मायने ख़र्च में तंगी और कन्जूसी करने के हैं। शरीअ़त की परिभाषा में इसके मायने यह हैं कि जिन कामों में अल्लाह व रसूल ने ख़र्च करने का हुक्म दिया है उनमें ख़र्च करने में तंगी बरतना (और बिल्कुल ही ख़र्च न करना और भी ज़्यादा इसमें दाख़िल है)। यह तफ़सीर भी हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु, क़तादा रह. वग़ैरह से मन्क़ूल है। (तफ़सीरे मज़हरी)

आयत का मफ़्हूम (मतलब) यह हुआ कि अल्लाह के मक़बूल बन्दों की सिफ़त माल ख़र्च करने में यह होती है कि फ़ुज़ूलख़र्ची और कन्जूसी व तंगी बरतने के बीच दरमियानी चलन पर अ़मल करते हैं। रसूलुल्लाह सल्ल. का इरशाद है:

مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ قَصْدُهٗ فِيْ مَعِيْشَتِهٖ.

यानी इनसान की अ़क़्लमन्दी की निशानी यह है कि ख़र्च करने में दरमियानी चाल इख़्तियार करे (न फ़ुज़ूलख़र्ची में मुब्तला हो न कन्जूसी में)। (अहमद, हज़रत अबूदर्दा की रिवायत से। इब्ने कसीर)

एक दूसरी हदीस में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

مَاعَالَ مَنِ اقْتَصَدَ.

यानी जो शख़्स ख़र्च में दरमियानी चाल पर क़ायम रहता है वह कभी फ़क़ीर व मोहताज नहीं होता। (अहमद, इब्ने कसीर)

सातवीं सिफ़त है:

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ.

पहली छह सिफ़तों में नेकी व फ़रमाँबरदारी के उसूल आ गये हैं। अब गुनाह व नाफ़रमानी की बुनियादी बातों का बयान है जिनमें पहली चीज़ अ़क़ीदे से मुताल्लिक़ है कि ये लोग अल्लाह के साथ किसी और को इबादत में शरीक नहीं करते, जिससे शिर्क का सबसे बड़ा गुनाह होना मालूम हुआ।

आठवीं और नवीं सिफ़त है:

لَايَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ................ الاٰية.

यह अ़मली गुनाहों में से बड़े-बड़े और सख़्त गुनाहों का बयान है कि अल्लाह के मक़बूल बन्दे इनके पास नहीं जाते। किसी को नाहक़ क़त्ल नहीं करते, और ज़िना के पास नहीं जाते। अ़क़ीदे और

अ़मल के ये तीन बड़े गुनाह बयान फ़रमाने के बाद आयत में इरशाद है:

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا

यानी जो शख़्स इन ज़िक्र हुए गुनाहों का करने वाला होगा वह इसकी सज़ा पायेगा। हज़रत अबू उबैदा ने इस जगह लफ़्ज़ असाम की तफ़सीर गुनाह की सज़ा से की है। और कुछ मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया कि असाम जहन्नम की एक घाटी का नाम है जो सख़्त व दर्दनाक अ़ज़ाबों से भरी हुई है। हदीस की कुछ रिवायतें भी इसके सुबूत में लिखी हैं। (तफ़सीरे मज़हरी)

आगे उस अ़ज़ाब का बयान है जो उक्त अपराधों के करने वालों पर होगा और आयतों के आगे पीछे के मज़मून से यह बात मुतैयन है कि यह अ़ज़ाब काफ़िरों के लिये ख़ास है जिन्होंने शिर्क व कुफ़्र भी किया और उसके साथ क़त्ल व ज़िना में भी मुब्तला हुए। क्योंकि अव्वल तो 'युज़ाअ़फ़् लहुल् अ़ज़ाबु' (दुगना होगा उसको अ़ज़ाब) के अलफ़ाज़ मुसलमान गुनाहगारों के लिये नहीं हो सकते, क्योंकि उनके एक गुनाह पर एक ही सज़ा का वायदा क़ुरआन व सुन्नत में बयान हुआ है। सज़ा में बढ़ोतरी और ज़्यादती मोमिनों के लिये नहीं होगी, यह काफ़िरों की विशेषता है कि कुफ़्र पर जो अ़ज़ाब होना था अगर कुफ़्र के साथ और गुनाह भी किये तो अ़ज़ाब दोहरा हो जायेगा। दूसरे इस अ़ज़ाब में यह भी बयान हुआ है 'व यख़्लुद् फ़ीही मुहाना' यानी वह हमेशा-हमेशा रहेगा उस अ़ज़ाब में ज़लील व रुस्वा होकर। कोई मोमिन हमेशा हमेशा अ़ज़ाब में नहीं रहेगा, कितना ही बड़ा गुनाहगार हो अपने गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद जहन्नम से निकाल लिया जायेगा।

ख़ुलासा यह है कि जो लोग शिर्क व कुफ़्र में भी मुब्तला हुए और क़त्ल व ज़िना में भी, उनका अ़ज़ाब दोहरा और सख़्त भी होगा और फिर वह अ़ज़ाब हमेशा के लिये भी रहेगा। आगे यह बयान है कि ऐसे सख़्त मुजरिम जिनका अ़ज़ाब यहाँ बयान हुआ है अगर वे तौबा कर लें और ईमान लाकर नेक अ़मल करने लगें तो अल्लाह तआ़ला उनकी बुराईयों को अच्छाईयों और नेकियों से तब्दील कर देंगे। मतलब यह है कि उस तौबा के बाद उनके आमाल नामे में नेकियाँ ही नेकियाँ रह जायेंगी क्योंकि शिर्क व कुफ़्र से तौबा करने पर अल्लाह तआ़ला का वायदा यह है कि शिर्क व कुफ़्र की हालत में जितने गुनाह किये हों इस्लाम व ईमान क़ुबूल कर लेने से वो पिछले सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं, इसलिये पिछले ज़माने में जो उनका नामा-ए-आमाल बुराईयों और गुनाहों ही से भरा हुआ था अब ईमान लाने से वो तो सब माफ़ हो गये आगे उन गुनाहों और बुराईयों की जगह ईमान और उसके बाद के नेक आमाल ने ले ली। बुराईयों को अच्छाईयों में तब्दील करने की यह तफ़सीर हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु, हसन बसरी, सईद बिन जुबैर, मुजाहिद रह. वग़ैरह तफ़सीर के इमामों से नक़ल की गयी है। (तफ़सीरे मज़हरी)

इमाम इब्ने कसीर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने इसकी एक दूसरी तफ़सीर यह भी नक़ल की है कि उन्होंने जितने गुनाह कुफ़्र व जहालत के ज़माने में किये थे, ईमान लाने के बाद उन सब गुनाहों की जगह नेकियाँ लिख दी जायेंगी। और वजह इसकी यह है कि ईमान लाने के बाद जब कभी उन लोगों को अपने पिछले गुनाह याद आयेंगे तो उन पर शर्मिन्दा होंगे और फिर नये सिरे से तौबा करेंगे, उनके इस अ़मल से वो गुनाह नेकियों में तब्दील हो जायेंगे। इसकी दलील में हदीस की कुछ रिवायतें भी पेश

फ़रमाई हैं।

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهٗ يَتُوْبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَابًا٥

बज़ाहिर यह उसी मज़मून को दोहराया गया है जो इससे पहले आयत में आया है यानीः

إِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا.

और इमाम क़ुर्तुबी ने क़िफ़ाल से यह नक़ल किया है कि यह तौबा पहली तौबा से भिन्न और अलग है। क्योंकि पहला मामला काफ़िरों व मुश्रिकों का था जो क़त्ल व ज़िना में भी मुब्तला हुए थे, फिर ईमान ले आये तो उनकी बुराईयाँ नेकियों से बदल दी गयीं। और यहाँ मुसलमान गुनाहगारों की तौबा का ज़िक्र है। इसलिये पहली तौबा के साथ **व आम-न** यानी उसके ईमान लाने का ज़िक्र था, इस दूसरी तौबा में वह बयान नहीं हुआ जिससे मालूम होता है कि यह तौबा उन लोगों की ज़िक्र की गयी है जो पहले से मोमिन ही थे मगर ग़फ़लत से क़त्ल व ज़िना में मुब्तला हो गये, तो उनके बारे में यह आयत नाज़िल हुई कि ऐसे लोग अगर तौबा कर लेने के बाद सिर्फ़ ज़बानी तौबा पर बस न करें बल्कि आईन्दा के लिये अपने अ़मल को भी अच्छा और दुरुस्त बना लें तो उनका तौबा करना सही और दुरुस्त समझा जायेगा। इसी लिये शर्त के तौर पर तौबा कर लेने के शुरू का हाल ज़िक्र करने के बाद उसकी जज़ा में भी **यतूबु** का ज़िक्र करना सही हो गया, क्योंकि शर्त में जिस तौबा का ज़िक्र है वह सिर्फ़ ज़बानी तौबा है और जज़ा में जिस तौबा का ज़िक्र है वह नेक अ़मल पर मुरत्तब है।

मतलब यह हो गया कि जिसने तौबा कर ली फिर अपने अ़मल से भी उस तौबा का सुबूत दिया तो व सही तौर पर अल्लाह की तरफ़ रुजू करने वाला समझा जायेगा, बख़िलाफ़ उसके जिसने पिछले गुनाह से तौबा तो की मगर आगे के अ़मल में उसका कोई सुबूत न दिया तो उसकी तौबा गोया तौबा ही नहीं। इस आयत के मज़मून का ख़ुलासा यह हो गया कि जो मुसलमान ग़फ़लत से गुनाह में मुब्तला हो गया फिर तौबा कर ली और उस तौबा के बाद अपने अ़मल की भी ऐसी इस्लाह (सुधार) कर ली कि उसके अ़मल से तौबा का सुबूत मिलने लगा तो यह तौबा भी अल्लाह के यहाँ मक़बूल हो गयी और बज़ाहिर इसका फ़ायदा भी वही होगा जो पहली आयत में बतलाया गया है कि उसके गुनाह और बुराईयों को अच्छाईयों और नेकियों से बदल दिया जायेगा।

अल्लाह के ख़ास और मक़बूल बन्दों की विशेष सिफ़ात का बयान ऊपर से हो रहा था, बीच में गुनाह के बाद तौबा कर लेने के अहकाम का बयान आया, उसके बाद बाक़ी सिफ़ात का बयान है।

दसवीं सिफ्त हैः

وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ.

यानी ये लोग झूठ और बातिल की मज्लिसों में शरीक नहीं होते। सब से बड़ा झूठ और बातिल तो शिर्क व कुफ़्र है, उसके बाद झूठ और गुनाह के आ़म काम हैं। आयत का मतलब यह है कि अल्लाह तआ़ला के मक़बूल बन्दे ऐसी मज्लिसों में शिर्कत से भी गुरेज़ करते हैं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि इससे मुराद मुश्रिकों के मेले, उत्सव और त्यौहार वग़ैरह हैं। हज़रत मुजाहिद और मुहम्मद बिन हनफ़िया ने फ़रमाया कि इससे मुराद गाने बजाने की मेहफ़िलें हैं। अ़मर

बिन क़ैस ने फ़रमाया कि बेहयाई और नाच रंग की मेहफ़िलें मुराद हैं। ज़ोहरी और इमाम मालिक ने फ़रमाया कि शराब पीने पिलाने की मज्लिसें मुराद हैं। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

और हक़ीक़त यह है कि इन अक़वाल में कोई भिन्नता और टकराव नहीं, ये सारी ही मज्लिसें झूठ की मज्लिसें कही जाने के लायक़ हैं। अल्लाह के नेक बन्दों को ऐसी मेहफ़िलों ही से परहेज़ करना चाहिये, क्योंकि बेहूदा व बातिल चीज़ों को अपने इरादे से देखना भी उनमें शरीक होने के हुक्म में है। (तफ़सीरे मज़हरी)

और मुफ़स्सिरीन में से कुछ हज़रात ने 'ला यशहदूनज़्ज़ू-र' में यशहदू-न को शहादत गवाही के मायने में लिया है, और आयत के मायने यह क़रार दिये कि ये लोग झूठी गवाही नहीं देते। झूठी गवाही का बड़ा गुनाह और सख़्त वबाल होना क़ुरआन व सुन्नत में मालूम व मशहूर है। बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने झूठी गवाही को बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह फ़रमाया है।

हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि जिस शख़्स के मुताल्लिक़ साबित हो जाये कि उसने झूठी गवाही दी है तो उसको चालीस कोड़ों की सज़ा दी जाये और उसका मुँह काला करके बाज़ार में फिराया जाये और रुस्वा किया जाये, फिर लम्बे समय तक क़ैद में रखा जाये। (इब्ने अबी शैबा व अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक। तफ़सीरे मज़हरी)

ग्यारहवीं सिफ़त है:

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ٥

यानी अगर बेकार और बेहूदा मज्लिसों पर कभी उनका गुज़र इत्तिफ़ाक़न हो जाये तो वे संजीदगी और शराफ़त के साथ गुज़र जाते हैं। मतलब यह है कि ऐसी मज्लिसों में ये लोग जिस तरह अपने इरादे से शरीक नहीं होते इसी तरह अगर कहीं इत्तिफ़ाक़ी तौर पर उनका किसी ऐसी मज्लिस पर गुज़र हो जाये तो उस बुराई और गुनाह की मज्लिस पर से शराफ़त के साथ गुज़रे चले जाते हैं। यानी उनके उस फ़ेल को बुरा और क़ाबिले नफ़रत जानते हुए, न गुनाहों में मुब्तला लोगों की बेइज़्ज़ती व अपमान करते हैं और न ख़ुद अपने आपको उनसे अफ़ज़ल व बेहतर समझकर तकब्बुर में मुब्तला होते हैं। हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु का एक दिन इत्तिफ़ाक़ से किसी बेहूदा और ग़लत मज्लिस पर गुज़र हो गया तो वहाँ ठहरे नहीं, गुज़रे चले गये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को यह मालूम हुआ तो फ़रमाया कि इब्ने मसऊद करीम हो गये और यह आयत तिलावत फ़रमाई जिसमें बेहूदा मज्लिस से करीम व शरीफ़ लोगों की तरह गुज़र जाने का हुक्म है। (इब्ने कसीर)

बारहवीं सिफ़त है:

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ٥

यानी उन मक़बूल बन्दों की यह शान है कि जब उनको अल्लाह की आयतों और आख़िरत की याद दिलाई जाती है तो वे उन आयतों की तरफ़ अंधों बहरों की तरह मुतवज्जह नहीं होते बल्कि सुनने देखने वाले इनसान की तरह उनमें ग़ौर करते हैं और उन पर अ़मल करते हैं। ग़ाफ़िल और

लापरवाह लोगों की तरह ऐसा मामला नहीं करते कि उन्होंने सुना ही नहीं या देखा ही नहीं। इस आयत में दो चीज़ें बयान हुई हैं- एक अल्लाह की आयतों पर गिर पड़ना यानी एहतिमाम के साथ मुतवज्जह होना, यह तो अच्छा व पसन्दीदा काम और बहुत बड़ी नेकी है। दूसरे अंधों बहरों की तरह गिरना कि क़ुरआन की आयतों पर तवज्जोह तो दें मगर या तो उस पर अ़मल करने में मामला ऐसा करें कि गोया उन्होंने सुना और देखा ही नहीं, और या क़ुरआन की आयतों पर अ़मल भी करें मगर उनको सही उसूल और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम व ताबिईन रह. की तफ़सीर व बयान के ख़िलाफ़ अपनी राय या सुनी सुनाई बातों के ताबे करके ग़लत अ़मल करें, यह भी एक तरह से अंधे बहरे होकर ही गिरने के हुक्म में है।

दीनी अहकाम का सिर्फ़ पढ़ लेना काफ़ी नहीं

दीन के अहकाम का सिर्फ़ पढ़ना और अध्ययन काफ़ी नहीं बल्कि उम्मत के पहले बुज़ुर्गों की तफ़सीर के मुताबिक़ समझकर अ़मल करना ज़रूरी है।

ऊपर बयान हुई आयतों में जिस तरह इस बात की सख़्त निंदा है कि अल्लाह की आयतों की तरफ़ तवज्जोह ही न दें, अंधों बहरों के जैसा मामला करें, इसी तरह इसकी भी बुराई व निंदा है कि तवज्जोह तो दें और अ़मल भी करें मगर बिना समझ-बूझ के, अपनी राय से जिस तरह चाहें अ़मल करने लगें। इमाम इब्ने कसीर रह. ने इब्ने औ़न से नक़ल किया है कि उन्होंने हज़रत शअ़बी रह. से पूछा कि अगर मैं किसी मज्लिस में पहुँचूँ जहाँ लोग सज्दे में पड़े हों और मुझे मालूम नहीं कि कैसा सज्दा है तो क्या मैं भी उनके साथ सज्दे में शरीक हो जाऊँ? हज़रत शअ़बी रह. ने फ़रमाया- नहीं। मोमिन के लिये यह दुरुस्त नहीं है कि बेसमझे किसी काम में लग जाये, बल्कि उस पर लाज़िम है कि समझ-बूझ के साथ अ़मल करे। जब तुमने सज्दे की वह आयत नहीं सुनी जिसकी बिना पर वे लोग सज्दा कर रहे हैं और तुम्हें उनके सज्दे की हक़ीक़त भी मालूम नहीं तो इस तरह उनके साथ सज्दे में शरीक होना जायज़ नहीं।

इस ज़माने में यह बात तो क़ाबिले शुक्र है कि नौजवान और नई तालीम पढ़े हुए तब्क़े में क़ुरआन पढ़ने और उसके समझने की तरफ़ कुछ तवज्जोह पैदा हुई है और उसके तहत वे अपने आप क़ुरआन का तर्जुमा या किसी की तफ़सीर देखकर क़ुरआन को ख़ुद समझने की कोशिश भी करते हैं, मगर यह कोशिश बिल्कुल बेउसूल है। इसलिये क़ुरआन को सही समझने के बजाय बहुत से मुग़ालतों (धोखों और ग़लत फ़हमियों) के शिकार हो जाते हैं। उसूल की बात यह है कि दुनिया का कोई मामूली से मामूली फ़न भी सिर्फ़ किताब के मुताले (अध्ययन) से किसी को सही मायनों में हासिल नहीं हो सकता, जब तक उसको किसी उस्ताद से न पढ़े। मालूम नहीं क़ुरआन और क़ुरआनी उलूम ही को क्यों ऐसा समझ लिया गया है कि जिसका जी चाहे ख़ुद तर्जुमा देखकर जो चाहे उसका मतलब मुतैयन कर ले। यह बेउसूल मुताला (अध्ययन) जिसमें किसी माहिर उस्ताद की रहनुमाई शामिल न हो यह भी अल्लाह की आयतों पर अंधे बहरे होकर गिरने के मतलब में शामिल है। अल्लाह तआ़ला हम सब को सही रास्ते की तौफ़ीक़ बख़्शें।

तेहरवीं सिफ़त है:

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا○

इसमें अपनी औलाद और बीवियों के लिये अल्लाह तआ़ला से यह दुआ़ है कि उनको मेरे लिये आँखों की ठण्डक बना दे। आँखों की ठण्डक बनाने से मुराद हज़रत हसन बसरी रह. की तफ़सीर के मुताबिक़ यह है कि उनको अल्लाह की फ़रमाँबरदारी हैं मशग़ूल देखे, यही एक इनसान के लिये आँखों की असली ठण्डक है, और अगर औलाद व बीवियों की ज़ाहिरी सेहत व आफ़ियत और ख़ुशहाली भी इसमें शामिल की जाये तो वह भी दुरुस्त है।

यहाँ इस दुआ़ से इस तरफ़ इशारा है कि अल्लाह के मक़बूल बन्दे सिर्फ़ अपने नफ़्स की इस्लाह (सुधार) और नेक आमाल पर क़नाअ़त नहीं कर लेते बल्कि अपनी औलाद और बीवियों के भी आमाल व अख़्लाक़ की इस्लाह (दुरुस्त होने) की फ़िक्र करते हैं और उसके लिये कोशिश करते रहते हैं। इसी कोशिश में से एक यह भी है कि उनकी बेहतरी के लिये अल्लाह तआ़ला से दुआ़ माँगता रहे। इस आयत के अगले जुमले में दुआ़ का यह हिस्सा भी है:

وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا○

यानी हमें मुत्तक़ी लोगों का इमाम और पेशवा बना दे। इसमें बज़ाहिर अपने लिये रुतबा व पद और बड़ाई हासिल करने की दुआ़ है जो दूसरी क़ुरआनी वज़ाहतों की रू से मना है, जैसे क़ुरआन का इरशाद है:

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا.

यानी हमने आख़िरत के घर को मख़्सूस कर रखा है उन लोगों के लिये जो ज़मीन में अपनी बुलन्दी और बड़ाई नहीं चाहते, और न ज़मीन में फ़साद बरपा करना चाहते हैं। इसलिये कुछ उलेमा ने इस आयत की तफ़सीर में फ़रमाया कि हर शख़्स अपने घर वालों और बाल-बच्चों का क़ुदरती तौर पर इमाम व पेशवा होता ही है इसलिये इस दुआ़ का हासिल यह हो गया कि हमारी औलाद और घर वालों को मुत्तक़ी बना दीजिए और जब वे मुत्तक़ी हो जायेंगे तो तबई तौर पर यह शख़्स मुत्तक़ी लोगों का इमाम व पेशवा (रहबर व सरदार) कहलायेगा। जिसका हासिल यह है कि यहाँ अपनी बड़ाई की दुआ़ नहीं बल्कि औलाद व बीवियों के परहेज़गार बनाने की दुआ़ है। और हज़रत इब्राहीम नख़ई रह. ने फ़रमाया कि इस दुआ़ में अपने लिये कोई सरदारी व इमामत और पेशवाई तलब करना मक़सूद नहीं बल्कि मक़सद इस दुआ़ का यह है कि हमें ऐसा बना दीजिये कि लोग दीन व अ़मल में हमारी पैरवी किया करें और हमारे इल्म व अ़मल से उनको नफ़ा पहुँचे, ताकि उसका सवाब हमें हासिल हो। और हज़रत मक्हूल शामी रह. ने फ़रमाया कि दुआ़ का मक़सद अपने लिये तक़वे का ऐसा आला मुक़ाम हासिल करना है कि दुनिया के मुत्तक़ी लोगों को भी हमारे अ़मल से फ़ायदा पहुँचे। इमाम क़ुर्तुबी ने ये दोनों क़ौल नक़ल करने के बाद फ़रमाया कि इन दोनों का हासिल एक ही है कि सरदारी व इमामत की तलब जो दीन के लिये और आख़िरत के फ़ायदे के लिये हो वह बुरी नहीं बल्कि जायज़ है। और आयत 'ला युरीदू-न उलुव्वन्' (वे अपनी बड़ाई और ऊँचा उठने का इरादा नहीं

करते) में उस सरदारी व सत्ता की इच्छा की बुराई और निंदा है जो दुनियावी इज़्ज़त व रुतबे के लिये हो। वल्लाहु आलम। यहाँ तक 'इबादुर्रहमान' यानी कामिल मोमिनों की अहम सिफ़ात का बयान पूरा हो गया, आगे उनकी जज़ा (बदले) और आख़िरत के दर्जों का ज़िक्र है।

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ

गुरफ़ा के लुग़वी मायने बालाख़ाने (चौबारे) के हैं। जन्नत में अल्लाह के ख़ास और क़रीबी बन्दों के लिये ऐसे बालाख़ाने होंगे जो आ़म जन्नत वालों को ऐसे नज़र आयेंगे जैसे ज़मीन वाले सितारों को देखते हैं। (बुख़ारी व मुस्लिम वग़ैरह, मज़हरी)

मुस्नद अहमद, बैहक़ी, तिर्मिज़ी, हाकिम में हज़रत अबू मालिक अश्अ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जन्नत में ऐसे बालाख़ाने होंगे जिनका अन्दरूनी हिस्सा बाहर से और बाहरी हिस्सा अन्दर से नज़र आता होगा। लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह! ये बालाख़ाने किन लोगों के लिये हैं? आपने फ़रमाया जो शख़्स अपने कलाम को नर्म और पाक रखे और हर मुसलमान को सलाम करे और लोगों को खाना खिलाये और रात को उस वक़्त तहज्जुद की नमाज़ पढ़े जब लोग सो रहे हों। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَٰمًا ۝

यानी जन्नत की दूसरी नेमतों के साथ उनको यह सम्मान भी हासिल होगा कि फ़रिश्ते उनको मुबारकबाद देंगे और सलाम करेंगे। यहाँ तक पक्के सच्चे मोमिनों की ख़ुसूसी आ़दतों, आमाल और उनकी जज़ा व सवाब का ज़िक्र था, आख़िरी आयत में फिर काफ़िरों व मुश्रिकों को अ़ज़ाब से डराकर सूरत को ख़त्म किया गया है। फ़रमायाः

قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ

इस आयत की तफ़सीर में विभिन्न अक़वाल हैं, ज़्यादा स्पष्ट और आसान वह है जिसको ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में ऊपर लिखा गया है कि अल्लाह के नज़दीक तुम्हारी कोई वक़अ़त व हैसियत न होती अगर तुम्हारी तरफ़ से अल्लाह को पुकारना और उसकी इबादत करना न होता। क्योंकि इनसान की तख़्लीक़ (पैदाईश) का मन्शा व मक़सद ही यह है कि वह अल्लाह की इबादत करे जैसा कि सूरः तूर की एक आयत में हैः

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

यानी मैंने इनसान और जिन्नात को और किसी काम के लिये पैदा नहीं किया सिवाय इसके कि वे मेरी इबादत करें।

यह तो एक आ़म क़ानून बयान हुआ कि बग़ैर इबादत के इनसान की कोई क़द्र व क़ीमत और वक़अ़त व हैसियत नहीं है, उसके बाद काफ़िर व मुश्रिक लोग जो रिसालत और इबादत ही के इनकारी हैं उनको ख़िताब हैः

فَقَدْ كَذَّبْتُمْ

यानी तुमने तो सब चीज़ों को झुठला ही दिया है अब तुम्हारी कोई वक़्अत अल्लाह के नज़दीक नहीं। आगे फ़रमायाः

فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا ۝

यानी अब यह झुठलाना और कुफ़्र तुम्हारे गले का हार बन चुके हैं और तुम्हारे साथ लगे रहेंगे यहाँ तक कि जहन्नम के हमेशा वाले अ़ज़ाब में मुब्तला करके छोड़ेंगे। हम दोज़ख़ वालों के हाल से अल्लाह की पनाह माँगते हैं।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः फ़ुरक़ान की तफ़सीर 13 सफ़र सन् 1391 इतवार के दिन पूरी हुई। यहाँ पहुँचकर अल्हम्दु लिल्लाह सात मन्ज़िलों में से चार मन्ज़िलें मुकम्मल हो चुकीं। अल्लाह की ज़ात पाक है और यह नाचीज़ इस तफ़सीर के बाक़ी हिस्से की तकमील की तौफ़ीक़ की उसी से मदद चाहता है। वह हर चीज़ पर ग़ालिब है।

अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि सूरः फ़ुरक़ान की तफ़सीर मुकम्मल हुई।

सूरः शु-अ़रा

सूरः शु-अ़रा मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 227 आयतें और 11 रुकूअ़ हैं।

طٰسٓمٓ ۝ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝ اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ۝ وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ ۝ فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝ اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ۝ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۚ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

ع 1 5

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

तॉ-सीन्-मीम् (1) तिल्-क आयातुल्-किताबिल्-मुबीन (2) लअ़ल्ल-क बाख़िअ़ुन्-नफ़्स-क अल्-ला यकूनू मुअ्मिनीन (3) इन् न-शअ् नुनज़्ज़िल् अ़लैहिम् मिनस्समा-इ आ-यतन् फ़-ज़ल्लत् अअ़्नाक़ुहुम् लहा ख़ाज़िअ़ीन (4) व मा यअ्तीहिम् मिन् ज़िक्रिम् मिनर्रह्मानि मुह्दसिन् इल्ला कानू अ़न्हु मुअ़्रिज़ीन (5) फ़-क़द् कज़्ज़बू फ़-सयअ्तीहिम् अम्बा-उ मा कानू बिही	तॉ-सीन्-मीम्। (1) ये आयतें हैं खुली किताब की (2) शायद तू घोंट मारे अपनी जान इस बात पर कि वे यक़ीन नहीं करते। (3) अगर हम चाहें उतारें उन पर आसमान से एक निशानी फिर रह जायें उनकी गर्दनें उसके आगे नीची। (4) और नहीं पहुँचती उनके पास कोई नसीहत रहमान से नई जिससे मुँह नहीं मोड़ते। (5) सो ये तो झुठला चुके अब पहुँचेगी उन पर हक़ीक़त उस बात की जिस पर

यस्तह्ज़िऊन (6) अ-व लम् यरौ इलल्-अर्ज़ि कम् अम्बत्ना फ़ीहा मिन् कुल्लि ज़ौजिन् करीम (7) इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआ-यतन्, व मा का-न अक्सरुहुम् मुअ्मिनीन (8) व इन्-न रब्ब-क लहुवल् अज़ीज़ुर्रहीम (9) ✿	ठट्ठे करते थे। (6) क्या नहीं देखते वे ज़मीन को कितनी उगाईं हमने उसमें हर एक किस्म की ख़ासी चीज़ें। (7) उसमें यकीनन निशानी है और उनमें बहुत लोग नहीं मानने वाले। (8) और तेरा रब वही है ज़बरदस्त रहम वाला। (9) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ता-सीन्-मीम् (इसके मायने तो अल्लाह ही को मालूम हैं)। ये (मज़ामीन जो आप पर नाज़िल होते हैं) स्पष्ट किताब (यानी क़ुरआन) की आयतें हैं। (और ये लोग जो इस पर ईमान नहीं लाते तो आप इतना ग़म क्यों करते हैं कि मालूम होता है कि) शायद आप उनके ईमान न लाने पर (अफ़सोस करते-करते) अपनी जान दे देंगे। (असल यह है कि यह इम्तिहान का जहान है इसमें हक़ के साबित करने पर वही दलीलें क़ायम की जाती हैं जिनके बाद भी ईमान लाना बन्दे के इख़्तियार में रहता है वरना) अगर हम (जबरन और बेइख़्तियार करके उनको मोमिन करना) चाहें तो उन पर आसमान से एक (ऐसी) बड़ी निशानी नाज़िल कर दें (कि उनका इख़्तियार ही बिल्कुल ख़त्म हो जाये) फिर उनकी गर्दनें उस निशानी (के आने) से झुक जाएँ। (और मजबूर होकर मोमिन बन जायें लेकिन ऐसा करने से आज़माईश बाक़ी न रहेगी इसलिये ऐसा नहीं किया जाता, और मामला जबर व इख़्तियार के दरमियान रहता है) और (उनकी हालत यह है कि) उनके पास कोई ताज़ा तंबीह (हज़रते) रहमान (जल्ल शानुहू) की तरफ़ से ऐसी नहीं आती जिससे ये बेरुख़ी न करते हों। सो (उस बेरुख़ी की यहाँ तक नौबत पहुँची कि) उन्होंने (दीने हक़ को) झूठा बतला दिया, (जो मुँह मोड़ने का आख़िरी दर्जा है और सिर्फ़ उसके शुरूआती दर्जे यानी बेतवज्जोही पर बस नहीं किया, और फिर झुठलाना भी ख़ाली नहीं बल्कि मज़ाक़ उड़ाने के साथ) सो अब जल्द ही उनको उस बात की हक़ीक़त मालूम हो जायेगी जिसके साथ ये हंसी-मज़ाक़ किया करते थे (यानी जब अल्लाह के अज़ाब का मौत के वक़्त या क़ियामत में मुआयना होगा उस वक़्त क़ुरआन के और जो कुछ क़ुरआन में है यानी अज़ाब वग़ैरह उसका हक़ होना इन पर ज़ाहिर हो जायेगा)।

क्या इन्होंने ज़मीन को नहीं देखा (जो इनसे बहुत क़रीब और हर वक़्त आँखों के सामने है) कि हमने उसमें किस क़द्र उम्दा-उम्दा क़िस्म की बूटियाँ उगाई हैं (जो दूसरी तमाम चीज़ों की तरह अपने बनाने वाले के वजूद और उसके बेमिसाल और कामिल क़ुदरत वाला होने पर दलालत करती हैं कि) इसमें (अल्लाह के अपनी ज़ात, सिफ़ात और कामों में अकेला व बेमिस्ल होने की) एक बड़ी (अक़्ली) निशानी है, (और यह मसला भी अक़्ली है कि ख़ुदाई के लिये ज़ाती व सिफ़ाती कमाल शर्त है और

मज़कूर कमाल की अनिवार्यता में से है कि वह ख़ुदाई में अकेला हो) और (बावजूद इसके) उनमें अक्सर लोग ईमान नहीं लाते (और शिर्क करते हैं। ग़र्ज़ कि शिर्क करना नुबुव्वत के इनकार से भी बढ़कर है। इससे मालूम हुआ कि उनकी दुश्मनी व बैर ने उनकी फ़ितरत को बिल्कुल बेकार और ख़राब कर दिया, फिर ऐसों के पीछे क्यों जान खोई जाये) और (अगर उनको अल्लाह के नज़दीक शिर्क के बुरा व नापसन्दीदा होने में यह शुब्हा हो कि हम पर अ़ज़ाब फ़ौरन क्यों नहीं आ जाता तो इसकी वजह यह है कि) बेशक आपका रब (बावजूद इसके कि) ग़ालिब (और कामिल क़ुदरत वाला) है (मगर इसके साथ ही) रहीम (भी) है (और उसकी सार्वजनिक रहमत दुनिया में काफ़िरों से भी जुड़ी हुई है, उसका असर यह है कि इनको मोहलत दे रखी है वरना कुफ़्र यक़ीनन बुरा और अ़ज़ाब को लाने वाला है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ.................الاٰية.

बाख़िउन् बख़्उन् से निकला है जिसके मायने यह हैं कि ज़िबह करते-करते बिख़ाअ़् तक पहुँच जाये जो गर्दन की एक रग है। और इस जगह बाख़िउन् से मुराद अपने आपको तकलीफ़ और मशक़्क़त में डालना है। अ़ल्लामा अ़स्करी ने फ़रमाया कि इस जैसे मक़ामात में अगरचे सूरत ख़बर देने वाले जुमले की है मगर हक़ीक़त में इससे मुराद नही और मना करना है। मतलब यह है कि ऐ पैग़म्बर! अपनी क़ौम के कुफ़्र और इस्लाम से मुँह फेर लेने के सबब इतना रंज न कीजिए कि जान घुलने लगे। इस आयत से एक तो यह मालूम हुआ कि किसी काफ़िर के बारे में अगर यह मालूम भी हो जाये कि उसकी तक़दीर में ईमान लाना नहीं है तब भी उसको तब्लीग़ करने से रुकना नहीं चाहिये। दूसरे यह मालूम हुआ कि मेहनत व मशक़्क़त में दरमियानी राह इख़्तियार करनी चाहिए और जो शख़्स हिदायत न पाये उस पर ज़्यादा रंज व ग़म न किया जाये।

اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَo

अ़ल्लामा ज़मख़्शरी रह. ने फ़रमाया कि असल कलाम 'फ़ज़ल्लू लहा ख़ाज़िअ़ीन' है। यानी काफ़िर इस बड़ी निशानी को देखकर ताबे हो जायें और झुक जायें, लेकिन यहाँ अअ़्नाक़ का लफ़्ज़ यह ज़ाहिर करने के लिये लाया गया है कि झुकने और आ़जिज़ी करने की जगह ज़ाहिर हो जाये, क्योंकि झुकना वग़ैरह और आ़जिज़ी करना सबसे पहले गर्दन पर ज़ाहिर होता है। इस आयत का मज़मून यह है कि हम इस पर भी क़ादिर हैं कि अपनी तौहीद और कामिल क़ुदरत की कोई निशानी ज़ाहिर कर दें जिससे शरई अहकाम और अल्लाह की निशानियाँ बिल्कुल आसान होकर सामने आ जायें और किसी को इनकार करने की मजाल न रहे, और यही ग़ौर व फ़िक्र इनसान की आज़माईश है, इसी पर सवाब व अ़ज़ाब मुरत्तब है। आसानी से समझ में आने वाली चीज़ों का इक़रार तो एक तबई और ज़रूरी चीज़ है, उसमें बन्दगी और इताअ़त की शान नहीं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

زَوْجٍ كَرِيْمٍo

ज़ौज के लफ़्ज़ी मायने जोड़े के हैं, इसी लिये मर्द व औरत, नर व मादा को ज़ौज कहा जाता है। बहुत से पेड़-पौधों में भी नर व मादा होते हैं, उनको इस मुनासबत से भी ज़ौज कहा जा सकता है। और कभी लफ़्ज़ 'ज़ौज' एक ख़ास क़िस्म और प्रजाति के मायने में भी आता है, इस मायने के लिहाज़ से पेड़-पौधों की हर क़िस्म को ज़ौज कहा जा सकता है। और करीम के मायने हैं उम्दा और पसन्दीदा चीज़।

وَاِذۡ نَادٰى رَبُّكَ مُوۡسٰٓى اَنِ ائۡتِ الۡقَوۡمَ الظّٰلِمِيۡنَ ﴿۱۰﴾ قَوۡمَ فِرۡعَوۡنَ ؕ اَلَا يَتَّقُوۡنَ ﴿۱۱﴾ قَالَ رَبِّ
اِنِّىۡۤ اَخَافُ اَنۡ يُّكَذِّبُوۡنِ ﴿۱۲﴾ وَيَضِيۡقُ صَدۡرِىۡ وَلَا يَنۡطَلِقُ لِسَانِىۡ فَاَرۡسِلۡ اِلٰى هٰرُوۡنَ ﴿۱۳﴾ وَلَهُمۡ عَلَىَّ
ذَنۡۢبٌ فَاَخَافُ اَنۡ يَّقۡتُلُوۡنِ ﴿۱۴﴾ قَالَ كَلَّا ۚ فَاذۡهَبَا بِاٰيٰتِنَاۤ اِنَّا مَعَكُمۡ مُّسۡتَمِعُوۡنَ ﴿۱۵﴾ فَاۡتِيَا فِرۡعَوۡنَ فَقُوۡلَاۤ
اِنَّا رَسُوۡلُ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿۱۶﴾ اَنۡ اَرۡسِلۡ مَعَنَا بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ ﴿۱۷﴾ قَالَ اَلَمۡ نُرَبِّكَ فِيۡنَا وَلِيۡدًا وَّلَبِثۡتَ
فِيۡنَا مِنۡ عُمُرِكَ سِنِيۡنَ ﴿۱۸﴾ وَفَعَلۡتَ فَعۡلَتَكَ الَّتِىۡ فَعَلۡتَ وَاَنۡتَ مِنَ الۡكٰفِرِيۡنَ ﴿۱۹﴾ قَالَ فَعَلۡتُهَاۤ اِذًا وَّاَنَا
مِنَ الضَّآلِّيۡنَ ﴿۲۰﴾ فَفَرَرۡتُ مِنۡكُمۡ لَمَّا خِفۡتُكُمۡ فَوَهَبَ لِىۡ رَبِّىۡ حُكۡمًا وَّجَعَلَنِىۡ مِنَ الۡمُرۡسَلِيۡنَ ﴿۲۱﴾ وَتِلۡكَ
نِعۡمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ اَنۡ عَبَّدْتَّ بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ ﴿۲۲﴾ قَالَ فِرۡعَوۡنُ وَمَا رَبُّ الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿۲۳﴾ قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ
وَالۡاَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا ؕ اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّوۡقِنِيۡنَ ﴿۲۴﴾ قَالَ لِمَنۡ حَوۡلَهٗۤ اَلَا تَسۡتَمِعُوۡنَ ﴿۲۵﴾ قَالَ رَبُّكُمۡ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ
الۡاَوَّلِيۡنَ ﴿۲۶﴾ قَالَ اِنَّ رَسُوۡلَكُمُ الَّذِىۡۤ اُرۡسِلَ اِلَيۡكُمۡ لَمَجۡنُوۡنٌ ﴿۲۷﴾ قَالَ رَبُّ الۡمَشۡرِقِ وَالۡمَغۡرِبِ وَمَا بَيۡنَهُمَا ؕ
اِنۡ كُنۡتُمۡ تَعۡقِلُوۡنَ ﴿۲۸﴾ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذۡتَ اِلٰهًا غَيۡرِىۡ لَاَجۡعَلَنَّكَ مِنَ الۡمَسۡجُوۡنِيۡنَ ﴿۲۹﴾ قَالَ اَوَلَوۡ جِئۡتُكَ بِشَىۡءٍ
مُّبِيۡنٍ ﴿۳۰﴾ قَالَ فَاۡتِ بِهٖۤ اِنۡ كُنۡتَ مِنَ الصّٰدِقِيۡنَ ﴿۳۱﴾ فَاَلۡقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعۡبَانٌ مُّبِيۡنٌ ﴿۳۲﴾ وَّنَزَعَ يَدَهٗ
فَاِذَا هِىَ بَيۡضَآءُ لِلنّٰظِرِيۡنَ ﴿۳۳﴾

व इज़् नादा रब्बु-क मूसा अनिअ्तिल् क़ौमज़्ज़ालिमीन (10) क़ौ-म फ़िर्औ-न, अला यत्तक़ून (11) क़ा-ल रब्बि इन्नी अख़ाफ़ु अंय्यु-कज़्ज़िबून (12) व यज़ीक़ु सद्री व ला यन्तलिक़ु लिसानी फ़-अर्सिल् इला हारून (13) व लहुम् अ़लय्-य ज़म्बुन् फ़-अख़ाफ़ु अंय्यक़्तुलून (14) क़ा-ल	और जब पुकारा तेरे रब ने मूसा को कि जा उस गुनाहगार क़ौम के पास (10) क़ौमे फ़िरऔन के पास, क्या वे डरते नहीं? (11) बोला ऐ रब! मैं डरता हूँ कि मुझको झुठलायें (12) और रुक जाता है मेरा जी और नहीं चलती है मेरी ज़ुबान सो पैग़ाम दे हारून को। (13) और उनको मुझ पर है एक गुनाह का दावा, सो डरता हूँ कि मुझको मार डालें। (14) फ़रमाया

कल्ला फ़ज़्हबा बिआयातिना इन्ना म-अ़कुम् मुस्तमिऊ़न (15) फ़अ्तिया फ़िर्औ़-न फ़क़ूला इन्ना रसूलु रब्बिल्-आ़लमीन (16) अन् अर्सिल् म-अ़ना बनी इस्राईल। (17) क़ा-ल अलम् नुरब्बि-क फ़ीना वलीदंव्-व लबिस्-त फ़ीना मिन् अ़ुमुरि-क सिनीन (18) व फ़-अ़ल्-त फ़अ़्-ल-तकल्लती फ़अ़ल्-त व अन्-त मिनल्-काफ़िरीन (19) क़ा-ल फ़-अ़ल्तुहा इज़ंव्-व अ-न मिनज़्ज़ाल्लीन (20) फ़-फ़रर्तु मिन्कुम् लम्मा ख़िफ़्तुकुम् फ़-व-ह-ब ली रब्बी हुक्मंव्-व ज-अ़-लनी मिनल्-मुर्सलीन (21) व तिल्-क निअ़्-मतुन् तमुन्नुहा अ़लय्-य अन् अ़ब्बत्-त बनी इस्राईल (22) क़ा-ल फ़िर्औ़नु व मा रब्बुल्-आ़लमीन (23) क़ा-ल रब्बुस्समावाति वल्अर्ज़ि व मा बैनहुमा, इन् कुन्तुम् मूक़िनीन (24) क़ा-ल लिमन् हौलहू अला तस्तमिऊ़न (25) क़ा-ल रब्बुकुम् व रब्बु आबाइकुमुल्-अव्वलीन (26) क़ा-ल इन्-न रसूलकुमुल्लज़ी उर्सि-ल

कभी नहीं! तुम दोनों जाओ लेकर हमारी निशानियाँ हम तुम्हारे साथ सुनते हैं। (15) सो जाओ फ़िरऔ़न के पास और कहो हम पैग़ाम लेकर आये हैं परवर्दिगारे आ़लम का (16) यह कि भेज दे हमारे साथ बनी इस्राईल को। (17) बोला क्या नहीं पाला हमने तुझको अपने अन्दर लड़का सा और रहा तू हम में अपनी उम्र में से कई बरस। (18) और कर गया तू अपनी वह करतूत जो कर गया, और तू है नाशुक्रा। (19) कहा किया तो था मैंने वह काम और मैं था चूकने वाला। (20) फिर भागा मैं तुमसे जब तुम्हारा डर देखा, फिर बख़्शा मुझको मेरे रब ने हुक्म और ठहराया मुझको पैग़ाम पहुँचाने वाला। (21) और क्या वह एहसान है जो तू मुझ पर रखता है कि ग़ुलाम बनाया तूने बनी इस्राईल को। (22) बोला फ़िरऔ़न- क्या मायने हैं परवर्दिगारे आ़लम के। (23) कहा परवर्दिगार आसमान और ज़मीन का और जो कुछ उनके बीच में है अगर तुम यक़ीन करो। (24) बोला अपने गिर्द वालों से क्या तुम नहीं सुनते हो? (25) कहा परवर्दिगार तुम्हारा और परवर्दिगार तुम्हारे अगले बाप-दादों का। (26) बोला तुम्हारा पैग़ाम लाने वाला जो तुम्हारी तरफ़ भेजा

इलैकुम् ल-मज्नून (27) क़ा-ल रब्बुल्-मश्रिक़ि वल्-मग़्रिबि व मा बैनहुमा, इन् कुन्तुम् तअ्क़िलून (28) क़ा-ल ल-इनित्त-ख़ज़्-त इलाहन् ग़ैरी ल-अज्अ-लन्न-क मिनल्-मस्जूनीन (29) क़ा-ल अ-व लौ जिअ्तु-क बिशैइम्-मुबीन (30) क़ा-ल फ़अ्ति बिही इन् कुन्-त मिनस्सादिक़ीन (31) फ़-अल्क़ा अ़साहु फ़-इज़ा हि-य सुअ्बानुम्-मुबीन (32) व न-ज़-अ़ य-दहू फ़-इज़ा हि-य बैज़ा-उ लिन्नाज़िरीन (33) ❁

गया ज़रूर बावला है। (27) कहा परवर्दिगार पूरब का और पश्चिम का और जो कुछ उनके बीच में है, अगर तुम समझ रखते हो। (28) बोला अगर तूने ठहराया कोई और हाकिम मेरे सिवाय तो ज़रूर डालूँगा तुझको कैद में। (29) कहा और अगर लेकर आया हूँ तेरे पास एक चीज़ खोल देने वाली? (30) बोला तू वह चीज़ ला अगर तू सच कहता है। (31) फिर डाल दिया अपना अ़सा (लाठी), सो उसी वक़्त वह स्पष्ट अज़्दहा हो गया। (32) और अन्दर से निकाला अपना हाथ, सो उसी वक़्त वह सफ़ेद था देखने वालों के सामने। (33) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (उन लोगों से उस वक़्त का क़िस्सा ज़िक्र कीजिये) जब आपके रब ने मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को पुकारा (और हुक्म दिया) कि तुम उन ज़ालिम लोगों के पास जाओ (और ऐ मूसा! देखो) क्या ये लोग (हमारे ग़ज़ब से) नहीं डरते। (यानी उनकी हालत अ़जीब और बुरी है इसलिए उनकी तरफ़ तुमको भेजा जाता है) उन्होंने अ़र्ज़ किया कि ऐ मेरे रब! (मैं इस ख़िदमत के लिये हाज़िर हूँ लेकिन इस ख़िदमत की तकमील के लिये एक मददगार चाहता हूँ क्योंकि) मुझको यह अन्देशा है कि वे मुझको (अपनी पूरी बात कहने से पहले ही) झुठलाने लगें। और (तबई तौर पर ऐसे वक़्त में) मेरा दिल तंग होने लगता है और मेरी ज़बान (अच्छी तरह) नहीं चलती, इसलिये हारून के पास (भी वही भेज दीजिये (और उनको नुबुव्वत अ़ता फ़रमा दीजिये कि अगर मुझे झुठलाया जाये तो वह तस्दीक़ करने लगें ताकि दिल तंग न हो और ज़बान जारी रहे, और अगर मेरी ज़बान किसी वक़्त बन्द हो जाये तो वह तक़रीर करने लगें और हर चन्द कि यह ग़र्ज़ वैसे भी हारून अ़लैहिस्सलाम को बिना नुबुव्वत के अ़ता हुए साथ रखने से हासिल हो सकती थी मगर नुबुव्वत के अ़ता होने में और ज़्यादा अच्छी तरह पूरी हुई)।

और (एक बात यह क़ाबिले अ़र्ज़ है कि) मेरे ज़िम्मे उन लोगों का एक जुर्म भी है (कि मेरे हाथ से एक क़िब्ती क़त्ल हो गया था जिसका क़िस्सा सूरः क़सस में आयेगा) सो (इसलिये) मुझको (एक) यह डर है कि वे लोग मुझको (रिसालत की तब्लीग़ से पहले) क़त्ल कर डालें (तब भी तब्लीग़ न कर

सकूँगा तो उसकी भी कोई तदबीर फ़रमा दीजिये) इरशाद हुआ क्या मजाल है (जो ऐसा कर सकें और हमने हारून को भी पैग़म्बरी दी, अब तब्लीग़ की दोनों रुकावटें दूर हो गयीं) सो (अब) तुम दोनों हमारे अहकाम लेकर जाओ (कि हारून भी नबी हो गये और) हम (हिमायत और इमदाद से) तुम्हारे साथ हैं, (और जो गुफ़्तगू तुम्हारी और उन लोगों की होगी उसको) सुनते हैं। सो तुम दोनों फ़िरऔन के पास जाओ और (उस) से कहो कि हम रब्बुल-आ़लमीन के भेजे हुए हैं (और तौहीद की तरफ़ दावत के साथ यह हुक्म भी लाये हैं) कि तू बनी इस्राईल को (अपनी बेगार और ज़ुल्म से रिहाई देकर उनके असली वतन मुल्क शाम की तरफ़) हमारे साथ जाने दे। (ख़ुलासा इस दावत का अल्लाह और बन्दों के हुक़ूक़ में ज़ुल्म व ज़्यादती का बन्द करना है। चुनाँचे ये दोनों हज़रात गये और फ़िरऔन से सब बातें कह दीं) फ़िरऔन (ये सब बातें सुनकर पहले मूसा अ़लैहिस्सलाम को पहचानकर उनकी तरफ़ मुतवज्जह हुआ और) कहने लगा कि (आहा! तुम हो) क्या हमने तुमको बचपन में परवरिश नहीं किया, और तुम अपनी (उस) उम्र में बरसों हममें रहा-सहा किये। और तुमने अपनी वह हरकत भी की थी जो की थी (यानी क़िब्ती को क़त्ल किया था) और तुम बड़े नाशुक्रे हो (कि मेरा ही खाया, मेरा ही आदमी क़त्ल किया और फिर मुझको अपने ताबे बनाने आये हो। चाहिए तो यह था कि तुम मेरे सामने दबकर रहते) मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने जवाब दिया कि (वाक़ई) उस वक़्त वह हरकत मैं कर बैठा था और मुझसे ग़लती हो गई थी। (यानी जान-बूझकर मैंने क़त्ल नहीं किया, उसकी ज़ालिमाना रविश से उसको रोकना मक़सद था इत्तिफ़ाक़ से वह मर गया) फिर जब मुझको डर लगा तो मैं तुम्हारे यहाँ से फ़रार हो गया, फिर मुझको मेरे रब ने दानिशमन्दी "यानी ख़ुसूसी समझ व शऊर" अ़ता फ़रमाई और मुझको पैग़म्बरों में शामिल कर दिया। (और वह अ़क़्ल व समझ इसी नुबुव्वत की ख़ुसूसियतों में से है। जवाब का ख़ुलासा यह है कि मैं पैग़म्बरी की हैसियत से आया हूँ जिसमें दबने की कोई वजह नहीं और पैग़म्बरी उस ग़लती से क़त्ल हो जाने वाले वाक़िए के विरुद्ध नहीं, क्योंकि यह क़त्ल चूक और ग़लती से हुआ था जो नुबुव्वत की क़ाबलियत व सलाहियत के ख़िलाफ़ नहीं। यह तो जवाब है क़त्ल वाले एतिराज़ का) और (रहा परवरिश करने का एहसान जतलाना सो) वह यह नेमत है जिसका तू मुझ पर एहसान रखता है कि तूने बनी इस्राईल को सख़्त ज़िल्लत (और ज़ुल्म) में डाल रखा था (कि उनके लड़कों को क़त्ल करता था जिसके ख़ौफ़ से मैं सन्दूक़ में रखकर दरिया में डाला गया और तेरे हाथ लग गया और तेरी परवरिश में रहा, तो इस पर परवरिश की असली वजह तो तेरा ज़ुल्म ही है, तू ऐसी परवरिश का क्या एहसान जतलाता है बल्कि इससे तो तुझे अपनी ग़लत और बेहूदा हरकतों को याद करके शर्माना चाहिए)।

फ़िरऔन (इस बात में लाजवाब हुआ और गुफ़्तगू का पहलू बदलकर उस) ने कहा कि (जिसको तुम) रब्बुल-आ़लमीन (कहते हो जैसा कि ऊपर आयत 16 में इरशाद है 'इन्ना रसूलु रब्बिल्-आ़लमीन' उस) की माहियत (और हक़ीक़त) क्या है? मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने जवाब दिया कि वह परवर्दिगार है आसमानों और ज़मीन का और जो कुछ (मख़्लूक़ात) उनके दरमियान में है उस (सब) का, अगर तुमको यक़ीन (हासिल) करना हो (तो यह पता बहुत है। मतलब यह कि उसकी हक़ीक़त का इल्म इनसान को नहीं हो सकता, इसलिए जब उसका सवाल होगा सिफ़ात से ही जवाब मिलेगा)। फ़िरऔन ने अपने इर्द-गिर्द (बैठने) वालों से कहा कि तुम लोग (कुछ) सुनते हो (कि सवाल कुछ और जवाब

कुछ)। मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि वह परवर्दिगार है तुम्हारा और तुम्हारे पहले बड़ों का। (इस जवाब में एक बार फिर ध्यान दिलाना है उस बयान हुए मतलब पर, मगर) फ़िरऔ़न (न समझा और) कहने लगा कि यह तुम्हारा रसूल जो (अपने ख़्याल के मुताबिक़) तुम्हारी तरफ़ रसूल होकर आया है, मजनूँ (मालूम होता) है। मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि वह परवर्दिगार है पूरब और पश्चिम का, और जो कुछ उनके दरमियान में है उसका भी, अगर तुमको अ़क़्ल हो (तो इसी से मान लो)। फ़िरऔ़न (आख़िर मजबूर होकर) कहने लगा कि अगर तुम मेरे सिवा कोई और माबूद तजवीज़ करोगे तो मैं तुमको जेलख़ाने भेज दूँगा। मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने फ़रमाया अगर मैं कोई साफ़ और खुली दलील पेश करूँ तब भी (न मानेगा)? फ़िरऔ़न ने कहा कि अच्छा तो वह दलील पेश करो, अगर तुम सच्चे हो। मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने अपनी लाठी डाल दी तो वह एकदम एक नुमायाँ अ़ज़्दहा बन गया। (और दूसरा मोजिज़ा दिखलाने के लिये) अपना हाथ (गिरेबान में देकर) बाहर निकाला तो वह देखते ही देखते सब देखने वालों के सामने बहुत ही चमकता हुआ हो गया (कि उसको भी सब ने अपनी ज़ाहिरी आँख से देखा)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इताअ़त के लिये मददगार असबाब की तलब बहाना ढूँढना नहीं

قَالَ رَبِّ اِنِّیْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ۝ وَيَضِيْقُ صَدْرِیْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِیْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ ۝ وَلَهُمْ عَلَیَّ ذَنْۢبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ۝

इन मुबारक आयतों से साबित हुआ कि किसी हुक्म के बजा लाने (यानी उस पर अ़मल करने) में कुछ ऐसी चीज़ों की दरख़्वास्त करना जो हुक्म की तामील में मददगार साबित हों कोई बहाना ढूँढना नहीं है, बल्कि जायज़ है। जैसा कि हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म पाकर उसकी तामील को आसान और मुफ़ीद करने के लिये ख़ुदा तआ़ला से दरख़्वास्त की। लिहाज़ा इससे यह नतीजा निकालना ग़लत होगा कि हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म को बिना देरी के सर आँखों पर क्यों न लिया? और संकोच क्यों फ़रमाया? क्योंकि हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने जो कुछ किया वह हुक्म की तामील ही के सिलसिले में किया।

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के हक़ में लफ़्ज़ 'ज़लाल' का मतलब

قَالَ فَعَلْتُهَآ اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ ۝

फ़िरऔ़न के इस सवाल पर कि ऐ मूसा! तुमने एक क़िब्ती को क़त्ल किया था, हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने जवाब में फ़रमाया कि हाँ मैंने क़त्ल ज़रूर किया था लेकिन वह क़त्ल इरादे और क़स्द से न था बल्कि उस क़िब्ती को उसकी ख़ता पर तंबीह करने के लिये घूँसा मारा जिससे वह हलाक हो गया। ख़ुलासा यह कि नुबुव्वत के ख़िलाफ़ जान-बूझकर क़त्ल करना है और यह क़त्ल बिना इरादे के हुआ था जो नुबुव्वत के विरुद्ध नहीं। हासिल यह हुआ कि यहाँ 'ज़लाल' का मतलब

'बेख़बरी' है और इससे मुराद क़िब्ती का बिना इरादे के क़त्ल हो जाना है। इस मायने की ... हज़रत क़तादा और इब्ने ज़ैद रह. की रिवायतों से भी होती है कि दर असल अरबी में ज़लाल के कई मायने आते हैं, और हर जगह इसका मतलब गुमराही नहीं होता। यहाँ भी इसका तर्जुमा 'गुमराह' करना दुरुस्त नहीं।

ख़ुदा तआ़ला की ज़ात व हक़ीक़त का इल्म इनसान के लिये नामुम्किन है

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ۝

इस आयत मुबारक से साबित हुआ कि ख़ुदा तआ़ला की ज़ात व हक़ीक़त का जानना मुम्किन नहीं क्योंकि फ़िरऔन का सवाल ख़ुदा तआ़ला की हक़ीक़त, माहियत के मुताल्लिक़ था, हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने बजाय बारी तआ़ला की हक़ीक़त बतलाने के ख़ुदा तआ़ला की सिफ़ात बयान फ़रमाई जिससे इशारा फ़रमा दिया कि ख़ुदा तआ़ला की ज़ात और हक़ीक़त का इल्म नामुम्किन है, और ऐसा सवाल ही करना बेजा है। (रूहुल-मआ़नी)

اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ۝

बनी इस्राईल मुल्क शाम के रहने वाले थे, वहाँ जाना चाहते तो फ़िरऔन उनको जाने न देता था, इस तरह चार सौ साल से वे उसकी क़ैद में गुलामी की ज़िन्दगी बसर कर रहे थे। उनकी तायदाद उस वक़्त छह लाख तीस हज़ार थी। हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने फ़िरऔन को पैग़ामे हक़ पहुँचाने के साथ ही बनी इस्राईल पर जो ज़ुल्म उसने कर रखा था उससे रुकने और उनको आज़ाद छोड़ देने की हिदायत फ़रमाई। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

पैग़म्बराना मुनाज़रे का एक नमूना, मुनाज़रे के प्रभावी आदाब

दो अलग-अलग ख़्यालात रखने वाले शख़्सों और जमाअ़तों में नज़रियाती बहस व मुबाहसा जिसको इस्तिलाह (आ़म उर्फ़) में **मुनाज़रा** कहा जाता है, पुराने ज़माने से प्रचलित है, मगर आ़म तौर पर मुनाज़रा एक हार-जीत का खेल होकर रह गया है। लोगों की नज़र में मुनाज़रे का हासिल इतना ही है कि अपनी बात ऊँची हो, चाहे उसका ग़लत होना ख़ुद भी मालूम हो चुका हो, उसको सही और मज़बूत साबित करने के लिये दलीलों और समझ व दिमाग़ का सारा ज़ोर ख़र्च किया जाये। इसी तरह मुख़ालिफ़ की कोई बात सच्ची और सही भी हो तो बहरहाल रद्द ही करना और उसके रद्द करने में पूरी ताक़त ख़र्च करना है। इस्लाम ही ने इस काम में ख़ास दरमियानी राह पैदा की है, उसके उसूल व क़ायदे और हदें मुतैयन करके उसको एक मुफ़ीद व प्रभावी तब्लीग़ व इस्लाह का ज़रिया बनाया है।

ऊपर ज़िक्र हुई आयतों में इसका एक मुख़्तसर सा नमूना देखिये। हज़रत मूसा व हारून अ़लैहिमस्सलाम ने जब फ़िरऔन जैसे ज़ालिम व ज़ोर-ज़बरदस्ती करने वाले और ख़ुदाई के दावेदार को उसके दरबार में हक़ की दावत पहुँचाई तो उसने मुख़ालिफ़ाना बहस का आग़ाज़ अव्वल दो ऐसी बातों

से किया जिनका ताल्लुक़ हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम की ज़ात से था। जैसा कि होशियार मुख़ालिफ़ उमूमन जब असल बात के जवाब पर क़ादिर नहीं होता तो मुख़ातब की ज़ाती कमज़ोरियाँ ढूँढा और बयान किया करता है ताकि वह कुछ शर्मिन्दा हो जाये और लोगों में उसकी हवा उखड़ जाये। यहाँ भी फ़िरऔन ने दो बातें कहीं- अव्वल तो यह कि तुम हमारे पाले हुए हो हमारे घर में पलकर जवान हुए हो, हमने तुम पर एहसानात किये हैं, तुम्हारी क्या मजाल है कि हमारे सामने बोलो। दूसरी बात यह है कि तुमने एक क़िब्ती शख़्स को बिना वजह क़त्ल कर डाला है जो अ़लावा ज़ुल्म के हक़ न पहचानना और नाशुक्री भी है कि जिस क़ौम में पले और जवान हुए उसी के आदमी को मार डाला। इसके मुक़ाबले में हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम का पैग़म्बराना जवाब देखिये कि अव्वल तो जवाब में सवाल की तरतीब को बदला, यानी क़िब्ती के क़त्ल का क़िस्सा जो फ़िरऔन ने बाद में बयान किया था उसका जवाब पहले आया। और घर में पलने के एहसान का ज़िक्र जो पहले किया था उसका जवाब बाद में। इस तरतीब बदलने में हिक्मत यह मालूम होती है कि क़िब्ती के क़त्ल के वाक़िए में अपनी एक कमज़ोरी ज़रूर वाक़े हुई थी, आजकल के मुनाज़रा करने वालों के अन्दाज़ पर तो ऐसी चीज़ के ज़िक्र को रला-मिला दिया जाता है और दूसरी बातों की तरफ़ तवज्जोह फेरने की कोशिश की जाती है, मगर अल्लाह तआ़ला के रसूल ने उसी के जवाब को प्राथमिकता दी। और जवाब भी कुल मिलाकर अपनी कमज़ोरी को स्वीकार करने के साथ दिया। इसकी बिल्कुल परवाह न की कि मुख़ालिफ़ लोग कहेंगे कि इन्होंने अपनी ग़लती को स्वीकार करके हार मान ली।

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने इसके जवाब में इसका तो इक़रार कर लिया कि उस क़त्ल में मुझसे ग़लती और ख़ता हो गयी, मगर साथ ही इस हक़ीक़त को भी स्पष्ट कर दिया कि यह ग़लती जान-बूझकर नहीं थी, एक सही क़दम उठाना था जो इत्तिफ़ाक़न ग़लत परिणाम पर पहुँच गया कि मक़सद तो क़िब्ती को इस्राईली शख़्स पर ज़ुल्म से रोकना था इसी इरादे से उसको एक चोट लगाई थी इत्तिफ़ाक़न वह उसी से मर गया, इसलिये यह काम ख़ता होने के बावजूद हमारे असल मामले यानी नुबुव्वत के दावे और उसकी हक़्क़ानियत पर कोई असर नहीं डालता। मैं इस ग़लती पर चेता और क़ानूनी गिरफ़्त के ख़ौफ़ से शहर से निकल गया। अल्लाह तआ़ला ने फिर करम फ़रमाया और नुबुव्वत व रिसालत से सम्मानित फ़रमा दिया।

ग़ौर कीजिए कि उस वक़्त दुश्मन के मुक़ाबले में मूसा अ़लैहिस्सलाम का सीधा साफ़ जवाब यह था कि मक़्तूल क़िब्ती को वाजिबुल-क़त्ल साबित करते, उस पर ऐसे इल्ज़ामात लगाते जिससे उसका क़त्ल करना सही साबित होता। कोई दूसरा आदमी झुठलाने वाला भी वहाँ मौजूद न था जिससे तरदीद का अन्देशा होता, और उस जगह हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के सिवा कोई दूसरा आदमी होता तो उसका जवाब इसके सिवा कुछ न होता मगर वहाँ तो ख़ुदा तआ़ला का एक बुलन्द-रुतबा और सच्चा रसूल था जो हक़ व सच्चाई और हक़ीक़त के इज़हार को अपनी फ़तह समझता था। दुश्मन के भरे दरबार में अपनी ख़ता का इक़रार भी कर लिया और उससे जो नुबुव्वत व रिसालत पर शुब्हा हो सकता था उसका जवाब भी दे दिया। इसके बाद पहली बात यानी घर में पालने का एहसान जतलाने के जवाब की तरफ़ तवज्जोह फ़रमाई तो उसके इस ज़ाहिरी एहसान की असल हक़ीक़त की तरफ़

तवज्जोह दिला दी कि ज़रा सोचो मैं कहाँ और फ़िरऔन का दरबार कहाँ? मेरी परवरिश तुम्हारे घर में होने के सबब पर ग़ौर करो तो यह हक़ीक़त खुल जायेगी कि तुम जो बनी इस्राईल की पूरी क़ौम पर यह ख़िलाफ़े इनसानियत ज़ुल्म तोड़ रहे थे कि उनके बेगुनाह मासूम लड़कों को क़त्ल कर देते थे, बज़ाहिर तो तुम्हारे इस ज़ुल्म व सितम से बचने के लिये मेरी वालिदा ने मुझे दरिया में डाला और तुमने इत्तिफ़ाक़ी तौर पर मेरा ताबूत दरिया से निकालकर घर में रख लिया और हक़ीक़त में यह अल्लाह तआला का हकीमाना इन्तिज़ाम और तुम्हारे ज़ुल्म की ग़ैबी सज़ा थी कि जिस बच्चे के ख़तरे से बचने के लिये तुमने हज़ारों बच्चे क़त्ल कर डाले थे क़ुदरत ने उस बच्चे को तुम्हारे ही हाथों पलवाया। अब सोचो कि यह मेरी परवरिश तुम्हारा क्या एहसान था। इसी पैग़म्बराना जवाब के अन्दाज़ का यह असर तो तबई और अ़क़्ली तौर पर वहाँ हाज़िर लोगों पर होना ही था कि ये बुज़ुर्ग कोई बात बनाने वाले नहीं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते, इसके बाद जब मोजिज़े देखे तो और ज़्यादा उसकी तस्दीक़ हो गयी। और अगरचे इक़रार नहीं किया मगर मरऊब इतना हो गया कि यह सिर्फ़ दो आदमी जिनके आगे-पीछे कोई तीसरा मददगार नहीं, दरबार सारा उसका, शहर और मुल्क उसका, मगर यह ख़ौफ़ उस पर तारी है कि ये दो आदमी हमें अपने इस मुल्क व हुकूमत से निकाल देंगे।

यह होता है ख़ुदा का दिया हुआ और क़ुदरती रौब और हक़ व सच्चाई की हैबत। हज़राते अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम का बहस करना और मुनाज़रे भी सच्चाई और मुख़ातब की दीनी ख़ैरख़्वाही के जज़्बात से भरे होते हैं। वही दिलों में उतर जाते हैं और बड़े-बड़े सरकशों को क़ाबू में कर लेते हैं।

قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗٓ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ﴿۳۴﴾ يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ ۖ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ﴿۳۵﴾ قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿۳۶﴾ يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ ﴿۳۷﴾ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿۳۸﴾ وَّقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ ﴿۳۹﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿۴۰﴾ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿۴۱﴾ قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿۴۲﴾ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿۴۳﴾ فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿۴۴﴾ فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿۴۵﴾ فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿۴۶﴾ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۴۷﴾ رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿۴۸﴾ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۬ؕ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُوصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿۴۹﴾ قَالُوْا لَا ضَيْرَ ۫ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿۵۰﴾ اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَآ اَنْ كُنَّآ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۵۱﴾

का-ल लिल्म-लइ हौलहू इन्-न हाज़ा	बोला अपने गिर्द के सरदारों से- यह तो

लसाहिरुन् अ़लीम (34) युरीदु अंय्युख़्रि-जकुम् मिन् अर्ज़िकुम् बिसिहिरही फ़-माज़ा तअ्मुरून (35) क़ालू अर्जिह् व अख़ाहु वब्अ़स् फ़िल्मदाइनि हाशिरीन (36) यअ्तू-क बिकुल्लि सह्हारिन् अ़लीम (37) फ़जुमिअ़स्स-ह-रतु लिमीक़ाति यौमिम्-मअ़्लूम (38) व क़ी-ल लिन्नासि हल् अन्तुम् मुज्तमिअ़ून (39) लअ़ल्लना नत्तबिअ़ुस्स-ह-र-त इन् कानू हुमुल्-ग़ालिबीन (40) फ़-लम्मा जाअस्स-ह-रतु क़ालू लिफ़िर्औ़-न अ-इन्-न लना ल-अज्रन् इन् कुन्ना नह्नुल्-ग़ालिबीन (41) क़ा-ल न-अ़म् व इन्नकुम् इज़ल्-लमिनल्-मुक़र्रबीन (42) क़ा-ल लहुम् मूसा अल्क़ू मा अन्तुम् मुल्क़ून (43) फ़-अल्क़ौ हिबा-लहुम् व अ़िसिय्यहुम् व क़ालू बिअ़िज़्ज़ति फ़िर्औ़-न इन्ना ल-नह्नुल्-ग़ालिबून (44) फ़-अल्क़ा मूसा अ़साहु फ़-इज़ा हि-य तल्क़फ़ु मा यअ्फ़िकून (45) फ़-उल्क़ियस्-स-ह-रतु साजिदीन (46) क़ालू आमन्ना बिरब्बिल्-आ़लमीन (47)

कोई जादूगर है पढ़ा हुआ। (34) चाहता है कि निकाल दे तुमको तुम्हारे देस से अपने जादू के ज़ोर से, सो अब क्या हुक्म देते हो? (35) बोले ढील दे इसको और इसके भाई को और भेज दे शहरों में नक़ीब। (36) ले आयें तेरे पास जो बड़ा जादूगर हो पढ़ा हुआ। (37) फिर इकट्ठे किये जादूगर वायदे पर एक मुक़र्रर दिन के। (38) और कह दिया लोगों को क्या तुम भी इकट्ठे हो गये? (39) शायद हम राह क़ुबूल कर लें जादूगरों की अगर हो उनको ग़लबा। (40) फिर जब आये जादूगर कहने लगे फ़िरऔ़न से भला कुछ हमारा हक़ भी है अगर हो हमको ग़लबा? (41) बोला ज़रूर! और तुम उस वक़्त ख़ास लोगों में होगे। (42) कहा उनको मूसा ने डालो जो तुम डालते हो। (43) फिर डालीं उन्होंने अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ और बोले फ़िरऔ़न के इक़बाल (रुतबे व इज़्ज़त) से हमारी ही फ़तह है। (44) फिर डाला मूसा ने अपना अ़सा (लाठी) फिर तभी वह निगलने लगा जो साँग उन्होंने बनाया था। (45) फिर औंधे गिरे जादूगर सज्दे में। (46) बोले हमने मान लिया जहान के रब को (47)

रब्बि मूसा व हारून (48) क़ा-ल आमन्तुम् लहू क़ब्-ल अन् आज़-न लकुम् इन्नहू लकबीरुकुमुल्लज़ी अ़ल्ल-मकुमुस्-सिह्-र फ़-लसौ-फ़ तअ़्लमू-न, ल-उक़त्तिअ़न्-न ऐदि-यकुम् व अर्जु-लकुम् मिन् ख़िलाफ़िंव्-व ल-उसल्लिबन्नकुम् अज्मअ़ीन (49) क़ालू ला ज़ै-र इन्ना इला रब्बिना मुन्क़लिबून (50) इन्ना नत्मअ़ु अंय्यग़्फ़ि-र लना रब्बुना ख़तायाना अन् कुन्ना अव्वलल्-मुअ्मिनीन (51) ❁

जो रब है मूसा और हारून का। (48) बोला तुमने उसको मान लिया अभी मैंने हुक्म नहीं दिया तुमको, तय बात है कि वह तुम्हारा बड़ा है जिसने तुमको सिखलाया जादू, सो अब मालूम कर लोगे अलबत्ता काटूँगा तुम्हारे हाथ और दूसरी तरफ़ के पाँव और सूली पर चढ़ाऊँगा तुम सब को। (49) बोले कुछ डर नहीं, हमको अपने रब की तरफ़ फिर जाना है। (50) हम ग़र्ज़ रखते हैं कि बख़्श दे हमको हमारा रब हमारी ख़तायें इस वास्ते कि हम हुए पहले क़ुबूल करने वाले। (51) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के जो ये मोजिज़े ज़ाहिर हुए तो) फ़िरऔ़न ने दरबार वालों से जो उसके आस-पास (बैठे) थे, कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि यह शख़्स बड़ा माहिर जादूगर है। इसका (असल) मतलब यह है कि अपने जादू (के ज़ोर) से (ख़ुद सरदार हो जाये और) तुमको तुम्हारी सरज़मीन से बाहर कर दे (ताकि बिना किसी टकराव और रोक-टोक के अपनी क़ौम को लेकर हुकूमत करे) सो तुम लोग क्या मश्विरा देते हो? दरबारियों ने कहा कि आप उनको और उनके भाई को (थोड़ी) मोहलत दीजिये और (अपने मुल्क की सीमाओं के) शहरों में (फिरने वालों को यानी) चपरासियों को (हुक्म नामे देकर) भेज दीजिये कि वे (सब शहरों से) सब माहिर जादूगरों को (जमा करके) आपके पास लाकर हाज़िर कर दें।

ग़र्ज़ वे जादूगर एक मुक़र्ररा दिन के ख़ास वक़्त पर जमा कर लिये गये। (निर्धारित दिन से मुराद ज़ीनत का दिन है, और ख़ास वक़्त से मुराद सूरज चढ़े का वक़्त है जैसा कि सूरः तॉ-हा के शुरू में रुकूअ़ तीन के अन्दर बयान हुआ है। यानी उस वक़्त के क़रीब तक सब लोग जमा कर लिये गये और फ़िरऔ़न को जमा होने की इत्तिला दे दी गई) और (फ़िरऔ़न की तरफ़ से आ़म ऐलान के तौर पर) लोगों को यह इश्तिहार दिया गया कि क्या तुम लोग (फ़ुलाँ मौक़े पर वाक़िआ़ देखने के लिये) जमा होगे? (यानी जमा हो जाओ) ताकि अगर जादूगर ग़ालिब आ जाएँ (जैसा कि उम्मीद उनके ग़ालिब होने की है) तो हम उन्हीं की राह पर रहें (यानी वही राह जिस पर फ़िरऔ़न था और दूसरों

को भी उस पर रखना चाहता था। मतलब यह कि जमा होकर देखो उम्मीद है कि जादूगर ग़ालिब रहेंगे तो हम लोगों के तरीके का हक् होना हुज्जत से साबित हो जायेगा)।

फिर जब वे जादूगर (फ़िरऔन की पेशी में) आये तो फ़िरऔन से कहने लगे कि अगर (मूसा अ़लैहिस्सलाम) पर हम ग़ालिब आ गये तो क्या हमको कोई बड़ा सिला (और इनाम) मिलेगा? फ़िरऔन ने कहा हाँ! (माली इनाम भी बड़ा मिलेगा) और (उस पर अतिरिक्त यह मर्तबा मिलेगा कि) तुम उस सूरत में (हमारे) क़रीबी लोगों में दाख़िल हो जाओगे। (ग़र्ज़ इस गुफ़्तगू के बाद ऐन मुक़ाबले के मौक़े पर आये और दूसरी तरफ़ मूसा अ़लैहिस्सलाम तशरीफ़ लाये और मुक़ाबला शुरू हुआ और जादूगरों ने मूसा अ़लैहिस्सलाम से अ़र्ज़ किया कि आप अपना अ़सा पहले डालियेगा या हम डालें) मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने उनसे फ़रमाया कि तुमको जो कुछ डालना (मन्ज़ूर) हो (मैदान में) डालो। सो उन्होंने अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ डालीं (जो जादू के असर से साँप मालूम होते थे) और कहने लगे कि फ़िरऔन के इक़बाल "यानी बुलन्दी और इज़्ज़त" की क़सम बेशक हम ही ग़ालिब आएँगे।

फिर मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने (अल्लाह के हुक्म से) अपनी लाठी डाली, सो डालने के साथ ही (अज़्दहा बनकर) उनके तमाम-के-तमाम बनाए हुए धन्धे को निगलना शुरू कर दिया। सो (यह देखकर) जादूगर (ऐसे प्रभावित हुए कि) सब सज्दे में गिर पड़े (और पुकार-पुकारकर) कहने लगे कि हम ईमान ले आये रब्बुल-आ़लमीन पर, जो मूसा और हारून (अ़लैहिमस्सलाम) का भी रब है। (फ़िरऔन बड़ा घबराया कि कहीं ऐसा न हो कि सारी प्रजा ही मुसलमान हो जाये तो एक मज़मून तैयार करके नाराज़गी के इज़हार के तौर पर जादूगरों से) कहने लगा कि हाँ, तुम मूसा पर ईमान ले आये बिना इसके कि मैं तुम्हें इजाज़त दूँ? ज़रूर (मालूम होता है कि) यह (जादू में) तुम सब का उस्ताद है, जिसने तुमको जादू सिखाया है (और तुम इसके शार्गिद हो इसलिए आपस में छुपी साज़िश कर ली है कि तुम यूँ करना हम यूँ करेंगे, फिर इस तरह हार-जीत ज़ाहिर करेंगे ताकि किब्तियों से हुकूमत लेकर आराम से खुद हुकूमत करो जैसा कि अल्लाह तआ़ला ने उनका यह क़ौल क़ुरआने करीम में सूरः आराफ़ की आयत 123 में बयान किया है) सो अब तुमको हक़ीक़त मालूम हुई जाती है (और वह यह है कि) मैं तुम्हारे एक तरफ़ के हाथ और दूसरी तरफ़ के पाँव काटूँगा, और तुम सब को सूली पर लटकाऊँगा (ताकि औरों को सबक़ मिले)। उन्होंने जवाब दिया कि कुछ हर्ज नहीं, हम अपने मालिक के पास जा पहुँचेंगे (जहाँ हर तरह अमन व राहत है, फिर ऐसे मरने से नुक़सान ही क्या, और) हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा परवर्दिगार हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दे इस वजह से कि हम (इस मौक़े पर मौजूद लोगों में से) सबसे पहले ईमान लाये (पस इस पर यह शुब्हा नहीं हो सकता कि उनसे पहले कुछ लोग ईमान ला चुके थे जैसे हज़रत आसिया और आले फ़िरऔन में का मोमिन शख़्स और बनी इस्राईल। "क्योंकि ये सबसे पहले वहाँ मौजूद लोगों के एतिबार से थे। हिन्दी अनुवादक")।

मआ़रिफ़ व मसाईल

اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ۝

यानी हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने जादूगरों से कहा कि "आप जो कुछ जादू दिखाना चाहते हो

वह दिखाओ।" इस पर सरसरी नज़र डालने से यह शुब्हा पैदा होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको जादू का हुक्म दे रहे हैं।" लेकिन ज़रा से ग़ौर करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ़ से जादू दिखाने का हुक्म नहीं था बल्कि जो कुछ वह करने वाले थे उसको बातिल करना मक़सद था, लेकिन उसका बातिल होना बग़ैर उसके ज़ाहिर करने के नामुम्किन था, इसलिये आपने उनको जादू के इज़हार का हुक्म दिया जैसे किसी बेदीन व गुमराह शख़्स को कहा जाये कि तुम अपनी गुमराही और बेदीनी की दलीलें पेश करो ताकि मैं उनको बातिल (ग़लत) साबित कर सकूँ। ज़ाहिर है कि इसे कुफ़्र पर रज़ामन्दी नहीं कहा जा सकता।

بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ.

यह कलिमा उन जादूगरों के लिये क़सम खाने के तौर पर है जो ज़माना-ए-जाहिलीयत में राइज थी। अफ़सोस कि मुसलमानों में भी अब ऐसी क़समें प्रचलित हो गयी हैं जो इससे ज़्यादा बुरी और क़बीह हैं, मसलन बादशाह की क़सम, तेरे सर की क़सम, तेरी दाढ़ी की क़सम या तेरे बाप की क़ब्र की क़सम, इस क़िस्म की क़समें खाना शरअ़न जायज़ नहीं, बल्कि उनके मुताल्लिक़ यह कहना ग़लत नहीं होगा कि ख़ुदा के नाम की झूठी क़सम खाने में जो बड़ा गुनाह है इन नामों की सच्ची क़सम भी गुनाह में उससे कम नहीं। (रूहुल-मआ़नी)

قَالُوْا لَا ضَيْرَ، اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ○

यानी जब फ़िरऔ़न ने जादूगरों को ईमान क़ुबूल करने पर क़त्ल की और हाथ-पाँव काटने और सूली चढ़ाने की धमकी दी तो जादूगरों ने बड़ी बेपरवाही से यह जवाब दिया कि तुम जो कुछ कर सकते हो कर लो, हमारा कोई नुक़सान नहीं। हम क़त्ल भी होंगे तो अपने रब के पास चले जायेंगे जहाँ आराम ही आराम है।

यहाँ ग़ौर करने की बात यह है कि ये जादूगर जो उम्रभर जादूगरी के कुफ़्र में मुब्तला, उस पर मज़ीद यह कि फ़िरऔ़न के ख़ुदाई दावे को मानने वाले और उसकी पूजा करने वाले थे, हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम का मोजिज़ा देखकर अपनी पूरी क़ौम के ख़िलाफ़, फ़िरऔ़न जैसे ज़ालिम व जाबिर बादशाह के ख़िलाफ़ ईमान का ऐलान कर दें, यही एक हैरत-अंगेज़ चीज़ थी, मगर यहाँ तो सिर्फ़ ईमान का ऐलान ही नहीं बल्कि ईमान का वह गहरा रंग चढ़ जाने का प्रदर्शन है कि क़ियामत व आख़िरत गोया उनके सामने नज़र आने लगी। आख़िरत की नेमतें दिखाई देने लगी हैं जिसके मुक़ाबले में दुनिया की हर सज़ा और मुसीबत से बेपरवाह होकर 'फ़क़्ज़ि मा अन्-त क़ाज़िन्' कह दिया यानी जो तेरा जी चाहे कर ले हम तो ईमान से फिरने वाले नहीं। यह भी दर हक़ीक़त हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ही का मोजिज़ा है जो लाठी वाले और चमकते हाथ के मोजिज़े से कम नहीं। इसी तरह के बहुत से वाक़िआत हमारे रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हाथों ज़ाहिर हुए हैं कि एक मिनट में सत्तर बरस के काफ़िर में ऐसा इन्क़िलाब (बदलाव) आ गया कि सिर्फ़ मोमिन ही नहीं हो गया बल्कि ग़ाज़ी (मुजाहिद) बनकर शहीद होने की तमन्ना करने लगा।

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْٓ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ۝
فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ۝ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ ۝ وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُوْنَ ۝ وَ
اِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ ۝ فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝ وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ۝ كَذٰلِكَ ۚ وَ
اَوْرَثْنٰهَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝ فَاَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ ۝ فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰٓى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ ۝
قَالَ كَلَّا ۚ اِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ ۝ فَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ۗ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ
فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ۝ وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ ۝ وَاَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ۝ ثُمَّ اَغْرَقْنَا
الْاٰخَرِيْنَ ۝ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۗ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

ع 4/8

व औहैना इला मूसा अन् अस्रि बिअ़िबादी इन्नकुम मुत्त-बअ़ून (52) फ़-अर्स-ल फ़िर्औनु फ़िल्मदाइनि हाशिरीन (53) इन्-न हाउला-इ लशिर्ज़ि-मतुन् क़लीलून (54) व इन्नहुम् लना लग़ाइज़ून (55) व इन्ना ल-जमीअ़ुन् हाज़िरून (56) फ़-अख़्रज्नाहुम् मिन् जन्नातिंव्-व अ़ुयून (57) व कुनूज़िंव्-व मक़ामिन् करीम (58) कज़ालि-क, व औरस्नाहा बनी इस्राईल (59) फ़-अत्बअ़ूहुम्-मुश्रिक़ीन (60) फ़-लम्मा तराअल्-जम्अ़ानि क़ा-ल अस्हाबु मूसा इन्ना लमुद्-रकून (61) क़ा-ल कल्ला इन्-न मअ़ि-य रब्बी स-यह्दीन (62) फ़-औहैना इला मूसा अनिज़्रिब् बिअ़साकल्-बह्-र, फ़न्फ़-ल-क़

और हुक्म भेजा हमने मूसा को कि रात को ले निकल मेरे बन्दों को यक़ीनन तुम्हारा पीछा करेंगे। (52) फिर भेजे फ़िरऔन ने शहरों में नक़ीब। (53) ये लोग जो हैं सो एक जमाअ़त है थोड़ी सी (54) और वह तय है कि हमसे दिल जले हुए हैं। (55) और हम सारे उनसे ख़तरा रखते हैं। (56) फिर निकाल बाहर किया हमने उनको बाग़ों और चश्मों से (57) और ख़ज़ानों और उम्दा मकानों से। (58) इसी तरह और हाथ लगा दीं हमने ये बनी इस्राईल के। (59) फिर पीछे पड़े उनके सूरज निकलने के वक़्त। (60) फिर जब मुक़ाबिल हुईं दोनों फ़ौजें कहने लगे मूसा के लोग हम तो पकड़े गये। (61) कहा हरगिज़ नहीं! मेरे साथ है मेरा रब, वह मुझको राह बतलायेगा। (62) फिर हुक्म भेजा हमने मूसा को कि मार अपने अ़सा "लाठी" से दरिया को फिर दरिया

फ़का-न कुल्लु फ़िर्किन् कत्तौदिल्-अ़ज़ीम (63) व अज़्लफ़्ना सम्मल्-आख़रीन (64) व अन्जैना मूसा व मम्-म-अ़हू अज्मअ़ीन (65) सुम्-म अग़्रक़्नल्-आख़रीन (66) इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआ-यतन्, व मा का-न अक्सरुहुम् मुअ्मिनीन (67) व इन्-न रब्ब-क लहुवल् अ़ज़ीज़ुर्-रहीम। (68) ✿	फट गया तो हो गयी हर फाँक जैसे बड़ा पहाड़। (63) और पास पहुँचा दिया हमने उसी जगह दूसरों को। (64) और बचा दिया हमने मूसा को और जो लोग थे उसके साथ सब को। (65) फिर डुबा दिया हमने उन दूसरों को। (66) इस चीज़ में एक निशानी है, और नहीं थे बहुत लोग उनमें मानने वाले। (67) और तेरा रब वही है ज़बरदस्त रहम वाला। (68) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (जब फ़िरऔन को इस वाकिए से भी हिदायत न हुई और उसने बनी इस्राईल को सताना न छोड़ा तो) हमने मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को हुक्म भेजा कि मेरे (उन) बन्दों को (यानी बनी इस्राईल को) रातों-रात (मिस्र से बाहर) निकाल ले जाओ, (और फ़िरऔन की जानिब से) तुम लोगों का पीछा (भी) किया जायेगा। (चुनाँचे हुक्म के मुताबिक़ वह बनी इस्राईल को लेकर रात को चल दिये। सुबह यह ख़बर मशहूर हुई तो) फ़िरऔन ने (पीछा करने की तदबीर के लिये आस-पास के) शहरों में चपरासी दौड़ा दिये (और यह कहला भेजा) कि ये लोग (यानी बनी इस्राईल हमारे मुक़ाबले में) थोड़ी-सी जमाअ़त है (उनके मुक़ाबले से कोई अन्देशा न करे) और उन्होंने (अपनी कार्रवाई से) हमको बहुत गुस्सा दिलाया है (वह कार्रवाई यह है कि छुपी चालाकी से निकल गये, या यह कि हमारा बहुत सारा ज़ेवर भी माँगने के बहाने से ले गये, ग़र्ज़ कि हमको बेवक़ूफ़ बनाकर गये, ज़रूर उनको इसका मज़ा चखाना चाहिए) और हम सब हथियारों से लैस एक जमाअ़त (और बाक़ायदा फ़ौज) हैं, ग़र्ज़ कि (दो-चार दिन में जब सामान और फ़ौज से ठीक-ठाक हो गया तो लाव-लश्कर लेकर बनी इस्राईल का पीछा करने के लिये चला और यह ख़बर न थी कि अब लौटना नसीब न होगा तो इस हिसाब से गोया) हमने उनको बाग़ों से और चश्मों से "निकाला" और ख़ज़ानों से और उम्दा मकानात से निकाल बाहर किया।

(हमने उनके साथ तो) यूँ किया और उनके बाद बनी इस्राईल को उनका मालिक बनाया। (ऊपर से बयान हो रहे मज़मून से हटकर बीच में यह एक दूसरी बात का बयान था, आगे फिर वही क़िस्सा है) ग़र्ज़ कि (एक दिन) सूरज निकलने के वक़्त उनको पीछे से जा लिया (यानी क़रीब पहुँच गये, उस वक़्त बनी इस्राईल दरिया-ए-क़ुल्ज़ुम से उतरने की फ़िक्र में थे कि क्या सामान करें) फिर दोनों जमाअ़तें (आपस में ऐसी क़रीब हुईं कि) एक-दूसरे को देखने लगीं, तो मूसा (अ़लैहिस्सलाम) के साथ

वाले (घबराकर) कहने लगे कि (ऐ मूसा!) बस हम तो हाथ आ गये। मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने फ़रमाया हरगिज़ नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरा रब है, वह मुझको अभी (दरिया से निकलने का) रास्ता बतला देगा। (क्योंकि मूसा अ़लैहिस्सलाम को रवानगी के वक़्त ही कह दिया गया था कि समुद्र में ख़ुश्क रास्ता पैदा हो जायेगा, जैसा कि सूरः तॉ-हा की आयत 77 में इसकी वज़ाहत है। अगरचे ख़ुश्क होने की कैफ़ियत उस वक़्त न बतलाई थी। पस मूसा अ़लैहिस्सलाम उस वायदे पर मुत्मईन थे, और बनी इस्राईल कैफ़ियत मालूम न होने से परेशान थे)। फिर हमने मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को हुक्म दिया कि अपनी लाठी को दरिया पर मारो, चुनाँचे (उन्होंने उस पर लाठी मारी, जिस से) वह (दरिया) फट (कर कई हिस्से हो) गया (यानी पानी कई जगह से, इधर-उधर हटकर बीच में अनेक सड़कें खुल गई) और हर हिस्सा इतना (बड़ा) था जैसा बड़ा पहाड़। (ये लोग दरिया में अमन व इत्मीनान से पार हो गये) और हमने दूसरे फ़रीक़ को भी उस जगह के क़रीब पहुँचा दिया (यानी फ़िरऔ़न और फ़िरऔ़नी लोग भी दरिया के नज़दीक पहुँचे और पहले से की गयी भविष्यवाणी के मुताबिक़ दरिया उस वक़्त तक उसी हाल पर ठहरा हुआ था, इसलिए खुले रास्ते को ग़नीमत समझा और आगा-पीछा कुछ सोचा नहीं, सारा लश्कर अन्दर घुस गया और चारों तरफ़ से पानी सिमटना शुरू हुआ और सारे लश्कर का काम तमाम हुआ) और (क़िस्से का अन्जाम यह हुआ कि) हमने मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को और उनके साथ वालों को सब को (ग़र्क़ होने से) बचा लिया, फिर दूसरों को (यानी उनके मुख़ालिफ़ों को) ग़र्क़ कर दिया।

(और) इस वाक़िए में (भी) बड़ी इब्रत है (यानी यह इस क़ाबिल है कि काफ़िर लोग इससे दलील हासिल करें कि अल्लाह के अहकाम और उसके रसूलों की मुख़ालफ़त अल्लाह के अ़ज़ाब को लाने वाली है और इसको समझकर मुख़ालफ़त से बचें), और (इसके बावजूद) इन (मक्का के काफ़िरों) में अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और आप का रब बड़ा ज़बरदस्त है (अगर चाहता दुनिया में ही इनको अ़ज़ाब देता लेकिन) बड़ा मेहरबान है (इसलिए अपनी उमूमी रहमत से अ़ज़ाब की मोहलत मुक़र्रर कर दी है, पस अ़ज़ाब के फ़ौरन आने से भी बेफ़िक्र न होना चाहिए)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِیْٓ اِسْرَآءِیْلَ ○

इस आयत में बज़ाहिर यह वज़ाहत है कि फ़िरऔ़न की क़ौम की छोड़ी हुई मिल्कियतें और जायदाद, बाग़ात व ख़ज़ानों का मालिक फ़िरऔ़न के ग़र्क़ होने के बाद बनी इस्राईल को बना दिया गया, लेकिन इसमें एक तारीख़ी इश्काल (शुब्हा व एतिराज़) यह है कि ख़ुद क़ुरआन की अनेक आयतें इस पर सुबूत हैं कि क़ौमे फ़िरऔ़न की हलाकत के बाद बनी इस्राईल मिस्र की तरफ़ नहीं लौटे बल्कि अपने असली वतन पवित्र ज़मीन मुल्क शाम की तरफ़ रवाना हुए, वहीं उनको एक काफ़िर क़ौम से जिहाद करके उनके शहर को फ़तह करने का हुक्म मिला, जिसकी तामील से बनी इस्राईल ने इनकार कर दिया, इस पर अ़ज़ाब के तौर पर उस खुले मैदान में जिसमें बनी इस्राईल मौजूद थे एक क़ुदरती जेलख़ाना बना दिया गया, कि वे उस मैदान से निकल नहीं सकते थे, इसी हाल में चालीस साल गुज़रे

और उसी वादी-ए-तीह में उनके दोनों पैग़म्बरों हज़रत मूसा और हारून अ़लैहिमस्सलाम की वफ़ात हो गयी। उसके बाद भी तारीख़ की किताबों से यह साबित नहीं होता कि किसी वक़्त बनी इस्राईल सामूहिक और क़ौमी सूरत से मिस्र में दाख़िल हुए हों कि क़ौमे फ़िरऔ़न की जायदादों व ख़ज़ानों पर उनका क़ब्ज़ा हुआ हो।

तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में सूरः शु-अ़रा की इसी आयत के तहत तफ़सीर के इमामों ने इसके दो जवाब हज़रत हसन व क़तादा रह. के हवाले से नक़ल किये हैं। हज़रत हसन रह. का इरशाद है कि उक्त आयत में बनी इस्राईल को फ़िरऔ़न और उसकी क़ौम की छोड़ी हुई जायदाद का वारिस बनाने का ज़िक्र है मगर यह कहीं मज़कूर नहीं कि यह वाक़िआ़ फ़िरऔ़न की हलाकत के बाद हो जायेगा। तीह की वादी के वाक़िए और चालीस पचास साल के बाद भी अगर वे मिस्र में दाख़िल हुए हों तो आयत के मफ़्हूम में कोई फ़र्क़ नहीं आता। रहा यह मामला कि तारीख़ से उनका मिस्र में सामूहिक दाख़िला साबित नहीं, तो यह एतिराज़ इसलिये क़ाबिले तवज्जोह नहीं है कि उस ज़माने की तारीख़ यहूदियों व ईसाईयों की लिखी हुई झूठी बातों से भरपूर है जो किसी तरह क़ाबिले भरोसा नहीं, उसकी वजह से क़ुरआनी आयतों में कोई तावील (मतलब में उलट-फेर) करने की ज़रूरत नहीं।

हज़रत क़तादा रह. ने फ़रमाया कि इस वाक़िए के बारे में जितनी आयतें क़ुरआने करीम की अनेक सूरतों में आई हैं मसलन सूरः आराफ़ आयत 128 और 137 और सूरः क़सस आयत 5 और सूरः दुख़ान की आयात 25 से 28 और सूरः शु-अ़रा की ऊपर बयान हुई यह आयत 59, इन सब के ज़ाहिर से अगरचे ज़ेहन इस तरफ़ जाता है कि बनी इस्राईल को ख़ास उन्हीं बाग़ों और जायदादों का मालिक बनाया गया था जो क़ौमे फ़िरऔ़न ने मिस्र की ज़मीन में छोड़ी थीं जिसके लिये बनी इस्राईल को मिस्र की तरफ़ लौटना ज़रूरी है, लेकिन इन सब आयतों के अलफ़ाज़ में इसकी भी स्पष्ट गुंजाईश मौजूद है कि इससे मुराद यह हो कि बनी इस्राईल को उसी तरह के ख़ज़ानों और बाग़ों वग़ैरह का मालिक बना दिया गया जिस तरह के बाग़ात क़ौमे फ़िरऔ़न के पास थे। जिसके लिये यह ज़रूरी नहीं कि वे मिस्र की ज़मीन ही में पहुँचकर हासिल हों बल्कि शाम के मुल्क में भी हासिल हो सकते हैं। और सूरः आराफ़ की आयत में 'अल्लती बारक्ना फ़ीहा' (आयत नम्बर 147) के अलफ़ाज़ से बज़ाहिर यही मालूम होता है कि मुल्क शाम मुराद है, क्योंकि क़ुरआने करीम की अनेक आयतों में 'बारक्ना' वग़ैरह के अलफ़ाज़ अक्सर शाम की सरज़मीन ही के बारे में आये हैं, इसलिये हज़रत क़तादा रह. का क़ौल यह है कि बिना ज़रूरत क़ुरआनी आयतों को ऐसे मायनों पर फ़िट करना जो वैश्विक तारीख़ से टकरायें दुरुस्त नहीं।

ख़ुलासा यह है कि अगर वाक़िआ़त (तथ्यों) यह साबित हो जाये कि फ़िरऔ़न की हलाकत के बाद किसी वक़्त भी बनी इस्राईल सामूहिक रूप में मिस्र पर क़ाबिज़ नहीं हुए तो हज़रत क़तादा रह. की तफ़सीर के मुताबिक़ इन तमाम आयतों में मुल्क शाम की सरज़मीन और उसके बाग़ों व ख़ज़ानों का वारिस होना मुराद लिया जा सकता है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰٓى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ○ قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ○

उस वक़्त जबकि फ़िरऔ़नी लश्कर उनका पीछा कर रहा था, जब बिल्कुल सामने आ गया तो

बनी इस्राईल की पूरी कौम चिल्ला उठी कि हम तो पकड़ लिये गये और पकड़े जाने में शुब्हा और देर ही क्या थी कि पीछे यह ज़बरदस्त लश्कर और आगे दरिया रुकावट, यह सूरतेहाल मूसा अलैहिस्सलाम से भी छुपी न थी मगर वह हिम्मत व मज़बूती के पहाड़ अल्लाह के वायदे पर यकीन किये हुए उस वक़्त भी बड़े ज़ोर से कहते हैं 'कल्ला' हरगिज़ नहीं पकड़े जा सकते, और वजह यह बतलाते हैं कि:

إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۝

मेरे साथ मेरा परवर्दिगार है जो मुझे रास्ता देगा। ईमान का इम्तिहान ऐसे ही मौकों में होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम पर ज़रा भी घबराहट नहीं थी, वह गोया बचने का रास्ता अपनी आँखों से देख रहे थे। बिल्कुल इसी तरह का वाकिआ हिजरत के वक़्त ग़ारे सौर में छुपने के वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को पेश आया था कि दुश्मन आपका पीछा कर रहे थे, उस ग़ार के दहाने पर आ खड़े हुए, ज़रा नीचे नज़र करें तो आप उनके सामने आ जायें, उस वक़्त सिद्दीके अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को घबराहट हुई तो आपने बिल्कुल यही जवाब दिया:

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا.

कि ग़म न करो अल्लाह हमारे साथ है। इन दोनों वाकिआत में एक बात यह भी ध्यान देने के काबिल है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तसल्ली देने के लिये कहा कि "मेरे साथ मेरा रब है" और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जवाब 'म-अना' फ़रमाया कि हम दोनों के साथ हमारा रब है। यह उम्मते मुहम्मदिया की ख़ुसूसियत है कि उसके अफ़राद भी अपने रसूल के साथ अल्लाह के साथ होने के सम्मान से नवाज़े गये।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ۝ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۝

قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ۝ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۝ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ۝ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ۝ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۝ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ۝ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۝ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۝ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۝ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۝ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ۝ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ۝ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ۝ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۝ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ۝ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ۝ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ۝ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۝

تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٩٧﴾ اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٨﴾ وَمَآ اَضَلَّنَآ اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٩٩﴾ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٢﴾ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۭ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٤﴾

वत्लु अ़लैहिम् न-ब-अ इब्राहीम। (69) इज़् का-ल लि-अबीहि व क़ौमिही मा तअ़्बुदून (70) क़ालू नअ़्बुदु अस्नामन् फ़-नज़ल्लु लहा आ़किफ़ीन (71) का-ल हल् यस्मअ़ूनकुम् इज़् तद्अ़ून (72) औ यन्फ़अ़ूनकुम् औ यज़ुर्रून (73) क़ालू बल् वजद्ना आबा-अना कज़ालि-क यफ़्अ़लून (74) का-ल अ-फ़-रऐतुम् मा कुन्तुम् तअ़्बुदून (75) अन्तुम् व आबाउकुमुल्-अक़्दमून (76) फ़-इन्नहुम् अ़दुव्वुल्-ली इल्ला रब्बल्-आ़लमीन (77) अल्लज़ी ख़ा-ल-क़नी फ़हु-व यह्दीन (78) वल्लज़ी हु-व युत्अ़िमुनी व यस्क़ीन (79) व इज़ा मरिज़्तु फ़हु-व यश्फ़ीन (80) वल्लज़ी युमीतुनी सुम्-म युह्यीन (81) वल्लज़ी अत्मअ़ु अंय्यग़्फ़ि-र ली ख़तीअती यौमद्दीन (82) रब्बि हब् ली हुक्मंव्-व अल्हिक़्नी बिस्सालिहीन (83)

और सुना दे उनको ख़बर इब्राहीम की। (69) जब कहा अपने बाप को और उसकी क़ौम को- तुम किसको पूजते हो। (70) वे बोले हम पूजते हैं मूर्तियों को, फिर सारे दिन उन्हीं के पास लगे बैठे रहते हैं। (71) कहा कुछ सुनते हैं तुम्हारा कहा जब तुम पुकारते हो? (72) या कुछ भला करते हैं तुम्हारा या बुरा? (73) बोले नहीं, पर हमने पाया अपने बाप-दादों को यही काम करते। (74) कहा भला देखते हो जिनको पूजते रहे हो (75) तुम और तुम्हारे अगले बाप-दादे। (76) सो वे मेरे दुश्मन हैं, मगर जहान का रब (77) जिस ने मुझको बनाया सो वही मुझको राह दिखलाता है। (78) और वह जो मुझको खिलाता है और पिलाता है। (79) और जब मैं बीमार हूँ तो वही शिफ़ा देता है। (80) और वह जो मुझको मारेगा और फिर जिलायेगा। (81) और वह जो मुझको उम्मीद है कि बख़्शे मेरी ख़ता इन्साफ़ के दिन। (82) ऐ मेरे रब दे मुझको हुक्म और मिला मुझको नेकों में। (83)

वजअ़ल्ली लिसा-न सिद्किन् फ़िल्-आख़िरीन (84) वज्अ़ल्नी मिंव्व-र-सति जन्नतिन्-नअ़ीम (85) वग़्फ़िर् लि-अबी इन्नहू का-न मिनज़्ज़ॉल्लीन (86) व ला तुख़्ज़िनी यौ-म युब्अ़सून (87) यौ-म ला यन्फ़अ़ु मालुंव्-व ला बनून (88) इल्ला मन् अतल्ला-ह बि-क़ल्बिन् सलीम (89) व उज़्लि-फ़तिल्-जन्नतु लिल्मुत्तक़ीन (90) व बुर्रि-ज़तिल्-जहीमु लिल्ग़ावीन (91) व क़ी-ल लहुम् ऐ-नमा कुन्तुम् तअ़्बुदून (92) मिन् दूनिल्लाहि, हल् यन्सुरूनकुम् औ यन्तसिरून (93) फ़कुब्किबू फ़ीहा हुम् वल्ग़ावून (94) व जुनूदु इब्ली-स अज्मअ़ून (95) क़ालू व हुम् फ़ीहा यख़्तसिमून (96) तल्लाहि इन् कुन्ना लफ़ी ज़लालिम् मुबीन (97) इज़् नुसव्वीकुम् बिरब्बिल्-आ़लमीन (98) व मा अज़ल्लना इल्लल्-मुज्रिमून (99) फ़मा लना मिन् शाफ़िअ़ीन (100) व ला सदीक़िन् हमीम (101) फ़लौ अन्-न लना कर्रतन् फ़-नकू-न मिनल्-मुअ्मिनीन (102) इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआ-यतन्,

और रख मेरा बोल सच्चा बाद वालों में। (84) और कर मुझको वारिसों में नेमत के बाग़ के। (85) और माफ़ कर मेरे बाप को वह था राह भूले हुओं में। (86) और रुस्वा न कर मुझको जिस दिन सब ज़िन्दा होकर उठें। (87) जिस दिन न काम आये कोई माल और न बेटे (88) मगर जो कोई आया अल्लाह के पास लेकर चंगा दिल। (89) और पास लायें जन्नत को डर वालों के वास्ते (90) और निकालें दोज़ख़ को सामने बेराहों के (91) और कहें उनको कहाँ हैं जिनको तुम पूजते थे (92) अल्लाह के सिवाय क्या कुछ मदद करते हैं तुम्हारी या बदला ले सकते हैं? (93) फिर औंधे डालें उसमें उनको और सब बेराहों को। (94) और इब्लीस के लश्कर को सभों को। (95) कहेंगे जब वे वहाँ आपस में झगड़ने लगें। (96) क़सम अल्लाह की हम थे खुली ग़लती में। (97) जब हम तुमको बराबर करते थे परवर्दिगारे आ़लम के। (98) और हमको राह से बहकाया सो उन गुनाहगारों ने। (99) फिर कोई नहीं हमारी सिफ़ारिश करने वाले (100) और न कोई दोस्त मुहब्बत करने वाला। (101) सो किसी तरह हमको फिर जाना मिले तो हम हों ईमान वालों में। (102) इस बात में निशानी है,

व मा का-न अक्सरुहुम् मुअ्मिनीन (103) व इन्-न रब्ब-क लहुवल् अ़ज़ीज़ुर्-रहीम (104) ❁	और बहुत लोग उनमें नहीं मानने वाले। (103) और तेरा रब वही है ज़बरदस्त रहम वाला। (104) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और आप इन लोगों के सामने इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) का क़िस्सा बयान कीजिए (ताकि इनको शिर्क की बुराई की दलीलें मालूम हों, ख़ुसूसन इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम से मन्क़ूल होकर, क्योंकि अ़रब के ये मुश्रिक लोग अपने को इब्राहीमी तरीक़े पर बतलाते हैं, और वह क़िस्सा उस वक़्त हुआ था) जबकि उन्होंने अपने बाप से और अपनी क़ौम से (जो कि बुत-परस्त थे) फ़रमाया कि तुम किस (वाहियात) चीज़ की इबादत किया करते हो, उन्होंने कहा कि हम बुतों की इबादत किया करते हैं और हम उन्हीं की (इबादत) पर जमे बैठे रहते हैं। इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम ने) फ़रमाया कि क्या ये तुम्हारी सुनते हैं जब तुम इनको (अपनी ज़रूरत पेश करने के वक़्त) पुकारा करते हो? या (तुम जो इनकी इबादत करते हो तो क्या) ये तुमको कुछ नफ़ा पहुँचाते हैं, या (अगर तुम इनकी इबादत करना छोड़ दो तो क्या) ये तुमको कुछ नुक़सान पहुँचा सकते हैं? (यानी माबूद बनने का मुस्तहिक़ होने के लिये इल्म और कामिल क़ुदरत तो ज़रूरी है)। उन लोगों ने कहा नहीं (यह बात तो नहीं है कि ये कुछ सुनते हों या नफ़ा व नुक़सान पहुँचा सकते हों, और इनकी इबादत करने की यह वजह नहीं) बल्कि हमने अपने बड़ों को इसी तरह करते देखा है (इसीलिये हम भी वही करते हैं)।

इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि भला तुमने उन (की हालत) को (ग़ौर से) देखा भी जिनकी तुम इबादत किया करते हो? तुम भी और तुम्हारे पुराने बड़े भी कि ये (माबूद) मेरे (यानी तुम्हारे लिये) नुक़सान का सबब हैं (यानी अगर इनकी इबादत की जाये, चाहे नऊज़ु बिल्लाह मैं करूँ या तुम करो तो सिवाय नुक़सान के और कोई नतीजा नहीं) मगर हाँ रब्बुल-आ़लमीन (ऐसा है कि वह अपनी इबादत करने वालों का दोस्त है और उसकी इबादत पूरी तरह नफ़ा देने वाली है) जिसने मुझको (और इसी तरह सब को) पैदा किया, फिर वही मुझको (मेरी मस्लेहतों तक) रहनुमाई करता है (यानी अ़क़्ल व समझ देता है जिससे नफ़े व नुक़सान को समझता हूँ) और जो कि मुझको खिलाता-पिलाता है। और जब मैं बीमार हो जाता हूँ (जिसके बाद शिफ़ा हो जाती है) तो वही मुझको शिफ़ा देता है। और जो मुझको (वक़्त पर) मौत देगा, फिर (क़ियामत के दिन) मुझको ज़िन्दा करेगा। और जिससे मुझको यह उम्मीद है कि मेरी ग़लतियों को क़ियामत के दिन माफ़ कर देगा (ये सारी की सारी सिफ़ात इसलिये सुनाईं कि क़ौम को ख़ुदा तआ़ला की इबादत की तरफ़ तवज्जोह और रुचि हो, फिर कमाल वाली सिफ़ात बयान फ़रमाते-फ़रमाते अल्लाह तआ़ला की तरफ़ तवज्जोह व ध्यान के ग़लबे के सबब मुनाजात करने लगे कि) ऐ मेरे रब! मुझको हिक्मत (यानी इल्म व अ़मल के दरमियान जमा करने में ज़्यादा कमाल) अ़ता फ़रमा (क्योंकि जहाँ तक सिर्फ़ हिक्मत का ताल्लुक़ है तो वह तो दुआ़ के वक़्त भी हासिल है) और (अपनी निकटता के दर्जों में) मुझको (आला दर्जे के) नेक लोगों में

शामिल फ़रमा (इससे मुराद बुलन्द रुतबे वाले नबी हैं), और मेरा ज़िक्र आगे आने वालों में जारी रख (ताकि मेरे तरीक़े पर चलें जिसमें मुझको ज़्यादा सवाब मिले) और मुझको जन्नत-ए-नईम के हक़दारों में से कर। और मेरे बाप (को ईमान की तौफ़ीक़ देकर उस) की मग़फ़िरत फ़रमा, कि वह गुमराह लोगों में है। और जिस दिन सब ज़िन्दा होकर उठेंगे उस दिन मुझको रुस्वा न करना।

(आगे उस दिन के कुछ दिल दहला देने वाले वाक़िआत का भी ज़िक्र फ़रमा दिया ताकि क़ौम सुने और डरे। यानी वह ऐसा दिन होगा) उस दिन में कि (निजात के लिये) न माल काम आयेगा और न औलाद। मगर हाँ (उसको निजात होगी) जो अल्लाह तआला के पास (कुफ़्र व शिर्क से) पाक दिल लेकर आयेगा। और (उस दिन) ख़ुदा से डरने वालों (यानी ईमान वालों) के लिये जन्नत नज़दीक कर दी जायेगी (कि उसको देखें और यह मालूम करके कि हम इसमें जायेंगे ख़ुश हों) और गुमराहों (यानी काफ़िरों) के लिये दोज़ख़ सामने ज़ाहिर की जायेगी (कि उसको देखकर ग़मगीन हों कि हम इसमें जायेंगे)। और (उस दिन) उन (गुमराहों) से कहा जायेगा कि वे माबूद कहाँ गये जिनकी तुम इबादत करते थे, क्या (इस वक़्त) वे तुम्हारा साथ दे सकते हैं या अपना ही बचाव कर सकते हैं। फिर (यह कहकर) वे (माबूद) और गुमराह लोग और शैतान का लश्कर सब के सब दोज़ख़ में औंधे मुँह डाल दिये जाएँगे। (पस वे बुत और शयातीन न अपने को बचा सके न अपनी पूजा करने वालों को)।

वे काफ़िर दोज़ख़ में बातचीत करते हुए (उन माबूदों से) कहेंगे कि अल्लाह की क़सम! बेशक हम खुली गुमराही में थे जबकि तुमको (इबादत में) रब्बुल-आलमीन के बराबर करते थे। और हमको तो बस इन बड़े मुजरिमों ने (जो कि गुमराही की बुनियाद रखने वाले थे) गुमराह किया। सो (अब) न कोई हमारा सिफ़ारिशी है (कि छुड़ा ले) और न कोई सच्चा दोस्त है (कि ख़ाली दिल को तसल्ली ही दे) सो क्या अच्छा होता कि हमको (दुनिया में) फिर वापस जाना मिलता ताकि हम मुसलमान हो जाते। (यहाँ तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तक़रीर हो गई आगे अल्लाह तआला का इरशाद है कि) बेशक इस वाक़िये (इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुनाज़रे और क़ियामत के वाक़िए) में (भी हक़ के तालिबों और अन्जाम का डर रखने वालों के लिये) एक बड़ी इब्रत है (कि मुनाज़रे के मज़ामीन में ग़ौर करके तौहीद का एतिक़ाद करें और क़ियामत के वाक़िआत से डरें और ईमान लायें) और (बावजूद इसके) इन (मक्का के मुश्रिकों) में अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। बेशक आपका रब बड़ा ज़बरदस्त, रहमत वाला है (कि अज़ाब दे सकता है मगर मोहलत दे रखी है)।

मआरिफ़ व मसाईल

क़ियामत तक इनसानों में ख़ैर के साथ ज़िक्र रखने की दुआ

وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ○

इस आयत में 'लिसान' से मुराद ज़िक्र है और 'ली' का लाम नफ़े के लिये है। आयत के मायने यह हुए कि ऐ ख़ुदाया! मुझे ऐसे पसन्दीदा तरीक़े और उम्दा निशानियाँ अता फ़रमा जिसकी दूसरे लोग क़ियामत तक पैरवी करें, और मुझे भलाई के साथ और अच्छी सिफ़त से याद किया करें।

(इब्ने कसीर, रूहुल-मआनी)

खुदा तआ़ला ने हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की दुआ़ क़ुबूल फ़रमाई। यहूदी व ईसाई और मक्का के मुश्रिक लोग तक मिल्लते इब्राहीमी (इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के तरीक़े) से मुहब्बत व उलफ़त रखते हैं और अपने आपको उसकी तरफ़ मन्सूब करते हैं, अगरचे उनका तरीक़ा मिल्लते इब्राहीमी के ख़िलाफ़ कुफ़्र व शिर्क है मगर वे दावा यही करते हैं कि हम मिल्लते इब्राहीमी पर हैं और उम्मते मुहम्मदिया तो वास्तविक तौर पर मिल्लते इब्राहीमी पर होने को अपने लिये फ़ख़्र व गर्व का सबब समझती है।

रुतबे व इज़्ज़त की चाह बुरी है मगर कुछ शर्तों के साथ जायज़ है

लोगों से अपनी इज़्ज़त करने और तारीफ़ करने की इच्छा शरअ़न बुरी है, क़ुरआने करीम ने आख़िरत के घर की नेमतों को रुतबे व इज़्ज़त की चाह के छोड़ने पर मौक़ूफ़ क़रार दिया है (जैसा कि अल्लाह तआ़ला ने सूरः क़सस की आयत 83 में इरशाद फ़रमाया है)। इस जगह आयतः

وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝

(ऊपर बयान हुई आयत 84) में हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की यह दुआ़ कि आने वाली नस्लों में मेरी तारीफ़ व प्रशंसा हुआ करे बज़ाहिर इज़्ज़त व तारीफ़ की चाह में दाख़िल मालूम होती है लेकिन आयत के अलफ़ाज़ में ग़ौर किया जाये तो मालूम हो जायेगा कि इस दुआ़ का असल मक़सद इज़्ज़त व नाम की चाह नहीं बल्कि अल्लाह तआ़ला से इसकी दुआ़ है कि ऐसे नेक आमाल की तौफ़ीक़ बख़्शें जो मेरी आख़िरत का सामान बनें और उसको देखकर दूसरे लोगों को भी नेक आमाल की रुचि व दिलचस्पी हो, और मेरे बाद भी लोग नेक आमाल में मेरी पैरवी करते रहें। जिसका ख़ुलासा यह है कि इससे कोई इज़्ज़त व नाम का फ़ायदा हासिल करना मक़सूद ही नहीं, जिसको मक़ाम व मर्तबे की चाह कहा जा सके। क़ुरआन व हदीस में जहाँ नाम व इज़्ज़त और रुतबे व मक़ाम के हासिल करने को मना और बुरा क़रार दिया है उसकी मुराद वही है दुनियावी नाम व रुतबा और उससे दुनियावी फ़ायदे हासिल करना।

इमाम तिर्मिज़ी व नसाई ने हज़रत कअ़ब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि वे भूखे भेड़िये जो बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिये जायें वे बकरियों के रेवड़ को इतना नुक़सान नहीं पहुँचाते जितना दो ख़स्लतें इनसान के दीन को नुक़सान पहुँचाती हैं- एक माल की मुहब्बत दूसरे अपनी इज़्ज़त व तारीफ़ की तलब। (तबरानी हज़रत अबू सईद ख़ुदरी की रिवायत से, बज़्ज़ार हज़रत अबू हुरैरह की रिवायत से)

और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से ज़ईफ़ सनद के साथ दैलमी ने यह रिवायत नक़ल की है कि इज़्ज़त व तारीफ़ की मुहब्बत इनसान को अंधा बहरा कर देती है। इन तमाम रिवायतों से मुराद वह नाम व रुतबे की तलब और तारीफ़ की चाह है जो दुनियावी मक़ासिद के लिये मतलूब हो या जिसकी ख़ातिर दीन में कोताही या किसी गुनाह को करना पड़े, और जब यह सूरत न हो तो रुतबे व इज़्ज़त को तलब करना बुरा और नापसन्दीदा नहीं। हदीस में ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से यह दुआ़ मन्क़ूल है:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ فِیْ عَیْنِیْ صَغِیْرًا وَّفِیْ اَعْیُنِ النَّاسِ کَبِیْرًا

यानी या अल्लाह! मुझे ख़ुद अपनी निगाह में तो छोटा और हक़ीर बना दीजिए और लोगों की नज़र में बड़ा बना दीजिये।

यहाँ भी लोगों की नज़र में बड़ा बनाने का मक़सद यह है कि लोग नेक आमाल में मेरी पैरवी करें। इसी लिये इमाम मालिक रह. ने फ़रमाया कि जो शख़्स वास्तव में नेक हो, लोगों की नज़र में नेक बनने के लिये रियाकारी (दिखावा) न करे उसके लिये लोगों की तरफ़ से तारीफ़ व प्रशंसा की चाहत बुरी नहीं। इब्ने अ़रबी ने फ़रमाया कि उक्त आयत से साबित हुआ कि जिस नेक अ़मल से लोगों में तारीफ़ होती हो उस नेक अ़मल की तलब व इच्छा जायज़ है। और इमाम ग़ज़ाली रह. ने फ़रमाया कि दुनिया में इज़्ज़त व नाम और रुतबे की मुहब्बत तीन शर्तों के साथ जायज़ है- अव्वल यह कि उससे मक़सूद अपने आपको बड़ा और उसके मुक़ाबले में दूसरे को छोटा या हक़ीर क़रार देना न हो, बल्कि आख़िरत के फ़ायदे के लिये हो कि लोग मेरे मोतक़िद होकर नेक आमाल में मेरी पैरवी करें। दूसरे यह कि झूठी तारीफ़ कराना मक़सद न हो कि जो सिफ़त अपने अन्दर नहीं है लोगों से इसकी इच्छा रखे कि वे उस सिफ़त में उसकी तारीफ़ करें। तीसरे यह कि उसके हासिल करने के लिये किसी गुनाह या दीन के मामले में सुस्ती व कोताही इख़्तियार न करनी पड़े।

मुश्रिक लोगों के लिये दुआ़-ए-मग़फ़िरत जायज़ नहीं

وَاغْفِرْ لِاَبِیْٓ اِنَّهٗ کَانَ مِنَ الضَّآلِّیْنَ○

क़ुरआन मजीद के इस फ़रमान के बादः

مَا کَانَ لِلنَّبِیِّ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ یَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِکِیْنَ وَلَوْ کَانُوْٓا اُولِیْ قُرْبٰی مِنْ م بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِیْمِ○

अब किसी ऐसे शख़्स के लिये जिसका कुफ़्र पर मरना यक़ीनी हो इस्तिग़फ़ार और दुआ़-ए-मग़फ़िरत तलब करना नाजायज़ और हराम है, क्योंकि उपरोक्त आयत का तर्जुमा यह है कि किसी नबी और ईमान वालों के लिये यह क़तई जायज़ नहीं कि वे मुश्रिकों के लिये मग़फ़िरत तलब करें चाहे वे उसके रिश्तेदार और क़रीबी ही क्यों न हों, जबकि उनका जहन्नमी होना बिल्कुल स्पष्ट हो चुका हो।

एक सवाल और उसका जवाब

अब यहाँ यह सवाल पैदा हो जाता है कि इस मनाही और रोकने के बाद फिर हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने अपने मुश्रिक बाप के लिये क्यों दुआ़-ए-मग़फ़िरत माँगी? इसका जवाब ख़ुद अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त ने क़ुरआन मजीद में दे दिया किः

وَمَا کَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِیْمَ لِاَبِیْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِیَّاهُ فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ اِنَّ اِبْرٰهِیْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِیْمٌ○ (سورۃ التوبۃ)

जवाब का ख़ुलासा यह है कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने अपने बाप के लिये उनकी ज़िन्दगी में इस्तिग़फ़ार इस नीयत और ख़्याल से किया था कि अल्लाह रब्बुल-इ़ज़्ज़त उनको ईमान लाने की तौफ़ीक़ दे जिसके बाद मग़फ़िरत यक़ीनी है, या हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम का यह ख़्याल था कि मेरा बाप ख़ुफ़िया तौर पर ईमान ले आया है अगरचे उसका इज़हार और ऐलान नहीं किया, लेकिन जब हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को मालूम हो गया कि मेरा बाप तो कुफ़्र पर मरा है तो उन्होंने उससे अपनी पूरी बेज़ारी और बरी होने का इज़हार फ़रमाया।

फ़ायदाः- इस बात की तहक़ीक़ कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को बाप का कुफ़्र और शिर्क अपने बाप की ज़िन्दगी में मालूम हो गया था या मरने के बाद या क़ियामत के दिन होगा, इसकी पूरी तफ़सील सूरः तौबा में बयान हुई है।

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ٥ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ٥

यानी क़ियामत के उस दिन में जिसमें न कोई माल किसी को फ़ायदा देगा न उसके लड़के सिवाय उस शख़्स के जो अल्लाह के पास सलामती वाला दिल लेकर पहुँचे। इस आयत की तफ़सीर कुछ हज़रात ने इल्ला के मज़मून को अलग क़रार देकर यह की है कि उस दिन किसी को न उसका माल काम आयेगा न औलाद, हाँ काम आयेगा तो सिर्फ़ अपना सलामती वाला दिल जिसमें शिर्क व कुफ़्र न हो। और इस जुमले की मिसाल ऐसी होगी जैसे कोई शख़्स ज़ैद (किसी व्यक्ति) के मुताल्लिक़ किसी से पूछे कि क्या ज़ैद के पास माल और औलाद भी है, वह इसके जवाब में कहे कि उसका माल व औलाद तो उसका सही सालिम दिल है। जिसका मतलब यह होता है कि माल व औलाद तो कुछ नहीं मगर उन सब के बदले उसके पास अपना सलामती वाला दिल मौजूद है।

आयत के मज़मून का ख़ुलासा इस तफ़सीर पर यह होता है कि माल या औलाद तो उस दिन कुछ काम न आयेंगे, काम सिर्फ़ अपना ईमान और नेक अ़मल आयेगा जिसको सही सालिम दिल से ताबीर कर दिया गया है। और मशहूर तफ़सीर अक्सर मुफ़स्सिरीन के नज़दीक यह है कि इल्ला के बाद वाला मज़मून भी पीछे के मज़मून से जुड़ा हुआ है और मायने यह हैं कि माल और औलाद क़ियामत के दिन किसी शख़्स के काम न आयेंगे सिवाय उस शख़्स के जिसका दिल सलीम है यानी वह मोमिन है। इसका हासिल यह हुआ कि ये सब चीज़ें क़ियामत में भी मुफ़ीद व लाभदायक हो सकती हैं मगर सिर्फ़ मोमिन के लिये नफ़ा देने वाली होंगी, काफ़िर को कुछ नफ़ा न देंगी। यहाँ एक बात यह ग़ौर करने के क़ाबिल है कि इस जगह क़ुरआने करीम ने 'व ला बनून' फ़रमाया जिसके मायने लड़कों के हैं, आ़म औलाद का ज़िक्र ग़ालिबन इसलिये नहीं किया कि आड़े वक़्त में काम आने की उम्मीद दुनिया में लड़कों ही से हो सकती है, लड़कियों से किसी मुसीबत के वक़्त इमदाद मिलने का तो यहाँ भी बहुत कम और इत्तिफ़ाक़ से ही गुमान व संभावना होती है, इसलिये क़ियामत में विशेष तौर पर लड़कों के फ़ायदा न देने वाले होने का ज़िक्र किया गया जिनसे दुनिया में नफ़े और फ़ायदे की उम्मीद रखी जाती थी।

दूसरी बात यह है कि सलामती वाले दिल के लफ़्ज़ी मायने तन्दुरुस्त दिल के हैं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि इससे मुराद वह दिल है जो कलिमा-ए-तौहीद की गवाही दे

और शिर्क से पाक हो। यही मज़मून मुजाहिद, हसन बसरी, सईद बिन मुसैयब से अलग-अलग उनवानों से नकल किया गया है। सईद बिन मुसैयब रह. ने फ़रमाया कि तन्दुरुस्त दिल सिर्फ़ मोमिन का हो सकता है काफ़िर का दिल बीमार होता है जैसा कि क़ुरआन का इरशाद है:

فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ.

(उनके दिलों में रोग है।)

माल व औलाद और ख़ानदानी ताल्लुक़ात आख़िरत में भी ईमान की शर्त के साथ नफ़ा पहुँचा सकते हैं

उपर्युक्त आयत की मशहूर तफ़सीर के मुताबिक़ मालूम हुआ कि इनसान का माल क़ियामत के दिन भी उसके काम आ सकता है शर्त यह है कि वह मुसलमान हो। इसकी सूरत यह है कि जिस शख़्स ने दुनिया में अपना माल अल्लाह की राह और नेक कामों में ख़र्च किया था या कोई सदक़ा जारिया (जारी रहने वाला नेक काम) करके छोड़ा था, अगर उसका ख़ात्मा ईमान पर हुआ, मेहशर में मोमिनों की फ़ेहरिस्त में दाख़िल हुआ तो यहाँ का ख़र्च किया हुआ माल और सदक़ा-ए-जारिया का सवाब इसको मैदाने हश्र और हिसाब की तराज़ू में भी काम आयेगा। और अगर यह शख़्स मुसलमान नहीं था या ख़ुदा न करे मरने से पहले ईमान से निकल गया तो अब दुनिया में किया हुआ कोई नेक अ़मल इसके काम न आयेगा, और औलाद का भी यही मामला है कि अगर यह शख़्स मुसलमान है तो आख़िरत में भी इसको औलाद का फ़ायदा पहुँच सकता है, इस तरह से कि उसके बाद उसकी औलाद उसके लिये दुआ़-ए-मग़फ़िरत करे या सवाब पहुँचाये, और इस तरह भी कि उसने औलाद को नेक बनाने की कोशिश की थी इसलिये उनके नेक अ़मल का सवाब उसको भी ख़ुद-बख़ुद मिलता रहा और उसके नामा-ए-आमाल में दर्ज होता रहा। और इस तरह भी कि औलाद मेहशर में उसकी शफ़ाअ़त करके बख़्शवा ले जैसा कि हदीस की कुछ रिवायतों में ऐसी शफ़ाअ़त करना और उसका क़ुबूल होना साबित है, ख़ुसूसन नाबालिग़ औलाद का। इसी तरह औलाद को माँ-बाप से भी आख़िरत में ईमान की शर्त के साथ यह नफ़ा पहुँचेगा कि अगर ये मुसलमान हुए मगर इनके नेक आमाल माँ-बाप के दर्जे को नहीं पहुँचे तो अल्लाह तआ़ला इनके बाप-दादा की रियायत करके इनको भी उसी बुलन्द मक़ाम में पहुँचा देंगे जो इनके बाप-दादा का मक़ाम है। क़ुरआने करीम में इसकी वज़ाहत इस तरह बयान हुई है:

وَاَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ.

यानी हम मिला देंगे अपने नेक बन्दों के साथ उनकी औलाद को भी।

इस आयत की उपर्युक्त मशहूर तफ़सीर से मालूम हुआ कि क़ुरआन व हदीस में जहाँ कहीं यह ज़िक्र हुआ है कि क़ियामत में ख़ानदानी ताल्लुक़ कुछ काम न आयेगा उसकी मुराद यह है कि ग़ैर-मोमिन को काम न आयेगा, यहाँ तक कि पैग़म्बर की औलाद और बीवी भी अगर मोमिन नहीं तो उनकी पैग़म्बरी से उनको क़ियामत में कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा जैसा कि हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम के

बेटे और लूत अ़लैहिस्सलाम की बीवी और इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के वालिद का मामला है। क़ुरआन में बयान हुई इन आयतोंः

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَآ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ

(सूरः मोमिनून आयत 101) औरः

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيْهِ ○ وَأُمِّهٖ وَأَبِيْهِ ○ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ○

(सूरः अ़-ब-स आयत 34-36) औरः

لَا يَجْزِيْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ

(सूरः लुक़मान आयत 33) सब का यही मतलब हो सकता है। वल्लाहु आलम

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ ِۨ الْمُرْسَلِيْنَ ۚ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ نُوْحٌ أَلَا تَتَّقُوْنَ ۚ إِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ ۙ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ ۚ وَمَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ ۚ قَالُوْٓا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُوْنَ ۚ قَالَ وَمَا عِلْمِيْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۚ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلٰى رَبِّيْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ۚ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۚ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ۚ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِيْ كَذَّبُوْنِ ۚ فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِيْ وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ فَأَنْجَيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۚ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبٰقِيْنَ ۚ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۚ

कज़्ज़बत् क़ौमु नूहि-निल्-मुर्सलीन (105) इज़् क़ा-ल लहुम् अख़ूहुम् नूहुन् अला तत्तक़ून (106) इन्नी लकुम् रसूलुन् अमीन (107) फ़त्तक़ुल्ला-ह व अतीअ़ून (108) व मा अस्अलुकुम् अ़लैहि मिन् अज्रिन् इन् अज्रि-य इल्ला अ़ला रब्बिल्-आ़लमीन (109) फ़त्तक़ुल्ला-ह व अतीअ़ून (110) क़ालू अनुअ्मिनु ल-क वत्त-ब-अ़कल्-अर्ज़लून (111)	झुठलाया नूह की क़ौम ने पैग़ाम लाने वालों को। (105) जब कहा उनको उनके भाई नूह ने क्या तुमको डर नहीं? (106) मैं तुम्हारे वास्ते पैग़ाम लाने वाला हूँ मोतबर। (107) सो डरो अल्लाह से और मेरा कहा मानो। (108) और माँगता नहीं मैं तुम से इस पर कुछ बदला, मेरा बदला है उसी परवर्दिगारे आ़लम पर। (109) सो डरो अल्लाह से और मेरा कहा मानो। (110) बोले क्या हम तुझको मान लें और तेरे साथ हो रहे हैं कमीने। (111)

का-ल व मा ज़िल्मी बिमा कानू यअ्मलून (112) इन् हिसाबुहुम् इल्ला अ़ला रब्बी लौ तश्अ़ुरून (113) व मा अ-न बितारिदिल्-मुअ्मिनीन (114) इन् अ-न इल्ला नज़ीरुम्-मुबीन (115) क़ालू ल-इल्लम् तन्तहि या नूहु ल-तकूनन्-न मिनल्-मर्जूमीन (116) का-ल रब्बि इन्-न क़ौमी कज़्ज़बून (117) ● फ़फ़्तह् बैनी व बैनहुम फ़त्हंव्-व नज्जिनी व मम्-मअ़ि-य मिनल्-मुअ्मिनीन (118) फ़-अन्जैनाहु व मम्-म-अ़हू फ़िल्फ़ुल्किल्-मश्हून (119) सुम्-म अग़्रक़्ना बअ्दुल्-बाक़ीन (120) इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआ-यतन् व मा का-न अक्सरुहुम्-मुअ्मिनीन (121) व इन्-न रब्ब-क लहुवल् अ़ज़ीज़ुर्-रहीम (122) ✿	कहा मुझको क्या जानना है उसका जो काम वे कर रहे हैं। (112) उनका हिसाब पूछना मेरे रब का ही काम है अगर तुम समझ रखते हो। (113) और मैं हाँकने वाला नहीं ईमान लाने वालों को। (114) मैं तो बस यही डर सुना देने वाला हूँ खोलकर। (115) बोले अगर तू न छोड़ेगा ऐ नूह! तो ज़रूर संगसार कर दिया जायेगा। (116) कहा ऐ रब! मेरी क़ौम ने तो मुझको झुठलाया। (117) ● सो फ़ैसला कर दे मेरे उनके बीच में किसी तरह का फ़ैसला और बचा ले मुझको और जो मेरे साथ हैं ईमान वाले। (118) फिर बचा दिया हमने उसको और जो उसके साथ थे उस लदी हुई कश्ती में। (119) फिर डुबा दिया हमने उसके बाद उन बाक़ी रहे हुओं को। (120) यक़ीनन इस बात में निशानी है, और उनमें बहुत लोग नहीं हैं मानने वाले। (121) और तेरा रब वही है ज़बरदस्त रहम वाला। (122) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

नूह की क़ौम ने पैग़म्बरों को झुठलाया (क्योंकि एक पैग़म्बर को झुठलाने से सब का झुठलाना लाज़िम आता है) जबकि उनसे उनकी बिरादरी के भाई नूह (अ़लैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि क्या तुम (अल्लाह तआ़ला से) नहीं डरते? मैं तुम्हारा अमानतदार पैग़म्बर हूँ (कि अल्लाह के पैग़ाम को बिना किसी कमी-बेशी के ज्यों-का-त्यों पहुँचा देता हूँ) सो (इसका तक़ाज़ा यह है कि) तुम लोग अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। और (साथ ही यह कि) मैं तुमसे कोई (दुनियावी) सिला (भी) नहीं माँगता, मेरा सिला तो बस रब्बुल-आ़लमीन के ज़िम्मे है। सो (मेरी इस बेग़र्ज़ी का तक़ाज़ा भी यह है कि) तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। वे लोग कहने लगे कि क्या हम तुमको मानेंगे

हालाँकि रज़ील "यानी सामाजिक तौर पर कमज़ोर व कम दर्जे के" लोग तुम्हारे साथ हो लिये हैं (जिनकी मुवाफ़क़त से बड़े और सम्मानित लोगों को शर्म आती है, और यह कि अक्सर ऐसे कम हौसले वाले लोगों का मक़सद किसी के साथ लगने से कुछ माल या मर्तबा हासिल करना होता है, उनका ईमान लाने का दावा भी क़ाबिले एतिबार नहीं)।

नूह (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि उनके (पेशे और दुनियावी) काम से मुझको क्या बहस (चाहे बड़े दर्जे के हों या कम-दर्जे के, दीन में इस फ़र्क़ और भेद का क्या असर? रहा यह शुब्हा व गुमान कि उनका ईमान दिल से नहीं सो इस पर) उनसे हिसाब किताब लेना बस ख़ुदा का काम है। क्या ख़ूब हो कि तुम इसको समझो। और (घटिया और कम दर्जे के पेशे वाले लोगों को अपने ईमान की रुकावट क़रार देने से जो इशारे में यह दरख़्वास्त निकलती है कि मैं उनको अपने पास से दूर करूँ तो) मैं ईमान वालों को दूर करने वाला नहीं हूँ (चाहे तुम ईमान लाओ या न लाओ, मेरा कोई नुक़सान नहीं, क्योंकि) मैं तो साफ़ तौर पर एक डराने वाला हूँ (और तब्लीग़ से मेरी पैग़म्बरी की ज़िम्मेदारी पूरी हो जाती है, आगे अपना नफ़ा व नुक़सान तुम लोग देख लो) वे लोग कहने लगे कि अगर तुम (इस कहने-सुनने से) ऐ नूह! बाज़ न आओगे तो ज़रूर संगसार कर दिये जाओगे। (ग़र्ज़ कि जब सालों साल इस तरह गुज़र गये तब) नूह (अलैहिस्सलाम) ने दुआ की कि ऐ मेरे परवर्दिगार! मेरी क़ौम मुझको (बराबर) झुठला रही है सो आप मेरे और उनके दरमियान में एक (अमली) फ़ैसला कर दीजिये (यानी उनको हलाक कर दीजिये)। और मुझको और जो ईमान वाले मेरे साथ हैं उनको (उस हलाकत से) निजात दीजिये, तो हमने (उनकी दुआ क़ुबूल की और) उनको और जो उनके साथ भरी हुई कश्ती में (सवार) थे उनको निजात दी। फिर उसके बाद हमने बाक़ी लोगों को डुबो दिया। इस (वाक़िए) में (भी) बड़ी सीख है, और (बावजूद इसके) इन (मक्का के काफ़िरों) में अक्सर लोग ईमान नहीं लाते, और बेशक आपका रब ज़बरदस्त (और) मेहरबान है (कि बावजूद अज़ाब पर क़ादिर होने के उनको मोहलत दिये हुए है)।

मआरिफ़ व मसाईल

नेक कामों पर उजरत लेने का हुक्म

وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ.

इस आयत से मालूम होता है कि तालीम और तब्लीग़ पर उजरत लेना दुरुस्त नहीं है, इसलिये पहले के बुज़ुर्गों ने उजरत लेने को हराम कहा है, लेकिन बाद के उलेमा ने इसको मजबूरी की हालत में जायज़ क़रार दिया है। इसकी पूरी तफ़सील आयतः

لَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا

(सूरः ब-क़रह आयत 41) के तहत में बयान हो चुकी है।

फ़ायदाः इस जगह 'फ़त्तक़ुल्ला-ह व अतीऊ़न' की आयत दो बार ताकीद के लिये और यह बतलाने के लिये लाई गयी है कि रसूल की बात मानने और ख़ुदा तआला से डरने के लिये सिर्फ़ रसूल

की अमानत व सच्चाई या सिर्फ़ तब्लीग़ व तालीम पर उजरत न तलब करना ही काफ़ी था लेकिन जिस रसूल में ये सब सिफ़तें पाई जायें उसकी इताअ़त (हुक्म मानना) और उसके ख़ुदा से डरना तो और लाज़िमी हो जाता है।

बड़ा-छोटा और ऊँचा-नीचा होना आमाल व अख़्लाक़ से है न कि ख़ानदान और रुतबे व शान से

قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ۝ قَالَ وَمَا عِلْمِیْ بِمَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ۝

इस आयत में सबसे पहले मुश्रिकों का यह क़ौल नक़ल किया है कि उन्होंने हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम पर ईमान लाने से इनकार की वजह यह बयान की कि आपके मानने वाले सारे रज़ील (कम दर्जे के और छोटे) लोग हैं, हम इज़्ज़तदार शरीफ़ उनमें कैसे मिल जायें? नूह अ़लैहिस्सलाम ने जवाब में फ़रमाया कि मुझे उनके आमाल का हाल मालूम नहीं। इसमें इशारा फ़रमा दिया कि तुम लोग जो ख़ानदानी शराफ़त या माल व दौलत और इज़्ज़त व मर्तबे को शराफ़त की बुनियाद समझते हो यह ग़लत है, बल्कि इज़्ज़त व ज़िल्लत या शराफ़त व रज़ालत की बुनियाद दर असल आमाल व अख़्लाक़ पर है। तुमने जिन पर यह हुक्म लगा दिया कि ये सब रज़ील हैं, यह तुम्हारी जहालत है चूँकि हम हर शख़्स के आमाल व अख़्लाक़ की हक़ीक़त से वाक़िफ़ नहीं इसलिये हम कोई फ़ैसला नहीं कर सकते कि हक़ीक़त में कौन रज़ील है कौन शरीफ़। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

كَذَّبَتْ عَادُ ࣙالْمُرْسَلِیْنَ۝ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ۝ اِنِّیْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ۝ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْنِ۝ وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِیَ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۝ اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِیْعٍ اٰیَةً تَعْبَثُوْنَ۝ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ۝ وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِیْنَ۝ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْنِ۝ وَاتَّقُوا الَّذِیْٓ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ۝ اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِیْنَ۝ وَجَنّٰتٍ وَّعُیُوْنٍ۝ اِنِّیْٓ اَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ۝ قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَیْنَآ اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِیْنَ۝ اِنْ هٰذَآ اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِیْنَ۝ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِیْنَ۝ فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِیْنَ۝ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ۝ ع ١٨

कज़्ज़बत् आ़दु-निल्-मुर्सलीन (123) इज़् क़ा-ल लहुम् अख़ूहुम् हूदुन् अला तत्तक़ून (124) इन्नी लकुम् रसूलुन्	झुठलाया आ़द ने पैग़ाम लाने वालों को। (123) जब कहा उनको उनके भाई हूद ने क्या तुमको डर नहीं? (124) मैं तुम्हारे पास पैग़ाम लाने वाला

अमीन (125) फ़त्तक़ुल्ला-ह व अतीअ़ून (126) व मा अस्अलुकुम् अ़लैहि मिन् अज्रिन् इन् अज्रि-य इल्ला अ़ला रब्बिल्-आ़लमीन (127) अ-तब्नू-न बिकुल्लि रीअ़िन् आ-यतन् तअ़्बसून (128) व तत्तख़िज़ू-न मसानि-अ़ लअ़ल्लकुम् तख़्लुदून (129) व इज़ा ब-तश्तुम् ब-तश्तुम् जब्बारीन (130) फ़त्तक़ुल्ला-ह व अतीअ़ून (131) वत्तक़ुल्लज़ी अ-मद्दकुम् बिमा तअ़्लमून (132) अ-मद्दकुम् बिअन्आ़मिंव्-व बनीन (133) व जन्नातिंव्-व अ़ुयून (134) इन्नी अख़ाफ़ु अ़लैकुम् अ़ज़ा-ब यौमिन् अ़ज़ीम (135) क़ालू सवाउन् अ़लैना अ-वअ़ज़्-त अम् लम् तकुम् मिनल्-वाअ़िज़ीन (136) इन् हाज़ा इल्ला ख़ुलुक़ुल्-अव्वलीन (137) व मा नह्नु बिमु-अ़ज़्ज़बीन (138) फ़-कज़्ज़बूहु फ़-अह्लक्नाहुम्, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआ-यतन्, व मा का-न अक्सरुहुम् मुअ़्मिनीन (139) व इन्-न रब्ब-क लहुवल् अ़ज़ीज़ुर्-रहीम (140) ❁

मोतबर हूँ। (125) सो डरो अल्लाह से और मेरा कहा मानो। (126) और नहीं माँगता मैं तुमसे इस पर कुछ बदला, मेरा बदला है उसी जहान के मालिक पर। (127) क्या बनाते हो हर ऊँची ज़मीन पर एक निशान खेलने को (128) और बनाते हो कारीगरियाँ शायद तुम हमेशा रहोगे। (129) और जब हाथ डालते हो तो पंजा मारते हो ज़ुल्म से। (130) सो डरो अल्लाह से और मेरा कहा मानो। (131) और डरो उससे जिसने तुमको पहुँचाईं वो चीज़ें जो तुम जानते हो। (132) पहुँचाये तुमको चौपाये और बेटे। (133) और बाग़ और चश्मे। (134) मैं डरता हूँ तुम पर एक बड़े दिन की आफ़त से। (135) बोले हमको बराबर है तू नसीहत करे या न बने तू नसीहत करने वाला। (136) और कुछ नहीं ये बातें आदत है अगले लोगों की। (137) और हम पर आफ़त नहीं आने वाली। (138) फिर उसको झुठलाने लगे तो हमने उनको ग़ारत कर दिया, इस बात में यक़ीनन निशानी है, और उनमें बहुत लोग नहीं मानने वाले। (139) और तेरा रब वही है ज़बरदस्त रहम वाला। (140) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

क़ौमे आद ने पैग़म्बरों को झुठलाया। जबकि उनसे उनकी (बिरादरी के) भाई हूद (अ़लैहिस्सलाम) ने कहा कि क्या तुम (अल्लाह से) डरते नहीं हो? मैं तुम्हारा अमानतदार पैग़म्बर हूँ, सो तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो, और मैं तुमसे इस (तब्लीग़) पर कोई सिला नहीं माँगता, बस मेरा सिला तो रब्बुल-आ़लमीन के ज़िम्मे है। क्या तुम (अ़लावा शिर्क के तकब्बुर व बड़ाई जताने में भी इस दर्जा लगे हो कि) हर ऊँचे स्थान पर एक यादगार (के तौर पर इमारत) बनाते हो, (ताकि ख़ूब ऊँची नज़र आये) जिसको बिल्कुल फ़ुज़ूल (बिना ज़रूरत) बनाते हो। और (उसके अ़लावा जो रहने के मकान हैं जिनकी एक दर्जा ज़रूरत भी है उनमें भी यह हद से बढ़ना है) कि बड़े-बड़े महल बनाते हो, (हालाँकि उससे कम में आराम मिल सकता है) जैसे दुनिया में तुमको हमेशा रहना है। (यानी ऐसे लम्बे-चौड़े मकानात और ऐसे बुलन्द महल और ऐसी मज़बूती और ऐसी यादगार तामीरें बनानी उस वक़्त मुनासिब थीं जबकि दुनिया में हमेशा रहना होता, तो यह ख़्याल होता कि लम्बे-चौड़े मकान बनाओ ताकि आने वाली नस्ल में तंगी न हो, क्योंकि हम भी रहेंगे और वे भी रहेंगे और ऊँचे भी बनाओ ताकि नीचे जगह न रहे तो ऊपर रहने लगेंगे और मज़बूत बनाओ ताकि हमारी लम्बी उम्र के लिये काफ़ी हो, और यादगारें बनाओ ताकि हमारे ज़िन्दा रहने से हमारा ज़िक्र ज़िन्दा रहे, और अब तो सब फ़ुज़ूल है। बड़ी-बड़ी यादगारें बनी हैं और बनाने वाले का नाम तक नहीं। मौत ने सब का नाम मिटा दिया, किसी का जल्दी और किसी का देर में)।

और (इस तकब्बुर के सबब तबीयत में सख़्ती और बेरहमी इस दर्जे की रखते हो कि) जब किसी की पकड़-धकड़ करने लगते हो तो बिल्कुल जाबिर (और ज़ालिम) बनकर पकड़ करते हो। (इन बुरे अख़्लाक़ का इसलिए बयान किया गया है कि ये बुरे अख़्लाक़ अक्सर ईमान और इताअ़त की राह में रुकावट बनते हैं) सो (चूँकि शिर्क और पहले के बुरे अख़्लाक़ ख़ुदा तआ़ला की नाराज़ी और अ़ज़ाब का सबब हैं इसलिये) तुम (को चाहिए कि) अल्लाह तआ़ला से डरो, और (चूँकि मैं रसूल हूँ इसलिये) मेरी इताअ़त करो। और उस (अल्लाह) से डरो (यानी जिससे डरने को मैं कहता हूँ। वह ऐसा है) जिसने तुम्हारी उन चीज़ों से इमदाद की जिनको तुम जानते हो (यानी) मवेशी और बेटों और बाग़ों और चश्मों से तुम्हारी इमदाद की (तो नेमत देने वाला होने का तक़ाज़ा यह है कि उसके अहकाम की बिल्कुल मुख़ालफ़त न की जाये। अगर इन हरकतों से बाज़ न आये तो) मुझको तुम्हारे हक़ में एक बड़े सख़्त दिन के अ़ज़ाब का अन्देशा है। (यह डराना है और 'अमद्दकुम् बि-अन्आ़मिंव्........' में शौक़ दिलाना था)। वे लोग बोले कि हमारे नज़दीक तो दोनों बातें बराबर हैं, चाहे तुम नसीहत करो और चाहे नसीहत करने वाले मत बनो (यानी हम दोनों हालतों में अपने किरदार से बाज़ न आयेंगे और तुम जो कुछ कह रहे हो) यह तो बस अगले लोगों की एक (मामूली) आदत (और रस्म) है (कि हर ज़माने में लोग नुबुव्वत के दावेदार होकर लोगों को यूँ ही कहते सुनते रहे) और (तुम जो हमको अ़ज़ाब से डराते हो तो) हमको हरगिज़ अ़ज़ाब न होगा। ग़र्ज़ कि उन लोगों ने हूद (अ़लैहिस्सलाम) को झुठलाया तो हमने उनको (सख़्त आँधी के अ़ज़ाब से) हलाक कर दिया, बेशक इस (वाक़िए) में (भी)

बड़ी इब्रत है (कि अहकाम की मुख़ालफ़त का क्या अन्जाम हुआ) और (बावजूद इसके) इन (मक्का के काफ़िरों) में अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और बेशक आपका रब ज़बरदस्त (और) मेहरबान है (कि अ़ज़ाब देने पर क़ादिर भी है और रहमत से मोहलत भी दे रखी है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

चन्द मुश्किल अलफ़ाज़ की वज़ाहत

اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ٥ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ٥

इब्ने जरीर ने हज़रत मुजाहिद रह. से नक़ल फ़रमाया है कि 'रीउ़न' दो पहाड़ों के बीच के रास्ते को कहते हैं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास से और अक्सर हज़रात से मन्क़ूल है कि 'रीअ़' बुलन्द जगह को कहते हैं और इसी से रीउन्नबात निकला है यानी बढ़ने और चढ़ने वाली नबातात (पेड़-पौधे)। (आयतन्) इसके असल मायने निशानी के हैं। इस जगह बुलन्द महल मुराद है। (तअ़्बसून) यह अ़बस् से है और अ़बस् उसको कहते हैं जिसमें न हक़ीक़त में कोई फ़ायदा हो और न हुक्मी तौर पर। इस जगह मायने ये होंगे कि वे बेफ़ायदा ऊँचे-ऊँचे महल बनाते थे जिनकी उनको कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ़ फ़ख़्र व गर्व के तौर पर बनाते थे। (मसानि-अ़) मस्नअ़् की जमा (बहुवचन) है। हज़रत क़तादा ने फ़रमाया कि मसानि-अ़ से पानी के हौज़ मुराद हैं लेकिन हज़रत मुजाहिद रह. ने फ़रमाया कि इससे मज़बूत महल मुराद हैं। (लअ़ल्लकुम् तख़्लुदून) इमाम बुख़ारी रह. ने सही बुख़ारी में बयान फ़रमाया कि इस आयत में लअ़ल्-ल दूसरे के साथ मिसाल देने के लिये है और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने यह तजुर्मा फ़रमाया 'कअन्नकुम् तख़्लुदून' यानी गोया तुम हमेशा रहोगे (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में इसी तरह नक़ल किया गया है)।

बिना ज़रूरत इमारत बनाना बुरा और नापसन्दीदा है

इस आयत से साबित हुआ कि बग़ैर ज़रूरत के मकान बनाना और निर्माण करना शरअ़न बुरा है और यही मायने हैं उस हदीस के जो इमाम तिर्मिज़ी रह. ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की है कि:

النّفقة كلّها فى سبيل الله الّا البناء فلا خير فيه.

यानी वह इमारत जो ज़रूरत से ज़ायद बनाई गयी हो उसमें कोई बेहतरी और भलाई नहीं। और इस मायने की तस्दीक़ हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु की दूसरी रिवायत से भी होती है कि:

انّ كلّ بناء وبال على صاحبه الا مالا، الا مالا يعنى الاما لا بد منه. (ابو داود)

यानी हर तामीर उसके मालिक के लिये मुसीबत है मगर वह इमारत जो ज़रूरी हो वह वबाल नहीं है। तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में फ़रमाया कि बग़ैर सही ग़र्ज़ और ज़रूरत के बुलन्द इमारत बनाना शरीअ़ते मुहम्मदिया में भी नापसन्दीदा और बुरा है।

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ صٰلِحٌ أَلَا
تَتَّقُوْنَ ۝ إِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ ۝ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ ۝ وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ
أَجْرِيَ إِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ أَتُتْرَكُوْنَ فِيْ مَا هٰهُنَا اٰمِنِيْنَ ۝ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝ وَّزُرُوْعٍ وَّ
نَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ۝ وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ ۝ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ ۝ وَلَا تُطِيْعُوْا أَمْرَ
الْمُسْرِفِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ۝ قَالُوْا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ۝ مَا أَنْتَ
إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۚ فَأْتِ بِاٰيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۝
وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝ فَعَقَرُوْهَا فَأَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ ۝ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ؕ
إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

कज़्ज़-बत् समूदुल्-मुर्सलीन (141) इज़् क़ा-ल लहुम् अख़ूहुम् सालिहुन् अला तत्तक़ून (142) इन्नी लकुम् रसूलुन् अमीन (143) फ़त्तक़ुल्ला-ह व अतीअ़ून (144) व मा अस्अलुकुम् अ़लैहि मिन् अज्रिन् इन् अज्रि-य इल्ला अ़ला रब्बिल्-आ़लमीन (145) अतुत्रकू-न फ़ी मा हाहुना आमिनीन (146) फ़ी जन्नातिंव्-व अ़ुयून (147) व ज़ुरूअ़िंव् व नख़्लिन् तल्अ़ुहा हज़ीम (148) व तन्हितू-न मिनल्-जिबालि बुयूतन् फ़ारिहीन (149) फ़त्तक़ुल्ला-ह व अतीअ़ून (150) व ला तुतीअ़ू अम्रल्-मुस्रिफ़ीन (151) अल्लज़ी-न युफ़्सिदू-न फ़िल्अर्ज़ि व

झुठलाया समूद ने पैग़ाम लाने वालों को। (141) जब कहा उनको उनके भाई सालेह ने क्या तुम डरते नहीं? (142) मैं तुम्हारे पास पैग़ाम लाने वाला हूँ मोतबर। (143) सो डरो अल्लाह से और मेरा कहा मानो। (144) और नहीं माँगता मैं तुमसे इस पर कुछ बदला, मेरा बदला है उसी जहान के पालने वाले पर। (145) क्या छोड़े रखेंगे तुमको यहाँ की चीज़ों में बेखटके (146) बाग़ों में और चश्मों में (147) और खेतियों में और खजूरों में जिनका गाभा मुलायम है। (148) और तराशते हो पहाड़ों के घर तकल्लुफ़ के। (149) सो डरो अल्लाह से और मेरा कहा मानो। (150) और न मानो हुक्म बेबाक लोगों का (151) जो ख़राबी करते हैं मुल्क में और

ला युस्लिहून (152) क़ालू इन्नमा अन्-त मिनल्-मुसह्हरीन (153) मा अन्-त इल्ला ब-शरुम् मिस्लुना फ़अ्ति बिआ-यतिन् इन् कुन्-त मिनस्सादिक़ीन (154) का-ल हाज़िही ना-क़तुल्-लहा शिर्बुंव्-व लकुम् शिर्बु यौमिम्-मअ्लूम (155) व ला तमस्सूहा बिसूइन् फ़-यअ्ख़ु-ज़कुम् अ़ज़ाबु यौमिन् अ़ज़ीम (156) फ़-अ़-क़रूहा फ़अस्बहू नादिमीन (157) फ़-अ-ख़ा-ज़हुमुल्-अ़ज़ाबु, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआ-यतन्, व मा का-न अक्सरुहुम् मुअ्मिनीन (158) व इन्-न रब्ब-क लहुवल्-अ़ज़ीज़ुर्-रहीम (159) ✿

सुधार नहीं करते। (152) बोले तुझ पर तो किसी ने जादू किया है। (153) तू भी एक आदमी है जैसे हम, सो ले आ कुछ निशानी अगर तू सच्चा है। (154) कहा यह ऊँटनी है इसके लिये पानी पीने की एक बारी और तुम्हारे लिये बारी एक दिन की मुक़र्रर। (155) और मत छेड़ियो इसको बुरी तरह से, फिर पकड़ ले तुमको आफ़त एक बड़े दिन की। (156) फिर काट डाला उस ऊँटनी को फिर कल को रह गये पछताते। (157) फिर आ पकड़ा उनको अ़ज़ाब ने, यक़ीनन इस बात में निशानी है, और उनमें बहुत लोग नहीं मानने वाले। (158) और तेरा रब वही है ज़बरदस्त रहम करने वाला। (159) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

क़ौमे समूद ने (भी) पैग़म्बरों को झुठलाया, जबकि उनसे उनके भाई सालेह (अ़लैहिस्सलाम) ने फ़रमाया, क्या तुम (अल्लाह तआ़ला से) नहीं डरते? मैं तुम्हारा अमानतदार पैग़म्बर हूँ, सो तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअ़त करो। और मैं तुमसे इस पर कुछ सिला नहीं चाहता, बस मेरा सिला तो रब्बुल-आ़लमीन के ज़िम्मे है। (और तुम जो ख़ुशहाली की वजह से इस दर्जा अल्लाह से ग़ाफ़िल हो तो) क्या तुमको इन्हीं चीज़ों में बेफ़िक्री से रहने दिया जायेगा जो यहाँ (दुनिया में) मौजूद हैं, यानी बाग़ों में और चश्मों में और खेतों और उन खजूरों में जिनके गुफ्फे ख़ूब गुँधे हुए हैं (यानी उन खजूरों में ख़ूब कसरत से फल आता है), और क्या (इसी ग़फ़लत की वजह से) तुम पहाड़ों को तराश-तराशकर इतराते (और फ़ख़्र करते) हुए मकान बनाते हो। सो अल्लाह तआ़ला से डरो और मेरा कहना मानो। और (बन्दगी की) उन हदों से निकल जाने वालों का कहना मत मानो जो सरज़मीन में फ़साद किया करते हैं और (कभी) सुधार (की बात) नहीं करते (इससे मुराद काफ़िरों के सरदार हैं जो गुमराही पर लोगों को आमादा करते थे, और फ़साद और सुधार न करने से यही मुराद है)।

उन लोगों ने कहा कि तुम पर तो किसी ने बड़ा भारी जादू कर दिया है (जिससे अक़्ल में ख़राबी आ गई है कि नुबुव्वत का दावा करते हो, हालाँकि) तुम बस हमारी ही तरह के एक (मामूली) आदमी हो (और आदमी नबी होता नहीं), सो कोई मोजिज़ा पेश करो अगर तुम (नुबुव्वत के दावे में) सच्चे हो। सालेह (अ़लैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि यह एक ऊँटनी है (जो आ़म आ़दत व तरीक़े के ख़िलाफ़ पैदा होने के सबब मोजिज़ा है जैसा कि आठवें पारे में ख़त्म के क़रीब गुज़रा, और अ़लावा इसके कि यह मेरी रिसालत पर दलील है ख़ुद इसके भी कुछ हुक़ूक़ हैं, चुनाँचे उनमें से एक यह है कि) पानी पीने के लिये एक बारी इसकी है और एक निर्धारित दिन में एक बारी तुम्हारी (यानी तुम्हारे मवेशियों की), और (एक यह है कि) इसको बुराई (और तकलीफ़ देने) के साथ हाथ भी मत लगाना, कभी तुमको एक भारी दिन का अ़ज़ाब आ पकड़े। सो उन्होंने (न रिसालत की तस्दीक़ की न ऊँटनी के हुक़ूक़ अदा किये बल्कि) उस ऊँटनी को मार डाला, फिर (जब अ़ज़ाब के निशान ज़ाहिर हुए तो अपनी हरकत पर) शर्मिन्दा हुए (मगर अव्वल तो अ़ज़ाब देख लेने के वक़्त शर्मिन्दगी बेकार, दूसरे ख़ाली तबई शर्मिन्दगी से क्या होता है जब तक इख़्तियारी तलाफ़ी यानी तौबा व ईमान न हो) फिर (आख़िर) अ़ज़ाब ने उनको आ लिया। बेशक इस (वाक़िए) में बड़ी इब्रत है। और (बावजूद इसके) इन (मक्का के काफ़िरों) में अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और बेशक आपका रब बड़ा ज़बरदस्त, बहुत मेहरबान है (कि बावजूद क़ुदरत के मोहलत देता है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ۝

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से फ़ारिहीन की तफ़सीर बतरीन नक़ल की गयी है यानी इतराने और तकब्बुर करने वाले। लेकिन अबू सालेह ने फ़रमाया, और यही इमाम राग़िब ने तफ़सीर की है कि फ़ारिहीन के मायने हाज़िक़ीन हैं यानी माहिर व विशेषज्ञ। मुराद यह है कि अल्लाह तआ़ला ने तुम पर यह नेमत फ़रमाई कि तुमको ऐसी कारीगरी सिखला दी कि पहाड़ों को मकानात बनाना तुम्हारे लिये आसान कर दिया। हासिल यह है कि ख़ुदा तआ़ला के इनामात को याद करो और ज़मीन पर फ़साद (ख़राबी और बिगाड़) न करो।

मुफ़ीद पेशे ख़ुदाई इनामात हैं बशर्ते कि उनको बुरे कामों में इस्तेमाल न करें

इस आयत से साबित हुआ कि उम्दा पेशे (हुनर और दस्तकारी) ख़ुदा तआ़ला के इनामात हैं और उनसे नफ़ा उठाना जायज़ है लेकिन अगर उनसे कोई गुनाह या हराम काम या बिना ज़रूरत उनमें हद से ज़्यादा मशग़ूली लाज़िम आती हो तो फिर वह पेशा इख़्तियार करना नाजायज़ है, जैसे कि अभी इससे पहली आयतों में बिना ज़रूरत ऊँची इमारत बनाने की बुराई और निंदा गुज़री है।

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ ِۨ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝
اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۝ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝ وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰي رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ۝ اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ ۭ بَلْ اَنْتُمْ
قَوْمٌ عٰدُوْنَ ۝ قَالُوْا لَىِٕنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ ۝ قَالَ اِنِّيْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ ۝ رَبِّ
نَجِّنِيْ وَاَهْلِيْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ۝ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ۝ اِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغٰبِرِيْنَ ۝ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ۝ وَ
اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَاۗءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ۝ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۭ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ وَاِنَّ
رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

कज़्ज़-बत् कौमु लूति-निल्-मुर्सलीन (160) इज़् का-ल लहुम् अख़ूहुम् लूतुन् अला तत्तक़ून (161) इन्नी लकुम् रसूलुन् अमीन (162) फ़त्तक़ुल्ला-ह व अतीअ़ून (163) व मा अस्अलुकुम् अ़लैहि मिन् अज्रिन् इन् अज्रि-य इल्ला अ़ला रब्बिल्-आ़लमीन (164) अ-तअ्तूनज़्ज़ुक्रा-न मिनल्-आ़लमीन (165) व त-ज़रू-न मा ख़ा-ल-क़ लकुम् रब्बुकुम् मिन् अज़्वाजिकुम्, बल् अन्तुम् क़ौमुन् आ़दून (166) क़ालू ल-इल्लम् तन्तहि या लूतु ल-तकूनन्-न मिनल्-मुख़्रजीन (167) क़ा-ल इन्नी लि-अ़-मलिकुम् मिनल्-क़ालीन (168) रब्बि नज्जिनी व अह्ली मिम्मा यअ़्मलून (169) फ़-नज्जैनाहु व

झुठलाया लूत की क़ौम ने पैग़ाम लाने वालों को। (160) जब कहा उनको उनके भाई लूत ने- क्या तुम डरते नहीं? (161) मैं तुम्हारे लिये पैग़ाम लाने वाला हूँ मोतबर। (162) सो डरो अल्लाह से और मेरा कहा मानो। (163) और माँगता नहीं मैं तुमसे इसका कुछ बदला, मेरा बदला है उसी परवर्दिगारे आ़लम पर। (164) कहा तुम दौड़ते हो जहान के मर्दों पर (165) और छोड़ते हो जो तुम्हारे वास्ते बना दी हैं तुम्हारे रब ने तुम्हारी बीवियाँ बल्कि तुम लोग हो हद से बढ़ने वाले। (166) बोले अगर न छोड़ेगा तू ऐ लूत! तो तू निकाल दिया जायेगा। (167) कहा मैं बेशक तुम्हारे काम से बेज़ार हूँ। (168) ऐ रब! ख़लास कर मुझको और मेरे घर वालों को उन कामों से जो ये करते हैं। (169) फिर बचा दिया हमने उसको और

अह्लहू अज्मअ़ीन (170) इल्ला अ़जूज़न् फ़िल्-ग़ाबिरीन (171) सुम्-म दम्मर्नल् आख़रीन (172) व अम्तर्ना अ़लैहिम् म-तरन् फ़सा-अ म-तरुल्-मुन्ज़रीन (173) इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआ-यतन् व मा का-न अक्सरुहुम् मुअ्मिनीन (174) व इन्-न रब्ब-क लहुवल् अ़ज़ीज़ुर्-रहीम। (175) ✿	उसके घर वालों को सब को (170) मगर एक बुढ़िया रह गयी रहने वालों में। (171) फिर उठा मारा हमने उन दूसरों को (172) और बरसाया उन पर एक बरसाव सो क्या बुरा बरसाव था उन डराये हुओं का। (173) अलबत्ता इस बात में निशानी है, और उनमें बहुत लोग नहीं थे मानने वाले। (174) और तेरा रब वही है ज़बरदस्त रहम वाला। (175) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

लूत की कौम ने (भी) पैग़म्बरों को झुठलाया, जबकि उनसे उनके भाई लूत (अ़लैहिस्सलाम) ने कहा कि क्या तुम (अल्लाह से) डरते नहीं हो? मैं तुम्हारा अमानतदार पैग़म्बर हूँ सो तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअ़त करो। और मैं तुमसे इस पर कोई सिला नहीं चाहता, बस मेरा सिला तो रब्बुल-आ़लमीन के ज़िम्मे है। क्या तमाम दुनिया जहान वालों में से तुम (यह हरकत करते हो कि) मर्दों से बदफ़ेली करते हो और तुम्हारे रब ने जो तुम्हारे लिये बीवियाँ पैदा की हैं उनको नज़र-अन्दाज़ किये रहते हो (यानी और कोई आदमी तुम्हारे सिवा यह हरकत नहीं करता। और यह नहीं है कि इसके बुरा होने में कुछ शुब्हा है) बल्कि (असल बात यह है कि) तुम (इनसानियत की) हद से गुज़र जाने वाले लोग हो। वे कहने लगे कि ऐ लूत! अगर तुम (हमारे कहने-सुनने से) बाज़ नहीं आओगे तो ज़रूर (बस्ती से) निकाल दिये जाओगे। लूत (अ़लैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि (मैं इस धमकी पर अपने कहने से न रुकूँगा क्योंकि) मैं तुम्हारे इस काम से सख़्त नफ़रत रखता हूँ (तो कहना कैसे छोड़ दूँगा। जब किसी तरह उन लोगों ने न माना और अ़ज़ाब आता हुआ मालूम हुआ तो) लूत (अ़लैहिस्सलाम) ने दुआ़ की कि ऐ मेरे रब! मुझको और मेरे (ख़ास) ताल्लुक़ वालों को उनके इस काम (के वबाल) से (जो उन पर आने वाला है) निजात दे। सो हमने उनको और उनसे जुड़े लोगों को सब को निजात दी सिवाय एक बुढ़िया के, (इससे मुराद लूत अ़लैहिस्सलाम की बीवी है) कि वह (अ़ज़ाब के अन्दर) रह जाने वालों में रह गई। फिर हमने और सब को (जो लूत और उनके मुताल्लिक़ीन के अ़लावा थे) हलाक कर दिया। और हमने उन पर एक ख़ास किस्म की (यानी पत्थरों की) बारिश बरसाई, सो क्या बुरी बारिश थी जो उन लोगों पर बरसी, जिनको (अल्लाह तआ़ला के अ़ज़ाब से) डराया गया था। बेशक इस (वाक़िए) में (भी) इब्रत है, और (बावजूद इसके) इन (मक्का के काफ़िरों) में अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और बेशक आपका परवर्दिगार बड़ी क़ुदरत वाला, बड़ी रहमत वाला है (कि अ़ज़ाब

दे सकता था मगर अभी नहीं दिया)।

मआरिफ़ व मसाईल

ग़ैर-फ़ितरी (अप्राकृतिक) फ़ेल अपनी बीवी से भी हराम है

وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ.

लफ़्ज़ 'मिन् अज़्वाजिकुम' में हर्फ़ 'मिन' इस्तिलाही अलफ़ाज़ में बयान के लिये भी हो सकता है जिसका हासिल यह होगा कि तुम्हारी नफ़्सानी इच्छा के लिये जो अल्लाह ने बीवियाँ पैदा फ़रमाई हैं तुम उनको छोड़कर अपने हम-जिन्स मर्दों को अपने नफ़्स की इच्छा (वासना) का निशाना बनाते हो जो नफ़्स की बुराई और गन्दगी की दलील है, और यह भी हो सकता है कि हर्फ़ 'मिन' को एक हिस्से के बयान के लिये करार दें तो इशारा इस तरफ़ होगा कि तुम्हारी बीवियों का जो मकाम (हिस्सा और स्थान) तुम्हारे लिये बनाया गया और जो फ़ितरी चीज़ (प्राकृतिक) है उसको छोड़कर बीवियों से ख़िलाफ़े फ़ितरत (अप्राकृतिक) अ़मल करते हो जो कि क़तअ़न् हराम है। ग़र्ज़ कि इस दूसरे मायने के लिहाज़ से यह मसला भी साबित हो गया कि अपनी बीवी से ख़िलाफ़े फ़ितरत अ़मल (यानी पीछे के हिस्से में सोहबत और जिन्सी इच्छा पूरी करना) हराम है, हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ऐसे शख़्स पर लानत फ़रमाई है। नऊ़ज़ु बिल्लाहि मिन्हा। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ○

अजूज़ से मुराद हज़रत लूत अ़लैहिस्सलाम की बीवी है जो कि क़ौमे लूत के इस फ़ेल (कुकर्म) से राज़ी थी और काफ़िर थी। लूत अ़लैहिस्सलाम की यह काफ़िर बीवी अगर वास्तव में बुढ़िया थी तो उसके लिये लफ़्ज़ अ़जूज़ इस्तेमाल करना ज़ाहिर ही है, और अगर यह उम्र के लिहाज़ से बुढ़िया न थी तो इसको अ़जूज़ के लफ़्ज़ से शायद इसलिये ताबीर किया गया कि पैग़म्बर की बीवी उम्मत के लिये माँ की जगह होती है, जो औरत बहुत ज़्यादा औलाद वाली हो उसको बुढ़िया कह देना कुछ दूर की बात नहीं।

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا. فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ○

इस आयत से साबित हुआ कि लूती (अप्राकृतिक तौर पर जिन्सी इच्छा पूरी करने वाले) पर दीवार गिराने या बुलन्द जगह से नीचे फेंकने की सज़ा जायज़ है जैसा कि हनफ़ी हज़रात का मस्लक है, क्योंकि क़ौमे लूत इसी तरह हलाक की गयी थी कि उनकी बस्तियों को ऊपर उठाकर उल्टा ज़मीन पर फेंक दिया गया था। (शामी, किताबुल-हुदूद)

كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ۚ اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۚ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۙ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۚ وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۗ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ۚ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۚ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ

أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ وَاتَّقُوا الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ ۝ قَالُوٓا
إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ۝ وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَٰذِبِينَ ۝ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا
مِّنَ السَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّٰدِقِينَ ۝ قَالَ رَبِّىٓ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ
يَوْمِ الظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۝
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

कज़्ज़-ब अस्हाबुल्-ऐ-कतिल् मुर्सलीन (176) इज़् का-ल लहुम् शुऐबुन् अला तत्तक़ून (177) इन्नी लकुम् रसूलुन् अमीन (178) फ़त्तक़ुल्ला-ह व अतीअून (179) व मा अस्अलुकुम् अलैहि मिन् अज्रिन् इन् अज्रि-य इल्ला अ़ला रब्बिल्-आ़लमीन (180) औफ़ुल्-कै-ल व ला तकूनू मिनल्-मुख़्सिरीन (181) व ज़िनू बिल्-क़िस्तासिल्-मुस्तक़ीम (182) व ला तब्ख़सुन्ना-स अश्या-अहुम् व ला तअ़्सौ फ़िल्अर्ज़ि मुफ़्सिदीन (183) वत्तक़ुल्लज़ी ख़ा-ल-क़कुम् वल्-जिबिल्ल-तल् -अव्वलीन (184) क़ालू इन्नमा अन्-त मिनल्-मुसह्हरीन (185) व मा अन्-त इल्ला ब-शरुम्-मिस्लुना व इन् नज़ुन्नु-क लमिनल्-काज़िबीन (186)

झुठलाया वन के रहने वालों ने पैग़ाम लाने वालों को। (176) जब कहा उनको शुऐब ने क्या तुम डरते नहीं? (177) मैं तुमको पैग़ाम पहुँचाने वाला हूँ मोतबर। (178) सो डरो अल्लाह से और मेरा कहा मानो। (179) और नहीं माँगता मैं तुमसे इस पर कुछ बदला, मेरा बदला है उसी परवर्दिगारे आ़लम पर। (180) पूरा भरकर दो माप और मत हो नुक़सान देने वाले। (181) और तौलो सीधी तराज़ू से। (182) और मत घटा दो लोगों को उनकी चीज़ें और मत दौड़ो मुल्क में ख़राबी डालते हुए। (183) और डरो उससे जिसने बनाया तुमको और अगली ख़ल्क़त को। (184) बोले तुझ पर तो किसी ने जादू कर दिया है (185) और तू भी एक आदमी है जैसे हम, और हमारे ख़्याल में तो तू झूठा है। (186)

फ़-अस्कित् अलैना कि-सफ़म्-मिनस्समा-इ इन् कुन्-त मिनस्सादिक़ीन (187) क़ा-ल रब्बी अअ्लमु बिमा तअ्मलून। (188) फ़-कज़्ज़बूहु फ़-अ-ख़-ज़हुम् अ़ज़ाबु यौमिज़्ज़ुल्लति, इन्नहू का-न अ़ज़ा-ब यौमिन् अ़ज़ीम (189) इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआ-यतन्, व मा का-न अक्सरुहुम् मुअ्मिनीन (190) व इन्-न रब्ब-क लहुवल् अ़ज़ीज़ुर्-रहीम। (191) ✿	सो गिरा दे हम पर कोई टुकड़ा आसमान का अगर तू सच्चा है। (187) कहा मेरा रब ख़ूब जानता है जो कुछ तुम करते हो। (188) फिर उसको झुठलाया, फिर पकड़ लिया उनको आफ़त ने सायबान वाले दिन की, बेशक वह था अ़ज़ाब बड़े दिन का। (189) यक़ीनन इस बात में निशानी है, और इनमें बहुत लोग नहीं मानने वाले। (190) और तेरा रब वही है ज़बरदस्त रहम वाला। (191) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐका वालों ने (भी जिनका ज़िक्र सूरः हिज्र के आख़िर में गुज़र चुका है) पैग़म्बरों को झुठलाया। जबकि उनसे शुऐब (अ़लैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो? मैं तुम्हारा अमानतदार पैग़म्बर हूँ। सो तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। और मैं तुम से इस पर कोई सिला नहीं चाहता, बस मेरा सिला तो रब्बुल-आ़लमीन के ज़िम्मे है। तुम लोग पूरा नापा करो और (हक़ वाले का) नुक़सान मत किया करो। और (इसी तरह तौलने की चीज़ों में) सीधी तराज़ू से तौला करो (यानी डंडी न मारा करो न बाटों में फ़र्क़ किया करो), और लोगों का उनकी चीज़ों में नुक़सान मत किया करो, और सरज़मीन में फ़साद मत मचाया करो। और उस (ख़ुदा-ए-क़ादिर) से डरो जिसने तुमको और तमाम अगली मख़्लूक़ात को पैदा किया। वे लोग कहने लगे कि बस तुम पर तो किसी ने बड़ा भारी जादू कर दिया है (जिससे अ़क़्ल ख़राब हो गई और नुबुव्वत का दावा करने लगे) और तुम तो महज़ हमारी तरह (के) एक (मामूली) आदमी हो, और हम तो तुमको झूठे लोगों में से ख़्याल करते हैं, सो अगर तुम सच्चों में से हो तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दो (ताकि हमको मालूम हो जाये कि वाक़ई तुम नबी थे, तुम्हारे झुठलाने से हमको यह सज़ा हुई)।

शुऐब (अ़लैहिस्सलाम) ने कहा कि (मैं अ़ज़ाब का लाने वाला या उसके अन्दाज़ व तरीक़े को मुतैयन करने वाला कौन हूँ) तुम्हारे आमाल को मेरा रब (ही) ख़ूब जानता है (और उस अ़मल का जो तक़ाज़ा है कि क्या अ़ज़ाब हो और कब हो उसको भी वही जानता है, उसको इख़्तियार है) सो वे लोग (बराबर) उनको झुठलाया किये, फिर उनको सायबान के अ़ज़ाब वाले वाक़िए ने आ पकड़ा, बेशक वह

बड़े सख़्त दिन का अ़ज़ाब था। (और) इस (वाक़िए) में (भी) बड़ी इब्रत है, और (बावजूद इसके) इन (मक्का के काफ़िरों) में अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और बेशक आपका रब बड़ी क़ुदरत वाला और बड़ी रहमत वाला है (कि अ़ज़ाब नाज़िल कर सकता है मगर मोहलत दे रखी है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ○

क़िस्तास को कुछ हज़रात ने रोमी लफ़्ज़ क़रार दिया जिसके मायने अ़दल व इन्साफ़ के हैं। कुछ ने अ़रबी लफ़्ज़ क़ुस्त से निकला हुआ क़रार दिया है, क़ुस्त के मायने भी इन्साफ़ के हैं। मुराद यह है कि तराज़ू और इसी तरह दूसरे नापने तौलने के माध्यमों और तरीक़ों को मुस्तक़ीम और सीधे तौर पर इस्तेमाल करो, जिसमें कमी का ख़तरा न रहे।

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ.

यानी न कमी करो लोगों की अपनी चीज़ों में। मुराद यह है कि तय होने के मुताबिक़ जितना किसी का हक़ है उससे कमी करना हराम है, चाहे वह नापने-तौलने की चीज़ हो या कोई दूसरी। इससे मालूम हुआ कि कोई मुलाज़िम मज़दूर अगर अपने तयशुदा वक़्त में चोरी करता है, वक़्त कम लगाता है वह भी इस वईद (धमकी और तंबीह) में दाख़िल है। इमाम मालिक रह. ने मुवत्ता में रिवायत नक़ल फ़रमाई है कि हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने एक शख़्स को देखा कि अ़सर की नमाज़ में शरीक नहीं हुआ, वजह पूछी तो उसने कुछ उ़ज़्र किया तो हज़रत फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया 'तफ़्फ़फ़्-त' यानी तूने तौलने में कमी कर दी। चूँकि नमाज़ कोई तौलने की चीज़ नहीं इसलिये यह हदीस नक़ल फ़रमाकर इमाम मालिक रह. फ़रमाते हैं कि 'वफ़ा' और 'ततफ़ीफ़' यानी हक़ के मुताबिक़ करना या कम करना हर चीज़ में है। यानी सिर्फ़ नाप-तौल ही के साथ यह हुक्म मख़्सूस नहीं बल्कि किसी के हक़ में कमी करना चाहे किसी सूरत से हो वह 'ततफ़ीफ़' में दाख़िल है जिसका हराम होना 'सूरः ततफ़ीफ़' (पारा तीस) में बयान फ़रमाया गया है।

ख़ुदा का मुजरिम अपने पाँव चलकर आता है, उसे वारंट की ज़रूरत नहीं

فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ.

अ़ज़ाबु यौमिज़्ज़ुल्ला (सायबान के दिन का अ़ज़ाब) जिसका ज़िक्र इस आयत में आया है। इसका वाक़िआ़ यह है कि हक़ तआ़ला ने उनकी क़ौम पर सख़्त गर्मी मुसल्लत फ़रमाई कि न मकान के अन्दर चैन आता न बाहर, फिर उनके क़रीबी जंगल में एक गहरा बादल भेज दिया जिसके नीचे ठण्डी हवा थी। सारी क़ौम गर्मी से परेशान थी, सब दौड़-दौड़कर उस बादल के नीचे जमा हो गये। जब सारी क़ौम बादल के नीचे आ गयी तो उस बादल ने उन पर पानी के बजाय आग बरसा दी, जिससे

सब भस्म होकर रह गये। (हज़रत इब्ने अब्बास की रिवायत से। रूहुल-मआ़नी)

وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلٰى
قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾ أَوَلَمْ يَكُن
لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمٰٓؤُا بَنِي إِسْرَآءِيلَ ﴿١٩٧﴾ وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا
كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾ كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ
الْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾ أَفَبِعَذَابِنَا
يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٤﴾ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾ مَآ أَغْنٰى عَنْهُم مَّا كَانُوا
يُمَتَّعُونَ ﴿٢٠٧﴾ وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾ ذِكْرٰى وَمَا كُنَّا ظٰلِمِينَ ﴿٢٠٩﴾ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِينُ ﴿٢١٠﴾
وَمَا يَنۢبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿٢١٢﴾ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ
مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿٢١٣﴾ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾
فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ الَّذِي يَرٰىكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَ
تَقَلُّبَكَ فِي السّٰجِدِينَ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَن تَنَزَّلُ الشَّيٰطِينُ ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ
أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كٰذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾ وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ
وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ
كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾

ع 11 १५

व इन्नहू ल-तन्ज़ीलु रब्बिल्-आ़लमीन (192) न-ज़-ल बिहिर्-रूहुल्-अमीन (193) अ़ला क़ल्बि-क लि-तकू-न मिनल्-मुन्ज़िरीन (194) बिलिसानिन् अ़-रबिय्यिम्-मुबीन (195) व इन्नहू लफ़ी ज़ुबुरिल्-अव्वलीन (196) अ-व लम् यकुल्लहुम् आ-यतन् अंय्यअ़्-ल-महू अ़ु-लमा-उ बनी

और यह क़ुरआन है उतारा हुआ परवर्दिगारे आ़लम का। (192) लेकर उतरा है इसको मोतबर फ़रिश्ता। (193) तेरे दिल पर कि तू हो डर सुना देने वाला। (194) खुली अ़रबी भाषा में। (195) और यह लिखा है पहलों की किताबों में। (196) क्या उनके वास्ते निशानी नहीं यह बात कि इसकी ख़बर रखते हैं पढ़े लोग

इस्राईल। (197) व लौ नज़्ज़ल्नाहु अ़ला बअ़्ज़िल्-अअ़्-जमीन (198) फ़-क़-र-अहू अ़लैहिम् मा कानू बिही मुअ़्मिनीन (199) कज़ालि-क सलक्नाहु फ़ी क़ुलूबिल्-मुज्रिमीन (200) ला युअ़्मिनू-न बिही हत्ता य-रवुल्-अ़ज़ाबल्-अलीम (201) फ़-यअ़्ति-यहुम् बग़्त-तंव्-व हुम् ला यश्अुरून (202) फ़-यक़ूलू हल् नह्नु मुन्ज़रून (203) अ-फ़बि-अ़ज़ाबिना यस्तअ़्जिलून (204) अ-फ़-रऐ-त इम् मत्तअ़्नाहुम् सिनीन (205) सुम्-म जा-अहुम् मा कानू यू-अ़दून (206) मा अग़्ना अ़न्हुम् मा कानू युमत्तअ़ून (207) व मा अह्लक्ना मिन् क़र्-यतिन् इल्ला लहा मुन्ज़िरून (208) ज़िक्रा व मा कुन्ना ज़ालिमीन (209) व मा तनज़्ज़लत् बिहिश्-शयातीन (210) व मा यम्बग़ी लहुम् व मा यस्ततीअ़ून (211) इन्नहुम् अ़निस्सम्अ़ि ल-मअ़्ज़ूलून (212) फ़ला तद्अ़ु मअ़ल्लाहि इलाहन् आख़-र फ़-तकू-न मिनल्-मुअ़ज़्ज़बीन (213) व अन्ज़िर् अ़शीर-तकल् अक़्रबीन (214)

बनी इस्राईल के। (197) और अगर उतारते हम यह किताब किसी ऊपरी भाषा वाले पर (198) और वह इसको पढ़कर सुनता तो भी इस पर यक़ीन न लाते। (199) इसी तरह घुसा दिया हमने उस इनकार को गुनाहगारों के दिल में। (200) वे न मानेंगे इसको जब तक न देख लेंगे दर्दनाक अ़ज़ाब। (201) फिर आये उन पर अचानक और उनको ख़बर भी न हो। (202) फिर कहने लगें कुछ भी हमको फ़ुर्सत मिलेगी? (203) क्या हमारे अ़ज़ाब को जल्द माँगते हैं? (204) भला देख तो अगर फ़ायदा पहुँचाते रहें हम उनको बरसों (205) फिर पहुँचे उन पर जिस चीज़ का उनसे वायदा था (206) तो क्या काम आयेगा उनके जो कुछ फ़ायदा उठाते रहे। (207) और कोई बस्ती नहीं ग़ारत की हमने जिसके लिये नहीं थे डर सुना देने वाले। (208) याद दिलाने को, और हमारा काम नहीं ज़ुल्म करना। (209) और इस क़ुरआन को नहीं लेकर उतरे शैतान (210) और न उनसे बन आये, और न वे कर सकें। (211) उनको तो सुनने की जगह से दूर कर दिया है। (212) सो तू मत पुकार अल्लाह के साथ दूसरा माबूद फिर तू पड़े अ़ज़ाब में। (213) और डर सुना दे अपने क़रीब के रिश्तेदारों को (214)

वख़्फ़िज़् जना-ह-क लि-मनित्त-ब-अ़-क मिनल्-मुअ्मिनीन (215) फ़-इन् अ़सौ-क फ़क़ुल् इन्नी बरीउम्-मिम्मा तअ़्मलून (216) व त-वक्कल् अ़लल्-अ़ज़ीज़िर्रहीम (217) अल्लज़ी यरा-क ही-न तक़ूम (218) व तक़ल्लु-ब-क फ़िस्साजिदीन (219) इन्नहू हुवस्समीअ़ुल्-अ़लीम। (220) हल् उनब्बिउकुम् अ़ला मन् तनज़्ज़लुश्शयातीन (221) तनज़्ज़लु अ़ला कुल्लि अफ़्फ़ाकिन् असीम (222) युल्क़ूनस्सम्-अ़ व अक्सरुहुम् काज़िबून (223) वश्शु-अ़रा-उ यत्तबिअ़ुहुमुल्-ग़ावून (224) अलम् त-र अन्नहुम् फ़ी कुल्लि वादिंय्-यहीमून (225) व अन्नहुम् यक़ूलू-न मा ला यफ़अ़लून (226) इल्लल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्-सालिहाति व ज़-करुल्ला-ह कसीरंव्-वन्त-सरू मिम्-बअ़्दि मा ज़ुलिमू, व स-यअ़्-लमुल्लज़ी-न ज़-लमू अय्-य मुन्क़-लबिंय्-यन्क़लिबून (227) ✿

और अपने बाज़ू नीचे रख उनके वास्ते जो तेरे साथ हैं ईमान वाले। (215) फिर अगर तेरी नाफ़रमानी करें तो कह दे मैं बेज़ार हूँ तुम्हारे काम से। (216) और भरोसा कर उस ज़बरदस्त रहम वाले पर (217) जो देखता है तुझको जब उठता है (218) और तेरा फिरना नमाज़ियों में। (219) बेशक वही है सुनने वाला जानने वाला। (220) मैं बतलाऊँ तुमको किस पर उतरते हैं शैतान? (221) उतरते हैं हर झूठे गुनाहगार पर। (222) ला डालते हैं सुनी हुई बात और बहुत उनमें झूठे हैं। (223) और शायरों की बात पर चलें वही जो बेराह हैं। (224) तूने नहीं देखा कि वे हर मैदान में सर मारते फिरते हैं (225) और यह कि वे कहते हैं जो नहीं करते। (226) मगर वे लोग जो यक़ीन लाये और काम किये अच्छे और याद की अल्लाह की बहुत और बदला लिया उसके बाद कि उन पर ज़ुल्म हुआ, और अब मालूम कर लेंगे ज़ुल्म करने वाले कि किस करवट उलटते हैं। (227) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और यह क़ुरआन रब्बुल-आ़लमीन का भेजा हुआ है। इसको अमानतदार फ़रिश्ता लेकर आया है

आपके दिल पर साफ़ अ़रबी भाषा में ताकि आप (भी) अन्य डराने वालों में के हो जायें (यानी जिस तरह और पैग़म्बरों ने अपनी उम्मत को अल्लाह के अहकाम पहुँचाये आप भी पहुँचायें) और इस (क़ुरआन) का ज़िक्र पहली उम्मतों की (आसमानी) किताबों में (भी) है (कि एक ऐसी शान का पैग़म्बर होगा और उस पर ऐसा कलाम नाज़िल होगा, चुनाँचे तफ़सीरे हक़्क़ानी के इस स्थान के हाशियों में चन्द ख़ुशख़बरियाँ पहली आसमानी किताबों तौरात व इंजील से नक़ल की हैं। आगे इस मज़मून की कि वह पहली किताबों में है की वज़ाहत है, यानी) क्या उन लोगों के लिये (इस पर) यह बात दलील नहीं है कि इस (पेशीनगोई) को बनी इस्राईल के उलेमा जानते हैं। (चुनाँचे उनमें जो लोग इस्लाम ले आये हैं वे तो डंके की चोट पर इसको स्वीकार करते हैं और जो इस्लाम नहीं लाये वे भी ख़ास-ख़ास लोगों के सामने इसका इक़रार करते हैं जैसा कि पहले पारे के आयत नम्बर 44 की तफ़सीर में इसका बयान आ चुका है और इन इक़रार करने वालों की तादाद और अधिकता उस वक़्त अगर ख़बरे वाहिद तक भी मान ली जाये फिर भी अन्दाज़ों और इशारात की वजह से मायने के एतिबार से निरंतरता हासिल थी, और यह दलील क़ायम करना अनपढ़ अ़रब वालों के लिये है वरना लिखे-पढ़े लोग ख़ुद असल किताब से देख सकते थे। और इससे यह लाज़िम नहीं आता कि पहली आसमानी किताबों में रद्दोबदल नहीं हुई, क्योंकि बावजूद रद्दोबदल और कमी-बेशी के ऐसे मज़ामीन का बाक़ी रह जाना और ज़्यादा हुज्जत है, और यह शुब्हा व गुमान कि ये मज़ामीन ही रद्दोबदल का नतीजा हों इसलिये ग़लत है कि अपने नुक़सान के लिये कोई रद्दोबदल नहीं किया करता। ये मज़ामीन तो रद्दोबदल करने वालों के लिये नुक़सान देने वाले हैं जैसा कि ज़ाहिर है। यहाँ तक तो इस दावे की कि यह कलाम अल्लाह की तरफ़ से उतरा हुआ है दो किताबी दलीलें बयान फ़रमाई हैं यानी पहली किताबों में ज़िक्र और बनी इस्राईल का जानना कि उनमें भी दूसरी पहली की दलील है, और आगे इनकार करने वालों के बैर व दुश्मनी के बयान के तहत में इसी दावे की अ़क़्ली दलील की तरफ़ इशारा है, यानी क़ुरआन का बेमिसाल और अपने जैसा बनाने से दूसरों को आ़जिज़ करने वाला। मतलब यह है कि ये लोग ऐसे मुख़ालिफ़ हैं कि) अगर (फ़र्ज़ करो) हम इस (क़ुरआन) को किसी अ़जमी (ग़ैर-अ़रबी) पर नाज़िल कर देते फिर वह (ग़ैर-अ़रबी) इनके सामने इसको पढ़ भी देता, (इसका मोजिज़ा होना और ज़्यादा ज़ाहिर होता क्योंकि जिस पर नाज़िल हुआ उसको अ़रबी भाषा पर बिल्कुल क़ुदरत न होती, लेकिन) ये लोग (अपनी हद से बढ़ी हुई दुश्मनी और बैर की वजह से) तब भी इसको न मानते।

(आगे हुज़ूरे पाक की तसल्ली के वास्ते उनके ईमान लाने से ना-उम्मीदी दिलाते हैं यानी) हमने इसी तरह (सख़्ती और अड़े रहने के साथ) इस ईमान न लाने को उन नाफ़रमानों के दिलों में डाल रखा है (यानी कुफ़्र में, और उस पर अड़े हुए हैं, और इस सख़्ती व अड़े रहने की वजह से) ये लोग इस (क़ुरआन) पर ईमान न लाएँगे जब तक कि सख़्त अ़ज़ाब को (मरने के वक़्त या बर्ज़ख़ में या आख़िरत में) न देख लेंगे, जो अचानक इनके सामने आ खड़ा होगा, और इनको (पहले से) ख़बर भी न होगी। फिर (उस वक़्त जान को बनेगी तो) कहेंगे कि क्या (किसी तरीक़े से) हमको (कुछ) मोहलत मिल सकती है? (लेकिन वह वक़्त न मोहलत का है न ईमान के क़ुबूल होने का। और वे काफ़िर

सज़ा की धमकी और अज़ाब के ऐसे मज़ामीन को सुनकर इनकार के तौर पर अज़ाब का तकाज़ा किया करते थे, मसलन कहते थे:

رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا (और) وَاِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً.

यानी ऐ अल्लाह! अगर यह तेरी तरफ़ से हक़ है तो हम पर पत्थरों की बारिश बरसा और मोहलत को जो वास्तव में ढील है, अज़ाब न होने की दलील ठहराते थे। आगे इसका जवाब है कि) क्या (हमारी डाँट और धमकियों को सुनकर) ये लोग हमारे अज़ाब का जल्द आना चाहते हैं (जिसका मन्शा इनकार है, यानी बावजूद दलील क़ायम होने यानी एक सच्चे महान शख़्स की ख़बर के फिर भी इनकार करते हैं। रहा मोहलत को इनकार का आधार क़रार देना सो यह सख़्त ग़लती है क्योंकि) ऐ मुख़ातब! ज़रा बतलाओ तो अगर हम उनको (चन्द साल तक) ऐश में रहने दें, फिर जिस (अज़ाब) का उनसे वायदा है वह उनके सर पर आ पड़े, तो उनका वह ऐश किस काम आ सकता है (यानी यह ऐश की जो मोहलत दी गई इससे उनके अज़ाब में कोई कमी नहीं हो सकती) और (मोहलत देना हिक्मत की वजह से चन्द दिन तक चाहे कम या ज़्यादा कुछ उन्हीं के साथ ख़ास नहीं बल्कि पहली उम्मतों को भी मोहलतें मिली हैं, चुनाँचे) जितनी बस्तियाँ (इनकार करने वालों की) हमने (अज़ाब से) ग़ारत की हैं सब में डराने वाले (यानी पैग़म्बर) आये। (जब न माना तो अज़ाब नाज़िल हुआ) और हम (बज़ाहिर देखने में भी) ज़ालिम नहीं हैं (मतलब यह कि मोहलत देने से जो मक़सद है यानी हुज्जत पूरी करना और उज़्र को ख़त्म करना वह सब के लिये रहा, पैग़म्बरों का आना समझाना ख़ुद यह भी एक मोहलत ही देना है मगर फिर भी हलाकत का अज़ाब आकर रहा।

इन वाक़िआ़त से मोहलत देने की हिक्मत भी मालूम हो गई और मोहलत देने और अज़ाब में टकराव न होना भी साबित हो गया, और बज़ाहिर देखने में इसलिए कहा गया कि हक़ीक़त में तो किसी हालत में भी ज़ुल्म न होता। आगे फिर पहले मक़सद 'यानी यह कलाम अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल हुआ है' की तरफ़ वापसी है। और बीच में ये मज़ामीन इनकारियों की हालत के मुनासिब होने की वजह से बयान हुए थे और आगे आने वाली आयतों के मज़मून का हासिल उन शुब्हों का दूर करना है जो क़ुरआन की हक़्क़ानियत और सच्चाई के मुताल्लिक़ थे। पस एक शुब्हा तो क़ुरआन के अल्लाह का कलाम और उसकी तरफ़ से भेजा हुआ मानने पर इसलिये था कि अ़रब में पहले से काहिन "ग़ैब की ख़बरें बताने वाले" होते आये थे, वे भी कुछ मुख़्तलिफ़ क़िस्म के जुमले बोला करते थे, नऊज़ु बिल्लाह आपके बारे में भी कुछ काफ़िर यही कहते थे "जैसा कि हज़रत ज़ैद की रिवायत से तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में बयान हुआ है" और बुख़ारी में एक औ़रत का क़ौल नक़ल किया है, जिस ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर वही नाज़िल होने में कुछ देर हुई तो उस औ़रत ने कहा कि आपको आपके शैतान ने छोड़ दिया है, क्योंकि काहिनों को शैतान ही की तालीम व हिदायत से कुछ हासिल हुआ करता था। इसका जवाब है कि यह रब्बुल-आ़लमीन का नाज़िल किया हुआ है) और इसको शैतान (जो काहिनों के पास आया करते थे) लेकर नहीं आये। (क्योंकि इसकी दो प्रबल बाधायें मौजूद हैं एक उसकी शैतान वाली सिफ़त होना जिसके सबब) यह (क़ुरआन) उन (की हालत) के मुनासिब ही नहीं, (क्योंकि क़ुरआन पूरा का पूरा हिदायत और शैतान पूरा का पूरा

गुमराही है, न उनको ऐसे मज़ामीन की आमद हो सकती है और न ऐसे मज़ामीन फैलाने से उनकी ग़र्ज़ यानी मख़्लूक़ को गुमराह करना पूरा हो सकता है। एक रुकावट और बाधा तो यह हुई) और (दूसरी रुकावट यह कि वे) इस पर क़ादिर भी नहीं। क्योंकि वे शयातीन (आसमानी वही "अल्लाह का पैग़ाम" सुनने से रोक दिये गये हैं। (चुनाँचे काहिनों और मुश्रिकों से उनके जिन्नात ने अपनी नाकामी का ख़ुद इक़रार किया जिसकी उन्होंने औरों को भी ख़बर दी। चुनाँचे बुख़ारी में ऐसे क़िस्से बाब इस्लाम-ए-उमर में ज़िक्र हुए हैं। पस शैतानों की हिदायत व तालीम का किसी तरह शुब्हा व गुमान न रहा। और इस जवाब का पूरा होना और एक दूसरे शुब्हे का जवाब सूरत के ख़त्म के क़रीब आएगा। बीच में अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल होने पर इससे साबित होने वाले एक मज़मून का बयान है, यानी इसका अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल शुदा होना साबित है तो इसकी तालीम पर अमल करना वाजिब हुआ। और उन्हीं में से एक अहम और बड़ा मामला तौहीद का है) सो (ऐ पैग़म्बर! हम उसके वाजिब होने की एक ख़ास तरीक़े से ताकीद करते हैं कि हम आपको मुख़ातब बनाकर कहते हैं कि) तुम अल्लाह के साथ किसी और माबूद की इबादत मत करना, कभी तुमको सज़ा होने लगे (हालाँकि आप में अल्लाह की पनाह न शिर्क का शुब्हा व संभावना है न अ़ज़ाब दिये जाने का, मगर लोगों को यह बात जतलाना मक़सद है कि जब ग़ैरुल्लाह की इबादत पर आपके लिये भी सज़ा का हुक्म है तो और बेचारे तो किस गिनती में हैं? शिर्क से उनको कैसे मना न किया जाये। और वे शिर्क करके अ़ज़ाब से क्योंकर बचेंगे)।

और (इसी मज़मून से) आप (सबसे पहले) अपने नज़दीक के कुनबे को डराईए। (चुनाँचे आपने सब को पुकारकर जमा किया और शिर्क पर अल्लाह के अ़ज़ाब से डराया जैसा कि हदीसों में है) और (आगे इनज़ार "डराने" यानी नुबुव्वत की दावत को क़ुबूल करने वाले और रद्द करने वालों के साथ मामला का तरीक़ा बतलाते हैं, यानी) उन लोगों के साथ (तो शफ़क़त भरी) इन्किसारी से पेश आईए जो मुसलमानों में दाख़िल होकर आपकी राह पर चलें (चाहे कुनबे के हों या ग़ैर कुनबे के) और अगर ये लोग (जिनको आपने डराया है) आपका कहा न मानें (और कुफ़्र पर अड़े रहें) तो आप (साफ़) कह दीजिए कि मैं तुम्हारे कामों से बेज़ार हूँ।

(इन दोनों बातों यानी आ़जिज़ी से पेश आने और बेज़ारी व नफ़रत का इज़हार करने में अल्लाह के लिये मुहब्बत करने और उसी के लिये नफ़रत करने की पूरी तालीम है, और कभी उन मुख़ालिफ़ों की तरफ़ से सताने और नुक़सान देने का ख़तरा दिल में न लाईए) और आप ख़ुदा-ए-क़ादिर रहीम पर भरोसा रखिये जो आपको जिस वक़्त कि आप (नमाज़ के लिये) खड़े होते हैं और (तथा नमाज़ शुरू करने के बाद) नमाज़ियों के साथ आपके उठने-बैठने को देखता है। (और नमाज़ के अ़लावा भी वह देखता भालता है, क्योंकि) वह ख़ूब सुनने वाला, ख़ूब जानने वाला है। (पस जब उसको इल्म भी कामिल है जैसा कि देखना, सुनना और जानना इस पर दलालत करते हैं और वह आप पर मेहरबान भी है जैसा कि 'रहीम' इस पर दलालत कर रहा है और उसको सब क़ुदरत है जैसा कि 'अल्-अ़ज़ीज़' से समझ में आ रहा है तो ज़रूर वह भरोसे के लायक़ है, वह आपको असली नुक़सान से बचायेगा, और जो भरोसा करने वाले को नुक़सान पहुँचाता है वह सिर्फ़ ज़ाहिर के एतिबार से नुक़सान होता है

जिसके तहत में हज़ारों फ़ायदे होते हैं जिनका कभी दुनिया में कभी आख़िरत में ज़हूर होता है। आगे कहानत "ग़ैब की ख़बरें देने" के शुब्हे के जवाब का आख़िरी हिस्सा बयान हुआ है कि ऐ पैग़म्बर! लोगों से कह दीजिये कि) क्या मैं तुमको बतला दूँ किस पर शैतान उतरा करते हैं। (सुनो!) ऐसे शख़्सों पर उतरा करते हैं जो (पहले से) झूठ बोलने वाले, बड़े बुरे किरदार वाले हों। और जो (शैतानों के ख़बर देने के वक़्त उन शैतानों की तरफ़) कान लगा देते हैं, और (लोगों से उन चीज़ों के बयान करने के वक़्त) वे कसरत से झूठ बोलते हैं (चुनाँचे सिफ़ली के आ़मिलों को अब भी इसी हालत में देखा जाता है। और वजह इसकी यह है कि फ़ायदा लेने वाले और फ़ायदा देने वाले के बीच मुनासबत और ताल्लुक़ ज़रूरी है तो शैतान का शागिर्द भी वह होगा जो झूठा और गुनाहगार होगा, तथा शैतान की तरफ़ दिल से मुतवज्जह भी हो कि बग़ैर तवज्जोह से फ़ायदा हासिल नहीं होता, और चूँकि अक्सर यह शैतानी उलूम नामुकम्मल होते हैं इसलिए इनको रंगीन और वक़अ़त दार करने के लिये गुमान व अन्दाज़े की अपनी तरफ़ से बढ़ोतरी भी करनी पड़ती है, जो कि कहानत के लिये आ़दतन ज़रूरी हैं, और ये सारी बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम में होने का कोई दूर का भी गुमान व संभावना नहीं, क्योंकि आपका सच्चा होना सब को मालूम है। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का परहेज़गार होना और शैतानों से नफ़रत करने वाला होना दुश्मन को भी मुसल्लम और मशहूर व परिचित था, तो फिर कहानत का शुब्हा व गुमान कहाँ रहा)।

और (आगे शायर होने के शुब्हे का जवाब है कि आप शायर भी नहीं हैं जैसा कि काफ़िर लोग कहते थे 'बल् हु-व शाअ़िरुन्' यानी इनके मज़ामीन ख़्याली और अवास्तविक हैं अगरचे नज़्म में न हों। सो यह शुब्हा व गुमान इसलिए ग़लत है कि) शायरों की राह तो बेराह लोग चला करते हैं। (मुराद राह से शे'र बनाना है। यानी ख़्याली शायराना नसर (गद्य) में या नज़्म (पद्य) में मज़ामीन कहना उन लोगों का तरीक़ा है जो तहक़ीक़ के रास्ते और मस्लक से दूर हों। आगे इस दावे की वज़ाहत है कि) ऐ मुख़ातब! क्या तुमको मालूम नहीं कि वे (शायर) लोग (ख़्याली मज़ामीन के) हर मैदान में हैरान (मज़ामीन की तलाश में टक्करें मारते) फिरा करते हैं और (जब मज़मून मिल जाता है तो चूँकि अक्सर ख़िलाफ़े हक़ीक़त होता है इसलिये) ज़बान से वे बातें कहते हैं जो करते नहीं (चुनाँचे शायरों के गप मारने का एक नमूना लिखा जाता है।

ऐ रश्के मसीहा तेरी रफ़्तार के क़ुरबाँ ठोकर से मेरी लाश कई बार जिला दी।
ऐ बादे सबा! हम तुझे क्या याद करें उस गुल की ख़बर तूने कभी हमको न ला दी।
सबा ने उसके कूचे से उड़ाकर ख़ुदा जाने हमारी ख़ाक क्या की।

वग़ैरह-वग़ैरह। यहाँ तक कि कभी कुफ़्रिया बातें बकने लगते हैं।

जवाब का हासिल यह हुआ कि शे'री मज़ामीन के लिये ख़्याली और ग़ैर-साबित शुदा होना लाज़िमी है, और क़ुरआनी मज़ामीन जिस सिलसिले से भी संबन्धित हैं सब के सब तहक़ीक़ी, ग़ैर-ख़्याली हैं, इसलिये आपको शायर कहना सिवाय शायराना जुनून के और क्या है, यहाँ तक कि अक्सर चूँकि नज़्म में ऐसे ही मज़ामीन हुआ करते हैं इसलिये अल्लाह तआ़ला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को नज़्म पर क़ुदरत भी नहीं दी, और ऊपर चूँकि शायरों की बुराई इरशाद हुई है

जिसके आम होने में बज़ाहिर सब नज़्म कहने वाले आ गये, चाहे उनके मज़ामीन समझ व दानाई और तहक़ीक़ लिये हुए हों इसलिये आगे उनको अलग फ़रमाते हैं कि) हाँ! मगर जो लोग (उन शायरों में से) ईमान लाये और अच्छे काम किये, (यानी शरीअ़त के ख़िलाफ़ न उनका क़ौल है न फ़ेल, यानी उनके अश्आ़र में बेहूदा मज़ामीन नहीं हैं) और उन्होंने (अपने शे'रों में) अधिकतर अल्लाह का ज़िक्र किया (यानी दीन की ताईद और इल्म के प्रचार में उनके अश्आ़र हैं कि यह सब अल्लाह के ज़िक्र में दाख़िल हैं) और (अगर किसी शे'र में बज़ाहिर कोई ना-मुनासिब मज़्मून भी है जैसे किसी की बुराई और निंदा जो बज़ाहिर अच्छे अख़्लाक़ के ख़िलाफ़ है तो उसकी वजह भी यह है कि) उन्होंने इसके बाद कि उन पर ज़ुल्म हो चुका है (उसका) बदला ले लिया (है। यानी काफ़िरों या बदकारों व बुरे लोगों ने पहले उनको ज़बानी तकलीफ़ पहुँचाई, मसलन उनकी बुराई की या दीन की तौहीन की जो अपनी बुराई से भी बढ़कर तकलीफ़ का सबब है, या उनके माल को या जान को नुक़सान पहुँचाया, यानी ये लोग इस हुक्म और बयान से अलग हैं, क्योंकि बदला लेने के तौर पर जो शे'र कहे गये हैं उनमें कुछ तो जायज़ व दुरुस्त हैं और कुछ नेकी और इबादत का काम होकर सवाब का ज़रिया हैं)।

(यहाँ तक रिसालत के बारे में शुब्हात के जवाबात पूरे हुए और इससे पहले रिसालत दलीलों से साबित हो चुकी थी अब आगे उन लोगों की वईद और सज़ा की धमकी है जो इसके बावजूद नुबुव्वत के इनकारी रहे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तकलीफ़ पहुँचाते हैं) और जल्द ही उन लोगों को मालूम हो जायेगा जिन्होंने (अल्लाह के हुक़ूक़, रसूल के हुक़ूक़ या बन्दों के हुक़ूक़ में) ज़ुल्म कर रखा है कि कैसी (बुरी और मुसीबत की) जगह उनको लौटकर जाना है (इससे मुराद जहन्नम है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُo عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَo بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍo وَاِنَّهٗ لَفِىْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَo

क़ुरआन उसके अलफ़ाज़ व मायनों के मजमूए का नाम है

उपर्युक्त आयतों में 'बिलिसानिन् अ़-रबिय्यिम् मुबीन' से मालूम होता है कि क़ुरआन वही है जो अ़रबी भाषा में हो, क़ुरआन के किसी मज़्मून का तर्जुमा चाहे किसी भाषा में हो वह क़ुरआन नहीं कहलायेगा। और 'इन्नहू लफ़ी ज़ुबुरिल्-अव्वलीन' के अलफ़ाज़ से बज़ाहिर इसके ख़िलाफ़ यह मालूम होता है कि क़ुरआन के मायने जो किसी दूसरी भाषा में भी हों वो भी क़ुरआन हैं, क्योंकि 'इन्नहू' (बेशक यह) में यह से ज़ाहिर यह है कि क़ुरआन मुराद है और 'ज़ुबुर' 'ज़बूर' की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने हैं किताब। आयत के मायने यह हुए कि क़ुरआने करीम पिछली आसमानी किताबों में भी है और यह ज़ाहिर है पिछली किताबें तौरात इंजील ज़बूर वग़ैरह अ़रबी भाषा में नहीं थीं, तो सिर्फ़ क़ुरआन के मायनों के उनमें बयान होने को इस आयत में कहा गया है कि क़ुरआन पिछली किताबों में भी है। और हक़ीक़त जिस पर उम्मत की अक्सरियत का अ़क़ीदा है वह यह है कि क़ुरआन के सिर्फ़ मज़ामीन को भी कई बार वुस्अ़त इख़्तियार करते हुए क़ुरआन कह दिया जाता है, क्योंकि असल मक़सद किसी किताब का उसके मज़ामीन ही होते हैं। पहली आसमानी किताबों में क़ुरआन का

मज़कूर होना भी इसी हैसियत से है कि क़ुरआन के कुछ मज़ामीन उनमें भी बयान हुए हैं, इसकी ताईद हदीस की बहुत सी रिवायतों से भी होती है।

मुस्तद्रक हाकिम में हज़रत मअ्क़ल बिन यसार रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मुझे सूरः ब-क़रह ज़िक्र-ए-अव्वल से दी गयी है और सूरः तॉ-हा और तवासीन (यानी जितनी सूरतें तॉ-सीन से शुरू होती हैं) और हवामीम (यानी जो सूरतें हा-मीम से शुरू हैं) ये सब सूरतें मूसा अ़लैहिस्सलाम की अलवाह (तख़्तियों) में से दी गयी हैं, और सूरः फ़ातिहा मुझे अ़र्श के नीचे से दी गयी है। और तबरानी, हाकिम, बैहक़ी वग़ैरह ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि सूरः मुल्क तौरात में मौजूद है। और सूरः अअ्ला (सब्बिहिस्-म रब्बिकल् अअ्ला) में तो ख़ुद क़ुरआन ही यह वज़ाहत करता है:

اِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۝ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ۝

यानी सूरत के ये मज़ामीन हज़रत इब्राहीम और हज़रत मूसा अ़लैहिमस्सलाम के सहीफ़ों में भी हैं। लेकिन तमाम आयतों व रिवायतों का हासिल यही है कि क़ुरआन के बहुत से मज़ामीन पहली आसमानी किताबों में भी मौजूद थे। इससे यह लाज़िम नहीं आता कि इन मज़ामीन की वजह से पहली किताबों के उन हिस्सों को जिनमें ये क़ुरआनी मज़ामीन आये हैं क़ुरआन का नाम दे दिया जाये। न उम्मत में कोई इसका क़ायल है कि उन सहीफ़ों और किताबों को जिनमें क़ुरआनी मज़ामीन बयान हुए हैं क़ुरआन कहा जाये, बल्कि उम्मत की अक्सरियत का अ़क़ीदा यही है कि क़ुरआन न सिर्फ़ क़ुरआन के अलफ़ाज़ का नाम है न सिर्फ़ क़ुरआन के मायनों का। अगर कोई शख़्स क़ुरआन ही के अलफ़ाज़ विभिन्न और अलग-अलग जगहों से चुनकर एक इबारत बना दे मसलन कोई यह इबारत बना ले:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ. الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَهُوَرَبُّ الْعٰلَمِيْنَ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَهُوَالْمُسْتَعَانُ.

ये सारे अलफ़ाज़ क़ुरआन ही के हैं मगर इस इबारत को कोई क़ुरआन नहीं कह सकता। इसी तरह क़ुरआन के सिर्फ़ मायने जो किसी दूसरी भाषा में बयान किये जायें वो भी क़ुरआन नहीं।

नमाज़ में क़ुरआन का तर्जुमा पढ़ना पूरी उम्मत के नज़दीक नाजायज़ है

इसी वजह से उम्मत का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि नमाज़ में फ़र्ज़ तिलवात की जगह क़ुरआन के अलफ़ाज़ का तर्जुमा किसी भाषा फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी में पढ़ लेना बिना मजबूरी के काफ़ी नहीं। कुछ इमामों से इसमें गुंजाईश का जो क़ौल मन्क़ूल है उनसे भी अपने इस क़ौल से रुजू (राय बदल लेना) साबित है।

क़ुरआन के उर्दू तर्जुमे को उर्दू क़ुरआन कहना जायज़ नहीं

इसी तरह क़ुरआन का सिर्फ़ तर्जुमा किसी भाषा में बग़ैर अ़रबी मतन के लिखा जाये तो उसको उस भाषा का क़ुरआन कहना जायज़ नहीं। जैसे आजकल बहुत से लोग सिर्फ़ क़ुरआन के उर्दू तर्जुमे को उर्दू का क़ुरआन और अंग्रेज़ी को अंग्रेज़ी का क़ुरआन कह देते हैं, यह नाजायज़ और बेअदबी है। क़ुरआन को बग़ैर अ़रबी मतन के किसी दूसरी भाषा में क़ुरआन के नाम से छापना और उसकी ख़रीद व फ़रोख़्त सब नाजायज़ है, इस मसले की पूरी तफ़सील अहक़र के रसाले 'तहज़ीरुल-अख़्वान अ़न् तग़यीरि रस्मिल-क़ुरआन' में बयान की गयी है।

اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ٥

इस आयत में इशारा है कि दुनिया में किसी को लम्बी उम्र मिलना भी अल्लाह तआ़ला की बड़ी नेमत है, लेकिन जो लोग इस नेमत की नाशुक्री करें ईमान न लायें उनको लम्बी उम्र की आ़फ़ियत व मोहलत कुछ काम न आयेगी। इमाम ज़ोहरी रह. ने नक़ल फ़रमाया है कि हज़रत उमर बिन अ़ब्दुल-अ़ज़ीज़ रह. रोज़ सुबह को अपनी दाढ़ी पकड़कर अपने नफ़्स को ख़िताब करके यह आयत पढ़ा करते थे 'अ-फ़-रऐ-त इम्-मत्तअ़्नाहुम् सिनीन' (यानी यही ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 205) उसके बाद उन पर रोना तारी हो जाता और ये शे'र पढ़ते थेः

نهارك يا مغرور سهو و غفلة ولیلك نوم والرّدیٰ لك لازم

فلا انت فی الایقاظ یقظان حازم ولا انت فی النّوام ناجٍ وسالم

وتسعیٰ الیٰ ما سوف تکره غبّهٗ کذٰلك فی الدّنیا تعیش البهائم

तर्जुमाः ऐ फ़रेब खाये हुए तेरा सारा दिन ग़फ़लत में और रात नींद में ख़र्च होती है हालाँकि मौत तेरे लिये लाज़िम है। न तू जागने वाले लोगों में होशियार व बेदार है और न सोने वालों में अपनी निजात पर मुत्मईन है। तेरी कोशिश ऐसे कामों में रहती है जिसका अन्जाम बहुत जल्दी नागवार और बुरी सूरत में सामने आयेगा, दुनिया में चौपाये जानवर ऐमे ही जिया करते हैं।

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ٥

अ़शीरा के मायने कुनबे और ख़ानदान के हैं, **अक़्रबीन** के बंधन से उनमें से भी क़रीबी रिश्तेदार मुराद हैं। यहाँ यह बात ग़ौर करने की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर रिसालत की तब्लीग़ और डराना पूरी उम्मत के लिये फ़र्ज़ है, इस जगह ख़ानदान के लोगों को ख़ास करने में क्या हिक्मत है? ग़ौर किया जाये तो इसमें तब्लीग़ व दावत के आसान और असरदार बनाने का एक ख़ास तरीक़ा बतलाया गया है जिसके आसरात दूर तक पहुँचने वाले हैं। वह यह कि अपने कुनबे और ख़ानदान के लोग अपने से क़रीब होने की बिना पर इसके हक़दार भी हैं कि हर ख़ैर और अच्छे काम में उनको दूसरों से आगे किया जाये और आपसी ताल्लुक़ात और ज़ाती वाक़फ़ियत की बिना पर उनमें कोई झूठा दावेदार नहीं खप सकता, और जिसकी सच्चाई और अख़्लाक़ी बरतरी ख़ानदान के लोगों में परिचित है उसकी सच्ची दावत क़ुबूल कर लेना उनके लिये आसान भी है। और क़रीबी रिश्तेदार जब

किसी अच्छी तहरीक के मददगार बन गये तो उनका ताल्लुक़ और इमदाद भी पुख़्ता बुनियाद पर क़ायम होती है, वह ख़ानदानी संगठन के एतिबार से भी उनकी ताईद व भाईचारे पर मजबूर होते हैं और जब क़रीबी रिश्तेदारों, अज़ीज़ों का एक माहौल हक़ व सच्चाई की बुनियादों पर तैयार हो गया तो रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में हर एक को दीन के अहकाम पर अमल करने में बहुत आसानी हो जाती है और फिर एक मुख़्तसर सी ताक़त तैयार होकर दूसरों तक दावत व तब्लीग़ के पहुँचाने में मदद मिलती है। क़ुरआने करीम की एक दूसरी आयत में है:

قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا.

(सूरः तहरीम आयत 6) यानी अपने आपको और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। इसमें घर वालों के जहन्नम से बचाने की ज़िम्मेदारी ख़ानदान के हर-हर व्यक्ति पर डाल दी गयी है जो आमाल व अख़्लाक़ के सुधार का आसान और सीधा रास्ता है। और ग़ौर किया जाये तो किसी इनसान का ख़ुद नेक आमाल व अख़्लाक़ का पाबन्द होना और फिर उस पर क़ायम रहना उस वक़्त तक आदतन मुम्किन नहीं होता जब तक उसका माहौल इसके लिये साज़गार (मुवाफ़िक़) न हो। सारे घर में अगर-एक आदमी नमाज़ की पूरी पाबन्दी करना चाहे तो उस पक्के नमाज़ी को भी अपने हक़ की अदायेगी में मुश्किलें रुकावट बनेंगी। आजकल जो हराम चीज़ों से बचना दुश्वार हो गया इसकी वजह से नहीं कि वास्तव में उसका छोड़ना कोई बड़ा मुश्किल काम है, बल्कि सबब यह है कि सारा माहौल सारी बिरादरी जब एक गुनाह में मुब्तला है तो अकेले एक आदमी को बचना दुश्वार हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर जब यह आयत नाज़िल हुई तो आपने तमाम ख़ानदान के लोगों को जमा फ़रमाकर हक़ का पैग़ाम सुनाया, उस वक़्त अगरचे लोगों ने हक़ के क़ुबूल करने से इनकार किया मगर धीरे-धीरे ख़ानदान के लोगों में इस्लाम व ईमान दाख़िल होना शुरू हो गया और आपके चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने से इस्लाम को एक बड़ी क़ुव्वत हासिल हो गयी।

शे'र की तारीफ़

وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ٥

असल लुग़त में शे'र हर उस कलाम को कहा जाता है जिसमें महज़ ख़्याली और ग़ैर-तहक़ीक़ी (बिना तहक़ीक़ के) मज़ामीन बयान किये गये हों। जिसमें कोई बहर, वज़न, रदीफ़ और क़ाफ़िया कुछ शर्त नहीं। मन्तिक़ के फ़न में भी ऐसे ही मज़ामीन को अदिल्ला-ए-शे'रिया और क़ज़ाया-ए-शे'रिया कहा जाता है। परिचित शे'र व ग़ज़ल में भी चूँकि उमूमन ख़्यालात का ही ग़लबा होता है इसलिये शायरों की इस्तिलाह में मौज़ूँ और बन्दिश वाले कलाम को शे'र कहने लगे। कुछ मुफ़स्सिरीन ने क़ुरआन की आयतों:

بَلْ هُوَ شَاعِرٌ. شَاعِرٌ مَّجْنُوْنٌ. شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ.

(यानी सूरः अम्बिया की आयत 5, सूरः साफ़्फ़ात की आयत 36 और सूरः तूर की आयत 30) वग़ैरह में शे'र परिचित मायने में मुराद लेकर कहा कि मक्का के काफ़िर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व

सल्लम को वज़नदार, क़ाफ़ियादार (यानी संजोया हुआ और बन्दिश वाला) कलाम लाने वाला कहते थे, लेकिन कुछ हज़रात ने कहा कि काफ़िरों का मक़सद यह न था, इसलिये कि वे शे'र के अन्दाज़ व तरीक़े से वाक़िफ़ थे, और ज़ाहिर है कि क़ुरआन अश्आर का मजमूआ नहीं, इसका क़ायल तो एक अजमी (ग़ैर-अरबी) भी नहीं हो सकता कहाँ यह कि उम्दा और बेहतरीन अरबी भाषा वाला शख़्स, बल्कि काफ़िर आपको शायर शे'र के असली मायने यानी ख़्याली मज़ामीन के लिहाज़ से कहते थे। उनका मक़सद दर असल आपको नऊज़ु बिल्लाह झूठा कहना था, क्योंकि शे'र झूठ के मायने में भी इस्तेमाल होता है, और शायर झूठे को कहा जाता है। इसलिये अदिल्ला-ए-काज़िबा (झूठी दलीलों) को अदिल्ला-ए-शे'रिया कहा जाता है। ख़ुलासा यह कि जैसे मौज़ूँ और बन्दिश वाले कलाम को शे'र कहते हैं इसी तरह गुमान व अन्दाज़े वाले कलाम को भी शे'र कहते हैं जो मन्तिक़ वालों की इस्तिलाह (परिभाषा) है।

وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ○

इस आयत में शे'र के इस्तिलाही (पारिभाषिक) और परिचित मायने ही मुराद हैं। यानी मौज़ूँ व बन्दिश वाला कलाम कहने वाले। इसकी ताईद फ़त्हुल-बारी की रिवायत से होती है कि जब यह आयत नाज़िल हुई तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन रवाहा, हज़रत हस्सान बिन साबित और हज़रत कअ़ब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु जो शायर सहाबा में मशहूर हैं रोते हुए सरकारे दो आ़लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! ख़ुदा तआ़ला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई है और हम भी शे'र कहते हैं। हुज़ूरे पाक ने फ़रमाया कि आयत के आख़िरी हिस्से को पढ़ो। मक़सद यह था कि तुम्हारे अश्आ़र बेहूदा और ग़लत मक़सद के लिये नहीं होते इसलिये आयत के आख़िरी हिस्से में जिनको इससे अलग रखा गया है तुम उनमें दाख़िल हो। इसलिये मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया कि आयत के शुरू के हिस्से में मुश्रिक शायर मुराद हैं क्योंकि गुमराह लोग सरकश शैतान और नाफ़रमान जिन्नात उन ही के अश्आ़र की पैरवी करते थे और चलता करते थे। (फ़त्हुल-बारी)

इस्लामी शरीअ़त में शे'र व शायरी का दर्जा

उपर्युक्त आयतों के शुरू से शे'र व शायरी की सख़्त बुराई और उसका अल्लाह के नज़दीक नापसन्दीदा होना मालूम होता है, मगर सूरत के आख़िर में जिनको इस हुक्म से अलग किया गया है उससे साबित हुआ कि शे'र उमूमी तौर पर और बिल्कुल ही बुरा नहीं बल्कि जब जिस शे'र में ख़ुदा तआ़ला की नाफ़रमानी या अल्लाह के ज़िक्र से रोकना या झूठ, नाहक़ किसी इनसान की बुराई और तौहीन हो या गन्दा व बेशर्मी का कलाम और बुराई की तरफ़ उभारने वाला हो वह बुरा और नापसन्दीदा है। और जो अश्आ़र इन बुराईयों और नाफ़रमानियों से पाक हों उनको अल्लाह तआ़ला ने 'इल्लल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति.... (यानी आयत नम्बर 227) के ज़रिये अलग फ़रमा दिया है। और कुछ अश्आ़र तो हकीमाना मज़ामीन और वअ़ज़ व नसीहत से भरे होने की वजह से नेकी व सवाब में दाख़िल हैं जैसा कि हज़रत उबई बिन कअ़ब रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत है कि कुछ शे'र हिक्मत (अ़क़्ल व दानाई की बात) होते हैं। (बुख़ारी)

हाफ़िज़ इब्ने हजर ने फ़रमाया कि हिक्मत से मुराद सच्ची बात है जो हक़ के मुताबिक़ हो। इब्ने

बत्ताल ने फ़रमाया जिस शे'र में ख़ुदा तआ़ला की वह्दानियत (एक होना), उसका ज़िक्र, इस्लाम से ताल्लुक़ व मुहब्बत का बयान हो वह शे'र पसन्दीदा और अच्छा है और उक्त हदीस में ऐसा ही शे'र मुराद है। और जिस शे'र में झूठ और बुराई व बेहयाई हो वह बुरा और नापसन्दीदा है। इसकी और ज़्यादा ताईद निम्नलिखित रिवायतों से होती है:

1. उमर बिन शुरैद अपने बाप से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम ने मुझसे उमैया बिन अबू सुल्त के सौ क़ाफ़िये तक अश्आ़र सुने।

2. मुतर्रिफ़ फ़रमाते हैं कि मैंने कूफ़ा से बसरा तक हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अ़न्हु के साथ सफ़र किया और हर मन्ज़िल पर वह शे'र सुनाते थे।

3. तबरी ने बड़े सहाबा और बड़े ताबिईन के बारे में कहा कि वे शे'र कहते थे, सुनते थे और सुनाते थे।

4. इमाम बुख़ारी रह. फ़रमाते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा शे'र कहा करती थीं।

5. अबू यअ़ला ने इब्ने उमर से मरफ़ूअ़न रिवायत किया है कि शे'र एक कलाम है अगर उसका मज़मून अच्छा और मुफ़ीद है तो शे'र अच्छा है और मज़मून बुरा या गुनाह का है तो शे'र बुरा है। (फ़त्हुल-बारी)

तफ़सीरे क़ुर्तुबी में है कि मदीना मुनव्वरा के दस बड़े फ़ुक़हा (क़ुरआन व हदीस के आ़लिम और इस्लामी मसाईल के माहिर उलेमा) जो अपने इल्म व फ़ज़्ल में मशहूर हैं उनमें से उबैदुल्लाह बिन उतबा बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु मशहूर एक माहिर शायर थे और क़ाज़ी ज़ुबैर बिन बक्कार के अश्आ़र एक मुस्तक़िल किताब में जमा थे। फिर अ़ल्लामा क़ुर्तुबी ने लिखा कि अबू अ़मर ने फ़रमाया है कि अच्छे मज़ामीन पर आधारित अश्आ़र को इल्म व अ़क़्ल वाले हज़रात में से कोई बुरा नहीं कह सकता, क्योंकि बड़े-बड़े सहाबा जो दीन के पेशवा और रहनुमा हैं उनमें कोई भी ऐसा नहीं जिसने ख़ुद शे'र न कहे हों या दूसरों के अश्आ़र न पढ़े या सुने हों और पसन्द किया हो।

जिन रिवायतों में शे'र-शायरी की बुराई बयान हुई है उनसे मक़सद यह है कि शे'र में इतना व्यस्त और मश्ग़ूल हो जाये कि अल्लाह के ज़िक्र, इबादत और क़ुरआन से ग़ाफ़िल हो जाये। इमाम बुख़ारी ने इसको एक मुस्तक़िल बाब (अध्याय) में बयान फ़रमाया है और उस बाब में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की यह रिवायत नक़ल की है:

لَأَنْ يَّمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا يَّرِيْهِ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَّمْتَلِئَ شِعْرًا.

यानी कोई आदमी पीप से अपना पेट भरे यह इससे बेहतर है कि अश्आ़र से पेट भरे।

इमाम बुख़ारी फ़रमाते हैं कि मेरे नज़दीक इसके मायने यह हैं कि शे'र जब ज़िक्रुल्लाह और क़ुरआन और इल्म की मसरूफ़ियत पर ग़ालिब आ जाये। और अगर शे'र मग़लूब है तो फिर बुरा नहीं है। इसी तरह वो अश्आ़र जो बुरे और बेहयाई के मज़ामीन या लोगों पर ताने व तश्ने या दूसरे ख़िलाफ़े शरीअ़त मज़ामीन पर मुश्तमिल हों वो सबके नज़दीक हराम व नाजायज़ हैं, और यह बात सिर्फ़ शे'र के साथ मख़्सूस नहीं जो नसर (गद्य) कलाम हो उसका भी यही हुक्म है। (क़ुर्तुबी)

हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अपने गवर्नर अ़दी बिन नज़ला को उनके ओ़हदे से

इसलिये बरख़ास्त कर दिया कि वह बुरे और बेहयाई के अश्आ़र कहते थे। हज़रत उमर बिन अ़ब्दुल-अ़ज़ीज़ रह. ने अ़मर बिन रबीअ़ और अबुल-अह्वस को इसी जुर्म में देस-निकाला देने का हुक्म दिया। अ़मर बिन रबीअ़ ने तौबा कर ली वह क़ुबूल की गयी। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

ख़ुदा तआ़ला व आख़िरत से ग़ाफ़िल कर देने वाला हर इल्म और फ़न बुरा है

इब्ने अबी जमरा ने फ़रमाया कि बहुत क़ाफ़िया-बाज़ी (यानी मज़मून को ज़्यादा तकल्लुफ़ भरा बनाने) और हर ऐसा इल्म व फ़न जो दिलों को सख़्त कर दे और ख़ुदा तआ़ला के ज़िक्र से बेतवज्जोही और ग़फ़लत का सबब बने और एतिक़ादी बातों में शक व शुब्हात और रूहानी बीमारियाँ पैदा करे उसका भी वही हुक्म है जो बुरे और नापसन्दीदा अश्आ़र का हुक्म है।

अक्सर पैरवी करने वालों की गुमराही मुक़्तदा की गुमराही की निशानी होती है

وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ۝

इस आयत में शायरों पर यह ऐब लगाया गया है कि उनकी पैरवी करने वाले गुमराह हैं। यहाँ सवाल यह पैदा होता है कि गुमराह तो हुए पैरवी करने वाले, उनके फ़ेल का इल्ज़ाम जिनकी पैरवी की गयी यानी शायरों पर कैसे आ़यद हुआ? वजह यह है कि उमूमन इत्तिबा करने वालों की गुमराही अ़लामत और निशानी होती है मतबूअ़ (जिसकी पैरवी की जाये) की गुमराही की, लेकिन सय्यिदी हज़रत हकीमुल-उम्मत थानवी रह. ने फ़रमाया कि यह हुक्म उस वक़्त है जब ताबे (पैरवी करने वाले) की गुमराही में उस मतबूअ़ (जिसकी पैरवी की जा रही है) की पैरवी का दख़ल हो। मसलन मतबूअ़ को झूठ और ग़ीबत से बचने-बचाने का एहतिमाम नहीं है, उसकी मज्लिस में इस तरह की बातें होती हैं वह रोक-टोक नहीं करता, इससे ताबे (पैरोकार) को भी झूठ और ग़ीबत की आ़दत पड़ गयी तो यह ताबे का गुनाह ख़ुद मतबूअ़ के गुनाह की निशानी क़रार दिया जायेगा, लेकिन अगर गुमराही मतबूअ़ की एक वजह (सबब और कारण) से और पैरवी किसी दूसरी वजह से हो तो यह ताबे की गुमराही मतबूअ़ की गुमराही की निशानी नहीं होगी। मसलन एक शख़्स अ़क़ीदों व मसाईल में किसी आ़लिम की पैरवी करता है और उनमें कोई गुमराही नहीं, आमाल व अख़्लाक़ में उस आ़लिम की पैरवी नहीं करता उन्हीं में यह गुमराह है तो उसकी अ़मली और अख़्लाक़ी गुमराही उस आ़लिम की गुमराही पर दलील नहीं होगी। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः शु-अ़रा की तफ़सीर 15 रबीउस्सानी सन् 1391 जुमेरात के दिन पूरी हुई। इसके बाद इन्शा-अल्लाह सूरः नम्ल की तफ़सीर आयेगी।

अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि सूरः शु-अ़रा की तफ़सीर मुकम्मल हुई।

सूरः नम्ल

सूरः नम्ल मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 93 आयतें और 7 रुकूअ़ हैं।

سُوْرَةُ النَّمْلِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طٰسٓ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۙ هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ۝ وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

तॉ-सीन्। तिल्-क आयातुल्-क़ुरआनि व किताबिम्-मुबीन (1) हुदंव् व बुश्रा लिल्-मुअ्मिनीन (2) अल्लज़ी-न युक़ीमूनस्सला-त व युअ्तूनज़्ज़का-त व हुम् बिल्-आख़िरति हुम् यूक़िनून (3) इन्नल्लज़ी-न ला युअ्मिनू-न बिल्-आख़िरति ज़य्यन्ना लहुम् अअ्मालहुम् फ़हुम् यअ्महून (4) उलाइ-कल्लज़ी-न लहुम् सूउल्-अ़ज़ाबि व हुम् फ़िल्-आख़िरति हुमुल् अख़्सरून (5) व इन्न-क लतु-लक़्क़ल्-क़ुरआ-न मिल्लदुन् हकीमिन् अ़लीम। (6) ▲	तॉ-सीन। ये आयतें हैं क़ुरआन और ख़ुली किताब की। (1) हिदायत और ख़ुशख़बरी ईमान वालों के वास्ते। (2) जो क़ायम रखते हैं नमाज़ को और देते हैं ज़कात और उनको आख़िरत पर यक़ीन है। (3) जो लोग नहीं मानते आख़िरत को अच्छे दिखलाये हमने उनकी नज़रों में उनके काम सो वे बहके फिरते हैं। (4) वही हैं जिनके वास्ते बुरी तरह का अज़ाब है और आख़िरत में वही हैं ख़राब। (5) और तुझको तो क़ुरआन पहुँचता है एक हिक्मत वाले ख़बरदार के पास से। (6) ▲

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

तॉ-सीन (इसके मायने तो अल्लाह ही को मालूम हैं)। ये (आयतें जो आप पर नाज़िल की जाती हैं) आयतें हैं क़ुरआन की, और एक स्पष्ट किताब की (यानी इसमें दो सिफ़तें हैं- क़ुरआन होना और वाज़ेह किताब होना)। ये (आयतें) ईमान वालों के लिये हिदायत (का ज़रिया) और (उस हिदायत पर नेक बदले की) ख़ुशख़बरी सुनाने वाली हैं। (मुसलमान) ऐसे हैं कि (अ़मलन भी हिदायत पर चलते हैं चुनाँचे) नमाज़ की पाबन्दी करते हैं (जो कि बदनी इबादतों में सबसे बड़ी है) और ज़कात देते हैं (जो कि माली इबादतों में सबसे बड़ी है) और (अक़ीदे के लिहाज़ से भी हिदायत याफ़्ता हैं, चुनाँचे) वे आख़िरत पर पूरा यक़ीन रखते हैं। (यह तो ईमान वालों की सिफ़त है और) जो लोग आख़िरत पर ईमान नहीं रखते, हमने उनके (बुरे) आमाल उनकी नज़र में पसन्दीदा कर रखे हैं। सो वे (अपनी इस दोहरी जहालत में हक़ से दूर) भटकते-फिरते हैं। (चुनाँचे न उनके अक़ीदे दुरुस्त हैं न आमाल इसलिये वे क़ुरआन को भी नहीं मानते, तो जैसे क़ुरआन ईमान वालों को ख़ुशख़बरी सुनाता था इनकार करने वालों को सज़ा की धमकी भी सुनाता है कि) ये वे लोग हैं जिनके लिये (दुनिया में मरने के वक़्त भी) सख़्त अ़ज़ाब (होने वाला) है, और वे लोग आख़िरत में (भी) सख़्त घाटे में हैं (कि कभी निजात न होगी) और (चाहे ये क़ुरआन के इनकारी न मानें मगर) आपको यक़ीनन एक बड़ी हिक्मत वाले, इल्म वाले की जानिब से क़ुरआने हकीम दिया जा रहा है (इसलिये आप उनके इनकार से ग़मगीन न हों)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ

यानी जो लोग आख़िरत पर ईमान नहीं लाते हमने उनके बुरे आमाल उनकी नज़रों में अच्छे बना दिये हैं, इसलिये वे उन्हीं को बेहतर समझकर गुमराही में मुब्तला रहते हैं। और कुछ मुफ़स्सिरीन ने इस आयत की यह तफ़सीर की है कि उनके आमाल से मुराद नेक आमाल हैं और मतलब यह है कि हमने तो नेक आमाल को संवार करके उनके सामने रख दिया था मगर उन ज़ालिमों ने उनकी तरफ़ तवज्जोह न की बल्कि कुफ़्र व शिर्क में मुब्तला रहे, इसलिये गुमराही में भटकने लगे। लेकिन पहली तफ़सीर ज़्यादा स्पष्ट है, अव्वल तो इसलिये कि सजाने और अच्छा करने के अलफ़ाज़ उमूमन बुरे आमाल के लिये इस्तेमाल हुए हैं जैसे:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ. زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا. زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ..... الخ

और अच्छे आमाल के लिये इस लफ़्ज़ का इस्तेमाल बहुत कम है जैसे:

حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ........ الاٰية

दूसरे आयत में अअ़्मालुहुम (उनके आमाल) का लफ़्ज़ भी इस पर दलालत कर रहा है कि मुराद बुरे आमाल हैं न कि अच्छे आमाल।

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ يَا مُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ۝ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝

इज़् का-ल मूसा लिअह्लिही इन्नी आनस्तु नारन्, स-आतीकुम् मिन्हा बि-ख़-बरिन् औ आतीकुम् बिशिहाबिन् क़-बसिल् लअ़ल्लकुम् तस्तलून (7) फ़-लम्मा जा-अहा नूदि-य अम्बूरि-क मन् फ़िन्नारि व मन् हौलहा, व सुब्हानल्लाहि रब्बिल्-आ़लमीन (8) या मूसा इन्नहू अनल्लाहुल्-अ़ज़ीज़ुल्-हकीम (9) व अल्कि अ़सा-क, फ़-लम्मा र-आहा तह्तज़्ज़ु क-अन्नहा जान्नुंव्-वल्ला मुद्बिरंव्-व लम् युअ़क़्क़िब्, या मूसा ला तख़फ़्, इन्नी ला यख़ाफ़ु ल-दय्यल्-मुर्सलून (10) इल्ला मन् ज़-ल-म सुम्-म बद्द-ल हुस्नम्

जब कहा मूसा ने अपने घर वालों को मैंने देखी है एक आग, अब लाता हूँ तुम्हारे पास वहाँ से कुछ ख़बर या लाता हूँ अंगारा सुलगाकर शायद तुम सेंको। (7) फिर जब पहुँचा उसके पास आवाज़ हुई कि बरकत है उस पर जो कोई कि आग में है और जो उसके आस-पास है, और पाक है ज़ात अल्लाह की जो रब है सारे जहान का। (8) ऐ मूसा! वह मैं अल्लाह हूँ ज़बरदस्त हिक्मतों वाला। (9) और डाल दे लाठी अपनी फिर जब देखा उसको फनफनाते जैसे साँप की सटक, लौटा पीठ फेरकर और मुड़कर न देखा। ऐ मूसा मत डर मैं जो हूँ मेरे पास नहीं डरते रसूल (10) मगर जिसने ज़्यादती की फिर बदले

बअ्-द सूइन् फ़-इन्नी ग़फ़ूरुर्-रहीम (11) व अद्ख़िल् य-द-क फ़ी जैबि-क तख़्रुज् बैज़ा-अ मिन् ग़ैरि सूइन्, फ़ी तिस्अि आयातिन् इला फ़िर्औ-न व क़ौमिही, इन्नहुम् कानू क़ौमन् फ़ासिक़ीन (12) फ़-लम्मा जाअत्हुम् आयातुना मुब्सि-रतन् क़ालू हाज़ा सिह्रुम्-मुबीन (13) व ज-हदू बिहा वस्तै-क़नत्हा अन्फ़ुसुहुम् ज़ुल्मंव्-व अुलुव्वन्, फ़न्ज़ुर् कै-फ़ का-न आक़ि-बतुल्-मुफ़्सिदीन (14) ✿	में नेकी की बुराई के बाद तो मैं बख़्शने वाला मेहरबान हूँ। (11) और डाल दे हाथ अपना अपने गिरेबान में कि निकले सफ़ेद होकर, न किसी बुराई से ये दोनों मिलकर नौ निशानियाँ लेकर जा फ़िरऔन और उसकी क़ौम की तरफ़, बेशक वे नाफ़रमान लोग थे। (12) फिर जब पहुँचीं उनके पास हमारी निशानियाँ समझाने को, बोले यह जादू है खुला। (13) और उनका इनकार किया और उनका यक़ीन कर चुके थे अपने जी में बेइन्साफ़ी और ग़ुरूर से, सो देख ले कैसा हुआ अन्जाम ख़राबी करने वालों का। (14) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(उस वक़्त का क़िस्सा याद कीजिये) जबकि (मद्यन से आते हुए तूर पहाड़ के क़रीब रात को सर्दी के वक़्त पहुँचे और मिस्र की राह भी भूल गये थे तो) मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने (तूर की तरफ़) आग देखी है, मैं अभी (जाकर) वहाँ से (या तो रास्ते की) कोई ख़बर लाता हूँ या तुम्हारे पास (वहाँ से) आग का शोला किसी लकड़ी वग़ैरह में लगा हुआ लाता हूँ ताकि तुम सेंक लो। सो जब उस (आग) के पास पहुँचे तो उनको (अल्लाह की जानिब से) आवाज़ दी गई कि जो इस आग के अन्दर हैं (यानी फ़रिश्ते) उन पर भी बरकत हो और जो इस (आग) के पास है (यानी मूसा अ़लैहिस्सलाम) उस पर भी (बरकत हो। यह दुआ़ बतौर सलाम के है जैसे मुलाक़ाती आपस में सलाम करते हैं। चूँकि मूसा अ़लैहिस्सलाम जानते न थे कि यह नूर अल्लाह के अनवार में से है इसलिये ख़ुद सलाम नहीं कर सके तो अल्लाह की जानिब उनको मानूस करने के लिये सलाम इरशाद हुआ, और फ़रिश्तों को मिला लेना शायद इसलिये हो कि जिस तरह फ़रिश्तों को सलाम हक़ तआ़ला की ख़ास निकटता की पहचान होती है यह सलाम भी मूसा अ़लैहिस्सलाम को ख़ास निकटता की ख़ुशख़बरी हो गया) और (इस बात के बतलाने के लिये कि यह नूर जो आग की शक्ल में है ख़ुद हक़ तआ़ला की ज़ात नहीं, इरशाद फ़रमाया कि) अल्लाह रब्बुल-आ़लमीन (रंग, दिशाओं, मात्रा और हद-बन्दी वग़ैरह से) पाक है। (और इस नूर में ये चीज़ें पाई जाती हैं, पस यह नूर अल्लाह की ज़ात नहीं और मूसा अ़लैहिस्सलाम अगर इस मसले से ख़ाली ज़ेहन हों तो इसकी तालीम है, और अगर अक़्ली दलीलों और सही फ़ितरत की बिना पर उनको पहले से मालूम हो तो मज़ीद समझाना है।

इसके बाद इरशाद हुआ कि) ऐ मूसा! बात यह है कि मैं (जो बिना किसी कैफ़ियत के कलाम कर रहा हूँ) अल्लाह हूँ, ज़बरदस्त, हिक्मत वाला।

और (ऐ मूसा!) तुम अपनी लाठी (ज़मीन पर) डाल दो, (चुनाँचे उन्होंने डाल दी तो वह अज़्दहा बनकर लहराने लगा) सो जब उन्होंने उसको इस तरह हरकत करते देखा जैसे साँप हो तो पीठ फेरकर भागे और पीछे मुड़कर भी न देखा। (इरशाद हुआ कि) ऐ मूसा! डरो नहीं, (क्योंकि हमने तुमको पैग़म्बरी दी है) हमारे हुज़ूर में (यानी नुबुव्वत का सम्मान दिये जाने के वक़्त) पैग़म्बर (ऐसी चीज़ों से जो कि ख़ुद उसकी पैग़म्बरी की दलील यानी मोजिज़े हों) नहीं डरा करते (यानी तुमको भी डरना न चाहिए)। हाँ! मगर जिससे कोई क़सूर (ग़लती व ख़ता) हो जाये (और वह उस ख़ता व चूक को याद करके डरे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसके बारे में भी यह क़ायदा है कि अगर क़सूर हो जाये और) फिर बुराई (हो जाने) के बाद उसकी जगह नेक काम कर ले (यानी तौबा कर ले) तो (उसको भी माफ़ कर देता हूँ क्योंकि मैं) मग़फ़िरत वाला, रहमत वाला हूँ (यह इसलिये फ़रमा दिया कि लाठी के मोजिज़े से मुत्मईन हो जाने के बाद कभी अपना किब्ती को क़त्ल करने का क़िस्सा याद करके परेशान हों इसलिये उससे भी मुत्मईन फ़रमा दिया ताकि घबराहट जाती रहे)।

और (ऐ मूसा इस लाठी वाले मोजिज़े के अ़लावा एक मोजिज़ा और भी अ़ता होता है, वह यह कि) तुम अपना हाथ अपने गिरेबान के अन्दर ले जाओ (और फिर निकालो तो) वह बिना किसी ऐब (यानी बिना किसी कोढ़ वग़ैरह की बीमारी) के (निहायत) रोशन होकर निकलेगा, (और ये दोनों मोजिज़े उन) नौ मोजिज़ों में (से हैं जिनके साथ तुम को) फ़िरऔ़न और उसकी क़ौम की तरफ़ (भेजा जाता है, क्योंकि) वे बड़े हद से निकल जाने वाले लोग हैं। ग़र्ज़ कि उन लोगों के पास जब हमारे (दिए हुए) मोजिज़े पहुँचे (जो) बिल्कुल स्पष्ट थे (यानी दावत देने के शुरू के वक़्त दो मोजिज़े दिखलाये गये फिर वक़्त वक़्त पर बाक़ी दिखलाये जाते रहे) तो वे लोग (उन सब को देखकर भी) बोले- यह खुला जादू है। और (ग़ज़ब तो यह था कि ज़ुल्म) और तकब्बुर की राह से उन (मोजिज़ों) के (बिल्कुल) इनकारी हो गये, हालाँकि (अन्दर से) उनके दिलों ने उनका यक़ीन कर लिया था, सो देखिए कैसा (बुरा) अन्जाम हुआ उन फ़साद फैलाने वालों का (दुनिया में ग़र्क़ हुए और आख़िरत में जलने की सज़ा पाई)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

إِذْ قَالَ مُوسٰى لِأَهْلِهِ إِنِّيْ آنَسْتُ نَارًا، سَآتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ۝

इनसान का अपनी ज़रूरतों के लिये तबई संसाधनों को इख़्तियार करना तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को इस जगह दो ज़रूरतें पेश आईं- एक रास्ता पूछना जो आप भूल गये थे, दूसरे आग से गर्मी हासिल करना कि सर्दी की रात थी, इसके लिये आपने तूर पहाड़ की तरफ़

जाने की कोशिश की, लेकिन इसके साथ ही इस मकसद में कामयाबी पर यकीन और दावा करने के बजाय ऐसे अलफ़ाज़ इख़्तियार फ़रमाये जिसमें अपनी बन्दगी और हक तआ़ला से उम्मीद ज़ाहिर होती है। मालूम हुआ कि ज़रूरतों के हासिल करने के लिये जिद्दोजहद तवक्कुल (अल्लाह पर भरोसे) के ख़िलाफ़ नहीं। लेकिन भरोसा अपनी कोशिश के बजाय अल्लाह पर होना चाहिये और आग आपको दिखलाये जाने में भी शायद यही हिक्मत हो कि उससे आपके दोनों मकसद पूरे हो सकते थे, रास्ते का मिल जाना और आग से गर्मी हासिल करना। (रूहुल-मआ़नी में यही तफ़सीर की गयी है)

इस जगह हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने "उम्कुसू" (तुम ठहरो) और "तस्तलून" (तुम सेंको) जमा (बहुवचन) के कलिमे बोले हालाँकि आपके साथ सिर्फ़ आपकी बीवी यानी हज़रत शुऐब अ़लैहिस्सलाम की बेटी थीं, उनके लिये बहुवचन का लफ़्ज़ इस्तेमाल फ़रमाना उनके सम्मान के तौर पर हुआ जैसे इज़्ज़तदार व सम्मानित लोगों में किसी एक फ़र्द से भी ख़िताब होता है तो जमा का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से भी अपनी पाक बीवियों के लिये बहुवचन के लफ़्ज़ इस्तेमाल फ़रमाना हदीस की रिवायतों में बयान हुआ है।

विशेष रूप से बीवी का ज़िक्र आ़म मज्लिसों में न करना बल्कि इशारे से काम लेना बेहतर है

ऊपर बयान हुई आयत में 'क़ा-ल मूसा लि-अह्लिही' फ़रमाया गया है। लफ़्ज़ अहल आ़म है जिसमें बीवी और घर के दूसरे अफ़राद भी शामिल होते हैं। इस मकाम में अगरचे हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के साथ तन्हा बीवी मोहतरमा ही थीं, कोई दूसरा न था, मगर ताबीर में यह आ़म लफ़्ज़ इस्तेमाल करने से इस तरफ़ इशारा पाया गया कि मज्लिसों में अगर कोई शख़्स अपनी बीवी का ज़िक्र करे तो आ़म लफ़्ज़ों से करना बेहतर है जैसे हमारे उर्फ़ में कहा जाता है मेरे घर वालों ने यह कहा है।

فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِيَ اَنْ م بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ٥ يٰمُوْسٰٓى اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥

हज़रत मूसा के आग देखने और आग के अन्दर से एक आवाज़ सुनने की तहकीक़

क़ुरआने करीम में हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम का यह वाकिआ बहुत सी सूरतों में विभिन्न उनवानों के साथ आया है। सूरः नम्ल की मज़कूरा आयतों में इस सिलसिले के दो जुमले ग़ौर करने के क़ाबिल हैं। अव्वल 'बूरि-क मन् फ़िन्नारि' (बरकत है उस पर जो कोई कि आग में है) दूसरा 'इन्नहू अनल्लाहुल्-अ़ज़ीज़ुल्-हकीम' (वह मैं अल्लाह हूँ ज़बरदस्त हिक्मतों वाला) और सूरः तॉ-हा में जिसकी तफ़सीर पहले गुज़र चुकी है इस वाक़िए से मुताल्लिक़ ये अलफ़ाज़ आये हैं:

اِذْرَاٰنَارًا.......... نُوْدِیَ یٰمُوْسٰٓی اِنِّیْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًی٥ وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوْحٰی٥ اِنَّنِیْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِیْ.

इन आयतों में भी दो जुमले ख़ास तौर से ग़ौर करने के क़ाबिल हैं 'इन्नी अ-न रब्बु-क' (बेशक मैं तुम्हार रब हूँ) और 'इन्ननी अनल्लाहु.....' (बेशक मैं अल्लाह हूँ.....)। और सूरः क़सस में इस वाक़िए के ये अलफ़ाज़ हैं:

نُوْدِیَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَیْمَنِ فِی الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ یّٰمُوْسٰٓی اِنِّیْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ٥

इन तीनों मौक़ों में बात का अन्दाज़ अगरचे अलग-अलग है मगर मज़मून तक़रीबन एक ही है वह यह कि हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को उस रात में कई वजह से आग की ज़रूरत थी, हक़ तआ़ला ने उनको तूर पहाड़ के एक दरख़्त पर आग दिखलाई। उस आग या दरख़्त से यह आवाज़ सुनी गई:

اِنِّیْٓ اَنَا رَبُّكَ، اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ، اِنَّنِیْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا، اِنِّیْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ٥

यह हो सकता है कि यह आवाज़ बार-बार हुई हो, कभी एक लफ़्ज़ से कभी दूसरे लफ़्ज़ से। और आवाज़ सुनने की जो कैफ़ियत तफ़सीर बहरे मुहीत में अबू हय्यान ने और रूहुल-मआ़नी में अ़ल्लामा आलूसी रह. ने नक़ल की है वह यह है कि यह आवाज़ इस तरह सुनी कि हर तरफ़ से बराबर तौर पर आ रही थी, जिसकी कोई दिशा मुतैयन नहीं हो सकती थी। और सुनना भी एक अ़जीब अन्दाज़ से हुआ कि सिर्फ़ कान नहीं बल्कि हाथ-पाँव वग़ैरह तमाम बदनी हिस्से उसको सुन रहे थे जो एक मोजिज़े की हैसियत रखती है।

यह एक ग़ैबी आवाज़ थी जो बिना कैफ़ियत व दिशा के सुनी जा रही थी लेकिन इसके निकलने की जगह वह आग या दरख़्त था जिससे आग की शक्ल उनको दिखाई गई। ऐसे ही मौक़े आ़म तौर पर लोगों के लिये मुग़ालते और बुत-परस्ती का सबब बन जाते हैं इसलिये हर उनवान में तौहीद (अल्लाह के एक और तन्हा माबूद होने) के मज़मून की तरफ़ हिदायत और तंबीह साथ-साथ की गई है। जिस आयत की बहस चल रही है इसमें लफ़्ज़ सुब्हानल्लाहि इसी तंबीह के लिये बढ़ाया गया। सूरः तॉ-हा में 'ला इला-ह इल्ला अ-न' और सूरः क़सस में 'अ-न रब्बुल-आ़लमीन' इसी मज़मून की ताकीद के लिये लाया गया है।

इस तफ़सील का हासिल यह है कि यह आग की शक्ल हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को इसलिये दिखलाई गई थी कि वह उस वक़्त आग और रोशनी के ज़रूरतमन्द थे वरना इस कलामे रब्बानी और ज़ाते रब्बानी का आग से या तूर के पेड़ से कोई ताल्लुक़ न था। आग अल्लाह तआ़ला की आ़म मख़्लूक़ात की तरह एक मख़्लूक़ थी इसी लिये ज़ेरे बहस आयतों में जो यह इरशाद है:

اَنْ م بُوْرِكَ مَنْ فِی النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا.

यानी मुबारक है वह जो आग के अन्दर है और वह जो उसके आस-पास है। इसकी तफ़सीर में तफ़सीर के इमामों के मुख़्तलिफ़ अक़वाल हैं जिनकी तफ़सील तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में है। एक क़ौल हज़रत इब्ने अ़ब्बास, मुजाहिद और इक्रिमा से मन्क़ूल है कि 'मन् फ़िन्नारि' से मुराद हज़रत मूसा

अलैहिस्सलाम हों क्योंकि आग कोई वास्तविक आग तो थी नहीं जिस मुबारक मक़ाम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहुँच गये थे वह दूर से पूरा आग मालूम होता था इसलिये मूसा अलैहिस्सलाम उस आग के अन्दर हुए और 'मन् हौलहा' से मुराद फ़रिश्ते हैं जो आस-पास वहाँ मौजूद थे। और कुछ हज़रात ने इसके विपरीत यह फ़रमाया कि "मन् फ़िन्नारि" से फ़रिश्ते और "मन् हौलहा" से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुराद हैं। तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन का जो ख़ुलासा-ए-तफ़सीर ऊपर लिखा गया है उसमें इसी को इख़्तियार किया गया है। उपरोक्त आयतों का सही मफ़्हूम (मतलब) समझने के लिये इतना ही काफ़ी है।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु और हसन बसरी की एक रिवायत और उसकी तहक़ीक़

यहाँ इब्ने जरीर, इब्ने अबी हातिम और इब्ने मरदूया वग़ैरह ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु, हज़रत हसन बसरी रह. और हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से "मन् फ़िन्नारि" की तफ़सीर में यह रिवायत भी नक़ल की है कि "मन् फ़िन्नारि" से ख़ुद हक़ तआ़ला की पाक ज़ात मुराद है। यह तो ज़ाहिर है कि आग एक मख़्लूक़ है और किसी मख़्लूक़ में ख़ालिक़ का घुस जाना नहीं हो सकता। इसलिये इस रिवायत का यह मतलब तो हो नहीं सकता कि अल्लाह की पाक ज़ात ने आग के अन्दर दाख़िला फ़रमाया था जैसा कि बहुत से बुत-परस्त मुश्रिक लोग बुतों के वजूद में ख़ुदा तआ़ला की पाक ज़ात के दाख़िल हो जाने के क़ायल हैं और यह तौहीद के क़तई ख़िलाफ़ है बल्कि मुराद ज़हूर है जैसा कि आईने में हर चीज़ को देखा जाता है, वह आईने में दाख़िल नहीं होती, उससे अलग और ख़ारिज होती है। और यह भी ज़ाहिर है कि यह ज़हूर जिसको तजल्ली भी कहा जाता है ख़ुद हक़ सुब्हानहू व तआ़ला की ज़ात की तजल्ली नहीं थी वरना अगर ज़ाते हक़ तआ़ला को मूसा अलैहिस्सलाम ने देख लिया होता तो बाद में उनके इस सवाल की कोई वजह नहीं रहती 'रब्बि अरिनी अन्ज़ुर् इलै-क' (यानी ऐ मेरे परवर्दिगार! मुझे अपनी पाक ज़ात दिखा कि मैं देख सकूँ)। और इसके जवाब में हक़ तआ़ला की तरफ़ से 'लन् तरानी' (तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते) का इरशाद भी फिर कोई मायने न रखता। इससे मालूम हुआ कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु के इस कौल में हक़ तआ़ला जल्ल शानुहू का ज़हूर मुराद है, यानी तजल्ली जो आग की सूरत में हुई यह जिस तरह उसके अन्दर दाख़िल होना नहीं था इसी तरह ज़ात की तजल्ली भी नहीं थी, बल्कि 'लन् तरानी' से यह साबित होता है कि दुनिया के इस आ़लम में ज़ाती तजल्ली को कोई शख़्स देख नहीं सकता। फिर इस ज़हूर व तजल्ली का क्या मतलब होगा? इसका जवाब यह है कि यह तजल्ली मिसाली थी जो हज़रात सूफ़िया-ए-किराम में परिचित है। उसकी हक़ीक़त का समझना तो इनसान के लिये मुश्किल है, ज़रूरत के मुताबिक़ समझ से क़रीब करने के लिये अहक़र ने अपनी किताब 'अहकामुल-क़ुरआन' जो अ़रबी भाषा में है, सूरः क़सस में इसकी कुछ तफ़सील लिखी है। उलेमा हज़रात उसमें देख सकते हैं, अ़वाम की ज़रूरत की चीज़ नहीं।

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

इससे पहली आयत में मूसा अ़लैहिस्सलाम के लाठी वाले मोजिज़े का ज़िक्र है जिसमें यह भी बयान हुआ है कि लाठी जब साँप बन गयी तो मूसा अ़लैहिस्सलाम ख़ुद भी उससे डरकर भागने लगे। आगे भी मूसा अ़लैहिस्सलाम के दूसरे मोजिज़े चमकते हाथ का बयान है, बीच में न डरने वालों में कुछ लोगों को अलग करने का ज़िक्र किस लिये किया गया और अलग करने का यह मज़मून पीछे के मज़मून से अलग है या उससे संबन्धित इसमें हज़राते मुफ़स्सिरीन के अक़वाल अलग-अलग हैं, कुछ हज़रात ने इसको पिछले मज़मून से अलग क़रार दिया है तो आयत का मज़मून यह होगा कि पहली आयत में अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम पर ख़ौफ़ न होने का ज़िक्र था, मज़मून की मुनासबत से उन लोगों का भी ज़िक्र कर दिया जिन पर ख़ौफ़ तारी होना चाहिये, यानी वे लोग जिनसे कोई ख़ता और ग़लती हुई फिर तौबा करके नेक अ़मल इख़्तियार कर लिये ऐसे हज़रात की अगरचे अल्लाह तआ़ला ख़ता माफ़ कर देते हैं मगर माफ़ी के बाद भी गुनाह के कुछ आसार बाक़ी रहने का शुब्हा व गुमान है उससे ये हज़रात हमेशा डरे रहते हैं। और अगर बीच में बयान किये गये इस मज़मून को पीछे के मज़मून से जुड़ा हुआ क़रार दें तो आयत के मायने ये होंगे कि अल्लाह के रसूल डरा नहीं करते सिवाय उनके जिनसे कोई ख़ता यानी छोटा गुनाह हो गया, फिर उससे भी तौबा कर ली हो तो उस तौबा से वह छोटा गुनाह माफ़ हो जाता है, और ज़्यादा सही यह है कि अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम से जो चूक हुई हैं वे दर हक़ीक़त गुनाह ही न थे न छोटे न बड़े, हाँ गुनाह की शक्ल थी और वास्तव में वो इज्तिहादी (वैचारिक) ख़तायें हुई हैं। इस मज़मून में इशारा इस तरफ़ पाया गया कि हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम से जो एक तबई चूक और ख़ता क़िब्ती शख़्स के क़त्ल की हो गई वह अगरचे अल्लाह तआ़ला ने माफ़ कर दी मगर उसका यह असर अब भी रहा कि मूसा अ़लैहिस्सलाम पर ख़ौफ़ तारी हो गया, अगर यह चूक और ख़ता न होती तो यह वक़्ती ख़ौफ़ भी न होता। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ۖ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ
الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ۝ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَ
الْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۝ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ
ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَ
قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ۝

व ल-क़द् आतैना दावू-द व सुलैमा-न	और हमने दिया दाऊद और सुलैमान को

ज़िल्मन् व क़ालल्-हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़-लना अ़ला कसीरिम्-मिन् अ़िबादिहिल्-मुअ्मिनीन। (15) व वरि-स सुलैमानु दावू-द व क़ा-ल या अय्युहन्नासु अुल्लिम्ना मन्तिक़त्तैरि व ऊतीना मिन् कुल्लि शैइन्, इन्-न हाज़ा ल-हुवल् फ़ज़्लुल्-मुबीन (16) व हुशि-र लिसुलैमा-न जुनूदुहू मिनल्-जिन्नि वल्-इन्सि वत्तैरि फ़हुम् यू-ज़अून (17) हत्ता इज़ा अतौ अ़ला वादिन्नम्लि क़ालत् नम्लतुंय्-या अय्युहन्-नम्लुद्ख़ुलू मसाकि-नकुम् ला यह्तिमन्नकुम् सुलैमानु व जुनूदुहू व हुम् ला यश्अुरून (18) फ़-तबस्स-म ज़ाहिकम्-मिन् क़ौलिहा व क़ा-ल रब्बि औज़िअ्नी अन् अश्कु-र निअ्-म-तकल्लती अन्अ़म्-त अ़लय्-य व अ़ला वालिदय्-य व अन् अअ्-म-ल सालिहन् तर्ज़ाहु व अद्ख़िल्नी बि-रह्मति-क फ़ी अ़िबादिकस्-सालिहीन (19)

एक इल्म और बोले शुक्र अल्लाह का जिसने हमको बुज़ुर्गी दी अपने बहुत से ईमान वाले बन्दों पर। (15) और क़ायम-मक़ाम हुआ सुलैमान दाऊद का और बोला ऐ लोगो! हमको सिखाई है बोली उड़ते जानवरों की और दिया हमको हर चीज़ में से, बेशक यही है खुली फ़ज़ीलत। (16) और जमा किये गये सुलैमान के पास उसके लश्कर जिन्न और इनसान उड़ते जानवर, फिर उनकी जमाअ़तें बनाई जातीं (17) यहाँ तक कि जब पहुँचे चींटियों के मैदान पर कहा एक चींटी ने ऐ चींटियो! घुस जाओ अपने घरों में न पीस डाले तुमको सुलैमान और उसकी फ़ौजें और उनको ख़बर भी न हो। (18) फिर मुस्कुराकर हंस पड़ा उसकी बात से और बोला ऐ मेरे रब! मेरी क़िस्मत में दे कि शुक्र करूँ तेरे एहसान का जो तूने किया मुझ पर और मेरे माँ-बाप पर, और यह कि करूँ नेक काम जो तू पसन्द करे और मिला ले मुझको अपनी रहमत से अपने नेक बन्दों में। (19)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और हमने दाऊद (अ़लैहिस्सलाम) और सुलैमान (अ़लैहिस्सलाम) को (शरीअ़त और बादशाहत चलाने का) इल्म अ़ता फ़रमाया, और उन दोनों ने (शुक्र अदा करने के लिये) कहा कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिये लायक़ हैं, जिसने हमको अपने बहुत-से ईमान वाले बन्दों पर फ़ज़ीलत दी। और

दाऊद (अ़लैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उन) के क़ायम-मक़ाम "जानशीन" सुलैमान (अ़लैहिस्सलाम) हुए (यानी उनको सल्तनत वग़ैरह मिली) और उन्होंने (शुक्र ज़ाहिर करने के लिये) कहा कि ऐ लोगो! हमको परिन्दों की बोली (समझने) की तालीम दी गई है (जो दूसरे बादशाहों को हासिल नहीं), और हमको (हुकूमत के सामान के मुताल्लिक़) हर किस्म की (ज़रूरी) चीज़ें दी गई हैं (जैसे फ़ौज, लश्कर, माल और जंगी सामान वग़ैरह), वाक़ई यह (अल्लाह तआ़ला का) खुला हुआ फ़ज़्ल है। और सुलैमान (अ़लैहिस्सलाम के पास सल्तनत का सामान भी अ़जीब व ग़रीब था, चुनाँचे उन) के लिये (जो) उनका लश्कर जमा किया गया (था उनमें) जिन्न भी (थे) और इनसान भी और परिन्दे भी, (जो किसी बादशाह के ताबे नहीं होते) और (फिर थे भी इस अधिकता से कि) उनको (चलने के वक़्त) रोका जा (या कर) ता था (ताकि अलग और जुदा न हो जायें, पीछे वाले भी पहुँच जायें, यह बात आ़म तौर पर जब होती है जबकि तायदाद बहुत अधिक होती है, क्योंकि थोड़े मजमे में तो अगला आदमी ख़ुद ही ऐसे वक़्त रुक जाता है और बड़े मजमे में अगलों को पिछलों की ख़बर भी नहीं होती, इसलिए इसका इन्तिज़ाम करना पड़ता है)।

(एक बार अपने लाव-लश्कर के साथ तशरीफ़ लिये जाते थे) यहाँ तक कि जब चींटियों के एक मैदान में आये तो एक चींटी ने (दूसरी चींटियों से) कहा कि ऐ चींटियो! अपने-अपने सुराख़ों में जा घुसो, कहीं तुमको सुलैमान और उनका लश्कर बेख़बरी में न कुचल डालें। सो सुलैमान (अ़लैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनी और) उसकी बात से (आश्चर्य में होकर कि इस छोटे वजूद पर यह होशियारी और एहतियात) मुस्कुराते हुए हंस पड़े और (यह देखकर कि मैं उसकी बोली समझ गया जो कि मोजिज़ा होने की वजह से एक बड़ी नेमत है अन्य नेमतें भी याद आ गईं और) कहने लगे कि ऐ मेरे रब! मुझको इस पर हमेशगी दीजिये कि मैं आपकी उन नेमतों का शुक्र किया करूँ जो आपने मुझको और मेरे माँ-बाप को अ़ता फ़रमाई हैं (यानी ईमान और इल्म सब को और नुबुव्वत ख़ुद को और अपने वालिद दाऊद अ़लैहिस्सलाम को) और (इस पर भी हमेशगी दीजिए कि) मैं नेक काम किया करूँ जिससे आप ख़ुश हों (यानी अ़मल मक़बूल हो, क्योंकि अगर हक़ीक़त में अ़मल नेक हो और आदाब व शर्तों की कमी की वजह से मक़बूल न हो वह मक़सूद नहीं है) और मुझको अपनी (ख़ास) रहमत से अपने (आला दर्जे के) नेक बन्दों (यानी नबियों) में दाख़िल रखिये (यानी अपनी निकटता को दूरी में तब्दील न कीजिये)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا

ज़ाहिर है कि इससे मुराद नबियों के उलूम हैं जो नुबुव्वत व रिसालत से संबन्धित होते हैं। इसके आ़म होने में दूसरे उलूम व फ़ुनून भी शामिल हों तो ख़िलाफ़ और दूर की बात नहीं, जैसे हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम को ज़िरह (लोहे का जंगी लिबास) बनाने की कारीगरी सिखा दी गई थी। हज़रत दाऊद व सुलैमान अ़लैहिमस्सलाम अम्बिया की जमाअ़त में एक ख़ास मक़ाम व विशेषता यह रखते हैं कि इनको नुबुव्वत व रिसालत के साथ सल्तनत भी दी गई थी, और सल्तनत भी ऐसी बेनज़ीर कि

सिर्फ़ इनसानों पर नहीं बल्कि जिन्नात और जानवरों पर भी इनकी हुक्मरानी थी। इन सब अज़ीमुश्शान नेमतों से पहले हक् तआला के इल्म की नेमत का ज़िक्र फ़रमाने से इस तरफ़ इशारा हो गया कि इल्म की नेमत दूसरी तमाम नेमतों से बड़ी और ऊँची है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

नबियों में माल की विरासत नहीं होती

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ

वरि-स से इल्मी विरासत और नुबुव्वत मुराद है, माल की विरासत नहीं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

نَحْنُ مَعَاشِرُ الْاَنْبِيَآءِ لَا نُوْرِثُ وَلَا نُوْرَثُ.

यानी अम्बिया न वारिस होते हैं और न मूरिस। हज़रत अबूदर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु से तिर्मिज़ी और अबू दाऊद में रिवायत है:

العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولٰكن ورثوا العلم فمن اخذهٗ اخذ بحظ وافر.

यानी उलेमा अम्बिया के वारिस हैं, लेकिन अम्बिया में विरासत इल्म और नुबुव्वत की होती है माल की नहीं होती। हज़रत अबू अ़ब्दुल्लाह (जाफ़रे सादिक़) की रिवायत इस मसले को और ज़्यादा वाज़ेह कर देती है कि हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस हुए और हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के वारिस हुए। (रूहुल-मआनी) अ़क्ली तौर पर भी यहाँ माल की विरासत मुराद नहीं हो सकती, क्योंकि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के वक्त आपकी औलाद में उन्नीस बेटों का ज़िक्र आता है, अगर माल की विरासत मुराद हो तो ये बेटे सब के सब वारिस ठहरेंगे, फिर विरासत में हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम की विशेषता की कोई वजह बाक़ी नहीं रहती। इससे साबित हुआ कि विरासत वह मुराद है जिसमें भाई शरीक न थे बल्कि सिर्फ़ हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम वारिस बने और वह सिर्फ़ इल्म और नुबुव्वत की विरासत ही हो सकती है। इसके साथ अल्लाह तआ़ला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मुल्क व सल्तनत भी हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम को अ़ता फ़रमा दिया और उसमें अतिरिक्त इज़ाफ़ा इसका कर दिया कि आपकी हुकूमत जिन्नात और जानवरों व पक्षियों तक आ़म कर दी। हवा को आपके लिये ताबे कर दिया। इन दलीलों के बाद तब्रसी की वह रिवायत ग़लत हो जायेगी जिसमें उन्होंने अहले बैत के कुछ उलेमा के हवाले से माल की विरासत मुराद ली है। (रूहुल-मआनी)

हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात और ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैदाईश के बीच एक हज़ार सात सौ साल का फ़ासला है, और यहूदी लोग यह फ़ासला एक हज़ार चार सौ साल का बतलाते हैं। सुलैमान अलैहिस्सलाम की उम्र पचास साल से कुछ ऊपर हुई है। (क़ुर्तुबी)

अपने लिये बहुवचन का लफ़्ज़ बोलना जायज़ है बशर्तेकि तकब्बुर न हो

عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا............ الخ

हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने बावजूद ख़ुद अकेले होने के अपने लिये जमा (बहुवचन) का

लफ़्ज़ शाहाना मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया है, ताकि प्रजा पर रौब पड़े और प्रजा अल्लाह तआ़ला के अहकाम और सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के क़ानूनों पर अ़मल करने में सुस्ती न करे। इसी तरह सरदारों, हाकिमों और अफ़सरों को अपनी प्रजा व पब्लिक की मौजूदगी में अपने लिये जमा का कलिमा इस्तेमाल करने में हर्ज नहीं जबकि वह इन्तिज़ाम व व्यवस्था और नेमत के इज़हार की ग़र्ज़ से हो, तकब्बुर व घमण्ड के लिये न हो।

परिन्दों और चौपायों में भी अ़क़्ल व शऊर है

इस वाक़िए से साबित हुआ कि परिन्दे, चरिन्दे (मवेशी) और तमाम हैवानों में भी अ़क़्ल व शऊर किसी दर्जे में मौजूद है। हाँ मगर उनकी अ़क़्लें इस दर्जे की नहीं कि उनको शरीअ़त के अहकाम का मुकल्लफ़ (पाबन्द) बनाया जाता, और इनसान और जिन्नात को अ़क़्ल व शऊर का वह कामिल दर्जा अ़ता हुआ है जिसकी बिना पर वे अल्लाह तआ़ला के मुख़ातब हो सकें और उन पर अ़मल कर सकें। इमाम शाफ़िई रह. ने फ़रमाया कि कबूतर सब परिन्दों में ज़्यादा अ़क़्लमन्द है। इब्ने अ़तीया ने फ़रमाया कि चींवटी बुद्धिमान और अ़क़्लमन्द जानवर है, उसकी सुनने की क़ुव्वत बड़ी तेज़ है जो कोई दाना उसके क़ब्ज़े में आता है उसके दो टुकड़े कर देती है ताकि उगे नहीं और सर्दी के ज़माने के लिये अपनी ग़िज़ा का ज़ख़ीरा (भण्डार) जमा करती है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

फ़ायदाः आयत में **मन्तिक़त्तैरि** यानी परिन्दों की बोली की विशेषता हुदहुद के वाक़िए की वजह से है जो परिन्दा है वरना हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम को परिन्दे, चरिन्दे और तमाम ज़मीनी कीड़े-मकोड़ों तक की बोलियाँ सिखाई गई थीं जैसा कि अगली आयत में चींवटी की बोली समझने का ज़िक्र मौजूद है। इमाम क़ुर्तुबी ने अपनी तफ़सीर में इस जगह पर विभिन्न परिन्दों की बोलियाँ और हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम का उस पर यह फ़रमाना कि यह परिन्दा यह बात कह रहा है तफ़सील से नक़ल किया है और तक़रीबन हर परिन्दे की बोली कोई नसीहत का जुमला (वाक्य) है।

وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

लफ़्ज़ 'कुल' असल लुग़त के एतिबार से उस प्रजाति के तमाम अफ़राद को शामिल होता है मगर बहुत सी बार बिल्कुल पूरी तरह आ़म होना मुराद नहीं होता, बल्कि किसी ख़ास मक़सद की हद तक आ़म होना मुराद होता है, जैसे यहाँ मुराद उन चीज़ों का आ़म होना है जिनकी सल्तनत व हुकूमत में ज़रूरत होती है वरना ज़ाहिर है कि हवाई जहाज़, मोटर, रेल वग़ैरह उनके पास न थे। 'रब्बि औज़िअ़नी' वज़्अ़ुन् से निकला है जिसके लफ़्ज़ी मायने रोकने के हैं। मतलब इस जगह यह है कि मुझे इसकी तौफ़ीक़ दीजिये कि मैं नेमत के शुक्र को हर वक़्त साथ रखूँ उससे किसी वक़्त जुदा न हूँ जिसका हासिल हमेशगी और पाबन्दी है। इससे पहली आयत में "फ़हुम् यूज़अ़ून" इसी मायने में आया है कि लश्कर को अधिकता की वजह से बिखराव से बचाने के लिये रोका जाता था।

وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ

यहाँ रज़ा क़ुबूल करने के मायने में है। मतलब यह है कि या अल्लाह! मुझे ऐसे नेक अ़मल की तौफ़ीक़ दीजिये जो आपके नज़दीक मक़बूल हो। तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में इससे इस पर दलील पकड़ी

है कि नेक अ़मल के लिये मक़बूल होना लाज़िम नहीं है बल्कि क़ुबूल होना कुछ शर्तों पर मौक़ूफ़ होता है, और फ़रमाया कि नेक और मक़बूल होने में न अ़क़्ली तौर पर कोई अनिवार्यता है न शरई तौर पर। इसी लिये अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की सुन्नत है कि अपने नेक आमाल के मक़बूल होने की भी दुआ़ करते थे जैसे हज़रत इब्राहीम व इस्माईल अ़लैहिमस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर के वक़्त दुआ़ फ़रमाई "रब्बना तक़ब्बल् मिन्ना"। इससे मालूम हुआ कि जो अ़मल नेक है सिर्फ़ उसको करके बेफ़िक्र होना नहीं चाहिये अल्लाह तआ़ला से यह भी दुआ़ करे कि उसको क़ुबूल फ़रमाये।

नेक और मक़बूल अ़मल होने के बावजूद जन्नत में दाख़िल होना बग़ैर फ़ज़्ले ख़ुदावन्दी के नहीं होगा

وَاَدْخِلْنِیْ بِرَحْمَتِكَ فِیْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِیْنَ۝

अ़मल के नेक और उसके क़ुबूल होने के बावजूद जन्नत में दाख़िल होना ख़ुदा तआ़ला के फ़ज़्ल व करम ही से होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि कोई शख़्स अपने आमाल के भरोसे पर जन्नत में दाख़िल नहीं होगा, सहाबा ने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! आप भी? तो आपने फ़रमाया कि हाँ मैं भी, लेकिन मुझे मेरे ख़ुदा की रहमत और फ़ज़्ल घेरे हुए है।

(तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम भी इन कलिमात में जन्नत में दाख़िल होने के लिये फ़ज़्ले रब्बी की दुआ़ फ़रमा रहे हैं यानी ऐ अल्लाह! मुझे वह फ़ज़्ल भी अ़ता फ़रमा जिससे जन्नत का मुस्तहिक़ हो जाऊँ।

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ اَرَى الْهُدْهُدَ ۖ اَمْ كَانَ

مِنَ الْغَآئِبِيْنَ ۝ لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَاذْبَحَنَّهٗٓ اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ

فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍۭ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ ۝ اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ۝ وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ

اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ۝ اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَ

الْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۝ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝ قَالَ سَنَنْظُرُ

اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا

يَرْجِعُوْنَ ۝

السجدة ٧

व त-फ़क़्क़-दत्तै-र फ़क़ा-ल मा लि-य	और ख़बर ली उड़ते जानवरों की तो कहा

ला अरल्-हुद्हु-द अम् का-न मिनल्-ग़ाइबीन (20) ल-उअ़ज़्ज़िबन्नहू अ़ज़ाबन् शदीदन् औ ल-अज़्बहन्नहू औ ल-यअ्तियन्नी बिसुल्तानिम्-मुबीन (21) फ़-म-क-स ग़ै-र बअ़ीदिन् फ़क़ा-ल अहत्तु बिमा लम् तुहित् बिही व जिअ्तु-क मिन् स-बइम् बि-न-बइंय्-यक़ीन (22) इन्नी वजत्तुम्-र-अतन् तम्लिकुहुम् व ऊतियत् मिन् कुल्लि शैइंव्-व लहा अ़र्शुन् अ़ज़ीम (23) वजत्तुहा व क़ौमहा यस्जुदू-न लिश्शम्सि मिन् दूनिल्लाहि व ज़य्य-न लहुमुश्शैतानु अअ़्मालहुम् फ़-सद्दहुम् अ़निस्सबीलि फ़हुम् ला यह्तदून (24) अल्ला यस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी युख़्रिजुल्-ख़ब्-अ फ़िस्समावाति वल्अर्ज़ि व यअ़्लमु मा तुख़्फ़ू-न व मा तुअ़्लिनून (25) अल्लाहु ला इला-ह इल्ला हु-व रब्बुल्-अ़र्शिल्-अ़ज़ीम (26) ۞ क़ा-ल सनन्ज़ुरु अ-सदक़्-त अम् कुन्-त मिनल्-काज़िबीन (27) इज़्हब्-बिकिताबी हाज़ा फ़-अल्क़िह् इलैहिम् सुम्-म तवल्-ल अ़न्हुम् फ़न्ज़ुर् माज़ा यर्जिअ़ून। (28)

क्या है जो मैं नहीं देखता हुदहुद को या है वह ग़ायब। (20) उसको सज़ा दूँगा सख़्त सज़ा या ज़िबह कर डालूँगा या लाये मेरे पास कोई स्पष्ट सनद। (21) फिर बहुत देर न की कि आकर कहा मैं ले आया ख़बर एक चीज़ की कि तुझको उसकी ख़बर न थी, और आया हूँ तेरे पास सबा से एक ख़बर लेकर तहक़ीक़ी। (22) मैंने पाया एक औरत को जो उन पर बादशाही करती है और उसको हर एक चीज़ मिली है, और उसका एक तख़्त है बड़ा। (23) मैंने पाया कि वह और उसकी क़ौम सज्दा करते हैं सूरज को अल्लाह के सिवाय, और भले दिखला रखे हैं उनको शैतान ने उनके काम, फिर रोक दिया है उनको रास्ते से सो वे राह नहीं पाते। (24) क्यों न सज्दा करें अल्लाह को जो निकालता है छुपी हुई चीज़ आसमानों में और ज़मीन में और जानता है जो छुपाते हो और ज़ाहिर करते हो। (25) अल्लाह है, किसी की बन्दगी नहीं उसके सिवा, परवर्दिगार तख़्त बड़े का। (26) ۞ सुलैमान ने कहा हम अब देखते हैं तूने सच कहा या तू झूठा है। (27) ले जा मेरा यह ख़त और डाल दे उनकी तरफ़ फिर उनके पास से हट आ फिर देख वे क्या जवाब देते हैं। (28)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(और एक बार यह किस्सा हुआ कि) सुलैमान (अ़लैहिस्सलाम) ने परिन्दों की हाज़िरी ली, तो (हुदहुद को न देखा) फ़रमाने लगे कि यह क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देखता, क्या कहीं ग़ायब हो गया है? (और जब मालूम हुआ कि वास्तव में ग़ायब है तो फ़रमाने लगे कि) मैं उसको (ग़ैर-हाज़िरी पर) सख़्त सज़ा दूँगा, या उसको ज़िबह कर डालूँगा या वह कोई साफ़ हुज्जत (और ग़ैर-हाज़िरी का उज़्र) मेरे सामने पेश कर दे (तो ख़ैर छोड़ दूँगा)।

थोड़ी ही देर में वह आ गया और सुलैमान (अ़लैहिस्सलाम) से कहने लगा कि मैं ऐसी बात मालूम करके आया हूँ जो आपको मालूम नहीं हुई। और (मुख़्तसर बयान उसका यह है कि) मैं आपके पास क़बीला सबा की एक तहक़ीक़ी ख़बर लाया हूँ (जिसका तफ़सीली बयान यह है कि) मैंने एक औरत को देखा कि वह उन लोगों पर बादशाही कर रही है, और उसको (बादशाही के लिये ज़रूरी चीज़ों में से) हर क़िस्म का सामान मयस्सर है, और उसके पास एक बड़ा (और क़ीमती) तख़्त है। (और मज़हबी हालत उनकी यह है कि) मैंने उस (औरत) को और उसकी क़ौम को देखा कि वे ख़ुदा (की इबादत) को छोड़कर सूरज को सज्दा करते हैं, और शैतान ने उनके (उन कुफ़्रिया) आमाल को उनकी नज़र में पसन्दीदा कर रखा है (और उन बुरे आमाल को अच्छा करके दिखाने के सबब) उनको (हक़) रास्ते से रोक रखा है, इसलिये वे (हक़) रास्ते पर नहीं चलते कि उस ख़ुदा को सज्दा नहीं करते जो (ऐसा क़ुदरत वाला है कि) आसमान और ज़मीन की छुपी चीज़ों को (जिनमें से बारिश और ज़मीन के पेड़-पौधे भी हैं) बाहर लाता है, और (ऐसा आ़लिम है कि) तुम लोग (यानी तमाम मख़्लूक़) जो कुछ (दिल में) छुपाकर रखते हो और जो कुछ (ज़बान और जिस्म के अंगों से) ज़ाहिर करते हो वह सब को जानता है। (इसलिये) अल्लाह ही ऐसा है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, और वह अ़र्शे अ़ज़ीम का मालिक है।

सुलैमान (अ़लैहिस्सलाम) ने (यह सुनकर) फ़रमाया कि हम अभी देखते हैं कि तू सच कहता है या झूठों में से है। (अच्छा) मेरा यह ख़त लेजा और इसको उसके पास डाल देना, फिर (ज़रा वहाँ से) हट जाना, फिर देखना कि आपस में क्या सवाल व जवाब करते हैं (फिर तू यहाँ चले आना वे लोग जो कुछ कार्रवाई करेंगे उससे तेरा सच-झूठ मालूम हो जायेगा)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ

तफ़क्क़ुद के लफ़्ज़ी मायने किसी मजमे के मुताल्लिक़ हाज़िर व ग़ैर-हाज़िर की तफ़तीश करने के हैं। इसलिये इसका तर्जुमा ख़बरगीरी और निगहबानी से किया जाता है। हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम को हक़ तआ़ला ने इनसानों के अ़लावा जिन्नात और जानवरों व परिन्दों पर हुकूमत अ़ता फ़रमाई थी, और जैसा कि हुक्मरानी का उसूल है कि प्रजा के हर तब्क़े की निगरानी और ख़बरगीरी हाकिम के फ़राइज़ में से है, उसके मुताबिक़ इस आयत में बयान फ़रमाया 'तफ़क़्क़दत्तै-र' यानी सुलैमान

अ़लैहिस्सलाम ने अपनी रियाया (प्रजा व पब्लिक) के परिन्दों का मुआयना फ़रमाया और यह देखा कि उनमें कौन हाज़िर है कौन ग़ैर-हाज़िर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की भी आ़दते शरीफ़ा यह थी कि सहाबा किराम के हालात से बा-ख़बर (अवगत) रहने का एहतिमाम फ़रमाते थे, जो शख़्स ग़ैर-हाज़िर होता अगर बीमार है तो उसकी बीमारी का हाल पूछने के लिये तशरीफ़ ले जाते थे, तीमारदारी करते और किसी तकलीफ़ में मुब्तला है तो उसके लिये उपाय फ़रमाते थे।

हाकिम को अपनी प्रजा की और बुज़ुर्गों को अपने शागिर्दों और मुरीदों की ख़बरगीरी ज़रूरी है

उक्त आयत से साबित हुआ कि हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम अपनी रियाया के हर तब्क़े पर नज़र रखते और उनके हालात से इतने बा-ख़बर रहते थे कि हुदहुद जो परिन्दों में छोटा और कमज़ोर भी है और उसकी संख्या भी दुनिया में दूसरे परिन्दों के मुक़ाबले में कम है, वह भी हज़रत सुलैमान की नज़र से ओझल नहीं हुआ, बल्कि ख़ास हुदहुद के मुताल्लिक़ जो सवाल आपने फ़रमाया उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि वह परिन्दों की जमाअ़त में कम तादाद में और कमज़ोर है इसलिये अपनी प्रजा के कमज़ोरों पर नज़र रखने का ज़्यादा एहतिमाम फ़रमाया। सहाबा किराम में हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अपनी ख़िलाफ़त के ज़माने में नबियों की इस सुन्नत को पूरी तरह जारी किया। रातों को मदीना मुनव्वरा की गलियों में फ़िरते थे कि सब लोगों के हालात से बाख़बर रहें, जिस शख़्स को किसी मुसीबत व तकलीफ़ में गिरफ़्तार पाते उसकी इमदाद फ़रमाते थे, जिसके बहुत से वाकिआ़त उनके हालात में बयान हुए हैं। वह फ़रमाया करते थे कि "अगर फ़ुरात दरिया के किनारे पर किसी भेड़िये ने किसी बकरी के बच्चे को फाड़ डाला तो उसका भी उमर से सवाल होगा।" (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

ये थे हुकूमत व सरदारी करने के वो उसूल जो अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम ने लोगों को सिखाये और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने उनको अ़मली तौर पर जारी करके दिखलाया, और जिसके नतीजे में पूरी मुस्लिम व ग़ैर-मुस्लिम पब्लिक अमन व इत्मीनान के साथ ज़िन्दगी बसर करती थी, और उनके बाद ज़मीन व आसमान ने ऐसे अ़दल व इन्साफ़ और आ़म दुनिया के अमन व सुकून और इत्मीनान का यह मन्ज़र नहीं देखा।

مَالِيَ لَآ اَرَى الْهُدْهُدَ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ۝

सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि मुझे क्या हो गया कि मैं हुदहुद को मजमे में नहीं देखता।

अपने नफ़्स का मुहासबा

यहाँ मौक़ा तो यह फ़रमाने का था कि हुदहुद को क्या हो गया कि वह मजमे में हाज़िर नहीं, उनवान शायद इसलिये बदला कि हुदहुद और तमाम परिन्दों का आपके हुक्म के ताबे होना हक़ तआ़ला का एक ख़ास इनाम था। हुदहुद की ग़ैर-हाज़िरी पर शुरूआत में दिल में यह आशंका पैदा हुई

कि शायद मेरे किसी क़सूर की वजह से इस नेमत में कमी आई कि परिन्दों की एक जाति यानी हुदहुद ग़ायब हो गया, इसलिये अपने नफ़्स से सवाल किया कि ऐसा क्यों हुआ? जैसा कि अल्लाह वालों का मामूल है कि जब उनको किसी नेमत में कमी आये या कोई तकलीफ़ व परेशानी लाहिक़ हो तो वे उसके दूर करने के लिये माद्दी असबाब की तरफ़ तवज्जोह करने से पहले अपने नफ़्स का मुहासबा (जाँच-पड़ताल) करते थे कि हम से अल्लाह तआ़ला का शुक्र अदा करने में कौनसी कोताही हुई जिसके सबब यह नेमत हम से ले ली गई। इमाम क़ुर्तुबी ने इस जगह इब्ने अ़रबी के हवाले से बुज़ुर्गों का यह हाल नक़ल किया है:

اذا فقدوا اٰمالھم تفقدوا اعمالھم

यानी इन हज़रात को जब अपनी मुराद में कामयाबी नहीं होती तो ये अपने आमाल का मुहासबा करते हैं कि हमसे क्या क़सूर हुआ।

अपने नफ़्स के इस शुरूआ़ती मुहासबे और ग़ौर व फ़िक्र के बाद फ़रमायाः

اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ۝

इस जगह हर्फ़ 'अम्' 'बल्' के मायने में है। (क़ुर्तुबी) मायने यह हैं कि यह बात नहीं कि हुदहुद के देखने में मेरी नज़र ने ख़ता की बल्कि वह हाज़िर ही नहीं।

परिन्दों में से हुदहुद को ख़ास करने की वजह और एक अहम सबक़

हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से सवाल किया गया कि तमाम परिन्दों में से हुदहुद की पड़ताल की क्या वजह पेश आई? आपने फ़रमाया कि सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने किसी ऐसे स्थान में पड़ाव डाला जहाँ पानी नहीं था और अल्लाह तआ़ला ने हुदहुद को यह ख़ासियत अ़ता फ़रमाई है कि वह ज़मीन के अन्दर की चीज़ों को और ज़मीन के अन्दर बहने वाले चश्मों को देख लेता है। मक़सद हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम का यह था कि हुदहुद से यह मालूम करें कि इस मैदान में पानी कितनी गहराई में है और किस जगह ज़मीन खोदने से काफ़ी पानी मिल सकता है। हुदहुद की इस निशानदेही के बाद वह जिन्नात को हुक्म दे देते कि इस ज़मीन को खोदकर पानी निकालो, वे बड़ी जल्द खोदकर पानी निकाल लेते थे। हुदहुद अपनी तेज़ नज़र और समझ के बावजूद शिकारी के जाल में फंस जाता है इस पर हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमायाः

قف یا وقاف کیف یری الھد ھد باطن الارض وھولا یری الفخ حین یقع فیہ. (قرطبی)

"जानने वालो! इस हक़ीक़त को पहचानो कि हुदहुद ज़मीन की गहराई की चीज़ें देख लेता है मगर ज़मीन के ऊपर फैला हुआ जाल उसकी नज़र से ओझल हो जाता है जिसमें फंस जाता है।"

मक़सद यह है कि हक़ तआ़ला ने तकलीफ़ या राहत का जो मामला किसी के लिये मुक़द्दर कर दिया है तो अल्लाह की तक़दीर नाफ़िज़ होकर रहती है, कोई शख़्स अपनी अ़क़्ल व समझ, होशियारी

या माल व ग़लबे की ताक़त के ज़रिये उससे नहीं बच सकता।

لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْلَاۡاَذْبَحَنَّهٗ

प्राथमिक सोच-विचार के बाद यह हाकिमाना सियासत का इज़हार है कि ग़ैर-हाज़िर रहने वाले को सज़ा दी जाये।

जो जानवर काम में सुस्ती करे उसको मुनासिब सज़ा देना जायज़ है

हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के लिये हक़ तआ़ला ने जानवरों को ऐसी सज़ायें देना हलाल कर दिया था जैसा कि आ़म उम्मतों के लिये जानवरों को ज़िबह करके उनके गोश्त-पोस्त वग़ैरह से फ़ायदा उठाना अब भी हलाल है। इसी तरह पालतू जानवर गाय, बैल, गधा, घोड़ा, ऊँट वग़ैरह अपने काम में सुस्ती करे तो उसको सीधा करने के लिये ज़रूरत के मुताबिक़ मारने की मुनासिब और दरमियानी सज़ा अब भी जायज़ है। दूसरे जानवरों को सज़ा देना हमारी शरीअ़त में मना है। (क़ुर्तुबी)

اَوْلَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ٥

यानी अगर हुदहुद ने अपनी ग़ैर-हाज़िरी का कोई स्पष्ट उज़्र (उचित मजबूरी व सबब) पेश कर दिया तो वह इस सज़ा से महफ़ूज़ रहेगा। इसमें इशारा है कि हाकिम को चाहिये कि जिन लोगों से अ़मल में कोई क़ुसूर हो जाये उनको उज़्र पेश करने का मौक़ा दे, उज़्र सही साबित हो तो सज़ा को माफ़ कर दे।

اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ

यानी हुदहुद ने अपना उज़्र बतलाते हुए कहा कि मुझे वह चीज़ मालूम है जो आपको मालूम नहीं, यानी मैं एक ऐसी ख़बर लाया हूँ जिसका आपको पहले इल्म नहीं था।

अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम ग़ैब के आ़लिम नहीं होते

इमाम क़ुर्तुबी ने फ़रमाया कि इससे वाज़ेह तौर पर मालूम हुआ कि अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम आ़लिमुल-ग़ैब नहीं होते जिससे उनको हर चीज़ का इल्म हो सके।

وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍۢ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ٥

सबा यमन का एक मशहूर शहर जिसका एक नाम मआरिब भी था, उसके और यमन की राजधानी के दरमियान तीन दिन की दूरी थी।

एक अदब की बात

क्या छोटे आदमी को यह हक़ है कि अपने बड़ों से कहे कि मुझे आप से ज़्यादा इल्म है? हुदहुद की मज़कूरा गुफ़्तगू से कुछ लोगों ने इस पर दलील पकड़ी है कि कोई शागिर्द अपने उस्ताद से या ग़ैर-आ़लिम आ़लिम से कह सकता है कि इस मसले का इल्म मुझे आप से ज़्यादा है, बशर्ते कि उसको

उस मसले का हकीकत में मुकम्मल इल्म दूसरों से ज़्यादा हो। मगर तफ़सीर रूहुल-मआनी में फ़रमाया कि गुफ़्तगू का यह अन्दाज़ अपने बुज़ुर्गों और बड़ों के सामने ख़िलाफ़े अदब है, इससे परहेज़ करना चाहिये। और हुदहुद के क़ौल से इस पर दलील इसलिये नहीं ली जा सकती कि उसने यह बात अपने आपको सज़ा से बचाने और उज़्र के मज़बूत होने के लिये कही है ताकि उसकी ग़ैर-हाज़िरी का उज़्र पूरी तरह हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के सामने आ जाये। ऐसी ज़रूरत में अदब की रियायत रखते हुए कोई बात की जाये तो हर्ज नहीं।

إِنِّي وَجَدْتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ

यानी मैंने एक औरत को पाया जो सबा क़ौम की मालिक (रानी) है यानी उन पर हुकूमत करती है, उस औरत यानी सबा की रानी का नाम तारीख़ में बिल्क़ीस बिन्ते शुराहील बतलाया गया है, और कुछ रिवायतों में है कि उसकी वालिदा जिन्नात में से थी जिसका नाम बल्अ़मा बिन्ते शीसान बतलाया जाता है। (क़ुर्तुबी, वुहैब बिन जरीर की रिवायत से)

और उनका दादा हुदाहुद पूरे मुल्क यमन का एक अज़ीमुश्शान बादशाह था जिसकी औलाद में चालीस लड़के हुए सब के सब राजा और बादशाह बने। उनके वालिद सिराह ने एक जिन्न औरत से निकाह कर लिया था उसी के पेट से बिल्क़ीस पैदा हुई। जिन्न औरत से निकाह करने के विभिन्न कारण बयान किये गये हैं। एक यह है कि यह अपनी हुकूमत व सल्तनत के ग़ुरूर में लोगों से कहता था कि तुम में कोई मेरे (ख़ानदान व क़ौम के एतिबार से) बराबर का नहीं इसलिये मैं निकाह ही न करूँगा क्योंकि बिना बराबरी वालों में निकाह मुझे पसन्द नहीं, इसका नतीजा यह हुआ कि लोगों ने उसका निकाह एक जिन्न औरत से करा दिया। (क़ुर्तुबी) शायद यह इसी फ़ख़्र व ग़ुरूर का नतीजा था कि उसने इनसानों को जो दर हक़ीक़त बराबर वाले थे हक़ीर व ज़लील समझा और अपने बराबर का तस्लीम न किया तो क़ुदरत ने उसका निकाह एक ऐसी औरत से मुक़द्दर कर दिया जो न उसकी बराबर की थी न उसकी जिन्स व क़ौम से थी।

क्या इनसानों का निकाह जिन्न औरत से हो सकता है?

इस मामले में कुछ लोगों ने तो इसलिये शुब्हा किया है कि जिन्नात को इनसानों की तरह औलाद व नस्ल आगे बढ़ाने का अहल नहीं समझा। इब्ने अ़रबी ने अपनी तफ़सीर में फ़रमाया कि यह ख़्याल बातिल है, सही हदीसों से जिन्नात में बच्चों की पैदाईश, नस्ल चलने और मर्द व औरत की तमाम वो ख़ुसूसियतें जो इनसानों में हैं जिन्नात में भी मौजूद होना साबित है।

दूसरा सवाल शरई हैसियत से है कि क्या जिन्न औरत किसी इनसान मर्द के लिये निकाह करके हलाल हो सकती है? इसमें फ़ुक़हा (उलेमा) का मतभेद है, बहुत से हज़रात ने जायज़ क़रार दिया है कुछ ने ग़ैर-जिन्स (जैसे जानवर दूसरी जिन्स से हैं) होने की बिना पर हराम फ़रमाया है। इस मसले की तफ़सील "आकामुल-मरजान फ़ी अहकामिल-जान्न" में बयान हुई है। उसमें कुछ ऐसे वाक़िआ़त भी ज़िक्र किये हैं कि मुसलमान मर्द से मुसलमान जिन्न औरत का निकाह हुआ और उससे औलाद भी हुई। यहाँ यह मसला इसलिये ज़्यादा क़ाबिले बहस नहीं कि निकाह करने वाला बिल्क़ीस का वालिद

मुसलमान ही न था, उसके अ़मल से इस तरह के निकाह के जायज़ या नाजायज़ होने पर दलील नहीं ली जा सकती। और चूँकि इस्लामी शरीअ़त में औलाद की निस्बत बाप की तरफ़ होती है और बिल्क़ीस के वालिद इनसान थे इसलिये बिल्क़ीस इनसान ही क़रार पायेगी। इसलिये कुछ रिवायतों में जो हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम का बिल्क़ीस से निकाह करना ज़िक्र हुआ है अगर वह रिवायत सही हो तो भी इससे जिन्न औरत से निकाह का कोई हुक्म साबित नहीं होता, क्योंकि बिल्क़ीस ख़ुद जिन्न औरत न थी अगरचे उनकी वालिदा जिन्निया हो। वल्लाहु आलम। और सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के निकाह के मुताल्लिक़ और अधिक बयान आगे आयेगा।

नोटः- जिन्नात और शैतानों के बारे में तफ़सीली मालूमात के लिये हमारी हिन्दी अनुवादित मोतबर किताब "जिन्नात व शयातीन का इतिहास" का अध्ययन फ़रमायें। कई साल पहले यह किताब फ़रीद बुक डिपो दिल्ली से प्रकाशित हो चुकी है। मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी

क्या किसी औ़रत का बादशाह होना या किसी क़ौम का अमीर व इमाम होना जायज़ है?

सही बुख़ारी में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को जब यह ख़बर पहुँची कि फ़ारस वालों ने अपने मुल्क का बादशाह किसरा की बेटी को बना दिया है तो आपने फ़रमायाः

لَنْ يُّفْلِحَ قَوْمٌ وَّلَّوْا اَمْرَهُمْ اِمْرَاَةً.

यानी वह क़ौम कभी फ़लाह न पायेगी जिसने अपने इक़्तिदार (हुकूमत व सत्ता) का मालिक औरत को बना दिया।

इसलिये उम्मत के उलेमा इस पर सहमत हैं कि किसी औ़रत को इमामत व ख़िलाफ़त या सल्तनत व हुकूमत सुपुर्द नहीं की जा सकती, बल्कि नमाज़ की इमामत की तरह बड़ी इमामत भी सिर्फ़ मर्दों को लायक़ है। रहा बिल्क़ीस का सबा की रानी होना तो इससे कोई हुक्मे शरई साबित नहीं हो सकता जब तक यह साबित न हो जाये कि हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने उससे ख़ुद निकाह कर लिया और फिर उसको हुकूमत व सल्तनत पर बरक़रार रखा, और यह किसी सही रिवायत से साबित नहीं जिस पर शरीअ़त के अहकाम में भरोसा किया जा सके।

وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

मुराद यह है कि सब ज़रूरी सामान जो किसी बादशाह व हाकिम को दरकार होता है और अपने ज़माने के मुताबिक़ हो सकता है, मौजूद था, जो चीज़ें उस ज़माने में ईजाद ही न हुई थीं उनका न होना इस आयत के ख़िलाफ़ नहीं।

وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌO

अ़र्श के लफ़्ज़ी मायने बादशाही तख़्त के हैं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से एक

रिवायत में है कि बिल्क़ीस के अ़र्श की लम्बाई अस्सी हाथ और चौड़ाई चालीस हाथ और ऊँचाई तीस हाथ थी, जिस पर मोती और सुर्ख़ याक़ूत, ज़बरजद, अख़्ज़र का काम था और उसके पाये मोतियों और जवाहिरात के थे, और पर्दे रेशम और हरीर के, अन्दर बाहर के एक के बाद एक सात ताला बन्द इमारतों में महफ़ूज़ था।

وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ

मालूम हुआ कि उसकी क़ौम सितारों को पूजती थी, सूरज की इबादत करती थी। कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि मजूसियों में से थी जो आग और हर रोशनी की पूजा करते हैं। (क़ुर्तुबी)

'अल्ला यस्जुदू' का सम्बन्ध 'ज़य्य-न लहुमुश्शैतानु' या 'सद्दहुम् अ़निस्सबीलि' से है। यानी शैतान ने उनके ज़ेहनों में यही बिठ़ला दिया था कि अल्लाह तआ़ला को सज्दा न करें, या यह कि उनको हक़ के रास्ते से इस तरह रोक दिया कि वे अल्लाह तआ़ला को सज्दा न करें।

तहरीर और ख़त भी आ़म मामलों में शरई हुज्जत है

اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا

हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने सबा की रानी के नाम ख़त भेजने को उस पर हुज्जत पूरी करने के लिये काफ़ी समझा, और इसी पर अ़मल फ़रमाया। इससे मालूम हुआ कि आ़म मामलों में तहरीर व ख़त क़ाबिले एतिबार सुबूत है। फ़ुक़हा (मसाईल के माहिर उलेमा) ने सिर्फ़ उन मौक़ों पर ख़त को काफ़ी नहीं समझा जहाँ शरई गवाही की ज़रूरत है, क्योंकि ख़त और टेलीफ़ोन वग़ैरह के ज़रिये गवाही नहीं ली जा सकती। गवाही का मदार गवाह का अ़दालत के सामने आकर बयान देने पर रखा गया है जिसमें बड़ी हिक्मतें छुपी हैं। यही वजह है कि आजकल भी दुनिया की किसी अ़दालत में ख़त और टेलीफ़ोन पर गवाही लेने को काफ़ी नहीं समझा जाता।

मुश्रिकों को ख़त लिखना और उनके पास भेजना जायज़ है

दूसरा मसला हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के इस ख़त से यह साबित हुआ कि दीन की तब्लीग़ और इस्लाम की दावत के लिये मुश्रिकों और काफ़िरों को पत्र लिखना जायज़ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से भी अनेक काफ़िरों को ख़त भेजना सही हदीसों से साबित है।

इनसानी अख़्लाक़ की रियायत हर मज्लिस में होनी चाहिये चाहे वह मज्लिस काफ़िरों ही की हो

فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ

हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने हुदहुद से ख़त पहुँचाने का काम लिया तो उसको मज्लिस का यह अदब भी सिखला दिया कि ख़त सबा की रानी को पहुँचाकर वहीं सर पर सवार न रहे बल्कि वहाँ से ज़रा हट जाये जो आ़म शाही मज्लिसों का तरीक़ा है। इसमें रहन-सहन और दूसरों के साथ मामला करने का अदब और इनसानी अख़्लाक़ का आ़म मख़्लूक़ात के साथ मतलूब होना मालूम हुआ।

قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْٓ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ۝ اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ۝ قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْٓ اَمْرِيْ ۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ ۝ قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ ۙ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ ۝ قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً ۚ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ۝ وَاِنِّيْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌ ۢ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ۝ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ ۡ فَمَآ اٰتٰىنِۦَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰىكُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ۝ اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ۝

क़ालत् या अय्युहल्म-लउ इन्नी उल्कि़-य इलय्-य किताबुन् करीम (29) इन्नहू मिन् सुलैमा-न व इन्नहू बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम (30) अल्ला तअ्लू अ़लय्-य वअ्तूनी मुस्लिमीन (31) ✿

क़ालत् या अय्युहल् म-लउ अफ़्तूनी फ़ी अम्री मा कुन्तु क़ाति-अ़तन् अम्रन् हत्ता तश्हदून (32) क़ालू नह्नु उलू क़ुव्वतिंव्-व उलू बअ्सिन् शदीदिंव्-वल्-अम्रु इलैकि फ़न्ज़ुरी माज़ा तअ्मुरीन (33) क़ालत् इन्नल्-मुलू-क इज़ा द-ख़ालू क़र्-यतन् अफ़्सदूहा व ज-अ़लू अअ़िज़्ज़-त-अह्लिहा अज़िल्ल-तन् व कज़ालि-क यफ़्अ़लून (34) व इन्नी मुर्सि-लतुन्

कहने लगी ऐ दरबार वालो! मेरे पास डाला गया एक ख़त इज़्ज़त का। (29) वह ख़त है सुलैमान की तरफ़ से और वह यह है शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है (30) कि ज़ोर न करो मेरे मुक़ाबले में और चले आओ मेरे सामने हुक्म मानने वाले होकर। (31) ✿

कहने लगी ऐ दरबार वालो! मश्विरा दो मुझको मेरे काम में, मैं तय नहीं करती कोई काम तुम्हारे हाज़िर होने तक। (32) वे बोले हम लोग ज़ोरावर हैं और सख़्त लड़ाई वाले और काम तेरे इख़्तियार में है, सो तू देख ले जो हुक्म करे। (33) कहने लगी बादशाह जब घुसते हैं किसी बस्ती में उसको ख़राब कर देते हैं, और कर डालते हैं वहाँ के सरदारों को बेइज़्ज़त, और ऐसा ही कुछ करेंगे। (34) और मैं भेजती हूँ उनकी तरफ़ कुछ तोहफ़ा फिर

इलैहिम् बि-हदिय्यतिन् फ़नाज़ि-रतुम् बि-म यर्जिअुल्-मुर्सलून (35) फ़लम्मा जा-अ सुलैमा-न क़ा-ल अतुमिद्दू-ननि बिमालिन् फ़मा आतानि-यल्लाहु ख़ैरुम् मिम्मा आताकुम् बल् अन्तुम् बि-हदिय्यतिकुम् तफ़्रहून (36) इर्जिअ् इलैहिम् फ़-लनअ्ति-यन्नहुम् बिजुनूदिल् ला क़ि-ब-ल लहुम् बिहा व लनुख़्रिजन्नहुम् मिन्हा अज़िल्ल-तंव्-व हुम् साग़िरून। (37)	देखती हूँ क्या जवाब लेकर फिरते हैं भेजे हुए। (35) फिर जब पहुँचा सुलैमान के पास बोला क्या तुम मेरी मदद करते हो माल से? सो जो अल्लाह ने मुझको दिया है बेहतर है उस से जो तुमको दिया है, बल्कि तुम ही अपने तोहफ़े से ख़ुश रहो। (36) फिर जा उनके पास अब हम पहुँचते हैं उन पर साथ लश्करों के जिनका मुक़ाबला न हो सकें उनसे, और निकाल देंगे उनको वहाँ से बेइज़्ज़त कर-कर और वे ज़लील होंगे। (37)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने हुदहुद से गुफ़्तगू करके बिल्क़ीस के नाम एक ख़त लिखा जिसका मज़मून आगे क़ुरआन में मज़कूर है और हुदहुद के हवाले किया, वह उसको चोंच में लेकर चला और अकेले या मज्लिस में बिल्क़ीस के पास डाल दिया) बिल्क़ीस ने (पढ़कर अपने सरदारों से मश्चिरे के लिये जमा किया और) कहा कि ऐ दरबार वालो! मेरे पास एक ख़त (जिसका मज़मून निहायत) सम्मानित (और अ़ज़ीमुश्शान है) डाला गया हैं। (सम्मानित इसलिये कहा कि हाकिमाना मज़मून है जिसमें बावजूद इन्तिहाई संक्षिप्तता के आला दर्जे पर बात का इज़हार है और) वह सुलैमान की तरफ़ से है, और उसमें यह (मज़मून) है (पहले) बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम (और उसके बाद यह कि) तुम लोग (यानी बिल्क़ीस और बादशाहत के तमाम सदस्य जिनके साथ अ़वाम भी शामिल हैं) मेरे मुक़ाबले में तकब्बुर मत करो और मेरे पास ताबेदार होकर चले आओ (मक़सद तमाम को दावत देना है और ये लोग सुलैमान अ़लैहिस्सलाम का या तो पहले हाल सुन चुके होंगे अगरचे सुलैमान अ़लैहिस्सलाम इन लोगों को न जानते हों, और अक्सर ऐसा होता है कि बड़े छोटों को नहीं जानते और छोटे बड़ों को जाना करते हैं, और या ख़त आने के बाद तहक़ीक़ कर लिया होगा)।

(और ख़त के मज़मून की इत्तिला देने के बाद) बिल्क़ीस ने (यह) कहा कि ऐ दरबार वालो! तुम मुझको मेरे इस मामले में राय दो (कि मुझको सुलैमान के साथ क्या मामला करना चाहिए) और मैं (कभी) किसी बात का आख़िरी फ़ैसला नहीं करती जब तक कि तुम लोग मेरे पास मौजूद न हो (और उसमें शरीक व सलाहकार न हो)। वे लोग कहने लगे कि हम (अपनी ज़ात से हर तरह से हाज़िर हैं, अगर मुक़ाबला और लड़ना मस्लेहत समझा जाये तो हम) बड़े ताक़तवर और बड़े लड़ने वाले हैं (और

आगे) इख़्तियार तुमको है, सो तुम ही (मस्लेहत देख लो, जो कुछ (तजवीज़ करके) हुक्म देना हो। बिल्क़ीस कहने लगी कि (मेरे नज़दीक लड़ना तो मस्लेहत नहीं क्योंकि सुलैमान बादशाह हैं और) बादशाहों (का क़ायदा है कि वे) जब किसी बस्ती में (मुख़ालफ़त के तौर पर) दाख़िल होते हैं तो उसको तबाह व बरबाद कर देते हैं, और उसके रहने वालों में जो इज़्ज़तदार हैं उनको (उनका ज़ोर घटाने के लिये) ज़लील (व ख़्वार) किया करते हैं, और (उनसे लड़ाई की जाये तो मुम्किन है कि उन्हीं को गल्बा हो तो फिर) ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। (तो बिना ज़रूरत परेशानी में पड़ना ख़िलाफ़े मस्लेहत है, लिहाज़ा जंग को तो अभी टाला जाये) और (फ़िलहाल यूँ मुनासिब है कि) मैं उन लोगों के पास कुछ हदिया (किसी आदमी के हाथ भेजती हूँ) फिर देखूँगी कि वे भेजे हुए (वहाँ से) क्या (जवाब) लेकर आते हैं (उस वक़्त दोबारा ग़ौर किया जायेगा। चुनाँचे हदियों और तोहफ़ों का सामान तैयार हुआ और क़ासिद उसको लेकर रवाना हुआ) सो जब वह ऐलची सुलैमान (अ़लैहिस्सलाम) के पास पहुँचा (और तोहफ़े पेश किये) तो सुलैमान (अ़लैहिस्सलाम ने) फ़रमाया, क्या तुम लोग (यानी बिल्क़ीस और बिल्क़ीस वाले) माल से मेरी इमदाद कर (ना चाह) ते हो (इसलिये हदिये लाये हो), सो (अच्छी तरह समझ लो कि) अल्लाह ने जो कुछ मुझको दे रखा है वह उससे कहीं बेहतर है जो तुमको दे रखा है (क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ़ दुनिया है और मेरे पास दीन भी और दुनिया भी तुमसे ज़्यादा, लिहाज़ा मैं तो इन चीज़ों का लालची व इच्छुक नहीं हूँ) हाँ तुम ही अपने इस हदिये पर इतराते होगे (सो ये तोहफ़े हम न लेंगे) तुम (इनको लेकर) उन लोगों के पास लौट जाओ, (अगर वे अब भी ईमान ले आयें तो ठीक वरना) हम उन पर ऐसी फ़ौजें भेजते हैं कि उन लोगों से उनका ज़रा मुक़ाबला न हो सकेगा और हम उनको वहाँ से ज़लील करके निकाल देंगे, और वे (ज़िल्लत के साथ हमेशा के लिये) मातहत (और प्रजा) हो जाएँगे (यह नहीं कि निकालने के बाद आज़ादी से छोड़ दिये जायें कि जहाँ चाहें चले जायें, बल्कि हमेशा की ज़िल्लत उनके लिये लाज़िमी हो जायेगी)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْٓ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ٥

करीम के लफ़्ज़ी मायने इज़्ज़तदार व सम्मान वाले के हैं और मुहावरे में किसी ख़त को इज़्ज़त वाला व सम्मानित तब कहा जाता है जबकि उस पर मुहर लगा दी गई हो, इसी लिये इस आयत में "किताबुन् करीम" की तफ़सीर हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि., क़तादा, ज़ुहैर रह. वग़ैरह ने किताब-ए-मख़्तूम (मुहर बन्द पत्र) से की है जिससे मालूम हुआ कि हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने ख़त पर अपनी मुहर लगाई थी। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को जब बड़े बादशाहों की यह आ़दत मालूम हुई कि जिस ख़त पर मुहर न हो उसको नहीं पढ़ते तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने भी बादशाहों के ख़तों के लिये मुहर बनवाई और कैसर व किसरा वग़ैरह को जो ख़ुतूत (पत्र) तहरीर फ़रमाये उन पर मुहर लगवाई।

इससे मालूम हुआ कि ख़त (पत्र) पर मुहर लगाना उसके लिये सम्मान की बात है जिसके नाम ख़त भेजा जा रहा है और अपने ख़त का भी। आजकल ख़त को लिफ़ाफ़े में बन्द करके भेजने की

आदत हो गई है यह भी मुहर लगाने के बराबर है। जिस जगह सामने वाले (जिसके नाम पत्र भेजा है) का इकराम (इज़्ज़त व सम्मान) मन्ज़ूर हो खुला ख़त भेजने के बजाय लिफ़ाफ़े में बन्द करके भेजना सुन्नत के क़रीब है।

हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम का ख़त किस भाषा में था

हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम अगरचे अ़रबी न थे लेकिन अ़रबी भाषा जानना और समझना आप से कोई असंभव भी नहीं, जबकि आप परिन्दों तक की बोली जानते थे, और अ़रबी भाषा तो तमाम भाषाओं से बेहतर व अशरफ़ है, लिहाज़ा हो सकता है कि हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने ख़त अ़रबी भाषा में लिखा हो क्योंकि जिसके नाम ख़त लिखा गया था (यानी बिल्क़ीस) वह अ़रबी नस्ल की थी, उसने ख़त को पढ़ा भी और समझा भी। और यह भी मुम्किन है कि हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने ख़त अपनी ही भाषा में तहरीर फ़रमाया हो और बिल्क़ीस के पास हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की भाषा का तर्जुमान (अनुवादक) हो जिसने ख़त पढ़कर सुनाया और समझाया हो।

(तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

ख़त लिखने के चन्द आदाब

اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِO

क़ुरआने करीम ने इनसानी ज़िन्दगी का कोई पहलू नहीं छोड़ा जिस पर हिदायतें न दी हों। ख़त व किताबत (पत्राचार) के ज़रिये आपसी मेल-मिलाप और कहना-सुनना भी इनसान की अहम ज़रूरतों में दाख़िल है। इस सूरत में हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम का ख़त सबा की रानी (बिल्क़ीस) के नाम पूरा का पूरा नक़ल फ़रमाया गया। यह एक पैग़म्बर व रसूल का ख़त था और क़ुरआने करीम ने इसको अच्छाई और ख़ूबी के तौर पर नक़ल किया है इसलिये इस ख़त में जो हिदायतें पत्राचार के मामले में पाई जाती हैं वो मुसलमानों के लिये भी पैरवी के क़ाबिल हैं।

ख़त भेजने वाला अपना नाम पहले लिखे फिर उसका जिसके नाम ख़त लिखा गया है

सबसे पहली एक हिदायत तो इस ख़त में यह है कि ख़त को हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने अपने नाम से शुरू किया, जिसकी तरफ़ ख़त भेजा उसका नाम किस तरह लिखा क़ुरआने करीम के अलफ़ाज़ में उसका ज़िक्र नहीं मगर इतनी बात इससे मालूम हुई कि ख़त लिखने वाले के लिये नबियों की सुन्नत यह है कि सब से पहले अपना नाम लिखे जिसमें बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे ख़त पढ़ने से पहले ही ख़त पढ़ने वाले के इल्म में आ जाये कि मैं किसका ख़त पढ़ रहा हूँ ताकि वह उसी माहौल में ख़त के मज़मून को पढ़े और ग़ौर करे। मुख़ातब को यह तकलीफ़ न उठानी पड़े कि लिखने वाले का नाम ख़त में तलाश करे कि किसका ख़त है कहाँ से आया है। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के जितने ख़ुतूत (पत्र) दुनिया में मन्क़ूल और प्रकाशित मौजूद हैं उन सब में भी आपने यही

तरीक़ा इख़्तियार फ़रमाया है कि (मिन मुहम्मदिन् अ़ब्दिल्लाहि व रसूलिही) से शुरू फ़रमाया गया है।

यहाँ एक सवाल यह पैदा हो सकता है कि जब कोई बड़ा आदमी अपनी छोटे को ख़त लिखे उसमें तो अपने नाम को शुरू में लिखने में कोई इश्काल नहीं लेकिन कोई छोटा अपने बाप, उस्ताद, शैख़ या किसी और बड़े को ख़त लिखे तो उसमें अपने नाम को पहले लिखना क्या उसके अदब के ख़िलाफ़ न होगा, और उसको ऐसा करना चाहिये या नहीं? इस मामले में हज़राते सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम का अ़मल अलग-अलग रहा है, अक्सर हज़रात ने तो सुन्नत की पैरवी को अदब पर आगे रखकर ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को जो ख़ुतूत लिखे उनमें भी अपने नाम को पहले लिखा है। तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में बहरे मुहीत के हवाले से हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु का यह क़ौल नक़ल किया है।

ماكان احد اعظم حرمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اصحابه اذا كتبوا اليه كتابًا بدأوا بانفسهم قلت وكتاب علاء الحضرمي يشهد لهٗ على ما روى.

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से ज़्यादा तो कोई इनसान क़ाबिले ताज़ीम नहीं मगर सहाबा किराम जब आपको भी ख़त लिखते तो अपना नाम ही शुरू में लिखा करते थे। और हज़रत अ़ला हज़रमी का ख़त जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के नाम मशहूर व परिचित है वह इस पर सुबूत है। अलबत्ता तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में ये रिवायतें नक़ल करने के बाद लिखा है कि यह सब कलाम अफ़ज़लियत (बेहतर और अच्छा होने) में है जवाज़ (जायज़ होने) में नहीं। अगर कोई शख़्स अपना नाम शुरू के बजाय आख़िर में लिख दे तो यह भी जायज़ है। फ़क़ीह अबुल्लैस की बुस्तान में है कि अगर कोई शख़्स सामने वाले के नाम से शुरू करे तो इसके जायज़ होने में किसी को कलाम नहीं क्योंकि उम्मत में यह तरीक़ा भी चला आ रहा है, इस पर एतिराज़ व रद्द नहीं किया गया। (रूहुल-मआ़नी व क़ुर्तुबी)

ख़त का जवाब देना भी नबियों की सुन्नत है

तफ़सीरे क़ुर्तुबी में है कि जिस शख़्स के पास किसी का ख़त आये उसके लिये मुनासिब है कि उसका जवाब दे, क्योंकि ग़ायब का ख़त हाज़िर के सलाम के क़ायम-मक़ाम है। इसी लिये हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से एक रिवायत में है कि वह ख़त के जवाब को सलाम के जवाब की तरह वाजिब क़रार देते थे। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

ख़तों में बिस्मिल्लाह लिखना

हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के मज़कूरा ख़त से तथा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के तमाम पत्रों से एक मसला यह साबित हुआ कि ख़त के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना नबियों का तरीक़ा है। रहा यह मसला कि बिस्मिल्लाह को अपने नाम से पहले लिखे या बाद में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पत्र इस पर सुबूत हैं कि बिस्मिल्लाह को सबसे पहले, उसके बाद लिखने वाले का नाम, फिर मुख़ातब का नाम लिखा जाये। और क़ुरआने करीम में जो

हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम का नाम पहले और बिस्मिल्लाह बाद में ज़िक्र हुई है इसके ज़ाहिर से इसका जायज़ होना भी मालूम होता है कि बिस्मिल्लाह अपने नाम के बाद लिखी जाये। लेकिन इब्ने अबी हातिम ने यज़ीद बिन रोमान से नक़ल किया है कि दर असल हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने अपने ख़त में इस तरह लिखा थाः

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ. من سلیمان بن داوٗد الی بلقیس ابنة ذی شرح وقومها. اَنْ لَّا تَعْلُوْا عَلَیَّ وَاْتُوْنِیْ مُسْلِمِیْنَ○

बिल्क़ीस ने जब यह ख़त अपनी क़ौम को सुनाया तो उसने क़ौम की आगाही के लिये सुलैमान अ़लैहिस्सलाम का नाम पहले ज़िक्र कर दिया, क़ुरआने करीम में जो कुछ आया है वह बिल्क़ीस का क़ौल है, क़ुरआने करीम में इसकी वज़ाहत नहीं कि हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के असल ख़त में बिस्मिल्लाह पहले थी या सुलैमान अ़लैहिस्सलाम का नाम। और यह भी हो सकता है कि सुलैमान अ़लैहिस्सलाम का नाम लिफ़ाफ़े के ऊपर लिखा हो और अन्दर बिस्मिल्लाह से शुरू हो, बिल्क़ीस ने जब अपनी क़ौम को ख़त सुनाया तो हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम का नाम पहले ज़िक्र कर दिया।

मसलाः ख़त लिखने की असल सुन्नत तो यही है कि हर ख़त के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी जाये, लेकिन क़ुरआन व सुन्नत की वज़ाहतों व इशारात से फ़ुक़हा हज़रात ने यह क़ायदा कुल्लिया लिखा है कि जिस जगह बिस्मिल्लाह या अल्लाह तआ़ला का कोई नाम लिखा जाये अगर उस जगह उस काग़ज़ के बेअदबी से महफ़ूज़ रहने का कोई एहतिमाम नहीं बल्कि वह पढ़कर डाल दिया जाता है तो ऐसे ख़तों और ऐसी चीज़ में बिस्मिल्लाह या अल्लाह तआ़ला का कोई नाम लिखना जायज़ नहीं कि वह इस तरह उस बेअदबी के गुनाह का शरीक हो जायेगा। आजकल जो उमूमन एक दूसरे को ख़त लिखे जाते हैं उनका हाल सब जानते हैं कि नालियों और गन्दगियों में पड़े नज़र आते हैं, इसलिये मुनासिब यह है कि सुन्नत को अदा करने के लिये ज़बान से बिस्मिल्लाह कह ले तहरीर में न लिखे।

ऐसी तहरीर जिसमें कोई क़ुरआनी आयत लिखी हो क्या किसी काफ़िर मुश्रिक के हाथ में देना जायज़ है

यह ख़त हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने बिल्क़ीस को उस वक़्त भेजा है जब कि वह मुसलमान नहीं थीं, हालाँकि इस ख़त में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था, जिससे मालूम हुआ कि ऐसा करना जायज़ है। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जो पत्र अ़रब से बाहर के बादशाहों को लिखे हैं और वे मुश्रिक थे उनमें भी कुछ क़ुरआनी आयतें लिखी हैं। वजह दर असल यह है कि क़ुरआने करीम का किसी काफ़िर के हाथ में देना तो जायज़ नहीं लेकिन ऐसी कोई किताब या काग़ज़ जिसमें किसी मज़मून के तहत में कोई आयत आ गई है वह उर्फ़ में क़ुरआन नहीं कहलाता इसलिये उसका हुक्म भी क़ुरआन का हुक्म नहीं होगा, वह किसी काफ़िर के हाथ में भी दे सकते हैं और बेवुज़ू के हाथ में भी। (आ़लमगीरी, किताबुल-हज़र वल-इबाहत)

ख़त मुख़्तसर, जामे, स्पष्ट और प्रभावी अन्दाज़ में लिखना चाहिये

हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के इस ख़त को देखिये तो चन्द सतरों में तमाम अहम और ज़रूरी मज़ामीन भी जमा कर दिये और भाषायी उम्दगी का आला मेयार भी क़ायम है, काफ़िर के मुक़ाबले में अपने शाहाना दबदबे का इज़हार भी है। इसके साथ हक़ तआला की कमाल वाली सिफ़ात का बयान और इस्लाम की तरफ़ दावत भी, और साथ ही ख़ुद को बड़ा समझने और तकब्बुर की बुराई भी। असल में यह ख़त भी क़ुरआनी अन्दाज़े कलाम के बेमिसाल होने का एक नमूना है। हज़रत क़तादा फ़रमाते हैं कि ख़त लिखने में तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत भी यही है कि तहरीर ज़्यादा लम्बी न हो, मगर कोई ज़रूरी मज़मून छूटे भी नहीं। (तफ़सीर रूहुल-मआनी)

अहम मामलात में सलाह लेना सुन्नत है

अहम मामलात में मश्विरा करना सुन्नत है, इसमें दूसरों की राय से फ़ायदा भी हासिल होता है और लोगों का दिल रखना भी होता है।

قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْٓ اَمْرِيْ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ○

अफ़्तूनी फ़तवा से निकला है जिसके मायने हैं किसी ख़ास मसले का जवाब देना। यहाँ मश्विरा देना और अपनी राय का इज़हार करना मुराद है। रानी बिल्क़ीस को जब सुलैमान अलैहिस्सलाम का ख़त पहुँचा तो उसने अपनी हुकूमत के ज़िम्मेदारों को जमा करके इस वाक़िए का इज़हार किया और उनसे मश्विरा तलब किया कि मुझे क्या करना चाहिये। उसने उनकी राय पूछने से पहले उनकी दिलजोई और हिम्मत बढ़ाने के लिये यह भी कहा कि "मैं किसी मामले का फ़ैसला तुम्हारे बग़ैर नहीं करती।" इसी का नतीजा था कि फ़ौज और वज़ीरों ने उसके जवाब में अपनी मुस्तैदी के साथ हुक्म की तामील के लिये हर क़िस्म की क़ुरबानी पेश कर दी यानी यह कहा कि हम ताक़तवर और लड़ाई में पीछे हटने वाले नहीं, बाक़ी आपकी मर्ज़ी आप जो हुक्म दें।

हज़रत क़तादा ने फ़रमाया कि हम से यह बयान किया गया है कि बिल्क़ीस की सलाहकार समिति के सदस्य तीन सौ तेरह थे और उनमें से हर एक आदमी दस हज़ार आदमियों का सरदार और नुमाईन्दा था। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

इससे मालूम हुआ कि अहम मामलात में मश्विरा लेने का दस्तूर पुराना है। इस्लाम ने मश्विरे को ख़ास अहमियत दी और हुकूमत के ज़िम्मेदारों को मश्विरे का पाबन्द किया। यहाँ तक कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जिन पर अल्लाह की वही आती थी और आसमानी हिदायतें आपको मिलती थीं उसकी वजह से हक़ीक़त में आपको किसी राय मश्विरे की ज़रूरत न थी मगर उम्मत के लिये सुन्नत क़ायम करने के वास्ते आपको भी हुक्म दिया गयाः

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ.

यानी आप अहम मामलात में सहाबा किराम से मश्विरा लिया करें। इसमें सहाबा किराम की दिलजोई और इज़्ज़त-अफ़ज़ाई भी है और आईन्दा आने वाले हुकूमत के ज़िम्मेदारों को इसकी ताकीद

भी कि मश्विरे से काम लिया करें।

सुलैमानी ख़त के जवाब में रानी बिल्क़ीस की प्रतिक्रिया

हुकूमत के सदस्यों और ज़िम्मेदारों को मश्विरे में शरीक करके उनका सहयोग हासिल कर लेने के बाद रानी बिल्क़ीस ने ख़ुद ही एक राय क़ायम की जिसका हासिल यह था कि वह हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम का इम्तिहान ले और तहक़ीक़ करे कि वह वास्तव में अल्लाह के रसूल और नबी हैं और जो कुछ हुक्म दे रहे हैं वह अल्लाह की अहकाम की तकमील है या वह एक हुकूमत हासिल करने के इच्छुक बादशाह हैं। इस इम्तिहान से उसका मक़सद यह था कि अगर वह हक़ीक़त में नबी व रसूल हैं तो उनके हुक्म का पालन किया जाये और मुख़ालफ़त की कोई सूरत इख़्तियार न की जाये, और अगर बादशाह हैं और मुल्क हड़पने की हवस में हमें अपना ग़ुलाम बनाना चाहते हैं तो फिर ग़ौर किया जायेगा कि उनका मुक़ाबला किस तरह किया जाये। इस इम्तिहान का तरीक़ा उसने यह तजवीज़ किया कि सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के पास कुछ हदिये (उपहार) भेजे, अगर वह हदिये लेकर राज़ी हो गये तो यह इसकी पहचान होगी कि वह एक बादशाह ही हैं, और अगर वह वाक़ई नबी व रसूल हैं तो वह इस्लाम व ईमान के बग़ैर किसी चीज़ पर राज़ी न होंगे। यह मज़मून इब्ने जरीर ने अनेक सनदों के साथ हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु, मुजाहिद, इब्ने जुरैज और इब्ने वहब रह. से नक़ल किया है, इसी का बयान इस आयत में है:

وَاِنِّیْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌ ۢ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ٥

यानी मैं हज़रत सुलैमान और उनकी हुकूमत के ज़िम्मेदारों के पास एक हदिया भेजती हूँ फिर देखूँगी कि जो क़ासिद ये हदिये लेकर जायेंगे वे वापस आकर क्या सूरतेहाल बयान करते हैं।

बिल्क़ीस के क़ासिदों की दरबारे सुलैमानी में हाज़िरी

तारीख़ी इस्राईली रिवायतों में बिल्क़ीस की तरफ़ से आने वाले क़ासिदों और तोहफ़ों की बड़ी तफ़सीलात बयान हुई हैं। इतनी बात पर सब रिवायतें सहमत हैं कि तोहफ़े में कुछ सोने की ईंटें थीं, कुछ जवाहिरात और एक सौ ग़ुलाम और एक सौ बाँदियाँ थीं, मगर बाँदियों को मर्दाना लिबासों में और ग़ुलामों को ज़नाना लिबासों में भेजा था, और साथ ही बिल्क़ीस का एक ख़त भी था जिसमें सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के इम्तिहान के लिये कुछ सवालात भी थे। तोहफ़ों के चयन में उनका इम्तिहान मतलूब था। हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम को हक़ तआ़ला ने उसके तोहफ़ों की तफ़सीलात उनके पहुँचने से पहले बतला दी थीं। सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि दरबार से नौ फ़र्सख़ (तक़रीबन तीस मील) की दूरी में सोने चाँदी की ईंटों का फ़र्श कर दिया जाये और रास्ते में दो तरफ़ा अ़जीब अन्दाज़ के पैदा हुए जानवरों को खड़ा कर दिया जाये जिनका पेशाब पाख़ाना भी सोने चाँदी के फ़र्श पर हो। इसी तरह अपने दरबार को ख़ास एहतिमाम से सजवाया दायें-बायें चार-चार हज़ार सोने की कुर्सियाँ एक तरफ़ उलेमा के लिये, दूसरी तरफ़ वज़ीरों और हुकूमत के अहलकारों के लिये बिछाई गईं। जवाहिरात से पूरा हाल सजाया गया। बिल्क़ीस के क़ासिदों ने जब सोने की ईंटों पर जानवरों को खड़ा देखा तो अपने तोहफ़े से शर्मा गये। कुछ रिवायतों में है कि अपनी सोने की ईंटें

वहीं डाल दीं फिर जैसे-जैसे आगे बढ़ते गये दो तरफ़ा जानवरों व परिन्दों की क़तारें देखीं, फिर जिन्नात की सफ़ें (क़तारें) देखी तो बेहद मरऊब हो गये, मगर जब दरबार तक पहुँचे और हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के सामने हाज़िर हुए तो आप ख़ुशी और बहुत अच्छे अन्दाज़ से पेश आये, उनकी मेहमानी का इकराम किया मगर उनके तोहफ़े वापस कर दिये और बिल्क़ीस के सब सवालों के जवाबात दिये। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी, संक्षिप्तता के साथ)

हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की तरफ़ से बिल्क़ीस के तोहफ़े की वापसी

قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ فَمَآ اٰتٰنِ ۦَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰكُمْ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ۝

यानी जब बिल्क़ीस के क़ासिद उसके हदिये और तोहफ़े लेकर हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो उन्होंने क़ासिदों से फ़रमाया कि क्या तुम माल से मेरी मदद करना चाहते हो? मुझे अल्लाह ने जो माल व दौलत दिया है वह तुम्हारे माल व सामान से कहीं ज़्यादा बेहतर है, इसलिये मैं यह माल का हदिया क़ुबूल नहीं करता इसको वापस ले जाओ और अपने हदिये पर तुम ही ख़ुश रहो।

किसी काफ़िर का हदिया क़ुबूल करना जायज़ है या नहीं? इसकी तफ़सील व तहक़ीक़

हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने रानी बिल्क़ीस का हदिया क़ुबूल नहीं फ़रमाया, इससे मालूम होता है कि काफ़िर का हदिया क़ुबूल करना जायज़ नहीं या बेहतर नहीं। और तहक़ीक़ इस मसले में यह है कि काफ़िर का हदिया क़ुबूल करने में अगर अपनी या मुसलमानों की किसी मस्लेहत में ख़लल आता हो या उनके हक़ में राय की कमज़ोरी पैदा होती हो तो उनका हदिया क़ुबूल करना दुरुस्त नहीं। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी) हाँ! अगर कोई दीनी मस्लेहत उस हदिये के क़ुबूल करने में हो जैसे उसके ज़रिये काफ़िर के मानूस होकर इस्लाम से क़रीब आने फिर मुसलमान होने की उम्मीद हो या उसकी किसी बुराई व फ़साद को उसके ज़रिये दूर किया जा सकता हो तो क़ुबूल करने की गुन्जाईश है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सुन्नत इस मामले में यही रही है कि कुछ काफ़िरों का हदिया क़ुबूल फ़रमा लिया कुछ का रद्द कर दिया। "उम्दतुल-क़ारी शरह बुख़ारी" किताबुल-हिबा में और शरह "सियर-ए-कबीर" में हज़रत कअ़ब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि बरा का भाई आ़मिर बिन मलिक मदीना में किसी ज़रूरत से पहुँचा जबकि वह मुश्रिक काफ़िर था और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में दो घोड़े और दो जोड़े कपड़े का हदिया पेश किया। आपने उसका हदिया यह फ़रमाकर वापस कर दिया कि हम मुश्रिक का हदिया क़ुबूल नहीं करते। और अ़याज़ बिन हिमार मुजाशई ने आपकी ख़िदमत में एक हदिया पेश किया तो आपने उससे सवाल किया कि तुम मुसलमान हो? उसने कहा कि नहीं, आपने उनका हदिया भी यह कहकर रद्द

फ़रमा दिया कि मुझे अल्लाह तआ़ला ने मुश्रिक लोगों के अ़ताया (उपहार) लेने से मना फ़रमाया है। इसके मुक़ाबले में ये रिवायतें भी मौजूद हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कुछ मुश्रिकों के हदिये क़ुबूल फ़रमाये। एक रिवायत में है कि अबू सुफ़ियान ने शिर्क की हालत में आपको एक चमड़ा हदिये में भेजा, आपने क़ुबूल फ़रमा लिया और एक ईसाई ने एक रेशमी हरीर का बहुत चमकता हुआ कपड़ा हदिये में पेश किया आपने क़ुबूल फ़रमा लिया।

शम्सुल-अइम्मा रह. इसको नक़ल करके फ़रमाते हैं कि मेरे नज़दीक यह सबब था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को कुछ लोगों का हदिया रद्द कर देने में उनके इस्लाम की तरफ़ माईल होने की उम्मीद थी, वहाँ रद्द कर दिया, और कुछ का हदिया क़ुबूल करने में उनके मुसलमान हो जाने की उम्मीद थी तो क़ुबूल कर लिया। (उम्दतुल-क़ारी, किताबुल-हिबा)

और रानी बिल्क़ीस ने जो हदिये के रद्द करने को नबी होने की निशानी क़रार दिया इसका सबब यह न था कि नबी के लिये मुश्रिक का हदिया क़ुबूल करना जायज़ नहीं, बल्कि सबब यह था कि उसने अपना हदिया दर हक़ीक़त एक रिश्वत की हैसियत से भेजा था कि उसके ज़रिये वह हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के हमले से महफ़ूज़ रहे।

قَالَ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ۝ قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ ۝ قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ ۖ لِيَبْلُوَنِيْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ۗ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ ۝ قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِيْٓ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ۝

क़ा-ल या अय्युहल्-म-लउ अय्युकुम् यअ्तीनी बिअ़र्शिहा क़ब्-ल अंय्यअ्तूनी मुस्लिमीन (38) क़ा-ल अ़िफ़्रीतुम् मिनल्-जिन्नि अ-न आती-क बिही क़ब्-ल अन् तक़ू-म मिम्-मक़ामि-क व इन्नी अ़लैहि ल-क़विय्युन् अमीन (39) क़ालल्लज़ी अ़िन्दहू अ़िल्मुम् मिनल्-किताबि	बोला ऐ दरबार वालो! तुम में कोई है कि ले आये मेरे पास उसका तख़्त इससे पहले कि वे आयें मेरे पास हुक्म बरदार होकर। (38) बोला एक देव जिन्नों में से मैं लाये देता हूँ वह तुझको इससे पहले कि तू उठे अपनी जगह से और मैं उस पर ज़ोरावर हूँ मोतबर। (39) बोला वह शख़्स जिसके पास था एक इल्म किताब का, मैं लाये

अ-न आती-क बिही क़ब्-ल अंय्यर्तद्-द इलै-क तर्फ़ु-क, फ़-लम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन् ज़िन्दहू क़ा-ल हाज़ा मिन् फ़ज़्लि रब्बी, लि-यब्लु-वनी अ-अश्कुरु अम् अक्फ़ुरु, व मन् श-क-र फ़-इन्नमा यश्कुरु लिनफ़्सिही व मन् क-फ़-र फ़-इन्-न रब्बी ग़निय्युन् करीम (40) क़ा-ल नक्किरू लहा अर्-शहा नन्ज़ुर् अ-तह्तदी अम् तकूनु मिनल्लज़ी-न ला यह्तदून। (41)

देता हूँ तेरे पास उसको इससे पहले कि फिर आये तेरी तरफ़ तेरी आँख, फिर जब देखा उसको धरा हुआ अपने पास कहा यह मेरे रब का फ़ज़्ल है मेरे जाँचने को कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री, और जो कोई शुक्र करे सो शुक्र करे अपने वास्ते और जो कोई नाशुक्री करे सो मेरा रब बेपरवाह है करम वाला। (40) कहा रूप बदल दिखलाओ उस औरत के आगे उसके तख़्त का, हम देखें समझ पाती है या उन लोगों में से होती है जिनको समझ नहीं। (41)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(ग़र्ज़ कि वह क़ासिद अपने हदिये लेकर वापस गया और सारा वाक़िआ बिल्क़ीस से बयान किया तो हालात से उसको हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के इल्म और नुबुव्वत के कमालात का यक़ीन हो गया और हाज़िर होने के इरादे से अपने मुल्क से चली) सुलैमान (अ़लैहिस्सलाम को वही से या किसी परिन्दे वग़ैरह के ज़रिये से उसका चलना मालूम हुआ तो उन्हों) ने (अपने दरबार वालों से) फ़रमाया कि ऐ दरबारियो! तुम में कोई ऐसा है जो उस (यानी बिल्क़ीस) का तख़्त इससे पहले कि वे लोग मेरे पास ताबेदार होकर आएँ हाज़िर कर दे? (ताबेदार होने की क़ैद वाक़िए के इज़हार के लिये है क्योंकि वे लोग इसी इरादे से आ रहे थे, तख़्त का मंगाना ग़ालिबन इस ग़र्ज़ से है कि वे लोग मेरा मोजिज़ा भी देख लें, क्योंकि इतना बड़ा तख़्त और फिर उसका ऐसे सख़्त पहरों में इस तरीक़े पर अचानक आ जाना कि इत्तिला तक न हो इनसानी ताक़त व आ़दत से बाहर है, अगर जिन्नों की तस्ख़ीर यानी ताबे होने से हो तब भी जिन्नों का ख़ुद-ब-ख़ुद ताबे हो जाना भी एक मोजिज़ा ही है, और अगर उम्मत के किसी वली की करामत के ज़रिये है तो वली की करामत भी नबी का मोजिज़ा होता है, और अगर बग़ैर किसी वास्ते के है तो फिर मोजिज़ा होना ज़ाहिर है। बहरहाल हर तरीक़े पर यह मोजिज़ा और नुबुव्वत की दलील है, लिहाज़ा मक़सद यह होगा कि अन्दरूनी कमालात के साथ-साथ ये मोजिज़े के कमालात भी देख लें ताकि ईमान व इत्मीनान ज़्यादा हो)।

एक ताक़तवर हैकल जिन्न ने जवाब (में) अ़र्ज़ किया कि मैं उसको आपकी ख़िदमत में हाज़िर कर दूँगा इससे पहले कि आप अपने इजलास से उठें, और (अगरचे वह बहुत भारी है मगर) मैं उस

(के लाने) पर ताक़त रखता हूँ (और अगरचे वह बड़ा क़ीमती जवाहिरात से जड़ा हुआ है, मगर मैं) अमानतदार (भी) हूँ (उसमें कोई ख़्यानत न करूँगा)। जिसके पास (अल्लाह की) किताब (यानी तौरात का या और वही की हुई किसी किताब का जिसमें अल्लाह के नामों की तासीरें हों उस) का इल्म था (ज़्यादा सही यह है कि इससे ख़ुद सुलैमान अ़लैहिस्सलाम मुराद हैं, ग़र्ज़) उस (इल्म वाले) ने (उस जिन्न से) कहा कि (बस तुझमें तो इतनी ही क़ुव्वत है और) मैं उसको तेरे सामने तेरी आँख झपकने से पहले लाकर खड़ा कर सकता हूँ (क्योंकि मोजिज़े की ताक़त से लाऊँगा। चुनाँचे आपने हक़ तआ़ला से दुआ़ की वैसे ही या अल्लाह के किसी नाम के ज़रिये से और तख़्त फ़ौरन सामने आ मौजूद हुआ)। पस जब सुलैमान (अ़लैहिस्सलाम) ने उसको सामने रखा देखा तो (ख़ुश होकर शुक्र के तौर पर) कहने लगे कि यह भी मेरे रब का एक फ़ज़्ल है (कि मेरे हाथ से यह मोजिज़ा ज़ाहिर किया) ताकि वह मेरी आज़माईश करे कि मैं शुक्र करता हूँ या (ख़ुदा न करे) नाशुक्री करता हूँ। और ज़ाहिर है कि जो शख़्स शुक्र करता है वह अपने ही नफ़े के लिए शुक्र करता है, (अल्लाह तआ़ला का कोई नफ़ा नहीं) और (इसी तरह) जो नाशुक्री करता है (वह भी अपना ही नुक़सान करता है, अल्लाह तआ़ला का कोई नुक़सान नहीं, क्योंकि) मेरा रब बेपरवाह है करीम है।

(इसके बाद) सुलैमान (अ़लैहिस्सलाम) ने (बिल्क़ीस की अ़क्ल आज़माने के लिये) हुक्म दिया कि उस (की अ़क्ल आज़माने) के लिये उसके तख़्त की सूरत बदल दो (जिसके बहुत से तरीक़े हो सकते हैं, मसलन मोतियों की जगहें बदल दो या किसी और तरह) हम देखें कि उसको इसका पता लगता है या उसका उन्हीं में शुमार है जिनको (ऐसी बातों का) पता नहीं लगता (पहली सूरत में मालूम होगा कि वह अ़क़्लमन्द है और अ़क़्लमन्द से हक़ बात समझने की ज़्यादा उम्मीद है और उसके हक़ को पहचानने का असर दूर तक भी पहुँचेगा, और दूसरी सूरत में उससे हक़ पहचानने की उम्मीद कम है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

बिल्क़ीस की सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के दरबार में हाज़िरी

इमाम क़ुर्तुबी ने तारीख़ी रिवायतों के हवाले से लिखा है कि बिल्क़ीस के क़ासिद ख़ुद भी मरऊ़ब व हैरान होकर वापस हुए और हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम का ऐलान-ए-जंग सुना दिया तो बिल्क़ीस ने अपनी क़ौम से कहा कि पहले भी मेरा यही ख़्याल था कि सुलैमान दुनिया के बादशाहों की तरह बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ़ से कोई ख़ास ओ़हदा व मक़ाम भी उनको मिला है, और अल्लाह के नबी व रसूल से लड़ना अल्लाह का मुक़ाबला करना है, जिसकी हम में ताक़त नहीं। यह कहकर हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की ख़िदमत में हाज़िरी की तैयारी शुरू कर दी। बारह हज़ार सरदारों को अपने साथ लिया जिनके तहत एक-एक लाख फ़ौजें थीं। (1)

हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम को हक़ तआ़ला ने ऐसा रौब व जलाल अ़ता फ़रमाया था कि

(1) हज़रत मुसन्निफ़ रह. (यानी इस तफ़सीर के लेखक) ने पहले ही फ़रमा दिया है कि ये इस्राईली रिवायतें हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ख़ास तौर से यह रिवायत अ़क़्ल से दूर है। और अ़ल्लामा आलूसी रह. के फ़रमाने के मुताबिक़ झूठ से ज़्यादा क़रीब है। मुहम्मद तक़ी उस्मानी

उनकी मज्लिस में कोई बातचीत शुरू करने की जुर्रत न कर सकता था। एक दिन हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने दूर से ग़ुबार उठता हुआ देखा तो हाज़िर लोगों से सवाल किया कि यह क्या है? लोगों ने जवाब दिया ऐ अल्लाह के नबी! रानी बिल्क़ीस अपने साथियों के साथ आ रही हैं। कुछ रिवायतों में है कि उस वक़्त वह दरबारे सुलैमानी से एक फ़र्सख़ (यानी तक़रीबन तीन मील) के फ़ासले पर थी, उस वक़्त हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने अपने लश्करों को मुख़ातब करके फ़रमायाः

يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ۝

हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम को चूँकि यह इत्तिला मिल गई थी कि बिल्क़ीस उनकी दावत से प्रभावित होने की बिना पर फ़रमाँबरदार बनकर आ रही है, तो इरादा फ़रमाया कि वह शाहाना क़ुव्वत व शौकत के साथ एक पैग़म्बराना मोजिज़ा भी देख ले तो उसके ईमान लाने के लिये ज़्यादा मददगार होगा। हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम को हक़ तआ़ला ने जिन्नात के ताबे होने का आ़म मोजिज़ा अ़ता फ़रमाया हुआ था, शायद हक़ तआ़ला की तरफ़ से इशारा पाकर उन्होंने यह इरादा फ़रमाया कि किसी तरह बिल्क़ीस का शाही तख़्त उसके यहाँ पहुँचने से पहले हाज़िर हो जाये। इसलिये मौजूद लोगों को जिनमें जिन्नात भी थे ख़िताब फ़रमाकर वह तख़्त लाने के लिये फ़रमा दिया और उसके तमाम माल व दौलत में शाही तख़्त का चयन करना भी शायद इसलिये किया गया कि वह उसकी सबसे ज़्यादा महफ़ूज़ (सुरक्षित) चीज़ थी जिसको सात शाही महलों के बीच में एक सुरक्षित महल के अन्दर ताला लगाकर रखा था कि उसके अपने आदमियों का भी वहाँ तक गुज़र न था। उसका बग़ैर दरवाज़े या ताला तोड़े हुए मुन्तक़िल हो जाना और इतनी दूर के फ़ासले पर पहुँच जाना हक़ तआ़ला शानुहू की ही कामिल क़ुदरत से हो सकता है, यह उसको हक़ तआ़ला शानुहू की कामिल क़ुदरत पर यक़ीन का सबसे बड़ा ज़रिया हो सकता था, इसके साथ इस पर भी यक़ीन लाज़िम था कि हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम को हक़ तआ़ला ही की तरफ़ से कोई ख़ास मर्तबा व ओहदा हासिल है कि उनके हाथ पर ऐसी ख़िलाफ़े आ़दत (असाधारण) चीज़ें ज़ाहिर हो जाती हैं। (इब्ने जरीर)

قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ۝

'मुस्लिमीन' मुस्लिम की जमा (बहुवचन) है, जिसके लुग़वी मायने आज्ञाकारी और फ़रमाँबरदार के हैं। शरीअ़त की परिभाषा में मोमिन को मुस्लिम कहा जाता है, यहाँ बक़ौल इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु इसके लुग़वी मायने मुराद हैं यानी आज्ञाकारी व फ़रमाँबरदार। क्योंकि बिल्क़ीस का इस्लाम लाना उस वक़्त तक साबित नहीं बल्कि वह हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के पास हाज़िर होने और कुछ बातचीत करने के बाद मुसलमान हुई है जैसा कि ख़ुद क़ुरआने करीम के आने वाले अलफ़ाज़ से साबित होता है।

قَالَ الَّذِىْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ

यानी कहा उस शख़्स ने जिसके पास इल्म था किताब में से। यह कौन शख़्स था? इसके मुताल्लिक़ एक गुमान व संभावना तो वह है जो ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में लिखी गयी है कि ख़ुद हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम मुराद हैं, क्योंकि किताबुल्लाह का सबसे ज़्यादा इल्म उन्हीं को हासिल था। इस

सूरत में यह सारा मामला मोजिज़े के तौर पर हुआ और यही मक़सद था कि बिल्क़ीस को पैग़म्बराना मोजिज़े और विशेषता का मुशाहदा (नज़ारा व अनुभव) हो जाये, और कोई इश्काल इस मामले में न रहे। मगर तफ़सीर के अक्सर इमामों- क़तादा वग़ैरह से इब्ने जरीर ने नक़ल किया है और क़ुर्तुबी ने इसी को जमहूर (अक्सर और बड़ी जमाअ़त) का क़ौल क़रार दिया है कि यह कोई शख़्स हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के सहाबा (साथियों) में से था। इब्ने इस्हाक़ ने इसका नाम आसिफ़ बिन बरख़िया बतलाया है, और यह कि वह हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम का दोस्त था। और कुछ रिवायतों के एतिबार से उनका ख़ाला ज़ाद भाई भी था जिसको इस्म-ए-आज़म का इल्म था जिसकी ख़ासियत यह है कि उसके साथ अल्लाह तआ़ला से जो भी दुआ़ की जाये क़ुबूल होती है और जो कुछ माँगा जाये अल्लाह की तरफ़ से अ़ता कर दिया जाता है। इससे यह लाज़िम नहीं आता कि हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम को इस्म-ए-आज़म का इल्म नहीं था, क्योंकि यह कुछ दूर की बात नहीं कि हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने मस्लेहत इसमें देखी हो कि यह अ़ज़ीम कारनामा उनकी उम्मत के किसी आदमी के ज़रिये ज़ाहिर हो जिससे बिल्क़ीस पर और ज़्यादा असर पड़े, इसलिये बजाय ख़ुद यह काम करने के अपने सहाबा (साथियों) को ख़िताब फ़रमाया 'अय्युकुम् यअ्तीनी.......' (जैसा कि फ़ुसूसुल- हिकम में है) इस सूरत में यह वाक़िआ़ आसिफ़ बिन बरख़िया की करामत होगी।

मोजिज़े और करामत में फ़र्क़

हक़ीक़त यह है कि जिस तरह मोजिज़े में तबई और आ़दी असबाब का कोई दख़ल नहीं होता बल्कि वह डायरेक्ट हक़ तआ़ला का फ़ेल (अ़मल) होता है जैसा कि क़ुरआने करीम में फ़रमाया है:

وَمَارَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى

इसी तरह करामत में भी तबई असबाब का कोई दख़ल नहीं होता, डायरेक्ट हक़ तआ़ला की तरफ़ से कोई काम हो जाता है। और मोजिज़े और करामत दोनों ख़ुद मोजिज़े व करामत वाले हज़रात के इख़्तियार में नहीं होते। इन दोनों में फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि ऐसा कोई अ़जीब और चमत्कारी काम अगर किसी वही वाले यानी नबी के हाथ पर हो तो **मोजिज़ा** कहलाता है, ग़ैर-नबी के ज़रिये उसका ज़ुहूर हो तो **करामत** कहलाती है। इस वाक़िए में अगर यह रिवायत सही है कि यह अ़मल हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के सहाबा में से आसिफ़ बिन बरख़िया के ज़रिये हुआ तो यह उनकी करामत कहलायेगी, और हर वली के कमालात चूँकि उनके रसूल व पैग़म्बर के कमालात का अ़क्स और उन्हीं के फ़ैज़ से होते हैं इसलिये उम्मत के औलिया-अल्लाह के हाथों जितनी करामतों का ज़ुहूर होता रहता है ये सब रसूल के मोजिज़ों में शुमार होते हैं।

बिल्क़ीस के तख़्त का वाक़िआ़ करामत थी या तसर्रुफ़

शैख़ अकबर मोहयुद्दीन इब्ने अ़रबी ने इसको आसिफ़ बिन बरख़िया का तसर्रुफ़ (काम और अ़मल) क़रार दिया है। तसर्रुफ़ इस्तिलाह में ख़्याल व नज़र की ताक़त इस्तेमाल करके हैरत-अंगेज़ काम करने के लिये इस्तेमाल होता है जिसके लिये नबी या वली बल्कि मुसलमान होना भी शर्त नहीं, वह मिस्मरेज़ जैसा एक अ़मल है। सूफ़िया-ए-किराम ने मुरीदों के सुधार के लिये कभी-कभी इसको

इस्तेमाल किया है। इब्ने अ़रबी ने फ़रमाया कि अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम चूँकि तसर्रुफ़ करने से परहेज़ करते हैं इसलिये हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने यह काम आसिफ़ बिन बरख़िया से लिया, मगर क़ुरआने करीम ने इस तसर्रुफ़ को 'इल्मुम् मिनल् किताबि' का नतीजा बतलाया है, इससे तरजीह इसको ही होती है कि यह किसी दुआ़ या इस्म-ए-आज़म का असर था, जिसका तसर्रुफ़ से कोई वास्ता नहीं, वह करामत ही के मायने में दाख़िल है।

रहा यह शुब्हा कि उनका यह कहना किः

اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ

"यानी मैं यह तख़्त आँख झपकने से पहले ला दूँगा।" यह इसकी निशानी है कि यह काम उनके इरादे व इख़्तियार से हुआ जो तसर्रुफ़ की निशानी है, क्योंकि करामत वली के इख़्तियार में नहीं होती। तो इसका यह जवाब हो सकता है कि मुम्किन है अल्लाह तआ़ला ने उनको यह इत्तिला कर दी हो कि तुम इरादा करोगे तो हम यह काम इतनी जल्दी कर देंगे। यह तक़रीर हज़रत सैयदी हकीमुल-उम्मत मौलाना अशरफ़ अ़ली थानवी क़ुद्दि-स सिर्रुहू की है जो अहकामुल-क़ुरआन में सूरः नम्ल की तफ़सीर लिखने के वक़्त हज़रत ने इरशाद फ़रमाई थी। और तसर्रुफ़ की हक़ीक़त और उसके अहकाम पर हज़रत रह. का एक मुस्तक़िल रिसाला "अत्तसर्रुफ़" के नाम से अ़रबी भाषा में था जिसका उर्दू तर्जुमा अहक़र ने लिखा था वह अलग से प्रकाशित हो चुका है।

فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ۭ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ۚ وَ اُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ۝ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ۝ قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ۭ قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ۥ قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

ع ٣ / ١٨

फ़-लम्मा जाअत् क़ी-ल अहा-कज़ा अ़र्शुकि, क़ालत् क-अन्नहू हु-व व ऊतीनल्-अ़िल्-म मिन् क़ब्लिहा व कुन्ना मुस्लिमीन (42) व सद्दहा मा कानत् तअ़्बुदु मिन् दूनिल्लाहि, इन्नहा कानत् मिन् क़ौमिन् काफ़िरीन (43) क़ी-ल ल-हद्ख़ुलिस्सर्-ह फ़-लम्मा र-अत्हु हसि-बत्हु लुज्जतंव्-	फिर जब वह आ पहुँची किसी ने कहा क्या ऐसा ही है तेरा तख़्त? बोली गोया यह वही है और हमको मालूम हो चुका पहले से और हम हो चुके हुक्म मानने वाले। (42) और रोक दिया उसको उन चीज़ों से जो पूजती थी अल्लाह के सिवा यक़ीनन वह थी मुन्किर लोगों में। (43) किसी ने कहा उस औरत को अन्दर चल महल में, फिर जब देखा उसको ख़्याल

व क-शफ़त् अ़न् साक़ैहा, क़ा-ल इन्नहू सर्हुम्-मुमर्रदुम मिन् क़वारी-र, क़ालत् रब्बि इन्नी ज़लम्तु नफ़्सी व अस्लम्तु म-अ़ सुलैमा-न लिल्लाहि रब्बिल्-आ़लमीन (44) ✿	किया कि वह पानी है गहरा और खोलीं अपनी पिण्डलियाँ, कहा यह तो एक महल है जड़े हुए हैं इसमें शीशे, बोली ऐ रब! मैंने बुरा किया है अपनी जान का और मैं हुक्म मानने वाली हुई साथ सुलैमान के अल्लाह के आगे जो रब है सारे जहान का। (44) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने यह सब सामान कर रखा था, फिर बिल्क़ीस पहुँची) सो जब बिल्क़ीस आई तो उससे (तख़्त दिखाकर) कहा गया (चाहे सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने ख़ुद कहा हो या किसी से कहलवाया हो) कि क्या तुम्हारा तख़्त ऐसा ही है? वह कहने लगी कि हाँ है तो ऐसा ही। (बिल्क़ीस से इस तौर पर इसलिये सवाल किया कि हालत व शक्ल तो बदल दी गई थी अपनी असल के एतिबार से तो वही तख़्त था और सूरत वह न थी। इसलिए यूँ नहीं कहा कि क्या यही तुम्हारा तख़्त है बल्कि यह कहा कि ऐसा ही तुम्हारा तख़्त है और बिल्क़ीस उसको पहचान गई और उसके बदल देने को भी समझ गई इसलिये जवाब भी सवाल के मुताबिक़ दिया) और (यह भी कहा कि) हम लोगों को तो इस वाक़िए से पहले ही (आपकी नुबुव्वत की) तहक़ीक़ हो चुकी है, और हम (उसी वक़्त से दिल से) मानने वाले हो चुके हैं। (जब क़ासिद से आपके कमालात मालूम हुए थे इस मोजिज़े की कोई ज़रूरत न थी) और (चूँकि इस मोजिज़े से पहले तस्दीक़ व एतिक़ाद कर लेना बड़ी अ़क्लमन्दी की दलील है इसलिए अल्लाह तआ़ला उसके अ़क्लमन्द होने का इज़हार फ़रमाते हैं कि वास्तव में वह थी समझदार मगर चन्द रोज़ तक जो ईमान न लाई तो वजह उसकी यह है कि) उसको (ईमान लाने से) अल्लाह के अ़लावा दूसरों की इबादत ने (जबकि उसको आ़दत थी) रोक रखा था, (और वह आ़दत इसलिये पड़ गई थी कि) वह काफ़िर क़ौम में की थी (पस जो सब को करते देखा वही ख़ुद करने लगी और क़ौमी आ़दतें बहुत सी बार इनसान के सोचने-समझने में रुकावट बन जाती हैं, मगर चूँकि अ़क्लमन्द थी इसलिए जब चेताया गया तो समझ गई। उसके बाद सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने यह चाहा कि नुबुव्वत व मोजिज़े की शान दिखलाने के साथ ही इसको बादशाह की ज़ाहिरी शान भी दिखला दी जाये ताकि अपने को दुनिया के एतिबार से भी बड़ा और शान वाला न समझे इसलिए एक शीश महल बनवाकर उसके सेहन में हौज़ बनवाया और उसमें पानी और मछलियाँ भरकर उसको शीशे से पाट दिया। और शीशा ऐसा साफ़ था कि ज़ाहिर नज़र में दिखाई न देता था और वह हौज़) ऐसी जगह पर था कि उस महल में जाने वाले को लाज़िमी तौर पर उस पर से गुज़रना पड़े। चुनाँचे इस तमाम सामान के बाद) बिल्क़ीस से कहा गया कि इस महल में दाख़िल हो। (मुम्किन है वही महल उसके ठहरने के लिये तजवीज़ किया हो, ग़र्ज़ कि वह चलीं, रास्ते में हौज़ आया) तो जब उसका आँगन देखा तो उसको

पानी (से भरा हुआ) समझा, और (चूँकि अन्दाज़े से पानी ज़्यादा महसूस किया इसलिए उसके अन्दर उतरने के लिये दामन उठाये और) अपनी दोनों पिंडलियाँ खोल दीं। (उस वक़्त) सुलैमान (अ़लैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि यह तो एक महल है जो (सारा का सारा मय सेहन) शीशों से बनाया गया है, (और यह हौज़ भी शीशे से पटा हुआ है। दामन उठाने की ज़रूरत नहीं, उस वक़्त) बिल्क़ीस (को मालूम हो गया कि यहाँ पर दुनियावी कारीगरी की अ़जीब चीज़ें भी ऐसी हैं जो आज तक मैंने आँख से नहीं देखीं, तो उनके दिल में हर तरह से सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की बड़ाई पैदा हुई और बेसाख़्ता) कहने लगीं कि ऐ मेरे परवर्दिगार! मैंने (अब तक) अपने नफ़्स पर ज़ुल्म किया था (कि शिर्क में मुब्तला थी) और मैं (अब) सुलैमान (अ़लैहिस्सलाम) के साथ (यानी उनके तरीक़े पर) होकर रब्बुल-आ़लमीन पर ईमान लाई।

मआ़रिफ़ व मसाईल

क्या बिल्क़ीस हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के निकाह में आ गई थीं

उपर्युक्त आयतों में बिल्क़ीस का वाक़िआ़ इसी पर ख़त्म हो गया कि वह हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के पास हाज़िर होकर इस्लाम में दाख़िल हो गई। इसके बाद क्या हालात पेश आये? क़ुरआने करीम ने इससे ख़ामोशी इख़्तियार कर ली है। यही वजह है कि किसी शख़्स ने जब अ़ब्दुल्लाह इब्ने उयैना से पूछा कि क्या हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने बिल्क़ीस के साथ निकाह कर लिया था? तो उन्होंने फ़रमाया कि उसका मामला इस पर ख़त्म हो गया।

اَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ○

मतलब यह था कि क़ुरआन ने यहीं तक उसका हाल बयान किया है, इसके बाद का हाल बतलाना क़ुरआन ने छोड़ दिया तो हमें भी उसकी तफ़्तीश में पड़ने की ज़रूरत नहीं। मगर इब्ने अ़साकिर ने हज़रत इक्रिमा से रिवायत किया है कि उसके बाद बिल्क़ीस हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के निकाह में आ गई और उसको उसके मुल्क पर बरक़रार रखकर यमन वापस भेज दिया। हर महीने हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ लेजाते और तीन दिन ठहरते थे। हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने उसके लिये यमन में तीन उम्दा महल ऐसे तैयार करा दिये थे जिसकी मिसाल व नज़ीर नहीं थी। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ۝ قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ۝ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ۚ قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ۝ وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ۝ قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ۝ وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا

مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۙ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝ فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوْا ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝ وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝

व ल-क़द् अर्सल्ना इला समू-द अख़ाहुम् सालिहन् अनिअ़्बुदुल्ला-ह फ़-इज़ा हुम् फ़रीक़ानि यख़्तसिमून (45) क़ा-ल या क़ौमि लि-म तस्तअ़्जिलू-न बिस्सय्यि-अति क़ब्लल्-ह-स-नति लौ ला तस्तग़्फ़िरूनल्ला-ह लअ़ल्लकुम् तुर्हमून (46) क़ालुत्तय्यर्ना बि-क व बि-मम्म-अ़-क, क़ा-ल ताइरुकुम् अ़िन्दल्लाहि बल् अन्तुम् क़ौमुन् तुफ़्तनून (47) व का-न फ़िल्मदी-नति तिस्अ़तु रह्तिंय्युफ़्सिदू-न फ़िल्अर्ज़ि व ला युस्लिहून (48) क़ालू तक़ासमू बिल्लाहि लनुबय्यितन्नहू व अह्लहू सुम्-म ल-नक़ूलन्-न लि-वलिय्यिही मा शहिद्ना मह्लि-क अह्लिही व इन्ना ल-सादिक़ून (49) व म-करू मक्रंव्-व मकर्ना मक्रंव्-व हुम् ला यश्अुरून (50) फ़न्ज़ुर् कै-फ़ का-न आ़कि-बतु मक्रिहिम् अन्ना दम्मर्नाहुम्व क़ौमहुम् अज्मअ़ीन (51)

और हमने भेजा था समूद की तरफ़ उनके भाई सालेह को कि बन्दगी करो अल्लाह की फिर वे तो दो फ़िर्क़े होकर लगे झगड़ने। (45) कहा ऐ मेरी क़ौम! क्यों जल्दी माँगते हो बुराई को भलाई से पहले, क्यों नहीं गुनाह बख़्शवाते अल्लाह से शायद तुम पर रहम हो जाये। (46) बोले हमने मन्हूस क़दम (वाला) देखा तुझको और तेरे साथ वालों को, कहा तुम्हारी बुरी क़िस्मत अल्लाह के पास है, कुछ नहीं तुम लोग जाँचे जाते हो। (47) और थे उस शहर में नौ शख़्स कि ख़राबी करते मुल्क में और इस्लाह न करते। (48) बोले कि आपस में क़सम खाओ अल्लाह की कि ज़रूर रात को जा पड़ें हम उस पर और उसके घर पर, फिर कह देंगे उसके दावे करने वाले को, हमने नहीं देखा जब तबाह हुआ उसका घर और हम बेशक सच कहते हैं। (49) और उन्होंने बनाया एक फ़रेब और हमने बनाया एक फ़रेब और उनको ख़बर न हुई। (50) फिर देख ले कैसा हुआ अन्जाम उनके फ़रेब का कि हलाक कर डाला हमने उनको और उनकी क़ौम को सब को। (51)

फ़-तिल्-क बुयूतुहुम् ख़ावि-यतम् बिमा ज़-लमू, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआ-यतल् लिक़ौमिंय्-यअ्लमून (52) व अन्जैनल्लज़ी-न आमनू व कानू यत्तक़ून (53)	सो ये पड़े हैं उनके घर ढेर हुए उनके इनकार के सबब, यक़ीनन इसमें निशानी है उन लोगों के लिये जो जानते हैं। (52) और बचा दिया हमने उनको जो यक़ीन लाये थे और बचते रहे थे। (53)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और हमने समूद (क़ौम) के पास उनके (बिरादरी के) भाई सालेह को (पैग़म्बर बनाकर) भेजा, (यह पैग़ाम देकर) कि तुम (शिर्क को छोड़कर) अल्लाह की इबादत करो, (चाहिए तो यह था कि सब ईमान ले आते मगर उम्मीद के ख़िलाफ़) अचानक उनमें दो फ़रीक़ हो गये जो दीन के बारे में आपस में झगड़ने लगे। (यानी एक फ़िर्क़ा तो ईमान लाया और एक न लाया और उनमें जो झगड़ा और कलाम हुआ उसका कुछ हिस्सा सूरः आराफ़ में बयान हुआ है:

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا

और उसमें का कुछ हिस्सा आगे आयत नम्बर 47 में आ रहा है:

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ............ الخ

और जब उन लोगों ने कुफ़्र पर हठधर्मी की तो सालेह अलैहिस्सलाम ने नबियों की आदत व दस्तूर के मुताबिक़ उनको अल्लाह के अज़ाब से डराया जैसा कि सूरः आराफ़ में है:

فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ٥

तो उन्होंने कहा कि लाओ वह अज़ाब कहाँ है। जैसा कि सूरः आराफ़ में है:

قَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ٥

इस पर) सालेह (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि अरे भाईयो! तुम नेक काम (यानी तौबा व ईमान) से पहले अज़ाब को क्यों जल्दी माँगते हो, (यानी चाहिये तो यह था कि अज़ाब की धमकी सुनकर ईमान ले आते, न यह कि ईमान तो न लाये और उल्टा अज़ाब ही की दरख़्वास्त करने लगे, यह बड़ी निडरता की बात है। इस तरह अज़ाब के जल्द लाने के मुतालबे के बजाय) तुम लोग अल्लाह के सामने (कुफ़्र से) माफ़ी क्यों नहीं चाहते, जिससे उम्मीद हो कि तुम पर रहम किया जाये (यानी अज़ाब से सुरक्षित रहो)। वे लोग कहने लगे कि हम तो तुमको और तुम्हारे साथ वालों को मन्हूस समझते हैं (कि जब से तुमने यह मज़हब निकाला है और तुम्हारी यह जमाअ़त पैदा हुई है क़ौम में नाइत्तिफ़ाक़ी हो गई और नाइत्तिफ़ाक़ी के जो नुक़सानात और ख़राबियाँ होती हैं वे सब ज़ाहिर होने लगीं। बस इन तमाम ख़राबियों के तुम लोग सबब हो)।

सालेह (अलैहिस्सलाम) ने (जवाब में) फ़रमाया कि तुम्हारी (इस) नहूसत का (सबब) अल्लाह के

इल्म में है (यानी तुम्हारे कुफ़्रिया आमाल अल्लाह को मालूम हैं, ये ख़राबियाँ उन्हीं आमाल की वजह से हैं, चुनाँचे ज़ाहिर है कि नाइत्तिफ़ाक़ी वही बुरी है जो हक़ के ख़िलाफ़ करने से हो, तो उसका इल्ज़ाम ईमान वालों पर नहीं हो सकता बल्कि कुफ़्र करने वालों पर होगा। और कुछ तफ़सीरों में है कि उन पर क़हत हुआ "सूखा पड़ा" था। और तुम्हारे कुफ़्र का नुक़सान सिर्फ़ इन बुराईयों ही तक ख़त्म नहीं हुआ) बल्कि तुम लोग वे हो कि (इस कुफ़्र की बदौलत) अ़ज़ाब में मुब्तला हो गये और (यूँ तो काफ़िर उस क़ौम में बहुत थे लेकिन मुखिया और सरदार) उस बस्ती (यानी हिज्र) में नौ शख़्स थे जो सरज़मीन (यानी बस्ती से बाहर तक भी) फ़साद किया करते थे, और (ज़रा भी) सुधार न करते थे। (यानी बाज़े फ़साद फैलाने वाले ऐसे होते हैं कि कुछ फ़साद किया कुछ अच्छा काम कर लिया मगर वे ऐसे न थे बल्कि ख़ालिस फ़सादी थे, चुनाँचे एक बार यह फ़साद किया कि) उन्होंने (एक दूसरे से) कहा कि आपस में सब (इस पर) अल्लाह की क़सम खाओ कि हम रात के वक़्त सालेह और उनके मुताल्लिक़ीन (यानी ईमान वालों) को जा मारेंगे, फिर (अगर तहक़ीक़ की नौबत आई तो) हम उनके वारिस से (जो ख़ून का दावा करेगा) कह देंगे कि उनके मुताल्लिक़ीन के (और ख़ुद उनके) मारे जाने में मौजूद (भी) न थे (मारना तो दूर की बात थे), और (ताकीद के लिये यह भी कह देंगे कि) हम बिल्कुल सच्चे हैं। (और मौक़े का गवाह कोई होगा नहीं। बस बात दब-दबा जायेगी) और (यह मश्विरा करके) उन्होंने एक ख़ुफ़िया तदबीर की (कि रात के वक़्त इस कार्रवाई के लिये चले) और एक ख़ुफ़िया तदबीर हमने की, और उनको ख़बर भी न हुई। (वह यह कि एक पहाड़ पर से एक पत्थर उन पर लुढ़क आया और वे सब वहीं हलाक हुए। दुर्रे मन्सूर की रिवायत में यही है) सो देखिए उनकी शरारत का क्या अन्जाम हुआ कि हमने उनको (ज़िक्र हुए तरीक़े पर) और (फिर) उनकी (बाक़ी) क़ौम को (आसमानी अ़ज़ाब से) सब को ग़ारत कर दिया (जिसका क़िस्सा दूसरी आयतों में है। यानी सूर आराफ़ की आयत 77-78 और सूरः हूद की आयत 67 में।

सो ये उनके घर हैं जो वीरान पड़े हैं उनके कुफ़्र के सबब से (जो मक्का वालों को मुल्क शाम के सफ़र में मिलते हैं), बिला शुब्हा इस (वाक़िए) में बड़ी सीख है समझदारों के लिये। और हमने ईमान वालों और परहेज़गार लोगों को (उस क़त्ल से भी जिसका मश्विरा हुआ था और क़हर के अ़ज़ाब से भी) निजात दी।

मआ़रिफ़ व मसाईल

تِسْعَةُ رَهْطٍ

लफ़्ज़ रहत् जमाअ़त के मायने में आता है, यहाँ नौ शख़्सों में से हर शख़्स को रहत् के लफ़्ज़ से शायद इसलिये ताबीर किया गया है कि ये लोग अपने माल व दौलत और शान व शौकत के सबब क़ौम के बड़े माने जाते थे, और हर एक के साथ अलग-अलग जमाअ़तें थीं इसलिये इन नौ आदमियों को नौ जमाअ़तें फ़रमाया। ये लोग सालेह अ़लैहिस्सलाम की क़ौम की बस्ती यानी हिज्र के बड़े माने जाते थे। हिज्र मुल्क शाम में मशहूर व परिचित स्थान है।

لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ۝

मतलब यह था कि हम सब मिलकर रात के अंधेरे में उन पर और उनके मुताल्लिक़ीन (ताल्लुक़ व संबन्ध वालों) पर छापा मारें, सब को हलाक कर दें, फिर उनके ख़ून का दावेदार वारिस तहक़ीक़ व तफ़्तीश के लिये खड़ा होगा तो हम यह कह देंगे कि हमने तो फ़ुलाँ आदमी को न मारा न मारते किसी को देखा। और हम अपने इस क़ौल में इसलिये सच्चे होंगे कि रात के अंधेरे में यह तय करना कि किसने किसको मारा हमें मालूम न होगा।

इसमें एक बात यह ग़ौर करने के क़ाबिल है कि ये काफ़िर लोग और इनमें से भी चन्द बदमाश जो फ़साद में परिचित थे ये सारे काम शिर्क कुफ़्र और मार-काट के कर रहे हैं और कोई फ़िक्र नहीं मगर उनको भी यह फ़िक्र लगी हुई है कि हम झूठ न बोलें या झूठे क़रार न दिये जायें। इससे अन्दाज़ा लगाईये कि झूठ कैसा बड़ा गुनाह है कि सारे बड़े-बड़े अपराध के करने वाले भी अपनी शराफ़ते नफ़्स और इज़्ज़त की हिफ़ाज़त के लिये झूठ बोलने को तैयार न होते थे। दूसरी बात इस आयत में यह ध्यान देने के क़ाबिल है कि जिस शख़्स को उन लोगों ने हज़रत सालेह अ़लैहिस्सलाम का वली (सरपरस्त) क़रार दिया है वह तो उन्हीं हज़रत सालेह वालों में शामिल था उसको क़त्ल के इरादे से क्यों छोड़ दिया। जवाब यह है कि मुम्किन है वह वली ख़ानदानी इख़्तियार से वली हो मगर काफ़िर होकर काफ़िरों के साथ मिला हुआ हो, सालेह अ़लैहिस्सलाम और उनके मुताल्लिक़ीन के क़त्ल के बाद वह उनके ख़ून का दावा अपने नसबी ताल्लुक़ की बिना पर करे, और यह भी मुम्किन है कि वह मुसलमान ही हो मगर कोई बड़ा आदमी हो जिसके क़त्ल करने से अपनी क़ौम में झगड़े व बिखराव का ख़तरा हो इसलिये उसको छोड़ दिया। वल्लाहु आलम

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ۝ اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ۭ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ۝ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْٓا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ۝ فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۡ قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ۝ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ۝ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ۭ آٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ۝

ع ١٩

व लूतन् इज़् का-ल लिक़ौमिही अ-तअ्तूनल् फ़ाहि-श-त व अन्तुम् तुब्सिरून (54) अ-इन्नकुम् ल-तअ्तूनर्-रिजा-ल शह्व-तम् मिन् दूनिन्निसा-इ, बल् अन्तुम् क़ौमुन्	और लूत को जब कहा उसने अपनी क़ौम को क्या तुम करते हो बेहयाई और तुम देखते हो। (54) क्या तुम दौड़ते हो मर्दों पर ललचाकर औरतों को छोड़कर, कोई नहीं! तुम लोग बेसमझ हो। (55) फिर

तज्हलून (55) फ़मा का-न जवा-ब क़ौमिही इल्ला अन् क़ालू अख़्रिजू आ-ल लूतिम्-मिन् क़र्यतिकुम् इन्नहुम् उनासुंय्-य-त-तह्हरून (56) फ़-अन्जैनाहु व अह्लहू इल्लम्र-अ-तहू क़द्दर्नाहा मिनल्-ग़ाबिरीन (57) व अम्तर्ना अ़लैहिम् म-तरन् फ़सा-अ म-तरुल्-मुन्ज़रीन (58) ✿

क़ुलिल्हम्दु लिल्लाहि व सलामुन् अ़ला इबादिहिल्लज़ीनस्तफ़ा, आल्लाहु ख़ैरुन् अम्मा युश्रिकून (59)

और कुछ जवाब न था उसकी क़ौम का मगर यही कि कहते थे निकाल दो लूत के घर को अपने शहर से, ये लोग हैं सुथरे रहा चाहते। (56) फिर बचा दिया हमने उसको और उसके घर वालों को, मगर उसकी औरत मुक़र्रर कर दिया था हमने उसको रह जाने वालों में। (57) और बरसा दिया हमने उन पर बरसाव फिर क्या बुरा बरसाव था उन डराये हुओं का। (58) ✿

तू कह तारीफ़ है अल्लाह को और सलाम है उसके बन्दों पर जिनको उसने पसन्द किया, भला अल्लाह बेहतर है या जिनको वे शरीक करते हैं। (59)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और हमने लूत (अ़लैहिस्सलाम) को (पैग़म्बर करके उनकी क़ौम के पास) भेजा था जबकि उन्होंने अपनी क़ौम से फ़रमाया कि क्या तुम बेहयाई का काम करते हो, हालाँकि समझदार हो (क्या उसकी बुराई नहीं समझते। आगे उस बेहयाई का बयान है यानी) क्या तुम मर्दों के साथ जिन्सी इच्छा पूरी करते हो औरतों को छोड़कर, (इसकी कोई वजह नहीं हो सकती) बल्कि (इस बारे में) तुम (बिल्कुल) जहालत कर रहे हो। (इस तक़रीर का) उनकी क़ौम से कोई (माक़ूल) जवाब न बन पड़ा सिवाय इसके कि आपस में कहने लगे कि लूत (अ़लैहिस्सलाम) के लोगों को (यानी उन पर ईमान लाने वालों को मय उनके) तुम अपनी बस्ती से निकाल दो, (क्योंकि) ये लोग बड़े पाक-साफ़ बनते हैं। सो (जब यहाँ तक नौबत पहुँच गई तो) हमने (उस क़ौम पर अ़ज़ाब नाज़िल किया और) लूत (अ़लैहिस्सलाम) को और उनके मुताल्लिक़ीन को (उस अ़ज़ाब से) बचा लिया सिवाय उनकी बीवी के, उसको (ईमान न लाने की वजह से) हमने उन्हीं लोगों में तजवीज़ कर रखा था जो अ़ज़ाब में रह गये थे। और (वह अ़ज़ाब जो उन पर नाज़िल हुआ यह था कि) हमने उन पर एक नई तरह की बारिश बरसाई (कि वह पत्थरों की बारिश थी) सो उन लोगों की क्या बुरी बारिश थी जो (पहले अल्लाह के अ़ज़ाब से) डराये गये थे (जिस पर उन्होंने ध्यान न दिया)।

आप (तौहीद का बयान करने के लिये सम्बोधन के तौर पर) कहिये कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिये लायक़ हैं और उसके उन बन्दों पर सलाम (नाज़िल) हो जिनको उसने मुन्तख़ब फ़रमाया "यानी चुन लिया" है (यानी अम्बिया और नेक लोग। आगे मज़मून हमारी तरफ़ से बयान कीजिये

वह यह कि लोगो! यह बतलाओ कि) क्या (कमालात और एहसानात में) अल्लाह बेहतर है या वो चीज़ें (बेहतर हैं) जिनको (माबूद बनाने में) वे शरीक ठहराते हैं (यानी ज़ाहिर और मुसल्लम है कि अल्लाह ही बेहतर है, पस इबादत का हक़दार भी वही होगा)।

मआरिफ़ व मसाईल

इस क़िस्से के बारे में क़ुरआन में कई जगह ख़ुसूसन सूरः आराफ़ में ज़रूरी मज़ामीन बयान हो चुके हैं वहाँ देख लिये जायें।

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ

पिछले अम्बिया और उनकी उम्मतों के कुछ हालात और उन पर अ़ज़ाब आने के वाक़िआत का ज़िक्र करने के बाद यह जुमला नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को मुख़ातब करके फ़रमाया गया है कि आप अल्लाह तआ़ला का शुक्र अदा करें कि आपकी उम्मत को दुनिया के सार्वजनिक अ़ज़ाब से महफ़ूज़ कर दिया गया है और पहले अम्बिया और अल्लाह के नेक व चुनिन्दा बन्दों पर सलाम भेजिये। मुफ़स्सिरीन की अक्सरियत और बड़ी जमाअ़त ने इसी को इख़्तियार किया है, और कुछ हज़रात ने इसका मुख़ातब भी हज़रत लूत अ़लैहिस्सलाम को क़रार दिया है। इस आयत में 'अल्लज़ीनस्तफ़ा' के अलफ़ाज़ से ज़ाहिर यह है कि अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम मुराद हैं जैसा कि एक दूसरी आयत में है 'व सलामुन् अ़लल्-मुर्सलीन' और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से एक रिवायत में है कि इससे मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सहाबा किराम हैं। हज़रत सुफ़ियान सौरी रह. ने इसी को इख़्तियार किया है। (अ़ब्द बिन हुमैद, बज़्ज़ार, इब्ने जरीर)

अगर आयत में 'अल्लज़ीनस्तफ़ा' से मुराद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम लिये जायें जैसा कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत में है तो इस आयत से नबियों के अ़लावा दूसरे हज़रात पर सलाम भेजने के लिये उन्हें अ़लैहिस्सलाम कहने का जायज़ होना साबित होता है। इस मसले की पूरी तहक़ीक़ सूरः अहज़ाब में आयत 'सल्लू अ़लैहि व सल्लिमू' (आयत 56) की तफ़सीर में आयेगी इन्शा-अल्लाह तआ़ला।

मसलाः इस आयत से ख़ुतबे के आदाब भी साबित हुए कि वह अल्लाह तआ़ला की तारीफ़ और अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम पर दुरूद व सलाम से शुरू होना चाहिये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और सहाबा किराम के तमाम ख़ुतबात में यही दस्तूर व मामूल रहा है, बल्कि हर अहम काम के शुरू में अल्लाह तआ़ला की तारीफ़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर दुरूद व सलाम मस्नून व मुस्तहब है। (रूहुल-मआ़नी)

पारा (20) अम्मन् ख़-ल-क़

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ فَأَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ۗ ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ۝ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ أَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْأَرْضِ ۗ ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۚ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝ أَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۗ ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۚ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ أَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۚ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

अम्मन् ख़-लक़स्समावाति वल्अर्-ज़ व अन्ज़-ल लकुम् मिनस्समा-इ माअन् फ़-अम्बत्ना बिही हदाइ-क़ ज़ा-त बह्जतिन् मा का-न लकुम् अन् तुम्बितू श-ज-रहा अ-इलाहुम्-मअ़ल्लाहि, बल् हुम् क़ौमुंय्-यअ़्दिलून (60) अम्मन् ज-अ़लल्-अर्-ज़ क़रारंव्-व ज-अ़-ल ख़िला-लहा अन्हारंव्-व ज-अ़-ल लहा रवासि-य व ज-अ़-ल बैनल्-बह्रैनि हाजिज़न्, अ-इलाहुम्-मअ़ल्लाहि, बल् अक्सरुहुम् ला यअ़्लमून (61) अम्मंय्युजीबुल्-मुज़्तर्-र इज़ा दआ़हु व यक्शिफ़ुस्-सू-अ व यज्अ़लुकुम् ख़ु-लफ़ाअल्-अर्ज़ि, अ-इलाहुम् मअ़ल्लाहि, क़लीलम् मा तज़क्करून (62)

भला किसने बनाये आसमान और ज़मीन और उतार दिया तुम्हारे लिये आसमान से पानी, फिर उगाये हमने उससे बाग़ रौनक़ वाले तुम्हारा काम न था कि उगाते उनके दरख़्त, अब कोई और हाकिम है अल्लाह के साथ? कोई नहीं, वे लोग राह से मुड़ते हैं। (60) भला किसने बनाया ज़मीन को ठहरने के लायक़ और बनाईं उसके बीच में नदियाँ और रखे उसके ठहराने को बोझ और रखा दो दरिया में पर्दा अब कोई और हाकिम है अल्लाह के साथ? कोई नहीं, बहुतों को उनमें समझ नहीं। (61) भला कौन पहुँचता है बेकस की पुकार को जब उसको पुकारता है और दूर कर देता है सख़्ती और करता है तुमको नायब पहलों का ज़मीन पर, अब कोई हाकिम है अल्लाह के साथ? तुम बहुत कम ध्यान करते हो। (62)

अम्-मंय्यह्दीकुम् फ़ी ज़ुलुमातिल्-बर्रि वल्बह्रि व मंय्युर्सिलुर्-रिया-ह बुश्रम् बै-न यदै रह्मतिही, अ-इलाहुम्-मअ़ल्लाहि, तआ़लल्लाहु अ़म्मा युश्रिकून (63) अम्-मंय्यब्दउल्-ख़ल्-क़ सुम्-म युअ़ीदुहू व मंय्यर्ज़ुक़ुकुम् मिनस्समा-इ वल्अर्ज़ि, अ-इलाहुम् मअ़ल्लाहि, क़ुल् हातू बुर्हा-नकुम् इन् कुन्तुम् सादिक़ीन (64)	भला कौन राह बताता है तुमको अंधेरों में जंगल के और दरिया के और कौन चलाता है हवायें ख़ुशख़बरी लाने वालियाँ उसकी रहमत से पहले, अब कोई हाकिम है अल्लाह के साथ? अल्लाह बहुत ऊपर है उससे जिसको शरीक बतलाते हैं। (63) भला कौन सिरे से बनाता है फिर उसको दोहरायेगा और कौन रोज़ी देता है तुमको आसमान से और ज़मीन से, अब कोई हाकिम है अल्लाह के साथ? तू कह- लाओ अपनी सनद अगर तुम सच्चे हो। (64)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(पिछली आयत के आख़िर में फ़रमाया था 'आल्लाहु ख़ैरुन् अम्मा युश्रिकून' यानी क्या अल्लाह बेहतर है या वे बुत वग़ैरह जिनको ये लोग अल्लाह का शरीक ठहराते हैं। ये मुश्रिकों की बेवक़ूफ़ी बल्कि उल्टी समझ पर रद्द था, आगे तौहीद की दलीलों का बयान है- ऐ लोगो! यह बतलाओ कि) वह ज़ात (बेहतर है) जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, और उसने आसमान से तुम्हारे लिये पानी बरसाया, फिर उसके ज़रिये हमने रौनक़दार बाग़ उगाये (वरना) तुमसे तो मुम्किन न था कि तुम उन (बाग़ों) के दरख़्तों को उगा सको, (यह सुनकर बतलाओ कि) क्या अल्लाह तआ़ला के साथ (इबादत में शरीक होने के लायक़) कोई और माबूद है? (मगर मुश्रिक लोग फिर भी नहीं मानते) बल्कि ये ऐसे लोग हैं कि (दूसरों को) ख़ुदा के बराबर ठहराते हैं। (अच्छा फिर और कमालात सुनकर बतलाओ कि ये बेहतर हैं) या वह ज़ात जिसने ज़मीन को (मख़्लूक़ के) ठहरने की जगह बनाया और उसके बीच-बीच में नहरें बनाईं और उस (ज़मीन) के (ठहराने के) लिये पहाड़ बनाये, और दो दरियाओं के बीच एक हद्दे-फ़ासिल "यानी एक फ़ासला देने वाली" बनाई (जैसा कि सूरः फ़ुरक़ान में 'म-रजल् बहरैनि.....' आ चुका है। यह सुनकर अब बतलाओ कि) क्या अल्लाह के साथ (ख़ुदाई का शरीक होने के लायक़) कोई और माबूद है? (मगर मुश्रिक लोग नहीं मानते) बल्कि उनमें ज़्यादा तो (अच्छी तरह) समझते भी नहीं।

(अच्छा फिर और कमालात सुनकर बतलाओ कि ये बुत बेहतर हैं) या वह ज़ात जो बेक़रार आदमी की सुनता है जब वह उसको पुकारता है, और (उसकी) मुसीबत को दूर कर देता है, और तुमको ज़मीन में इख़्तियार वाला बनाता है, (यह सुनकर अब बतलाओ कि) क्या अल्लाह के साथ (इबादत में शरीक होने के लायक़) कोई और माबूद है? (मगर) तुम लोग बहुत ही कम याद रखते

हो। (अच्छा फिर और कमालात सुनकर बतलाओ कि ये बुत बेहतर हैं) या वह ज़ात जो तुमको ख़ुश्की और दरिया की अंधेरियों में रास्ता सुझाता है, और जो कि हवाओं को बारिश से पहले भेजता है जो (बारिश की उम्मीद दिलाकर दिलों को) ख़ुश कर देती हैं। (यह सुनकर अब बतलाओ कि) क्या अल्लाह के साथ (इबादत में शरीक होने के लायक़) कोई और माबूद है? (हरगिज़ नहीं!) बल्कि अल्लाह पाक उन लोगों के शिर्क से बरतर है। (अच्छा फिर दूसरे कमालात व एहसानात सुनकर बतलाओ कि ये बुत बेहतर हैं) या वह ज़ात जो मख़्लूक़ात को पहली बार पैदा करता है, फिर उसको दोबारा ज़िन्दा करेगा और जो कि आसमान और ज़मीन से (पानी बरसाकर और पेड़-पौधे और वनस्पति निकालकर) तुमको रिज़्क़ देता है। (यह सुनकर अब बतलाओ कि) क्या अल्लाह के साथ (इबादत में शरीक होने के लायक़) कोई और माबूद है? (और अगर वे यह सुनकर भी कहें कि हाँ और माबूद भी इबादत के मुस्तहिक़ हैं तो) आप कहिये कि (अच्छा) तुम (उनके इबादत के हक़दार होने पर) अपनी दलील पेश करो अगर तुम (इस दावे में) सच्चे हो।

मआरिफ़ व मसाईल

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ.

अल्-मुज़्तर्र इज़्तिरार से निकला है, किसी ज़रूरत से मजबूर व बेक़रार होने को इज़्तिरार कहा जाता है और वह तभी होता है जब उसका कोई यार व मददगार और सहारा न हो। इसलिये मुज़्तर वह शख़्स है जो दुनिया के तमाम सहारों से मायूस होकर ख़ालिस अल्लाह तआला ही को फ़रियाद पूरी करने वाला समझकर उसकी तरफ़ मुतवज्जह हो। मुज़्तर की यह तफ़सीर सुद्दी, ज़ुन्नून मिस्री, सहल बिन अ़ब्दुल्लाह वग़ैरह से मन्क़ूल है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ऐसे शख़्स के लिये इन अलफ़ाज़ से दुआ़ करने की हिदायत फ़रमाई है:

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْا فَلَا تَكِلْنِيْٓ اِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَّاَصْلِحْ لِيْ شَاْنِيْ كُلَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ.

तर्जुमाः या अल्लाह! मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार हूँ इसलिये मुझे एक पल के लिये भी मेरे अपने नफ़्स के हवाले न कीजिये, और आप ही मेरे सब कामों को दुरुस्त कर दीजिये, आपके सिवा कोई माबूद नहीं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

मुज़्तर की दुआ़ इख़्लास की बिना पर ज़रूर क़ुबूल होती है

इमाम क़ुर्तुबी ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने मुज़्तर (बेक़रार) की दुआ़ क़ुबूल करने का ज़िम्मा ले लिया है और इस आयत में इसका ऐलान भी फ़रमा दिया है जिसकी असल वजह यह है कि दुनिया के सब सहारों से मायूस और संबन्धों से कटकर सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला ही को कारसाज़ समझकर दुआ़ करना इख़्लास का सरमाया है और अल्लाह तआ़ला के नज़दीक इख़्लास का बड़ा दर्जा है, वह जिस किसी बन्दे से पाया जाये वह मोमिन हो या काफ़िर, और मुत्तक़ी हो या गुनाहगार व बदकार उसके इख़्लास की बरकत से उसकी तरफ़ रहमते हक़ मुतवज्जह हो जाती है। जैसा कि हक़ तआ़ला ने काफ़िरों का हाल ज़िक्र फ़रमाया है कि जब ये लोग दरिया में होते हैं और कश्ती सब तरफ़

से मौजों की लपेट में आ जाती है और ये गोया आँखों के सामने अपनी मौत को खड़ा देख लेते हैं उस वक़्त ये लोग पूरे इख़्लास के साथ अल्लाह तआ़ला को पुकारते हैं कि अगर हमें इस मुसीबत से आप निजात दे दें तो हम शुक्रगुज़ार होंगे, लेकिन जब अल्लाह तआ़ला उनकी दुआ़ क़ुबूल करके ख़ुश्की पर ले आते हैं तो ये फिर शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं:

دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ....(الى قوله)...... فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ○

एक सही हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इरशाद है कि तीन दुआ़यें ज़रूर क़ुबूल होती हैं जिसमें किसी शक की गुन्जाईश नहीं- एक मज़लूम की दुआ़, दूसरे मुसाफ़िर की दुआ़, तीसरे बाप जो अपनी औलाद के लिये बद्दुआ़ करे। अ़ल्लामा क़ुर्तुबी ने इस हदीस को नक़ल करके फ़रमाया कि इन तीनों दुआ़ओं में भी वही सूरत है जो दुआ़-ए-मुज़्तर में ऊपर लिखी गई है कि जब कोई मज़लूम दुनिया के सहारों और मददगारों से मायूस होकर ज़ुल्म के दूर करने के लिये अल्लाह को पुकारता है वह भी मुज़्तर ही होता है, इसी तरह मुसाफ़िर सफ़र की हालत में अपने यारों व रिश्तेदारों और हमदर्दों व ग़मगुसारों से अलग बेसहारा होता है, इसी तरह बाप औलाद के लिये अपनी फ़ितरत और पिता वाली शफ़क़त की बिना पर कभी बद्दुआ़ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि उसका दिल बिल्कुल टूट जाये और अपने आपको मुसीबत से बचाने के लिये अल्लाह को पुकारे। इमामे हदीस आजरी ने हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हक़ तआ़ला का यह इरशाद है कि मैं मज़लूम की दुआ़ को कभी रद्द नहीं करूँगा अगरचे वह किसी काफ़िर के मुँह से हो। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

अगर किसी मुज़्तर या मज़लूम या मुसाफ़िर वग़ैरह को कभी यह महसूस हो कि उसकी दुआ़ क़ुबूल नहीं हुई तो बदगुमान और मायूस न हो, कई बार दुआ़ क़ुबूल तो हो जाती है मगर अल्लाह की किसी हिक्मत व मस्लेहत से उसका ज़हूर देर में होता है, या फिर वह अपने नफ़्स को टटोले कि उसके इख़्लास और अल्लाह की तरफ़ तवज्जोह में कमी कोताही रही है। वल्लाहु आलम

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا

اللّٰهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ۞ بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ۞ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّاٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ ۞ لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۞ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ۞ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ۞ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۞ قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۞ وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ۞ وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۞ وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۞

क़ुल् ला यअ्लमु मन् फ़िस्समावाति वल्अर्ज़िल्-ग़ै-ब इल्लल्लाहु, व मा यश्अुरू-न अय्या-न युब्अ़सून (65) बलिद्दा-र-क अ़िल्मुहुम् फ़िल्-आख़िरति, बल् हुम् फ़ी शक्किम् मिन्हा, बल् हुम् मिन्हा अ़मून। (66) ✽

तू कह- ख़बर नहीं रखता जो कोई है आसमान और ज़मीन में छुपी हुई चीज़ की मगर अल्लाह, और उनको ख़बर नहीं कब जिलाये जायेंगे। (65) बल्कि थक कर गिर गया उनका फ़िक्र आख़िरत के बारे में बल्कि उनको शुब्हा है उसमें बल्कि वे उससे अंधे हैं। (66) ✽

व क़ालल्लज़ी-न क-फ़रू अ-इज़ा कुन्ना तुराबंव्-व आबाउना अ-इन्ना ल-मुख़्रजून (67) ल-क़द् वुअ़िद्ना हाज़ा नह्नु व आबाउना मिन् क़ब्लु इन् हाज़ा इल्ला असातीरुल्-अव्वलीन (68) क़ुल् सीरू फ़िल्अर्ज़ि फ़न्ज़ुरू कै-फ़ का-न आ़क़ि-बतुल्-मुज्रिमीन (69) व ला तह्ज़न् अ़लैहिम् व ला तकुन् फ़ी ज़ैक़िम्-मिम्मा यम्कुरून (70) व यक़ूलू-न मता हाज़ल्-वअ़्दु इन् कुन्तुम् सादिक़ीन (71) क़ुल् अ़सा अंय्यकू-न रदि-फ़ लकुम् बअ़्ज़ुल्लज़ी तस्तअ़्जिलून (72) व इन्-न रब्ब-क लज़ू फ़ज़्लिन् अ़लन्नासि व लाकिन्-न अक्स-रहुम् ला यश्कुरून (73) व इन्-न रब्ब-क ल-यअ़्लमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम् व मा युअ़्लिनून (74) व मा मिन् ग़ाइ-बतिन् फ़िस्समा-इ वल्अर्ज़ि इल्ला फ़ी किताबिम्-मुबीन (75)

और बोले वे लोग जो मुन्किर हैं- क्या जब हम हो जायें मिट्टी और हमारे बाप दादे क्या हमको ज़मीन से निकालेंगे? (67) वायदा पहुँच चुका है इसका हमको और हमारे बाप-दादों को पहले से, कुछ भी नहीं ये नक़लें हैं अगलों की। (68) तू कह दे- फिरो मुल्क में तो देखो कैसा हुआ आख़िर अन्जाम गुनाहगारों का। (69) और ग़म न कर उन पर और न ख़फ़ा हो उनके फ़रेब बनाने से। (70) और कहते हैं कब होगा यह वायदा अगर तुम सच्चे हो? (71) तू कह क्या बईद है जो तुम्हारी पीठ पर पहुँच चुकी हो बाज़ी वह चीज़ जिसकी जल्दी कर रहे हो। (72) और तेरा रब तो फ़ज़्ल रखता है लोगों पर लेकिन उनमें बहुत लोग शुक्र नहीं करते। (73) और तेरा रब जानता है जो छुप रहा है उनके सीनों में और जो कुछ कि ज़ाहिर करते हैं। (74) और कोई चीज़ नहीं जो ग़ायब हो आसमान और ज़मीन में मगर मौजूद है खुली किताब में। (75)

इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक़

ऊपर नुबुव्वत के बाद तौहीद का ज़िक्र हो चुका, आगे मआद यानी क़ियामत और आख़िरत का ज़िक्र है जिसकी तरफ़ तौहीद की दलीलों में इस क़ौल से संक्षिप्त रूप सें इशारा भी हुआ है 'सुम्-म युओदुहू'। और चूँकि काफ़िर लोग इसको झुठलाने की एक वजह यह भी क़रार देते हैं कि क़ियामत का निर्धारित वक़्त पूछने पर भी नहीं बतलाया जाता, इससे मालूम होता है कि क़ियामत कोई चीज़ है ही नहीं। यानी वे निर्धारण न होना उसके ज़ाहिर न होने की दलील बनाते थे इसलिए इस मज़मून को इस बात से शुरू किया है कि इल्म-ए-ग़ैब अल्लाह तआ़ला के साथ ख़ास है। फ़रमायाः

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ..........الخ

(जिसमें उनके शुब्हे का जवाब भी हो गया) क़ियामत का निर्धारित इल्म अल्लाह के साथ मख़्सूस है। फिर उनके शक व इनकार की बुराई और निंदा की गयी है 'बलिद्दार-क इल्मुहुम.......' फिर उनके एक इनकारी क़ौल की नक़ल है 'व क़ालल्लज़ी-न क-फ़रू.......' फिर उस इनकार पर डाँट और डरावा है 'क़ुल् सीरू........' फिर उस इनकार पर आपकी तसल्ली है 'व ला तह्ज़न्..........' फिर उस तंबीह और सख़्त डरावे के मुताल्लिक़ उनके एक शुब्हे का जवाब है 'व यक़ूलू-न मता हाज़ल्-वअ्दु....' फिर धमकी व डरावे की ताकीद है 'व इन्-न रब्ब-क ल-यअ्लमु..........' जैसा कि तर्जुमे की वज़ाहत से ज़ाहिर होगा। मुलाहिज़ा फ़रमायें।

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(ये लोग जो क़ियामत का वक़्त न बतलाने से उसके न आने पर दलील पकड़ते हैं, उसके जवाब में) आप कह दीजिए कि (तुम्हारा यह दलील पकड़ना ग़लत है, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा इतना लाज़िम आया कि मुझसे और तुमसे उस निर्धारण का इल्म ग़ायब रहा सो इसमें इसी की क्या विशेषता है ग़ैब के बारे में तो यह मुस्तक़िल नियम है कि) जितनी मख़्लूक़ात आसमानों और ज़मीन (यानी दुनिया) में मौजूद हैं (उनमें से) कोई भी ग़ैब की बात नहीं जानता, सिवाय अल्लाह के, और (इसी वजह से) उन (मख़्लूक़ात) को यह ख़बर (भी) नहीं कि वे कब दोबारा ज़िन्दा किये जाएँगे। (यानी अल्लाह तआ़ला को तो बिना बतलाये सब मालूम है और किसी को बिना बतलाये कुछ भी मालूम नहीं, मगर देखा जाता है कि बहुत से मामलात जिनका पहले से इल्म नहीं होता वो ज़ाहिर व उत्पन्न होते हैं। इससे मालूम हुआ कि किसी चीज़ का इल्म न होने से यह लाज़िम नहीं आता कि वह चीज़ मौजूद ही नहीं। बल्कि बात यह है कि अल्लाह तआ़ला को अपनी हिक्मत से कुछ उलूम का ग़ैब के पर्दे में रखना मन्ज़ूर है, क़ियामत का मुतैयन करना भी उन्हीं चीज़ों में है, इसी लिये मख़्लूक़ को उसका इल्म नहीं दिया गया, मगर इससे उसका क़ायम न होना कैसे लाज़िम आ गया, और यह निर्धारित तौर पर इल्म न होना तो सब में साझा मामला है, लेकिन इन काफ़िरों व मुन्किरों में सिर्फ़ यही नहीं कि मुतैयन रूप से क़ियामत को नहीं मानते) बल्कि (इससे बढ़कर यह बात है कि) आख़िरत के बारे में (ख़ुद) उनका इल्म (ही पूरी तरह) नेस्त हो गया (यानी ख़ुद उसके क़ायम व उत्पन्न होने ही

का इल्म नहीं जो मुतैयन तौर पर इल्म न होने से भी ज़्यादा सख़्त है) बल्कि (इससे बढ़कर यह है कि) ये लोग उस (के आने) से शक में हैं, बल्कि (इससे बढ़कर यह है कि) ये उससे अंधे बने हुए हैं (यानी जैसे अंधे को रास्ता नज़र नहीं आता इसलिये मकसूद तक पहुँचना नामुम्किन है इसी तरह आख़िरत की तस्दीक़ का जो ज़रिया है यानी सही दलीलें ये लोग अपने हद से बढ़े हुए बैर और दुश्मनी की वजह से उन दलीलों में ग़ौर व फ़िक्र ही नहीं करते, इसलिए वो दलीलें इनको नज़र नहीं आतीं जिससे मतलूब तक पहुँच जाने की उम्मीद होती। पस यह शक से भी बढ़कर है क्योंकि शक वाला कई बार दलीलों में निगाह करके शक को दूर कर लेता है और यह सोच-विचार और निगाह भी नहीं करते) और (काफ़िरों की इस बुराई और ग़लत चाल के बाद आगे उनका एक इनकारी क़ौल नक़ल फ़रमाते हैं कि) ये काफ़िर यूँ कहते हैं कि क्या हम लोग जब (मरकर) मिट्टी हो गये और (इसी तरह) हमारे बड़े भी, तो क्या (फिर) हम (ज़िन्दा करके क़ब्रों से) निकाले जाएँगे। इसका तो हमसे और हमारे बड़ों से (मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से) पहले से वायदा होता चला आया है, (क्योंकि तमाम नबियों का क़ौल मशहूर है, लेकिन न आज तक हुआ और न किसी ने बतलाया कि कब होगा इससे मालूम होता है कि) ये बे-सनद बातें हैं जो अगलों से नक़ल होती चली आई हैं।

आप कह दीजिए कि (जब इसके मुम्किन होने पर अ़क़्ली दलीलें और वाक़े व ज़ाहिर होने पर किताबी और रिवायती दलीलें जगह-जगह बार-बार तुमको सुना दी गयी हैं तो तुमको झुठलाने से बाज़ आना चाहिए वरना जो दूसरे झुठलाने वालों का हाल हुआ है कि अ़ज़ाब में गिरफ़्तार हुए वही तुम्हारा हाल होगा। अगर उनकी हालत में कुछ शुब्हा हो तो) तुम ज़मीन में चल-फिरकर देखो कि मुजरिम लोगों का अन्जाम क्या हुआ। (क्योंकि उनके हलाक होने और अ़ज़ाब आने के निशानात अब तक बाक़ी थे) और (अगर इन स्पष्ट और दिल में उतर जाने वाली नसीहतों के बावजूद फिर भी मुख़ालफ़त पर कमर कसे हुए हैं तो) आप उन पर ग़म न कीजिये और जो कुछ ये शरारतें कर रहे हैं उनसे तंग न होईए (क्योंकि दूसरे अम्बिया के साथ भी यही मामला हुआ है)।

और 'क़ुल् सीरू फ़िल्अर्ज़ि.......' में और इसके जैसी दूसरी आयतों में जो इनको अ़ज़ाब की धमकी सुनाई जाती है तो चूँकि दिल में तस्दीक़ नहीं इसलिये) ये लोग (निडर होकर) यूँ कहते हैं कि यह वायदा (अ़ज़ाब व क़हर का) कब पूरा होगा, अगर तुम सच्चे हो (तो बतलाओ)। आप कह दीजिए कि बड़ी बात नहीं कि जिस अ़ज़ाब की तुम जल्दी मचा रहे हो उसमें से कुछ तुम्हारे पास ही आ लगा हो। (अब तक जो देर हो रही है उसकी वजह यह है कि) आपका रब लोगों पर (अपना) बड़ा फ़ज़्ल रखता है, (उस आ़म रहमत की वजह से किसी क़द्र मोहलत दे रखी है) व लेकिन अक्सर आदमी (इस बात पर) शुक्र नहीं करते (कि देर करने और मोहलत देने को ग़नीमत समझें और उस मोहलत में हक़ की तलब करें और उसको क़ुबूल कर लें कि अ़ज़ाब से हमेशा के लिये निजात हासिल हो, बल्कि इसके उलट इनकार और मज़ाक़ उड़ाने के तौर पर जल्दबाज़ी करते हैं)।

और (यह देर करना चूँकि मस्लेहत के सबब है इसलिए यह न समझें कि इन कामों की कभी सज़ा ही न होगी, क्योंकि) आपके रब को सब ख़बर है जो कुछ उनके दिलों में छुपा है और जिसको वे ऐलानिया करते हैं। और (यह सिर्फ़ अल्लाह के इल्म ही में नहीं बल्कि अल्लाह के दफ़्तर में लिखा

हुआ है जिसमें कुछ उन्हीं के कामों की विशेषता नहीं बल्कि) आसमान और ज़मीन में ऐसी कोई छुपी हुई चीज़ नहीं जो लौह-ए-महफ़ूज़ में न हो (और अल्लाह का दफ़्तर यही लौह-ए-महफ़ूज़ है, और जब छुपी चीज़ें जिनको कोई नहीं जानता उसमें मौजूद हैं तो ज़ाहिर चीज़ें तो और अच्छी तरह मौजूद हैं।

ग़र्ज़ कि उनके बुरे आमाल की अल्लाह तआ़ला को ख़बर है और आसमानी दफ़्तर में भी महफ़ूज़ हैं, और वो आमाल ख़ुद सज़ा को चाहते भी हैं और सज़ा के वाके होने पर तमाम नबियों की दी हुई सच्ची ख़बरें भी सहमत हैं। फिर यह समझने की क्या गुंजाईश है कि सज़ा न होगी, अलबत्ता देर होना मुम्किन है, चुनाँचे कुछ सज़ायें इन इनकारियों को दुनिया में भी हुईं जैसे सूखा पड़ना, क़त्ल व क़ैद होना वग़ैरह, और कुछ क़ब्र व बर्ज़ख़ में होंगी जो कुछ दूर नहीं, और कुछ आख़िरत में होंगी)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ.

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को हुक्म है कि आप लोगों को बतला दें कि जितनी मख़्लूक़ आसमानों में है जैसे फ़रिश्ते और जितनी मख़्लूक़ ज़मीन में है जैसे इनसान और जिन्नात वग़ैरह उनमें से कोई भी ग़ैब को नहीं जानता सिवाय अल्लाह तआ़ला के। उक्त आयत ने पूरी वज़ाहत और ख़ुलासे के साथ यह बतलाया है कि इल्म-ए-ग़ैब अल्लाह तआ़ला की ख़ास सिफ़त है जिसमें कोई फ़रिश्ता या नबी व रसूल भी शरीक नहीं हो सकता। इस मसले की ज़रूरी तफ़सील सूरः अन्आ़म की आयत नम्बर 59 के तहत जिल्द 3 में आ चुकी है। इसके अ़लावा इस विषय पर अहक़र का एक मुस्तक़िल रिसाला 'कश्फ़ुर्रैब अ़न् इल्मिल्-ग़ैब' के नाम से अहकामुल-क़ुरआन (अ़रबी) का भाग बनकर प्रकाशित हो चुका है। उलेमा हज़रात तफ़सील वहाँ देख सकते हैं।

بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ○

लफ़्ज़ इद्दार-क में क़िराअतें भी भिन्न हैं और इसके मायने में भी कई क़ौल हैं। उलेमा इसकी तफ़सील तफ़सीरों में देख सकते हैं, यहाँ सिर्फ़ इतना समझ लेना काफ़ी है कि इद्दार-क के मायने कुछ मुफ़स्सिरीन ने तकामुल (मुकम्मल होने) के किये हैं और फ़िल्-आख़िरति को इद्दार-क से मुताल्लिक़ करके मायने यह क़रार दिये हैं कि आख़िरत में उनका इल्म इस मामले में मुकम्मल हो जायेगा, क्योंकि उस वक़्त हर चीज़ की हक़ीक़त खुलकर सामने आ जायेगी, मगर उस वक़्त इल्म होना उनके कुछ काम न आयेगा क्योंकि दुनिया में वे आख़िरत को झुठलाते रहे थे। और कुछ मुफ़स्सिरीन ने लफ़्ज़ इद्दार-क के मायने ज़ल्-ल व ग़ा-ब के लिये और फ़िल्-आख़िरति को इल्मुहुम से मुताल्लिक़ किया कि आख़िरत के मामले में उनका इल्म ग़ायब हो गया, उसको न समझ सके।

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ

يَخْتَلِفُوْنَ ۞ وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۞ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۞

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ۞

इन्-न हाज़ल्-क़ुरआ-न यक़ुस्सु अ़ला बनी इस्राई-ल अक्स-रल्लज़ी हुम् फ़ीहि यख़्तलिफ़ून (76) व इन्नहू लहुदंव्-व रह्मतुल् लिल्-मुअ्मिनीन (77) इन्-न रब्ब-क यक़्ज़ी बैनहुम बिहुक्मिही व हुवल् अ़ज़ीज़ुल्-अ़लीम (78) फ़-तवक्कल् अ़लल्लाहि, इन्न-क अ़लल्-हक़्क़िल्-मुबीन (79)	यह क़ुरआन सुनाता है बनी इस्राईल को बहुत चीज़ें जिसमें वे झगड़ रहे हैं। (76) और बेशक वह हिदायत है और रहमत है ईमान वालों के वास्ते। (77) तेरा रब उन में फ़ैसला करेगा अपनी हुकूमत से, और वही है ज़बरदस्त सब कुछ जानने वाला। (78) सो तू भरोसा कर अल्लाह पर बेशक तू है सही खुले रास्ते पर। (79)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

बेशक यह क़ुरआन बनी इस्राईल पर अक्सर उन बातों (की हक़ीक़त) को ज़ाहिर करता है जिसमें वे इख़्तिलाफ़ (झगड़ा व मतभेद) करते हैं। और यक़ीनन वह ईमान वालों के लिये (ख़ास) हिदायत और (ख़ास) रहमत है। (हिदायत नेकी व आमाल के एतिबार से और रहमत परिणाम व फल के एतिबार से) यक़ीनन आपका परवर्दिगार उनके बीच अपने हुक्म से (वह अ़मली) फ़ैसला (क़ियामत के दिन) करेगा। (उस वक़्त मालूम हो जायेगा कि हक़ दीन क्या था और बातिल क्या, तो ऐसे लोगों पर क्या अफ़सोस किया जाये) और वह ज़बरदस्त और इल्म वाला है। (बिना उसकी मर्ज़ी चाहत के कोई किसी को नुक़सान नहीं पहुँचा सकता) तो आप अल्लाह तआ़ला पर भरोसा रखिए (अल्लाह की मदद ज़रूर होगी, क्योंकि) यक़ीनन आप बिल्कुल हक़ पर हैं।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इनसे पहली आयतों में हक़ तआ़ला की कामिल क़ुदरत को विभिन्न मिसालों से साबित करके यह बात साबित कर दी गई है कि क़ियामत का आना और उसमें मुर्दों का दोबारा ज़िन्दा होना अ़क़्ली तौर पर मुम्किन है, इसमें कोई अ़क़्ली शुब्हा व इश्काल नहीं। अ़क़्ली संभावना के साथ उसका ज़रूर वाक़े (ज़ाहिर व उत्पन्न) होना यह अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम और आसमानी किताबों की रिवायत से साबित है, और किसी ख़बर का सही और साबित होना इस पर निर्भर है कि उसका नक़ल करने और ख़बर देने वाला सादिक़ और सच्चा हो। इसलिये इस आयत में यह बयान फ़रमाया है कि इसका मुख़्बिर (ख़बर व इत्तिला देने वाला) क़ुरआन है और उसका सच्चा ख़बर देने वाला होना नाक़ाबिले इनकार है, यहाँ तक कि बनी इस्राईल के उलेमा जिन मसाईल में आपस में सख़्त मतभेद रखते थे और वे हल न होते थे, क़ुरआने हकीम ने उन मसाईल में जज बनकर सही फ़ैसलों की हिदायत फ़रमाई है, और यह ज़ाहिर है कि उलेमा के इख़्तिलाफ़ (मतभेद व झगड़े) में जज बनने और फ़ैसला

करने वाला उन सब उलेमा से बड़ा आ़लिम और ऊँचा होना ज़रूरी है, इसलिये क़ुरआन का सच्चा ख़बर देने वाला होना स्पष्ट हो गया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तसल्ली के लिये इरशाद फ़रमाया गया है कि आप उनकी मुख़ालफ़त से तंगदिल (दुखी व चिन्तित) न हों अल्लाह तआ़ला ख़ुद आपका फ़ैसला करने वाला है, आप अल्लाह पर भरोसा रखें क्योंकि अल्लाह की नुसरत व इमदाद हक़ के साथ है और आपका हक़ रास्ते पर होना यक़ीनी है।

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۝٨٠
وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۝٨١

इन्न-क ला तुस्मिअुल्-मौता व ला तुस्मिअुस्-सुम्मद्दुआ-अ इज़ा वल्लौ मुद्बिरीन (80) व मा अन्-त बिहादिल्-अुम्यि अ़न् ज़लालतिहिम्, इन् तुस्मिअु इल्ला मंय्युअ्मिनु बिआयातिना फ़हुम् मुस्लिमून (81)	बेशक तू नहीं सुना सकता मुर्दों को और नहीं सुना सकता बहरों को अपनी पुकार जब लौटें वे पीठ फेरकर। (80) और न तू दिखला सके अंधों को जब वे राह से बचें, तू तो सुनाता है उसको जो यक़ीन रखता हो हमारी बातों पर, सो वे हुक्म मानने वाले हैं। (81)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

आप मुर्दों को नहीं सुना सकते और न बहरों को अपनी आवाज़ सुना सकते हैं, (ख़ासकर) जब वे पीठ फेरकर चल दें। और न आप अन्धों को उनकी गुमराही से (बचाकर) रास्ता दिखलाने वाले हैं, आप तो सिर्फ़ उन्हीं को सुना सकते हैं जो हमारी आयतों का यक़ीन रखते हैं (और) फिर वे मानते (भी) हैं।

मआ़रिफ़ व मसाईल

हमारे रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तमाम इनसानों के साथ जो शफ़क़त व हमदर्दी का जज़्बा रखते थे उसका तक़ाज़ा था कि सब को अल्लाह का पैग़ाम सुनाकर जहन्नम से बचा लें, जो लोग उस पैग़ाम को मन्ज़ूर न करते तो आपको सख़्त सदमा पहुँचता था, और आप ऐसे ग़मगीन होते थे जैसे किसी की औलाद उसके कहने के ख़िलाफ़ आग में जा रही हो। इसलिये क़ुरआने करीम ने जगह-जगह रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तसल्ली के लिये मुख़्तलिफ़ उनवानात इख़्तियार फ़रमाये हैं, अभी ऊपर गुज़री आयत नम्बर 70 इसी सिलसिले का एक उनवान था। उपर्युक्त आयत में भी तसल्ली का मज़मून दूसरे अन्दाज़ से बयान फ़रमाया है कि आपका काम पैग़ामे हक़ को पहुँचा देने का है वह आप पूरा कर चुके हैं, जिन लोगों ने उसको क़ुबूल नहीं किया इसमें

आपका कोई क़सूर और कोताही नहीं जिस पर आप ग़म करें, बल्कि वे अपनी क़ुबूल करने की सलाहियत ही को खो चुके हैं। उनके अपनी सलाहियत को गुम कर लेने को इस आयत में क़ुरआने करीम ने तीन मिसालों में साबित किया है- अव्वल यह कि ये लोग हक़ को क़ुबूल करने के मामले में बिल्कुल मुर्दा लाश की तरह हैं जो किसी की बात सुनकर कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। दूसरे यह कि उनकी मिसाल उस बहरे आदमी की है जो बहरा होने के साथ बात सुनना भी नहीं चाहता बल्कि जब कोई सुनाना चाहे तो उससे पीठ मोड़कर भागता है। तीसरे यह कि उनकी मिसाल अंधों के जैसी है कि कोई उनको रास्ता दिखाना भी चाहे तो वे नहीं देख सकते इन तीन मिसालों का ज़िक्र करने के बाद आख़िर में फ़रमाया:

اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ٥

यानी आप तो सिर्फ़ ऐसे ही लोगों को सुना सकते हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान लायें और इताअ़त क़ुबूल करें। इस पूरे मज़मून में यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस जगह सुनने सुनाने से मुराद महज़ कानों में आवाज़ पहुँचाना नहीं बल्कि मुराद इससे वह सुनना है जो फ़ायदा देने वाला हो। जो सुनना फ़ायदा देने वाला न हो उसको क़ुरआन ने मक़सद के एतिबार से न सुनने ही से ताबीर किया है जैसा कि आयत के आख़िर में यह इरशाद है कि आप तो सिर्फ़ उन लोगों को सुना सकते हैं जो ईमान लायें। अगर इसमें सुनाने से मुराद महज़ उनके कान तक आवाज़ पहुँचाना होता तो क़ुरआन का यह इरशाद आ़म अनुभव और मुशाहदे के ख़िलाफ़ हो जाता, क्योंकि काफ़िरों के कानों तक आवाज़ पहुँचाने और उनके सुनने जवाब देने के सुबूत बेशुमार हैं, कोई भी इसका इनकार नहीं कर सकता।

इससे स्पष्ट हुआ कि सुनाने से मुराद वह सुनाना है जो लाभदायक हो, उनको मुर्दा लाश से मिसाल देकर जो यह फ़रमाया गया है कि आप मुर्दों को नहीं सुना सकते इसके मायने भी यही हुए कि जैसे मुर्दे अगर कोई बात हक़ की सुन भी लें और उस वक़्त वे हक़ को क़ुबूल करना भी चाहें तो यह उनके लिये फ़ायदेमन्द नहीं, क्योंकि वे दुनिया इस जहान और अ़मल की जगह से गुज़र चुके हैं जहाँ ईमान व अ़मल लाभदायक हो सकता था, मरने के बाद बर्ज़ख़ या मेहशर में तो सभी काफ़िर मुन्किर ईमान और नेक अ़मल की तमन्ना करेंगे मगर वह वक़्त ईमान व अ़मल के क़ुबूल होने का वक़्त नहीं। इसलिये इस आयत से यह बात साबित नहीं होती कि मुर्दे कोई कलाम किसी का सुन ही नहीं सकते इसलिये मुर्दों को सुनाने के मसले से दर हक़ीक़त यह आयत ख़ामोश है, यह मसला अपनी जगह विचारनीय है कि मुर्दे किसी कलाम को सुन सकते हैं या नहीं?

मुर्दों के सुनने का मसला

यह मसला कि मुर्दे कोई कलाम सुन सकते हैं या नहीं, उन मसाईल में से है जिनमें ख़ुद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम का आपस में मतभेद रहा है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु मुर्दों के सुनने को साबित क़रार देते हैं और हज़रत उम्मुल-मोमिनीन सिद्दीक़ा आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा इसकी नफ़ी करती हैं। इसी लिये दूसरे सहाबा व ताबिईन में भी दो गिरोह हो गये, कुछ इसके सुबूत के क़ायल हैं कुछ नफ़ी के। और क़ुरआने करीम में यह मज़मून एक तो इसी मौक़े पर सूरः नम्ल में

आया है दूसरे सूरः रूम में तक़रीबन इन्हीं अलफ़ाज़ के साथ दूसरी आयत आई है और सूरः फ़ातिर में यह मज़मून इन अलफ़ाज़ से आया है:

وَمَآ اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِی الْقُبُوْرِ○

यानी आप उन लोगों को नहीं सुना सकते जो कि क़ब्रों में हैं।

इन तीनों आयतों में यह बात ग़ौर करने के क़ाबिल है कि इनमें से किसी में भी यह नहीं फ़रमाया कि मुर्दे सुन नहीं सकते बल्कि तीनों आयतों में नफ़ी इसकी की गई है कि आप नहीं सुना सकते। तीनों आयतों में इसी ताबीर व उनवान को इख़्तियार करने से इस तरफ़ खुला इशारा निकलता है कि मुर्दों में सुनने की सलाहियत तो हो सकती है मगर हम अपने इख़्तियार से उनको सुना नहीं सकते।

इन तीनों आयतों के मुक़ाबले में एक चौथी आयत जो शहीदों के बारे में आई है वह यह साबित करती है कि शहीदों को अपनी क़ब्रों में एक ख़ास क़िस्म की ज़िन्दगी अ़ता होती है और उस ज़िन्दगी के मुताबिक़ रिज़्क़ भी उनको मिलता है, और अपने पीछे छोड़े परिजनों के बारे में भी अल्लाह की तरफ़ से उनको ख़ुशख़बरी सुनाई जाती है। आयत यह है:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ○ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ○

यह आयत इसकी दलील है कि मरने के बाद भी इनसानी रूह में शऊर और एहसास बाक़ी रह सकता है, बल्कि शहीदों के मामले में इसके वाक़े होने की शहादत भी यह आयत दे रही है। रहा यह मामला कि यह हुक्म तो शहीदों के साथ मख़्सूस है दूसरे मुर्दों के लिये नहीं, सो इसका जवाब यह है कि इस आयत से कम से कम इतना तो साबित हो गया कि मरने के बाद भी इनसानी रूह में शऊर व एहसास और इस दुनिया के साथ ताल्लुक़ बाक़ी रह सकता है, जिस तरह अल्लाह तआ़ला ने शहीदों को यह सम्मान बख़्शा है कि उनकी रूहों का ताल्लुक़ उनके जिस्मों और क़ब्रों के साथ क़ायम रहता है उसी तरह जब अल्लाह तआ़ला चाहें तो दूसरे मुर्दों को यह मौक़ा दे सकते हैं। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु जो मुर्दों के सुनने के क़ायल हैं उनका यह क़ौल भी एक सही हदीस की बिना पर है जो हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से सही सनदों के साथ मन्क़ूल है। वह यह है:

مامن احد يمر بقبر اخيه المسلم كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه الارد الله عليه روح حتى يرد عليه السلام.

(ذكره ابن كثير فى تفسيره مصححا عن ابن عمرؓ)

"जो शख़्स अपने किसी मुसलमान भाई की क़ब्र पर गुज़रता है जिसको वह दुनिया में पहचानता था और वह उसको सलाम करे तो अल्लाह तआ़ला उस मुर्दे की रूह उसमें वापस भेज देते हैं ताकि वह सलाम का जवाब दे।"

इससे भी यह साबित हुआ कि जब कोई शख़्स अपने मुर्दा मुसलमान भाई की क़ब्र पर जाकर सलाम करता है तो वह मुर्दा उसके सलाम को सुनता और जवाब देता है और उसकी सूरत यह होती

है कि अल्लाह तआ़ला उस वक़्त उसकी रूह इस दुनिया में वापस भेज देते हैं। इससे दो बातें साबित हुईं एक यह कि मुर्दे सुन सकते हैं दूसरे यह कि उनका सुनना और हमारा सुनाना हमारे इख़्तियार में नहीं अलबत्ता अल्लाह तआ़ला जब चाहें सुना दें, जब न चाहें न सुनायें।

मुसलमान के सलाम करने के वक़्त तो इस हदीस ने बतला दिया कि हक़ तआ़ला मुर्दे की रूह वापस लाकर उसको सलाम सुना देते हैं और उसको सलाम का जवाब देने की भी क़ुदरत देते हैं। बाक़ी हालात व कलिमात के मुताल्लिक़ कोई निश्चित फ़ैसला नहीं किया जा सकता कि मुर्दा उनको सुनेगा या नहीं। इसी लिये इमाम ग़ज़ाली और अ़ल्लामा सुबकी वग़ैरह की तहक़ीक़ यह है कि इतनी बात तो सही हदीसों और क़ुरआन की मज़कूरा आयत से साबित है कि कुछ वक़्तों में मुर्दे ज़िन्दों का कलाम सुनते हैं लेकिन यह साबित नहीं कि हर मुर्दा हर हाल में हर शख़्स के कलाम को ज़रूर सुनता है, इस तरह आयतों व रिवायतों में जोड़ और मुवाफ़क़त भी हो जाती है। हो सकता है कि मुर्दे एक वक़्त में ज़िन्दों के कलाम को सुन सकें दूसरे वक़्त न सुन सकें। यह भी मुम्किन है कि कुछ लोगों के कलाम को सुनें कुछ के कलाम को न सुनें, या कुछ मुर्दे सुनें कुछ न सुनें, क्योंकि सूरः नम्ल, सूरः रूम, सूरः फ़ातिर की आयतों से भी यह साबित है कि मुर्दों को सुनाना हमारे इख़्तियार में नहीं बल्कि अल्लाह तआ़ला जिसको चाहते हैं सुना देते हैं, इसलिये जिन मौक़ों पर हदीस की सही रिवायतों से सुनना साबित है वहाँ सुनने पर अ़क़ीदा रखा जाये और जहाँ साबित नहीं वहाँ दोनों संभावनायें हैं इसलिये निश्चित रूप से न सुबूत की गुन्जाईश है न निश्चित रूप से नफ़ी की। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम।

इस मसले की मुकम्मल तहक़ीक़ में अहक़र ने एक मुस्तक़िल रिसाला 'तकमीलुल-हुबूर बिसिमाअ़ि अहलिल्-क़ुबूर' के नाम से लिखा है जो किताब अहकामुल-क़ुरआन सूरः रूम में अ़रबी भाषा में प्रकाशित हुआ है, जिसमें आयतों व रिवायतों और पहले व बाद के उलेमा व बुज़ुर्गों के अक़वाल और 'शरहुस्सुदूर' वग़ैरह से क़ब्र वालों के बहुत से वाक़िआ़त व गुफ़्तगूयें नक़ल किये गये हैं। उलेमा और इल्मी ज़ौक़ रखने वाले हज़रात देख सकते हैं, अ़वाम के लिये यहाँ उसका ज़रूरी ख़ुलासा किया गया है।

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ۝

व इज़ा व-क़अ़ल्-क़ौलु अ़लैहिम् अख़्रज्ना लहुम् दाब्बतम् मिनल्-अर्ज़ि तुकल्लिमुहुम् अन्नन्ना-स कानू बिआयातिना ला यूक़िनून (82) ❁	और जब पड़ चुकेगी उन पर बात निकालेंगे हम उनके आगे एक जानवर ज़मीन से उनसे बातें करेगा इस वास्ते कि लोग हमारी निशानियों का यक़ीन नहीं करते थे। (82) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और जब (क़ियामत का) वायदा उन (लोगों) पर पूरा होने को होगा (यानी क़ियामत का ज़माना

क़रीब आ पहुँचेगा) तो हम उनके लिये ज़मीन से एक (अ़जीब) जानवर निकालेंगे कि वह उनसे बातें करेगा, कि (काफ़िर) लोग हमारी (यानी अल्लाह तआ़ला की) आयतों पर (विशेष रूप से उन आयतों पर जो क़ियामत से संबन्धित हैं) यक़ीन नहीं लाते थे (मगर क़ियामत आ पहुँची उसकी निशानियों में से एक निशानी मेरा आना और ज़ाहिर होना भी है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

'दाब्बतुल्-अर्ज़' क्या है और कहाँ और कब निकलेगा?

मुस्नद अहमद में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ियामत उस वक़्त तक क़ायम न होगी जब तक तुम उससे पहले दस निशानियाँ न देख लो।

1. सूरज का पश्चिम की ओर से निकलना। 2. दुख़ान (धुआँ)।

3. दाब्बा (जानवर)। 4. याजूज व माजूज का निकलना।

5. ईसा अ़लैहिस्सलाम का आसमान से उतरना। 6. दज्जाल का निकलना।

7, 8, 9. तीन ज़मीनों का धंसना, एक पश्चिम में दूसरा पूरब में तीसरा अ़रब द्वीप में होगा।

10. एक आग जो अ़दन के निचले हिस्से और गहराई से निकलेगी और सब लोगों को हंकाकर मैदाने हश्र की तरफ़ ले आयेगी, जिस मक़ाम में लोग रात गुज़ारने के लिये ठहरेंगे यह आग भी ठहर जायेगी फिर उनको ले चलेगी। (मुस्लिम, तिर्मिज़ी, इमाम तिर्मिज़ी ने इस हदीस को हसन सही कहा है)

इस हदीस से क़ियामत के क़रीब ज़मीन से एक ऐसे जानवर का निकलना साबित हुआ जो लोगों से बातें करेगा और लफ़्ज़ दाब्बतुन के आ़म होने में उस जानवर के अ़जीब शक्ल का होने की तरफ़ भी इशारा पाया गया, और यह भी कि यह जानवर आ़म जानवरों की तरह पैदा होने के तरीक़े पर पैदा नहीं होगा बल्कि अचानक ज़मीन से निकलेगा, और यह बात भी इसी हदीस से समझ में आती है कि दाब्बतुल्-अर्ज़ का निकलना बिल्कुल आख़िरी निशानियों में से होगा जिसके बाद बहुत जल्द क़ियामत आ जायेगी। इमाम इब्ने कसीर ने अबू दाऊद व तियालिसी के हवाले से हज़रत तल्हा बिन उमर से एक लम्बी हदीस में रिवायत किया है कि यह दाब्बतुल्-अर्ज़ मक्का मुकर्रमा में सफ़ा पहाड़ से निकलेगा और अपने सर से मिट्टी झाड़ता हुआ मस्जिदे हराम में हजरे-अस्वद और मक़ामे-इब्राहीम के बीच पहुँच जायेगा। लोग उसको देखकर भागने लगेंगे, एक जमाअ़त रह जायेगी यह जानवर उनके चेहरों को सितारों की तरह रोशन कर देगा। उसके बाद वह ज़मीन की तरफ़ निकलेगा, हर काफ़िर के चेहरे पर कुफ़्र का निशान लगा देगा, कोई उसकी पकड़ से भाग न सकेगा, यह हर मोमिन व काफ़िर को पहचानेगा। (इब्ने कसीर)

और मुस्लिम बिन हज्जाज ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से एक हदीस सुनी थी जिसको मैं कभी भूलता नहीं वह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़ियामत की आख़िरी निशानियों

में सबसे पहले सूरज का पश्चिम से निकलना होगा और सूरज ऊँचा होने के बाद दाब्बतुल्-अर्ज़ (ज़मीन का जानवर) निकलेगा, इन दोनों निशानियों में से जो भी पहले हो जाये उसके फ़ौरन बाद क़ियामत आ जायेगी। (इब्ने कसीर)

शैख़ जलालुद्दीन महल्ली ने फ़रमाया कि दाब्बा (जानवर) के निकलने के वक़्त 'अम्र बिल-मारूफ़' और 'नही अ़निल्-मुन्कर' (यानी अच्छी बातों का हुक्म करने और बुरी बातों से रोकने और मना करने) के अहकाम का सिलसिला बन्द हो जायेगा और उसके बाद कोई काफ़िर इस्लाम क़ुबूल न करेगा। यह मज़मून बहुत सी हदीसों व अक़वाल से निकलता है। (तफ़सीरे मज़हरी)

अ़ल्लामा इब्ने कसीर वग़ैरह ने इस जगह दाब्बतुल-अर्ज़ की शक्ल व सूरत और हालात के मुताल्लिक़ अनेक रिवायतें नक़ल की हैं जिनमें से अक्सर क़ाबिले एतिमाद नहीं, इसलिये जितनी बात क़ुरआन की आयतों और सही हदीसों से साबित है कि यह अ़जीब शक्ल व सूरत का जानवर होगा, पैदाईश के आ़म और नियमित तरीक़े से हटकर ज़मीन से निकलेगा, इसका निकलना मक्का मुकर्रमा में होगा, फिर सारी दुनिया में फिरेगा, यह काफ़िर व मोमिन को पहचानेगा और उनसे कलाम करेगा, बस इतनी बात पर अ़क़ीदा रखा जाये ज़्यादा हालात व कैफ़ियतों की तहक़ीक़ व तफ़्तीश न ज़रूरी है न इससे कुछ फ़ायदा है।

रहा यह मामला कि दाब्बतुल-अर्ज़ (ज़मीन से निकलने वाला जानवर) लोगों से कलाम करेगा इसका क्या मतलब है? कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि उसका कलाम यही होगा जो क़ुरआन में बयान हुआ है:

اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ۝

यह कलाम वह अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से लोगों को सुनायेगा कि "बहुत से लोग आज से पहले हमारी आयतों पर यक़ीन न रखते थे" और मतलब यह होगा कि अब वह वक़्त आ गया है कि उन सब को यक़ीन हो जायेगा, मगर इस वक़्त का यक़ीन शरई तौर पर मोतबर नहीं होगा। और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु, हसन बसरी और क़तादा रह. से मन्क़ूल है और एक रिवायत हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहु वज्हहू से भी है कि यह जानवर लोगों से ख़िताब और कलाम करेगा जिस तरह आ़म कलाम होता है। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ۝ حَتّٰٓى
اِذَا جَآءُوْ قَالَ اَكَذَّبْتُمْ بِاٰيٰتِىْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا اَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا
ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ ۝ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۭ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ۭ
وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ۝ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِىَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۭ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِىْٓ اَتْقَنَ
كُلَّ شَىْءٍ ۭ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ۝ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ۝

وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

व यौ-म नह्शुरु मिन् कुल्लि उम्मतिन् फ़ौजम् मिम्मंय्युकज़्ज़िबु बिआयातिना फ़हुम् यूज़अून (83) हत्ता इज़ा जाऊ क़ा-ल अ-कज़्ज़ब्तुम् बिआयाती व लम् तुहीतू बिहा ज़िल्मन् अम्-मा ज़ा कुन्तुम् तअ्मलून (84) व व-क़अल्-क़ौलु अलैहिम् बिमा ज़-लमू फ़हुम् ला यन्तिक़ून (85) अलम् यरौ अन्ना ज-अल्नल्लै-ल लियस्कुनू फ़ीहि वन्नहा-र मुब्सिरन्, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिल् लिक़ौमिंय्-युअ्मिनून (86) व यौ-म युन्फ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़-फ़ज़ि-अ मन् फ़िस्समावाति व मन् फ़िल्अर्ज़ि इल्ला मन् शा-अल्लाहु, व कुल्लुन् अतौहु दाख़िरीन (87) व तरल्-जिबा-ल तह्सबुहा जामि-दतंव्-व हि-य तमुर्रु मर्रस्सहाबि, सुन्अल्लाहिल्लज़ी अत्क़-न कुल्-ल शैइन्, इन्नहू ख़बीरुम् बिमा तफ़्अलून (88) मन् जा-अ बिल्ह-स-नति फ़-लहू ख़ैरुम्-मिन्हा व हुम् मिन् फ़-ज़अिंय्-यौमइज़िन् आमिनून (89)

और जिस दिन घेर बुला लायेंगे हम हर एक फ़िर्के में से एक जमाअ़त जो झुठलाते थे हमारी बातों को, फिर उनकी जमाअ़त बनाई जायेगी (83) यहाँ तक कि जब हाज़िर हो जायें फ़रमायेगा- क्यों झुठलाया तुमने मेरी बातों को और न आ चुकी थीं तुम्हारी समझ में, या बोलो कि क्या करते थे। (84) और पड़ चुकी उन पर बात इस वास्ते कि उन्होंने शरारत की थी अब वे कुछ नहीं बोल सकते। (85) क्या नहीं देखते कि हमने बनाई रात कि उसमें चैन हासिल करें और दिन बनाया देखने को, बेशक इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिये जो यक़ीन करते हैं। (86) और जिस दिन फूँकी जायेगी सूर तो घबरा जाये जो कोई है आसमान में और जो कोई है ज़मीन में मगर जिसको अल्लाह चाहे, और सब चले आयें उसके आगे आ़जिज़ी से। (87) और तू देखे पहाड़ों को समझे कि वो जम रहे हैं और वो चलेंगे जैसे चले बादल, कारीगरी अल्लाह की जिसने दुरुस्त किया है हर चीज़ को, उसको ख़बर है जो कुछ तुम करते हो। (88) जो कोई लेकर आया भलाई तो उसको मिले उससे बेहतर, और उनको घबराहट से उस दिन अमन है। (89)

व मन् जा-अ बिस्सय्यि-अति फ़कुब्बत् वुजूहुहुम् फ़िन्नारि, हल् तुज्ज़ौ-न इल्ला मा कुन्तुम् तअ्मलून (90)	और जो कोई लेकर आया बुराई सो औंधे डालें उनके मुँह आग में, वही बदला पाओगे जो कुछ तुम किया करते थे। (90)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और जिस दिन (क़ब्रों से ज़िन्दा करने के बाद) हम हर उम्मत में से (यानी पहली उम्मतों में से भी और इस उम्मत में से भी) एक-एक गिरोह उन लोगों का (हिसाब के लिये) जमा करेंगे जो हमारी आयतों को झुठलाया करते थे, (फिर उनको हिसाब के मक़ाम की तरफ़ हिसाब के लिये रवाना किया जायेगा, और चूँकि ये बहुत ज़्यादा होंगे इसलिये) उनको (चलने में पिछलों से आ मिलने के वास्ते) रोका जायेगा (ताकि आगे-पीछे न रहें, सब साथ होकर हिसाब की जगह की तरफ़ चलें। इससे मुराद उनकी अधिकता का बयान है, क्योंकि बड़े मजमे में आ़दतन ऐसा होता है चाहे रोक-टोक हो या न हो) यहाँ तक कि जब (चलते-चलते हिसाब के मक़ाम में) हाज़िर हो जाएँगे तो (हिसाब शुरू होगा और) अल्लाह इरशाद फ़रमायेगा कि क्या तुमने मेरी आयतों को झुठलाया था, हालाँकि तुम उनको अपने इल्मी घेरे में भी नहीं लाते (जिसके बाद ग़ौर करने का मौक़ा मिलता और ग़ौर करके उस पर कुछ राय क़ायम करते। मतलब यह कि सुनते ही बिना सोचे समझे और विचार करे उनको झुठला दिया और झुठलाने ही पर बस नहीं किया) बल्कि (याद तो करो उसके अ़लावा) और भी क्या-क्या काम करते रहे (मसलन नबियों को और ईमान वालों को तकलीफ़ें दीं जो झुठलाने से भी बढ़कर है। इसी तरह दूसरे कुफ़्रिया अ़क़ीदों और बुराईयों व गुनाहों में मुब्तला रहे)।

और (अब वह वक़्त है कि) उन पर (जुर्म के साबित हो जाने के सबब अ़ज़ाब का) वायदा पूरा हो गया (यानी सज़ा का पात्र होना साबित हो गया) इस वजह से कि (दुनिया में) इन्होंने (बड़ी-बड़ी) ज़्यादतियाँ की थीं (जिनका आज ज़हूर साबित हो गया) सो (चूँकि सुबूत मज़बूत है इसलिए) वे लोग (उज़्र वग़ैरह के मुताल्लिक़) बात भी न कर सकेंगे (और कुछ आयतों में जो उनका उज़्र पेश करना बयान हुआ है वह शुरू में होगा, फिर हुज्जत क़ायम होने के बाद कोई बात न कह सकेंगे। और ये लोग जो क़ियामत के आने की संभावना के इनकारी हैं तो यह इनकी कोरी बेअ़क़्ली है क्योंकि किताबी और रिवायती सच्ची दलीलों के अ़लावा इस पर अ़क़्ली दलील भी तो क़ायम है, मसलन) क्या इन्होंने इस पर नज़र नहीं की कि हमने रात बनाई ताकि लोग उसमें आराम करें (और यह आराम मौत की तरह है) और दिन बनाया जिसमें देखें भालें (जो कि मौक़ूफ़ है जागने पर, और वह एक तरह से मरने के बाद ज़िन्दा होने जैसा है। पस) बिला शुब्हा इस (रोज़ाना सोने और जागने) में (मरने के बाद ज़िन्दा होने की संभावना पर और उन आयतों के हक़ होने पर जो उस पर दलालत करती हैं) बड़ी-बड़ी दलीलें हैं (क्योंकि मौत की हक़ीक़त यह है कि रूह का ताल्लुक़ जिस्म से ख़त्म हो जाये और दोबारा ज़िन्दा होने की हक़ीक़त यह है कि यह ताल्लुक़ फिर वापस आ जाये, और नींद भी एक हैसियत से उस ताल्लुक़ का टूटना और ख़त्म होना है, क्योंकि नींद में यह ताल्लुक़ कमज़ोर हो जाता

है और कमज़ोरी तभी होती है जबकि उसके वजूद के दर्जों में से कोई दर्जा ख़त्म हो जाये, और जागना वजूद के उस ख़त्म व ज़ाया हुए दर्जे के फिर वापस आने का नाम है, इसलिए दोनों में पूर्ण समानता ज़ाहिर हो गयी। और नींद के बाद जागने पर अल्लाह तआ़ला की क़ुदरत रोज़ाना नज़र आती है तो मौत के बाद ज़िन्दगी भी इसकी नज़ीर है, वह क्यों अल्लाह की क़ुदरत से ख़ारिज होगी। और यह दलीले अ़क्ली हर शख़्स के लिये आ़म है मगर फ़ायदा उठाने के एतिबार से) उन (ही) लोगों के लिये (है) जो ईमान रखते हैं (क्योंकि वे ग़ौर फ़िक्र करते हैं, और दूसरे लोग सोच-विचार नहीं करते और किसी नतीजे पर पहुँचने के लिये ग़ौर व फ़िक्र करना ज़रूरी है, इसलिये दूसरे इससे लाभान्वित नहीं होते)।

और (एक हौलनाक वाक़िआ़ इस क़ियामत में उठाये जाने से पहले होगा जिसका आगे ज़िक्र है, उसकी दहशत व घबराहट भी याद रखने के क़ाबिल है) जिस दिन सूर में फूँक मारी जायेगी (यह पहली बार का सूर फूँकना है, और यह इनसानों का जमा किया जाना दूसरी बार के सूर फूँकने के बाद था) सो जितने आसमान और ज़मीन में हैं (फ़रिश्ते और आदमी वग़ैरह) सब घबरा जाएँगे (और फिर मर जायेंगे, और जो मर चुके हैं उनकी रूहें बेहोश हो जायेंगी) मगर जिसको ख़ुदा चाहे (वह इस घबराहट और मौत से महफ़ूज़ रहेगा। हदीसे मरफ़ूअ़ के अनुसार इनसे मुराद हज़रत जिब्राईल, हज़रत मीकाईल, हज़रत इस्राफ़ील, हज़रत इज़्राईल और अ़र्श को उठाने वाले फ़रिश्ते हैं। फिर इन सब की भी सूर के असर के बग़ैर ही मौत हो जायेगी। जैसा कि तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में है) और (दुनिया में जैसे आ़दत है कि जिससे घबराहट और डर होता है उससे भाग जाते हैं वहाँ अल्लाह तआ़ला से कोई भाग न सकेगा बल्कि) सब के सब उसी के सामने दबे-झुके रहेंगे (यहाँ तक कि ज़िन्दा आदमी मुर्दा और मुर्दे बेहोश हो जायेंगे)।

और (सूर फूँकने की यह तासीर और बदलाव की हालत जानदारों में होगी और आगे बेजान चीज़ों में जो तासीर होगी उसका बयान है, वह यह कि ऐ मुख़ातब) तू (इस वक़्त) पहाड़ों को देख रहा है जिससे (उनकी ज़ाहिरी मज़बूती व स्थिरता के सबब पहली नज़र में) तुझको ख़्याल होता है कि ये (हमेशा यूँ ही रहेंगे और कभी अपनी जगह से) हरकत न करेंगे, हालाँकि (उस वक़्त उनकी यह हालत होगी कि) वे बादलों की तरह (हल्के-फुल्के और बिखरे हुए हिस्से होकर आसमानी फ़ज़ा में) उड़े-उड़े फिरेंगे। अल्लाह तआ़ला का क़ौल है:

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا○ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْبَثًّا○

और इस पर कुछ ताज्जुब न करना चाहिए कि ऐसी भारी और सख़्त चीज़ का यह हाल कैसे हो जायेगा? वजह यह है कि) यह ख़ुदा का काम होगा जिसने हर चीज़ को (मुनासिब अन्दाज़ पर) मज़बूत बना रखा है (और शुरू में किसी चीज़ में कोई मज़बूती न थी, क्योंकि ख़ुद उस चीज़ की ज़ात ही न थी, पस मज़बूती की सिफ़त तो कहाँ से होती। सो जैसे उसने नापैद से पैदा और कमज़ोर से ताक़तवर बनाया इसी तरह इसका उल्टा भी कर सकता है, क्योंकि हर चीज़ पूरी तरह समान रूप से उसकी क़ुदरत में है विशेष तौर पर जो चीज़ें एक दूसरे की नज़ीर और मिलती-जुलती हैं उनमें तो यह बात ज़्यादा स्पष्ट है। इसी तरह आसमान व ज़मीन की दूसरी ताक़तवर व मज़बूत मख़्लूक़ात वग़ैरह में

बड़ी तब्दीली होना दूसरी आयतों में बयान हुआ है:

وَحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ○ فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ○ وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ ..... الخ

फिर उसके बाद दूसरी बार सूर फूँका जायेगा जिससे रूहें होश में आकर अपने बदनों से जुड़ जायेंगी और पूरा आलम नये सिरे से दुरुस्त हो जायेगा और ऊपर जो हश्र का ज़िक्र था वह इसी दूसरी बार के सूर फूँकने के बाद होगा। आगे असल मकसद यानी क़ियामत में जज़ा व सज़ा का बयान है। पस अव्वल उसकी प्रारम्भिका के तौर पर इरशाद है कि) यह यक़ीनी बात है कि अल्लाह को तुम्हारे सब कामों की पूरी ख़बर है (जो जज़ा व सज़ा की पहली शर्त है, और दूसरी शर्तें भी जैसे क़ुदरत वग़ैरह मुस्तक़िल दलीलों से साबित हैं। पस बदला दिया जाना मुम्किन होना तो इससे ज़ाहिर है और फिर हिक्मत का तक़ाज़ा है बदला मिलने का मौक़ा सामने आये, इससे जज़ा व सज़ा का वाक़े होना साबित हो गया, इस शुरूआती मज़मून के बाद आगे उसका ज़ाहिर व वाक़े होना मय उसके क़ानून और तरीक़े के बयान फ़रमाते हैं कि) जो शख़्स नेकी (यानी ईमान) लायेगा सो (वह ईमान लाने पर जिस अज्र का मुस्तहिक़ है) उस शख़्स को उस (नेकी के मज़कूरा अज्र) से बेहतर (अज्र) मिलेगा, और वे लोग बड़ी घबराहट से उस दिन अमन में रहेंगे (जैसा कि सूरः अम्बिया में है:

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ.........الآية

और जो शख़्स बुराई (यानी कुफ़्र व शिर्क) लायेगा तो वे लोग औंधे मुँह आग में डाल दिये जाएँगे (और उनसे कहा जायेगा कि) तुमको उन्हीं आमाल की सज़ा दी जा रही है जो तुम (दुनिया में) किया करते थे (यह अ़ज़ाब बेवजह नहीं)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ○

यूज़ऊन वज़अ़ से निकला है जिसके मायने रोकने के हैं। मुराद यह है कि अगले हिस्से को रोका जायेगा ताकि पीछे रहे हुए लोग साथ हो जायें, और कुछ हज़रात ने वज़अ़ के मायने यहाँ दफ़ा के लिये हैं यानी उनको धक्के देकर मैदाने क़ियामत की तरफ़ लाया जायेगा।

وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا

इसमें इशारा है कि अल्लाह तआ़ला की आयतों को झुठलाना ख़ुद एक बड़ा जुर्म व गुनाह है ख़ुसूसन जबकि सोचने समझने और ग़ौर व फ़िक्र करने की तरफ़ तवज्जोह किये बग़ैर ही झुठलाने लगें तो यह जुर्म दोहरा हो जाता है। इससे मालूम हुआ कि जो लोग ग़ौर व फ़िक्र करने के बावजूद हक़ को न पा सकेंगे कि उनकी नज़र व फ़िक्र ही गुमराही की तरफ़ ले जाये तो उनका जुर्म किसी क़द्र हल्का हो जाता है अगरचे अल्लाह के वजूद और तौहीद वग़ैरह को झुठलाना फिर भी कुफ़्र व गुमराही और हमेशा के अ़ज़ाब से नहीं बचायेगी, क्योंकि ये ऐसे आसानी से समझ में आने वाली बातें हैं जिनमें सोच-विचार की ग़लती माफ़ नहीं।

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ.......... الخ

फ़ज़ि-अ के मायने घबराने और परेशान होने के हैं, और एक दूसरी आयत में इस जगह फ़ज़ि-अ के बजाय सअि-क़ आया है जिसके मायने बेहोश होने के हैं। अगर ये दोनों आयतें पहले सूर फूँके जाने से संबन्धित क़रार दी जायें तो इन दोनों लफ़्ज़ों का हासिल यह होगा कि सूर फूँकने के वक़्त पहले तो सब घबरायेंगे और परेशान होंगे फिर बेहोश हो जायेंगे, आख़िरकार मर जायेंगे। और क़तादा वग़ैरह तफ़सीर के इमामों ने इस आयत को दूसरी बार के सूर फूँकने से संबन्धित क़रार दिया है जिस से सब मुर्दे दोबारा ज़िन्दा हो जायेंगे और आयत का मतलब यह है कि ज़िन्दा होने के वक़्त सब घबराये हुए उठेंगे। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि सूर तीन मर्तबा फूँका जायेगा- पहली बार का फूँका जाना **फ़ज़अ़** होगा जिससे सब परेशानी, घबराहट और बेचैनी में मुब्तला हो जायेंगे। दूसरी बार का फूँकना **सअ़क़** होगा जिससे सब मर जायेंगे, तीसरी बार का फूँकना हश्र व नश्र (यानी सब को दोबारा ज़िन्दा करके जमा करने के लिये) होगा, जिससे सब मुर्दे ज़िन्दा हो जायेंगे। मगर क़ुरआन की आयतों और सही हदीसों से दो बार ही सूर फूँकने का सुबूत मिलता है। (क़ुर्तुबी व इब्ने कसीर) हज़रत इब्ने मुबारक ने हज़रत हसन बसरी से मुर्सलन रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि दोनों बार के सूर फूँके जाने के दरमियान चालीस साल का अ़रसा (यानी समय और अन्तराल) होगा। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ

यह घबराहट से कुछ हज़रात को अलग करना है। मतलब यह है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन पर कोई घबराहट हश्र के वक़्त नहीं होगी। हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की एक हदीस में है कि ये लोग शहीद होंगे, हश्र की दोबारा ज़िन्दगी के वक़्त इन पर कोई घबराहट नहीं होगी। (इब्ने अ़रबी व क़ुर्तुबी) सईद बिन ज़ुबैर रह. ने भी यही फ़रमाया कि इससे मुराद शहीद हैं, जो हश्र के वक़्त अपनी तलवारें बाँधे हुए अ़र्श के गिर्द जमा होंगे, और क़ुशैरी ने फ़रमाया कि अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम उनमें उनसे से भी पहले दाख़िल हैं क्योंकि उनको शहादत का मक़ाम भी हासिल है और नुबुव्वत का मक़ाम उस पर अतिरिक्त है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

और सूरः ज़ुमर में आगे आयेगाः

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ.

इसमें फ़ज़ि-अ के बजाय सअि-क़ का लफ़्ज़ आया है जिसके मायने बेहोश होने के हैं, और मुराद इस जगह बेहोश होना फिर मर जाना है और इसमें भी 'इल्ला मन् शाअल्लाहु' का कलाम लाकर इस हालत से कुछ हज़रात को अलग रखा है जिससे मुराद एक मरफ़ूअ़ हदीस के मुताबिक़ छह फ़रिश्ते जिब्रील, मीकाईल, इस्राफ़ील, इज़राईल और अ़र्श को उठाने वाले हैं कि ये सूर फूँके जाने से न मरेंगे, हदीस की वज़ाहत के मुताबिक़ इनको भी बाद में मौत आ जायेगी। जिन हज़राते मुफ़स्सिरीन ने फ़ज़ि-अ और सअि-क़ को एक ही क़रार दिया है उन्होंने सूरः ज़ुमर की तरह यहाँ भी इस अलग करने से मुराद मख़्सूस फ़रिश्ते लिये हैं, ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में इसी को इख़्तियार किया गया है, और जिन्होंने फ़ज़ि-अ और सअि-क़ को अलग-अलग माना है उनके नज़दीक फ़ज़ि-अ (घबराहट) से अलग होने वाले शहीद हैं जैसा कि ऊपर नक़ल किया गया है।

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ

मुराद यह है कि पहाड़ अपनी जगह से हटकर इस तरह चलेंगे जैसे बादल कि देखने वाला उसको अपनी जगह जमा हुआ समझता है हालाँकि वो तेज़ी से चल रहे हैं। तमाम बड़े जिस्मों वाले जिनकी शुरूआत व इन्तिहा इनसान की नज़र के सामने नहीं होती जब वे किसी एक रुख़ की तरफ़ हरकत करें तो चाहे हरकत कितनी भी तेज़ हो देखने वालों को ऐसा दिखाई देता है कि वे अपनी जगह जमे हुए हैं, जिसका नज़ारा व एहसास सब को गहरे बादल और दूर तक छाई हुई घटा से होता है कि ये बादल अपनी जगह जमे हुए दिखाई देते हैं हालाँकि वे चल रहे होते हैं मगर उनकी हरकत देखने वालों को उस वक़्त महसूस होती है जब वे इतनी दूर चले जायें कि उफ़ुक़ का किनारा उससे खुल जाये।

खुलासा यह है कि पहाड़ों को जमा हुआ होना देखने वाले की नज़र के एतिबार से है और उनका हरकत करना हक़ीक़त के एतिबार से। ज़्यादातर मुफ़स्सिरीन ने आयत का मतलब यही क़रार दिया है और ऊपर बयान हुए खुलासा-ए-तफ़सीर में यही इख़्तियार किया गया है कि ये दो हाल दो वक़्तों के हैं, जमा हुआ होना उस वक़्त के एतिबार से जिसको देखकर हर देखने वाला यह समझता है कि ये कभी अपनी जगह से न हिलेंगे और बादलों की तरह चलना क़ियामत के दिन के एतिबार से है। कुछ उलेमा ने फ़रमाया कि क़ुरआने करीम में क़ियामत के दिन पहाड़ों के अलग-अलग हालात बयान हुए हैं, पहला हाल भूकंप और ज़लज़ला है जो पूरी ज़मीन के पहाड़ों को अपने घेरे में ले लेगा, दूसरा हाल उसकी बड़ी-बड़ी चट्टानों का धुनकी हुई रूई की तरह हो जाना है और यह उस वक़्त होगा जब ऊपर से आसमान भी पिघले हुए ताँबे की तरह होगा, ज़मीन से पहाड़ रूई की तरह ऊपर जायेंगे ऊपर से आसमान नीचे आयेंगे और दोनों मिल जायेंगे, तीसरा हाल यह है कि वह धुनकी हुई रूई के एक मिले हुए जिस्म के बजाय रेज़ा-रेज़ा (टुकड़े-टुकड़े) और ज़र्रा-ज़र्रा हो जाये, चौथा हाल यह है कि वह रेज़ा रेज़ा होकर फैल जाये, पाँचवाँ हाल यह है कि ये पहाड़ जो रेज़ा-रेज़ा होकर गुबार की तरह ज़मीन पर फैल गये हैं इनको हवायें ऊपर उठाकर ले जायें, और चूँकि यह गुबार सारी ज़मीन पर छाया हुआ होगा तो अगरचे यह बादल की तरह तेज़ हरकत करता होगा मगर देखने वाला इसको अपनी जगह जमा हुआ देखेगा।

इनमें से कुछ हालात सूर के पहली बार फूँकने के वक़्त होंगे और कुछ दूसरी बार के सूर फूँकने के बाद उस वक़्त जबकि ज़मीन को एक बराबर की सतह (यानी हमवार) बना दिया जायेगा कि न इसमें कोई ग़ार रहेगा न पहाड़ न कोई इमारत न पेड़-पौधा। (क़ुर्तुबी, रूहुल-मआनी) वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम।

صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِیْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَیْءٍ

सुन्-अ़ सन्अ़त (कारीगरी) के हैं और अत्क़-न इतक़ान से निकला है जिसके मायने किसी चीज़ को मज़बूत और स्थिर करने के आते हैं। बज़ाहिर यह जुमला पिछले तमाम मज़ामीन के साथ

संबन्धित है जिनमें हक़ तआ़ला की कामिल क़ुदरत और अ़जीब कारीगरी का ज़िक्र है जिसमें रात व दिन का आना-जाना भी है और सूर के फूँके जाने से लेकर हश्र व नश्र तक सब हालात भी, और मतलब यह है कि ये चीज़ें कुछ हैरत और ताज्जुब की नहीं क्योंकि इनका बनाने और पैदा करने वाला कोई सीमित इल्म व क़ुदरत वाला इनसान या फ़रिश्ता नहीं, बल्कि रब्बुल-आ़लमीन है। और अगर इसका ताल्लुक़ क़रीबी जुमले:

تَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً......... الاية

(यानी आयत नम्बर 88) से किया जाये तो मतलब यह होगा कि पहाड़ों का यह हाल कि देखने वाले उनको जमा हुए देखें और वे वास्तव में चल रहे और हरकत कर रहे हों कुछ मुहाल और ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि यह अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त की कारीगरी है जिसकी क़ुदरत में सब कुछ है।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا

यह हश्र व नश्र और हिसाब-किताब के बाद पेश आने वाले अन्जाम का ज़िक्र है और ह-सना से मुराद कलिमा ला इला-ह इल्लल्लाहु है। (जैसा कि इब्राहीम रह. का क़ौल है) या इख़्लास है (जैसा कि क़तादा रह. का क़ौल है) और कुछ हज़रात ने बिना किसी क़ैद के नेकी व अच्छाई को इसमें दाख़िल क़रार दिया है, मायने यह हैं कि जो शख़्स नेक अ़मल करेगा और नेक अ़मल उसी वक़्त नेक कहलाने के क़ाबिल होता है जबकि उसकी पहली शर्त ईमान मौजूद हो तो उसको अपने अ़मल से बेहतर चीज़ मिलेगी, इससे मुराद जन्नत की कभी ख़त्म न होने वाली नेमतें और अ़ज़ाब और हर तकलीफ़ से हमेशा की निजात है, और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि ख़ैर से मुराद यह है कि एक नेकी की जज़ा (बदला) दस गुना से लेकर सात सौ गुना तक मिलेगी। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ۝

फ़ज़अ़ से मुराद हर बड़ी मुसीबत, परेशानी और घबराहट है। मतलब यह है कि दुनिया में तो हर मुत्तक़ी परहेज़गार भी अन्जाम से डरता ही रहता है और डरना ही चाहिये जैसे क़ुरआने करीम का इरशाद है:

اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ۝

यानी रब का अ़ज़ाब ऐसा नहीं कि उससे कोई बेफ़िक्र और मुत्मईन होकर बैठ जाये। यही वजह है कि अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम और सहाबा व औलिया-ए-उम्मत हमेशा डरते और काँपते रहते थे मगर उस रोज़ जबकि हिसाब-किताब से फ़राग़त हो चुकेगी तो नेकियाँ लाने वाले नेक लोग हर ख़ौफ़ व ग़म से बेफ़िक्र और मुत्मईन होंगे। वल्लाहु आलम

اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِىْ حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَىْءٍ ز

وَّاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ۝ وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ

اِنَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ۝

इन्नमा उमिर्तु अन् अअ्बु-द रब्-ब हाज़िहिल्-बल्दतिल्लज़ी हर्र-महा व लहू कुल्लु शैइंव्-व उमिर्तु अन् अकू-न मिनल्-मुस्लिमीन (91) व अन् अत्लुवल्-क़ुरआ-न फ़-मनिह्तदा फ़-इन्नमा यह्तदी लिनफ़्सिही व मन् ज़ल्-ल फ़क़ुल् इन्नमा अ-न मिनल्-मुन्ज़िरीन (92) व क़ुलिल्-हम्दु लिल्लाहि सयुरीकुम् आयातिही फ़-तअ्रिफ़ूनहा, व मा रब्बु-क बिग़ाफ़िलिन् अम्मा तअ्मलून (93) ✿	मुझको यही हुक्म है कि बन्दगी करूँ इस शहर के मालिक की जिसने इसको इज़्ज़त दी और उसी की है हर एक चीज़ और मुझको हुक्म है कि रहूँ हुक्म मानने वालों में। (91) और यह कि सुना दूँ क़ुरआन फिर जो कोई राह पर आया सो राह पर आयेगा अपने ही भले को, और जो कोई बहका रहा तो कह दे कि मैं तो यही हूँ डर सुना देने वाला। (92) और कह तारीफ़ है सब अल्लाह को आगे दिखायेगा तुमको अपने नमूने तो उनको पहचान लोगे, और तेरा रब बेख़बर नहीं उन कामों से जो तुम करते हो। (93) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(ऐ पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम! लोगों से कह दीजिये कि) मुझको तो यही हुक्म मिला है कि मैं इस शहर (यानी मक्का) के (असली) मालिक की इबादत किया करूँ जिसने इस (शहर) को एहतिराम वाला बनाया है (कि हरम होना उसी एहतिराम व सम्मान की वजह से है। मतलब यह है कि इबादत में किसी को शरीक न करूँ) और (उसकी इबादत क्यों न की जाये जबकि) सब चीज़ें उसी की (मिल्क) हैं। और मुझको यह (भी) हुक्म हुआ है कि मैं (अ़क़ीदों व आमाल सब में) फ़रमाँबरदार रहूँ। (यह तो तौहीद का हुक्म हुआ) और (मुझको) यह (भी हुक्म मिला है) कि मैं (तुमको) क़ुरआने करीम पढ़-पढ़कर सुनाऊँ (यानी अल्लाह के अहकाम की तब्लीग़ करूँ जो नुबुव्वत से जुड़ी हुई बातों में से है) सो (मेरी तब्लीग़ के बाद) जो शख़्स राह पर आयेगा सो वह अपने ही फ़ायदे के लिये राह पर आयेगा (यानी उसको अ़ज़ाब से निजात और जन्नत की कभी ख़त्म न होने वाली नेमतें मिलेंगी। मैं इससे किसी अपने माली या शान व मर्तबे के फ़ायदे का इच्छुक नहीं) और जो शख़्स गुमराह रहेगा तो आप कह दीजिये कि (मेरा कोई नुक़सान नहीं, क्योंकि) मैं तो सिर्फ़ डराने वाले (यानी हुक्म सुनाने वाले) पैग़म्बरों में से हूँ (यानी मेरा काम तो हुक्म पहुँचा देना है, उसके बाद मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म है, न मानोगे तो वबाल तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा)।

और आप (यह भी) कह दीजिये कि (तुम जो क़ियामत के आने में देर को उसके न होने की दलील समझकर इनकार करते हो यह तुम्हारी बेवक़ूफ़ी है, किसी चीज़ के ज़ाहिर होने में देर लगना इसकी दलील नहीं हो सकती कि वह कभी वाक़े और ज़ाहिर होगी ही नहीं। इसके अ़लावा तुम जो

मुझसे कहते हो कि मैं जल्दी क़ियामत ले आऊँ यह दूसरी ग़लती है क्योंकि मैंने यह कब दावा किया है कि क़ियामत का लाना मेरे इख़्तियार में है, बल्कि) सब ख़ूबियाँ ख़ालिस अल्लाह ही के लिये साबित हैं (क़ुदरत भी इल्म भी हिक्मत भी। जब उसकी हिक्मत का तक़ाज़ा होगा वह क़ियामत को क़ायम व ज़ाहिर कर देगा। हाँ इतनी बात हमें भी बतला दी गई है कि क़ियामत में ज़्यादा देर नहीं बल्कि) वह तुमको जल्दी ही अपनी निशानियाँ (यानी क़ियामत के वाक़िआत) दिखला देगा। सो तुम (उनके ज़ाहिर होने के वक़्त) उनको पहचानोगे (जबकि पहचानने से कोई फ़ायदा न होगा), और (सिर्फ़ यह निशानी दिखलाने ही पर बस न होगा बल्कि अपने बुरे आमाल की सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी क्योंकि) आपका रब उन कामों से बेख़बर नहीं जो तुम सब लोग कर रहे हो।

मआ़रिफ़ व मसाईल

رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ

बल्दति से मुराद मुफ़स्सिरीन की बड़ी जमाअ़त के नज़दीक मक्का मुकर्रमा है। अल्लाह तआ़ला तो रब्बुल-आ़लमीन और आसमानों व ज़मीन का रब है, मक्का मुकर्रमा को ख़ास करना इस जगह उसकी बड़ी शान और अल्लाह तआ़ला के नज़दीक उसके इ़ज़्ज़त व सम्मान वाला होने का इज़हार है। लफ़्ज़ हरम तहरीम से निकला है इसके मायने आ़म एहतिराम व सम्मान के भी हैं और उस एहतिराम व सम्मान की वजह से शरीअ़त के जो ख़ास अहकाम मक्का मुकर्रमा हरम की सरज़मीन से संबन्धित हैं वो भी इसमें दाख़िल हैं, जैसे जो शख़्स हरम में पनाह ले वह अमन में हो जाता है, हरम में किसी दुश्मन से बदला लेना और क़त्ल करना जायज़ नहीं, और हरम के इलाक़े में शिकार को क़त्ल करना भी जायज़ नहीं, पेड़-पौधों का काटना जायज़ नहीं। इन अहकाम का बयान आयतः

وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا

(सूरः आले इमरान की आयत 97) के तहत में और कुछ सूरः मायदा के शुरू में और कुछ आयतः

لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ

(सूरः मायदा की आयत 95) के तहत में पहले बयान हो चुका है।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः नम्ल की तफ़सीर आज पीर की रात 24 शव्वाल सन् 1391 हिजरी में पूरी हुई जबकि 14 शव्वाल से हिन्दुस्तान के हिन्दुओं ने पश्चिमी पाकिस्तान पर भरपूर हमले मैदानी और बहरी और हवाई कर दिये हैं, कराची ख़ास तौर से उसका निशाना है, हर रात बम्बारी होती है, शहरी आबादी पर भी बम गिरते हैं, तमाम रात मुकम्मल अंधेरा रखना पड़ता है और बमों के धमाके से मकान लरज़ जाते हैं मगर अल्लाह का फ़ज़्ल व करम है कि उसने इन हालात में भी तफ़सीर के सिलसिले को जारी रखा और इस जंग के दस दिनों में भी तफ़सीर के तक़रीबन 40 पृष्ठ लिखे गये।

अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि सूरः नम्ल की तफ़सीर मुकम्मल हुई।

सूरः क़सस

सूरः क़सस मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 88 आयतें और 9 रुकूअ़ हैं।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طٰسٓمّٓ ۝ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝ نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝
اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ۭ
اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝ وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِي الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَىِٕمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ
الْوٰرِثِيْنَ ۝ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ۝ وَ
اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِيْ وَلَا تَحْزَنِيْ ۚ اِنَّا
رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ فَالْتَقَطَهٗٓ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا ۭ اِنَّ فِرْعَوْنَ
وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِــِٕيْنَ ۝ وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ ۭ لَا تَقْتُلُوْهُ ڰ عَسٰٓى اَنْ
يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝ وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا ۭ اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهٖ لَوْلَآ
اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰي قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ ۡ فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ
لَا يَشْعُرُوْنَ ۝ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰٓي اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ
وَهُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ ۝ فَرَدَدْنٰهُ اِلٰٓى اُمِّهٖ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ
اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

तॉ-सीम्-मीम् (1) तिल्-क आयातुल् किताबिल्-मुबीन (2) नत्लू अ़लै-क मिन् न-बइ मूसा व फ़िरऔ़-न	तॉ-सीम्-मीम्। (1) ये आयतें हैं खुली किताब की। (2) हम सुनाते हैं तुझको कुछ अहवाल मूसा और फ़िरऔ़न का

बिल्हक़्क़ि लिक़ौमिंय्-युअ्मिनून (3) इन्-न फ़िर्औ-न अ़ला फ़िल्अर्ज़ि व ज-अ़-ल अह्लहा शि-यअंय्यस्तज़्अिफ़ु ताइ-फ़तम् मिन्हुम् युज़ब्बिहु अब्ना-अहुम् व यस्तह्यी निसा-अहुम्, इन्नहू का-न मिनल्-मुफ़्सिदीन (4) व नुरीदु अन्-नमुन्-न अ़लल्-लज़ीनस्तुज़्अिफ़ू फ़िल्अर्ज़ि व नज्अ़-लहुम् अ-इम्मतंव्-व नज्अ़-लहुमुल्-वारिसीन (5) व नुमक्कि-न लहुम् फ़िल्अर्ज़ि व नुरि-य फ़िर्औ-न व हामा-न व जुनू-दहुमा मिन्हुम् मा कानू यह्ज़रून (6) व औहैना इला उम्मि मूसा अन् अर्ज़िओहि फ़-इज़ा ख़िफ़्ति अ़लैहि फ़-अल्क़ीहि फ़िल्यम्मि व ला तख़ाफ़ी व ला तह्ज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकि व जाअ़िलूहु मिनल्-मुर्सलीन (7) फ़ल्त-क़-तहू आलु फ़िर्औ-न लि-यकू-न लहुम् अ़दुव्वंव्-व ह-ज़नन्, इन्-न फ़िर्औ-न व हामा-न व जुनू-दहुमा कानू ख़ातिईन (8) व क़ालतिम्-र-अतु फ़िर्औ-न क़ुर्रतु अ़ैनिल्-ली व ल-क, ला तक़्तुलूहु

तह्क़ीक़ी, उन लोगों के वास्ते जो यक़ीन करते हैं। (3) फ़िरऔन चढ़ रहा था मुल्क में और कर रखा था वहाँ के लोगों को कई फ़िर्क़े, कमज़ोर कर रखा था एक फ़िर्क़े को उनमें, ज़िबह करता था उनके बेटों को और ज़िन्दा रखता था उनकी औरतों को, बेशक वह था ख़राबी डालने वाला। (4) और हम चाहते हैं कि एहसान करें उन लोगों पर जो कमज़ोर हुए पड़े थे मुल्क में और कर दें उनको सरदार और कर दें उनको क़ायम-मक़ाम। (5) और जमा दें उनको मुल्क में और दिखा दें फ़िरऔन और हामान को और उनके लश्करों को उनके हाथ से जिस चीज़ का उनको ख़तरा था। (6) और हमने हुक्म भेजा मूसा की माँ को कि उसको दूध पिलाती रह फिर जब तुझको डर हो उस का तो डाल दे उसको दरिया में और न ख़तरा कर और न ग़मगीन हो हम फिर पहुँचा देंगे उसको तेरी तरफ़ और कर देंगे उसको रसूलों (में) से। (7) फिर उठा लिया उसको फ़िरऔन के घर वालों ने कि हो उनका दुश्मन और ग़म में डालने वाला, बेशक फ़िरऔन और हामान और उनके लश्कर थे चूकने वाले। (8) और बोली फ़िरऔन की औरत यह तो आँखों की ठण्डक है मेरे लिये और तेरे लिये इस को मत मारो, कुछ बईद नहीं जो हमारे

अ़सा अंय्यन्फ़-अ़ना औ नत्तख़ि-ज़हू व-लदंव्-व हुम् ला यश्अ़ुरून (9) व अस्ब-ह फ़ुआदु उम्मि मूसा फ़ारिग़न्, इन् कादत् लतुब्दी बिही लौ ला अर्रबत्ना अ़ला क़ल्बिहा लि-तकू-न मिनल्-मुअ्मिनीन (10) व क़ालत् लिउख़्तिही क़ुस्सीहि फ़-बसुरत् बिही अ़न् जुनुबिंव्-व हुम् ला यश्अ़ुरून (11) व हर्रम्ना अ़लैहिल्-मराज़ि-अ़ मिन् क़ब्लु फ़क़ालत् हल् अदुल्लुकुम् अ़ला अह्लि बैतिंय्-यक्फ़ुलूनहू लकुम् व हुम् लहू नासिहून (12) फ़-रदद्नाहु इला उम्मिही कै तक़र्-र अ़ैनुहा व ला तह्ज़-न व लितअ़्ल-म अन्-न वअ़्दल्लाहि हक़्क़ुंव्-व लाकिन्-न अक्स-रहुम् ला यअ़्लमून (13) ✿ ❖	काम आये या हम इसको कर लें बेटा, और उनको कुछ ख़बर न थी। (9) और सुबह को मूसा की माँ के दिल में क़रार न रहा क़रीब थी कि ज़ाहिर कर दे बेक़रारी को, अगर न हमने गिरह दी होती उसके दिल पर, इस वास्ते कि रहे यक़ीन करने वालों में। (10) और कह दिया उसकी बहन को पीछे चली जा फिर देखती रही उसको अजनबी होकर और उनको ख़बर न हुई। (11) और रोक रखा था हमने मूसा से दाईयों को पहले से, फिर बोली मैं बतलाऊँ तुमको एक घर वाले कि इसको पाल दें तुम्हारे लिये और वे इसका भला चाहने वाले हैं। (12) फिर हमने पहुँचा दिया उसको उसकी माँ की तरफ़ कि ठण्डी रहे उसकी आँख और ग़मगीन न हो और जाने कि अल्लाह का वायदा ठीक है पर बहुत से लोग नहीं जानते। (13) ✿ ❖

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

तॉ-सीन्-मीम् (इसके मायने अल्लाह ही को मालूम हैं)। ये (मज़ामीन जो आप पर वही किये जाते हैं) खुली किताब (यानी क़ुरआन) की आयतें हैं। (जिनमें इस मक़ाम पर) हम आपको मूसा (अ़लैहिस्सलाम) और फ़िरऔन का कुछ क़िस्सा ठीक-ठीक पढ़कर (यानी नाज़िल करके) सुनाते हैं। उन लोगों के (नफ़े के) लिये जो ईमान रखते हैं। (क्योंकि क़िस्सों के मक़ासिद यानी उनसे नसीहत लेना और नुबुव्वत पर दलील पकड़ना वग़ैरह यह मोमिनों ही के साथ ख़ास हैं चाहे उस वक़्त मोमिन हों या ईमान का इरादा रखते हों, और संक्षिप्त रूप से तो वह क़िस्सा यह है कि) फ़िरऔन (मिस्र की) सरज़मीन में बहुत बढ़-चढ़ गया था और उसने वहाँ के रहने वालों को अनेक वर्गों में बाँट रखा था, (इस तरह कि क़िब्तियों यानी मिस्री लोगों को इज़्ज़तदार स सम्मानित बना रखा था और सिब्तियों

यानी बनी इस्राईल को पस्त और ज़लील कर रखा था, जिसका आगे बयान है) कि उन (वहाँ के रहने वालों में) से एक जमाअ़त (यानी बनी इस्राईल) का ज़ोर घटा रखा था (इस तरह से कि) उनके बेटों को (जो नये पैदा होते थे जल्लादों के हाथों) ज़िबह कराता था और उनकी औरतों (यानी लड़कियों) को ज़िन्दा रहने देता था (ताकि उनसे ख़िदमत ली जाये, और उनसे कोई शंका भी न थी) वाक़ई वह बड़ा फ़सादी था।

(ग़र्ज़ कि फ़िरऔन तो इस ख़्याल में था) और हमको यह मन्ज़ूर था कि जिन लोगों का (मिस्र की) ज़मीन में ज़ोर घटाया जा रहा था हम उन पर (दुनियावी व दीनी) एहसान करें, और (वह एहसान यह कि) उनको (दीन में) पेशवा बना दें, और (दुनिया में) उनको (उस मुल्क का) मालिक बनाएँ। और (मालिक होने के साथ) उनको (बादशाह व सरदार भी बनायें यानी) ज़मीन में उनको हुकूमत दें, और फ़िरऔन और हामान और उनके पैरोकारों को उन (बनी इस्राईल) की जानिब से वो (नागवार) वाक़िआ़त दिखलाएँ जिनसे वे बचाव कर रहे थे। (इससे मुराद फ़िरऔ़नी हुकूमत का ख़ात्मा और तबाही है कि उसी से बचाव करने के लिये बनी इस्राईल के बच्चों को एक ख़्वाब की ताबीर की बिना पर जो फ़िरऔ़न ने देखा था और ज्योतिषियों ने ताबीर दी थी क़त्ल कर रहा था 'जैसा कि तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में है' पस हमारे तक़दीरी फ़ैसले के सामने उन लोगों की तदबीर कुछ काम न आई। मुख़्तसर तौर पर वह क़िस्सा यह है) और (तफ़सील उसकी शुरू से यह है कि जब मूसा अ़लैहिस्सलाम उसी फ़ितने के ज़माने में पैदा हुए तो) हमने मूसा (अ़लैहिस्सलाम) की वालिदा को इल्हाम किया कि (जब तक उनका छुपाना मुम्किन हो) तुम उनको दूध पिलाओ, फिर जब तुमको उनके बारे में (जासूसों के ख़बर पाने का) अन्देशा हो तो (बिना किसी डर और ख़तरे के) उनको (सन्दूक़ में रखकर) दरिया (यानी नील) में डाल देना। और न तो (डूब जाने का) अन्देशा करना और न (जुदाई पर) ग़म करना, (क्योंकि) हम ज़रूर उनको फिर तुम्हारे ही पास वापस पहुँचा देंगे और (फिर अपने वक़्त पर) उनको पैग़म्बर बना देंगे।

(ग़र्ज़ कि वह इसी तरह दूध पिलाती रहीं। फिर जब राज़ खुलने का ख़ौफ़ हुआ तो सन्दूक़ में बन्द करके अल्लाह के नाम पर नील में छोड़ दिया, उसकी कोई शाख़ा फ़िरऔ़न के महल में जाती थी या तफ़रीह के तौर पर फ़िरऔ़न के लोग दरिया की सैर को निकले थे। ग़र्ज़ कि वह सन्दूक़ किनारे पर लगा) तो फ़िरऔन के लोगों ने मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को (यानी मय सन्दूक़ के) उठा लिया ताकि वह उन लोगों के लिये दुश्मनी और ग़म का सबब बनें। बिला शुब्हा फ़िरऔ़न और हामान और उनके पैरोकार (इस बारे में) बहुत चूके (कि अपने दुश्मन को अपनी बग़ल में पाला)। और (जब वह सन्दूक़ से निकालकर फ़िरऔ़न के सामने लाये गये तो) फ़िरऔ़न की बीवी (हज़रत आसिया) ने (फ़िरऔ़न से) कहा कि यह (बच्चा) मेरी और तेरी आँखों की ठंडक है, (यानी इसको देखकर जी ख़ुश हुआ करेगा तो) इसको क़त्ल मत करो, अ़जब नहीं कि (बड़ा होकर) हमको कुछ फ़ायदा पहुँचाए या हम इसको (अपना) बेटा ही बना लें, और उन लोगों को (अन्जाम की) ख़बर न थी (कि यह वही बच्चा है जिसके हाथों फ़िरऔ़न की हुकूमत ग़ारत होगी)।

और (उधर यह क़िस्सा हुआ कि) मूसा (अ़लैहिस्सलाम) की वालिदा का दिल (अनेक ख़्यालों के

आने से) बेक़रार हो गया (और बेक़रारी भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि ऐसी सख़्त बेक़रारी कि) क़रीब था कि (हद से बढ़ी बेक़रारी से) वह मूसा (अ़लैहिस्सलाम) का हाल (सब पर) ज़ाहिर कर देतीं, अगर हम उनके दिल को इस ग़र्ज़ से मज़बूत न किये रहें कि यह (हमारे वायदे पर) यक़ीन किये (बैठी) रहें। (ग़र्ज़ कि मुश्किल से उन्होंने दिल को संभालना और तदबीर शुरू की, वह यह कि) उन्होंने मूसा (अ़लैहिस्सलाम) की बहन (यानी अपनी बेटी से) कहा कि ज़रा मूसा का सुराग़ तो लगा, सो (वह चलीं और यह मालूम करके कि सन्दूक़ महल में खुला है महल में पहुँचीं, या तो वहाँ उनका आना-जाना होगा या किसी बहाने से पहुँचीं, और) उन्होंने मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को दूर से देखा और उन लोगों को यह ख़बर न थी (कि यह उनकी बहन हैं और इस फ़िक्र में आई हैं)। और हमने पहले ही से (यानी जब से सन्दूक़ से निकले थे) मूसा (अ़लैहिस्सलाम) पर दूध पिलाने वालियों की बन्दिश कर रखी थी (यानी किसी का दूध न लेते थे), सो वह (इस हाल को देखकर मौक़ा पाकर) कहने लगीं, क्या मैं तुम लोगों को किसी ऐसे घराने का पता बता दूँ जो तुम्हारे लिये इस बच्चे की परवरिश करें और वे (अपनी फ़ितरत के मुवाफ़िक़ दिल से) इसकी ख़ैरख़्वाही करें।

(उन लोगों ने ऐसे वक़्त में कि दूध पिलाने की मुश्किल पड़ रही थी इस मश्विरे को ग़नीमत समझा और ऐसे घराने का पता पूछा, उन्होंने अपनी वालिदा का पता बतला दिया। चुनाँचे वह बुलाई गईं और मूसा अ़लैहिस्सलाम उनकी गोद में दिये गये। जाते ही दूध पीना शुरू कर दिया और उन लोगों की इजाज़त से चैन से अपने घर ले आयीं और कभी-कभी लेजाकर उनको दिखला आतीं) ग़र्ज़ कि हमने मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को इस तरह उनकी वालिदा के पास (अपने वायदे के मुवाफ़िक़) वापस पहुँचा दिया ताकि (अपनी औलाद को देखकर) उनकी आँखें ठंडी हों और ताकि (जुदाई के) ग़म में न रहें, और ताकि (अनुभव करके) इस बात को (और ज़्यादा यक़ीन के साथ) जान लें कि अल्लाह तआ़ला का वायदा सच्चा (होता) है, लेकिन (अफ़सोस की बात है कि) अक्सर लोग (इसका) यक़ीन नहीं रखते। (यह कटाक्ष है काफ़िरों पर)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

सूरः क़सस मक्की सूरतों में सबसे आख़िरी सूरत है जो हिजरत के वक़्त मक्का मुकर्रमा और जोहफ़ा (राबिग़) के दरमियान नाज़िल हुई। कुछ रिवायतों में है कि हिजरत के सफ़र में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जोहफ़ा यानी राबिग़ के क़रीब पहुँचे तो जिब्रीले अमीन तशरीफ़ लाये और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कहा कि ऐ मुहम्मद! क्या आपको आपका वतन जिसमें आप पैदा हुए याद आता है? आपने फ़रमाया हाँ ज़रूर याद आता है। इस पर जिब्रीले अमीन ने क़ुरआन की यह सूरत सुनाई जिसके आख़िर में आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को इसकी ख़ुशख़बरी है कि अन्जामकार मक्का मुकर्रमा फ़तह होकर आपके क़ब्ज़े में आ जाये। वह आयत यह है:

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ.

(यानी आगे आ रही इसी सूरत की आयत नम्बर 85)

सूरः क़सस में सबसे पहले हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम का क़िस्सा पहले मुख़्तसर तौर पर फिर

तफ़सील के साथ बयान हुआ है। आधी सूरत तक मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा फ़िरऔन के साथ और सूरत के आख़िर में क़ारून के साथ ज़िक्र किया गया है।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा पूरे क़ुरआन में कहीं मुख़्तसर और कहीं तफ़सील से बार-बार आया है। सूरः कहफ़ में तो इनके उस क़िस्से की तफ़सील आई है जो ख़ज़िर अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया, फिर सूरः तॉ-हा में पूरे क़िस्से की तफ़सील है, और यही तफ़सील सूरः नम्ल में भी कुछ आई है, फिर सूरः क़सस में इसको दोहराया है। सूरः तॉ-हा में जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम के लिये अल्लाह तआ़ला का यह इरशाद आया है कि 'व फ़तन्ना-क फ़ुतूनन्' (यानी सूरः तॉ-हा की आयत 40 में) मुहद्दिसीन हज़रात में से इमाम नसाई वग़ैरह ने इस पूरे क़िस्से की मुकम्मल तफ़सील वहाँ लिखी है, इस नाचीज़ ने भी तफ़सीर इब्ने कसीर के हवाले से यह मुकम्मल तफ़सील सूरः तॉ-हा में बयान कर दी है। इस क़िस्से से संबन्धित हिस्सों की तमाम बहसें और ज़रूरी मसाईल और फ़ायदे कुछ सूरः कहफ़ में बाक़ी सूरः तॉ-हा ज़िक्र कर दिये गये हैं। मसाईल व मबाहिस के लिये उनको देखना काफ़ी होगा, यहाँ सिर्फ़ आयतों के अलफ़ाज़ की मुख़्तसर तफ़सीर पर इक्तिफ़ा किया जायेगा।

وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً .... الْاٰيَة

इस आयत में अल्लाह की तक़दीर के मुक़ाबले में फ़िरऔनी तदबीर का न सिर्फ़ नाकाम होना बल्कि फ़िरऔन और उसके सब दरबार वालों को इन्तिहाई बेवक़ूफ़ बल्कि अंधा बनाने का ज़िक्र है कि जिस लड़के के बारे में ख़्वाब और ख़्वाबी की ताबीर की बिना पर फ़िरऔन को ख़तरा लगा हुआ था और जिसकी बिना पर बनी इस्राईल के बेशुमार नवजात लड़कों को ज़िबह करने का क़ानून जारी किया था, उसको हक़ तआ़ला ने उसी फ़िरऔन के घर में उसी के हाथों परवरिश कराया और वालिदा के इत्मीनान के लिये उन्हीं की गोद में हैरत-अंगेज़ तरीक़े पर पहुँचा दिया और फ़िरऔन से दूध पिलाने का ख़र्चा जो कुछ रिवायतों में एक दीनार रोज़ाना बतलाया गया है अलग से वसूल किया गया। और दूध पिलाने का यह मुआवज़ा चूँकि एक काफ़िर हरबी (यानी वह काफ़िर जो मुसलमानों से लड़ रहा था) से उसकी रज़ामन्दी के साथ लिया गया है इसलिये इसके जायज़ होने में भी कोई इश्काल नहीं। और आख़िरकार जिस ख़तरे के दूर करने के लिये सारी क़ौम पर ये अत्याचार ढाये थे वह उसी के घर के अन्दर से एक ज़बरदस्त ज्वालामुखी बनकर फूटा और ख़्वाब की ताबीर अल्लाह तआ़ला ने उसको आँखों से दिखा दी।

وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ۝

(यानी ऊपर बयान हुई आयत 6) का यही हासिल है।

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى

वही का लफ़्ज़ इस जगह लुग़वी मायने में इस्तेमाल हुआ है, नुबुव्वत की वही मुराद नहीं। इसकी तहक़ीक़ सूरः तॉ-हा में गुज़र चुकी है।

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰۤى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ۭ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۝ وَ
دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ ۡ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ
عَدُوِّهٖ ۚ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِيْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِيْ مِنْ عَدُوِّهٖ ۙ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ ۤ قَالَ هٰذَا مِنْ
عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ۭ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَغَفَرَ لَهٗ ۭ اِنَّهٗ هُوَ
الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝ قَالَ رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ ۝ فَاَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ
خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِى اسْتَنْصَرَهٗ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهٗ ۭ قَالَ لَهٗ مُوْسٰٓى اِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِيْنٌ ۝
فَلَمَّآ اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِىْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۙ قَالَ يٰمُوْسٰٓى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِىْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا
بِالْاَمْسِ ڰ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ۝ وَجَآءَ
رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى ۡ قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ اِنِّىْ لَكَ مِنَ
النّٰصِحِيْنَ ۝ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ ۡ قَالَ رَبِّ نَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

ع ٨ ٥

व लम्मा ब-ल-ग़ अशुद्-दहू वस्तवा आतैनाहु हुक्मंव्-व अ़िल्मन्, कज़ालि-क नज्ज़िल् मुह्सिनीन (14) व द-ख़लल्-मदी-न-त अ़ला हीनि ग़फ़्लतिम् मिन् अह्लिहा फ़-व-ज-द फ़ीहा रजुलैनि यक़्ततिलानि, हाज़ा मिन् शी-अ़तिही व हाज़ा मिन् अ़दुव्विही फ़स्तग़ा-सहुल्लज़ी मिन् शी-अ़तिही अ़लल्लज़ी मिन् अ़दुव्विही फ़-व-क-ज़हू मूसा फ़-क़ज़ा अ़लैहि, क़ा-ल हाज़ा मिन् अ़-मलिश्शैतानि, इन्नहू अ़दुव्वुम्-मुज़िल्लुम्-मुबीन (15) क़ा-ल रब्बि इन्नी ज़लम्तु नफ़्सी

और जब पहुँच गया अपने ज़ोर पर और संभल गया दी हमने उसको हिक्मत और समझ, और इसी तरह हम बदला देते हैं नेकी वालों को। (14) और आया शहर के अन्दर जिस वक़्त बेख़बर हुए थे वहाँ के लोग फिर पाये उसमें दो मर्द लड़ते हुए यह एक उसके साथियों में और यह दूसरा उसके दुश्मनों में, फिर फ़रियाद की उससे उसने जो था उसके साथियों में उस की जो था उसके दुश्मनों में, फिर मुक्का मारा उसको मूसा ने फिर उसको तमाम कर दिया, बोला यह हुआ शैतान के काम से, बेशक वह है दुश्मन खुला बहकाने वाला। (15) बोला ऐ मेरे रब! मैंने बुरा किया अपनी जान का, सो बख़्श मुझको,

फ़ग़फ़िर् ली फ़-ग़-फ़-र लहू, इन्नहू हुवल्-ग़फ़ूरुर्रहीम (16) क़ा-ल रब्बि बिमा अन्अम्-त अलय्-य फ़-लन् अकू-न ज़हीरल्-लिल्मुज्रिमीन (17) फ़-अस्ब-ह फ़िल्मदी-नति ख़ाइफ़ंय्-य-तरक़्क़बु फ़-इज़ल् लज़िस्तन्स-रहू बिल्अम्सि यस्तस्रिख़ुहू, क़ा-ल लहू मूसा इन्न-क ल-ग़विय्युम्-मुबीन (18) फ़-लम्मा अन् अरा-द अंय्यब्ति-श बिल्लज़ी हु-व अ़दुव्वुल्-लहुमा क़ा-ल या मूसा अतुरीदु अन् तक़्तु-लनी कमा क़तल्-त नफ़्सम्-बिल्अम्सि इन् तुरीदु इल्ला अन् तकू-न जब्बारन् फ़िल्अर्ज़ि व मा तुरीदु अन् तकू-न मिनल्-मुस्लिहीन (19) व जा-अ रजुलुम्-मिन् अक़सल्-मदीनति यस्आ, क़ा-ल या मूसा इन्नल्-म-ल-अ यअ्तमिरू-न बि-क लि-यक़्तुलू-क फ़ख़्रुज् इन्नी ल-क मिनन्नासिहीन (20) फ़-ख़-र-ज मिन्हा ख़ाइफ़ंय्-य-तरक़्क़बु क़ा-ल रब्बि नज्जिनी मिनल्-क़ौमिज़्-ज़ालिमीन (21) ✿	फिर बख़्श दिया बेशक वही है बख़्शने वाला मेहरबान। (16) बोला ऐ रब! जैसा तूने फ़ज़्ल कर दिया मुझ पर फिर मैं कभी न हूँगा मददगार गुनाहगारों का। (17) फिर सुबह को उठा उस शहर में डरता हुआ इन्तिज़ार करता हुआ फिर अचानक जिसने कल मदद माँगी थी उससे आज फिर फ़रियाद करता है उससे, कहा मूसा ने बेशक तू खुला बेराह है। (18) फिर जब चाहा कि हाथ डाले उस पर जो दुश्मन था उन दोनों का, बोल उठा ऐ मूसा! क्या तू चाहता है कि ख़ून करे मेरा जैसे ख़ून कर चुका है कल एक जान का, तेरा यही जी चाहता है कि ज़बरदस्ती करता फिरे मुल्क में और नहीं चाहता कि हो सुलह करा देने वाला। (19) और आया शहर के परले सिरे से एक मर्द दौड़ता हुआ, कहा ऐ मूसा! दरबार वाले मश्विरा करते हैं तुझ पर कि तुझको मार डालें सो निकल जा, मैं तेरा भला चाहने वाला हूँ। (20) फिर निकला वहाँ से डरता हुआ राह देखता, बोला ऐ रब! बचा ले मुझको इस बेइन्साफ़ क़ौम से। (21) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और जब (परवरिश पाकर) अपनी भरी जवानी (की उम्र) को पहुँचे और (जिस्मानी और अ़क़्ली

ताक़त से) दुरुस्त हो गये तो हमने उनको हिक्मत और इल्म अ़ता फ़रमाया (यानी नुबुव्वत से पहले ही सही अ़क्ल व समझ जिससे अच्छे-बुरे का फ़र्क़ कर सकें, इनायत फ़रमाई) और हम नेक काम करने वालों को इसी तरह सिला दिया करते हैं (यानी नेक अ़मल से इल्मी फ़ैज़ में तरक़्क़ी होती है। इसमें इशारा है कि फ़िरऔन के तरीक़े और चलन को मूसा अ़लैहिस्सलाम ने कभी इख़्तियार न किया था बल्कि उससे नफ़रत करने वाले रहे)।

और (उसी ज़माने का एक वाक़िआ़ यह हुआ कि एक बार) मूसा (अ़लैहिस्सलाम) शहर में (यानी मिस्र में जैसा कि तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में इब्ने इस्हाक़ की रिवायत से है, कहीं बाहर से) ऐसे वक़्त पहुँचे कि वहाँ के (अक्सर) बाशिन्दे बेख़बर (पड़े सो रहे) थे, (अक्सर रिवायतों से यह दोपहर का वक़्त मालूम होता है, और कुछ रिवायतों से कुछ रात गये का वक़्त मालूम होता है जैसा कि दुर्रे मन्सूर की रिवायत है) तो उन्होंने वहाँ दो आदमियों को लड़ते देखा, एक तो उनकी बिरादरी (यानी बनी इस्राईल) में का था और दूसरा उनके मुख़ालिफ़ों (यानी फ़िरऔन के मुतल्लिक़ीन मुलाज़िमीन) में से था। (दोनों किसी बात पर उलझ रहे थे और ज़्यादती उस फ़िरऔन वाले की थी) सो वह जो उनकी बिरादरी का था उसने (जो) मूसा (अ़लैहिस्सलाम को देखा तो इन) से उसके मुक़ाबले में जो उनके मुख़ालिफ़ों में से था मदद चाही, (मूसा अ़लैहिस्सलाम ने पहले तो उसको समझाया जब इस पर भी वह बाज़ न आया) तो मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने (ज़ुल्म को रोकने के लिये सज़ा के तौर पर) उसको (एक) घूँसा मारा, सो उसका काम ही तमाम कर दिया (यानी इत्तिफ़ाक़ से वह मर ही गया)। मूसा (अ़लैहिस्सलाम उस ख़िलाफ़े उम्मीद नतीजे से बहुत पछताये और) कहने लगे कि यह तो शैतानी हरकत हो गई। बेशक शैतान (भी आदमी का) खुला दुश्मन है, किसी ग़लती में डाल देता है (और शर्मिन्दा होकर हक़ तआ़ला से) अ़र्ज़ किया कि ऐ मेरे परवर्दिगार! मुझसे क़सूर हो गया है, आप माफ़ फ़रमा दीजिये, सो अल्लाह तआ़ला ने माफ़ फ़रमा दिया, बिला शुब्हा वह बड़ा माफ़ करने वाला, रहमत करने वाला है। (अगरचे इस माफ़ी का निश्चित तौर पर इल्म और ज़हूर नुबुव्वत मिलने के वक़्त पर हुआ जैसा कि सूरः नम्ल में है:

اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا م بَعْدَ سُوْٓءٍ فَاِنِّیْ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ○

और उस वक़्त चाहे इल्हाम से मालूम हो गया हो या बिल्कुल न मालूम हुआ हो)।

मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने (गुज़रे हुए की तौबा के साथ भविष्य के लिये यह भी) अ़र्ज़ किया कि ऐ मेरे परवर्दिगार! चूँकि आपने मुझ पर (बड़े-बड़े) इनामात फ़रमाये हैं (जिनका ज़िक्र सूरः 'तॉ-हा' में आयत 37 से 40 तक है) सो कभी मैं मुजरिमों की मदद न करूँगा। (यहाँ मुजरिमों से मुराद वे हैं जो दूसरों से गुनाह का काम कराना चाहें क्योंकि गुनाह कराना किसी से भी जुर्म है पस इसमें शैतान भी दाख़िल हो गया कि गुनाह कराता है और गुनाह करने वाला उसकी मदद करता है, चाहे जान-बूझकर हो या ग़लती और भूल से जैसे इस आयत में है 'व कानल् काफ़िरु अ़ला रब्बिही ज़हीरा' यहाँ मददगार से शैतान ही मुराद है। मतलब यह हुआ कि मैं शैतान का कहना कभी नहीं मानूँगा, यानी जहाँ ग़लती होने की संभावना होगी वहाँ एहतियात व सतर्कता से काम लूँगा और असल मक़सद इतना ही है मगर हुक्म को शामिल करने के लिये मुजरिमीन बहुवचन का कलिमा लाया गया कि

औरों को भी आम हो जाये। ग़र्ज़ कि इस दौरान में इसका चर्चा हो गया मगर सिवाय इस्राईली के कोई राज़ का वाक़िफ़ न था और चूँकि उसी की हिमायत में यह वाक़िआ हुआ था इसलिए उसने इज़हार नहीं किया, इस वजह से किसी को इत्तिला न हुई मगर मूसा अलैहिस्सलाम को अन्देशा रहा, यहाँ तक कि रात गुज़री)।

फिर मूसा (अलैहिस्सलाम) को शहर में सुबह हुई ख़ौफ़ और घबराहट की हालत में कि अचानक (देखते क्या हैं कि) वही शख़्स जिसने गुज़री कल इमदाद चाही थी वह फिर उनको (मदद के लिये) पुकार रहा है कि (किसी और से उलझ पड़ा था), मूसा (अलैहिस्सलाम यह देखकर और कल की हालत याद करके उस पर नाराज़ हुए और) उससे फ़रमाने लगे बेशक तू खुला बुरे रास्ते वाला (आदमी) है कि रोज़ लोगों से लड़ा करता है। मूसा (अलैहिस्सलाम को अन्दाज़ों इशारों से मालूम हुआ होगा कि इसकी तरफ़ से भी कोई मामला हुआ है, लेकिन ज़्यादती फ़िरऔनी की देखकर उसको रोकने का इरादा किया) सो जब मूसा (अलैहिस्सलाम) ने उस पर हाथ बढ़ाया जो उन दोनों का मुख़ालिफ़ था (मुराद फ़िरऔनी है कि वह इस्राईली का भी मुख़ालिफ़ था और मूसा अलैहिस्सलाम का भी, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राईल में से हैं और वे लोग तमाम बनी इस्राईल के मुख़ालिफ़ थे, चाहे तो वह इस्राईली मूसा अलैहिस्सलाम को इस्राईली न समझा हो और या मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि फ़िरऔन के तरीक़े से नफ़रत करते थे, यह बात मशहूर हो गयी हो इसलिए फ़िरऔन वाले उनके मुख़ालिफ़ हो गये हों। बहरहाल जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस फ़िरऔनी पर हाथ बढ़ाया और उससे पहले इस्राईली पर नाराज़ हो चुके थे तो इससे उस इस्राईली को शुब्हा हुआ कि शायद आज मुझ पर पकड़ और सख़्ती करेंगे तो घबराकर) वह इस्राईली कहने लगा- ऐ मूसा! क्या (आज) मुझको क़त्ल करना चाहते हो जैसा कि कल एक आदमी को क़त्ल कर चुके हो। (मालूम होता है कि) बस तुम दुनिया में अपना ज़ोर बिठलाना चाहते हो और सुलह (और मिलाप) करवाना नहीं चाहते।

(यह कलिमा उस फ़िरऔनी ने सुना, क़ातिल की तलाश हो रही थी इतना सुराग़ लग जाना बहुत है, फ़ौरन फ़िरऔन को ख़बर पहुँचा दी। फ़िरऔन अपने आदमी के मारे जाने से गुस्से में था, यह सुनकर नाराज़ हुआ और शायद इससे उसको वह ख़्वाब का अन्देशा मज़बूत हो गया हो कि कहीं वह शख़्स यही न हो, ख़ुसूसन अगर मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरऔनी तरीक़े को नापसन्द करना भी फ़िरऔन को मालूम हो तो कुछ नाराज़गी और दुश्मनी इस सबब से होगी, उस पर यह एक और मामला हो गया। बहरहाल उसने अपने दरबारियों को मश्विरे के लिये जमा किया और आख़िर राय मूसा अलैहिस्सलाम को क़त्ल करने की क़रार पाई) और (उस मजमे में) एक शख़्स (मूसा अलैहिस्सलाम के चाहने वाले और हमदर्द थे वह) शहर के (उस) किनारे से (जहाँ यह मश्विरा हो रहा था मूसा अलैहिस्सलाम के पास नज़दीक की गलियों से) दौड़ते हुए आए (और) कहने लगे कि ऐ मूसा! दरबार वाले आपके बारे में मश्विरा कर रहे हैं कि आपको क़त्ल कर दें। सो आप (यहाँ से) चल दीजिये। मैं आपकी ख़ैरख़्वाही कर रहा हूँ।

पस (यह सुनकर) मूसा (अलैहिस्सलाम) वहाँ से (किसी तरफ़ को) निकल गये, ख़ौफ़ और घबराहट की हालत में (और चूँकि रास्ता मालूम न था, दुआ के तौर पर) कहने लगे कि ऐ मेरे

परवर्दिगार! मुझको इन ज़ालिम लोगों से बचा लीजिये (और अमन की जगह पहुँचा दीजिए)।

मआरिफ़ व मसाईल

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰى

अशुद्-द के लफ़्ज़ी मायने क़ुव्वत व सख़्ती की इन्तिहा पर पहुँचना है यानी इनसान बचपन की कमज़ोरी से धीरे-धीरे क़ुव्वत व सख़्ती की तरफ़ बढ़ता है, एक वक़्त ऐसा आता है कि उसके वजूद में जितनी ताक़त व सख़्ती आ सकती थी वह पूरी हो जाये उस वक़्त को **अशुद्-द** कहा जाता है और यह ज़मीन के मुख़्तलिफ़ ख़ित्तों और क़ौमों के मिज़ाज के एतिबार से मुख़्तलिफ़ (अलग-अलग) होता है, किसी का अशुद्द का ज़माना जल्द आ जाता है किसी का देर में लेकिन हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु और मुजाहिद से अ़ब्द इब्ने हुमैद की रिवायत से यह मन्क़ूल है कि अशुद्द उम्र के तैंतीस साल में होता है, इसी को भरपूर उम्र या ठहराव की उम्र कहा जाता है जिसमें बदन का बढ़ना और तरक़्क़ी करना एक हद पर पहुँचकर रुक जाता है, इसके बाद चालीस की उम्र तक ठहराव का ज़माना है इसी को **इस्तिवा** के लफ़्ज़ से ताबीर किया गया है, चालीस साल के बाद गिरावट और कमज़ोरी शुरू हो जाती है। इससे मालूम हुआ कि उम्र का अशुद्द (मज़बूती और ताक़त का दौर) तैंतीस साल की उम्र से शुरू होकर चालीस साल तक रहता है। (रूहुल-मआ़नी व क़ुर्तुबी)

اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا.

हुक्म से मुराद नुबुव्वत व रिसालत है और इल्म से मुराद अल्लाह की शरीअ़त के अहकाम का इल्म है।

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا.

अल्-मदीना से मुराद अक्सर मुफ़स्सिरीन के नज़दीक मिस्र शहर है। उसमें दाख़िल होने के लफ़्ज़ से मालूम हुआ कि मूसा अ़लैहिस्सलाम मिस्र से बाहर कहीं गये हुए थे फिर एक दिन उस शहर में ऐसे वक़्त दाख़िल हुए जो आ़म लोगों की ग़फ़लत का वक़्त था। आगे क़िब्ती के क़त्ल के क़िस्से में इसका भी तज़किरा है कि यह वह ज़माना था जब मूसा अ़लैहिस्सलाम ने अपनी नुबुव्वत व रिसालत का और दीने हक़ का इज़हार शुरू कर दिया था, इसी के नतीजे में कुछ लोग उनके मानने वाले व फ़रमाँबरदार हो गये थे जो उनके ताबेदार कहलाते थे 'मिन् शीअ़तिही' का लफ़्ज़ इस पर सुबूत है। इन तमाम इशारात से उस रिवायत की ताईद होती है जो इब्ने इस्हाक़ और इब्ने ज़ैद से मन्क़ूल है कि जब मूसा अ़लैहिस्सलाम ने होश संभाला और दीने हक़ की कुछ बातें लोगों से कहने लगे तो फ़िरऔ़न उनका मुख़ालिफ़ हो गया और क़त्ल का इरादा किया मगर फ़िरऔ़न की बीवी हज़रत आसिया की दरख़्वास्त पर उनके क़त्ल से बाज़ आया मगर उनको शहर से निकालने का हुक्म दे दिया। उसके बाद हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम शहर में किसी जगह रहने लगे और कभी-कभी छुपकर मिस्र शहर में आते थे और 'अ़ला ही-न ग़फ़्लतिम् मिन् अह्लिहा' से मुराद अक्सर मुफ़स्सिरीन के नज़दीक दोपहर का वक़्त है जबकि लोग क़ैलूले (दोपहर के आराम) में थे। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ.

व-क-ज़ के मायने मुक्का मारने के हैं। **फ़-क़ज़ा अ़लैहि** 'क़ज़ा' और 'क़ज़ा अ़लैहि' का मुहावरा उस वक़्त बोला जाता है जब किसी शख़्स का बिल्कुल काम तमाम कर दे और फ़ारिग़ हो जाये। इसी लिये यहाँ इसके मायने क़त्ल कर देने के हैं। (तफ़सीरे मज़हरी)

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ.

इस आयत का हासिल यह है कि उस क़िब्ती काफ़िर का क़त्ल जो हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम से बिना इरादे के हो गया था मूसा अ़लैहिस्सलाम ने इसको भी अपने नुबुव्वत व रिसालत के मक़ाम और पैग़म्बराना शान की बड़ाई के लिहाज़ से अपना गुनाह क़रार देकर अल्लाह तआ़ला से मग़फ़िरत तलब की, अल्लाह तआ़ला ने माफ़ कर दिया। यहाँ पहला सवाल तो यह पैदा होता है कि यह क़िब्ती काफ़िर शरई परिभाषा के लिहाज़ से एक हरबी (मुसलमानों से लड़ने वाला) काफ़िर था जिसका जान-बूझकर क़त्ल करना भी मुबाह और जायज़ था, क्योंकि न यह किसी इस्लामी हुकूमत का ज़िम्मी था न मूसा अ़लैहिस्सलाम से बज़ाहिर इसका कोई मुआ़हदा था, फिर मूसा अ़लैहिस्सलाम ने इसको शैतानी काम और गुनाह क्यों क़रार दिया? उसका क़त्ल तो बज़ाहिर अज्र व सवाब का ज़रिया होना चाहिये था कि एक मुसलमान पर ज़ुल्म कर रहा था उसको बचाने के लिये यह क़त्ल वाक़े हुआ।

जवाब यह है कि मुआ़हदा (समझौता) जैसे क़ौली और तहरीरी होता है जैसे उमूमन इस्लामी हुकूमतों में ज़िम्मी लोगों से समझौता या किसी ग़ैर-मुस्लिम हुकूमत से सुलह का समझौता, और यह समझौता सब के नज़दीक वाजिबुल-अ़मल और उसकी ख़िलाफ़वर्ज़ी (उल्लंघन) धोखा देना और अ़हद को तोड़ने के सबब हराम होती है इसी तरह अ़मली समझौता भी एक क़िस्म का मुआ़हदा ही होता है उसकी भी पाबन्दी लाज़िमी और ख़िलाफ़वर्ज़ी अ़हद तोड़ने के बराबर है।

अ़मली मुआ़हदे की सूरत यह है कि जिस जगह मुसलमान और कुछ ग़ैर-मुस्लिम किसी दूसरी हुकूमत में आपसी अमन व इत्मीनान के साथ रहते बसते हों, एक दूसरे पर हमला करना या लूटमार करना दोनों तरफ़ से ग़द्दारी समझा जाता हो तो इस तरह के सामाजिक रहन-सहन और मामलात भी एक क़िस्म का अ़मली समझौता और अ़हद होते हैं, उनकी ख़िलाफ़वर्ज़ी जायज़ नहीं। इसकी दलील हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अ़न्हु की वह लम्बी हदीस है जिसको इमाम बुख़ारी ने 'किताबुश्शुरूत' में विस्तार से रिवायत किया है और वाक़िआ़ उसका यह था कि हज़रत मुग़ीरा अपने इस्लाम से पहले जाहिलीयत के ज़माने में एक काफ़िरों की जमाअ़त के साथ उठना-बैठना और मेलजोल रखते थे, फिर उनको क़त्ल करके उनके मालों पर क़ब्ज़ा कर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर मुसलमान हो गये और जो माल उन लोगों का लिया था वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में पेश कर दिया, इस पर आपने इरशाद फ़रमायाः

اما الاسلام فاقبل واما المال فلست منه فی شئ

और अबू दाऊद की रिवायत में इसके अलफ़ाज़ ये हैं:

اما المال فمال غدر لاحاجة لنا فيه

यानी आपका इस्लाम तो हमने क़ुबूल कर लिया और अब आप मुसलमान हैं मगर यह माल ऐसा माल है जो धोखे और अ़हद तोड़ने से हासिल हुआ है इसलिये हमें इस माल की कोई हाजत नहीं।

बुख़ारी शरीफ़ के शारेह हाफ़िज़ इब्ने हजर ने शरह में फ़रमाया कि इस हदीस से यह मसला निकलता है कि काफ़िरों का माल अमन की हालत में लूट लेना हलाल नहीं क्योंकि ऐसी बस्ती के रहने वाले या एक साथ काम करने वाले एक दूसरे को अपने से मामून (सुरक्षित) समझते हैं, उनका यह अ़मली समझौता भी एक अमानत है जिसका अमानत वाले को अदा करना फ़र्ज़ है, चाहे वह काफ़िर हो या मुस्लिम। और काफ़िरों के माल जो मुसलमानों के लिये हलाल होते हैं वे सिर्फ़ जंग और एक दूसरे पर ग़लबा हासिल करने की सूरत में हलाल होते हैं, अमन व अमान की हालत में जबकि एक दूसरे से अपने को मामून (सुरक्षित) समझ रहा हो किसी काफ़िर का माल लूट लेना जायज़ नहीं। और क़ुस्तुलानी ने शरह बुख़ारी में फ़रमायाः

ان اموال المشركين ان كانت مغنومة عند القهر فلا يحل اخذها عند الامن فاذا كان الانسان مصاحبالهم فقد امن كل واحد منهم صاحبه فسفك الدماء واخذالمال مع ذلك غدر حرام الا ان ينبذ اليهم عهدهم على سوآء.

बेशक मुश्रिकों के माल जंग और जिहाद के वक़्त ग़नीमत व मुबाह हैं लेकिन अमन की हालत में हलाल नहीं, इसलिये जो मुसलमान काफ़िरों के साथ रहता-सहता हो कि अ़मली तौर पर एक दूसरे से सुरक्षित हो तो ऐसी हालत में किसी काफ़िर का ख़ून बहाना या माल ज़बरदस्ती लेना ग़दर (धोखा) हराम है जब तक कि उनके इस अ़मली समझौते से अलग होने का ऐलान न कर दे।

ख़ुलासा यह है कि क़िब्ती का क़त्ल इस अ़मली समझौते की बिना पर अगर इरादे से होता तो जायज़ नहीं था मगर हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने उसके क़त्ल का इरादा नहीं किया था बल्कि इस्राईली शख़्स को उसके ज़ुल्म से बचाने के लिये हाथ की चोट लगाई जो आ़दतन क़त्ल का सबब नहीं होती, मगर क़िब्ती उस चोट से मर गया तो मूसा अ़लैहिस्सलाम को यह एहसास हुआ कि इसको हटाने के लिये इस चोट से कम दर्जा भी काफ़ी था, यह ज़्यादती मेरे लिये दुरुस्त न थी, इसी लिये इसको शैतानी काम क़रार देकर इससे मग़फ़िरत तलब फ़रमाई।

फ़ायदा

यह तहक़ीक़ हकीमुल-उम्मत मुजद्दिदुल-मिल्लत सैयदी हज़रत मौलाना अशरफ़ अ़ली थानवी रह. की है जो आपने अ़रबी भाषा में अहकामुल-क़ुरआन सूरः क़सस लिखते वक़्त इरशाद फ़रमाई थी, और यह आख़िरी इल्मी तहक़ीक़ है जिसके ज़रिये अहक़र हज़रत रह. से लाभान्वित हुआ, क्योंकि आपने यह इरशाद 2 रजब सन 1362 हिजरी में फ़रमाया था इसके बाद बीमारी की सख़्ती बढ़ी और 16 रजब को इल्म व अ़मल का यह सूरज ग़ुरूब हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।

और कुछ हज़राते मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया कि अगरचे क़िब्ती का क़त्ल मुबाह (जायज़) था मगर अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम जायज़ चीज़ों में भी अहम मामलात में उस वक़्त तक पहल नहीं करते जब

तक ख़ुसूसी तौर पर अल्लाह की तरफ़ से इजाज़त व इशारा न मिले, इस मौक़े पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ख़ुसूसी इजाज़त का इन्तिज़ार किये बग़ैर यह क़दम उठा लिया था इसलिये अपनी शान के मुताबिक़ इसको गुनाह क़रार देकर इस्तिग़फ़ार किया। (रूहुल-मआनी वग़ैरह)

قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ۝

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस ग़लती और चूक को जब अल्लाह तआ़ला ने माफ़ फ़रमा दिया तो आपने इस नेमत के शुक्र में यह अ़र्ज़ किया कि मैं आईन्दा किसी मुजरिम की मदद न करूँगा। इससे मालूम हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस इस्राईली की मदद के लिये यह क़दम उठाया था दूसरे वाक़िए से यह बात साबित हो गई थी कि वह ख़ुद ही झगड़ालू है, झगड़ा लड़ाई उसकी आ़दत है इसलिये उसको मुजरिम क़रार देकर आईन्दा किसी ऐसे शख़्स की मदद न करने का अ़हद फ़रमाया। और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से इस जगह **मुजरिमीन** की तफ़सीर **काफ़िरीन** के साथ मन्क़ूल है, और क़तादा रह. ने भी तक़रीबन ऐसा ही फ़रमाया है। इस तफ़सीर की बिना पर वाक़िआ़ यह मालूम होता है कि यह इस्राईली जिसकी इमदाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने की थी यह भी मुसलमान न था, मगर उसको मज़लूम समझकर मदद फ़रमाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस इरशाद से दो मसले साबित हुए।

पहला मसला यह कि मज़लूम अगरचे काफ़िर गुनाहगार ही हो उसकी मदद करनी चाहिये।

दूसरा मसला यह साबित हुआ कि किसी मुजरिम ज़ालिम की मदद करना जायज़ नहीं। उलेमा ने इस आयत से दलील पकड़कर ज़ालिम हाकिमों की नौकरी को भी नाजायज़ क़रार दिया है कि वे भी उनके ज़ुल्म में शरीक समझे जायेंगे और इस पर पहले बुज़ुर्गों से अनेक रिवायतें नक़ल की हैं। (जैसा कि तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में है)

काफ़िरों या ज़ालिमों की इमदाद व सहयोग की अनेक सूरतें हैं और उनके अहकाम मसाईल की किताबों में तफ़सील से मज़कूर हैं। अहक़र ने अहकामुल-क़ुरआन में अ़रबी भाषा में इसी आयत के तहत में इस मसले की पूरी तहक़ीक़ व वज़ाहत लिख दी है, उलेमा हज़रात उसको देख सकते हैं।

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ

عَسٰى رَبِّيْٓ أَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ۝ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ۝ وَ
وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ وَأَبُوْنَا شَيْخٌ
كَبِيْرٌ۝ فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰٓى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّيْ لِمَآ أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ۝ فَجَآءَتْهُ إِحْدٰىهُمَا
تَمْشِيْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِيْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ
الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ۝ قَالَتْ إِحْدٰىهُمَا يٰٓأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ
اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيْنُ۝ قَالَ إِنِّيْٓ أُرِيْدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى أَنْ تَأْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍ

فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِيٓ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِينَ ﴿٢٧﴾
قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۖ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾

व लम्मा तवज्ज-ह तिल्क़ा-अ मद्य-न क़ा-ल अ़सा रब्बी अंय्यह्दि-यनी सवा-अस्सबील (22) व लम्मा व-र-द मा-अ मद्य-न व-ज-द अ़लैहि उम्म-तम् मिनन्नासि यस्क़ू-न, व व-ज-द मिन् दूनिहिमुम्र-अतैनि तज़ूदानि क़ा-ल मा ख़त्बुकुमा, क़ा-लता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिरर्-रिआ़-उ, व अबूना शैख़ुन् कबीर (23) फ़-सक़ा लहुमा सुम्-म तवल्ला इलज़्ज़िल्लि फ़क़ा-ल रब्बि इन्नी लिमा अन्ज़ल्-त इलय्-य मिन् ख़ैरिन् फ़क़ीर (24) फ़जा-अत्हु इस्दाहुमा तम्शी अ़लस्तिह्याइन् क़ालत् इन्-न अबी यद्अ़ू-क लि-यज्ज़ि-य-क अज्-र मा सक़ै-त लना, फ़-लम्मा जा-अहू व क़स्-स अ़लैहिल्-क़-स-स क़ा-ल ला त-ख़फ़् नजौ-त मिनल्-क़ौमिज़्ज़ालिमीन (25) क़ालत् इस्दाहुमा या अ-बतिस्तअ्जिर्हु इन्-न ख़ै-र मनिस्तअ्जर्तल्-क़विय्युल्-अमीन (26) क़ा-ल इन्नी

और जब मुँह किया मद्यन की सीध पर बोला उम्मीद है कि मेरा रब ले जाये मुझको सीधी राह पर। (22) और जब पहुँचा मद्यन के पानी पर पाया वहाँ एक जमाअ़त को लोगों की पानी पिलाते हुए, और पाया उनसे वरे दो औ़रतों को कि रोके हुए खड़ी थीं अपनी बकरियाँ, बोला तुम्हारा क्या हाल है, बोलीं हम नहीं पिलातीं पानी चरवाहों के फेर लेजाने तक और हमारा बाप बूढ़ा है बड़ी उम्र का। (23) फिर उसने पानी पिला दिया उनके जानवरों को फिर हटकर आया छाँव की तरफ़, बोला ऐ रब तू जो चीज़ उतारे मेरी तरफ़ अच्छी मैं उसी का मोहताज हूँ। (24) फिर आयी उसके पास उन दोनों में से एक चलती थी शर्म से, बोली मेरा बाप तुझको बुलाता है कि बदले में दे हक़ उसका कि तूने पानी पिला दिया हमारे जानवरों को। फिर जब पहुँचा उसके पास और बयान किया उससे अहवाल, कहा मत डर बच आया तू उस बेइन्साफ़ क़ौम से। (25) बोली उन दोनों में से एक ऐ बाप! इस को नौकर रख ले, बेशक बेहतर नौकर जिसको तू रखना चाहे वह है जो ज़ोरावर हो अमानतदार। (26) कहा मैं

उरीदु अन् उन्कि-ह-क इस्दब्नतय्-य हातैनि अ़ला अन् तअ्जु-रनी समानि-य हि-जजिन् फ़-इन् अत्मम्-त अ़श्रन् फ़-मिन् अ़िन्दि-क व मा उरीदु अन् अशुक़्-क अ़लै-क, स-तजिदुनी इन्शा-अल्लाहु मिनस्सालिहीन (27) क़ा-ल ज़ालि-क बैनी व बैन-क, अय्यमल्-अ-जलैनि क़ज़ैतु फ़ला अुद्वा-न अ़लय्-य, वल्लाहु अ़ला मा नक़ूलु वकील (28) ✿	चाहता हूँ कि ब्याह दूँ तुझको एक बेटी अपनी इन दोनों में से इस शर्त पर कि तू मेरी नौकरी करे आठ साल फिर अगर तू पूरे कर दे दस साल तो वह तेरी तरफ़ से है, और मैं नहीं चाहता कि तुझ पर तकलीफ़ डालूँ, तू पायेगा मुझको अगर अल्लाह ने चाहा नेकबख़्तों से। (27) बोला यह वायदा हो चुका मेरे और तेरे बीच जौनसी मुद्दत इन दोनों में पूरी कर दूँ, सो ज़्यादती न हो मुझ पर, और अल्लाह पर भरोसा इस चीज़ का जो हम कहते हैं। (28) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और जब मूसा (अ़लैहिस्सलाम यह दुआ़ करके अल्लाह पर भरोसा करके एक दिशा को चले और ग़ैबी इशारे से) मद्यन की तरफ़ हो लिये (चूँकि रास्ता मालूम न था इसलिये भरोसा व मज़बूती और अपने नफ़्स को तसल्ली देने के लिये आप ही आप) कहने लगे कि उम्मीद है कि मेरा रब मुझको (किसी अमन की जगह का) सीधा रास्ता चलायेगा (चुनाँचे ऐसा ही हुआ और मद्यन जा पहुँचे)। और जब मद्यन के पानी (यानी कुँए) पर पहुँचे तो उस पर (बहुत सारे) आदमियों का एक मजमा देखा जो (उस कुएँ से खींच-खींचकर अपने मवेशियों को) पानी पिला रहे थे। और उन लोगों से एक तरफ़ (अलग) को दो औरतें देखीं कि वे (अपनी बकरियाँ) रोके खड़ी हैं। मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने (उनसे) पूछा तुम्हारा क्या मतलब है? वे दोनों बोलीं कि (हमारा मामूल यह है कि) हम (अपने जानवरों को) उस वक़्त तक पानी नहीं पिलाते जब तक ये चरवाहे (जो कुएँ पर पानी पिला रहे हैं) पानी पिलाकर (जानवरों को) हटाकर न ले जाएँ (एक तो शर्म के सबब, दूसरी मर्दों से टकराना हम कमज़ोरों से कब हो सकता है) और (इस हालत में हम आते भी नहीं मगर) हमारे बाप बहुत बूढ़े हैं (और घर पर और कोई काम करने वाला ही नहीं और काम ज़रूरी है इस मजबूरी से हमको आना पड़ता है)। पस (यह सुनकर) मूसा (अ़लैहिस्सलाम को रहम आया और उन्होंने) उनके लिये पानी (खींचकर उनके जानवरों को) पिलाया (और उनको इन्तिज़ार और पानी खींचने की तकलीफ़ से बचाया) फिर (वहाँ से) हटकर (एक) साये (की जगह) में जा बैठे, (चाहे किसी पहाड़ का साया हो या किसी पेड़ का), फिर (अल्लाह की जनाब में) दुआ़ की कि ऐ मेरे परवर्दिगार! (इस वक़्त) जो नेमत भी (थोड़ी या ज़्यादा) आप मुझको भेज दें मैं उसका (सख़्त) ज़रूरत मन्द हूँ (क्योंकि इस सफ़र में कुछ खाने-पीने को न मिला

था। हक़ तआ़ला ने उसका यह सामान किया कि वे दोनों लड़कियाँ अपने घर लौटकर गईं तो बाप ने मामूल से जल्दी आ जाने की वजह मालूम की, उन्होंने मूसा अ़लैहिस्सलाम का पूरा क़िस्सा बयान किया उन्होंने एक लड़की को भेजा कि उनको बुला लाओ)।

मूसा (अ़लैहिस्सलाम) के पास एक लड़की आई कि शर्माती हुई चलती थी (जो कि शरीफ़ लोगों की तबई हालत है, और आकर) कहने लगी कि मेरे वालिद तुमको बुलाते हैं, ताकि तुमको उसका सिला दें जो तुमने हमारी ख़ातिर (हमारे जानवरों को) पानी पिला दिया था। (यह उन साहिबज़ादी को अपने वालिद की आ़दत से मालूम हुआ होगा कि एहसान का बदला दिया करते होंगे। मूसा अ़लैहिस्सलाम साथ हो लिये अगरचे मूसा अ़लैहिस्सलाम का मक़सद यक़ीनी तौर पर अपनी ख़िदमत का मुआ़वज़ा लेना न था, लेकिन हालात के तक़ाज़े के सबब अमन के ठिकाने और किसी मेहरबान साथी की ज़रूर तलाश में थे, और अगर भूख की तेज़ी भी इस जाने का एक सबब हो तो कोई हर्ज की बात नहीं, और इसका उजरत से कुछ ताल्लुक़ नहीं, और मेहमान नवाज़ी की तो गुज़ारिश भी ख़ास तौर पर ज़रूरत के वक़्त और ख़ुसूसन करीम व शरीफ़ आदमी से कुछ ज़िल्लत की बात नहीं, कहाँ यह कि दूसरे की मेहमान नवाज़ी की दरख़्वास्त का क़ुबूल कर लेना। रास्ते में मूसा अ़लैहिस्सलाम ने उन बीबी से फ़रमाया कि तुम मेरे पीछे हो जाओ मैं इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की औलाद में से हूँ, अजनबी औरत को बेवजह और बेइरादा देखना भी पसन्द नहीं करता। ग़र्ज़ कि इसी तरह उन बुज़ुर्ग के पास पहुँचे) सो जब उनके पास पहुँचे और उनसे तमाम हाल बयान किया तो उन्होंने (तसल्ली दी और) कहा कि (अब) अन्देशा न करो तुम ज़ालिम लोगों से बच आये (क्योंकि उस स्थान पर फ़िरऔ़न की हुकूमत न थी, जैसा कि तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में है। फिर) एक लड़की ने कहा कि अब्बा जान! (आपको आदमी की ज़रूरत है और हम स्यानी हो गईं अब घर में रहना मुनासिब है तो) आप इनको नौकर रख लीजिये, क्योंकि अच्छा नौकर वह शख़्स है जो मज़बूत (हो और) अमानतदार (भी) हो (और इनमें दोनों सिफ़तें हैं। चुनाँचे क़ुव्वत इनके पानी खींचने से और अमानत इनके बर्ताव से, ख़ुसूसन रास्ते में औरत को पीछे कर देने से ज़ाहिर होती थी, और अपने बाप से भी बयान किया था, इस पर) वह (बुज़ुर्ग मूसा अ़लैहिस्सलाम से) कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि इन दोनों लड़कियों में से एक को तुम्हारे साथ ब्याह दूँ, इस शर्त पर कि तुम आठ साल मेरी नौकरी करो (और उस नौकरी का बदला वही निकाह है। हासिल यह कि आठ साल की ख़िदमत उस निकाह का मेहर है) फिर अगर तुम दस साल पूरे कर दो तो यह तुम्हारी तरफ़ से (एहसान) है (यानी मेरी तरफ़ से ज़बरदस्ती नहीं) और मैं (इस मामले में) तुम पर कोई मशक़्क़त डालना नहीं चाहता (यानी काम लेने और वक़्त की पाबन्दी वग़ैरह मामले की दूसरी बातो में आसानी बरतूँगा, और) तुम मुझको इन्शा-अल्लाह तआ़ला अच्छे मामले वाला पाओगे।

मूसा (अ़लैहिस्सलाम रज़ामन्द हो गये और) कहने लगे कि (बस तो) यह बात मेरे और आपके दरमियान (पक्की) हो चुकी, मैं इन दो मुद्दतों में से जिस (मुद्दत) को पूरा कर दूँ, मुझ पर कोई जब्र न होगा, और हम जो (मामले) की बातचीत कर रहे हैं अल्लाह तआ़ला इसका गवाह (काफ़ी) है (उसको हाज़िर नाज़िर समझकर अ़हद पूरा करना चाहिए)।

मआरिफ़ व मसाईल

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ

मद्यन मुल्के शाम के एक शहर का नाम है जो मद्यन बिन इब्राहीम के नाम पर नामित है। यह इलाक़ा फ़िरऔनी हुकूमत से बाहर था। मिस्र से मद्यन की दूरी आठ मन्ज़िल की थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब फ़िरऔनी सिपाहियों के पीछा करने का तबई ख़ौफ़ पेश आया जो न नुबुव्वत व मारिफ़त के ख़िलाफ़ है न तवक्कुल के, तो मिस्र से हिजरत का इरादा किया और मद्यन की दिशा शायद इसलिये मुतैयन की कि मद्यन भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद की बस्ती थी, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उनकी औलाद में थे।

उस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बिल्कुल ख़ाली हाथ इस तरह मिस्र से निकलना कि न कोई तोशा (सफ़र का सामान और खाना) साथ था न कोई सामान और न रास्ता मालूम, इसी तरह बेचैनी व परेशानी की हालत में अल्लाह तआला शानुहू की तरफ़ मुतवज्जह हुए और फ़रमायाः

عَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ٥

यानी उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधा रास्ता दिखायेगा और अल्लाह तआला ने यह दुआ क़ुबूल फ़रमाई। मुफ़स्सिरीन का बयान है कि इस सफ़र में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ग़िज़ा सिर्फ़ दरख़्तों के पत्ते थे। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम की यह सबसे पहली आज़माईश और इम्तिहान था। मूसा अ़लैहिस्सलाम की आज़माईशों और इम्तिहानों की तफ़सीर सूरः तॉ-हा में एक लम्बी हदीस के हवाले से बयान हो चुकी है।

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ.

मा-अ मद्य-न से मुराद वह कुआँ है जिससे उस बस्ती के लोग अपने मवेशियों (पशुओं व जानवरों) को पानी पिलाते थे।

وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ

यानी दो औरतों को देखा कि वे अपनी बकरियों को पानी की तरफ़ जाने से रोक रही थीं ताकि उनकी बकरियाँ दूसरे लोगों की बकरियों में रल (मिल) न जायें।

قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ، وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ٥

लफ़्ज़ ख़त्ब शान और हाल के मायने में है जबकि वह कोई अहम काम हो। मायने यह हैं कि मूसा अ़लैहिस्सलाम ने उन दोनों औरतों से पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है कि तुम अपनी बकरियों को रोके खड़ी हो, दूसरे लोगों की तरह कुएँ के पास लाकर पानी नहीं पिलातीं? उन दोनों ने यह जवाब दिया कि हमारी आ़दत यही है कि हम मर्दों के साथ रलने-मिलने से बचने के लिये उस वक़्त तक अपनी बकरियों को पानी नहीं पिलातीं जब तक ये लोग कुएँ पर होते हैं, जब ये चले जाते हैं तो हम अपनी बकरियों को पिलाते हैं। और इसमें जो यह सवाल पैदा होता था कि क्या तुम्हारा कोई मर्द नहीं

जो औरतों को इस काम के लिये निकाला? इसका जवाब भी उन औरतों ने साथ ही दे दिया कि हमारे वालिद बूढ़े ज़ईफ़ उम्र के हैं, वह यह काम नहीं कर सकते इसलिये हम मजबूर हुए।

इस वाक़िए से चन्द अहम फ़ायदे हासिल हुए- अव्वल यह कि ज़ईफ़ों (कमज़ोरों व बूढ़ों) की इमदाद अम्बिया की सुन्नत है, हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने दो औरतों को देखा कि बकरियों को पानी पिलाने के लिये लाई हैं मगर उन लोगों के हुजूम के सबब मौक़ा नहीं मिल रहा तो उनसे हाल पूछा। दूसरा यह कि अजनबी औरत से ज़रूरत के वक़्त बात करने में हर्ज नहीं, जब तक कि किसी फ़ितने का अन्देशा न हो। तीसरा यह कि अगरचे यह वाक़िआ उस ज़माने का है जबकि औरतों पर पर्दा लाज़िम नहीं था जिसका सिलसिला इस्लाम के भी शुरू के ज़माने तक जारी रहा, मदीना को हिजरत के बाद औरतों के लिये पर्दे के अहकाम नाज़िल हुए लेकिन उस वक़्त भी पर्दे का जो असल मक़सद है वह तबई शराफ़त और हया के सबब औरतों में मौजूद था, कि ज़रूरत के बावजूद मर्दों के साथ मेल-मिलाप गवारा न किया और तकलीफ़ उठाना क़ुबूल किया। चौथा यह कि औरतों का इस तरह के कामों के लिये बाहर निकलना उस वक़्त पसन्दीदा नहीं था इसी लिये उन्होंने अपने वालिद के माज़ूर होने का उज़्र बयान किया।

فَسَقٰى لَهُمَا

यानी मूसा अ़लैहिस्सलाम ने उन औरतों पर रहम खाकर कुएँ से पानी निकालकर उनकी बकरियों को सैराब कर दिया। कुछ रिवायतों में है कि चरवाहों की आ़दत यह थी कि अपने जानवरों को पानी पिलाने के बाद कुएँ को एक भारी पत्थर से बन्द कर देते थे और ये औरतें अपनी बकरियों के लिये बचे-खुचे पानी पर सब्र करती थीं। यह भारी पत्थर ऐसा था जिसको दस आदमी मिलकर उठाते थे मगर मूसा अ़लैहिस्सलाम ने उसको तन्हा उठाकर अलग कर दिया और कुएँ से पानी निकाला। शायद इसी वजह से उन औरतों में से एक ने मूसा अ़लैहिस्सलाम के बारे में अपने वालिद से यह कहा कि यह क़वी (ताक़तवर और मज़बूत) हैं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

ثُمَّ تَوَلّٰٓى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ۝

हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने सात दिन से कोई ग़िज़ा नहीं चखी थी, उस वक़्त एक दरख़्त के साये में आकर अल्लाह तआ़ला के सामने अपनी हालत और ज़रूरत पेश की जो दुआ़ करने का एक लतीफ़ तरीक़ा है। लफ़्ज़ ख़ैर कभी माल के मायने में आता है जैसा कि आयत 'इन् त-र-क ख़ै-र निल्वसिय्यतु' में है, कभी क़ुव्वत के मायने में आता है जैसे आयत 'अ-हुम् ख़ैरु तुब्बइन्' में, कभी खाने के मायने में भी आता है जो इस जगह मुराद है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ.

क़ुरआनी अन्दाज़े बयान के मुताबिक़ यहाँ क़िस्से को मुख़्तसर कर दिया गया है। पूरा वाक़िआ यह हुआ कि ये औरतें अपने मुक़र्ररा वक़्त से पहले जल्दी से घर पहुँच गईं तो इनके वालिद ने वजह पूछी, लड़कियों ने वाक़िआ बतलाया। वालिद ने चाहा कि जिस शख़्स ने एहसान किया है उसका बदला उसे देना चाहिये इसलिये उन्हीं लड़कियों में से एक को उनके बुलाने के लिये भेजा। यह हया

के साथ चलती हुई पहुँची। इसमें भी इशारा है कि बावजूद पर्दे के बाक़ायदा अहकाम नाज़िल न होने के नेक औरतें मर्दों से बेधड़क ख़िताब न करती थीं। ज़रूरत की बिना पर यह वहाँ पहुँची तो शर्म के साथ बात की जिसकी सूरत कुछ मुफ़स्सिरीन ने यह बयान की है कि अपने चेहरे को आस्तीन से छुपाकर बातचीत की। तफ़सीर की रिवायतों में है कि मूसा अ़लैहिस्सलाम उसके साथ चलने लगे तो लड़की से कहा कि तुम मेरे पीछे हो जाओ और ज़बान से मुझे रास्ता बताती रहो। मक़सद यह था कि उनकी नज़र लड़की पर न पड़े, शायद इसी सबब से लड़की ने अपने वालिद से उनके मुताल्लिक़ अमीन (अमानतदार) होने का ज़िक्र किया। उन लड़कियों के वालिद कौन थे इसमें मुफ़स्सिरीन ने मतभेद नक़ल किया है मगर क़ुरआन की आयतों से बज़ाहिर यही मालूम होता है कि वह शुऐब अ़लैहिस्सलाम थे जैसा कि क़ुरआन में है 'व इला मद्‌य-न अख़ाहुम् शुअ़ैबा'। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

اِنَّ اَبِیْ یَدْعُوْكَ

यहाँ यह भी हो सकता है कि यह लड़की ख़ुद ही अपनी तरफ़ से उनको दावत देती मगर ऐसा नहीं किया बल्कि अपने वालिद का पैग़ाम सुनाया, क्योंकि किसी अजनबी मर्द को ख़ुद दावत देना हया व शर्म के ख़िलाफ़ था।

اِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْاَمِیْنُ ۝

यानी शुऐब अ़लैहिस्सलाम की एक बेटी ने अपने वालिद से अ़र्ज़ किया कि आपको घर के कामों के लिये मुलाज़िम की ज़रूरत है, आप इनको नौकर रख लीजिये, क्योंकि मुलाज़िम में दो सिफ़तें होनी चाहियें- एक काम की ताक़त व सलाहियत, दूसरे अमानतदारी। हमें इनके पत्थर उठाकर पानी पिलाने से इनकी ताक़त व क़ुदरत का और रास्ते में लड़की को अपने पीछे कर देने से अमानतदारी का तजुर्बा हो चुका है।

कोई नौकरी या ओ़हदा सुपुर्द करने के लिये अहम शर्तें दो हैं

हज़रत शुऐब अ़लैहिस्सलाम की बेटी की ज़बान पर अल्लाह तआ़ला ने बड़ी हिक्मत की बात जारी फ़रमाई। आजकल सरकारी ओ़हदों और नौकरियों के लिये काम की सलाहियत और डिग्रियों को तो देखा जाता है मगर दियानत व अमानत की तरफ़ तवज्जोह नहीं दी जाती। इसी का नतीजा है कि आ़म दफ़्तरों और ओ़हदों की कार्रवाई में पूरी कामयाबी के बजाय रिश्वत ख़ोरी, अपनों को फ़ायदा पहुँचाने वग़ैरह की वजह से क़ानून बेकार होकर रह गया है। काश लोग इस क़ुरआनी हिदायत की क़द्र करें तो सारा निज़ाम दुरुस्त हो जाये।

قَالَ اِنِّیْۤ اُرِیْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَیَّ هٰتَیْنِ

यानी लड़कियों के वालिद हज़रत शुऐब अ़लैहिस्सलाम ने ख़ुद ही अपनी तरफ़ से अपनी लड़की को उनके निकाह में देने का इरादा ज़ाहिर फ़रमाया। इससे मालूम हुआ कि लड़कियों के वली (सरपरस्त) को चाहिये कि कोई नेक मर्द मिले तो इसका इन्तिज़ार न करे कि उसी की तरफ़ से निकाह के मामले की बात चले, बल्कि ख़ुद भी पेश कर देना नबियों की सुन्नत है जैसा कि उमर बिन

ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी बेटी हज़रत हफ़्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के बेवा हो जाने के बाद ख़ुद अपनी तरफ़ से सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु और उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु से उनके निकाह की पेशकश की थी। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

اِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ

हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम ने दोनों लड़कियों में से किसी को मुतैयन करके बातचीत नहीं फ़रमाई बल्कि इसको छुपाकर रखा कि उनमें से किसी एक को आपके निकाह में देने का इरादा है, मगर चूँकि यह बातचीत बाक़ायदा निकाह के बन्धन की गुफ़्तगू न थी जिसमें ईजाब व क़ुबूल गवाहों के सामने होना शर्त है बल्कि मामले की बातचीत थी कि आपको आठ साल की नौकरी इस निकाह के बदले में मन्ज़ूर हो तो हम निकाह कर देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर समझौता कर लिया। आगे यह ख़ुद-ब-ख़ुद ज़ाहिर है कि बाक़ायदा निकाह किया गया होगा। और क़ुरआने करीम उमूमन क़िस्से के उन हिस्सों को ज़िक्र नहीं करता जिनका होना आगे-पीछे के मज़मून से ज़ाहिर और यक़ीनी हो। इस तहक़ीक़ की बिना पर यहाँ यह शुब्हा नहीं हो सकता कि निकाह में आने वाली औरत को मुतैयन किये बग़ैर निकाह कैसे हो गया, या गवाहों के बग़ैर कैसे हो गया।

(रूहुल-मआनी व बयानुल-क़ुरआन)

عَلٰٓى اَنْ تَاْجُرَنِىْ ثَمٰنِىَ حِجَجٍ

यह आठ साल की नौकरी व ख़िदमत निकाह का मेहर क़रार दिया गया इसमें फ़ुक़हा हज़रात का मतभेद है कि शौहर अपनी बीवी की ख़िदमत व नौकरी को उसका मेहर क़रार दे सकता है या नहीं? इसकी मुकम्मल तहक़ीक़ मय दलीलों के तफ़सीर अहकामुल-क़ुरआन की सूरः क़सस में तफ़सील से लिख दी गई है, यह तफ़सीर अरबी भाषा में है, उलेमा हज़रात देख सकते हैं, अवाम के लिये इतना समझ लेना काफ़ी है कि अगर यह मामला मेहर का शरीअ़ते मुहम्मदिया के लिहाज़ से दुरुस्त न हो तो हो सकता है कि शुऐब अलैहिस्सलाम की शरीअ़त में दुरुस्त हो, और अम्बिया की शरीअ़तों में ऐसे आंशिक और ऊपर के अहकाम में फ़र्क़ होना शरई वज़ाहतों से साबित है।

इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रह. से ज़ाहिरुर्रिवायत में यही सूरत मन्क़ूल है कि बीवी की ख़िदमत को मेहर नहीं बनाया जा सकता, मगर एक रिवायत जिस पर बाद के उलेमा ने फ़तवा दिया है यह है कि ख़ुद बीवी की ख़िदमत को मेहर बनाना तो शौहर की इज़्ज़त व वक़ार के ख़िलाफ़ है मगर बीवी का कोई ऐसा काम जो घर से बाहर किया जाता है जैसे मवेशी चराना या कोई तिजारत करना अगर इसमें उजरत की शर्तों के मुताबिक़ मुद्दत मुक़र्रर कर दी गई हो जैसा कि इस वाक़िए में आठ साल की मुद्दत निर्धारित है तो इसकी सूरत यह होगी कि उस मुद्दत की नौकरी की तन्ख़्वाह जो बीवी के ज़िम्मे लाज़िम हो तो उस तन्ख़्वाह को मेहर क़रार देना जायज़ है (जैसा कि 'अल्-बदाये' में इसकी वज़ाहत है)।

हाँ! एक दूसरा सवाल यहाँ यह होता है कि मेहर तो बीवी का हक़ है, बीवी के बाप या किसी रिश्तेदार को बीवी की इजाज़त के बग़ैर मेहर की रक़म नक़द भी दे दी जाये तो मेहर अदा नहीं होता।

इस वाक़िए में "अन् ताजु-रनी" के अलफ़ाज़ इस पर गवाह हैं कि वालिद ने उनको अपने काम के लिये मुलाज़िम रखा तो मुलाज़मत का जो मुआवज़ा है वह वालिद को मिला, तो यह बीवी का मेहर कैसे बन गया? इसका जवाब यह है कि अव्वल तो यह भी मुम्किन है कि ये बकरियाँ लड़कियों ही की मिल्क हों और यह नौकरी का फ़ायदा इस हैसियत से ख़ुद लड़की को पहुँचा। दूसरे अगर बाप ही का काम अन्जाम दिया और उसकी तन्ख़्वाह वालिद के ज़िम्मे लाज़िम हुई तो यह माल लड़की का मेहर हो गया, लड़की की इजाज़त से वालिद को भी उसका इस्तेमाल दुरुस्त है। यहाँ ज़ाहिर है कि यह मामला लड़की की इजाज़त से हुआ है।

मसलाः लफ़्ज़ 'उन्कि-ह-क' (तुम्हारे साथ ब्याह दूँ) से साबित हुआ कि निकाह का मामला वालिद ने किया है, तमाम फ़ुक़हा की राय है कि ऐसा ही होना चाहिये कि लड़की का वली उसके निकाह के मामले की किफ़ालत करे, लड़की ख़ुद अपना निकाह न करे। यह दूसरी बात है कि किसी लड़की ने ख़ुद अपना निकाह किसी ज़रूरत व मजबूरी से कर लिया तो वह आयोजित हो जाता है या नहीं? इसमें फ़क़ीह इमामों का मतभेद है, इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रह. के नज़दीक निकाह हो जाता है और यह आयत इसके मुताल्लिक़ कोई फ़ैसला नहीं देती।

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖٓ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ۝ فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰٓى اِنِّيْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۭ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَاۗنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ۭ يٰمُوْسٰٓى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۣ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ۝ اُسْلُكْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاۗءَ مِنْ غَيْرِ سُوْۗءٍ ۡ وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ۝ وَاَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِيْٓ ۡ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ۝ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا ۚ بِاٰيٰتِنَآ ۚ اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ۝

फ़-लम्मा क़ज़ा मूसल्-अ-ज-ल व सा-र बि-अह्लिही आ-न-स मिन् जानिबित्-तूरि नारन् क़ा-ल लि-अह्लिहिम्कुसू इन्नी आनस्तु नारल्-लअ़ल्ली आतीकुम्-मिन्हा	फिर जब पूरी कर चुका मूसा वह मुद्दत और लेकर चला अपने घर वालों को देखी तूर पहाड़ की तरफ़ से एक आग, कहा अपने घर वालों को ठहरो मैंने देखी है एक आग शायद ले आऊँ तुम्हारे पास

बि-ख़-बरिन् औ जज़्वतिम् मिनन्नारि लअ़ल्लकुम् तस्तलून (29) फ़-लम्मा अताहा नूदि-य मिन् शातिइल्-वादिल्-ऐमनि फ़िल्-बुक़्अ़तिल्-मुबा-र-कति मिनश्श-ज-रति अंय्-या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल्-आ़लमीन (30) व अन् अल्कि अ़सा-क, फ़-लम्मा रआहा तह्तज़्ज़ु क-अन्नहा जान्नुंव्-वल्ला मुद्बिरंव्-व लम् यु-अ़क़्क़िब्, या मूसा अक़्बिल् व ला तख़ाफ़्, इन्न-क मिनल्-आमिनीन (31) उस्लुक् य-द-क फ़ी जैबि-क तख़्रुज् बैज़ा-अ मिन् ग़ैरि सूइंव्-वज़्मुम् इलै-क जना-ह-क मिनर्रह्बि फ़ज़ानि-क बुर्हानानि मिर्रब्बि-क इला फ़िर्औ़-न व म-लइही, इन्नहुम् कानू क़ौमन् फ़ासिक़ीन (32) क़ा-ल रब्बि इन्नी क़तल्तु मिन्हुम् नफ़्सन् फ़-अख़ाफ़ु अंय्यक़्तुलून (33) व अख़ी हारूनु हु-व अफ़्सहु मिन्नी लिसानन् फ़-अर्सिल्हु मअ़ि-य रिद्अंय्-युसद्दिक़ुनी इन्नी अख़ाफ़ु अंय्-युकज़्ज़िबून (34) क़ा-ल स-नशुद्दु अ़ज़ु-द-क बि-अख़ी-क व नज्अ़लु लकुमा सुल्तानन् फ़ला यसिलू-न

वहाँ की कुछ ख़बर या अंगारा आग का ताकि तुम तापो। (29) फिर जब पहुँचा उसके पास आवाज़ हुई मैदान के दाहिने किनारे से बरकत वाले तख़्ते में एक दरख़्त से कि ऐ मूसा मैं हूँ मैं अल्लाह जहान का रब। (30) और यह कि डाल दे अपनी लाठी, फिर जब देखा उसको फनफनाते जैसे साँप की सटक उल्टा फिरा मुँह मोड़कर और न देखा पीछे फिरकर, ऐ मूसा! आगे आ और मत डर तुझको कुछ ख़तरा नहीं। (31) डाल अपना हाथ अपने गिरेबान में निकल आये सफ़ेद होकर न कि किसी बुराई से और मिला ले अपनी तरफ़ अपना बाज़ू डर से, सो ये दो सनदें हैं तेरे रब की तरफ़ से फ़िरऔन और उसके सरदारों पर, बेशक वे थे नाफ़रमान लोग। (32) बोला ऐ रब! मैंने ख़ून किया है उनमें एक जान का सो डरता हूँ कि मुझको मार डालेंगे। (33) और मेरा भाई हारून उसकी ज़बान चलती है मुझसे ज़्यादा, सो उसको भेज मेरे साथ मदद को कि मेरी तस्दीक़ करे, मैं डरता हूँ कि मुझको झूठा करें। (34) फ़रमाया हम मज़बूत कर देंगे तेरे बाज़ू को तेरे भाई से और देंगे तुमको ग़लबा, फिर वे न पहुँच सकेंगे तुम तक, हमारी

इलैकुमा बिआयातिना अन्तुमा व मनित्त-ब-अकुमल्-ग़ालिबून (35)	निशानियों से तुम और जो तुम्हारे साथ हो ग़ालिब रहोगे। (35)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ग़र्ज़ कि जब मूसा (अ़लैहिस्सलाम) उस मुद्दत को पूरा कर चुके और (शुऐब अ़लैहिस्सलाम की इजाज़त से) अपनी बीवी को लेकर (मिस्र को या मुल्क शाम को) रवाना हुए तो (एक रात में ऐसा इत्तिफ़ाक़ हुआ कि सर्दी भी थी और राह भी भूल गये, उस वक़्त) उनको तूर पहाड़ की तरफ़ से एक (रोशनी) आग (की शक्ल में) दिखलाई दी। उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि तुम (यहीं) ठहरे रहो, मैंने एक आग देखी है (मैं वहाँ जाता हूँ) शायद मैं तुम्हारे पास वहाँ से (रास्ते की कुछ) ख़बर लाऊँ या कोई आग का (दहकता हुआ) अंगारा ले आऊँ, ताकि तुम सेंक लो। सो जब वह उस आग के पास पहुँचे तो उनको उस मैदान की दाहिनी ओर से (जो कि मूसा अ़लैहिस्सलाम की दाहिनी तरफ़ था) उस मुबारक मक़ाम में एक दरख़्त में से आवाज़ आई कि ऐ मूसा! मैं अल्लाह रब्बुल-आ़लमीन हूँ। और यह (भी आवाज़ आई) कि तुम अपनी लाठी डाल दो, (चुनाँचे उन्होंने डाल दी और वह साँप बनकर चलने लगी) सो उन्होंने जब उसको लहराता हुआ देखा जैसा पतला साँप (तेज़) होता है तो पीठ फेरकर भागे और पीछे मुड़कर भी न देखा। (हुक्म हुआ कि) ऐ मूसा! आगे आओ और डरो मत (तुम हर तरह) अमन में हो। (और यह कोई डर की बात नहीं बल्कि तुम्हारा मोजिज़ा है और दूसरा मोजिज़ा और इनायत होता है कि) तुम अपना हाथ गिरेबान के अन्दर डालो (और फिर निकालो) वह बिना किसी मर्ज़ के निहायत रोशन होकर निकलेगा। और (अगर लाठी की तरह शक्ल तब्दील हो जाने की वजह से इस मोजिज़े से भी तबई तौर पर ख़ौफ़ और हैरत पैदा हो तो) ख़ौफ़ (दूर करने) के वास्ते अपना (वह) हाथ (फिर) अपने (गिरेबान और बग़ल) से (पहले की तरह) मिला लेना (ताकि वह फिर असली हालत पर हो जाये, और फिर तबई ख़ौफ़ भी न हुआ करे)। सो ये (तुम्हारी नुबुव्वत की) दो सनदें (और दलीलें) हैं तुम्हारे रब की तरफ़ से, फ़िरऔ़न और उसके सरदारों के पास जाने के वास्ते, (जिसका तुमको हुक्म दिया जाता है क्योंकि) वे बड़े नाफ़रमान लोग हैं।

उन्होंने अ़र्ज़ किया कि ऐ मेरे रब! (मैं जाने के लिये हाज़िर हूँ मगर आपकी ख़ास इमदाद की ज़रूरत है, क्योंकि) मैंने उनमें से एक आदमी का ख़ून कर दिया था, सो मुझको अन्देशा है कि (कहीं पहले ही) वे लोग मुझको क़त्ल कर दें (तब्लीग़ भी न होने पाये), और (दूसरी बात यह है कि ज़बान भी ज़्यादा रवाँ नहीं है और) मेरे भाई हारून की ज़बान मुझसे ज़्यादा रवाँ है, तो उनको भी मेरा मददगार बनाकर मेरे साथ नुबुव्वत दे दीजिए कि (वह मेरी तक़रीर की ताईद और) तस्दीक़ (विस्तार और पूर्ण रूप से) करेंगे। (क्योंकि) मुझको अन्देशा है कि वे लोग (यानी फ़िरऔ़न और उसके दरबारी) मुझको झुठलाएँ (तो उस वक़्त मुनाज़रे की ज़रूरत होगी और ज़बानी मुनाज़रे के लिये आ़दतन वह आदमी ज़्यादा मुफ़ीद होता है जो रवाँ ज़बान वाला हो)। इरशाद हुआ कि (बेहतर है) हम अभी तुम्हारे भाई को तुम्हारे बाज़ू की क़ुव्वत बनाये देते हैं। (एक दरख़्वास्त तो यह मन्ज़ूर हुई) और (दूसरी

दरख़्वास्त की मन्ज़ूरी इस तरह हुई कि) हम तुम दोनों को एक ख़ास रौब व दबदबा (और हैबत) अ़ता करते हैं जिससे उन लोगों को तुम पर पहुँच और ताक़त न होगी। (पस) हमारे मोजिज़े लेकर जाओ तुम दोनों और जो तुम्हारी पैरवी करने वाला होगा (उन लोगों पर) ग़ालिब रहोगे।

मआ़रिफ़ व मसाईल

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ

यानी जब हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने नौकरी की निर्धारित मुद्दत पूरी कर दी जो आठ साल लाज़िमी और दो साल इख़्तियारी थे, सो यहाँ सवाल यह है कि मूसा अ़लैहिस्सलाम ने सिर्फ़ आठ साल पूरे किये या दस साल। सही बुख़ारी में है कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से यह सवाल किया गया तो उन्होंने फ़रमाया कि उन्होंने ज़्यादा मुद्दत यानी दस साल पूरे किये कि अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की यही शान है कि जो कुछ कहते हैं उसको पूरा करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की भी यही आ़दते शरीफ़ा थी कि हक़दार को उसके हक़ से ज़्यादा अदा फ़रमाते थे और उम्मत को इसी की हिदायत फ़रमाई है कि नौकरी, मज़दूरी और ख़रीद व फ़रोख़्त में नर्मी और ईसार (दूसरे के हक़ को तरजीह देने) से काम लिया जाये।

نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰٓى اِنِّيْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

यह मज़मून मूसा अ़लैहिस्सलाम के क़िस्से में सूरः तॉ-हा और सूरः नम्ल में गुज़रा है। सूरः तॉ-हा में है 'इन्नी अ-न रब्बु-क' और सूरः नम्ल में है 'नूदि-य अम्बूरि-क मन् फ़िन्नारि' और इस सूरत में है 'इन्नी अनल्लाहु रब्बुल-आ़लमीन'। ये अलफ़ाज़ अगरचे भिन्न और अलग-अलग हैं मगर मायने तक़रीबन एक ही हैं। वाक़िए का बयान हर मक़ाम के मुनासिब अलफ़ाज़ से किया गया है। और यह तजल्ली आग की शक्ल में मिसाली तजल्ली थी, क्योंकि ज़ाती तजल्ली का देखना इस दुनिया में किसी से नहीं हो सकता, और ख़ुद मूसा अ़लैहिस्सलाम को उस ज़ाती तजल्ली के एतिबार से "लन् तरानी" फ़रमाया गया है यानी आप मुझे नहीं देख सकते, मुराद अल्लाह की ज़ात को देखना है।

नेक अ़मल से जगह भी बरकत वाली हो जाती है

فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ

तूर पहाड़ के इस मक़ाम को क़ुरआने करीम ने बुक़अ़ा-ए-मुबारका फ़रमाया है, और ज़ाहिर यह है कि इसके मुबारक होने का सबब यह अल्लाह की तजल्ली है जो उस मक़ाम पर आग की शक्ल में दिखाई गई। इससे मालूम हुआ कि जिस जगह में कोई अहम नेक अ़मल वाक़े होता है वह जगह भी बरकत वाली हो जाती है।

वअ़ज़ व नसीहत में उम्दा कलाम और अच्छा अन्दाज़ मतलूब है

هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا

इससे मालूम हुआ कि वअ़ज़ व तब्लीग़ में उम्दा कलाम और संबोधन का मक़बूल अन्दाज़ व

तरीक़ा पसन्दीदा और अच्छा है। उसको हासिल करने की कोशिश करना भी बुरा नहीं।

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ

قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ۞ وَقَالَ مُوْسٰى رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ ۚ فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى ۙ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۞ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ ۞ فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ۞ وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ ۞ وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ۞

फ़-लम्मा जा-अहुम् मूसा बिआयातिना बय्यिनातिन् क़ालू मा हाज़ा इल्ला सिह़रुम्-मुफ़्तरंव्-व मा समिअ्ना बिहाज़ा फ़ी आबाइनल्-अव्वलीन (36) व क़ा-ल मूसा रब्बी अअ्लमु बिमन् जा-अ बिल्हुदा मिन् अिन्दिही व मन् तकूनु लहू आ़कि-बतुद्दारि, इन्नहू ला युफ़्लिहुज़्-ज़ालिमून (37) व क़ा-ल फ़िरऔ़नु या अय्युहल्-म-ल-उ मा अ़लिम्तु लकुम् मिन् इलाहिन् ग़ैरी फ़-औक़िद् ली या हामानु अ़लत्तीनि फ़ज्अ़ल्ली सर्हल्-लअ़ल्ली अत्तलिअु इला इलाहि मूसा व इन्नी ल-अज़ुन्नुहू मिनल्-काज़िबीन (38) वस्तक्ब-र हु-व व जुनूदुहू

फिर जब पहुँचा उनके पास मूसा लेकर हमारी निशानियाँ खुली हुई, बोले और कुछ नहीं यह जादू है बाँधा हुआ और हमने सुना नहीं यह अपने अगले बाप दादों में। (36) और कहा मूसा ने मेरा रब तो ख़ूब जानता है जो कोई लाया है हिदायत की बात उसके पास से और जिसको मिलेगा आख़िरत का घर, बेशक भला न होगा बेइन्साफ़ों का। (37) और बोला फ़िरऔ़न ऐ दरबार वालो! मुझको तो मालूम नहीं तुम्हारा कोई हाकिम हो मेरे सिवा, सो आग दे ऐ हामान! मेरे वास्ते गारे को फिर बना मेरे वास्ते एक महल ताकि मैं झाँक कर देख लूँ मूसा के रब को और मेरी अटकल में तो वह झूठा है। (38) और बड़ाई करने लगे वह और

फ़िल्-अर्ज़ि बिग़ैरिल्-हक़्क़ि व ज़न्नू अन्नहुम् इलैना ला युर्जअून (39) फ़-अख़ज़्नाहु व जुनू-दहू फ़-नबज़्नाहुम् फ़िल्यम्मि फ़न्ज़ुर् कै-फ़ का-न आक़ि-बतुज़्-ज़ालिमीन (40) व जअ़ल्नाहुम् अ-इम्म-तंय्यद्अू-न इलन्नारि व यौमल्-क़ियामति ला युन्सरून (41) व अत्बअ़्नाहुम् फ़ी हाज़िहिद्दुन्या लअ़्-नतन् व यौमल्-क़ियामति हुम् मिनल्-मक़्बूहीन (42) ❁

उसके लश्कर मुल्क में नाहक़ और समझे कि वे हमारी तरफ़ फिरकर न आयेंगे। (39) फिर पकड़ा हमने उसको और उसके लश्करों को, फिर फेंक दिया हमने उनको दरिया में, सो देख ले कैसा हुआ अन्जाम गुनाहगारों का। (40) और किया हमने उनको पेशवा (लीडर) कि बुलाते हैं दोज़ख़ की तरफ़ और क़ियामत के दिन उनको मदद न मिलेगी। (41) और पीछे रख दी हमने उन पर इस दुनिया में फटकार और क़ियामत के दिन उन पर बुराई है। (42) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ग़र्ज़ कि जब उन लोगों के पास मूसा (अ़लैहिस्सलाम) हमारी खुली दलीलें लेकर आये तो उन लोगों ने (मोजिज़ों को देखकर) कहा कि यह तो महज़ एक जादू है कि (ख़्वाह-मख़्वाह ख़ुदा तआ़ला पर) झूठ गढ़ा जाता है (कि यह उसकी जानिब से मोजिज़े और रिसालत की दलीलें हैं) और हमने ऐसी बात कभी नहीं सुनी कि हमारे अगले बाप-दादों के वक़्त में भी हुई हो। और मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने (इसके जवाब में) फ़रमाया कि (जब बावजूद सही दलीलें क़ायम होने के और इसमें कोई माक़ूल शुब्हा न निकाल सकने के बाद भी नहीं मानते तो यह हठधर्मी है और इसका आख़िर जवाब यही है कि) मेरा परवर्दिगार उस शख़्स को ख़ूब जानता है जो सही दीन उसके पास से लेकर आया है, और जिसका अन्जाम (यानी ख़ात्मा) इस आ़लम (दुनिया) से अच्छा होने वाला है। (और) यक़ीनन ज़ालिम लोग (जो कि हिदायत और सही दीन पर न हों) कभी फ़लाह न पाएँगे (क्योंकि उनका अन्जाम अच्छा न होगा। मतलब यह कि ख़ुदा को ख़ूब मालूम है कि हम में और तुम में कौन हिदायत वाला है और कौन ज़ालिम, और कौन अच्छे अन्जाम वाला है और कौन फ़लाह व कामयाबी से मेहरूम रहने वाला। पस हर एक की हालत और अन्जाम व फल का जल्द ही मरने के साथ ही ज़हूर हो जाएगा, अब नहीं मानते तुम जानो)।

और (मूसा अ़लैहिस्सलाम की दलीलें देख और सुनकर) फ़िरऔ़न (को अन्देशा हुआ कि कहीं हमारे मानने वाले उनकी तरफ़ माईल न हो जायें तो लोगों को जमा करके) कहने लगा कि ऐ दरबार वालो! मुझको तो तुम्हारा अपने सिवा कोई ख़ुदा मालूम नहीं होता (उसके बाद बात रलाने और धोखा देने के लिये अपने वज़ीर से कहा कि अगर इससे उन लोगों को इत्मीनान न हो तो) तो ऐ हामान!

तुम हमारे लिए मिट्टी (की ईंटें बनवाकर उन) को आग में पज़ावा लगवाकर पकवाओ फिर (उन पक्की ईंटों से) मेरे वास्ते एक बुलन्द इमारत बनवाओ ताकि (मैं उस पर चढ़कर) मूसा के ख़ुदा को देखूँ-भालूँ, और मैं तो (इस दावे में कि मेरे सिवा और कोई ख़ुदा है) मूसा को झूठा ही समझता हूँ। और फ़िरऔन और उसके ताबेदारों ने नाहक़ दुनिया में सर उठा रखा था और यूँ समझ रहे थे कि उनको हमारे पास लौटकर आना नहीं है, तो हमने (इस तकब्बुर की सज़ा में) उसको और उसके ताबेदारों को पकड़कर दरिया में फेंक दिया (यानी डुबो दिया), सो देखिए ज़ालिमों का अन्जाम कैसा हुआ (और मूसा अ़लैहिस्सलाम का क़ौल ज़ाहिर हो गया कि 'जिसको मिलेगा आख़िरत का घर, बेशक भला न होगा ज़ालिमों का') और हमने उन लोगों को ऐसा सरदार बनाया था जो (लोगों को) दोज़ख़ की तरफ़ बुलाते रहे और (इसी वास्ते) क़ियामत के दिन (ऐसे बेसहारा रह जाएँगे कि) कोई उनका साथ न देगा। और (ये लोग दोनों जहान में घाटे में रहे, चुनाँचे) दुनिया में भी हमने उनके पीछे लानत लगा दी और क़ियामत के दिन भी वे बदहाल लोगों में से होंगे।

मआ़रिफ़ व मसाईल

فَاَوْقِدْ لِىْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ

फ़िरऔन ने बहुत ऊँचा बुलन्द महल तैयार करने का इरादा किया तो अपने वज़ीर हामान को उसकी तैयारी के लिये पहले यह हुक्म दिया कि मिट्टी की ईंटों को पकाकर पुख़्ता किया जाये क्योंकि कच्ची ईंटों पर कोई बड़ी और ऊँची बुनियाद क़ायम नहीं हो सकती। कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि फ़िरऔन के इस वाक़िए से पहले पुख़्ता ईंटों की तामीर का रिवाज न था, सबसे पहले फ़िरऔन ने यह ईजाद की है। तारीख़ी रिवायतों में है कि हामान ने इस महल की तामीर के लिये पचास हज़ार राज मिस्त्री जमा किये, मज़दूर और लकड़ी लोहे का काम करने वाले उनके अ़लावा थे, और महल को इतना ऊँचा बनाया कि उस ज़माने में उससे ज़्यादा बुलन्द कोई इमारत नहीं थी। फिर जब यह तैयारी मुकम्मल हो गई तो अल्लाह तआ़ला ने जिब्रील को हुक्म दिया उन्होंने एक चोट में उस महल के तीन टुकड़े करके गिरा दिया जिसमें फ़िरऔनी फ़ौज के हज़ारों आदमी दबकर मर गये। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ

यानी फ़िरऔन के दरबारियों को अल्लाह तआ़ला ने उनकी क़ौम का पेशवा (लीडर) बना दिया था मगर ये ग़लत काम करने वाले पेशवा अपनी क़ौम को आग यानी जहन्नम की तरफ़ दावत दे रहे थे। यहाँ अक्सर मुफ़स्सिरीन ने आग की तरफ़ दावत देने को एक दूसरे मायने में इस्तेमाल करना क़रार दिया है कि आग से मुराद कुफ़्र के वो आमाल हैं जिनका नतीजा जहन्नम की आग में जाना था, मगर उस्ताद-ए-मोहतरम अपने ज़माने के बेमिसाल आ़लिम हज़रत मौलाना सैयद मुहम्मद अनवर शाह कशमीरी रह. की तहक़ीक़ अ़ल्लामा इब्ने अ़रबी की पैरवी करते हुए यह थी कि आख़िरत की जज़ा अ़मल ही हैं। इनसान के आमाल जो वह दुनिया में करता है बर्ज़ख़ फिर मेहशर में अपनी शक्लें बदलेंगे और माद्दी सूरतों में नेक आमाल गुल व गुलज़ार बनकर जन्नत की नेमतें बन जायेंगे और

कुफ़्र व ज़ुल्म के आमाल आग और साँप बिच्छुओं और तरह-तरह के अ़ज़ाबों की शक्ल इख़्तियार कर लेंगे, इसलिये जो शख़्स इस दुनिया में किसी को कुफ़्र व ज़ुल्म की तरफ़ बुला रहा है वह हक़ीक़त में उसको आग ही की तरफ़ बुला रहा है। अगरचे इस दुनिया में उसकी शक्ल आग की नहीं मगर हक़ीक़त उसकी आग ही है। इसी तरह आयत में कोई दूसरे मायने या मिसाल नहीं अपनी हक़ीक़त पर महमूल है। यह तहक़ीक़ इख़्तियार की जाये तो क़ुरआन की बेशुमार आयतों में असल मायनों के अ़लावा दूसरे मायने या तशबीह व मिसाल में लेने का तकल्लुफ़ नहीं करना पड़ेगा। जैसे ये आयतें:

وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا

(और जो कुछ उन्होंने किया वह मौजूद पायेंगे) और:

مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ

(और जो शख़्स दुनिया में ज़र्रा बराबर करेगा वह उसको देख लेगा) वग़ैरह।

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ○

मक़्बूहीन मक़बूह की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने हैं बिगड़ा हुआ। मुराद यह है कि क़ियामत के दिन उनके चेहरे मस्ख़ होकर (बिगड़कर) सियाह और आँखें नीली हो जायेंगी।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ

مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۞ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَآ اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ۞ وَلٰكِنَّآ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۙ وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ۞ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۞ وَلَوْلَآ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَآ اُوْتِيَ مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى ۚ اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوْا سِحْرٰنِ تَظٰهَرَا ۗ وَقَالُوْٓا اِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ ۞ قُلْ فَاْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَآ اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۞ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ ۚ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۞ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۞

व ल-क़द् आतैना मूसल्-किता-ब मिम्-बअ़्दि मा अह्लक्नल्-क़ुरूनल्-	और दी हमने मूसा को किताब उसके बाद कि हम ग़ारत कर चुके पहली

ऊला बसाइ-र लिन्नासि व हुदंव्-व रह्म-तल् लअ़ल्लहुम् य-तज़क्करून (43) व मा कुन्-त बिजानिबिल्-ग़र्बिय्यि इज़् क़ज़ैना इला मूसल्-अम्-र व मा कुन्-त मिनश्शाहिदीन (44) व लाकिन्ना अन्शअ्ना क़ुरूनन् फ़-तताव-ल अ़लैहिमुल्-अ़ुमुरु व मा कुन्-त सावियन् फ़ी अह्लि मद्-य-न तत्लू अ़लैहिम् आयातिना व लाकिन्ना कुन्ना मुर्सिलीन (45) व मा कुन्-त बिजानिबित्तूरि इज़् नादैना व लाकिर्-रह्मतम् मिर्रब्बि-क लितुन्ज़ि-र क़ौमम् मा अताहुम् मिन् नज़ीरिम् मिन् क़ब्लि-क लअ़ल्लहुम् य-तज़क्करून (46) व लौ ला अन् तुसी-बहुम् मुसीबतुम् बिमा क़द्दमत् ऐदीहिम् फ़-यक़ूलू रब्बना लौ ला अर्सल्-त इलैना रसूलन् फ़-नत्तबि-अ़ आयाति-क व नकू-न मिनल्-मुअ्मिनीन (47) फ़-लम्मा जा-अहुमुल्-हक़्क़ु मिन् अ़िन्दिना क़ालू लौ ला ऊति-य मिस्-ल मा ऊति-य मूसा, अ-व लम् यक्फ़ुरू बिमा ऊति-य मूसा मिन् क़ब्लु क़ालू सिह्रानि तज़ा-हरा, व

जमाअ़तों को सुझाने वाली लोगों को और राह बताने वाली और रहमत ताकि वे याद रखें। (43) और तू न था पश्चिम की तरफ़ जब हमने भेजा मूसा को हुक्म और न था तू देखने वाला। (44) लेकिन हमने पैदा कीं कई जमाअ़तें फिर लम्बी हुई उन पर मुद्दत और तू न रहता था मद्यन वालों में कि उनको सुनाता हमारी आयतें, पर हम रहे हैं रसूल भेजते। (45) और तू न था तूर के किनारे जब हमने आवाज़ दी लेकिन यह इनाम है तेरे रब का ताकि तू डर सुनाये उन लोगों को जिनके पास नहीं आया कोई डर सुनाने वाला तुझसे पहले ताकि वे याद रखें। (46) और इतनी बात के लिये कि कभी आन पड़े उन पर आफ़त उन कामों की वजह से जिनको भेज चुके हैं उनके हाथ, तो कहने लगें ऐ हमारे रब! क्यों न भेज दिया हमारे पास किसी को पैग़ाम देकर तो हम चलते तेरी बातों पर और होते ईमान वालों में। (47) फिर जब पहुँची उनको ठीक बात हमारे पास से कहने लगे क्यों न मिला इस रसूल को जैसा मिला था मूसा को, क्या अभी मुन्किर नहीं हो चुके उससे जो मूसा को मिला था इससे पहले, कहने लगे दोनों जादू हैं आपस में

क़ालू इन्ना बिकुल्लिन् काफ़िरून (48) क़ुल् फ़अ्तू बिकिताबिम् मिन् अिन्दिल्लाहि हु-व अह्दा मिन्हुमा अत्तबिअ्हु इन् कुन्तुम् सादिक़ीन (49) फ़-इल्लम् यस्तजीबू ल-क फ़अ्लम् अन्नमा यत्तबिअू-न अह्वा-अहुम्, व मन् अज़ल्लु मिम्-मनित्त-ब-अ हवाहु बिग़ैरि हुदम्-मिनल्लाहि, इन्नल्ला-ह ला यह्दिल् क़ौमज़्ज़ालिमीन (50) ✿ व ल-क़द् वस्सल्ना लहुमुल्-क़ौ-ल लअ़ल्लहुम् य-तज़क्करून (51)

मुवाफ़िक़, और कहने लगे हम दोनों को नहीं मानते। (48) तू कह- अब तुम लाओ कोई किताब अल्लाह के पास की जो इन दोनों से बेहतर हो कि मैं उस पर चलूँ, अगर तुम सच्चे हो। (49) फिर अगर न कर लायें तेरा कहा तो जान ले कि वे चलते हैं निरी अपनी इच्छाओं पर और उससे गुमराह ज़्यादा कौन जो चले अपनी इच्छा पर बिना राह बतलाये अल्लाह के, बेशक अल्लाह राह नहीं देता बेइन्साफ़ लोगों को। (50) ✿

और हम एक के बाद एक लगातार भेजते रहे हैं उनको अपने कलाम ताकि वे ध्यान में लायें। (51)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (रिसालत का सिलसिला मख़्लूक़ के सुधार की मोहताज होने के सबब हमेशा से चलता आया है चुनाँचे) हमने मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को (जिनका क़िस्सा अभी पढ़ चुके हो) अगली उम्मतों (यानी नूह की क़ौम और आ़द व समूद) के हलाक होने के बाद (जबकि उन ज़मानों के नबियों की तालीमात ख़त्म हो गई थीं और लोग हिदायत के सख़्त ज़रूरत मन्द थे) किताब (यानी तौरात) दी थी, जो लोगों के (यानी बनी इस्राईल) लिये अ़क्ल व हिक्मत की बातों का सबब और हिदायत और रहमत थी, ताकि वे (उससे) नसीहत हासिल करें। (हक़ के तालिब की पहले समझ दुरुस्त होती है यह बसीरत है, फिर अहकाम क़ुबूल करता है यह हिदायत है, फिर हिदायत का फल यानी अल्लाह की निकटता व क़ुबूलियत इनायत होती है, यह रहमत है)।

और (इसी तरह जब यह दौर भी ख़त्म हो चुका और लोग फिर नये सिरे से हिदायत के मोहताज हुए तो अल्लाह तआ़ला की जारी आ़दत के मुवाफ़िक़ हमने आपको रसूल बनाया जिसकी दलीलों में से एक यही मूसा अ़लैहिस्सलाम के वाक़िए की यक़ीनी ख़बर देना है, क्योंकि निश्चित ख़बर देने के लिये इल्म व जानकारी का कोई तरीक़ा और माध्यम ज़रूरी है और वह तरीक़ा सीमित है चार में, अ़क़्ली बातों में अ़क्ल, सो यह वाक़िआ़ अ़क़्ली बातों में से तो है नहीं, और नक़ल व रिवायत होने वाली बातें इल्म रखने वालों से सुनना जो कि दूसरा तरीक़ा है, सो यह भी ख़बर रखने वालों से

सुनने-सुनाने और पढ़ने-पढ़ाने और मेलजोल न रखने के सबब मौजूद नहीं है, और या अपना देखना और अनुभव करना जो कि तीसरा तरीक़ा है सो इसका न होना भी अच्छी तरह स्पष्ट है, चुनाँचे ज़ाहिर है कि) आप (तूर पहाड़ की) पश्चिमी ओर मौजूद न थे, जबकि हमने मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को अहकाम दिये थे (यानी तौरात दी थी) और (ख़ास वहाँ तो क्या मौजूद होते) आप (तो) उन लोगों में से (भी) न थे जो (उस ज़माने में) मौजूद थे। (पस अपनी आँखों से देखने और अनुभव करने का शुब्हा व गुमान भी न रहा) और लेकिन (बात यह है कि) हमने (मूसा अ़लैहिस्सलाम के बाद) बहुत-सी नस्लें पैदा कीं। फिर उन पर लम्बा ज़माना गुज़र गया (जिससे फिर सही उलूम गुम हो गये और फिर लोग हिदायत के मोहताज हुए, और अगरचे बीच-बीच में नबी आते रहे मगर उनके उलूम भी इस तरह ख़त्म और गुम हुए इसलिए हमारी रहमत का तक़ाज़ा हुआ कि हमने आपको वही व रिसालत से सम्मानित किया जो कि चौथा तरीक़ा है यक़ीनी ख़बर का, और दूसरे तरीक़े ज़न्नी और तख़्मीनी इल्म के हैं जो बहस ही से ख़ारिज हैं क्योंकि आपकी ये ख़बरें बिल्कुल यक़ीनी और निश्चित हैं। हासिल यह कि यक़ीनी इल्म के चार तरीक़े हैं और तीन मौजूद नहीं पस चौथा मुतैयन हो गया और यही दरकार है)।

और (जैसे आपने तौरात देने को नहीं देखा और सही व यक़ीनी ख़बर दे रहे हैं इसी तरह मूसा अ़लैहिस्सलाम के मद्यन में रहने और ठहरने को नहीं देखा, चुनाँचे ज़ाहिर है कि) आप मद्यन वालों में भी न रहते थे कि आप (वहाँ के हालात देखकर उन हालात के मुताल्लिक़) हमारी आयतें (अपने ज़माने के) इन लोगों को पढ़-पढ़कर सुना रहे हों, व लेकिन हम ही (आपको) रसूल बनाने वाले हैं (कि रसूल बनाकर ये वाक़िआ़त वही के ज़रिये बतला दिये)।

और (इसी तरह) आप तूर की (उक्त पश्चिमी) जानिब में उस वक़्त भी मौजूद न थे जब हमने (मूसा अ़लैहिस्सलाम को) पुकारा था (कि 'ऐ मूसा! बेशक मैं हूँ मैं अल्लाह रब्बुल-आ़लमीन और यह कि तुम अपनी लाठी डाल दो' जो कि उनको नुबुव्वत अ़ता होने का वक़्त था) और लेकिन (इसका इल्म भी इसी तरह हासिल हुआ कि) आप अपने रब की रहमत से नबी बनाये गये, ताकि आप ऐसे लोगों को डराएँ जिनके पास आप से पहले कोई डराने वाला (नबी) नहीं आया, क्या अ़जब है कि नसीहत क़ुबूल कर लें। (क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने के बल्कि उनके क़रीब ज़माने के बाप-दादा ने भी किसी नबी को नहीं देखा था अगरचे कुछ शरीअ़तें ख़ास तौर पर तौहीद वास्ते से उन तक भी पहुँची थी पस 'व लक़द् बअ़स्ना फ़ी कुल्लि उम्मतिर्रसूलन्' से टकराव न रहा) और (अगर ये लोग ज़रा ग़ौर करें तो समझ सकते हैं कि पैग़म्बर भेजने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं बल्कि इन्हीं लोगों का फ़ायदा है कि ये लोग अच्छे-बुरे पर अवगत होकर सज़ा व अ़ज़ाब से बच सकते हैं, वरना चीज़ों की अच्छाई-बुराई अ़क़्ल से मालूम हो सकती है उस पर बिना रसूल भेजे भी अ़ज़ाब होना मुम्किन था लेकिन उस वक़्त उनको एक तरह की हसरत होती कि हाय अगर रसूल आ जाता तो हमको ज़्यादा तंबीह हो जाती और इस मुसीबत में न पड़ते, इसलिए रसूल भी भेज दिया ताकि इस हसरत से बचना उनको आसान हो वरना हो सकता था कि) हम रसूल न भी भेजते अगर यह बात न होती कि उन पर उनके किरदारों के सबब (जो कि अ़क़्ल के एतिबार से बुरे हैं) कोई मुसीबत (दुनिया

या आख़िरत में) नाज़िल होती (जिसके बारे में उनको अ़क्ल के या फ़रिश्ते के ज़रिये से यक़ीन हो जाता कि यह आमाल की सज़ा है) तो यह कहने लगते कि ऐ हमारे रब! आपने हमारे पास कोई पैग़म्बर क्यों न भेजा, ताकि हम आपके अहकाम की पैरवी करते, और (उन अहकाम और रसूल पर) ईमान लाने वालों में होते।

(इस बात का तक़ाज़ा तो यह था कि रसूल के आने को ग़नीमत समझते और उसके दीने हक़ को क़ुबूल करते लेकिन उनकी यह हालत हुई कि) जब हमारी तरफ़ से उन लोगों के पास हक़ (यानी रसूले हक़ और दीने हक़) बात पहुँची तो (उसमें शुब्हा निकालने के लिये यूँ) कहने लगे कि इनको ऐसी किताब क्यों न मिली जैसी मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को मिली थी, (यानी क़ुरआन तौरात की तरह एक ही बार में क्यों न नाज़िल हुआ। आगे जवाब है कि) क्या जो किताब मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को मिली थी इससे पहले ये लोग उसके इनकार करने वाले नहीं हुए। (चुनाँचे ज़ाहिर है कि मुश्रिक लोग मूसा अ़लैहिस्सलाम और तौरात को भी न मानते थे क्योंकि वे सिरे से असल नुबुव्वत ही के इनकारी थे) ये लोग तो (क़ुरआन और तौरात दोनों के बारे में) यूँ कहते हैं कि दोनों जादू हैं जो एक-दूसरे के मुवाफ़िक़ "यानी अनुकूल" हैं। (यह इसलिये कहा कि शरई उसूलों में दोनों एक ही हैं) और यूँ भी कहते हैं कि हम तो दोनों में से किसी को भी नहीं मानते (चाहे यही इबारत उनका कहना हो और चाहे उनकी बातों से यह लाज़िम आता हो और चाहे एक ही साथ दोनों का इनकार किया हो या विभिन्न क़ौल जमा किये गये हों, तो इससे साफ़ मालूम होता है कि इस शुब्हे व एतिराज़ का मक़सद तौरात की तरह क़ुरआन के नाज़िल होने की हालत में इस पर ईमान लाने का इरादा नहीं बल्कि यह भी एक बहाना और शरारत है। आगे इसका जवाब है कि ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम!) आप कह दीजिये कि अच्छा तो (तौरात और क़ुरआन के अ़लावा) तुम कोई और किताब अल्लाह के पास से ले आओ जो हिदायत करने में इन दोनों से बेहतर हो, मैं उसी की पैरवी करने लगूँगा, अगर तुम (इस दावे में) सच्चे हो (कि 'ये दोनों जादू हैं जो एक दूसरे के मुवाफ़िक़ हैं' जिससे मक़सद इन दोनों किताबों का नऊज़ु बिल्लाह झूठा और ग़लत होना है। यानी असल मक़सद तो हक़ की पैरवी है पस अगर अल्लाह की किताबों को हक़ मानते हो तो इनकी पैरवी करो, क़ुरआन की तो पूरी तरह और तौरात की तौहीद और मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़ुशख़बरियाँ देने में, और अगर इनको हक़ नहीं मानते तो तुम कोई हक़ पेश करो और उसका हक़ होना साबित करो, जिसको 'अह्दा' होने से इसलिये ताबीर किया गया है कि हक़ से मक़सद उसका हिदायत का वसीला होना है। अगर फ़र्ज़ करो साबित कर दोगे तो मैं उसकी पैरवी कर लूँगा। ग़र्ज़ यह कि मैं हक़ साबित कर दूँ तो तुम उसकी पैरवी करो और अगर तुम हक़ साबित कर दो तो मैं पैरवी के लिये आमादा हूँ और चूँकि यहाँ शर्त लगाने के तौर पर उनकी लाई हुई हक़ बात की पैरवी की बात कही गयी है इसलिए अल्लाह की किताबों के अ़लावा की पैरवी करना लाज़िम नहीं आता) फिर (इस हुज्जत पेश करने के बाद) अगर ये लोग आपका (यह) कहना (कि 'तुम अल्लाह के पास से कोई किताब ले आओ' न कर सकें (और ज़ाहिर है कि न कर सकेंगे जैसा कि अल्लाह तआ़ला ने एक दूसरी जगह फ़रमाया है कि 'पस अगर वे न कर सकें, और वे हरगिज़ न कर सकेंगे' और फिर भी आपकी पैरवी न करें) तो आप

समझ लीजिये कि (इन सवालों का मन्शा कोई शुब्हे में पड़ना और हक़ की तलाश नहीं है बल्कि) ये लोग सिर्फ़ अपनी नफ़्सानी इच्छाओं पर चलते हैं (इनका नफ़्स कहता है कि जिस तरह बन पड़े इनकार ही करना चाहिए, बस ये ऐसा ही कर रहे हैं चाहे हक़ स्पष्ट भी हो जाये)।

और ऐसे शख़्स से ज़्यादा कौन गुमराह होगा जो अपनी नफ़्सानी इच्छा पर चलता हो बग़ैर इसके कि अल्लाह की जानिब से कोई दलील (उसके पास) हो, (और) अल्लाह तआला ऐसे ज़ालिम लोगों को (जो कि हक़ स्पष्ट हो जाने के बाद बिना किसी सही कारण के भी अपनी गुमराही से बाज़ न आयें) हिदायत नहीं किया करता (जिसका सबब उस शख़्स का ख़ुद अपने गुमराह रहने का इरादा करना है, और इरादे के बाद उसको वजूद में लाना आदत है अल्लाह तआला की, इसलिए ऐसा शख़्स हमेशा गुमराह रहता है। यहाँ तक तो उनके इस क़ौल का इल्ज़ामी जवाब था कि 'क्यों न मिला इस रसूल को जैसा मिला था मूसा को' और (आगे तहक़ीक़ी जवाब है जिसमें क़ुरआन के एक ही बार में नाज़िल न होने की हिक्मत बयान फ़रमाते हैं कि) हमने इस कलाम (यानी क़ुरआन) को उन लोगों के लिये वक़्त-वक़्त पर एक के बाद एक भेजा, ताकि ये लोग (बार-बार ताज़ा-बताज़ा सुनने से) नसीहत मानें। (यानी हम तो एक ही बार में भेजने पर भी क़ादिर हैं मगर इन्हीं की मस्लेहत से थोड़ा-थोड़ा नाज़िल करते हैं, फिर अंधेर है कि अपनी ही मस्लेहत की मुख़ालफ़त करते हैं)।

मआरिफ़ व मसाईल

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ

'क़ुरूने ऊला' से हज़रत नूह, हज़रत हूद और हज़रत सालेह अ़लैहिमुस्सलाम की क़ौमें मुराद हैं जो मूसा अ़लैहिस्सलाम से पहले अपनी सरकशी की वजह से हलाक की गई थीं, और 'बसाइर' बसीरत की जमा (बहुवचन) है जिसके लफ़्ज़ी मायने तो अ़क़्ल व समझ के हैं। मुराद इससे वह नूर है जो अल्लाह तआला इनसानों के दिलों में पैदा फ़रमाते हैं जिनसे वे चीज़ों की हक़ीक़त को देख सकें और हक़ व बातिल का फ़र्क़ कर सकें। (तफ़सीरे मज़हरी)

بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ

'बसाइ-र लिन्नासि' में अगर लफ़्ज़ नास से मुराद हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम की उम्मत है तो बात साफ़ है, उस उम्मत के लिये किताब तौरात ही समझ व दानाई का मजमूआ थी। और अगर लफ़्ज़ नास से तमाम इनसान मुराद हैं जिनमें उम्मते मुहम्मदिया भी दाख़िल है तो यहाँ सवाल यह पैदा होगा कि उम्मते मुहम्मदिया के ज़माने में जो तौरात मौजूद है वह रद्दोबदल के ज़रिये अपनी असल हालत खो चुकी है तो उनके लिये इसका बसाइर कहना कैसे दुरुस्त होगा। और यह कि इससे तो यह लाज़िम आता है कि मुसलमानों को भी तौरात से फ़ायदा उठाना चाहिये हालाँकि हदीस में यह वाक़िआ मशहूर है कि हज़रत फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से इसकी इजाज़त तलब की कि वह तौरात में जो नसीहतें वग़ैरह हैं उनको पढ़ें ताकि उनके इल्म में तरक़्क़ी हो, इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ग़ुस्से व नाराज़गी के साथ

फ़रमाया कि अगर इस वक़्त मूसा अ़लैहिस्सलाम भी ज़िन्दा होते तो उनको भी मेरी ही पैरवी लाज़िम होती (जिसका हासिल यह होता है कि आपको सिर्फ़ मेरी तालीमात को देखना चाहिये तौरात व इन्जील का देखना आपके लिये दुरुस्त नहीं)। मगर इसके जवाब में यह कहा जा सकता है कि तौरात का जो उस वक़्त अहले किताब के पास नुस्ख़ा (प्रति) था वह रद्दोबदल शुदा था और ज़माना इस्लाम की शुरूआत का था जिसमें क़ुरआन के नाज़िल होने का सिलसिला जारी था, उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने क़ुरआन की मुकम्मल हिफ़ाज़त को सामने रखते हुए अपनी हदीसें लिखने से भी कुछ हज़रात को रोक दिया था कि ऐसा न हो कि लोग क़ुरआन के साथ हदीसों को जोड़ दें, इन हालात में किसी दूसरी मन्सूख़ (अ़मल के लिये ख़त्म) हो जाने वाली आसमानी किताब का पढ़ना पढ़ाना ज़ाहिर है कि एहतियात के ख़िलाफ़ था। इससे यह लाज़िम नहीं आता कि तौरात व इन्जील के मुताले और पढ़ने से बिल्कुल ही मना फ़रमाया गया है। इन किताबों के वो हिस्से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बारे में भविष्यवाणियों पर आधारित हैं उनका पढ़ना और नक़ल करना सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम से साबित और परिचित व मशहूर है, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम और कअ़बे अहबार इस मामले में सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, दूसरे सहाबा किराम ने भी उन पर एतिराज़ नहीं किया। इसलिये आयत का हासिल यह हो जायेगा कि तौरात व इन्जील में जो ग़ैर-तब्दील शुदा मज़ामीन अब भी मौजूद हैं और बिला शुब्हा 'बसाइर' (अ़क़्ल व समझ और नसीहत की बातें) हैं उनसे फ़ायदा उठाना दुरुस्त है, मगर ज़ाहिर है कि उनसे फ़ायदा सिर्फ़ ऐसे ही लोग उठा सकते हैं जो तब्दीली हुए और ग़ैर-तब्दीली हुए में फ़र्क़ कर सकें, और सही व ग़लत को पहचान सकें और वे माहिर उलेमा हो सकते हैं, अ़वाम को बेशक इससे बचना इसलिये ज़रूरी है कि वे किसी मुग़ालते (धोखे और ग़लत-फ़हमी) में न पड़ जायें, यही हुक्म उन तमाम किताबों का है जिनमें हक़ के साथ बातिल की मिलावट है कि अ़वाम को उनके पढ़ने से परहेज़ करना चाहिये, माहिर उलेमा देखें तो कोई हर्ज नहीं।

لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتٰهُم مِّن نَّذِيرٍ ٥

यहाँ इस क़ौम से अ़रब के लोग मुराद हैं जो हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम की औलाद में हैं और उनके बाद से ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने तक उनमें कोई पैग़म्बर न आया था, यही मज़मून सूरः यासीन में भी आने वाला है। इससे मालूम हुआ कि दूसरी जगह क़ुरआने करीम का यह इरशाद कि:

اِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ٥

"कि कोई उम्मत ऐसी नहीं जिसमें अल्लाह का कोई पैग़म्बर न आया" यह इस आयत के ख़िलाफ़ नहीं, क्योंकि इस आयत की मुराद यह है कि लम्बे ज़माने से हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम के बाद उनमें कोई नबी नहीं आया, मगर नबी व रसूल के आने से बिल्कुल ख़ाली यह उम्मत भी नहीं रही।

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ٥

वस्सल्ना तौसील से निकला है जिसके असली लुग़वी मायने रस्सी के तारों में और तार मिलाकर उसको मज़बूत करने के हैं। मुराद यह है कि क़ुरआने हकीम में हक़ तआ़ला ने लोगों की हिदायत का सिलसिला एक के बाद दूसरा जारी रखा और बहुत से नसीहत के मज़ामीन का बार-बार दोहराना भी किया गया ताकि सुनने वाले मुतास्सिर हों।

तब्लीग़ व दावत के कुछ आदाब

इससे मालूम हुआ कि अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की तब्लीग़ का अहम पहलू यह था कि वे हक़ बात को लगातार कहते और पहुँचाते ही रहते थे। लोगों का इनकार और झुठलाना उनके अपने अ़मल और अपनी लगन में कोई रुकावट पैदा नहीं करता था बल्कि वे हक़ को अगर एक मर्तबा न माना गया तो दूसरी मर्तबा, फिर भी न माना गया तो तीसरी चौथी मर्तबा बराबर पेश करते ही रहते थे। किसी के दिल में डाल देना तो किसी नसीहत करने वाले हमदर्द के बस में नहीं मगर अपनी कोशिश को बग़ैर किसी थकान और उकताहट के जारी रखना जो उनके क़ब्ज़े में था, उसको वे लगातर अन्जाम देते। आज भी तब्लीग़ व दावत के काम करने वालों को इससे सबक़ लेना चाहिये।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ ۝

अल्लज़ी-न आतैनाहुमुल्-किता-ब मिन् क़ब्लिही हुम् बिही युअ्मिनून (52) ● व इज़ा युत्ला अ़लैहिम् क़ालू आमन्ना बिही इन्नहुल्-हक़्क़ु मिर्रब्बिना इन्ना कुन्ना मिन् क़ब्लिही मुस्लिमीन (53) उलाइ-क युअ्तौ-न अज्रहुम् मर्रतैनि बिमा स-बरू व यद्रऊ-न बिल्ह-स-नतिस्-सय्यि-अ-त व मिम्मा रज़क़्नाहुम् युन्फ़िक़ून (54) व इज़ा समिअुल्लग़्-व अअ्-रज़ू अ़न्हु

जिनको हमने दी है किताब इससे पहले वह इस पर यक़ीन करते हैं। (52) ● और जब उनको सुनाये तो कहें हम यक़ीन लायें इस पर यही है ठीक हमारे रब का भेजा हुआ, हम हैं इससे पहले के हुक्म मानने वाले। (53) वे लोग पायेंगे अपना सवाब दोहरा इस बात पर कि क़ायम रहे और भलाई करते हैं बुराई के जवाब में और हमारा दिया हुआ कुछ ख़र्च करते रहते हैं। (54) और जब सुनें निकम्मी बातें उससे किनारा करें और कहें

व क़ालू लना अअ्मालुना व लकुम् अअ्मालुकुम् सलामुन् अलैकुम् ला नब्तग़िल्-जाहिलीन (55)	हमको हमारे काम और तुमको तुम्हारे काम, सलामत रहो हमको नहीं चाहियें बेसमझ लोग। (55)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत उन ख़ुशख़बरियों से भी साबित है जिनकी उन उलेमा ने तस्दीक़ की है जिनको तौरात व इन्जील में उन ख़ुशख़बरियों का इल्म है। चुनाँचे) जिन लोगों को हमने क़ुरआन से पहले (आसमानी) किताबें दी हैं (उनमें जो इन्साफ़ पसन्द हैं) वे इस पर ईमान लाते हैं। और जब क़ुरआन उनके सामने पढ़ा जाता है तो कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाये, बेशक यह हक़ है (जो) हमारे रब की तरफ़ से (नाज़िल हुआ है, और) हम तो इस (के आने) से पहले भी (अपनी किताबों की ख़ुशख़बरियों की बिना पर) मानते थे। (अब इसके उतरने के बाद अपने उस मानने का नवीकरण करते हैं। यानी हम उन लोगों की तरह नहीं जो क़ुरआन के उतरने से पहले तो इसकी तस्दीक़ करते थे बल्कि इसके आने के मुन्तज़िर और उम्मीदवार थे मगर जब क़ुरआन आया तो इसके इनकारी हो गये। जैसा कि क़ुरआन में एक दूसरी जगह है: 'फ़लम्मा जाअहुम् मा अ़-रफ़ू क-फ़रू बिही' इससे साफ़ ज़ाहिर हो गया कि तौरात और इंजील की ख़ुशख़बरियों के मिस्दाक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ही थे जैसा कि सूरः शु-अरा के आख़िर में फ़रमाया है:

اَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ اٰيَةً اَنْ يَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ○

यहाँ तक नबी करीम सल्ल. की रिसालत पर बनी इस्राईल के उलेमा की गवाही का बयान हुआ आगे अहले किताब में से ईमान लाने वालों की फ़ज़ीलत का बयान है कि) उन लोगों को उनकी पुख़्तगी की वजह से दोहरा सवाब मिलेगा (क्योंकि वे पहली किताब पर ईमान रखने के वक़्त में भी क़ुरआन पर ईमान रखते थे और इसके नाज़िल होने के बाद भी इस पर क़ायम रहे और उस मानने को ताज़ा कर लिया। यह तो उनके एतिक़ाद और जज़ा का बयान था आगे आमाल व अख़्लाक़ का ज़िक्र है कि) और वे लोग नेकी (और संयम बरतने) से बुराई (और तकलीफ़) को दूर कर देते हैं, और हमने जो कुछ उनको दिया है उसमें से (अल्लाह तआला की राह में) ख़र्च करते हैं। और (जिस तरह ये लोग अमली तकलीफ़ों पर सब्र करते हैं इसी तरह) जब किसी से (अपने बारे में) कोई बेहूदा बात सुनते हैं (जो ज़बानी तकलीफ़ है) तो उसको (भी) टाल जाते हैं, और (सही चलन के तौर पर) कह देते हैं कि (हम कुछ जवाब नहीं देते) हमारा किया हमारे सामने आयेगा और तुम्हारा किया तुम्हारे सामने आयेगा। (भाई) हम तुमको सलाम करते हैं (हमको झगड़े से माफ़ रखो) हम बे-समझ लोगों से उलझना नहीं चाहते।

मआरिफ़ व मसाईल

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ۝

इस आयत में उन अहले किताब (ईसाईयों व यहूदियों) का ज़िक्र है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के तशरीफ़ लाने, नुबुव्वत और क़ुरआन के नाज़िल होने से पहले ही तौरात व इन्जील की दी हुई ख़ुशख़बरियों की बिना पर क़ुरआन के उतरने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के भेजे जाने पर यक़ीन रखते थे, फिर आप तशरीफ़ लाये तो अपने पहले के यक़ीन की बिना पर ईमान ले आये। हज़रत इब्ने अ़ब्बास से रिवायत है कि हब्शा के बादशाह नजाशी के दरबार में से चालीस आदमी मदीना तैयबा में उस वक़्त हाज़िर हुए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ग़ज़्वा-ए-ख़ैबर में मशग़ूल थे, ये लोग भी जिहाद में शरीक हो गये, बाज़ों को कुछ ज़ख़्म भी लगे मगर उनमें से कोई क़त्ल नहीं हुआ। उन्होंने जब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम की आर्थिक तंगी का हाल देखा तो आप से दरख़्वास्त की कि हम अल्लाह के फ़ज़्ल से मालदार और जायदाद वाले हैं, हम अपने मुल्क वापस जाकर सहाबा किराम के लिये माल इकट्ठा करके लायेंगे आप इजाज़त दे दें, इस पर यह आयत नाज़िल हुईः

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ۝ .... وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ۝ (اخرجه ابن مردويه والطبرانى فى الاوسط، مظهرى)

(यानी ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 52 से 54 तक) और हज़रत सईद बिन जुबैर रह. की रिवायत है कि हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु अपने साथियों के साथ जब मदीना की हिजरत से पहले हब्शा गये थे और नजाशी बादशाह के दरबार में इस्लाम की तालीमात पेश कीं तो नजाशी और उसके दरबार वाले जो अहले किताब थे और तौरात व इन्जील में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़ुशख़बरी और निशानियाँ देखे हुए थे उनके दिलों में उसी वक़्त अल्लाह तआ़ला ने ईमान डाल दिया। (तफ़सीरे मज़हरी)

लफ़्ज़ 'मुस्लिमीन' उम्मते मुहम्मदिया का मख़्सूस लक़ब है या तमाम उम्मतों के लिये आ़म है?

اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ۝

यानी इन अहले किताब (यहूदी व ईसाई हज़रात) ने कहा कि हम तो क़ुरआन के नाज़िल होने से पहले ही मुसलमान थे। यहाँ लफ़्ज़ **मुस्लिम** अगर अपने लुग़वी मायने में लिया जाये यानी आज्ञाकारी व फ़रमाँबरदार तो बात साफ़ है कि उनको जो यक़ीन क़ुरआन और आख़िरी ज़माने के नबी पर अपनी किताबों की वजह से हासिल था उस यक़ीन को लफ़्ज़ इस्लाम और **मुस्लिमीन** से ताबीर फ़रमाया, कि हम तो पहले ही से इसको मानते थे। और अगर लफ़्ज़ मुस्लिमीन इस जगह उस मायने

में लिया जाये जिसके लिहाज़ से उम्मते मुहम्मदिया का लक़ब मुस्लिमीन है तो इससे यह साबित होगा कि इस्लाम और मुस्लिमीन का लफ़्ज़ सिर्फ़ उम्मते मुहम्मदिया के लिये ख़ास नहीं बल्कि तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का दीन इस्लाम ही था और वे सब मुसलमान ही थे, मगर क़ुरआने करीम की कुछ आयतों से इस्लाम और मुस्लिमीन का इस उम्मत के लिये विशेष लक़ब होना मालूम होता है जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कौल ख़ुद क़ुरआन ने नक़ल किया है:

هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ

और अल्लामा सुयूती इसी ख़ुसूसियत के क़ायल हैं, और इस मज़मून पर उनका एक मुस्तक़िल रिसाला है, उनके नज़दीक इस आयत में मुस्लिमीन से मुराद यह है कि हम तो पहले ही से इस्लाम क़ुबूल करने के लिये तैयार थे। अगर ग़ौर किया जाये तो इन दोनों में कोई टकराव नहीं कि इस्लाम तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के दीन का संयुक्त नाम भी हो और इस उम्मत के लिये मख़्सूस लक़ब भी, क्योंकि यह हो सकता है कि इस्लाम अपने सिफ़ती मायने के एतिबार से सब में साझा हो मगर मुस्लिम का लक़ब सिर्फ़ इस उम्मत के लिये ख़ास हो, जैसे सिद्दीक़ और फ़ारूक़ वग़ैरह के अलक़ाब हैं जिनका ख़ास मिस्दाक़ इस उम्मत में अबू बक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा हैं, हालाँकि अपने मायने व सिफ़त के एतिबार से दूसरे हज़रात भी सिद्दीक़ और फ़ारूक़ हो सकते हैं। (मेरे ज़ेहन में तो यही आता है, वल्लाहु आलम)

اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ

यानी अहले किताब में के मोमिनों को दो मर्तबा अज्र दिया जायेगा। क़ुरआने करीम में इसी तरह का वादा नबी करीम की पाक बीवियों के बारे में भी आया है:

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ

(यानी दोहरे अज्र का, पारा बाईस की पहली आयत में) और सही बुख़ारी की एक हदीस में तीन शख़्सों के लिये दोहरे अज्र का ज़िक्र फ़रमाया है- एक वह अहले किताब जो पहले अपने पहले नबी पर ईमान लाया फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर, दूसरा वह शख़्स जो किसी का ममलूक ग़ुलाम हो और वह अपने आक़ा की भी इताअत व फ़रमाँबरदारी करता हो और अल्लाह और उसके रसूल की भी, तीसरा वह शख़्स जिसकी मिल्क में कोई बाँदी थी जिससे बिना निकाह के सोहबत उसके लिये हलाल थी उसने उसको अपनी ग़ुलामी से आज़ाद कर दिया फिर उसको निकाह में लाकर बीवी बना लिया।

यहाँ यह बात ध्यान देने के क़ाबिल है कि इन चन्द क़िस्मों को दो मर्तबा अज्र देने की वजह क्या है, अगर कहा जाये कि इन दोनों के दो अमल इस दोहरे अज्र का सबब हैं क्योंकि अहले किताब में के मोमिनों के दो अमल ये हैं कि पहले एक नबी और उसकी किताब पर ईमान लाये फिर दूसरे नबी और उसकी किताब पर, और नबी करीम की पाक बीवियों के दो अमल ये हैं कि वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की फ़रमाँबरदारी व मुहब्बत बहैसियत रसूल भी करती हैं और बहैसियत शौहर भी, और ममलूक ग़ुलाम के दो अमल उसकी दोहरी आज्ञाकारी व फ़रमाँबरदारी है अल्लाह व

रसूल की भी और आक़ा की भी, और बाँदी को आज़ाद करके उससे निकाह करने वाले का एक नेक अ़मल उसको आज़ाद करना दूसरे उसको निकाह में लाना है। मगर इस पर यह सवाल पैदा होता है कि दो अ़मल के दो अज्र होना तो अ़दल व इन्साफ़ का तकाज़ा होने की वजह से सब के लिये आ़म है इसमें अहले किताब में के मोमिनों या नबी करीम की पाक बीवियों वग़ैरह की क्या ख़ुसूसियत है, जो शख़्स भी दो अ़मल करेगा दो अज्र पायेगा? इस सवाल के जवाब की मुकम्मल तहक़ीक़ अहक़र ने अहकामुल-क़ुरआन सूरः क़सस में लिखी है, उसमें जो बात ख़ुद क़ुरआनी अलफ़ाज़ की दलालत से साबित होती है वह यह है कि इन तमाम क़िस्मों में मुराद सिर्फ़ दो अज्र नहीं, क्योंकि वह तो हर अ़मल करने वाले के लिये क़ुरआन का आ़म उसूल है। फ़रमायाः

لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم

यानी अल्लाह तआ़ला तुम में से किसी अ़मल करने वाले का अ़मल ज़ाया नहीं करता बल्कि वह जितने नेक अ़मल करेगा उसी के हिसाब से अज्र पायेगा। बल्कि इन ज़िक्र हुई क़िस्मों में दो अज्र से मुराद यह है कि उन लोगों को उनके हर अ़मल का दोहरा सवाब मिलेगा। हर नमाज़ पर उसका दोहरा, हर रोज़े पर उसका दोहरा, हर सदक़े और हज व उमरे पर उसका दोहरा सवाब पायेंगे। क़ुरआन के अलफ़ाज़ पर ग़ौर करें तो दो अज्र देने के लिये मुख़्तसर लफ़्ज़ **अजरैनि** का था मगर क़ुरआन ने इसको छोड़कर **अज्-र मर्रतैनि** का लफ़्ज़ इख़्तियार किया जिसमें साफ़ इशारा इसका पाया जाता है कि अज्-र मर्रतैनि से मुराद यह है कि उनका हर अ़मल दोबार लिखा जायेगा और हर अ़मल पर दोहरा सवाब मिलेगा।

रहा यह मामला कि उनकी इतनी बड़ी फ़ज़ीलत और ख़ुसूसियत का सबब क्या है तो इसका वाज़ेह जवाब यह है कि अल्लाह तआ़ला को इख़्तियार है कि किसी ख़ास अ़मल को दूसरे आमाल से अफ़ज़ल क़रार दे दे और उसका अज्र बढ़ा दे, किसी को इस सवाल का हक़ नहीं है कि रोज़े का सवाब अल्लाह तआ़ला ने इतना ज़्यादा क्यों कर दिया, ज़कात व सदक़े का क्यों ऐसा न किया? हो सकता है कि ये आमाल जिनका ज़िक्र उक्त आयतों और बुख़ारी की हदीस में है अल्लाह तआ़ला के नज़दीक इनका दर्जा दूसरे आमाल से एक हैसियत में बढ़ा हुआ हो, इस पर यह इनाम फ़रमाया। और कुछ बड़े उलेमा ने जो इसका सबब उन लोगों की दोहरी मशक़्क़त को क़रार दिया है वह भी अपनी जगह मुम्किन है और इसी आयत के आख़िर में लफ़्ज़ 'बिमा स-बरू' से इस पर दलील पकड़ी जा सकती है कि इस दोहरे अज्र का सबब उनका मशक़्क़त पर सब्र करना है। वल्लाहु आलम

وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ

यानी ये लोग बुराई को भलाई के ज़रिये दूर करते हैं। इस बुराई और भलाई की ताबीर में तफ़सीर के इमामों के बहुत से अक़वाल हैं। कुछ ने फ़रमाया कि भलाई से नेकी और बुराई से गुनाह व नाफ़रमानी मुराद है, क्योंकि नेकी बदी को मिटा देती है जैसा कि हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत मुआ़ज़ बिन जबल से फ़रमायाः

أَتْبِعِ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ تَمْحُهَا

यानी बदी और गुनाह के बाद नेकी करो तो वह गुनाह को मिटा देगी। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि हसना से मुराद इल्म व बरदाश्त और सय्यिआ से मुराद जहालत व ग़फ़लत है, यानी ये लोग दूसरों की जहालत का जवाब जहालत के बजाय बरदाश्त व बुर्दबारी से देते हैं और दर हक़ीक़त इन अक़वाल में कोई विरोधाभास नहीं, क्योंकि लफ़्ज़ हसना और सय्यिआ यानी भलाई और बुराई के अलफ़ाज़ इन सब चीज़ों को शामिल हैं।

इस आयत में दो अहम हिदायतें हैं

अव्वल यह कि अगर किसी शख़्स से कोई गुनाह हो जाये तो उसका इलाज यह है कि उसके बाद नेक अ़मल की फ़िक्र करे तो नेक अ़मल उस गुनाह का कफ़्फ़ारा (मिटाने वाला और बदला) हो जायेगा, जैसा कि हज़रत मुआ़ज़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु की हदीस के हवाले से ऊपर बयान हो चुका है। दूसरे यह कि जो शख़्स किसी के साथ ज़ुल्म और बुराई से पेश आये अगरचे शरीअ़त के क़ानून के एतिबार से उसको अपना बदला ले लेना जायज़ है बशर्तेकि बदला बराबर-सराबर हो कि जितना नुक़सान या तकलीफ़ उसको पहुँचाई है उतना ही यह अपने सामने वाले को पहुँचा दे, मगर बेहतर और अच्छा यह है कि बदला लेने के बजाय बुराई के बदले में भलाई और ज़ुल्म के बदले में एहसान करे, यह अच्छे अख़्लाक़ का आला दर्जा है, और दुनिया व आख़िरत में इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। क़ुरआने करीम की एक दूसरी आयत में यह हिदायत बहुत स्पष्ट अलफ़ाज़ में इस तरह आई है:

اِدْفَعْ بِالَّتِیْ ھِیَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِیْ بَیْنَكَ وَبَیْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِیٌّ حَمِیْمٌ○

यानी बुराई और ज़ुल्म को ऐसे तरीक़े से दूर करो जो कि बेहतर है (यानी ज़ुल्म के बदले में एहसान करो) तो जिस शख़्स के और तुम्हारे बीच दुश्मनी है वह तुम्हारा मुख़्लिस दोस्त बन जायेगा।

سَلٰمٌ عَلَیْكُمْ لَا نَبْتَغِی الْجٰهِلِیْنَ○

यानी उन लोगों की एक अच्छी ख़स्लत यह है कि जब ये किसी जाहिल दुश्मन से बेहूदा बात सुनते हैं तो उसका जवाब देने के बजाय यह कह देते हैं कि हमारा सलाम लो, हम जाहिल लोगों से उलझना पसन्द नहीं करते। इमाम जस्सास रह. ने फ़रमाया कि सलाम की दो क़िस्में हैं एक दुआ़ का सलाम जो मुसलमान आपस में एक दूसरे को करते हैं, दूसरा अलग होने और बेताल्लुक़ होने का सलाम, यानी अपने मुक़ाबिल को यह कह देना कि हम तुम्हारी बेहूदा और बेकार की बात का कोई बदला तुम से नहीं लेते, यहाँ सलाम से यही दूसरे मायने मुराद हैं।

اِنَّكَ لَا تَهْدِیْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ یَهْدِیْ مَنْ یَّشَآءُ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِیْنَ○

इन्न-क ला तह्दी मन् अह्बब्-त व लाकिन्नल्ला-ह यह्दी मंय्यशा-उ व हु-व अअ्लमु बिल्मुह्तदीन (56)	तू राह पर नहीं लाता जिसको चाहे पर अल्लाह राह पर लाये जिसको चाहे, और वही ख़ूब जानता है जो राह पर आयेंगे। (56)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

आप जिसको चाहें हिदायत नहीं कर सकते बल्कि अल्लाह जिसको चाहे हिदायत कर देता है (और हिदायत करने की क़ुदरत तो किसी को क्या होती अल्लाह के सिवा किसी को इसका इल्म तक भी नहीं कि कौन-कौन हिदायत पाने वाला है, बल्कि) हिदायत पाने वालों का इल्म उसी को है।

मआरिफ़ व मसाईल

लफ़्ज़ हिदायत कई मायनों के लिये इस्तेमाल होता है, एक मायने सिर्फ़ रास्ता दिखा देने के हैं, जिसके लिये ज़रूरी नहीं कि जिसको रास्ता दिखाया गया वह मन्ज़िले मक़सूद पर पहुँचे। और एक मायने हिदायत के यह भी आते हैं कि किसी को मन्ज़िले मक़सूद पर पहुँचा दिया जाये। पहले मायने के एतिबार से तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम बल्कि तमाम अम्बिया का हादी होना और यह हिदायत उनके इख़्तियार में होना ज़ाहिर है, क्योंकि यह हिदायत ही उनका फ़र्ज़े मन्सबी (कर्तव्य) है, अगर इसकी उनको क़ुदरत न हो तो रिसालत व नुबुव्वत का फ़रीज़ा कैसे अदा करें। इस आयत में जो आपका हिदायत पर क़ादिर न होना बयान फ़रमाया है इससे मुराद दूसरे मायने की हिदायत है, यानी मक़सूद पर पहुँचा देना। और मतलब यह है कि अपनी तब्लीग़ व तालीम के ज़रिये आप किसी के दिल में ईमान डाल दें, उसको मोमिन बना दें, यह आपका काम नहीं, यह तो डायरेक्ट हक़ तआ़ला के इख़्तियार में है। हिदायत के मायने और उसकी क़िस्मों की मुकम्मल तहक़ीक़ सूरः ब-क़रह के शुरू में गुज़र चुकी है।

सही मुस्लिम में है कि यह आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के चचा अबू तालिब के बारे में नाज़िल हुई है कि आपकी बड़ी तमन्ना यह थी कि वह किसी तरह ईमान क़ुबूल कर लें, इस पर आपको यह बताया गया किसी को मोमिन बना देना आपकी क़ुदरत में नहीं। तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में है कि अबू तालिब के ईमान व कुफ़्र के मामले में बेज़रूरत गुफ़्तगू और बहस व मुबाहसे से और उनको बुरा कहने से बचना चाहिये कि इससे आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तबई तकलीफ़ पहुँचने का संदेह व गुमान है। वल्लाहु आलम

وَقَالُوٓا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا ؕ اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا
يُّجْبٰٓى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۞ وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ
قَرْيَةٍۢ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا ۚ فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْۢ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا ؕ وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ ۞
وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِىْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِى
الْقُرٰٓى اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ ۞ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ
خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۞

व क़ालू इन् नत्तबिअ़िल्-हुदा म-अ़-क नु-तख़त्तफ़् मिन् अर्ज़िना, अ-व लम् नुमक्किल् लहुम् ह-रमन् आमिनंय्-युज्बा इलैहि स-मरातु कुल्लि शैइर्-रिज़्क़म् मिल्लदुन्ना व लाकिन्-न अक्स-रहुम् ला यअ़्लमून (57) व कम् अह्लक्ना मिन् क़र्-यतिम् बतिरत् मअ़ी-श-तहा फ़तिल्-क मसाकिनुहुम् लम् तुस्कम् मिम्-बअ़्दिहिम् इल्ला क़लीलन्, व कुन्ना नह्नुल्-वारिसीन (58) व मा का-न रब्बु-क मुह्लिकल्-क़ुरा हत्ता यब्अ़-स फ़ी उम्मिहा रसूलंय्-यत्लू अ़लैहिम् आयातिना व मा कुन्ना मुह्लिकिल्-क़ुरा इल्ला व अह्लुहा ज़ालिमून (59) व मा ऊतीतुम् मिन् शैइन् फ़-मताअ़ुल्-हयातिद्दुन्या व ज़ी-नतुहा व मा अ़िन्दल्लाहि ख़ैरुंव्-व अब्क़ा, अ-फ़ला तअ़्क़िलून (60) ❁

और कहने लगे अगर हम राह पर आयें तेरे साथ उचक लिये जायें अपने मुल्क से, क्या हमने जगह नहीं दी उनको इज़्ज़त वाले पनाह के मकान में, खिंचे चले आते हैं उसकी तरफ़ मेवे हर चीज़ के रोज़ी हमारी तरफ़ से पर बहुत उनमें समझ नहीं रखते। (57) और कितनी ग़ारत कर दीं हमने बस्तियाँ जो इतरा चली थीं अपनी गुज़रान में, अब ये हैं उनके घर आबाद नहीं हुए उनके पीछे मगर थोड़े, और हम हैं आख़िर को सब कुछ लेने वाले। (58) और तेरा रब नहीं ग़ारत करने वाला बस्तियों को जब तक न भेज ले उनकी बड़ी बस्ती में किसी को पैग़ाम देकर जो सुनाये उनको हमारी बातें और हम हरगिज़ नहीं ग़ारत करने वाले बस्तियों को मगर जबकि वहाँ के लोग गुनाहगार हों। (59) और जो तुमको मिली है कोई चीज़ सो फ़ायदा उठा लेना है दुनिया की ज़िन्दगी में और यहाँ की रौनक़ है, और जो अल्लाह के पास है सो बेहतर है और बाक़ी रहने वाला, क्या तुमको समझ नहीं। (60) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(ऊपर काफ़ी पीछे से काफ़िरों के ईमान न लाने का ज़िक्र चला आ रहा है, इन आयतों में उन रुकावटों का ज़िक्र है जो काफ़िरों को ईमान लाने की राह में बाधक समझी जाती थी, मसलन एक बाधा का बयान है कि) और ये लोग कहते हैं कि अगर हम आपके साथ होकर (इस दीन की) हिदायत पर चलने लगें तो फ़ौरन अपने स्थान से मारकर निकाल दिये जाएँ (कि वतन से निकलने का भी नुक़सान हो और रोज़गार की परेशानी अलग हो, लेकिन इस उज़्र का बातिल होना पूरी तरह

ज़ाहिर है) क्या हमने इनको अमन व शान्ति वाले हरम में जगह न दी, जहाँ हर क़िस्म के फल खिंचे चले आते हैं जो हमारे पास से (यानी हमारी क़ुदरत और हमारे देने से) खाने को मिलते हैं, (पस हरम होने की वजह से जिसका सब एहतिराम व सम्मान करते हैं नुक़सान पहुँचने का भी अन्देशा नहीं, और जब ये नुक़सान न रहा तो रोज़गार की दिक़्क़त आने की शंका भी जाती रही। पस उनको चाहिए था कि इस हालत को ग़नीमत समझते और इसको नेमत समझकर क़द्र करते और ईमान ले आते) व लेकिन उनमें अक्सर लोग (इसको) नहीं जानते (यानी इसका ख़्याल नहीं करते)।

और (एक सबब उनके ईमान न लाने का यह है कि ये अपनी आराम व ऐश की ज़िन्दगी पर इतरा रहे हैं लेकिन यह भी हिमाक़त है क्योंकि) हम बहुत-सी ऐसी बस्तियाँ हलाक कर चुके हैं जो अपने ऐश के सामान पर इतराते थे, सो (देख लो) ये उनके घर (तुम्हारी आँखों के सामने पड़े) हैं कि उनके बाद आबाद ही न हुए मगर थोड़ी देर के लिये (कि किसी मुसाफ़िर और आने-जाने वाले का उधर को इत्तिफ़ाक़न गुज़र हो जाये और वह थोड़ी देर वहाँ सुस्ताने को या तमाशा देखने को बैठ जाये या रात को रह जाये) और आख़िरकार (उनके इन सब सामानों के) हम ही मालिक रहे (कोई ज़ाहिरी वारिस भी उनका न हुआ)। और (एक शुब्हा उनको यह होता है कि अगर उन लोगों की हलाकत कुफ़्र की वजह से है तो हम मुद्दत से कुफ़्र करते आ रहे हैं हमको क्यों न हलाक किया, जैसा कि दूसरी आयतों में है:

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ٥

"कि यह वायदा कब आयेगा अगर तुम सच्चे हो" और इस शुब्हे की वजह से ईमान नहीं लाते सो इसका हल यह है कि) आपका रब बस्तियों को (पहली ही बार में) हलाक नहीं किया करता जब तक कि (बस्तियों) के मुख्य स्थान में किसी पैग़म्बर को न भेज ले, और (पैग़म्बर को भेजने के बाद भी फ़ौरन) हम उन बस्तियों को हलाक नहीं करते मगर उसी हालत में कि वहाँ के रहने वाले बहुत ही शरारत करने लगें। (यानी एक अच्छी-ख़ासी मुद्दत तक बार-बार के तवज्जोह और याद दिलाने से ध्यान न दें और सबक़ हासिल न करें तो उस वक़्त हलाक कर देते हैं। चुनाँचे जिन बस्तियों की हलाकत का ऊपर ज़िक्र था वो भी इसी क़ानून के मुवाफ़िक़ हलाक हुई सो इसी क़ानून के मुवाफ़िक़ तुम्हारे साथ मामला हो रहा है इसलिये न रसूल से पहले हलाक किया और न बाद रसूल के अभी तक हलाक किया मगर चन्द दिन गुज़रने दो, अगर तुम्हारा यही दुश्मनी व मुख़ालफ़त भरा रवैया रहा तो सज़ा होगी ही। चुनाँचे बदर वग़ैरह में हुई) और (एक वजह ईमान न लाने की यह है कि दुनिया नक़द है इसलिए पसन्दीदा और भली लगती है और आख़िरत उधार है इसलिए नापसन्दीदा है, पस दुनिया की दिलचस्पी से दिल ख़ाली नहीं होता कि इसमें आख़िरत की दिलचस्पी और रुचि समाये फिर उसके हासिल करने का तरीक़ा तलाश किया जाये जो ईमान है, सो इसके बारे में यह सुन लो कि) जो कुछ तुमको दिया-दिलाया गया है वह महज़ (चन्द दिन का) दुनियावी ज़िन्दगी के बरतने के लिये है, और यहीं की (रौनक़ व) ज़ीनत है (कि उम्र के ख़त्म होने के साथ इसका भी ख़ात्मा हो जाएगा) और जो (अज्र व सवाब) अल्लाह के यहाँ है वह इससे बहुत ज़्यादा (हालत में भी) बेहतर है और (मिक़्दार में

भी) ज़्यादा (यानी हमेशा) बाक़ी रहने वाला है। सो क्या तुम लोग (इस फ़र्क़ को या इस फ़र्क़ के तक़ाज़े को) नहीं समझते। (ग़र्ज़ कि तुम्हारे उज़्र, बहाने और कुफ़्र पर अड़े रहने के ये असबाब सब बिल्कुल बेबुनियाद और ग़लत हैं समझो और मानो)।

मआरिफ़ व मसाईल

وَقَالُوٓا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا

यानी मक्का के काफ़िरों हारिस बिन उस्मान वग़ैरह ने अपने ईमान न लाने की एक वजह यह बयान की कि अगरचे हम आपकी तालीमात को हक़ मानते हैं मगर हमें ख़तरा यह है कि अगर हम आपकी हिदायतों पर अ़मल करके आपके साथ हो जायें तो सारा अ़रब हमारा दुश्मन हो जायेगा और हमें हमारी मक्के की सरज़मीन से उचक लेगा। (नसाई वग़ैरह) क़ुरआने करीम ने उनके इस बेजान उज़्र के तीन जवाब दिये- अव्वल यह कि:

اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰٓى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَىْءٍ

यानी उनका यह उज़्र (और बहाना) इसलिये बातिल है कि अल्लाह तआ़ला ने ख़ुसूसियत के साथ मक्का वालों की हिफ़ाज़त का एक क़ुदरती सामान पहले से यह कर रखा है कि मक्का की ज़मीन को हरम बना दिया, और पूरे अ़रब के क़बीले कुफ़्र व शिर्क और आपसी दुश्मनियों के बावजूद इस पर सहमत थे कि हरमे मक्का की ज़मीन में क़त्ल व क़िताल सख़्त हराम है। हरम में बाप का क़ातिल बेटे को मिलता तो बदले के इन्तिहाई जोश के बावजूद किसी की यह मजाल न थी कि हरम के अन्दर अपने दुश्मन को क़त्ल कर दे, या उससे कोई बदला ले ले, इसलिये ईमान लाने में उनको यह ख़तरा महसूस करना किस क़द्र जहालत है कि जिस मालिक ने अपने रहम व करम से उनके कुफ़्र व शिर्क के बावजूद इस ज़मीन में अमन दे रखा है तो ईमान लाने की सूरत में वह उनको कैसे हलाक होने देगा। यहया बिन सलाम ने फ़रमाया कि आयत के मायने यह हैं कि तुम हरम की वजह से अमन में और महफ़ूज़ थे, मेरा दिया हुआ रिज़्क़ फ़राख़ी के साथ खा रहे थे और इबादत मेरे अ़लावा दूसरों की करते थे, अपनी इस हालत से तो तुम्हें ख़ौफ़ न हुआ उल्टा ख़ौफ़ अल्लाह पर ईमान लाने से हुआ। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

उक्त आयत में हरमे मक्का के दो वस्फ़ (ख़ूबी और गुण) बयान फ़रमाये हैं एक यह कि वह अमन की जगह है, दूसरे यह कि वहाँ दुनिया के चारों तरफ़ से हर चीज़ के फल (मेवे वग़ैरह) लाये जाते हैं ताकि मक्का के बाशिन्दे अपनी तमाम ज़रूरतें आसानी से पूरी कर सकें।

हरम-ए-मक्का में हर चीज़ के फलों का जमा होना अल्लाह की ख़ास निशानियों में से है

मक्का मुकर्रमा जिसको अल्लाह तआ़ला ने अपने घर के लिये सारी दुनिया में से चुना लिया एक

ऐसा मकाम है कि वहाँ दुनिया की रोज़ी और गुज़ारे की कोई चीज़ आसानी से न मिलनी चाहिये क्योंकि गेहूँ, चना, चावल वग़ैरह जो आम इनसानी ग़िज़ा है, इन चीज़ों की पैदावार भी वहाँ न होने के बराबर थी, फल और तरकारियों वग़ैरह का तो कहना क्या है, मगर ये सब चीज़ें जिस अधिकता के साथ मक्का मुकर्रमा में मिलती हैं अक़्ल हैरान रह जाती है कि हज के मौसम के मौक़े पर मक्का की दो तीन लाख की आबादी पर बारह पन्द्रह लाख मुसलमानों का इज़ाफ़ा हर साल हो जाता है जो औसतन दो ढाई महीने तक रहता है। कभी नहीं सुना गया कि उनमें से किसी को किसी ज़माने में ग़िज़ाई ज़रूरतें न मिली हों, बल्कि रात दिन के तमाम वक़्तों में तैयार शुदा ग़िज़ा हर वक़्त मिलते रहने को खुली आँखों हर शख़्स देखता है। और क़ुरआने करीम के लफ़्ज़ 'स-मरातु कुल्लि शैइन्' में ग़ौर करें तो यह सवाल पैदा होता है कि उर्फ़े आम के एतिबार से समरात (फलों) का ताल्लुक़ दरख़्तों के साथ है, इसका मकाम था कि 'समरातु कुल्ली श-जरिन्' फ़रमाया जाता, इसके बजाये 'स-मरातु कुल्लि शैइन्' फ़रमाते हैं, हो सकता है कि इशारा इस तरफ़ हो कि लफ़्ज़ समरात यहाँ सिर्फ़ फलों के मायने में नहीं बल्कि उमूमी तौर पर हासिल और पैदावार के मायने में है, मिलों और कारख़ानों की बनी हुई चीज़ें भी उनके समरात हैं, इस तरह हासिल इस आयत का यह होगा कि हरमे मक्का में सिर्फ़ खाने पीने ही की चीज़ें जमा नहीं होंगी बल्कि ज़िन्दगी की तमाम ज़रूरतें जमा कर दी जायेंगी जिसको खुली आँखों देखा जा रहा है, शायद दुनिया के किसी भी मुल्क में यह बात न हो कि हर मुल्क और हर ख़ित्ते की ग़िज़ायें और वहाँ की बनी हुई और निर्मित चीज़ें इस अधिकता के साथ वहाँ मिलती हों जैसी मक्का मुकर्रमा में मिलती हैं। यह तो मक्का के काफ़िरों के उज़्र का एक जवाब हुआ कि जिस मालिक ने तुम्हारी कुफ़्र व शिर्क की हालत में तुम पर ये इनामात बरसाये कि तुम्हारी ज़मीन को हर ख़तरे से अमन वाला व महफ़ूज़ कर दिया और इसके बावजूद कि इस ज़मीन में कोई चीज़ पैदा नहीं होती सारी दुनिया की पैदावार यहाँ लाकर जमा कर दी तो तुम्हारा यह ख़तरा कैसी बड़ी जहालत है कि ख़ालिके कायनात पर ईमान लाने की सूरत में तुम से ये नेमतें छीन ली जायेंगी। इसके बाद दूसरा जवाब इस उज़्र का यह है:

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ م بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا

जिसमें यह बतलाया गया है कि दुनिया की सारी काफ़िर क़ौमों के हालात पर नज़र डालो कि उनके कुफ़्र व शिर्क के वबाल से किस तरह उनकी बस्तियाँ तबाह हुईं और मज़बूत व स्थिर किले और हिफ़ाज़ती सामान सब ख़ाक में मिल गये, तो असल ख़ौफ़ की चीज़ कुफ़्र व शिर्क है जो तबाही व बरबादी का सबब होता है। तुम कैसे बेख़बर बेवक़ूफ़ हो कि कुफ़्र व शिर्क से ख़तरा महसूस नहीं करते, ईमान से ख़तरा महसूस करते हो।

तीसरा जवाब इस आयत में दिया गयाः

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا......... الآية

जिसमें यह बतलाया कि अगर फ़र्ज़ करो ईमान लाने के नतीजे में तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँच ही जाये तो वह चन्द दिन की है और जिस तरह दुनिया का ऐश व आराम माल व दौलत सब चन्द दिन

का सामान है किसी के पास हमेशा नहीं रहता इसी तरह यहाँ की तकलीफ़ भी चन्द दिन की है जल्द ख़त्म हो जाने वाली है, इसलिये अक़्लमन्द का काम यह है कि फ़िक्र उस तकलीफ़ व राहत की करे जो पायेदार और हमेशा रहने वाली है। हमेशा रहने वाली दौलत व नेमत की ख़ातिर चन्द दिन की तकलीफ़ व मशक़्क़त बरदाश्त कर लेना ही अक़्लमन्दी की दलील है।

لَمْ تُسْكَنْ مِّنْ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا

यानी पिछली क़ौमों की जिन बस्तियों को अल्लाह के अ़ज़ाब से बरबाद किया गया था, अब तक भी उनमें आबादी नहीं हुई सिवाय मामूली सी के। इस मामूली सी से मुराद अगर थोड़े से मक़ामात और स्थान लिये जायें जैसा कि ज़ुजाज का क़ौल है तो मतलब यह होगा कि उन तबाह हुई बस्तियों में कोई जगह और कोई मकान फिर आबाद नहीं हो सकता सिवाय थोड़े से हिस्से के, कि वो आबाद हुए। मगर हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से आयत की यह तफ़सीर मन्क़ूल है कि थोड़े से कहने से मक़ामात और मकानात को अलग नहीं रखा गया बल्कि ठहरने और रहने के वक़्त का अलग करना मुराद है, और मतलब यह है कि अगर उन बस्तियों में कोई रहता भी है तो बहुत थोड़ी देर के लिये जैसे कोई राहगीर मुसाफ़िर थोड़ी देर के लिये ठहर जाये जिसको बस्तियों का आबाद होना नहीं कहा जा सकता।

حَتّٰى يَبْعَثَ فِيْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا

लफ़्ज़ उम्म के मशहूर मायने वालिदा और माँ के हैं और माँ चूँकि इनसानी पैदाईश की बुनियाद है इसलिये लफ़्ज़ उम्म असल और बुनियाद के मायने में भी ख़ूब ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उम्मिहा (उनकी बड़ी) में उन से मुराद बस्तियाँ है, उम्मिहा से मुराद उम्मुल-क़ुरा है यानी बस्तियों की असल और मुखिया। मतलब यह है कि अल्लाह तआ़ला किसी क़ौम को उस वक़्त तक हलाक नहीं करते जब तक उस क़ौम के बड़े शहरों में अपने किसी रसूल के ज़रिये हक़ का पैग़ाम न पहुँचा दें, जब हक़ की दावत पहुँच जाये और लोग उसको क़ुबूल न करें उस वक़्त उन बस्तियों पर अ़ज़ाब आता है।

इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी और रसूल उमूमन बड़े शहरों में भेजे जाते हैं, वे छोटे क़सबों व देहात में नहीं आते, क्योंकि ऐसे क़सबे व देहात आ़दतन शहर के ताबे होते हैं अपनी आर्थिक ज़रूरतों में भी और तालीमी ज़रूरतों में भी। और शहर में जो बात फैल जाये उसका तज़किरा उससे मिले क़सबों व देहात में ख़ुद-ब-ख़ुद फैल जाता है, इसी लिये जब किसी बड़े शहर में रसूल भेजा गया और उसने हक़ की दावत पेश कर दी तो यह दावत उन क़सबों व देहात में भी आ़दतन पहुँच जाती है, इस तरह उन सब पर अल्लाह तआ़ला की हुज्जत पूरी हो जाती है और इनकार व झुठलाया जाये तो सब पर अ़ज़ाब आता है।

अहकाम व क़वानीन में क़सबे व देहात शहरों के अधीन होते हैं

इससे मालूम हुआ कि जैसे आर्थिक ज़रूरतों में छोटी बस्तियाँ बड़े शहर के ताबे होती हैं वहीं से उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं इसी तरह जब किसी हुक्म का ऐलान शहर में कर दिया जाये तो उस हुक्म की तामील उससे जुड़ी बस्तियों पर भी लाज़िम हो जाती है, न जानने या न सुनने का उज़्र

माननीय नहीं होता।

रमज़ान व ईद के चाँद के मसले में भी फ़ुक़हा ने यही फ़रमाया है कि एक शहर में अगर शरई गवाही के साथ क़ाज़ी-ए-शहर के हुक्म से चाँद का देखना साबित हो जाये तो आस-पास की बस्तियों को भी उस पर अ़मल करना लाज़िम है, लेकिन दूसरे शहर वालों पर उस वक़्त तक लाज़िम नहीं होगा जब तक ख़ुद उस शहर का क़ाज़ी गवाही को तस्लीम करके उसका हुक्म न दे। (फ़तावा ग़यासिया)

وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّأَبْقٰى.

यानी दुनिया का माल व असबाब और ऐश व आराम सब फ़ानी है और यहाँ के आमाल का जो बदला आख़िरत में मिलने वाला है वह यहाँ के माल व असबाब और ऐश व आराम से अपनी कैफ़ियत के एतिबार से भी बहुत बेहतर है कि दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी राहत व लज़्ज़त भी उसका मुक़ाबला नहीं कर सकती और फिर वह हमेशा बाक़ी रहने वाली भी है। बख़िलाफ़ दुनिया की माल व दौलत के कि वह कितनी ही बेहतर है मगर आख़िरकार फ़ानी और ख़त्म होने वाली है और यह ज़ाहिर है कि कोई अ़क़्लमन्द आदमी ऐसे ऐश को जो कम दर्जे का भी हो और चन्द दिन का भी उस ऐश व आराम पर तरजीह नहीं दे सकता जो राहत व लज़्ज़त से उससे ज़्यादा भी हो और हमेशा रहने वाला भी हो।

अ़क़्लमन्द कौन है?

अ़क़्लमन्द उसी को कहते हैं जो कि दुनिया के धंधों में ज़्यादा मशग़ूल न हो बल्कि आख़िरत की फ़िक्र में लगे। इमाम शाफ़ई रह. ने फ़रमाया कि अगर कोई शख़्स अपने माल व जायदाद के मुताल्लिक़ यह वसीयत करके मर जाये कि मेरा माल उस शख़्स को दे दिया जाये जो सबसे ज़्यादा अ़क़्लमन्द हो तो उस माल के ख़र्च करने की जगह व मौक़ा वे लोग होंगे जो अल्लाह तआ़ला की इबादत व फ़रमाँबरदारी में मशग़ूल हों, क्योंकि अ़क़्ल का तक़ाज़ा यही है और दुनिया वालों में सबसे ज़्यादा अ़क़्ल वाला वही है, यही मसला हनफ़ी फ़िक़्ह की मशहूर किताब दुर्रे मुख़्तार बाबे वसीयत में भी बयान हुआ है।

أَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ۝ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ
تَزْعُمُوْنَ ۝ قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ أَغْوَيْنَا ۚ أَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ تَبَرَّأْنَآ
إِلَيْكَ مَا كَانُوْٓا إِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ۝ وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ ۚ
لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ۝ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْۢبَآءُ
يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُوْنَ ۝ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰٓى أَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ۝

अ-फ़मंव्-वअ़द्नाहु वअ़्दन् ह-सनन् फ़हु-व लाक़ीहि कमम्-मत्तअ़्नाहु मताअ़ल्-हयातिद्दुन्या सुम्-म हु-व यौमल्-क़ियामति मिनल्-मुह्ज़रीन (61) व यौ-म युनादीहिम् फ़-यक़ूलु ऐ-न शु-रकाइ-यल्लज़ी-न कुन्तुम् तज़्अ़ुमून (62) क़ालल्लज़ी-न हक़्-क़ अ़लैहिमुल्-क़ौलु रब्बना हा-उलाइल्लज़ी-न अग़्वैना अग़्वैनाहुम् कमा ग़वैना तबर्रअ्ना इलै-क मा कानू इय्याना यअ़्बुदून (63) व क़ीलद्ऊ शु-रका-अकुम् फ़-दऔहुम् फ़-लम् यस्तजीबू लहुम् व र-अवुल्-अ़ज़ा-ब लौ अन्नहुम् कानू यह्तदून (64) व यौ-म युनादीहिम् फ़-यक़ूलु माज़ा अ-जब्तुमुल्-मुर्सलीन (65) फ़-अ़मियत् अ़लैहिमुल्-अम्बा-उ यौमइज़िन् फ़हुम् ला य-तसाअलून (66) फ़-अम्मा मन् ता-ब व आम-न व अ़मि-ल सालिहन् फ़-अ़सा अंय्यकू-न मिनल्-मुफ़्लिहीन (67)

भला एक शख़्स जिस से हमने वायदा किया है अच्छा वायदा सो वह उसको पाने वाला है, बराबर है उसके जिसको हमने फ़ायदा दिया दुनिया की ज़िन्दगी का फिर वह क़ियामत के दिन पकड़ा हुआ आया? (61) और जिस दिन उनको पुकारेगा तो कहेगा कहाँ हैं मेरे शरीक जिनका तुम दावा करते थे। (62) बोले जिन पर साबित हो चुकी बात ऐ रब! ये लोग हैं जिनको हमने बहकाया, उनको बहकाया जैसे हम ख़ुद बहके, हम मुन्किर हुए तेरे आगे वे हमको न पूजते थे। (63) और कहेंगे पुकारो अपने शरीकों को फिर पुकारेंगे उनको तो वे जवाब न देंगे उन को और देखेंगे अ़ज़ाब, किसी तरह वे राह पाये हुए होते। (64) और जिस दिन उनको पुकारेगा तो फ़रमायेगा क्या जवाब दिया था तुमने पैग़ाम पहुँचाने वालों को? (65) फिर बन्द हो जायेंगी उन पर बातें उस दिन सो वे आपस में भी न पूछेंगे। (66) सो जिसने कि तौबा की और यक़ीन लाया और अ़मल किये अच्छे सो उम्मीद है कि हो छूटने वालों में। (67)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

भला वह शख़्स जिससे हमने एक पसन्दीदा वायदा कर रखा है, फिर वह शख़्स उस (वायदे की चीज़) को पाने वाला है, क्या उस शख़्स के जैसा हो सकता है जिसको हमने दुनिया की ज़िन्दगी का चन्द दिन का फ़ायदा दे रखा है। फिर वह क़ियामत के दिन उन लोगों में से होगा जो गिरफ़्तार करके

लाये जाएँगे। (पहले शख़्स से मुराद मोमिन है जिससे जन्नत का वायदा है और दूसरे से मुराद काफ़िर जो मुजरिम होकर आयेगा, और चूँकि दुनिया की दौलत ही उन लोगों की भूल का सबब है इसलिये उसकी वज़ाहत फ़रमा दी, वरना उन दोनों का बराबर न होना तो दर असल इस वजह से है कि वे गिरफ़्तार करके हाज़िर किये जायेंगे, ये जन्नत की नेमतों से नवाज़े जायेंगे) और (आगे उस फ़र्क़ और हाज़िर करने के अन्दाज़ की तफ़सील है कि वह दिन याद करने के क़ाबिल है) जिस दिन अल्लाह उन काफ़िरों को (झिड़की के तौर पर) पुकार कर कहेगा कि वे मेरे शरीक कहाँ हैं जिनको तुम (हमारा शरीक) समझ रहे थे। (मुराद इससे शयातीन हैं कि उन्हीं की पूरी तरह मानने से शिर्क करते थे इसलिए उनको शरीक कहा, इसको सुनकर शयातीन) जिन पर (गुमराह करने की वजह से) ख़ुदा का फ़रमाया हुआ (यानी अ़ज़ाब का मुस्तहिक़ होना इस क़ौल से कि 'लाज़िमी तौर पर हम भर देंगे जहन्नम को ''नाफ़रमान'' जिन्नात और इनसानों से') साबित हो चुका होगा, वे (बतौर उज़्र और बहाने के तौर पर) बोल उठेंगे कि ऐ हमारे परवर्दिगार! बेशक ये वही लोग हैं जिनको हमने बहकाया, (यह जवाब की प्रारंभिका है। इस गुफ़्तगू और वाक़िए के बयान का ख़ुलासा इसलिए फ़रमाया गया कि जिनकी शफ़ाअ़त की उनको उम्मीद है वे और उल्टे उनके ख़िलाफ़ गवाही देंगे और आगे जवाब है कि हमने बहकाया तो ज़रूर लेकिन) हमने इनको वैसा ही (बिना किसी ज़ोर-ज़बरदस्ती के) बहकाया जैसा कि हम ख़ुद (बिना किसी ज़ोर-ज़बरदस्ती के) बहके थे, (यानी जिस तरह हम ख़ुद अपने इख़्तियार से गुमराह हुए किसी ने हमें मजबूर नहीं किया इसी तरह हमको इन पर ज़बरदस्ती का क़ब्ज़ा न था, हमारा काम सिर्फ़ बहकाना था फिर उसको उन्होंने अपनी राय और इख़्तियार से क़ुबूल कर लिया जैसा कि सूरः इब्राहीम में है:

وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ............ الاية

मतलब यह कि हम भी मुजरिम हैं मगर ये भी बरी नहीं) और हम आपकी मौजूदगी में इनके (ताल्लुक़ात) से अ़लैहदगी इख़्तियार करते हैं (और) ये लोग (दर हक़ीक़त सिर्फ़) हमको (ही) न पूजते थे। (यानी जब ये अपने इख़्तियार से बहके हैं तो ये अपनी इच्छा के पुजारी हुए न कि सिर्फ़ शैतान परस्त। इस सारी गुफ़्तगू से मक़सूद यह है कि जिनके भरोसे बैठे हैं वे क़ियामत के दिन इनसे हाथ खींच लेंगे) और (जब वे शरीक इस तरह इनसे बेज़ारी व बेरुख़ी करेंगे तो उस वक़्त उन मुश्रिकों से) कहा जायेगा कि (अब) अपने उन शरीकों को बुलाओ, चुनाँचे वे (हद से ज़्यादा हैरत से बेक़रारी के साथ) उनको पुकारेंगे, सो वे जवाब भी न देंगे। और (उस वक़्त) ये लोग (अपनी आँखों से) अ़ज़ाब को देख लेंगे, ऐ काश! ये लोग दुनिया में सही रास्ते पर होते (तो यह मुसीबत न देखते)। और जिस दिन उन काफ़िरों से पुकारकर पूछेगा कि तुमने पैग़म्बरों को क्या जवाब दिया था? सो उस दिन उन (के ज़ेहन) से सारे मज़ामीन गुम हो जाएँगे, तो वे (ख़ुद भी न समझ सकेंगे और) आपस में पूछताछ भी न कर सकेंगे। अलबत्ता जो शख़्स (कुफ़्र व शिर्क से दुनिया में) तौबा करे और ईमान ले आये और नेक काम किया करे तो ऐसे लोग उम्मीद है कि (आख़िरत में) कामयाबी पाने वालों में से होंगे (और इन आफ़तों से महफ़ूज़ रहेंगे)।

मआरिफ़ व मसाईल

मेहशर में काफ़िरों व मुश्रिकों से पहला सवाल शिर्क के बारे में होगा कि जिन शैतानों वग़ैरह को तुम हमारा शरीक कहा करते थे और उनका कहा मानते थे आज वे कहाँ हैं क्या वे तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं? इसके जवाब में ज़ाहिर यह था कि मुश्रिक लोग यह जवाब दें कि हमारा कोई क़ुसूर नहीं, हमने ख़ुद से शिर्क नहीं किया बल्कि हमें तो उन शैतानों ने बहकाया था। इसलिये अल्लाह तआ़ला ख़ुद उन शैतानों की ज़बानों से कहलवा देंगे कि हमने बहकाया ज़रूर था मगर मजबूर तो हमने नहीं किया। इसलिये मुजरिम हम भी हैं मगर जुर्म से बरी ये भी नहीं, क्योंकि जिस तरह हमने इनको बहकाया था उसके मुक़ाबले में अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम और उनके नायबों ने इनको हिदायत भी तो की थी और दलीलों के साथ इन पर हक़ स्पष्ट कर दिया था, इन्होंने अपने इख़्तियार से अम्बिया की बात न मानी हमारी मान ली, तो ये कैसे बरी हो सकते हैं। इससे मालूम हुआ कि जिस शख़्स के सामने हक़ की स्पष्ट दलीलें मौजूद हों और वह हक़ की तरफ़ दावत देने वालों के बजाय गुमराह करने वालों की बात मानकर गुमराही में पड़ जाये तो यह कोई मोतबर उ़ज़्र नहीं।

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ؕ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝٦٨ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۝٦٩ وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَ الْاٰخِرَةِ ؗ وَلَهُ الْحُكْمُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝٧٠ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ؕ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ۝٧١ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۝٧٢ وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝٧٣

व रब्बु-क यख़्लुक़ु मा यशा-उ व यख़्तारु, मा का-न लहुमुल् ख़ि-य-रतु, सुब्हानल्लाहि व तआ़ला अ़म्मा युश्रिकून (68) व रब्बु-क यअ़्लमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम् व मा युअ़्लिनून (69) व हुवल्लाहु ला इला-ह इल्ला हु-व, लहुल्-हम्दु फ़िल्-ऊला वल्-	और तेरा रब पैदा करता है जो चाहे और पसन्द करे जिसको चाहे उनके हाथ में नहीं पसन्द करना, अल्लाह निराला है और बहुत ऊपर है उस चीज़ से कि शरीक बतलाते हैं। (68) और तेरा रब जानता है जो छुप रहा है उनके सीनों में और जो कुछ कि ज़ाहिर में करते हैं। (69) और वही अल्लाह है किसी की बन्दगी नहीं

आख़िरति व लहुल्-हुक्मु व इलैहि तुर्जअून (70) क़ुल् अ-रऐतुम् इन् ज-अ़लल्लाहु अ़लैकुमुल्-लै-ल सर्-मदन् इला यौमिल्-क़ियामति मन् इलाहुन् ग़ैरुल्लाहि यअ्तीकुम् बिज़ियाइन्, अ-फ़ला तस्-मअ़ून (71) क़ुल् अ-रऐतुम् इन् ज-अ़लल्लाहु अ़लैकुमुन्नहा-र सर्-मदन् इला यौमिल्-क़ियामति मन् इलाहुन् ग़ैरुल्लाहि यअ्तीकुम् बिलैलिन् तस्कुनू-न फ़ीहि, अ-फ़ला तुब्सिरून (72) व मिर्रह्मतिही ज-अ़-ल लकुमुल्लै-ल वन्नहा-र लितस्कुनू फ़ीहि व लि-तब्तग़ू मिन् फ़ज़्लिही व लअ़ल्लकुम् तश्कुरून (73)

उसके सिवा, उसी की तारीफ़ है दुनिया और आख़िरत में और उसी के हाथ हुक्म है और उसी के पास फेरे जाओगे। (70) तू कह- देखो तो अगर अल्लाह रख दे तुम पर रात हमेशा को क़ियामत के दिन तक कौन हाकिम है अल्लाह के सिवाय कि लाये तुमको कहीं से रोशनी, फिर क्या तुम सुनते नहीं? (71) तू कह- देखो तो अगर रख दे अल्लाह तुम पर दिन हमेशा को क़ियामत के दिन तक कौन हाकिम है अल्लाह के सिवाय कि लाये तुमको रात जिसमें आराम करो, फिर क्या तुम नहीं देखते? (72) और अपनी मेहरबानी से बना दिये तुम्हारे वास्ते रात और दिन कि उसमें चैन भी करो और तलाश भी करो कुछ उसका फ़ज़्ल, और ताकि तुम शुक्र करो। (73)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और आपका रब (कमाल की सिफ़ात में बेमिसाल और अकेला है, चुनाँचे वह) जिस चीज़ को चाहता है पैदा करता है (तो तकवीनी 'यानी बिना असबाब के पैदा करने के' इख़्तियारात भी उसी को हासिल हैं) और जिस हुक्म को चाहता है पसन्द करता है। (और नबियों के ज़रिये से नाज़िल फ़रमाता है, पस शरई और क़ानूनी इख़्तियारात भी उसी को हासिल हैं) उन लोगों को (अहकाम) तजवीज़ करने का कोई हक़ (हासिल) नहीं (कि जो हुक्म चाहें तजवीज़ कर लें, जैसे ये मुश्रिक अपनी तरफ़ से शिर्क को जायज़ तजवीज़ कर रहे हैं, और इस ख़ुसूसी इख़्तियार से साबित हुआ कि) अल्लाह तआ़ला उनके शिर्क से पाक और बरतर है। (क्योंकि जब बनाने और क़ानून जारी करने और मुख़्तार होने में वह अकेला और तन्हा है तो इबादत का भी तन्हा वही मुस्तहिक़ है, क्योंकि माबूद होना सिर्फ़ उसका हक़ है जो बनाने और क़ानून जारी करने के दोनों इख़्तियार रखता हो) और आपका रब (ऐसा कामिल इल्म रखता है कि वह) सब चीज़ों की ख़बर रखता है, जो इनके दिलों में पोशीदा रहता है और जिसको ये ज़ाहिर करते हैं (और किसी का ऐसा इल्म भी नहीं, इससे भी उसका तन्हा और अकेला

होना साबित हुआ) और (आगे इसकी वज़ाहत है कि) अल्लाह तआ़ला वही (कामिल सिफ़ात वाला) है, उसके सिवा कोई माबूद (होने को क़ाबिल) नहीं, तारीफ़ (और प्रशंसा) के लायक़ दुनिया और आख़िरत में वही है (क्योंकि उसके इख़्तियारात और तसर्रुफ़ात दोनों आ़लम में ऐसे हैं जो उसके पूर्ण कमालात वाला और तारीफ़ का हक़दार होने पर गवाह व सुबूत हैं)।

और (उसके सल्तनत के इख़्तियारात ऐसे हैं कि) हुकूमत भी (क़ियामत में) उसी की होगी, और (उसकी ताक़त और सल्तनत का फैलाव ऐसा है) कि तुम सब उसी के पास लौटकर जाओगे (यह नहीं कि बच जाओ या और कहीं जाकर पनाह ले लो, और उसकी क़ुदरत के इज़हार के लिये) आप (उन लोगों से) कहिये कि भला यह तो बतलाओ कि अगर अल्लाह तआ़ला तुम पर हमेशा के लिये क़ियामत तक रात ही रहने दे तो ख़ुदा के सिवा वह कौन-सा माबूद है जो तुम्हारे लिये रोशनी को ले आये (पस क़ुदरत में भी वही अकेला है), तो क्या तुम (तौहीद की ऐसी साफ़ दलीलों को) सुनते नहीं। (और इसी क़ुदरत के इज़हार के लिये) आप (उनसे इसके उलट भी) कहिये कि भला यह तो बतलाओ कि अगर अल्लाह तआ़ला तुम पर हमेशा के लिये क़ियामत तक दिन ही रहने दे, तो ख़ुदा तआ़ला के सिवा वह कौन-सा माबूद है जो तुम्हारे लिये रात को ले आये, जिसमें तुम आराम पाओ। क्या तुम (इस क़ुदरत के गवाह को) देखते नहीं। (क़ुदरत में उसका अकेला और तन्हा होना भी इसको चाहता है कि माबूद होने में भी वही अकेला और तन्हा हो)। और (वह ऐसा नेमत देने वाला है कि) उसने अपनी रहमत से तुम्हारे लिये रात और दिन को बनाया, ताकि रात में आराम करो और ताकि दिन में उसकी रोज़ी तलाश करो, और ताकि (इन दोनों नेमतों पर) तुम (अल्लाह का) शुक्र करो (तो इनाम व एहसान में भी वही अकेला और तन्हा है, यह भी इसकी दलील है कि माबूद होने में भी वही अकेला और तन्हा हो)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ

इस आयत का एक मफ़्हूम (मतलब) तो वह है जो ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में लिया गया है कि यख़्तारु से मुराद अहकाम का इख़्तियार करना है कि हक़ तआ़ला जबकि कायनात के पैदा करने में तन्हा व अकेला है, कोई उसका साझी नहीं तो अहकाम के जारी व नाफ़िज़ करने में भी अकेला व तन्हा है, जो चाहे अपनी मख़्लूक़ में हुक्म नाफ़िज़ फ़रमाये। ख़ुलासा यह है कि जिस तरह कायनात के बनाने में अल्लाह तआ़ला का कोई शरीक नहीं उसी तरह क़ानून लागू करने में भी कोई शरीक नहीं। और इसका एक दूसरा मतलब वह है जो इमाम बग़वी रह. ने अपनी तफ़सीर में और अ़ल्लामा इब्ने क़य्यिम ने ज़ादुल-मआ़द के मुक़द्दिमे में बयान किया है कि इस इख़्तियार से मुराद यह है कि अल्लाह तआ़ला अपनी मख़्लूक़ में से जिसको चाहें अपने इकराम व इज़्ज़त देने के लिये चुन लेते हैं, और बक़ौल इमाम बग़वी यह जवाब है मक्का के मुश्रिकों के इस क़ौल का कि:

لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ O

यानी यह क़ुरआन अल्लाह को नाज़िल ही करना था तो अरब के दो बड़े शहरों मक्का और तायफ़ में से किसी बड़े आदमी पर नाज़िल फ़रमाता कि इसकी क़द्र व इज़्ज़त पहचानी जाती, एक यतीम मिस्कीन पर नाज़िल फ़रमाने में क्या हिक्मत थी? इसके जवाब में फ़रमाया कि जिस मालिक ने तमाम मख़्लूक़ात को बग़ैर किसी शरीक की इमदाद के पैदा फ़रमाया है इख़्तियार भी उसी को हासिल है कि अपने किसी ख़ास सम्मान के लिये अपनी मख़्लूक़ में से किसी को चुन ले, इसमें वह तुम्हारी तजवीज़ों का क्यों पाबन्द हो कि फ़ुलाँ इसका हक़दार है फ़ुलाँ नहीं।

एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर या एक शख़्स को दूसरे पर फ़ज़ीलत का सही मेयार अल्लाह का इख़्तियार है

हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम रह. ने इस आयत से एक अज़ीमुश्शान उसूल निकाला है कि दुनिया में जो एक जगह को दूसरी जगह पर या एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर फ़ज़ीलत दी जाती है यह उस चीज़ की मेहनत व अ़मल का नतीजा नहीं होता बल्कि वह डायरेक्ट ख़ालिक़े कायनात के चयन व इख़्तियार का नतीजा होता है। उसने सात आसमान पैदा किये उनमें से सबसे ऊपर वाले आसमान को दूसरों पर फ़ज़ीलत दे दी हालाँकि माद्दा सातों आसमानों का एक ही था, फिर उसने जन्नतुल-फ़िरदौस को दूसरी सब जन्नतों पर और जिब्रील व मीकाईल व इस्राफ़ील वग़ैरह ख़ास फ़रिश्तों को दूसरे फ़रिश्तों पर और अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम को दूसरे सारे इनसानों पर और उनमें से बड़े रुतबे वाले रसूलों को दूसरे नबियों पर और अपने ख़लील इब्राहीम और हबीब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को दूसरे सब बड़े रुतबे वाले रसूलों पर, फिर इस्माईल अ़लैहिस्सलाम की औलाद को दूसरी सारी दुनिया के लोगों पर, फिर क़ुरैश को उन सब पर, और बनू हाशिम को सब क़ुरैश पर और तमाम इनसानें के सरदार हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तमाम बनू हाशिम पर, फिर इसी तरह सहाबा किराम और उम्मत के दूसरे बुज़ुर्गों को दूसरों पर फ़ज़ीलत देना यह सब हक़ तआ़ला जल्ल शानुहू के चयन व इख़्तियार का नतीजा है।

इसी तरह ज़मीन के बहुत से मक़ामात (स्थानों और जगहों) को दूसरे मक़ामात पर और बहुत से दिनों और रातों को दूसरे दिनों और रातों पर फ़ज़ीलत देना यह सब उसी इख़्तियार और अल्लाह के चयन का असर है। ग़र्ज़ कि बेहतर व अफ़ज़ल होना या कम-दर्जे वाला होने का असल मेयार तमाम कायनात में यही चयन व इख़्तियार है, अलबत्ता अफ़ज़ल होने का एक दूसरा सबब इनसानी आमाल और काम भी होते हैं, और जिन मक़ामात में नेक आमाल किये जायें वो मक़ामात भी उन नेक आमाल या नेक बन्दों के रहने व ठहरने से बरकत वाले हो जाते हैं। यह फ़ज़ीलत कोशिश व इख़्तियार और नेक अ़मल से हासिल हो सकती है।

ख़ुलासा यह है कि दुनिया में फ़ज़ीलत की बुनियाद दो चीज़ें हैं एक ग़ैर-इख़्तियारी है जो सिर्फ़ हक़ तआ़ला का चुन लेना है, दूसरा इख़्तियारी जो नेक आमाल और अच्छे अख़्लाक़ से हासिल होता है। अ़ल्लामा इब्ने क़य्यिम रह. ने इस विषय पर बड़ा तफ़सीली कलाम किया है और आख़िर में सहाबा

किराम में से ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन का तमाम दूसरे सहाबा पर और ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन में सिद्दीके अकबर, उनके बाद उमर बिन ख़त्ताब, उनके बाद उस्मान ग़नी और उनके बाद हज़रत अ़ली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम की तरतीब को इन दोनों मेयारों से साबित किया है। हज़रत शाह अ़ब्दुल-अ़ज़ीज़ देहलवी रह. का भी एक मुस्तक़िल रिसाला फ़ारसी भाषा में इस विषय पर है जिसका उर्दू तर्जुमा अहक़र ने 'बअ़ज़ुत्तफ़सील लि-मस्अलतित्तफ़ज़ील' के नाम से छाप दिया है और 'अहकामुल-क़ुरआन' सूरः क़सस में भी इसको अ़रबी भाषा में तफ़सील से लिख दिया है। उलेमा हज़रात की दिलचस्पी की चीज़ है वहाँ मुताला फ़रमायें।

اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ○ قُلْ

اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ○

इस आयत में हक़ तआ़ला ने रात के साथ तो उसका एक फ़ायदा ज़िक्र फ़रमाया 'तस्कुनू-न फ़ीहि' यानी रात में इनसान को सुकून मिलता है, इसके मुक़ाबले दिन के ज़िक्र में 'रोशनी' के साथ कोई फ़ायदा ज़िक्र नहीं फ़रमाया। सबब ज़ाहिर है कि दिन की रोशनी अपनी ज़ात में अफ़ज़ल है और अंधेरी से रोशनी का बेहतर होना मालूम व परिचित है। रोशनी के बेशुमार फ़ायदे इतने परिचित हैं कि उनके बयान की ज़रूरत नहीं, बख़िलाफ़ रात के कि वह ज़ुल्मत और अंधेरी है जो अपनी ज़ात में कोई फ़ज़ीलत नहीं रखती बल्कि उसकी फ़ज़ीलत लोगों के सुकून व आराम के सबब से है, इसलिये उसको बयान फ़रमा दिया। और इसी लिये दिन के मामले का ज़िक्र करके आख़िर में फ़रमायाः

اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ○

(तो क्या तुम सुनते नहीं?) और रात का मामला ज़िक्र करके फ़रमायाः

اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ○

(फिर क्या तुम देखते नहीं?) इसमें यह इशारा हो सकता है कि दिन की फ़ज़ीलतें, बरकतें और उसके फ़ायदे व फल बेशुमार हैं जिनको पूरी तरह देखा नहीं जा सकता अलबत्ता सुने जा सकते हैं, इसलिये 'अ-फ़ला तस्मऊन' फ़रमाया, क्योंकि इनसानी इल्म व ज्ञान का बड़ा ज़ख़ीरा कानों ही के ज़रिये हासिल होता है, आँखों से देखी हुई चीज़ें हमेशा कानों से सुनी हुई चीज़ों से बहुत कम हुई हैं और रात के फ़ायदे दिन के मुक़ाबले में कम हैं, वो देखे भी जा सकते हैं इसलिये यहाँ "अ-फ़ला तुब्सिरून" का कलिमा इख़्तियार फ़रमाया। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ۞ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا

فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوْٓا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۞

व यौ-म युनादीहिम् फ़-यक़ूलु	और जिस दिन उनको पुकारेगा तो
ऐ-न शु-रकाइ-यल्लज़ी-न कुन्तुम्	फ़रमायेगा कहाँ हैं मेरे शरीक जिनका तुम

तज़्अुमून (74) व न-ज़अ़्ना मिन् कुल्लि उम्मतिन् शहीदन् फ़-क़ुल्ना हातू बुर्हा-नकुम् फ़-अ़लिमू अन्नल्-हक्-क़ लिल्लाहि व ज़ल्-ल अ़न्हुम् मा कानू यफ़्तरून (75) ✿

दावा करते थे? (74) और अलग कर देंगे हम हर फ़िर्क़े में से एक हालात बतलाने वाला, फिर कहेंगे लाओ अपनी सनद, तब जान लेंगे कि सच बात है अल्लाह की और खोई जायेंगी उनसे जो बातें वे जोड़ते थे। (75) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और जिस दिन अल्लाह तआ़ला उनको पुकारकर फ़रमायेगा (ताकि सब लोग उनकी रुस्वाई सुन लें) कि जिनको तुम मेरा शरीक समझते थे वे कहाँ गये। और (अगरचे हुज्जत पूरी करने के लिये ख़ुद इसका इक़रार काफ़ी था मगर अधिक ताकीद के लिये उन पर गवाही भी क़ायम कर दी जायेगी इस तरह कि) हम हर उम्मत में से एक-एक गवाह (भी) निकाल लाएँगे, (मुराद इससे नबी हैं जो उनके कुफ़्र की गवाही देंगे) फिर हम (उन मुश्रिकों से) कहेंगे कि (अब) अपनी कोई दलील (शिर्क के सही होने के दावे पर) पेश करो, सो (उस वक़्त) उनको (आँख से देखकर यक़ीनी तौर पर) मालूम हो जायेगा कि सच्ची बात ख़ुदा ही की थी (जो नबियों के ज़रिये बतलाई गई थी और शिर्क का दावा झूठा था) और (दुनिया में) जो कुछ बातें गढ़ा करते थे (आज) किसी का पता न रहेगा (क्योंकि हक़ के खुल जाने और सामने आने के लिये बातिल का ग़ायब हो जाना लाज़िम है)।

फ़ायदाः- इससे पहली आयत में जो सवाल 'मा ज़ा अजब्तुमुल्-मुर्सलीन' में किया गया (यानी आयत नम्बर 65 में कहा गया कि तुमने पैग़ाम पहुँचाने वालों को क्या जवाब दिया था) उसमें काफ़िरों से नबियों को जवाब देने के बारे में पूछगछ थी और यहाँ ख़ुद नबियों से गवाही दिलवाना मक़सद है, इसलिए सवाल को दोहराया नहीं गया।

إِنَّ قَارُونَ

كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ ۖ وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَآ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ
اُولِي الْقُوَّةِ ۚ اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ۝ وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ
الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ
فِي الْاَرْضِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ۝ قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِيْ ۭ اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ
اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّاَكْثَرُ جَمْعًا ۭ وَلَا يُسْـَٔلُ
عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۝ فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِيْ زِيْنَتِهٖ ۭ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ قَارُوْنُ ۙ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿۷۹﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ وَلَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ﴿۸۰﴾ فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ ۟ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴿۸۱﴾ وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ۚ لَوْلَآ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۗ وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۸۲﴾

इन्-न क़ारू-न का-न मिन् क़ौमि मूसा फ़-बग़ा अ़लैहिम् व आतैनाहु मिनल्-कुनूज़ि मा इन्-न मफ़ाति-हहू ल-तनूउ बिल्अुस्बति उलिल्-क़ुव्वति, इज़् क़ा-ल लहू क़ौमुहू ला तफ़रह् इन्नल्ला-ह ला युहिब्बुल्-फ़रिहीन (76) वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहुद्-दारल्-आख़िर-त व ला तन्-स नसी-ब-क मिनद्दुन्या व अह्सिन् कमा अह्स-नल्लाहु इलै-क व ला तब्ग़िल्-फ़सा-द फ़िल्अर्ज़ि, इन्नल्ला-ह ला युहिब्बुल्-मुफ़्सिदीन (77) क़ा-ल इन्नमा ऊतीतुहू अ़ला ज़िल्मिन् ज़िन्दी, अ-व लम् यअ़्लम् अन्नल्ला-ह क़द् अह्ल-क मिन् क़ब्लिही मिनल्-क़ुरूनि मन् हु-व अशद्दु मिन्हु क़ुव्वतंव्-व अक्सरु जम्अ़न्, व ला युस्अलु अ़न् ज़ुनूबिहिमुल्-मुज्रिमून (78) फ़-ख़-र-ज अ़ला क़ौमिही फ़ी

क़ारून जो था सो मूसा की क़ौम से फिर शरारत करने लगा उन पर और हम ने दिये थे उसको ख़ज़ाने इतने कि उसकी चाबियाँ उठाने से थक जाते कई ताक़वर मर्द, जब कहा उसको उसकी क़ौम ने इतरा मत अल्लाह को नहीं भाते इतराने वाले। (76) और जो तुझको अल्लाह ने दिया है उससे कमा ले पिछला घर और न भूल अपना हिस्सा दुनिया से, और भलाई कर जैसे अल्लाह ने भलाई की तुझसे और मत चाह ख़राबी डालनी मुल्क में, अल्लाह को भाते नहीं ख़राबी डालने वाले। (77) बोला यह माल तो मुझको मिला है एक हुनर से जो मेरे पास है, क्या उसने यह न जाना कि अल्लाह ग़ारत कर चुका है उससे पहले कितनी जमाअ़तें जो उससे ज़्यादा रखती थीं ज़ोर और ज़्यादा रखती थीं माल की जमा, और पूछे न जायें गुनाहगारों से उनके गुनाह। (78) फिर निकला अपनी क़ौम के सामने अपने ठाठ

ज़ी-नतिही, क़ालल्लज़ी-न युरीदूनल्-हयातद्दुन्या या लै-त लना मिस्-ल मा ऊति-य क़ारूनु इन्नहू लज़ू हज़्ज़िन् अ़ज़ीम (79) व क़ालल्लज़ी-न ऊतुल्-अ़िल्-म वैलकुम् सवाबुल्लाहि ख़ैरुल्-लिमन् आम-न व अ़मि-ल सालिहन् व ला युलक़्क़ाहा इल्लस्-साबिरून (80) फ़-ख़सफ़्ना बिही व बिदारिहिल्-अर्-ज़, फ़मा का-न लहू मिन् फ़ि-अतिंय्-यन्सुरूनहू मिन् दूनिल्लाहि, व मा का-न मिनल्-मुन्तसिरीन (81) व अस्बहल्लज़ी-न तमन्नौ मकानहू बिल्अम्सि यक़ूलू-न वै-क-अन्नल्ला-ह यब्सुतुर्-रिज़्-क़ लिमंय्यशा-उ मिन् अ़िबादिही व यक़्दिरु लौ ला अम्-मन्नल्लाहु अ़लैना ल-ख़-स-फ़ बिना, वै-क-अन्नहू ला युफ़्लिहुल्-काफ़िरून (82) ✿

से, कहने लगे जो लोग तालिब थे दुनिया की ज़िन्दगी के ऐ काश! हमको मिले जैसा कुछ मिला है क़ारून को, बेशक उसकी बड़ी क़िस्मत है। (79) और बोले जिनको मिली थी समझ ऐ ख़राबी तुम्हारी, अल्लाह का दिया सवाब बेहतर है उनके वास्ते जो यक़ीन लाये और काम किया भला और यह बात उन्हीं के दिल में पड़ती है जो सहने वाले हैं। (80) फिर धंसा दिया हमने उसको और उसके घर को ज़मीन में, फिर न हुई उसकी कोई जमाअ़त जो मदद करती उसकी अल्लाह के सिवाय और न वह ख़ुद मदद ला सका। (81) और फ़जर को लगे कहने जो कल शाम आरज़ू करते थे उसके जैसा दर्जा, अरे ख़राबी यह तो अल्लाह खोल देता है रोज़ी जिसको चाहे अपने बन्दों में और तंग कर देता है, अगर न एहसान करता हम पर अल्लाह तो हमको भी धंसा देता, ऐ ख़राबी यह तो छुटकारा नहीं पाते इनकारी। (82) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

क़ारून (का हाल देख लो कि कुफ़्र व ख़िलाफ़ करने से उसको क्या नुक़सान पहुँचा और उसका माल व सामान कुछ काम न आया बल्कि उसके साथ उसका माल व सामान भी बरबाद हो गया, उसका मुख़्तसर क़िस्सा यह है कि वह) मूसा (अ़लैहिस्सलाम) की बिरादरी में (यानी बनी इस्राईल में से बल्कि उनका चचाज़ाद भाई) था, (जैसा कि दुर्रे मन्सूर में है) सो वह (माल की ज़्यादती की वजह से) उन लोगों के मुक़ाबले में तकब्बुर करने लगा और (माल की उसके पास यह अधिकता थी कि) हमने उसको इस क़द्र ख़ज़ाने दिये थे कि उनकी चाबियाँ कई-कई ताक़तवर शख़्सों को बोझल कर देती थीं (यानी उनसे परेशानी व तकल्लुफ़ के साथ उठती थीं, तो जब चाबियाँ इतनी ज़्यादा थीं तो ज़ाहिर है

कि ख़ज़ाने बहुत ही होंगे। और यह तकब्बुर उस वक़्त किया था) जबकि उसको उसकी बिरादरी ने (समझाने के तौर पर) कहा कि तू (इस माल व शान पर) इतरा मत, वाक़ई अल्लाह तआ़ला इतराने वालों को पसन्द नहीं करता। और (यह भी कहा कि) तुझको ख़ुदा ने जितना दे रखा है उसमें आख़िरत के घर की भी जुस्तजू किया कर, और दुनिया से अपना हिस्सा (आख़िरत में ले जाना) मत भूल, और (जुस्तजू करने और न भूलने का मतलब यह है कि) जिस तरह ख़ुदा तआ़ला ने तेरे साथ एहसान किया तू भी (बन्दों के साथ) एहसान किया कर। और (ख़ुदा की नाफ़रमानी और वाजिब हुक़ूक़ को ज़ाया करके) दुनिया में फ़साद का इच्छुक मत हो, (यानी गुनाह करने से दुनिया में फ़साद होता है जैसा कि अल्लाह तआ़ला का क़ौल है:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

ख़ास तौर पर ऐसे गुनाहों से जिनका असर दूसरों तक पहुँचे) बेशक अल्लाह फ़सादियों को पसन्द नहीं करता। (ये सब नसीहत मुसलमानों की तरफ़ से हुई ग़ालिबन शुरू में ये मज़ामीन मूसा अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाये होंगे फिर इनको दोहराया दूसरे मुसलमानों ने होगा) क़ारून (यह सुनकर) कहने लगा कि मुझको तो यह सब कुछ मेरी ज़ाती हुनर मन्दी "यानी कमाल और योग्यता" से मिला है (यानी मैं दौलत कमाने के अनेक तरीक़े अच्छी तरह जानता हूँ उनसे मैंने यह सब जमा किया है, फिर मेरा बड़ाई जताना और अपने माल पर फ़ख़्र करना बेजा नहीं, और न इसको ग़ैबी एहसान कहा जा सकता है और न किसी का इसमें कुछ हक़-हिस्सा हो सकता है। आगे अल्लाह तआ़ला उसके इस क़ौल को रद्द फ़रमाते हैं कि) क्या उस (क़ारून) ने (निरंतर ख़बरों से) यह न जाना कि अल्लाह तआ़ला उससे पहले पिछली उम्मतों में ऐसे-ऐसों को हलाक कर चुका है जो (माली) ताक़त में (भी) उससे कहीं बढ़े हुए थे और मजमा (भी उससे) उनका ज़्यादा था। और (सिर्फ़ यही नहीं कि बस हलाक होकर छूट गये हों बल्कि उनके कुफ़्र व नाफ़रमानी का जुर्म करने और अल्लाह तआ़ला को यह जुर्म मालूम होने के सबब क़ियामत में भी अ़ज़ाब का शिकार होंगे जैसा कि वहाँ का क़ायदा है कि) मुजरिमों से उनके गुनाहों का (तहक़ीक़ करने की ग़र्ज़ से) सवाल न करना पड़ेगा (क्योंकि अल्लाह तआ़ला को यह सब मालूम है, यह अलग बात है डाँट-फटकार के लिये सवाल हो, जैसा कि अल्लाह तआ़ला का क़ौल है 'ल-नस्अलन्नहुम् अज्मईन' (कि हम उन सबसे पूछगछ करेंगे)।

मतलब यह कि अगर क़ारून इस मज़मून पर नज़र करता तो ऐसी जहालत की बात न कहता क्योंकि पिछली क़ौमों के अ़ज़ाब के हालात से अल्लाह तआ़ला की कामिल क़ुदरत और आख़िरत की पकड़ से उसी का अह्कमुल-हाकिमीन (तमाम हाकिमों से बड़ा हाकिम) होना ज़ाहिर है, फिर किसी को क्या हक़ है कि अल्लाह की नेमत को अपनी हुनरमन्दी का नतीजा बतलाये और वाजिब हुक़ूक़ से इनकार करे)।

फिर (एक बार ऐसा इत्तिफ़ाक़ हुआ कि) वह अपने ठाठ (और शान) से अपनी बिरादरी के सामने निकला। जो लोग (उसकी बिरादरी में) दुनिया के तालिब थे (अगरचे मोमिन हों जैसा कि उनके अगले क़ौल 'वैकअन्नल्ला-ह यब्सुतु............' से ज़ाहिरन मालूम होता है वे लोग) कहने लगे, क्या ख़ूब होता कि हमको भी वह साज़ो-सामान मिला होता जैसा कि क़ारून को मिला है। वाक़ई वह बड़ा नसीब

वाला है। (यह तमन्ना लालच व हिर्स की थी, इससे काफ़िर होना लाज़िम नहीं आता, जैसा कि अब भी बाज़े आदमी मुसलमान होने के बावजूद रात-दिन दूसरी क़ौमों की तरक़्क़ियाँ देखकर ललचाते हैं और इसकी फ़िक्र में लगे रहते हैं) और जिन लोगों को (दीन की) समझ अ़ता हुई थी वे (उन लालचियों से) कहने लगे, अरे तुम्हारा नास हो (तुम इस दुनिया पर क्या ललचाते हो) अल्लाह के घर का सवाब (इस दुनिया की शान-शौकत से) हज़ार दर्जे बेहतर है, जो ऐसे शख़्स को मिलता है कि ईमान लाये और नेक अ़मल करे, और (फिर ईमान और नेक अ़मल वालों में से भी) वह (सवाब पूरे तौर पर) उन्हीं को दिया जाता है जो (दुनिया की हिर्स व लालच से) सब्र करने वाले हैं (बस तुम लोग ईमान को मुकम्मल करने और नेक आमाल को हासिल करने में लगो और शरीअ़त की हद के अन्दर दुनिया हासिल करके ज़्यादा की हिर्स व लालच से सब्र करो)।

फिर हमने उस क़ारून को और उसके महल सराये को (उसकी शरारत बढ़ जाने से) ज़मीन में धंसा दिया, सो कोई ऐसी जमाअ़त न हुई जो उसको अल्लाह (के अ़ज़ाब) से बचा लेती (अगरचे वह बड़ी जमाअ़त वाला था), और न वह ख़ुद ही अपने को बचा सका। और कल (यानी पिछले क़रीबी ज़माने में) जो लोग उस जैसे होने की तमन्ना कर रहे थे वे (आज उसको ज़मीन में धंसता देखकर) कहने लगे, बस जी यूँ मालूम होता है कि (रिज़्क़ की अधिकता और तंगी का मदार ख़ुशनसीबी या बदनसीबी पर नहीं है बल्कि यह तो अल्लाह के फ़ैसले की हिक्मत से अल्लाह ही के क़ब्ज़े में है, बस) अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों में से जिसको चाहे ज़्यादा रोज़ी देता है और (जिसको चाहे) तंगी से देने लगता है। (यह हमारी ग़लती थी कि उसको ख़ुशनसीब समझते थे, हमारी तौबा है और वाक़ई) अगर हम पर अल्लाह तआ़ला की मेहरबानी न होती तो हमको भी धंसा देता (क्योंकि लालच और दुनिया की मुहब्बत का गुनाह करने के हम भी मुजरिम हुए थे) बस जी मालूम हुआ कि काफ़िरों को कामयाबी नहीं होती (अगरचे चन्द दिन मज़े लूट लें मगर अन्जाम फिर नाकामी है, बस असल कामयाबी व फ़लाह तो ईमान वालों ही के साथ मख़्सूस है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

सूरः क़सस के शुरू से यहाँ तक हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम का वह क़िस्सा बयान हुआ था जो उनको फ़िरऔ़न और आले फ़िरऔ़न के साथ पेश आया। यहाँ उनका दूसरा क़िस्सा बयान होता है जो अपनी बिरादरी के आदमी क़ारून के साथ पेश आया और संबन्ध इसका पहले की आयतों से यह है कि पिछली आयत में यह इरशाद हुआ था कि दुनिया की दौलत व माल जो तुम्हें दिया जाता है वह चन्द दिन का सामान है, इसकी मुहब्बत में लग जाना समझदारी नहीं।

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا.............. الاٰية

क़ारून के क़िस्से में यह बतलाया गया कि उसने माल व दौलत हासिल होने के बाद इस नसीहत को भुला दिया, उसके नशे में मस्त होकर अल्लाह तआ़ला की नाशुक्री भी की और माल पर जो ज़रूरी हुक़ूक़ अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से फ़र्ज़ हैं उनकी अदायेगी से इनकारी भी हो गया, जिसके

नतीजे में वह अपने ख़ज़ानों समेत ज़मीन के अन्दर धंसा दिया गया।

क़ारून एक ग़ैर-अ़रबी लफ़्ज़ ग़ालिबन इबरानी भाषा का है, इसके बारे में इतनी बात तो ख़ुद क़ुरआनी अलफ़ाज़ से साबित है कि यह हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम की बिरादरी बनी इस्राईल ही में से था, बाक़ी यह कि इसका रिश्ता हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम से क्या था इसमें विभिन्न अक़वाल हैं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की एक रिवायत में इसको हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम का चचाज़ाद भाई क़रार दिया है और भी कुछ अक़वाल हैं। (क़ुर्तुबी व रूहुल-मआ़नी)

तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में मुहम्मद बिन इस्हाक़ की रिवायत से नक़ल किया है कि क़ारून तौरात का हाफ़िज़ था और दूसरे बनी इस्राईल से ज़्यादा उसको तौरात याद थी, मगर सामरी की तरह मुनाफ़िक़ साबित हुआ और उसकी मुनाफ़क़त का सबब दुनिया के रुतबे व इ़ज़्ज़त की बेजा हिर्स थी। पूरे बनी इस्राईल की सरदारी हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को हासिल थी और उनके भाई हारून उनके वज़ीर और नुबुव्वत में शरीक थे, इसको यह हसद हुआ कि मैं भी तो उनकी बिरादरी का भाई और क़रीबी रिश्तेदार हूँ मेरा इस सरदारी व नेतृत्व में कोई हिस्सा क्यों नहीं। चुनाँचे मूसा अ़लैहिस्सलाम से इसकी शिकायत की, हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि यह जो कुछ है वह अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से है मेरा इसमें कुछ दख़ल नहीं, मगर वह इस पर मुत्मईन न हुआ और हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम से हसद (ईर्ष्या और जलन) रखने लगा।

فَبَغٰى عَلَيْهِمْ

लफ़्ज़ बग़्य कई मायनों के लिये आता है। मशहूर मायने ज़ुल्म के हैं, यहाँ यह मायने भी मुराद हो सकते हैं कि उसने अपने माल व दौलत के नशे में दूसरों पर ज़ुल्म करना शुरू किया। यहया बिन सलाम और सईद बिन मुसैयब रह. ने फ़रमाया कि क़ारून सरमायेदार आदमी था, फ़िरऔ़न की तरफ़ से बनी इस्राईल की निगरानी पर मामूर था, सरदारी के इस ओ़हदे में उसने बनी इस्राईल को सताया। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

और दूसरे मायने तकब्बुर के भी आते हैं। बहुत से मुफ़स्सिरीन ने इस जगह यही मायने क़रार दिये हैं कि उसने माल व दौलत के नशे में बनी इस्राईल पर तकब्बुर शुरू किया और उनको हक़ीर व ज़लील क़रार दिया।

وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ

कुनूज़ कन्ज़ की जमा (बहुवचन) है, गड़े हुए ख़ज़ाने को कहा जाता है और शरीअ़त की परिभाषा में कन्ज़ वह ख़ज़ाना है जिसकी ज़कात न दी गई हो। हज़रत अ़ता से रिवायत है कि उसको हज़रत यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम का एक अ़ज़ीमुश्शान गड़ा हुआ ख़ज़ाना मिल गया था। (रूहुल-मआ़नी)

لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ

ना-अ का लफ़्ज़ बोझ से झुका देने के मायने में आता है और अ़स्बा के मायने जमाअ़त के हैं। मायने यह हैं कि उसके ख़ज़ाने इतने ज़्यादा थे कि उनकी चाबियाँ इतनी तादाद में थीं कि एक ताक़तवर जमाअ़त भी उनको उठाये तो बोझ से झुक जाये। और ज़ाहिर है कि तालों की चाबियाँ

बहुत हल्के वज़न की रखी जाती हैं जिनका उठाना और पास रखना मुश्किल न हो, मगर उनकी ज़्यादा संख्या होने के सबब वो इतनी हो गई थीं कि उनका वज़न एक ताक़तवर जमाअ़त भी आसानी से न उठा सके। (रूहुल-मआ़नी)

لَا تَفْرَحْ

ला तफ़्रह्। फ़रह के लफ़्ज़ी मायने उस ख़ुशी के हैं जो इनसान को किसी जल्दी हासिल होने वाली लज़्ज़त के सबब मिले। क़ुरआने करीम ने बहुत सी आयतों में फ़रह को बुरा क़रार दिया है जैसा कि एक इसी आयत में है:

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ○

एक और आयत में है:

لَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰـكُمْ

और एक आयत में है:

فَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

और कुछ आयतों में फ़रह की इजाज़त बल्कि एक तरह का हुक्म भी बयान हुआ है जैसे:

يَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ○

में, और आयतः

فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا

में इरशाद हुआ है। इन सब आयतों के मजमूए से यह साबित होता है कि बुरी और ममनू (यानी जिससे रोका गया है) वह फ़रह (ख़ुश होना) है जो इतराने और तकब्बुर करने की हद तक पहुँच जाये और वह तभी हो सकता है कि उस लज़्ज़त व ख़ुशी को वह अपना ज़ाती कमाल और ज़ाती हक़ समझे, अल्लाह तआ़ला का इनाम व एहसान न समझे। और जो ख़ुशी इस हद तक न पहुँचे वह ममनू नहीं बल्कि एक हैसियत से मतलूब है कि अल्लाह तआ़ला की नेमत की शुक्रगुज़ारी है।

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

यानी मुसलमानों ने क़ारून को यह नसीहत की कि अल्लाह तआ़ला ने जो माल व दौलत तुझे अ़ता फ़रमाया है उसके ज़रिये आख़िरत का सामान तैयार कर, और दुनिया में जो तेरा हिस्सा है उसको न भूल।

दुनिया का हिस्सा क्या है इसकी तफ़सीर अक्सर मुफ़स्सिरीन ने यह की है कि इससे मुराद दुनिया की उम्र और उसमें किये हुए वो आमाल हैं जो उसको आख़िरत में काम आयें, जिसमें सदक़ा ख़ैरात भी दाख़िल है और दूसरे नेक आमाल भी। हज़रत इब्ने अ़ब्बास और मुफ़स्सिरीन की अक्सरियत से यही मायने मन्क़ूल हैं। (जैसा कि तफ़सीरे क़ुर्तुबी में है) इस सूरत में दूसरा जुमला पहले जुमले की ताकीद व ताईद होगा। पहले जुमले में जो कहा गया कि जो कुछ तुझे अल्लाह ने दिया है यानी माल व दौलत और उम्र व ताक़त और सेहत वग़ैरह इन सब से वह काम ले जो आख़िरत के जहान में तेरे

काम आये, और दर हक़ीक़त दुनिया का यही हिस्सा तेरा है जो आख़िरत का सामान बन जाये, बाक़ी दुनिया तो दूसरे वारिसों का हिस्सा है। और कुछ मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया कि दूसरे जुमले का मतलब यह है कि जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है उससे अपनी आख़िरत का सामान भी करो मगर अपनी दुनियावी ज़रूरतों को भी न भुलाओ कि तमाम और सब कुछ सदक़ा ख़ैरात करके कंगाल बन जाओ, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक़ अपने लिये भी रखो। इस तफ़सीर पर दुनिया के हिस्से से मुराद उसकी आर्थिक ज़रूरतें होंगी। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ

कुछ मुफ़स्सिरीन (क़ुरआन के व्याख्यापकों) ने फ़रमाया कि यहाँ इल्म से मुराद तौरात का इल्म है जैसा कि कुछ रिवायतों में है कि क़ारून तौरात का हाफ़िज़ और आ़लिम था और उन सत्तर हज़रात में से था जिनको मूसा अ़लैहिस्सलाम ने तूर पहाड़ पर लेजाने के लिये चुना था मगर उसको अपने उस इल्म पर नाज़ व ग़ुरूर पैदा हो गया, उसको अपना ज़ाती कमाल समझ बैठा और उसके इस कलाम का मतलब यही था कि मुझे जो कुछ माल व दौलत मिला है मेरे अपने ज़ाती इल्मी कमाल के सबब मिला है, इसलिये मैं इसका ख़ुद हक़दार हूँ इसमें मुझ पर किसी का एहसान नहीं। मगर ज़ाहिर यह है कि यहाँ इल्म से मुराद दौलत कमाने की तदबीरों का इल्म है जैसे व्यापार व उद्योग वग़ैरह का जिनसे माल हासिल होता है, और मतलब यह है कि जो माल मुझे हासिल हुआ है उसमें अल्लाह तआ़ला के एहसान का क्या दख़ल है, यह तो मैंने अपनी होशियारी और मेहनत के ज़रिये हासिल किया है, और जाहिल ने यह न समझा कि यह होशियारी व कारगुज़ारी और हुनरमन्दी या व्यापार का तजुर्बा और इल्म भी तो अल्लाह तआ़ला ही का दिया हुआ था, उसका कोई ज़ाती कमाल न था।

أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِۦ

क़ारून के इस क़ौल का कि मेरा माल व दौलत मेरे ज़ाती इल्म व हुनर से हासिल किया हुआ है असल जवाब तो वह था जो ऊपर लिखा गया है कि अगर यही मान लिया जाये कि उसका सबब कोई ख़ास इल्म व हुनर था तो भी अल्लाह तआ़ला के एहसान से कैसे बरी हुआ? क्योंकि वह इल्म व हुनर और कमाने की क़ुव्वत भी तो अल्लाह तआ़ला ही की बख़्शी हुई है, मगर चूँकि यह आ़म और आसानी से समझ में आने वाली बात है इसलिये इसको नज़र-अन्दाज़ करके क़ुरआन ने यह बतलाया कि यह माल व दौलत फ़र्ज़ करो कि उसको अपने ही ज़ाती कमाल से हासिल हुआ हो मगर ख़ुद उस माल व दौलत की कोई हक़ीक़त नहीं, माल की अधिकता किसी इनसान के लिये न कोई कमाल और फ़ज़ीलत है और न वह हर हाल में उसके काम आता है, इसके सुबूत में पिछली उम्मतों के बड़े सरमायेदारों की मिसाल पेश फ़रमाई कि जब उन्होंने नाफ़रमानी की तो अल्लाह तआ़ला के अ़ज़ाब ने उनको अचानक पकड़ लिया, माल व दौलत उनके कुछ भी काम न आया।

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ............الآية

इस आयत में 'अल्लज़ी-न ऊतुल्-इल्-म' यानी उलेमा का मुक़ाबला 'अल्लज़ी-न युरीदूनल् हयातद्दुन्या' से किया गया है, जिसमें स्पष्ट इशारा इस तरफ़ है कि दुनिया के माल व दौलत का

इरादा और इसको मक़सद बनाना इल्म वालों का काम नहीं, इल्म वालों की नज़र हमेशा आख़िरत के हमेशा बाक़ी फ़ायदे पर रहती है, दुनिया के माल व असबाब और फ़ायदे को ज़रूरत के मुताबिक़ हासिल करते हैं और उसी पर कनाअ़त (सब्र) करते हैं।

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾

तिल्कद्-दारुल्-आख़ि-रतु नज्अ़लुहा लिल्लज़ी-न ला युरीदू-न अ़ुलुव्वन् फ़िल्अर्ज़ि व ला फ़सादन्, वल्-आ़कि-बतु लिल्-मुत्तक़ीन (83) मन् जा-अ बिल्ह-स-नति फ़-लहू ख़ैरुम्-मिन्हा व मन् जा-अ बिस्सय्यि-अति फ़ला युज्ज़ल्लज़ी-न अ़मिलुस्-सय्यिआति इल्ला मा कानू यअ़्मलून (84)

वह घर पिछला है हम देंगे वह उन लोगों को जो नहीं चाहते अपनी बड़ाई मुल्क में और न बिगाड़ डालना, और आ़क़िबत (नतीजा और अन्जाम) भली है डरने वालों की। (83) जो लेकर आया भलाई उसको मिलना है उससे बेहतर और जो कोई लेकर आया बुराई सो बुराईयाँ करने वाले उनको वही सज़ा मिलेगी जो कुछ वे करते थे। (84)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

यह आख़िरत का जहान (जिसके सवाब का असल मक़सद होना ऊपर 'सवाबुल्लाहि ख़ैरुन्' में बयान हुआ है) हम उन्हीं लोगों के लिये ख़ास करते हैं जो दुनिया में न बड़ा बनना चाहते हैं और न फ़साद करना (यानी न तकब्बुर करते हैं जो अन्दरूनी गुनाह है, और न कोई ज़ाहिरी गुनाह ऐसा करते हैं जिससे ज़मीन में फ़साद बरपा हो, और सिर्फ़ इन अन्दरूनी और ज़ाहिरी बुराईयों से बचना काफ़ी नहीं बल्कि) नेक नतीजा मुत्तक़ी लोगों को मिलता है (जो बुराईयों से बचने के साथ नेक आमाल के भी पाबन्द हों। और आमाल पर जज़ा व सज़ा की कैफ़ियत यह होगी कि) जो शख़्स (क़ियामत के दिन) नेकी लेकर आयेगा उसको उस (नेकी की वजह) से बेहतर (बदला) मिलेगा, (क्योंकि नेक अ़मल का असल तक़ाज़ा तो यह है कि उसकी हैसियत के मुवाफ़िक़ बदला मिले मगर वहाँ उससे ज़्यादा दिया जायेगा, जिसका कम से कम दर्जा उसकी हैसियत से दस गुना है) और जो शख़्स बुराई लेकर आयेगा सो ऐसे लोगों को जो कि बुराई के काम करते हैं उतना ही बदला मिलेगा जितना वे करते थे (यानी उसके तक़ाज़े से ज़्यादा बदला सज़ा का न मिलेगा)।

मआरिफ़ व मसाईल

لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا

इस आयत में आख़िरत के घर की निजात व कामयाबी को सिर्फ़ उन लोगों के लिये मख़्सूस फ़रमाया गया है जो ज़मीन में तकब्बुर और फ़साद का इरादा न करें। यानी अपने आपको दूसरों से बड़ा बनाने और दूसरों को हक़ीर करने की फ़िक्र। और फ़साद से मुराद लोगों पर ज़ुल्म करना है। (सुफ़ियान सौरी) और कुछ मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया कि हर नाफ़रमानी व गुनाह ज़मीन में फ़साद फैलाना है, क्योंकि गुनाह के वबाल से दुनिया की बरकत में कमी आती है। इस आयत से मालूम हुआ कि जो लोग तकब्बुर और ज़ुल्म का या किसी भी नाफ़रमानी का इरादा करें उनका आख़िरत में हिस्सा नहीं।

फ़ायदाः- तकब्बुर जिसका हराम होना और वबाल इस आयत में ज़िक्र किया गया वह वही है कि लोगों पर बड़ाई जताने और उनका अपमान करना (अपने से कमतर जानना) मक़सूद हो वरना अपने लिये अच्छे लिबास अच्छी गिज़ा अच्छे मकान का इन्तिज़ाम जब वह दूसरों के सामने इतराने के लिये न हो बुरा नहीं जैसा कि सही मुस्लिम की एक हदीस में इसकी वज़ाहत है।

गुनाह का पक्का इरादा भी गुनाह है

इस आयत में घमंड और फ़साद के इरादे पर आख़िरत के जहान से मेहरूम होने की वईद (वायदा व धमकी) है, इससे मालूम हुआ कि किसी मासियत (नाफ़रमानी और गुनाह) का पुख़्ता इरादा जो मज़बूत इरादे के दर्जे में आ जाये वह भी नाफ़रमानी ही है। (जैसा कि तफ़सीर रूहुल-मआनी में है) अलबत्ता अगर फिर वह ख़ुदा के ख़ौफ़ से उस इरादे को छोड़ दे तो गुनाह की जगह सवाब उसके नामा-ए-आमाल में दर्ज होता है, और अगर किसी ग़ैर-इख़्तियारी सबब से उस गुनाह पर क़ुदरत न हुई और अमल न किया मगर अपनी कोशिश गुनाह के लिये पूरी की तो वह भी नाफ़रमानी और गुनाह लिखा जायेगा। (जैसा कि इमाम ग़ज़ाली रह. ने फ़रमाया है)

आयत के आख़िर में फ़रमाया 'वल्-आक़ि-बतु लिल्मुत्तक़ीन' इसका हासिल यह है कि आख़िरत की निजात और फ़लाह (कामयाबी) के लिये दो चीज़ों तकब्बुर और फ़साद से बचना भी लाज़िम है और तक़्वा यानी नेक आमाल की पाबन्दी भी, सिर्फ़ इन दो चीज़ों से परहेज़ कर लेना काफ़ी नहीं बल्कि जो आमाल शरीअत के हिसाब से फ़र्ज़ व वाजिब हैं उन पर अमल करना भी आख़िरत की निजात के लिये शर्त है।

اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ؕ قُلْ رَّبِّىْٓ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى وَمَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا اَنْ يُّلْقٰٓى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ ۝ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ

إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ
لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

इन्नल्लज़ी फ़-र-ज़ अ़लैकल्-क़ुरआ-न ल-राद्दु-क इला मआ़दिन्, क़ुर्रब्बी अअ़्लमु मन् जा-अ बिल्हुदा व मन् हु-व फ़ी ज़लालिम्-मुबीन (85) व मा कुन्-त तर्जू अंय्युल्क़ा इलैकल्-किताबु इल्ला रह्मतम्-मिर्रब्बि-क फ़ला तकूनन्-न ज़हीरल् लिल्-काफ़िरीन (86) व ला यसुद्दुन्न-क अ़न् आयातिल्लाहि बअ़्-द इज़् उन्ज़िलत् इलै-क वद्अु इला रब्बि-क व ला तकूनन्-न मिनल्-मुश्रिकीन (87) व ला तद्अु मअ़ल्लाहि इलाहन् आ-ख़-र। ला इला-ह इल्ला हु-व, कुल्लु शैइन् हालिकुन् इल्ला वज्-हहू, लहुल्-हुक्मु व इलैहि तुर्जअ़ून (88) ✿ ▲

जिसने हुक्म भेजा तुझ पर क़ुरआन का वह फेर लाने वाला है तुझको पिछली जगह, तू कह मेरा रब ख़ूब जानता है कौन लाया है राह की सूझ और कौन पड़ा है खुली गुमराही में। (85) और तू तो उम्मीद न रखता था कि उतारी जाये तुझ पर किताब मगर मेहरबानी से तेरे रब की, सो तू मत हो मददगार काफ़िरों का। (86) और न हो कि वे तुझको रोक दें अल्लाह के हुक्मों से इसके बाद कि उतर चुके तेरी तरफ़ और बुला अपने रब की तरफ़ और मत हो शरीक वालों में। (87) और मत पुकार अल्लाह के सिवाय दूसरा हाकिम, किसी की बन्दगी नहीं उसके सिवा, हर चीज़ फ़ना है मगर उसका मुँह, उसी का हुक्म है और उसी की तरफ़ फिर जाओगे। (88) ✿ ▲

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(और आपके इन मुख़ालफ़ों ने जो आपको परेशान करके वतन छोड़ने पर मजबूर किया है जिस से मजबूरी में जुदा होने का आपको सदमा है तो आप तसल्ली रखें) जिस ख़ुदा ने आप पर क़ुरआन (के अहकाम पर अ़मल और उसकी तब्लीग़) को फ़र्ज़ किया है (जो कुल मिलाकर दलील है आपकी नुबुव्वत की) वह आपको (आपके) असली वतन (यानी मक्का शरीफ़) में फिर पहुँचायेगा (और उस वक़्त आप आज़ाद और ग़ालिब और हुकूमत के मालिक होंगे, और ऐसी हालत में अगर दूसरी जगह रहने के लिये तजवीज़ की जाती है तो मस्लेहत और इख़्तियार से होती है जिस से रंज नहीं होता, और

बावजूद आपकी नुबुव्वत के वाज़ेह होने के जो ये लोग आपको ग़लती पर और अपने को हक़ पर समझते हैं तो) आप (इनसे) फ़रमा दीजिए कि मेरा रब ख़ूब जानता है कि कौन सच्चा दीन लेकर (अल्लाह की तरफ़ से) आया है और कौन खुली गुमराही में (मुब्तला) है। (यानी मेरे हक़ पर होने और तुम्हारे बातिल पर होने की नाक़ाबिले इनकार दलीलें मौजूद हैं मगर जब उनसे काम नहीं लेते तो आख़िरी जवाब यही है कि ख़ैर! ख़ुदा को मालूम है वह बतला देगा) और (आपकी यह नुबुव्वत की दौलत सिर्फ़ ख़ुदा की इनायत है यहाँ तक कि ख़ुद) आपको (अपने नबी होने से पहले) यह उम्मीद न थी कि आप पर यह किताब नाज़िल की जायेगी, मगर सिर्फ़ आपके रब की मेहरबानी से इसका उतरना हुआ, सो आप (उन लोगों की ख़ुराफ़ात की तरफ़ तवज्जोह न कीजिए और जिस तरह अब तक उनसे अलग-थलग रहे आगे भी इसी तरह) उन काफ़िरों की ज़रा भी ताईद न कीजिए, और जब अल्लाह के अहकाम आप पर नाज़िल हो चुके तो ऐसा न होने पाये (जैसा अब तक भी नहीं होने पाया) कि ये लोग आपको उन अहकाम से रोक दें, और आप (बदस्तूर) अपने रब (के दीन) की तरफ़ (लोगों को) बुलाते रहिये, और (जिस तरह अब तक मुश्रिकों से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा उसी तरह आगे हमेशा) उन मुश्रिकों में शामिल न होईये। और (जिस तरह अब तक आप शिर्क से पाक और महफ़ूज़ हैं उसी तरह आगे भी) अल्लाह तआ़ला के साथ किसी माबूद को न पुकारना, (इन आयतों में काफ़िरों व मुश्रिकों को उनकी दरख़्वास्तों से नाउम्मीद करना है और बात का रुख़ उन्हीं की तरफ़ है कि तुम जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से दीन में मुवाफ़िक़ होने की दरख़्वास्त करते हो इसमें कामयाबी की कभी भी कोई गुंजाईश नहीं, मगर आ़दत है कि जिस शख़्स पर ज़्यादा ग़ुस्सा होता है उससे बात नहीं किया करते, अपने महबूब से बातें करके उस शख़्स को सुनाया करते हैं।

'मआ़लिम' में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत है कि यह ख़िताब सिर्फ़ ज़ाहिर में आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को है और मक़सद आप नहीं। यहाँ तक रिसालत के मुताल्लिक़ मज़मून मुख्य रूप से था, अगरचे तौहीद का भी इसके ताबे होकर आ गया, आगे तौहीद का मज़मून मुख्य रूप से है कि) उसके सिवा कोई माबूद (होने के क़ाबिल) नहीं, (इसलिये कि) सब चीज़ें फ़ना होने वाली हैं सिवाय उसकी ज़ात के, (पस उसके सिवा कोई इबादत का हक़दार न ठहरा। यह मज़मून तौहीद का हो गया, आगे आख़िरत का मज़मून है कि) उसी की हुकूमत है (जिसका मुकम्मल ज़हूर क़ियामत में है) और उसी के पास तुम सब को जाना है (पस सब को उनके किये का बदला देगा। यह आख़िरत का मज़मून भी ख़त्म हो गया)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ.

सूरत के आख़िर में ये आयतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तसल्ली और अपनी रिसालत व नुबुव्वत की ज़िम्मेदारी पर पूरी तरह क़ायम रहने की ताकीद के लिये हैं, और इससे पहले की आयतों से इनका ताल्लुक़ व जोड़ यह है कि इस सूरत में अल्लाह तआ़ला ने हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम का तफ़सीली क़िस्सा फ़िरऔन और उसकी क़ौम की दुश्मनी और उससे ख़ौफ़ का, फिर

अपने फ़ज़्ल से उनको फ़िरऔन की क़ौम पर ग़ालिब करने का ज़िक्र फ़रमाया तो सूरत के आख़िर में ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ऐसे ही हालात का ख़ुलासा बयान फ़रमाया कि मक्का के काफ़िरों ने आपको परेशान किया, क़त्ल की योजनायें बनाईं, मुसलमानों की ज़िन्दगी मक्का में अजीरन कर दी, मगर हक़ तआ़ला ने अपनी पुरानी आ़दत के मुताबिक़ आपको सब पर फ़तह और ग़लबा नसीब फ़रमाया और मक्का मुकर्रमा जहाँ से काफ़िरों ने आपको निकाला था वह फिर मुकम्मल तौर पर आपके क़ब्ज़े में आ गया।

اَلَّذِیْ فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّکَ اِلٰی مَعَادٍ.

जिस पाक ज़ात ने आप पर क़ुरआन फ़र्ज़ किया है, यानी इसकी तिलावत और तब्लीग़ और इस पर अ़मल आप पर फ़र्ज़ फ़रमाया है वही ज़ात आपको फ़िर मआ़द पर लौटायेगी। मआ़द से मुराद मक्का मुकर्रमा है जैसा कि सही बुख़ारी वग़ैरह में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मआ़द की यह तफ़सीर मन्क़ूल है। मतलब यह है कि अगरचे चन्द दिन के लिये आपको अपना प्यारा वतन ख़ुसूसन हरम शरीफ़ और बैतुल्लाह छोड़ना पड़ा मगर क़ुरआन का नाज़िल करने वाला और उस पर अ़मल को फ़र्ज़ करने वाला ख़ुदा तआ़ला आख़िरकार आपको फिर मक्का में लौटाकर लायेगा। तफ़सीर के इमामों में से मुक़ातिल की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हिजरत के वक़्त ग़ारे सौर से रात के वक़्त निकले और मक्का से मदीना जाने वाले परिचित रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्तों से सफ़र किया, क्योंकि दुश्मन पीछा कर रहे थे। जब जोहफ़ा के स्थान पर पहुँचे जो मदीना तय्यिबा के रास्ते की मशहूर मन्ज़िल राबिग़ को क़रीब है और वहाँ से वह मक्का से मदीना का आ़म परिचित रास्ता मिल जाता है उस वक़्त मक्का मुकर्रमा के रास्ते पर नज़र पड़ी तो बैतुल्लाह और वतन याद आया, उसी वक़्त जिब्रीले अमीन यह आयत लेकर नाज़िल हुए जिसमें आपको ख़ुशख़बरी दी गई है कि मक्का मुकर्रमा से यह जुदाई थोड़े समय की है और आख़िरकार आपको फिर मक्का मुकर्रमा पहुँचा दिया जायेगा जो मक्का के फ़तह होने की ख़ुशख़बरी थी। इसी लिये हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की एक रिवायत में है कि यह आयत जोहफ़ा में नाज़िल हुई है, न मक्की है न मदनी। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

क़ुरआन दुश्मनों पर फ़तह और मक़ासिद में कामयाबी का ज़रिया है

इस आयत में आपको दोबारा मक्का मुकर्रमा में विजयी की हैसियत से वापसी की ख़ुशख़बरी इस उनवान से दी गई है कि जिस पाक ज़ात ने आप पर क़ुरआन फ़र्ज़ किया है वह आपको दुश्मनों पर ग़ालिब करके दोबारा मक्का मुकर्रमा लौटायेगा। इसमें इशारा इस तरफ़ भी है कि क़ुरआन की तिलावत और इस पर अ़मल ही इस ख़ुदाई मदद और खुली फ़तह का सबब होगी।

كُلُّ شَیْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ

इस आयत में वज्हहू से मुराद अल्लाह तआ़ला की पाक ज़ात है और मायने यह हैं कि हक़ तआ़ला सुब्हानहू के सिवा हर चीज़ हलाक व फ़ना होने वाली है। और कुछ हज़राते मुफ़स्सिरीन ने

फ़रमाया कि वज्हहू से मुराद वह अ़मल है जो ख़ालिस अल्लाह तआ़ला के लिये किया जाये, तो मतलब आयत का यह होगा कि जो अ़मल अल्लाह तआ़ला के लिये इख़्लास के साथ किया जाये वही बाक़ी रहने वाला है, बाक़ी सब फ़ानी है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

अल्हम्दु लिल्लाह! सूरः क़सस की तफ़सीर आज 9 ज़ीक़ादा सन् 1391 हिजरी को ऐसे हालात में पूरी हुई कि पाकिस्तान पर हिन्दुस्तान और दूसरी बड़ी ताक़तों के गठजोड़ से सख़्त हमला हुआ और चौदह दिन कराची पर रोज़ाना बम्बारी होती रही, शहरी आबादी को जगह-जगह सख़्त नुक़सान पहुँचा सैकड़ों मुसलमान शहीद और मकानात गिर गये, और चौदह दिन की जंग इस दुखदायी हादसे पर ख़त्म हुई कि पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा पाकिस्तान से कट गया और तक़रीबन नब्बे हज़ार पाकिस्तानी फ़ौज ने वहाँ घिरकर हथियार डाल दिये, और इस वक़्त वहाँ मुसलमानों का क़त्ल-ए-आ़म जारी है, हर मुसलमान का दिल इस सदमे से पारा-पारा और दिमाग़ परेशान है। फ़-इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ़न। बस अल्लाह ही से फ़रियाद की जा सकती है वही हर मुसीबत से पनाह और निजात देने वाला है।

अल्लाह का शुक्र है कि सूरः क़सस की तफ़सीर मुकम्मल हुई।

सूरः अन्कबूत

सूरः अन्कबूत मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 69 आयतें और 7 रुकूअ़ हैं।

الٓمّٓ ۞ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ۞ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ۭ سَاۗءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۞ مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاۗءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ۭ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞ وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

अलिफ़्-लाम्-मीम् (1) अ-हसिबन्नासु अंय्युत्-रकू अंय्यक़ूलू आमन्ना व हुम् ला युफ़्तनून (2) व ल-क़द् फ़तन्नल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम् फ़-लयअ्-लमन्नल्लाहुल्लज़ी-न स-दक़ू व ल-यअ्-लमन्नल्-काज़िबीन (3) अम् हसिबल्लज़ी-न यअ्मलूनस्-सय्यिआति अंय्यस्बिक़ूना, सा-अ मा यह्कुमून (4) मन् का-न यर्जू लिक़ाअल्लाहि फ़-इन्-न अ-जलल्लाहि	अलिफ़्-लाम्-मीम्। (1) क्या ये समझते हैं लोग कि छूट जायेंगे इतना कहकर कि हम यक़ीन लाये और उनको जाँच न लेंगे। (2) और हमने जाँचा है उनको जो इनसे पहले थे सो ज़रूर मालूम करेगा अल्लाह जो लोग सच्चे हैं और यक़ीनन मालूम करेगा झूठों को। (3) क्या ये समझते हैं जो लोग कि करते हैं बुराईयाँ कि हम से बच जायें, बुरी बात तय करते हैं। (4) जो कोई उम्मीद रखता है अल्लाह की मुलाक़ात की सो अल्लाह का वायदा

लआतिन्, व हुवस्समीअुल्-अलीम (5) व मन् जा-ह-द फ़-इन्नमा युजाहिदु लिनफ़्सिही, इन्नल्ला-ह ल-ग़निय्युन् अ़निल्-आ़लमीन (6) वल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्-सालिहाति ल-नुकफ़्फ़िरन्-न अ़न्हुम् सय्यिआतिहिम् व ल-नज्ज़ियन्नहुम् अह्सनल्लज़ी कानू यअ़्मलून (7)	आ रहा है, और वह है सुनने वाला जानने वाला। (5) और जो कोई मेहनत उठाये सो उठाता है अपने ही वास्ते, अल्लाह को परवाह नहीं जहान वालों की। (6) और जो लोग यक़ीन लाये और करे भले काम हम उतार देंगे उन पर से बुराईयाँ उनकी और बदला देंगे उनको बेहतर से बेहतर कामों का। (7)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

अलिफ़्-लाम्-मीम् (इसके मायने तो अल्लाह ही को मालूम हैं। बाज़े मुसलमान जो काफ़िरों के तकलीफ़ पहुँचाने से घबरा जाते हैं तो) क्या उन लोगों ने यह ख़्याल कर रखा है कि वे इतना कहने पर छूट जाएँगे कि हम ईमान ले आये और उनको (तरह-तरह की मुसीबतों से) आज़माया न जायेगा (यानी ऐसा न होगा बल्कि इस क़िस्म के इम्तिहानात भी पेश आयेंगे)। और हम तो (ऐसे ही वाक़िआ़त से) उन लोगों को भी आज़मा चुके हैं जो इनसे पहले (मुसलमान) हो गुज़रे हैं (यानी और उम्मतों के मुसलमानों पर भी ये मामले गुज़रे हैं), सो (इसी तरह इनकी आज़माईश भी की जायेगी और उस आज़ामाईश में) अल्लाह तआ़ला उन लोगों को (ज़ाहिरी इल्म से) जानकर रहेगा जो (ईमान के दावे में) सच्चे थे, और झूठों को भी जानकर रहेगा। (चुनाँचे जो सच्चाई और दिल के यक़ीन से मुसलमान होते हैं वे इन इम्तिहानों में जमे रहते हैं बल्कि और और ज़्यादा पुख़्ता हो जाते हैं, और जो वक़्ती तौर पर टालने के लिये मुसलमान हो जाते हैं वे ऐसे वक़्त में इस्लाम को छोड़ बैठे हैं। यानी यह एक हिक्मत है इम्तिहान की, क्योंकि सच्चे और झूठे के रल-मिल जाने में बहुत से नुक़सानात होते हैं, ख़ुसूस शुरूआ़ती हालात में।

यह मज़मून तो मुसलमानों के मुताल्लिक़ हुआ, आगे उन तकलीफ़ पहुँचाने वाले काफ़िरों के बारे में फ़रमाते हैं कि) हाँ, क्या जो लोग बुरे-बुरे काम कर रहे हैं वे यह ख़्याल करते हैं कि हमसे कहीं निकल भागेंगे? उनकी यह तजवीज़ बहुत ही बेहूदा है। (यह जुमला ऊपर से चले आ रहे मज़मून से हटकर काफ़िरों के बुरे अन्जाम के बारे में बयान किया ताकि मुसलमानों को किसी क़द्र तसल्ली हो जाये कि इन तकलीफ़ें पहुँचाने का उनसे बदला लिया जायेगा। आगे फिर मुसलमानों की तरफ़ बात का रुख़ है कि) जो शख़्स अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखता है सो (उसको तो ऐसे-ऐसे हादसों से परेशान होना ही न चाहिए, क्योंकि) अल्लाह (के मिलने) का वह निर्धारित वक़्त ज़रूर आने वाला है (जिससे सारे ग़म दूर हो जाएँगे, जैसा कि क़ुरआन पाक में एक दूसरी जगह अल्लाह तआ़ला का

इरशाद है 'व क़ालुल् हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अज़्ह-ब अन्नल् ह-ज़-न') और वह सब कुछ सुनता, सब कुछ जानता है (न कोई कौल उससे छुपा है न कोई काम। पस मुलाक़ात के वक़्त तुम्हारी सब क़ौली और अमली नेकियों का सिला देकर सब ग़म दूर करेगा) और (याद रखो कि हम जो तुमको मशक़्क़तों के बरदाश्त करने की तरफ़ तवज्जोह दिला रहे हैं, सो यह तो ज़ाहिर और तय है कि इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं बल्कि) जो शख़्स मेहनत करता है वह अपने ही (फ़ायदे के) लिये मेहनत करता है, (वरना) ख़ुदा तआ़ला को (तो) तमाम जहान वालों में किसी की हाजत नहीं। (इसमें भी रुचि दिलाना है सख़्तियों और परेशानियों को झेलने की, क्योंकि अपने फ़ायदे के ध्यान में रहने से वह काम ज़्यादा आसान हो जाता है) और (वह फ़ायदा जो नेकी करने से पहुँचता है उसका बयान यह है कि) जो लोग ईमान लाते हैं और नेक काम करते हैं हम उनके गुनाह उनसे दूर कर देंगे (जिसमें बाज़े गुनाह जैसे कुफ़्र व शिर्क तो ईमान से दूर हो जाते हैं, और बाज़े गुनाह तौबा से जो कि नेक आमाल में दाख़िल है, और बाज़े गुनाह सिर्फ़ नेकियों और भलाईयों से और बाज़े गुनाह सिर्फ़ अल्लाह के फ़ज़्ल से माफ़ हो जायेंगे, और कोई गुनाह किसी क़द्र सज़ा के बाद, यहाँ दूर होना सब को शामिल है)। और उनको उनके (उन) आमाल (ईमान और नेक कामों) का (हक़ से) ज़्यादा अच्छा बदला देंगे (पस इतने तवज्जोह दिलाने और प्रेरित करने पर नेकियाँ करने और नागवार बातों को बरदाश्त करने की मशक़्क़त उठाने और सही राह पर जमे रहने की पाबन्दी ज़रूरी है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ۝

युफ़्तनून फ़ितने से निकला है जिसके मायने आज़माईश के हैं। ईमान वालों ख़ुसूसन नबियों और नेक लोगों को दुनिया में विभिन्न प्रकार की आज़माईशों से गुज़रना होता है, फिर आख़िरकार जीत और कामयाबी उनकी होती है। ये विभिन्न आज़माईशें कभी काफ़िरों व बुरे लोगों की दुश्मनी और उनकी तरफ़ से तकलीफ़ें देने के ज़रिये होती हैं जैसा कि अधिकतर नबियों और ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को और आपके सहाबा को अक्सर पेश आया है, जिसके बेशुमार वाक़िआ़त सीरत और तारीख़ की किताबों में बयान हुए हैं, और कभी यह आज़माईश बीमारियों और दूसरी किस्म की तकलीफ़ों के ज़रिये होती है जैसा कि हज़रत अय्यूब अ़लैहिस्सलाम को पेश आया और कुछ हज़रात के लिये ये सब किस्में जमा भी कर दी जाती हैं।

इस आयत के उतरने का मौक़ा और सबब रिवायात के अनुसार अगरचे वे सहाबा हैं जो मदीना की हिजरत के वक़्त काफ़िरों के हाथों सताये गये मगर मुराद आ़म है। हर ज़माने के उलेमा व नेक लोगों और उम्मत के औलिया को विभिन्न प्रकार की आज़माईशें पेश आती हैं और आती रहेंगी।

(तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا

यानी इन इम्तिहानात और सख़्तियों के ज़रिये सच्चे और झूठे और नेक व बद में ज़रूर फ़र्क़

करेंगे क्योंकि सच्चे ईमान वालों के साथ मुनाफ़िक़ों का मिल जाना कई बार बड़े नुक़सानात पहुँचा देता है। मक़सद इस आयत का नेक व बुरे और सच्चे ईमान वाले व मुनाफ़िक़ का फ़र्क़ व भेद स्पष्ट कर देना है जिसको इस तरह ताबीर फ़रमाया है कि अल्लाह तआ़ला जान लेगा सच्चों को और झूठों को, अल्लाह तआ़ला को तो हर इनसान का सच्चा या झूठा होना उसके पैदा होने से भी पहले मालूम है, इम्तिहानों और आज़माईशों के जान लेने के मायने यह हैं कि इस फ़र्क़ को दूसरों पर भी ज़ाहिर फ़रमा देंगे।

और हज़रत सैयदी हकीमुल-उम्मत थानवी रह. ने अपने शैख़ मौलाना मुहम्मद याक़ूब साहिब रह. से इसका यह मतलब भी नक़ल फ़रमाया है कि कई बार अ़वाम के इल्म के स्तर पर उतरकर भी कलाम किया जाता है, आ़म इनसान सच्चे मुसलमान और मुनाफ़िक़ में फ़र्क़ आज़माईश ही के ज़रिये मालूम करते हैं, उनके ज़ौक़ व रुझान के अनुसार हक़ तआ़ला ने फ़रमाया कि इन मुख़्तलिफ़ क़िस्म के इम्तिहानों के ज़रिये हम यह जानकर रहेंगे कि कौन मुख़्लिस (ईमान लाने में सच्चा) है कौन नहीं, हालाँकि उसके इल्म में यह सब कुछ शुरू से है। वल्लाहु आलम

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ۝

व वस्सैनल्-इन्सा-न बिवालिदैहि हुस्नन्, व इन् जा-हदा-क लितुश्रि-क बी मा लै-स ल-क बिही अ़िल्मुन् फ़ला तुतिअ़्हुमा, इलय्-य मर्जिअ़ुकुम् फ़-उनब्बिउकुम् बिमा कुन्तुम् तअ़्मलून (8) वल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति ल-नुद्ख़िलन्नहुम् फ़िस्सालिहीन (9)	और हमने ताकीद कर दी इनसान को अपने माँ-बाप से भलाई से रहने की, और अगर वे तुझसे ज़ोर करें कि तू शिर्क करे मेरा जिसकी तुझको ख़बर नहीं तो उनका कहना मत मान, मुझी तक फिर आना है तुमको सो मैं बतला दूँगा तुमको जो कुछ तुम करते थे। (8) और जो लोग यक़ीन लाये और भले काम किये हम उनको दाख़िल करेंगे नेक लोगों में। (9)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और हमने इनसान को अपने माँ-बाप के साथ अच्छा सुलूक करने का हुक्म दिया है और (इसके साथ यह भी कह दिया है कि) अगर वे दोनों तुझ पर इस बात का दबाव डालें कि तू ऐसी चीज़ को मेरा शरीक ठहराये जिस (के माबूद होने) की कोई (सही) दलील तेरे पास नहीं है (और हर चीज़ ऐसी

ही है कि तमाम चीज़ों के ना-क़ाबिले इबादत होने पर दलीलें क़ायम हैं) तो (इस बारे में) तू उनका कहना न मानना, तुम सब को मेरे ही पास लौटकर आना है, सो मैं तुमको तुम्हारे सब काम (नेक हों या बुरे) जतला दूँगा। और (तुम में) जो लोग ईमान लाये होंगे और नेक अमल किये होंगे, हम उनको नेक बन्दों (के दर्जे) में (जो कि जन्नत है) दाख़िल कर देंगे (और इसी तरह बुरे आमाल पर उनके मुनासिब सज़ा देंगे। पस इसी बिना पर जिसने अपने माँ-बाप की फ़रमाँबरदारी को हमारी फ़रमाँबरदारी पर आगे रखा होगा वह सज़ा पायेगा, और जिसने इसके उलट किया होगा वह नेक जज़ा पायेगा। हासिल यह हुआ कि ऊपर बयान हुए वाक़िए में माँ-बाप की नाफ़रमानी से गुनाह का ख़्याल दिल में न लाया जाये)।

मआरिफ़ व मसाईल

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ

वसीयत कहते हैं किसी शख़्स को किसी अमल की तरफ़ बुलाने को जबकि वह बुलाना नसीहत और हमदर्दी पर आधारित हो। (तफ़सीरे मज़हरी)

بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

लफ़्ज़ हुस्न के मायने ख़ूबी के हैं, इस जगह ख़ूबी वाले तरीक़े और व्यवहार को मुबालग़े के लिये हुस्न से ताबीर किया है। मुराद स्पष्ट है कि अल्लाह तआ़ला ने इनसान को यह वसीयत फ़रमाई कि अपने माँ-बाप के साथ अच्छा सुलूक करे।

وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي

यानी माँ-बाप के साथ अच्छा सुलूक करने के साथ यह भी ज़रूरी है कि उनके हुक्म का पालन इसी हद तक किया जाये कि वह हुक्म अल्लाह तआ़ला के हुक्मों के ख़िलाफ़ न हो, वे अगर औलाद को कुफ़्र व शिर्क पर मजबूर करें तो इसमें उनकी बात हरगिज़ न मानी जाये, जैसा कि हदीस में है:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (رواه احمد والحاكم صحّحه)

यानी ख़ालिक़ की नाफ़रमानी में किसी मख़्लूक़ की बात मानना जायज़ नहीं।

यह आयत हज़रत सअ़द इब्ने अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अ़न्हु के बारे में नाज़िल हुई। यह सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम में से उन दस हज़रात में शामिल हैं जिनको आपने एक ही वक़्त में जन्नती होने की ख़ुशख़बरी दी है जिनको **अ़शरा-ए-मुबश्शरा** कहा जाता है। यह अपनी माँ के बहुत फ़रमाँबरदार और उनको आराम पहुँचाने में बड़े मुस्तैद थे। इनकी वालिदा हमना बिन्ते अबी सुफ़ियान को जब यह मालूम हुआ कि उनके बेटे सअ़द मुसलमान हो गये तो उन्होंने बेटे को चेताया और क़सम खा ली कि मैं उस वक़्त तक न खाना खाऊँगी न पानी पियूँगी जब तक कि तुम फिर अपने बाप-दादा के दीन पर वापस आ जाओ, या तो मैं इसी तरह भूख-प्यास से मर जाऊँ और सारी दुनिया में हमेशा के लिये यह रुस्वाई तुम्हारे सर रहे कि तुम अपनी माँ के क़ातिल हो। (मुस्लिम, तिर्मिज़ी) क़ुरआन की इस आयत ने हज़रत सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु को उनकी बात मानने से रोक दिया।

इमाम बग़वी रह. की रिवायत में है कि हज़रत सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु की वालिदा एक दिन रात और कुछ रिवायतों के मुताबिक़ तीन दिन तीन रात अपनी क़सम के मुताबिक़ भूखी प्यासी रहीं, हज़रत सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु हाज़िर हुए माँ की मुहब्बत व इताअ़त अपनी जगह थी, मगर अल्लाह तआ़ला के फ़रमान के सामने कुछ न थी इसलिये वालिदा को ख़िताब करके कहा कि अम्मा जान! अगर तुम्हारे बदन में सौ रूहें होतीं और एक-एक करके निकलती रहतीं मैं उसको देखकर भी कभी अपना दीन न छोड़ता, अब तुम चाहो खाओ पियो या मर जाओ बहरहाल मैं अपने दीन से नहीं हट सकता। माँ ने उनकी इस बातचीत से मायूस होकर खाना खा लिया।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَاۤ اُوْذِیَ فِی اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ؕ وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ؕ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِیْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۰﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ﴿۱۱﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ ؕ وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَیْءٍ ؕ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿۱۲﴾ وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ ؗ وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿۱۳﴾

व मिनन्नासि मंय्यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि फ़-इज़ा ऊज़ि-य फ़िल्लाहि ज-अ़-ल फ़ित्नतन्नासि क-अ़ज़ाबि-ल्लाहि, व लइन् जा-अ नस्रुम्-मिर्रब्बि-क ल-यक़ूलुन्-न इन्ना कुन्ना म-अ़कुम्, अ-व लैसल्लाहु बिअअ़्-ल-म बिमा फ़ी सुदूरिल्-आ़लमीन (10) व ल-यअ़्-लमन्नल्लाहुल्लज़ी-न आमनू व ल-यअ़्-लमन्नल्-मुनाफ़िक़ीन (11) व क़ालल्लज़ी-न क-फ़रू लिल्लज़ी-न आमनुत्तबिअ़ू सबीलना वल्नह्मिल् ख़तायाकुम्, व मा हुम् बिहामिली-न मिन् ख़तायाहुम् मिन् शैइन्, इन्नहुम्	और एक वे लोग हैं कि कहते हैं यक़ीन लाये हम अल्लाह पर फिर जब उसको तकलीफ़ पहुँचे अल्लाह की राह में, करने लगे लोगों के सताने को बराबर अल्लाह के अ़ज़ाब के, और अगर आ पहुँचे मदद तेरे रब की तरफ़ से तो कहने लगें हम तो तुम्हारे साथ हैं, क्या यह नहीं कि अल्लाह ख़ूब ख़बर रखने वाला है जो कुछ सीनों में है जहान वालों के। (10) और ज़रूर मालूम करेगा अल्लाह उन लोगों को जो यक़ीन लाये हैं और ज़रूर मालूम करेगा जो लोग दग़ाबाज़ हैं। (11) और कहने लगे इनकारी लोग ईमान वालों को तुम चलो हमारी राह और हम उठा लेंगे तुम्हारे गुनाह, और वे कुछ न उठायेंगे

ल-काज़िबून (12) व ल-यह्मिलुन्-न अस्क़ा-लहुम् व अस्क़ालम् म-अ अस्क़ालिहिम् व लयुस्अलुन्-न यौमल्-क़ियामति अ़म्मा कानू यफ़्तरून। (13) ✿	उनके गुनाह, बेशक वे झूठे हैं। (12) और अलबत्ता उठायेंगे अपने बोझ और कितने बोझ साथ अपने बोझ के, और ज़रूर उनसे पूछ होगी क़ियामत के दिन जो बातें कि झूठ बनाते थे। (13) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और बाज़े आदमी ऐसे भी हैं जो कह देते हैं कि हम अल्लाह तआ़ला पर ईमान लाये, फिर जब उनको अल्लाह के रास्ते में कुछ तकलीफ़ पहुँचाई जाती है तो लोगों के तकलीफ़ पहुँचाने को ऐसा (बड़ा) समझ बैठते हैं जैसे ख़ुदा का अ़ज़ाब (जिससे आदमी बिल्कुल ही मजबूर हो जाये, हालाँकि किसी मख़्लूक़ को ऐसे अ़ज़ाब पर क़ुदरत ही नहीं। अब तो उनका यह हाल है) और अगर (कभी) कोई मदद (मुसलमानों की) आपके रब की तरफ़ से आ पहुँचती है (मसलन जिहाद हो और उसमें ऐसे लोग हाथ आ जायें) तो (उस वक़्त) कहते हैं कि हम तो (दीन व अ़क़ीदे में) तुम्हारे साथ थे (यानी मुसलमान ही थे, अगरचे काफ़िरों के मजबूर और ज़बरदस्ती करने की वजह से उनके साथ हो गये थे। इस पर हक़ तआ़ला का इरशाद यह है कि) क्या अल्लाह को दुनिया-जहान वालों के दिलों की बातें मालूम नहीं हैं? (यानी उनके दिल ही में ईमान न था) और (ये वाक़िआ़त इसलिए होते रहते हैं कि) अल्लाह तआ़ला ईमान वालों को मालूम करके रहेगा, और मुनाफ़िक़ों को भी मालूम करके रहेगा।

और काफ़िर लोग मुसलमानों से कहते हैं कि तुम (दीन में) हमारी राह चलो और (क़ियामत में) तुम्हारे गुनाह (जो कुफ़्र व नाफ़रमानी के होंगे) हमारे ज़िम्मे, (और तुम बोझ मुक्त) हालाँकि ये लोग उनके गुनाहों में से ज़रा भी (इस तौर पर कि वह बरी और बोझ मुक्त हो जायें) नहीं ले सकते, ये बिल्कुल झूठ बक रहे हैं। और (यह ज़रूर होगा कि) ये लोग अपने गुनाह (पूरे-पूरे) अपने ऊपर लादे होंगे और अपने (उन) गुनाहों के साथ (ही) कुछ गुनाह और भी (लादे हुए होंगे और ये गुनाह वो हैं जिनके लिये ये सबब बनते थे, और ये गुनाह उन पर लादने से असल गुनाहगार बरी और बोझ मुक्त नहीं होंगे। ग़र्ज़ कि दूसरे तो हल्के न हुए मगर ये लोग उनको गुमराह करने के सबब और ज़्यादा भारी हो गये) और ये लोग जैसी-जैसी झूठी बातें बनाते थे क़ियामत में इनसे पूछताछ (और फिर उस पर सज़ा) ज़रूर होगी।

मआ़रिफ़ व मसाईल

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

काफ़िरों की तरफ़ से इस्लाम का रास्ता रोकने और मुसलमानों को बहकाने की तदबीरें विभिन्न तरीक़ों से होती रही हैं, कभी माल व ताक़त की नुमाईश से कभी शुब्हात व शक पैदा करने से। इस

आयत में भी उनकी एक ऐसी ही तदबीर बयान हुई है कि काफ़िर मुसलमानों से कहते हैं कि तुम लोग बिना वजह आख़िरत के अ़ज़ाब के ख़ौफ़ से हमारे तरीक़े पर नहीं चलते, लो हम ज़िम्मेदारी लेते हैं कि अगर तुम्हारी ही बात सच्ची हुई कि इस तरीक़े पर चलने की वजह से आख़िरत में अ़ज़ाब होगा तो तुम्हारे गुनाहों का बोझ हम उठा लेंगे, जो कुछ अ़ज़ाब, तकलीफ़ पहुँचेगी हमें पहुँचेगी, तुम पर आँच न आयेगी।

इसी तरह एक शख़्स का वाक़िआ़ सूरः नज्म के आख़िरी रुकूअ़ में ज़िक्र किया गया है:

اَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ تَوَلّٰى ○ وَاَعْطٰى قَلِيْلًا وَّ اَكْدٰى ○

जिसमें ज़िक्र हुआ है कि एक शख़्स को उसके काफ़िर साथियों ने यह कहकर धोखा दिया कि तुम हमें कुछ माल यहाँ दे दो तो हम क़ियामत और आख़िरत के दिन तुम्हारे अ़ज़ाब को अपने ज़िम्मे लेकर तुम्हें बचायेंगे। उसने कुछ देना भी शुरू कर दिया फिर बन्द कर दिया। उसकी बेवक़ूफ़ी और उसके अ़मल के बेहूदा होने का बयान सूरः नज्म में तफ़सील से बयान हुआ है।

इसी तरह का एक क़ौल काफ़िरों का आ़म मुसलमानों से यहाँ ज़िक्र हुआ है, यहाँ हक़ तआ़ला ने उनके जवाब में एक तो यह फ़रमाया कि ऐसा कहने वाले बिल्कुल झूठे हैं, ये क़ियामत में उन लोगों के गुनाहों का कोई बोझ न उठायेंगे:

وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَىْءٍ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

यानी वहाँ के हौलनाक अ़ज़ाब को देखकर उनको हिम्मत न होगी कि उसके उठाने के लिये तैयार हो जायें, इसलिये उनका यह वायदा झूठा है। और सूरः नज्म में भी यह ज़िक्र किया गया है कि अगर ये लोग कुछ बोझ उठाने को तैयार भी हो जायें तो अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से इनको इसका इख़्तियार नहीं दिया जायेगा, क्योंकि यह इन्साफ़ के क़ानून के ख़िलाफ़ है कि एक के गुनाह में दूसरे को पकड़ लिया जाये।

दूसरी बात यह फ़रमाई कि उन लोगों का यह कहना तो ग़लत और झूठ है कि वे तुम्हारे गुनाहों का बोझ उठाकर तुम्हें भार-मुक्त कर देंगे अलबत्ता यह ज़रूर होगा कि तुम्हारा बहकाना और तुम्हें हक़ रास्ते से हटाने की कोशिश करना ख़ुद एक बड़ा गुनाह है जो उनके अपने आमाल के अ़ज़ाब के अ़लावा उन पर लाद दिया जायेगा। इस तरह उन पर अपने आमाल का भी वबाल होगा और जिनको बहकाया था उनका भी।

गुनाह की दावत देने वाला भी गुनाहगार है, गुनाह करने वाले को जो अ़ज़ाब होगा वही उसको भी होगा

इस आयत से मालूम हुआ कि जो शख़्स किसी दूसरे को गुनाह में मुब्तला करने पर उभारे या गुनाह में उसकी मदद करे वह भी ऐसा ही मुजरिम है जैसा यह गुनाह करने वाला। एक हदीस जो हज़रत अबू हुरैरह और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत की गई है यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स हिदायत की तरफ़ लोगों को

दावत दे तो जितने लोग उसकी दावत की वजह से हिदायत पर अ़मल करेंगे उन सब के अ़मल का सवाब उस दावत देने वाले के आमाल-नामे में भी लिखा जायेगा बग़ैर इसके कि अ़मल करने वालों के अज्र व सवाब में कोई कमी की जाये। और जो शख़्स किसी गुमराही और गुनाह की तरफ़ दावत दे तो जितने लोग उसके कहने से उस गुमराही में मुब्तला होंगे उन सब का गुनाह और वबाल उस शख़्स पर भी पड़ेगा बग़ैर इसके कि उन लोगों के वबाल व अ़ज़ाब में कोई कमी हो।

(तफ़सीरे क़ुर्तुबी, मुस्लिम, इब्ने माजा के हवाले से)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا ؕ فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝ فَاَنْجَيْنٰهُ وَ اَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ وَاِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّ تَخْلُقُوْنَ اِفْكًا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ؕ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ وَاِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ؕ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝

व ल-क़द् अर्सल्ना नूहन् इला क़ौमिही फ़-लबि-स फ़ीहिम् अल्-फ़ स-नतिन् इल्ला ख़ाम्सी-न आ़मन्, फ़-अ-ख़ा-ज़हुमुत्तूफ़ानु व हुम् ज़ालिमून (14) फ़-अन्जैनाहु व अस्हाबस्सफ़ी-नति व जअ़ल्नाहा आ-यतल् लिल्आ़लमीन (15) व इब्राही-म इज़् क़ा-ल लिक़ौमि-हिअ़्बुदुल्ला-ह वत्तक़ूहु, ज़ालिकुम् ख़ैरुल्लकुम् इन् कुन्तुम् तअ़्लमून (16) इन्नमा तअ़्बुदू-न मिन् दूनिल्लाहि औसानंव्-व तख़्लुक़ू-न इफ़्कन्, इन्नल्लज़ी-न तअ़्बुदू-न मिन्	और हमने भेजा नूह को उसकी क़ौम के पास फिर रहा उनमें हज़ार बरस पचास बरस कम, फिर पकड़ा उनको तूफ़ान ने और वे गुनाहगार थे। (14) फिर बचा दिया हमने उसको और जहाज़ वालों को और रखा हमने जहाज़ को निशानी जहान वालों के वास्ते। (15) और इब्राहीम को जब कहा उसने अपनी क़ौम को बन्दगी करो अल्लाह की और डरते रहो उससे यह बेहतर है तुम्हारे हक़ में अगर तुम समझ रखते हो। (16) तुम तो पूजते हो अल्लाह के अ़लावा यही बुतों के थान और बनाते हो झूठी बातें, बेशक जिनको तुम पूजते हो अल्लाह के अ़लावा वे

दूनिल्लाहि ला यम्लिकू-न लकुम् रिज़्क़न् फ़ब्तग़ू अिन्दल्लाहिर्-रिज़्-क़ वअ्बुदूहु वश्कुरू लहू, इलैहि तुर्जअ़ून (17) व इन् तुकज़्ज़िबू फ़-क़द् कज़्ज़-ब उ-ममुम्-मिन् क़ब्लिकुम्, व मा अ़लर्रसूलि इल्लल्-बलाग़ुल्-मुबीन (18)	मालिक नहीं तुम्हारी रोज़ी के, सो तुम ढूँढो अल्लाह के यहाँ रोज़ी और उसकी बन्दगी करो और उसका हक़ मानो, उसी की तरफ़ फिर जाओगे। (17) और अगर तुम झुठलाओगे तो झुठला चुके हैं बहुत फ़िर्क़े तुमसे पहले, और रसूल का ज़िम्मा तो बस यही है पैग़ाम पहुँचा देना खोल कर। (18)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और हमने नूह (अ़लैहिस्सलाम) को उनकी क़ौम की तरफ़ (पैग़म्बर बनाकर) भेजा, सो वह उनमें पचास साल कम एक हज़ार बरस रहे (और क़ौम को समझाते रहे)। फिर (जब इस पर भी वे लोग ईमान न लाये तो) उनको तूफ़ान ने आ दबाया, और वे बड़े ज़ालिम लोग थे (कि इतनी लम्बी मुद्दत के समझाने-बुझाने से भी मुतास्सिर न हुए)। फिर (उस तूफ़ान के आने के बाद) हमने उनको और कश्ती वालों को (जो उनके साथ सवार थे, उस तूफ़ान से) बचा लिया, और हमने इस वाक़िए को तमाम जहान वालों के लिये (जिनको निरंतरता के साथ ख़बर पहुँची) सबक़ लेने का सबब बनाया (कि ग़ौर करके समझ सकते हैं कि हक़ की मुख़ालफ़त क्या अन्जाम है)। और हमने इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) को (पैग़म्बर बनाकर) भेजा, जबकि उन्होंने अपनी क़ौम से (जो कि बुत-परस्त थे) फ़रमाया कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो (और डरकर शिर्क छोड़ दो) यह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम कुछ समझ रखते हो (बख़िलाफ़ शिर्क के तरीक़े के कि वह तो बिल्कुल बेवक़ूफ़ी है, क्योंकि) तुम लोग अल्लाह को छोड़कर महज़ बुतों को (जो बिल्कुल आ़जिज़ और नाकारा हैं) पूज रहे हो और (इसके बारे में) झूठी बातें गढ़ते हो (कि उनसे हमारी रोज़ी रोज़गार का काम निकलता है, और यह बिल्कुल झूठ है, क्योंकि) तुम ख़ुदा को छोड़कर जिनको पूज रहे हो वे तुमको कुछ भी रिज़्क़ देने का इख़्तियार नहीं रखते, सो तुम रिज़्क़ ख़ुदा के पास से तलाश करो (यानी उससे माँगो, रिज़्क़ का मालिक वही है) और (जब रिज़्क़ का मालिक वही है तो) उसी की इबादत करो और (चूँकि पिछला रिज़्क़ भी उसी का दिया हुआ है तो) उसी का शुक्र अदा करो।

(एक सबब अल्लाह की इबादत के वाजिब होने का यह है कि वह नफ़े का मालिक है) और (दूसरा सबब यह है कि वह नुक़सान का मालिक भी है, चुनाँचे) तुमको उसी के पास लौटकर जाना है (उस वक़्त कुफ़्र पर तुमको सज़ा देगा)। और अगर तुम (इन बातों में) मुझको झूठा समझो तो (याद रखो कि मेरा कुछ नुक़सान नहीं, क्योंकि) तुमसे पहले भी बहुत-सी उम्मतें (अपने पैग़म्बरों को) झूठा

समझ चुकी हैं, और (मगर उन पैग़म्बरों का भी कुछ नुक़सान नहीं हुआ, और वजह इसकी यह है कि) पैग़म्बर के ज़िम्मे तो सिर्फ़ (बात का) साफ़ तौर पर पहुँचा देना है (मनवाना उसका काम नहीं, पस तमाम अम्बिया तब्लीग़ के बाद अपनी ज़िम्मेदारी से बरी हो गये, इसी तरह मैं भी, पस हमको कोई नुक़सान नहीं पहुँचा। अलबत्ता मानना तुम्हारे ज़िम्मे वाजिब था उसके छोड़ने से तुम्हारा नुक़सान ज़रूर हुआ)।

मआरिफ़ व मसाईल

पिछली आयतों में काफ़िरों की मुख़ालफ़त और उनके तकलीफ़ें देने का बयान था जो मुसलमानों को पहुँचती रहती थीं। ऊपर की आयतों में इस तरह के वाक़िआत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तसल्ली देने के लिये पिछले अम्बिया और उनकी उम्मतों के कुछ हालात का बयान है कि पुराने ज़माने से हिदायत वालों को सताने और तकलीफ़ें पहुँचाने का काफ़िरों की तरफ़ से यह सिलसिला जारी है, मगर इन तकलीफ़ों की वजह से उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी इसलिये आप भी काफ़िरों के तकलीफ़ें पहुँचाने की परवाह न करें अपने रिसालत के फ़रीज़े की अदायेगी में मज़बूती से काम करते रहें।

पिछले अम्बिया में सबसे पहले हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम का क़िस्सा ज़िक्र फ़रमाया- अव्वल तो इस वजह से कि वही सबसे पहले पैग़म्बर हैं जिनको कुफ़ व शिर्क का मुक़ाबला करना पड़ा। दूसरे इसलिये भी कि जितनी तकलीफ़ें अपनी क़ौम से उनको पहुँचीं वो किसी दूसरे पैग़म्बर को नहीं पहुँचीं। क्योंकि अल्लाह तआ़ला ने उनको लम्बी उम्र देने का विशेष सम्मान अ़ता फ़रमाया और सारी उम्र काफ़िरों की तकलीफ़ों में बसर हुई। उनकी उम्र क़ुरआने करीम में जो नौ सौ पचास साल ज़िक्र हुई है वह तो निश्चित और यक़ीनी है ही, कुछ रिवायतों में यह भी है कि यह उम्र तब्लीग़ व दावत की मुद्दत की है और उससे पहले और तूफ़ान के बाद मज़ीद उम्र का ज़िक्र है। वल्लाहु आलम

बहरहाल! इतनी असाधारण लम्बी उम्र लगातार दावत व तब्लीग़ में लगाना और हर तब्लीग़ व दावत के वक़्त काफ़िरों की तरफ़ से तरह-तरह की तकलीफ़ें, मार-पीट और गला घोंटने की सहते रहना और इन सब के बावजूद किसी वक़्त हिम्मत न हारना ये सब ख़ुसूसियतें हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम की हैं।

दूसरा क़िस्सा हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम का ज़िक्र फ़रमाया जो बड़े-बड़े सख़्त इम्तिहानों से गुज़रे हैं। नमरूद की आग, फिर मुल्के शाम से हिजरत करके एक ग़ैर-आबाद मैदान और सूखे व रेतीले जंगल का क़ियाम, फिर बेटे के ज़िबह करने का वाक़िआ़ वग़ैरह, हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ही के क़िस्से के तहत में हज़रत लूत अ़लैहिस्सलाम और उनकी उम्मत के वाक़िआत और सूरत के आख़िर तक दूसरे कुछ अम्बिया और उनकी सरकश उम्मतों के हालात का सिलसिला, यह सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और उम्मते मुहम्मदिया की तसल्ली के लिये और उनको दीन के काम पर साबित-क़दम रखने (जमाने) के लिये बयान हुआ है।

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۖ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾

अ-व लम् यरौ कै-फ़ युब्दिउल्लाहुल्-ख़ल्-क़ सुम्-म युअीदुहू, इन्-न ज़ालि-क अ़लल्लाहि यसीर (19)	क्या देखते नहीं क्योंकर शुरू करता है अल्लाह पैदाईश को फिर उसको दोहरायेगा, यह अल्लाह पर आसान है। (19)
क़ुल् सीरू फ़िल्अर्ज़ि फ़न्ज़ुरू कै-फ़ ब-दअल्ख़ल्-क़ सुम्मल्लाहु युन्शिउन्-नश्-अतल्-आख़ि-र-त, इन्नल्ला-ह अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर (20)	तू कह- मुल्क में फिरो फिर देखो क्योंकर शुरू किया है पैदाईश को फिर अल्लाह उठायेगा पिछला उठान, बेशक अल्लाह हर चीज़ कर सकता है। (20)
युअ़ज़्ज़िबु मंय्यशा-उ व यर्हमु मंय्यशा-उ व इलैहि तुक़्लबून (21)	दुख देगा जिसको चाहे और रहम करेगा जिस पर चाहे, और उसी की तरफ़ फिर जाओगे। (21)
व मा अन्तुम् बिमुअ़्जिज़ी-न फ़िल्अर्ज़ि व ला फ़िस्समा-इ व मा लकुम् मिन् दूनिल्लाहि मिंव्वलिय्यिंव्-व ला नसीर (22) ۞	और तुम आ़जिज़ करने वाले नहीं ज़मीन में और न आसमान में, और कोई नहीं तुम्हारा अल्लाह से वरे हिमायती और न मददगार। (22) ۞
वल्लज़ी-न क-फ़रू बिआयातिल्लाहि व लिक़ा-इही उलाइ-क यइसू मिर्रह़्मती व उलाइ-क लहुम् अ़ज़ाबुन् अलीम (23)	और जो लोग इनकारी हुए अल्लाह की बातों से और उसके मिलने से वे नाउम्मीद हुए मेरी रहमत से और उनके लिये दर्दनाक अ़ज़ाब है। (23)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

क्या उन लोगों को यह मालूम नहीं कि अल्लाह तआ़ला किस तरह मख़्लूक़ को पहली बार पैदा

करता है (कि नापैदी की हालत से वजूद में लाता है) फिर वही दोबारा उसको पैदा करेगा, यह अल्लाह के नज़दीक बहुत ही आसान बात है। (बल्कि मामूली ग़ौर करने से मालूम हो जाता है कि दोबारा पैदा करना पहली बार के पैदा करने से ज़्यादा आसान है, अगरचे ज़ाती क़ुदरत के एतिबार से दोनों बराबर हैं, और ये लोग पहली बात यानी अल्लाह तआ़ला के कायनात का पैदा करने वाला होने को तो मानते थे। अल्लाह तआ़ला का कौल है:

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ............ الخ

और दूसरी बात यानी दोबारा पैदा करना उसी के जैसा है, उसका क़ुदरत में दाख़िल होना और ज़्यादा स्पष्ट है, इसलिए 'अ-व लम् यरौ' यानी आयत नम्बर 19 का मज़मून उससे भी संबन्धित हो सकता है और ज़्यादा एहतिमाम के लिये फिर यही मज़मून मामूली सा उनवान बदलकर सुनाने के लिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को इरशाद फ़रमाते हैं कि) आप (उन लोगों से) कहिये कि तुम लोग मुल्क में चलो-फिरो और देखो कि ख़ुदा तआ़ला ने मख़्लूक़ को किस अन्दाज़ पर पहली बार पैदा किया है, फिर अल्लाह तआ़ला दूसरी बार भी पैदा करेगा। बेशक अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर क़ादिर है।

(पहले उनवान में एक अ़क़्ली दलील पेश की है और दूसरे उनवान में महसूस करने वाली, जिसका ताल्लुक़ कायनात के हालात और देखने से है। यह तो क़ियामत को साबित करना था आगे जज़ा का बयान है कि दोबारा ज़िन्दा करने के बाद) जिसको चाहेगा अ़ज़ाब देगा (यानी जो उसका हक़दार होगा) और जिस पर चाहे रहमत फ़रमा देगा (यानी जो उसका अहल होगा), और (इस अ़ज़ाब देने और रहमत का मामला करने में और किसी का दख़ल न होगा, क्योंकि) तुम सब उसी के पास लौटकर जाओगे (न कि और किसी के पास)। और (उसके अ़ज़ाब से बचने की कोई तदबीर नहीं है) न तुम ज़मीन में (छुपकर ख़ुदा को) हरा सकते हो (कि उसके हाथ न आओ) और न आसमान में (उड़कर), और ख़ुदा के सिवा न तुम्हारा कोई काम बनाने वाला है और न कोई मददगार (पस न अपनी तदबीर से बच सके न दूसरे की हिमायत से)।

और (ऊपर जो हमने कहा था 'कि वह जिसे चाहे अ़ज़ाब देगा' अब क़ायदा कुल्लिय्या से उसका मिस्दाक़ बतलाते हैं कि) जो लोग ख़ुदा की आयतों के और (ख़ास तौर पर) उसके सामने जाने के इनकारी हैं, वे लोग (क़ियामत में) मेरी रहमत से नाउम्मीद होंगे (यानी उस वक़्त नज़रों के सामने आ जायेगा कि हम रहमत के अहल नहीं हैं) और यही हैं जिनको दर्दनाक अ़ज़ाब होगा।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ
النَّارِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۞ وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا ۙ مَّوَدَّةَ
بَيْنِكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ؗ وَّمَاْوٰىكُمُ
النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۞ فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّيْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ

الْحَكِيْمُ ۞ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِي الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۞

फ़मा का-न जवा-ब क़ौमिही इल्ला अन् क़ालुक़्तुलूहु औ हर्रिक़ूहु फ़अन्जाहुल्लाहु मिनन्नारि, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिल् लिक़ौमिंय्-युअ्मिनून (24) व क़ा-ल इन्नमत्-तख़ज़्तुम् मिन् दूनिल्लाहि औसानम् म-वद्द-त बैनिकुम् फ़िल्-हयातिद्दुन्या सुम्-म यौमल्-क़ियामति यक्फ़ुरु बअ्ज़ुकुम् बि-बअ्ज़िंव्-व यल्अ़नु बअ्ज़ुकुम् बअ्ज़ंव्-व मअ्वाकुमुन्-नारु व मा लकुम् मिन्-नासिरीन (25) फ़-आम-न लहू लूतुन्। व क़ा-ल इन्नी मुहाजिरुन् इला रब्बी, इन्नहू हुवल् अ़ज़ीज़ुल्-हकीम (26) व व-हब्ना लहू इस्हा-क़ व यअ्क़ू-ब व जअ़ल्ना फ़ी ज़ुर्रिय्यतिहिन्-नुबुव्व-त वल्किता-ब व आतैनाहु अज्रहू फ़िद्दुन्या व इन्नहू फ़िल्-आख़िरति लमिनस्सालिहीन (27)

फिर कुछ जवाब न था उसकी कौम का मगर यही कि बोले इसको मार डालो या जला दो फिर उसको बचा दिया अल्लाह ने आग से, इसमें बड़ी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिये जो यकीन लाते हैं। (24) और इब्राहीम बोला- जो ठहराये तुमने अल्लाह के अलावा बुतों के थान सो दोस्ती कर-कर आपस में दुनिया की ज़िन्दगानी में, फिर कियामत के दिन इनकारी हो जाओगे एक से एक और लानत करोगे एक को एक, और ठिकाना तुम्हारा आग है, और कोई नहीं तुम्हारा मददगार। (25) फिर मान लिया उसको लूत ने और वह बोला मैं तो वतन छोड़ता हूँ अपने रब की तरफ़, बेशक वही है ज़बरदस्त हिक्मत वाला। (26) और दिया हमने उसको इस्हाक़ और याक़ूब, और रख दी उसकी औलाद में पैग़म्बरी और किताब, और दिया हमने उसको उसका सवाब दुनिया में, और वह आख़िरत में लाज़िमी तौर पर नेकों (में) से है। (27)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

सो (इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दिल को छू लेने वाली तक़रीर के बाद) उनकी कौम का (आख़िरी) जवाब बस यह था कि (आपस में) कहने लगे कि इनको या तो क़त्ल कर डालो या इनको

जला दो। (चुनाँचे जलाने का सामान किया) सो अल्लाह ने उनको उस आग से बचा लिया (जिसका किस्सा सूरः अम्बिया में गुज़र चुका है), बेशक इस वाकिए में उन लोगों के लिए जो कि ईमान रखते हैं कई निशानियाँ हैं। (यानी यह वाकिआ कई चीज़ों की दलील है- अल्लाह का कादिर होना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नबी होना, कुफ़ व शिर्क का बातिल और ग़ैर-हक़ होना, इसलिए यह एक ही दलील अनेक दलीलों के बराबर हो गई)। और इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने (वअ़ज़ यानी अपनी नसीहत की तक़रीर में यह भी) फ़रमाया कि तुमने जो ख़ुदा को छोड़कर बुतों को (माबूद) तजवीज़ कर रखा है, बस यह तुम्हारे दुनिया के आपसी ताल्लुक़ात की वजह से है। (चुनाँचे साफ़ दिखाई देता है कि अक्सर आदमी अपने ताल्लुक़ात और दोस्ती और रिश्तेदारों के तरीक़े पर रहता है और इस वजह से हक़ बात में ग़ौर नहीं करता, और हक़ को समझकर भी डरता है कि सब दोस्त और रिश्तेदार छूट जायेंगे) फिर क़ियामत में (तुम्हारा यह हाल होगा कि) तुम में से एक दूसरे का मुख़ालिफ़ हो जायेगा और एक दूसरे पर लानत करेगा, (जैसा कि सूरः आराफ़ की आयत 38 में है, और सूरः सबा की आयत 31 में है, तथा सूरः ब-क़रह की आयत 166 में है। ख़ुलासा यह है कि आज जिन यार-दोस्तों और रिश्तेदारों की वजह से तुम गुमराही को इख़्तियार किये हुए हो क़ियामत के दिन यही यार-दोस्त तुम्हारे दुश्मन बन जायेंगे) और (अगर तुम इस बुत-परस्ती से बाज़ न आये तो) तुम्हारा ठिकाना दोज़ख़ होगा, और तुम्हारा कोई हिमायती न होगा।

सो (इतने वअ़ज़ और नसीहत पर भी उनकी क़ौम ने न माना) सिर्फ़ लूत (अलैहिस्सलाम) ने उनकी तस्दीक़ फ़रमाई और इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि मैं (तुम लोगों में नहीं रहता, बल्कि) अपने परवर्दिगार की (बतलाई हुई जगह की) तरफ़ वतन छोड़ करके चला जाऊँगा, बेशक वह ज़बरदस्त, हिक्मत वाला है (वह मेरी हिफ़ाज़त करेगा और मुझको इसका फल देगा)। और हमने (हिजरत के बाद) उनको इस्हाक़ (बेटा) और याक़ूब (पोता) इनायत फ़रमाया, और हमने उनकी नस्ल में नुबुव्वत और किताब (के सिलसिले) को क़ायम रखा, और हमने उनका सिला उनको दुनिया में भी दिया और आख़िरत में भी (वह बड़े दर्जे के) नेक बन्दों में होंगे (इस सिले में मुराद अल्लाह की निकटता और मक़बूल होना है जैसा कि अल्लाह तआ़ला ने सूरः ब-क़रह की आयत 130 में फ़रमाया है 'लक़दिस्तफ़ैनाहु फ़िद्दुन्या.......'।

मआ़रिफ़ व मसाईल

فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ. وَقَالَ اِنِّیْ مُهَاجِرٌ اِلٰی رَبِّیْ

हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भानजे थे, नमरूद की आग में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा देखकर सबसे पहले इन्होंने तस्दीक़ की। याद रहे कि आपकी बीवी हज़रत सारा जो आपकी चचाज़ाद बहन भी थीं और मुसलमान हो चुकी थीं इन दोनों को साथ लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वतन से हिजरत का इरादा किया, उनका वतन मक़ाम 'कूसा' था, जो कूफ़ा की एक बस्ती है, और फ़रमाया 'इन्नी मुहाजिरुन् इला रब्बी' यानी मैं वतन को छोड़कर अपने रब की तरफ़ जाता हूँ। मुराद यह है कि किसी ऐसे स्थान की तरफ़ जाऊँगा जहाँ रब की इबादत में रुकावट न हो।

हज़रत नख़ई रह. और क़तादा रह. ने 'इन्नी मुहाजिरुन्' का कहने वाला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क़रार दिया है। क्योंकि इसके बाद 'व वहब्ना लहू इस्हा-क़ व यअ़क़ू-ब' तो यक़ीनन उन्हीं का हाल है। और कुछ हज़राते मुफ़स्सिरीन ने "इन्नी मुहाजिरुन्" को हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का क़ौल क़रार दिया है। ख़ुलासा-ए-तफ़सीर का तर्जुमा इसी के मुताबिक़ है, मगर मज़मून के बाद के हिस्से से पहली तफ़सीर ज़्यादा सही मालूम होती है, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी अगरचे इस हिजरत में शरीक ज़रूर थे मगर जैसे हज़रत सारा का ज़िक्र नहीं किया गया क्योंकि वह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताबे थीं इसी तरह लूत अलैहिस्सलाम की हिजरत का ज़िक्र अलग से न होना कुछ बईद नहीं।

दुनिया में सबसे पहली हिजरत

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले पैग़म्बर हैं जिनको दीन के लिये वतन छोड़ना और हिजरत इख़्तियार करना पड़ा, उनकी यह हिजरत 75 साल की उम्र में हुई (यह सब बयान तफ़सीरे क़ुर्तुबी से लिया गया है)।

कुछ आमाल का बदला दुनिया में भी मिल जाता है

وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِي الدُّنْيَا

यानी हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह की राह में क़ुरबानियों और दूसरे नेक आमाल की जज़ा (बदला) दुनिया में भी दे दी कि उनको तमाम मख़्लूक़ में मक़बूल व इमाम बना दिया। यहूदी, ईसाई, बुतों के पुजारी सभी उनकी इज़्ज़त करते हैं और अपना पेशवा और धर्मगुरु मानते हैं, और आख़िरत में वे जन्नत वाले नेक लोगों में से होंगे। इससे मालूम हुआ कि आमाल की असल जज़ा तो आख़िरत में मिलेगी मगर उसका कुछ हिस्सा दुनिया में भी नक़द दिया जाता है जैसा कि मोतबर हदीसों में बहुत से अच्छे आमाल के दुनियावी फ़ायदे और बुरे आमाल के दुनियावी नुक़सानात का बयान आया है। ऐसे आमाल को सैयदी हज़रत हकीमुल-उम्मत रह. ने एक मुस्तक़िल रिसाले "जज़ाउल-आमाल" में जमा फ़रमा दिया है।

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ ۡ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۸﴾ اَئِنَّكُمْ
لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ۙ وَتَاْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ۭ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ
اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۲۹﴾ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ
الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۳۰﴾ وَلَمَّا جَاۗءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مُهْلِكُوْٓا اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ
اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿۳۱﴾ قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ۭ قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا ڭ لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَاَهْلَهٗٓ
اِلَّا امْرَاَتَهٗ ڭ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿۳۲﴾ وَلَمَّآ اَنْ جَاۗءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْۗءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّ

قَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۔ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَ اَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۝ اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰٓى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ۝ وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَآ اٰيَةًۢ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝

व लूतन् इज़् का-ल लिक़ौमिही इन्नकुम् ल-तअ्तूनल्-फ़ाहि-श-त मा स-ब-क़कुम् बिहा मिन् अ-हदिम्-मिनल्-आ़लमीन (28) अ-इन्नकुम् लतअ्तूनर्रिजा-ल व तक़्तअ़ूनस्--सबी-ल व तअ्तू-न फ़ी नादीकुमुल्-मुन्क-र, फ़मा का-न जवा-ब क़ौमिही इल्ला अन् क़ालुअ्तिना बि-अ़ज़ाबि--ल्लाहि इन् कुन्-त मिनस्सादिक़ीन (29) क़ा-ल रब्बिन्सुर्नी अ़लल्-क़ौमिल्-मुफ़्सिदीन (30) ✿

व लम्मा जाअत् रुसुलुना इब्राही-म बिल्बुश्रा क़ालू इन्ना मुह़्लिकू अह़्लि हाज़िहिल्-क़र्यति इन्-न अह़्लहा कानू ज़ालिमीन (31) क़ा-ल इन्-न फ़ीहा लूतन्, क़ालू नह़्नु अअ़्लमु बि-मन् फ़ीहा ल-नुनज्जियन्नहू व अह़्लहू इल्लम्र-अ-तहू कानत् मिनल्-ग़ाबिरीन (32) व लम्मा अन् जाअत् रुसुलुना लूतन् सी-अ बिहिम् व ज़ा-क़ बिहिम् ज़रअ़ंव्-व क़ालू

और भेजा लूत को जब कहा अपनी क़ौम को तुम आते हो बेहयाई के काम पर तुमसे पहले नहीं किया वह किसी ने जहान में। (28) क्या तुम दौड़ते हो मर्दों पर और तुम राह मारते हो और करते हो अपनी मज्लिस में बुरा काम, फिर कुछ जवाब न था उसकी क़ौम का मगर यही कि बोले ले आ हम पर अल्लाह का अ़ज़ाब अगर तू है सच्चा। (29) बोला ऐ रब! मेरी मदद कर इन शरीर लोगों पर। (30) ✿

और जब पहुँचे हमारे भेजे हुए इब्राहीम के पास ख़ुशख़बरी लेकर, बोले हमको ग़ारत करना है उस बस्ती वालों को, बेशक उस बस्ती के लोग हो रहे हैं गुनाहगार। (31) बोला उसमें तो लूत भी है, वे बोले हमको ख़ूब मालूम है जो कोई उसमें है हम बचा लेंगे उसको और उसके घर वालों को, मगर उसकी औ़रत कि रहेगी रह जाने वालों में। (32) और जब पहुँचे हमारे भेजे हुए लूत के पास नाख़ुश हुआ उनको देख कर और तंग हुआ दिल में और वे बोले

ला तख़ाफ़् व ला तह्ज़न्, इन्ना मुनज्जू-क व अह्ल-क इल्लम्र-अ-त-क कानत् मिनल्- ग़ाबिरीन (33) इन्ना मुन्ज़िलू-न अ़ला अह्लि हाज़िहिल् क़र्यति रिजूज़म्-मिनस्समा-इ बिमा कानू यफ़्सुक़ून (34) व ल-क़त्तरक्ना मिन्हा आ-यतम् बय्यि-नतल्-लिक़ौमिंय्-यअ़्क़िलून (35)	मत डर और ग़म न खा, हम बचायेंगे तुझको और तेरे घर को मगर तेरी औरत रह गयी रह जाने वालों में। (33) हमको उतारनी है इस बस्ती वालों पर एक आफ़त आसमान से इस बात पर कि वे नाफ़रमान हो रहे थे। (34) और छोड़ रखा हमने उसका निशान नज़र आता हुआ समझदार लोगों के वास्ते। (35)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और हमने लूत (अ़लैहिस्सलाम) को पैग़म्बर बनाकर भेजा, जबकि उन्होंने अपनी क़ौम से फ़रमाया कि तुम ऐसी बेहयाई का काम करते हो कि तुमसे पहले किसी ने दुनिया जहान वालों में नहीं किया। क्या तुम मर्दों से बुरा फ़ेल "यानी बुरा काम" करते हो (वह बेहयाई का काम यही है) और (इसके अ़लावा दूसरी नामाक़ूल हरकतें भी करते हो, मसलन यह कि) तुम डाका डालते हो (जैसा कि हज़रत इब्ने ज़ैद की रिवायत से दुर्रे मन्सूर में है) और (ग़ज़ब यह है कि) अपनी भरी मज्लिस में नामाक़ूल हरकत करते हो (और गुनाह व नाफ़रमानी का ऐलान "यानी उसको सब के सामने करना" यह ख़ुद एक बुराई व गुनाह और बेअ़क़्ली है)। सो उनकी क़ौम का (आख़िरी) जवाब बस यह था कि तुम हम पर अल्लाह का अ़ज़ाब ले आओ अगर तुम (इस बात में) सच्चे हो (कि ये काम अ़ज़ाब को लाने वाले हैं)। लूत (अ़लैहिस्सलाम) ने दुआ़ की, ऐ मेरे रब! मुझको इन फ़साद "यानी ख़राबी और बिगाड़" पैदा करने वाले लोगों पर ग़ालिब (और इनको अ़ज़ाब से हलाक) कर दे।

और (उनकी दुआ़ क़ुबूल होने के बाद अल्लाह तआ़ला ने अ़ज़ाब की ख़बर देने के लिये फ़रिश्ते मुक़र्रर फ़रमाये। और दूसरा काम उन फ़रिश्तों को यह बतलाया गया कि इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को इस्हाक़ अ़लैहिस्सलाम की पैदाईश की ख़ुशख़बरी दें, चुनाँचे) हमारे (वे) भेजे हुए फ़रिश्ते जब इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) के पास (उनके बेटे इस्हाक़ के पैदा होने की) ख़ुशख़बरी लेकर आये तो (बातचीत के दौरान में जिसका तफ़सीली बयान दूसरे मौक़े पर है 'क़ा-ल फ़मा ख़त्बुकुम् अय्युहल् मुर्सलून........')। उन फ़रिश्तों ने (इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम से) कहा कि हम उस बस्ती वालों को (जिसमें क़ौमे लूत आबाद है) हलाक करने वाले हैं (क्योंकि) वहाँ के रहने वाले बड़े शरीर हैं। इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि वहाँ तो लूत (अ़लैहिस्सलाम भी मौजूद) हैं (वहाँ अ़ज़ाब न भेजा जाये कि उनको तकलीफ़ पहुँचेगी)। फ़रिश्तों ने कहा कि जो-जो वहाँ (रहते) हैं हमको सब मालूम हैं। हम उनको और उनके ख़ास मुताल्लिक़ीन को (यानी उनके ख़ानदान वालों को और जो मोमिन हों उनको उस अ़ज़ाब

से) बचा लेंगे (इस तरह से कि अज़ाब नाज़िल होने से पहले उनको बस्ती से बाहर निकाल ले जायेंगे) सिवाय उनकी बीवी के, कि वह अज़ाब में रह जाने वालों में होगी। (जिसका ज़िक्र सूरः हूद और सूरः हिज्र में गुज़र चुका है)।

(यह बातचीत तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई) और (फिर वहाँ से फ़ारिग़ होकर) जब हमारे वे भेजे हुए लूत (अलैहिस्सलाम) के पास पहुँचे तो लूत (अलैहिस्सलाम) उन (के आने) की वजह से (इसलिए) रंजीदा हुए (कि वे बहुत हसीन जवानों की शक्ल में आये थे और लूत अलैहिस्सलाम ने उनको आदमी समझा और अपनी कौम की नामाक़ूल हरकत का ख़्याल आया) और (इस वजह से) उनके (आने के) सबब तंगदिल हुए। और (फ़रिश्तों ने जब यह हाल देखा तो) वे फ़रिश्ते कहने लगे (आप किसी बात का) अन्देशा न करें और न ग़मगीन हों (हम आदमी नहीं हैं बल्कि अज़ाब के फ़रिश्ते हैं, जैसा कि अल्लाह तआला का कौल है 'इन्ना रुसुलु रब्बि-क' और इस अज़ाब से) हम आप और आपके ख़ास मुताल्लिक़ीन को बचा लेंगे सिवाय आपकी बीवी के, कि वह अज़ाब में रह जाने वालों में होगी।

(और आपको मय आपसे जुड़े लोगों के बचाकर) हम इस बस्ती के (बक़िया) रहने वालों पर एक आसमानी अज़ाब (यानी बिना किसी ज़ाहिरी सबब के) उनकी बदकारियों की सज़ा में नाज़िल करने वाले हैं। (चुनाँचे वह बस्ती उलट दी गई, और ग़ैबी पत्थरों से पत्थर बरसाये गये) और हमने उस बस्ती के कुछ ज़ाहिरी निशान (अब तक) रहने दिये हैं उन लोगों (की इब्रत) के लिये जो अक़्ल रखते हैं (चुनाँचे मक्का वाले मुल्क शाम के सफ़र में उन वीरान स्थानों को देखते थे और जो अक़्ल रखते थे वे उससे नसीहत भी हासिल करते थे कि डरकर ईमान ले आते थे)।

मआरिफ़ व मसाईल

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ

इस जगह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों के तीन सख़्त गुनाहों का ज़िक्र किया है- अव्वल मर्द की मर्द के साथ बदफ़ेली (यानी जिन्सी इच्छा पूरी करना), दूसरे मुसाफ़िरों पर डाका मारना, तीसरे अपनी मज्लिसों में खुलेआम सब के सामने गुनाह करना। क़ुरआने करीम ने इस तीसरे गुनाह को निर्धारित तौर पर बयान नहीं फ़रमाया, इससे मालूम हुआ कि हर गुनाह जो अपनी ज़ात में गुनाह है अगर उसको ऐलानिया बेपरवाई से किया जाये तो यह दूसरा मुस्तक़िल गुनाह हो जाता है, वह कोई भी गुनाह हो। तफ़सीर के कुछ इमामों ने इस जगह उन गुनाहों को गिनाया है जो ये बेहया लोग अपनी मज्लिसों में सब के सामने किया करते थे, जैसे रास्ता चलते लोगों को पत्थर मारना और उनका मज़ाक़ उड़ाना जैसा कि हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा की एक हदीस में इसका ज़िक्र है। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि जो बेहयाई उनकी मशहूर थी उसको वे कहीं छुपकर नहीं खुली मज्लिसों में एक दूसरे के सामने करते थे। अल्लाह तआला अपनी पनाह में रखे।

जिन तीन गुनाहों का इस आयत में ज़िक्र है उन सब में सख़्त पहला गुनाह है जो उनसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया था, और जंगल के जानवर भी उससे परहेज़ करते हैं, पूरी उम्मत का

इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि यह गुनाह ज़िना से ज़्यादा सख़्त है। (जैसा कि तफ़सीर रूहुल-मआनी में है)

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٣٦﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٣٧﴾ وَعَادًا وَّثَمُوْدَا۠ وَقَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ ﴿٣٨﴾ وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ ﴿٣٩﴾ فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٤٠﴾ مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٤٢﴾ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَآ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ﴿٤٣﴾ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٤﴾

व इला मद्-य-न अख़ाहुम् शुऐबन् फ़क़ा-ल या क़ौमिअ्बुदुल्ला-ह वर्जुल्-यौमल्-आख़ि-र व ला तअ्सौ फ़िल्अर्ज़ि मुफ़्सिदीन (36) फ़-कज़्ज़बूहु फ़-अ-ख़ज़त्हुमुर्-रज्फ़तु फ़-अस्बहू फ़ी दारिहिम् जासिमीन (37) व आदंव्-व समू-द व क़त्-त-बय्य-न लकुम् मिम्-मसाकिनिहिम्, व ज़य्य-न लहुमुश्शैतानु अअ्मालहुम् फ़-सद्दहुम् अ़निस्सबीलि व कानू मुस्तब्सिरीन (38) व क़ारू-न व

और भेजा मद्यन के पास उसके भाई शुऐब को फिर बोला ऐ क़ौम! बन्दगी करो अल्लाह की और उम्मीद रखो पिछले दिन की और मत फिरो ज़मीन में ख़राबी मचाते। (36) फिर उसको झुठलाया तो पकड़ लिया उनको ज़लज़ले ने, फिर सुबह को रह गये अपने घरों में औंधे पड़े। (37) और हलाक किया आ़द को और समूद को और तुम पर हाल खुल चुका है उनके घरों से। और फ़रेफ़्ता किया उनको शैतान ने उनके कामों पर फिर रोक दिया उनको राह से और वे थे होशियार। (38) और हलाक किया क़ारून और

फ़िर्औ़-न व हामा-न, व ल-क़द् जा-अहुम् मूसा बिल्बय्यिनाति फ़स्तक्बरू फ़िल्अर्ज़ि व मा कानू साबिक़ीन (39) फ़-कुल्लन् अख़ज़्ना बि-ज़म्बिही फ़-मिन्हुम् मन् अर्सल्ना अ़लैहि हासिबन् व मिन्हुम् मन् अ-ख़ज़त्हुस्सै-हतु व मिन्हुम् मन् ख़सफ़्ना बिहिल्-अर्-ज़ व मिन्हुम् मन् अग़्रक़्ना व मा कानल्लाहु लि-यज़्लि-महुम् व लाकिन् कानू अन्फ़ु-सहुम् यज़्लिमून (40) म-सलुल्-लज़ीनत्त-ख़ज़ू मिन् दूनिल्लाहि औलिया-अ क-म-सलिल्-अ़न्कबूति इत्त-ख़ज़त् बैतन्, व इन्-न औ-हनल्-बुयूति लबैतुल्-अ़न्कबूति। लौ कानू यअ़्लमून (41) इन्नल्ला-ह यअ़्लमु मा यद्अू-न मिन् दूनिही मिन् शैइन्, व हुवल् अ़ज़ीज़ुल्-हकीम (42) व तिल्कल्-अम्सालु नज़्रिबुहा लिन्नासि व मा यअ़्क़िलुहा इल्लल्-आ़लिमून (43) ख़-लक़ल्लाहुस्-समावाति वल्अर्-ज़ बिल्हक़्क़ि, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआ-यतल् लिल्-मुअ्मिनीन (44) ✿

फ़िरऔन और हामान को और उनके पास पहुँचा मूसा खुली निशानियाँ लेकर, फिर बड़ाई करने लगे मुल्क में और नहीं थे हमसे जीत जाने वाले। (39) फिर सब को पकड़ा हमने अपने-अपने गुनाह पर, फिर कोई था कि उस पर हमने भेजा पथराव हवा से और कोई था कि उसको पकड़ा चिंघाड़ ने, और कोई था कि उसको धंसा दिया हमने ज़मीन में, और कोई था कि उसको डुबा दिया हमने, और अल्लाह ऐसा न था कि उन पर ज़ुल्म करे पर वे थे अपना आप ही बुरा करते। (40) मिसाल उन लोगों की जिन्होंने पकड़े अल्लाह को छोड़कर और हिमायती जैसे मकड़ी की मिसाल, बना लिया उसने एक घर और सब घरों में बोदा सो मकड़ी का घर। अगर उनको समझ होती। (41) अल्लाह जानता है जिस-जिसको वे पुकारते हैं उसके सिवाय कोई चीज़ हो, और वह ज़बरदस्त है हिक्मतों वाला। (42) और ये मिसालें बिठलाते हैं हम लोगों के वास्ते और इनको समझते वही हैं जिनको समझ है। (43) अल्लाह ने बनाये आसमान और ज़मीन जैसे चाहियें, इसमें निशानी है यक़ीन लाने वालों के लिये। (44) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और मद्यन वालों के पास हमने उन (की बिरादरी) के भाई शुऐब (अलैहिस्सलाम) को पैग़म्बर बनाकर भेजा। सो उन्होंने फ़रमाया कि ऐ मेरी कौम! अल्लाह की इबादत करो (और शिर्क छोड़ दो) और कियामत के दिन से डरो, (और उसके इनकार से बाज़ आओ) और सरज़मीन में फ़साद मत फैलाओ (यानी अल्लाह तआला और बन्दों के हुक़ूक़ को ज़ाया मत करो, क्योंकि ये लोग कुफ़्र व शिर्क के साथ कम नापने कम तौलने के भी आदी थे, जिससे ख़राबी और बिगाड़ फैलना ज़ाहिर है), सो उन लोगों ने शुऐब (अलैहिस्सलाम) को झुठलाया, पस ज़लज़ले ने उनको आ पकड़ा, फिर वे अपने घरों में औंधे गिरकर रह गये। और हमने आद और समूद को भी (उनके बैर और मुख़ालफ़त की वजह से) हलाक किया, और यह हलाक होना तुमको उनके रहने के स्थानों से नज़र आ रहा है (कि उनकी वीरान बस्तियों के खंडरात मुल्के शाम को जाते हुए तुम्हारे रास्ते पर मिलते हैं) और (हालत उनकी यह थी कि) शैतान ने उनके (बुरे) आमाल को उनकी नज़र में अच्छा और पसन्दीदा बना रखा था और (इस ज़रिये से) उनको (हक़) रास्ते से रोक रखा था, और वे लोग (वैसे) होशियार थे (पागल व बेवक़ूफ़ न थे, मगर इस जगह उन्होंने अपनी अक़्ल से काम न लिया)।

और हमने क़ारून और फ़िरऔन और हामान को भी (उनके कुफ़्र के सबब) हलाक किया। और इन (तीनों) के पास मूसा (अलैहिस्सलाम) की खुली दलीलें (हक़ की) लेकर आये थे, फिर उन लोगों ने ज़मीन में सरकशी की और हमारे (अज़ाब) से भाग न सके। तो हमने (उन पाँचों में से) हर एक को उसके गुनाह की सज़ा में पकड़ लिया, सो उनमें बाज़ों पर तो हमने तेज़ हवा भेजी (इससे क़ौमे आद मुराद है) और उनमें बाज़ों को हौलनाक आवाज़ ने आ दबाया (इससे मुराद क़ौमे समूद है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया सूरः हूद आयत 67 में 'व अ-ख़ज़ल्लज़ी-न ज़-लमुस्सैह-त.......') और उनमें कुछ को हमने ज़मीन में धंसा दिया (इससे मुराद क़ारून है), और उनमें कुछ को हमने (पानी में) डुबो दिया (इससे मुराद फ़िरऔन व हामान है) और (उन लोगों पर जो अज़ाब नाज़िल हुए तो) अल्लाह ऐसा न था कि उन पर ज़ुल्म करता (यानी बिना वजह सज़ा देता जो देखने में ज़ुल्म जैसा है अगरचे वास्तव में वह भी ज़ुल्म न होता क्योंकि अपनी मिल्क में मन-मर्ज़ी चलाना कोई ग़लत काम नहीं) लेकिन यही लोग (शरारतें करके) अपने ऊपर ज़ुल्म किया करते थे (कि अपने को अज़ाब का हक़दार बनाया और तबाह हुए, तो अपना नुक़सान ख़ुद किया)।

जिन लोगों ने ख़ुदा के सिवा दूसरे कारसाज़ तजवीज़ कर रखे हैं, उन लोगों की मिसाल मकड़ी जैसी मिसाल है, जिसने एक घर बनाया और कुछ शक नहीं कि सब घरों में ज़्यादा बोदा मकड़ी का घर होता है। (पस जैसे उस मकड़ी ने अपने ख़्याल में अपनी एक पनाह की जगह बनाई है, मगर हक़ीक़त में वह पनाह की जगह बेहद कमज़ोर होने के सबब न होने के बराबर है, इसी तरह ये मुश्रिक लोग झूठे माबूदों को अपने ख़्याल में अपनी पनाह समझते हैं, मगर वास्तव में वह पनाह कुछ नहीं है) अगर वे (असल हक़ीक़त को) जानते तो ऐसा न करते (यानी शिर्क न करते। लेकिन वे न जानें तो क्या हुआ) अल्लाह तआला (तो) उन सब चीज़ों (की हक़ीकत और कमज़ोरी) को जानता है

जिस-जिसको वे लोग ख़ुदा के सिवा पूज रहे हैं। (पस वे चीज़ें तो बहुत ही कमज़ोर हैं) और वह (ख़ुद यानी अल्लाह तआ़ला) ज़बरदस्त, हिक्मत वाला है (जिसका हासिल इल्मी व अ़मली क़ुव्वत में कामिल होना है)।

और (चूँकि हम उन चीज़ों की हक़ीक़त को जानते हैं इसी लिये) हम इन (क़ुरआनी) मिसालों को (जिसमें से यह एक मिसाल इस जगह पर ज़िक्र हुई है) लोगों के (समझाने के) लिये बयान करते हैं, और (इन मिसालों से चाहिए था कि उन लोगों की अज्ञानता ज्ञान और इल्म से बदल जाती मगर) मिसालों को बस इल्म वाले लोग ही समझते हैं (चाहे मौजूदा हालत में आ़लिम हों या अन्जाम के एतिबार से, यानी इल्म और हक़ के तालिब हों, और ये लोग आ़लिम भी नहीं तालिब भी नहीं, इसलिए जहल व अज्ञानता में मुब्तला रहते हैं। लेकिन इनके जहल से हक़ हक़ ही रहेगा जिसको ख़ुदा जानता और अपने बयान से ज़ाहिर फ़रमाता है, पस ग़ैरुल्लाह का इबादत का हक़दार न होना तो साबित हुआ, आगे अल्लाह तआ़ला के इबादत का हक़दार होने की दलील है कि) अल्लाह तआ़ला ने आसमानों और ज़मीन को मुनासिब तरीक़े पर बनाया है (चुनाँचे वे भी मानते हैं), ईमान वालों के लिये इसमें (अल्लाह के इबादत का हक़दार होने की) बड़ी दलील है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इन आयतों में जिन अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम और उनकी क़ौमों के वाक़िआ़त मुख़्तसर तौर पर बयान किये गये हैं वे पिछली सूरतों में तफ़सील और विस्तार से आ चुके हैं। जैसे शुऐब अ़लैहिस्सलाम का क़िस्सा सूरः आराफ़ और हूद में, इसी तरह आ़द व समूद का क़िस्सा भी आराफ़ और हूद में गुज़र चुका है, और क़ारून, फ़िरऔ़न, हामान का क़िस्सा सूरः क़सस में अभी गुज़रा है।

وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ٥

मुस्तब्सिरीन इस्तिबसार से निकला है जो बसीरत (समझ व अ़क़्ल) के मायने में है और मुस्तबसिर मुबस्सिर के मायने में है, मुराद यह है कि ये लोग जो कुफ़्र व शिर्क पर अड़े रहकर अ़ज़ाब में और हलाकत में मुब्तला हुए कुछ बेवक़ूफ़ या दीवाने न थे, दुनिया के कामों में बड़े बुद्धिमान और होशियार थे, मगर उनकी अ़क़्ल और होशियारी इसी माद्दी दुनिया में क़ैद होकर रह गई। यह न पहचाना कि नेक व बद की जज़ा व सज़ा का कोई दिन आना चाहिये जिसमें मुकम्मल इन्साफ़ हो क्योंकि दुनिया में तो अक्सर मुजरिम ज़ालिम दनदनाते फिरते हैं और मज़लूम व मुसीबत का मारा मजबूर होकर रह जाता है। उसी इन्साफ़ के दिन का नाम क़ियामत और आख़िरत है, इसके मामले में उनकी अ़क़्ल मारी गई।

यही मज़मून सूरः रूम में भी आगे आने वाला है:

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ٥

यानी ये लोग दुनियावी ज़िन्दगी के कामों को तो ख़ूब जानते हैं मगर आख़िरत से ग़ाफ़िल हैं।

और तफ़सीर के कुछ इमामों ने 'व कानू मुस्तब्सिरीन' के मायने यह बतलाये कि ये लोग ईमान

और आख़िरत पर भी दिल में तो यक़ीन रखते थे और इसका हक़ होना ख़ूब समझते थे मगर दुनियावी फ़ायदों और स्वार्थों ने इनको इनकार पर मजबूर कर रखा था।

وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ.

अन्कबूत मकड़ी को कहा जाता है, इसकी अनेक क़िस्में हैं। उनमें से कुछ ज़मीन में घर बनाती हैं, बज़ाहिर यहाँ वो मुराद नहीं, बल्कि मुराद वह मकड़ी है जो जाला तानती और उसमें लटकी रहती है। उस जाले के ज़रिये मक्खी को शिकार करती है। यह ज़ाहिर है कि जानवरों की जितनी क़िस्म के घोंसले और घर परिचित हैं ये जाले के तार उन सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं कि मामूली हवा से भी टूट सकते हैं। इस आयत में ग़ैरुल्लाह की पूजा-पाठ करने वालों और उन पर भरोसा करने वालों की मिसाल मकड़ी के उस जाले से दी है जो कि बहुत ही कमज़ोर है। इसी तरह जो लोग अल्लाह के सिवा बुतों पर किसी इनसान वग़ैरह पर भरोसा करते हैं उनका भरोसा ऐसा ही है जैसा यह मकड़ी अपने जाले के तारों पर भरोसा करती है।

मसलाः मकड़ी को मारने और उसके जाले साफ़ कर देने के बारे में उलेमा के अलग-अलग अक़वाल हैं। कुछ हज़रात इसको पसन्द नहीं करते क्योंकि यह जानवर नबी करीम सल्ल. की मदीना की तरफ़ हिजरत के वक़्त ग़ारे सौर के दहाने पर जाला तान देने की वजह से एहतिराम व सम्मान के क़ाबिल हो गया जैसा कि ख़तीबे बग़दादी ने हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहु वज्हहू से इसके क़त्ल की मनाही नक़ल की है। मगर सालबी और इब्ने अ़तीया ने हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से यह रिवायत नक़ल की हैः

طَهِّرُوْا بُيُوْتَكُمْ مِنْ نَسْجِ الْعَنْكَبُوْتِ فَاِنَّ تَرْكَهٗ يُوْرِثُ الْفَقْرَ.

"यानी मकड़ी के जालों से अपने मकानात को साफ़ रखा करो, क्योंकि उसके छोड़ देने से फ़क़्र व तंगदस्ती पैदा होती है।"

सनद इन दोनों रिवायतों की भरोसे के क़ाबिल नहीं और दूसरी रिवायत की दूसरी हदीसों से ताईद होती है जिनमें मकानों और घर के सेहन को साफ़ रखने का हुक्म है। (रूहुल-मआ़नी)

تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَآ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ○

मुश्रिक लोगों के ख़ुदाओं की कमज़ोरी की मिसाल मकड़ी के जाले से देने के बाद यह इरशाद फ़रमाया कि हम ऐसी-ऐसी स्पष्ट मिसालों से तौहद की हक़ीक़त का बयान करते हैं मगर इन मिसालों से भी समझ-बूझ सिर्फ़ दीन के आ़लिम ही हासिल करते हैं दूसरे लोग सोचने-समझने और विचार करने की फ़िक्र ही नहीं करते कि हक़ उन पर खुल जाये।

अल्लाह के नज़दीक आ़लिम कौन है?

इमाम बग़वी रह. ने अपनी सनद के साथ हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस आयत की तिलावत फ़रमाकर फ़रमाया कि आ़लिम वही शख़्स है जो अल्लाह तआ़ला के कलाम में सोच-विचार करे और उसके हुक्मों पर अ़मल करे और उसको नाराज़ करने वाले कामों से बचे।

इससे मालूम हुआ कि क़ुरआन व हदीस के सिर्फ़ अलफ़ाज़ समझ लेने से अल्लाह के नज़दीक कोई शख़्स आलिम नहीं होता जब तक क़ुरआन में विचार और ग़ौर व फ़िक्र की आदत न डाले, और जब तक कि अपने अमल को क़ुरआन के मुताबिक़ न बनाये।

मुस्नद अहमद में हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से एक हज़ार मिसालें सीखी हैं। इब्ने कसीर रह. इसको नक़ल करके लिखते हैं कि यह हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु की बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है क्योंकि अल्लाह तआ़ला ने इस ऊपर बयान हुई आयत में आलिम उन्हीं को फ़रमाया है जो अल्लाह व रसूल की बयान की हुई मिसालों को समझें।

और हज़रत अमर बिन मुर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि जब मैं क़ुरआन की किसी आयत पर पहुँचता हूँ जो मेरी समझ में न आये तो मुझे बड़ा ग़म होता है, क्योंकि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया है:

تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ۝ (ابن كثير)

(हम इन मिसालों को लोगों के लिये बयान करते हैं, और मिसालों को बस इल्म वाले लोग ही समझते हैं।)

पारा (21) उत्लु मा ऊहि-य

أُتْلُ مَآ أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ ۖ إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ۝

उत्लु मा ऊहि-य इलै-क मिनल्-किताबि व अक़िमिस्सला-त, इन्नस्सला-त तन्हा अ़निल् फ़स्शा-इ वल्मुन्करि, व ल-ज़िक्रुल्लाहि अक्बरु, वल्लाहु यअ्लमु मा तस्नअ़ून (45)	तू पढ़ जो उतरी तेरी तरफ़ किताब और क़ायम रख नमाज़, बेशक नमाज़ रोकती है बेहयाई और बुरी बात से, और अल्लाह की याद है सबसे बड़ी, और अल्लाह को ख़बर है जो तुम करते हो। (45)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! चूँकि आप रसूल हैं इसलिये) जो किताब आप पर वही की गई है आप (तब्लीग़ के वास्ते) उसको (लोगों के सामने) पढ़ा कीजिये। और (ज़ुबानी तब्लीग़ के साथ अमली तब्लीग़ भी कीजिये कि दीन के काम उनको अमल करके भी बतलाईये, ख़ुसूसन) नमाज़ की पाबन्दी रखिये (क्योंकि तमाम आमाल में नमाज़ सबसे बड़ी इबादत भी है और इसके असरात भी

दूर तक पहुँचते हैं कि) बेशक नमाज़ (अपनी शक्ल और ज़ाहिरी हालात के एतिबार से) बेहयाई और नामाक़ूल कामों से रोक-टोक करती रहती है (यानी ज़ुबाने हाल से कहती है कि तू जिस माबूद की हद से ज़्यादा इज़्ज़त व सम्मान कर रहा है और उसकी फ़रमाँबरदारी का इक़रार कर रहा है, बुरे और गन्दे कामों में मुब्तला होना उसकी शान में बेअदबी है) और (इसी तरह नमाज़ के सिवा जितने नेक काम हैं सब पाबन्दी के लायक़ हैं, क्योंकि वे सब ज़ुबान से या अ़मल से अल्लाह की याद ही हैं) अल्लाह की याद बहुत बड़ी चीज़ है। और (अगर तुम अल्लाह की याद में ग़फ़लत करो तो यह भी सुन लो कि) अल्लाह तुम्हारे सब कामों को जानता है (जैसा करोगे वैसा बदला मिलेगा)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

اُتْلُ مَآ اُوْحِیَ اِلَیْکَ

इनसे पहले की आयतों में चन्द नबियों और उनकी उम्मतों का ज़िक्र था। जिनमें कुछ बड़े-बड़े सरकश काफ़िरों और उन पर तरह-तरह के अ़ज़ाबों का बयान था, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और उम्मत के मोमिनों के लिये तसल्ली भी है कि पिछले नबियों ने मुख़ालिफ़ों की कैसी कैसी तकलीफ़ों पर सब्र किया, और इसकी तालीम व हिदायत भी कि तब्लीग़ व दावत के काम में किसी हाल में हिम्मत नहीं हारनी चाहिये।

मख़्लूक़ के सुधार का मुख़्तसर और पूर्ण नुस्ख़ा

उपर्युक्त आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को अल्लाह की तरफ़ दावत देने का एक मुख़्तसर जामे नुस्ख़ा बतलाया गया है जिस पर अ़मल करने से पूरे दीन पर अ़मल करने के रास्ते खुल जाते हैं और उसकी राह में जो रुकावटें पेश आती हैं वो दूर हो जाती हैं। इस अचूक नुस्ख़े के दो भाग हैं- एक क़ुरआन की तिलावत, दूसरे नमाज़ का क़ायम करना। और इस जगह असल मक़सद तो यही है कि लोगों को इन दोनों चीज़ों का पाबन्द किया जाये, लेकिन शौक़ दिलाने और ताकीद के लिये इन दोनों चीज़ों का हुक्म पहले तो ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को दिया गया है ताकि उम्मत को इस पर अ़मल करने की ज़्यादा रग़बत (दिलचस्पी) हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की अ़मली तालीम से उनको ख़ुद अ़मल करना भी आसान हो जाये।

इनमें क़ुरआन की तिलावत (पढ़ना) तो सब कामों की रूह और असल बुनियाद है, इसके बाद दूसरी चीज़ नमाज़ का क़ायम करना है जिसको तमाम दूसरे फ़राईज़ और आमाल से नुमायाँ करके बयान करने की यह हिक्मत भी बयान फ़रमा दी कि नमाज़ ख़ुद अपनी ज़ात में भी बहुत बड़ी अहम इबादत और दीन का सुतून है, इसके साथ उसका यह भी फ़ायदा है कि जो शख़्स नमाज़ की पाबन्दी कर ले तो नमाज़ उसको बेहयाई के और बुरे कामों से रोक देती है। फ़ुहशा (बेहयाई) हर ऐसे बुरे फ़ेल या क़ौल को कहा जाता है जिसकी बुराई खुली हुई और ऐसी स्पष्ट हो कि हर अ़क़्ल वाला मोमिन हो या काफ़िर उसको बुरा समझे, जैसे ज़िना, नाहक़ क़त्ल करना, चोरी, डाका वग़ैरह। और मुन्कर (बुराई) वह क़ौल व फ़ेल है जिसके हराम व नाजायज़ होने पर शरीअ़त वालों का इत्तिफ़ाक़

(एक राय) हो, इसलिये फ़कीह इमामों के वैचारिक मतभेदों में किसी राय और क़ौल को मुन्कर नहीं कहा जा सकता।

फ़ुहशा और मुन्कर के दो लफ़्ज़ों में तमाम अपराध और ज़ाहिर व बातिन के गुनाह आ गये, जो ख़ुद भी फ़साद ही फ़साद (ख़राबियाँ) हैं और नेक आमाल में सबसे बड़ी रुकावट भी हैं।

नमाज़ का तमाम गुनाहों से रोकने का मतलब

अनेक मोतबर हदीसों के अनुसार इसका यह मतलब है कि नमाज़ क़ायम करने में विशेष तौर पर यह तासीर है कि जो इसको अदा करता है उससे गुनाह छूट जाते हैं बशर्तेकि सिर्फ़ नमाज़ पढ़ना न हो बल्कि क़ुरआन के अलफ़ाज़ के मुताबिक़ नमाज़ का क़ायम करना हो। इक़ामत के लफ़्ज़ी मायने सीधा खड़ा करने के हैं जिसमें किसी तरफ़ झुकाव न हो। इसलिये नमाज़ को क़ायम करने का मतलब यह हुआ कि नमाज़ के तमाम ज़ाहिरी और बातिनी आदाब उस तरह अदा करे जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अ़मली तौर पर अदा करके बतलाया, और उम्र भर उनकी ज़बानी तालीम व हिदायत भी फ़रमाते रहे कि बदन और कपड़े और जाय-नमाज़ की मुकम्मल पाकी भी हो, फिर जमाअ़त की नमाज़ का पूरा एहतिमाम भी, और नमाज़ के तमाम आमाल को सुन्नत के मुताबिक़ बनाना भी। यह तो ज़ाहिरी आदाब हुए। बातिनी यह कि मुकम्मल ख़ुशू व ख़ुज़ू (दिल की आजिज़ी और विशेष ध्यान) से इस तरह अल्लाह के सामने खड़ा हो कि गोया वह हक़ तआ़ला से दरख़्वास्त और अ़र्ज़ कर रहा है। इस तरह नमाज़ क़ायम करने वाले को अल्लाह की तरफ़ से ख़ुद-ब-ख़ुद नेक आमाल की भी तौफ़ीक़ होती है, और हर तरह के गुनाहों से बचने की भी, और जो शख़्स नमाज़ पढ़ने के बावजूद गुनाहों से न बचा तो समझ ले कि उसकी नमाज़ ही में कमी व कोताही है, जैसा कि हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा गया कि 'इन्नस्सला-त तन्हा अ़निल्-फ़ह्शा-इ वल्मुन्करि' (बेशक नमाज़ रोकती है बेहयाई और बुरी बात से) का क्या मतलब है? आपने फ़रमायाः

مَنْ لَّمْ تَنْهَهُ صَلٰوتُهٗ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ فَلَا صَلٰوةَ لَهٗ. (رواه ابن ابی حاتم بسند عن عمران بن حصین والطبرانی من حدیث ابی معاویة)

यानी जिस शख़्स को उसकी नमाज़ ने बेहयाई और बुराई से न रोका उसकी नमाज़ कुछ नहीं।

और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

لَاصَلٰوةَ لِمَنْ لَّمْ يُطِعِ الصَّلٰوةَ. (رواه ابن جریر بسنده)

यानी उस शख़्स की नमाज़ ही नहीं जिसने अपनी नमाज़ का हुक्म न माना, और नमाज़ का हुक्म मानना यही है कि बेहयाई और बुरी बातों से बाज़ आ जाये।

और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने उक्त आयत की तफ़सीर में फ़रमाया कि जिस शख़्स की नमाज़ ने उसको नेक आमाल पर अ़मल और बुराईयों से परहेज़ पर आमादा नहीं किया तो ऐसी नमाज़ उसको अल्लाह से और ज़्यादा दूर कर देती है।

इमाम इब्ने कसीर रह. ने इन तीनों रिवायतों को नकल करके वरीयता इसको दी है कि ये हदीसें मरफ़ूअ नहीं बल्कि इमरान बिन हुसैन और अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद और इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुम के क़ौल हैं जो इन हज़रात ने इस आयत की तफ़सीर में इरशाद फ़रमाये हैं।

और हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत है कि एक शख़्स आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अ़र्ज़ किया कि फ़ुलाँ आदमी रात को तहज्जुद पढ़ता है और जब सुबह होती है तो चोरी करता है, आपने फ़रमाया कि बहुत जल्दी नमाज़ उसको चोरी से रोक देगी। (इब्ने कसीर)

कुछ रिवायतों में यह भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के इस इरशाद के बाद उसने अपने गुनाह से तौबा कर ली।

एक शुब्हा और उसका जवाब

यहाँ कुछ लोग यह शुब्हा किया करते हैं कि हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि नमाज़ के पाबन्द होने के बावजूद बड़े-बड़े गुनाहों में मुब्तला रहते हैं जो बज़ाहिर इस आयत के इरशाद के ख़िलाफ़ है।

इसके जवाब में कुछ हज़रात ने तो यह फ़रमाया कि आयत से इतना मालूम होता है कि नमाज़ नमाज़ी को गुनाहों से रोकती है, लेकिन क्या यह ज़रूरी है कि जिसको किसी काम से मना किया जाये वह उससे बाज़ भी आ जाये। आख़िर क़ुरआन व हदीस सब लोगों को गुनाह से मना करते हैं मगर बहुत से लोग इस मना करने की तरफ़ तवज्जोह नहीं देते और गुनाह से बाज़ नहीं आते। ऊपर बयान हुए ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में यही मतलब लिया गया है।

मगर अक्सर हज़राते मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया कि नमाज़ के मना करने का मतलब सिर्फ़ हुक्म देना नहीं बल्कि नमाज़ में विशेष तौर पर यह असर भी है कि इसके पढ़ने वाले को गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ हो जाती है, और जिसको तौफ़ीक़ न हो तो ग़ौर करने से साबित हो जायेगा कि उसकी नमाज़ में कोई ख़लल था और नमाज़ पढ़ने का हक़ उसने अदा नहीं किया, उपर्युक्त हदीसों से इसी मज़मून की ताईद होती है।

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ○

"यानी अल्लाह का ज़िक्र बहुत बड़ा है, और वह तुम्हारे सब आमाल को ख़ूब जानता है।"

यहाँ अल्लाह के ज़िक्र का यह मतलब भी हो सकता है कि बन्दे जो अल्लाह का ज़िक्र नमाज़ या नमाज़ से बाहर में करते हैं वह बड़ी चीज़ है, और यह मायने भी हो सकते हैं कि बन्दे जब अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो अल्लाह का वायदा है कि वह अपने ज़ाकिर बन्दों का ज़िक्र फ़रिश्तों के मजमे में करते हैं। जैसा कि क़ुरआन में फ़रमाया 'फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम')।

और यह इबादत गुज़ार बन्दों को अल्लाह का याद करना सबसे बड़ी नेमत है। बहुत से सहाबा व ताबिईन से इस जगह अल्लाह के ज़िक्र का यही दूसरा मतलब नकल किया गया है। इमाम इब्ने जरीर और इब्ने कसीर ने इसी को वरीयता दी है, और इस मायने के लिहाज़ से इसमें इस तरफ़ भी इशारा

हो गया कि नमाज़ पढ़ने में गुनाहों से निजात का असल सबब यह है कि अल्लाह तआ़ला ख़ुद उसकी तरफ़ मुतवज्जह होते हैं, उसका ज़िक्र फ़रिश्तों में करते हैं और इसकी बरकत से उसको गुनाहों से निजात मिल जाती है।

وَلَا تُجَادِلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟
مِنْهُمْ وَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَٰحِدٌ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ۝ وَ
كَذَٰلِكَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۖ وَمِنْ هَٰٓؤُلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِۦ ۚ وَمَا يَجْحَدُ
بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَّا ٱلْكَٰفِرُونَ ۝ وَمَا كُنتَ تَتْلُوا۟ مِن قَبْلِهِۦ مِن كِتَٰبٍ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّٱرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۝
بَلْ هُوَ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ فِى صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَّا ٱلظَّٰلِمُونَ ۝ وَقَالُوا۟ لَوْلَآ
أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَٰتٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۖ قُلْ إِنَّمَا ٱلْءَايَٰتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ
أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ
بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۖ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْبَٰطِلِ وَكَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ
ٱلْخَٰسِرُونَ ۝ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَآ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ ۚ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌۢ بِٱلْكَٰفِرِينَ ۝ يَوْمَ يَغْشَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ
مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

व ला तुजादिलू अह्लल्-किताबि इल्ला बिल्लती हि-य अह्सनु इल्लल्लज़ी-न ज़-लमू मिन्हुम् व कूलू आमन्ना बिल्लज़ी उन्ज़ि-ल इलैना व उन्ज़ि-ल इलैकुम् व इलाहुना व इलाहुकुम् वाहिदुंव्-व नह्नु लहू मुस्लिमून (46) व कज़ालि-क अन्ज़ल्ना इलैकल्-किता-ब, फ़ल्लज़ी-न आतैनाहुमुल्-किता-ब युअ्मिनू-न बिही व मिन् हाउला-इ मंय्युअ्मिनु बिही,	और झगड़ा न करो अहले किताब से मगर उस तरह पर जो बेहतर हो, मगर जो उनमें बेइन्साफ़ हैं, और यूँ कहो कि हम मानते हैं जो उतरा हमको और उतरा तुमको और बन्दगी हमारी और तुम्हारी एक ही को है, और हम उसी के हुक्म पर चलते हैं। (46) और वैसी ही हमने उतारी तुझ पर किताब, सो जिनको हमने किताब दी है वे इसको मानते हैं और इन (मक्का वालों) में भी बाज़े हैं कि इसको मानते हैं

व मा यज्हदु बिआयातिना इल्लल्-काफ़िरून (47) व मा कुन्-त तत्लू मिन् क़ब्लिही मिन् किताबिंव्-व ला तख़ुत्तुहू बि-यमीनि-क इज़ल्-लर्ताबल्- मुब्तिलून (48) बल् हु-व आयातुम् बय्यिनातुन् फ़ी सुदूरिल्लज़ी-न ऊतुल्-अिल्-म, व मा यज्हदु बिआयातिना इल्लज़्ज़ालिमून (49) व क़ालू लौ ला उन्ज़ि-ल अ़लैहि आयातुम् मिर्रब्बिही, क़ुल् इन्नमल्-आयातु अिन्दल्लाहि, व इन्नमा अ-न नज़ीरुम्-मुबीन (50) अ-व लम् यक्फ़िहिम् अन्ना अन्ज़ल्ना अ़लैकल्-किता-ब युत्ला अ़लैहिम्, इन्-न फ़ी ज़ालि-क ल-रह्म-तंव्-व ज़िक्रा लिक़ौमिंय्-युअ्मिनून (51) ✿

क़ुल् कफ़ा बिल्लाही बैनी व बैनकुम् शहीदन् यअ्लमु मा फ़िस्समावाति वल्अर्ज़ि, वल्लज़ी-न आमनू बिल्बातिलि व क-फ़रू बिल्लाहि उलाइ-क हुमुल्-ख़ासिरून (52) व यस्तअ्जिलून-क बिल्अ़ज़ाबि, व लौ ला अ-जलुम्-मुसम्मल्-लजा-अहुमुल्-अ़ज़ाबु, व ल-यअ्ति-यन्नहुम्

और मुन्किर वही हैं हमारी बातों से जो नाफ़रमान हैं। (47) और तू पढ़ता न था इससे पहले कोई किताब और न लिखता था अपने दाहिने हाथ से तब तो लाज़िमी तौर पर शुब्हे में पड़ते ये झूठे। (48) बल्कि यह (क़ुरआन) तो आयतें हैं साफ़ उन लोगों के सीनों में जिनको मिली है समझ, और इनकारी नहीं हमारी बातों से मगर वही जो बेइन्साफ़ हैं। (49) और कहते हैं क्यों न उतरीं उस पर कुछ निशानियाँ उसके रब से, तू कह निशानियाँ तो हैं इख़्तियार में अल्लाह के और मैं तो बस सुना देने वाला हूँ खोलकर। (50) क्या उनको यह काफ़ी नहीं कि हमने तुझ पर उतारी किताब कि उन पर पढ़ी जाती है, बेशक इसमें रहमत है और समझाना उन लोगों को जो मानते हैं। (51) ✿

तू कह काफ़ी है अल्लाह मेरे और तुम्हारे बीच गवाह, जानता है जो कुछ है आसमान और ज़मीन में और जो लोग यक़ीन लाते हैं झूठ पर और इनकारी हुए अल्लाह से, वही हैं नुक़सान पाने वाले। (52) और जल्दी माँगते हैं तुझसे आफ़त, और अगर न होता एक वायदा तय तो आ पहुँचती उन पर आफ़त, और ज़रूर आयेगी उन

बग़्त-तंव्-व हुम् ला यश्अुरून (53) यस्तअ्जिलून-क बिल्अ़ज़ाबि, व इन्-न जहन्न-म लमुही-ततुम्-बिल्-काफ़िरीन (54) यौ-म यग़्शाहुमुल्-अ़ज़ाबु मिन् फ़ौक़िहिम् व मिन् तह्ति अर्जुलिहिम् व यक़ूलु ज़ूक़ू मा कुन्तुम् तअ्मलून (55)	पर अचानक और उनको ख़बर न होगी। (53) जल्दी माँगते हैं तुझसे अ़ज़ाब और दोज़ख़ घेर रही है इनकारियों को। (54) जिस दिन घेर लेगा उनको अ़ज़ाब उनके ऊपर से और पाँव के नीचे से और कहेगा चखो जैसा कुछ तुम करते थे। (55)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (जब पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की रिसालत साबित है तो ऐ मुसलमानो! रिसालत के इनकारियों में से जो अहले किताब हैं हम उनसे गुफ़्तगू का तरीक़ा बतलाते हैं, और यह अहले किताब को ख़ास करना इसलिये कि अव्वल तो वे इल्म वाले होने की वजह से बात को सुनते हैं और मुश्रिक लोग तो बात सुनने से पहले ही तकलीफ़ देने के पीछे लग जाते हैं, दूसरे इल्म रखने वालों के ईमान ले आने से अ़वाम का ईमान ज़्यादा अपेक्षित हो जाता है। और वह तरीक़ा यह है कि) तुम अहले किताब के साथ सिवाय तहज़ीब वाले तरीक़े के बहस मत करो। हाँ! जो उनमें ज़्यादती करें (तो उनको उन्हीं के जैसा जवाब देने में कोई हर्ज नहीं, अगरचे अफ़ज़ल तब भी अच्छा तरीक़ा ही है) और (वह सभ्य और अच्छा तरीक़ा यह है कि मसलन उनसे) यूँ कहो कि हम उस किताब पर भी ईमान रखते हैं जो हम पर नाज़िल हुई और उन किताबों पर भी (ईमान रखते हैं) जो तुम पर नाज़िल हुईं (क्योंकि ईमान का मदार अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल होना है, पस जब हमारी किताब का अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल होना तुम्हारी किताबों से भी साबित है फिर तुमको क़ुरआन पर भी ईमान लाना चाहिये) और (यह तुम भी मानते हो) कि हमारा और तुम्हारा माबूद एक है, जैसा कि अल्लाह तआ़ला ने सूरः आले इमरान की आयत 64 में फ़रमाया है 'इला कलि-मतिन् सवाइम् बैनना व बैनकुम्.......'। जब तौहीद पर सहमति है और अपने उलेमा व बुज़ुर्गों का हुक्म मानने की वजह से नबी-ए-आख़िरुज़्ज़माँ पर ईमान न लाना ख़िलाफ़े तौहीद है तो तुमको हमारे नबी पर ईमान लाना चाहिए जैसा कि अल्लाह तआ़ला का क़ौल है 'व ला यत्तख़ि-ज़ बअ़्ज़ुना बअ़्ज़न्.....' और (इस गुफ़्तगू के साथ अपना मुसलमान होना तंबीह के लिये सुना दो कि) हम तो उसकी फ़रमाँबरदारी करते हैं (इसमें अ़क़ीदे व आमाल सब आ गये, यानी इसी तरह तुमको भी चाहिए जबकि मौक़ा और तक़ाज़ा मौजूद है जैसा कि अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है:

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ○

और (जिस तरह हमने पहले नबियों पर किताबें नाज़िल कीं) इसी तरह हमने आप पर किताब

नाज़िल फ़रमाई (जिसकी बिना पर अच्छे अन्दाज़ पर गुफ़्तगू व बहस करने की तालीम की गई) सो जिन लोगों को हमने किताब (की नफ़ा देने वाली समझ) दी है वे इस (आप वाली) किताब पर ईमान ले आते हैं (और उनसे बहस व गुफ़्तगू की भी नौबत इत्तिफ़ाक़ से ही आती है) और इन (अ़रब के मुश्रिक) लोगों में भी बाज़े ऐसे (इन्साफ़ पसन्द) हैं कि इस किताब पर ईमान ले आते हैं (चाहे ख़ुद समझकर या इल्म रखने वालों के ईमान से दलील हासिल करके) और (दलीलों के स्पष्ट हो जाने के बाद) हमारी (इस किताब की) आयतों से सिवाय (ज़िद्दी) काफ़िरों के और कोई इनकारी नहीं होता। (ऊपर बहस व गुफ़्तगू की किताबी व रिवायती दलील थी जिससे ख़ास अहले किताब व नक़ल वालों को संबोधन था, आगे अ़क़्ली दलील है जिससे आ़म संबोधन है, यानी) और (जो लोग आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत के इनकारी हैं, उनके पास शुब्हे व एतिराज़ की कोई सही बुनियाद भी तो नहीं, क्योंकि) आप इस किताब (यानी क़ुरआन) से पहले न कोई किताब पढ़े हुए थे और न कोई किताब अपने हाथ से लिख सकते थे, कि ऐसी हालत में यह हक़ न पहचानने वाले लोग कुछ शुब्हा निकालते (कि ये लिखे-पढ़े आदमी हैं आसमानी किताबें देख-भालकर उनकी मदद से मज़ामीन सोचकर फ़ुर्सत में बैठकर लिख लिये और याद करके हम लोगों को सुना दिये, यानी अगर ऐसा होता तो कुछ तो शुब्हे व दुविधा की कोई बुनियाद होती, अगरचे तब भी यह शुब्हा करने वाले बातिल और ग़लत राह पर चलने वाले होते, क्योंकि क़ुरआन पाक का अपने आप में बेमिसाल और बेजोड़ होना फिर भी आपकी नुबुव्वत के लिये काफ़ी दलील थी, लेकिन यह अब तो शुब्हे की इतनी बुनियाद भी नहीं, इसलिए इस किताब में किसी शक व शुब्हे की गुंजाईश नहीं) बल्कि यह किताब (बावजूद एक होने के चूँकि इसका हर हिस्सा मोजिज़ा है, और हिस्से बहुत हैं, इसलिए वह तन्हा गोया) ख़ुद बहुत-सी स्पष्ट दलीलें हैं उन लोगों के ज़ेहन में जिनको इल्म अ़ता हुआ है, और (बावजूद इसकी बेजोड़ शान ज़ाहिर होने के) हमारी आयतों से बस ज़िद्दी लोग इनकार किये जाते हैं (वरना इन्साफ़ से काम लेने वाले को तो ज़रा भी शुब्हा नहीं रहना चाहिए)।

और ये लोग (क़ुरआन का मोजिज़ा अ़ता होने के बावजूद महज़ सरकशी व दुश्मनी से) यूँ कहते हैं कि इन (पैग़म्बर) पर इनके रब के पास से (हमारी फ़रमाईशी) निशानियाँ क्यों नहीं नाज़िल हुईं? आप यूँ कह दीजिए कि वो निशानियाँ तो ख़ुदा (की क़ुदरत) के कब्ज़े में हैं और (मेरे इख़्तियार की चीज़ें नहीं) मैं तो सिर्फ़ एक साफ़-साफ़ (अल्लाह के अ़ज़ाब से) डराने वाला (यानी रसूल) हूँ। (और रसूल होने पर सही दलीलें रखता हूँ जिनमें सबसे बड़ी दलील क़ुरआन है। फिर ख़ास दलील की क्या ज़रूरत है? ख़ुसूसन जबकि उसके ज़ाहिर व वाक़े न होने में हिक्मत भी हो। आगे क़ुरआन का नुबुव्वत की सबसे बड़ी निशानी होना बयान फ़रमाते हैं) क्या (नुबुव्वत पर दलालत करने में) उन लोगों को यह बात काफ़ी नहीं हुई कि हमने आप पर यह (बेमिसाल और सब को अपने जैसा लाने से आ़जिज़ कर देने वाली) किताब नाज़िल फ़रमाई जो उनको (हमेशा) सुनाई जाती रहती है (कि अगर एक बार सुनने से इसका बेमिसाल और चमत्कारी होना ज़ाहिर न हो तो दूसरी बार में हो जाये, या उसके बाद हो जाये। और दूसरे मोजिज़ों में तो यह बात भी न होती, क्योंकि उनका बिना असबाब के और ख़िलाफ़े आ़दत होना हमेशा के लिये न होता जैसा कि ज़ाहिर है। और एक ख़ास बात और

वरीयता का कारण इस मोजिज़े में यह है कि) बेशक इस किताब में (मोजिज़ा होने के साथ) ईमान लाने वाले लोगों के लिये बड़ी रहमत और नसीहत है (रहमत यह कि अहकाम की तालीम है जो ख़ालिस नफ़ा है, और नसीहत इसके शौक़ दिलाने और डराने वाले मज़मून से है, और यह बात दूसरे मोजिज़ों में कब होती। पस तरजीह और वरीयता की इन चीज़ों से तो इसको ग़नीमत समझते और ईमान ले आते, और अगर दलीलों के इस स्पष्ट होने के बाद भी ईमान न लायें तो आख़िरी जवाब के तौर पर) आप यह कह दीजिये कि (ख़ैर भाई मत मानो) अल्लाह तआ़ला मेरे और तुम्हारे बीच (मेरी रिसालत का) गवाह काफ़ी है, उसको सब चीज़ की ख़बर है जो आसमान में है और जो ज़मीन में है और (जब मेरी रिसालत और अल्लाह का हर चीज़ को घेरने वाला इल्म साबित हुआ तो) जो लोग झूठी बातों पर यक़ीन रखते हैं और अल्लाह तआ़ला (की बातों) के इनकारी हैं (जिनमें रिसालत भी दाख़िल है) तो वे लोग बड़े घाटा उठाने वाले हैं (यानी जब अल्लाह के इरशाद से मेरी रिसालत साबित है तो उसका इनकार अल्लाह के साथ कुफ़्र है, और अल्लाह तआ़ला का इल्म हर चीज़ को अपने अन्दर लिये हुए है तो उसको इस इनकार और कुफ़्र की भी ख़बर है, और अल्लाह तआ़ला कुफ़्र पर घाटा उठाने की सज़ा देते हैं, पस लाज़िमी तौर पर ऐसे लोग घाटा उठाने वाले होंगे)।

और ये लोग आप से अ़ज़ाब (ज़ाहिर होने का) तक़ाज़ा करते हैं (और फ़ौरन अ़ज़ाब न आने से आपकी नुबुव्वत व रिसालत में शुब्हा व इनकार करते हैं), और अगर (अल्लाह तआ़ला के इल्म में अ़ज़ाब आने की) निर्धारित मियाद न होती तो (उनके तक़ाज़े के साथ ही) उन पर अ़ज़ाब आ चुका होता, और (जब वह मियाद आ जायेगी तो) वह अ़ज़ाब उन पर एक दम से आ पहुँचेगा और उनको ख़बर भी न होगी। (आगे उन लोगों की जहालत के इज़हार के लिये उनकी जल्द बाज़ी को दोबारा ज़िक्र करके अ़ज़ाब की निर्धारित मियाद और उसमें पेश आने वाले अ़ज़ाब का ज़िक्र करते हैं कि) ये लोग आप से अ़ज़ाब का तक़ाज़ा करते हैं और (अ़ज़ाब की सूरत यह है कि) इसमें कुछ शक नहीं कि जहन्नम उन काफ़िरों को (चारों तरफ़ से) घेर लेगी, जिस दिन कि उन पर अ़ज़ाब उनके ऊपर से और उनके नीचे से घेर लेगा और (उस वक़्त उनसे) हक़ तआ़ला फ़रमायेगा कि जो कुछ (दुनिया में) करते रहे हो (अब उसका मज़ा) चखो।

मआ़रिफ़ व मसाईल

وَلَا تُجَادِلُوٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

यानी अहले किताब से बहस व मुबाहसे की नौबत आये तो गुफ़्तगू व बहस भी ऐसे तरीक़े से करो जो बेहतर हो, जैसे सख़्त बात का जवाब नरम अलफ़ाज़ से, गुस्से का जवाब संयम से, जाहिलाना शोर व गुल का जवाब सन्जीदा बातचीत से।

اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

मगर वे लोग जिन्होंने तुम पर ज़ुल्म किया कि तुम्हारी सन्जीदा व सभ्य नर्म गुफ़्तगू और स्पष्ट दलीलों के मुक़ाबले में ज़िद और हठधर्मी से काम लिया तो वे इस एहसान के मुस्तहिक़ नहीं रहे बल्कि ऐसे लोगों का जवाब उन्हीं के अन्दाज़ में दिया जाये तो जायज़ है, अगरचे अच्छा और बेहतर

उस वक़्त भी यही है कि उनके बुरे व्यवहार का जवाब बुरे व्यवहार से और ज़ुल्म का जवाब ज़ुल्म से न दें, बल्कि बद-अख़्लाक़ी के जवाब में अच्छे अख़्लाक़ का और ज़ुल्म के जवाब में इन्साफ़ का प्रदर्शन करें जैसा कि क़ुरआन की दूसरी आयतों में इसकी वज़ाहत है:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ○

"यानी अगर ज़ुल्म व ज़्यादती का बदला तुम उनसे बराबर सराबर ले लो तो तुम्हें इसका हक़ है, लेकिन सब्र करो तो यह ज़्यादा बेहतर है।"

इस आयत में अहले किताब से बहस व गुफ़्तगू और मुनाज़रा करने में जो हिदायत अच्छे तरीक़े के साथ करने की दी गई है यही सूरः नहल में मुश्रिकों के मुताल्लिक़ भी है। इस जगह अहले किताब को ख़ास करना उस कलाम की वजह से है जो बाद में आ रहा है कि हमारे और तुम्हारे बीच दीन में बहुत सी चीज़ें साझा हैं तुम ग़ौर करो तो ईमान और इस्लाम के क़ुबूल करने में तुम्हें कोई रुकावट न होनी चाहिये जैसा कि इरशाद फ़रमाया:

قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ

यानी तुम अहले किताब से गुफ़्तगू व बहस के वक़्त उनको अपने क़रीब करने के लिये कहो कि हम मुसलमान तो उस वही पर भी ईमान रखते हैं जो हमारी तरफ़ हमारे रसूल के माध्यम से भेजी गई है और उस वही पर भी जो तुम्हारी तरफ़ तुम्हारे पैग़म्बर के ज़रिये भेजी गई है, इसलिये हम से मुख़ालफ़त की कोई वजह नहीं।

क्या इस आयत में मौजूदा तौरात व इन्जील के मज़ामीन की तस्दीक़ का हुक्म है?

इस आयत में अहले किताब की तरफ़ आने वाली किताबों तौरात व इन्जील पर मुसलमानों के ईमान का तज़किरा जिस उनवान से किया गया है वह यह है कि हम इन किताबों पर संक्षिप्त रूप से यक़ीन रखते हैं। मतलब यह कि जो कुछ अल्लाह तआ़ला ने इन किताबों में नाज़िल फ़रमाया था उस पर हमारा यक़ीन है। इससे यह लाज़िम नहीं आता कि मौजूदा तौरात व इन्जील के तमाम मज़ामीन पर हमारा ईमान है, जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मुबारक दौर में भी बहुत सारी तब्दीलियाँ हो चुकी हैं और उस वक़्त से अब तक उनमें कमी-बेशी करने का सिलसिला चल ही रहा है। ईमान तौरात व इन्जील के सिर्फ़ उन मज़ामीन पर है जो अल्लाह की तरफ़ से हज़रत मूसा व ईसा अ़लैहिमस्सलाम पर नाज़िल हुए थे, रद्दोबदल हुए मज़ामीन इससे ख़ारिज हैं।

मौजूदा तौरात व इन्जील की न पूरी तरह तस्दीक़ की जाये न बिल्कुल ही झुठलाया जाये

सही बुख़ारी में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत है कि अहले किताब तौरात व

इन्जील को उनकी असल भाषा इबरानी में पढ़ते थे और मुसलमानों को उनका तर्जुमा अ़रबी भाषा में सुनाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इसके मुताल्लिक़ मुसलमानों को यह हिदायत दी कि तुम अहले किताब की न तस्दीक़ (पुष्टि) करो न उनको झुठलाओ बल्कि यूँ कहो:

آمَنَّا بِالَّذِیٓ اُنْزِلَ اِلَیْنَا وَاُنْزِلَ اِلَیْکُمْ

यानी हम संक्षिप्त रूप से उस वही (अल्लाह के भेजे हुए पैग़ाम व अहकाम) पर ईमान लाते हैं जो तुम्हारे अम्बिया पर नाज़िल हुई है और जो तफ़सीलात तुम बतलाते हो वो हमारे नज़दीक क़ाबिले भरोसा नहीं, इसलिये हम इसकी पुष्टि करने या झुठलाने से परहेज़ करते हैं।

तफ़सीरों में जो आ़म मुफ़स्सिरीन ने अहले किताब की रिवायतें नक़ल की हैं उनका भी यही दर्जा है। और नक़ल करने का मन्शा भी सिर्फ़ उसकी तारीख़ी हैसियत को स्पष्ट करना है, हलाल व हराम के हुक्मों का उनसे निकालना और साबित करना नहीं किया जा सकता।

مَاکُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ کِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِیَمِیْنِکَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ٥

यानी क़ुरआन के नाज़िल होने से पहले न आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) कोई किताब पढ़ते थे न कुछ लिख सकते थे, बल्कि आप उम्मी थे। अगर ऐसा न होता और आप लिखे-पढ़े होते तो बातिल वालों के लिये शक व शुब्हे की गुन्जाईश निकल आती कि यह इल्ज़ाम लगाते कि आपने पिछली किताबें तौरात व इन्जील पढ़ी हैं या नक़ल की हैं, आप जो कुछ क़ुरआन में फ़रमाते हैं वह उन्हीं पिछली किताबों से लिया हुआ है कोई वही और नुबुव्वत व रिसालत नहीं है।

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का उम्मी होना आपकी बड़ी फ़ज़ीलत और मोजिज़ा है

हक़ तआ़ला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत व रिसालत पर जिस तरह बहुत से स्पष्ट और खुले हुए मोजिज़े ज़ाहिर फ़रमाये उन्हीं में से एक यह भी है कि आपको पहले से उम्मी (बिना लिखा-पढ़ा) रखा, न कुछ लिखा हुआ पढ़ सकते थे न ख़ुद कुछ लिख सकते थे, और उम्र के चालीस साल इसी हाल में तमाम मक्का वालों के सामने गुज़रे। आपका अहले किताब से मेलजोल भी कभी नहीं हुआ कि उनसे कुछ सुन लेते, क्योंकि मक्का में अहले किताब (यहूदी व ईसाई) थे ही नहीं। चालीस साल होने पर देखते ही देखते आपकी ज़बाने मुबारक से ऐसा कलाम जारी होने लगा जो अपने मज़ामीन और मायने के एतिबार से भी मोजिज़ा था और लफ़्ज़ी ख़ूबी व भाषायी उम्दगी के एतिबार से भी।

कुछ उलेमा ने यह साबित करना चाहा कि आपका उम्मी (बिना पढ़ा-लिखा) होना शुरूआ़त में था फिर अल्लाह तआ़ला ने आपको लिखना-पढ़ना सिखा दिया था और इसकी दलील में सुलह हुदैबिया के वाक़िए की एक हदीस नक़ल करते हैं जिसमें यह है कि जब सुलह का समझौता लिखा गया तो उसमें शुरू में 'मिन् मुहम्मदिन् अ़ब्दिल्लाहि व रसूलिही' लिखा था, इस पर मक्का के मुश्रिकों ने एतिराज़ किया कि हम आपको रसूल मानते तो यह झगड़ा ही क्यों होता, इसलिये आपके नाम के

साथ "रसूलल्लाह" का लफ़्ज़ हम क़ुबूल नहीं करेंगे। लिखने वाले हज़रत अ़ली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु थे, आपने उनको फ़रमाया कि यह लफ़्ज़ मिटा दो, हज़रत अ़ली ने अदब से मजबूर होकर ऐसा करने से इनकार किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने काग़ज़ ख़ुद अपने हाथ में लिया और यह लफ़्ज़ मिटाकर यह लिख दिया 'मिन् मुहम्मदिब्नि अ़ब्दिल्लाहि'।

इस रिवायत में लिखने की निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तरफ़ की गई है जिससे कुछ हज़रात ने दलील ली है कि आप लिखना जानते थे, मगर सही बात यही है कि किसी दूसरे से लिखवाने को भी उर्फ़ में यही कहा जाता है कि "उसने लिखा" जैसा कि मुहावरों में आ़म है, इसके अ़लावा यह भी संभव है कि इस वाक़िए में मोजिज़े के तौर पर आप से नाम मुबारक भी अल्लाह तआ़ला ने लिखवा दिया, फिर यह भी है कि अपने नाम के चन्द हुरूफ़ लिख देने से कोई आदमी लिखा पढ़ा नहीं कहला सकता, उसको अनपढ़ और उम्मी ही कहा जायेगा। जब लिखने की आ़दत न हो और बिना दलील लिखने को आपकी तरफ़ मन्सूब करना आपकी फ़ज़ीलत को साबित करना नहीं, ग़ौर करें तो बड़ी फ़ज़ीलत उम्मी होने में है।

يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ ۞ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۞ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۞ وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۞ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۞ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۞

या ज़िबादिय-ल्लज़ी-न आमनू इन्-न अर्ज़ी वासि-अ़तुन् फ़-इय्या-य फ़अ़्बुदून (56) कुल्लु नफ़्सिन् ज़ाइ-क़तुल्मौति, सुम्-म इलैना तुर्जअ़ून (57) वल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति लनुबव्वि-अन्नहुम् मिनल्-जन्नति ग़ु-रफ़न् तजरी मिन्	ऐ मेरे बन्दो जो यक़ीन लाये हो मेरी ज़मीन कुशादा है सो मुझ ही की बन्दगी करो। (56) जो जी है सो चखेगा मौत, फिर हमारी तरफ़ फिर आओगे। (57) और जो लोग यक़ीन लाये और किये भले काम उनको हम जगह देंगे जन्नत में झरोखे नीचे बहती हैं उनके नहरें, सदा रहें

तह्तिहल्-अन्हारु ख़ालिदी-न फ़ीहा, निअ्-म अज्रुल्-आमिलीन (58) अल्लज़ी-न स-बरू व अ़ला रब्बिहिम् य-तवक्कलून (59) व क-अय्यिम् मिन् दाब्बतिल्-ला तह्मिलु रिज़्-क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम् व हुवस्-समीअुल्-अ़लीम (60) व ल-इन् स-अल्तहुम् मन् ख़-लक़स्समावाति वल्अर्-ज व सख़्ख़-रश्शम्-स वल्क़-म-र ल-यक़ूलुन्नल्लाहु फ़-अन्ना युअ्फ़कून (61) अल्लाहु यब्सुतुर्-रिज़्-क लिमंय्यशा-उ मिन् अ़िबादिही व यक़्दिरु लहू, इन्नल्ला-ह बिकुल्लि शैइन् अ़लीम (62) व ल-इन् स-अल्तहुम् मन्-नज़्ज़-ल मिनस्समा-इ माअन् फ़-अह्या बिहिल्-अर्-ज़ मिम्बअ्दि मौतिहा ल-यक़ूलुन्नल्लाहु, क़ुलिल्-हम्दु लिल्लाहि, बल् अक्सरुहुम् ला यअ्क़िलून (63) ❁

उनमें, ख़ूब सवाब मिला काम वालों को। (58) जिन्होंने सब्र किया और अपने रब पर भरोसा रखा। (59) और कितने जानवर हैं जो उठा नहीं रखते अपनी रोज़ी, अल्लाह रोज़ी देता है उनको और तुमको भी, और वही है सुनने वाला जानने वाला। (60) और अगर तू लोगों से पूछे कि किसने बनाया है आसमान और ज़मीन को और काम में लगाया सूरज और चाँद को तो कहें अल्लाह ने, फिर कहाँ से उलट जाते हैं। (61) अल्लाह फैलाता है रोज़ी जिसके वास्ते चाहे अपने बन्दों में और माप कर देता है जिसको चाहे, बेशक अल्लाह हर चीज़ से ख़बरदार है। (62) और जो तू पूछे उनसे किसने उतारा आसमान से पानी फिर ज़िन्दा कर दिया उससे ज़मीन को उसके मर जाने के बाद तो कहें अल्लाह ने, तू कह सब ख़ूबी अल्लाह के लिये है पर बहुत लोग नहीं समझते। (63) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ मेरे ईमान वाले बन्दो! (जब ये लोग अपनी हद बढ़ी हुई दुश्मनी व बैर से तुमको शरई अहकाम को क़ायम करने और दीन पर चलने पर तकलीफ़ें पहुँचाते हैं तो यहाँ रहना क्या ज़रूरी है) मेरी ज़मीन फ़राख़ "यानी खुली हुई और बहुत बड़ी" है सो (अगर यहाँ रहकर इबादत नहीं कर सकते तो और कहीं चले जाओ और वहाँ जाकर) ख़ालिस मेरी ही इबादत करो। (क्योंकि यहाँ शिर्क वालों का ज़ोर है तो ऐसी इबादत जो ख़ालिस तौहीद पर आधारित हो और शिर्क से ख़ाली हो, यहाँ मुश्किल

है, अलबत्ता ख़ुदा के साथ ग़ैरे-ख़ुदा की भी इबादत हो यह मुम्किन है, मगर वह इबादत ही नहीं। और अगर तुमको हिजरत में अपने प्यारों और वतनों की जुदाई भारी मालूम हो तो यह समझ लो कि एक न एक दिन यह तो होना ही है, क्योंकि) हर शख़्स को मौत का मज़ा चखना (ज़रूरी) है, (आख़िर उस वक़्त सब छूटेंगे और) फिर तुम सब को हमारे पास आना है (और नाफ़रमान होकर आने में सज़ा का ख़ौफ़ है)। और (यह जुदाई अगर हमारी रज़ा के वास्ते हो तो हमारे पास पहुँचने के बाद उस वायदे के मुस्तहिक़ हो जाओ और वह वायदा यह है कि) जो लोग ईमान लाये और अच्छे अ़मल किये (जिन पर अ़मल करना कई बार हिजरत करने पर निर्भर होता है तो ऐसे वक़्त में हिजरत भी की) हम उनको जन्नत के बालाख़ानों में जगह देंगे, जिनके नीचे से नहरें चलती होंगी, वे उनमें हमेशा-हमेशा रहेंगे। (और उन नेक) काम करने वालों का क्या अच्छा अज्र है जिन्होंने (अपने ऊपर पड़ने वाली सख़्तियों पर जिनमें हिजरत की सख़्ती भी दाख़िल हो गई) सब्र किया, और (दूसरे मुल्क या शहर में जाकर तो तकलीफ़ों और गुज़ारे की मुश्किलों का अन्देशा था उसमें) वे अपने रब पर भरोसा किया करते थे।

(अगर हिजरत में तुमको यह ख़्याल आये कि परदेस में खाने को कहाँ से मिलेगा तो यह समझ लो कि) बहुत-से जानवर ऐसे हैं कि जो अपनी ग़िज़ा उठाकर नहीं रखते (यानी जमा नहीं करते, अगरचे बाज़े जमा भी करते हैं, मगर बहुत से नहीं भी करते) अल्लाह ही उनको (उनके लिये तय की गयी) रोज़ी पहुँचाता है, और तुमको भी (तयशुदा रोज़ी पहुँचाता है चाहे तुम कहीं हो, फिर ऐसा ख़्याल व आशंका मत लाओ, बल्कि दिल मज़बूत करके अल्लाह पर भरोसा रखो) और (वह भरोसे के लायक़ है, क्योंकि) वह सब कुछ सुनता, सब कुछ जानता है। (इसी तरह वह दूसरी सिफ़ात में कामिल है और जो ऐसा कामिल सिफ़ात वाला हो वह ज़रूर भरोसे के क़ाबिल है)। और (इबादत का तन्हा हक़दार होने का जो आधार है यानी हर चीज़ को पैदा करने में अकेला व तन्हा होना वह तो इन लोगों के नज़दीक भी माना हुआ है, चुनाँचे) अगर आप उनसे पूछें कि (भला) वह कौन है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया? और जिसने सूरज और चाँद को काम में लगा रखा है? तो वे लोग यही कहेंगे कि वह अल्लाह तआ़ला है, फिर (जब पैदा करने में उसके अकेला और तन्हा होने को मानते हैं तो माबूद होने में उसके अकेला और तन्हा होने के बारे में) किधर उल्टे चले जा रहे हैं। (और जैसे पैदा करने वाला अल्लाह ही है उसी तरह) अल्लाह ही (रोज़ी देने वाला भी है, चुनाँचे) अपने बन्दों में से जिसके लिये चाहे रोज़ी फ़राख़ "खोल देता और ज़्यादा" कर देता है, और जिसके लिये चाहे तंग कर देता है। बेशक अल्लाह ही हर चीज़ के हाल से वाक़िफ़ है (जैसी मस्लेहत देखता है वैसी ही रोज़ी देता है। ग़र्ज़ कि रोज़ी देने वाला वही ठहरा, इसलिये रिज़्क़ की आशंका हिजरत से रुकावट और बाधा न होनी चाहिए)।

और (जैसा कि कायनात के बनाने में अल्लाह का अकेला और तन्हा होना उनके नज़दीक भी मुसल्लम है, इसी तरह कायनात के बाक़ी रखने और इसका निज़ाम चलाने में भी उसके अकेला होने को तसलीम करते हैं, चुनाँचे) अगर आप उनसे पूछें कि वह कौन है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर उससे ज़मीन को इसके बाद कि वह ख़ुश्क (नाक़ाबिले उपजाऊ) पड़ी थी तरोताज़ा (उपज के क़ाबिल) कर दिया? तो (जवाब में) वे लोग यही कहेंगे कि वह भी अल्लाह है। आप कहिये कि

अल्हम्दु लिल्लाह (इतना तो इक़रार किया जिससे उसके तन्हा माबूद होने के लिये दलील लेना भी आसान है, मगर ये लोग मानते नहीं) बल्कि (इससे बढ़कर यह है कि) इनमें अक्सर समझते नहीं (न इस वजह से कि अ़क्ल नहीं, बल्कि अ़क्ल से काम नहीं लेते और ग़ौर नहीं करते, इसलिये आसान सी चीज़ें भी इनसे छुपी रहती हैं)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इस सूरत के शुरू से यहाँ तक मुसलमानों के साथ काफ़िरों की दुश्मनी और तौहीद व रिसालत से लगातार इनकार और हक़ और हक़ वालों की राह में तरह-तरह की रुकावटों का बयान था। ऊपर बयान हुई आयतों में मुसलमानों के लिये उनके शर (बुराई) से बचने और हक़ को फैलाने और हक़ व इन्साफ़ को दुनिया में क़ायम करने की एक तदबीर का बयान है जिसका इस्तिलाही नाम हिजरत है यानी वह वतन और मुल्क छोड़ देना जिसमें इनसान हक़ के ख़िलाफ़ बोलने और ग़लत काम करने पर मजबूर किया जाये।

हिजरत के अहकाम और उसकी राह में पेश आने वाले शक व शुब्हात का जवाब

إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ○

हक़ तआ़ला ने फ़रमाया कि मेरी ज़मीन बहुत बड़ी है इसलिये किसी का यह उज़्र सुने जाने के क़ाबिल नहीं कि फ़ुलाँ शहर या फ़ुलाँ मुल्क में काफ़िर ग़ालिब थे इसलिये हम अल्लाह की तौहीद और उसकी इबादत से मजबूर रहे। उनको चाहिये कि उस सरज़मीन को जहाँ वे कुफ़्र व नाफ़रमानी पर मजबूर किये जायें अल्लाह के लिये छोड़ दें, और कोई ऐसी जगह तलाश करें जहाँ आज़ादी से अल्लाह तआ़ला के अहकाम पर ख़ुद भी अ़मल कर सकें और दूसरों को भी तालीम कर सकें। इसी का नाम हिजरत है।

वतन से हिजरत करके किसी दूसरी जगह जाने में दो क़िस्म के ख़तरे इनसान को आ़दतन पेश आया करते हैं जो उसको हिजरत से रोकते हैं। पहला ख़तरा अपनी जान का है कि जब इस वतन को छोड़कर कहीं जायेंगे तो यहाँ के काफ़िर और ज़ालिम लोग राह में रुकावट होंगे और मुक़ाबले व लड़ने के लिये आमादा होंगे, और रास्ते में मुम्किन है कि दूसरे काफ़िरों से भी मुक़ाबला करना पड़े, जिसमें जान का ख़तरा है। इसका जवाब अगली आयत में यह दिया गया कि:

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ

यानी हर एक जान चखने वाली है मज़ा मौत का। जिससे किसी को किसी जगह किसी हाल में फ़रार नहीं। इसलिये मौत से ख़ौफ़ और घबराहट मोमिन का काम नहीं होना चाहिये, वह तो हर शख़्स को हर हाल में पेश आयेगी, अपनी जगह में कैसे ही हिफ़ाज़त के सामान करके रहे फिर भी आयेगी और मोमिन का यह भी अ़क़ीदा है कि अल्लाह के मुक़र्रर किये हुए वक़्त से पहले मौत नहीं आ

सकती, इसलिये अपनी जगह रहने या हिजरत करके दूसरी जगह जाने में मौत का ख़ौफ़ रुकावट न होना चाहिये, ख़ुसूसन जबकि अल्लाह के अहकाम का पालन करते हुए मौत आ जाना हमेशा की राहतों और नेमतों का ज़रिया है, जो उनको आख़िरत में मिलेंगी जिसका ज़िक्र बाद की दो आयतों में फ़रमाया है। यानी ऊपर बयान हुई आयत 58 और 59 में।

दूसरा ख़तरा हिजरत की राह में यह पेश आता है कि दूसरे वतन और दूसरे मुल्क में जाकर रोज़ी-रोटी का क्या सामान होगा? अपनी जगह तो कुछ बाप-दादा की मीरास से कुछ अपनी कमाई से आदमी कोई ज़मीन जायदाद या काम-धंधे व कारोबार वग़ैरह के सामान किये रहता है, हिजरत के वक़्त ये सब तो यहीं छूट जायेंगे आगे गुज़ारा किस तरह होगा? इसका जवाब बाद की तीन आयतों में इस तरह दिया गया है कि तुम उन हासिल किये हुए सामानों को रिज़्क़ का ज़रिया और काफ़ी सबब क़रार देते हो यह तुम्हारी भूल है, रिज़्क़ देने वाला दर हक़ीक़त अल्लाह तआ़ला है, वह जब चाहता है तो बग़ैर किसी ज़ाहिरी सामान के भी रिज़्क़ पहुँचा देता है, और वह न चाहे तो सब सामान व असबाब के होते हुए भी इनसान रिज़्क़ से मेहरूम हो सकता है। इसके बयान के लिये पहले तो यह फ़रमायाः

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ

यानी इस पर ग़ौर करो कि ज़मीन पर चलने वाले कितने हज़ारों क़िस्म के जानवर हैं जो अपना रिज़्क़ जमा करने और रखने का कोई इन्तिज़ाम नहीं करते, न रोज़ी हासिल करने के सामान जमा करने की कोई फ़िक्र करते हैं मगर अल्लाह तआ़ला उनको रोज़ाना अपने फ़ज़्ल से रिज़्क़ मुहैया करते हैं। उलेमा ने फ़रमाया है कि आ़म जानवर ऐसे ही हैं, उनमें सिर्फ़ चींवटी और चूहा तो ऐसे जानवर हैं जो अपनी ग़िज़ा के लिये अपने बिलों में जमा करने की फ़िक्र करते हैं। चींवटी सर्दी के मौसम में बाहर नहीं आती, इसलिये गर्मी के दिनों में खाने का सामान अपने बिल (सुराख़) में जमा करती है। और मशहूर है कि पक्षी जानवरों में से अक़्अ़क़ (कौआ) भी अपनी ग़िज़ा अपने घौंसले में जमा करता है मगर वह रखकर भूल जाता है।

बहरहाल! दुनिया के तमाम जानवर जिनकी प्रजातियों और किस्मों का शुमार भी इनसान से मुश्किल है वे ज़्यादातर वही हैं जो आज अपनी ग़िज़ा हासिल करने के बाद कल के लिये न ग़िज़ा मुहैया करते हैं न उसके असबाब उनके पास होते हैं। हदीस में है कि ये परिन्दे जानवर सुबह को अपने घौंसलों से भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भरे वापस होते हैं। न इनकी कोई खेती बाड़ी है न कोई जायदाद व ज़मीन, न ये किसी कारख़ाने या दफ़्तर के मुलाज़िम हैं जहाँ से अपना रिज़्क़ हासिल करें। ख़ुदा तआ़ला की खुली ज़मीन में निकलते हैं और सब को पेट भराई रिज़्क़ मिलता है। और यह एक दिन का मामला नहीं, जब तक वो ज़िन्दा हैं यही सिलसिला जारी है।

इसके बाद की आयतों में रिज़्क़ का असली ज़रिया बतलाया है जो हक़ तआ़ला की अ़ता है, और फ़रमाया है कि ख़ुद इन हक़ के इनकारी काफ़िरों से सवाल करो कि आसमान ज़मीन किसने पैदा किये? और सूरज व चाँद किसके फ़रमान के ताबे चल रहे हैं? बारिश कौन बरसाता है? फिर उस बारिश के ज़रिये ज़मीन से खेती और पेड़-पौधे कौन उगाता है? तो मुश्रिक लोग भी इसका इक़रार

करेंगे कि यह सब काम एक ज़ात यानी हक् तआ़ला ही का है। तो उनसे कहिये कि फिर तुम अल्लाह के सिवा दूसरों की पूजा-पाठ और उनको अपना कारसाज़ कैसे समझते हो। अगली आयतों यानी आयत नम्बर 61 से 63 तक इसी का बयान है।

ख़ुलासा यह है कि हिजरत से रोकने वाली दूसरी चीज़ रोज़ी व गुज़ारे की फ़िक्र है, वह भी इनसान की भूल है। रोज़ी का मुहैया करना इसके या इसके जमा किये हुए असबाब व सामान के क़ब्ज़े में नहीं वह डायरेक्ट हक् तआ़ला की अ़ता है। उसी ने इस वतन में ये सामान जमा फ़रमा दिये थे वह दूसरी जगह भी रोज़ी व रोज़गार के सामान दे सकता है और बग़ैर किसी सामान के भी रोज़ी की ज़रूरतें उपलब्ध कर सकता है, इसलिये यह दूसरा ख़तरा भी हिजरत से रुकावट न होना चाहिये।

हिजरत कब फ़र्ज़ या वाजिब होती है?

हिजरत के मायने और परिभाषा और उसके फ़ज़ाईल व बरकतें सूरः निसा की आयत नम्बर 97 से 100 में और शरई अहकाम में तब्दीली इसी सूरः की आयत नम्बर 89 के तहत में मआ़रिफ़ुल-क़ुरआन की दूसरी जिल्द में बयान हो चुके हैं। एक मज़मून वहाँ बयान करने से रह गया था वह यहाँ लिखा जाता है।

जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मक्का मुकर्रमा से हिजरत फ़रमाई और सब मुसलमानों को ताक़त व गुंजाईश की शर्त के साथ हिजरत का हुक्म फ़रमाया उस वक़्त मक्का मुअ़ज़्ज़मा से हिजरत करना फ़र्ज़-ए-ऐन (लाज़िमी फ़र्ज़) था जिससे कोई मर्द व औ़रत बाहर नहीं था सिवाय उन लोगों के जो हिजरत पर ताक़त न रखते हों।

और उस ज़माने में हिजरत सिर्फ़ फ़र्ज़ ही नहीं बल्कि मुसलमान होने की निशानी और शर्त भी समझी जाती थी जो बावजूद क़ुदरत के हिजरत न करे उसको मुसलमान न समझा जाता था, और उसके साथ वही मामला किया जाता था जो काफ़िरों के साथ होता है जिसका बयान सूरः निसा की आयत नम्बर 89 में है 'हत्ता युहाजिरू फ़ी सबीलिल्लाहि......'।

उस वक़्त हिजरत का मक़ाम इस्लाम में वह था जो कलिमा-ए-शहादत ला इला-ह इल्लल्लाहु का है कि यह गवाही ख़ुद भी फ़र्ज़ है और मुसलमान होने की शर्त और पहचान भी, कि जो शख़्स बावजूद क़ुदरत के ज़बान से ईमान का इक़रार और कलिमा ला इला-ह इल्लल्लाहु की गवाही न दे अगरचे दिल में यक़ीन और तस्दीक़ रखता हो वह मुसलमान नहीं समझा जाता। वह मजबूर शख़्स जिसको इस कलिमे के बोलने पर क़ुदरत न हो वह इससे बाहर है। इसी तरह जिन लोगों को हिजरत पर क़ुदरत न थी वे बरी समझे गये जिसका ज़िक्र सूरः निसा की आयत नम्बर 98 'इल्लल्-मुस्तज़्अफ़ी-न........' में आया है, और जो लोग बावजूद हिजरत पर क़ादिर होने के मक्का में ठहरे रहे उनके लिये जहन्नम की सख़्त वईद (सज़ा की चेतावनी) सूरः निसा की आयत नम्बर 97:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ .... فَأُولٰٓئِكَ مَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ

में बयान हुई है।

जब मक्का मुकर्रमा फ़तह हो गया तो हिजरत का यह हुक्म भी मन्सूख़ (ख़त्म व निरस्त) हो

गया क्योंकि उस वक़्त मक्का ख़ुद दारुल-इस्लाम बन गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उस वक़्त हुक्म जारी फ़रमा दियाः

لَاهِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

यानी मक्का फ़तह होने के बाद मक्का से हिजरत करने की ज़रूरत नहीं। मक्का मुकर्रमा से हिजरत का फ़र्ज़ होना फिर ख़त्म होना क़ुरआन व सुन्नत के स्पष्ट बयानों से साबित हो गया जो एक अस्थायी और आंशिक वाक़िआ था, उम्मत के फ़ुक़हा ने इस वाक़िए से ये मसाईल निकाले हैं:

मसलाः जिस शहर या मुल्क में इनसान को अपने दीन पर क़ायम रहने की आज़ादी न हो वह कुफ़्र व शिर्क या अहकामे शरीअ़त की ख़िलाफ़वर्ज़ी पर मजबूर हो वहाँ से हिजरत करके किसी दूसरे शहर या मुल्क में जहाँ दीन पर अ़मल की आज़ादी हो चला जाना बशर्तेकि उसको इसकी ताक़त हो वाजिब है, अलबत्ता जिसको सफ़र पर क़ुदरत न हो या कोई ऐसी जगह मयस्सर न हो जहाँ आज़ादी से दीन पर अ़मल कर सके वह शरई तौर पर माज़ूर (मजबूर) है।

मसलाः जिस दारुल-कुफ़्र (कुफ़्र के मक़ाम) में आ़म दीनी अहकाम पर अ़मल करने की आज़ादी हो वहाँ से हिजरत फ़र्ज़ व वाजिब तो नहीं मगर मुस्तहब (अच्छा काम) बहरहाल है, और इसमें दारुल-कुफ़्र होना भी ज़रूरी नहीं, दारुल-फ़िस्क़ (जहाँ अल्लाह के अहकाम की ख़िलाफ़वर्ज़ी खुलेआ़म होती हो उस) का भी यही हुक्म है। अगरचे वहाँ के हुक्मराँ के मुसलमान होने की बिना पर उसको दारुल-इस्लाम कहा जाता हो।

यह तफ़सील हाफ़िज़ इब्ने हजर रह. ने फ़तहुल-बारी में तहरीर फ़रमाई है और हनफ़ी मस्लक के उसूलों में कोई चीज़ इसके ख़िलाफ़ नहीं, और मुस्नद अहमद की एक रिवायत जो हज़रत अबू यहया मौला ज़ुबैर इब्ने अ़वाम रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मन्क़ूल है वह भी इस पर सुबूत है, हदीस यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

اَلْبِلَادُ بِلَادُ اللّٰهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللّٰهِ حَيْثُمَا اَصَبْتَ خَيْرًا فَاَقِمْ. (ابن کثیر)

"यानी सब शहर अल्लाह के शहर हैं और सब बन्दे अल्लाह के बन्दे हैं इसलिये जिस जगह तुम्हारे लिये ख़ैर के असबाब जमा हों वहाँ रहो।"

और इमाम इब्ने जरीर रह. ने अपनी सनद के साथ हज़रत सईद बिन ज़ुबैर रह. से नक़ल किया है कि उन्होंने फ़रमाया कि जिस शहर में गुनाह और बेहयाई के काम आ़म हों उसको छोड़ दो। और इमामे तफ़सीर हज़रत अ़ता रह. ने फ़रमाया कि जब तुम्हें किसी शहर में गुनाह और अल्लाह की नाफ़रमानी के लिये मजबूर किया जाये तो वहाँ से भाग खड़े हो। (इब्ने जरीर तबरी, तफ़सीर में)

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ۚ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۞ فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ۞ لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۚ وَلِيَتَمَتَّعُوْا ۗ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۞

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

व मा हाज़िहिल्-हयातुद्दुन्या इल्ला लह्वुंव्-व लअ़िबुन्, व इन्नद्दारल्-आख़ि-र-त लहि-यल् ह-यवानु। लौ कानू यअ़्लमून (64) फ़-इज़ा रकिबू फ़िल्-फ़ुल्किद-अ़वुल्ला-ह मुख़्लिसी-न लहुद्दी-न, फ़-लम्मा नज्जाहुम् इलल्-बर्रि इज़ा हुम् युश्रिकून (65) लि-यक्फ़ुरू बिमा आतैनाहुम् व लि-य-तमत्तअ़ू, फ़सौ-फ़ यअ़्लमून (66) अ-व लम् यरौ अन्ना जअ़ल्ना ह-रमन् आमिनंव्-व यु-तख़त्तफ़ुन्नासु मिन् हौलिहिम्, अ-फ़बिल्बातिलि युअ्मिनू-न व बिनिअ़्मतिल्लाहि यक्फ़ुरून (67) व मन् अज़्लमु मिम्-मनिफ़्तरा अ़लल्लाहि कज़िबन् औ कज़्ज-ब बिल्हक़्क़ि लम्मा जा-अहू, अलै-स फ़ी जहन्न-म मस्वल्-लिल्काफ़िरीन (68) वल्लज़ी-न जा-हदू फ़ीना ल-नह्दियन्नहुम् सुबुलना, व इन्नल्ला-ह ल-मअ़ल्-मुह्सिनीन (69) ✿

और यह दुनिया का जीना तो बस जी बहलाना और खेलना है, और पिछला घर जो है सो वही है ज़िन्दा रहना अगर उनको समझ होती। (64) फिर जब सवार हुए कश्ती में पुकारने लगे अल्लाह को ख़ालिस उसी पर रखकर एतिक़ाद, फिर जब बचा लाया उनको ज़मीन की तरफ़ उसी वक़्त लगे शरीक बनाने। (65) ताकि मुकरते रहें हमारे दिये हुए से और मज़े उड़ाते रहें, सो जल्द ही जान लेंगे। (66) क्या नहीं देखते कि हमने रख दी है पनाह की जगह अमन की, और लोग उचके जाते हैं उनके आस-पास से, क्या झूठ पर यक़ीन रखते हैं और अल्लाह का एहसान नहीं मानते? (67) और उससे ज़्यादा बेइन्साफ़ कौन जो बाँधे अल्लाह पर झूठ या झुठलाये सच्ची बात को जब उस तक पहुँचे, क्या दोज़ख़ में बसने की जगह नहीं इनकारियों के लिये। (68) और जिन्होंने मेहनत की हमारे वास्ते हम सुझा देंगे उनको अपनी राहें, और बेशक अल्लाह साथ है नेकी वालों के। (69) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (वजह उनके ग़ौर न करने की फंसना और मशग़ूल होना है दुनिया के धंधों में, हालाँकि) यह दुनियावी ज़िन्दगी (जिसके ये सारे के सारे धंधे हैं अपने आप में) सिवाय खेल-तमाशे के और कुछ भी नहीं, और असल ज़िन्दगी आख़िरत के जहान (की) है। (चुनाँचे दुनिया के फ़ानी होने और आख़िरत के बाक़ी होने से ये दोनों मज़मून ज़ाहिर हैं, पस फ़ानी में इस क़द्र लग जाना कि बाक़ी को भूल में डालकर उससे मेहरूम हो जाये यह ख़ुद बेअ़क़्ली की बात है) अगर उनको इसका (काफ़ी) इल्म होता तो ऐसा न करते (कि फ़ानी में मशग़ूल होकर बाक़ी को भुला देते और उसके लिये सामान न करते, बल्कि ये लोग दलीलों में ग़ौर करते और ईमान ले आते जैसा कि ख़ुद इनको तस्लीम है कि कायनात के बनाने और इसके बाक़ी रखने में ख़ुदा का कोई शरीक नहीं) फिर (जैसा कि उनके इस इक़रार व मानने का तक़ाज़ा है कि ख़ुदाई और इबादत में उसी को तन्हा और अकेला मानते और इसका भी कभी इज़हार व इक़रार करते, चुनाँचे) जब ये लोग कश्ती में सवार होते हैं तो सच्चा एतिक़ाद करके अल्लाह ही को पुकारने लगते हैं (कि अगर तू हमें इस मुसीबत से निजात दे दे तो हम शुक्रगुज़ार यानी ईमान लाने वाले हो जायें। जिसमें ख़ुदाई इख़्तियारात और माबूद होने में भी तौहीद "अल्लाह के एक होने) का इक़रार है, मगर दुनिया के धंधों में मशग़ूली और हद से ज़्यादा लग जाने की वजह से यह हालत देर तक बाक़ी नहीं रहती, चुनाँचे उस वक़्त तो सब क़ौल व इक़रार तौहीद के हो चुकते हैं मगर) फिर जब उनको (उस आफ़त से) निजात देकर ख़ुश्की की तरफ़ ले आता है तो वे फ़ौरन ही शिर्क करने लगते हैं। जिसका हासिल यह है कि हमने जो नेमत (निजात वग़ैरह) उनको दी है उसकी नाक़द्री करते हैं, और ये लोग (शिर्क वाले अ़क़ीदों और बुरे आमाल में अपनी नफ़्सानी इच्छा की पैरवी करके) थोड़ा और फ़ायदा हासिल कर लें, फिर जल्द ही इनको सब ख़बर हुई जाती है (और अब दुनिया में इस फंसने और मशग़ूली की वजह से कुछ नज़र नहीं आता। सो उनके तौहीद यानी अल्लाह को एक और तन्हा माबूद मानने से एक रुकावट तो उनका दुनिया में यह हद से ज़्यादा मशग़ूल व लगना है और दूसरा एक और नामाक़ूल रुकावट का बहाना निकाला है, वे यह कहते हैं:

إِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا

यानी अगर हम मुसलमान हो जायें तो हमें अ़रब के लोग मार देंगे। हालाँकि आ़म अनुभव और देखने से उनको ख़ुद इस बहाने का बेहूदा होना मालूम हो सकता है) क्या उन लोगों ने इस बात पर नज़र नहीं की कि हमने (उनके शहर मक्का को) अमन वाला हरम बनाया है, और उनके आस-पास (के स्थानों) में (जो हरम से बाहर हैं) लोगों को (मार-धाड़कर उनके घरों से) निकाला जा रहा है, (बख़िलाफ़ इनके कि अमन से बैठे हैं और यह बात ख़ुद महसूस की जाने वाली है जो आसानी से समझ में आती है तो इस तरह की आ़म महसूस की जाने वाली चीज़ों में भी ख़िलाफ़ करते और मारे जाने के ख़ौफ़ को ईमान लाने में उज़्र और रुकावट का बहाना बताते हैं और) फिर (हक़ के स्पष्ट हो जाने के बाद इस बेवक़ूफ़ी और ज़िद का) क्या (ठिकाना है कि) ये लोग झूठे (माबूदों) पर ईमान लाते

हैं (जिस पर ईमान लाने का कोई तक़ाज़ा और औचित्य नहीं और बहुत सी रुकावटें हैं) और अल्लाह (जिस पर ईमान लाने के बहुत से तक़ाज़े और सही दलीलें हैं उस) की नेमतों की नाशुक्री (यानी अल्लाह के साथ शिर्क) करते हैं। (क्योंकि शिर्क से बढ़कर कोई नाशुक्री नहीं कि पैदा करने, रोज़ी देने, बाक़ी रखने और तदबीर वग़ैरह तो वह अ़ता फ़रमाये और इबादत जो कि इन नेमतों का शुक्र है दूसरे के लिये तजवीज़ की जाये)।

और (वाक़ई बात यह है कि) उस शख़्स से ज़्यादा कौन नाइन्साफ़ होगा जो (बिना दलील के) अल्लाह पर झूठ गढ़े (कि वह शरीक रखता है) और जब सच्ची बात उसके पास (दलील के साथ) पहुँचे वह उसको झुठलाये, (बेइन्साफ़ी ज़ाहिर है कि बिना दलील की बात की तो तस्दीक़ करे और दलील वाली बात को झुठलाये) क्या ऐसे काफ़िरों का (जो इस क़द्र नाइन्साफ़ी करें) जहन्नम में ठिकाना न होगा? (यानी ज़रूर होगा। क्योंकि सज़ा जुर्म और अपराध के मुताबिक़ होती है। पस जैसा बड़ा जुर्म है ऐसी ही सज़ा भी बड़ी है। ऊपर उनका हाल था जो कुफ़्र करने वाले और अपनी इच्छा पर चलने वाले हों) और (अब उनके विपरीत उन लोगों का बयान है कि) जो लोग हमारी राह में मशक़्क़तें बरदाश्त करते हैं, हम उनको अपनी (निकटता और सवाब यानी जन्नत के) रास्ते ज़रूर दिखा देंगे, (जिससे वे जन्नत में जा पहुँचेंगे जैसा कि सूरः आराफ़ की आयत 43 में अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है। और बेशक अल्लाह तआ़ला (की रज़ा व रहमत) ऐसे ख़ुलूस वालों के साथ है (दुनिया में भी और आख़िरत में भी)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इनसे पहले की आयतों में काफ़िरों व मुश्रिकों का यह हाल बयान हुआ है कि आसमान व ज़मीन की पैदाईश, सूरज व चाँद का निज़ाम, बारिश नाज़िल करने और उससे पेड़-पौधे और सब्ज़ा उगाने का सारा निज़ाम ये लोग भी अल्लाह तआ़ला ही के क़ब्ज़े में होने पर यक़ीन रखते हैं, इसमें किसी बुत वग़ैरह की शिर्कत नहीं मानते। मगर फिर भी वे ख़ुदाई में बुतों को शरीक ठहराते हैं इसकी वजह यह है कि 'अक्सरुहुम् ला यअ़्क़िलून' (यानी उनमें बहुत से लोग वे हैं जो समझते नहीं)।

यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि ये लोग मजनूँ दीवाने तो नहीं होशियार समझदार हैं, दुनिया के बड़े-बड़े काम ख़ूब करते हैं, फिर इनके बेसमझ हो जाने की वजह क्या है? इसका जवाब उपर्युक्त आयतों में से पहली आयत में यह दिया गया कि इनको दुनिया और इसकी माद्दी और फ़ानी लज़्ज़तों व इच्छाओं की मुहब्बत ने आख़िरत और अन्जाम में ग़ौर व फ़िक्र करने से अंधा और बेसमझ बना दिया है, हालाँकि ये दुनिया की ज़िन्दगी वक़्त गुज़ारी का मशग़ला और खेल के सिवा कुछ नहीं, और असली ज़िन्दगी जो हमेशा वाली है और वह आख़िरत की ज़िन्दगी है।

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ. وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ.

इस जगह ह-यवान का लफ़्ज़ हयात यानी ज़िन्दगी के मायने में है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

इसमें दुनिया की ज़िन्दगी को खेल-तमाशे और वक़्त गुज़ारी की चीज़ फ़रमाया है। मतलब यह है कि जैसे खेलों को कोई स्थिरता व क़रार नहीं और कोई बड़ा मक़सद उनसे हासिल नहीं होता थोड़ी

देर के बाद सब तमाशा ख़त्म हो जाता है यही हाल इस दुनिया का है।

इसके बाद की आयत में उन मुश्रिकों का एक और बुरा हाल यह बतलाया गया कि जैसे ये लोग कायनात के बनाने और पैदा करने में अल्लाह तआ़ला को अकेला व तन्हा मानने के बावजूद इस जहालत के शिकार हैं कि बुतों को ख़ुदाई का साझी बताते हैं। इससे ज़्यादा अ़जीब यह है कि जब इन पर कोई बड़ी मुसीबत आ पड़ती है तो उस मुसीबत के वक़्त भी इनको यह यक़ीन और इक़रार होता है कि इसमें कोई बुत हमारा मददगार नहीं बन सकता, मुसीबत से रिहाई सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला ही दे सकता है, इसके लिये बतौर मिसाल के फ़रमाया कि ये लोग जब दरिया के सफ़र में होते हैं और डूबने का ख़तरा होता है तो उस ख़तरे को टालने के लिये किसी बुत को पुकारने के बजाय सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला ही को पुकारते हैं, और अल्लाह तआ़ला इनके बेचैन और बेक़रार होने और वक़्ती तौर पर दुनिया के सारे सहारों से कट जाने की बिना पर इनकी दुआ़ क़ुबूल करके इनको दुनिया की आफ़त व तबाही से निजात दे देता है, मगर ये ज़ालिम जब ख़ुश्की पर पहुँचकर मुत्मईन हो जाते हैं तो फिर बुतों को ख़ुदा का शरीक कहने लगते हैं आयत 65 का यही मतलब है।

फ़ायदाः इस आयत से मालूम हुआ कि काफ़िर भी जिस वक़्त अपने आपको बेसहारा जानकर सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला को पुकारता है और उस वक़्त यह यक़ीन करता है कि ख़ुदा के सिवा मुझे इस मुसीबत से कोई नहीं छुड़ा सकता तो अल्लाह तआ़ला काफ़िर की भी दुआ़ क़ुबूल फ़रमा लेते हैं। क्योंकि वह बेक़रार व परेशान है और अल्लाह तआ़ला ने बेक़रार की दुआ़ क़ुबूल करने का वायदा फ़रमाया है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी वग़ैरह)

और एक आयत में जो यह इरशाद आया हैः

وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِیْ ضَلٰلٍ○

यानी "काफ़िरों की दुआ़ नाक़ाबिले क़ुबूल है" यह हाल आख़िरत का है कि वहाँ काफ़िर अ़ज़ाब से रिहाई की दुआ़ करेंगे तो क़ुबूल न होगी।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا.......... الاٰية

ऊपर की आयतों में मक्का के मुश्रिकों की जाहिलाना हरकतों का ज़िक्र था कि सब चीज़ों का ख़ालिक़ व मालिक ख़ुदा तआ़ला को यक़ीन करने के बावजूद पत्थर के ख़ुद बनाये हुए बुतों को उसकी ख़ुदाई का शरीक बताते हैं, और सिर्फ़ कायनात की पैदाईश ही का ख़ुदा तआ़ला को मालिक नहीं समझते बल्कि आड़े वक़्त में मुसीबत से निजात देना भी उसी के इख़्तियार में जानते हैं, मगर निजात के बाद फिर शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं। उनके कुफ़्र व शिर्क का एक उज़्र (बहाना) मक्का के कुछ मुश्रिकों की तरफ़ से यह भी पेश किया जाता था कि हम आपके दीन को तो हक़ व दुरुस्त मानते हैं लेकिन इसकी पैरवी करने और मुसलमान हो जाने में हम अपनी जानों का ख़तरा महसूस करते हैं क्योंकि सारा अ़रब इस्लाम के ख़िलाफ़ है, हम अगर मुसलमान हो गये तो बाक़ी अ़रब हमें उचक ले जायेंगे और मार डालेंगे। (रूहुल-मआ़नी इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से)

इसके जवाब में हक़ तआ़ला ने फ़रमाया कि उनका यह उज़्र भी बेकार और ग़लत है क्योंकि

मक्का वालों को तो हक़ तआ़ला ने बैतुल्लाह की वजह से वह सम्मान व बड़ाई दी है जो दुनिया में किसी जगह के लोगों को हासिल नहीं है, हमने मक्का की पूरी ज़मीन को हरम बना दिया है, अरब के बाशिन्दे मोमिन हों या काफ़िर सब के सब हरम का सम्मान करते हैं, उसमें क़त्ल व क़िताल को हराम समझते हैं, हरम में इनसान तो इनसान वहाँ के शिकार को क़त्ल करना और वहाँ के पेड़-पौधों को काटना भी कोई जायज़ नहीं समझता। बाहर का कोई आदमी हरम में दाख़िल हो जाये तो वह भी क़त्ल से सुरक्षित हो जाता है तो मक्का मुकर्रमा के बाशिन्दों को इस्लाम क़ुबूल करने से अपनी जानों का ख़तरा बतलाना भी एक बेबुनियाद उज़्र और न चलने वाला बहाना है।

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

जिहाद के असल मायने दीन में पेश आने वाली रुकावटों को दूर करने में अपनी पूरी ताक़त ख़र्च करने के हैं, इसमें वो रुकावटें भी दाख़िल हैं जो काफ़िरों व बदकारों की तरफ़ से पेश आती हैं, काफ़िरों से जंग व लड़ाई उनमें से मुख्य है और वो रुकावटें भी दाख़िल हैं जो अपने नफ़्स और शैतान की तरफ़ से पेश आती हैं।

जिहाद की इन दोनों क़िस्मों पर इस आयत में यह वायदा है कि हम जिहाद करने वालों को अपने रास्तों की हिदायत कर देते हैं, यानी जिन मौक़ों पर अच्छाई व बुराई या हक़ व बातिल या नफ़ा व नुक़सान में दुविधा व भ्रम होता है अ़क्लमन्द इनसान सोचता है कि किस राह को इख़्तियार करूँ ऐसे मौक़ों पर अल्लाह तआ़ला अपनी राह में जिहाद करने वालों को सही, सीधी बेख़तर राह बता देते हैं, यानी उनके दिलों को उसी तरफ़ फेर देते हैं जिसमें उनके लिये ख़ैर व बरकत हो।

इल्म पर अ़मल करने से इल्म में ज़्यादती

और हज़रत अबूदर्दा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने इस आयत की तफ़सीर में फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से जो इल्म लोगों को दिया गया है, जो लोग अपने इल्म पर अ़मल करने में जिहाद (मेहनत व कोशिश) करते हैं हम उन पर दूसरे उलूम भी खोल देते हैं जो अब तक हासिल नहीं। और फ़ुज़ैल बिन अ़याज़ रह. ने फ़रमाया कि जो लोग इल्म की तलब में कोशिश करते हैं हम उनके लिये अ़मल भी आसान कर देते हैं। (तफ़सीरे मज़हरी) वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अन्कबूत की तफ़सीर मुकम्मल हुई।

सूरः रूम

सूरः रूम मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 60 आयतें और 6 रुकूअ़ हैं।

الٓمّٓ ۝ غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۝ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۝ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۬ۗ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ۭ وَيَوْمَىِٕذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ بِنَصْرِ اللّٰهِ ۭ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝ وَعْدَ اللّٰهِ ۭ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ښ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

अलिफ़्-लाम्-मीम् (1) ग़ुलि-बतिर्रूम (2) फ़ी अद्नल्-अर्ज़ि व हुम् मिम्-बअ़्दि ग़-लबिहिम् स-यग़्लिबून (3) फ़ी बिज़्अि सिनी-न, लिल्लाहिल्-अम्रु मिन् क़ब्लु व मिम्बअ़्दु, व यौमइज़िंय्-यफ़्रहुल्-मुअ्मिनून (4) बिनस्रिल्लाहि, यन्सुरु मंय्यशा-उ, व हुवल् अ़ज़ीज़ुर्रहीम (5) वअ़्दल्लाहि, ला युख़्लिफ़ुल्लाहु वअ़्-दहू व लाकिन्-न अक्सरन्नासि ला यअ़्लमून (6) यअ़्लमू-न ज़ाहिरम् मिनल्-	अलिफ़्-लाम्-मीम्। (1) मग़लूब हो गये हैं रूमी। (2) मिलते हुए मुल्क में और वे इस मग़लूब होने के बाद जल्दी ही ग़ालिब होंगे। (3) चन्द सालों में, अल्लाह के हाथ हैं सब काम पहले और पिछले और उस दिन ख़ुश होंगे मुसलमान (4) अल्लाह की मदद से, मदद करता है जिसकी चाहता है और वही है ज़बरदस्त रहम वाला। (5) अल्लाह का वायदा हो चुका, ख़िलाफ़ न करेगा अल्लाह अपना वायदा लेकिन बहुत लोग नहीं जानते। (6) जानते हैं ऊपर-

हयातिद्दुन्या व हुम् अ़निल्-आख़िरति हुम् ग़ाफ़िलून (7)	ऊपर दुनिया के जीने को और वे लोग आख़िरत की ख़बर नहीं रखते। (7)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

अलिफ़्-लाम्-मीम् (इसके मायने तो अल्लाह ही को मालूम हैं)। रूम वाले एक क़रीब के मौक़े में (यानी रूम की सरज़मीन के ऐसे मक़ाम में जो फ़ारस के मुक़ाबले में अ़रब से काफ़ी क़रीब है, इससे मुराद अज़रआ़त व बुसरा हैं, जो मुल्के शाम में दो शहर हैं। जैसा कि किताब क़ामूस में बयान किया गया है। और रूम की हुकूमत के अधीन होने से रूम की सरज़मीन में दाख़िल हैं। इस मौक़े पर रूम वाले फ़ारस वालों के मुक़ाबले में) पराजित हो गये (जिससे मुश्रिक लोग ख़ुश हुए) और वे (रूमी) अपने (उस) हारने के बाद जल्द ही (फ़ारस वालों पर दूसरे मुक़ाबले में) तीन साल से लेकर नौ साल के अन्दर-अन्दर ग़ालिब आ जाएँगे। (और ये पराजित और विजयी होना सब ख़ुदा की तरफ़ से है, क्योंकि पराजित होने से) पहले भी इख़्तियार अल्लाह तआ़ला ही को था (जिससे पराजित कर दिया था) और (पराजित होने से) बाद में भी (अल्लाह ही को इख़्तियार है जिससे ग़ालिब कर देगा) और उस दिन (यानी जब रूम वाले ग़ालिब आयेंगे) मुसलमान अल्लाह तआ़ला की उस इमदाद पर ख़ुश होंगे। (उस इमदाद से या तो यह मुराद है कि अल्लाह तआ़ला मुसलमानों को उनके क़ौल में सच्चा और ग़ालिब फ़रमा देगा। क्योंकि इस भविष्यवाणी को मुसलमानों ने काफ़िरों पर ज़ाहिर किया और उन्होंने झुठलाया तो इसके ज़ाहिर व वाक़े होने से मुसलमानों की जीत हो जायेगी। और या यह मुराद है कि मुसलमानों को जंग में भी ग़ालिब कर देगा। चुनाँचे वह वक़्त जंगे बदर में विजयी होने का था, और हर हाल में मदद का लाभ लेने वाले मुसलमान ही हैं, और मुसलमानों की पस्ती व मग़लूबियत की ज़ाहिरी हालत देखकर यह बात मुहाल व असंभव न समझी जाये कि ये मग़लूब मुसलमान मुक़ाबले के वक़्त काफ़िरों पर ग़ालिब आ जायेंगे, क्योंकि मदद अल्लाह के क़ब्ज़े में है) वह जिसको चाहे ग़ालिब कर देता है और वह ज़बरदस्त है (काफ़िरों को जब चाहे बात में या अ़मल में मग़लूब करा दे और) रहीम (भी) है (मुसलमानों को जब चाहे ग़ालिब कर दे)।

अल्लाह तआ़ला ने इसका वायदा फ़रमाया है (और) अल्लाह तआ़ला अपने वायदे के ख़िलाफ़ नहीं फ़रमाता (इस वास्ते यह भविष्यवाणी ज़रूर ज़ाहिर होगी) और लेकिन अक्सर लोग (अल्लाह तआ़ला के इख़्तियारात व क़ब्ज़े को) नहीं जानते (बल्कि सिर्फ़ ज़ाहिरी असबाब को देखकर उन असबाब पर हुक्म लगा देते हैं, इसलिए इस भविष्यवाणी को असंभव जानते हैं, हालाँकि असबाब का पैदा करने वाला और असबाब का मालिक हक़ तआ़ला है, उसको असबाब बदलना भी आसान है और असबाब के ख़िलाफ़ परिणाम का ज़ाहिर करना भी आसान।

और जिस तरह भविष्यवाणी के ज़ाहिर होने से पहले ज़ाहिरी असबाब न होने की वजह से इसका इनकार करते हैं इसी तरह भविष्यवाणी को पूरा होता हुआ देखकर भी उसको एक इत्तिफ़ाक़ी मामला क़रार देते हैं, अल्लाह के वायदे का ज़ाहिर होना नहीं समझते, इसलिए लफ़्ज़ ला यअ़्लमून में ये दोनों

चीज़ें आ गईं। इन लोगों का अल्लाह तआ़ला और नुबुव्वत से ग़ाफ़िल व जाहिल रहना इस सबब से है कि) ये लोग सिर्फ़ दुनियावी ज़िन्दगी के ज़ाहिर (हालत) को जानते हैं और ये लोग आख़िरत से (बिल्कुल ही) बेख़बर हैं (कि वहाँ क्या होगा, इसलिये इनको दुनिया में न अ़ज़ाब के असबाब से बचने की फ़िक्र न निजात के असबाब यानी ईमान और नेक अ़मल की तलाश है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इस सूरत के नाज़िल होने का क़िस्सा, रूम और फ़ारस की जंग

सूरः अ़न्कबूत उस आयत पर ख़त्म हुई है जिसमें हक़ तआ़ला ने अपने रास्ते में जिहाद व मेहनत करने वालों के लिये अपने रास्ते खोल देने और उनके लिये मक़ासिद में कामयाबी की ख़ुशख़बरी दी थी। सूरः रूम की शुरूआ़त जिस क़िस्से से हुई है वह इसी अल्लाह की मदद का एक प्रतीक है। इस सूरत में जो वाक़िआ़ रूम और फ़ारस की जंग का बयान हुआ है ये दोनों काफ़िर ही थे इनमें से किसी की फ़तह किसी की शिकस्त बज़ाहिर इस्लाम और मुसलमानों के लिये कोई दिलचस्पी की चीज़ नहीं मगर इन दोनों काफ़िरों में फ़ारस वाले मुश्रिक आग के पुजारी थे और रूम वाले व ईसाई अहले किताब। और ज़ाहिर है कि दोनों क़िस्म के काफ़िरों में अहले किताब मुसलमानों से आपस की तुलना में क़रीब हैं क्योंकि बहुत से दीनी उसूल आख़िरत पर ईमान रिसालत और वही पर ईमान, उनके साथ साझा चीज़ है। इसी साझा अ़क़ीदे की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपने उस पत्र में काम लिया जो रूम के बादशाह को इस्लाम की दावत देने के लिये भेजा था किः

تَعَالَوْا اِلٰی کَلِمَۃٍ سَوَآءٍۢ بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ.........الاٰیۃ

अहले किताब के साथ मुसलमानों का किसी क़द्र क़रीब होना ही इसका सबब बना कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मक्का मुकर्रमा में रहने के ज़माने में फ़ारस ने रूम पर हमला किया। हाफ़िज़ इब्ने हजर वग़ैरह के क़ौल के मुताबिक़ उनकी यह जंग मुल्के शाम के स्थान अज़रआ़त और बसरा के बीच वाक़े हुई।

इस जंग के दौरान में मक्का के मुश्रिक लोग यह चाहते थे कि फ़ारस ग़ालिब आ जाये क्योंकि वे भी शिर्क व बुत परस्ती में उनके शरीक थे, और मुसलमान यह चाहते थे कि रूम वाले ग़ालिब आयें क्योंकि वे दीन व मज़हब के एतिबार से इस्लाम के क़रीब थे। मगर हुआ यह कि उस वक़्त फ़ारस वाले रूम वालों पर ग़ालिब आ गये यहाँ तक कि क़ुस्तुनतुनिया भी फ़तह कर लिया और वहाँ अपनी इबादत के लिये एक आतिश कदा (आग का घर) तामीर किया। और यह फ़तह किसरा परवेज़ की आख़िरी फ़तह थी, इसके बाद उसका पतन शुरू हुआ और फिर मुसलमानों के हाथों उसका ख़ात्मा हुआ। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

इस वाक़िए पर मक्का के मुश्रिकों ने ख़ुशियाँ मनाईं और मुसलमानों को शर्म दिलाई कि तुम जिसको चाहते थे वह हार गया, और जैसा कि रूम अहले किताब को फ़ारस के मुक़ाबले में शिकस्त हुई हमारे मुक़ाबले में तुमको शिकस्त होगी, इससे मुसलमानों को रंज हुआ। (इब्ने जरीर इब्ने अबी हातिम)

क़ुरआन में सूरः रूम की शुरू की आयतें इसी वाक़िए के बारे में नाज़िल हुईं जिनमें यह भविष्यवाणी और ख़ुशख़बरी दी गई है कि चन्द साल बाद फिर रूम फ़ारस पर ग़ालिब आ जायेगा।

हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने जब ये आयतें सुनीं तो मक्का के आस-पास के इलाक़ों और मुश्रिकों के मजमों और बाज़ार में जाकर इसका ऐलान किया कि तुम्हारे ख़ुश होने का कोई मौक़ा नहीं, चन्द साल में फिर रूम वाले फ़ारस वालों पर ग़ालिब आ जायेंगे। मक्का के मुश्रिकों में से उबई बिन ख़लफ़ ने मुक़ाबला किया और कहने लगा कि तुम झूठ बोलते हो, ऐसा नहीं हो सकता। सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि ख़ुदा के दुश्मन तू ही झूठा है और मैं तो इस वाक़िए पर शर्त लगाने को तैयार हूँ कि अगर तीन साल के अन्दर रूम वाले ग़ालिब न आ गये तो दस ऊँटनियाँ मैं तुम्हें दूँगा और वे ग़ालिब आ गये तो दस ऊँटनियाँ तुम्हें देनी पड़ेंगी (यह मामला जुए का था मगर उस वक़्त तक जुआ हराम नहीं था) यह कहकर सिद्दीक़े अकबर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और इस वाक़िए का ज़िक्र किया। आपने फ़रमाया कि मैंने तो तीन साल की मुद्दत मुतैयन नहीं की थी, क्योंकि क़ुरआन में इसके लिये लफ़्ज़ 'बिज़्-अ़ सिनीन' बयान हुआ है जिसका हुक्म तीन से नौ साल तक हो सकता है तुम जाओ और जिससे यह मामला हुआ है उससे कह दो कि मैं दस ऊँटनियों के बजाय सौ की शर्त करता हूँ मगर मुद्दत तीन साल के बजाय नौ साल और कुछ रिवायतों के मुताबिक़ सात साल) मुक़र्रर करता हूँ। सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने हुक्म की तामील की और उबई बिन ख़लफ़ इस नये मुआ़हदे पर राज़ी हो गया। (इब्ने जरीर, तिर्मिज़ी अबू सईद ख़ुदरी रज़ि. की रिवायत से)

हदीस की रिवायतों से मालूम होता है कि यह वाक़िआ हिजरत से पाँच साल पहले पेश आया है और पूरे सात साल होने पर ग़ज़वा-ए-बदर के वक़्त रूम वाले दोबारा फ़ारस वालों पर ग़ालिब आ गये उस वक़्त उबई बिन ख़लफ़ मर चुका था। सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने उसके वारिसों से अपनी शर्त के मुताबिक़ सौ ऊँटनियों का मुतालबा किया, उन्होंने ऊँटनियाँ दे दीं।

कुछ रिवायतों में है कि हिजरत से पहले उबई बिन ख़लफ़ को जब अन्देशा हुआ कि अबू बक्र भी शायद हिजरत करके चले जायें तो उसने कहा कि मैं आपको उस वक़्त तक न छोड़ूँगा जब तक आप कोई कफ़ील पेश न करें कि निर्धारित मियाद तक रूम ग़ालिब न आये तो सौ ऊँटनियाँ वह मुझे दे देगा। हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अपने बेटे अ़ब्दुर्रहमान को इसका कफ़ील (ज़मानती) बना दिया था।

जब शर्त के मुताबिक़ सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु जीत गये और सौ ऊँटनियाँ उनको हाथ आईं तो वह सब लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए। आपने फ़रमाया कि इन ऊँटनियों को सदक़ा कर दो। और अबू यअ़्ला इब्ने अ़साकिर में हज़रत बरा बिन आ़ज़िब की रिवायत से इसमें ये अलफ़ाज़ नक़ल हुए हैं:

هٰذَا السُّحْتُ تَصَدَّقْ بِهٖ

यह तो हराम है इसको सदक़ा कर दो। (रूहुल-मआ़नी)

जुए का मसला

जुआ क़ुरआनी वज़ाहतों के मुताबिक़ क़तई हराम है। मदीना की तरफ़ हिजरत के बाद जिस वक़्त शराब हराम की गई उसी के साथ जुआ भी हराम कर दिया गया और इसको शैतानी काम क़रार दिया। आयतः

اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ

(यानी सूरः मायदा की आयत 90) में मैसिर और अज़्लाम जुए (क़िमार) ही की सूरतें हैं जिन को हराम क़रार दिया गया है।

और यह दो तरफ़ा लेन-देन और हार-जीत की शर्त जो हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने उबई बिन ख़लफ़ के साथ ठहराई यह भी एक क़िस्म का जुआ और क़िमार ही था मगर यह वाक़िआ़ हिजरत से पहले का है जब जुआ हराम नहीं था। इसलिये इस वाक़िए में जब यह क़िमार का माल आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास लाया गया तो कोई हराम माल नहीं था।

इसलिये यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इसको सदक़ा कर देने का हुक्म क्यों फ़रमाया, ख़ुसूसन दूसरी रिवायत में जो इसके बारे में लफ़्ज़ सुह्त आया है जिसके मशहूर मायने हराम के हैं यह कैसे दुरुस्त होगा?

इसका जवाब फ़ुक़हा हज़रात ने यह दिया है कि यह माल अगरचे उस वक़्त हलाल था मगर क़िमार (जुए) के ज़रिये माल हासिल करना उस वक़्त भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को पसन्द न था, इसलिये सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की शान के मुनासिब न समझकर उनको सदक़ा करने का हुक्म दिया। और यह ऐसा ही है कि जैसे शराब हलाल होने के ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कभी इस्तेमाल नहीं फ़रमाई।

और लफ़्ज़ सुह्त जो कुछ रिवायतों में आया है अव्वल तो इस रिवायत को मुहद्दिसीन ने सही तस्लीम नहीं किया और अगर सही भी माना जाये तो यह लफ़्ज़ भी कई मायने में इस्तेमाल होता है। जैसे हराम के मायने में मशहूर है, इसके दूसरे मायने मक्रूह व नापसन्दीदा के भी आते हैं जैसा कि एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

كَسْبُ الْحَجَّامِ سُحْتٌ

यानी पछने लगाने वाले की कमाई सुह्त है। यहाँ फ़ुक़हा (दीनी मसाईल के माहिर उलेमा) की अक्सरियत ने इसके मायने नापसन्दीदा और मक्रूह के लिये हैं। और इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने 'मुफ़रदातुल-क़ुरआन' में और इब्ने असीर ने 'निहाया' में लफ़्ज़ सुह्त के ये मुख़्तलिफ़ मायने अ़रब के मुहावरों और हदीसों से साबित किये हैं।

फ़ुक़हा हज़रात का यह कलाम इसलिये भी वाजिबुल-क़ुबूल (अनिवार्य तौर पर स्वीकारीय) है कि अगर वास्तव में यह माल हराम था तो शरई उसूल के मुताबिक़ यह माल उसी शख़्स को वापस करना लाज़िम था जिससे लिया गया है, हराम माल को सदक़ा करने का हुक्म सिर्फ़ उन सूरतों में होता है जबकि उसका मालिक मालूम न हो या उसको पहुँचाना मुश्किल हो, या उसको वापस करने में कोई

और शरई बुराई हो। वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम

يَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ○ بِنَصْرِ اللّٰهِ.

यानी उस दिन (जबकि रूम वाले फ़ारस वालों पर ग़ालिब आयेंगे) मुसलमान ख़ुश होंगे अल्लाह की मदद से। इबारत की तरतीब के एतिबार से ज़ाहिर यह है कि यहाँ मदद से रूमियों की मदद मुराद है, वे अगरचे काफ़िर थे मगर उनके मुक़ाबिल जो काफ़िर थे उनके एतिबार से कुफ़्र में हल्के और कम थे, इसलिये उनकी मदद अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से होना कोई मुहाल बात नहीं, ख़ुसूसन जबकि उनकी मदद से मुसलमानों को भी ख़ुशी हासिल हो और काफ़िरों के मुक़ाबले में उनकी जीत भी हो।

और यह भी हो सकता है कि मदद से मुराद यहाँ मुसलमानों की मदद हो जो दो वजह से हो सकती है- अव्वल तो यही कि मुसलमानों ने रूमियों के ग़लबे को क़ुरआन की सच्चाई और इस्लाम के हक़ होने की दलील बनाकर पेश किया था इसलिये रूमियों का ग़लबा हक़ीक़त में मुसलमानों की मदद थी, दूसरी वजह मुसलमानों की मदद की यह भी हो सकती है कि उस ज़माने में काफ़िरों की बड़ी ताक़तें भी दो यानी फ़ारस और रूम थीं, अल्लाह तआ़ला ने उनको आपस में भिड़ाकर दोनों को कमज़ोर कर दिया जो आगे चलकर मुसलमानों की फ़ुतूहात का सबब बनीं। (रूहुल-मआ़नी)

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ○

यानी ये लोग दुनिया की ज़िन्दगी के एक पहलू को तो ख़ूब जानते हैं कि व्यापार व कारोबार किस तरह करें, किस माल का करें, कहाँ से ख़रीदें, कहाँ बेचें। और खेती किस तरह करें, कब बीज डालें कब काटें, तामीरें कैसी-कैसी बनायें, ऐश व अरामा के सामान क्या-क्या मुहैया करें, लेकिन इसी दुनिया की ज़िन्दगी का दूसरा पहलू जो इसकी हक़ीक़त और इसके असली मक़सद को स्पष्ट करता है कि दुनिया का चन्द दिन का रहना हक़ीक़त में एक मुसाफ़िर वाला रहना है, इनसान यहाँ का मक़ामी आदमी (नागरिक) नहीं, बल्कि दूसरे मुल्क आख़िरत का बाशिन्दा है, यहाँ कुछ मुद्दत के लिये वीज़े पर आया हुआ है, इसका असली काम यह है कि अपने असली वतन के लिये यहाँ से राहत व आराम का सामान इकट्ठा करके वहाँ भेजे और वह राहत का सामान ईमान और नेक अ़मल है, इस दूसरे रुख़ से बड़े-बड़े अ़क़्ल मन्द कहलाने वाले बिल्कुल ग़ाफ़िल और जाहिल हैं।

क़ुरआने करीम के अलफ़ाज़ में ग़ौर कीजिये कि "यअ़्लमू-न" के साथ "ज़ाहिरम् मिनल् हयातिद्दुन्या" फ़रमाया है जिसमें लफ़्ज़ ज़ाहिरन् को आ़म रखकर अ़रबी ग्रामर के हिसाब से इस तरफ़ इशारा है कि हक़ीक़त में ये लोग ज़ाहिरी ज़िन्दगी को भी पूरा नहीं जानते, इसके सिर्फ़ एक रुख़ को जानते हैं, दूसरे रुख़ से ग़ाफ़िल हैं, और आख़िरत से बिल्कुल ही ग़ाफ़िल व जाहिल हैं।

आख़िरत से ग़फ़लत कोई अ़क़्लमन्दी नहीं

दुनिया के कारोबारी उलूम व फ़ुनून अगर आख़िरत से ग़फ़लत के साथ हासिल हों तो वह कोई अ़क़्लमन्दी नहीं। क़ुरआने करीम दुनिया की क़ौमों के इब्रतनाक क़िस्सों से भरा हुआ है, जो दुनिया के कमाने और ऐश व आराम के सामान जमा करने में बड़े मशहूर और नाचीन थे, फिर उनका बुरा

अन्जाम भी दुनिया ही में लोगों के सामने आया और आख़िरत का हमेशा वाला अ़ज़ाब उनका हिस्सा बना, इसलिये उनको कोई समझदार आदमी अ़क्लमन्द या ज्ञानी नहीं कह सकता। अफ़सोस है कि आजकल अ़क्ल व ज्ञान को इसी में सीमित समझ लिया गया है कि जो शख़्स ज़्यादा से ज़्यादा माल जमा करे और अपने ऐश व आराम का सामान सबसे बेहतर बना ले वह सबसे बड़ा अ़क्लमन्द कहलाता है, अगरचे इनसानी अख़्लाक़ से भी कोरा हो। अ़क्ल व शरीअ़त के हिसाब से उसको अ़क्लमन्द कहना अ़क्ल की तौहीन है, क़ुरआने करीम की भाषा में अ़क्ल वाले सिर्फ़ वे लोग हैं जो अल्लाह को और आख़िरत को पहचानें, उसके लिये अ़मल करें, दुनिया की ज़रूरतों को बक़द्रे ज़रूरत रखें, अपनी ज़िन्दगी का मक़सद न बनायें। क़ुरआन की आयतः

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ۝ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا .... الآية

(यानी सूरः आले इमरान की आयत 90-91) का यही मतलब है।

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۗ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاۗئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ۝
اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً
وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَاۗءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۭ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ
وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَاۗءُوا السُّوْۗآٰى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ
كَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

अ-व लम् य-तफ़क्करू फ़ी अन्फ़ुसिहिम्, मा ख़-लक़ल्लाहुस्-समावाति वल्अर्-ज़ व मा बैनहुमा इल्ला बिल्हक़्क़ि व अ-जलिम्-मुसम्मन्, व इन्-न कसीरम्-मिनन्नासि बिलिक़ा-इ रब्बिहिम् लकाफ़िरून (8) अ-व लम् यसीरू फ़िल्अर्ज़ि फ़-यन्ज़ुरू कै-फ़ का-न आ़क़ि-बतुल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम्, कानू अशद्-द मिन्हुम्

क्या ध्यान नहीं करते अपने जी में कि अल्लाह ने जो बनाये आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सो ठीक साधकर और मुक़र्ररा वायदे पर, और बहुत लोग अपने रब का मिलना नहीं मानते। (8) क्या इन्होंने सैर नहीं की मुल्क की जो देखें कैसा अन्जाम हुआ इनसे पहलों का, इनसे ज़्यादा थे ज़ोर में

क़ुव्वतंव्-व असारुल्-अर्-ज़ व अ़-मरूहा अक्स-र मिम्मा अ़-मरूहा व जाअत्हुम् रुसुलुहुम् बिल्बय्यिनाति, फ़मा कानल्लाहु लियज़्लि-महुम् व लाकिन् कानू अन्फ़ु-सहुम् यज़्लिमून (9) सुम्-म का-न आ़कि-बतल्लज़ी-न असाउस्सूआ अन् कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि व कानू बिहा यस्तह्ज़िऊन (10) ✿	और जोता उन्होंने ज़मीन को और बसाया इसको इनके बसाने से ज़्यादा, और पहुँचे उनके पास रसूल उनके खुले हुक्म लेकर सो अल्लाह न था उन पर ज़ुल्म करने वाला लेकिन वे ख़ुद ही अपना बुरा करते थे। (9) फिर बुरा हुआ अन्जाम बुरा करने वालों का इस वास्ते कि झुठलाते थे अल्लाह की बातें और उन पर ठट्ठे करते थे। (10) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

क्या (आख़िरत के आने की दलीलें सुनकर भी इनकी नज़र दुनिया ही पर सीमित रही और) इन्होंने अपने दिलों में यह ग़ौर नहीं किया कि अल्लाह तआ़ला ने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ उनके बीच में हैं, किसी हिक्मत ही से और एक मुक़र्ररा मियाद (तक) के लिये पैदा किया है, (जैसा कि उसने आयतों में ख़बर दी है कि उन हिक्मतों में से एक हिक्मत जज़ा व सज़ा की है। और निर्धारित मियाद क़ियामत है। अगर अपने दिलों में ग़ौर करते तो इन वाक़िआ़त का संभव होना अ़क़्ल से और इनका आना व ज़ाहिर होना नक़्ल यानी क़ुरआन से और उस नक़्ल की सच्चाई क़ुरआन के मोजिज़ा होने की सिफ़त से खुलकर सामने आ जाती और आख़िरत के इनकारी न होते, मगर ग़ौर न करने से इनकारी हो रहे हैं)। और (यही क्या और) बहुत-से आदमी अपने रब के मिलने के इनकारी हैं, क्या ये लोग (कभी घर से नहीं निकले और) ज़मीन में चले-फिरे नहीं, जिसमें देखते-भालते कि जो (इनकारी) लोग इनसे पहले गुज़र चुके हैं उनका (आख़िरी) अन्जाम क्या हुआ, (उनकी हालत यह थी कि) वे इनसे क़ुव्वत में भी बढ़े हुए थे और उन्होंने ज़मीन को भी (इनसे ज़्यादा) बोया-जोता था। और जितना इन्होंने (सामान और मकान से) इसको आबाद कर रखा है इससे ज़्यादा उन्होंने इसको आबाद किया था, और उनके पास भी उनके पैग़म्बर मोजिज़े लेकर आये थे, (जिनको उन्होंने नहीं माना और अ़ज़ाब से हलाक हुए जिनकी हलाकत के निशानात उनके वीरान मकानों से जो मुल्क शाम के रास्ते में मिलते हैं ज़ाहिर हैं) सो (उनके इस हलाक करने में) अल्लाह ऐसा न था कि उन पर ज़ुल्म करता वे तो ख़ुद ही अपनी जानों पर ज़ुल्म कर रहे थे (कि पैग़म्बरों का इनकार करके हलाकत व तबाही के हक़दार हुए। यह तो उनकी दुनिया में हालत हुई और) फिर (आख़िरत में) ऐसे लोगों का अन्जाम जिन्होंने (ऐसा) बुरा काम (यानी रसूलों का इनकार) किया था बुरा ही हुआ, (सिर्फ़) इस वजह से कि

उन्होंने अल्लाह तआला की आयतों को (यानी हुक्मों और ख़बर देने को) झुठलाया था और (झुठलाने से बढ़कर यह कि) उनकी हंसी उड़ाते थे (वह अन्जाम दोज़ख़ की सज़ा है)।

मआरिफ़ व मसाईल

उपर्युक्त दोनों आयतें इनसे पहले के मज़मून का पूरक और उस पर गवाह व सुबूत के तौर पर हैं कि ये लोग दुनिया की चन्द दिन की चमक-दमक और फ़ानी लज़्ज़तों में ऐसे मस्त हो गये कि इस कारख़ाने की हक़ीक़त और अन्जाम से बिल्कुल ग़ाफ़िल हो गये, अगर ये ख़ुद भी ज़रा अपने दिल में सोचते और ग़ौर करते तो इन पर कायनात का यह राज़ खुल जाता कि ख़ालिके कायनात ने यह आसमान व ज़मीन और इन दोनों के बीच की मख़्लूक़ात को फ़ुज़ूल और बेकार पैदा नहीं किया। इनके पैदा करने और बनाने का कोई बड़ा मक़सद और बड़ी हिक्मत है, और वह यही है कि लोग अल्लाह तआला की इन बेशुमार नेमतों के ज़रिये इनके पैदा करने वाले को भी पहचानें और उसकी तलाश में लग जायें कि वह किन कामों से राज़ी होता है, किनसे नाराज़, ताकि उसकी रज़ा तलब करने का सामान करें, और नाराज़ी के कामों से बचें। और यह भी ज़ाहिर है कि इन दोनों क़िस्म के कामों की कुछ जज़ा व सज़ा भी होनी ज़रूरी है वरना नेक व बद को एक ही पल्ले में रखना अ़दल व इन्साफ़ के ख़िलाफ़ है। और यह भी मालूम है कि यह दुनिया बदले का मक़ाम नहीं है जिसमें इनसान को उसके अच्छे या बुरे अ़मल की पूरी जज़ा (बदला) ज़रूर मिल ही जाये, बल्कि यहाँ तो अक्सर ऐसा होता है कि अपराध का आ़दी आदमी ख़ुश-ख़ुर्रम और कामयाब नज़र आता है और बुरे कामों से परहेज़ करने वाला मुसीबतों और तंगी का शिकार देखा जाता है।

इसलिये ज़रूरी है कि कोई ऐसा वक़्त आये जब यह सब कारख़ाना ख़त्म हो और अच्छे बुरे आमाल का हिसाब हो, और उन पर जज़ा व सज़ा मिले, जिसका नाम क़ियामत और आख़िरत है।

ख़ुलासा यह है कि ये लोग अगर सोच-विचार करते तो यही आसमान व ज़मीन और इनकी मख़्लूक़ात इसकी गवाही दे देतीं कि ये चीज़ें हमेशा रहने वाली नहीं, कुछ मुद्दत के लिये हैं और इनके बाद दूसरा आ़लम आने वाला है जो हमेशा रहने वाला होगा। ऊपर ज़िक्र हुई दो आयतों में से पहली आयत 'अ-व लम् य-तफ़क्करू फ़ी अन्फ़ुसिहिम..........' का यही हासिल है।

यह मज़मून तो एक अ़क़्ली तौर पर दलील हासिल करने का है। अगली आयत में दुनिया की दिखाई देने, महसूस करने और अनुभव में आने वाली चीज़ों को इसकी गवाही में पेश किया गया है और मक्का वालों को ख़िताब करके फ़रमाया है किः

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ.....................

यानी ये मक्का वाले तो एक ऐसी ज़मीन के रहने वाले हैं जहाँ न खेती-बाड़ी है न उद्योग व कारीगरी न व्यापार के मौक़े और न ऊँची-ऊँची हसीन इमारतें, मगर मुल्के शाम और यमन के सफ़र इन लोगों को अपने व्यापारिक मक़ासिद के लिये पेश आते हैं। क्या उन सफ़रों में इन लोगों ने दुनिया की अपने से पहली क़ौमों के अन्जाम पर नज़र नहीं डाली जिनको अल्लाह तआला ने ज़मीन में बड़े बड़े इख़्तियारात चलाने और हुनर मन्दी दिखाने का सलीक़ा दिया था, कि ज़मीन को खोदकर उससे

पनी निकालना और उससे बाग़ों और खेतों को सींचना और छुपी हुई खानों से सोना चाँदी और दूसरी क़िस्म की ज़मीनी धातुएँ निकालना और उनसे इनसानी फ़ायदों के लिये विभिन्न प्रकार की चीज़ें तैयार करना उनकी ज़िन्दगी का मशग़ला था, और ये अपने ज़माने की सभ्य और विकसित क़ौमें समझी जाती थीं। मगर उन्होंने इसी माद्दी और फ़ानी ऐश व आराम में मस्त होकर अल्लाह को और आख़िरत को भुला दिया अल्लाह तआ़ला ने उनको याद दिलाने के लिये अपने पैग़म्बर और किताबें भेजीं, मगर उन्होंने किसी की तरफ़ ध्यान नहीं दिया और आख़िरकार दुनिया में भी अ़ज़ाब में मुब्तला हुए जिस पर उनकी बस्तियों के वीरान खण्डरात इस वक़्त तक गवाही दे रहे हैं। आयत के आख़िर में फ़रमाया कि ग़ौर करो कि इस अ़ज़ाब में उन पर अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से कोई ज़ुल्म हुआ है या उन्होंने ख़ुद ही अपनी जानों पर ज़ुल्म किया है कि अ़ज़ाब के सामान जमा कर लिये।

اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿١١﴾ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿١٢﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٣﴾ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ﴿١٤﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ﴿١٥﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآئِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿١٦﴾ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿١٩﴾

अल्लाहु यब्दउल्-ख़ल्-क़ सुम्-म युअीदुहू सुम्-म इलैहि तुर्जअून (11) व यौ-म तक़ूमुस्सा-अ़तु युब्लिसुल्-मुज्रिमून (12) व लम् यकुल्-लहुम् मिन् शु-रकाइहिम् शु-फ़आ़-उ व कानू बिशु-रकाइहिम् काफ़िरीन (13) व यौ-म तक़ूमुस्सा-अ़तु यौमइज़िंय्-य-तफ़र्रक़ून (14) फ़-अम्मल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति फ़हुम् फ़ी रौज़तिंय्-युह्बरून (15) व

अल्लाह बनाता है पहली बार फिर उसको दोहरायेगा फिर उसी की तरफ़ फिर जाओगे। (11) और जिस दिन बरपा होगी क़ियामत आस तोड़कर रह जायेंगे गुनाहगार। (12) और न होंगे उनके शरीकों में कोई उनके सिफ़ारिश करने वाले और वे हो जायेंगे अपने शरीकों से इनकारी। (13) और जिस दिन क़ायम होगी क़ियामत उस दिन लोग होंगे क़िस्म क़िस्म। (14) सो जो लोग यक़ीन लाये और किये भले काम सो बाग़ में होंगे, उनकी आव-भगत होगी। (15) और जो

अम्मल्लज़ी-न क-फ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना व लिक़ाइल्-आख़िरति फ़-उलाइ-क फ़िल्अज़ाबि मुह्ज़रून (16) फ़सुब्हानल्लाहि ही-न तुम्सू-न व ही-न तुस्बिहून (17) व लहुल्-हम्दु फ़िस्समावाति वल्अर्ज़ि व अशिय्यंव्-व ही-न तुज़्हिरून (18) युख़्रिजुल्-हय्-य मिनल्-मय्यिति व युख़्रिजुल्-मय्यि-त मिनल्-हय्यि व युह्यिल्-अर्-ज़ बअ्-द मौतिहा, व कज़ालि-क तुख़्रजून (19) ✿

इनकारी हुए और झुठलाईं हमारी बातें और मिलना पिछले घर का सो वे अज़ाब में पकड़े आयेंगे। (16) सो पाक अल्लाह की याद करो जब शाम करो और जब सुबह करो। (17) और उसी की ख़ूबी है आसमान में और ज़मीन में और पिछले वक़्त और जब दोपहर हो। (18) निकालता है ज़िन्दा को मुर्दे से और निकालता है मुर्दे को ज़िन्दा से और ज़िन्दा करता है ज़मीन को उसके मरने के बाद, और इसी तरह तुम निकाले जाओगे। (19) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

अल्लाह तआ़ला मख़्लूक़ को पहली बार भी पैदा करता है, फिर वही दोबारा भी उसको पैदा करेगा, फिर (पैदा होने के बाद) उसके पास (हिसाब-किताब के लिये) लाये जाओगे। और जिस दिन क़ियामत क़ायम होगी (जिसमें पैदा करने का यह अ़मल दोहराया जाने वाला है) उस दिन मुजरिम (यानी काफ़िर) लोग (पूछगछ के वक़्त) हैरान रह जाएँगे (यानी कोई माक़ूल बात उनसे न बन पड़ेगी) और उनके (गढ़े हुए) शरीकों में से (जिनको इबादत में साझी बनाते थे) उनका कोई सिफ़ारिशी न होगा, और (उस वक़्त ख़ुद) ये लोग (भी) अपने शरीकों से इनकारी हो जाएँगे (कि ख़ुदा की क़सम हम अपने रब के साथ शरीक करने वाले नहीं थे) और जिस दिन क़ियामत क़ायम होगी उस दिन (ऊपर बयान हुए वाक़िए के अ़लावा एक वाक़िआ़ यह भी होगा कि विभिन्न तरीक़ों के) सब आदमी अलग-अलग हो जाएँगे। यानी जो लोग ईमान लाये थे और उन्होंने अच्छे काम किये थे, वे तो (जन्नत के) बाग़ में ख़ुश "और प्रसन्न" होंगे और जिन लोगों ने कुफ़्र किया था, और हमारी आयतों को और आख़िरत के पेश आने को झुठलाया था वे लोग अ़ज़ाब में गिरफ़्तार होंगे (यह मायने हैं जुदा-जुदा होने के। जब ईमान और नेक अ़मल की फ़ज़ीलत तुमको मालूम हो गई) सो तुम अल्लाह की तस्बीह (दिल के यक़ीन व अ़क़ीदे के साथ भी जिसमें ईमान आ गया और ज़बान व क़ौल से भी जिसमें इक़रार व अन्य ज़िक्र आ गये और अ़मली तौर पर भी जिसमें तमाम इबादतें आ़म तौर पर और नमाज़ ख़ास तौर पर आ गईं। ग़र्ज़ कि तुम अल्लाह की तस्बीह हर वक़्त) किया करो (और विशेष तौर पर) शाम के वक़्त और सुबह के वक़्त।

और (अल्लाह की तस्बीह करने का जो हुक्म हुआ है तो वह वास्तव में इसका हक़दार भी है, क्योंकि) तमाम आसमानों व ज़मीन में उसी की तारीफ़ होती है (यानी आसमान में फ़रिश्ते और ज़मीन में कुछ अपने इख़्तियार से और कुछ बिना इख़्तियार के मजबूरी के तौर पर उसकी तारीफ़ व सना करते हैं, जैसा कि अल्लाह तआला ने एक जगह इसको फ़रमाया है 'व इम्-मिन् शैइन् इल्ला युसब्बिहु बि-हम्दिही...'। पस जब वह ऐसा क़ाबिले तारीफ़ सिफ़ात वाला और अपनी ज़ात में कामिल है तो तुमको भी ज़रूर उसकी तस्बीह करनी चाहिए) और सूरज ढलने के बाद (भी तस्बीह किया करो) ज़ोहर के वक़्त (भी तस्बीह किया करो कि ये वक़्त नई नेमत के सामने आने और उसकी क़ुदरत की निशानियों की अधिकता ज़ाहिर होने के हैं तो इनमें मुनासिब है फिर तस्बीह दोहराई जाये, ख़ास तौर पर नमाज़ के लिये यही वक़्त मुक़र्रर हैं, चुनाँचे मसा-अ में मग़रिब व इशा आ गईं और अ़शिय्यि में ज़ोहर और अ़सर दोनों दाख़िल थे, मगर ज़ोहर स्पष्ट रूप से अलग से मज़कूर है इसलिए सिर्फ़ अ़सर मुराद रह गई, और सुबह भी स्पष्ट रूप से मज़कूर है। और उसके लिये दोबारा बनाना और पैदा करना क्या मुश्किल है क्योंकि उसकी ऐसी क़ुदरत है कि) वह जानदार को बेजान से बाहर लाता है और बेजान को जानदार से बाहर लाता है (मसलन नुत्फ़े और अण्डे से इनसान और बच्चा और इनसान और परिन्दे से नुत्फ़ा और अण्डा) और ज़मीन को उसके मुर्दा (यानी ख़ुश्क) होने के बाद ज़िन्दा (यानी ताज़ा और हरी-भरी) करता है, और इसी तरह तुम लोग (क़ियामत के दिन) निकाले जाओगे।

मआ़रिफ़ व मसाईल

فَهُمْ فِیْ رَوْضَةٍ یُّحْبَرُوْنَ ○

युह्बरून हबूर से निकला है जिसके मायने सुरूर और ख़ुशी के हैं। और इस लफ़्ज़ के आ़म होने में हर तरह का सुरूर दाख़िल है जो जन्नत की नेमतों से जन्नत वालों को हासिल होगा। क़ुरआने करीम में इसको यहाँ भी आ़म रखा गया है। इसी तरह दूसरी जगह यह इरशाद है:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِیَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْیُنٍ

यानी किसी शख़्स को दुनिया में मालूम नहीं कि उसके लिये जन्नत में आँखों की ठंडक (और राहत व सुरूर) के क्या-क्या सामान जमा हैं। कुछ मुफ़स्सिरीन ने जो ख़ास-ख़ास सुरूर की चीज़ों को इस आयत के तहत में ज़िक्र किया है वो सब इसी संक्षिप्तता में दाख़िल हैं।

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِیْنَ تُمْسُوْنَ وَحِیْنَ تُصْبِحُوْنَ ○ وَلَهُ الْحَمْدُ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِیًّا وَّحِیْنَ تُظْهِرُوْنَ ○

लफ़्ज़ सुब्हानल्लाहि मस्दर है, इसकी क्रिया यहाँ छुपी हुई है यानी:

سَبِّحُوا اللّٰهَ سُبْحَانًا حِیْنَ تُمْسُوْنَ

कि जब तुम शाम के वक़्त में दाख़िल हो और जब तुम पर सुबह का वक़्त आये तो तुम अल्लाह की पाकी बयान करो।

وَلَهُ الْحَمْدُ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

यह जुमला बीच में दलील के तौर पर लाया गया है कि सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह इसलिये ज़रूरी है कि आसमान व ज़मीन में सिर्फ़ वही तारीफ़ के लायक़ है और तमाम आसमान व ज़मीन वाले उसकी तारीफ़ करने में मशगूल हैं। और जिस तरह आयत के शुरू में सुबह शाम की तस्बीह का हुक्म है आयत के आख़िर में अ़शिय्यन् और ही-न तुज़्हिरून से और दो वक़्तों में तस्बीह करने का हुक्म दिया गया है, एक वक़्त अ़शी जो दिन के आख़िरी हिस्से को कहा जाता है जो अ़सर का वक़्त है दूसरा वक़्त ज़ोहर यानी सूरज ढलने के बाद।

और बयान करने की तरतीब में जिस तरह शाम को सुबह से पहले बयान किया गया है इसी तरह दिन के आख़िरी हिस्से को ज़ोहर से पहले बयान किया गया है, शाम यानी रात को पहले बयान करने की वजह यह भी है कि इस्लामी तारीख़ में रात पहले होती है और तारीख़ सूरज छुपने से बदलती है। और अ़शी यानी अ़सर के वक़्त को ज़ोहर से पहले बयान करने की एक वजह यह भी हो सकती है कि अ़सर का वक़्त उमूमन कारोबार में मश़गूलियत का वक़्त होता है उसमें कोई दुआ़ तस्बीह या नमाज़ आ़दतन मुश्किल है। इसी लिये क़ुरआने करीम में 'बीच वाली नमाज़' की जिसकी तफ़सीर अक्सर हज़रात के नज़दीक अ़सर की नमाज़ है, इसकी ख़ुसूसी ताकीद आई है। फ़रमायाः

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى.

उपर्युक्त आयतों (17 व 18) के अलफ़ाज़ में नमाज़ या सलात की वज़ाहत नहीं इसलिये हर क़िस्म के ज़िक्रुल्लाह ज़बानी हो या अ़मली वो इसमें शामिल है जैसा कि ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में बयान किया गया है, और ज़िक्रुल्लाह की तमाम क़िस्मों में चूँकि नमाज़ सबसे आला और बेहतर है इसलिये वह इसमें सबसे पहले दाख़िल है। इसी लिये उलेमा ने कहा है कि इस आयत में पाँचों नमाज़ों का मय उनके वक़्तों के ज़िक्र आ गया है जैसा कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से किसी ने पूछा कि क्या क़ुरआन में पाँच नमाज़ों का ज़िक्र स्पष्ट रूप से है? तो फ़रमाया हाँ! और दलील में यही आयत पेश करके फ़रमाया कि 'ही-न तुमूसून' में मग़रिब की नमाज़ और 'ही-न तुस्बिहून' में फ़जर की नमाज़ और 'अ़शिय्यन्' में अ़सर की नमाज़ और 'ही-न तुज़्हिरून' में ज़ोहर की नमाज़ का ज़िक्र स्पष्ट रूप से मौजूद है। अब सिर्फ़ एक इशा की नमाज़ रही इसके सुबूत में एक दूसरी आयत का जुमला इरशाद फ़रमाया 'मिम्-बअ़्दि सलातिल् इशा-इ'।

और हज़रत हसन बसरी रह. ने फ़रमाया कि 'ही-न तुमसून' में मग़रिब और इशा की दोनों नमाज़ें दाख़िल हैं।

एक अहम फ़ायदा

यह आयत हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अ़लैहिस्सलाम की वह दुआ़ है जिसकी वजह से क़ुरआने करीम ने उनको अ़हद पूरा करने वाले का ख़िताब दिया है। इरशाद फ़रमायाः

وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰىٓ ۝

हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ये कलिमात सुबह शाम पढ़ा करते थे। जैसा कि सही सनदों के साथ हज़रत मुआ़ज़ बिन अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि अ़हद पूरा करने की हज़रत

इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफ़ करने का सबब उनकी यह दुआ थी।

और अबू दाऊद, तबरानी, इब्ने सनी वग़ैरह ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इन तीन आयतों:

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ٥ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ٥ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ٥

(यानी ऊपर बयान हुई आयत 17, 18 और 19) के बारे में फ़रमाया कि जिस शख़्स ने सुबह को ये कलिमात पढ़ लिये तो दिन भर में उसके अमल में जो कोताही होगी वह इन कलिमात की बरकत से पूरी कर दी जायेगी, और जिसने शाम के वक़्त ये कलिमात पढ़ लिये तो उसके रात के आमाल की कोताही इसके ज़रिये पूरी कर दी जायेगी। (रूहुल-मआनी)

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ۝٢٠ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝٢١ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ۝٢٢ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاۗؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ۝٢٣ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاۗءِ مَاۗءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝٢٤ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَاۗءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ۭ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ڰ مِّنَ الْاَرْضِ ڰ اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ۝٢٥ وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ۝٢٦ وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ۭ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٢٧

व मिन् आयातिही अन् ख़-ल-क़कुम् मिन् तुराबिन् सुम्-म इज़ा अन्तुम् ब-शरुन् तन्तशिरून (20) व मिन् आयातिही अन् ख़-ल-क़ लकुम् मिन् अन्फ़ुसिकुम् अज़्वाजल्-लितस्कुनू इलैहा व ज-अ-ल बैनकुम् मवद्द-तंव्-व रह्म-तन्, इन्-न फ़ी ज़ालि-क	और उसकी निशानियों में से है यह कि तुमको बनाया मिट्टी से फिर अब तुम इनसान हो ज़मीन में फैले पड़े। (20) और उसकी निशानियों में से है यह कि बना दिये तुम्हारे वास्ते तुम्हारी क़िस्म से जोड़े कि चैन से रहो उनके पास और रखा तुम्हारे बीच में प्यार और मेहरबानी, यक़ीनन इसमें बहुत पते की बातें हैं उनके

लआयातिल्-लिक़ौमिंय्-य-तफ़क्करून (21) व मिन् आयातिही ख़ल्क़ुस्-समावाति वल्अर्ज़ि वख़्तिलाफ़ु-अल्सि-नतिकुम् व अल्वानिकुम्, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिल्-लिल्-आलमीन (22) व मिन् आयातिही मनामुकुम् बिल्लैलि वन्नहारि वब्तिग़ा-उकुम् मिन् फ़ज़्लिही, इन्-न फ़ी ज़ालि-क ल-आयातिल्-लिक़ौमिंय्-यस्मऊन (23) व मिन् आयातिही युरीकुमुल्-बर्-क़ ख़ौफ़ंव्-व त-मअंव्-व युनज़्ज़िलु मिनस्समा-इ माअन् फ़युह्यी बिहिल्-अर्-ज़ बअ्-द मौतिहा, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिल् लिक़ौमिंय्-यअ्क़िलून (24) व मिन् आयातिही अन् तक़ूमस्समा-उ वल्अर्ज़ु बिअम्रिही, सुम्-म इज़ा दआकुम् दअ्-वतम्-मिनल्-अर्ज़ि इज़ा अन्तुम् तख़्रुजून (25) व लहू मन् फ़िस्समावाति वल्अर्ज़ि, कुल्लुल्-लहू क़ानितून (26) व हुवल्लज़ी यब्दउल्-ख़ल्-क़ सुम्-म युईदुहू व हु-व अह्वनु अ़लैहि, व लहुल्-म-सलुल्-

लिये जो ध्यान करते हैं। (21) और उसकी निशानियों में से है आसमान और ज़मीन का बनाना और तरह-तरह की बोलियाँ तुम्हारी और रंग, इसमें बहुत निशानियाँ हैं समझने वालों को। (22) और उसकी निशानियों में से है तुम्हारा सोना रात और दिन में और तलाश करना उसके फ़ज़्ल से, इसमें बहुत पते हैं उनको जो सुनते हैं। (23) और उसकी निशानियों से है यह कि दिखलाता है तुमको बिजली डर और उम्मीद के लिये और उतारता है आसमान से पानी फिर ज़िन्दा करता है उससे ज़मीन को उसके मरने के बाद, इसमें बहुत पते हैं उनके लिये जो सोचते हैं। (24) और उसकी निशानियों में से यह है कि खड़ा है आसमान और ज़मीन उसके हुक्म से फिर जब पुकारेगा तुमको एक बार ज़मीन में से उसी वक़्त तुम निकल पड़ोगे। (25) और उसी का है जो कोई है आसमान और ज़मीन में सब उसके हुक्म के ताबे हैं। (26) और वही है जो पहली बार बनाता है फिर उसको दोहरायेगा और वह आसान है उस पर, और उसकी शान सबसे ऊपर है आसमान

अअ्ला फ़िस्समावाति वल्अर्ज़ि व हुवल् अज़ीज़ुल्-हकीम (27) ✿ ❖	और ज़मीन में, और वही है ज़बरदस्त हिक्मतों वाला। (27) ✿ ❖

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और उसी की (क़ुदरत की) निशानियों में से एक यह (चीज़) है कि तुमको मिट्टी से पैदा किया (या तो इस तरह कि आदम अ़लैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हुए और यह पूरी इनसानी नस्ल उन्हीं से है और या इस तरह कि नुत्फ़े की असल ग़िज़ा है और उसकी असल इनसानी तत्व हैं जिनमें ज़्यादा हिस्से वाला तत्व मिट्टी है) फिर थोड़े ही दिनों बाद (क्या हुआ कि) तुम आदमी बनकर (ज़मीन पर) फैले हुए फिरते (नज़र आते) हो। और उसी की (क़ुदरत की) निशानियों में से यह (चीज़) है कि उसने तुम्हारे (फ़ायदे के) वास्ते तुम्हारी जिन्स की "यानी तुम्हारी नस्ल से और तुम्हारी ही शक्ल व सूरत वाली" बीवियाँ बनाईं (और वह फ़ायदा यह है कि) ताकि तुमको उनके पास आराम मिले और तुम मियाँ-बीवी में मुहब्बत और हमदर्दी पैदा की, इस (चीज़) में (भी) उन लोगों के लिये (क़ुदरत की) निशानियाँ हैं जो फ़िक्र से काम लेते हैं। (क्योंकि दलील व तर्क लेने के लिये सोच-विचार की ज़रूरत है और निशानियाँ बहुवचन इसलिए फ़रमाया कि उक्त मामला कई चीज़ों पर आधारित है) और उसी की (क़ुदरत की) निशानियों में से आसमान और ज़मीन का बनाना है। और तुम्हारे बातचीत करने के अन्दाज़ और रंगतों का अलग-अलग होना है। (अन्दाज़ और बात करने के तरीक़े से मुराद या तो भाषायें हों या आवाज़ और गुफ़्तगू का अन्दाज़) इस (ज़िक्र हुए मामले) में (भी) समझदारों के लिये (क़ुदरत की) निशानियाँ हैं। (यहाँ भी बहुवचन का लफ़्ज़ लाने की वही वजह बयान की जा सकती है जो ऊपर बयान हुई)। और उसी की (क़ुदरत की) निशानियों में से तुम्हारा सोना-लेटना है रात में और दिन में (अगरचे रात को ज़्यादा और दिन को कम हो), और उसकी रोज़ी को तुम्हारा तलाश करना है (दिन को ज़्यादा और रात को कम, इसी लिये एक दूसरी आयत में नींद को रात के साथ और रोज़ी तलाश करने को दिन के साथ ख़ास करके बयान किया गया है) इस (ज़िक्र हुए मामले) में (भी) उन लोगों के लिये (क़ुदरत की) निशानियाँ हैं जो (दलील को तवज्जोह से) सुनते हैं।

और उसी की (क़ुदरत की) निशानियों में से यह (बात) है कि वह तुमको (बारिश के वक़्त चमकती हुई) बिजली दिखाता है जिससे (उसके गिरने का) डर भी होता है और (उससे बारिश की) उम्मीद भी होती है, और वही आसमान से पानी बरसाता है फिर उसी से ज़मीन को उसके मुर्दा (यानी ख़ुश्क) हो जाने के बाद ज़िन्दा (यानी तरोताज़ा) कर देता है। इस (ज़िक्र हुए मामले) में (भी) उन लोगों के लिये (क़ुदरत की) निशानियाँ हैं जो (फ़ायदा देने वाली) अ़क़्ल रखते हैं। और उसी की (क़ुदरत की) निशानियों में से यह (चीज़) है कि आसमान और ज़मीन उसके हुक्म (यानी इरादे) से क़ायम हैं। (इसमें बयान है उनके बाक़ी रखने का, और ऊपर आयत 22 में ज़िक्र था उनकी शुरूआ़ती पैदाईश का, और आ़लम का यह तमाम निज़ाम जो बयान हुआ, यानी तुम्हारे पैदा होने और नस्ल चलने का सिलसिला और आपस में जोड़ा बनना और आसमान व ज़मीन का इस मौजूदा हालत में

क़ायम होना और भाषाओं और रंगतों का भिन्न और अलग-अलग होना, और रात दिन का यह आना-जाना इसमें ख़ास मस्लेहतों का होना और बारिश का बरसना और उसके आने से पहले की चीज़ें जैसे बादल व हवा वग़ैरह का ज़ाहिर होना, ये सब उसी वक़्त तक बाक़ी हैं जब तक दुनिया को बाक़ी रखना मक़सूद है, और एक दिन यह सब ख़त्म हो जायेगा) फिर (उस वक़्त यह होगा कि) जब तुमको पुकारकर ज़मीन में से बुलायेगा तो तुम एक दम से निकल पड़ोगे (और दूसरा निज़ाम शुरू हो जायेगा जिसका यहाँ बयान करना असल मक़सद है)।

और (ऊपर क़ुदरत की दलीलों और निशानियों से मालूम हो गया होगा कि) जितने (फ़रिश्ते और इनसान वग़ैरह) आसमान और ज़मीन में मौजूद हैं, सब उसी के (ममलूक) हैं (और) सब उसी के ताबे (यानी क़ुदरत के अधीन) हैं और (कामिल क़ुदरत के इस सुबूत और उसी के लिये ख़ास होने से यह साबित हो गया कि) वही है जो पहली बार पैदा करता है (चुनाँचे ये इन लोगों जिनसे यह ख़िताब किया रहा है के नज़दीक भी माना हुआ था) फिर वही दोबारा पैदा करेगा (जैसा कि उक्त दलीलों के साथ सच्चे ख़बर के मिल जाने से मालूम हुआ) और यह (दोबारा पैदा करना) उसके नज़दीक (अगर ये लोग थोड़े से भी विचार से काम लें, पहली बार के पैदा करने के मुक़ाबले में) ज़्यादा आसान है, (जैसा कि इनसानी ताक़त व महारत के एतिबार से अक्सर यही होता है कि किसी चीज़ को पहली बार के बनाने से दूसरी बार बनाना ज़्यादा आसान होता है) और आसमान व ज़मीन में उसी की शान (सबसे) आला है (यानी न आसमानों में कोई ऐसा बड़ा है और न ज़मीन में, जैसा कि ख़ुद अल्लाह तआला का क़ौल है 'व लहुल्-किब्रिया-उ फ़िस्समावाति वल्अर्ज़ि') और वह (बड़ा) ज़बरदस्त (यानी मुकम्मल क़ुदरत व इख़्तियार रखने वाला और) हिक्मत वाला है (चुनाँचे ऊपर बयान हुए मामलात से उसकी क़ुदरत के इख़्तियारात व और हिक्मत दोनों ज़ाहिर हैं। पस वह अपनी क़ुदरत से फिर दोबारा लौटायेगा और इस दोबारा पैदा करने में जो देरी हो रही है इसमें हिक्मत व मस्लेहत है। पस क़ुदरत व हिक्मत के साबित होने के बाद फ़िलहाल उसके ज़ाहिर व वाक़े न होने से उसका इनकार करना जहालत व नादानी है)।

मआरिफ़ व मसाईल

सूरः रूम के शुरू में रूम व फ़ारस की जंग का एक वाक़िआ सुनाने के बाद इनकारी लोगों और काफ़िरों की गुमराही और हक़ बात के सुनने समझने से बेपरवाई का सबब उनका सिर्फ़ दुनिया की फ़ानी ज़िन्दगी को अपनी ज़िन्दगी का मक़सद बना लेना और आख़िरत की तरफ़ कोई तवज्जोह न देना क़रार दिया गया था, उसके बाद क़ियामत में दोबारा ज़िन्दा होने और हिसाब-किताब और जज़ा व सज़ा के वाक़े होने पर जो ऊपरी नज़र वालों को मुहाल व नामुम्किन मालूम हो सकता है इसका जवाब अब मुख़्तलिफ़ पहलुओं से दिया गया है, पहले ख़ुद अपने नफ़्स में ग़ौर व फ़िक्र की फिर आस-पास में गुज़रने वाली क़ौमों के हालात और उनके अन्जाम पर निगाह डालने की दावत दी गई। फिर हक़ तआला की कामिल बेहसाब क़ुदरत का ज़िक्र फ़रमाया जिसमें उसका कोई साझी व शरीक नहीं। इन सब सुबूतों और दलीलों का लाज़िमी नतीजा यह निकलता है कि इबादत की हक़दार सिर्फ़

उसकी बेमिसाल और अकेली ज़ात को क़रार दिया जाये। और उसने जो अपने नबियों के ज़रिये क़ियामत क़ायम होने और पहले व बाद के तमाम लोगों के दोबारा ज़िन्दा होकर हिसाब किताब के बाद जन्नत या दोज़ख़ में जाने की ख़बर दी है उस पर ईमान लाया जाये। उपर्युक्त आयतों में इसी कामिल क़ुदरत और इसके साथ पूर्ण हिक्मत को ज़ाहिर करने वाली छह चीज़ें क़ुदरत की निशानियों के उनवान से बयान फ़रमाई गयी हैं जो अल्लाह तआ़ला की बेमिसाल क़ुदरत व हिक्मत की निशानियाँ हैं।

क़ुदरत की पहली निशानी

क़ुदरत की पहली निशानी इनसान जैसे अशरफ़ुल्-मख़्लूक़ात (तमाम मख़्लूक़ात में बेहतर व आला) और कायनात के हाकिम को मिट्टी से पैदा करना है जो इस दुनिया के तत्वों में जिनसे यह तैयार हुई है सबसे ज़्यादा अदना दर्जे का तत्व है, जिसमें एहसास व हरकत और शऊर व समझ का कोई हिस्सा नज़र नहीं आता, क्योंकि मशहूर चार अ़नासिर (तत्व) आग, पानी, हवा और मिट्टी में से मिट्टी के सिवा और सब अ़नासिर में कुछ न कुछ हरकत तो है, मिट्टी उससे भी मेहरूम है, क़ुदरत ने इनसान के बनाने के लिये इसको चुना। इब्लीस की गुमराही का सबब यही बना कि उसने आग के उन्सुर (तत्व) को मिट्टी से अच्छा व बरतर समझकर तकब्बुर इख़्तियार किया और यह न समझा कि सम्मान और बुज़ुर्गी ख़ालिक़ व मालिक के हाथ में है वह जिसको चाहे बड़ा बना सकता है।

और इनसान की पैदाईश का माद्दा मिट्टी होना हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम के एतिबार से ज़ाहिर ही है, और वह चूँकि तमाम इनसानों के वजूद की असल बुनियाद हैं इसलिये दूसरे इनसानों की पैदाईश उनके वास्ते से उन्हीं की तरफ़ मन्सूब करना कुछ बईद नहीं, और यह भी मुम्किन है कि आ़म इनसान जो परिचित तरीक़े से पैदा होते हैं कि वीर्य के क़तरे के ज़रिये पैदा होते हैं उनमें भी वह नुत्फ़ा जिन चीज़ों और तत्वों से मिलकर बनता है उनमें मिट्टी का अंश और हिस्सा ज़्यादा है।

क़ुदरत की दूसरी निशानी

क़ुदरत की दूसरी निशानी यह है कि इनसान ही की जिन्स में अल्लाह तआ़ला ने औ़रतें पैदा कर दीं जो मर्दों की बीवियाँ हैं, एक ही माद्दे से एक ही जगह में एक ही गिज़ा से पैदा होने वाले बच्चों में ये दो मुख़्तलिफ़ किस्में पैदा फ़रमा दीं जिनके बदनी अंग व आज़ा, सूरत व सीरत, आ़दात व अख़्लाक़ में नुमायाँ फ़र्क़ व इम्तियाज़ पाया जाता है। अल्लाह तआ़ला की क़ुदरत व हिक्मत के कामिल होने के लिये यह पैदा करना ही काफ़ी निशानी है। इसके बाद औ़रतों की इस ख़ास जाति की पैदाईश की हिक्मत व मस्लेहत यह बयान फ़रमाई 'लितस्कुनू इलैहा' यानी उनको इसलिये पैदा किया गया है कि तुम्हें उनके पास पहुँचकर सुकून मिले। मर्द की जितनी ज़रूरतें औ़रत से संबन्धित हैं उन सब में ग़ौर कीजिये तो सब का हासिल दिल का सुकून और राहत व इत्मीनान निकलेगा, क़ुरआने करीम ने एक लफ़्ज़ में इन सब को जमा फ़रमा दिया है।

इससे मालूम हुआ कि वैवाहिक ज़िन्दगी के तमाम कारोबार का ख़ुलासा सुकून व दिल की राहत ही है, जिस घर में यह मौजूद है वह अपने वजूद के मक़सद में कामयाब है, जहाँ दिली सुकून न हो

और चाहे सब कुछ हो वह शादीशुदा ज़िन्दगी के लिहाज़ से नाकाम व नामुराद है। और यह भी ज़ाहिर है कि दिल का आपसी सुकून सिर्फ़ इसी सूरत से मुम्किन है कि मर्द व औरत के ताल्लुक़ की बुनियाद शरई निकाह और बन्धन पर हो, जिन मुल्कों और जिन लोगों ने इसके ख़िलाफ़ की हराम सूरतों को रिवाज दिया अगर तफ़तीश की जाये तो उनकी ज़िन्दगी को कहीं सुकून वाली न पायेंगे, जानवरों की तरह वक़्ती इच्छा पूरी कर लेने का नाम सुकून नहीं हो सकता।

वैवाहिक ज़िन्दगी का मक़सद सुकून है जिसके लिये आपसी उल्फ़त व मुहब्बत और रहमत ज़रूरी है

इस आयत ने मर्द व औरत की वैवाहिक ज़िन्दगी का मक़सद दिल का सुकून क़रार दिया है, और यह तब ही मुम्किन है कि दोनों पक्ष एक दूसरे का हक़ पहचानें और अदा करें, वरना हक़ तलब करने के झगड़े घरेलू सुकून को बरबाद कर देंगे। हुक़ूक़ की इस अदायेगी के लिये एक सूरत तो यह थी कि इसके क़ानून बना देने और अहकाम नाफ़िज़ कर देने पर बस किया जाता, जैसे दूसरे लोगों के हुक़ूक़ के मामले में ऐसा ही किया गया है कि एक दूसरे की हक़-तल्फ़ी को हराम करके उस पर सख़्त वईदें (डाँट-डपट) सुनाई गईं, सज़ायें मुक़र्रर की गईं, ईसार व हमदर्दी की नसीहत की गई, लेकिन तजुर्बा गवाह है कि सिर्फ़ क़ानून के ज़रिये कोई क़ौम सही राह पर नहीं लाई जा सकती जब तक उसके साथ ख़ुदा का ख़ौफ़ न हो, इसलिये सामाजिक मामलात में शरीअ़त के अहकाम के साथ-साथ पूरे क़ुरआन में हर जगह 'इत्तक़ुल्ला-ह' 'वख़्शौ' वग़ैरह के कलिमात बात और हुक्म के मक़सद को पूरा करने के लिये लाये गये हैं।

मर्द व औरत के आपसी मामलात कुछ इस अन्दाज़ के हैं कि उनके आपसी हुक़ूक़ पूरे अदा कराने पर न कोई क़ानून हावी हो सकता है न कोई अ़दालत उनका पूरा इन्साफ़ कर सकती है। इसलिये निकाह के ख़ुतबे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने क़ुरआने करीम की वे आयतें चुनी हैं जिनमें तक़वा और ख़ौफ़े ख़ुदा व आख़िरत की तालीम व हिदायत है कि वही हक़ीक़त में मियाँ-बीवी के आपस के हुक़ूक़ का ज़मानती हो सकता है।

इस पर एक अतिरिक्त इनाम हक़ तआ़ला ने यह फ़रमाया कि निकाह और वैवाहिक बन्धन के हुक़ूक़ को सिर्फ़ शरई और क़ानूनी नहीं रखा बल्कि तबई और नफ़्सानी बना दिया। जिस तरह माँ-बाप और औलाद के आपसी हुक़ूक़ के साथ भी ऐसा ही मामला फ़रमाया कि उनके दिलों में फ़ितरी तौर पर एक ऐसी मुहब्बत पैदा फ़रमा दी कि माँ-बाप अपनी जान से ज़्यादा औलाद की हिफ़ाज़त करने पर मजबूर हैं और इसी तरह औलाद के दिलों में भी एक फ़ितरी मुहब्बत माँ-बाप की रख दी गई है, यही मामला मियाँ-बीवी के मुताल्लिक़ भी फ़रमाया गया, इसके लिये इरशाद फ़रमायाः

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً

यानी अल्लाह तआ़ला ने मियाँ-बीवी के दरमियान सिर्फ़ शरई और क़ानूनी ताल्लुक़ नहीं रखा बल्कि उनके दिलों में उल्फ़त, दिली मुहब्बत और रहमत जमा दी। 'वुद्द' और 'मवद्दत' के लफ़्ज़ी

मायने चाहने के हैं जिसका नतीजा मुहब्बत व उल्फ़त है। यहाँ हक़ तआ़ला ने दो लफ़्ज़ इख़्तियार फ़रमाये एक 'मवद्दत' दूसरे 'रहमत'। मुम्किन है इसमें इशारा इस तरफ़ हो कि 'मवद्दत' का ताल्लुक़ जवानी के उस ज़माने से हो जिसमें दोनों पक्षों की इच्छायें एक दूसरे से मुहब्बत व उल्फ़त पर मजबूर करती हैं, और बुढ़ापे में जब ये जज़्बात ख़त्म हो जाते हैं तो आपसी रहमत व ग़मख़्वारी तबई हो जाती है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

इसके बाद फ़रमाया:

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ○

यानी इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिये जो ग़ौर व फ़िक्र करते हैं। यहाँ ज़िक्र तो एक निशानी का किया गया है और इसके आख़िर में इसको आयात और निशानियाँ फ़रमाया, वजह यह है कि निकाह का ताल्लुक़ जिसका ज़िक्र इसमें किया गया उसके मुख़्तलिफ़ पहलुओं पर और उन से हासिल होने वाले दीनी और दुनियावी फ़ायदों पर नज़र की जाये तो यह एक नहीं बहुत सी निशानियाँ हैं।

क़ुदरत की तीसरी निशानी

तीसरी आयत और निशानी आसमान व ज़मीन का बनाना और पैदा करना और इनसानों के मुख़्तलिफ़ वर्गों की भाषायें और लब-व-लहजे (बोलने के अन्दाज़ और तरीक़े) का भिन्न और अलग-अलग होना और विभिन्न वर्गों के रंगों में फ़र्क़ व भेद होना है कि बाज़े सफ़ेद हैं बाज़े काले बाज़े सुर्ख़ बाज़े पीले। इसमें आसमान व ज़मीन की पैदाईश तो क़ुदरत का अ़ज़ीम शाहकार (नमूना) है ही, इनसानों की भाषायें अलग-अलग और भिन्न होना भी क़ुदरत का एक अ़जीब करिश्मा है। भाषाओं के भिन्न होने में लुग़तों का अलग-अलग और भिन्न होना भी दाख़िल है- अ़रबी, फ़ारसी, हिन्दी, तुर्की, अंग्रेज़ी वग़ैरह कितनी एक-दूसरे से अलग भाषायें हैं, जो अलग-अलग ख़ित्तों में राइज हैं और एक दूसरे से कुछ तो ऐसी अलग और भिन्न हैं कि आपस में कोई ताल्लुक़ व मुनासबत भी मालूम नहीं होती, और ज़बानों और भाषाओं के अलग-अलग और भिन्न होने में बोलने के अन्दाज़ व तरीक़े का भिन्न होना भी शामिल है, कि अल्लाह तआ़ला ने इनसान के हर फ़र्द मर्द, औ़रत, बच्चे, बूढ़े की आवाज़ में ऐसा फ़र्क़ पैदा फ़रमाया है कि एक फ़र्द की आवाज़ किसी दूसरे फ़र्द से, एक जाति की आवाज़ दूसरी जाति से पूरी तरह नहीं मिलती, कुछ न कुछ फ़र्क़ ज़रूर होता है। हालाँकि उस आवाज़ के आलात ज़ुबान, होंठ, तालू, हलक़ सब में बराबर और एक जैसे हैं। अल्लाह की बरकत वाली ज़ात क्या ही ख़ूब पैदा करने वाली है।

इसी तरह रंगों का अलग-अलग होना है कि एक ही माँ-बाप से एक ही क़िस्म के हालात में दो बच्चे अलग-अलग रंग के पैदा होते हैं, यह तो पैदा करने और बनाने का कमाल था आगे भाषायें और लहजे अलग-अलग होते हैं। इसी तरह इनसानों के रंग एक दूसरे से भिन्न होने में क्या-क्या हिक्मतें छुपी हैं उनका बयान बहुत लम्बा है। और बहुत सी हिक्मतों का मामूली ग़ौर व फ़िक्र से समझ लेना मुश्किल भी नहीं।

क़ुदरत की इस निशानी में अनेक चीज़ें आसमान, ज़मीन, भाषाओं का अलग-अगल होना, रंगों का अलग-अलग होना और इनके तहत में और बहुत सी क़ुदरत व हिक्मत की निशानियाँ हैं, और वे ऐसी खुली हुई हैं कि किसी अतिरिक्त ग़ौर व फ़िक्र की भी ज़रूरत नहीं, हर आँखों वाला देख सकता है, इसलिये इसके ख़त्म पर इरशाद फ़रमाया 'इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिल् लिल्आलमीन' यानी इस में बहुत सी निशानियाँ हैं समझ रखने वालों के लिये।

क़ुदरत की चौथी निशानी

क़ुदरत की चौथी निशानी इनसानों का सोना रात में और दिन में, इसी तरह उनका रोज़ी तलाश करना है रात में और दिन में। इस आयत में तो नींद को भी दिन व रात दोनों में बयान फ़रमाया है और रोज़ी की तलाश को भी, और बाज़ी दूसरी आयतों में नींद को सिर्फ़ रात में और रोज़ी तलाश करने को दिन में बतलाया है। वजह यह है कि रात में असल काम नींद का है और कुछ रोज़ी की तलाश का भी चलता है, और दिन में इसके उलट असल काम रोज़ी तलाश करने का है और कुछ सोने आराम करने का भी वक़्त मिलता है, इसलिये दोनों बातें अपनी-अपनी जगह सही हैं। कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात ने दूर के मायने लेते हुए इस आयत में भी नींद को रात के साथ और रोज़ी की तलाश को दिन के साथ मख़्सूस किया है मगर इसकी ज़रूरत नहीं।

सोना और रोज़ी तलाश करना बुज़ुर्गी व तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं

इस आयत से साबित हुआ कि सोने के वक़्त सोना और जागने के वक़्त रोज़ी की तलाश इनसान की फ़ितरत बनाई गई है और इन दोनों चीज़ों का हासिल करना इनसानी असबाब व कमालात के ताबे नहीं, बल्कि हक़ीक़त में ये दोनों चीज़ें अल्लाह तआ़ला की ख़ालिस अ़ता हैं जैसा कि रात दिन खुली आँखों दिख रहा है कि कई बार नींद और आराम के सारे बेहतर से बेहतर सामान जमा होने के बावजूद नींद नहीं आती, कई बार डॉक्टरी गोलियाँ भी नींद लाने में फ़ेल हो जाती हैं और जिसको मालिक चाहता है खुली ज़मीन पर धूप और गर्मी में नींद अ़ता फ़रमा देता है।

यही हाल रोज़ी हासिल का रात दिन देखने में आता है कि दो शख़्स बराबर तौर पर इल्म व अ़क्ल वाले, बराबर के माल वाले, बराबर की मेहनत वाले रोज़ी के हासिल करने का बराबर ही काम लेकर बैठते हैं, एक तरक़्क़ी कर जाता है दूसरा रह जाता है। अल्लाह तआ़ला ने दुनिया को असबाब का आ़लम बड़ी हिक्मत व मस्लेहत से बनाया है इसलिये रोज़ी को तलाश करना असबाब ही के ज़रिये करना लाज़िम है, मगर अ़क़्ल का काम यह है कि हक़ीक़त पहचानने से दूर न हो, इन असबाब को असबाब ही समझे और असल राज़िक़ (रोज़ी देने वाला) असबाब के बनाने वाले को समझे।

क़ुदरत की इस निशानी के अंत पर इरशाद फ़रमायाः

اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّسْمَعُوْنَ٥

"यानी इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिये जो बात को ध्यान देकर सुनते हैं।"

इसमें सुनने पर मदार (आधार) रखने की वजह शायद यह हो कि देखने में तो नींद ख़ुद-बख़ुद आ जाती है जब आदमी ज़रा आराम की जगह करके लेट जाये। इसी तरह रोज़ी का हासिल करना मेहनत व मज़दूरी तिजारत वग़ैरह से हो जाता है, इसलिये क़ुदरत के हाथ की कारसाज़ी ज़ाहिरी नज़रों से छुपी रहती है, वह अल्लाह का प्याम लाने वाले अम्बिया बतलाते हैं। इसी लिये फ़रमाया कि ये निशानियाँ उन्हीं को कारामद होती हैं जो बात को ध्यान देकर सुनें, और जब समझ में आ जाये तो तस्लीम कर लें हठधर्मी और ज़िद न करें।

क़ुदरत की पाँचवीं निशानी

क़ुदरत की पाँचवीं निशानी यह है कि अल्लाह तआ़ला इनसानों को बिजली का कोंदना दिखाते हैं जिसमें उसके गिरने और नुक़सान पहुँचाने का ख़तरा भी होता है और उसके पीछे बारिश की उम्मीद भी, और फिर बारिश नाज़िल फ़रमाते हैं। और इस सूखी बेजान ज़मीन को ज़िन्दा तरोताज़ा करके इसमें तरह-तरह के दरख़्त और फल-फूल उगाते हैं। इसके आख़िर में फ़रमायाः

اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ ۝

यानी इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं अ़क्ल वालों के लिये। क्योंकि बिजली व बारिश और उनके ज़रिये हासिल होने वाली नबातात (पेड़-पौधे और सब्ज़ियाँ) और उनके फल फूल की पैदाईश अल्लाह की तरफ़ से होना यह अ़क्ल व हिक्मत ही से समझा जा सकता है।

क़ुदरत की छठी निशानी

क़ुदरत की छठी निशानी यह है कि आसमान व ज़मीन का ठहरना अल्लाह ही के हुक्म से है और जब उसका हुक्म यह होगा कि यह निज़ाम तोड़-फोड़ दिया जाये तो ये सब मज़बूत व स्थिर चीज़ें जिनमें हज़ारों साल चलकर भी कहीं कोई नुक़सान या ख़लल नहीं आता दम के दम में टूट-फूटकर ख़त्म हो जायेंगी और फिर अल्लाह तआ़ला ही के हुक्म से दोबारा सब मुर्दे ज़िन्दा होकर मैदाने हश्र में जमा हो जायेंगे।

क़ुदरत की यह छठी निशानी दर हक़ीक़त पहली सब निशानियों का हासिल और मक़सद है। इसी को समझाने के लिये इससे पहली पाँच निशानियाँ बयान फ़रमाई हैं और इसके बाद कई आयतों तक इसी मज़मून का ज़िक्र फ़रमाया है।

لَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰی

मसल् हर ऐसी चीज़ के लिये बोला जाता है जो दूसरे से कुछ ताल्लुक़ व जोड़ रखती और उस जैसी हो, बिल्कुल उसी जैसी होना इसके मफ़्हूम में दाख़िल नहीं। इसी लिये हक़ तआ़ला के मसल् होना तो क़ुरआन में कई जगह आया है, एक यहीं, दूसरे एक जगह फ़रमाया 'म-सलु नूरिही' कमिश्कातिन्' लेकिन मिस्ल और मिसाल से हक़ तआ़ला की ज़ात पाक और बरतर व आला है। वल्लाहु आलम

ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ۚ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ
فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝ بَلِ اتَّبَعَ
الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ فَمَنْ يَّهْدِيْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ۭ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝ فَاَقِمْ وَجْهَكَ
لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۭ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۭ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۤ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝
مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ۭ كُلُّ حِزْبٍۢ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ۝ وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا
رَبَّهُمْ مُّنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَآ اَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ۝ لِيَكْفُرُوْا بِمَآ
اٰتَيْنٰهُمْ ۭ فَتَمَتَّعُوْا ۣ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝ اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ ۝
وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا ۭ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ ۝
اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۗءُ وَيَقْدِرُ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝ فَاٰتِ
ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۭ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ۡ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ
الْمُفْلِحُوْنَ ۝ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ
تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ۝ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ۭ
هَلْ مِنْ شُرَكَاۗىِٕكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۭ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

ज-र-ब लकुम् म-सलम् मिन् अन्फ़ुसिकुम्, हल्-लकुम् मिम्मा म-लकत् ऐमानुकुम् मिन् शु-रका-अ फी मा रज़क़्नाकुम् फ-अन्तुम् फीहि सवाउन् तख़ाफ़ूनहुम् कख़ी-फ़तिकुम् अन्फ़ु-सकुम्, कज़ालि-क नुफ़स्सिलुल्-आयाति लिक़ौमिंय्-यअ्क़िलून (28) बलित्त-बअ़ ल्लज़ी-न ज़-लमू अह्वा-अहुम् बिग़ैरि अ़िल्मिन्	बतलाई तुमको एक मिसाल तुम्हारे अन्दर से, देखो जो तुम्हारे हाथ के माल हैं उनमें है कोई साझी तुम्हारे हमारी दी हुई रोज़ी में कि तुम सब उसमें बराबर रहो, ख़तरा रखो उनका जैसे ख़तरा रखो अपनों का, यूँ खोलकर बयान करते हैं हम निशानियाँ उन लोगों के लिये जो समझते हैं। (28) बल्कि चलते हैं ये बेइन्साफ़ अपनी इच्छाओं पर बिना समझे,

फ़-मंय्यह्दी मन् अज़ल्लल्लाहु, व मा लहुम् मिन्-नासिरीन (29) फ़-अक़िम् वज्ह-क लिद्दीनि हनीफ़न्, फ़ित्रतल्लाहिल्लती फ़-तरन्ना-स अ़लैहा, ला तब्दी-ल लिख़ल्क़िल्लाहि, ज़ालिकद्दीनुल्-क़य्यिमु व लाकिन्-न अक्सरन्नासि ला यअ्लमून (30) मुनीबी-न इलैहि वत्तक़ूहु व अक़ीमुस्सला-त व ला तकूनू मिनल्-मुश्रिकीन (31) मिनल्लज़ी-न फ़र्रक़ू दीनहुम् व कानू शि-यअन्, कुल्लु हिज़्बिम्-बिमा लदैहिम् फ़रिहून (32) व इज़ा मस्सन्ना-स ज़ुर्रुन् दऔ रब्बहुम् मुनीबी-न इलैहि सुम्-म इज़ा अज़ा-क़हुम् मिन्हु रह्म-तन् इज़ा फ़रीक़ुम् मिन्हुम् बिरब्बिहिम् युश्रिकून (33) लियक्फ़ुरू बिमा आतैनाहुम्, फ़-तमत्तअ़ू, फ़सौ-फ़ तअ्लमून (34) अम् अन्ज़ल्ना अ़लैहिम् सुल्तानन् फ़हु-व य-तकल्लमु बिमा कानू बिही युश्रिकून (35) व इज़ा अज़क़्नन्ना-स रह्म-तन् फ़रिहू बिहा, व इन् तुसिब्हुम् सय्यि-अतुम्-बिमा क़द्दमत् ऐदीहिम् इज़ा हुम् यक़्नतून (36) अ-व लम्

सो कौन समझाये जिनको अल्लाह ने भटकाया, और कोई नहीं उनका मददगार। (29) सो तू सीधा रख अपना मुँह दीन पर एक तरफ़ का होकर, वही तराश अल्लाह की जिस पर तराशा लोगों को, बदलना नहीं अल्लाह के बनाये हुए को, यही है दीन सीधा, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते (30) सब रुजू होकर उसकी तरफ़ और उससे डरते रहो और क़ायम रखो नमाज़ और मत हो शिर्क करने वालों में। (31) जिन्होंने कि फूट डाली अपने दीन में और हो गये उनमें बहुत फ़िर्के हर फ़िर्क़ा जो उसके पास है उस पर मस्त है। (32) और जब पहुँचे लोगों को कुछ सख़्ती तो पुकारें अपने रब को उसकी तरफ़ रुजू होकर फिर जहाँ चखाई उनको अपनी तरफ़ से कुछ मेहरबानी उसी वक़्त एक जमाअ़त उनमें अपने रब का शरीक लगी बताने (33) कि मुन्किर हो जायें हमारे दिए हुए से, सो मज़े उड़ा लो अब, आगे जान लोगे। (34) क्या हमने उन पर उतारी है कोई सनद सो वह बोल रही है जो ये शरीक बताते हैं। (35) और जब चखायें हम लोगों को कुछ मेहरबानी उस पर फूले नहीं समाते, और अगर आ पड़े उन पर कुछ बुराई अपने हाथों के भेजे हुए पर तो आस तोड़ बैठें। (36) क्या नहीं देख चुके कि

यरौ अन्नल्ला-ह यब्सुतुर्रिज़्-क़ लिमंय्यशा-उ व यक़्दिरु, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिल् लिक़ौमिंय्-युअ्मिनून (37) फ़-आति ज़ल्क़ुर्बा हक़्क़हू वल्मिस्की-न वब्नस्सबीलि, ज़ालि-क ख़ैरुल्-लिल्लज़ी-न युरीदू-न वज्हल्लाहि व उलाइ-क हुमुल्-मुफ़्लिहून (38) व मा आतैतुम् मिर्रिबल्-लियर्बु-व फ़ी अम्वालिन्नासि फ़ला यर्बू अिन्दल्लाहि व मा आतैतुम् मिन् ज़कातिन् तुरीदू-न वज्हल्लाहि फ़-उलाइ-क हुमुल्-मुज़्अिफ़ून (39) अल्लाहुल्लज़ी ख़ा-ल-क़कुम् सुम्-म र-ज़-क़कुम् सुम्-म युमीतुकुम् सुम्-म युह्यीकुम्, हल् मिन् शु-रकाइकुम् मंय्यफ़्अ़लु मिन् ज़ालिकुम् मिन् शैइन्, सुब्हानहू व तआ़ला अ़म्मा युश्रिकून (40) ✿	अल्लाह फैला देता है रोज़ी जिस पर चाहे और माप कर देता है जिसको चाहे, इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिये जो यक़ीन रखते हैं। (37) सो तू दे क़राबत वाले (रिश्तेदार) को उसका हक़ और मोहताज को और मुसाफ़िर को, यह बेहतर है उनके लिये जो चाहते हैं अल्लाह का मुँह, और वही हैं जिनका भला है। (38) और जो देते हो ब्याज पर कि बढ़ता रहे लोगों के माल में सो वह नहीं बढ़ता अल्लाह के यहाँ, और जो देते हो पाक दिल से चाह कर रज़ामन्दी अल्लाह की, सो ये वही हैं जिनके दूने हुए। (39) अल्लाह वही है जिसने तुमको बनाया फिर तुमको रोज़ी दी फिर तुमको मारता है फिर तुमको जिलायेगा, कोई है तुम्हारे शरीकों में जो कर सके इन कामों में से एक काम, वह निराला है और बहुत ऊपर है उससे कि शरीक बतलाते हैं। (40) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

अल्लाह तआ़ला (शिर्क को नापसन्दीदा व बातिल साबित करने के लिये) तुमसे एक अ़जीब मज़मून तुम्हारे ही हालात में से बयान फ़रमाते हैं (वह यह कि ग़ौर करो) क्या तुम्हारे ग़ुलामों में कोई शख़्स तुम्हारा उस माल में जो हमने तुमको दिया है शरीक है? कि तुम और वह (इख़्तियारात के एतिबार से) उसमें बराबर हों जिनका तुम (तसर्रुफ़ात के वक़्त) ऐसा ख़्याल करते हो जैसा अपने आपस (के शरीक व बराबर वाले आज़ाद ख़ुदमुख़्तार का) ख़्याल किया करते हो। (और उनसे इजाज़त लेकर अपनी मर्ज़ी चलाया करते हो, या कम से कम मुख़ालफ़त का डर ही उनसे रहता है, और ज़ाहिर

है कि गुलाम इस तरह शरीक नहीं होता। पस जब तुम्हारा ग़ुलाम जो इनसानों ही में से और बहुत सी चीज़ों में तुम्हारा शरीक है और तुम्हीं जैसा है, फ़र्क़ सिर्फ़ एक चीज़ में है कि तुम माल व दौलत के मालिक हो वह नहीं, इसके बावजूद वह इख़्तियारात के तुम्हारे ख़ास हक़ में तुम्हारा शरीक नहीं हो सकता तो तुम्हारे क़रार दिये हुए झूठे माबूद जो कि हक़ तआ़ला के ग़ुलाम हैं और किसी ज़ाती या सिफ़ाती कमाल में ख़ुदा तआ़ला के जैसे नहीं, बल्कि कुछ तो उनमें से अल्लाह की मख़्लूक़ के बनाये हुए हैं, ये माबूद हक़ तआ़ला के माबूद होने के ख़ास हक़ में किस तरह उसके साथ शरीक हो सकते हैं? और हमने जिस तरह शिर्क के बातिल होने की यह काफ़ी और तसल्ली बख़्श दलील बयान फ़रमाई) हम इसी तरह समझदारों के लिये साफ़-साफ़ दलीलें बयान करते रहते हैं। (और चाहिये तो यह था कि वे लोग हक़ की पैरवी इख़्तियार कर लेते और शिर्क छोड़ देते मगर वे हक़ की पैरवी नहीं करते) बल्कि उन ज़ालिमों ने बिना (किसी सही) दलील (के महज़) अपने (बुरे और ग़लत) ख़्यालात की पैरवी कर रखी है, सो जिसको (उसकी हठधर्मी, दुश्मनी और बातिल पर अड़े रहने की वजह से) ख़ुदा (ही) गुमराह करे उसको कौन राह पर लाये (इसका मक़सद यह नहीं कि वे माज़ूर हैं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तसल्ली देना है कि आप ग़म न करें आपका जो काम था वह आप कर चुके, और जब उन गुमराहों को अ़ज़ाब होने लगेगा तो) उनका कोई हिमायती न होगा।

(और जब ऊपर के मज़मून से तौहीद की हक़ीक़त स्पष्ट हो गई) तो (मुख़ातब लोगों में से हर-हर शख़्स से कहा जाता है कि) तुम (बातिल और ग़ैर-हक़ दीनों से) यक्सू होकर अपना रुख़ इस (हक़) दीन की तरफ़ रखो। (और सब) अल्लाह की दी हुई क़ाबलियत की पैरवी करो जिस (क़ाबलियत) पर अल्लाह तआ़ला ने लोगों को पैदा किया है, (अल्लाह की फ़ितरत व क़ाबलियत का मतलब यह है कि अल्लाह तआ़ला ने हर शख़्स में पैदाईशी तौर पर यह क़ाबलियत रखी है कि अगर हक़ को सुनना और समझना चाहे तो वह समझ में आ जाता है, और उसकी पैरवी का मतलब यह है कि उस क्षमता और क़ाबलियत से काम ले, और उसके तक़ाज़े पर अ़मल करे। ग़र्ज़ कि उस फ़ितरत की पैरवी करनी चाहिए और) अल्लाह तआ़ला की उस पैदा की हुई चीज़ को न बदलना चाहिए जिस पर उसने तमाम आदमियों को पैदा किया है। पस सीधा (रास्ता) दीन (का) यही है लेकिन अक्सर लोग (सोच-विचार न करने की वजह से इसको) नहीं जानते। (इसलिये इस पर नहीं चलते। ग़र्ज़ कि) तुम ख़ुदा की तरफ़ रुजू होकर अल्लाह तआ़ला के क़ानून की पैरवी करो, और उस (की मुख़ालफ़त और मुख़ालफ़त के अ़ज़ाब) से डरो और (इस्लाम क़ुबूल करके) नमाज़ की पाबन्दी करो (जो तौहीद का अ़मली इज़हार है) और शिर्क करने वालों में से मत रहो, जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े-टुकड़े कर लिया (यानी हक़ तो यह एक था और बातिल बहुत हैं उन्होंने हक़ को छोड़ दिया और बातिल की विभिन्न और अनेक राहें इख़्तियार कर लीं, यह टुकड़े-टुकड़े करना है कि एक ने एक राह ले ली दूसरे ने दूसरी) और बहुत-से (अलग-अलग) गिरोह हो गये। (और अगर हक़ पर रहते तो एक गिरोह होते और बावजूद इसके कि इन हक़ के छोड़ने वालों में सब के तरीक़े बातिल हैं, मगर फिर भी अपनी हद से बढ़ी हुई जहालत की वजह से उनमें) हर गिरोह अपने उस तरीक़े पर ख़ुश है जो उनके पास है।

और (जिस तौहीद की तरफ़ हम बुलाते हैं उसके इनकार और ख़िलाफ़ करने के बावजूद बेक़रारी व परेशानी के वक़्त आ़म तौर पर लोगों के हाल व क़ौल से उसका इज़्हार व इक़रार भी होने लगता है जिससे तौहीद "अल्लाह के एक और अकेला माबूद होने" के मज़मून के फ़ितरी होने की भी ताईद होती है, चुनाँचे देखा जाता है कि) जब लोगों को कोई तकलीफ़ पहुँचती है (उस वक़्त बेक़रार होकर) अपने (असली) रब को उसी की तरफ़ रुजू होकर पुकारने लगते हैं (दूसरे सब माबूदों को छोड़ देते हैं मगर) फिर (जल्दी ही यह हालत हो जाती है कि) जब अल्लाह तआ़ला उनको अपनी तरफ़ से कुछ इनायतों का मज़ा चखा देता है तो बस उनमें से बाज़े लोग (फिर) अपने रब के साथ शिर्क करने लगते हैं। जिसका हासिल यह है कि हमने जो (आराम व ऐश) उनको दिया है उसकी नाशुक्री करते हैं (जो अ़क़्ल के एतिबार से भी बुरा है) सो (ख़ैर) चन्द रोज़ और फ़ायदा उठा लो फिर जल्दी ही तुम (हक़ीक़त) मालूम कर लोगे। (और ये लोग जो शिर्क करते हैं ख़ुसूसन अल्लाह के एक होने का इक़रार करने के बाद तो इनसे कोई पूछे कि इसकी क्या वजह है) क्या हमने इन पर कोई सनद (यानी कोई किताब) नाज़िल की है कि वह इनको अल्लाह तआ़ला के साथ शिर्क करने को कह रही है (यानी इनके पास इनकी कोई किताबी दलील भी नहीं, और थोड़ा सा सोचने से इसका अ़क़्ल के ख़िलाफ़ होना आसानी से समझ में आ जाता है जैसा कि बेक़रारी व परेशानी की हालत में इनका इस तरफ़ मुतवज्जह होना ज़ाहिर कर रहा है, पस उनका यह चलन पूरी तरह बातिल ठहरा) और (आगे उपरोक्त मज़मून का पूरक और आख़िरी हिस्सा है और वह यह कि) हम जब (उन) लोगों को कुछ इनायत का मज़ा चखा देते हैं तो वे उससे (इस तरह) ख़ुश होते हैं (कि ख़ुशी में मस्त होकर शिर्क करने लगते हैं जैसा कि ऊपर ज़िक्र आया) और अगर उनके (बुरे) आमाल के बदले में जो पहले अपने हाथों कर चुके हैं, उन पर कोई मुसीबत आ पड़ती है तो बस वे लोग नाउम्मीद हो जाते हैं।

(इस मक़ाम में ग़ौर करने से मालूम होता है कि मज़मून के इस आख़िरी हिस्से में असल मक़सद पहला जुमला है 'जब हम उन लोगों को इनायत का कुछ मज़ा चखा देते हैं.......' इसमें उनके शिर्क में मुब्तला होने का सबब बदमस्त और ग़ाफ़िल होना बयान हुआ है। दूसरा जुमला सिर्फ़ एक दूसरे के मुक़ाबिल होने की मुनासबत से ज़िक्र कर दिया है। क्योंकि इन दोनों हालतों में इतनी बात साबित होती है कि उसका ताल्लुक़ अल्लाह तआ़ला से बहुत कम और कमज़ोर है, ज़रा-ज़रा सी चीज़ उस ताल्लुक़ को भुला देती है। आगे इसी की दूसरी दलील है कि ये लोग जो शिर्क करते हैं तो) क्या इनको यह मालूम नहीं कि अल्लाह तआ़ला जिसको चाहे ज़्यादा रोज़ी देता है और जिसको चाहे कम देता है, (और मुश्रिक लोगों के नज़दीक यह बात भी मानी हुई थी कि रोज़ी का घटाना बढ़ाना असल में ख़ुदा ही का काम है। अल्लाह तआ़ला का क़ौल है:

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْ ۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ)

इस (मामले) में (भी तौहीद की) निशानियाँ हैं उन लोगों के लिये जो ईमान रखते हैं (यानी वे समझते हैं और दूसरे भी समझ सकते हैं, क्योंकि जो शख़्स ऐसा क़ादिर होगा इबादत का हक़दार वही होगा)। फिर (जब तौहीद की दलीलों में मालूम हुआ कि रिज़्क़ में तंगी व फ़राख़ी अल्लाह ही की तरफ़ से है तो इससे एक बात और भी साबित हुई कि कन्जूसी करना बुरा और नापसन्दीदा है,

क्योंकि कन्जूसी करने से जितना रिज़्क़ तय है उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, इसलिये नेक कामों में ख़र्च करने से कन्जूसी न किया कर बल्कि) रिश्तेदार को उसका हक़ दिया कर और (इसी तरह) मिस्कीन और मुसाफ़िर को भी (उनके हुक़ूक़ दिया कर, जिनकी तफ़सील शरई दलीलों से मालूम है) यह उन लोगों के लिये बेहतर है जो अल्लाह तआ़ला की रज़ा के तालिब हैं। और ऐसे ही लोग फ़लाह पाने वाले हैं।

और (हमने जो यह क़ैद लगाई कि यह मज़मून बेहतर है उन लोगों के लिये जो अल्लाह की रज़ा के तलबगार हों, वजह इसकी यह है कि हमारे नज़दीक सिर्फ़ माल ख़र्च कर देना फ़लाह व कामयाबी का ज़रिया नहीं है बल्कि इसका क़ानून यह है कि) जो चीज़ तुम (दुनिया की ग़र्ज़ से ख़र्च करोगे मसलन कोई चीज़) इस ग़र्ज़ से किसी को दोगे कि वह लोगों के माल में (शामिल होकर यानी उनकी मिल्क व क़ब्ज़े में) पहुँचकर (तुम्हारे लिये) ज़्यादा हो (कर आ) जाये (जैसे न्यौते वग़ैरह दुनिया की रस्मों में अक्सर इसी ग़र्ज़ से दिया जाता है कि यह शख़्स हमारे मौक़े पर कुछ और ज़ायद शामिल करके देगा) तो यह ख़ुदा के नज़दीक नहीं बढ़ता (क्योंकि ख़ुदा के नज़दीक पहुँचना और बढ़ना उस माल के साथ ख़ास है जो अल्लाह की रज़ा व ख़ुशनूदी के लिये ख़र्च किया जाये, जैसा कि आगे आता है। और हदीस में भी है कि एक मक़बूल खजूर उहुद पहाड़ से भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसमें यह नीयत थी नहीं, लिहाज़ा न मक़बूल हुआ न बढ़ा)। और जो ज़कात (वग़ैरह) दोगे जिससे अल्लाह तआ़ला की रज़ा तलब करते होगे, तो ऐसे लोग (अपने दिये हुए को) ख़ुदा तआ़ला के पास बढ़ाते रहेंगे (जैसा कि अभी हदीस का मज़मून गुज़रा। और अल्लाह की राह में ख़र्च करने का यह मज़मून चूँकि अल्लाह तआ़ला की रिज़्क़ देने वाला होने की सिफ़त पर दलालत करने की वजह से तौहीद की ताकीद का ज़रिया है इसलिए यह इसके तहत में आ गया, असल मक़सद तौहीद का बयान है, इसीलिये आगे फिर इसी तौहीद का ज़िक्र है)।

अल्लाह ही वह है जिसने तुमको पैदा किया, फिर तुमको रिज़्क़ दिया, फिर तुमको मौत देता है, फिर (क़ियामत में) तुमको ज़िन्दा करेगा। (इनमें कुछ चीज़ें तो मुख़ातब लोगों के इक़रार से साबित हैं और कुछ दलीलों से, ग़र्ज़ कि वह ऐसा क़ादिर है। अब यह बतलाओ कि) क्या तुम्हारे शरीकों में भी कोई ऐसा है जो इन कामों में से कुछ भी कर सके (और ज़ाहिर है कि कोई भी नहीं, इसलिए साबित हुआ कि) वह उनके शिर्क से पाक और बरतर है (यानी उसका कोई शरीक नहीं)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

ऊपर दर्ज हुई आयतों में तौहीद (अल्लाह के एक और अकेला माबूद होने) के मज़मून को विभिन्न और अनेक तथ्यों, दलीलों और विभिन्न उनवानों में बतलाया गया है जो हर इनसान के दिल में उतर जाये। पहले एक मिसाल से समझाया कि तुम्हारे ग़ुलाम नौकर जो तुम्हारे ही जैसे इनसान हैं शक्ल व सूरत, हाथ पाँव तबीयती तक़ाज़ों सब चीज़ों में तुम्हारे शरीक हैं, मगर तुम उनको अपने इख़्तियार व ताक़त में अपने बराबर नहीं बनाते कि वे भी तुम्हारी तरह जो चाहें किया करें, जो चाहें ख़र्च करें, बिल्कुल अपने बराबर तो क्या बनाते उनको अपने माल व इख़्तियार में अदना सी शिर्कत

का भी हक़ नहीं देते, जैसे किसी आंशिक और मामूली शरीक से आप डरते हैं कि उसकी मर्ज़ी के बग़ैर कोई तसर्रुफ़ कर लिया तो वह एतिराज़ करेगा, गुलामों नौकरों को यह दर्जा भी नहीं देते तो ग़ौर करो कि तमाम मख़्लूक़ात जिनमें फ़रिश्ते, इनसान और दूसरी कायनात सभी दाख़िल हैं ये सब के सब अल्लाह की मख़्लूक़ और उसी के बन्दे और गुलाम हैं, इनको तुम अल्लाह के बराबर या उसका शरीक कैसे यक़ीन करते हो।

दूसरी आयत में इस पर तंबीह (चेतावनी) है कि यह बात तो सीधी और साफ़ है मगर मुख़ालिफ़ लोग अपनी नफ़्सानी इच्छाओं के ताबे होकर कोई इल्म व हिक्मत की बात नहीं मानते।

तीसरी आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को या आम मुख़ातब को हुक्म दिया है कि जब शिर्क का नामाक़ूल और भारी ज़ुल्म होना साबित हो गया तो आप तमाम मुश्रिकाना ख़्यालात को छोड़कर अपना रुख़ सिर्फ़ दीने इस्लाम की तरफ़ फेर लीजिये 'फ़-अक़िम् वज्ह-क लिद्दीनि हनीफ़न्'। इसके बाद इस दीने इस्लाम का फ़ितरत के मुताबिक़ होना इस तरह बयान फ़रमायाः

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِیْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ، ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ.

"फ़ित्रतल्लाहिल्लति फ़तरन्ना-स अ़लैहा" यह जुमला पहले जुमले "फ़-अक़िम् वज्ह-क लिद्दीनि हनीफ़न्" की वज़ाहत व बयान और दीन-ए-हनीफ़ जिसकी पैरवी का हुक्म पहले जुमले में दिया गया है उसकी एक मख़्सूस सिफ़त का बयान है कि वह फ़ितरी दीन है। इस जुमले की नहवी तरकीब जो भी हो बहरहाल यह मुतैयन है कि दीन-ए-हनीफ़ जिस पर चलने का पहले जुमले में हुक्म दिया गया है उसको इस जुमले में 'फ़ित्रतल्लाहि' क़रार दिया है और मायने इसके ख़ुद अगले जुमले में यह बतलाये कि अल्लाह की फ़ितरत से मुराद यह है कि जिस फ़ितरत पर अल्लाह ने लोगों को पैदा किया है।

फ़ितरत से क्या मुराद है?

इस मामले में मुफ़स्सिरीन के अनेक क़ौल नक़ल किये गये हैं, उनमें दो ज़्यादा मशहूर हैं- अव्वल यह कि फ़ितरत से मुराद इस्लाम है और मतलब यह है कि अल्लाह तआ़ला ने हर इनसान अपनी फ़ितरत और जिबिल्लत के एतिबार से मुसलमान पैदा किया है। अगर उसको आस-पास और माहौल में कोई ख़राब करने वाला ख़राब न कर दे तो हर पैदा होने वाला बच्चा मुसलमान ही होगा, मगर आदतन होता यह है कि माँ-बाप उसको कई बार इस्लाम के ख़िलाफ़ चीज़ें सिखा देते हैं जिसके सबब वह इस्लाम पर क़ायम नहीं रहता, जैसा कि बुख़ारी व मुस्लिम की एक हदीस में ज़िक्र हुआ है, इमाम क़ुर्तुबी ने उसी क़ौल को पहले बुज़ुर्गों की अक्सरियत का क़ौल क़रार दिया है।

दूसरा क़ौल यह है कि फ़ितरत से मुराद क्षमता व क़ाबलियत है। यानी इनसानी पैदाईश में अल्लाह तआ़ला ने यह ख़ासियत रखी है कि हर इनसान में अपने ख़ालिक़ को पहचानने और उसको मानने की सलाहियत व क़ाबलियत मौजूद है जिसका असर इस्लाम का क़ुबूल करना होता है, बशर्तेकि उस क़ाबलियत व सलाहियत से काम ले।

मगर पहले क़ौल पर अनेक इश्कालात (शुब्हात और एतिराज़ात) हैं, अव्वल यह कि ख़ुद इसी आयत में आगे यह भी बयान हुआ हैः

لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ.

और यहाँ ख़ल्क़ुल्लाह से मुराद वही फ़ितरतुल्लाह है जिसका ऊपर ज़िक्र हुआ है, इसलिये मायने इस जुमले के यह हैं कि अल्लाह की इस फ़ितरत को कोई तब्दील नहीं कर सकता, हालाँकि सही हदीसों में ख़ुद यह आया है कि फिर माँ-बाप बहुत सी बार बच्चे को यहूदी या ईसाई बना देते हैं। अगर फ़ितरत के मायने ख़ुद इस्लाम के लिये जायें जिसमें तब्दीली न होना ख़ुद इसी आयत में ज़िक्र हुआ है तो उक्त हदीस में यहूदी, ईसाई बनाने की तब्दीली कैसे सही होगी, और यह तब्दीली तो आ़म देखी जाती है कि हर जगह मुसलमानों से ज़्यादा काफ़िर मिलते हैं, अगर इस्लाम ऐसी फ़ितरत है जिसमें तब्दीली न हो सके तो फिर यह तब्दीली कैसे और क्यों?

दूसरे हज़रत ख़ज़िर अ़लैहिस्सलाम ने जिस लड़के को क़त्ल किया था उसके बारे में सही हदीस में है कि उस लड़के की फ़ितरत में कुफ़्र था इसलिये ख़ज़िर अ़लैहिस्सलाम ने उसको क़त्ल किया। यह हदीस भी इसके ख़िलाफ़ है कि हर इनसान इस्लाम पर पैदा होता हो।

तीसरा शुब्हा यह है कि अगर इस्लाम कोई ऐसी चीज़ है जो इनसान की फ़ितरत में इस तरह रख दिया गया है जिसकी तब्दीली पर भी उसको क़ुदरत नहीं तो वह कोई इख़्तियारी फ़ेल न हुआ फिर उस पर आख़िरत का सवाब कैसे? क्योंकि सवाब तो इख़्तियारी अ़मल पर मिलता है।

चौथा शुब्हा यह है कि सही हदीसों के मुताबिक़ उम्मत फ़ुक़हा (दीनी मसाईल के माहिर उलेमा) के नज़दीक बच्चा बालिग़ होने से पहले माँ-बाप के ताबे समझा जाता है, अगर माँ-बाप काफ़िर हों तो बच्चे को भी काफ़िर क़रार दिया जायेगा, उसका कफ़नाना दफ़नाना वग़ैरह इस्लामी तरीक़े पर नहीं किया जायेगा।

ये सब शुब्हात इमाम तोरपश्ती ने 'शरह मसाबीह' में बयान किये हैं, और इसी बिना पर उन्होंने दूसरे क़ौल को तरजीह दी है, क्योंकि इस फ़ितरी और पैदाईशी सलाहियत के मुताल्लिक़ यह भी सही है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, जो शख़्स माँ-बाप या किसी दूसरे के गुमराह करने से काफ़िर हो गया उसमें हक़ की सलाहियत और क़ाबलियत यानी इस्लाम की हक़्क़ानियत को पहचानने की ख़त्म नहीं होती। ख़ज़िर अ़लैहिस्सलाम वाले लड़के के वाक़िए में उसके कुफ़्र पर पैदा होने से भी यह लाज़िम नहीं आता कि उसमें हक़ को समझने की सलाहियत ही नहीं रही थी, और चूँकि इस ख़ुदा की दी हुई सलाहियत व क़ाबलियत का सही इस्तेमाल इनसान अपने इख़्तियार से करता है इसलिये इस पर बड़े सवाब का मुरत्तब होना भी स्पष्ट हो गया, और बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में जो यह बयान हुआ है कि बच्चे के माँ-बाप उसको यहूदी या ईसाई बना देते हैं इसका मतलब भी इस दूसरे मायने के एतिबार से स्पष्ट और साफ़ हो गया, कि अगरचे उसमें सलाहियत और क़ाबलियत फ़ितरी है जो अल्लाह ने उसकी पैदाईश में रखी थी वह इस्लाम ही की तरफ़ लेजाने वाली थी मगर पेश आने वाली हालतें और रुकावटें बाधा हो गईं और उस तरफ़ न जाने दिया। और पहले बुज़ुर्गों और उलेमा से जो पहला क़ौल नक़ल किया गया है बज़ाहिर उसकी मुराद भी असल इस्लाम नहीं बल्कि यही इस्लाम क़ुबूल करने की क़ाबलियत व सलाहियत है। शाह वलिय्युल्लाह मुहद्दिस देहलवी रह. ने 'लमआ़त शरह मिश्कात' में उलेमा की बड़ी जमाअ़त के क़ौल का यही मतलब बयान फ़रमाया है और

इसी की ताईद उस मज़मून से होती है जो हज़रत शाह वलीयुल्लाह देहलवी रह. ने 'हुज्जतुल्लाहिल् बालिग़ा' में तहरीर फ़रमाया है, जिसका हासिल यह है कि हक़ तआ़ला ने बेशुमार क़िस्म की मख़्लूक़ात विभिन्न तबीयतों और मिज़ाज की बनाई हैं, हर मख़्लूक़ की फ़ितरत और मिज़ाज में एक ख़ास माद्दा रख दिया है जिससे वह मख़्लूक़ अपनी तख़्लीक़ (पैदा होने) के मंशा को पूरा कर सके। क़ुरआने करीम में 'अअ़्ता कुल्-ल शैइन् ख़ल्क़हू सुम्-म हदा' (यानी सूरः तॉ-हा की आयत 50) से भी यही समझ में आता है कि जिस मख़्लूक़ को ख़ालिक़े कायनात ने किसी ख़ास मक़सद के लिये पैदा किया है उसको उस मक़सद के लिये हिदायत भी दे दी है, वह हिदायत यही माद्दा और क़ाबलियत है।

शहद की मक्खी में यह माद्दा रख दिया कि वह दरख़्तों और फूलों को पहचाने और चयन करे फिर उसके रस को अपने पेट में महफ़ूज़ करके अपने छत्ते में लाकर जमा करे। इसी तरह इनसान की फ़ितरत व जिबिल्लत में ऐसा माद्दा और सलाहियत रख दी है कि वह अपने पैदा करने वाले को पहचाने, उसकी शुक्रगुज़ारी और हुक्मों का पालन करे इसी का नाम इस्लाम है।

لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ

ऊपर बयान हुई तक़रीर से इस जुमले का मतलब भी स्पष्ट हो गया कि अल्लाह की दी हुई फ़ितरत यानी हक़ को पहचानने की सलाहियत व क़ाबलियत में कोई तब्दीली नहीं कर सकता। उसको ग़लत माहौल काफ़िर तो बना सकता है मगर उसकी हक़ क़ुबूल करने की सलाहियत को बिल्कुल फ़ना नहीं कर सकता।

और इसी से उस आयत का मतलब भी स्पष्ट हो जाता है जिसमें इरशाद है:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ۝

यानी हमने जिन्न और इनसान को और किसी काम के लिये नहीं पैदा किया सिवाय इसके कि वे हमारी इबादत किया करें। मतलब यह है कि उनकी फ़ितरत में हमने इबादत की रुचि व रग़बत और क़ाबलियत रख दी है अगर वे उस क़ाबलियत व सलाहियत से काम लें तो सिवाय इबादत के कोई दूसरा काम उसके ख़िलाफ़ हरगिज़ उनसे न हो।

बातिल वालों की सोहबत और ग़लत माहौल से अलग रहना फ़र्ज़ है

ऊपर बयान हुई आयत 'ला तब्दी-ल लिख़ल्क़िल्लाहि' का जुमला अगरचे ख़बर देने के अन्दाज़ में है यानी अल्लाह की इस फ़ितरत को कोई बदल नहीं सकता, लेकिन इसमें एक मायने हुक्म के भी हैं कि बदलना नहीं चाहिये। इसलिये इस जुमले से यह हुक्म भी समझ में आता है कि इनसान को ऐसे असबाब से बहुत परहेज़ करना चाहिये जो हक़ को क़ुबूल करने की इस सलाहियत व क़ाबलियत को बेकार या कमज़ोर कर दें, और वो असबाब ज़्यादातर ग़लत माहौल और बुरी सोहबत है या बातिल वालों (यानी ग़ैर-हक़ वालों) की किताबें देखना जबकि ख़ुद अपने मज़हबे इस्लाम का पूरा आ़लिम और

माहिर न हो। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ٥

पिछली आयत में इनसान की फ़ितरत को हक़ के क़ुबूल करने के क़ाबिल और मुस्तैद बनाने का ज़िक्र था, इस आयत में पहले हक़ के क़ुबूल करने की सूरत यह बतलाई गई कि नमाज़ क़ायम करें कि वह अ़मली तौर पर ईमान व इस्लाम और हक़ की इताअ़त का इज़हार है, इसके बाद फ़रमायाः

وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ٥

यानी शिर्क करने वालों में शामिल न हो जाओ, जिन्होंने अपनी फ़ितरत और हक़ को क़ुबूल करने की सलाहियत से काम न लिया, आगे उनकी गुमराही का ज़िक्र हैः

مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا

यानी ये मुश्रिक वे लोग हैं जिन्होंने दीने फ़ितरत और दीने हक़ में तफ़रीक़ बिखराव और दूरी पैदा कर दी, या यह कि दीने फ़ितरत से दूर और अलग हो गये जिसका नतीजा यह हुआ कि वे मुख़्तलिफ़ पार्टियों में बट गये। **शिय-अ़न्** शीआ़ की जमा (बहुवचन) है, ऐसी जमाअ़त जो किसी पेशवा की पैरवी करने वाली हो उसको शीआ़ कहते हैं। मतलब यह है कि दीने फ़ितरत तो तौहीद था जिसका असर यह होना चाहिये था कि सब इनसान उसको इख़्तियार करके एक ही क़ौम एक ही जमाअ़त बनते मगर उन्होंने इस तौहीद को छोड़ा और मुख़्तलिफ़ लोगों के ख़्यालात के ताबे हो गये और इनसानी ख़्यालात और रायों में मतभेद एक तबई चीज़ है इसलिये हर एक ने अपना-अपना एक मज़हब बना लिया, अ़वाम उनके सबब अनेक और विभिन्न पार्टियों में बंट गये और शैतान ने उनको अपने-अपने ख़्यालात और एतिक़ादी बातों को हक़ क़रार देने में ऐसा लगा दिया कि उनकी हर पार्टी अपने-अपने एतिक़ादों व ख़्यालों पर मगन और ख़ुश है और दूसरों को ग़लती पर बताती है, हालाँकि ये सब के सब गुमराही वाले ग़लत रास्तों पर पड़े हुए हैं।

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ

इससे पहली आयत में यह बयान किया गया था कि रिज़्क़ का मामला सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है, वह जिसके लिये चाहता है रिज़्क़ को फैला और ज़्यादा कर देता है, और जिसका चाहता है रिज़्क़ समेट कर तंग कर देता है। इससे मालूम हुआ कि कोई शख़्स अल्लाह के दिये हुए रिज़्क़ को उसके सही जगहों में ख़र्च करता रहे तो इससे उसमें कमी नहीं आती, और अगर कोई ख़र्च करने में कन्जूसी करे और जो कुछ अपने पास है उसको जमा करके महफ़ूज़ रखने की कोशिश करे इससे माल में वुस्अ़त (अधिकता) नहीं होती।

इस मज़्मून की मुनासबत से उक्त आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को और बक़ौल हसन बसरी हर मुख़ातब इनसान को जिसको अल्लाह ने माल में वुस्अ़त दी हो यह हिदायत दी गई है कि जो माल अल्लाह ने आपको दिया है उसमें बुख़्ल (कन्जूसी) न करो बल्कि उसको उसके सही मौक़ों में दिल की ख़ुशी के साथ ख़र्च करो, इससे तुम्हारे माल और रिज़्क़ में कमी नहीं आयेगी। और इस हुक्म के साथ इस आयत में माल के चन्द मसारिफ़ (ख़र्च करने की जगहें और मौक़े) भी

बयान कर दिये, सबसे पहले 'ज़विल्क़ुरबा' (रिश्तेदार और क़रीबी) दूसरे मसाकीन तीसरे मुसाफ़िर कि ख़ुदा तआ़ला के अ़ता किये हुए माल में से इन लोगों को दो और इन पर ख़र्च करो। और साथ ही यह भी बतला दिया कि यह इन लोगों का हक़ है जो अल्लाह ने तुम्हारे माल में शामिल कर दिया है इसलिये इनको देने के वक़्त इन पर कोई एहसान न जतलाओ, क्योंकि हक़ वाले का हक़ अदा करना अ़दल व इन्साफ़ का तक़ाज़ा है, कोई एहसान व इनाम नहीं है।

और ज़विल्क़ुरबा से बज़ाहिर यह मुराद है कि आ़म रिश्तेदार हैं, चाहे ख़ून के रिश्ते वाले मेहरम हों या दूसरे (जैसा कि मुफ़स्सिरीन में से अक्सर हज़रात की राय है)। और हक़ से मुराद भी आ़म है चाहे वाजिब हुक़ूक़ हों जैसे माँ-बाप, औलाद और दूसरे क़रीबी रिश्तेदारों के हुक़ूक़ या महज़ एहसान व हमदर्दी हो जो रिश्तेदारों के साथ दूसरों के मुक़ाबले में बहुत ज़्यादा सवाब रखता है। यहाँ तक कि इमामे तफ़सीर मुजाहिद रह. ने फ़रमाया कि जिस शख़्स के क़रीबी और ख़ून के रिश्ते के रिश्तेदार मोहताज हों वह उनको छोड़कर दूसरों पर सदक़ा करे तो अल्लाह के नज़दीक मक़बूल नहीं। और ज़विल्क़ुरबा का हक़ सिर्फ़ माली इमदाद नहीं, उनकी ख़बरगीरी, जिस्मानी ख़िदमत और कुछ न कर सके तो कम से कम ज़बानी हमदर्दी और तसल्ली वग़ैरह जैसा कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि ज़विल्क़ुरबा का हक़ उस शख़्स के लिये जिसको माली गुंजाईश हासिल हो यह है कि माल से उनकी इमदाद करे और जिसको यह गुंजाईश हासिल न हो उसके लिये जिस्मानी ख़िदमत और ज़बानी हमदर्दी है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

ज़विल्क़ुरबा के बाद मिस्कीन और मुसाफ़िर का हक़ बतलाया गया है, यह भी इसी तरह आ़म है गुंजाईश हो तो माली इमदाद, न हो तो अच्छा सुलूक।

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِیْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ

इस आयत में एक बुरी रस्म की इस्लाह की गई है जो आ़म ख़ानदानों और रिश्तेदारों में चलती है। वह यह कि आ़म तौर पर कुनबे रिश्ते के लोग जो कुछ दूसरे को देते हैं इस पर नज़र रखते हैं कि वह भी हमारे वक़्त में कुछ देगा, बल्कि रस्मी तौर पर कुछ ज़्यादा देगा, ख़ुसूसन निकाह शादी वग़ैरह के मौक़ों में जो कुछ दिया लिया जाता है उसकी यही हैसियत होती है जिसको उर्फ़ में न्योता कहते हैं। इस आयत में हिदायत की गई है कि रिश्तेदार का जो हक़ अदा करने का हुक्म पहली आयत में दिया गया है उनका यह हक़ इस तरह दिया जाये कि न उन पर एहसान जताये और न किसी बदले पर नज़र रखे। और जिसने बदले की नीयत से दिया कि उसका माल दूसरे अ़ज़ीज़ रिश्तेदार के माल में शामिल होने के बाद कुछ ज़्यादती लेकर वापस आयेगा तो अल्लाह के नज़दीक उसका कोई दर्जा और सवाब नहीं, और क़ुरआने करीम ने इस ज़्यादती को लफ़्ज़ रिबा से ताबीर करके इसकी बुराई की तरफ़ इशारा कर दिया कि यह एक सूरत सूद के जैसी हो गई।

मसलाः हदिया और हिबा देने वाले को इस पर नज़र रखना कि इसका बदला मिलेगा यह तो एक बहुत बुरी हरकत है जिसको इस आयत में मना फ़रमाया गया है। लेकिन अपने आप जिस शख़्स को कोई हिबा व तोहफ़ा किसी दोस्त या रिश्तेदार की तरफ़ से मिले उसके लिये अख़्लाक़ी तालीम यह है कि वह भी जब उसको मौक़ा मिले उसका बदला उतार दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम

की आदते शरीफ़ा यही थी कि जो शख़्स आपको कोई तोहफ़ा पेश करता तो अपने मौक़े पर आप भी उसको तोहफ़ा देते थे। (जैसा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत से नक़ल किया गया है, क़ुर्तुबी) हाँ! इस बदला उतारने की सूरत ऐसी न बनाये कि दूसरा आदमी यह महसूस करे कि यह मेरे हदिये का बदला दे रहा है।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ۖ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ﴿٤٣﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴿٤٤﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٥﴾

ज़-हरल्-फ़सादु फ़िल्-बर्रि वल्-बह्रि बिमा क-सबत् ऐदिन्नासि लियुज़ी-क़हुम् बअ्ज़ल्लज़ी अ़मिलू लअ़ल्लहुम् यर्जिअ़ून (41) क़ुल् सीरू फ़िल्अर्ज़ि फ़न्ज़ुरू कै-फ़ का-न आ़कि-बतुल्लज़ी-न मिन् क़ब्लु, का-न अक्सरुहुम् मुश्रिकीन (42) फ़-अक़िम् वज्ह-क लिद्दीनिल्-क़य्यिमि मिन् क़ब्लि अंय्यअ्ति-य यौमुल् ला मरद्-द लहू मिनल्लाहि यौमइज़िंय्-यस्सद्दअ़ून (43) मन् क-फ़-र फ़-अ़लैहि कुफ़्रुहू व मन् अ़मि-ल सालिहन् फ़लिअन्फ़ुसिहिम् यम्हदून (44) लि-यज्ज़ि-यल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्-सालिहाति मिन् फ़ज़्लिही, इन्नहू ला युहिब्बुल्-काफ़िरीन (45)	फैल पड़ी है ख़राबी जंगल में और दरिया में लोगों के हाथ की कमाई से चखाना चाहिए उनको कुछ मज़ा उनके काम का ताकि वे फिर आयें। (41) तू कह फिरो मुल्क में तो देखो कैसा हुआ अन्जाम पहलों का, बहुत उनमें थे शिर्क करने वाले। (42) सो तू सीधा रख अपना मुँह सीधी राह पर इससे पहले कि आ पहुँचे वह दिन जिसको फिरना नहीं अल्लाह की तरफ़ से, उस दिन लोग जुदा-जुदा होंगे। (43) जो मुन्किर हुआ सो उस पर पड़े उसका मुन्किर होना और जो कोई करे भले काम सो वे अपनी राह संवारते हैं (44) ताकि वह बदला दे उनको जो यक़ीन लाये और काम किये भले अपने फ़ज़्ल से, बेशक उसको नहीं भाते इनकार वाले। (45)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(शिर्क व नाफ़रमानी ऐसी बुरी चीज़ है कि) ख़ुश्की और तरी (यानी तमाम दुनिया) में लोगों के (बुरे) आमाल के सबब बलाएँ फैल रही हैं (मसलन सूखा, वबा और तूफ़ान) ताकि अल्लाह तआ़ला उनके कुछ आमाल (की सज़ा) का मज़ा उनको चखा दे, ताकि वे (अपने उन आमाल से) बाज़ आ जाएँ (जैसा कि दूसरी आयत में है:

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ

(यानी सूरः शूरा की आयत 30 में) और 'कुछ आमाल' का मतलब यह है कि अगर सब आमाल पर ये सज़ायें मुरत्तब हों तो एक दम ज़िन्दा न रहें, जैसा कि अल्लाह तआ़ला का क़ौल है:

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ

(यानी सूरः फ़ातिर आयत 45 में) इसी मायने से उपर्युक्त आयत में 'व यअ़्फ़ू अ़न् कसीर' फ़रमाया है, यानी बहुत से गुनाहों को तो अल्लाह तआ़ला माफ़ ही कर देते हैं, कुछ ही आमाल की सज़ा देते हैं। ग़र्ज़ कि जब बुरे आमाल सब के सब ही वबाल का सबब हैं तो शिर्क व कुफ़्र तो सबसे बढ़कर अ़ज़ाब का कारण होगा और अगर मुश्रिक लोगों को इसके मानने में शक व दुविधा हो तो) आप (उनसे) फ़रमा दीजिये कि मुल्क में चलो-फिरो, फिर देखो कि जो (काफ़िर व मुश्रिक) लोग पहले गुज़र चुके हैं उनका अन्जाम कैसा हुआ, उनमें अक्सर मुश्रिक ही थे। (सो देख लो वे आसमानी अ़ज़ाब से किस तरह हलाक हुए जिससे साफ़ वाज़ेह हुआ कि शिर्क का बड़ा वबाल है और बाज़े कुफ़्र की दूसरी किस्मों में मुब्तला थे, जैसे कौमे लूत और कारून और जो लोग शक्ल बिगड़कर बन्दर और सुअर हो गये थे, क्योंकि आयतों को झुठलाना और मना की गयी बातों की मुख़ालफ़त करके कुफ़्र व लानत में मुब्तला हुए। और शायद शिर्क का विशेष तौर पर ज़िक्र इसलिए हो कि मक्का के काफ़िर लोगों ख़ास और मशहूर हालत यही थी, और जब शिर्क का वबाल का सबब होना साबित हो गया) सो (ऐ मुख़ातब!) तुम अपना रुख़ इस सच्चे दीन (यानी तौहीद-ए-इस्लामी) की तरफ़ रखो, इससे पहले कि ऐसा दिन आ जाये जिसके वास्ते फिर ख़ुदा तआ़ला की तरफ़ से हटना न होगा। (यानी जैसे दुनिया में ख़ास अ़ज़ाब के वक़्त को अल्लाह तआ़ला क़ियामत के वायदे पर हटाता जाता है, जब वह तयशुदा दिन आ जायेगा फिर उसको न हटायेगा और कोई छूट न मिलेगी। इस जुमले में शिर्क के आख़िरत के वबाल का ज़िक्र हो गया जैसा ऊपर आयत 41 और 42 में दुनियावी वबाल का ज़िक्र हुआ था, और) उस दिन (यह होगा कि) सब (अ़मल करने वाले) लोग (बदला मिलने के एतिबार से) अलग-अलग हो जाएँगे। (इस तरीक़े पर कि) जो शख़्स कुफ़्र कर रहा है उस पर तो उसका कुफ़्र (का वबाल) पड़ेगा, और जो नेक अ़मल कर रहा है सो ये लोग अपने (फ़ायदे के) लिये सामान कर रहे हैं। जिसका हासिल यह होगा कि अल्लाह तआ़ला उन लोगों को अपने फ़ज़्ल से (नेक) जज़ा देगा जो ईमान लाये और उन्होंने अच्छे अ़मल किये (और उससे काफ़िर लोग मेहरूम रहेंगे जैसा कि ऊपर 'फ़-अ़लैहि कुफ़्रुहू' से मालूम हुआ जिसकी वजह यह है कि) वाक़ई अल्लाह तआ़ला काफ़िरों को पसन्द नहीं करता (बल्कि उनके कुफ़्र पर उनसे नाख़ुश) है।

मआरिफ़ व मसाईल

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِی النَّاسِ

'यानी ख़ुश्की और दरिया में सारे जहान में फ़साद फैल गया लोगों के बुरे आमाल की वजह से।'

तफ़सीर रूहुल-मआनी में है कि फ़साद से मुराद कहत (सूखा पड़ना) और वबाई बीमारियाँ और आग लगने और पानी में डूबने के वाक़िआत की अधिकता और हर चीज़ की बरकत का मिट जाना, नफ़ा देने वाली चीज़ों का नफ़ा कम नुक़सान ज़्यादा हो जाना वग़ैरह आफ़तें हैं। और इस आयत से मालूम हुआ कि इन दुनियावी आफ़तों का सबब इनसानों के गुनाह और बुरे आमाल होते हैं जिनमें कुफ़्र व शिर्क सबसे ज़्यादा सख़्त और मुख्य हैं, इसके बाद दूसरे गुनाह हैं।

और यही मज़मून दूसरी एक आयत में इस तरह आया है:

وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍo

यानी तुम्हें जो भी मुसीबत पहुँचती है वह तुम्हारे ही हाथों की कमाई के सबब है। यानी उन गुनाहों और नाफ़रमानियों के सबब जो तुम करते रहते हो, और बहुत से गुनाहों को तो अल्लाह तआला माफ़ ही कर देते हैं। मतलब यह है कि इस दुनिया में जो मुसीबतें और आफ़तें तुम पर आती हैं उनका असल सबब तुम्हारे गुनाह होते हैं अगरचे दुनिया में न उन गुनाहों का पूरा बदला दिया जाता है और न हर गुनाह पर मुसीबत व आफ़त आती है, बल्कि बहुत से गुनाहों को तो माफ़ कर दिया जाता है। किसी-किसी गुनाह पर ही पकड़ होती और आफ़त व मुसीबत भेज दी जाती है। अगर हर गुनाह पर दुनिया में मुसीबत आया करती तो एक इनसान भी ज़मीन पर ज़िन्दा न रहता, मगर होता यह है कि बहुत से गुनाहों को तो हक़ तआला माफ़ ही फ़रमा देते हैं और जो माफ़ नहीं होते तो उनका भी पूरा बदला दुनिया में नहीं दिया जाता बल्कि थोड़ा सा मज़ा चखाया जाता है। जैसा कि इसी आयत के आख़िर में फ़रमायाः

لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِیْ عَمِلُوْا

यानी ताकि चखा दे अल्लह तआला कुछ हिस्सा उनके बुरे आमाल का। और इसके बाद इरशाद फ़रमाया कि बुरे आमाल और गुनाहों की वजह से जो मुसीबत व आफ़त दुनिया में भेज दी जाती है वह भी ग़ौर करो तो अल्लाह तआला की रहमत व इनायत ही है क्योंकि इस दुनिया की मुसीबत से मक़सद यह होता है कि ग़ाफ़िल इनसान को तंबीह हो जाये और वह अपने गुनाहों और नाफ़रमानियों से बाज़ आ जाये जो अन्जाम के एतिबार से उसके लिये मुफ़ीद और बड़ी नेमत है जैसा कि आयत के आख़िर में फ़रमाया 'लअ़ल्लहुम् यरजिऊ़न'।

दुनिया की बड़ी-बड़ी आफ़तें और मुसीबतें इनसानों के गुनाहों के सबब से आती हैं

इसी लिये कुछ उलेमा ने फ़रमाया कि जो इनसान कोई गुनाह करता है वह सारी दुनिया के

इनसानों चौपायों और चरिन्दे व परिन्दे जानवरों पर ज़ुल्म करता है, क्योंकि उसके गुनाहों के वबाल से जो बारिश का क़हत और दूसरी मुसीबतें दुनिया में आती हैं उससे सब ही जानदार प्रभावित होते हैं। इसी लिये क़ियामत के दिन ये सब भी गुनाहगार इनसान के ख़िलाफ़ दावा करेंगे।

और शक़ीक़ ज़ाहिद ने फ़रमाया कि जो शख़्स हराम माल खाता है वह सिर्फ़ उस पर ज़ुल्म नहीं करता जिससे यह माल नाजायज़ तौर पर हासिल किया है बल्कि पूरे इनसानों पर ज़ुल्म करता है। (रूहुल-मआनी) क्योंकि अव्वल तो एक के ज़ुल्म से दूसरे लोगों में ज़ुल्म करने की रस्म चालू होती है और यह सिलसिला सारी इनसानियत को अपने लपेटे में ले लेता है, दूसरे उसके ज़ुल्म की वजह से दुनिया में आफ़तें और मुसीबतें आती हैं जिससे सब ही इनसान प्रभावित होते हैं।

एक शुब्हा और उसका जवाब

सही हदीसों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ये इरशादात भी मौजूद हैं कि दुनिया मोमिन के लिये जेलख़ाना और काफ़िर के लिये जन्नत है, और यह कि काफ़िर को उसके नेक आमाल का बदला दुनिया ही में माल व दौलत और सेहत की शक्ल में दे दिया जाता है और मोमिन के आमाल का बदला आख़िरत के लिये महफ़ूज़ कर दिया जाता है, और यह कि मोमिन की मिसाल दुनिया में एक नाज़ुक शाख़ (टहनी) के जैसी है कि हवायें उसको कभी एक तरफ़ कभी दूसरी तरफ़ झुका देती हैं, कभी सीधा कर देती हैं यहाँ तक कि इसी हालत में वह दुनिया से रुख़्सत हो जाता है और यह कि "दुनिया में बलायें सबसे ज़्यादा नबियों पर आती हैं फिर जो उनके क़रीब हो फिर जो उनके क़रीब हो।"

ये तमाम सही हदीसें बज़ाहिर इस आयत के मज़मून से भिन्न हैं और दुनिया के आ़म अनुभवों और दिखाई देने वाले हालात भी यही बतलाते हैं कि दुनिया में आ़म तौर पर मोमिन मुसलमान तंगी और तकलीफ़ में और काफ़िर बदकार लोग ऐश व आराम में रहते हैं। अगर ऊपर ज़िक्र हुई आयत के मुताबिक़ दुनिया की मुसीबतें और तकलीफ़ें गुनाहों के सबब से होतीं तो मामला उल्टा होता।

इसका जवाब यह है कि उक्त आयत में गुनाहों को मुसीबतों का सबब ज़रूर बतलाया है मगर एकमात्र यही कारण नहीं बताया कि जब किसी पर कोई मुसीबत आये तो गुनाह ही के सबब से होगा, जिस पर कोई मुसीबत आये उसका गुनाहगार होना ज़रूरी हो, बल्कि आ़म असबाब का जो दुनिया में दस्तूर है कि सबब ज़ाहिर होने के बाद उसका मुसब्बिब (सबब का पैदा करने वाला) अक्सर ज़ाहिर हो जाता है और कभी कोई दूसरा सबब उसके असर के ज़ाहिर होने से बाधा हो जाता है तो उस सबब का असर ज़ाहिर नहीं होता, जैसे कोई दस्त लाने वाली और पेट मुलायम करने वाली दवा के बारे में यह कहे कि इससे दस्त होंगे, यह अपनी जगह सही है मगर कई बार किसी दूसरी दवा ग़िज़ा या हवा वग़ैरह के असर से दस्त नहीं होते, जो दवायें बुख़ार उतारने की हैं कई बार ऐसे हालात और रुकावटें पेश आ जाती हैं कि उन दवाओं का असर ज़ाहिर नहीं होता, नींद लाने वाली गोलियाँ खाकर भी नींद नहीं आती जिसकी हज़ारों मिसालें दुनिया में हर वक़्त देखी जाती हैं।

इसलिये आयत का हासिल यह हुआ कि गुनाहों की असल ख़ासियत यह है कि उनसे मुसीबतें व

आफ़तें आयें लेकिन बहुत सी बार दूसरे कुछ असबाब इसके ख़िलाफ़ जमा हो जाते हैं जिनकी वजह से मुसीबतों का ज़हूर नहीं होता, और कुछ सूरतों में बग़ैर किसी गुनाह के कोई आफ़त या मुसीबत आ जाना भी इसके ख़िलाफ़ नहीं। क्योंकि आयत में यह नहीं फ़रमाया कि बग़ैर गुनाह के कोई तकलीफ़ व मुसीबत किसी को पेश नहीं आती बल्कि हो सकता है कि किसी को कोई मुसीबत व आफ़त किसी दूसरे सबब से पेश आ जाये जैसे नबियों और वलियों को जो मुसीबतें और तकलीफ़ें पेश आती हैं उनका सबब कोई गुनाह नहीं होता बल्कि उनकी आज़माईश और आज़माईश के ज़रिये उनके दर्जों की तरक़्क़ी उसका सबब होती है।

इसके अ़लावा क़ुरआने करीम ने जिन आफ़तों व मुसीबतों को गुनाहों के सबब से क़रार दिया है इससे मुराद वो आफ़तें व मुसीबतें हैं जो पूरी दुनिया पर या पूरे शहर या बस्ती पर आ़म हो जायें, आ़म इनसान और जानवर उनके असर से न बच सकें। ऐसी मुसीबतों व आफ़तों का सबब उमूमन लोगों में गुनाहों की अधिकता ख़ुसूसन खुलेआ़म गुनाह करना ही होता है। शख़्सी और व्यक्तिगत तकलीफ़ व मुसीबत में यह नियम नहीं बल्कि वह कभी किसी इनसान की आज़माईश करने के लिये भी भेजी जाती है और जब वह उस आज़माईश में पूरा उतरता है तो उसके आख़िरत के दर्जे बढ़ जाते हैं, यह मुसीबत दर हक़ीक़त उसके लिये रहमत व नेमत होती है। इसलिये व्यक्तिगत तौर पर किसी शख़्स को मुसीबत में मुब्तला देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि वह बहुत गुनाहगार है। इसी तरह किसी को ऐश व आराम और आ़फ़ियत में देखकर यह हुक्म नहीं लगाया जा सकता कि वह बड़ा नेक सालेह बुज़ुर्ग है। अलबत्ता आ़म मुसीबतों व आफ़तों जैसे क़हत, तूफ़ान, वबाई रोग, ज़रूरत की चीज़ों की तंगी, चीज़ों की बरकत मिट जाना वग़ैरह इसका अक्सर और बड़ा सबब लोगों के खुलेआ़म गुनाह और अल्लाह की नाफ़रमानी होती है।

फ़ायदाः हज़रत शाह वलीयुल्लाह रह. ने 'हुज्जतुल्लाहिल्-बालिग़ा' में फ़रमाया कि इस दुनिया में अच्छाई व बुराई या मुसीबत व राहत, मशक़्क़त व सहूलत के असबाब दो तरह के हैं- एक ज़ाहिरी दूसरे बातिनी। ज़ाहिरी असबाब तो वही माद्दी असबाब हैं जो आ़म दुनिया की नज़र में असबाब समझे जाते हैं और बातिनी असबाब इनसानी आमाल और उनकी बिना पर फ़रिश्तों की इमदाद व नुसरत या उनकी लानत व नफ़रत हैं। जैसे दुनिया में बारिश के असबाब वैज्ञानिकों और अहले तजुर्बा की नज़र में समन्दर से उठने वाले बुख़ारात (मानसून) और फिर ऊपर की हवा में पहुँचकर उनका जम जाना फिर सूरज की किरणों से पिघल कर बरस जाना हैं, मगर हदीस की रिवायतों में इन चीज़ों को फ़रिश्तों का अ़मल बतलाया गया है। हक़ीक़त में इन दोनों में कोई टकराव नहीं, एक चीज़ के असबाब कई हो सकते हैं। इसलिये हो सकता है कि ज़ाहिरी असबाब यही हों और बातिनी सबब फ़रिश्तों का तसर्रुफ़ (काम करना) हो, ये दोनों तरह के असबाब जमा हो जायें तो बारिश उम्मीद और ज़रूरत के मुताबिक़ हो और जहाँ ये दोनों असबाब जमा न हों वहाँ बारिश के होने में ख़लल और असामान्य स्थिति रहे।

हज़रत शाह साहिब रह. ने फ़रमाया कि इसी तरह दुनिया की मुसीबतों व आफ़तों के कुछ असबाब ज़ाहिरी और माद्दी हैं जो नेक व बद को नहीं पहचानते। आग जलाने के लिये है वह मुत्तक़ी

और गुनाहगार का फ़र्क़ किये बग़ैर सब को जलायेगी ही, सिवाय इसके कि किसी ख़ास फ़रमान के ज़रिये उसको इस अ़मल से रोक दिया जाये जैसे नमरूद की आग इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के लिये ठंडी और सलामती वाली बना दी गई। पानी वज़नी चीज़ों को ग़र्क़ करने के लिये है वह यही काम करेगा इसी तरह दूसरे तत्व जो ख़ास-ख़ास कामों के लिये हैं वे अपनी दी हुई ख़िदमत में लगे हुए हैं, ये तबई और माद्दी असबाब किसी इनसान के लिये राहत व सहूलत के सामान भी उपलब्ध कराते हैं और किसी के लिये मुसीबत व आफ़त भी बन जाते हैं।

इन्हीं ज़ाहिरी असबाब की तरह मुसीबतें व आफ़तें और राहत व सहूलत में प्रभावी इनसान के अपने अच्छे और बुरे आमाल भी हैं, जब दोनों ज़ाहिरी और बातिनी असबाब किसी व्यक्ति या वर्ग की राहत व आराम और सहूलत व आसानी पर जमा हो जाते हैं तो उस व्यक्ति या समूह को दुनिया में ऐश व राहत मुकम्मल तौर पर हासिल होती है जिसको हर शख़्स देखता है। इसके मुक़ाबले में जिस व्यक्ति या वर्ग के लिये तबई और ज़ाहिरी असबाब भी मुसीबत व आफ़त ला रहे हों और उसके आमाल भी मुसीबत व आफ़त को चाहते हों तो उसकी मुसीबत व आफ़त भी मुकम्मल होती है जिसको आ़म तौर पर देखा जाता है।

और कई बार ऐसा भी होता है कि तबई और माद्दी असबाब तो मुसीबत व आफ़त पर जमा होते हैं मगर उसके अच्छे आमाल बातिनी तौर पर राहत व सुकून को चाहते हैं ऐसी सूरत में ये बातिनी असबाब उसकी ज़ाहिरी आफ़तों को दूर करने या कम करने में ख़र्च हो जाते हैं उसकी ऐश व राहत मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आती। इसी तरह इसके विपरीत कई बार माद्दी और ज़ाहिरी असबाब ऐश व आराम को चाहते हैं मगर बातिनी असबाब यानी उसके आमाल बुरे होने की वजह से उनका तक़ाज़ा मुसीबत व आफ़त लाने का होता है, तो इन एक दूसरे के विपरीत तक़ाज़ों की वजह से न ऐश व राहत मुकम्मल होती है और न बहुत ज़्यादा मुसीबत व आफ़त उनको घेरती है।

इसी तरह कई बार माद्दी असबाब को किसी बड़े दर्जे के नबी व रसूल और अल्लाह के वली के लिये नासाज़गार बनाकर उसकी आज़माईश व इम्तिहान के लिये भी इस्तेमाल किया जाता है। इस तफ़सील को समझ लिया जाये तो क़ुरआन की आयतों और बयान हुई हदीसों का आपसी ताल्लुक़ व मुवाफ़क़त स्पष्ट हो जाती है, टकराव और विरोधाभास के शुब्हात ख़त्म हो जाते हैं। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

मुसीबतों के वक़्त परीक्षा व इम्तिहान या सज़ा व अज़ाब में फ़र्क़

मुसीबतों व आफ़तों के ज़रिये जिन लोगों को उनके गुनाहों की कुछ सज़ा दी जाती है और जिन नेक लोगों को दर्जे बुलन्द करने या गुनाहों को मिटाने के लिये इम्तिहान के तौर पर मुसीबतों में मुब्तला किया जाता है, देखने में इम्तिहान की सूरत एक सी ही होती है उन दोनों में फ़र्क़ कैसे पहचाना जाये? इसकी पहचान हज़रत शाह वलीयुल्लाह रह. ने यह लिखी है कि जो नेक लोग

इम्तिहान व आज़माईश के तौर पर मुसीबतों में गिरफ़्तार होते हैं अल्लाह तआ़ला उनके दिलों को मुत्मईन कर देते हैं और वे उन मुसीबतों व आफ़तों पर ऐसे ही राज़ी होते हैं जैसे बीमार कड़वी दवा या ऑप्रेशन पर बावजूद तकलीफ़ महसूस करने के राज़ी होता है, बल्कि इसके लिये माल भी ख़र्च करता है, सिफ़ारिशें भी कराता है। बख़िलाफ़ उन गुनाहगारों के जो बतौर सज़ा मुसीबतों में मुब्तला किये जाते हैं उनकी परेशानी, रोने-पीटने और शिकवे शिकायत की हद नहीं रहती, कई बार नाशुक्री बल्कि कुफ़्र के कलिमात तक पहुँच जाते हैं।

सैयदी हकीमुल-उम्मत थानवी रह. ने एक पहचान यह बतलाई कि जिस मुसीबत के साथ इनसान को अल्लाह तआ़ला की तरफ़ तवज्जोह, अपने गुनाहों पर तंबीह और तौबा व इस्तिग़फ़ार की रुचि ज़्यादा हो जाये वह इसकी निशानी है कि यह क़हर नहीं बल्कि मेहर और इनायत है। और जिसको यह सूरत न बने बल्कि बेक़रारी व फ़रियाद और गुनाहों में और ज़्यादा मशग़ूली बढ़ जाये वह अल्लाह के क़हर और अ़ज़ाब की पहचान है। वल्लाहु आलम

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرٰتٍ وَّلِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ۭ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ اَللّٰهُ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۝ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ ۝ فَانْظُرْ اِلٰٓى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ وَهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ وَلَىِٕنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ يَكْفُرُوْنَ ۝ فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ۝ وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ۭ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

व मिन् आयातिही अंय्युर्सिलर्-रिया-ह मुबश्शिरातिंव्-व लियुज़ी-ककुम् मिर्रह्मतिही व लितज्रियल्-फ़ुल्कु बिअम्रिही व लितब्तग़ू मिन् फ़ज़्लिही व लअ़ल्लकुम् तश्कुरून (46) व ल-क़द् अर्सल्ना मिन् क़ब्लि-क	और उसकी निशानियों में से एक यह है कि चलाता है हवायें ख़ुशख़बरी लाने वाली और ताकि चखाये तुमको कुछ मज़ा अपनी मेहरबानी का, और ताकि चलें जहाज़ उसके हुक्म से और ताकि तलाश करो उसके फ़ज़्ल से और ताकि तुम हक़ मानो। (46) और हम भेज चुके हैं तुझसे पहले

रुसुलन् इला क़ौमिहिम् फ़जाऊहुम् बिल्बय्यिनाति फ़न्त-क़म्ना मिनल्लज़ी-न अज्रमू, व का-न हक़्क़न् अ़लैना नस्रुल्-मुअ्मिनीन (47) अल्लाहुल्लज़ी युर्सिलुर्-रिया-ह फ़तुसीरु सहाबन् फ़-यब्सुतुहू फ़िस्समा-इ कै-फ़ यशा-उ व यज्अ़लुहू कि-सफ़न् फ़-तरल्-वद्-क़ यख़्रुजु मिन् ख़िलालिही फ़-इज़ा असा-ब बिही मंय्यशा-उ मिन् अ़िबादिही इज़ा हुम् यस्तब्शिरून (48) व इन् कानू मिन् क़ब्लि अंय्युनज़्ज़-ल अ़लैहिम् मिन् क़ब्लिही लमुब्लिसीन (49) फ़न्ज़ुर् इला आसारि रह्मतिल्लाहि कै-फ़ युह्यिल्-अर्-ज़ बअ़्-द मौतिहा, इन्-न ज़ालि-क लमुह्यिल्-मौता व हु-व अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर (50) व ल-इन् अर्सल्ना रीहन् फ़-रऔहु मुस्फ़र्रल् लज़ल्लू मिम्-बअ़्दिही यक्फ़ुरून (51) फ़-इन्न-क ला तुस्मिअ़ुल्-मौता व ला तुस्मिअ़ुस्-सुम्मद्-दुआ़-अ इज़ा वल्लौ मुद्बिरीन (52) व मा अन्-त बिहादिल्-अ़ुम्यि

कितने रसूल अपनी अपनी क़ौम के पास, सो पहुँचे उनके पास निशानियाँ लेकर फिर बदला लिया हमने उनसे जो गुनाहगार थे और हक़ है हम पर मदद ईमान वालों की। (47) अल्लाह है जो चलाता है हवायें फिर वो उठाती हैं बादल को फिर फैला देता है उसको आसमान में जिस तरह चाहे और रखता है उसको एक दूसरे के ऊपर, फिर तू देखे बारिश को निकलती है उसके बीच में से, फिर जब उसको पहुँचाता है जिसको चाहता है अपने बन्दों में तब ही वे लगते हैं ख़ुशियाँ करने। (48) और पहले से हो रहे थे उसके उतरने से पहले ही नाउम्मीद। (49) सो देख ले अल्लाह की मेहरबानी की निशानियाँ क्योंकर ज़िन्दा करता है ज़मीन को उसके मर जाने के बाद, बेशक वही है मुर्दों को ज़िन्दा करने वाला और वह हर चीज़ कर सकता है। (50) और अगर हम भेजें एक हवा फिर देखें वे खेती को कि पीली पड़ गयी तो लगें उसके बाद नाशुक्री करने। (51) सो तू सुना नहीं सकता मुर्दों को और नहीं सुना सकता बहरों को पुकारना जबकि फेरें पीठ देकर। (52) और न तू राह सुझाये अन्धों को उनके

अ़न् ज़लालतिहिम्, इन् तुस्मिअ़ु इल्ला मंय्युअ्मिनु बिआयातिना फ़हुम्-मुस्लिमून (53) ✿	भटकने से, तू तो सुनाये उसी को जो यक़ीन लाये हमारी बातों पर सो वे मुसलमान होते हैं। (53) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और अल्लाह तआ़ला की (क़ुदरत व वह्दत और नेमत की) निशानियों में से एक यह (भी) है कि वह (बारिश से पहले) हवाओं को भेजता है कि वो (बारिश की) ख़ुशख़बरी देती हैं (पस उनका भेजना एक तो जी ख़ुश करने के लिये होता है) और (साथ ही इस वास्ते) ताकि (उसके बाद बारिश हो और) तुमको अपनी (उस) रहमत (बारिश) का मज़ा चखा दे (यानी बारिश के फ़ायदे इनायत फ़रमा दे) और (इस वास्ते भी हवा भेजता है) ताकि (उसके ज़रिये से हवा से चलने वाली) कश्तियाँ उसके हुक्म से चलें, और ताकि (उस हवा के ज़रिये से कश्ती के द्वारा दरिया के सफ़र से) तुम उसकी रोज़ी तलाश करो (यानी कश्तियों का चलना और रोज़ी तलाश करना दोनों हवा भेजने से हासिल होते हैं, पहला डायरेक्ट और दूसरा कश्ती के माध्यम से), और ताकि तुम शुक्र करो। और (इन पूर्ण दलीलों और नेमतें अ़ता फ़रमाने पर भी ये मुश्रिक लोग हक़ तआ़ला की जो नाशुक्रियाँ करते हैं यानी शिर्क और रसूल की मुख़ालफ़त और मोमिनों को तकलीफ़ वग़ैरह पहुँचाना तो आप उस पर ग़मगीन न हों क्योंकि हम जल्द ही उनसे बदला लेने वाले और उसमें उनको मग़लूब और अहले हक़ को ग़ालिब करने वाले हैं जैसा कि पहले भी हुआ है। चुनाँचे) हमने आप से पहले बहुत-से पैग़म्बर उनकी क़ौमों के पास भेजे और वे उनके पास (हक़ को साबित करने वाली) दलीलें लेकर आये (जिस पर बाज़े ईमान लाये और बाज़े न लाये) सो हमने उन लोगों से बदला लिया जिन्होंने जुर्म किये थे (और वो जुर्म और अपराध हक़ को झुठलाना और अहले हक़ की मुख़ालफ़त हैं, और उस बदला लेने में हमने उनको मग़लूब और ईमान वालों को ग़ालिब किया) और (वायदे व दस्तूर के मुताबिक़) ईमान वालों को ग़ालिब करना हमारे ज़िम्मे था (वह बदला अल्लाह का अ़ज़ाब था और उसमें काफ़िरों का हलाक होना या उनका पराजित होना व हार जाना है और मुसलमानों का बच जाना उनका ग़ालिब आना है। ग़र्ज़ कि इसी तरह काफ़िरों से बदला लिया जायेगा, चाहे दुनिया में चाहे मौत के बाद)।

(असल मज़मून से हटकर बीच में यह तसल्ली का मज़मून आ गया था आगे फिर हवाओं के भेजने के संक्षिप्त बयान की कुछ तफ़सील है कि) अल्लाह तआ़ला ऐसा (क़ादिर व हकीम और इनाम देने वाला) है कि वह हवाएँ भेजता है, फिर वो (हवायें) बादलों को (जो कि कभी उन हवाओं से पहले बुख़ारात "समुद्री भाप" उठकर बादल बन चुकते हैं और कभी वो बुख़ारात उन्हीं हवाओं से बुलन्द होकर बादल बन जाते हैं फिर वो हवायें बादलों को उनकी जगह से यानी आसमानी फ़िज़ा से या ज़मीन से) उठाती हैं, फिर अल्लाह तआ़ला उस (बादल) को (कभी तो) जिस तरह चाहता है आसमान (यानी आसमानी फ़िज़ा) में फैला देता है, और (कभी) उसके टुकड़े-टुकड़े कर देता है। (बसत का

मतलब यह है कि इकट्ठा करके दूर तक फैला देता है और 'कै-फ़ यशा-उ' का मतलब यह है कि कभी थोड़ी दूर तक कभी बहुत दूर तक, और कि-सफ़न् का मतलब यह है कि इकट्ठा नहीं होता बिखरा रहता है) फिर (दोनों हालत में) तुम बारिश को देखते हो कि उस (बादल) के अन्दर से निकलती है (इकट्ठे हुए बादल से बरसना तो अधिकतर होता ही है और कुछ मौसमों में अक्सर बारिश बिखरी हुई अलग-अलग होने वाली बदलियों से भी होती है)।

फिर (बादल से निकलने के बाद) जब वह (बारिश) अपने बन्दों में से जिसको चाहे पहुँचा देता है तो बस वे ख़ुशियाँ मनाने लगते हैं। और वे लोग इससे पहले कि उनके ख़ुश होने से पहले उन पर बरसे (बिल्कुल ही) ना-उम्मीद (हो रहे) थे (यानी अभी-अभी ना-उम्मीद थे और अभी ख़ुश हो गये। और ऐसा ही देखने में भी है कि इनसान की कैफ़ियत ऐसी हालत में बहुत जल्दी बदल जाती है)। सो (ज़रा) अल्लाह की रहमत (यानी बारिश) के आसार (तो) देखो कि अल्लाह तआ़ला (उसके ज़रिये से) ज़मीन को उसके मुर्दा (यानी ख़ुश्क) होने के बाद किस तरह ज़िन्दा (यानी तरोताज़ा) करता है। (और यह बात नेमत और उसके अकेला माबूद होने के अ़लावा इसकी भी दलील है कि मरने के बाद दोबारा ज़िन्दा करने पर अल्लाह को पूरी क़ुदरत है। इससे मालूम होता है कि जिस ख़ुदा ने मुर्दा ज़मीन को ज़िन्दा कर दिया) कुछ शक नहीं कि वही (ख़ुदा) मुर्दों को ज़िन्दा करने वाला है (पस अ़क़्ली तौर पर मुम्किन होने में दोनों बराबर और ज़ाती क़ुदरत दोनों के साथ बराबर और अनुभव वे देखे जाने में दोनों कामों का एक जैसा होना ये सब चीज़ें इस मुहाल और दूर की बात समझे जाने को दफ़ा करने वाली हैं कि मरने के बाद फिर कैसे ज़िन्दा होंगे) और वह हर चीज़ पर क़ुदरत रखने वाला है।

(यह मज़मून मुर्दों को ज़िन्दा करने का ज़मीन को ज़िन्दा करने के ताल्लुक़ से था जिसका ऊपर से चल रहे मज़मून से संबन्ध नहीं) और (आगे फिर बारिश व हवा के मुताल्लिक़ मज़मून है, जिसमें ग़फ़लत बरतने वालों की नाशुक्री का बयान है। यानी ग़ाफ़िल लोग ऐसे हक़ न पहचानने वाले और नाशुक्रे हैं कि इतनी बड़ी-बड़ी नेमतों के बाद) अगर हम उन पर और (क़िस्म की) हवा चलाएँ फिर (उस हवा से) ये लोग खेती को (ख़ुश्क और) पीली हुई देखें (कि उसकी हरियाली और ताज़गी जाती रही) तो ये उसके बाद नाशुक्री करने लगें (और पिछली तमाम नेमतों का एक दम भुला दें) सो (जब इनकी ग़फ़लत और नाशुक्री का यह हाल है तो इससे यह भी साबित हुआ कि यह बिल्कुल ही बेहिस हैं तो इनके ईमान न लाने और सोच-विचार न करने पर ग़म भी बेकार है, क्योंकि) आप मुर्दों को (तो) नहीं सुना सकते, और बहरों को (भी) आवाज़ नहीं सुना सकते (ख़ुसूसन) जबकि वे पीठ फेरकर चल दें (कि इशारे को भी न देखें)। और (इसी तरह) आप (ऐसे) अन्धों को (जो कि देखने वाले के पीछे न चलें) उनकी बेराही से राह पर नहीं ला सकते। (यानी ये तो ऐसे लोगों के जैसे हैं जो ज़िन्दगी और होश ही न रखते हों) आप तो बस उनको सुना सकते हैं जो हमारी आयतों का यक़ीन रखते हैं (और) फिर वे मानते (भी) हैं। (और जब ये लोग मुर्दों, बहरों, अन्धों के जैसे हैं फिर इनसे ईमान लाने की उम्मीद न रखिये और न ग़म कीजिये)।

मआरिफ़ व मसाईल

فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ٥

"हमने मुजरिमों काफ़िरों से इन्तिक़ाम (बदला) ले लिया और हमारे ज़िम्मे था कि हम मोमिनों की मदद करते।"

इस आयत से मालूम हुआ कि मोमिनों की मदद करना अल्लाह तआ़ला ने अपने फ़ज़्ल से अपने ज़िम्मे ले लिया है। इसका तक़ाज़ा बज़ाहिर यह था कि मुसलमानों को काफ़िरों के मुक़ाबले में कभी शिकस्त न हो, हालाँकि बहुत से वाक़िआ़त इसके ख़िलाफ़ भी हुए हैं और होते रहते हैं। इसका जवाब ख़ुद इसी आयत में मौजूद है कि मोमिनों से मुराद अल्लाह के रास्ते के वे मुजाहिद हैं जो ख़ालिस अल्लाह तआ़ला के लिये काफ़िरों से जंग करते हैं, ऐसे लोगों का ही इन्तिक़ाम अल्लाह तआ़ला मुजरिमों से लेते हैं और उनको ग़ालिब करते हैं, जहाँ कहीं इसके ख़िलाफ़ कोई सूरत पेश आती है वहाँ उमूमन मुजाहिदों की कोई ख़ता व चूक उनकी शिकस्त का सबब बनती है जैसे जंगे-ए-उहुद के मुताल्लिक़ ख़ुद क़ुरआने करीम में है:

اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا

"यानी शैतान ने उन लोगों को फिसला दिया, उनके बाज़े आमाल की ग़लती के सबब।"

और ऐसे हालात में भी अंततः अल्लाह तआ़ला फिर उन्हीं को ग़लबा और फ़तह अ़ता फ़रमा देते हैं जबकि उनको अपनी ग़लती पर तंबीह हो जाये, जैसा ग़ज़वा-ए-उहुद में हुआ। और जो लोग महज़ अपना नाम मोमिन मुसलमान रख लें, अल्लाह के अहकाम से ग़फ़लत व सरकशी के आ़दी हों और काफ़िरों के ग़लबे के वक़्त भी अपने गुनाहों से तौबा न करें वे इस वायदे में शामिल नहीं, वे अल्लाह की मदद के हक़दार नहीं। यूँ अल्लाह पाक अपनी रहमत से बग़ैर किसी हक़ के भी मदद और ग़लबा अ़ता फ़रमा देते हैं उसकी उम्मीद रखना और उससे दुआ़ माँगना हर हाल में मुफ़ीद ही मुफ़ीद है।

فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى

इस आयत का मतलब यह है कि आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। रहा यह मामला कि मुर्दों में सुनने की सलाहियत है या नहीं और आ़म मुर्दे ज़िन्दों का कलाम सुनते हैं या नहीं? इस मसले की मुख़्तसर तहक़ीक़ इसी जिल्द में सूरः नम्ल की तफ़सीर में गुज़र चुकी है और मुकम्मल तहक़ीक़ अहक़र के अ़रबी के रिसाले में है जिसका नाम "तकमीलुल्-हुबूर बिसिमाअ़ि अहलिल्-क़ुबूर" है और जो अहकामुल-क़ुरआन (अ़रबी भाषा) के पाँचवे भाग का हिस्सा बनकर प्रकाशित हो चुका है।

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّ شَیْبَةً ؕ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ ۚ وَ هُوَ الْعَلِیْمُ الْقَدِیْرُ ۝ وَ یَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ یُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۙ۬ مَا لَبِثُوْا غَیْرَ سَاعَةٍ ؕ كَذٰلِكَ كَانُوْا یُؤْفَكُوْنَ ۝ وَ قَالَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَ الْاِیْمَانَ لَقَدْ

لَبِثْتُمْ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ ؗ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٥٦﴾ فَيَوْمَئِذٍ
لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؕ
وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ﴿٥٨﴾ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى
قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٩﴾ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٦٠﴾

अल्लाहुल्लज़ी ख़-ल-क़कुम् मिन् ज़ुअ्फ़िन् सुम्-म ज-अ़-ल मिम्बअ्दि ज़ुअ्फ़िन् क़ुव्वतन् सुम्-म ज-अ़-ल मिम्-बअ्दि क़ुव्वतिन् ज़ुअ्फ़ंव्-व शै-बतन्, यख़्लुक़ु मा यशा-उ व हुवल्-अ़लीमुल्-क़दीर (54) व यौ-म तक़ूमुस्सा-अ़तु युक़्सिमुल्-मुज्रिमू-न मा लबिसू ग़ै-र सा-अ़तिन्, कज़ालि-क कानू युअ्फ़कून (55) व क़ालल्लज़ी-न ऊतुल्-इ़ल्-म वल्-ईमा-न ल-क़द् लबिस्तुम् फ़ी किताबिल्लाहि इला यौमिल्-बअ्सि फ़-हाज़ा यौमुल्-बअ्सि व लाकिन्नकुम् कुन्तुम् ला तअ्लमून (56) फ़यौमइज़िल्-ला यन्फ़अु-ल्लज़ी-न ज़-लमू मअ्ज़ि-रतुहुम् व ला हुम् युस्तअ्-तबून (57) व ल-क़द् ज़रब्ना लिन्नासि फ़ी हाज़ल्-क़ुरआनि मिन् कुल्लि म-सलिन्, व ल-इन् जिअ्-तहुम् बिआयतिल् ल-यक़ूलन्न-

अल्लाह है जिसने बनाया तुमको कमज़ोरी से फिर दिया कमज़ोरी के बाद ज़ोर, फिर देगा ज़ोर के बाद कमज़ोरी और सफ़ेद बाल, बनाता है जो कुछ चाहे और वह है सब कुछ जानता कर सकता। (54) और जिस दिन क़ायम होगी क़ियामत क़समें खायें गुनाहगार कि हम नहीं रहे थे एक घड़ी से ज़्यादा, इसी तरह थे उल्टे जाते। (55) और कहेंगे जिनको मिली है समझ और यक़ीन तुम्हारा ठहरना था अल्लाह की किताब में ज़िन्दा होकर उठने के दिन तक, सो यह है उठने का दिन पर तुम नहीं थे जानते। (56) उस दिन काम न आयेगा उन गुनाहगारों को क़सूर बख़्शवाना और न उनसे कोई मनाना चाहे। (57) और हमने बिठलाई है आदमियों के वास्ते इस क़ुरआन में हर एक तरह की मिसाल, और जो तू लाये उनके पास कोई आयत तो ज़रूर कहें वे

-ल्लज़ी-न क-फ़रू इन् अन्तुम् इल्ला मुब्तिलून (58) कज़ालि-क यत्बअुल्लाहु अ़ला क़ुलूबिल्लज़ी-न ला यअ़्लमून (59) फ़स्बिर् इन्-न वअ़्दल्लाहि हक़्क़ुंव्-व ला यस्तख़िफ़्फ़न्न-कल्लज़ी-न ला यूक़िनून (60) ✿

इनकारी तुम सब झूठ बनाते हो। (58) यूँ मोहर लगा देता है अल्लाह उनके दिलों पर जो समझ नहीं रखते। (59) सो तू क़ायम रह बेशक अल्लाह का वायदा ठीक है और उखाड़ न दें तुझको वे लोग जो यक़ीन नहीं लाते। (60) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

अल्लाह ऐसा है जिसने तुमको कमज़ोरी की हालत में बनाया (इससे मुराद शुरू की बचपन की हालत है) फिर (उस) कमज़ोरी के बाद ताक़त (यानी जवानी) अ़ता की, फिर (उस) ताक़त के बाद कमज़ोरी और बुढ़ापा किया। (और) वह जो चाहता है पैदा करता है, और वह (हर तसर्रुफ़ को) जानने वाला (और उस तसर्रुफ़ के नाफ़िज़ करने पर) क़ुदरत रखने वाला है। (पस जो ऐसा क़ादिर हो उसको दोबारा पैदा करना क्या मुश्किल है। यह तो बयान था दोबारा ज़िन्दा होने के इमकान का) और (आगे उसके वाक़े व ज़ाहिर होने का बयान है, यानी) जिस दिन क़ियामत क़ायम होगी मुजरिम (यानी काफ़िर) लोग (वहाँ की हौल व हैबत और परेशानी को देखकर क़ियामत के आने को बहुत ही ज़्यादा नागवार समझकर) क़सम खा बैठेंगे कि (क़ियामत बहुत जल्दी आ गई और) वे लोग (यानी हम लोग बर्ज़ख़ के जहान में) एक घड़ी से ज़्यादा नहीं रहे (यानी जो मियाद क़ियामत के आने की मुक़र्रर थी वह भी पूरी न होने पाई कि क़ियामत आ पहुँची, जैसा कि देखा जाता है कि अगर फाँसी वाले की मियाद एक माह मुक़र्रर की जाये तो जब महीना गुज़र चुकेगा तो उसको ऐसा मालूम होगा कि गोया महीना नहीं गुज़रा और मुसीबत जल्दी आ गई, हक़ तआ़ला का इरशाद है कि) इसी तरह ये लोग (दुनिया में) उल्टे चला करते थे (यानी जिस तरह यहाँ आख़िरत में क़ियामत के वक़्त से पहले आ जाने पर क़समें खाने लगे इसी तरह दुनिया में क़ियामत के वजूद ही के इनकारी थे, और न आने पर क़समें खाया करते थे)।

और जिन लोगों को इल्म और ईमान अ़ता हुआ है (मुराद ईमान वाले हैं कि शरीअ़त की ख़बरों का इल्म उनको हासिल है) वे (उन मुजरिमों के जवाब में) कहेंगे कि (तुम बर्ज़ख़ में मियाद से कम तो नहीं रहे, तुम्हारा यह दावा ग़लत है, बल्कि) तुम तो अल्लाह के लिखे हुए (मुक़र्ररा वक़्त) के मुवाफ़िक़ क़ियामत के दिन तक रहे हो, सो क़ियामत का दिन यही है (जो मियाद मुक़र्रर थी बर्ज़ख़ में रहने की) और लेकिन (वजह इस बात की कि क़ियामत को मियाद से पहले आया हुआ समझते हो यह है कि) तुम (दुनिया में क़ियामत के आने का) यक़ीन (और एतिक़ाद) न करते थे (बल्कि इसको झुठलाते और

इनकार किया करते थे, उस इनकार के वबाल में आज परेशानी का सामना हुआ, इस वजह से घबराकर यह ख़्याल हुआ कि अभी तो मियाद पूरी भी नहीं हुई, और अगर तस्दीक़ करते और ईमान ले आते तो इसके आने को जल्दी न समझते बल्कि यूँ चाहते कि इससे भी जल्दी आ जाये, क्योंकि इनसान से जब किसी राहत व आराम का वायदा हो तो तबई तौर पर उसका जल्दी आना चाहता है और इन्तिज़ार भारी और उसकी मुद्दत लम्बी मालूम हुआ करती है। जैसा कि हदीस में भी है कि काफ़िर क़ब्र में कहता है 'या रब! क़ियामत क़ायम न कर', और मोमिन कहता है 'या रब! क़ियामत क़ायम कर'। और मोमिनों के इस जवाब से भी जो यहाँ ज़िक्र हुआ है कि बर्ज़ख़ के मक़ाम को उन्होंने बहुत समझा है, यह साफ़ झलकता है कि वे मुश्ताक़ थे, इसलिये चाहते थे कि जल्द आ जाये) ग़र्ज़ कि उस दिन ज़ालिमों (यानी काफ़िरों की परेशानी और मुसीबत की यह कैफ़ियत होगी कि उन) को उनका (किसी क़िस्म का झूठा सच्चा) उज़्र करना नफ़ा न देगा, और न उनसे ख़ुदा की नाराज़गी की तलाफ़ी चाही जायेगी (यानी इसका मौक़ा न दिया जायेगा कि तौबा करके ख़ुदा को राज़ी कर लें)।

और हमने लोगों (की हिदायत) के वास्ते इस क़ुरआन (के मजमूए या इसके इस ख़ास हिस्से यानी इस सूरत) में हर तरह के उम्दा (और अ़जीब ज़रूरी) मज़ामीन बयान किये हैं (जो अपनी उम्दगी, ख़ूबी और कमाल की वजह से इसका तक़ाज़ा करते हैं कि इन काफ़िरों को हिदायत हो जाती मगर इन लोगों ने अपनी हद से बढ़ी हुई दुश्मनी व मुख़ालफ़त के सबब इसको क़ुबूल न किया और इससे फ़ायदा उठाने वाले न हुए) और (क़ुरआन की क्या विशेषता है इन लोगों का बैर व मुख़ालफ़त इस दर्जा बढ़ गयी है कि) अगर (क़ुरआन के अ़लावा उन मोजिज़ों में से जिनकी ये ख़ुद फ़रमाईश किया करते हैं) आप इनके पास कोई निशानी ले आएँ तब भी ये लोग जो काफ़िर हैं यही कहेंगे कि तुम सब (यानी पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और मोमिन हज़रात जो शरई और कायनाती आयतों व निशानियों की तस्दीक़ करते हैं) ख़ालिस झूठे और ग़ैर-हक़ वाले हो। (पैग़म्बर को जादू की तोहमत लगाकर बातिल रास्ते वाले कहें और मुसलमानों को जादू की तस्दीक़ करने से ग़ैर-हक़ पर कहें, और उन लोगों की इस दुश्मनी व मुख़ालफ़त के बारे में असल बात यह है कि) जो लोग (बावजूद बार-बार निशानियाँ और हक़ की दलीलें ज़ाहिर होने के) यक़ीन नहीं करते (और न उसके हासिल करने की कोशिश करते हैं) अल्लाह तआ़ला उनके दिलों पर यूँ ही मोहर कर दिया करता है (जैसा कि इनके दिलों पर हो रही है। यानी हक़ को क़ुबूल करने की सलाहियत व क़ाबलियत रोज़ाना कमज़ोर व बेदम होती जाती है, इसलिये बात मानने और फ़रमाँबरदारी में कमज़ोरी और मुख़ालफ़त व दुश्मनी में क़ुव्वत बढ़ती जाती है) सो (जब ये ऐसे मुख़ालिफ़ व दुश्मन हैं तो इनकी मुख़ालफ़त, तकलीफ़ें पहुँचाने और बद-कलामी वग़ैरह पर) आप सब्र कीजिये, बेशक अल्लाह का वायदा (कि आख़िर में ये नाकाम और हक़ वाले कामयाब होंगे) सच्चा है, (वह वायदा ज़रूर ज़ाहिर होगा। पस सब्र व बरदाश्त थोड़े ही दिन करना पड़ता है) और ये बुरे यक़ीन वाले लोग आपको बे-बरदाश्त न करने पायें (यानी इनकी तरफ़ से चाहे कैसी ही बात पेश आये मगर ऐसा न हो कि आप बरदाश्त न करें)।

मआरिफ़ व मसाईल

इस सूरत का बड़ा हिस्सा क़ियामत का इनकार करने वालों के शुब्हात को दूर करने से संबन्धित है जिसके लिये हक़ तआ़ला की कामिल और असीमित क़ुदरत और पूर्ण हिक्मत की बहुत सी आयतें और निशानियाँ दिखलाकर ग़ाफ़िल इनसान को ग़फ़लत से जगाने का सामान किया गया है। उपर्युक्त पहली आयत में एक नये अन्दाज़ से इसी मज़मून को साबित किया है वह यह कि इनसान अपनी तबीयत से जल्दबाज़ वाक़े हुआ है और सामने की चीज़ों में लगकर भूतकाल व भविष्यकाल को भुला देने का आ़दी है, और इसकी यही आ़दत इसको बहुत सी तबाहकुन ग़लतियों में मुब्तला करती है।

जिस वक़्त इनसान जवान होता है उसकी क़ुव्वत अपने शबाब पर होती है, यह अपनी ताक़त के नशे में किसी को कुछ नहीं समझता, हदों पर क़ायम रहना इसको दूभर मालूम होता है। इसको चेताने के लिये इस आयत में ताक़त व कमज़ोरी के एतिबार से इनसानी वजूद का एक मुकम्मल ख़ाका पेश किया गया है जिसमें दिखलाया है कि इनसान की शुरूआ़त भी कमज़ोर है और इन्तिहा भी, बीच में बहुत थोड़े दिनों के लिये इसको एक ताक़त मिलती है। अ़क्ल का तक़ाज़ा यह है कि उस चन्द दिन की ताक़त के ज़माने में अपनी पहली कमज़ोरी और आने वाली कमज़ोरी से कभी ग़ाफ़िल न हो बल्कि अपनी उस कमज़ोरी के विभिन्न दर्जों को हमेशा सामने रखे जिनसे गुज़रकर यह क़ुव्वत व जवानी तक पहुँचा है।

'ख़-ल-ककुम् मिन् ज़ुअ़्फ़िन्' में इनसान को यही सबक़ दिया गया है कि अपनी असल बुनियाद को देख किस क़द्र कमज़ोर बल्कि पूरी तरह कमज़ोर है कि एक बेजान, बेशऊर, नापाक क़तरा घिनौनी चीज़ है, इसमें ग़ौर करो कि किसकी क़ुदरत व हिक्मत ने इस घिनौने क़तरे को एक जमे हुए ख़ून की सूरत में फिर गोश्त की सूरत में फिर उस गोश्त के अन्दर हड्डियाँ जमाने में तब्दीलियाँ कीं फिर उसके अंगों और हिस्सों की नाज़ुक नाज़ुक मशीनें बनाईं कि यह एक छोटा सा वजूद एक चलती फिरती फ़ैक्ट्री बन गया जिसमें सैकड़ों अ़जीब व ग़रीब अपने आप काम करने वाली मशीनें लगी हुई हैं और ज़्यादा विचार से काम लो तो एक फ़ैक्ट्री नहीं बल्कि एक छोटी सी दुनिया है कि पूरे जहान के नमूने उसके वजूद में शामिल हैं। इसके पैदा करने और बनाने का काम भी किसी बड़े वर्कशॉप में नहीं बल्कि माँ के पेट की तीन अंधेरियों में हुआ। और नौ महीने उसी तंग व अंधेरी जगह में माँ के पेट के ख़ून और गंदगियों से ग़िज़ा पाते हुए हज़रते इनसान का वजूद तैयार हुआ।

ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ

फिर अल्लाह तआ़ला ने इनके ज़ाहिर होने के लिये रास्ता आसान बना दिया, इस आ़लम में आये तो इनकी शान यह थी कि:

اَخْرَجَكُمْ مِّنْ م بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا.

यानी तुम्हें माँ के पेट से अल्लाह तआ़ला ने इस हालत में निकाला कि तुम कुछ न जानते थे अब क़ुदरत ने तालीम व हिदायत का सिलसिला शुरू किया, सबसे पहला हुनर रोने का सिखलाया

जिससे माँ-बाप मुतवज्जह होकर उसकी भूख प्यास और हर तकलीफ़ को दूर करने पर लग जायें। फिर होंठों, मसूढ़ों से दबाकर माँ की छातियों से दूध निकालने का हुनर सिखलाया, जिससे वह अपनी गिज़ा हासिल करे। किसकी मजाल थी जो इस नासमझ बच्चे को ये दोनों हुनर सिखा दे जो इसकी मौजूदा सारी ज़रूरतों की ज़िम्मेदारी लेते हैं सिवाय उस क़ुदरत के जो इसकी पैदाईश की मालिक है। अब कमज़ोर बच्चा है ज़रा हवा लग जाये तो निढाल और बेदम हो जाये, ज़रा सर्दी या गर्मी लग जाये तो बीमार हो जाये, न अपनी किसी ज़रूरत को माँग सकता है न किसी तकलीफ़ को दूर कर सकता है, यहाँ से चलिये और जवानी के आलम तक इसकी दर्जा-ब-दर्जा मन्ज़िलों तक ग़ौर करते जाईये तो हक़ तआ़ला की क़ुदरत का ऐसा अ़ज़ीम नमूना सामने आयेगा कि अ़क्ल हैरान रह जायेगी।

ثُمَّ جَعَلَ مِنْ م بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً

अब यह क़ुव्वत की मन्ज़िल में पहुँचे तो ज़मीन आसमान को एक करने लगे, चाँद और मंगल ग्रह पर कमन्द फेंकने लगे, ख़ुश्की व पानी पर अपने कब्ज़े जमाने लगे, अपने गुज़रे दौर और आने वाले ज़माने से ग़ाफ़िल होकर 'मन् अशद्दु मिन्ना क़ुव्वतन्' (हम से ज़्यादा कौन ताक़तवर हो सकता है) के नारे लगाने लगे। यहाँ तक कि इसी ताक़त के नशे में अपने पैदा करने वाले को भी भूल गये और उसके अहकाम की पैरवी को भी। मगर क़ुदरत ने इसको जगाने और सचेत करने के लिये फ़रमायाः

ثُمَّ جَعَلَ مِنْ م بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّ شَيْبَةً

कि ग़ाफ़िल! ख़ूब समझ ले कि यह क़ुव्वत तेरी चन्द दिन की है फिर उसी कमज़ोरी के आलम की तरफ़ लौटना है और उसी धीमी रफ़्तार से कमज़ोरी बढ़नी शुरू होगी जिसका असर एक वक़्त के बाद बालों की सफ़ेदी की सूरत में ज़ाहिर होगा। और फिर सब ही आज़ा व बदन के हिस्सों की शक्ल व सूरत में तब्दीलियाँ लायेगी, दुनिया की तारीख़ और दूसरी किताबें नहीं ख़ुद अपने वजूद में लिखी हुई इस छुपी तहरीर को पढ़ लो तो इस यक़ीन के सिवा कोई चारा-ए-कार न रहेगा किः

يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ○

कि यह सब कारसाज़ी उस रब्बुल-इज़्ज़त की है जो पैदा करता है जो चाहता है जिस तरह चाहता है और इल्म में भी सबसे बड़ा है और क़ुदरत में भी। क्या इसके बाद भी इसमें कुछ शुब्हे की गुन्जाईश रह गई कि वह जब चाहे मुर्दों को दोबारा भी ज़िन्दा कर सकता है।

आगे फिर क़ियामत का इनकार करने वालों की बकवास और उनकी जहालत का बयान हैः

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ

"यानी जिस दिन क़ियामत क़ायम होगी तो ये क़ियामत के इनकारी उस वक़्त के हौलनाक मनाज़िर (दृश्यों) से मदहोश होकर यह क़समें खाने लगें कि हमारा क़ियाम (ठहरना) तो एक घड़ी से ज़्यादा नहीं रहा। इस ठहरने से मुराद हो सकता है कि दुनिया का ठहरना हो, क्योंकि उनकी दुनिया आराम व ऐश से गुज़री थी और अब सख़्त मुसीबतें सामने आईं तो जैसे इनसान की तबई आ़दत है

कि राहत के ज़माने को बहुत मुख़्तसर समझा करता है इसलिये क़समें खा जायेंगे कि दुनिया में तो हमारा कियाम (रहना और ठहरना) बहुत ही मुख़्तसर एक घड़ी का था।

और यह भी हो सकता है कि इस कियाम से मुराद क़ब्र और बर्ज़ख़ का कियाम हो, और मतलब यह हो कि हम तो समझते थे कि क़ब्र यानी आ़लमे बर्ज़ख़ में ठहरना बहुत लम्बा होगा और कियामत बहुत ज़माने के बाद आयेगी मगर मामला उल्टा हो गया कि हम बर्ज़ख़ में थोड़े ही देर ठहरने पाये थे कि कियामत आ गई। और यह जल्दी आना उनको इस बिना पर महसूस होगा कि कियामत में उनके लिये कोई ख़ुशी व राहत की चीज़ तो थी नहीं, मुसीबत ही मुसीबत थी, और इनसानी फ़ितरत यह है कि मुसीबत आने के वक़्त पिछली राहत के ज़माने को बहुत मुख़्तसर समझने लगता है और काफ़िरों को अगरचे क़ब्र व बर्ज़ख़ में भी अ़ज़ाब होगा मगर कियामत के अ़ज़ाब के मुक़ाबले में वह भी राहत महसूस होने लगेगा, और उस ज़माने को मुख़्तसर समझकर क़सम खायेंगे कि क़ब्र में हमारा ठहरना बहुत मुख़्तसर एक घड़ी का था।

क्या मेहशर में अल्लाह के सामने कोई झूठ बोल सकेगा?

इस आयत से मालूम हुआ कि मेहशर में काफ़िर लोग क़सम खाकर यह झूठ बोलेंगे कि हम तो दुनिया में या क़ब्र में एक घड़ी से ज़्यादा नहीं रहे, इसी तरह एक दूसरी आयत में मुश्रिकों का यह क़ौल ज़िक्र हुआ है कि वे क़सम खाकर कहेंगे कि हम मुश्रिक नहीं थेः

وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ۝

वजह यह है कि मेहशर में रब्बुल-आ़लमीन की अ़दालत क़ायम होगी, वह सब को आज़ादी देंगे कि जो चाहे बयान दे, झूठ बोले या सच बोले। क्योंकि रब्बुल-इ़ज़्ज़त को ज़ाती इ़ल्म भी पूरा-पूरा है और अ़दालती तहक़ीक़ात के लिये वह उनके इक़रार करने न करने का मोहताज नहीं, जब इनसान झूठ बोलेगा तो उसके मुँह पर मुहर लगा दी जायेगी और उसके हाथ-पाँव और खाल व बाल से गवाही ली जायेगी वो सच-सच सारा वाक़िआ़ बयान कर देंगे जिसके बाद उसको कोई हुज्जत बाक़ी न रहेगी।

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ ....الاٰية

(सूरः यासीन आयत 65) का यही मतलब है, और क़ुरआने करीम की दूसरी आयतों से मालूम होता है कि मेहशर में मुख़्तलिफ़ मवाक़िफ़ (खड़े होने और हिसाब-किताब के मौक़े) होंगे, हर मौक़िफ़ के हालात अलग हैं, एक मौक़िफ़ वह भी होगा जिसमें अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर किसी को बोलने का इख़्तियार न होगा और वह सिर्फ़ सच और सही बात ही बोल सकेगा, झूठ पर क़ुदरत न होगी जैसा कि सूरः न-ब-अ की आयत 38 में इरशाद हैः

لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا۝

क़ब्र में कोई झूठ न बोल सकेगा

इसके विपरीत क़ब्र के सवाल व जवाब में सही हदीसों में बयान हुआ है कि जब काफ़िर से पूछा

जायेगा कि तेरा रब कौन है और मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम कौन हैं? तो वह कहेगा 'हाह् हाह् ला अदरी' "यानी हाय! हाय! मैं कुछ नहीं जानता।" अगर वहाँ झूठ बोलने का इख़्तियार होता तो क्या मुश्किल था कह देता कि मेरा रब अल्लाह है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो यह एक अ़जीब बात है कि काफ़िर लोग अल्लाह के सामने तो झूठ बोलने पर क़ादिर हों और फ़रिश्तों के सामने झूठ न बोल सकें। मगर ग़ौर किया जाये तो कुछ ताज्जुब की बात नहीं, वजह यह है कि फ़रिश्ते न तो आ़लिमुल-ग़ैब हैं न उनको यह इख़्तियार है कि हाथ-पाँव की गवाही लेकर उस पर हुज्जत पूरी कर दें, अगर उनके सामने झूठ बोलने का इख़्तियार होता तो सब काफ़िर बदकार क़ब्र के अ़ज़ाब से बेफ़िक्र हो जाते। बख़िलाफ़ अल्लाह जल्ल शानुहू के कि वह दिलों के हाल से भी वाक़िफ़ हैं और बदन के अंगों की गवाही से उसका झूठ खोल देने पर क़ादिर भी हैं। इसलिये मेहशर में यह आज़ादी दे देना अ़दालती इन्साफ़ में कोई ख़लल (ख़राबी और बाधा) पैदा नहीं करता। वल्लाहु आलम

सूरः रूम बहम्दिल्लाह 28 ज़ीक़ादा सन् 1391 हिजरी दिन शनिवार को मुकम्मल हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः रूम की तफ़सीर मुकम्मल हुई।

LAQAD KHALAQNAL INSAANA FEE AHSANI TAQWEEM

कुछ अलफ़ाज़ और उनके मायने

इस्लामी महीनों के नामः- मुहर्रम, सफ़र, रबीउल-अव्वल, रबीउस्सानी, जमादियुल-अव्वल, जमादियुस्सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ीक़ादा, ज़िलहिज्जा।

चार मशहूर आसमानी किताबें

तौरातः- वह आसामानी किताब जो हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम पर उतरी।

ज़बूरः- वह आसमानी किताब जो हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम पर उतरी।

इन्जीलः- वह आसमानी किताब जो हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम पर उतरी।

क़ुरआन मजीदः- वह आसामानी किताब जो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर नाज़िल हुई। यह आख़िरी आसमानी किताब है।

रिश्ते और निस्बतें

अबूः- बाप (जैसे अबू हुज़ैफ़ा)।

इब्नः- बेटा, पुत्र (जैसे इब्ने उमर)।

उम्मः- माँ (जैसे उम्मे कुलसूम)।

बिन्तः- बेटी, पुत्री (जैसे बिन्ते उमर)।

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

अज़लः- शुरू, मख़्लूक़ की पैदाईश का दिन। वह समय जिसकी कोई शुरूआत न हो।

अजायबातः- अनोखी या हैरत-अंगेज़ चीज़ें।

अज़ाबः- गुनाह की सज़ा, तकलीफ़, दुख, मुसीबत।

अज्रः- नेक काम का बदला, सवाब, फल।

अ़क़ीदाः- दिल में जमाया हुआ यक़ीन, ईमान, एतिबार, आस्था आदि। इसका बहुवचन अ़क़ीदे और अ़क़ायद आता है।

अ़दमः- नापैदी, न होना।

अबदः हमेशगी। वह ज़माना जिसकी कोई इन्तिहा न हो।

अहकामः- हुक्म का बहुवचन, मायने हैं फ़रमान, इरशाद, शरई फ़ैसला आदि।

आयतः- निशान, क़ुरआनी आयत का एक टुकड़ा, एक रुकने की जगह का नाम जो गोल दायरे की शक्ल में होती है।

आख़िरतः- परलोक, दुनिया के बाद की ज़िन्दगी।

इस्मे आज़मः- अल्लाह तआ़ला के नामों में से एक बड़ाई वाला नाम, इसके ज़रिये दुआ़ की क़ुबूलियत का अवसर बढ़ जाता है।

इजमाः- जमा होना, एकमत होना, मुसलमान उलेमा का किसी शरई मामले पर एकमत होना।

इस्तिग़फ़ारः- तौबा करना, बख़्शिश चाहना।

उज़्रः- बहाना, हीला, सबब, हुज्जत, एतिराज़, पकड़, माफ़ी, माफ़ी चाहना, इनकार।

एहरामः- बिना सिली एक चादर और तहबन्द। मुराद वह कपड़ा और लिबास है जिसको पहनकर हज और उमरे के अरकान अदा किये जाते हैं।

कहानतः- ग़ैब की बात बताना, फ़ाल कहना, भविष्यवाणी करना।

कफ़्फ़ाराः- गुनाह को धो देने वाला, गुनाह या ख़ता का बदला, क़ुसूर का दंड जो ख़ुदा तआ़ला की तरफ़ से मुक़र्रर है। प्रायशचित।

क़ियासः- अन्दाज़ा, अटकल, जाँच।

क़िसासः- बदला, इन्तिक़ाम, ख़ून का बदला ख़ून।

ख़ालिक़ः- पैदा करने वाला। अल्लाह तआ़ला का एक सिफ़ाती नाम।

ग़ज़्वाः- वह जिहाद जिसमें ख़ुद रसूले ख़ुदा सल्ल. शरीक हुए हों। दीनी जंग।

ग़ैबः- ग़ैर-मौजूदगी, पोशीदगी की हालत, जो आँखों से ओझल हो। जो अभी भविष्य में हो।

ज़माना-ए-जाहिलीयतः- अ़रब में इस्लाम से पहले का ज़माना और दौर।

जिहादः- कोशिश, जिद्दोजहद, दीन की हिमायत के लिये हथियार उठाना, जान व माल की क़ुरबानी देना।

जिज़्याः- वह टैक्स जो इस्लामी हुकूमत में ग़ैर-मुस्लिमों से लिया जाता है। बच्चे, बूढ़े, औरतें और धर्मगुरु इससे बाहर रहते हैं। इस टैक्स के बदले हुकूमत उनके जान माल आबरू की सुरक्षा करती है।

तक़दीरः- वह अन्दाज़ा जो अल्लाह तआ़ला ने पहले दिन से हर चीज़ के लिये मुक़र्रर कर दिया है। नसीब, क़िस्मत, भाग्य।

तर्काः- मीरास, मरने वाले की जायदाद व माल।

तौहीदः- एक मानना, ख़ुदा तआ़ला के एक होने पर यक़ीन करना।

तस्दीक़ः- सच होने की पुष्टि करना, साबित करना।

तकज़ीबः- झुठलाना, झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाना।

तरदीदः- किसी बात को रद्द करना, खण्डन करना।

तहरीफ़ः- बदल देना, तहरीर में असल अलफ़ाज़ बदल कर और कुछ लिख देना, या तर्जुमा करने में जान-बूझकर ग़लत मायने करना।

तिलावतः- पढ़ना, क़ुरआन शरीफ़ पढ़ना।

तजल्लीः- पर्दा हटना, ज़ाहिर होना, रोशनी, चमक, उजाला आदि।

तरग़ीबः- शौक़, इच्छा, किसी काम के करने पर उभारना।

तवाफ़ः- अल्लाह के घर का चक्कर लगाना।

दारुल-हरबः- वह देश जहाँ मुसलमानों का जान, माल और धर्म सुरक्षित नहीं।

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖